

त्वरित विचारण हेतु चयनित किये गये बोकारो जिला के नए कांडों (50 कांड) की सूची,

क्र०स०	थाना कांड संख्या/दिनांक/धारा एवं कांड की संक्षिप्त विवरणी।	माननीय न्यायालय का नाम /जी०आर०/एस० टी०/विषेष कांड संख्या।	पी०पी०/ए०ए०पी० पी० का नाम एवं मो० नंबर।	वादी का नाम एवं पता।	अभियुक्तों का नाम एवं पता।	सरकारी गवाहों यथाअनुसंधानकर्ता /स्वतंत्र गवाह एवं विषेषज्ञों का नाम/पता एवं मो० नंबर।	साक्ष्य/प्रदर्ष की स्थिति एवं मालखाना संख्या।	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	<p>सेक्टर-04 थाना कांड सं०-70/17 दि०-30.06.17,धारा-20. /22/32एन०डी०पी०एस० एक्ट।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड पु० अ०नि० आदित्य कुमार मिश्रा सेक्टर -4 थाना द्वारा स्वलिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त ददन कुमार यादव पे० विरेन्द्र यादव साकिन- सेक्टर-04/ई, स्ट्रीट-10,आवास सं० 2121 के सामने झोपड़ी थाना सेक्टर-04, जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध रूप से गोंजा का व्यापार करते हुए पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p align="center">जी०आर० नं०-803/17 एन०डी०पी०एस० 04/2017</p>	<p>माननीय न्यायालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष, बोकारो।</p>	<p>श्री एतमीन भौवरा,ए०पी०पी० व्यवहार न्यायालय, चास बोकारो। मो० नं०-9430373370</p>	<p>पु०नि० आदित्य कुमार मिश्रा, थाना प्रभारी, सेक्टर-4 थाना जिला-बोकारो।</p>	<p>1.ददन कुमार यादव पे० बिरेन्द्र यादव सा०- सेक्टर-04/ई, स्ट्रीट-10,आवास सं० 2121 के सामने झोपड़ी थाना सेक्टर-04, जिला बोकारो।</p>	<p>1.पु०नि० आदित्य कुमार मिश्रा 2.आ० 826 चन्द्रषेखर यादव 3. आ० 1632 राम प्रवेश राम 4.आ० 1173 धीरेन कुमार 5. आ० 585 राम प्रवेश राम</p>		<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में आरोप पत्र संख्या-103/17 दिनांक 28.08.17 धारा 20/22/32 एन०डी०पी०एस० के तहत प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध समर्पित किया गया है।</p>

2.	<p>सेक्टर-04 थाना काण्ड सं0 37/18 दिनांक 30.03.2018 धारा- 392 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी सुभाष मंडल पे0 स्व0 मंथन मंडल सा0 नारायण पुर थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात दो अपराधी के विरुद्ध दिनांक 29.03.2018 को चाकु एवं पिस्तोल का भय दिखाकर पेसा लूट लेने के आरोप मे दर्ज किया गया है।</p> <p>जी0आर0नं0 459/18</p>	सी0जे0एम0	ए0पी0पी ए0 भौरा, मो0नं0 9430373370	सुभाष मंडल पे0 स्व0 मंथन मंडल सा0 नारायण पुर थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।	अज्ञात	<p>01.अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 विनोद कुमार सिंह थाना सेक्0-04 जिला बोकारो। 02.सुभाष मंडल पे0 स्व0 मंथन मंडल सा0 नारायण पुर थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो। 03.साक्षी दुर्गा पद उम्र 65 वर्ष पे0 स्व0 मणे लाल मोहन बेडा सा0 केलाश नगर थाना चास जिला बोकारो। 04.साक्षी हनुमान प्रसाद उम्र 50 वर्ष पे0 रामगोन सा0 बस स्टेण्ड चास थाना चास जिला बोकारो। 05.जप्ती सूची गवाह पु0/1173 धीरेन कुमार पु0/1412 बैधनाथ वाष्की दोनो सेक्0 04 थाना रिजर्व गार्ड।</p>	<p>01.सिलवर रंग का एक हिनो होण्डा हंक मोटर साईकिल जिसका रजि0 न0 जेएच 09 एन 3365 02.एक गोल्डन रंग का सेमसंग मोबाईल जिसका आईएमईआई न0 35283707036564/01एवं सिरि0 न0 आर जेढ 8^{जी} 90 एजे आर क्यू भी जिसम जियो कम्पनी का सिम लगा हुआ है। 03.संजीव कुमार साहनी उर्फ पागल के कमर मे खोसा हुआ भुजाली करीब 01 फीट लम्बा।</p>	<p>अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 392 भा0द0वि0 के तहत अप्राथ0 अभि0 01. पिन्दु दास उर्फ बप्पी पे0 रामचन्द्र दास सा/पो/थाना बेदला जिला खडकपुर वर्तमान सेक्टर 01सी विकास नगर झोपडी एवं 02 संजीव कुमार साहनी उर्फ पलगा उम्र 24 वर्ष पे0 तुफानी साहनी सा0 सेक्0 01सी शीमला कॉलोनी पुराना एस0पी0 आवास के पीछे दोनो थाना बी0एस0 सिटी जिला बोकारो के विरुद्ध समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p> <p>के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 53/17 दिनांक 27.05.2017 समर्पित किया गया है।और काण्ड के शेष अभि0 के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है।</p>
03.	<p>बी0एस0सिटी थाना काण्ड सं0 74/15 दिनांक 22.02. 2015 धारा- 364ए/34 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी दुर्गेश कुमार पे0 श्रीयुगल सिंह सा0 महसी था0 ओबरा जिला ओरगाबाद बिहार हा0मो0 सेक् 01सी क्वाटर 1166 थाना बी0एस0सिटी0 जिला बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 धीरज महादेव एवं अन्य 3-4 अज्ञात के विरुद्ध वादि के पुत्र राजा</p>	ए0डी0जे0-प्रथम	ए0पी0पी0 श्री संजय झा, मो0नं0 9431933871	दुर्गेश कुमार पे0 श्रीयुगल सिंह सा0 महसी था0 ओबरा जिला ओरगाबाद बिहार हा0मो0 सेक् 01सी क्वाटर 1166 थाना बी0एस0सिटी0 जिला बोकारो।	<p>01.धीरज कुमार पे0 स्व0 राजनंदन ठाकुर सा0 सेक् 01 सी क्वाटर 1003 थाना बीएससिटी जिला बोकारो। 02.महादेव गोप पे0 भीषण गोप सा0 सिहदी थाना जयपुर (पुंदाग) जिला पुरुलिया पश्चिम बंगाल 03. अन्य 3-4 अज्ञात</p>	<p>01.अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 जॉन मार्टिन एक्का बी0एस0सिटी0 थाना जिला बोकारो।</p>		

	उर्फ शसांक शेखर के फिरोति के लिए अपहरण कर लेने के आरोप में दर्ज किया गया है। एस0टी0नं0 277 / 15							
04	बी0एस0सिटी थाना काण्ड सं0 29 / 18 दिनांक 31.01.2018 धारा- 302 / 379 / 34 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- रिंकु देवी पति परितोष कुमार सिंह सा0- से0 02 / सी क्वा0 न0 2-466 थाना बी0एस0सिटी जिला बोकारो के फर्द बयान के आधार पर प्राथ0 अभि0 01.कमलेश सिंह पिता भूनेश्वर सिंह 02.माथुर सिंह पिता पलकधारी सिंह 03.अरविन्द सिंह पिता सत्येन्द्र नारायण सिंह 04.बिनोद खोपडी के अज्ञात लोग के विरुद्ध वादीनी के पति को जमीन बिक्री के पेसे के बटवारे के विवाद को लेकर हत्या करने के आरोप मे दर्ज किया गया है। जी0आर0नं-169 / 18	सी0जे0एम0, बोकारो	ए0पी0पी ए0 भौरा, मो0नं0 9430373370	रिंकु देवी पति परितोष कुमार सिंह सा0- से0 02 / सी क्वा0 न0 2-466 थाना बी0एस0सिटी जिला बोकारो।	01.कमलेश सिंह पिता भूनेश्वर सिंह 02.माथुर सिंह पिता पलकधारी सिंह 03.अरविन्द सिंह पिता सत्येन्द्र नारायण सिंह 04.बिनोद खोपडी के अज्ञात लोग	01.अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 प्रेम कुमार रजक थाना बी0एस0सिटी जिला बोकारो। 02. रिंकु देवी पति परितोष कुमार सिंह सा0- से0 02 / सी क्वा0 न0 2-466 थाना बी0एस0सिटी जिला बोकारो। 03.साक्षी प्रदीप कुमार सिंह उम्र 38 वर्ष पे0 तारालाल सिंह (मृतक का बड़ा भाई) सा0 गोड़ाबाली थाना बालीडीह जिला बोकारो। 04.साक्षी प्रवीण कुमार सिंह उम्र 29 वर्ष (मृतक का छोटा भाई) पे0 तारालाल सिंह (मृतक का बड़ा भाई) सा0 गोड़ाबाली थाना बालीडीह जिला बोकारो। 05.साक्षी प्रभु नाथ सिंह उम्र 61 वर्ष (मृतक का ससुर) पे0 स्व0 बंधनाथ सिंह सा0 बागोडीह थाना सरिया जिला गिरिडीह। 06.साक्षी मनोरमा देवी उम्र 58 वर्ष पति तारालाल सिंह (मृतक की मै) सा0 गोड़ाबाली थाना बालीडीह जिला बोकारो। 07.साक्षी विशाल सिंह उम्र 23 वर्ष पिता - श्री संतोष सिंह सा0 गोड़ाबाली थाना बालीडीह जिला बोकारो। 08.साक्षी संजीव कुमार सिंह उम्र 32 वर्ष (मृतक का साला) पिता प्रभु ना0 सिंह सा0 बागोडीह थाना सरिया जिला गिरिडीह।	01.मोबाईल - 02 02. घटना स्थल वाले कमरा से शरीर का बाल को जप्त किया गया।	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 302 / 379 / 34 भा0द0वि0। प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 53 / 17 दिनांक 27.05.2017 समर्पित किया गया है। और काण्ड के शेष अभि0 के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है।
05	माराफारी थानाकांड संख्या- 30 / 17 दिनांक-20.04.17 धारा- 25(1-ए) / 26(2) / 35 आर्म्स एक्ट।	ए0डी0जे0, बोकारो	ए0पी0पी0 एस0के0 चौधरी, मो0नं0 8252188199	पु0 नि0 राजीव कुमार पु0नि0-सह-थाना प्रभारी	1.तबारक अंसारी पे0 हसीर अंसारी साकिन- रॉंची मुहल्ला एवं 2.		1.स्कॉर्पियो गाड़ी-01 जिसका संख्या- जे0 एच0-ए0सी0-0940 है। 2.छ: चकीय रिवाल्वर-01	अनुसंधानोपरांत इस कांड क प्राथमिकी अभियुक्त 1. तबारक अंसारी पे0 हसीर अंसारी

	<p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी पु0 नि0 राजीव कुमार पु0नि0-सह-थाना प्रभारी माराफारी थाना जिला-बोकारो के स्व-लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1.तबारक अंसारी पे0 हसीर अंसारी साकिन- रॉची मुहल्ला एवं 2. शहनवाज अहमद उर्फ शहनवाज खान पे0 इजहार अहमद साकिन- आजादनगर दोनों थाना- माराफारी जिला-बोकारो के विरुद्ध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>एस0टी0नं0 09/18</p>			<p>माराफारी थाना जिला-बोकारो।</p>	<p>शहनवाज अहमद उर्फ शहनवाज खान पे0 इजहार अहमद साकिन- आजादनगर दोनों थाना- माराफारी जिला-बोकारो।</p>		<p>जिसमें प्रतिबंधित 38 बोर की कुल 4 जिन्दा गोली लोडेड अवस्था में। रिवाल्वर बट की लंबाई करीब 3 ईंच बॉडी की लंबाई करीब 5 ईंच, एवं बैरल की लंबाई करीब 3 ईंच। 3.सैमसंग कंपनी का मोबाईल-01 जिसका IMEI No. 354465089947813 एवं सीम नं0 -9431793257 है। 4.315 बोर का देशी पिस्तौल-01 एक जिन्दा गोली लोडेड अवस्था में। पिस्तौल के बॉडी की लंबाई- करीब 5 ईंच, बट की लंबाई-करीब 4 ईंच एवं बैरल की लंबाई करीब 5 ईंच। 5.जिन्दा गोली-01 जिसके पेंदी पर 8एम0एम0-के0पी0 अंकित था। 6.सैमसंग D005 का मोबाईल-01 जिसका IMEI No.- 355681051854672 एवं सीम नंबर- 8757992716 है।</p>	<p>साकिन-रॉची मुहल्ला एवं 2. शहनवाज अहमद उर्फ शहनवाज खान पे0 इजहार अहमद साकिन- आजादनगर दोनों थाना- माराफारी जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 37/17 दिनांक 18.06.17 समर्पित किया गया है।</p>
06	<p>माराफारी थाना कांड संख्या- 10/18 दिनांक 14.02.18 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 04/08 पोक्सो एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी विजय कुमार साह पे0 स्व0 राम लगन साह साकिन- आजादनगर</p>	<p>माननीय न्यायालय- विशेष न्यायाधीष-सह -प्रथम अपर सत्र न्यायाधीष, चास कोर्ट बोकारो।</p>	<p>श्री एस.0 के0 झा0, ए0पी0पी0 व्यवहार न्यायालय चास बोकारो। मो0नं0-9431933841</p>	<p>विजय कुमार साह पे0 स्व0 राम लगन साह साकिन- आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो।</p>	<p>नतीश कुमार पे0 ओमनाथ सिंह साकिन- आजादनगर नियर सत्संग भवन थाना-माराफारी जिला-बोकारो।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 शंकर तिग्गा थाना-माराफारी जिला-बोकारो(अनुसंधानकर्ता) 2.वादी विजय कुमार साह पे0 स्व0 राम लगन साह साकिन-आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 3.शीला देवी पति विजय कुमार साह साकिन-आजादनगर नियर सत्संग</p>	<p>1.ब्लू रंग का चड्डी खून लगा हुआ। 2.उजला रंग का फ्रॉक खून लगा हुआ। 3.काला रंग का सेलेक्स (इनर)।</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा0द0वि0 एवं 04 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>

	<p>थाना-माराफारी जिला- बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त नितीश कुमार पे0 ओमनाथ सिंह साकिन- आजादनगर नियर सत्संग भवन थाना-माराफारी जिला-बोकारो के विरुद्ध नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>एस0टी0 नं0- 235 / 18</p>					<p>भवन थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 4.निशा कुमारी (पीड़ित साक्षी) उम्र 9 वर्ष 6माह पिता विजय कुमार साह साकिन-आजादनगर सत्संग भवन के नजदीक थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 5.निकश कुमार पे0 बलराम सिंह साकिन- आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 6.संजीत कुमार पे0 श्रीराम सिंह साकिन-आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 7.साक्षी मनोज कुमार सिंह पे0 लखन सिंह साकिन-आजादनगर सत्संग भवन के पास थाना-माराफारी जिला-बोकारो।</p> <p>प्रस्तुती सह जप्ती सूची के गवाह:- 1.विनोद पासवान पे0 शिवनंदन पासवान साकिन-आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 2.कुमाद्रे सिंह पे0 स्व0 ब्रह्मदेव सिंह साकिन-आजादनगर थाना-माराफारी जिला-बोकारो।</p>		
07	<p>चास थाना काण्ड सं0 234 / 16 दिनांक 19.09.2016 धारा- 25(1-बी) ए 26 / 35 आर्म्स एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी कमल किशोर सिंह पु0नि0 सह-थाना प्रभारी चास के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथ0 के अभि0 नामजद अभि0 01. भोला कुमार 02.सूरज कुमार दोनो पे0 भगवान प्रसाद सा0 बालीडीह सेन्ट्रल बैंक के पास थाना बालीडीह जिला बोकारो एवं 03. संजीव सिंह पे0 जर्नादन सिंह सा0 गायत्री नगर थाना बालीडीह जिला बोकारो के</p>	पी0डी0जे0, बोकारो	पी0पी0 प्रवीण श्रीवास्तव, मो0नं0 9939994989	कमल किशोर सिंह पु0नि0 सह-थाना प्रभारी चास जिला बोकारा।	01. भोला कुमार 02. सूरज कुमार दोनो पे0 भगवान प्रसाद सा0 बालीडीह सेन्ट्रल बैंक के पास थाना बालीडीह जिला बोकारो एवं 03. संजीव सिंह पे0 जर्नादन सिंह सा0 गायत्री नगर थाना बालीडीह जिला बोकारो।	01. स0अ0नि0 कृष्णा चन्द्र गगराई थाना चास जिला बोकारो (अनुसंधानकर्ता) 02. वादी कमल किशोर सिंह पु0नि0 सह-थाना प्रभारी चास जिला बोकारा। 03. साक्षी कृष्णा प्र0 राम पु0नि0 थाना चास जिला बोकारो। 04. साक्षी पु0 दीना नाथ गोप टाईगर मोबाईल थाना चास जिला बोकारो। 05. साक्षी पु0 / 107 संजय प्रसाद यादव टाईगर मोबाईल थाना चास जिला बोकारो। 06. साक्षी पु0 / 1339 अशोक महतो टाईगर मोबाईल थाना चास जिला बोकारो। 07. साक्षी पु0 / 1377 राकेश महतो टाईगर मोबाईल थाना चास जिला	अवेध स्वचालित पिस्तोल देशी 9एमएम बोर का गोली खाने वाला जिसके मेगजीन में 9एमएम बोर का दो जिन्दा गोली बरामद।	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 25(1-बी) ए 26 / 35 आर्म्स एक्ट प्राथ0 अभि0 01. भोला कुमार 02. सूरज कुमार दोनो पे0 भगवान प्रसाद सा0 बालीडीह सेन्ट्रल बैंक के पास थाना बालीडीह जिला बोकारो एवं 03. संजीव सिंह पे0 जर्नादन सिंह सा0 गायत्री नगर थाना बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 359 / 16 दिनांक 18.11.2016 समर्पित किया गया है।

	विरुद्ध ऑल्टो कार में अवेध रूप से देशी पिस्तोल जिसके मेगजीन में दो जिन्दा गोली के साथ रंगे हाथो पकड़े जाने के आरोप मे दर्ज किया गया है। एस0टी0नं0 208 / 17					बोकारो। 08.साक्षी पु0 / 956 प्रवीण सिंह टाईगर मोबाईल थाना चास जिला बोकारो। 09.साक्षी पु0 / 1585 रिकु महतो टाईगर मोबाईल थाना चास जिला बोकारो।		
08	चास थाना कांड संख्या- 298 / 16 दिनांक-21.12.16 धारा-302 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी अनुप कुमार सिंह पे0 मुन्ना सिंह पे0 स्व0 राम कुमार सिंह साकिन- राणा प्रताप नगर चास थाना-चास जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1.रमेश सिंह पे0 अंकित नहीं 2. वन्दना देवी पति स्व0 मिन्दु सिंह उर्फ आशीष सिंह साकिन- रामनगर कॉलोनी चास थाना-चास जिला-बोकारो के विरुद्ध षडयंत्र रचकर वादी के भाई मिन्दु सिंह उर्फ आशीष सिंह की हत्या करन के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-1702 / 16 एस0टी0नं0-1281 / 17	ए0डी0जे0-द्वितीय, बोकारो	ए0पी0पी0 एस0के0 चौधरी, मो0नं0 8252188199	अनुप कुमार सिंह पे0 मुन्ना सिंह पे0 स्व0 राम कुमार सिंह साकिन- राणा प्रताप नगर चास थाना-चास जिला-बोकारो।	1.रमेश सिंह पे0 अंकित नहीं 2. वन्दना देवी पति स्व0 मिन्दु सिंह उर्फ आशीष सिंह साकिन- रामनगर कॉलोनी चास थाना-चास जिला-बोकारो।	1.पु0अ0नि0 कृष्णा प्रसाद राम थाना-चास जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2.वादी अनुप कुमार सिंह पे0 मुन्ना सिंह पे0 स्व0 राम कुमार सिंह साकिन- राणा प्रताप नगर चास थाना-चास जिला-बोकारो। 3.साक्षी मो0जाफर उम्र करीब 48 वर्ष पे0 इसहाक अंसारी साकिन- मुस्लिम मुहल्ला बालीडीह थाना-बालीडीह जिला- बोकारो वर्तमान एजेन्ट बस स्टैण्ड बोकारो थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 4.साक्षी संतोष कुमार सिंह उम्र करीब 35 वर्ष पे0 श्री राधेश्याम सिंह साकिन- आदर्श कॉलोनी चास थाना- चास जिला-बोकारो। 5.साक्षी मनीष कुमार सिंह उम्र 24 वर्ष पे0 अनुप कुमार सिंह साकिन- राणाप्रताप नगर चास थाना-चास जिला-बोकारो। 6.साक्षी बुढ़ा सिंह उम्र करीब 45 वर्ष पे0 मभीखन सिंह साकिन- राणाप्रताप नगर चास थाना- चास जिला-बोकारो। 7.साक्षी लक्ष्मण जी प्रसाद पे0 श्री निहोरा प्रसाद साकिन- रामनगर कॉलोनी चास थाना-चास जिला-बोकारो। 8.साक्षी चक्रधारी महतो उम्र करीब 47 वर्ष पे0 दुलाल महतो साकिन- कण्डा थाना- महुदा जिला-धनबाद प्रोपरार्ड्टर	1.ओप्पो मोबाईल-01 जिसका EMEI No.- 86210137879155 है। 2.नोकिया मोबाईल-01 जिसका EMEI No. 359582051887846 &35958205188785 3 है। 3.इन्टेक्स मोबाईल-01 जिसका EMEI No. 911493403041960 &91149340304197 8 है। 4.सैमसंग मोबाईल-01 जिसका EMEI No. 352813083411447 101 &35281408341144 5101 है। 5.अल्टो के0-10 कार नं0- JH-09AB 0344	अनुसंधानोपरांत इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त1. वन्दना देवी पति स्व0मिन्दु सिंह उर्फ आशीष सिंह साकिन- रामनगर कॉलोनी चास थाना-चास जिला-बोकारो एवं 2. रमेश सिंह उर्फ रमेश चौधरी पे0 वासुदेव चौधरी साकिन- भुईया थाना- जीरादेई जिला-सिवान बिहार वतमान पता- सेक्टर- 8 डी0 क्वाटर नं0-340 थाना- हरला जिला-बोकारो के विरुद्ध धारा 302 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0 के तहत तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

						<p>तृप्ति होटल। 9.साक्षी वेंटर मानीक रजवार उम्र करीब 28 वर्ष पे0 मॉगा राम रजवार साकिन-बगलमारी थाना-पाड़ा जिला-पुरुलिया बंगाल वर्तमान वेंटर तृप्ति होटल महुदा थाना-महुदा जिला-धनबाद। 10.साक्षी राजेन्द्र साव उम्र करीब 34 वर्ष पे0 स्व0 गणेश साव साकिन-महुदा मोड़ थाना-महुदा जिला-धनबाद प्रोपराईटर ग्रोम पान दुकान महुदा मोड़ थाना-महुदा जिला-धनबाद। 11.पु0/297 ध्रुव रजक। 12.साक्षी जितु सिंह उम्र करीब 24 वर्ष पे0सेवारत सिंह साकिन-महुदामोड़ थाना-महुदा जिला-धनबाद वर्तमान वेंटर तृप्ति होटल महुदा थाना-महुदा जिला-धनबाद।</p>		
09	<p>चास थाना काण्ड सं0 71/18 दिनांक 24.03.2018 धारा- 356/382 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी जिसान आलम पे0 नौसाद आलम सा0 मुस्लिम मोहल्ला चास थाना चास जिला बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 विकास रवानी मोटर साइकिल सं0 जेएच10बीएएफ 6598 के चालक पे0 अशोक कुमार रवानी सा0 डी0एस0पी0 कॉलोनी चास थाना चास जिला बोकारो के विरुद्ध वादी का मोबाईल झपट्टामारकर छिनकर भाग जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	ए0डी0जे0-द्वितीय बोकारो	ए0पी0पी0 ए0 भौरा, मो0नं0 9430373370	जिसान आलम पे0 नौसाद आलम सा0 मुस्लिम मोहल्ला चास थाना चास जिला बोकारो।	विकास रवानी मोटर साइकिल सं0 जेएच10बीएएफ 6598 के चालक पे0 अशोक कुमार रवानी सा0 डी0एस0पी0 कॉलोनी चास थाना चास जिला बोकारो	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 विजय शंकर राय	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 356/382 भा0द0वि0 ।	

	जी0आर0नं0-434 / 18							
10	<p>चास थाना काण्ड सं0 88 / 18 दिनांक 14.04.2018 धारा- 419 / 420 भा0द0वि0 । घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी अभिषेक कुमार पिता चण्डी दास मोदक सा0 चन्द्रा टॉकिज के पास यूनाईटेड बैंक बिलडिंग चास थाना चास जिला बोकारो कि लिखित आवदेन के आधार पर प्राथ0 अभि0 रमेश कुमार पाण्डेय पे0 स्व0 चक्रधर पाण्डेय सा0 माण्डू थाना+जिला रामगढ़ के विरुद्ध जालसाजी कर वादी के दुकान के एटीएम से स्वाइप करवा कर नकद 41600 रुपया की ठगी कर लेने के आरोप मे दर्ज कर लिया गया है ।</p> <p>जी0आर0-528 / 18</p>	सी0जे0एम0, बोकारो	ए0पी0पी0 ए0 भौरा, मो0नं0 9430373370	अभिषेक कुमार पिता चण्डी दास मोदक सा0 चन्द्रा टॉकिज के पास यूनाईटेड बैंक बिलडिंग चास थाना चास जिला बोकारो ।	रमेश कुमार पाण्डेय पे0 स्व0 चक्रधर पाण्डेय सा0 माण्डू थाना+जिला रामगढ़ ।	अनुसंधानकर्ता 1.अ0नि0 दिलिप सिंह सोय थाना चास जिला बोकारो ।		अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 419 / 420 भा0द0वि0 ।
11	<p>चास (मु0) थाना कांड संख्या-76 / 17 दिनांक 07.10.17 धारा-302 / 201 / 34 भा0 द0वि0 । घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी त्रिलोकी सिंह पे0 स्व0 लक्ष्मी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ भवानीपुर वार्ड नं0- 06 थाना-चास जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों क्रमशः 1. विभास</p>	माननीय न्यायालय- श्री मिलन कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्र0 श्रेणी, चास कोर्ट बोकारो ।	श्री आषीष तिवारी, ए0पी0पी0 चास कोर्ट बोकारो । मो0 नं0- 9155348107	त्रिलोकी सिंह पे0 स्व0 लक्ष्मी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ भवानीपुर वार्ड नं0- 06 थाना-चास जिला-बोकारो ।	1. विभास बाउरी पे0 जोसन बाउरी साकिन- जोधाडीह मोड़ मनसा मंदिर के पास थाना-चास एवं 2. विक्की सिंह पे0 स्व0 त्रिवेणी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ मनसा मंदिर के पास थाना-चास जिला-बोकारो ।	1.पु0 अ0 नि0 आनन्द कुमार झा थाना प्रभारी चास(मु0) थाना जिला-बोकारो (अनुसंधानकर्ता) । 2.वादी त्रिलोकी सिंह पे0 स्व0 लक्ष्मी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ भवानीपुर वार्ड नं0- 06 थाना-चास जिला-बोकारो । 3.दुलाल महतो पे0 रोशन महतो साकिन-भवानीपुर साईड शामजोरी हरि मंदिर के पास थाना-चास जिला-बोकारो । 4.विशाल सिंह पे0 राम पुकार सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ भवानीपुर वार्ड	1.मृतक अमित सिंह उर्फ टुनु सिंह के घर से चोरी किए गए एक भेड़ी का बच्चा जो उजला एवं गहरा भुरा है । 2.काला रंग का हीरो होण्डा पैसन प्लस मोटरसाईकिल जिसका पंजियन संख्या-जे0एच0 09डी0-9160 जो घटना में प्रयुक्त किया गया था । 3.हत्या के लिए प्रयुक्त	इस कांड में प्राथमिकीके दोनों अभियुक्तों एवं अप्राथमिकी अभियुक्तों क्रमशः 1.बाजन मुर्मु पे0 स्व0 सुकु मॉझी एवं 2. शिबु हॉसदा पे0 स्व0 मंगल हॉसदा दोनों साकिनान- मॉझीडीह थाना-चास(मु0)जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है ।

	<p>बाउरी पे0 जोसन बाउरी साकिन-जोधाडीह मोड़ मनसा मंदिर के पास थाना-चास एवं 2. विक्की सिंह पे0 स्व0 त्रिवेणी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ मनसा मंदिर के पास थाना-चास जिला-बोकारो के विरुद्ध वादी के पुत्र की हत्या कर साक्ष्य छुपाने के अभियोग में अंकित किया गया है।</p> <p>जी0 आर0 नं0-1257 / 17</p>					<p>नं0- 06 थाना-चास जिला-बोकारों। 5.घोलटु बाउरी पे0 किशन बाउरी साकिन-जोधाडीह मोड़ लक्ष्मी नगर थाना-चास जिला- बोकारो। 6.सुरुवाला देवी पति स्व0 किशुन मॉझी 7.रोहनी मॉझी पति धीनु मॉझी 8.समली देवी पति महावीर मॉझी तीनों साकिनान- मॉझीडीह थाना-चास(मु0) जिला-बोकारो। 9.साक्षी मुन्ना सिंह पे0 त्रिलोकी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ वार्ड नं0-6 थाना-चास जिला-बोकारो। 10.साक्षी मनोज कुमार पे0 त्रिलोकी सिंह साकिन-जोधाडीह मोड़ चन्दनकियारी रोड वार्ड नं0-6 थाना-चास जिला-बोकारो।</p>	<p>पत्थर जिसका उपरी हिस्सा नुकीला एवं खुरदरा धारदार बेस सपाट वनज करीब 5 कि0ग्रा0 है।</p>	
12	<p>चंदनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) थाना कांड संख्या-15/17 दिनांक -26.1.17 धारा 251-बी0)ए/26 आर्म्स एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी कामता राम पे0 स्व0 गया राम सा0- आनन्दीचक थाना-नौहट्टा जिला-रोहतास वर्तमान थाना प्रभारी सियालजोरी जिला-बोकारो के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सोबराती अंसारी पे0 स्व0 खातिर अंसारी सा0- राहरगोडा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो के विरुद्ध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>एस0टी0नं0-163 / 17</p>	पी0डी0जे0, बोकारो	पी0पी0 प्रवीण श्रीवास्तव, मो0नं0 9939994989	कामता राम पे0 स्व0 गया राम सा0- आनन्दीचक थाना-नौहट्टा जिला-रोहतास वर्तमान थाना प्रभारी सियालजोरी जिला-बोकारो।	सोबराती अंसारी पे0 स्व0 खातिर अंसारी सा0- राहरगोडा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो।	<p>1. पु0अ0नि0 राम कुमार सिंह थाना-चंदनकियारी बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2. वादी कामता राम पे0 स्व0 गया राम सा0-आनन्दीचक थाना-नौहट्टा जिला-रोहतास वर्तमान थाना प्रभारी सियालजोरी जिला-बोकारों। 3. गवाह पु0-721 दवेश कुमार शुक्ला। 4. साक्षी पु0/398 ओम प्रकाश शुक्ला। 5. साक्षी पु0/248 खगेश्वर जराई प्रतिनियुक्त सियालजोरी थाना सशस्त्र बल। 6. साक्षी पु0/553 मुकेश कुमार महतो सशस्त्र बल सियालजोरी थाना। 7. स्वतंत्र साक्षी आषिक अंसारी पिता अब्दुल अंसारी सा0-रहरगोडा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) जिला-बोकारो। 8. स्वतंत्र साक्षी लुकमान अंसारीपिता अजरुददीन अंसारी सा0-रहरगोडा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) जिला-बोकारो।</p>	<p>1. कान का टॉप्स सोने जैसा-01 2. पायल एक जोड़ा चॉदी का। 3. कट्टा-01 4. 12 बोर का जिन्दा गोली-01</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 25(1-बी0) ए/26 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1.सोबराती अंसारी पे0 स्व0 खातिर अंसारी साकिन-राहरगोडा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>

						9. साक्षी हफीजुदीन अंसारी पिता खाजुदीन अंसारी सा0-रहरागोड़ा थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) जिला-बोकारो। 10 साक्षी पु0/906 ओम प्रकाश महतो ।		
13	<p>चन्दनकियारी (बरमसिया) थाना काण्ड सं0 32/17 दि0 10.03.17 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 3/6 पोक्सो एक्ट।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादिनी पूर्णिमा देवी पति जुन्नु कुम्हार साकिन-कुम्हारडीह पो0-झालबरदा थाना-चंदनकियारी बरमसिया जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर दीपक मॉझी उर्फ चरकू मॉझी पे0 धनन्जय मॉझी सा0 कुमारडी, पोस्ट झालवरदा, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो के विरुद्ध नावालिग पुजा कुमारी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>माननीय न्यायालय-विषे</p> <p>न्यायाधीष-सह-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, चास कोर्ट बोकारो।</p> <p>जी0 आर0नं0-302/17 पोक्सो 20/2017</p>	<p>ए0पी0पी0 श्री संजय कुमार झा, मो0नं0 9431933871</p>	<p>पूर्णिमा देवी पति जुन्नु कुम्हार साकिन-कुम्हार डीह पो0-झालबरदा थाना-चंदनकियारी बरमसिया जिला-बोकारो।</p>	<p>दीपक मॉझी उर्फ चरकू मॉझी पे0 धनन्जय मॉझी सा0 कुमारडी, पोस्ट झालवरदा, थाना चन्दनकियारी, जिला बोकारो।</p>	<p>1.पूर्णिमा देवी पति जुन्नु कुम्हार</p> <p>2. साधन कुमार मॉझी</p> <p>3. फागु कुमार पे0 बेचु कुम्हार</p> <p>4.हराधर मॉझी पे0 स्व0 राजन मॉझी</p> <p>5. जय मॉझी पे0 पूरेश मॉझी 6. पूजा कुमार पे0 जनु कुम्हार</p> <p>7.सं0अ0नि0 जय प्रकाश</p>		<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में आरोप पत्र संख्या- 28/17 दिनांक 31.03.17 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध समर्पित किया गया है।</p>
14	<p>चंदनकियारी(बरमसिया) थाना कांड संख्या-107/17 दिनांक 12.10.17 धारा-302/201/34 भा0द0वि0।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी फटीक मॉझी पे0 स्व0 पेलु मॉझी ग्राम-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1.प्रकाश मॉझी पे0 स्व0 केदार मॉझी2. संजीत मॉझी पे0 स्व0 हारू मॉझी 3. कमल मॉझी पे0 फटीक मॉझी सभी साकिनान-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी (बरमसिया) ओ0पी0 जिला- बोकारो।</p>	<p>माननीय न्यायालय-</p>	<p>ए0पी0पी0 श्री संजय कुमार झा, मो0नं0 9431933871</p>	<p>फटीक मॉझी पे0 स्व0 पेलु मॉझी ग्राम-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी (बरमसिया ओ0 पी0) जिला-बोकारो।</p>	<p>1.प्रकाश मॉझी पे0 स्व0 केदार मॉझी2. संजीत मॉझी पे0 स्व0 हारू मॉझी 3. कमल मॉझी पे0 फटीक मॉझी सभी साकिनान-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी (बरमसिया) ओ0पी0 जिला- बोकारो।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 राम कुमार सिंह थाना-बरमसिया ओ0 पी0 जिला-बोकारो(अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादी फटीक मॉझी पे0 स्व0 पेलु मॉझी ग्राम-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो।</p> <p>3.भैरव मॉझी पे0 धोनु मॉझी ग्राम-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो।</p> <p>4.पर्वत मॉझी पे0 फटीक मॉझी ग्राम-सिमलकुडी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो।</p> <p>5.तपन कुमार मॉझी पे0 फटीक मॉझी</p>		<p>इस कांड में अनुसंधानकर्ता को प्राथमिकी की धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>

	(बरमसिया) ओ०पी० जिला- बोकारो के विरुद्ध एकमत होकर हत्या कर देने के आरोप में अंकित किया गया है। जी० आर० नं०-1291/17					ग्राम-सिमलकुड़ी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो। 6.अष्टमी मॉझी पति स्व० मिलन मॉझी (मृतक) ग्राम-सिमलकुड़ी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो। 7.उत्तम मॉझी पे० फणीभुषण मॉझी ग्राम-सिमलकुड़ी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो। 8.सुरेश मॉझी पे० नन्दलाल मॉझी साकिन-बाजरा थाना-बड़ा बाजार जिला-पुरुलिया(प०बंगाल)। 9.नेपाल मॉझी पे० प्रशांत मॉझी साकिन-मालडीह थाना-पारा जिला-पुरुलिया (पं० बंगाल)। 10.साक्षी अभिमन्यु मॉझी पे० फणिभुषण मॉझी ग्राम-सिमलकुड़ी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो। 11.साक्षी राजु मॉझी पे० फटीक मॉझी ग्राम-सिमलकुड़ी थाना-चंदनकियारी(बरमसिया) जिला-बोकारो।	
15	चंदनकियारी (अमलाबाद ओ० पी०) थाना कांड संख्या- 42/17 दिनांक-17.03.17 धारा- 326/307/34 भा०द०वि० एवं परिवर्तित धारा 302 भा०द०वि०। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादिनी सोनामुखी देवी उम्र करीब 30 वर्ष पति सुधीर दास साकिन- मानपुर थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सुधीर दास पे० स्व० अतुल दास साकिन- मानपुर थाना-	ए०डी०जे०-द्वितीय बोकारो	ए०पी०पी० एस०के० चौधरी, मो०नं० 8252188199	सोनामुखी देवी उम्र करीब 30 वर्ष पति सुधीर दास साकिन- मानपुर थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो।	सुधीर दास पे० स्व० अतुल दास साकिन- मानपुर थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो।	1.स०अ०नि० राजीव कुमार सिंह अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 3.वादिनी सोनामुखी देवी उम्र करीब 30 वर्ष पति सुधीर दास साकिन- मानपुर थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। 4.स्वतंत्र साक्षी हीरालाल दासउम्र 35 वर्ष पे० स्व०.शरण दास साकिन- पश्चिमी महाल थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। 5.साक्षी सीलाश कुमार दास उम्र 38 वर्ष पे० स्व० करण दास साकिन- पश्चिमी महाल थाना-चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। 6.चौद दास उम्र 40 वर्ष पे० स्व०	अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 302 भा० द० वि० के तहत प्राथमिकी अभियुक्त सुधीर दास पे० स्व० अतुल दास साकिन- मानपुर थाना-चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 59/17 दिनांक 28.06.17 समर्पित किया गया है।

	<p>चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो के विरुद्ध जान मारने की नीयत से शरीर पर किरासन तेल छिड़ककर माचिस से जलाकर गंभीर रूप से जखमी करने एवं ईलाज के क्रम में मृत्यु होने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी०आर०नं०-349 / 17 एस०टी०-203 / 17</p>					<p>लखीराम दास साकिन- पश्चिमी महाल टोला(दलबीड़ा) थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला- बोकारो। 7.अमित कुमार दास उम्र 26 वर्ष पे० भोला दास साकिन- पश्चिमी महाल टोला दलबीड़ा थाना-चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। 8.मुसरा देवी उम्र 54 वर्ष पति रामनाथ दास साकिन- टेकुरा थाना-चंदनकियारी जिला-बोकारो।</p>		
16	<p>चंदनकियारी (अमलाबाद) थाना कांड संख्या- 125 / 17 दिनांक 09.12.17 धारा-302 भा०द०वि०।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी दिलीप पाण्डेय पे० स्व० हरेन्द्र पाण्डेय साकिन- भोजुडीह रेलवे मार्केट थाना- चंदनकियारी भोजुडीह जिला- बोकारो स्थाई पता- जनता बाजार जिला- छपरा बिहार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त भक्ति रजवार पे० अनिल रजवार साकिन- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारो के विरुद्ध कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर देने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>एस०टी०नं०-64 / 18</p>	<p>ए०डी०जे०-द्वितीय, बोकारो</p>	<p>ए०पी०पी० एस०के० चौधरी, मो०नं० 8252188199</p>	<p>दिलीप पाण्डेय पे० स्व० हरेन्द्र पाण्डेय साकिन- भोजुडीह रेलवे मार्केट थाना- चंदनकियारी भोजुडीह जिला- बोकारो स्थाई पता- जनता बाजार जिला- छपरा बिहार।</p>	<p>भक्ति रजवार पे० अनिल रजवार साकिन- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारो।</p>	<p>1.पु० अ०नि० दिनेश कुमार पासवान अमलाबाद ओ०पी० जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 3.वादी दिलीप पाण्डेय पे० स्व० हरेन्द्र पाण्डेय साकिन- भोजुडीह रेलवे मार्केट थाना- चंदनकियारी भोजुडीह जिला- बोकारो स्थाई पता- जनता बाजार जिला- छपरा बिहार। 4.स्वतंत्र गवाह अनिल रजवार उम्र 60 वर्ष पे० स्व० विरू रजवार साकिन- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबादओ० पी० जिला-बोकारो। 5.साक्षी विशाल महथा पे० जलदेव महथा ग्राम- रेलवे मार्केट भोजुडीह थाना- भोजुडीह जिला-बोकारो। 6.दीपा देवी उम्र 40 वर्ष पिता अनिल रजवार ग्राम- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला-बोकारो। 7.कमला देवी उम्र 50 वर्ष पति अनिल रजवार ग्राम- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी० जिला- बोकारों। 8.मुन्ना अंसारी उर्फ मोईन अंसारी उम्र 45 वर्ष आर०एम०पी० प्रैक्टिशनर पे० स्व० रज्जाक साकिन- अमलाबाद कोलियरी थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओ० पी०जिला- बोकारो। 9.संदीप शेखर उम्र 32 वर्ष पे० नारायण</p>	<p>1.कुल्हाड़ी-01 जिसमें लकड़ी का बेंत लगा हुआ है जिसकी लम्बाई लगभग ढाई फुट है।</p>	<p>अनुसंधानोंपरांत इस कांड में धारा-302 भा०द०वि० के तहत प्राथमिकी अभियुक्त भक्ति रजवार पे० अनिल रजवार साकिन- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने को आदेश दिनांक 30.12.17 को दिया गया है।</p>

						<p>चंद्र शेखर ग्राम- अमलाबाद बस्ती थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओपी0बोकारो।</p> <p>10.साक्षी बृजकिशोर यादव उम्र 28 वर्ष पे0 परमात्मा यादव साकिन- रेलवे मार्केट भोजुडीह खटाल थाना- चंदनकियारी अमलाबाद ओपी0 जिला-बोकारो।</p> <p>11. गिरफ्तारी गवाह बसंत शंखर पे0 शिवराम शेखर ग्राम- अमलाबाद बस्ती थाना-चंदनकियारी अमलाबाद ओपी0 जिला-बोकारो।</p>		
17	<p>चन्दनकियारी थाना काण्ड सं0-12/17 दिनांक 21.02.2017 धारा- 366(ए)/504/506/120बी0/34 भा0द0वि0।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी रीता दास पति-श्री पशुपति दास सा0- चन्दनकियारी पश्चिमी थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त</p> <p>1.ललित कुमार दास पिता-बानेश्वर दास 2.बनेश्वर दास पिता- नामालुम 3. गौउर चन्द दास पिता - बनेश्वर दास सभी साकिनान चन्दनकियारी पश्चिमी थाना- चन्दनकियारी जिला -बोकारो के विरुद्ध षादी करने के नियत से वादिनी की पुत्री का अपहरण करने के आरोप मे दर्ज किया गया है।</p>			रीता दास पति-श्री पशुपति दास सा0- चन्दनकियारी पश्चिमी थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो।	<p>1. ललित कुमार दास पिता-बानेश्वर दास 02 बनेश्वर दास पिता- नामालुम 3. गौउर चन्द दास पिता - बनेश्वर दास सभी साकिनान चन्दनकियारी पश्चिमी थाना- चन्दनकियारी जिला -बोकारो।</p>	<p>1.स0अ0नि0 लुबिन एकका थाना- चन्दनकियारी जिला -बोकारो। 2.वादिनी- रीता दास पति-श्री पशुपति दास सा0- चन्दनकियारी पश्चिमी थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 3.साक्षी मनोरंजन दास उम्र28 वर्ष पिता सत्यदेव दास साकिन चन्दनकियारी पश्चिमी दास टोला थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 4.साक्षी चन्दन कुमार दास उम्र 24 वर्ष पिता छोटे लाल दास सा0 चन्दनकियारी दास टोला थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 5. साक्षी मीना देवी उम्र करीब 31 वर्ष पति बिनोद कुमार दास सा0 चन्दनकियारी दास टोला थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो।</p>	-----	<p>अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 366(ए)/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 8/12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0</p> <p>1. बानेश्वर दास पिता स्व0 निधू दास 2.गौउर चन्द दास पिता - बनेश्वर दास 3.विमला देवी पति बानेश्वर दास साकिनान चन्दनकियारी दास टोला थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो के विरुद्ध साक्षी कि कमी दिखाते हुए प्राथ0 अभि0 ललित कुमार दास पिता-बानेश्वर दास चन्दनकियारी दास टोला थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 20/17 दिनांक 28.02.2017 को समर्पित किया गया है।</p>
18	<p>चन्दनकियारी थाना काण्ड सं0 92/17 दिनांक 10.08.2017 धारा- 302/201/34 भा0द0वि0।</p>	ए0डी0जे0-द्वितीय	ए0पी0पी0 श्री संजय कुमार झा, मो0नं0 9431933871	मदन रवानी पे0 बोलाई रवानी ग्राम हराईकुरबा थाना	<p>01.प्रेम चन्द रजवार पूर्व मुखिया सहारजोरी पंचायत 02.संतु रवानी उर्फ</p>	<p>01.अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 द्वारीका राम चन्दनकियारी थाना जिला बोकारो। 02.मदन रवानी पे0 बोलाई रवानी ग्राम</p>	<p>01.एक बास का बल्ला लम्बाई करीब 7फीट 02.लेलुन का रसी लम्बाई करीब 28 फीट</p>	<p>अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 302/201/34 भा0द0वि0 के तहत 01.'प्रेम चन्द रजवार पूर्व मुखिया</p>

	<p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी मदन रवानी पे0 बोलाई रवानी ग्राम हराईकुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो के फर्द बयान के आधार पर प्राथ0अभि0</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रेम चन्द रजवार पूर्व मुखिया सहारजोरी पंचायत 2.संतु रवानी उर्फ मगलु रवानी 3.अनील रवानी पे0 स्व0 गोखुल रवानी 4.अनील रवानी की पत्नी लखी देवी 5.मंगल रवानी की पत्नी मंटू देवी 6.लाल चन्द रवानी 7.गुजरा उर्फ आनंद रवानी दोनो पिता मंगल रवानी 8.सुरेश रवानी पे0 लीपन रवानी 9.सुकदेव रवानी पे0 अंतु रवानी एवं 10. प्रेमचन्द रजवार के अन्य सहयोगीयो सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो के मिलकर हत्या कर साक्ष्य को छुपाने के आरोप में दर्ज कराया गया है। <p>जी0आर0नं0-10 / 17 एस0टी0नं0-03 / 18</p>			चन्दनकियारी जिला बोकारो।	<p>मगलु रवानी 03.अनील रवानी पे0 स्व0 गोखुल रवानी 04.अनील रवानी की पत्नी लखी देवी 05.मंगल रवानी की पत्नी मंटू देवी 06.लाल चन्द रवानी 07.गुजरा उर्फ आनंद रवानी दोनो पिता मंगल रवानी 08.सुरेश रवानी पे0 लीपन रवानी 09.सुकदेव रवानी पे0 अंतु रवानी एवं 10.प्रेमचन्द रजवार के अन्य सहयोगीयो सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो।</p>	<p>हराईकुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 03.साक्षी कार्तिक रवानी उम्र 30 वर्ष पे0 खेमन रवानी सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 04.लोगेन रवानी उम्र करीब 55 वर्ष पिता स्व0वोलास रवानी सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 05.शक्ति पद रवानी उम्र करीब 35 वर्ष पे0 मदन रवानी हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 06. साक्षी मंजू देवी उम्र करीब 53 वर्ष पति मदन रवानी हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो। 07.नन्दलाल रवानी उम्र करीब 29 वर्ष पे0 लोगेन रवानी सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो।</p>	<p>03.इनटैक्स कम्पनी का पुराना मोबाईल बिना ढक्कन का जिसका आईएमईआई न0 911521455147523एवं 911521455147531 बीना सिम का 01</p>	<p>सहारजोरी पंचायत 02.संतु रवानी उर्फ मगलु रवानी 03.अनील रवानी पे0 स्व0 गोखुल रवानी 04.अनील रवानी की पत्नी लखी देवी 05.मंगल रवानी की पत्नी मंटू देवी 06.लाल चन्द रवानी गुजरा उर्फ आनंद रवानी दोनो पिता मंगल रवानी 07.सुरेश रवानी पे0 लीपन रवानी 08.सुकदेव रवानी पे0 अंतु रवानी एवं 09. प्रेमचन्द रजवार के अन्य सहयोगीयो सा0 हराई कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो को दोषमुक्त दिखाते हुए अप्राथ0 अभि0 01. बुलू रवानी 02.लखी रवानी दोनो पे0 स्व0 अभी रवानी 03.बालिका देवी पति बुलू रवानी सभी सा0 हराय कुरबा थाना चन्दनकियारी जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>
19	<p>पिण्ड्राजोरा थाना काण्ड सं0 21/18 दिनांक 22.02.2018 धारा 326/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट घटना का विवरण :- यह काण्ड रोहन मांझी उम्र 40 वर्ष पे0 सुफल मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो फर्द बयान के आधार पर प्राथ0</p>	श्रीमती रूची दयाल, जे0एम0-प्रथम श्रेणी	ए0पी0पी0 एस0के0 चौधरी, मो0नं0 8252188199	रोहन मांझी उम्र 40 वर्ष पे0 सुफल मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।	इन्द्र सोरेन पे0 स्व0 रितवरण मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो।	<p>1. पु0अ0नि0 रामजी राय थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो (अनुसंधानकर्ता)। 2. रोहन मांझी उम्र 40 वर्ष पे0 सुफल मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो। 3. साक्षी बबीता हेम्ब्रम (12 वर्ष) पिता रोहन मांझी उम्र 40 वर्ष पे0 साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p>	देशी कट्टा लोडेड एक गोली सहित-01	इस काण्ड में धारा 326/307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथ0 अभि0 इन्द्र सोरेन पे0 स्व0 रितवरण मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 29/18 दिनांक 31.03.2018 समर्पित किया गया है।

	<p>अभि० इन्द्र सोरेन पे० स्व० रीतवरण मांझी सा० सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध अवेध देशी कट्टा का भय दिखाते हुए गोली मारने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी०आर०-272 / 18</p>					<p>4. साक्षी सुखदेव मांझी उम्र 30 वर्ष पिता दुर्गा मांझी साकिन बेलडीह थाना जरीडीह जिला बोकारो।</p> <p>5. साक्षी रविन्द्र मांझी उम्र 35 वर्ष पिता स्व० सोहराय मांझी साकिन बेलडीह टोला -डारीभुटी थाना जरीडीह जिला बोकारो।</p> <p>6. साक्षी भगीरथ हॉसदा उम्र 28 वर्ष पिता शंकर मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p> <p>7. साक्षी लखीश्वर मांझी उम्र 50 वर्ष पिता स्व० बाबुराम मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p> <p>8. साक्षी मनोज महली उम्र 32 वर्ष पिता बलराम मांझी साकिन रंगाडीह थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p> <p>9. साक्षी लालमोहन मांझी उम्र 47 वर्ष पिता स्व० बुधू मांझी सा० -डुगरीगोडा थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p> <p>10. साक्षी सोमरा मांझी उम्र 55 वर्ष पिता स्व० बीरबल मांझी सा० -डुगरीगोडा थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p>	
20	<p>पिण्ड्राजोरा थाना काण्ड सं० 31 / 18 दिनांक 23.03.2018 धारा- 302 / 309 भा०द०वि०।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादीनी अंजना देवी पति निमाई कोरा सा० काशीझरीया थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० निमाई कोरा पे० अंकित नही सा+पो० काशीझरीया जिला बोकारो के विरुद्ध वादिनी की बेटी सुलेखा कुमारी को कुआ में साथ लेकर कुद</p>	श्रीमती रूची दयाल, जे०एम०-प्रथम श्रेणी	ए०पी०पी० एस०के० चौधरी, मो०नं० 8252188199	अंजना देवी पति निमाई कोरा सा० काशीझरीया थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।	निमाई कोरा पे० अंकित नही सा+पो० काशीझरीया जिला बोकारो।	<p>01.अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० सलाउद्दीन खॉ पिण्ड्राजोरा थाना जिला बोकारो।</p> <p>02.अंजना देवी पति निमाई कोरा सा० काशीझरीया थाना पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।</p>	

	जाने से मृत्यु होने के आरोप दर्ज कराई गई है। जी0आर0नं0-429 / 18							
21	सेक्टर-12 थाना कांड सं. 29/16 दिनांक 10.04.16 धारा 376 भा0द0वि एवं 66 आई0टी0एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण यह कांड वादिनी नेहा कुमारी पे0 जगदीष पंडित सा0एल0एच0 मोर होटल के सामने झोपडी थाना सेक्टर बोकारो स्थाई पता बलिक देला जिला गया (बिहार) के लिखित आवेदन के आधार प्राथमिकी के नामजद अभिक्तों कमष 1. चंदन पे0 अंकित नही सा0 बारी कॉपरेटिव मोर 2. छोटे पे0 सुदर्षन सा. एल0एस0 मोर एवं एक अज्ञात मनमोहन कॉपरेटिव का रहने क विरुद्ध मोटरसाइकिल से ले जाकर जबरन कपडा खोलकर निर्वस्त्र करने एवं दुषकर्म के आरोप में दर्ज किया गया है।	ए0डी0जे0-द्वितीय, बोकारो पोस्को नं0-30 / 16	ए0पी0पी0 एस0के0 झा, मो0नं0 9431933871	वादी का नेहा कुमारी पे0 जगदीष पंडित सा0एल0एच0 मोर होटल के सामने झोपडी थाना सेक्टर बोकारो स्थाई पता बलिक देला जिला गया	चंदन 2. छोटे एवं अन्य एक अज्ञात मनमोहन कॉपरेटिव का रहने वाला	1. पुष्पराज ओझा अनु0कर्ता0 सेक्टर 12 बोकारो 2. वादिनी नेहा कुमारी 3. साक्षी राधिका देवी पीडिता की माँ पति जगदीष पंडित सा0 एल0एस0मोर मामा होटल के सामने झोपडी थाना सेक्टर -12 बोकारो 4. जगदीष पंडित पीडिता के पिता पे0 स्व0 दषरथ पंडित	अनुसंधानो परांत इस कांड में धारा 376(2)जी0 04 / 8 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथ0 अभि0 चंदन कुमार पे0 स्व0 रविशंकर साव 2. छोटे उर्फ लक्षम कुमार पे0 सुदर्शन प्रसाद स्थाई पता बरकाराजपुरा थाना सिमरो जिला बक्सर 3. अमित कुमार पे0 छोटे लाल प्रसाद सा0 पलॉट 497 मनमोहन कापरेटिव थाना सेक्टर-12 सभी जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं. 56 / 16 दि0 14.07.16 समर्पित किया गया है।	
22	सेक्टर 12 थाना कांड सं0 34 / 17, दि0 16.06.17, धारा 302 भा0द0वि0 । यह कांड वादिनी रेवा दत्ता पति जयंत कुमार दत्ता, सा0 सेक्टर 12 बी आवास सं0 2137, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो के फर्दब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिताम्बर यादव पे0 तिलक यादव, सा0 सेक्टर-12 बी अम्बेदकर चौक झोपडी, थाना सेक्टर-12, जिला बोकारो के विरुद्ध वादिनी के पति जयंत दत्ता एवं सैलून दुकानदार	पी0डी0जे0, बोकारो	पी0पी0 प्रवीण श्रीवास्तव, मो0नं0 9939994989	वादी रेवा दत्ता पति जयंत कु0 दत्ता सा0 सेक्टर -12 बी आवास सा0 2137 थाना सेक्टर-12	पितंबर यादव पे0 तिलक यादव सा0 सेक्टर -12 बी अम्बेदकर चौक झोपडी थाना सेक्टर-12	1. पु0नि0 राधेध्याम दास थाना सेक्टर-12 बोकारो 2. वादिनी रेवा दत्ता पति जयंत दत्ता 3. साक्षी चंदी दास मंडल उम्र वर्ष 32 पे0 संतोष मंडल सा0 सेक्टर-12 बी क्वॉ न.0 2137 वर्तमान पता अम्बेदर चौक पर पान दुकान थाना सेक्टर-12 बोकारो 4. प्रेमराज उम्र 14 वर्ष पे0 दिलीप ठाकुर सा0 लकडी कोला राजेन्द्र नगर थाना ब0एस0सी0टी 5. जप्ती सूची गवाह सुभाषचन्द्र सिंह उम्र करीब 40 वर्ष पे0 मंदन लाल सिंह सेक्टर-12 बी क्वॉ न0 2137 थाना सेक्टर 12 जिला बोकारो	1.लोहे का चाकू जिसमें खून का धब्बा लगा हुआ है 2. लोहे का तलवार एक जिसमें खून का धब्बा लगा हुआ 3. लाल बलू रंग का तलवाल का खोल जिसमें काला रंग का टांगने वाले फिता लगा हुआ है।।	अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 302 में भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त पितंबर यादव पे0 तिलक यादव सा0 सेक्टर- 12 बी अम्बेदकर चौक झोपडी थाना सेक्टर -12 जिला बोकारो झोपडी थाना सेक्टर-04 जिला बोकारो के कुल आरोप पत्र सं0 78 / 17 दि0 31.08.17 समर्पित किया गया है।

	<p>दिलीप ठाकुर को चाकु एवं तलवार से मारकर जख्मी करने तथा इलाज के दौरान दोनो की मृत्यु होने के आरोप में दर्ज किया गया है ।</p> <p>एस0टी0नं0-241 / 17</p>					<p>6. जप्ती सूची गवाह उपेन्द्र प्रसाद उम्र करीब 45 वर्ष पे0 स्व रामसागर प्रसाद सा0 सेक्टर-12 बी क्वॉ न0 2105 क्वाटर 12 जिला बोकारो</p> <p>7. संजय वर्णवाल उम्र 45 वर्ष पे0 मोहनचन्द्र वर्णवाल सा0 सेक्टर-12 बी क्वॉटर न0 2001 वर्धमान अम्बेदकर चौर सेक्टर-12 बी में जयश्री एलैटीक दुकाना थाना सेक्टर-12 जिला बोकारो</p> <p>8. मिश्रीलाल गुप्ता उम्र 52 वर्ष पे0 स्व0 जयलाल प्रसाद गुप्ता सा0 सेक्टर-12 सी0 क्वॉ न0 4056 वर्तमान सेक्टर-12 बी अम्बेदकर चौक पर किराना दुकान थाना सेक्टर बोकारो</p> <p>9. दिलीप राजकुमार उम्र 36 वर्ष पे0 नवल किषोर कुमार सा0 सेक्टर-12 सी0 क्वॉ न0 1014 वर्तमान अम्बेदकर चौक पर कुमार इलेक्ट्रोनिक दुकान थाना सेक्टर-12 जिला बोकारो</p> <p>10. बिनोद कुमार उम्र 38 वर्ष पे0 स्व दन्द्रदीप प्रसाद सा0 सेक्टर-12 बी अम्बेदकर चौक के बगल में झोपडी थाना सेक्टर -12 जिला बोकारो ।</p> <p>11. मधूकर चौधरी उम्र 45 वर्ष पे. रामेश्वर चौधरी सा0 भारत एकता प्लॉट न0 169 वर्तमान सेक्टर-12 बी अम्बेदकर चौक पर नवभरत टेलर दुकान थाना सेक्टर बोकारो</p> <p>12. संजय कुमार उम्र 40 पे0 स्व प्रकाश महतो सा0 सेक्टर-12 सी क्वॉ न0 1288 वर्तमान अम्बेदकर चौक पर इलिटैक दुकान जिला बोकारो</p> <p>13. दिलीप श्रीवास्तव उम्र 51 वर्ष पे0 स्व रामप्रताप लाल सा0 सेक्टर-12 सी0 क्वॉ न0 1280 अम्बेदकर चौक के बगल में थाना सेक्टर-12 जिला बोकारो</p> <p>14. भिला देवी उम्र 45 वर्ष पति स्व0 दिलीप ठाकुर सा0 लकडी गोला राजेन्द्र नगर थाना बी0एस0सी0टी0 बोकारो ।</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

						15. मृत्यु समीक्ष रिपोर्ट गवाह सुभीत कुमार उम्र 26 वर्ष पे0 स्व0 ठाकुर सा0 सेक्टर-2 ए0 34 थाना बी0एस0सी0टी0 बोकारो 16. प्रदीप कुमार सिंह उम्र 56 वर्ष पे0स्व0 उपेन्द्र कुमार सिंह सा0 सेक्टर-12 एफ क्वॉन0 2743 थाना सेक्टर-12 जिला बोकारो।		
23	बालीडीह थाना काण्ड सं0 23 / 2018 दिनांक 22.02.2018 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 रामजी राय थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 इन्दर सोरेन उर्फ इन्द्रजी मांझी पे0 रीतवरण मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध अवेध आग्नेयास्त्र के पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-278 / 18	जे0एम0-प्रथम श्रेणी	ए0पी0पी0 आषिष तिवारी, मो0नं0 9155348107	पु0अ0नि0 रामजी राय थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो।	इन्दर सोरेन उर्फ इन्द्रजी मांझी पे0 रीतवरण मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो	1. स0अ0नि0 प्रभात कुमार सिंह बालीडीह थाना जिला बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2. पु0अ0नि0 रामजी राय थाना प्रभारी पिण्ड्राजोरा जिला बोकारो 3. साक्षी स0अ0नि0 सलाउद्दीन खॉ पिण्ड्राजोरा थाना जिला बोकारो 4. साक्षी पु0नि0 थाना प्रभारी कमल किशोर थाना बालीडीह जिला बोकारो। 5. साक्षी ह0 राजमंगल मिश्रा बालीडीह थाना रिजर्व गार्ड। 6. साक्षी आरक्षी 990 खिरोधर महतो बालीडीह थाना रिजर्व गार्ड। 7. साक्षी स0अ0नि0 बिरजु राम बालीडीह थाना जिला बोकारो। 8. साक्षी स0अ0नि0 अमीत उरॉव बालीडीह थाना जिला बोकारो। 9. जप्ती सूची गवाह पुलिस 41 दिलिप रविदास बालीडीह थाना रिजर्व गार्ड। 10. जप्ती सूची गवाह पुलिस 40 जलील अंसारी बालीडीह थाना रिजर्व गार्ड। 11. स्वतंत्र गवाह राजेश हेम्ब्रम उम्र 35 वर्ष पे0 सहदेव मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो। 12. स्वतंत्र गवाह उपेन किस्कु उम्र 30 वर्ष पे0 मनषा मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो।	1. देषी कट्टा-01 (पिस्तोल) 2. 0.315 बोर की गोली बैरल की लम्बाई लगभग 4.5'' बडी की लम्बाई 3'' बट की लम्बाई 4'' जिसके चेम्बर मे 0. 315 बोर का जिन्दा गोली -01 पलास्टिक की पोलिथिन मे लपेटा हुआ।	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथ0अभि0 इन्दर सोरेन उर्फ इन्द्रजी मांझी पे0 रीतवरण मांझी सा0 सिजुआ थाना बालीडीह जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।
24	सियालजोरी थाना काण्ड सं0 63 / 16 दिनांक 24.12.2016 धारा- 395 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:-	ए0डी0जे0-द्वितीय, बोकारो	ए0पी0पी0 एस0के0 चौधरी, मो0नं0 8252188199	धरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास सा0 सिमुलटांड था0	अज्ञात	01. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 कामता राम थाना सियालजोरी जिला बोकारो। 02. धरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास	01. माइक्रो मेक्स स्क्रीन टच मोबाईल -01 02. एचएमटी हाथ घडी पुराना -01	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 395 / 412 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अप्राथ0 अभि0

	<p>यह काण्ड वादी धरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास सा0 सिमुलटांड था0 सियालजोरी जिला बोकारो के फर्द बयान के आधार पर 10-12 अज्ञात के विरुद्ध वादी के घर में रात्री में घुस कर भिषण डेकती करने के आरोप मे दर्ज किया गया है।</p> <p>एस0टी0-242 / 17</p>			सियालजोरी जिला बोकारो		<p>सा0 सिमुलटांड था0 सियालजोरी जिला बोकारो।</p> <p>03.साक्षी राहुल कुमार उम्र 23 वर्ष पिताधरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास सा0 सिमुलटांड था0 सियालजोरी जिला बोकारो।</p> <p>04.साक्षी रंजीत कुमार उम्र 21 वर्ष पिताधरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास सा0 सिमुलटांड था0 सियालजोरी जिला बोकारो।</p> <p>05.साक्षी माला देवी उम्र 40 वर्ष पति धरनीधर दास पे0 स्व0 मकर दास सा0 सिमुलटांड था0 सियालजोरी जिला बोकारो।</p>	<p>01.लूटन उर्फ बिनोद उर्फ लम्बू भूईया पे0 स्व0 बारिक भूईया सा0 ब्राइट कुसुमदा काली मंदीर थाना धनसार धनबाद</p> <p>02.हेदर खों पे0 जमाल खों सा0 भागा बाजार</p> <p>03.शंकर सोनार उर्फ शंकर वर्मा पे0 भरत वर्मा सा0 भागा रेलवे कॉलोनी दोनो थाना जोडापोखर धनबाद</p> <p>04.सोबराती अंसारी पे0 स्व0 खातिर अंसारी सा0 राहर गोडा थाना चन्दनकियारी (बरमसिया ओ0पी0) बोकारो।</p> <p>05.नवी मियों पे0 स्व0 गुही मिया सा0 भूईया जितरो बढई कुल्ली थाना तोपचांची धनबाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 16/17 दिनांक 31.03.2017 समर्पित किया गया है,ओर अप्राथ0अभि0</p> <p>01.इमतियाज अंसारी</p> <p>02.संतोष साव स्वर्णकार</p> <p>03.वंसत साव</p> <p>04.अनवर उर्फ अन्ना के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा गया है।</p>	
25	<p>सियालजोरी थाना कांड संख्या- 37/17 दिनांक 03.11.17</p> <p>धारा-302 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:-</p> <p>यह कांड वादी सुर्यकांत रजवार पे0 स्व0 मंगरू रजवार साकिन - रोहनियाटॉड. पो0 अमलाबाद थाना - चंदनकियारी जिला - बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त जानकी रजवार पे0 भीम रजवार साकिन- अंगबाली</p>	ए0डी0जे0-द्वितीय, बोकारो	ए0पी0पी0 एस0के0 चौधरी, मो0नं0 8252188199	सुर्यकांत रजवार पे0 स्व0 मंगरू रजवार साकिन - रोहनियाटॉड. पो0 अमलाबाद थाना - चंदनकियारी जिला - बोकारो।	जानकी रजवार पे0 भीम रजवार साकिन- अंगबाली थाना-पेटरवार जिला-बोकारो एवं अन्य।	<p>1.पु0अ0नि0 कामता राम थाना-सियालजोरी जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादी सुर्यकांत रजवार पे0 स्व0 मंगरू रजवार साकिन - रोहनियाटॉड. पो0 अमलाबाद थाना - चंदनकियारी जिला - बोकारो।</p> <p>3.रमेश रजवार उम्र 47 वर्ष पे0 स्व0 किस्टो रजवार साकिन- रोहनियाटॉड थाना-चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारो।</p> <p>4.साक्षी सावित्री देवी उम्र 32 वर्ष पति सुर्यकांत रजवार साकिन- रोहनियाटॉड थाना-चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारो।</p>	<p>1.हेलमेट टूटा हुआ काला रंग का -01</p> <p>2.हेलमेट पीला रंग का-01</p> <p>3.मोबाईल XZOX -01</p> <p>4.खुन लगी मिट्टी।</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 302 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. जानकी रजवार पे0 भीम रजवार साकिन- अंगबाली थाना-पेटरवार जिला बोकारो एवं अप्राथमिकी अभियुक्त प्रह्लाद ठाकुर उर्फ डब्लु ठाकुर पे0 हरि ठाकुर साकिन- अंगबाली थाना-पेटरवार जिला-बोकारो एवं 3 रेशमा देवी पति स्व0 दुर्योधन रजवार साकिन- रोहनियाटॉड थाना-चंदनकियारी जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप</p>

	थाना- पेटरवार जिला-बोकारो एवं अन्य के विरुद्ध इनके भाई दुर्योधन रजवार की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-1387 / 17 एस0टी0-89 / 18					5. साक्षी सुनीता देवी उम्र 35 वर्ष पति प्रसादी रजवार साकिन- रोहनियाटॉड थाना- चंदनकियारी अमलाबाद जिला-बोकारों। 6. अप्राथमिकी अभियुक्त प्रह्लाद ठाकुर उर्फ डब्लु ठाकुर उम्र-19 वर्ष पे0 हरि ठाकुर ग्राम-अंगबाली थाना-पेटरवार जिला-बोकारो।		पत्र समर्पित करने का आदेश दिनांक 30.12.17 को दिया गया है।
26	हरला थाना काण्ड सं0 120/16 दिनांक 20.10.2016 धारा-498ए/376/511/109 भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण यह काण्ड वादिनी सरोज देवी पति राजेश कुमार शर्मा सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 राजेश कुमार शर्मा के विरुद्ध वादिनी के साथ मारपीट करने एवं वादिनी के बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है। पोस्को नं0 55/16	ए0डी0जे0-प्रथम बोकारो	ए0पी0पी0 एस0के0 झा, मो0नं0 9431933871	सरोज देवी पति राजेश कुमार शर्मा सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो।	राजेश कुमार शर्मा पिता श्यामदेव प्रसाद सिंह सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो।	1. स0अ0नि0 मनोज कुमार सिंह हरला थाना बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2. वादिनी सरोज देवी पति राजेश कुमार शर्मा सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो। 3. साक्षी काजल कुमारी उम्र 14 वर्ष पिता राजेश कुमार शर्मा सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो। 4. साक्षी शंकर साव उम्र 60 वर्ष सा0 कोयला डिपो थाना हरला जिला बोकारो। 5. राजेश कुमार उम्र करीब 45 वर्ष पिता मनबोध महतो सा0 रानीपोखर रामडीह मोड थाना हरला जिला बोकारो। 6. साक्षी प्रेम चन्द रजवार उम्र करीब 48 वर्ष पे0 श्याम चरण रजवार ग्राम रानपोखर थाना हरला जिला बोकारो। 7. साक्षी प्रदीप राय उम्र करीब 35 वर्ष पिता सुहित राय सा0 रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो।		अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा-498ए/354बी भा0द0वि0 एवं 8 पोक्सो एक्ट 2012 के तहत प्राथ0अभि0 राजेश कुमार शर्मा पिता श्यामदेव प्रसाद सिंह सा0 कोयला डिपो रानीपोखर थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 194/16 दिनांक 31.03.2016 को समर्पित किया गया है।
27	हरला थाना काण्ड सं0 35/17 दिनांक 28.03.2018 धारा- 25(I-ए)/26(II) /35 आर्म्स एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी श्री प्रमोद पाण्डेय पु0नि0 सह- थाना प्रभारी हरला थाना जिला	पी0डी0जे0, बोकारो एस0टी0नं0-212	पी0पी0 प्रवीण श्रीवास्तव, मो0नं0 9939994989	श्री प्रमोद पाण्डेय पु0नि0 सह- थाना प्रभारी हरला थाना जिला बोकारो।	01. राहुल शर्मा पे0 बालेश्वर शर्मा सा0 जोसी कॉलोनी ,थाना हरला जिला बोकारो। 02. लखन शर्मा पे0 पति कर्मकार सा0 जोसी कॉलोनी , थाना हरला जिला	अनुसंधानकर्ता 01. स0अ0नि0 मनोज कुमार थाना हरला जिला बोकारो। 02. वादी श्री प्रमोद पाण्डेय पु0नि0 सह- थाना प्रभारी हरला थाना जिला बोकारो। 03. साक्षी राजू पात्रो उम्र 30 वर्ष सा0 जोसी कॉलोनी थाना हरला जिला	1^प एक लोडेड देशी कट्टा -01 2^प .315 बोर का जिन्दा गोली -03 3^प 9एमएम का जिन्दा गोली -01	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा- 25(I-ए)/26(II) /35 आर्म्स एक्ट के प्राथ0 अभि0 01. राहुल शर्मा पे0 बालेश्वर शर्मा सा0 जोसी कॉलोनी ,थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 53/17 दिनांक 27.05.2017 समर्पित किया गया

	<p>बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक अभि०</p> <p>01.राहुल शर्मा पे० बालेश्वर शर्मा सा० जोसी कॉलोनी ,थाना हरला जिला बोकारो।</p> <p>02.लखन शर्मा पे० पति कर्मकार सा० जोसी कॉलोनी , थाना हरला जिला बोकारो।</p> <p>03.राजु सरदार पे० लमबरा केशरी सा० जोसी कॉलोनी , थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध देशी आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	/ 17			<p>बोकारो।</p> <p>राजु सरदार पे० लमबरा केशरी सा० जोसी कॉलोनी , थाना हरला जिला बोकारो।</p>	<p>बोकारो।</p> <p>04.साक्षी हव० दिनेश चन्द्र भगत हरला थाना रिजर्व गार्ड बोकारो। स्थाई पता ग्राम खुटहा थाना लोदीपुर जिला भागलपुर बिहार।</p> <p>05.साक्षी आरक्षी 1571 वृकोधर महतो उम्र 30 वर्ष पिता स्व० शिवधन महतो ग्राम सोसो थाना सिल्ली जिला राँची वर्तमान पु०नि०सह—थाना प्रभारी का अंगरक्षक</p> <p>06.साक्षी आरक्षी 130 अविनाश कुमार उम्र करीब 25 वर्ष पु०नि०सह—थाना प्रभारी का अंगरक्षक।</p> <p>07.साक्षी आरक्षी 1317 परमेश्वर महतो उम्र 37 वर्ष पिता स्व० फूलचन्द महतो बीट डीयटी हरला थाना जिला बोकारो।</p>	<p>है,और काण्ड के शेष अभि० के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखा गया है।</p>
28	<p>हरला थाना काण्ड सं० 30/18 दिनांक 15.02.2018</p> <p>धारा-25(1-ए)26 आर्म्स एक्ट</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण</p> <p>यह काण्ड वादी राजेश कुजूर पु०नि० सह—थाना प्रभारी हरला के स्वलिखित बयान के आधार के पर प्राथमिक के नामजद अभियुक्त</p> <p>01.अजय सिंह पिता रामकिसटो सिंह दोनो साकिनान सेक्टर,9ए स्ट्रीट 01 आवास सं० 52 थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध अवैध रूप से हथियार एवं गोली रखने एवं फायर करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी०आर०-242 / 18</p>	जे०एम०—प्रथम श्रेणी, बोकारो, एन बारला ।	ए०पी०पी० आषिष तिवारी मो०नं० 9155348107	राजेश कुजूर पु०नि० सह—थाना प्रभारी हरला	<p>अजय सिंह पिता रामकिसटो सिंह साकिन सेक्टर,9ए स्ट्रीट 01 आवास सं० 52 थाना हरला जिला बोकार</p>	<p>1.स०अ०नि० मनोज कुमार सिंह हरला थाना बोकारो। (अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादी राजेश कुजूर पु०नि०सह—थाना प्रभारी हरला।</p> <p>3. साक्षी नन्हे पाठक उर्फ संजीव कुमार पाठक उम्र 32 वर्ष पिता पारस नाथ पाठक ग्रम पंचुआ थाना एकमा जिला छपरा वर्तमान पता सेक्टर 09ए स्ट्रीट 04 क्वाटर न० 1012 थाना हरला जिला बोकारो।</p> <p>5.साक्षी धमेन्द्र पाठक उम्र 36 वर्ष पिता पारस नाथ पाठक ग्रम पंचुआ थाना एकमा जिला छपरा वर्तमान पता सेक्टर 09ए स्ट्रीट 04 क्वाटर न० 1012 थाना हरला जिला बोकारो।</p> <p>6.साक्षी संजय पाठक उम्र करीब 34 वर्ष पिता पारस नाथ पाठक ग्रम पंचुआ थाना एकमा जिला छपरा वर्तमान पता सेक्टर 09ए स्ट्रीट 04 क्वाटर न० 1012 थाना हरला जिला बोकारो।</p> <p>7.स०अ०नि० सुबोध प्रसाद सिंह हरला थाना जिला बोकारो।</p>	<p>01. 9एमएम का देशी पिस्तोल एवं मेगजीन सहित -01</p> <p>02. 9एमएम 2 जेड का खोखा -01</p>

						8.साक्षी आरक्षी 211 बिक्रम (अंगरक्षक हरला) 9. साक्षी महीला आरक्षी 1264 रीता कुमारी पासवान हरला थाना जिला बोकारो। 10 साक्षी आरक्षी 1271 बृकोधर महतो (अंगरक्षक हरला)		
29	हरला थाना काण्ड सं0 31/18 दिनांक 15.02.2018 धारा-25(1-बी)ए(1-ए)26 /35 आर्म्स एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण यह काण्ड वादी राजेश कुजूर पु0नि0 सह-थाना प्रभारी हरला के स्वलिखित बयान के आधार के पर प्राथमिक के नामजद अभियुक्त 1. एन्जेला सिंह पति अजय सिंह 2. अजय सिंह पिता रामकिसटो सिंह दोनो साकिनान सेक्टर,9ए स्ट्रीट 01 आवास सं0 52 थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध अवेध रूप से हथियार एवं गोली रखने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0-243 / 18	जे0एम0-प्रथम श्रेणी, बोकारो, एन बारला ।	ए0पी0पी0 आषिष तिवारी मो0नं0 9155348107	राजेश कुजूर पु0नि0 सह-थाना प्रभारी हरला	01. एन्जेला सिंह पति अजय सिंह 02. अजय सिंह पिता रामकिसटो सिंह दोनो साकिनान सेक्टर,9ए स्ट्रीट 01 आवास सं0 52 थाना हरला जिला बोकार	1.स0अ0नि0 सुबोध प्रसाद सिंह हरला थाना जिला बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2. वादी राजेश कुजूर पु0नि0 सह-थाना प्रभारी हरला। 3. साक्षी महीला आरक्षी 1264 रीता कुमारी पासवान हरला थाना जिला बोकारो। 4. साक्षी स0अ0नि0 मनोज कुमार हरला थाना बोकारो। 5. साक्षी आरक्षी 211 बिक्रम (अंगरक्षक हरला)	1.काले रंग का धातु का स्वाचालित आग्नेयास्त्र देशी कारबाईन-01 2.कारबाईन मशीन गन का लोहे का मेगजीन-02 3.उबल बैरल का देशी पिस्तोल .03 बोर का -01 4..315 बोर की गोली खाने वाली सिगल बैरल का पिस्तोल -02 5.9एम एम का जिन्दा कारतूस -05 6.315 का जिन्दा कारतूस कुल -08	हरला थाना काण्ड सं0 31/18 दिनांक 15.02.2018 धारा-25(1-बी)ए(1-ए)26 /35 आर्म्स एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण यह काण्ड वादी राजेश कुजूर पु0नि0 सह-थाना प्रभारी हरला के स्वलिखित बयान के आधार के पर प्राथमिक के नामजद अभियुक्त 1.एन्जेला सिंह पति अजय सिंह 2.अजय सिंह पिता रामकिसटो सिंह दोनो साकिनान सेक्टर,9ए स्ट्रीट 01 आवास सं0 52 थाना हरला जिला बोकारो के विरुद्ध अवेध रूप से हथियार एवं गोली रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।
30	बेरमो (गौधीनगर) थाना कांड संख्या- 64/16 दिनांक 09.05.16 धारा -420/379 भा0द0वि0 एवं 66 (डी0)(सी0) आई0टी0 एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी मकसुद मियाँ पे0 अंकित नहीं साकिन- फ्राईडे बाजार मुर्दघटिया पो0-संडे बाजार थाना-गौधीनगर जिला-बोकारो	माननीय न्यायालय- श्री चन्द्रभानु कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्र0श्रेणी, बेरमो तेनुघाट।	श्री राहुलदेव सोरेन, ए0पी0पी0 बेरमो तेनुघाट। मो0नं0- 9431520186	मकसुद मियाँ पे0 अंकित नहीं साकिन- फ्राईडे बाजार मुर्दघटिया पो0-संडे बाजार थाना-गौधीनगर जिला-बोकारो।	1.अज्ञात।	1.पु0नि0 -सह-थाना प्रभारी नोबेल कुजूर बेरमो थानाजिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2.वादी मकसुद मियाँ पे0 स्व0 छोटन मियाँ साकिन-क्वाटर नंबर-428 फ्राईडे बाजार मुर्दघटिया पो0-संडे बाजार थाना-गौधीनगर जिला-बोकारो। 3.साक्षी शम्स तबरेज (वादी का पुत्र) पे0 मकसुद मियाँ साकिन-क्वाटर नंबर- 428 फ्राईडे बाजार मुर्दघटिया		अनुसंधानोपरांत इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त 1.आदित्य कुमार सोनी पे0 विजय सोनी साकिन-बरियातु थाना-गोला जिला-रामगढ़ हाल मो0 - नवाटोली पंडरा थाना-पंडरा जिला-राँची एवं 2. जितेन्द्र निषाद पे0 स्व0 लालजी निषाद साकिन-जरीडीह बाजार नीचे पट्टा थाना-गौधीनगर

	के टंकित प्रतिवेदनके आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। जी0 आर0 नं0-472 / 16					पो0-गॉधीबाजार थाना-गॉधीनगर जिला-बोकारो। 4.साक्षी इरसाईद अली पे0 स्व0 अब्दुल कयुम साकिन-क्वाटर नंबर-351 मल्लिक मुहल्ला संडे बाजार थाना-गॉधीनगरजिला-बोकारो 5.साक्षी पंकज कुमार पे0 मोहन वर्मा पता पुरानी रॉची बड़ा तालाब के पास थाना-कोतवाली जिला-रॉची।		जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 122 / 16 दिनांक 21.8.16 समर्पित किया गया है और अप्राथमिकी अभियुक्त सुरज उरॉव पे0 लोटिया उरॉव उर्फ लेटेया उरॉव साकिन-स्वीट्स गली शांतिनगर थाना-सुखदेवनगर जिला-रॉची के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र सं0-29 / 18 दिनांक-28'02'18 समर्पित दिया गया है।
31	कसमार थाना काण्ड सं0 60 / 15 दिनांक 21.06.2015 धारा-376(जी) भा0द0वि0 एवं 4 / 12 पोक्सो एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादीनी करमी कुमारी पे0 गंगाराम मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 01. लोसो मांझी पे0 अघनु मांझी। 02. चन्दो मांझी पे0 पैरो मांझी दोनो साकिनान मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो के विरुद्ध वादिनी को जान मारने कि धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार करने एवं गर्भवती करने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-972 / 15	जे0एम0-प्रथम श्रेणी एस0एन0 कुजुर बेरमो अनुमंडलीय न्या0 तेनुघाट।	ए0पी0पी0 राहुल देव सोरेन, मो0नं0 9431520186	करमी कुमारी पे0 गंगाराम मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो	01.लोसो मांझी पे0 अघनु मांझी 02. चन्दो मांझी पे0 पैरो मांझी दोनो साकिनान मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो।	01.स0अ0नि0 रामप्रवेश राम कसमार थाना जिला बोकारो। 02.करमी कुमारी पे0 गंगाराम मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो 03.गंगाराम मांझी पे0 अकलु राम मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो। 04.साक्षी विराजी देवी पति गंगाराम मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो। 05.साक्षी गणेश मुर्म पिता मोहन मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो। 06.साक्षी सुसेला देवी पति गणेश मुर्म सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो। 07.साक्षी सहदेव मांझी पिता मधु मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो। 08.साक्षी चरण मांझी पिता स्व0 वासु मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो।	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4 / 12 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथ0अभि0 01.लोसो मांझी पे0 अघनु मांझी 02.चन्दो मांझी पे0 पैरो मांझी दोनो साकिनान मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो को निर्दोष दिखाते हुए अप्राथ0अभि0 होपन मांझी उर्फ ओपन मांझी पे0 दरवारी मांझी सा0 मोचरो टोला निछानी, थाना कसमार जिला बोकारो के विरुद्ध ओदश पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।	
32	कासमार थाना कांड सं0 82 / 17 दि0 24.11.17 धारा 376 भा0द0वि एवं 4 / 8 / 17 पोक्सो एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण यह कांड वादिनी लक्ष्मी देवी पति विजय चन्द्र सा0	माननीय न्यायालय श्री एस0एन0 कुजुर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बेरमो तेनुघाट	श्री राहुल देव सोरेन ए0पी0पी0 बेरमो तेनुघाट मो0 नं0 9431520186	लक्ष्मी देवी पति विजय चन्द्र सा0 कसमार चटटी थाना कसमार जिला बोकारो	चंदन कुमार रजक उर्फ भौउदू पे0 रूपलाल रजक सा0 कसमार चटटी थाना कसमार जिला	1.स0अ0नि0 राजेसवर राम कसमार थाना जिला बोकारो(अनु0कर्ता0) 2.वादिनी लक्ष्मी पति विजय चन्द्र सा0 कसमार चटटी थाना कसमार जिला बोकारो 3. विजय चन्द्र (पीडिता के पे0) उम्र 30	इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 23 / 18 दि0 28.02.18 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4 / 8 / 12 पोक्सो एक्ट के तहत समर्पित किया गया है।	

	कसमार चट्टी थाना कसमार जिला बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त चंदन कुमार रजक उर्फ भौउदू पे0 रूपलाल रजक सा0 कसमसर चट्टी थाना कसमार जिला बोकारो के विरुद्ध वादिनी की पुत्री नव्या कुमारी उम्र 04 वर्ष के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जी0आर0 न0 1047 / 17				वर्ष पे0 बुधेश्वर चन्द्र सा0 कसमार चट्टी थाना कसमार जिला बोकारो 4.टूपली देवी (पीडिता की दादी) उम्र 55 पति स्व बुधेश्वर चन्द्र 5.विजय मुखर्जी पे0 स्व0 नौरू मुखर्जी 6.राकेश चन्द्र पे0 शंकर चन्द्र 7.विष्णु डे पे0हराधन डे तीनो सा0 कसमार चट्टी थाना कसमार जिला बोकारो		
33	जरीडीह थाना कांड संख्या-102/17 दिनांक 22.11.17 धारा 20/22 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर पे0 स्व0 सरयु ठाकुर साकिन-अकौर थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी वर्तमान अवर निरीक्षक, जरीडीह थाना के स्वलिखित व्यान के आधार पर अभियुक्त त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता पे0 स्व0 सतीश चंद्र गुप्ता साकिन- रेशमा जेनरल स्टोर जैनामोड़ फुसरो रोड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध गॉजा बिक्री करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	एस0के0 चंद्रा-जे0एम0 प्रथम बेरमो तेनुधाट		पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर पे0 स्व0 सरयु ठाकुर साकिन-अकौर थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी वर्तमान अवर निरीक्षक, जरीडीह थाना	त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता पे0 स्व0 सतीश चंद्र गुप्ता साकिन- रेशमा जेनरल स्टोर जैनामोड़ फुसरो रोड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।	1.पु0नि0 अजीत अरुण एक्का जरीडीह अंचल जिला-बोकारो(अनुसंधानकर्ता)। 2.वादी पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर जरीडीह थाना। 3.स0अ0नि0 उपेन्द्र नाथ सोरेन, जरीडीह थाना। 4.ह0 सुलेमान टोपनो सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 5.आ0/820 महेन्द्र कुमार महतो सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 6.आ0/494 सुमन खाखा, सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 7.आ0/600 बब्लु गोप सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 8.राजस्व कर्मचारी राम किशुन टुडु पे0 स्व0 मंझलु टुडु अंचल जरीडीह।(अंचलाधिकारी, जरीडीह के प्रतिनिधि) 9.हल्का कर्मचारी अश्वनी कुमार मालतो पे0 श्री मंगल मालतो जरीडीह अंचल दोनों थाना-जरीडीह जिला-बोकारो (अंचलाधिकारी, जरीडीह के प्रतिनिधि)		अनुसंधानोपरांत इस कांड में आरोप पत्र संख्या-09/18 दिनांक 17.01.18 समर्पित किया गया है।
34	जरीडीह थाना कांड संख्या-103/17 दिनांक 22.11.17 धारा- 20/22 एन0 डी0पी0एस0 एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर पे0 स्व0 सरयु ठाकुर साकिन-अकौर थाना-बेनीपट्टी	एस0के0 चंद्रा-जे0एम0 प्रथम बेरमो तेनुधाट		पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर पे0 स्व0 सरयु ठाकुर साकिन-अकौर थाना-बेनीपट्टी जिला-मधुबनी वर्तमान अवर	प्रवीण सिंह पे0 अंकित नहीं साकिन-करहरिया थाना-बालीडीह जिला- बोकारो	1.पु0अ0नि0 बाबु साहब ठाकुर थाना-जरीडीह जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2.स0अ0नि0 उपेन्द्र नाथ सोरेन, जरीडीह थाना। 3.त्रह0 सुलेमान टोपनो सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 4.आ0/820 महेन्द्र कुमार महतो		अनुसंधानोपरांत इस कांड में आरोप पत्र संख्या-19/18 दिनांक 09.02.18 समर्पित किया गया है।

	जिला-मधुबनी वर्तमान अवर निरीक्षक, जरीडीह थाना के स्वलिखित व्यान के आधार पर अभियुक्त प्रवीण सिंह पे0 अंकित नहीं साकिन-करहरिया थाना-बालीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध जैनामोड़ ट्रेकर स्टैण्ड सड़क किनारे स्थित गुमटी में गौजा बिक्री करने के आरोप में दर्ज किया गया है।			निरीक्षक, जरीडीह थाना		सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 5.आ0/494 सुमन खाखा, सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 6.आ0/600 बब्लु गोप सशस्त्र बल जरीडीह थाना। 7.राजस्व कर्मचारी राम किशुन टुडु पे0 स्व0 मंझलु टुडु अंचल जरीडीह।(अंचलाधिकारी, जरीडीह के प्रतिनिधि) 8.हल्का कर्मचारी अश्वनी कुमार मालतो पे0 श्री मंगल मालतो जरीडीह अंचल दोनों थाना-जरीडीह जिला-बोकारो (अंचलाधिकारी, जरीडीह के प्रतिनिधि)।		
35	जरीडीह थाना कांड संख्या-27/18 दिनांक-15.02.18 धारा-201 भा0द0वि0 एवं 25(1-ए)26 आर्म्स एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- अभियुक्त राजेश सिंह पे0 राम किस्टों सिंह साकिन-अराजु थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के कार से अवैध हथियार एवं गोली का बरामद किया जाना और हत्या जैसे संगीन अपराध के साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया जाना।	माननीय न्यायालय- श्रीमती निरजा आसरी न्यायिक दंडाधिकारी, प्र0श्रेणी, बेरमो तेनुघाट। जी0 आर0 नं0-413/17	मो0 हसन वासरी ए0पी0पी0 बेरमो तेनुघाट। मो0नं0-829809 9411	पु0अ0नि0 रूपेश कुमार दूबे थाना प्रभारी जरीडीह थाना।	राजेश सिंह पे0 राम किस्टों सिंह साकिन-अराजु थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।	1.स0अ0नि0 उपेन्द्र नाथ सोरेन थाना-जरीडीह जिला-बोकारो(अनुसंधानकर्ता) 2. आ0/446 योगेन्द्र राम 2. आ0/600 बब्लु गोप दोनों जरीडीह थाना।	1.देशी पिस्तौल-01 2. .315 बोर का जिन्दा गोली-06 3. 32 बोर का जिन्दा गोली-06 4. 7.65 बोर का जिन्दा गोली-07 5.7.65 बोर का गोली लगने वाला पिस्तौल का खाली मैगजीन- 03 6. 9 एम0एम0 की गोली लगने वाला पिस्तौल का खाली मैगजीन-01	अनुसंधानोपरांत इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-51/17 दिनांक 31.08.17 समर्पित किया गया है।
36	चन्द्रपुरा थाना कांड संख्या-05/18 दिनांक -14.01.18 धारा 302/201 भा0द0वि0। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी प्रमोद गिरि पे0 स्व0 राम प्रसाद गिरि ग्राम-तारमी थाना-चंद्रपुरा जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मनीष गिरि पे0 विरेन्द्र गिरि उर्फ नामु सा0-तारमी थाना-चंद्रपुरा जिला-बोकारो के विरुद्ध इनके लड़के नितेश गिरि को मारकर कहीं छुपा देने के आरोप में			प्रमोद गिरि पे0 स्व0 राम प्रसाद गिरि ग्राम-तारमी थाना-चंद्रपुरा जिला-बोकारो।	मनीष गिरि पे0 विरेन्द्र गिरि उर्फ नामु सा0-तारमी थाना-चंद्रपुरा जिला-बोकारो।	1.पु0अ0नि0 पुष्परज ओझा चंद्रपुरा थाना जिला-बोकारो (अनुसंधानकर्ता) 2.वादी प्रमोद गिरि पे0 स्व0 राम प्रसाद गिरि ग्राम-तारमी थाना-चंद्रपुरा जिला-बोकारो।		

	दर्ज किया गया है।							
37	<p>पेटरवार (तेनुघाट) थाना कांड संख्या-51/17 दिनांक 27.09.17 धारा 302/34 भा0द0वि0</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी दिलचन्द महतो पे0 स्व0 जानकी महतो साकिन- चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार (तेनुघाट) जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. वकील प्रजापति पे0 अंकित नहीं साकिन- चॉपी 2. गोपीन मुर्मु साकिन- अम्बाटोला 3. भागीरथ महतो 4. पुरन चन्द्र महतो 5. भुनेश्वर महतो तीनों साकिन- चॉपी थाना- पेटरवार जिला-बोकारो के विरुद्ध एकमत होकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी0 आर0 नं0- 865/17</p>	<p>माननीय न्यायालय- श्री चन्द्रभानु कुमार न्यायिक दंडाधिकारी, प्र0श्रेणी, बेरमो तेनुघाट।</p>	<p>श्री राहुलदेव सोरेन, ए0पी0पी0 बेरमो तेनुघाट। मो0नं0- 9431520186</p>	<p>दिलचन्द महतो पे0 स्व0 जानकी महतो साकिन- चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार (तेनुघाट) जिला-बोकारो।</p>	<p>1.वकील प्रजापति पे0 अंकित नहीं साकिन- चॉपी 2. गोपीन मुर्मु साकिन- अम्बाटोला 3. भागीरथ महतो 4. पुरन चन्द्र महतो 5. भुनेश्वर महतो तीनों साकिन- चॉपी थाना- पेटरवार जिला-बोकारो। 6.अप्राथमिकी अभियुक्त घनश्याम महतो पे0स्व0 जानकी महतो साकिन-चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार जिला-बोकारो।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना-पेटरवार (तेनुघाट) जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2.वादी दिलचंद महतो पे0 स्व0 जानकी महतो साकिन-चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार (तेनुघाट) जिला-बोकारो। 3.साक्षी अशोक कुमार पे0 स्व0 केशो महतो साकिन-चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार जिला-बोकारो। 4.साक्षी मंजु देवी पति चेतलाल महतो साकिन-चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार जिला-बोकारो। 5.साक्षी बीरबल महतो पे0 फागु महतो साकिन-नावाडीह थाना-मांडु जिला-रामगढ़। 6.साक्षी राजेश कुमार सिंह पे0 नवल किशोर सिंह साकिन- क्वाटर नंबर-4090 बी0 थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो। 7.साक्षी मनोज कुमार पे0 बाबु चन्द महतो साकिन-चॉपी नीचे टोला थाना-पेटरवार जिला-बोकारो।</p>	<p>1.नोकिया मोबाईल सेट-01 जो ब्लू एवं काला रंग का है और जिसमें आईडिया का सिम नंबर-8873202211 लगा हुआ है। 2.टॉर्च-01 सुगा पंछी रंग का। 3.हेयर क्लिप 4.गुलाबी रंग का ब्लाउज खुन लगा हुआ 5.हल्का गुलाबी रंगा का कपड़ा करीब 1 मीटर खुन लगा हुआ। 6.पीला रंग का साया खुन लगा हुआ। 7.काँच के चुड़ी का टुकड़ा।</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-01/18 दिनांक 17.01.18 समर्पित किया गया है।</p>
38	<p>बेरमो थाना कांड संख्या-77/17 दिनांक 15.06.17 धारा-302/201/34 भा0द0वि0</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह कांड वादी गुड्डु सिंह पे0 श्री घनश्याम साव साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. हरिहर नोनिया एवं 2. अजय नोनिया पे0 श्री काली नोनिया दोनों साकिनान- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो के</p>	<p>ए0सी0जे0एम0 बेरमो, तेनुघाट</p>	<p>ए0पी0पी0 मो0 हसन वारसी, अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, तेनुघाट, मो0नं0 9164454165</p>	<p>गुड्डु सिंह पे0 श्री घनश्याम साव साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो।</p>	<p>1.हरिहर नोनिया एवं 2.अजय नोनिया पे0 श्री काली नोनिया दोनों साकिनान- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो। एवं अप्राथमिकी अभियुक्त- जितेन्द्र कुमार पिता राम प्रसाद चौहान साकिन- ढाको बस्ती थाना- बेरमो जिला-बोकारो।</p>	<p>1.पु0नि0 नोबेल कुजुर थाना-बेरमो जिला-बोकारो। (अनुसंधानकर्ता) 2.वादी गुड्डु सिंह पे0 श्री घनश्याम साव साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो। 3.टिन्कु साव उम्र करीब 28 वर्ष पे0 घनश्याम साव साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो। 4.अनुप चौहान उम्र करीब 25 वर्ष पे0 स्व0 सुरेश चौहान साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो। 5.मुन्नी देवी उम्र करीब 35 वर्ष पति स्व0 अजय साव साकिन-ढाको बस्ती</p>	<p>1.आसमानी रंग का फुल शर्ट , 2.खुन लगा हुआ ईटा का दो टुकड़ा।</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 302/201 भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त हरिहर नोनिया एवं अजय नोनिया पे0 श्री काली नोनिया दोनों साकिनान- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो के विरुद्ध साक्ष्य की कमी दिखाते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पे0 राम प्रसाद चौहान साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 94/17 दिनांक 04.07.17</p>

	द्वारा वादी की माँ कौशल्या देवी को ईट पत्थर से मारकर हत्या कर साक्ष्य को छुपाने की नीयत से नाला में फेंक देने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-524 / 17					थाना-बेरमो जिला-बोकारो । 6.दिलीप चौहान उम्र करीब 30 वर्ष पे0 स्व0 सुरेश चौहान साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो । 7.मंजु देवी उम्र करीब 22 वर्ष पति अनुप चौहान साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो । 8.राहुल मॉझी उम्र 19 वर्ष पिता स्व0 कालीचरण मॉझी साकिन- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो । 9.कैलाश यादव उम्र 22 वर्ष पिता कन्हारू यादव ग्राम- ढाको बस्ती थाना-बेरमो जिला-बोकारो ।		समर्पित किया गया है।
39	गोमिया थाना काण्ड सं0 94 / 14 दिनांक 07.07.2014 धारा-376 भा0द0वि0 एवं जोड धारा 376(1) / 109भा0द0वि0 एवं 04 / 17 पोक्सो एक्ट घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादीनी पूजा कुमारी उम्र करीब 14 वर्ष पिता मुन्ना पासी सा0 स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 नाकाबंदी पासी उर्फ बिरजू पासी पे0 भोला पासी ग्राम स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो के विरुद्ध वादिनी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है। जी0आर0नं0-794 / 14	एस0के0 चन्द्रा, जे0एम0-प्रथम श्रेणी, बेरमो, तेनुघाट	ए0पी0पी0 मो0 हसन वारसी, अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, तेनुघाट, मो0नं0 9164454165	पूजा कुमारी उम्र करीब 14 वर्ष पिता मुन्ना पासी सा0 स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारा ।	नाकाबंदी पासी उर्फ बिरजू पासी पे0 भोला पासी ग्राम स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो ।	01. स0अ0नि0 नन्दा शर्मा गोमिया थाना जिला बोकारो (अनुसंधानकर्ता) 02. वादीनी पूजा कुमारी उम्र करीब 14 वर्ष पिता मुन्ना पासी सा0 स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो । 03. साक्षी सोनामणी देवी पति मुन्ना पासी सा0 स्वांग कॉलेयरी गुलगुलिया मोहल्ला थाना गोमिया जिला बोकारो । 04. साक्षी मुन्ना पासी पे0 स्व0 मिश्रीलाल पासी सा0 गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो । 05. स्वतंत्र साक्षी मोहनी देवी पति सुनील पासी ग्राम गुलगुलिया मोहल्ला स्वांग कॉलेयरी थाना गोमिया जिला बोकारो । 06. साक्षी चोकीदार सुनीन पासी पे0 जयनारायण पासी सा0 स्वांग कॉलेयरी गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो । 07. साक्षी रंजन पासी पे0 अशरेश पासी सा0 स्वांग कॉलेयरी गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो । 08. साक्षी देवधारी पासी पे0 स्व0 मधुवा पासी सा0 स्वांग कॉलेयरी गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो ।	01.उजला एवं लाल छिटदार सलवार जिस पर वीर्य एवं खुन का धब्बा लगा हुआ था।	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा 376(1) / 109भा0द0वि0 एवं 04 / 17 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0 अभि0 01. नाकाबंदी पासी उर्फ बिरजू पासी पे0 भोला पासी ग्राम स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो । 02. अप्राथ0अभि0 घोषाल पासी पे0 स्व0 मंगवा पासी 03. अप्राथ0अभि0 सुगंता देवी उर्फ गुडिया देवी पति नाकाबंदी पासी तीनों साकिनान स्वांग गुलगुलिया टोला थाना गोमिया जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 101 / 11 दिनांक 20.08.2014 समर्पित किया गया है।
40	बोकारो थर्मल थाना काण्ड सं0 20 / 15 दिनांक 27.01.	एस0एम0 कुजुर, जे0एम0-प्रथम	ए0पी0पी0 राहुलदेव सोरेन,	श्री महेन्द्र सिंह पे0 स्व0 सोहन	1.राजा आलम 2.बादशाह आलम	1.पु0अं0नि0 लक्ष्मी कान्त थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो ।	1. पुराना सेमसंग ड्यूपएस मोबाईल-01	अनुसंधान उपरांत इस काण्ड में धारा-366(ए)376 / 34

	<p>2015 धारा-366(ए)/34 भा0द0वि0 एवं परिवर्तित धारा 4/12 पोक्सो एक्ट</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी श्री महेन्द्र सिंह पे0 स्व0 सोहन सिंह सा0 ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0</p> <p>01.राजा आलम 02.बादशाह आलम 03.सोनु आलम तीनो पे0 मकसुद आलम 04.मकसुद आलम 05.मेमुल निसा पति मकसुद आलम सभी साकिनान आवास सं0 एल0क्यू0 33 लेबर क्वा0 बोकारो थर्मल जिला बोकारो के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्री गगनप्रीत कोर को एक मत होकर जबरन अपहरण करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>बेरमो तेनुघाट</p> <p>जी0आर0-118/15</p>	<p>अनु0न्या0 दण्डा0, तेनुघाट, मो0नं0 9431520186</p>	<p>सिंह सा0 ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो</p>	<p>3.सोनु आलम तीनो पे0 मकसुद आलम 4.मकसुद आलम 5.मेमुल निसा पति मकसुद आलम सभी साकिनान आवास सं0 एल0क्यू0 33 लेबर क्वा0 बोकारो थर्मल जिला बोकारो के विरुद्ध वादी के नाबालिग पुत्री गगनप्रीत कोर को एक मत होकर जबरन अपहरण करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>2.श्री महेन्द्र सिंह पे0 स्व0 सोहन सिंह ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो 3.साक्षी हरपाल कौर पति महेन्द्र सिंह ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो। 4.साक्षी स्वर्ण कौर पति स्व0 सोहन सिंह ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो। 5.हरविन्दर सिंह पे0 स्व0 सोहन सिंह ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो। 6.साक्षी सुरेन्दर सिंह पे0 स्व0 सोहन सिंह ई/42 ए लेवर क्वाटर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो। 7.साक्षी संजय कुमार पिता रमेश चन्द्र लाल सा0 जनता नगर बोकारो थर्मल थाना बोकारो थर्मल जिला बोकारो। 8.साक्षी बबलु सिंह पिता स्व0 राम प्रकाश सिंह क्वा0 न0 एलक्यू/वाईजेड बोकारो थर्मल थाना बोकारो जिला बोकारो।</p>	<p>2. मोबाईल सिम -07 पीस जिसमें एयरटेल -02 रिलांस-01 डोकोमो-01 यूनिनोर -01 टाटा इंडिकॉम -01 टूटा हुआ,युनीनोर का -01 दो भागो में।</p>	<p>भा0द0वि0 एवं 4/12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0 अभि0 बादशाह आलम एवं राजा आलम के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 27/15 दिनांक 25.03. 2015 समर्पित किया गया है। और प्राथ0 अभि0 01. मैमुन बीबी पति मकसुद आलम 02. सोनु आलम पे0 मकसुद आलम दोनो साकिनान नारायणपुर , थाना नावाडीह , जिला बोकारो 03.मकसुद आलम पे0 मो0 रहमान, सा0 नारायणपुर थाना पैकनारायणपुर जिला बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>
<p>41</p>	<p>आई0ई0एल0 थाना काण्ड संख्या-10/18, दिनांक-29.03. 18, धारा-363/366(ए) भा0द0वि0 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी महेन्द्र साव पे0 भगवान साव सा0 ससबेडा पूर्वी, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 01. अर्जून साव उर्फ टारजन पे0 स्व0 बिरसा साव सा0 ससबेडा शिव मंदिर के पास, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो के</p>	<p>एस0पी0 ठाकुर, जे0एम0, प्रथम बेरमो तेनुघाट</p> <p>जी0आर0नं0-330/18</p>	<p>ए0पी0पी0 राहुलदेव सोरेन, अनु0न्या0 दण्डा0, तेनुघाट, मो0नं0 9431520186</p>	<p>महेन्द्र साव पे0 भगवान साव सा0 ससबेडा पूर्वी, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो</p>	<p>01. अर्जून साव उर्फ टारजन पे0 स्व0 बिरसा साव सा0 ससबेडा शिव मंदिर के पास, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो</p>	<p>01.पु0अ0नि0 सिद्धेश्वर सवैया(अनु0कर्ता), आई0ई0एल0 थाना। 02. महेन्द्र साव(वादी) पे0 भगवान साव सा0 ससबेडा पूर्वी, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो। 03.सत्यदेव तिवारी पे0 श्री देवेन्द्र तिवारी सा0 ससबेडा पूर्वी, थाना आई0ई0एल0, बोकारो। 04. वासुदेव महतो पे0 स्व0 बन्धन महतो सा0 करीखुर्द, थाना चतरोचट्टी, जिला बोकारो 05. बबीता देवी पति महेन्द्र साव सा0 ससबेडा पूर्वी, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो।</p>	<p>---</p>	<p>इस काण्ड में अनुसंधोपरांत प्राथ0अभि0 अर्जून साव उर्फ टारजन पे0 स्व0 बिरसा साव सा0 ससबेडा शिव मंदिर के पास, थाना आई0ई0एल0, जिला बोकारो के विरुद्ध धारा-363 भा0द0वि0 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>

	विरुद्ध वादी की नावालिग लड़की रिया कुमारी को अपहरण करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।							
42	<p>हरला थाना काण्ड सं० 29/18 दिनांक 16.02.2018 धारा-307/326/302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी अमरेश कुमार सिंह पे० ललन सिंह सा०-सेक्टर-9 स्ट्रीट -03 क्वाटर नं०- 52 थाना-हरला जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. अजय सिंह पे० राममिस्टो सिंह सा०- सेक्टर -9 स्ट्रीट -01 क्वाटर नं०-52 थाना-हरला जिला-बोकारो के विरुद्ध सुनील कुमार गुप्ता को गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी०आर०-241 / 18</p>	एन०बारला, जे०एम० प्रथम	ए०पी०पी० आषिष तिवारी, मो०नं० 9155348107	अमरेश कुमार सिंह पे० ललन सिंह सा०-सेक्टर-9 स्ट्रीट -03 क्वाटर नं०- 52 थाना-हरला जिला-बोकारो।	अजय सिंह पे० राममिस्टो सिंह सा०-सेक्टर -9 स्ट्रीट -01 क्वाटर नं०-52 थाना-हरला जिला-बोकारो।	<p>1.राजेश कुजुर पु०नि०-सह-थाना प्रभारी हरला जिला-बोकारो।</p> <p>2.वादी अमरेश कुमार सिंह पे० ललन सिंह सा०-सेक्टर-9 स्ट्रीट-03 क्वाटर नं०-52 थाना-हरला जिला-बोकारो।</p> <p>3.साक्षी ललनसिंह उम्र करीब 65 वर्ष पे० स्व० हरेश्वर सिंह सा०-सेक्टर-9 ए स्ट्रीट -03 क्वाटर सं०- 663 थाना-हरला जिला-बोकारो।</p> <p>4.साक्षी नन्हे पाठक उर्फ संजीव पाठक उम्र करीब 32 वर्ष पे० पारसनाथ पाठक सा०-पचुआ थाना-एकमा जिला-छपरा (बिहार) हा०मो०- सेक्टर-9ए स्ट्रट -4 क्वाटर नं०- 1012 थाना-हरला जिला-बोकारो।</p> <p>5.साक्षी धर्मेन्द्र पाठक उम्र करीब 36 वर्ष पे० पारसनाथ पाठक सा०-पचुआ थाना-एकमा जिला-छपरा (बिहार) हा०मो०- सेक्टर-9ए स्ट्रट -4 क्वाटर नं०- 1012 थाना-हरला जिला-बोकारो।</p> <p>6.साक्षी संजय पाठक उम्र करीब 34 वर्ष पे० पारसनाथ पाठक सा०-पचुआ थाना-एकमा जिला-छपरा (बिहार) हा०मो०- सेक्टर-9ए स्ट्रट -4 क्वाटर नं०- 1012 थाना-हरला जिला-बोकारो।</p>	<p>1.दिनांक 15.02.18 को समय 2.40 बजे जप्ती सूची के अनुसार घटनास्थल से बरामद खुन लगा गौज सुखा हुआ,</p> <p>2.घटनास्थल से जप्त खून जैसा रंग से सनी मिट्टी,</p> <p>3.घटनास्थल के बगल से लिया गया मिट्टी का नमूना।</p> <p>4.दिनांक 15.02.18 को समय 17.05 बजे जप्त सामानों में मृतक सुनील कुमार उम्र करीब 33 वर्ष पे० दीनबन्धु प्रसाद सा०-शिवशक्ति कॉलोनी झोपड़ी सेक्टर-9 डी ए रोड थाना-हरला के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर द्वारा चौ० 1/4 लालमोहन तुरी को सुपुर्द किया गया एक छोटा शीशी सील किया हुआ।</p> <p>5.दिनांक 16.02.18 को समय 20.15 बजे जरीडीह थाना परिसर में जप्त किये गये सामानों में आल्टो कार 800 लाल रंग का जिसका रजिस्ट्रेशन नं०- जे० एच० 09ए एफ-1299 चेसिस नं०- ए०50505 एवं इंजन नं०- 5808644 है, बरामद किया गया।</p> <p>6.दिनांक 16.02.18 को</p>	

							समय 21.45 बजे हरला थाना परिसर में जप्त किये गये सामानों में घटनास्थल में प्रयुक्त वाहन आल्टो कार 800 रजिस्ट्रेशन नं०- जै०एच० 09ए०ए० -1299 के पिछले सीट में लगा खून जैसा रंग का धब्बा का नमूना गौज में उठाया गया। 7.जप्ती सूची के गवाह-आ०/211 विक्रम कुमार एवं चालक आ०/1494 अनिल कुमार यादव दोनों हरला थाना।	
43	<p>माराफारी थाना काण्ड सं० 23/18 दिनांक 12.04.2018 धारा-376 भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी नगीरा हेम्ब्रम पे० सुशील हेम्ब्रम सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त करण तन्तुबाई पे० रवि तन्तु बाई सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो के विरुद्ध वादी की नाबालिग छोटी बच्ची सोनामुनी हेम्ब्रम के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>			नगीरा हेम्ब्रम पे० सुशील हेम्ब्रम सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो।	करण तन्तुबाई पे० रवि तन्तु बाई सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो।	<p>1.पु०अ०नि० अवधेश कुमार झा थाना-माराफारी जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2.वादी नगीरा हेम्ब्रम पे० सुशील हेम्ब्रम सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 3.साक्षी पीड़िता सोनामुनी हेम्ब्रम उम्र 08 वर्ष पे० नागीरा हेम्ब्रम सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 4.साक्षी सुखमती हेम्ब्रम पति सनी आलडा सा०-दरौजिया टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 5.स्वतंत्र साक्षी सोनाबार उम्र 37 वर्ष पे० सताधारी बारजो ग्राम- कुषीटोला रंगो थाना-बारकुड़ीया जिला-चाईबासा पश्चिम सिंहभूम वर्तमान सा०-घोईचाटोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 6.साक्षी मिर्जामार्डी पिता शंकर मार्डी ग्राम-घोईन्चा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 7.साक्षी सोनामुनी देवी पति केशों चाम्पी सा०-घोईन्चा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो। 2.वादी अमरेश कुमार सिंह पे० ललन</p>	<p>1.दिनांक 15.02.18 को समय 2.40 बजे जप्ती सूची के अनुसार घटनास्थल से बरामद खून लगा गौज सुखा हुआ, 2.घटनास्थल से जप्त खून जैसा रंग से सनी मिट्टी, 3.घटनास्थल के बगल से लिया गया मिट्टी का नमूना। 4.दिनांक 15.02.18 को समय 17.05 बजे जप्त सामानों में मृतक सुनील कुमार उम्र करीब 33 वर्ष पे० दीनबन्धु प्रसाद सा०-शिवशक्ति कॉलोनी झोपड़ी सेक्टर-9 डी ए रोड थाना-हरला के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर द्वारा चौ० 1/4 लालमोहन तुरी को सुपुर्द किया गया एक छोटा शीशी सील किया हुआ।</p>	अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 376 भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त करण तन्तुबाई पे० रवि तन्तुबाई सा०-घोईचा टोला थाना-माराफारी जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।

	भोला एवं 3. मंझिया तीनों पेसरान अंकित नहीं सभी साकिनान-कुम्हार चौक थाना-हरला जिला-बोकारो के विरुद्ध छेड़खानी करने एवं वादिनी के मामा के साथ मारपीट करने के आरोप में दर्ज किया गया है।							लाल उर्फ मंझिया हरि पे0 स्व0 दुलाल हरि सा0-नेपाली पाड़ा थाना-हरला जिला-बोकारो के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।
45	<p>महिला थाना काण्ड सं0 04/18 दिनांक 19.03.2018</p> <p>धारा-376 भा0द0वि0 एवं 04/12 पोक्सो एक्ट।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:-</p> <p>यह काण्ड वादीनी ज्योति कुमारी पिता सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सुशील दास पे0 स्व0 जगदीश दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो के विरुद्ध बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी0आर0-45/18</p>	ए0डी0जे0 प्रथम	ए0पी0पी0 एस0के0 झा मो0नं0 9431933871	ज्योति कुमारी पिता सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।	सुशील दास पे0 स्व0 जगदीश दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।	<p>1.स0अ0नि0 विमल हॉसदा थाना-महिला जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादीनी ज्योति कुमारी पिता सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>3.गिरफ्तारी गवाह रंजु देवी पति सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>4.गिरफ्तारी गवाह ज्योति कुमारी पिता सुशील दास सा0- सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>5.साक्षी रंजु देवी उम्र करीब 30 वर्ष पति सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>6.साक्षी विकास कुमार उम्र लगभग-10 वर्ष पिता सुशील दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>7.साक्षी रेखा देवी उम्र करीब 30 वर्ष पति डोमन रजक सा0-सेक्टर 12 झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p> <p>8.साक्षी विरेन्द्र प्रसाद उम्र लगभग 50 वर्ष पिता स्व0 बालेश्वर प्रसाद सा0-सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो।</p>	अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 376 भा0द0वि0 एवं 04/12 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त सुशील दास पे0 स्व0 जगदीश दास सा0-सेक्टर-12 एफ झोपड़ी थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।	
46	जरीडीह थाना काण्ड सं0 47/18 दिनांक 26.03.2018	एस0पी0 टाकुर, जे0एम0, प्रथम	ए0पी0पी0 राहुलदेव सोरेन,	लक्ष्मी कुमारी उम्र -17 वर्ष	पास्टर सुलेमान टोपनो पे0 अंकित	1.स0अ0नि0 श्रीकांत दर्वे थाना-जरीडीह		अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 354 भा0द0वि0 एवं

	<p>धारा-354 भा0द0वि0 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादीनी लक्ष्मी कुमारी उम्र -17 वर्ष पिता रतन मॉझी सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त पास्टर सुलेमान टोपनो पे0 अंकित नहीं सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध छेड़खानी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>बेरमो तेनुघाट</p> <p>जी0आर0नं0-308 / 18</p>	<p>अनु0न्या0 दण्डा0, तेनुघाट, मो0नं0 9431520186</p>	<p>पिता रतन मॉझी सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो।</p>	<p>नहीं सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो।</p>	<p>जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2.वादीनी लक्ष्मी कुमारी पिता रतन माझी सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो। 3.साक्षी सुन्दरी देवी उम्र करीब 45 वर्ष पति रतन मॉझी सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो स्थाई पता- सा0- खुटटी थाना- जरीडीह जिला-बोकारो। 4.साक्षी शीला देवी उम्र करीब 40 वर्ष पति स्व0 अर्जुन सिंह मुण्डा सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो। 5.साक्षी रतन मॉझी उम्र करीब 50 वर्ष पिता स्व0 दुरी मॉझी वर्तमान- सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो स्थाई पता- सा0- खुटटी थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p>	<p>08/12 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त पास्टर सुलेमान टोपनो पे0 स्व0 जोसेफ टोपनो सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>
47	<p>महुआटॉड़ (ललपनिया) थाना काण्ड सं0 13/18 दिनांक 27. 03.2018 धारा-302/201 भा0द0वि0 घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी सोधना मॉझी पे0 स्व0 दुबराज मॉझी सा0-पुटकाडीह थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त विनोद पावरिया पे0 धनीराम पावरिया सा0- बम्हरा बस्ती थाना-आई0ई0एल जिला-बोकारो के विरुद्ध वादी की पुत्री संझली देवी की हत्या करने के व साक्ष्य को छुपाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p> <p>जी0आर0नं0-314 / 18</p>	<p>एस0के0 चन्द्रा, जे0एम0 प्रथम, बेरमो तेनुघाट</p>	<p>ए0पी0पी0 मो0 हसन वारसी, अनु0कोर्ट तेनुघाट मो0नं0 9164454165</p>	<p>सोधना मॉझी पे0 स्व0 दुबराज मॉझी सा0-पुटकाडीह थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो।</p>	<p>विनोद पावरिया पे0 धनीराम पावरिया सा0- बम्हरा बस्ती थाना-आई0ई0एल जिला-बोकारो।</p>	<p>1.स0अ0नि0 राघेश्याम पाण्डेय थाना-महुआटॉड़ ललपनिया जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2.वादी सोधन मॉझी पे0 दुबराज मॉझी सा0-पुटकाडीह थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो। 3.साक्षी राजकुमार किस्कु उम्र करीब 35 वर्ष पिता स्व0 गणेश मॉझी सा0-पुटकाडीह पंचायत बड़की पुनु गिना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो। 4.साक्षी तेजराम किस्कु उम्र करीब 40 वर्ष पे0 मेठीलाल मॉझी ग्राम-पुटकाडीह थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो। 5.साक्षी बब्लु किस्कु उम्र 27 वर्ष पिता सोधना मॉझी ग्राम-पुटकाडीह पंचायत बड़कीपुनु थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो। 6.सा0ी महादेव किस्कु उम्र करीब 42 वर्ष पिता स्व0 ढोनु किस्कु ग्राम-पुटकाडीह पंचायत बड़कीपुनु थाना-महुआटॉड़ जिला-बोकारो।सुन्दरी देवी उम्र करीब 45 वर्ष पति रतन मॉझी सा0-टॉड़ बालीडीह थाना-बालीडीह</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 302/201 भा0द0वि0 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त विनोद पावरिया पिता धनीराम पावरिया सा0-खम्हरा बस्ती थाना-आई0ई0एल जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।</p>

						जिला-बोकारो स्थाई पता- सा0- खुट्टी थाना- जरीडीह जिला-बोकारो। 4.साक्षी शीला देवी उम्र करीब 40 वर्ष पति स्व0 अर्जुन सिंह मुण्डा सा0-टॉड बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो। 5.साक्षी रतन मॉझी उम्र करीब 50 वर्ष पिता स्व0 दुरी मॉझी वर्तमान- सा0- टॉड बालीडीह थाना-बालीडीह जिला-बोकारो स्थाई पता- सा0- खुट्टी थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।		
48	दुग्दा थाना काण्ड सं0 05/18 दिनांक 23.01.2018 धारा-354(ए) (बी0) (सी0)(डी0)/354/376(बी0)/ 506/511/34 भा0द0वि0 एवं 4/18/8 पोक्सो एक्ट। घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादीनी दुलाली कुमारी पे0 श्री जगन दास सा0-परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिन्दु सिंह पे0 स्व0 बब्लु सिंह सा0-पटना गैरेज 2. अनिल महतो पे0 खैटा महतो सा0-बेलाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो 3. राजेश सिंह पे0 शिव प्रसाद सा0-पटना गैरेज 4. जितेन्द्र महतो पे0 खदरू महतो सा0-बेलाटॉड 5. महेश सिंह पे0 स्व0 नन्द किशोर सिंह सा0-बेलाटॉडत्र 6. मनोज सिंह पे0 अर्जुन सिंह सा0-बेलाटॉड सभी थाना-दुग्दा जिला-बोकारो के विरुद्ध वादिनी के साथ एकमत होकर छेड़खानी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	एस0पी0 ठाकुर, जे0एम0, प्रथम बेरमो तेनुघाट जी0आर0नं0- 109/18	ए0पी0पी0 राहुलदेव सोरेन, अनु0न्या0 दण्डा0, तेनुघाट, मो0नं0 9431520186	दुलाली कुमारी पे0 श्री जगन दास सा0- परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला- बोकारो।	1. पिन्दु सिंह पे0 स्व0 बब्लु सिंह सा0-पटना गैरेज 2. अनिल महतो पे0 खैटा महतो सा0-बेलाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो 3. राजेश सिंह पे0 शिव प्रसाद सा0-पटना गैरेज 4. जितेन्द्र महतो पे0 खदरू महतो सा0-बेलाटॉड 5. महेश सिंह पे0 स्व0 नन्द किशोर सिंह सा0-बेलाटॉड 6. मनोज सिंह पे0 अर्जुन सिंह सा0-बेलाटॉड सभी थाना-दुग्दा जिला-बोकारो।	1.स0अ0नि0 राम प्रकाश सिंह थाना-दुग्दा जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता) 2.वादीनी दुलाली कुमारी पे0 श्री जगन दास सा0-परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो। 3.साक्षी तोफा कुमारी उम्र 15 वर्ष पिता श्री जगन दास सा0-परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो। 4.साक्षी कालीदास उर्फ कालीपद दास उम्र 25 वर्ष पिता मिकु दास सा0- बोयरा काकी पश्चिम बंगाल थाना-सन्तानडीह जिला-पुरुलिया। 5.साक्षी जगन दास उम्र 42 वर्ष पे0 अहलाद दास सा0-परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो। 6.साक्षी उर्मिला देवी उम्र 38 वर्ष पति श्री जगन दास सा0-परसाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो।	अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 354 ए/354 बी0/354 डी/354/506/511/34 भा0द0वि0 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी अभियुक्त 1. पिन्दु सिंह पे0 स्व0 बब्लु सिंह सा0-पटना गैरेज 2. अनिल महतो पे0 खैटा महतो सा0-बेलाटॉड थाना-दुग्दा जिला-बोकारो 3. राजेश सिंह पे0 शिव प्रसाद सा0-पटना गैरेज 4. जितेन्द्र महतो पे0 खदरू महतो सा0-बेलाटॉड 5. महेश सिंह पे0 स्व0 नन्द किशोर सिंह सा0-बेलाटॉड 6. मनोज सिंह पे0 अर्जुन सिंह सा0-बेलाटॉड सभी थाना-दुग्दा जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है।	

49	<p>जरीडीह थाना काण्ड सं0 112/17 दिनांक 16.12.2017 धारा-302 भा0द0वि0</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी सोमरा मॉझी पे0 स्व0 चरकु मॉझी सा0- टॉडबालीडीह कुबरी धोबा थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के फर्दव्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त बुधेश्वर मुर्मु उर्फ बबलु मुर्मु पे0 स्व0 फुलेश्वर मॉझी सा0- टॉड बालीडीह टोला रोहिण टॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध वादी की पुत्री लीलमुनी देवी को कड़े हथियार से मारने एवं शरीर पर तरल पदार्थ डालकर जलाकर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>एस0पी0 ठाकुर, जे0एम0, प्रथम बेरमो तेनुघाट</p> <p>जी0आर0नं0- 1133 / 17</p>	<p>ए0पी0पी0 राहुलदेव सोरेन, अनु0न्या0 दण्डा0, तेनुघाट, मो0नं0 9431520186</p>	<p>सोमरा मॉझी पे0 स्व0 चरकु मॉझी सा0- टॉडबालीडीह कुबरी धोबा थाना- जरीडीह जिला- बोकारो।</p>	<p>बुधेश्वर मुर्मु उर्फ बबलु मुर्मु पे0 स्व0 फुलेश्वर मॉझी सा0- टॉड बालीडीह टोला रोहिण टॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 उमेश कुमार सिंह थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादी सोमरा मॉझी पे0 स्व0 चरकु मॉझी सा0- टॉडबालीडीह कुबरी धोबा थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p> <p>3.साक्षी हेमलाल मुर्मु उम्र 40 वर्ष पे0 स्व0 फुलेश्वर मॉझी सा0-टॉड बालीडीह टोला रोहण टॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p> <p>4.साक्षी विलासी देवी उम्र करीब 35 वर्ष पति हेमलाल मुर्मु सा0- टॉड बालीडीह टोला रोहण टॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p> <p>5.साक्षी परमेश्वर सोरेन उम्र करीब 32 वर्ष पे0 सहदेव मॉझीसा0- टॉडबालीडीह कुबरी धोबा थाना-जरीडीह जिला-बोकारो।</p> <p>6.जपती सूची के गवाह सोमरा मॉझी पिता स्व0 चरकु मॉझी एवं प्राण सोरेन पिता सोमरा मॉझी दोनों ग्राम- टॉड बालीडीह टोला कुबरी दोहा।</p>	<p>1.सफेद रंग का लगभग 2 मीटर लम्बा खुन लगा दो धोती बरामद किया गया है।</p> <p>2.बेडसीट का छिटदार टुकड़ा,</p> <p>3.ब्लू रंग का टी-शर्ट।</p>	<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त बुधेश्वर मुर्मु उर्फ बबलु मुर्मु पे0 स्व0 फुलेश्वर मॉझी सा0- टॉडबालीडीह टोला-रोहिणटॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 36/18 दिनांक 18.03.18 समर्पित किया गया है।</p>
50	<p>बेरमो थाना काण्ड सं0 168/16 दिनांक 23.11.2016 धारा-384/386 भा0द0वि0।</p> <p>घटना का संक्षिप्त विवरण:- यह काण्ड वादी धर्मन्द्र कुमार पे0 चेत नारायण सिंह सा0- रामनगर थाना-बेरमो जिला-बोकारो के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मोबाईल नं0- 8541836864 के धारक के विरुद्ध वादी से रंगदारी की माँग करते हुए धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>			<p>धर्मन्द्र कुमार पे0 चेत नारायण सिंह सा0- रामनगर थाना-बेरमो जिला- बोकारो।</p>	<p>मोबाईल नं0- 8541836864 के धारक।</p>	<p>1.स0अ0नि0 रामेश्वर वर्मा थाना-बेरमो जिला-बोकारो।(अनुसंधानकर्ता)</p> <p>2.वादी धर्मन्द्र कुमार पे0 चेत नारायण सिंह सा0-रामनगर थाना-बेरमो जिला-बोकारो।</p> <p>3.साक्षी नरेश महतो पे0 धनु महतो उम्र 48 वर्ष सा0-घुटियाटॉड थाना-बेरमो जिला-बोकारो।</p> <p>4.साक्षी विकास कुमार सिंह उम्र 22 वर्ष पे0 चेत नारायण सिंह साकिन-रामनगर थाना-बेरमो जिला-बोकारो।</p> <p>5.साक्षी धनन्जय रजक पे0 श्री रामवृक्ष रजक सा0-रामनगर थाना-बेरमो जिला-बोकारो।</p> <p>6.साक्षी सागर पाण्डेय उम्र 25 वर्ष पे0 एस0 एस0 पाण्डेय सा0-रामनगर</p>		<p>अनुसंधानोपरांत इस कांड में धारा 384/386 भा0द0वि0 के तहत अप्राथमिकी अभियुक्त अरुण कुमार राम पे0 पुन्ना राम सा0- डाकरा कोलियारी थाना-खलारी जिला-राँची के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश दिया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त बुधेश्वर मुर्मु उर्फ बबलु मुर्मु पे0 स्व0 फुलेश्वर मॉझी सा0- टॉडबालीडीह टोला-रोहिणटॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 36/18 दिनांक 18.03.18 समर्पित किया गया है।</p>

					थाना-बेरमो जिला-बोकारो		
--	--	--	--	--	------------------------	--	--

पत्रांक...../अभी0षा0,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, बोकारो।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
बोकारो।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

बोकारो, दिनांक-...../...../2018

प्रसंग:- भवदीय का कार्यालय झापांक-316/वि0अभि0 कोषांग, दिनांक-16.03.2018, तदनुसार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय झापांक- 207/एन0जी0ओ0, दिनांक-02.05.2018।

विषय:- त्वरित विचारण हेतु चयनित काण्डों की विवरणी भेजने के संबंध में।

———— : 000 : ————

म्हाषय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक संदर्भ में निर्देशानुसार निर्धारित लक्ष्य के आलोक में बोकारो जिला के 60 महत्वपूर्ण आपराधिक काण्डों जिनमें अभियुक्तों के विरुद्ध प्रर्याप्त एवं पुष्ट साक्ष्य है, की विवरणी यथा वांछित विहित प्रपत्र में भरकर सापट एवं हार्ड कॉपी के साथ अवलोकनार्थ भेजी जा रही है।

अनु0:-यथोपरि।

वि श वा स भा ज न,

पुलिस अधीक्षक,
बोकारो।

प्रति0:-

01. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को उनके कार्यालय झापांक-207/ एन0जी0ओ0, दिनांक-02.05.2018 के आलोक में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
02. पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोयला क्षेत्र, बोकारो को उनके कार्यालय झापांक-385/अप0शा0, दिनांक-23.03.2018 के आलोक में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक,
बोकारो।

चाईबासा जिला के त्वरित विचारण कराने योग्य 30 कांडों की विवरणी विहित प्रपत्र में निम्न प्रकार है:-

विहित प्रपत्र-(क)

क0 सं0	काण्ड सं0 तिथि एवं धारा जी0आर0नं0/एस0टी0नं0	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का सक्षिप्त विवरणी	अभि0 जेल फरार /बेल	न्यायालय का नाम	पी0पी0 का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/ अनुसंधानकर्ता/ चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो0 नंबर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	मंझगाँव था0का0सं0 05/18, दि0-24.01.18 धारा 25 (1-बी)ए/26 (i) आर्म्स एक्ट। जी0आर0-52/18	प्राथ0अभि0-कामेश्वर हेम्ब्रम, पे0 स्व0 कंकुरा हेम्ब्रम, सा0 गोडाबाध, थाना मंझगाँव जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	अवैध अग्नेयाश्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	जेल में	ACJM	श्री राजेश कु0 श्रीवास्तव मो0नं0-9431400611	वादी-स0अ0नि0 मनोज कुमोज कुमार मंझगाँव थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-स0अ0नि0 मनोज कुमोज कुमार मंझगाँव थाना, मो0नं0-9430314862 2. हव0-सत्यनाराण शर्मा, 3. पु0/849 गोडशन लागे, 4. पु0/1355 सुनराम मुर्मू, तीनो रिजर्व गार्ड मंझगाँव थाना 5. स0अ0नि0 सुरेश प्रसाद अनुसंधाकर्ता मंझगाँव थाना, मो0नं0-7321955648	1. धानेश्वर हेम्ब्रम, पे0 स्व0 बानो हेम्ब्रम, सा0 गोडाबाध, थाना मंझगाँव, 2. सुदर्शन हेम्ब्रम, पे0 मुरलीधर हेम्ब्रम, सा0 गोडाबाध, थाना मंझगाँव,	आरोप प0 सं0 08/18 दि0 22.03.18 धारा 25 (1-बी)ए/26 (i) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-कामेश्वर हेम्ब्रम के विरुद्ध समर्पित।
2	मुफफसिल था0का0सं0 119/17, दि0 17.11.17 धारा 376 (ii)(i)(N) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-34/17	प्राथ0अभि0-सालु का पुर्ति, पे0 स्व0 अर्जुन पुर्ति, सा0 वाईहातु थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी की बेटे शीवानी पुर्ति एवं उनकी सहेली के साथ बलात्कार करना	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी-नीति पुर्ति, पति देवन पुर्ति, सा0 वाईहातु थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 करिश्मा पिगुवा, मो0नं0-7407664772 2. डॉ0 बी0.के. पण्डित, मो0नं0-9835158530 3. डॉ0 मीना कलुण्डिया, मो0नं0-9431748089 तीनो सदर अस्पताल चाईबासा, 4. पु0अ0नि0 दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी एवं मो0नं0-9304830789, 9431706463 अनुसंधानकर्ता थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-नीति पुर्ति, पति देवन पुर्ति, 2. माटा पुर्ति, पे0 ब्रीज मोहन पुर्ति,, 3. विजय बोदरा, पे0 स्व0 उदय बोदरा, 4. शिवानी पुर्ति, पे0 देवन पुर्ति, 5. झींगी पुर्ति, पे0 माटा पुर्ति,, 6. विमला बोदरा, पे0 जानुम सिंह बोदरा, 7. नानसी बोदरा, पे0 विजय बोदरा, 8. हरिशचन्द्र पुर्ति, पे0 स्व0 ब्रीजमोहन पुर्ति सभी सा0 वाईहातु थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 12/18, दि0 31.01.18 धारा 376 (ii)(i)(N) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-सालुका पुर्ति के विरुद्ध समर्पित।
3	मुफफसिल था0का0सं0 78/17, दि0 16.08.17 धारा 376 (ii)(F)(i)(N) भा0द0वि0	प्राथ0अभि0-सीसीर डैनि बारला, पे0 स्व0 विमल बारला, सा0 कल्याणपुर थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम,	वादिनी की बेटे के साथ बलात्कार करना	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41,	वादिनी-श्वेता लीना बारला, पे0 सीसीर डैनि बारला, सा0 कल्याणपुर थाना मुफफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 मीना कलुण्डिया मो0नं0-9431748089 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी एवं मो0नं0-9304830789, 9431706463 अनुसंधानकर्ता	1. वादिनी-श्वेता लीना बारला, पे0 सीसीर डैनि बारला, 2. फुलमनि बारला पति स्व0 विमल बारला, दोनो सा0 कल्याणपुर गुटूसाई थाना मुफफसिल 3. नोनित दिपा बोदरा, पे0 समएल बोदरा, 4. प्रियंका बोदरा, पे0 समुएल बोदरा दोनो	आरोप पत्र सं0 100/17, दि0 30.09.17 धारा 376 (ii)(F)(i)(N) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- सीसीर डैनि बारला के विरुद्ध समर्पित।

	एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-22 /17	चाईबासा।				8834570641		थाना मुफ्फसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	सा0 हाउस नं0-773 न्यू0 सीतेरामडेरा थाना सीतारामडेरा जिला जमशेदपुर, 5. कृष्णा दयाल गोस्वामी, पे0 रामजी गोस्वामी, सा0 बागबेड़ा कॉलोनी रोड़ नं0-04 क्वाटर नं0-07/01/01 दुर्गा पूजा मंदिर थाना बागबेड़ा जिला जमशेदपुर,	
4	नोवामुण्डी था0का0सं0 39/17, दि0 25.12.17 धारा 376(ii)(i) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-37 /17	प्राथ0अभि0-मुरली गोप, पे0 श्री रौती गोप, सा0 कादा जामदा टोला मुण्डा साई थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	बहला-फु सला कर अपने साथ बड़बिल घुमाने के बहाने ले जा कर जबरदस्ती बलात्कार करना।	जेल में।	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी-बुधनी पुति, पे0 स्व0 सोनाराम पुति, सा0 कादा जामदा टोला मुण्डा साई थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 करिश्मा पिंगुवा, मो0नं0-7407664772 2. डॉ0 बी0.के. पण्डित, मो0नं0-9835158530 3. डॉ0 चन्द्रावंशी बोयपाई, मो0नं0-9431300530 तीनो सदर अस्पताल चाईबासा। 4. पु0अ0नि0 बुजलाल राम अनुसंधानकर्ता थाना प्रभारी नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा, मो0नं0-916298687, 9431706473	1. वादिनी-बुधनी पुति, पे0 स्व0 सोनाराम पुति, 2. लक्ष्मी पुति, पे0 स्व0 सोना राम पुति, 3. महेन्द्र पुति, पे0 बिंदरे पुति, 4. नीता गोप, पे0 सोना गोप, 5. शत्रुघन गोप, पे0 रौती गोप, 6. लखन गोप, पे0 स्व0 नामो गोप, सभी सा0 कादा जामदा टोला मुण्डा साई थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 43/17, दि0 31.12.17 धारा 376(ii)(i) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-मुरली गोप के विरुद्ध समर्पित।
5	मनोहरपुर था0का0सं0 12/17, दि0 15.03.17 धारा 376 (डी) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-07 /17	प्राथ0अभि0-1. आशीष करकेट्टा उर्फ आशीष तिग्गा, पे0 स्व0 बुधराम तिग्गा, 2. विवेक करकेट्टा उर्फ सुकरा तिग्गा, पे0 स्व0 सोमा तिग्गा, 3. बाँबीदेवल करकेट्टा उर्फ सनी भुईं, पे0 सुरेश भुईं, 4. राजू करकेट्टा उर्फ राहुल तिग्गा, पे0 जितेन्द्र तिग्गा सभी सा0 तिरला थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	बारी-बार ी से सामुहिक बलात्कार करना।	चारो अभि0 जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी बरसा महतो, पे0 परसुराम महतो, सा0 तरतारा थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 रोजी टोप्यो सदर मो0नं0-9431361602 अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 रवि प्रकाश शर्मा अनुसंधानकर्ता मनोहरपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा, मो0नं0-9431322146	1. वादिनी बरसा महतो, पे0 परसुराम महतो, 2. भामा देवी, पति परसुराम महतो, 3. राम प्रसाद गोप, पे0 चईतु गोप, 4. परसुराम महतो, पे0 स्व0 शिवचरण महतो, सभी सा0 तरतारा थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 26/17, दि0 31.05.17 धारा 376 (डी) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-1. आशीष करकेट्टा उर्फ सुकरा तिग्गा, 2. विवेक करकेट्टा उर्फ सनी भुईं, 3. बाँबीदेवल करकेट्टा उर्फ सनी भुईं, 4. राजू करकेट्टा उर्फ राहुल तिग्गा, के विरुद्ध समर्पित।

6	मनोहरपुर था0का0सं0 45/17, दि0 05.11.17 धारा 366 भा0द0वि0। जी0आर0-346 /17	प्राथ0अभि0-अनि ल सोरेंग, पे0 स्व0 ईमिल सारेग, सा0 गोयराबेड़ा थाना आनन्दपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	लड़की को शादी के नियत से बहला-फु सला कर अपहरण करना	जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादी-सुरेश सुरीन, पे0 स्व0 जुनास सुरीन, सा0 रेंगालबेड़ा थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 मीरा कुमारी अरुण, मो0नं0-9431748090 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 रवि प्रकाश शर्मा अनुसंधानकर्ता मनोहरपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा, मो0नं0-9431322146	1. वादी-सुरेश सुरीन, पे0 स्व0 जुनास सुरीन, 2. हालियाणी सुरीन, पति सुरेश सुरीन, 3. नीजाम सुरीन पे0 सुरेश सुरीन तीनों सा0 रेंगालबेड़ा थाना मनोहरपुर, 4. सुनील कुमार लुगुन, पे0 सरन लुगुन, 5. अजीत लुगुन, पे0 उल्गुलान लुगुन दोनो सा0 कुर्थाबेड़ा, थाना आनन्दपुर., सभी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 57/17, दि0 30.11. 17 धारा 366 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- अनिल सोरेंग के विरुद्ध समर्पित।
7	मनोहरपुर था0का0सं0 37/17, दि0 10.09.17 धारा 376(डी)/34 भा0द0वि0। जी0आर0-283 /17	प्राथ0अभि0-1. गौतम महतो, पे0 घासी राम महतो, 2. लक्ष्मी नारायण महतो, पे0 रामदीप महतो, दोनो सा0 ईचापीड़ थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के साथ बलात्कार करना	दोनो अभि0 जेल में।	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी-तापोसी महतो, पति दीलिप महतो, सा0 ईचापीड़ थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 चन्द्रावती बोयपाई, मो0नं0-9431300530 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 सुनील कुमार, मो0नं0-9570625889 3. स0अ0नि0 विष्णुदेव सिंह दोनो अनुसंधानकर्ता मो0नं0-9608179608 मनोहरपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-तापोसी महतो, पति दीलिप महतो, 2. दीलिप महतो, पे0 कालीचरण महतो, 3. संजना महतो, पे0 दिलीप महतो, 4. मनटू महतो, पे0 पोरेस महतो, 5. नरेश महतो, पे0 भोजुवा महतो 6. बुधराम खलको, पे0 नक्षत्र खलको सभी सा0 ईचापीड़ थाना मनोहरपुर 7. हरिपद महतो, पे0 स्व0 मधुसुदन महतो, 8. अनुराधा महतो पति संदीप कुमार महतो, दोनो सा0 दोंगाकाटा थाना मनोहरपुर 9. संदीप महतो, पे0 विमल महतो, सा0 बरंगा थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 59/17, दि0 30.11. 17 धारा 376(डी)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- 1. गौतम महतो, 2. लक्ष्मी नारायण महतो के विरुद्ध समर्पित।
8	मनोहरपुर था0का0सं0 34/17, दि0 04.09.17 धारा 376(1) भा0द0वि0। जी0आर0-274 /17	प्राथ0अभि0-हरिम होहन महतो, पे0 कलेश्वर महतो, सा0 सिमीरता थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के साथ बलात्कार करना	जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी-साविता महतो, पे0 विसरात महतो, सा0 कोलपोटका थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 चन्द्रावती बोयपाई, मो0नं0-9431300530 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 सुगांत मुर्मू अनुसंधानकर्ता मनोहरपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-99345251140	1. वादिनी-साविता महतो, पे0 विसरात महतो, 2. विसरात महतो, पे0 डोमन महतो, 3. मुनी महतो, पति विसरात महतो, 4. राजेन्द्र महतो, पे0 स्व0 डोमन महतो, 5.मालती महतो, पति राजेन्द्र महतो, सभी सा0 कोलपोटका थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 54/17, दि0 01.11. 17 धारा 376(1) भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- हरिमोहन महतो, के विरुद्ध समर्पित।
9	मनोहरपुर था0का0सं0 01/17, दि0 01.01.17 धारा 376(1)/417 भा0द0वि0। एस0टी0-63/ 17	प्राथ0अभि0-सना तन कुम्हार, पे0 स्व0 कानू कुम्हार, सा0 ढीपा, थाना मनोहरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी को शादी का प्रलोभन देकर शारिरीक संबंध बानाना एवं शादी	जेल में	PDJ-I	श्री राजेश कु0 श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611	वादिनी-परमिला कुमारी, पे0 स्व0 वैरागी कुम्हार, सा0 सनाईकुटी थाना टोकलो जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 चन्द्रावती बोयपाई, मो0नं0-9431300530 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 साहेब राम किस्को अनुसंधानकर्ता मनोहरपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9931093278	1. वादिनी-परमिला कुमारी, पे0 स्व0 वैरागी कुम्हार 2. सवित्री देवी, पे0 गंगा कुम्हार, 3.दीलिप कुम्हार, पे0 मुनिया कुम्हार, 4. सुकरा कुम्हार, पे0 द्वारिका कुम्हार, सा0 सनाईकुटी थाना टोकलो 5. बसंती, पति राम कुम्हार, 6. रामा कुम्हार, पे0 पादेलारो कुम्हार दोनो सा0 ढीपा, थाना मनोहरपुर जिला प0	आरोप पत्र सं0 08/17, दि0 28.02. 17 धारा 376(ii)(F)(N)/417 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- सनातन कुम्हार, के विरुद्ध समर्पित।

			करने से इंकार करना।						सिंहभूम, चाईबासा।	
10	नोवामुण्डी था0का0सं0 12/17, दि0 15.03.17 धारा 366(ए) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-08/17	प्राथ0अभि0-राहु ल बोबोंगा, पे0 रेन्सों बोबोंगा, सा0 रेगॉलबेड़ा थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	पीडिता को बहला-फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर अन्यत्र लेजाकर योण शोषण करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादिनी-गुरो देवी, पति दामु गोप, सा0 लोकेसाई, थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 रोजी टोप्पो मो0नं0-9431361602 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स0अ0नि0 आशोक कुमार गुप्ता अनुसंधानकर्ता नोवामुण्डी थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-7857941122	1. वादिनी-गुरो देवी, पति दामु गोप, 2. दामु गोप, पे0 स्व0 बुधदेव गोप, 3. सोमवारी गोप, पति स्व0 गुरुचरण गोप, 4. आरती कुमारी, पे0 दामु गोप, चारो सा0 लोकेसाई, थाना नोवामुण्डी 5. गोपीनाथ गोप, पे0 स्व0 रामो गोप, सा0 टोन्टो पोसी थाना नोवामुण्डी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 15/17, दि0 31.03.17 धारा 366(ए) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- राहुल बोबोंगा, के विरुद्ध समर्पित।
11	मुफसिल था0का0सं0 97/17, दि0 27.09.17 धारा 302 भा0द0वि0। जी0आर0-97/17	प्राथ0अभि0-माटा बोदरा, पे0 स्व0 काण्डे बोदरा, सा0 जोगीदारु थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादी की पत्नी नितिवा बोदरा के सर पर डण्डा से मारकर हत्या करने के आरोप में		ACJM	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. -94315389 41, 8834570641	वादी-मंगल सिंह बोदरा, पे0 स्व0 काण्डे बोदरा, सा0 जोगीदारु थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 बी0 के0 सिंह, सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 बच्चन राम, अनुसंधानकर्ता मुफसिल थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा	1. वादी-मंगल सिंह बोदरा, पे0 स्व0 काण्डे बोदरा, 2. ब्रजमोहन पुर्ति, पे0 स्व0 लाल सिंह पुर्ति, दोनो सा0 जोगीदारु 3. मोती लाल सुण्डी, पे0 स्व0 बृजमोहन सुण्डी, सा0 बड़ा लागिया, 4. रासकन बोदरा, पे0 स्व0 काण्डे बोदरा, सा0 जोगीदारु, 5. बुधराम बोदरा, पे0 मोटाय बोदरा, सा0 जोगीदारु, 6. अर्जुन पुर्ति, पे0 कृष्णा पुर्ति, सा0 जोगीदारु, 7. प्रेमसिंह गोप, पे0 स्व0 सिंकदर गोप, सा0 योगीदारु, 8. दशनो बोदरा, पे0 नारा बोदरा, सा0 जोगीदारु, सभी थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 139/17, दि0 25.12.17 धारा 302 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- माटा बोदरा के विरुद्ध समर्पित।
12	झींकपानी था0का0सं0 06/16, दि0 19.02.16 धारा 376 (ii)(n) भा0द0वि0। एसटी0-183/16	प्राथ0अभि0-छोटा बारी, पे0 मांगता बारी, सा0 मौदा टोला तिरिलकुटी थाना टोन्टो जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के साथ शादी का प्रलोभन देकरयोण शोषण करना।	जेल में।	PDJ	अरुण कुमार मो0नं. -92644540 16	वादिनी-मेचो मुन्दुईया, पे0 स्व0 रान्दो मुन्दुईया, सा0 टोला कसिया थाना झींकपानी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 दिव्या निमी मो0नं0-9973863564 चिकित्सा पदा0 सामु0 स्वा0 केन्द्र झींकपानी 2. स0अ0नि0 सुनिल कुमार सिंह, अनुसंधानकर्ता झींकपानी थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9430343897, 7870409096	1. वादिनी-मेचो मुन्दुईया, पे0 स्व0 रान्दो मुन्दुईया, 2. डागुर सिंह मुन्दुईया पे0 रोतो मुन्दुईया, 3. सोमनाथ मुन्दुईया, पे0 रान्दो मुन्दुईया 4. सुखमति मुन्दुईया सभी सा0 टूटूगुटू टोला कसिया थाना झींकपानी	आरोप पत्र सं0 26/16, दि0 30.07.16 धारा 376 (ए) भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0- छोटा बारी, के विरुद्ध समर्पित।

13	हाटगम्हरिया था0का0सं0 07/17 दि0 28.02.17 धारा 392 भा0द0वि0। जी0आर0-115 /17	प्राथ0अभि0-1. नितेश पाण्डेय, उर्फ छोटू, पे0 बासुकीनाथ पाण्डेय, सा0 आदयारी पट्टी उदवंत नगर थाना उदवंत नगर जिला भोजपुर विहार वर्तमान पता हीरापुर माडा कॉलोनी थाना धनबाद जिला धनबाद, 2. कन्हैया सिंह उर्फ कन्हैया गुप्ता, पे0 ललन सिंह सा0 सी0पी0 क्लब सोनारी थाना सोनारी, 3. उदय सिंह उर्फ प्रशांत सिंह दोनो सा0 सोनारी टोला ग्वाला पट्टी थाना सोनारी जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	चाकू का भय दिखा कर रूप्या एवं सामान को लूट लेना	तीनो अभि0 जेल में।	SDJM(S)	श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611	वादी-नारायण सोलकी, पे0 किस्टो सोलांकी सा0 कुमिरता थाना कुमारडुन्नी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. स0अ0नि0 रामानुज प्रसाद सिंह अनुसंधानकर्ता हाटगम्हरिया थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-8539958621	1. वादी-नारायण सोलांकी, पे0 किस्टो सोलांकी 2. दया मति सोलांकी, पति नारायण सोलांकी, 3. सुनील सोलांकी, पे0 नारायण सोलांकी, 4. पूजा सोलांकी, पे0 नारायण सोलांकी सभी सा0 कुमिरता थाना कुमारडुन्नी 5. कुमर सिंह हेस्सा, पे0 प्रशांत हेस्सा, दयापोसी थाना हाटगम्हरिया, 6. जुरिया गगराई, पे0 लाल मोहन गगराई, 7. गुरा गगराई, पे0 स्व0 मोरन गगराई 8. जगन्नाथ गगराई, पे0 स्व0 मोरन गगराई, 9. जेना गगराई, पे0 स्व0 मधुसुदन गगराई, सभी सा0 पीबालजोरी थाना हाटगम्हरिया, जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 20/17, दि0 24.06. 17 धारा 392 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-1. नितेश पाण्डेय, उर्फ छोटू के विरुद्ध समर्पित। पूरक आरोप पत्र सं0 40/18, दि0 26.01.18 धारा 392 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-2. कन्हैया सिंह उर्फ कन्हैया गुप्ता, 3. उदय सिंह उर्फ प्रशांत के विरुद्ध समर्पित।
14	मंझारी (तांतनगर) था0का0सं0 22/17, दि0 15.06.17 धारा 302 भा0द0वि0। एस0टी0-179 /17	प्राथ0अभि0-मानि संह बिरुली, पे0 स्व0 डोबरो बिरुली, सा0 गितिलादर थाना मंझारी (तांतनगर) जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के पति को सब्जी काटने वाला बैठी औजार से सिर पर मार कर हत्या करना	जेल में	ADJ-II	श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611	वादिनी-पार्वती सामड, पति स्व0 सावन सामड, सा0 कोकचो टोला बारूसाई थाना मंझारी (तांतनगर) जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 माथुरा महतो, मो0नं0-9431192112 चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 बिन्देश्वर प्रसाद अनुसंधानकर्ता मंझारी (तांतनगर) थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-7541998953	1. वादिनी-पार्वती सामड, पति स्व0 सावन सामड, 2. अमर सिंह बिरुवा, पे0 स्व0 मानसिंह बिरुवा, 3. रानी सामड, पे0 जेयराम सामड, सभी सा0 कोकचो टोला बारूसाई थाना मंझारी (तांतनगर) 4. विक्रम बानरा, पे0 स्व0 जुमबल बानरा, 5. सुमि कुई, पति बिक्रम बानरा, 6. सिंगराई बानरा, पे0 बिक्रम बानरा 7. शंकर मुण्डारी, पे0 दुबला मुण्डारी, 8. दुबला मुण्डारी, पे0 शंकर मुण्डारी सभी सा0 गितिलादर टोला सिरमासाई, थाना थाना मंझारी (तांतनगर) जिला प0	आरोप पत्र सं0 24/17, दि0 10.07. 17 धारा 392 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथ0अभि0-1. मानसिंह बिरुली, के विरुद्ध समर्पित।

									सिंहभूम, चाईबासा।	
15	मुफसिल थाकाकासं० 116/17, दि० 15.11.17 धारा 376 (2)(F) /376 (2)(i) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी०आर०-33 /17	प्राथ०अभि०-1. कैरा पुर्ति, पे० उदय पुर्ति, 2. गोविन्द पुर्ति, पे० काण्डे पुर्ति, 3. गोबर सिंह बोदरा उर्फ गबर, पे० बृजमोहन बोदरा, तीनो सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	वादी के लड़की सुषमा पुर्ति के साथ बलात्कार करना।	तीनो जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो०नं. 9431538941 , 8834570641	वादी-बिरेन्द्र पुर्ति, पे० स्व० मनाय पुर्ति, सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ० करिश्मा पिंगुवा पिंगुवा, मो०नं०-7407664772 2. सी० बोयपाई, मो०नं०-9431300530 3. डॉ० बी०के० पण्डित, मो०नं०-9835158530 3. डॉ० मीरा कुमारी अरुण, मो०नं०-9431748090 चारों सदर अस्पताल चाईबासा। 4. पु०अ०नि० दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी एवं मो०नं०-9304830789, 9431706463 अनुसंधानकर्ता थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-बिरेन्द्र पुर्ति, पे० स्व० मनाय पुर्ति, 2. सुष्मा पुर्ति, पे० विरेन्द्र पुर्ति, 3. सांगा पुर्ति, पे० गोविन्द पुर्ति, 4. सातीश पुर्ति, पे० विरेन्द्र पुर्ति, 5. माधे पुर्ति, पति विरेन्द्र पुर्ति, 6. मंजू पुर्ति, पति बालकृष्ण पुर्ति सभी सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं० 11/18, दि० 31.01.18 धारा 376 (2)(F) /376 (2)(i) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ०अभि०-1. कैरा पुर्ति, 2. गोविन्द पुर्ति, 3. गोबर सिंह बोदरा उर्फ गबर, के विरुद्ध समर्पित।
16	मुफसिल थाकाकासं० 120/15, दि० 12.09.15 धारा 376 (2)(i) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी०आर०-43 /15	प्राथ०अभि०-दुल्लू देवगम उर्फ मनोज देवगम, पे० सिदिउ देवगम, सा० टुईवीर थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	वादी के लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो०नं. 9431538941 , 8834570641	वादिनी-मालीन देवगम, पति स्व० बिरसा देवगम सा० टुईवीर थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. वाई० पी० सिंह, मो०नं०-सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु०अ०नि० दिग्विजय सिंह थाना प्रभारी एवं मो०नं०-9304830789, 9431706463 अनुसंधानकर्ता थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-मालीन देवगम, पति स्व० बिरसा देवगम, 2. लौरस देवगम, पे० स्व० तिवारी देवगम, 3. विजय सिंह देवगम, पे० स्व० लालित देवगम, 4. गोबेन्द सवैया, पे० दुल्लू सवैया, 5. लक्ष्मी सवैया, पे० विनोद सवैया, 6. पियारी देवगम, पे० स्व० बिरसा देवगम, 7. राउकन देवगम, पे० स्व० तिवारी देवगम, 8. मथ्यू देवगम, पे० सिदउ देवगम, सभी सा० टुईवीर थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा। 9. पियारी देवगम, पति गाला प्रधान सवैया, खुंटा थाना पाण्डाशाली जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं० 135/15, दि० 30.11.15 376 (2)(i) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ०अभि०- दुल्लू देवगम उर्फ मनोज देवगम के विरुद्ध समर्पित।
17	नोवामुण्डी थाकाकासं० 42/15, दि० 08.09.15 धारा 342/376(i) /511 भा०द०वि० एवं 3 (सी)/14	प्राथ०अभि०-कैरा पुर्ति उर्फ कोन्दा पुर्ति, पे० मधुसुदन पुर्ति, सा० पुर्तिदिधिया, थाना नोवामुण्डी जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के बेटे के साथ बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो०नं. 9431538941 , 8834570641	वादिनी-मुचकुनी लोमाय, पति चन्द्राय लामाय, सा० पुर्तिदिधिया, थाना नोवामुण्डी जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ० बी०के० पण्डित, मो०नं०-9835158530 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. स०अ०नि० अरुण कुमार पटेल अनुसंधानकर्ता थाना नोवामुण्डी जिला प० सिंहभूम, चाईबासा मो०नं०-9801986595	1. वादिनी-मुचकुनी लोमाय, पति चन्द्राय लामाय, 2. सारदा लामाय, पे० मरन सिंह लामाय, 3. कृवर सिंह लामाय, पे० रामेस लामाय, 4. विरेन्द्र लामाय, पे० गणेश लामाय, 5. मान सिंह लामाय, पे० रामेश लामाय सभी सा० पुर्तिदिधिया, थाना नोवामुण्डी जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं० 54/15, दि० 30.11.15 धारा 342/376(i) /511 भा०द०वि० एवं 3 (सी)/14 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत प्राथ०अभि०- कैरा पुर्ति उर्फ कोन्दा के विरुद्ध समर्पित।

	पोक्सो एक्ट। जी0आर0-41 /15									
18	चक्रधरपुर था0का0सं0 88/16, दि0 30.08.16 धारा 376 (डी) भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-32 /16	प्राथ0अभि0-1. सूरज बोदरा उर्फ मांझी बोदरा, पे0 साधु बोदरा, सा0 डावकोचा, थाना मुफसिल, 2. राउत बारला उर्फ राहुल बारला, पे0 सुर सिंह बारला, सा0 चिरुबेड़ थाना चक्रधरपुर, दोनो जिला चाईबासा 3. एमपल बोदरा, पे0 सिंह बोदरा, सा0 गुटूहातु टोला गोनो साई थाना मुफसिल, 4. राजेन्द्र महतो, पे0 सुरेन्द्र महतो दुपहरी, थाना टोकलो दोनो जिला चाईबासा।	वादिनी एवं उनकी सहेली रोसनी कुई के साथ सामुहिक बलात्कार करना।	सभी अभि0 जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941 , 8834570641	वादिनी-मादे गगराई उर्फ सपना गगराई, पे0 सिलाई गगराई, सा0 घाघरा घाट थाना चक्रधरपुर, जिला चाईबासा	1. पु0नि0 गोपीनाथ तिवारी मो0नं0-9431706465 थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-मादे गगराई उर्फ सपना गगराई, पे0 सिलाई गगराई, 2. रोसनी कुई, पे0 सोनाराम गगराई, 3. सुरू गगराई पति सिलाई गगराई, 4. मसूरी गगराई, पति सोनाराम गगराई, सभी सा0 घाघरा घाट थाना चक्रधरपुर, 5. लक्की साव, पे0 आदित्य साव, पुरानी बस्ती थाना चक्रधरपुर, 6. जितेन्द्र कुमार दास, पे0 प्रकाश मिस्त्री, सा0 रिटायर कॉलोनी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 116/16 दि0 27. 10.16 धारा 376 (डी) भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- 1. सूरज बोदरा उर्फ मांझी बोदरा, 2. राउत बारला उर्फ राहुल बारला, 3. एमपल बोदरा, 4. राजेन्द्र महतो, के विरुद्ध समर्पित।
19	बंदगाँव था0का0सं0 10/16, दि0 06.02.16 धारा 376 (1) भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-03 /16	प्राथ0अभि0-बबलू उर्फ बैद्यनाथ दोराई, पे0 मोहन दोराई उर्फ मोटाई दोराई, सा0 लाण्डुपादा थाना कराईकेला जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादिनी के साथ बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941 , 8834570641	वादिनी-विश्वासी दोराई, पे0 लखन दोराई सा0 लाण्डुपादा थाना कराईकेला जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. पु0/1453-कन्हैया पासवान, 2. पु0/1579 विश्जीत महापातरा, 3. पु0/184 दिपक भगत, 4. पु0/1338 विमल कुमार हेम्ब्रम सभी थाना कराईकेला थाना रिर्जव गार्ड, 5. डॉ0 रोजी टोप्पो, मो0नं0-9431361602 सदर अस्पताल चाईबासा। 6. स0अ0नि0 जीवन आईन्द मो0नं0-9955710564 अनुसंधानकर्ता थाना कराईकेला जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-विश्वासी दोराई, पे0 लखन दोराई, सा0 लाण्डुपादा थाना कराईकेला जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 02/16, दि0 31.03. 16 धारा 376 (1) भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- बबलू उर्फ बैद्यनाथ दोराई के विरुद्ध समर्पित।

20	मुफसिल था0का0सं0 17/14, दि0 01.02.14 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-04/14	प्राथ0अभि0-बोंज तियू, पे0 गोजन तियू, सा0 सिन्दरी थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	पीडिता लाण्डु तियू के घर में घुसकर जबरदस्ती बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941, 8834570641	वादिनी-मेंजरी तियू, पे0 स्व0 मंगल सिंह, सा0 सिन्दरी थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 परबीन मिंज, मो0नं0-9661803768 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 चन्द्रादेव राम, अनुसंधानकर्ता थाना मुफसिल, 3. श्रीपत राम अनुसंधानकर्ता थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी-मेंजरी तियू, पे0 स्व0 मंगल सिंह, सा0 सिन्दरी 2. लाण्डु तियू, पे0 स्व0 मंगल सिंह तियू, 3. सिद्धेश्वर दुबराज तियू, पे0 परसीमुल दुबराज तियू, 4. निशा तियू, पति विजय सिंह तियू उर्फ जेमा तियू, 5. रिश्री मुनी तियू, पति श्रीराम तियू सभी सा0 सिन्दरी थाना मुफसिल जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 22/14, दि0 23.04.14 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- बोंज तियू के विरुद्ध समर्पित।
21	मंझारी (तातनगर) था0का0सं0 31/14, दि0 22.08.14 धारा 376/354 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-27/14	प्राथ0अभि0-डोबर े कलुण्डिया, पे0 स्व0 कैरा कलुण्डिया, सा0 कुला बुरु, थाना मंझारी (तातनगर) जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	वादी की बेटी प्रतीमा देवगम के साथ बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941, 8834570641	वादी-लाको देवगम, पे0 स्व0 श्रीराम देवगम, सा0 कुला बुरु, थाना मंझारी (तातनगर) जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 रोजएमालीन टोप्पो, मो0नं0-9431361602 2. सारिता लकडा, मो0नं0-9431352878 सदर अस्पताल चाईबासा। 3. स0अ0नि0 संतोष कुमार झा, अनुसंधानकर्ता थाना तातनगर ओ0पी0 जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-लाको देवगम, पे0 स्व0 श्रीराम देवगम 2. सुजनी देवगम, पे0 लाको देवगम, दोनो सा0 कुला बुरु, थाना मंझारी (तातनगर) 3. जय श्री कलुण्डिया, पति नारायण उर्फ सिरका कलुण्डिया, 4. नारायण उर्फ सिरका कलुण्डिया, पे0 तियू कलुण्डिया दोनो सा0 बड़ा सीनी थाना मंझारी (तातनगर), 5. सुनीता कलुण्डिया, पे0 सैलेन्द्र कलुण्डिया, 6. सैलेन्द्र कलुण्डिया, पे0 दुखी कलुण्डिया, 7. डालटेन कलुण्डिया, पे0 स्व0 मानकी कलुण्डिया, 8. बुधराम कलुण्डिया, पे0 स्व0 दुर्गा कलुण्डिया, 9. प्रतीमा देवगम, पे0 लाको देवगम सभी सा0 कुला बुरु, थाना मंझारी (तातनगर) 10. स्मृती कलुण्डिया पे0 सिरका कलुण्डिया, सा0 बड़ा सीनी थाना मंझारी (तातनगर), सभी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 27/14, दि0 31.08.14 धारा 376/354 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- डोबरो कलुण्डिया, के विरुद्ध समर्पित।
22	चक्रधरपुर था0का0सं0 88/14, दि0 28.08.14 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-30	प्राथ0अभि0-छोटू दास, पे0 स्व0 अनिल दास, सा0 पंचमोर बालाजी मंदिर रोडबतरन लेख के सामने, थाना चक्रधरपुर जिला प0	वादिनी की बेटी के साथ बलात्कार करना।	जेल में	ADJ-I	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941, 8834570641	वादिनी-पूजा दास, पे0 छोटू दास सा0 पंचमोर बालाजी मंदिर रोडबतरन लेख के सामने, थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 बी0के मुण्डारी, मो0नं0-9431545963 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 पूनम कुजूर अनुसंधानकर्ता थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-7762064755	1. वादिनी-पूजा दास, पे0 छोटू दास, 2. सोमनाथ रजक, पे0 अमृत दास रजक, सा0 ड्राईवर कॉलोनी डी0एस0टी बंगला के पास 3. चैतन गोप, पे0 सिजुज गोप, सा0 मेसो ऑफिस के नजदीक, 4. सुनील सुण्डी, पे0 गिरि सुण्डी सा0 मेसो ऑफिस के नजदीक, सभी थाना चक्रधरपुर	आरोप पत्र सं0 99/14, दि0 30.09.14 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- छोटू दास के विरुद्ध समर्पित।

	/ 14	सिंहभूम, चाईबासा।							जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	
23	जगन्नाथपुर था0का0सं0 07/18, दि0 02.02.18 धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)/26/ 35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-77 /18	प्राथ0अभि0-1. गजानन्द नायक उर्फ अविनाश नायक, पे0 घसिया नायक, सा0 पटाजैत थाना जगन्नाथपुर, जिला चाईबासा, 2. संजय पात्रो उर्फ संजू, पे0 लक्ष्मीधर पात्रो, सा0+थाना कोयड़ा जिला सुन्दरगढ़ 3. नरसिंह मुण्डा, पे0 बुधराम मुण्डा, सा0 साई मंदिर बुचूहांटिंग थाना बनाईकेला जिला क्योंझर, 4. सौरभ महाकुण्डा उर्फ बोद्धो पे0 जगन्नाथ महाकुण्ड, सा0 जोड़ासाई मंदिर बुचूहांटिंग थाना बनाई केला जिला क्योंझर (उडिसा)	अपराधिक घटना की योजना बनाते हुए दो मोटर साईकिल एवं अवैध हथियार के साथ पकड़ा जाना।	चारो अभि0 जेल में।	SDJM(S)	श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611	वादी-पु0अ0नि0 अवधेश कुमार ठाकुर, पे0 श्री रामेश्वर ठाकुर, सा0 लोहरदगा रोड़ गुमला थाना+जिला गुमला वर्तमान जगन्नाथपुर थाना प्रभारी जिला चाईबासा।	1. वादी-पु0अ0नि0 अवधेश कुमार ठाकुर, पे0 श्री रामेश्वर ठाकुर सा0 लोहरदगा रोड़ गुमला थाना+जिला गुमला वर्तमान जगन्नाथपुर थाना प्रभारी जिला चाईबासा, मो0नं0-7979083091 2. हव0/ युगेश्वर प्रसाद मेहता, 3. स0अ0नि0 विश्वानाथ कुमार महतो, मो0नं0-9431774200 4. स0अ0नि0 औरंगजेब खान, मो0नं0-9430184992 5. स0अ0नि0 अनिल केरकट्टा, 6. पु0/1390 लखन हांसदा, 7. पु0/1003 संजय उराँव, 8. पु0/1020 मगध सोरेन सभी जगन्नाथपुर थाना रिजर्व गार्ड 9. गृह रक्षक चालक/13159 प्रकाश बोदरा जगन्नाथपुर थाना जिला चाईबासा। 10. परिचारी प्रवर राजीव कुमार जमशेदपुर जिला 12. स0अ0नि0 नगेन्द्र राम अनुसंधानकर्ता थाना जगन्नाथपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9835567559	जप्ती सूची का गवाह-1. जगन्नाथ साव, पे0 राधा साव, 2. आदित्य गुप्ता, पे0 नन्द लाल साव, दोनो सा0+थाना जगन्नाथपुर,	आरोप पत्र सं0 19/18, थ्छ0 31. 03.18 धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0-1. गजानन्द नायक उर्फ अविनाश नायक,, 2. संजय पात्रो उर्फ संजू, 3. नरसिंह मुण्डा, 4. सौरभ महाकुण्डा उर्फ बोद्धो के विरुद्ध समर्पित।
24	मुफसिल (पाण्ड्राशाली) था0का0सं0 08/18, दि0 14.01.18 धारा 25 (1-बी)ए (1-ए)/26 (i)(ii)/35	प्राथ0अभि0-1. बिन्देश्वरी दास, पे0 स्व0 उपेन्द्र दास, सा0 पुरुनिया थाना मुफसिल (पाण्ड्राशाली) जिला चाईबासा, 2. गोपाल मुण्डा,	अवैध अग्नेयास्त्र गोली एवं वि0पदा0 रखना	5 अभि0 जेल में	ACJM(S)	श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611	वादी-पु0अ0नि0 नीतिन कुमार सिंह, पे0 स्व0 अम्बिका सिंह, सा0 पाथरडीह थाना सुदामडीह जिला धनबाद वर्तमान ओ0पी प्रभारी मुफसिल	1. वादी-पु0अ0नि0 नीतिन कुमार सिंह, पे0 स्व0 अम्बिका सिंह, सा0 पाथरडीह थाना सुदामडीह जिला धनबाद वर्तमान ओ0पी प्रभारी मुफसिल (पाण्ड्राशाली) मो0नं0-8809727494, 8809726474, 8235387442 2. पु0नि0 सुनिल कुमार	जप्ती सूची:-1.मोरन सिंह हेम्ब्रम, पे0 साधो हेम्ब्रम, 2. लक्ष्मी सोय, पे0 स्व0 हरिचरण सोय दोनो सा0 पाटरापोसी बड़ा टोला थाना मुफसिल (पाण्ड्राशाली) जिला चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 42/18, दि0 09.04. 18 धारा 25 (1-बी)ए (1-ए)/26 (i)(ii)/35 आर्म्स एक्ट एवं 4/5 वि0पदा0अधि0 के अर्न्तगत प्राथ0अभि0-1. प्रेमलाल गोड़सोड़ा 2. गोपाल मुण्डा, 3. लाण्डुराम सोय 4. बिरेन्द्र दास, 5. सोमा लुगुन के विरुद्ध समर्पित तथा 1. टेका मुण्डा,

	<p>आर्म्स एक्ट एवं 4/5 वि०पदा०अधि० । जी०आर०-32 /18</p>	<p>पे० पुदू मुण्डा, सा० छोटासेगाई, 3. लाण्डु राम सोय, पे० प्रेमलाल सोय, सा० जोबाजीर दोनो थाना कुचाई जिला सरायकेला खरसावां, 4. सोमा लुगुन, पे० पाट लुगून, सा० शालीगुट्टू थाना म मुफसिल (पाण्ड्राशाली) जिला चाईबासा, 5. टेका मुण्डा, पे० स्व० गोपी मुण्डा, सा० बडासेगाई थाना कुचाई जिला सरायकेला खरसावां, 6. संतोष मुण्डा, सा० डोरिया थाना अडकी जिला खूँटी, 7. जादु मुण्डा, सा० बड़ामी थाना अडकी जिला खूँटी, 8. काण्डे मुण्डा, सा० सीजामी थाना अडकी जिला खूँटी, 9. मनसा मुण्डा, पे० बोआए मुण्डा, सा० बदानी अडकी, थाना अडकी जिला खूँटी, 10. प्रेमलता गोड़सोड़ा, पे० सागर गोड़सोड़ा,</p>					<p>(पाण्ड्राशाली)</p>	<p>तिवारी, थाना प्रभारी सदर थाना, मो०नं०-9431447887 3. पु०अ०नि० दिग्विजय सिंह मो०नं०-9304830789, 9431706463 थाना प्रभारी थाना मुफसिल, 4. स०अ०नि० सर्वदेव राय सदर, मो०नं०-9708395231 5. स०अ०नि० अजय प्रदीप तिर्की, मुफसिल थाना 6. हव० हरिकृष्णा साहु, 7. पु०/967 कानूराम बिरूवा, 8. पु०/508 शिवनाथ उरॉव 9. पु०/1077 सुखदेव उरॉव सभी रिजर्व गार्ड मुफसिल (पाण्ड्राशाली) 10. पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय श्री प्रकाश सोय जिला प० सिंहभूम, चाईबासा मो०नं०-9973047528 11. परिचारी प्रवर राजीव कुमार जमशेदपुर मो०नं०-9431091663 12. स०अ०नि० सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा मो०नं०-9471538889 अनुसंधानकर्ता मुफसिल (पाण्ड्राशाली) जिला प० सिंहभूम, चाईबासा ।</p>		<p>2. मनसा मुण्डा, 3. संतोष मुण्डा, 4. काण्डे मुण्डा, 5. जादु मुण्डा तथा के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी ।</p>
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--

		सा0 पाटानमाड़ा, थाना सरायकेला जिला सरायकेला खरसावां,								
25	गोईलकेरा थ0का0सं0 31/17, दि0 30.08.17 धारा 25 (1-बी)ए/26 /35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0-266 /17	प्राथ0अभि0-राजेश 1 बुढ़ा, पे0 स्व0 बुधराम सिंह बुढ़ा, सा0 बान्डाबुरु थाना गोईलकेरा जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना एवं पी0एल0ए फ0आई0 उग्रवादी दस्ता का सदस्य होने का आरोप	जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941 , 8834570641	वादी-शाशि भूषण चौधरी, पे0 स्व0 आर0के0 चौधरी, थाना प्राभारी गोईलकेरा थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-पु0अ0नि0 शाशि भूषण चौधरी, पे0 स्व0 आर0के0 चौधरी, थाना प्राभारी गोईलकेरा थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा। 2. स0अ0नि0 सनाउल्ला खान, मो0नं0-9470500352 3. स0अ0नि0 सुबोध कुमार सिंह, मो0नं0-9534078614 4. हव0/जितेन्द्र सिंह, 5. पु0/1056 नेशनल कन्दुलना, 6. पु0/1036 सुखराम प्रधान, 7. पु0/773 नीरझरस एक्का, 8. पु0/1072 एतवा खरिया सभी थाना गोईलकेरा	जप्ती सूची :-1. प्रदीप भुईया, पे0 स्व0 गोगवा भुईया, सा0+थाना गोईलकेरा 2. चुनुलाल गोप, पे0 स्व0 भागीरथी गोप, सा0 किशान टोली पॉवरगृह थाना गोईलकेरा जिला चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 34/17, दि0 24.10. 17 धारा 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- राजेश बुढ़ा के विरुद्ध समर्पित।
26	चक्रधरपुर था0का0सं0 81/17, दि0 20.08.17 धारा 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26 /35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-255 /17	प्राथ0अभि0-1. आसिफ हुसैन उर्फ सोल्जर, पे0 आयुब बकर हुसैन उर्फ पीटू झाईवर सा0 फकीर मोहल्ला मोजाहीद नगर, 2. मुन्ना हुसैन उर्फ शाकील हुसैन, पे0 तफजुल हुसैन, सा0 बंगलाटांड वार्ड नं0-19, 3. रवि पे0 शेख अब्बू तालिब सा0 राज बांध नियर सर्किट हाउस के पिछे सरायकेला थाना सरायकेला वर्तमान बंगलाटांड वार्ड	अवैध अग्नेयास्त्र गोली के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना	2 अभि0 जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941 , 8834570641	वादी-पु0अ0नि0 गोपीनाथ तिवारी, थाना प्रभारी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-पु0अ0नि0 गोपीनाथ तिवारी, मो0नं0-9431706465 थाना प्रभारी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा। 2. स0अ0नि0 भरत भूषण मिंज, मो0नं0-8409109155 3. स0अ0नि0 राजेश कुमार, मो0नं0-9431143228 4. हव0/सोनाराम दिग्गी, मो0नं0-9102929620 5. पु0/259 नरेश प्रसाद सिंह मो0नं0-9693370967 6. पु0/1024 कमल उरॉव, मो0नं0-8102159797 7. पु0/262 हरिओम राम, मो0नं0-9835533916 8. पु0अ0नि0 योगेन्द्र मिश्रा अनुसंधानकर्ता सभी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9234516509, 9471516509	जप्ती सूची :-1. मुकेश कुमार साव उर्फ मुन्ना कुमार साव, पे0 स्व0 रघुनाथ साव, सा0 आर्दश कॉलोनी हरिजन बस्ती, 2. राहुल नायक उर्फ मकुवा, पे0 रामेश नायक सा0 टोकलो रोड़ विकाश बिस्कुट फैक्ट्री दोना थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 115/17, दि0 14. 10.17 धारा 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26 /35 आर्म्स एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0-1. आसिफ हुसैन उर्फ सोल्जर, 2. मुन्ना हुसैन उर्फ शाकील हुसैन के विरुद्ध समर्पित तथा 1. रवि, 2. हैदर अली के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी। ।

		नं0-19, 4. हैदर अली पे0 स्व0 साहुद सा0 फकीर मोहल्ला मोजाईद नगर सभी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।								
27	चक्रधरपुर था0का0सं0 51/17, दि0 09.06.17 धारा 302 भा0द0वि0। एस0टी0-09/18	प्राथ0अभि0-डोबर 1े जामुदा उर्फ मोट्टू, पे0 स्व0 लाखो जामुदा, सा0 तुईटोला रोसोकावा थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	गला रेत कर हत्या कर देना	जेल में।	PDJ	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941, 8834570641	वादी-लाखो जामुदा, पे0 कुसनु जामुदा, सा0 तुईटोला रोसोकावा थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ0 शिवलाल कुंकुल, मो0नं0- चिकित्सा पदा0 सदर अस्पताल चाईबासा। 2. पु0अ0नि0 योगेन्द्र मिश्रा अनुसंधानकर्ता सभी थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9234516509, 9471516509	1. वादी-लाखो जामुदा, पे0 कुसनु जामुदा, 2. गुरवारी जामुदा, पति लाखो जामुदा, 3. जप्ती सूची -चरण सिंह हेम्ब्रम, पे0 स्व0 रलातुवा हेम्ब्रम, 4. सिलाय जामुदा, पे0 स्व0 पुस्तभ जामुदा, सभी सा0 तुईटोला रोसोकावा थाना चक्रधरपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं0 74/17, दि0 31.07.17 धारा 302 भा0द0वि0 के अर्न्तगत प्राथ0अभि0- डोबरो जामुदा उर्फ मोट्टू, के विरुद्ध समर्पित।
28	आनन्दपुर था0का0सं0 13/17, दि0 05.08.017 धारा 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26(i)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0-230/17	प्राथ0अभि0-1. राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू, पे0 नन्दकिशोर सिंह, 2. सिलास भेंगरा, पे0 जयमसीह भेंगरा दोनो सा0 गुण्डीउली, 3. राजीव रोशन सिंह उर्फ हलधर, पे0 स्व0 हगा सिंह, सा0 बेड़ातुलुण्डा तीनो थाना आनन्दपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा, 4. आकाश सिंह उर्फ बान सिंह, पे0 श्रवन सिंह सा0 बानपुर थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा।	अवैध अग्नेयास्त्र छिपाकर रखने एवं प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का प्रचार-प्रसार करने का आरोप	3 अभि0 जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो0नं. 9431538941, 8834570641	वादी-पु0अ0नि0 मुहम्मद आजाद खॉ, थाना प्रभारी थाना आनन्दपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादी-पु0अ0नि0 मुहम्मद आजाद खॉ, थाना प्रभारी थाना आनन्दपुर जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-829295881 2. स0अ0नि0 विनोद प्रसाद यादव, 3. पु0/380 राजेश सोरेन, 4. पु0/187 जागेश्वर उरॉव, 5. पु0/1085 देवसि मिंज, सभी थाना आनन्दपुर 6. स0अ0नि0 रामेश्वर भगत, अनुसंधानकर्ता आनन्दपुर थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मोनं0-9279087922	आरोप पत्र सं0 17/17, दि0 05.10.17 धारा 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26(i)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0-1. सिलास भेंगरा, 2. राजीव रोशन सिंह उर्फ हलधर, 3. राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू के विरुद्ध समर्पित 1. आकाश सिंह उर्फ बान सिंह के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी।	

29	<p>मंझगाँव था0का0स0 03/18, दि0 18.01.18 धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26(i)(i) i) /35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-39 /18</p>	<p>प्राथ0अभि0-1. कृष्णा बिरुवा, पे0 डुबराज बिरुवा, सा0 दोबिला थाना मंझारी, 2. पुरनचन्द कुकंल, पे0 स्व0 तुरी कुकंल, 3. सुरेश कुकंल, पे0 पुरनचन्द कुकंल दोनो सा0 पंगा थाना मंझारी, 4. विनोद गगराई, पे0 शंकर लाल गगराई, सा0 कुदाहातु, 5. कृष्णा हेम्ब्रम, पे0 स्व0 जोन्दा हेम्ब्रम, सा0 चादगुनिया, दोनो थाना कुमारडुन्गी, 6. त्रिलाचन तिरिया, पे0 स्व0 कोबिया तिरिया, 7. लखन तिरिया, पे0 स्व0 कोबिया तिरिया, दोनो सा0 मंगापाट टोला बानाबुरु, 8. सलाय पिंगुवा, पे0 कृष्णा पिंगुवा, सा0 बाराकटा तीनो थाना मंझगाँव सभी जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।</p>	<p>अवैध अग्नेयास्त्र से लैश होकर डकैती करने की योजना बनाने के लिए इकट्ठा होना के आरोप</p>	<p>सभी जेल में</p>	<p>ACJM</p>	<p>श्री राजेश रंजन श्रीवास्तव मो0नं0- 9431400611</p>	<p>वादी-पु0अ0नि0 आनन्द किशोर प्रसाद, थाना प्रभारी मंझगाँव थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा।</p>	<p>1. वादी-पु0अ0नि0 आनन्द किशोर प्रसाद, थाना प्रभारी मंझगाँव थाना जिला प0 सिंहभूम, चाईबासा मो0नं0-9955911474 2. पु0अ0नि0 दिग्विजय सिंह मो0नं0-9304830789, 9431706463 थाना प्रभारी थाना मुफ्फसिल, 3. बचन राम, पे0 स्व0 राज किशोर राम ग्राम बोकनारी थाना मकदुमनपुर जिला जहाँनाबाद विहार वर्तमान थाना प्रभारी तांतनगर ओ0पी0, मो0नं0-9386211030 4. राजदेव सिंह, पे0 श्री बिमल सिंह, सा0 बेरी थाना टोनपुर जिला औरंगाबाद वर्तमान थाना प्रभारी कुमारडुन्गी थाना, मो0नं0-8987408691 5. विजय भूषण मिंज, पे0 स्व0 जीवन मसी मिंज, ग्राम इरकेरा थाना जारी अलवर एक्का जिला गुमला वर्तमान थाना प्रभारी मंझारी, मो0नं0-9471535194, 9006914159 6. सुनील कुमार तिवारी, पे0 श्री तुलसी तिवारी, ग्राम रेरया थाना सदर जिला पलामू वर्तमान पु0नि0 सह थाना प्रभारी सदर थाना, मो0नं0-9431447887 7. जीवन कुमार सिंह, पे0 श्री स्व0 महावीर सिंह ग्राम अनगढ़ा थाना पथलगढ़ा जिला चतरा वर्तमान स0अ0नि0 थाना मंझगाँव, मो0नं0-9430177131 8. परिचारी प्रवर राजीव कुमार जमशेदपुर,</p>	<p>आरोप पत्र सं0 05/18, दि0 16.03. 18 धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए 25 (1-ए)/26(i)(ii) /35 आर्म्स एक्ट के अर्न्तगत प्राथ0अभि0-1.कृष्णा बिरुवा, 2. पुरनचन्द कुकंल, 3. सुरेश कुकंल, 4. विनोद गगराई, 5. कृष्णा हेम्ब्रम, 6. त्रिलाचन तिरिया, 7. लखन तिरिया, 8. सलाय पिंगुवा, के विरुद्ध समर्पित</p>
----	--	--	---	----------------------------	-------------	--	--	--	---

								मो०नं०-9431091663 9. पु०अ०नि० रामजी सिंह, अनुसंधानकर्ता मंझगौव थाना जिला प० सिंहभूम, चाईबासा मो०नं०-8678828385		
30	मुफसिल था०का०सं० 113/17, दि० 13.11.17 धारा 376 (2)(F)(i)(1) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट। जी०आर०-32 /17	प्राथ०अभि०-1. उदय पुर्ति उर्फ मानो उर्फ टिकुनिया, पे० स्व० कैरा पुर्ति, सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल, 2. गोबिन्द पुर्ति (ग्रामीण मुण्डा), पे० काण्डेय पुर्ति एवं 3. गोबर सिंह बोदरा उर्फ गब्बर (डाकुवा) पे० ब्रजमोहन बोदरा दोनो सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	नाबालिक लड़की को घर से गोद में उठाकर शोचालय में ले जाकर नंगा कर उसके साथ बलात्कार करना।	तीनो जेल में	SDJM(P)	लोक अभियोजक श्री बलिराम प्रसाद मो०नं. 9431538941 , 8834570641	वादिनी ज्योति पुर्ति, पति सोंगा पुर्ति सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. डॉ० मीरा कुमार अरुण, मो०नं०-9431748090 2. डॉ० बी०के० पण्डित मो०नं०-9835158530 3. डॉ० चन्दावती बोयपाई, मो०नं०-9431300530 तीनो सदर अस्पाताल चाईबासा। 4. पु०अ०नि० दिग्विजय सिंह मो०नं०-9304830789, 9431706463 अनुसंधानकर्ता थाना मुफसिल, जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	1. वादिनी ज्योति पुर्ति, पति सोंगा पुर्ति, 2. सोंगा पुर्ति, पे० गोबिन्द पुर्ति, 3. बेलमति पुर्ति, पे० सोंगा पुर्ति, 4. मंजू पुर्ति, पे० बाल कृष्ण पुर्ति, 5. सुजय हाईबुरु, पे० स्व० सोनाराम हाईबुरु, 6. सुखलाल पुर्ति, पे० स्व० चोकरो पुर्ति, 7. सतीश कुमार पुर्ति, पे० बामिया पुर्ति, 8. नन्दी राम पुर्ति, पे० श्रीराम पुर्ति, 9. दिलदार पुर्ति, पे० स्व० संग्राम पुर्ति सभी सा० करलाजोड़ी थाना मुफसिल जिला प० सिंहभूम, चाईबासा।	आरोप पत्र सं० 08/18, दि० 31.01.18 धारा 376 (2)(F)(i)(1) भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के अर्न्तगत प्राथ०अभि०-1. उदय पुर्ति उर्फ मानो उर्फ टिकुनिया, 2. गोबिन्द पुर्ति (ग्रामीण मुण्डा), 3. गोबर सिंह बोदरा उर्फ गब्बर (डाकुवा) के विरुद्ध समर्पित।

चतरा जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 38 कांडो की सूची।

क्र० सं०	काण्ड सं०/तिथि/धार I/GR./ST.No.	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में /फरार/बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनुसंधानकर्ता/चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो०सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सदर थाना काण्ड सं० 64/17,दिनांक 14.03.17,धारा-302 भा०द०वि० ST-126/17	धनुकी भुईयां पे०- ठुरु भुईयां साकिन लारे थाना-सदर,जिला-चतरा		जेल	ए०डी०जे०-3	श्री ज्ञानेन्द्र झा ए०पी०पी० मो०-94313482 28	कौशल्या देवी पति- श्री राजु भुईयां सा०- लारे थानासदर जिला-चतरा	1. कौशल्या देवी पति- श्री राजु भुईयां, 2. कृष्णा भुईयां,पे०कुन्दना भुईयां, 3. महेश यादव पे० रामधन यादव 4. प्रभु यादव पे० स्व० छटु यादव, सभी साकिन लारे,थाना सदर,जिला-चतरा 5. दुखन भुईयां पे० व० विफा भुईयां, 6. बंसी यादव पे० रामदयाल यादव, सा०- लारे,थाना सदर जिला-चतरा 7. अनुसंधानकर्ता पु० अ० नि० जयकान्त पाण्डेय,सदर थाना,चतरा।		
2.	सदर थाना काण्ड सं० 160/17,दिनांक 24.05.17,धारा-363,366 ए 376 भा०द०वि० एवं 4 पोक्सो एक्ट चतरा चाईलड एक्ट 06/17	अजय कुमार भुईयां, पे० विरापु भुईयां, सा० डाढा, थाना- सदर जिला- चतरा।		जमानत पर	ए०डी०जे०-1	श्री गौरी शंकर सिंह ए०पी०पी० चतरा मो० नं०. 9431187972	निरमा कुमारी पिता- सकेन्द्र भुईयां, सा० डाढा थाना-सदर जिला-चतरा।	1. निरमा कुमारी पिता- सकेन्द्र भुईयां, 2. मुनिया देवी पति सिकेन्द्र भुईयां, 3. चान्हो देवी पति सुकुल भुईयां 4. शान्ति देवी पति प्रमोद भुईयां 5. करुणा देवी पति रुपलाल भुईयां, 6. शंकर यादव, पे० सुरेश यादव 7. सिकेन्द्र यादव पे० स्व० पच्चु भुईयां सभी साकिन डाढा थाना-सदर जिला- चतरा 8. डाँ० अमृता अनुप्रिया, चिकित्सा पदा० सदर अस्पताल, चतरा 9. अनुसंधानकर्ता पु० अ० नि० दयानन्द राम		
3.	सदर थाना काण्ड सं० 326/17,दिनांक 18.10.17,धारा-302/201/377, भा०द०वि० एवं 06 लैगिंग अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 ए०डी०जे०-1 पोक्सो	1. मो०- इमरान पिता- मो० मुमताज साकिन-अनसार नगर 2. मो० बारिस पिता- रफीक दोनो सा०- अनसार नगर एवं 3. मो० शोयब उर्फ राजा पिता- मो० हबीब साकिन- इस्लाम नगर थाना- सदर जिला-चतरा।		जेल	ए०डी०जे०-1	श्री गौरी शंकर सिंह ए०पी०पी० चतरा मो० नं०. 9431187972	मो० उमर पिता- मो० इसराईल सा०- अनसार नगर थाना-सदर जिला-चतरा	1. मो० उमर पिता- मो० इसराईल 2. मो० सगवर अली पे० अनवर अली सा०- लाईन मोहल्ला, थाना- सदर जिला- चतरा 3. मो० अजहर पे० अब्दुला हाकिम, सा० लाईन मोहल्ला, थाना-सदर जिला-चतरा 4. अकबर अली पे०- जमील मियां, साकिन आजाद नगर थाना-सदर जिला-चतरा। 5. मो० अलाऊदिन पे० अब्बदुल अंसारी साकिन लाईन मोहल्ला, थाना- सदर, जिला-चतरा 6. मो० कौशर पे० सईद, साकिन- लाईन मोहल्ला, आजाद नगर थाना-सदर, जिला-चतरा। 7. मो० जावेद पे० स्व० मोहिउद्दीन साकिन- विण्ड		

	-03/18							मोहल्ला,थाना-सदर जिला-चतरा 8. डाँ0 प्रवीण कुमार,सदर अस्पताल,चतरा 9.अनुसंधानकर्तापु0अ0नि0 जयकान्त पाण्डेय,सदर थाना,चतरा।	
4.	सदर थाना काण्ड सं0 291/17,दिनांक 20.09.17,धारा- 25(1- बी)ए0/26/35 आर्मस एक्ट जौ0आर-2140/17	1.हरेन्द्र गंडु पे0- बुधन गंडु साकिन देवरिया थाना सदर जिला-चतरा 2.मो0 शमशाद उर्फ शमशेद आलम,पे0 मो0 सेराज अंसारी ,साकिन- एदला थाना- सिमरिया जिला- चतरा	जेल	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतरा	श्री राजेश कीर्ति ए0पी0पी0 चतरा मो0 नं0-94301600 24	श्री राम अवध सिंह,पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी,सदर थाना,चतरा	1. श्री राम अवध सिंह,पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी,सदर थाना,चतरा 2.हव0 जन्डोय तियु पे0 विरेन्द्र तियु,साकिन गम्हरिया थाना- मुफसिल जिला- पश्चिम सिंहभूम 3.आ0/478- दिगेश्वर सिंह,पे0 गोवर्धन सिंह,साकिन कंसार थाना- कटकमसांडी जिला हजारीबाग 4.आ0/902- होरिल प्रसाद मेहता,सदर थाना रिजर्व गार्ड,चतरा 5.आ0/110- कुंज बिहारी उरांव,सदर थाना रिजर्व गार्ड 6.अनुसंधानकर्तापु0अ0नि0 दयानन्द राम,सदर थाना,चतरा		
5.	सदर थाना काण्ड सं0 388/17,दिनांक 24.12.17,धारा- 302/201 भा0 द0वि0 ST- 84/18	इन्द्रदेव यादव पे0- गोवर्धन यादव साकिन- जमरी बकसपुरा थाना राजपुर जिला चतरा	जेल	ADJ -III	श्री ज्ञानेन्द्र झा ए0पी0पी0 मो0नं0-943134 8228	चौ0-03/1 सुरज यादव पे0- स्व0 श्याम यादव साकिन- रुद्र थाना- सदर जिला- चतरा	1. चौ0-03/1 सुरज यादव पे0- स्व0 श्याम यादव साकिन- रुद्र थाना- सदर 2.कारु यादव पे0 स्व0 हेमन यादव ग्राम बारीकेला थाना कटकमसांडी जिला हजारीबाग 3.मनोज कुमार पे0 स्व0 उत्तम राणा ग्राम- लेम थाना सदर जिला-चतरा 4.रंजन कुमार पे0 श्रीराम दांगी,ग्राम ईटखोरी जिला-चतरा 5.अनुसंधानकर्तापु0अ0नि0 त्रिभुवन राम,सदर थाना,चतरा।		
6.	वशिष्टनगर थाना काण्ड सं0 14/17,दिनांक 08.03.17,धारा- 17/18 एन0डी0पी0एस एक्ट -40/17	1.परमजीत सिंह पे0- स्व0 गुरुजन्त सिंह साकिन- नया गांव कहनारी ,जिला- संगरूर,पंजाब, 2.मनोज पासवान,पे0 शिव शंकरपासवान 3.कुर्बान मियां पे0 उस्मान मियां दोनो साकिन- मोरेनवा,थाना वशिष्टनगर जिला- चतरा 4. दिनेश यादव पे0 चमारी यादव साकिन- राजगुरुआ,थाना	जेल	PDJ	श्री के0के0 प्रधान पी0पी0 मो0नं0-763184 8687	अ0नि0 शिव गोप,वशिष्टनगर थाना प्रभारी,जोरी,जिला-चतरा,	1.अ0नि0 शिव गोप,वशिष्टनगर थाना प्रभारी,जोरी,जिला- चतरा,मो0-8709719789 2.हव0 गौरी शंकर पाण्डेय,जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो08521762848 3.आ0/327- मनोज कुमार बासकी, जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो0- 9577668856 4.आ0/323- लाल मोहन साहस, जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो08873309956 5.आ0/339-सुनील कुमार रजक, जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो09693587948 6.आ0/351- दिपक शर्मा, जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो084049223302 7.आ0/313- जुनास पूर्ति, जै04 वी.कम्पनी बोकारो प्रतिनियुक्त वशिष्टनगर थाना,चतरा,मो07050855048 8.पु0अ0नि0 योगेन्द्र प्रसाद यादव,वशिष्टनगर थाना,जोरी,चतरा,मो0-9631277595		

		वशिष्ठनगर जिला- चतरा 5.विनोद पासवान पे0 शिवशंकर पासवान,साकिन- मौरेनवा,थाना वशिष्ठनगर जिला- चतरा 6.पंकज कुमार साहु पे0ल अनील साहु साकिन- पिपरपाँती मोहल्ला,देवी मंडप,थाना वशिष्ठनगर जिला- चतरा						9. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 जैरा वारला, वशिष्ठनगर थाना,जोरी,चतरा,मो0-8084918988		
7.	पत्थलगडा थाना काण्ड संख्या 24/17,दिनांक 24.06.17 ,धारा- 366(ए) भा0द0वि0Child Act-08/17	चन्दन कुमार मेहता,पे0 राजु कुमार मेहता,साकिन- हटकोनी,थाना- कटकमसांडी,जिला हजारीबाग		जमानत पर	ADJ -1	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 9431187972	मो0 जयाउद्दीन पे0- अजीज साकिन- नोनगांव,थानापत्थलगडा जिला- चतरा	1. मो0 जयाउद्दीन पे0- अजीज 2.सबरा खातुन पे0मो0 जयाउद्दीन 3.मोद साकिर पे0 मो0 शरीफ मियां. 4.मो0 बशीर मियां,पे0 अनवर मियां,सभी साकिन- नोनगांव,थानापत्थलगडा जिला-चतरा 5.डॉ0 अमृता अनुप्रिया,सदर अस्पताल,चतरा 6.अनुसंधानकर्ता अ0नि0 सुधीर कुमार,पत्थलगडा थाना,चतरा ,मो0- 943159829		
8	लावालौंग थाना काण्ड संख्या 13/16,दिनांक 04.03.16 ,धारा- 17/18/22 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट,- 06/17	आदित्य साव पे0 मुंशी साव,साकिन- चुकरु बाजार टाँड,थाना लावालौंग ,जिला- चतरा		जमानत पर	PSJ	श्री के0के0 प्रधान पी0पी0 मो0नं0-763184 8687	अ0नि0 शैलेश कुमार गुप्ता ,थाना प्रभारी,लावालौंग थाना,चतरा	1. अ0नि0 शैलेश कुमार गुप्ता ,थाना प्रभारी,लावालौंग थाना, 2.लखीराम मुण्डा,लावालौंग थाना,जिलाचतरा 3.आ0/282- ओम प्रकाश कुमार 4.आ0/749- बालेश्वर प्रसाद यादव 5. आ0/944- गंगेश्वर राम,थाना लावालौंग ,रिजर्व गार्ड,चतरा 6.मधु रजक पे0नागेश्वर रजक साकिन-चुकरु बाजार टाँड थाना- लावालौंग जिला-चतरा 7.महबुज आलम पे0स्व0 अब्दुलकलाम,साकिन- कारुडिह थाना-लावालौंग जिला-चतरा 8. शम्भू रजक पे0स्व0 रामचन्द्र रजक साकिन- चुकरु टाँड थाना-लावालौंग जिला-चतरा		
9	सिमरिया थाना काण्ड संख्या 104/17,दिनांक	1. छोडु कुमार उर्फ रितेश भोक्ता उर्फ रितेश गंधु पे0 स्व0		जेल	ACJM	श्री अजय साह ए0पी0पी0 चतरा	पु0 अ0नि0 केशव कुमार चौधरी,पे0 स्व0 सीताराम चौधरी,साकिन- दुलारपुर थानासदर,दरभंगा(बिहार),	1. पु0 अ0नि0 केशव कुमार चौधरी 2. हव0 मिथलेश प्रसाद सिंह पे0 स्व0 गणी सिंह साकिन भारत थाना- सितागढी जिला-नवादा (बिहार)		

	17.09.17,धारा-25(1-बी)ए0/25/35 GR-2063/17	लखन गंडु साकिन-वल्दी थाना- कुन्दा जिला-चतरा 2.पंकज कुमार भुईयां उर्फ तुफान भुईयां मे0 सुरेश भुईयां,साकिन पूरनाडीह,थाना-सिमरिया ,जिला-चतरा			मो0नं0-943039 2535	वर्तमान पता- थाना प्रभारी,सिमरिया जिला-चतरा ।	वर्तमान पता- सिमरिया थाना रिजर्व गार्ड,चतरा 3.आ0/263- रमेश कुमार यादव पे0 परशुराम यादव साकिन बडा जामदा थाना- गुहा जिल्लाचाईबासा,वर्तमान पता-सिमरिया थाना रिजर्व गार्ड,चतरा 4.आ0/127- जबीना बागे पे0 श्री फुलियाद बागे,साकिन बाइहातु थाना- बुझारदुर्ग जिल्लाचाईबासा,वर्तमान पता-सिमरिया थाना रिजर्व गार्ड 5.आ0/777-श्यामलाल मुर्मु पे0 वढन मुर्मु समझिकडिहा थाना- बैगावाद जिला- गिरीडिह ,थाना रिजर्व गार्ड,सिमरिया थाना 6. आ0/162- शिवशंकर गोप पे0 श्री चरका गोप साकिन जारिया थाना-बेडों जिल्लाचांची ,सिमरिया रिजर्व गार्ड जमी सूची के गवाह- 1.हव0 भगवान गौंड पे0 श्री रामदेव गौंड साकिन सुन्दर पुर पंजी थाना- विहिया जिला- भोजपुर (बिहार) 2.आ0/889- कनक माहतो पे0 बाबरी माहतो साकिन लाधुप थाना- सिल्ली जिला-रांची		
10	पिपरवार थाना काण्ड संख्या 07/17,दिनांक 17.02.17, धारा-302 34.भा0द0वि0. ST-101/17	ललन शर्मा उर्फ कारु राम पे0 विरजा राम साकिन- विरसा नगर थाना-खलारी जिला-रांची	जेल	ADJ-III	श्री ज्ञानेन्द्र झा ए0पी0पी0 मो0नं0-943134 8228	सरिता देवी पति- स्व0 शुकु गंडु साकिन- कुसुम टोला हेन्जदा थाना पिपरवार जिला-चतरा	1. सरिता देवी पति- स्व0 शुकु गंडु 2.महेन्द्र गंडु पे0 स्व0 बुधु गंडु 3.सोनु गंडु पे0 बद्रीगंडु 4.बद्री गंडु पे0 स्व0 शंकर गंडु,मो002823594 5. धनु गंडु पे0 स्व0 किशुन गंडु 6.नन्दलाल गंडु पे0 स्व0 बिगु गंडु 7. विजय गंडु पे0 झगडु गंडु 8.रंगलाल गंडु पे0 महादेव गंडु 9. सिकन्दर गंडु पे0 राजु गंडु, 10.बालेश्वर उरांव पे0 बलदेव उरांव,मो0 9973670472 11.महेन्द्र उरांव पे0 स्व0 ईश्वर उरांव,मो0809978518 12. सुरेश उरांव पे0 जागेश्वर उरांव , सभी साकिन कुसुम टोला हेन्जदा थाना-पिपरवार जिला-चतरा 13. कजरु भोक्ता पे0 स्व0 कोलहा भोक्ता साकिन- अमरवा धमधीहा थाना- मैक्सूलकीगंज जिल्लाचांची 14. डाँ0 प्रवीण कुमार,सदर अस्पताल,चतरा 15. अनुसंधानकर्ता मि0 अ0नि0 विनोद कुमार सिंह,थाना प्रभारी पिपरवार जिला-चतरा ।		

11	लावालौंग थाना काण्ड संख्या- 44/16,दिनांक- 15.11.16,धारा- 17/18/22,एन0 डी0पी0एस एक्ट -05/18	मोटरसाईकिल एच0 एफ0 डीलक्स जे0 एच0 02ए0 ए0- 9830 के चालक मालिक सिवोधन उर्फ सुबोध साव पे0 मेवा साव साकिन- पोएम चोला ,काशी महुआ,थाना-लावालौंग जिला-चतरा		जेल	PDJ	श्री के0के0 प्रधान पी0पी0 मो0नं0-763184 8687	स0अ0नि0 जवाहर राम,लावालौंग थाना,चतरा	1. स0अ0नि0 जवाहर राम,लावालौंग थाना,चतरा 2.स0अ0नि0 भगवानदत्त चौधरी पे0 जानकीशख चौधरी साकिन- भद्रपुर थानासकतपुर जिलासदरभंगा (बिहार) 3.गिरिराज रिजाल पे0 विशुन प्रसाद साकिन इच्छेह वस्ती थाना- कलिंगपंग जिला-दार्जिलिंग(प0बंगाल),हव 920930591 सी0आर0पी0 ई कमपनी लावालौंग ,चतरा 4. रंजीत कुमार सिंह पे0 राजेश्वर प्रसाद सिंह,साकिन मलकचक थाना- दिगवारा जिला-छपरा(बिहार),वर्तमान सी0आर0पी0 190ई कमपनी 5.जब्ती सूची के गवाह रामानंद प्रसाद यादव(अ0नि0)पे0 स्व0 नथुनी प्रसाद यादव साकिन इनरवा थाना- रामगडवा जिला- पूर्वी चम्पारणश(बिहार),सी0आर0पी0एफ 190 ई कम्पनी,चतरा 6.सी0टी0 जी0डी0 रामानुज दुबे पे0 तिर्थराज दुबे साकिन डालटेनगंज थानासदर जिला-पलामु 7.अनुसंधानकर्ता0अ0नि0 लखीराम मुण्डा,लावालौंग थाना,चतरा ।		
12	ईटखोरी थाना काण्ड संख्या- 85/17,दिनांक 01.08.17, धारा-25/(1- वी)ए/26/35 आर्मस एक्ट GR-197/17	1.शंकर यादव पे0 ठकुरी यादव साकिन बाय (इन्द्रा),थाना- गिद्धौर जिला-चतरा 2. विजय यादव पे0 नागेश्वर यादव साकिन- ईचाक पुरनाडीह थाना- गिद्धौर जिला-चतरा		जमानत पर	ACJM		अ0नि0 अशोक राम,थाना प्रभारी,ईटखोरी थाना,चतरा	1. अ0नि0 अशोक राम,थाना प्रभारी,ईटखोरी थाना,चतरा 2.आ0/375- अजय कुमार यादव 3.आ0/1060- संतोष कुमार गुप्ता 4.हव0 शिवशंकरराम 5.आ0/760- चन्द्रशेखर राम 6.आ0/840- सुभाष ठाकुर,सभी थाना ईटखोरी रिजर्व गार्ड,जिला-चतरा 7. दिपक राम पे0 गणपत दास 8.शंकर कुमार दास पे0 रोजन दास दोनो साकिन- हलमता थाना- ईटखोरी जिला-चतरा 9. जब्ती सूची के गवाहसिकंदर कुमार यादव पे0 बाबूलाल यादव साकिन- हलमता थाना- ईटखोरी जिला-चतरा 10. प्रमोद कुमार यादव पे0 बुधन यादव साकिनटोमी थाना- ईटखोरी जिला-चतरा 11.अनुसंधानकर्ता0अ0नि0 अगनू भगत,ईटखोरी थाना,चतरा मो0- 9905864318		
13	सिमरिया थाना काण्ड संख्या- 149/17,दिनांक 03.12.17,धारा-	दिनेश यादव पे0 स्व0 श्यामलाल यादव साकिन- लुतिडीह थाना-सिमरिया		जेल	ACJM	श्री अजय साह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0-943039 2535	पु0 अ0नि0 शत्रुघन पासवान,लावालौंग थाना प्रभारी ,चतरा ।	1. पु0 अ0नि0 शत्रुघन पासवान,लावालौंग थाना प्रभारी ,चतरा 2.पु0 अ0नि0 केशव कृष्ण चौधरी,थाना प्रभारी सिमरिया,चतरा		

	25(1-बी)ए0 26 आर्मस एक्ट GR-2483/17	जिला-चतरा						3. जब्ती सूची गवाह- आ0/251- दिनेश कुमार पाण्डेय पे0 स्व0 इन्द्रदेव पाण्डेय साकिनकोपे थाना मनीकी जिला-लातेहार 4.आ0/468- रामसरेख तिवारी पे0 रामपरिख तिवारी साकिन- तोलरा थाना- रहेला जिला पलामु 5. अनुसंधानकर्तासि0अ0नि0 नारायण खडिया ,सिमरिया थाना,चतरा		
14	पिपरवार थाना काण्ड संख्या- 42/17,दिनांक 12.11.17,धारा-25(1-बी)ए0 26 आर्मस एक्टST-30/18	मुख्तार खान पे0 मरहुम उरफ साकिन- काली मंदिर बचरा थाना-पिपरवार जिला-चतरा	जमानत पर	PDJ	श्री लाल बिहारी मंडल ए0पी0पी0 मो0 नं0-94713695 33	पु0 अ0नि0 मनोरंजन सिंह,थाना प्रभारी ,पिपरवार ,चतरा	1. पु0 अ0नि0 मनोरंजन सिंह,थाना प्रभारी ,पिपरवार ,चतरा 2.आ0/1158- राजकुमार पासवान 3. आ0/33- संजय बहादुर राणा 4. आ0/259- रामकुमार टुडु,सभी थाना रिजर्व गार्डिपरवार ,चतरा 5.जब्ती सूची के गवाहविनोद सिंह पे0 उदय सिंह साकिन बचरा,काली मंदिर के नजदिक,थाना-पिपरवार 6. अमीर खान पे0 मुख्तार खान साकिनबचरा थाना-पिपरवार जिला-चतरा			
15	ईटखोरी थाना काण्ड संख्या- 94/17,दिनांक 19.08.17, धारा-25(1-बी)ए0 26/35 आर्मसएक्ट GR-2028/17	1. दिपक कुमार पे0 शिवम विशकर्मा 2. इकलाख अंसारी पे0 शकिल अंसारी दोनो साकिन- बुमेर थाना- बाराचट्टी जिला-गया (बिहार)	जमानत पर	ACJM	श्री अजय साह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0-943039 2535	पु0 अ0नि0 अशोक राम,पे0 स्व0 रमन राम,थाना प्रभारी ईटखोरी ,चतरा	1. पु0 अ0नि0 अशोक राम,पे0 स्व0 रमन राम,थाना प्रभारी ईटखोरी ,चतरा 2.हव0 जयप्रकाश पन्ना 3.आ0/707- चन्द्रशेखर राम 4.आ0/375- अजय कुमार यादव 5. चालक आरक्षी /955- रविकांत सभी ईटखोरी थाना रिजर्व गार्ड,चतरा 6.मो0 औरंगजेब दांगी पे0 तजमुन मिया 7.अयोध्या दांगी पे0 बासुदेव दांगी दोनो साकिमितिज थाना- ईटखोरी जिला-चतरा			
16	पिपरवार थाना कांड संख्या- 43 / 17, दिनांक- 23.11.'17, धारा- 302 भा0द0वि0 सत्र सं0-61 / 18	1. जगलाल मुण्डा, पे0 स्व0 मोहर मुण्डा, साकीन- बिलारी, मुण्डा टोला, थाना- पिपरवार, जिला- चतरा ।	जेल	ADJ-III	श्री ज्ञानेन्द्र झा ए0पी0पी0 मो0नं0-943134 8228	नरेन्द्र मुण्डा, पे0 जगलाल मुण्डा, साकीन- बिलारी, मुण्डा टोला, थाना- पिपरवार, जिला- चतरा ।	1. नरेन्द्र मुण्डा, पे0 जगलाल मुण्डा, 2. निरंजन मुण्डा, पे0 जगलाल मुण्डा, 3.रंजिता देवी, पति नरेन्द्र मुण्डा 4. मंगर मुण्डा, पे0 स्व0 लगन मुण्डा 5. सुलेन्द्र मुण्डा, पे0 जगलाल मुण्डा 6. अनिता देवी, पति निरंजन मुण्डा 7. नारायण मुण्डा, पे0 स्व0 चिन्तामन मुण्डा सभी साकीन- बिलारी, मुण्डा टोला, थाना- पिपरवार, जिला- चतरा ।			
17.	पिपरवार थाना कांड संख्या- 46 / 17, दिनांक- 29.11.'17, धारा- 385,386,387 भा0द0वि0 GR-2377/17	पटेल कुमार महतो, पे0 स्व0 मंटू महतो, साकीन बेलारी, पो0 बहेरा, थाना- पिपरवार, जिला- चतरा ।	जमानत पर	JM	श्री दीपक सांगा ए0पी0पी0 मो0नं0-970924 4198	विनोद यादव, पे0 बालेश्वर यादव, साकीन-गरीहारा, थाना- पांकी, पो0 दारिका, जिला- पलामू । वर्तमान पता- साकीन- कारो गदरी नदी, थाना- पिपरवार जिला- चतरा	1. दिनेश महतो, पे0 स्व0 चितर महतो, साकीन- लोहड़ी, थाना- पडवा मोड़, जिला- पलामू 2. मिथलेश यादव, पे0 भृगु यादव, साकीन- नूर, थाना- पांकी, जिला- पलामू 3. कारू महतो, पे0 टुकून महतो, साकीन- बकचुमा, थाना- केरेडारी, जिला- हजारीबाग, मो0नं0-7091869950 4. किशोर महतो, पे0 सरयू महतो, साकीन- बकचुमा, थाना- केरेडारी, जिला- हजारीबाग, वर्तमान पता- गहरी नदी पुल निर्माण, थाना पिपरवार, जिला- चतरा, जब्ती सूची के गवाह 1. विनोद यादव, पे0 बालेश्वर यादव, साकीन- बीरहारा, पो0 दारिका, थाना- पांकी, जिला- पलामू 2. राजेश राम, पे0 स्व0 बिगनेश राम, साकीन- बाराडीह, पो0 बहेरा, थाना- पिपरवार, जिला- चतरा ।			

18.	ईटखोरी थाना काण्ड संख्या- 27/17, दिनांक- 31.03.17, धारा- 16 एन0डी0पी0एस एक्ट चाईलड एक्ट. 04/17	1. शिव कुमार, पे0 उदय दांगी, साकीन- गिद्धौर, सियर टोला, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा 2. जितेन्द्र कुमार, पे0 मुन्नी दांगी, साकीन- गिद्धौर, उपर टोला, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा ।		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्याय0	श्री लाल बिहारी मंडल ए0पी0पी0 मो0 नं0-94713695 33	1 पु0अ0नि0 अशोक राम, थाना प्रभारी ईटखोरी, जिला चतरा । मो0 न0- 9434124820	1. हव0 शिवशंकर राम, पे0 स्व0 देवनारायण राम, साकीन- जायजपट्टी, थाना- दलसिंह सराय, जिला- समस्तीपुर(बिहार), वर्तमान पता ईटखोरी थाना रिजर्व गार्ड, चतरा मो0न0 876920923 2. पु0/1057, शशिकांत, पे0 अमरेन्द्र सिंह, साकीन- सिरसिया, थाना- मुफस्सिल, जिला- गिरिडीह, मो0न0 7739923243 3. पु0/514, बिरेन्द्र नाथ महतो, पे0 झासु महतो, साकीन- नवाजी टोला, बुन्दू, थाना- बुन्दू, जिला- रांची, मो0न0- 9122085863 4. पु0/955, रविकांत सिंह, पे0 अर्जुन सिंह, मुहल्ला तिलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा, वर्तमान ईटखोरी थाना चालक, मो0न0- 9097009985 5. देवा दांगी, पे0 स्व0 राधो दांगी, साकीन- नगवां, थाना- ईटखोरी, जिला- चतरा 6. रामकुमार सिंह, पे0 स्व0 भुनेश्वर सिंह, साकीन- टोनाटांड, थाना- ईटखोरी, जिला- चतरा । जब्ती सूची के गवाह 7. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 ढोढा राम, ईटखोरी थाना, जिला चतरा ।		
19.	गिद्धौर थाना काण्ड संख्या- 69/17, दिनांक- 05.08.17, धारा- 25(1-बी)ए, 26/35, आर्म्स एक्ट । GR-2005/17	1. तुलसी यादव, पे0 महरू यादव, 2. कुलदीप यादव, पे0 दुलारी यादव, दोनों सा0-दुआरी, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा 2. शंकर यादव, पे0 ठकुरी यादव, साकीन- बांय, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा ।		जमानत पर	ADJM	श्री दीपक सांगा ए0पी0पी0 मो0नं0-970924 4198	1. अ0नि0 अजय कुमार पंजीकार, पे0 मन्दा ईश्वर पंजीकार, साकीन- नमोतरी, थाना- मुफस्सिल, जिला- गोड्डा, वर्तमान थाना प्रभारी, गिद्धौर, जिला- चतरा ।	1. पु0/919, विनय कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय चतरा 2. पु0/508, सोनू कुमार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चतरा 3. पु0/148, अरुण यादव, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, चतरा 4. हवलदार बिन्देश्वर उरांव 5. पु0/753, मो0 साकीब आलम 6. पु0/597, धनंजय बहादुर सिंह 7. पु0/219, चरकु यादव, सभी रिजर्व गार्ड गिद्धौर, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा । 8. जब्ती सूची के गवाह बैजनाथ लाल, पे0 स्व0 महावीर लाल, साकीन- दुआरी, 9.थाना-गिद्धौर, जिला- चतरा 9. अर्जुन यादव, पे0 हुलास यादव साकीन- दुआरी थाना-गिद्धौर, जिला- चतरा 10. सुरेश यादव, पे0 बोधी गोप, साकीन- दुआरी थाना-गिद्धौर, जिला- चतरा 11. टेको यादव, पे0 स्व0 रूपलाल यादव, साकीन- इन्दरा, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा 12. राजू गंझू, पे0 मोहन गंझू, साकीन- बांय, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा 13. परिचारी प्रवर, राजकिशोर प्रसाद, पुलिस केन्द्र चतरा 14. स0अ0नि0 लालू लकड़ा, 15. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 भोला शर्मा, गिद्धौर, जिला- चतरा ।		
20	कुन्दा थाना काण्ड संख्या 7/17, दिनांक 04.03.17, धारा-18,20,22 एन0डी0पी0एस 0 एक्ट-55/17, गवाही पर,	1.मनोहर गंडु पे0- उमर गंडु साकिन मरगडा थाना- कुन्दा जिला-चतरा 2.जहुरन भुईयें पे0शिवु भुईयां 3. कुलदीप गंडु 4.इन्द्रदेव गंडु दोनो पे0 हरवंश गंडु 5.खेरा गंडु पे0 सहदेव गंडु 6.शिवु गंडु पे0स्व0 अनंत गंडु सभी साकिन गेदरा थानाकुन्दा जिला-चतरा		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश, चतरा ।		अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 विजय बहादुर	वादी- पु0 अ0नि0 शंकर लकड़ा, थाना प्रभारी कुन्दा 2.स0अ0नि0 हरिनाथ उरांव, कुन्दा थाना 916290268 3. स0अ0नि0 प्रमेश्वर महतो, कुन्दा थाना 4.हव0 एतवा उरांव, मो0 7352214817 5.हव0 महालाल हांसदा, 6. आ0/710- बुलाकी रविदास 7.आ0/1089-सुशील कुमार उरांव मो0 8877144490 8.आ0/1096- मुनेश्वर गंडु, मो0 7033384373 9. आ0/854- सुखदेव उरांव, मो0 8969116178 10.आ0/1096- रामप्रसाद रविदास, मो0- 9931295045 11. चौ0-5/5- सुरेश पासवान, 12. चौ0 5/6-लक्ष्मण पासवान		
21	मयूरहंड थाना काण्ड संख्या 61/17, दिनांक	1.मो0 फिरोज अंसारी उर्फ छोटका पे0 महबूब मियां साकिन		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश,	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0.	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 शाकिर हुसैन,	1.वादिनी- सलमा खातुन पे0- मो0 युनुस 2. मो0 युनुस पे0- स्व0 वाहिद अली 3.खतीजा खातुन पे0मो0 युनुस मियां 4. निजामउद्दीन पे0 स्व0- वाहिद, मो0-99394202614 5.		

	22.07.17 ,धारा- 376,315,120(बी),506, भा0द0वि0 , एवं 4 पोक्सो एक्ट - 24/17 चार्ज पर, .	हुसिया थाना-मयूरहंड			प्रथम,चत रा	9431187972		मो0 इलिस अंसारी पे0- स्व0 गनी मियां मो0- 7292907662 6.मो0-हमिद अंसारी पे0 स्व0 महदुल मियां मो0 9199871951 7. मो0 हदीस अंसारी पे0अलीम मियां मो0- 8002340358 साकिन- चौरहा, थाना- मयूरहंड जिला-चतरा 8. मो0 समशेर अंसारी पे0शकुर मियां मो0 9964742992 9. मैरुनखातुन पति युनुस, साकिन चौरहा थाना- मयूरहंड जिलमचतरा 10. डां0 स्नेहलता ,चिकित्सा पदाधिकारी,सदर आस्पताल,हजारीबाग 11. पु0अ0नि0 मो0 शाकिर, थाना-मयूरहंड जिलमचतरा		
22	मयूरहंड थाना काण्ड संख्या 03/17, दिनांक 04.02.17 ,धारा- 363,366(ए0) भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट, .	अमित कुमार भुईयां पे0 हरि भुईयां,साकिन चौरिया थाना-मयूरहंड जिला-चतरा		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश, प्रथम,चत रा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 9431187972	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 मो0 शाकिर हुसैन,	1.वादि-निरंजन यादव पे0- स्व0 टेकलाल यादव 2.मनीता कुमारी पितमनिरंजन यादव 3. ईश्वर यादव पे0बलदेव यादव 4. लोकनाथ यादव पे0 स्व0 बढन यादव 5. नरेश रविदास पे0 बालदेव रविदास 6. हुलास यादव पे0स्व0- जानकी यादव सभी साकिन- चौरिया थाना- मयूरहंड जिलमचतरा 7.डां0 अनुप्रिया कुमारी ,सदर अस्पता, चतरा 8. पु0 अ0नि0 मो0 शाकिर हुसैन		
23	सदर थाना काण्ड संख्या 234/17 ,दिनांक 09.08.17 ,धारा- 384/385/414/ 34 भा0द0वि0 एवं 25(1बी) ए0 26 ,35 आर्मस एक्ट एवं 17(1)(11) सी0एल0ए0 एक्ट , ST- 57/18	1. राजन कुमार शर्मा पे0 कन्हैया राम 2.भोला कुमार शर्मा पे0 कन्हैया राम दोनो साकिन- छठ तालाब दिभा मोहल्ला ,सदर थाना,चतरा 3. राहुल कुमार राणा पे0नरेश राणा 4. अमित कुमार पे0 मनोज चौधरी दोनो साकिन- दिभा मोहल्ला सदर थाना,चतरा ।		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश, चतरा ।	श्री लाल बिहारी मंडल ए0पी0पी0 मो0 नं0-94713695 33	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 करम सिंह होरो ,	1. वादी- अ0नि0 जयकांत पाण्डेय 2. अ0नि0 राजधन सिंह 3. हव0 अहमद खान 4. आ0/418- दिगेश्वर सिंह 5. आ0/1153 त्रिवेणी पासवान 6. जव्ती सूची-आ0/717- विजेन्द्र यादव,सभी थाना- सदर जिला- चतरा 7.आ0/1156- अजय कुमारपासवान 8. परिचारी राजकिशोर कुमार ,पुलिस लाईन,चतरा । 8. पु0अ0नि0 करम सिंह होरो ,		
24	सदर थाना काण्ड संख्या- 216/17, दिनांक -16.07.17,	1. सोमर भुईयां पे0- जागेश्वर भुईयां साकिन- सजना थाना- सदर जिला-चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश, प्रथम,चत रा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 9431187972	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 करम सिंह होरो ,	1.वादी- देवन्ती देवी पति- राजेन्द्र दास साकिन- कठौतिया टोला ,थाना-सदर जिला-चतरा 2. शंकर दास पे0डोमन दास साकिन- कोबना थाना-हंटरगंज 3.राजेन्द्र रविदास पे0विशुन रविदास साकिन- कठौतिया 4. जगदिश राम पे0 स्व0 लालु राम साकिन- कठौतिया 5. राजेश चौधरी पे0स्व- पच्चु		

	धारा- 363,366(ए0) भा0द0वि0 एवं 4 पोकसो एक्ट, 25/17							चौधरी साकिन- कठौतिया 6.आहुता करुणा कुमारी पिता- राजेन्द्र दास 7. चिकित्सक अमृता अनुप्रिया ,सदर अस्पताल 8. पु0अ0नि0 करम सिंह होरो ,थानसदर जिला-चतरा ।		
25	सदर थाना काण्ड संख्या 313/17,दिनां क- 09.10.17 ,धारा- 302,34 ST-24/18	1.देवनन्दन गंडु पे0 शंकर गंडु 2. तुला गंडु पे0 स्व0 महेशी गंडु दोनो साकिन- भुईयाडिह थाना सदर जिला-चतरा ।		जमानत पर	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ,प्रथम,च तरा		अनुसंधानकर्तास0अ0नि0 पतिराम सिंह	1. वादी- शोभी गंडु पे0- स्व0 नमोली गंडु साकिन- भुईयाडीह थाना सदर जिला-चतरा । 2.पैरु गंडु पे0 स्व0 बाबू गंडु 3. विगनी देवी पत्निव0 नमोली गंडु सभी साकिन भुईयाडीह थानासदर 4. रमन सिंह पे0 मुनेश्वर सिंह साकिन्हेमरा थाना-राजपुर ,जिलाचतरा ।		
26	सदर थाना कांड संख्या-226 /17, दिनांक- 28.07.17, धारा- 363,366, भा0द0वि0 एवं 08, पोकसो एक्ट. 26 / 17	1. दीपक कुमार गुप्ता, पे0 स्व0 गोपाल प्रसाद गुप्ता, साकीन- धंगरटोली, थाना- सदर, जिला- चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ,प्रथम,च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72	1 अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 उमेश किस्कू ।	1. वादी 1. सिकन्दर चौधरी, पे0 स्व0 रामचन्द्र चौधरी 2'. कलवा देवी, पति सिकन्दर चौधरी, दोनों साकीन- चौर मुहल्ला, थाना- सदर, जिला- चतरा । 3. विशाल कुमार, पे0 गोपाल राम, साकीन- पाँचवा मुहल्ला, थाना- सदर, जिला- चतरा 4. चमेली देवी, पति अर्जुन राम, साकीन- चौर मुहल्ला, थाना- सदर, जिला- चतरा 5. डॉ0 अमृता अनुप्रिया, सदर अस्पताल चतरा । 6. स0अ0नि0 उमेश किस्कू, सदर थाना, जिला- चतरा ।		
27.	सदर थाना कांड	1. अनिल कुमार भोगता, पे0 जीवन		जेल	जिला एवं अपर सत्र	श्री गौरी शंकर सिंह	1. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 कार्तिक सिंह मुण्डा ।	1. बबिता कुमारी, पे0 बिरेन्द्र गंडू 2. बिरेन्द्र गंडू, पे0 दर्शन गंडू 3. तेतरी देवी, पति बिरेन्द्र गंडू 4.		

	संख्या-308 / 17, दिनांक- 04.10.17. धारा- 376, भा0द0वि0 एवं 04, पोक्सो एक्ट 2018। 15 / 18	गंझू, साकीन- शेषांग, थाना- सदर, जिला- चतरा ।			न्यायधीश ,प्रथम,च तरा	ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72		संजय गंझू, पे0 बासुदेव गंझू, सभी साकीन- शेषांग, थाना- सदर, जिला- चतरा ।		
28.	सदर थाना कांड संख्या-101 / 17, दिनांक- 09.04.17. धारा- 376, भा0द0वि0 एवं 04, पोक्सो एक्ट 20 / 17	1. दिलीप भुईयां, पे0 आनंद भुईयां 2. रंजन कुमार पासवान, पे0 परमेश्वर पासवान 3. उमेश पासवान, उर्फ चरका पासवान, पे0 बैजनाथ पासवान, सभी साकीन- तरोग, थाना- राजपुर, जिला- चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ,प्रथम,च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72	1. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 दयानन्द राम, सदर थाना, जिला- चतरा ।	1. गुड़िया कुमारी, पे0 बासुदेव भुईयां, साकीन- आयुकातू, थाना- सदर, जिला- चतरा 2. गुड़िया कुमारी, पे0 गौरी भुईयां, साकीन- कुरखेता, थाना- राजपुर, जिला- चतरा, 3. मीना कुमारी, पे0 भुवनेश्वर भुईयां 4. अनिता देवी, पति भुवनेश्वर भुईयां 5. पर्वतिया देवी, पति बासुदेव भुईयां 6. सुकनी देवी, पति निर्मल भुईयां, सभी साकीन- आमुकातू, थाना- सदर, जिला- चतरा 7. डॉ0 अमृता अनुप्रिया, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल चतरा 8. स0अ0नि0 दयानंद राम, सदर थाना चतरा ।		
29.	पत्थलगड्डा थाना कांड संख्या-01 / 18, दिनांक- 01.01.18. धारा- 379, भा0द0वि0	1. मनु साव, पे0 स्व0 सुरज साव, साकीन- बरवाडीह, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ,प्रथम,च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72	अनुसंधानकर्ता 1. स0अ0नि0 सुरेन्द्र चातर, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।	1. वादी महावीर यादव, पे0 तिलक यादव, 2. बिशुन भुईयां, पे0 सोमर भुईयां 3. सविता देवी, पति बिशुन भुईयां 4. तिलक भुईयां, पे0 बिता भुईयां, सभी साकीन- गोपीपुर, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा 5. मो0 नईम, पे0 स्व0 गफार, साकीन- बनवारा, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		

	एवं 04 / 06, पोक्सो एक्ट. 13 / 18									
30.	पत्थलगड्डा थाना कांड संख्या-37 / 16, दिनांक- 17.10.16. धारा- 18,21,22, एन0डी0पी0 एस0एक्ट-0 4 / 17	1. उदय पूर्ति, पे0 साव पूर्ति, साकीन- ढेकाटांड, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा 2. उदय कुमार दांगी, पे0 विशेश्वर दांगी, साकीन- बरवाडीह, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश , चतरा ।	श्री लाल बिहारी मंडल ए0पी0पी0 मो0 नं0-94713 69533	1.अनुसंधानकर्ता अ0नि0 सिलवेस्टर बारला,	1. वादी 1.अ0नि0 नवीन कुमार रजक, पे0 लक्ष्मण राम, साकीन+थाना- भवनाथपुर, जिला- पलामू, वर्तमान थाना प्रभारी, पत्थलगड्डा, जिला चतरा 2. अविनाश प्रवेन्दु, पे0 रामनन्दन प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पत्थलगड्डा, जिला- चतरा 3. रामनरेश रजक, पे0 स्व0 बिशुन रजक, साकीन- बरवाडीह, 4. विनय कुमार, पे0 स्व0 जवाहर साव, साकीन+थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा 5. हवलदार रतन कुमार गुप्ता 6. आरक्षी / 1010, पतिराम बेदिया 7. आ0 / 880 सुमन उरांव 8. आ0 / 1044, तारकेश्वर रजक 9. आ0 / 887, उपेन्द्र पाल 10. अ0नि0 सिलवेस्टर वारला, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		
31.	पत्थलगड्डा थाना कांड संख्या-22 / 17, दिनांक- 25.05.17, धारा- 376, भा0द0वि0 एवं 4 / 8, पोक्सो एक्ट चाईल्ड एक्ट.07 / 17	1. मिथुन ठाकुर उर्फ मिथिलेश ठाकुर, पे0 जवाहर ठाकुर, साकीन- बरवाडीह, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश , प्रथम, च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72	1.अनुसंधानकर्ता अ0नि0 सिलवेस्टर बारला,	1. नागेश्वर ठाकुर, पे0 स्व0 महावीर ठाकुर 2.संतोष ठाकुर, पे0 द्वारिका ठाकुर, 3. अंचल देवी, पति ननकू ठाकुर सभी साकीन- बरवाडीह, थाना- पत्थलगड्डा, जिला- चतरा ।		

32.	गिद्धौर थाना कांड संख्या-22 / 17, दिनांक- 18.03.17, धारा- 17, 18, एनडीपीएएस0 एक्ट-47 / 17	1. रौशन सिंह भोगता, पे0 स्व0 तिलक सिंह भोगता, साकीन- गोही, थाना- बाराचट्टी, जिला- गया 2. धनेश्वर दांगी, पे0 बनी महतो, साकीन- गिद्धौर, ऊपर टोला, थाना- गिद्धौर, जिला- चतरा ।		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधीश , चतरा	श्री केके0 प्रधान पीपी0 मोनं0-76 31848687	1. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 नाथुन सिंह, गिद्धौर थाना, जिला- चतरा ।	1. हवलदार अरुण महतो, पे0 श्री रामवृक्ष महतो, साकीन- जिम्मा, थाना- कुडू, जिला- लातेहार, वर्तमान पता चतरा जिला बल 2. हवलदार राजेन्द्र झा, पे0 रामेश्वर झा, साकीन-ढेर, थाना- बरैलीगंल, जिला- नवादा 3. हवलदार बिन्देश्वर उरांव, पे0 बुधराम उरांव, साकीन- पेटरो, थाना- सिसई, थाना- गुमला, वर्तमान चतरा जिला बल 4. आ0 / 596, जयजीत सिंह, पे0 रामचन्द्र सिंह, साकीन- साडम, थाना- ईचाक, जिला- हजारीबाग, वर्तमान जमशेदपुर जिला बल 5. आ0 / 753, साकिब आलम, पे0 जाफर आलम, साकीन- बिशुनपुर, थाना- सदर, जिला- गिरिडीह, वर्तमान पता चतरा जिला बल 6. चालक आरक्षी / 1003, जितेन्द्र यादव, पे0 अमन यादव, साकीन- मंझगावां, थाना- मयुरहंड, जिला- चतरा, वर्तमान चतरा जिला बल 7. उदय कुमार उर्फ नवल पे0 स्व0 बैजनाथ दांगी 8. रूपलाल दांगी, पे0 प्रेमा महतो, दोनों साकीन +थाना गिद्धौर, जिला- चतरा ।		
33.	बशिष्ठनगर थाना कांड संख्या- 07 / 17, दिनांक- 4. 02.17, धारा- 376 भा0द0वि0 एवं 06 लौकिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम	1. संतोष साव उर्फ संतन, पे0 जगेश्वर साव, साकीन- सलैया, थाना- बशिष्ठनगर, जिला- चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश , प्रथम, चतरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मोनं0. 94311879 72	1. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 जैरा बाखला ।	1. वादी दिलीप साव, पे0 ननकू साव, 2. सत्या देवी, पति ननकू साव 3. प्रदीप यादव, पे0 स्व0 प्रयाग महतो 4. कृष्णा पासवान पे0 सरयू पासवान 5. तेतरी देवी पति धथोरी साव 6. दिलीप साव, पे0 ननकू साव 7. कमेश यादव, पे0 स्व0 प्रसाद यादव सभी साकीन- सलैया, थाना- बशिष्ठनगर, जिला- चतरा 8. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 जैरा बाखला ।		

	08 / 17 ।									
34	राजपुर थाना काण्ड-41/17 ,दिनांक- 26.05.17 ,धारा- 376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट NDPS ACT-29/17	1. प्रेम सागर सिंह पे0 ईश्वर सिंह साकिन- कान्हा कला थाना-राजपुर जिला-चतरा ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश ,प्रथम,च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह ए0पी0पी0 चतरा मो0नं0. 94311879 72	अनुसंधानकर्ता अ0नि0 जुनास बेग	1. वादी- रम्पी कुमारी पे0- भगवान सिंह 2. मालती देवी पति भगवान सिंह 3.देवेन्द्र प्रसाद सिंह मे0 भगवान सिंह 4.गिता देवी पतिशिवपूजन सिंह 5.बच्चु कुमार सिंह पे0वन सिंह 6. रामविजय सिंह पे0नागेश्वर सिंह सभी साकिन कान्हा कला ,थाना-राजपुर जिला-चतरा ।		
35	राजपुर थाना काण्ड संख्या- 21/16 ,दिनांक 12.03.16 ,धारा- 8(बी),15,16, 18,22,32,4 6 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट - 21/16	1. विनोद कुमार गुप्ता पे0रतन साव 2.गोपाल सिंह पे0 कैलु सिंह दोनो साकिन- पथेलटोला पचखेरी थाना राजपुर जिला- चतरा .		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र न्याय धीश, चतरा	श्री के0के0 प्रधान पी0पी0 मो0नं0-76 31848687	अनुसंधानकर्ता अ0नि0 अजय मिंज 1.	1.अ0नि0 अजय कुमार पंजीकार 2. ए0एस0पी0 अश्वीनी कुमार मिश्रा 3.स0अ0नि0 अरविन्द कुमार 4. स0अ0नि0 जुनास बेग 5.हव0 जाण्डेय तियु 6. हव0 सेयद सफदर रजा 7. द्वारीका सिंह पे0स्व0 जागेश्वर सिंह 8.जागरनाथ सिंह पे0हावीर सिंह दोनो साकिन- मनवाझोर थाना- वाराचट्टी,जिला- गया ।		
36	लावालौंग थाना काण्ड संख्या 13/17, दिनांक	1. मो0- दानिश आलम उर्फ गुलजारी पे0 मो0 कालीम		जमानत पर	प्रधान जिला एवं सत्र	श्री के0के0 प्रधान पी0पी0	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 लखीराम मुण्डा	1.वादी- पु0अ0नि0 शत्रुघन पासवान ,थाना प्रभारी,लावालौंग 2.हव0 हिमांशु कुमार 3.आ0/1135- सुबोध कुमार दास 4.आ0/254		

	- 31.03.17, धारा- 18 एनडीपीएस एक्ट 29/17	साकिन-सौरु नावाडीह 2. विक्रम गंडु पेस्व लाटो गंडु 3. आफत साह पेस्व अन्तु साव दोनो साकिन- भुषाद 4. सुकुल मोची पे टेगु मोची साकिन सौरु नावाडीह थाना-लावालाँग जिला-चतरा ।			न्यायधीश , चतरा ।	मोनं-76 31848687		दिनेश कुमार पाण्डेय 5.आ0/683- रजनीकांत		
37	पत्थलगडा थाना काण्ड संख्या 17/17 ,दिनांक 01.05.17, धारा- 323,376,120 (बी),34 भादवि 3/8 पोक्सो एक्ट 15/17	1. प्रदीप कुमार पे योगेन्द्र साव 2. योगेन्द्र साव पेना मालूम 3. सरस्वती देवी पति योगेन्द्र साव 4. लक्ष्मी देवी पति- ना मालूम 5. गोखुल साव पेना मालूम ।		जेल	जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश , प्रथम, च तरा	श्री गौरी शंकर सिंह एपीपी चतरा मोनं. 94311879 72	अनुसंधानकर्ता अनि सिलबेस्टर वारला	1. वादिनी- पूजा कुमारी पित्तस्व काशी साव 2. देवा राणा पे नारायण राणा 3. निजों राणा पे लस्व पुनित राणा 4. विजय साव पे वलदेव साव एवं 5. लखन साव पे मरहुम दम्बरी साव सभी साकिन- नुनगांव थाना पत्थलगडा जिला-चतरा ।		
38	पिपरवार थाना काण्ड संख्या 31/16 ,दिनांक 12.06.16 , धारा- 341,323,34 भादवि एवं 25(1-बी)ए ,26,35,27 आर्मस एक्ट ।	1. विक्रम डोम पे जानकी डोम 2. गुड्डू डोम पे चतुरी डोम दोनो साकिन- अमबेदकर नगर थाना-पिपरवार जिला-चतरा		जमानत पर	अनुमंडल न्यायिक दंडाधिका री, चतरा ।	श्री दीपक सांगा एपीपी मोनं-970 9244198	अनुसंधानकर्ता अनि गौरी शंकर तिवारी	1. वादी- नागेश्वर राम पेस्व लटन राम 2. अजय राम पे मुराली राम 3. शिव शंकर सिंह पेस्व ललन सिंह 4. वैजनाथ तिवारी पे देवसुन्दर तिवारी चारों साकिन- विशुष्णापा 5. राजकुमार सिंह पेस्व रघुवंस सिंह साकिन चरा, बाजर टांड थाना पिपरवार जिला-चतरा 6. कुलदिप राम पे भोगल राम साकिन- मानकी कोलयुरी थाना खेलारी जिला मरांची ।		

देवघर जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित किये गये 43 कांडों की सूची :-

क्र० सं०	कांड सं०/तिथि/ धारा/GR/ ST NO.	अभियुक्तों का नाम पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभि० जेल में / फरार / बेल	न्या० का नाम	पी०पी का नाम एवं मो० नं०	वादी का नाम पता	सरकारी गवाह / अनु० कर्ता० / चिकित्सक / विशेषज्ञों का नाम पता मो० नं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो० नं०	अभियुक्त
1.	2.	3.	4.	5.	6	7	8.	9.	10.	11.
1.	नगर थाना कांड सं०- 496/13, दि०- 11.08.13, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR- 1492/13	1.सुनील कु० दास 2. रंजीत दास दोनों पिता घुटर दास सा०- घनघौर बंपास टाउन, थाना- नगर , जिला- देवघर ।	यह काण्ड वादी अ०नि० कृष्ण कुमार साहु के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर काण्ड के प्राथमिकी अभि०- 1.सुनील कु० दास 2. रंजीत दास दोनों पिता घुटर दास सा०- घनघौर बंपास टाउन, थाना- नगर , जिला- देवघर के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	1.जेल में 2.बांका बिहार जेल में ।			पु०अ०नि० कृष्ण कुमार साहु तत्कालीन थाना प्रभारी नगर ।	स०अ०नि० अयोध्या तिवारी 2.सुर्यनारायण सिंह परिचारी प्रवर पु०के० देवघर 3.आ०/667 संतोष मंडल 4.आ०/676 कौशल कुमार 5.आ०/673 प्रमोद कु० सिंह 6.आ०/674 चन्दन कु० यादव सभी नगर थाना देवघर ।	---	
2.	नगर थाना कांड सं०- 376/14, दि०- अंकित नहीं धारा- 25(1-बी)ए/26/35	1.सुभम मिश्रा पिता पशुपति मिश्रा सा०- मानसरोवर मानसिंधी थाना+जि०- देवघर । 2.अप्राथमिकी	पु०अ०नि० नूनदेव राय थाना प्रभारी नगर देवघर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर अभि० .सुभम मिश्रा पिता	दोनों अभि० बेल पर है ।			पु०अ०नि० नूनदेव राय थाना प्रभारी नगर ।	1.पु०नि० अरविन्द उपाध्याय नगर अंचल देवघर 2.पु०अ०नि० जे०पी० तिकी 3.स०अ०नि० विजय कु० मंडल नगर थाना ।	1.अजय कु० झा सा०- विलासी 2.राहुल ठाकुर सा०- वी०आई०पी० गली सरदार पंडा लेन देवघर थाना- नगर जिला- देवघर ।	

	आर्म्स एक्ट GR- 881/14	अभियुक्त बाबा परिहस्त पिता गणेश परिहस्त सा0- बैधनाथ लेन गली थाना+जि0- देवघर ।	पशुपति मिश्रा सा0- मानसरोवर मानसिंधी थाना+जि0- देवघर के विरुद्ध अवैध देशीपिस्टल गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मं प्रतिवेदित कराया गया है ।						
3.	नगर थाना कांड सं0- 737/14, दिं0- 16.12.14, धारा- 25(1- बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR- 1722/14	1.मोनु कुमार राउत उर्फ मोनु सिंह पिता शिवचन्दन सिंह सा0- सुलतान गंज रोड रांगामोड़ 2.सौरभ कुमार पिता उगनदेव चौधरी सा0- रांगा मोड़ हरियाली कॉम्पलैक्स के सामने 3.सौरभ कुमार चौथरी पिता चन्द्र शेखर चौधरी सा0-दर्शनिया मोड़ बी0एन0 झा पथ सभी थाना+जि0- देवघर 4.निरज कुमार सिन्हा	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 मनोज कु0 गुप्ता स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मं प्रतिवेदित कराया गया है ।	सभी अभि0 बेल पर है ।			वादी पु0अ0नि0 मनोज कु0 गुप्ता थाना प्रभारी नगर ।	1.पु0अ0नि0 संतोष कुमार पाण्डेय 2.पु0अ0नि0 मधु सुदन दे थाना प्रभारी रेल जसीडीह 3.पु0अ0नि0 नवीन कुमार सिंह 4.जय प्रकाश नाग परिचारी प्रवर गिरीडीह 5.आ0/262 जयनंदन हासदा 6.आ0/265 मो0 इस्लाम 7.आ0/213 मनीरुद्दीन	1.आनन्द केशरी 2.मनोज कुमार
4.	नगर थाना कांड सं0- 195/16, दिं0- 07.04.16, धारा- 376/307/325 /34	1.कुणाल उर्फ कुंदन हरिजन पिता ब्रह्मदेव हरिजन सा0- संथाली थाना- जसीडीह जिला- देवघर ।	यह काण्ड वादिनी प्रमिला कुमारी के फर्दब्यान के आधार पर प्राथमिकी के अभि0 के विरुद्ध बलात्कार कर जान मारने के नियत से	बेल पर है ।			प्रमिला कुमारी पिता धर्म सिंह सा0- अहरा थाना-चान्दन जिला- बांका बिहार ।	1.पु0अ0नि0 दिलीप कु0 दास 2. पु0अ0नि0 श्याम किशोर महतो 3. डॉ0 परमजीत कौर 4.डॉ0 नंदलाल पंडित 5.डॉ0 मनीष लाल 6.डॉ0 एस0पी0 वर्मा 7.	1.पिडिता प्रमिला कुमारी 2.धर्म सिंह ।

	भा0द0वि0 एवं 3/4/6 पोक्सो एक्ट । POSCO-23/16		पुल से फेक देने जिसमें जख्मी होने एवं पैर टूटने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।					डॉ0 सी0के0 साही 9.डॉ0 अनिकेत चिकित्सा पदा0 देवघर 10.आ0/784 डॉन सुन्डी 11. हव0 परमानन्द सिंह ।		
5.	नगर थाना कांड सं0-298/16, दिं0-29.05.16, धारा- 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट GR-808/16	राहुल मिश्रा पिता संतोष मिश्रा सा0-लक्ष्मीपुर चौक झौसागड़ी थाना+जिला- देवघर ।	यह काण्ड वादी स0अ0नि0 ब्रह्मदेव प्रसाद नगर थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 राहुल मिश्रा के आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मं प्रतिवेदित कराया गया है ।	बेल पर है ।			स0अ0नि0 ब्रह्मदेव प्रसाद नगर थाना ।	1.गृ0र0/1634 रुपेश कुमार चौधरी 2.गृ0र0/1290 मनोज राउत 3. 789 नागेश्वर मेहता 4.गृ0र0/803 बासुदेव साव सभी नगर थाना देवघर । 5.स0अ0नि0 विजय कुमार मंडल ।	----	
6	नगर थाना कांड सं0-306/17, दिं0-14.05.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR-788/17	1.पिन्दु कुमार यादव पिता कामेस्वर यादव सा-बरमसिया 2.दीपक कुमार सिंह पिता उत्तम कु0 सिंह सा0-भी0आई0पी0 चौक 3. संतोष कु0 यादव पिता स्व0 अर्जुन कु0 यादव सा0- कृष्णा पुरी सभी था0+जि0- देवघर ।	यह काण्ड पु0अ0नि0 सिराजुद्दीन खान के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मं प्रतिवेदित कराया गया है ।	सभी अभि बेल पर है ।			पु0अ0नि0 सिराजुद्दीन खान नगर थाना ।	1.स0अ0नि0 श्रीकांत बाजपेयी 2. .गृ0र0/423 सिंधु राज 3. .गृ0र0/803 बासुदेव प्रसाद 4. .गृ0र0/1634 रुपेश कु0 चौधरी 5. .गृ0र0/1301 जितेन्द्र कु0 राय		
7	नगर थाना कांड सं0-377/17, दिं0-07.06.17,	1.केदार दास पिता कीनु दास सा0-घनघौर 2. मो0	यह काण्ड पु0नि0 अरविन्द उपाध्याय थाना प्रभारी नगर	1.जेल में 2.दुमका रिमांड			पु0नि0 अरविन्द उपाध्याय	1.पु0अ0नि0 जयदीप टोप्पो 2.स0अ0नि0 परमानन्द पाल 3.		

	धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR-967/17	साहिल उर्फ सोनु पिता मो0 गुलाब सा0-गुलीपाथर दोनों थाना- नगर 3.लाडला दासपिता कन्हैया दास सा0-जनकपुर 4. कन्हैया सिंह पिता विजय सिंह सा0-पगलाबाबा दोनों थाना- जसीडीह जिला- क्षेत्र ।	के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	होम मे 3.जेल में 4. जेल में			थाना प्रभारी नगर	पु0नि0 श्याम किशोर महतो 4. आ0/884 प्रमोद कु0 मंडल 5. आ0/924 संजय कुमार ।		
8	नगर थाना कांड सं0-660/17, दिं0-21.10.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR-1817/17	1.नन्दलाल मंडल उर्फ नंदु पिता तेजलाल मंडल सा0-गांधीचौक रोहिणी थाना- जसीडीह 2. मो0 आरीफ सा0-डंगाल पाड़ा थाना-मधुपुर जिला- देवघर ।	यह काण्ड पु0नि0 विनोद कुमार थाना प्रभारी नगर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	1.जेल में			पु0नि0 विनोद कुमार थाना प्रभारी नगर	1.स0अ0नि0 भोला प्रसाद यादव 2.हव0 परमानन्द मंडल 3.आ0/703 अखिल कु0 पाण्डेय	1.अशोक मंडल 2. नागेश्वर पोद्दार 3.चुनचनु रवानी ।	
9	नगर थाना कांड सं0-803/17, दिं0-27.12.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR-2118/17	1. अकरम शेख उर्फ छोटु पिता सहनवाज सेख उर्फ चरकु 2. . रुस्ताम उर्फ सोनु पिता समीम शेख 3. अजहरुद्दीन उर्फ छोटु पिता राजु शेख सभी सा0- हिरणा थाना+जिला – देवघर ।	यह काण्ड पु0नि0 विनोद कुमार थाना प्रभारी नगर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप	सभी अभि0 जेल में ।			पु0नि0 विनोद कुमार थाना प्रभारी नगर	1.स0अ0नि0 भोला प्रसाद यादव 2.स0अ0नि0 मदन चौधरी 3.स0अ0नि0 रामानुज सिंह 4.कैलाश कुमार परिचारी प्रवर गिरीडीह 5. आ0/703 अखिल कुमार पाण्डेय 6. आ0/784 डॉन सुन्डी	--	

			में प्रतिवेदित कराया गया है।						
10.	जसीडीह थाना कांड सं0-125/15, दि0-10.06.15, धारा- 302 भा0द0वि0। GR-890/16	1.विक्रम हासदा उर्फ बिनु पिता पांचुराम हासदा 2. फुलेश्वर मांझी उर्फ भगलु पिता सातो मांझी दोनों सा0- पुआरी कोठिया 3. लल्टु मांझी पिता बलदेव मांझी सा0- गिधनी मोड जसीडीह देवघर।	यह काण्ड वादी संतोष मांझी के फर्दब्यान के आधार पर अभि0 के विरुद्ध हत्या करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	1.जेल में 2.जेल में 3.बेल पर।			संतोष मांझी पिता स्व0 झारु मांझी सा0- पुआरी कोठिया थाना- जसीडीह जिला- देवघर।	1.पु0नि0 विनोद कुमार 2.डॉ0 एससान उल तौहिद सदर अस्पताल देवघर। 3.आ0/873 विनोद सोरेन।	1. शंकर मांझी 2.नरेश हांसदा 3.रमीता कोल 4. पलटन मांझी
11.	जसीडीह थाना कांड सं0-259/17, दि0-03.07.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR-1150/17	1.मनोज पुजहर पिता लीलो पुजहर उर्फ लालो सा0- बड़ा धबाना थाना- जसीडीह 2. सौदागर खैरा उर्फ सौदा नैया पिता बुधन खैरा सा0- गोरबा थाना+जिला- बांका बिहार	यह काण्ड वादी पु0नि0 श्याम किसोर महतो के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	दोनो अभि0 जेल में।			पु0नि0 श्याम किसोर महतो	1.स0अ0नि0 ब्रह्मदेव प्रसाद 2. पु0अ0नि0 दुशयंत सिंह 3. हव0 जग्गु उराव 4. आ0/873 विनोद सोरेन 5. आ0/389 मनोज खलको।	
12.	देवीपुर थाना कांड सं0-33/17, दि0-13.03.17, धारा- 302 भा0द0वि0। GR-394/17	1.दिनेश्वर कोल पिता सुफल कोल सा0-आमजो थाना- देवीपुर जिला – देवघर।	यह काण्ड वादी नरेश कोल पिता दिनेश्वर कोल सा0- अमजो थाना- देवीपुर जिला- देवघर के लिखित आवेदन के आधार पर अभि0 के विरुद्ध	जेल में।			नरेश कोल पिता दिनेश्वर कोल सा0- आमजो थाना- देवीपुर जिला- देवघर।	पु0अ0नि0 मरियानुस खलखो 2. डॉ0 चन्द्र किशोर साही देवघर।	1.बिजली देवी 2.दिलीप मुर्मू 3. दामोदर कोल 4. धनराज कोल 5. बासुदेव कोल

			हत्या करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।						
13.	देवीपुर थाना कांड सं0- 134/17, दि0- 15.03.17, धारा- 272/273290 भा0द0वि0 एवं 47ए उत्पाद अधि0। GR- 1601/17	1.लालु कुमार साह पिता प्रयाग साह सा0- बंकर चेकपोस्ट 12 बरियारपुर थाना- मुफ्फसील जिला- मोतिहारी बिहार 2. गगन पासवान पिता रामस्वरुप पासवान सा0- कोलाहारा थाना- मधुबनी जिला- मोतिहारी बिहार 3. मिठु कुमार पिता केदार साह सा0- साईन थाना- काटी जिला- मुजफ्फरपुर बिहार 4. विकाश कुमार पिता स्व0 रामाशीष साह सा0- मोतीपुर थाना+जिला- मुजफ्फरपुर बिहार 5. रामाधार साह ता भवेस साह सा0- मोतीपुर थाना- मोतीपुर जिला- मुजफ्फरपुर बिहार 6. राजु यादव पिता पुरन यादव सा0- पाण्डुरायडीह थाना- देवीपुर जिला-	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 पुनीत उराँव देवीपु थाना के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध देशी शराब विदेशी भी बनाने कय विक्रय के दौरान रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	1.बेल पर 2.जेल में 3.बेल पर 4,5,6 तीनों अभि0 जेल में है।		वादी पु0अ0नि0 पुनीत उराँव देवीपुर थाना	1.पु0अ0नि0 पी0सी0 सिन्हा 2. स0अ0नि0 एमानुएल कुजुर 3. पु0अ0नि0 पिकु कुमार यादव 4. स0अ0नि0 कृष्णा पाहन तिर्की	1.कामदेव झा 2. विनेद यादव	

		देवघर ।							
14.	देवीपुर थाना कांड सं0-15/18, दि0-14.01.18, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट 78/18	1.जितेन्द्र सिंह पिता स्व0 हरेन्द्र सिंह सा0- कुमुदनी घोष रोड बरमसिया 2. रंजीत कुमार पिता गोपाल सिंह सा0- नन्दनपहाड़ पोखर केपास 3. राजु कुमार पिता सुरेश प्रसाद शर्मा सा0- श्रीकांत रोड बेलाबगान सभी था0+जिला- देवघर ।	यह काण्ड पु0अ0नि0 पी0सी0 सिन्हा थाना प्रभारी देवीपुर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	1.जेल में 2,3 अभि0 बेल पर है ।			पु0अ0नि0 पी0सी0 सिन्हा थाना प्रभारी देवीपुर	1.स0अ0नि0 कृष्णा पाहन 2.जयप्रकाश नाग परिचारी प्रवर 3. स0अ0नि0 रंजीत कुमार 4. हव0 लालबाबु साह 5. आ0/313 करमन राय 6. आ0/775 दीपक रजक ।	
15.	सारवां थाना कांड सं0-04/18, दि0-17.01.18, धारा- 304/328/307 /272/273/28 4/34 भा0द0वि0 एवं धारा-47ए उत्पाद अधि0 GR- 92/18	1.नितीश कुमार 2. निरज कुमार सिंह दोनो पिता प्रमोद कुमार राय सा0- चंदना 3. नवल पंडित पिता सुफल पंडित सा0- बंधेरी तीनों थाना- सारवां जिला- देवघर ।	यह काण्ड वादी योगेश प्रताप पिता स्व0 कृष्ण किशोर सिंह सा0-डांगा थाना- सारवां जिला- देवघर के लिखित आवेदेन के आधार पर अभि0 के विरुद्ध जहरिली शराब का कय कविक्रय करने एवं पीने पिलाने का कार्य करने जिससे काण्ड के मृतको की मृत्यु होने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है	सभी अभि0 जेल में है ।			योगेश प्रताप पिता स्व0 कृष्ण किशोर सिंह सा0- डांगा थाना- सारवां जिला- देवघर ।	1.पु0अ0नि0 मुनेश्वर चौधरी 2.डाँ0 सी0के0 साही 3.डाँ0 नवल किशोर सिंह 4.डाँ0 राम नारायण प्र0 सदर अस्पताल देवघर ।	1.काली चरण राउत 2.कामदेव राउत 3. उषा देवी 4.मुकेश कु0 सिंह 5.रंजीत राय 6.संदीप कुमार 7.ननकु यादव
16	देवघर नगर थाना काण्ड	1-सुरज मिश्रा पे0-सुशिल चरण मिश्रा	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 के0के0 साहू	1. बेल पर 2. जेल में			पु0अ0नि0 के0के0 साहू	1-स0अ0नि0 अरविन्द कुमार 2.हव0 संजय कुमार गुप्ता 3.	

	सं0-62/13, दिनांक-14.02.13, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट GR- 198/13	सा0- हनुमान टिकरी काली मंदिर के पास थाना-नगर 2. संतोष कुमार दास पे0- सुकदेव दास सा0-ठाढ़ी दुलमपुर, थाना-कुण्डा, दोनो जिला-देवघर।	थाना प्रभारी नगर के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तो के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।					आ0/673 प्रमोद कुमार सिंह 4.आ0/621 प्रकाश रविदास 5.आ0/636 नुरुल हसन 6.आ0/679 सुलेमसन मरांडी 7.परिचारी प्रवर विजय कुमार सिंह 8. स0अ0नि0 सुर्यजित प्रसाद सिंह		
17	देवघर नगर थाना काण्ड सं0-379/11, दिनांक-21.11.11 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट GR- 1032/11	1-सुनिल दास पे0- घुटर दास सा0- घनघोर,थाना-नगर, जिला-देवघर 2.दीपक यादव उर्फ दुर्गा यादव पे0- स्व0 कुष्ण प्रसाद यादव सा0- नीमा, थाना-रजौन, जिला-बांका (बिहार)	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 के0के0 साहू थाना प्रभारी नगर के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तो के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	1.जेल में 2. बेल पर			पु0अ0नि0 के0के0 साहू	1-गृह0/624 वासुदेव यादव 2.चालक/270 राधेश्याम 3. गृह0/315 दयानंद यादव 4.गृह0/632 दिनेश यादव 5.गृह0/1075 गणेश झा 6. परिचारी प्रवर नित्यानंद पाठक 7.स0अ0नि0 दशरथ प्रसाद सिंह	1-जगदीश राम पे0- स्व0 नागेश्वर दास 2.प्रदीप दास पे0- स्व0 मको दास दोनो सा0-घनघोर बम्पास टाउन, थाना-नगर 3.रामनाथ महथा पे0- जयकिशुन महथा सा0-बरमसिया 4सुनिल महथा पे0-पैतर महथा सत्संग रोड दोनो थाना-नगर, जिला-देवघर	
18	देवघर नगर थाना काण्ड सं0-84/10, दिनांक-06.03.10 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट GR- 208/10	1-राहूल कुमार पे0- अशोक प्रसाद साह सा0-कालीरखा, थाना व जिला-देवघर	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 अंजनी कुमार तिवारी थाना प्रभारी नगर के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तो के विरुद्ध अवैध देशी पिस्तौल एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	बेल पर			वादी पु0अ0नि0 अंजनी कुमार	1-आ0/172 शशिकांत सिंहा 2.गह0/803 वासुदेव राय 3.गह0/1094 किशुन सौरिन 4.गह0/1551 मो0 फहीम उद्दीन 5.गह0/1153 वासुदेव मंडल 6. चा0आ0/264 चन्द्र कुमार मिश्रा 7.परिचारी प्रवर नित्यानंद पाठक 8.अ0नि0 रमाशिष बैठा	1-राज कुमार मंडल पे0-मोहन मंडल सा0- चॉदडीह, थाना-कुण्डा 2.बलवीर सिंह पे0-सुधीर प्रसाद सिंह सा0-कुसमाहा, थाना-जसीडीह, जिला-देवघर	
19	मधुपुर थाना कांड सं0-45/17, दि0-15.02.17 धारा- 376 भा0द0वि0 ST- 10/18	1.मुस्ताक शेख पे0 मुस्लिम शेख, सा0 पथल जोड, थाना मधुपुर जिला देवघर।	वादिनी को सौच करने हेतु जाने के क्रम में अभियुक्त के द्वारा पकड कर बलात्कार किया गया है।	बेल पर।			सविना खातुन पे0 हेगन शेख सा0 पथलजोड थाना मधुपुर जिला देवघर।	अनु0कर्ता- पु0अ0नि0 परशुराम सिंह, पु0अ0नि0 जगदेव पाहन तिकी, डॉ सुषमा वर्मा, सदर अस्पताल देवघर	1.साक्षी मुमताज शेख, पे0 फालगुन शेख 2. सविना खातुन,पति - हेगन शेख 3. रजियाखातुन,पति-समशेर शेख 4 सकीना खातुन, पति - गाबुल शेख सभी सा0 पथलजोड थाना मधुपुर जिला देवघर।	

20	मधुपुर थाना कांड सं०-71/17 दि०-14.03.17 धारा-323/341/324/386/376/504/506 भा०द०वि० ST-113/17	मो० शामीम अंसारी पे० स्व०. कमरुद्दीन मियाँ सा० क्वा० नं०-34/35 रेलवे कॉलोनी खलासी मोहल्ला मधुपुर थाना मधुपुर जिला देवघर।	वादिनी को झौसा देकर अपने क्वा० में बुलाकर जबरदस्ती बलात्कार करना।	जेल में			सारथी रवानी पति विहारी रावानी सा०-टेंगाडीह थान करौ जिला देवघर वर्तमान ब्लॉक नं०-62 क्वा० नं०-36 रेलवे कॉलोनी खलासी मोहल्ला मधुपुर जिला देवघर।	अनु०कर्ता- पु०अ०नि० परशुराम सिंह डॉ सुषमा वर्मा, सदर अस्पताल देवघर	1.साक्षी विहारी रवानी, पे० जानकी रवानी, सा०- टेंगाडीह थान करौ जिला देवघर वर्तमान ब्लॉक नं०-62 क्वा० नं०-36 रेलवे कॉलोनी खलासी मोहल्ला मधुपुर जिला देवघर, 2. नारायण रवानी पे० गोविन्द रवानी, 3. राजेश रवानी पे० नारायण रवानी 4. उमेश कुमार पे० नारायण रवानी तीनों सा०- हेटडी थाना करौ जिला- देवघर 5. भरवी शंकर रजक पे० मोहन लाल रजक 6.मो० नौशाद आलम पे०- निसार अहमद दोनों सा०-खलासी मोहल्ला, थाना मधुपुर, जिला-देवघर।
21	सारठ थाना कांड सं०-57/17, दि०-10.05.17, धारा-354बी० भा०द०वि० एवं 8 पॉक्सों एक्ट। POSCO-22/17	अभियुक्त नुनुराम दास पे०-भामु महारा सा०-कुशहा थाना मधुपुर जिला-देवघर।	वादिनी के घर में घुसकर छेड़खानी करना।	बेल पर			वादिनी यशोदा कुमारी पे०-रघु यादव सा०-मनरिया, थाना सारठ, जिला-देवघर	अनु०कर्ता-स०अ०नि० अब्दुल कलाम अंसारी	1.पंचानन्द ठाकुर पे०- स्व० बमशंकर ठाकुर, 2. बबलू ठाकुर पे०-उपेन्द्र नाथ ठाकुर 3. नारायणी देवी पति- राजेन्द्र नाथ 4. रघु यादव वादिनी के पिता सभी सा०- मनरिया, थाना सारठ, जिला-देवघर।
22	पालाजोरी थाना काण्ड सं०-145/17 दि०-08.10.17 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। ST- 07/18	1.सुनिल दास पे०- घुटर दास सा०- धनधौर, थाना- नगर देवघर, जिला- देवघर।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	जेल में			पु०अ०नि० जयदीप टोप्पो, नगर थाना, देवघर।	1.पु०अ०नि० परशुराम सिंह, 2.श्री संतोष कुमार, परिचारी प्रवर, पु०के०, दुमका, 3. पु०अ०नि० कैलाश कुमार, 4. आरक्षी - 703 अखिल कुमार पाण्डेय, 5. आरक्षी - 608 उमेश यादव सभी नगर थाना, देवघर।	
23	मधुपुर थाना कांड सं०-252/17, दि०-23.08.17, धारा-395/412 भा०द०वि० ST- 02/18	1.संजय राम पे० स्व० रामविलास राम 2.शंकर राम उर्फ शंकर डोम पे०-रामविलास डोम दोनों सा०-गोल्फ ग्राउण्ड हरिजन बस्ती डोम पाडा थाना धनवाद जिला-धनबाद 3.रणधीर यादव पे०- नागेश्वर यादव सा०-चिहुटिया	गृह डकैटी करना एवं लूटे सामानों के साथ पकड़ा जाना।	सभी अभि० जेल में			वादी अरविन्द कुमार यादव, पे० राम विलास यादव सा०-कालीपुर टाउन थाना मधुपुर जिला-देवघर।	पु०अ०नि० जगदेव पाहन तिर्की पु०अ०नि० असीम कमल टोपनो थाना प्रभारी मारगोमुण्डा थाना स०अ०नि० रंजीत कुमार मारगोमुण्डा	1.लीला देवी पति अरविन्द कु० यादव 2. सोनाली कुमारी पे० अरविन्द कुमार यादव 3. अभिषेक कुमार पे० अरविन्द कु० यादव 4. राजे कुमार पे० मृत्रीलाल यादव 5. राज कुमार यादव पे० नकुल यादव 6. पप्पु यादव पे० स्व० मुकलाल यादव 7.दनदन यादव पे० रामधारी यादव सभी सा०-कालीपुर थाना मधुपुर जिला-देवघर, 8. संतोष

		<p>थाना-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर, 4. रोहित कुमार सिंह उर्फ सौरभ सिंह उर्फ सागर सिंह पे0-स्व0 राजकुमार सा0- न्या टोला माधोपुर थाना बखियारपुर</p> <p>जिला-पटना बिहार, 5. उत्तम डोम पे0-सुरेश डोम सा0-कजरा मोड लख्खीपुर कोलियरी, थाना अण्डाल,</p> <p>जिला-बर्दमान (पश्चिम बंगाल) 6. छोटु कुमार पे0 अखलेश ठाकुर सा0-बखियारपुर, जिला-पटना बिहार, 7. कुणाल कुमार सा0- बखियारपुर, जिला-पटना बिहार, 8. अशोक यादव पे0-जीतन यादव सा0-गोदंलीटॉछ थाना मधुपुर जिला-देवघर</p>							कुमार अंचलाधिकारी मधुपुर	
24	<p>मधुपुर थाना कांड सं0-348 / 17, दि0 -01.11. 17, धारा-392 भा0द0वि0 GR-1006/17</p>	<p>1. अजय दास पिता पगला दास सा0- बेगी बिसनपुर थाना- कुण्डा देवघर</p> <p>2. अकरम खान पिता रमुल खान सा0- हिरणा थाना- नगर देवघर</p> <p>3. विनोद कुमार दास पिता मागन दास सा0- कानपुर पाण्डेयडीह थाना- जसीडीह</p>	<p>रिवाल्वर का भय दिखाकर लूट करना</p>	<p>1. बेल पर</p> <p>2. जेल में</p> <p>3. बेल पर</p>		<p>वादी राजेश रजक पे0 श्री टहल रजक वर्तमान सा0 मारुती सुजुकी शो रूम के उपर तल्ला पथलचपटी थाना मधुपुर जिला-देवघर स्थाई पता-परोरिया थाना म्युरहंट, जिला-चतरा</p>	<p>अनु0कर्ता पु0अ0नि0 संतोष झा, मधुपुर जिला-देवघर पु0अ0नि0 मजगदेव पाहन तिर्की, मारगोमुण्डा थाना जिला-देवघर।</p>	<p>1. सुरेश प्रसाद पे0 श्री झूमर महतो सा0 तोवर थाना सिमरिया जिला-चतरा</p> <p>2. मनोज कुमार पे0 स्व0 बालों यादव सा0-मनगढा, थाना राजपुर, जिला-चतरा</p>		
25	<p>मधुपुर थाना कांड सं0-400 / 17, दि0 19.12.17,</p>	<p>अभियुक्त 1. कोल्हा यादव उर्फ कल्लू यादव पे0 स्व0-विशेश्वर</p>	<p>अवैध अग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ रंगे हाथ पकडा जाना।</p>	<p>दोनो अभि0</p>		<p>वादी विनोद कुमार पु0नि0 सह थाना</p>	<p>1. पु0अ0नि0 संतोष झा मधुपुर जिला-देवघर</p> <p>2. हव0 दिनेश गोप मधुपुर</p>			

	धारा-25(1-बी0) /26/35 आर्म्स एक्ट। GR-1149/17	यादच सा0 डंगालपाड, थाना मधुपुर जिला-देवघर 2. किशनलाल तुरी उर्फ किशनलाल मिर्धा पे0 स्व0 बालदेव तुरी सा0-कसाठी, थाना देवीपुर जिला-देवघर।		जेल में है।			प्रभारी मधुपुर जिला-देवघर	जिला-देवघर 3.आ0/439 धन्नजय महतो पे0 नारायण महतो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अंगरक्षक देवघर, 4. आ0/950 सरोज कुमार यादव पे0 स्व0 विशेश्वर यादव 5. चा0आ0/216 रामकृष्णा रविदास पे0 धीरन रविदास 6. चा0हव0 शत्रुघन प्र0 सिंह वर्तमान मधुपुर थाना देवघर, 7. आ0-332 समीर टोपनो सा0 वर्तमान पु0नि0 सह थाना प्रभारी का अंगरक्षक 8. ह0 प्रदीप मंडल मधुपुर थाना जिला-देवघर 9. श्रीजय प्रकाश नाग परीचारी प्रवर पु0के0 गिरीडीह, 10. निरंजन कुमार सिंह मधुपुर थाना जिला-देवघर।		
26	सारठ थाना कांड सं0-198/17 दि0-19.11.17, धारा-467/468 /471/420/12 0बी/272/273 एवं भा0द0वि0 एवं 47ए/47फ उत्पाद अधि0 1915 GR-1060/17	अभियुक्त 1.गौरै लाल मंडल पे0-पागल मंडल सा0- सिरसा थाना करौ 2. दिनेश डे सा0-शंकरडीह थाना गोविन्दपुर, जिला-धनवाद	षड़यंत्र के तहत नकली शराब तैयार कर असली शराब के रूप में बिक्री करना।	जेल में			वादी पु0अ0नि0 नूनूदेव राय थाना प्रभारी सारठ जिला देवघर।	अनु0 कर्ता0 स0अ0नि0 ललन कुमार 1.नूनूदेव राय थाना प्रभारी सारठ 2 स0अ0नि0 अब्दुल कलाम आंसारी 3. आ0 587 सुधीर कुमार 4. स0अ0नि0 अब्दुल अख्तार सभी सारठ थाना जिला -देवघर।		
27	मधुपुर थाना कांड सं0-109/16,दि0 19.12.17, धारा-25(1-बी0) /26/35 आर्म्स एक्ट। GR-261/16	अभियुक्त 1. एंकर दास उर्फ अतीक उर्फ अंचित दास पे0 शिवदायल दास सा0-फलची, थान मारगोमुण्डा 2. अब्दुल रउफ पे0 अब्दुल रसीद सा0-शहरपुर,थाना नारायणपुर जिला-जामताडा 3. मिस्टर अंसारी पे0 हफीज अंसारी सा0 भदवा थाना-अहिल्यापुर,	अवैध आग्नेयास्त्र रखना एवं पकडा जाना।	1.से लेकर 5. तक जेल में 6.बेल पर			वादी पु0अ0नि0 सुमन सिन्हा पे0 स्व0 परमेश्वर प्रसाद सा0-चौदपुर थाना झाझा जिला-जमूई बिहार।	1.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 परशुराम सिंह 2.पु0नि0 राम मोहन वर्मा मधुपुर अंचल देवघर 3. आ0 822 पवन कुमार मंडल रिजर्व गार्ड मधुपुर	1. सजील अंसारी पे0 जमाल मियाँ 2. चिरामुद्दीन मियाँ दोनों सा0 महुआडावर थाना मधुपुर	

		जिला-गिरीडीह 4. नईन मियों पे0 मनीरुद्धीन मियों पे0 मनीरुद्धीन मियों पे0 हमीद मियों दोनों सा0 महुआडाबर 6. पटना का पंकज एवं 07 पटनाका गुरुजी ।								
28	मधुपुर थाना कांड सं0-04 / 16,दि- 04.01.16, धारा-25(1-बी0)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट । ST- 56/18	अभियुक्त 1. बाबा परिहस्त पे0 गणेश परिहस्त सा0 वैधनाथ लेन 2. राहुल मिश्र पे0 श्री संतोष मिश्रा सा0 लक्ष्मीपुर चौक, झौसागढी 3. मोनु मिश्रा पे0 शंभू मिश्रा सा0 विलासी टाउन, शंकर टाकीज के नजदीक 4. शिवाशीष कश्यप पे0 स्व0 गिरधारी नाथ मिश्रा सा0 श्यामारवरण मिश्रालेन सभी थाना नगर जिला-देवघर5. अंकित साह पे0 सूर्य नारायण साह सा0 अवजुगंज, थाना सुल्तानगंज जिला-भागलपुर वर्तमान मामा 5.अनिल साह के घर बिलियम्स टाउन एम0आर0टी0 ऑफिस के पास देवघर 6. नुनु यादव उर्फ रंजीत यादव पे0 श्री सुरेश यादव सा0 नीलतल्ला भेडवा 7. शंभू यादव पे0 स्व0 महादेव यादव सा0 पिपरासोल दोनो थाना मधुपुर जिला-देवघर ।	अवैध पिस्तौल एवं गोली के साथ रंगेहाथ पकडे जाना	सभी अभि0 बेल पर है ।			वादी पु0अ0नि0 प्रवेश चन्द्र सिन्हा थाना प्रभारी मधुपुर जिला-देवघर ।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 सुमन सिन्हा ।	1.विनय साह 2. सच्चिदानन्द सिंह 3.महबुब खान 4. रामनाथ द्विवेदी 5. केशो सिंह सभी मधुपुर थाना ।	
29	मधुपुर थाना कांड सं0-34 / 08,दि- 11.03.08, धारा-25(1-बी0)ए	अभियुक्त 1. मो0 मकसुद 2. मो0 फैयाज पे0 मो0 अजीज एवं 3. मो0 फैयाज पे0 मो0	अवैध आग्नयास्त्र रखना एवं रंगेहाथ पकडे जाना	बेल पर ।			वादी अ0नि0 मन्दु कुमार थाना प्रभारी मधुपुर ।	1.अनु0कर्ता स0अ0नि0 दिनेश प्र0 सिंह 2.वैकटेश कुमार थाना प्रभारी करौं 3. चालक आ0 386 सुरेन्द्र	1. मो0 समसेर पे0 मो0 अतानुल्लाह सा0 नागहाट मधुपुर ।	

	/26/35 आर्म्स एक्ट। ST- 171/17	बारिक						कुमार सिंह मधुपुर 4.हव0 गोपाल उपध्याय मधुपुर थाना 5.आ0 588 गणेश मंडल मधुपुर थाना 6. हव0 प्रशांत बास्की रिजर्व गार्ड करौं थाना 7.. दिनेश प्र0 सिंह अ0नि0 मधुपुर		
30	करौ थाना कांड सं0-74/14 दि0-03.11.14 धारा-25(1-बी0)ए /26 आर्म्स एक्ट। GR-795/14	अभियुक्त 1. असित कुमार पे0- मथन प्रसाद सिंह थाना करौ जिला-देवघर।	अवैध आग्नयास्त्र रखना	बेल पर			वादी पु0अ0नि0 सुदामा चौधरी थाना प्रभारी करौ।	1.अनु0कर्ता स0अ0नि0 कन्हैया राम 2.आ0 460 फलेन हेम्ब्रम 3. आ0 679 सुलेमान मरान्डी		
31	पलाजोरी कांड सं0-40/17 दि0-12.03.17 धारा-290 भा0द0वि0 एवं 47ए उत्पाद शुल्क अधि0 GR-	अभियुक्त 1. अजीत कुमार मडल पे0 स्व0 कालीचरण मंडल सा0 गुलालाडीह थाना पालाजोरी जिला-देवघर	अवैध अंग्रेजी शराब रखने/बिक्री करना	अभि0 को बन्द पत्र पर मुक्त किया गया।			वादी झुलन सिंह स0अ0नि0 पालाजोरी थाना जिला-देवघर	1.अनु0कर्ता स0अ0नि0 यदुवीर सिंह 2. हव0 रामजीत तिवारी 3. आ0-874 राम कुमार साह 4.. चौ0 3/4 जयदीप मिर्धा थाना पालाजोरी 5. चौ0 4/7 रामलाल मुर्मू पालाजोरी		
32	करौ थाना कांड सं0-74/17 दि0-06.10.17 धारा-376(2)(एन0) भा0द0वि0 एवं 08 पोस्को एक्ट 2012 POSCO- 22/18	अभियुक्त 1.उस्मान अंसारी, पे0 ऐनुल अंसारी, सा0-डुमरतर थाना करौ जिला-देवघर	नबालिक लडकी को शादी का प्रलोभन देकर बलात्कार करना।	जेल में			वादिनी नपेसा खातुन पे0-हासिम मियाँ सा0 डुमरतर थाना करौ।	अनु0कर्ता स0अ0नि0 अशोक कुमार	1.हासिम मियाँ पे0 स्व0 कासीम मियाँ 2. अझोला बीबी पति बसिम मियाँ 3. हातीम अंसारी पे0 स्व0 कासीम मियाँ सभी सा0- डुमरतर थाना करौ जिला-देवघर	
33	चितरा थाना कांड सं0-81/16 दि0-23.09.16 धारा 376/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 पोस्को एक्ट POSCO- 55/16	अभियुक्त 1.अख्तर अंसारी पे0 अनवर अंसारी सा0 ठाढी थाना चितरा जिला देवघर।	बलात्कार करना।	बेल पर			वादिनी आसना खातुन पे0 रसीद मियाँ सा0 ठाढी थाना चितरा जिला देवघर।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0अरुण कुमार पटेल 2. डा0 मनीष कुमार 3.डा0 रामश्रण प्रसाद 4.डा0 प्रेम	1.केटो मिया पे0 पैतु मिया 2. रिजवान अंसारी पे0 नूर मियाँ 3. रसिद मियाँ सभी सा0 ठाढी थाना चितरा जिला देवघर। 4. रफीक अंसारी पे0- मुस्लीम मियाँ 5.जहाँगीर अंसारी पे0- रसीद मियाँ 6. अदिना खातुन पे0- शहादत अंसारी 7. आसमा खातुन पे0- रशिद मियाँ 8.मनिजम बीबी पति रशिद मियाँ	

34	सारठ थाना कांड सं०-156 / 17 दि०-05.09.17 धारा-272 / 273 / 290भा०द०वि० एवं 47ए झा० उत्पाद अधि० GR-782/17	अभियुक्त 1.भुपाल महारा पे०-स्व० फागु महारा सा० गोबरशाला थाना सारठ जिला-देवघर।	अवैध अंग्रेजी शराब एवं बीयर बेचते हुए पकड़े जाना	बेल पर			पु०अ०नि० नुनुदेव राय थाना प्रभारी सारठ जिला-देवघर।	1. स०अ०नि० रबिन्द्र कुमार सिंह 2.स०अ०नि० ललन कुमार, 3. हवलदार भूमि पासवान, 4.आर०-659 दिलीप किस्कु, 5. स०अ०नि० नागेन्द्र यादव, उत्पाद निरीक्षक, मधुपुर अंचल	
35	मधुपुर थाना काण्ड सं०-342 / 17 दि०-01.11.17 धारा-376(सी) / 307 भा०द०वि० एवं 3 / 4 पोक्सो एक्ट 2012 परिवर्तित धारा-3(xii) एस०सी० / एस०टी० एण्ट 0 POSCO-52/17	अभि० दिलशाद खान पिता- नौशाद खान सा०- राजदाहा, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर।	नावालिंग लड़की के साथ बलात्कार करना तथा जाति का नाम लेकर धमकी देना।	जेल में			वदी मालती देवी (उम्र 35 वर्ष) पति- लालेश्वर कोल सा०- राजदाहा, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर।	स०अ०नि० उषा कुमारी, वर्तमान महिला थाना, देवघर।	1.पीड़िता गायत्री कुमारी पे०- लालेश्वर कोल 2. लालेश्वर कोल पे०- स्व० बाबुलाल कोल 3. रजिया कोल पति- स्व० बाबुलाल कोल 4. राम किशन कोल पे०- स्व० पुरन कोल 5.गुरुदेव कोल पे०- परमेश्वर कोल 6. सिद्धिक मियाँ पे०- स्व० जुमन मियाँ 7. खलील मियाँ पे०- स्व० नासिर मियाँ 8. लुकमान मियाँ पे०- जुमन मियाँ सभी सा०- राजदाहा, थाना-मधुपुर, जिला- देवघर।
36	मधुपुर थाना काण्ड सं०-87 / 18 दि०-23.03.18 धारा-376 भा०द०वि० एवं 04 पोक्सो एक्ट 2012 GR-	अभि०-भवानी दास पे०- धनेश्वर दास सा०- नारायणपुर, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर।	नावालिंग लड़की के साथ बलात्कार करना।	जेल में			वादिनी सुरजी देवी (उम्र 50 वर्ष) पति- बासुदेव तुरी सा०- सबेजोर, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर	स०अ०नि० विशम्भर विश्वकर्मा, मधुपुर थाना।	1.पीड़िता सरस्वती कुमारी (उम्र 13 वर्ष) पे०- बासुदेव तुरी 2. ललीता देवी पति- पन्ना तुरी 3. कृष्ण कुमार तुरी पे०- बासुदेव तुरी 4. बासुकी महतो पे०- रूसन महतो सभी सा०- सबेजोर, थाना- मधुपुर, जिला- देवघर।
37	मारगोमुण्डा थाना कांड सं०-78 / 17, दि०-23.08.17, धारा-25(1-बी०) / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। GR-750/17	अभियुक्त 1.संजय राम उर्फ सुनिल डोम पे०-रामविलास राम सा०-गोल्फ ग्राउण्ड हरिजन बस्ती डोम पाडा, थाना- धनवाद जिला- धनवाद 2. रणधीर यादव पे० नागेश्वर यादव सा० चिहुटिया थाना मारगोमुण्डा जिला- देवघर 3. रोहित कुमार	अवैध अग्नेयास्त्र एवं कारतुस के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	सभी अभि० जेल में			वादी पु०अ०नि० असीम कमल टोपनो थाना प्रभारी मारगोमुण्डा जिला देवघर।	अनु०कर्ता स०अ०नि० उमेश पासवान	1.उपेन्द्र यादव पे०मुकुद माहतो सा०- चिहुटिया थाना मारगोमुण्डा 2. रंजीत कुमार पे० स्व० राजेन्द्र प्रसाद सिंह सा० पचादा थाना हसुआ जहनावाद विहार 4. आ / 613 गुरुदेव कुमार पे० चन्द्रदेव प्रसाद सा० कैम्प टी० क्वाटर नं० एल०एच० थाना माराफरी जिला बोकारो 5. राजेन्द्र कुमार पे० मुनीलाल यादव सा० कालीपुर थाना मधुपुर जिला-देवघर 6. राजकुमार यादव

		सिंह उर्फ सौरभ सिंह उर्फ सागर सिंह पे0-स्व0 राजकुमार सा0-न्या टोला माधोपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला-पटना विहार,4. उतम डोम पे0 सुरेश डोम सा0 कजरा मोड लक्ष्मीपुर कोलियरी, थाना अण्डाल, जिला बर्दमान पश्चिम बंगाल 5. छोटु कुमार पे0-अखलेश कुमार 6. कुणालप कुमार सा0- बख्तियारपुर, जिला-पटना 7. शंकर राम उर्फ डोम पे0 रामविलास डोम सा0- सा0-गोल्फ ग्राउण्ड हरिजन बस्ती डोम पाडा, थाना- धनवाद जिला- धनवाद एवं 8 अशोक यादव पे0-जीतन यादव सा0-गोदंलीटॉड थाना मधुपुर जिला देवघर ।							पे0 नकुल यादव सा0 गडिया थाना मधुपुर जिला-देवघर	
38	मारगोमुण्डा थाना कांड सं0-16 / 18,दि0 -07.02.18 धारा- 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं एवं 66(बी)(सी0)(डी0) आई0टी0 एक्ट । GR-99/18	1.राजेन्द्र कुमार यादव सा0- साहुटोला चेतनारी थाना-मार्गोमुण्डा, जिला-देवघर ।	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 जयगेदव पहान तिर्की थाना प्रभारी मार्गोमुण्डा के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरुद्ध नेटवर्किंग के माध्यम से रूपया ठगी किये जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है ।	दुमका रिमाण्ड होम			पु0अ0नि0 जयगेदव पहान तिर्की	अनु0कर्ता पु0नि0 दयानंद आजाद 2. स0अ0नि0 जर्नादन सिंह 3.हव0 बुढन सिंह हेम्ब्रम 4.आ0 / 293 प्रगना सोरेन 5.आ0 / 947 कुष्णा पुर्ती तकनिकी शाखा 6. आ0 / विश्वजीत कुमार	1.अब्दुल मजीज पे0- स्व0 मुमजात अंसारी 2. संतोष यादव पे0- युगल यादव 3.विनोद यादव पे0- अहमु यादव तीनो सा0- चेतनारी साहु टोला, थाना-मार्गोमुण्डा 4.मजहर हुसैन पे0-स्व0 हारून रसीद सा0- सुग्गी पहाड़ी, थाना-करौ, जिला-देवघर	
39	कुण्डा थाना काण्ड सं0- 53 / 16,	1.कुणाल कुमार चौधरी पे0- साधन चौधरी सा0- देवघर पब्लिक	यह काण्ड वादी विन्दश्वरी प्रसाद राय पे0- श्री निलकुंठ	बेल पर			वादी विन्दश्वरी प्रसाद राय पे0- श्री	1.डा0 प्रभात रंजन 2.डा0 सी0के0 साही 3.डा0 सन्नुधन सिंह 4.अनु0कर्ता पु0अ0नि0	1.मधु देवी पति विन्दश्वरी प्रसाद राय पे0- श्री निलकुंठ प्रसाद राय सा0-देवान बाबा गली,	

	दिनांक-17.05.16, धारा-304बी0 / 3 4 भा0द0वि0 GR-742/16	स्कूल के पीछे प्रतीमा निवास करनीबाद, थाना-कुण्डा, जिला-देवघर	प्रसाद राय सा0-देवान बाबा गली, थाना-कुण्डा, जिला-देवघर के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के विरुद्ध दहेज की माँग को लेकर वादी की पुत्री (मृतका) कुमारी आभा की हत्या करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।				निलकुंठ प्रसाद राय सा0-देवान बाबा गली, थाना-कुण्डा, जिला-देवघर	असिम कमल टोपनो	थाना-कुण्डा, 2. विपिन कुमार राय पे0- निलकंठ प्रासद राय सा0- घोर पारन थाना-सारवाँ 3. मृत्युजय राय पे0- नकुल देव राय सा0- ज्योती नगर करनीबाद 4. काजल कुमार राय पे0- काशि नाथ राय 5.कृष्ण कुमार पे0- सरयु राय सा0- ज्योती नगर करनीबाद 6. प्रदीप कुमार राय पे0- शीतल राय 7.सुशिला देवी पति - प्रदीप कुमार राय दोनो सा0- खवासडीह, थाना-जसीडीह, देवघर 8. राकेश चौधरी उर्फ रिकु पे0- मनोज चौधरी सा0- गोविन्द पुर, थाना-करौं, जिला-देवघर वर्तमान - देवघर पब्लिक स्कूल के पीछे प्रतीमा निवास करनीबाद, थाना-कुण्डा, जिला-देवघर	
40	मारगोमुण्डा थाना काण्ड सं0-109 / 17, दिनांक:-30.12.17 धारा-419 / 420 भा0द0वि0 एवं 66 (बी0)(सी0)(डी0) आई0 टी0 एक्ट छत्. 1181६17	हबीब अंसारी उर्फ कुतुबुल्ला पे0- स्व0 खलील मियाँ सा0-दुधानी, थाना-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर	मोबाईल नेट के माध्यम से ठगी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल में			पु0अ0नि0 असीम कमल टोपनो थाना प्रभारी मारगोमुण्डा, जिला-देवघर।	1.अनु0कर्ता:-' पु0नि0 दयानन्द आजाद 2. स0अ0नि0 रिवन्द्र सिंह 3. आ0 / 36 पिन्दु कुमार सिंह 4. आ0 परगना सोरेन 5. भतु मियाँ सभी मार्गोमुण्डा थाना 6. आ0 / 247 कृष्णा पुर्ति तकनिकी शाखा	1. इस्लाम मियाँ पे0- स्व0 देवन मियाँ सा0-दुधानी, थाना -मारगोमुण्डा 2.दीपक कुमार पे0-गणपत सा0- नालो तोपस जिला-महाराष्ट्र 3.संजय पटेल पे0- नन्डू पटेल सा0-सतरिया, थाना-दिकली, जिला-नकसारी राज्य गुजरात	
41	मारगोमुण्डा थाना काण्ड सं0-107 / 17, दिनांक:-08.12.17 धारा-420 / 468 / 471भा0द0वि0 एवं 66(बी0)(सी0)(डी0) आई0टी0 एक्ट छत्.1116६17	1.नबाब अंसारी 2. सददाम हुसैन दोनो पे0- मेमुल हुसैन सा0-नुरलीपहाड़, थाना-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर।	मोबाईल नेट के माध्यम से ठगी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	. बेल पर			स0अ0नि0 रविन्द्र सिंह मारगोमुण्डा थाना	1.पु0नि0 दयानन्द आजाद 2. स0अ0नि0 रणजित कुमार 3. आ0 / 688 ललन कुमार मंडल 4.आ0 / 719 भागीरथ महतो	1.समसुल अंसारी पे0-कल्लू मिया 2.मजीद मियाँ पे0-स्व0 इसराइल मियाँ 3.अनवर अंसारी पे0-दाउद मियाँ 4.कासीम अंसारी सभी थाना-मारगोमुण्डा 5.मुवारक हुसैन पे0 मो0रामजान सा0- छायाटॉड थाना- कारमाटॉड, जिला-जामताड़ा	
42	मारगोमुण्डा थाना काण्ड सं0- 99 / 17, दिनांक:- 11.11.	1.सुरज मंडल पे0-असरफी मंडल 2. परेश मंडल पे0-झवन मंडल 3.सुरज मंडल	मोबाईल नेट के माध्यम से ठगी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	बेल पर			पु0अ0नि0 असीम कलम टोपनो थाना प्रभारी	1.अनु0कर्ता:- अरविन्द उपाध्याय सारठ थाना .2. स0अ0नि0 रिवन्द्र सिंह 3. आ0 / 719 भागीरथ महतो 4.	1.हरिनंदन मंडल पे0- अर्जुन मंडल करौ थाना 2.अर्जुन मंडल 3. राकेश मंडल उर्फ सिताराम मंडल 4.किरण देवी पति राजेश सिंह	

	17 धारा— 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 12 0बी0 भा0द0वि0 एवं 66(बी0)(सी0)(डी0) आई0टी0 एक्ट ळत्.1038६17	पे0— महादेव मंडल तीनो सा0—जगडीह, थाना—करौ, जिला—देवघर।					मारगोमुण्डा, जिला—देवघर।	आ0 / 942 रामधनी राम 5.पु0नि0 विरेन्द्र कुमार सिंह थाना प्रभारी बाबा मंदिर थाना देवघर।	सा0— आसनसोल जिला—वर्द्धमान प0 बगाल 5.छोटु हेम्ब्रम पे0— टिटु हेम्ब्रम करौ थाना सहादन अंसारी पे0— राहो मियो सा0—जगडीहा थाना—करौ	
43	पालाजोरी थाना काण्ड सं0— 171 / 17, दिनांक— 19.11. 17, धारा:—419 / 420 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं 66(बी0)(सी0)(डी0) आई0टी0 एक्ट ळत्.1061६17	1. जमीलु रहमान पे0— मो0 हुसैन अंसारी सा0—बांधडीह 2. ताजुद्दीन शेख पे0— इस्माईल शेख सा0—गडसरा रधुवाडीह दोनो थाना—पालाजोरी, जिला—देवघर	मोबाईल नेट के माध्यम से ठगी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल में			पु0नि0 दयानन्द आजाद, पालाजोरी अचल	1.पु0अ0नि0 नवीन कुमार सिंह 2.स0अ0नि0 शरदानन्द प्रसाद 3.हव0 बट्टी नाथ सिंह 4.आ0 / 917 बबलू कुमार पाण्डेय 5. आ0 / 829 जितेन्द्र राम 6. पु0नि0 विजेन्द्र राज कुमार प्रसाद	1.दाउद अंसारी पे0—रमजान अंसारी सा0—बच्चडीहा, थाना—पालाजोरी 2. हैदर अंसारी पे0— समसुद्दीन मियो सा0—बरदडुबा 3.समसुद्दीन मियो पे0—स्व0 अमित मियो 4.असीम मियो पे0— स्व0 पाँचू मियो सा0— सा0—बच्चडीहा, थाना—पालाजोरी 5.सलबुद्दीन शेख पे0— अलाउद्दीन शेख सा0—रधुवाडीह गडसरा, थाना—पालाजोरी 6.नुरुद्दीन अंसारी पे0— देघरू अंसारी सा0—खरडंगाल 7.हासिम अंसारी पे0—उताब अली सा0—बाँधडीह थाना—पालाजोरी, जिला—देवघर।	

धनबाद जिला अंतर्गत त्वरित विचारण हेतु 100 कांडो की सूची :-

क्र० सं०	कांड सं०/ तिथि/धारा GR/ST no	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त जेल में/ फरार/ बेल	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनुसंधानकर्ता f/ विशेषज्ञों का नाम/ पता/मो०नं०	ऐसे गवाह जो आसानी से उपलब्ध हो एवं गवाहों की संख्या 10 से अधिक न हो	साक्ष्य/प्रदर्श की स्थिति (मालखाना सं० सहित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सरायढेला थाना कांड सं०-221/17, दिनांक-30.10.17, धारा-354/34 भा०द०वि० एवं 8/12 पोक्सो एक्ट। जी०आर०सं०-4173/17 स्पे० पोक्सो नं०-117/17 न्यायालय-ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	प्राथमिकी अभियुक्त (1) मो० डब्लू उर्फ सलीम, पे०-मो० जब्बार, सा०-आनन्द नगर, अस्का पट्टी, चौथाई कुल्ही एवं (2) मीर अजहर, पे०-स्व० मो० इलियास, सा०-थाना मोड़ झरिया, दोनों थाना-झरिया, जिला-धनबाद।	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर नामजद 02 अभियुक्तों के विरुद्ध एकमत होकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करना।	जेल में	संजय कुमार वर्मा, पे०-स्व० महादेव राम, सा०-ऐना कोलियरी, झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद।	(1) अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० शालीग्राम यादव, सरायढेला थाना।	(1) वादी संजय कुमार वर्मा, पे०-स्व० महादेव राम, सा०-ऐना कोलियरी, झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद (2) स्नेहा वर्मा, पे०-संजय कुमार वर्मा, सा०-ऐना कोलियरी झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद (3) शशि कुमार, पे०-रामचन्द्र गिरी, सा०-धैया, समर श्रीवास्तव के घर के पास थाना- व जिला- धनबाद (4) श्रीमति गीता वर्मा, पति संजय वर्मा 5. रोहित वर्मा, पे०-संजय कुमार वर्मा, सा०-ऐना कोलियरी झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद	साक्ष्य :- प्राथमिकी अभियुक्त(1) मो० डब्लू उर्फ सलीम, पे०-मो० जब्बार, सा०-आनन्द नगर, अस्का पट्टी, चौथाई कुल्ही एवं (2) मीर अजहर, पे०-स्व० मो० इलियास, सा०-थाना मोड़ झरिया, दोनों थाना-झरिया, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-354/34 भा०द० वि० एवं 8/12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०-172/17 दिनांक 16.12.17 समर्पित है।	
2	सरायढेला थाना कांड सं०-49/17, दिनांक-29.03.17, धारा-414/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। एस०टी०सं०-209/17 न्यायालय-ए०डी०जे०-11, धनबाद।	प्राथमिकी अभियुक्त (1) मो० सिंह, पे०-प्रेम चन्द सिंह, सा०-जमरोड़ा, थाना-दियारा, जिला-रोहतास (बिहार) वर्तमान पता-सी०सी०डब्लू० कॉलोनी, क्वार्टर नं०- एफ०/47 (2) अशोक महतो, पे०-बिंदा महतो, सा०-आदर्श बिहार कॉलोनी एवं (3) प्रशांत सिंह, पे०-स्व० प्रमेन्द्र सिंह, सा०-न्यू बैंक कॉलोनी, स्टील गेट तीनों थाना-सरायढेला, जिला- धनबाद।	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर 03 अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र छुपा कर रखने का आरोप लगाया गया।	जेल में	मनोज कुमार, पे०-सुरेश चन्द्र चौधरी, सा०-सिमड़ा, थाना-टिकपट्टी, जिला-पूर्णिया (बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़	(1) वादी मनोज कुमार, पे०- सुरेश चन्द्र चौधरी, सा०-सिमड़ा, थाना-टिकपट्टी, जिला-पूर्णिया (बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ (2) आरक्षी 2150 कृष्णा यादव, बैंकमोड़ थाना (3) आरक्षी-1196 मो० इरफान अहमद,		साक्ष्य :- (1) इस कांड में जप्त आग्नेयास्त्र का जाँच प्रतिवेदन विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखंड, राँची से प्राप्त किया गया है। (2) प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। (3) प्राथमिकी अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास प्राप्त किया गया है। (4) प्राथमिकी	

	ए०पी०पी०— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378					बैंकमोड़ थाना (4) स०अ०नि० नील कमल लकड़ा, एस०ओ०जी० टीम, जिला—धनबाद (5) आ०— 1507 दामोदर कुमार महतो, धनबाद जिलाबल (6) आ०—142 दीपक कुमार पासवान, धनबाद जिलाबल (7) आ०—233 अमिरुल हक, धनबाद जिलाबल एवं (8) चालक आरक्षी—2437 करीम अंसारी, धनबाद जिलाबल ।		अभियुक्त (1) मोनू सिंह, पे०—प्रेम चन्द सिंह, सा०—जमरोड़ा, थाना—दियारा, जिला—रोहतास (बिहार) वर्तमान पता— सी०सी०डब्लू० कॉलोनी, क्वार्टर नं०—एफ० / 47 (2) अशोक महतो, पे०—बिंदा महतो, सा०—आदर्श बिहार कॉलोनी एवं (3) प्रशांत सिंह, पे०—स्व० प्रमेन्द्र सिंह, सा०— न्यू बैंक कॉलोनी, स्टील गेट तीनों थाना— सरायढेला, जिला—धनबाद के विरुद्ध धारा—414 / 34 भा०द०वि० एवं 25 (1—ए) / 25(1—एए) / 26(2) / 35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप—पत्र सं०—69 / 17, दिनांक—27.05. 17 समर्पित ।	
3	सरायढेला थाना कांड सं०—234 / 17, दिनांक—13.11.17, धारा—376 भा०द०वि० एवं 6 पोक्सो एक्ट । जी०आर०सं०— 4583 / 17 स्पे० पोक्सो नं०— 128 / 17 न्यायालय— ए०डी०जे०—01, धनबाद । ए०पी०पी०— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	सनोज सिंह, पे०—लाल मोहन सिंह, सा०—बेनु सरण, थाना—बिरनी, जिला—गिरिडीह	वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सनोज सिंह, पे०—लाल मोहन सिंह, सा०—बेनु सरण, थाना—बिरनी, जिला—गिरिडीह के विरुद्ध नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप लगया गया ।	जेल में	सुशीला देवी, पति—कार्तिक मोदक, सा०—दामोदरपुर र, थाना व जिला—धनबाद ।	(1) स०अ०नि० अरविन्द्र कुमार, सरायढेला थाना ।	(1) वादिनी सुशीला देवी, पति—कार्तिक मोदक, सा०— दामोदरपुर, थाना व जिला— धनबाद । (2) सोनी कुमारी, पे०—कार्तिक मोदक उर्फ घोलटु मोदक, सा०—दामोदरपुर, थाना व जिला—धनबाद । (3) कार्तिक मोदक उर्फ घोलटु मोदक, पे०— स्व० बानेश्वर दत्त, सा०— दामोदरपुर, थाना व जिला— धनबाद । (4) रोहन मोदक, पे०—गुरुपद मोदक, सा०— दामोदरपुर, थाना व जिला— धनबाद । (5) किशोर मोदक, पे०—स्व० बिनोद मोदक, सा०— लाठाटांड बस्ती, थाना—राजगंज, जिला—धनबाद । (6) अनिता देवी, पति—रविन्द्र सिंह, सा०— दलोरायड़ीह, थाना—देवरी, जिला—गिरिडीह (7) गुंजा देवी,	साक्ष्य :- (1) पीडिता सोनी कुमारी का माननीय न्यायालय में धारा—164 दं०प्र०सं० के तहत दर्ज बयान । (2) पीडिता सोनी कुमारी का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन । (3) पीडिता का जन्म प्रमाण पत्र । (4) प्राथमिकी अभियुक्त सनोज सिंह, पे०—लाल मोहन सिंह, सा०—बेनु सरण, थाना—बिरनी, जिला—गिरिडीह के विरुद्ध धारा—376 भा०द०वि० एवं 6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोप—पत्र सं०—183 / 17, दिनांक—25.12.17 समर्पित ।	

							पति-बिरेन्द्र सिंह, सा0-दलोरायडीह, थाना-देवरी, जिला-गिरिडीह एवं	
4	केन्दुआडीह थाना कांड सं0-69/17, दिनांक-24.05.17, धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। एस0टी0सं0-344/17 न्यायालय-ए0डी0जे0-14, धनबाद। ए0पी0पी0-अनिल कु0 सिंह-02 9431726795	(1) बबलू सोनकार, पे0-अच्छे लाल सोनकार (2) गोलू यादव उर्फ दहु, पे0-भीखारी यादव (3) कुणाल सोनकार उर्फ भारी, पे0-मोती सोनकार (4) संजय पासी, पे0-स्व0 सुगा पासी (5) अनिल यादव, पे0-भीखारी यादव एवं (6) रामा खटिक, पे0-मेवालाल खटिक	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर नामजद 06 अभियुक्तों के विरुद्ध एकमत होकर गोली मारकर हत्या करना।	जेल में	पंकज कुमार वर्मा, पे0-सुरेश प्रसाद वर्मा, सा0-केन्दुआ बाजार, थाना-केन्दुआ डीह, जिला-धनबाद।	1. पु0नि0 संजय कुमार, केन्दुआडीह थाना। 2. डॉ0 बिनित टी0 तिग्गा, पी0एम0सी0एच0, धनबाद।	(1) वादी पंकज कुमार वर्मा, पे0-सुरेश प्रसाद वर्मा, सा0-केन्दुआ बाजार, थाना-केन्दुआ बाजार, जिला-धनबाद। (2) संजय वर्मा, पे0-सुरेन्द्र प्रसाद वर्मा, सा0-केन्दुआ बाजार, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (3) विशाल कुमार पासवान, पे0-भक्तु पासवान, सा0-ई0बी0 सेक्शन, नीमतल्ला, केन्दुआ, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (4) सुदामा साव, पे0-बाल गोविन्द साव, सा0-कठगोला, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (5) मनोज कुमार पासवान, पे0-राजेश कुमार पासवान, सा0-मछलीपट्टी, केन्दुआ बाजार, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (6) मनोज साव, पे0-अनंत साव, सा0-लव, थाना-टेकारी, जिला-गया (बिहार) हा0मो0-सा0-कठगोला मैदान, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (7) दीनानाथ शर्मा, पे0-प्रभु दयाल शर्मा, सा0-ठाकुरबारी पट्टी, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (8) गोपाल भुवानिया, पे0-स्व0 उमराव भुवानियां, सा0-बीच बाजार, आजाद चौक, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (9) वरूण वर्मा, पे0-स्व0 दामोदर वर्मा, सा0-केन्दुआ बाजार, धर्मशाला रोड़, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद। (10) छोटु मनकसिया, पे0-सुरेश मनकसिया, सा0-केन्दुआ बाजार, थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद।	साक्ष्य :- (1) मृतक विनय वर्मा का पोस्मार्टम रिपोर्ट। (2) प्राथमिकी अभियुक्त अनिल वर्मा का स्वीकारोक्ति बयान, जिसमें इस घटना में संलिप्तता की बात स्वीकार किया है तथा अपने साथ (1) बबलू सोनकार (2) गोलू यादव उर्फ दहु (3) कुणाल सोनकार उर्फ भारी (4) संजय पासी एवं (5) रामा खटिक का नाम बताया है। (3) प्राथमिकी अभियुक्त (1) गोलू यादव उर्फ सुनील यादव उर्फ गुड्डू, पे0-भीखारी यादव (2) अनिल यादव, पे0-भीखारी यादव, दोनो सा0-मछलीपट्टी, थाना-केन्दुआडीह (3) कुणाल सोनकार, पे0-मोतीलाल सोनकार, सा0-खटिकपट्टी, केन्दुआ, थाना-केन्दुआडीह (4) रामा खटिक, पे0-मेवा लाल खटिक, सा0-करकेंद, गर्ल्स स्कूल के पीछे, थाना-पुटकी (5) संजय पासी, पे0-स्व0 सुगा पासी, सा0-खटिकपट्टी, थाना-केन्दुआडीह एवं (6) बबलू सोनकार, पे0-अच्छेलाल सोनकार, सा0-खटिकपट्टी, थाना-केन्दुआडीह सभी जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के

								अंतर्गत आरोप- पत्र सं०-127/17, दिनांक-06.09.17 समर्पित।
5	केन्दुआडीह थाना कांड सं०-119/17, दिनांक-23.08.17, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०सं०-3124/17 न्यायालय-मिस बीना कुमारी, धनबाद। ए०पी०पी०-पोल कोनगारी 9470381997	(1) विक्की डोम, पे०-टुनटुन डोम, सा०-श्याम कोठी, करकेंद, थाना-पुटकी (2) सोनू कुमार महतो, पे०-जीतु महतो, सा०-गड़ेरिया, बांसजोड़ा, थाना-केन्दुआडीह दोनों जिला-धनबाद।	वादी के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद 02 अभियुक्तों के विरुद्ध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	जेल में	संजय कुमार, पु०नि० सह थाना थाना प्रभारी, केन्दुआडीह थाना।	(1) वादी संजय कुमार, पु०नि० सह थाना थाना प्रभारी, केन्दुआडीह थाना। (2) मो० शमीम पु०नि० सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ (3) अलबिनुस बाड़ा, पु०नि० सह थाना प्रभारी, पुटकी (4) पु०अ०नि० निलेश कुमार, थाना प्रभारी, लोयाबाद (5) पु०अ०नि० जामा खड़िया, केन्दुआडीह थाना (6) हव० प्रवीण कुमार मुंडा, केन्दुआडीह थाना। (7) आरक्षी-410 अनिल कुमार सिंह। (8) आरक्षी-2185 रंजय साव, केन्दुआडीह थाना।	(1) नदीम खान, पे०-अमरुद्दीन खान, सा०-बांसजोड़ा ऑफिस, क्वार्टर, थाना-लोयाबाद, जिला-धनबाद एवं (2) अनिल भुईयां, पे०-लखन भुईया, सा०-बांसजोड़ा बाजार, थाना-लोयाबाद, जिला-धनबाद।	साक्ष्य :- (1) बरामद आर्म्स का जाँच परिचारी प्रवर से कराया गया है। (2) प्राथमिकी अभियुक्त विक्की डोम एवं सोनू कुमार महतो का अपराधिक इतिहास। (3) प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। (4) प्राथमिकी अभियुक्त विक्की डोम, पे०-टुनटुन डोम, सा०-श्याम कोठी, करकेंद, थाना-पुटकी (2) सोनू कुमार महतो, पे०-जीतु महतो, सा०-गड़ेरिया, बांसजोड़ा, थाना-केन्दुआडीह दोनों जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-25(1ए) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप-पत्र सं०- 148/17, दिनांक-18.10.17 समर्पित।
6	धनबाद थाना कांड सं०-330/17, दिनांक-12.07.17, धारा-379 भा०द०वि०।	अज्ञात	मोटरसाईकिल सं०-JH-10AN-2170 की चोरी होना।	जमानत पर।	पप्पु कुमार, पे०-मधु सुदन दुबे, सा०-सिरसागढ़, तोपचाँची, थाना-तोपचाँची, जिला-धनबाद।	अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० कमलेश चौधरी, धनबाद थाना।	वादी 01. पप्पु कुमार, पे०-मधु सुदन दुबे, सा०-सिरसागढ़, तोपचाँची, जिला-धनबाद, 2. ओम प्रकाश तिवारी, पे०-दयाशंकर तिवारी, सा०-सोनारडीह, थाना-कतरास, 3. नियती देवी, पति-जयदु यादव, सा०-नावागढ़ फुलवारीटाँड़, थाना-खरखरी ओ०पी०, 4. राजकुमार तलुजा, पे०-मोहन तलुजा, सा०-धैया खटाल रोड़, थाना-धनबाद, 5. शंकर यादव, पे०-स्व० जयदु यादव, सा०-भूली ई ब्लॉक, थाना-भूली ओ०पी०, 6. मधुसुदन दुबे, पे०-गोविन्दचन्द्र दुबे,	1. चोरी गयी मोटरसाईकिल की बरामदगी पश्चात् जप्ती सूची, 02. मोटरसाईकिल का सी०आई०जी प्रकाशन, 3. अप्राथमिकी अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान, 4. अप्राथमिकी अभियुक्त (क) संजय कुमार रवानी, पे०-सीताराम रवानी, सा०-मनईटाँड़, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, (ख) उत्तम कुमार, पे०-रविन्द्र विश्वकर्मा, (ग) राहुल कुमार सिंह, पे०-शिशिर कुमार

							सा0-सिरसागढ़, थाना-तोपचाँची, सभी जिला-धनबाद।	सिंह, तीनों सा0-मनईटाँड़, थाना-धनसार, जिला-धनबाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-425/17, दिनांक-31.08.17, धारा-379/411/34 भा0द0वि0। 5. प्रदर्श थाना मलखाना में।	
7	धनसार थाना कांड सं0-280/17, दिनांक-13.11.17, धारा-376 भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो एक्ट। स्पे0 पोस्को सं0-129/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	मुन्ना लाला, पे0-नरेश लाला, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना- धनसार, जिला- धनबाद	वादिनी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना लाला, पे0-नरेश लाला, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना- धनसार, जिला-धनबाद के विरुद्ध नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करना।	जेल में	नीतू कुमारी, पे0-सुमेर सोनकर, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना -धनसार, जिला -धनबाद	1. स0अ0नि0 उर्मिला कुजूर, धनसार थाना। 2. डॉ0 पिन्की रानी, पी0एम0सी0एच0 धनबाद।	(1) नीतू कुमारी, पे0-सुमेर सोनकर, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला-धनबाद (2) संगीता देवी, पति-सुमेर सोनकर, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला-धनबाद (3) सुमेर सोनकर, पे0-कुल्लू सोनकर, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला- धनबाद (4) रीता मिश्रा, पति-रामजी मिश्रा, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना- धनसार, जिला-धनबाद (5) शंभु सोनकर, पे0 -नरेश सोनकर, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना- धनसार, जिला-धनबाद (6) अजय लाल, पे0-नरेश लाल, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला-धनबाद (7) संजय लाल, पे0-नरेश लाल, सा0-मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला- धनबाद	साक्ष्य :- (1) पीड़िता नीतू कुमारी का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन। (2) पीड़िता नीतू कुमारी द्वारा माननीय न्यायालय में धारा-164 दं0प्र0सं0 के तहत दर्ज कराया गया बयान। (3) पीड़िता नीतू कुमारी का उम्र संबंधी प्रमाण पत्र। (4) प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना लाला, पे0-नरेश लाला, सा0- मनईटाँड़, सिंघाड़ा तालाब, धनसार, थाना-धनसार, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-376 भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-31/18 दिनांक 07.02.18 समर्पित।	
8	धनबाद थाना कांड सं0-340/17, दिनांक-14.07.17, धारा-379 भा0द0वि0।	अज्ञात	मोटरसाईकिल चोरी होना।	जेल में।	विरेन्द्र कुमार महतो, पे0-लक्ष्मण महतो, सा0-धोखरा मल्लिकडीह दामोदरपुर,	स0अ0नि0 रामलखन प्रसाद, धनबाद थाना।	वादी 1. विरेन्द्र कुमार महतो, पे0-लक्ष्मण महतो, सा0-धोखरा मल्लिकडीह दामोदरपुर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, 2. किशोर कुमार महतो, पे0-दिनानाथ महतो, सा0-धोखरा (मल्लिकडीह), थाना-धनसार, जिला-धनबाद, 3.	1. प्रदर्श सारठा थाना कांड सं0-139/17, दिनांक-13.08.17, धारा-413/414 भा0द0वि0 में चोरी गयी मोटरसाईकिल की बरामदगी 2. अप्राथमिकी अभियुक्त (क) निजाम	

					थाना-धनसार, जिला-धनबाद		कैलाश चन्द्र महतो, पे0-श्याम लाल महतो, 4.	अंसारी, पे0-कितवा मियाँ एवं (ख) शमशेर अंसारी, पे0-अब्बास मियाँ, दोनों सा0-तारानदाल, थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-03/18, दिनांक-15.01.18, धारा-379/411 भा0द0वि0।
9	बैंकमोड़ थाना कांड सं0-299/17, दिनांक -08.11.17, धारा-25(1-बी)ए/26(2) आर्म्स एक्ट। जी0आर0सं0-4702/17 न्यायालय-मिस श्रुति सोनेन, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0-मिस अरुणिमा बबिता मिंज 8579841331	अजहर खाँ, पे0-इसराईल खाँ, सा0-शमशेरनगर, भूली ओ0पी0, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद	वादी के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त अजहर खाँ, पे0-इसराईल खाँ, सा0-शमशेरनगर, भूली ओ0पी0, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखने तथा पकड़ा जाना।	जेल में	शमीम अहमद खाँ, पे0-स्व0 असदुल्लाह खाँ, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ थाना।	(1) शमीम अहमद खाँ, पे0-स्व0 असदुल्लाह खाँ, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ थाना। (2) स0अ0नि0 सुनील कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना। (3) आरक्षी-2241 दीपक कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना (4) स0अ0नि0 रामाशीष सिंह, बैंकमोड़ थाना।	1. मो0 जहांगीर, पे0-मो0 सरफुद्दीन, सा0-रहमतगंज, पाण्डरपाला, थाना-भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद। 2. रवि भारती, पे0-शत्रुघन भारती, सा0-रांगाटांड, श्रमिक चौक, शौचालय के बगल में रेलवे क्वार्टर, थाना व जिला-धनबाद।	साक्ष्य :- (1) बरामद हथियार गोली का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। (2) प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन चलाने हेतु स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। (3) प्राथमिकी अभियुक्त अजहर खाँ, पे0-इसराईल खाँ, सा0-शमशेरनगर, भूली ओ0पी0, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-25(1-बी)ए/26(2) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप-पत्र सं0-408/17, दिनांक-31.12.17 समर्पित।
10	बैंकमोड़ थाना कांड सं0 -195/17, दिनांक-30.08.17, धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। एस0टी0सं0-12/18 न्यायालय-ए0डी0जे0-15, धनबाद। ए0पी0पी0-टी0एन0उपाध्याय 9470129294	(1) जिशान (2) अलताफ दोनों सा0-वासेपुर, थाना -बैंकमोड़ (3) राजु खान, पे0-लाल बाबू (4) अमन, पे0 -स्व0 टुन्नू खान, दोनों सा0-लाला टोला, वासेपुर एवं (5) राज, पे0-भोलू खान, सा0-करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़ सभी जिला-धनबाद	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद 05 अभियुक्तों के विरुद्ध एकराय होकर गोली मारकर हत्या करना।	जेल - 03	मो0 इरफान, पे0-अब्दूल अंसारी, सा0-आरा मोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद।	(1) पु0अ0नि0 अवध बिहारी सिंह, बैंकमोड़ थाना।	(1) वादी मो0 इरफान, पे0-अब्दूल अंसारी, सा0-आरा मोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (2) मो0 जलील अंसारी, पे0-मो0 फकरी मियाँ, सा0-करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (3) अहमद, पे0-अल्हज अहमद खान, सा0-करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (4) मो0 निसार, पे0-मो0 इसरायल, सा0-करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (5) मो0 वसीम अकरम, पे0-स्व0 गुलाम मुस्तफा, सा0-कुल्टी	साक्ष्य :- (1) मृतक अरबाज उर्फ विक्की का अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त। (2) प्राथमिकी अभियुक्त (1) जिशान अहमद उर्फ लफराज, पे0-सोहेल अहमद, सा0-शमशेरनगर, जहुर कैम्पस के पास, थाना-भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद (2) अलताफ खान, पे0-असरफ अली, सा0-नवी नगर, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद (3) अफजल अमन, पे0-स्व0 इरशाद

							<p>गुलजार मस्जिदपट्टी, थाना मुहल्ला, थाना-कुल्टी, जिला-पश्चिम वर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)। (6) अब्दूल अपफार, पे0-अब्दूल सदीक, सा0-आरा मोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (7) इरसाद उर्फ पप्पु, पे0-अब्दुल गफफार, सा0-आरा मोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (8) इमरान उर्फ मोनू, पे0-अब्दुल गफफार, सा0-आरा मोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (9) शाहबाज आलम कुरैशी, पे0-मो0 आफताब कुरैशी, सा0-कमर मकदुमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (10) आजाद, पे0-स्व0 युसूफ खान, सा0-न्यू मस्जिद, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (11) मो0 सज्जाद आलम, पे0-मो0 हनीफ अंसारी, सा0- करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (12) मो0 शमीम अख्तर, पे0-स्व0 सुलेमान, सा0- करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद। (13) मो0 रिजवान आलम, पे0-मो0 सकूर, सा0- करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद।</p>	<p>आलम उर्फ टुन्नु खान, सा0-लाला टोला, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप-पत्र सं0-260/17, दिनांक-30.11.17 समर्पित। शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध दोषारोपन असत्य पाया गया।</p>	
11	<p>बैंकमोड़ थाना कांड सं0-364/17, दिनांक-16.02.12, धारा-25(1-बी)(ए)/26(II) आर्म्स एक्ट। जी0आर0सं0-5170/17 न्यायालय-मिस श्रुति सोरेन, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0-</p>	<p>जियाउर रहमान उर्फ गोपी खान, पे0-नासिर खान, सा0-कमरमखदूमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद</p>	<p>वादी के स्व0 लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त जियाउर रहमान उर्फ गोपी खान, पे0-नासिर खान, सा0-कमरमखदूमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़,</p>	जेल में	<p>शमीम अहमद खॉं, पे0-स्व0 असदुल्लाह खॉं, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ थाना।</p>	<p>(1) वादी शमीम अहमद खॉं, पे0-स्व0 असदुल्लाह खॉं, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, बैंकमोड़ थाना। (2) स0अ0नि0 सुनील कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना (3) स0अ0नि0 शर्मा नन्द तिवारी, बैंकमोड़ थाना। (4)</p>	-	<p>साक्ष्य :- (1) प्राथमिकी अभियुक्त जियाउर रहमान उर्फ गोपी खान, पे0-नासिर खान, सा0-कमरमखदूमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद का अपराधिक इतिहास। (2) जप्त आग्नेयास्त्र एवं गोली का जाँच प्रतिवेदन परिचारी प्रवर से प्राप्त किया गया</p>	

	अरुनिमा बबिता मिंज 8579841331		जिला-धनबाद के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र गोली रखना एवं पकड़ा जाना।			आरक्षी-2241 दीपक कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना (5) आरक्षी-656 गौतम कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना (6) स0अ0नि0 मुरली मनोहर सिंह, बैंकमोड़ थाना।		है। (3) प्राथमिकी अभियुक्त जियाउर रहमान उर्फ गोपी खान, पे0-नासिर खान, सा0-कमरमखदूमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। (4) प्राथमिकी अभियुक्त जियाउर रहमान उर्फ गोपी खान, पे0-नासिर खान, सा0-कमरमखदूमी रोड़, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-25(1-बी)(ए)/26(II) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप-पत्र सं0-11/18, दिनांक-30.01.18 समर्पित।	
12	तिसरा थाना कांड सं0-45/2017 दिनांक -30.05.2017 धारा-414 भा0 द0 वि0। GR/ 2005/2017	टैम्पु सं0- JH 10 V 7333 के चालक सह मालिक कादिर शेख पिता मुस्लिम शेख सा0-चौथाई कुल्ही झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद	BCCL से लोहा चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना। घटना दिनांक-29.05.2017 को घटित हुई है।	दिनांक- 26.09.2017 को न्यायालय से जमानत पर मुक्त है।	श्री आर0 आर0 मेहता उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 तपेश्वर मेहता सा0+ पो0-जयनगरा, थाना-कांडी जिला-गढ़वा, वर्तमान पोस्ट कमाण्ड NTC सहायक उप निरीक्षक एरिया नम्बर 10 CISF BCCL धनबाद।	(01)श्री आर0 आर0 मेहता उम्र 59 वर्ष पिता स्व0 तपेश्वर मेहता, सा0 + पो0-जयनगरा, थाना-कांडी, जिला गढ़वा, पोस्ट कमाण्ड NTC सहायक उप निरीक्षक एरिया नम्बर 10 CISF BCCL धनबाद (02)जीडी/आ0 140509692 मान सिंह पिता अमरेन्द्र मान सिंह (03) आ0- 15080 1775 बप्पु गोपीनाथ पिता गोपीनाथ सा0-बारागाँव नामदुर, थाना -राहुरी, जिला-अहम दनगर(महाराष्ट्र)		(01)टैम्पु सं0- JH 10 V 7333 से तथा टैम्पु पर लोड चोरी का लोहा 250 कि0 ग्रा0 (02) बीसीसीएल द्वारा कोयला का मूल्य एवं कीमत संबंधी प्रतिवेदन निर्गत किया गया है। (03)टैम्पु सं0-JH 10 V 7333 के स्वामित्व का सत्यापन किया गया है। (04) सभी साक्षियों द्वारा प्राथमिकी एवं घटना का समर्थन किया गया है। (05) आरोप पत्र सं0-81/2017 दिनांक-31.10.2017 धारा-414 भा0 द0 वि0 के तहत समर्पित किया गया है। (06) मालखाना सं0-17/2017।	

						(04) आ० / 305623 गोपाल सिंह राउत पिता देवी सिंह सभी एरिया नम्बर 10 CISF BCCL धनबाद (05)स०अ०नि० राजनाथ भगत मो० न० 84094 26095 (अनुसंधानकर्ता)			
13	झरिया थाना कांड सं०-115/2016 दिनांक-07.05.2016 धारा- 376/506 भा० द० वि० एवं 4 पोक्सो एक्ट स्पे० पोस्को सं०- 36/16 न्यायालय- ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	(01) रिकु चौबे पिता मुरलीधर चौबे सा०- सिंहनगर, 2 नम्बर भूली क्वार्टर, थाना- झरिया, जिला - धनबाद	दिनांक-06/07. 05.2016 की रात्री 03:00 बजे शोच के करने के दौरान वादिनी सुश्री रजनी कुमारी के साथ बलात्कार करने एवं जान मारने का धमकी देने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	दिनांक-20. 12.20.2016 को न्यायालय से जमानत पर मुक्त है	वादिनी सुश्री रजनी कुमारी उम्र 16 वर्ष पिता बौना भुईया सा०- सिंह नगर, 02 नम्बर भूली क्वार्टर, थाना-झरिया, जिला-धनबाद	(01) स०अ०नि० रामाशीष प्रसाद यादव नोट :- साक्षी में प्रथम अनुसंधान कर्ता (01) पु०अ० नि० शंकर उराँव एवं मेडिकल जाँच करने वाले डॉक्टर का नाम साक्षी कॉलम में अंकित नहीं किया गया है	(01) रजनी कुमार पिता बौना भुईया (02) बौना भुईया पिता स्व० द्वारिका भुईया (03) मंगली देवी पति बौना भुईया (04) पंकज साव पिता सुरेश साव (05) राम बाबू धिकार पिता तिरथ धिकार (06) गोपाल पासवान पिता श्रवण पासवान (07) योगी भुईया पिता मोहन भुईया सभी सा०- सिंह नगर, 02 नम्बर भूली क्वार्टर, थाना-झरिया, जिला-धनबाद	(01) पिड़िता रजनी कुमारी का माननीय न्यायालय में द०प्र०सं० की धारा- 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। (02) पिड़िता रजनी कुमारी का मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त है। (03) सभी साक्षियों द्वारा प्राथमिकी एवं घटना का समर्थन किया गया है। (04) आरोप पत्र सं०-20/17, दिनांक-31. 01.2017 समर्पित।	
14	निरसा थाना काण्ड संख्या-239/17, दिनांक-17.10.17, धारा-363/366(ए)/ 34 भा०द०वि० एवं 18 पोक्सो एक्ट। पोस्को सं०- 112/17 न्यायालय- ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	प्राथमिकी अभियुक्त- 1.राजेश भुईया उर्फ लंगड़ा भुईयों पे०- गरीबा भुईयों 2. श्याम भुईयों उर्फ गोरकू भुईयोंपे०-खीरा भुईयों 3. राकेश भुईयों पे०- परमेश्वर भुईयों एवं 4. उषादेवी पति-भूनेश्वर भुईयोंसभी सा०-बैजना कोलियरी,थाना-निरसा जिला-धनबाद		जेल में-03 जमानत-01	वादी कुसुम देवी पति- स्व०चन्द्र भुईयों सा०-बैजना कोलियरी, था० निरसा, जिला- धनबाद	1. अनुसंधानकर्ता- स०अ०नि० विक्रम उराँव, निरसा थाना, मो०नं०-875777247	1. पीड़िता रीना कुमारी, उम्र 10 वर्ष 2.रुकमणी देवी पति-छत्रबली भुईयों 3. छत्रबली भुईयों पे०-स्व० राम स्वरूप भुईयों 4. रूप लाल हॉसदा पे०-स्व० हरी हॉसदा सभी सा०-बैजना कोलियरी, थाना-निरसा, जि०- धनबाद।	साक्ष्य :- 1. पीड़िता लड़की का धारा-164 द०प्र०स० के तहत न्यायालय में दिये गये बयान। 2. चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन। 3. पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र 4. चारों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०- 357/17, दिनांक 23.12.17 समर्पित	
15	झरिया थाना कांड सं०-247/2017	(01) सत्यनारायण सिंह पिता स्व० अमीन सिंह सा०-स्टेशन	पुरानी रंजीश के कारण दिनांक-	दिनांक-19. 10.2017 को	(01) श्री अभय कुमार सिंह	(01) पु०अ०नि० राजकुमार पासवान	(01) श्री अभय कुमार सिंह उर्फ पुनू सिंह पिता स्व० भूदेव नारायण	(01) मृतक का अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त	

	दिनांक-19.10.2017 धारा-302 भा0 द0 वि0 एवं परिवर्तित धारा- 341 / 324 / 326 / 30 7 / 302 भा0 द0 वि0। एस0टी0सं0- 66 / 18, न्यायालय- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- प्रथम, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	रोड झरिया, थाना- झरिया, जिला - धनबाद	18.10.2017 को समय 16:00 बजे दिन में वादी के बड़े भाई मृतक अरविन्द सिंह उर्फ नेपाली सिंह को कुल्हाडी से मार कर हत्या करने एवं रामेश्वर सिंह को जख्मी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है	उर्फ पुनू सिंह पिता स्व0 भूदेव नारायण सिंह सा0-दुर्गापुर धनुआडीह, ओ0पी0-धनुआ डीहथाना तिसरा, जिला-धनबाद मोबाईल नम्बर 9264125007	(02) डॉ0 स्वपन सारक पीएमसी एच धनबाद (03) डॉ0 अमर कुमार ,पीएम सी एच धनबाद	सिंह सा0- दुर्गापुर धनुआडीह, ओ0 पी0-धनुआडीह थाना तिसरा, जिला-धनबाद मो0 न0- 9264125007 (02) रामेश्वर सिंह पिता स्व0 किशानु सिंह (03) प्रदीप सिंह (04) सदीप सिंह दोनो पिता रामेश्वर सिंह (05) रंजनी देवी पति सदीप सिंह (06) उषा देवी पति प्रदीप सिंह सभी सा0-फतेहपुर,धनुआडीह, ओ0 पी0-धनुआडीह थाना तिसरा, जिला - धनबाद	है। (02) जख्मी का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है। (03) साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। (04) आरोप पत्र सं0-360 / 17, दिनांक-31. 12.2017।	
16	चिरकुण्डा(पंचेत) थाना कांड संख्या-196 / 17 दिनांक-01.10.17 धारा-302 / 201 / 37 9 / 34 भा0द0वि0। एस0टी0सं0- 53 / 18 न्यायालय- ए0डी0जे0-03, धनबाद। ए0पी0पी0- जब्बाद हुसैन 9031378287	अप्राथमिकी अभियुक्त- 1. सुबोध मंडल पे0- स्व0 विमल मंडल 2. कीर्तन मंडल उर्फ जमादार पे0-सुबोध मंडल दोनों सा0- नेपुरा,थाना-चिरकुण्डा (पंचेत),जिला-धनबाद।	-	जेल में	प्रेमनाथसरकार पे0-स्व0 नारायण चन्द्र सरकार सा0- नेपुरा थाना- पंचेत, जिला- धनबाद	1. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 रवि प्रकाश राम, पंचेत ओ0पी0 2. डा0 स्वपन कुमार सारक,पी0एम0सी0ए च0,धनबाद 3. कालीदास मुण्डा, प्रखण्ड विकास पदा0, केलियासोल, (पहचान परेड अधिकारी), धनबाद।	1. संजीव सरकार पे0-केशवचन्द्र सरकार 2 सोमनाथ सरकार पे0-स्व0 नारायण चन्द्र सरकार 3 राजीव सरकार पे0- केशवचन्द्र सरकार 4. कंचन सरकार पे0-स्व0 अभय पदो सरकार 5. शांति मंडल पे0- स्व0 फूलू मंडल 6. सुकुमार सरकार पे0-स्व0 अभय पदो सरकार 7 मलय सरकार पे0- स्व0 अभय पदो सरकार 8. श्याम सुन्दर सिन्हा पे0-स्व0 कमल कुमार सिन्हा सभ सा0-नेपुरा, थाना-पंचेत, धनबाद	साक्ष्य :- अभियुक्तों के निशानदेही पर घटनास्थल से मृतक का 1. चश्मा कथा रंग का फ्ले वाला, 2. नीला एवं सफेद रंग का चेकदार लूंगी का जला हुआ टुकड़ा। 3. अभियुक्तों का स्वीकारोक्ति बयान। 4. मृतक नारायण चन्द्र सरकार का अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन। 5. टी0आई0पी0 चश्मा एवं लुन्गी का टुकड़ा का हुआ 6. आरोप पत्र सं0- 228 / 17, दिनांक- 30.11. 17 समर्पित	
17	महुदा थाना काण्ड सं0- 67 / 17, दि0-13.12.17, धारा-394 / 412 भा0द0वि0 जी0आर0 सं-5075 / 2017 न्यायालय-	1.शिवकुमार पे0-रामजी राम, सा0-183 / आर0एन0 सिन्दरी, 2. उगेश कुमार पे0-सुशील कुमार, सा0-चिलियामा, थाना सिन्दरी, 3. बोलेरो सं0-JH-10S-8689, के चालक अबुल खॉ, सा0-चौथाई कुली, परसाटॉड, थाना-झरिया, 4. मुस्तफा अंसारी,	-	जेल में	मो0 कलीम रजा, पे0-स्व0 मौलाना ताजउद्दीन, सा0-मकदुमपुर , थाना-बालीडीह ,	1. अनु0कर्ता- हरिकिशोर मंडल,	1. छोटु शेख, उम्र-32 वर्ष, सा0-भरुगिया, 2. अकबर शेख शफीक, उम्र-37 वर्ष, पे0-हकीम शेख 3. शेख शफीक, उम्र-37 वर्ष, पे0-नमीर शेख 4. समीर शेख शफीक, उम्र-52 वर्ष, पे0-स्व0 रमजान शेख, चारों सा0-भरुगिया, थाना-महुदा, जिला-धनबाद, 5.	साक्ष्य :- 1. जपती सूची में जप्त समान। (क) बोलेरो गाड़ी नं0-JH-10S- 8689, (ख) दो नोकिया कम्पनी एवं एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल (ग) एक हाथ घड़ी एवं अन्य सामान।	

	स्वाति विजय उपाध्याय, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193	सा0-परसाटॉड, जगतडीह, थाना-झरिय, सभी जिला-धनबाद।			जिला-बोकारो ।		मो0 कलीम रजा, उम्र-36 वर्ष, पे0-स्व0 मौलाना ताजउद्दीन, सा0-मकदुमपुर, थाना-बालीडीह, जिला-बोकारो।	2. सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। 3. आरोप पत्र सं0- 08/18, दिनांक- 28.02. 18 समर्पित	
18	महुदा थाना काण्ड सं0-37/17, दि0-15.08.17, धारा-302/24 भा0द0वि0। एस0टी0सं0- 134/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-11, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	1.इब्राहीम अंसारी 2. इन्दाद अंसारी, दोनो पे0-इदरीश अंसारी 3. इदरीश अंसारी पे0-स्व0 हबीब अंसारी, तीनों सा0-सीमाटॉड थाना- महुदा जिला-धनबाद।	-	जेल में	वादी जगु महतो, उम्र-65 वर्ष, पे0-स्व0 किष्ठा महतो सा0- कल्याणपुर थाना महुदा, जिला-धनबाद ।	1 अनु0कर्ता :- पु0अ0नि0 हरकिशोर मंडल 2. अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत करने वाले चिकित्साकर्मी।	1. विनती देवी, उम्र-45 वर्ष, पे0-स्व0 शालीग्राम महतो सा0-कल्याणपुर, 2. तरन्नुम बीबी, उम्र-21 वर्ष, पे0-इम्तीयाज अंसारी, सा0- सीमाटॉड, 3. सनातन महतो, उम्र-32 वर्ष, पे0-जगु महतो, सा0-कल्याणपुर, 4. पूरन महतो उम्र-50 वर्ष, पे0-स्व0 अघनु महतो, सा0-कल्याणपुर, 5. अब्दुल जाफर अंसारी, उम्र-42 वर्ष, पिता-अमर फरीद अंसारी, सा0-सीमाटॉड सभी थाना-महुदा, जिला-धनबाद।	साक्ष्य :- 1. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। 2. चिकित्सक का जाँच प्रतिवेदन सह अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0- 52/17, दिनांक- 31.10. 17	
19	कतरास थाना काण्ड सं0-184/17 दि0-28.09.17 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0सं0- 3623/17 न्यायालय- एस0डी0जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0- कुलदीप प्र0 शर्मा 9472741728	अभि0 1. मो0 गुफरान उर्फ अरमान, उम्र-करीब 32 वर्ष, पिता-स्व0 मो0 लतीफ अंसारी, सा0-श्यामडीह, थाना-कतरास जिला-धनबाद।	-	जेल में	वादी पुअ0नि0 नवीन पासवान, उम्र-करीब 55 वर्ष, ग्राम+पो0-खुंट ाय, थाना-लोदीपु, जिला-भागलपु र (बिहार) वर्तमान पता कतरास थाना, जिला-धनबाद ।	1. वादी पुअ0नि0 नवीन पासवान, 2. आरक्षी 1185 धमेन्द्र सिंह, उम्र-24 वर्ष, पिता-श्री जनार्दन सिंह, सा0-फुलवार, थाना-कतरास, जिला-धनबाद। वर्तमान कतरास थाना, जिला-धनबाद। 3. आरक्षी 1310 बजंरगी साव उम्र-22 वर्ष, पिता-श्री पन्ना	1.मो0 रिजवान, उम्र-करीब 35 वर्ष, पिता-स्व0 लतीफ अंसारी, 2. मो0 सफीक अंसारी उम्र-करीब 31 वर्ष, पिता-स्व0 मो0 लतीफ अंसारी दोनो सा0-श्यामडीह तालाब के पास, थाना-कतरास, जिला-धनबाद।	साक्ष्य :- 1. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 2. प्रा0अभि0 के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त, धनबाद के कार्यालय का ज्ञा-934/विधि, दि0-20. 12.17 अभियोजन चलाने हेतु स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 3. जप्ती सूची में जप्त प्रदर्श। (क) दो देशी कट्टा (ख) एक गोली (ग) एक भुजाली आदि। 4. अग्नेयाशस्त्रों की जाँच	

						<p>लाल, सा0-दहियारी, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो, बर्तमान कतरास थाना, जिला-धनबाद ।</p> <p>4. चालक आ0 2405 संजय कुमार उम्र-37 वर्ष, पिता-श्री बद्री राय, सा0-गांठी, थाना-राजधनवार, जिला-गिरिडीह, बर्तमान कतरास थाना, जिला-धनबाद ।</p> <p>5. श्याम विहारी सिंह, परिचारी प्रवर, बोकारो ।</p> <p>6. अनुकर्ता :- पु0अ0नि0 कमल किशोर बांदिया ।</p>		<p>परिचारी प्रवर द्वारा कराया गया है ।</p> <p>5. आरोप पत्र सं0-260/17, दि0- 22.12.17</p>	
20	<p>कतरास(रामकनाली) थाना काण्ड सं0-210/17 दि0-11.11.17 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो एक्ट</p> <p>पोस्को सं0-125/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद । ए0पी0पी0-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378</p>	<p>अभि0 1. डोरी लाल चौहान, पे0-स्व0 सोनाराम पी0वी0 सा0-सलानपुर 8 नं0, क्वार्टर नं0-78, थाना-रामकनाली ओ0पी0,(कतरास) जिला-धनबाद ।</p>	—	जेल में	<p>वादी सीमरन कुमारी, पिता-डोरी लाल चौहान, सा0-सलानपुर 8 नं0 क्वार्टर नं0-78, थाना-रामकनाली ओ0पी0(कतरास) जिला-धनबाद ।</p>	<p>1. अनुकर्ता :- स0अ0नि0 केदार गोस्वामी</p>	<p>1.नन्दनी देवी, उम्र-करीब 35 वर्ष, पति-डोरी लाल चौहान, 2.रवि चौहान उम्र-23 वर्ष, पिता-स्व0 सोभा राम वी0पी0, 3. हरिलाल चौहान उम्र-32 वर्ष, पिता-स्व0 सोभा राम वी0पी0, सभी सा0-सलानपुर 8 नं0, क्वार्टर नं0-78, थाना-रामकनाली ओ0पी0,(कतरास) जिला-धनबाद ।</p> <p>4. सुमन चौहान उम्र-20 वर्ष, पति-प्रदीप चौहान, पिता-डोरी लाल चौहान, सा0-बरौली, थाना-जपला, जिला-पलामू बर्तमान पता-सलानपुर 8 नं0 क्वार्टर नं0-78, थाना-रामकनाली ओ0पी0,(कतरास) जिला-धनबाद ।</p>	<p>साक्ष्य :-</p> <p>1.अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है ।</p> <p>2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है । जो काण्ड दैनिकी में अंकित किया गया है ।</p> <p>3. धारा 164 द0प्र0सं0 के तहत पीड़िता का ब्यान दर्ज कराया गया है ।</p> <p>4. आरोप पत्र सं0-277/17, दिनांक- 24.12.17 समर्पित</p>	

21	सिन्दरी(गौशाला ओ0पी0) थाना काण्ड सं0-09/17 दि0-27.02.17 धारा-394 भा0द0वि0 एवं परिवर्तित धारा-392,411 भा0द0वि0 जी0आर0सं0-847/17 न्यायालय-गौरव खुराना ए0पी0पी0-हरेश कु0 राम 7992321193	साजिद अंसारी उर्फ रागा अंसारी उर्फ पिन्दु अंसारी पे0-पुल्लान अंसारी उर्फ महताब अंसारी सा0-बरारी, थाना-जोड़ापोखर, जिला-धनबाद।	-	जेल में	ओम प्रकाश पाण्डेय पे0-शिवदयाल पाण्डेय सा0-जय हिन्द मोड रांगा माटी, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद।	अनु0कर्ता :- पु0अ0नि0 नेहरू लाल सोय प्रभारी गौशाला ओ0पी0, मो0नं0-9162120053	1.पिंकु कुमार, पे0-विद्यिराम मिश्रा, सा0-आई एम टाईप सिन्दरी क्वाटर नं0-542/543 रागामाटी, थाना-बलियापुर 2.विजेन्द्र शर्मा पे0-शंकर शर्मा, सा0-डोभगढ़, थाना-सिन्दरी। 3. कुमार महतो, पे0-बिजय महतो, सा0-हेट काण्डा, थाना-गौशाला ओ0पी0, तीनों जिला-धनबाद।	1. माइक्रोमैक्स मोबाईल बरामद 2. आरोप पत्र सं0-39/17, दिनांक 29.06.17 समर्पित
22	सिन्दरी(गौशाला ओ0पी0) थाना काण्ड सं0-13/17 दि0-19.03.17, धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25(1बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0सं0-1121/17 न्यायालय-अरविन्द कच्छन, जे0एम0, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0-विरेन्द्र कुमार 9835386419	साजिद अंसारी उर्फ रागा अंसारी उर्फ पिन्दु अंसारी पे0-पुल्लान अंसारी उर्फ महताब अंसारी सा0-बरारी, थाना-जोड़ापोखर, जिला-धनबाद।	-	जेल में	पु0अ0नि0 नेहरू सोय पे0-स्व0 लुगनी सिंह सोय, सा0-कद्दापुर, थाना-खरसवा, जिला-सरायके ला खरसवा A/P गौशाला ओ0पी0 प्रभारी	1. पु0अ0नि0 नेहरू सोय 2. हव0-नन्दकिशोर सिंह 3. आ0-125 सुभाष कुमार 4. आ0-2061 सौरभ कुमार, 5. स0अ0नि0 मिथिलेश कुमार सिन्हा सभी गौशाला ओ0पी0, धनबाद। 6. श्याम विहारी सिंह, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र बोकारो। 7. स0अ0नि0 अशोक कुमार तिवारी, गौशाला ओ0पी0, मो0नं0-8809955819	1. अजीत गिरी, पे0-स्व0 पुर्ण चन्द्र गिरी सा0-काण्डा बजार 2. शिबु मंडल पे0-स्व0 किवल मंडल, सा0-टासरा बस्ती, दोनो थाना-गौशाला ओ0पी0, जिला-धनबाद।	1. शस्त्र, गोली एवं मोबाईल मालखाना में। 2. जप्त अग्नेयाशस्त्रों की जांच परिचारी प्रवर से कराया गया है। 3. अभियोजनस्वीकृतादेश प्राप्त है। 2. आरोप पत्र सं0-29/17, दिनांक 15.05.17 समर्पित
23	पूर्वी टुण्डी थाना काण्ड सं0 36/16, दिनांक 14.10.18, धारा 376/511	सुशांत हॉसदा, उम करीब 28 वर्ष, पिता-स्व0 विनोद हॉसदा, सा0-पोखरिया टोला, जामुनडीह, थाना-पूर्वी टुण्डी,	नाबालिक बच्ची के साथ बलात्कार का प्रयास करने का	अभि को दिनांक 18.10.16 कर गिरफ्तार कर	नुनूलाल महतो, उम्र-34 वर्ष, पिता-हरि किस्टो महतो,	काण्ड का अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 श्रीकांत शर्मा, पूर्वी टुण्डी	साक्षी 01.कलावती देवी, उम्र-32 वर्ष, पति-नुनूलाल महतो, सा0-विश्वडीह, थाना-पूर्वी टुण्डी, जिला-धनबाद, 02. अरुण कुम्हार,	साक्ष्य :- 01. अनुसंधान के क्रम में पीडिता हेमान्ती कुमारी का दिनांक-21.10.16 को

	भा0द0वि0 एवं 7/8 पोस्को एक्ट 2012 स्पे0 पोस्को सं0-93/16 न्यायालय-ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	जिला-धनबाद।	आरोप	दिनांक 19.10.16 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया।	सा0-विश्वडीह, थाना-पूर्वी टुण्डी, जिला-धनबाद।	थाना।	उम्र-35 वर्ष, (पंचायत समिति सदस्य), पिता-जीतन कुम्हार 03. मोहन साव, उम्र-40 वर्ष, पिता-सहदेव साव, दोनों सा0-पोखरिया, 04. सत्येन्द्र सिंह, उम्र-35 वर्ष, पिता-स्व0 प्रकाश सिंह, सा0-विश्वडीह सभी थाना-पूर्वी टुण्डी, जिला-धनबाद।	माननीय न्यायालय में धारा-164 द0प्र0स0 के अन्तर्गत ब्यान दर्ज कराया गया है। जिसमें पिड़िता द्वारा घटना का समर्थन किया गया है। आरोप पत्र सं0-31/2016, दिनांक-30.11.2016 सुशांत हॉसदा के विरुद्ध समर्पित किया गया है।	
24	झरिया थाना काण्ड सं0-223/17 दि0-26.09.17 धारा-25(1-बी0)ए0/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0सं0-3618/17 न्यायालय-अर्पित श्रीवास्तव,, धनबाद। ए0पी0पी0-पावल कोनगारी, 94703819997	1.अफताब अंसारी पिता-मो0 सन्दु अंसारी सा0-उपर कुल्ही शमशेर नगर थाना-झरिया जिला-धनबाद। 2. विकास महतो पिता-लखन महतो सा0-भागाबांध थाना-भागाबांध जिला-धनबाद।	-	जेल में	स0अ0नि0 अशोक कुमार सिंह पिता-स्व0 लालबाबु सिंह वर्तमान झरिया थाना में पदस्थापित।	1. वादी स0अ0नि0 अशोक कुमार सिंह 2.. आ0/1983 जितेन्द्र कुमार रजवार 3. आ0/182 नरेन्द्र कुमार बैठा 4. स0अ0नि0 लक्ष्मी नरायण महतो 5. स0अ0नि0 छोटे लाल सिंह 6. स0अ0नि0 मनोज कुमार सिंह सभी वर्तमान झरिया थाना	1. राजेन्द्र राम 2. मो0 मुस्तकीम	1. एक देशी पिस्तौल में मैगजीन लगा हुआ, मैगजीन में तीन गोली लोड गोली के पेंदे पर 7.65 KF लिखा हुआ 2. एक देशी कट्टा जिसके बैरल के लम्बाई ग्यारह अंगुल बट सहित बैरल की लम्बाई 16 अंगुल बट में लकड़ी का मुट्ठा लगा हुआ 3. एक मोटर साईकल काला रंग की होण्डा साईन मोटरसाईकल नं0-JH10FS-1845. 4. सस्त्रों का जाँच परिचारी प्रवर द्वारा कराया गया है 5. अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त है। 6. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-291/17, दिनांक 25.11.17 समर्पित	
25	झरिया थाना काण्ड सं0-09/18 दि0-07.01.18 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 6 पोक्सो एक्ट।	राजन रजवार उम्र-50 वर्ष सा0-बनियाहीर कोढ़िया पट्टी थाना-झरिया जिला-धनबाद।	-	जेल में	प्रबीण मंडल उम्र-30 वर्ष पति-गणेश मंडल सा0-बनियाहीर कोढ़िया पट्टी	1. पु0अ0नि0 अर्जून चन्द्र टुडू झरिया थाना। 2. डॉ0 संध्या तिवारी, पी0एम0सी0एच0,	साक्षी 1. श्री गणेश मंडल उम्र-37 वर्ष पिता-स्व0 प्रमोद मंडल 2. श्रीमति रेखा मंडल पति-भोला मंडल 3. सनिता देवी, पति श्रवण ताती 4. सविता महतो, पति गंभीर महतो,	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत ब्यान दर्ज 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं0-	

	पोस्को सं०- 04 / 18 न्यायालय- ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378				थाना-झरिया जिला-धनबाद ।	धनबाद।	सभी सा०-बनियाहीर कोढ़िया पट्टी थाना-झरिया जिला-धनबाद।	43 / 18, दिनांक- 28.07. 18 समर्पित	
26	झरिया थाना काण्ड सं०-15 / 17 दि०-20.01.17 धारा-461 / 379 / 41 1 भा०द०वि० जी०आर०सं०- 276 / 17 न्यायालय- गौरव खुराना, जे०एम०, धनबाद। ए०पी०पी०- हरेश कुमार राम 7992321193	1.रोहित कुमार उर्फ काण्डा उम्र-19 वर्ष पिता-प्रदीप राम सा०-सुदामडीह रिभर साईड बस्ती थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद। 2. विशाल कुमार पिता-रामजी नोनीया सा०-सुदामडीह रिभर साईड कॉलोनी क्वाटर न०-42 थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद।	-	जेल में	अजय कुमार झा उम्र-50 वर्ष पिता-श्री परमानन्द झा सा०-एल०सी० /6 ऑफिसर्स कॉलोनी भागा, गडिवान पट्टी थाना-झरिया जिला-धनबाद ।	1. स०अ०नि० लक्ष्मी नारायण महतो, झरिया थाना।	साक्षी 1. जयती झा उम्र-41 वर्ष पति- अजय कुमार झा सा०-एल०सी०/6 ऑफिसर्स कॉलोनी भागा, गडिवान पट्टी 2. अरविन्द कुमार सिन्हा उम्र-49 वर्ष पिता-अशोक कुमार सिन्हा सा०-एल०सी०/8 ऑफिसर्स कॉलोनी भागा, गडिवान पट्टी 3. संजय गुप्ता उम्र-40 वर्ष पिता-श्रीराम प्रसाद गुप्ता सा०-एल०सी०/12 ऑफिसर्स कॉलोनी भागा, गडिवान पट्टी 4. रवि शंकर प्रसाद उम्र-32 वर्ष पिता-अनिल कुमार सा०-ऑफिसर्स कॉलोनी भागा, गडिवान पट्टी	1.एक लैनभो कम्पनी का लैपटाप 2. एक समसंग कम्पनी J- 7 4G Gold मोबाईल। 3. सामानों का टी०आई०पी० हो चुका है, जिसमें पहचान हो चुका है। 4. आरोप पत्र सं०- 63 / 17, दिनांक 31.03.17 एवं 156 / 17, दिनांक- 29. 06.17 समर्पित किया गया है।	
27	बरवाअड्डा थाना काण्ड सं०-46 / 16 दि०-06.06.16 धारा-399 / 402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। एस०टी०सं०- 79 / 17 न्यायालय- ए०डी०जे०-12, धनबाद। ए०पी०पी०- कुलदीप प्रसाद शर्मा	1.शौकत खान उर्फ मोना उम्र-23 वर्ष पिता-स्व कलीम खान 2. इमरोज अंसारी उर्फ काड़ा उम्र-20 वर्ष पे०-ऐनुल अंसारी 3. फिरोज अंसारी उर्फ सूरज अंसारी उम्र-22 वर्ष पे०-ऐनुल अंसारी 4. नौसाद अंसारी उर्फ टुन्नू उम्र-20 वर्ष पे०-एजरूल अंसारी 5. कासीम अंसारी उर्फ दल्ला उम्र-19 वर्ष पे०-जावेद अंसारी 6. हासीर खान उम्र-28 वर्ष पे०-मजहर अली खान एवं 7. शमशाद अंसारी उर्फ छोटु उम्र-18 वर्ष पे०-नसरूल अंसारी सभी सा०-सिजुआ श्याम बाजार थाना-जोगता जिला-धनबाद।	-	जेल में	पु०अ०नि० शंकर कुमार, बरवाअड्डा वर्तमान में जोगता थाना।	1.पु०अ०नि० सुनील तिवारी तत्कालीन थाना प्रभारी गोविन्दपुर थाना 2. पु०नि० अखिलेश्वर चौबे थाना प्रभारी धनबाद 3. श्री केश्वर साहु तत्कालीन पु०नि० गोविन्दपुर अंचल 4. अनु०-स०अ०नि० कौशल कु० मिश्रा, बरवाअड्डा थाना।		साक्ष्य :- 01. प्राथमिकी अभि० शौकत खान उर्फ मोना के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, जिसमें .315 बोर का जिन्दा गोली लोड पाया गया। 02. अभि० इमरोज अंसारी उर्फ कारा के कमर के पास एक लोडेड देशी कट्टा, जिसमें .315 बोर का जिन्दा गोली लोडेड पाया गया। 03. फिरोज अंसारी उर्फ सुरज अंसारी के पास से लोहे का एक छुरा बरामद हुआ। 04. नौशाद अंसारी उर्फ टुलू के पास से .315 बोर	

	9472741728							<p>का एक जिन्दा गोली बरामद हुआ</p> <p>05. अभि० काशीम अंसारी उर्फ दतुला, हसीर अंसारी एवं शमशाद अंसारी उर्फ छोटु के पास से चाकु एवं डंडा बराकद</p> <p>02. कांड में बरामद अवैध आग्नेयास्त्र की जाँच माननीय न्यायालय के आदेशानुसार परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, धनबाद से करवाया जा चुका है।</p> <p>03. कांड में अभियुक्तों के विरुद्ध उपायुक्त महोदय, धनबाद से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त की जा चुकी है।</p> <p>04. अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी के नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी की धाराओं में आरोप-पत्र सं० 88/16, दि० 31.07.16 समर्पित किया गया है। (एम०आर० नं० 19/16, दि० 06.06.16 के अनुसार कांड में बरामद सामान एवं अवैध आग्नेयास्त्र उपलब्ध है)</p>
28	<p>बरवाअड्डा थाना काण्ड सं०-47/16 दि०-08.06.16 धारा-420/467/468/471/120बी भा०द०वि० एवं 66बी/68 आई०टी० एक्ट।</p> <p>जी०आर०सं०-2283/16</p>	<p>1.अरविन्द कुमार दास पे०-दुलाल दास सा०-आसनबनी थाना-बरवाअड्डा जिला-धनबाद</p> <p>2. अजय दास पे०-अर्जुन दास सा०-लोकानिया थाना-नारायणपुर जिला-जामतारा।</p>	-	जेल में	पु०अ०नि० शंकर कुमार, बरवाअड्डा वर्तमान में जोगता थाना।	<p>1.पु०अ०नि० उमाशंकर साईबर थाना रॉंची 2. कुमार सौरभ तकनिकी शाखा पदाधिकारी साईबर थाना रॉंची 3. आ०-2009 अखिलेश कुमार बैठा टुण्डी थाना रिजर्व गार्ड 4. आ०-101 धीरज कुमार शर्मा</p>	<p>सुचान दास पे०-स्व० लखन दास सा०-आसनबनी थाना-बरवाअड्डा, धनबाद,</p>	<p>साक्ष्य :-</p> <p>01.जप्ती-सूची के अनुसार प्रा० अभि० अरविन्द कु० दास एवं अजय दास के पास से 07 मोबाईल, 07 सीम कार्ड, 05 जाली आधार कार्ड, 02 ए०टी०एम० कार्ड आदि सामान।</p> <p>02. अनुसंधानोपरान्त प्रा० अभि० अरविन्द कु० दास</p>

	न्यायालय- रवि नारायण, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193					टुण्डी थाना रिजर्व गार्ड 5. अनु0-पु0नि0 केशवर साहु।		एवं अजय दास के विरुद्ध प्राथमिकी की धाराओं में आरोप पत्र सं0 91/16, दि0 03.08.16 समर्पित किया गया है। एम0आर0 संख्या- 21/16, दिनांक-08.06.16 में जप्त सभी सामान सुरक्षित रखा गया है।
29	बरवाअड्डा थाना काण्ड सं0-154/17 दि0-04.10.17 धारा-302/120 बी0 भा0द0वि0। जी0आर0सं0- 3699/17 न्यायालय- रवि नारायण, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193	1.भैरवनाथ (शर्मा) दसौंधी, पे0-राजेन्द्र प्रसाद दसौंधी 2. राजेन्द्र प्रसाद दसौंधी, पे0-भागपत दसौंधी 3. गायत्री देवी, पति- राजेन्द्र प्रसाद दसौंधी, तीनों हा0मो0-ग्राम-बड़ाजमुआ स्थित विष्णुदेव पाण्डेय का किराया मकान, थाना-बरवाअड्डा जिला-धनबाद, स्थाई पता- सा0-पुण्डरू, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो एवं 4. अप्रा0अभि0 रूपा देवी, पति-स्व0 पप्पु दसौंधी, सा0-भौंटीह, थाना-महुदा, जिला-धनबाद।	वादी द्वारा लिखित प्रतिवेदन में अभियुक्तों के द्वारा गला दबाकर एवं धरघार हथियार से गला रेतकर षड्यंत्र के तहत हत्या करने का आरोप लगाया गया है।	जेल में	राजेन्द्र राय उम्र-55 वर्ष, पे0-श्री छत्रधारी राय, सा0-गैडा, पो0-चुगलानों, थाना-बरकट्टा , जिला-हजारीब ाग।	1. डॉ0 जे0 श्रीनिवास राव, पोस्टमार्टम, पी0एम0सी0एच0, धनबाद 2. पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, थाना प्रभारी, भुली ओ0पी0 एवं 3. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 दिनेश कुमार, थाना प्रभारी, बरवाअड्डा, जि0 धनबाद	01. वादी राजेन्द्र राय, उम्र 55 वर्ष, पिता-श्री छत्रधारी राय 02. साक्षी अभिषेक कु0 राय, उम्र करीब 35 वर्ष, पे0 राजेन्द्र राय 03. साक्षी सुचित्रा देवी, उम्र 49 वर्ष, पति- राजेन्द्र राय, तीनों सा0 गैडा, पो0 चुगलानों, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग 04. साक्षी सत्येन्द्र कु0 राय, उम्र 45 वर्ष, पे0 अजीत राय 05. साक्षी गुड़िया देवी, उम्र 28 वर्ष, पति-सत्येन्द्र कु0 राय, दोनोंसा0+पो0 रेवाली कदकमदाग, था0 कदकमदाग, जि0 हजारीबाग(झारखंड) 06. साक्षी बसंत कु0 राय, उम्र 48 वर्ष, पे0 राजेन्द्र प्र0 राय 07. संयुक्ता देवी, उम्र 38 वर्ष, पति-बसन्त शर्मा, दोनों सा0 बक्सपुरा, पो0 यादवपुर, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद 08. साक्षी विवेक राय, उम्र 29 वर्ष, पे0 श्रीकांत राय, सा0 परसाबाद, था0 जयनगर, जि0 कोडरमा 09. साक्षी ममता देवी, उम्र 40 वर्ष, पति-विजय शर्मा 10. विजय शर्मा, उम्र 48 वर्ष, पे0 स्व0 दया सागर शर्मा,दोनों सा0 मांझी, था0 मांझी, जि0 छपरा(बिहार) हा0मो0 सा0 बड़ाजमुआ, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद स्थित विष्णु पांडेय के मकान में किरायेदार 11. साक्षी सोनाराम महतो, उम्र 40 वर्ष, पे0	साक्ष्य :- 01. प्रा0अभि0 भैरवनाथ दसौंधी उर्फ भैरवनाथ शर्मा के गिरफ्तारी पश्चात् उसके निशानदेही पर हत्या कांड में प्रयुक्त चाकू एवं जुता के फिता को विधिवत जप्ती-सूची बनाकर जप्त किया गया है। 02. अभि0 भैरवनाथ दसौंधी का बजाप्ते विडियो रिकॉर्डिंग के साथ स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है, जिसमें वह इस हत्या की घटना में अपना अपराध को स्वीकार करते हुए विस्तार से बयान दिया है। 03. अभि0 भैरवनाथ दसौंधी एवं अप्रा0अभि0 रूपा देवी का मो0 नं0 9955850059, 7903201685, 7654935271, 9523624930 पर घटना के दिन तथा उसके पूर्व किये गये वार्तालाप का सी0डी0आर0, कैफ एवं अन्य तकनिकी सहयोग के आधार पर 04. अभि0 भैरवनाथ दसौंधी का अपने लिखावट में घटनास्थल पर छोड़ा गया

							<p>इश्वर लाल महतो, सा0 विराजपुर मधुगोड़ा, था0 बरवाअड़डा, जि0 धनबाद 12. साक्षी लख- वेंदर सिंह, उम्र 37 वर्ष, पे0 अवतार सिंह, सा0 गोकुवल, था0 किला लाल सिंह बटाला, जि0 गुरुदासपुर (पंजाब), हा0मो0 सा0 विज्ञान विहार कॉलोनी, बरवाअड़डा स्थित अरुण सिंह के मकान में किरायेदार, था0 बरवाअड़डा, जि0 धनबाद प्रस्तुती सह जप्ती-सूची के गवाह13. सुनील जैन, उम्र 42 वर्ष, पे0 स्व0 एल0सी0 जैन, सा0 बिरसा चॉक हिनु, रॉंची, था0 जगरनाथपुर, जि0 रॉंची 14. अमीत कुमार, उम्र 20 वर्ष, पे0 अनिल प्रसाद, सा0 मोहल्ला साव, था0 जगन्नाथपुर, जि0 रॉंची 15. नरेश साव, उम्र 40 वर्ष, पे0 स्व0 प्रसाद साव, सा0 एल0एच0 क्वार्0नं0 168 स्ट्रीट, था0 सिटी, जि0 बोकारो, स्थाई पता सा0+था0 पदमा, जि0 हजारीबाग</p>	<p>धमकी भरा पत्र एवं सुसाईड नोट्स का लिखावट एक ही पाया जाना। 05. अन्य अभिलेखीय साक्ष्य, जिसका कांड दैनिकी में विस्तार से उल्लेख है। 06. मृतिका अनुपमा देवी, आभा कुमारी एवं अभय कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट 07. अभियुक्त 01. भैरवनाथ (शर्मा) दसौंधी, पे0 राजेन्द्र प्रसाद दसौंधी एवं 02. अप्रा0अभि0 रूपा देवी, पति-स्व0 पप्पु दसौंधी के विरुद्ध धारा-302/120(बी) भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप-पत्र सं0-01/18, दि0 08.01.18 समर्पित</p>	
30	<p>बैंकमोड (भूली ओ0पी0) थाना कांडसं0- 204/ 17 दिनांक 08.09.17 धारा- 302/34 भा0द0वि0</p> <p>एस0टी0सं0-64/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-03, धनबाद। ए0पी0पी0-जब्बाद हुसैन 9031378287</p>	<p>1. शंकर श्रीवास्तव 2. टुटु श्रीवास्तव उर्फ उपेन्द्र 3. दीपक श्रीवास्तव दोनो पे0 शंकर श्रीवास्तव 4. कंचन देवी पति शंकर श्रीवास्तव एवं 5. खुशबू कुमारी उर्फ नेहा पे0 शंकर श्रीवास्तव सभी सा0-अम्बेकर नगर, कृष्ण मंदिर के पीछे थाना- भूली ओ0पी0 जिला-धनबाद</p>	<p>लाठी, डंडा, रड एवं अन्य समान से मारपीट करना, जिसे अस्पताल में चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर देना।</p>	जेल में	<p>राजेन्द्र किस्कू पे0 स्व0 श्यामचरण किस्कू सा0-अम्बेडकर नगर, कृष्ण मंदिर के पीछे थाना-भूली ओ0पी0 जिला-धनबाद</p>	<p>अनु0कर्ता पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, भूली ओ0पी0।</p>	<p>1. वादी राजेन्द्र किस्कू पे0 स्व0 श्यामचरण किस्कू 2. हरिशचन्द्र ठाकुर पे0 स्व0 विशेश्वर ठाकुर 3. सीता देवी पति स्व0 जितेन्द्र नाथ किस्कू 4. विमला देवी पति गया यादव 5. गया यादव पे0 स्व0 राधो यादव 6. सुधीरा देवी पति हरिशचन्द्र ठाकुर 7. यशोदा देवी पति जीतन राम 8. मंटु कुमार पे0 रामचन्द्र यादव 9. राहुल कुमार पाण्डेय पे0 नवल किशोर पाण्डेय 10 अजय कुमार सिंह पे0 विमल कुमार सिंह सभी सा0-अम्बेडकर नगर, कृष्ण मंदिर के पीछे थाना-भूली ओ0पी0 जिला-धनबाद</p>	<p>1.प्राथमिकी अभियुक्त दिपक कुमार श्रीवास्तव का स्वीरोक्ती बयान। 2. स्वीकारोक्ती बयान के अधार पर मृतक का नीले रंग का टी सर्ट बरामद तथा हत्या में प्रयुक्त बास का टुकड़ा बरामद। 3. प्राथमिकी अभियुक्त 1.कंचन देवी, पति-शंकर श्रीवास्तव 2. खुशबू कुमारी उर्फ नेहा, पे0-शंकर श्रीवास्तव दोनों सा0- अम्बेडकर नगर, राधा कृष्णा, मंदिर के पीछे, थाना-भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद के विरुद्ध साक्ष्य की कमी दिखाते हुए, प्राथमिकी अभियुक्त शंकर श्रीवास्तव, पे0- अखौरी</p>	

								राम प्रसाद, 2. दिपक कुमार श्रीवास्तव, 3. उपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव दोनों पे0-शंकर श्रीवास्तव, सा0- अम्बेदकरनगर, राधा कृष्णा, मंदिर के पीछे, थाना-भूली ओ0पी0, जिला- धनबाद के विरुद्ध धारा-302 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-258 / 17, दिनांक -30.11.17 समर्पित। स्वतंत्र साक्षी का बयान लिया गया।
31	बैंकमोड (भूली ओ0पी0) थाना कांड सं0- 213 / 17 दिनांक 16.09.17 धारा 498 (ए) भा0द0 वि0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम जी0आर0सं0- 3483 / 17 न्यायालय- श्रुति सोरेन, धनबाद। ए0पी0पी0- अरुणिमा बबिता मिंज 8579841331	1. रेशमा खातून 2. बुलारी खातून 3. शहजाद कुरैशी 4. नौशाद कुरैशी 5. मो0 शहनबाज कुरैशी 6. नसीम कुरैशी एवं 7. नसीम कुरैशी की पत्नी	दहेज की मांग करते हुए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करना	जेल में	रहीमा शाहीन पति शाहबाज कुरैशी उर्फ शेरु सा0- ईस्लामपुर पाण्डरपाला थाना-भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद	अनु0कर्ता सं0अ0नि0 अमरजीत भारद्वाज, भूली ओ0पी0।	वादी रहिया शहिना उर्फ सबिहा परवेज, पति- शाहबाज कुरैशी, 2. अनवरी खातून, पति-मो0 ईसाराईल कुरैशी, 3. अफरोज कुरैशी, पे0- ईसाराईल कुरैशी, 4. जहीर खान, पे0-मो0 हुसैन, 5. मो0 मुबारक, पे0- फरीद, सभी सा0- ईसलामपुर, पाण्डरपाला, थाना-भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद।	प्राथमिकी अभियुक्त रेशमा खातून, 2. शहजाद कुरैशी, 3. बुलारी खातून, 4. नौशाद कुरैशी, सभी पे0-नसीम कुरैशी, 5. आबदा खातून, पति- नसीम कुरैशी, 6. नसीम कुरैशी, पे0-अब्दुल कुरैशी सभी सा0-करीम गंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद के साक्ष्य की कमी दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त मो0 शहनबाज कुरैशी उर्फ शेरु, पे0-नसीम कुरैशी, सा0-करीमगंज, वासेपुर, थाना-बैंकमोड, जिला- धनबाद के विरुद्ध धारा-498(ए) / भा0द0 वि0 एवं 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0- 05 / 18, दिनांक-28.01.18 समर्पित।

32	बैंकमोड (भूली ओपी0) थाना कांड सं0- 281/17 दिनांक 18.10.17 धारा 341/323/307/504/506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट जी0आर0सं0-3976/17 न्यायालय-श्रुति सोरेन, धनबाद। ए0पी0पी0-अरुणिमा बबिता मिंज 8579841331	1.मनोज कुमार सिंह पे0 शिव कुमार सिंह 2. अनुराधा देवी पति मनोज कुमार सिंह दोनो सा0-भूली बस्ती, रवानी टोला, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद	गाली ग्लौज करते हुए पिस्तौल से गोली मारकर जख्मी कर देना	जेल में	निलेश कुमार राय पे0 संत शरण राय सा0-भूली बस्ती रवानी टोला थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 लादु पूर्ति, भूली ओपी0, 2. डा0 डी0 के0 गुडिया, पी0एम0सी0एच0, धनबाद।	वादी निलेश कुमार राय, पे0-संत शरण राय, सा0-भूली बस्ती रवानी टोला, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद, 2. कमलेश कुमार राम, पे0 -संत शरण राय, 3. सुमन देवी, पति-कमलेश कुमार, 4. विजय कुमार राय, पे0-साधु शरण राय, 5. संजय राय, पे0 -साधु शरण राय, 6. विकास रवानी, पे0-विश्वनाथ रवानी, 7. अशोक रवानी, पे0-स्व0 सुधीर रवानी, 8. केशु रवानी, पे0-स्व0 टिपू रवानी, सभी सा0-भूली बस्ती रवानी टोला, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद 9. जितेन्द्र कुमार, पे0- रंजीत महाराज, सा0- बारामुडी पर कन्हैया सिंह के मकान में, थाना व जिला-धनबाद,	1. जख्मी निलेश कुमार राय का जख्म जाँच प्रतिवेदन, 2. प्राथमिकी अभियुक्त मनोज कुमार सिंह, सिंह पे0 शिव कुमार सिंह (माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण) एवं प्राथमिकी अभियुक्त अनुराधा देवी, पति-मनोज कुमार, सा0-सा0-भूली बस्ती रवानी टोला, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-341/323/307/504/506/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-34/18, दिनांक-24.02.18 समर्पित।
33	पुटकी थाना कांड सं0-96/16, दिनांक-12.09.16, धारा-448/323/452/498(ए)/307/302/34भा0द0वि0 एस0टी0सं0-100/17 न्यायालय-ए0डी0जे0-08, धनबाद। ए0पी0पी0-अनिल कुमार सिंह-01 8863999249	(1) मो0 कलाम, (2) नैजाम, दोनों पे0-मो0 हुसैन, (3) तब्बसुम खातुन, पति-मो0 नैजाम, (4) मैमुन निशा, पति-मो0 हुसैन, (5) रोकसाना खातुन, पति-मो0 अब्दुल, (6) मो0 आकाश एवं (7) मो चाँद, दोनों पे0-मो0 अब्दुल, सभी सा0 आजाद नगर, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद।	दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने, मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने, जिससे ईलाज के क्रम में मृत्यु हो जाना।	जेल में	वादिनी शबनम प्रवीण, पे0-अंसारूल, सा0-पुटकी मस्जिद मोहल्ला, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद		1. वादिनी शबनम प्रवीण, पे0-अंसारूल, 2. तरनुम प्रवीण, पे0-अंसारूल, 3. सोनी प्रवीण, पे0-हबीब खान, दोनों सा0-पुटकी मस्जिद मोहल्ला, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद, 5. सरफदीन, पे0-मो0 निजाम, 6. मो0 कलाम शेख, पे0-स्व0 कमरुद्दीन शेख, दोनों सा0-न्यु आजाद नगर, थाना-भूली ओपी0, जिला-धनबाद	1. जप्ती सूची, 2. मृतिका हुसना बानो का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त, 3. जख्मी सोनी प्रवीण का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है, 4. प्राथमिकी अभियुक्त (1) मो0 नैजाम, (2) तब्बसुम खातुन, (3) मैमुन निशा, (4) रोकसाना खातुन, (5) मो0 आकाश एवं (6) मो0 चाँद को साक्ष्य की कमी दिखाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त (7) मो0 कलाम, पे0-मो0 हुसैन, सा0-आजाद नगर, थाना-भूली ओपी0 जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-449/452/302/307 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-145/16, दिनांक-30.11.16 समर्पित।
34	बैंकमोड (भूली ओपी0) थाना कांड सं0- 42/18 दिनांक	दुर्गा राम पे0 योगेश राम सा0-भूली ए ब्लॉक, क्वार्टर नं0-550 के बगल में थाना-भूली	शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना एवं	जेल में	गुडिया देवी पति राम गोविन्द राम	अनु0कर्ता स0अ0नि0 कलीमुल्लाह खान, भूली ओपी0।	वादिनी गुडिया देवी पति-राम गोविन्द राम, सा0-जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेन्टर कॉलोनी, भूली	पीडिता गुडिया देवी का माननीय न्यायालय में दिया गया बयान, 2. पीडिता

	13.02.18 धारा 376(1)/312 भा0द0वि0 जी0आर0सं0-618/18 न्यायालय-मिस स्वाती विजय उपाध्याय, धनबाद। ए0पी0पी0-हरेश कुमार राम 7992321193	ओ0पी0, जिला- धनबाद	गर्भपात कराना		सा0-जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेन्टर कॉलोनी, भूली थाना-भूली ओ0पी0 जिला-धनबाद		थाना-भूली ओ0पी0 जिला, 2. फुल मति देवी, पति-शंकर बाँसफोड़, सा0-बी0 ब्लॉक, बाल्मिकी नगर, 3. देवी बाल्मिकी, पति-रमेश बाल्मिकी, दोनों सा0- बी0 ब्लॉक, बाल्मिकी नगर, भूली ओ0पी0, जिला-धनबाद।	गुडिया देवी का चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन, 3. प्राथमिकी अभियुक्त दुर्गा राम पे0 योगेश राम सा0-भूली ए ब्लॉक, क्वार्टर नं0-550 के बगल में थाना-भूली ओ0पी0, जिला- धनबाद के विरुद्ध धारा-376(1)/ 312 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-93/18, दिनांक-18.04.18 समर्पित।	
35	बैंकमोड (भूली ओ0पी0) थाना कांड सं0- 50/ 18 दिनांक 21.02.18 धारा-25 (1-बी) (ए)/ 26 (2) आर्म्स एक्ट जी0आर0सं0-693/18 न्यायालय-मिस स्वाती विजय उपाध्याय, धनबाद। ए0पी0पी0-हरेश कुमार राम 7992321193	शेरू खान पे0 स्व0 महरूम मो0 मजहरूल हक, सा0-मदिना नगर नजदीक मदरसा वासेपुर, थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद।	अवैध लोडेड पिस्टल एवं जिन्दा गोली के साथ पकड़ा जाना	जेल में	पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, प्रभारी, भूली ओ0पी0 पे0 युगल किशोर सिंह, सा0- गोरियाकोठी, थाना- गोरियाकोठी, जिला- सिवान (बिहार)	(1) वादी पु0अ0नि0 प्रवीण कुमार, प्रभारी, भूली ओ0पी0 पे0 युगल किशोर सिंह, सा0- गोरियाकोठी, थाना- गोरियाकोठी, जिला- सिवान (बिहार)(2) संतु मांझी पे0 सोनाराम मांझी सा0-हरदिया थाना- गोमिया, जिला-बोकारो वर्तमान भूली ओ0पी0 रिजर्व गार्ड (3) पुलिस-395 सुचित कुमार दास पे0 बद्री दास सा0-चितो लोडिया थाना-कुण्डा, जिला- देवघर वर्तमान भूली ओ0पी0 रिजर्व गार्ड (4) पुलिस-1799 राजेन्द्र राम पे0 विश्वनाथ राम सा0-दहियारी थाना- नावाडीह, जिला-बोकारो वर्तमान भूली ओ0पी0	-	1. जप्त हथियार गोली का जाँच कराया गया है। 2. प्राथमिकी अभियुक्त अभियोजन स्वीकृत्काआदेश प्राप्त किया गया है। 3. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध धारा-25(1-बी)ए/26(II) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-92/18, दिनांक-16.04.18 समर्पित।	

						रिजर्व गार्ड (5) श्याम बिहारी सिंह, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र बोकारो (6) स0अ0नि0 सुनिल कुमार झा, भूली ओ0पी0			
36	धनबाद थाना कांड सं0- 108/17, दिनांक 18.02.17 धारा 354(ए) भा0द0वि0 एवं 19 पोक्सो एक्ट स्पे0 पोक्सो सं0- 14/17 जी0आर0सं0- 724/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	नवीन कुमार पे0 बासुदेव प्रसाद सा0-नुतनडीह सरकारी स्कूल के सामने थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद हा0मो0 प्रधानाध्यापक दूर्गा मंदिर मध्य विद्यालय तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद।	नबालिग बच्ची के साथ छेडखानी करना	जेल में	रीना देवी पति राजू यादव सा0-एतवारी नगर तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद ।	स0अ0नि0 शीला लकडा, धनबाद थाना।	1.रीना देवी पति राजू यादव 2. राजू यादव पे0 स्व0 लक्ष्मण यादव 3. सरस्वती कुमारी पे0 राजू यादव सभी सा0-एतवारी नगर तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद 4. हेमन्त कुमार सोरेन पे0 नीमलाल मांझी सा0- तेलीपाडा, हनुमान मंदिर 5. संतोष कुमार पे0 अकलू महतो 6. अनिल टुडू पे0 स्व0 मुनवत मांझी 7. प्रमोद कुमार दास पे0 प्रेमचन्द दास 8. पूजा कुमारी पे0 प्रभात बाउरी 9. पुष्पा कुमारी पे0 दिलीप पाण्डेय सभी सा0-तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद	1. पीडिता सरस्वती कुमारी का माननीय न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 के तहत बयान दर्ज कराया गया है 2. प्राथमिकी अभियुक्त नवीन कुमार पे0 बासुदेव प्रसाद सा0-नुतनडीह सरकारी स्कूल के सामने थाना- सरायढेला, जिला-धनबाद हा0मो0 प्रधानाध्यापक दूर्गा मंदिर मध्य विद्यालय तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-354/ 354(ए) भा0द0वि0 एवं 10 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-191/17 दिनांक 31.03.17 समर्पित।	
37	धनबाद थाना कांडसं0- 125/ 17 दिनांक-01.03.17, धारा- 467/468/419/42 0/120(बी) भा0द0वि0। जी0आर0सं0- 863/17 न्यायालय- मिस शिखा अग्रवाल, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193	1. प्रवीण कुमार, पे0-मोहन मंडल, सा0-रिता साहु, शिमलडीह के मकान में किरायेदार, थाना व जिला-धनबाद, 2. लालू मंडल , पे0-स्व0 रामेश्वर मंडल, सा0-झितरी ताराटांड, जिला-धनबाद।	ए0टी0एम0 से निकासी कर टगी करने का आरोप लगाया है।	जेल में	वादी पु0अ0नि0 मानिक चन्द्र मुर्मू, पे0-नेमू मुर्मू, सा0- रक्सी बरहैठ, जिला-साहेबगं ज, वर्तमान पु0अ0नि0 धनबाद थाना।	1. वादी पु0अ0नि0 मानिक चन्द्र मुर्मू, पे0- नेमू मुर्मू, सा0-रक्सी बरहैठ, जिला-साहेबगंज, वर्तमान पु0अ0नि0 धनबाद थाना। 2. आरक्षी-2304 अंजारूल खॉन,3. चालक आरक्षी- 543 चन्द्रशेखर तिवारी, 4. आरक्षी-2336 विक्रान्त कुमार, 5. आरक्षी-534 कमलेश कुमार सभी धनबाद	-	1. प्राथमिकी अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति के आधार पर 33,000/- रूपया अन्य समानाकें को जप्त किया गया, 2. खाता नं0- 587210110001929 एवं 6083000100069900 की विवरणी प्राप्त किया गया है, 3. खाता नं0- 587210110001929 का सत्यापन किया गया है, 4. प्राथमिकी अभियुक्त वृ 1. प्रवीण कुमार, पे0-मोहन मंडल, सा0-रिता साहु, शिमलडीह के मकान में	

						थाना, 6. पु०अ०नि० अरबिन्द कुमार ओ०पी० प्रभारी, भूली ओ०पी०, 7. पु०अ०नि० गजेन्द्र पाण्डेय, थाना प्रभारी बलियापुर थाना,		किरायेदार, थाना व जिला-धनबाद, 2. लालू मंडल, पे०-स्व० रामेश्वर मंडल, सा०-झितरी ताराटांड, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-406 / 419 / 420 / 120(बी) भा०द०वि० एवं 66 सी / 66डी० आई०टी० एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०-171 / 17, दिनांक-31.03.17 समर्पित किया गया।	
38	धनबाद थाना कांड सं०- 129 / 17 दिनांक 05.03.18 धारा-467 / 468 / 47 1 / 419 / 420 / 120(बी) भा०द०वि० जी०आर०सं०- 925 / 17 न्यायालय- मिस शिखा अग्रवाल, धनबाद। ए०पी०पी०- हरेश कुमार राम 7992321193	1. बैंकुण्ठ कुमार मंडल उर्फ आशीष पे० विरु मंडल सा० ए ब्लॉक भूली थाना-भूली एवं 2. मदन कुमार मंडल पे० इन्द्रलाल मंडल सा०-माडा कॉलोनी किराये के मकान पर थाना व जिला-धनबाद	ऑन लाईन एवं गुप्त तरीका से पैसा की निकासी करना	जेल में	वादी पु०अ०नि० मानिक चन्द्र मुर्मू, पे०-नेमू मुर्मू, सा०-रक्सी बरहैठ, जिला-साहेबगंज, वर्तमान पु०अ०नि० धनबाद थाना।	1. वादी पु०अ०नि० मानिक चन्द्र मुर्मू, पे०-नेमू मुर्मू, सा०-रक्सी बरहैठ, जिला-साहेबगंज, वर्तमान पु०अ०नि० धनबाद थाना, 2. हवलदार मंगला चन्द्र उराँव, 3. आरक्षी-2188 विनोद कुमार यादव, 4.	-	1. प्राथमिकी अभियुक्त बैंकुण्ठ कुमार मंडल उर्फ आशीष के पास से 12190 / - रूपया नगद, मोबाइल, लैपटॉप बैंक खाता आधार कार्ड, अनेकों बैंक का ए०टी०एम० कार्ड अनेकों सीम बरामद हुआ है। 2. प्राथमिकी अभियुक्त बैंकुण्ठ कुमार मंडल उर्फ आशीष के निशान देही पर प्राथमिकी अभियुक्त मदन कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से लैपटॉप अनेकों नाम से बैंक खाता यूनियन बैंक का चेक, हस्ताक्षर युक्त यूनियन बैंक का चेक काफी मात्रा में मदन कुमार के नाम से डेढ़ लाख रूपया का किसान विकास डिपोजिट 1690 / - रूपया नगद, सफेद रंग का अपाची गाड़ी सं०-जे०एच०-11 एन०-3474 एवं अन्य समान बरामद किया गया है, 3. दोनों	

								प्राथमिकी अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार किये है, 4. खाता सं0-74570010008031, 35578149977, 586610110555188 की पूर्ण विवरणी प्राप्त किया गया है, 5. प्राथमिकी अभियुक्त 1. बैंकुण्ट कुमार मंडल उर्फ आशीष पे0 विरू मंडल सा0 ए ब्लॉक भूली थाना-भूली एवं 2. मदन कुमार मंडल पे0 इन्द्रलाल मंडल सा0-माडा कॉलोनी किराये के मकान पर थाना व जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-419/420/120(बी) भा0द0वि0 एवं 66 सी/66डी के अन्तर्गत आरोप पत्र सं-246/17, दिनांक-30.04.17 समर्पित।	
39	धनबाद थाना कांड सं0-631/17, दिनांक-27.12.17, धारा-379 भा0द0वि0।	अज्ञात	छिनतई करने का आरोप लगाया है।	जेल में।	वादी राजीव रंजन, पे0-रामाधार प्रसाद, सा0-नवडीहा, थाना व जिला-हजारीबाग।	अनुसंधानकर्ता सं0अ0नि0 नन्दलाल राम, धनबाद थाना।	1. वादी राजीव रंजन, पे0-रामाधार प्रसाद, सा0-नवडीहा, थाना व जिला-हजारीबाग, 2. मिथलेश प्रसाद, पे0-स्व0 लखन महतो, सा0-प्रेम नगर, हीरापुर, थाना व जिला-धनबाद, 3. अंजली देवी, पति-राजीव रंजन, सा0-नवडीहा, थाना व जिला-हजारीबाग।	1. जप्ती सूची के अनुसार, 2. डी0टी0ओ0 कार्यालय से गाड़ी का लिया गया स्क्रीन शॉट, 3. अप्राथमिकी अभियुक्त चोटी वाला को असत्यापित दिखाते हुए अप्राथमिकी अभियुक्त राजीव रंजन, पे0-अशोक सिंह, सा0-मनईटाँड़ कुम्हारपट्टी, थाना-धनसार, जिला-धनबाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-216/18, दिनांक-30.04.18, धारा-379/411 भा0द0वि0 समर्पित।	
40	धनबाद थाना कांड सं0- 332/17 दिनांक 12.07.17 धारा -328/376 भा0द0वि0 एवं 66	आदित्य कौशिक पे0 सुरेश कौशिक सा0-सदर शिव कॉलोनी, भिवानी, हरियाणा	नशे की दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बना एवं सेक्स फिल्म बनाना	जेल में	राखी कुमारी शर्मा पे0 अशोक लाल शर्मा सा0-पुलिस लाईन	पु0नि0 अखिलेश्वर चौबे। धनबाद थाना।	1. वादिनी राखी कुमारी शर्मा पे0 अशोक लाल शर्मा सा0-पुलिस लाईन हीरापुर थाना व जिला धनबाद, 2. अशोक लाल शर्मा, पे0-नोरंग शर्मा, 3. गौरव कुमार	1.पीडिता राखी कुमारी का बयान माननीय न्यायालय में दर्ज कराया गया है, 2. पीडिता चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया,	

	(A)/66(E)/67 (A) आई0टी0एक्ट जी0आर0सं0- 5680/17 न्यायालय- मिस शिखा अग्रवाल, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193				हीरापुर थाना व जिला धनबाद		शर्मा, पे0-अशोक लाल शर्मा, 4. गिनिया देवी, पति-नोरंग लाल शर्मा, 5. कृष्णा लाल शर्मा, पे0-चेतलाल शर्मा, 6. तेजलाल शर्मा, पे0-गौरव लाल शर्मा, 7. पंचम लाल शर्मा, पे0-राज कुमार लाल शर्मा, सभी सा0-पुलिस लाईन, थाना व जिला-धनबाद।	3. मोबाईल सं0- 9431160790 एवं 9934110471 का सी0डी0आर0 प्राप्त किया गया 4. पीड़िता के पिता अशोक लाल शर्मा से विडियो वायरल का पेन ड्रारईभ एवं प्राथमिकी अभियुक्त का माफी नामा प्राप्त कर जप्त किया गया, 5. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध धारा-328/376/341/32 3/504/506 भा0द0वि0 एवं 66 ई/67 आई0टी0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-483/17, दिनांक -06.10.17 समर्पित किया गया।	
41	धनबाद थाना कांड सं0-347/17 दिनांक 17.07.17 धारा 366(ए)/ 506/120(बी) भा0द0वि0 एवं 7/8 पोक्सो एक्ट पोक्सो सं0- 70/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	सुबोध मंडल सा0-शिमलडीह थाना व जिला-धनबाद	वादिनी की नबालिक बेटा को बहला फुसलाकर बुरी नियत से भगा ले जाना	जेल में	तारापदो दान पे0 स्व0 योगेन्द्र दान सा0-तेलीपाडा मंगल टुडू के मकान में तेलीपाडा थाना व जिला- धनबाद	स0अ0नि0 शीला लकड़ा, धनबाद थाना।	1. तारापदो दान पे0 स्व0 योगेन्द्र दान सा0-तेलीपाडा मंगल टुडू के मकान में तेलीपाडा थाना व जिला-धनबाद, 2. सीता देवी, स्व0 अवधेश प्रसाद, 3. मोनू दान, पति-बासुदेव दान, 4. प्रशांतो दान, पे0-तारापदो दान, 5. ज्योना कुमारी, पे0-तारापद दान, सभी सा0-तेलीपाडा, थाना व जिला-धनबाद	पीड़िता जोसना कुमारी का माननीय न्यायालय में बयान कराया गया, 2. पीड़िता का चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, 3. प्राथमिकी अभियुक्त सुबोध मंडल, पे0-तालाचन्द्र मंडल, सा0-शिमलडीह थाना व जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-366(ए)/376/417 /506 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-411/17, दिनांक-25.08.17 समर्पित।	
42	धनबाद थाना कांड सं0-391/17 दिनांक 09.08.17 धारा-376/511/50 6 भा0द0वि0 एवं 06 पोक्सो एक्ट	अभय सिंह उर्फ अनीष पे0 शशि प्रताप सिंह सा0-श्मसान रोड, चीरागोडा, हीरापुर थाना व जिला-धनबाद।	वादिनी की लडकी के साथ छेडछाड करना	जेल में	नीलम देवी पति मन्दु रवानी सा0-श्मसान रोड चीरागोडा, हीरापुर थाना	स0अ0नि0 नन्दलाल राम, धनबाद थाना।	1. वादी नीलम देवी पति मन्दु रवानी सा0-श्मसान रोड चीरागोडा, हीरापुर थाना व जिला-धनबाद, 2. अंजलि कुमारी, पे0-मंटू रवानी, 3. पूनम सिन्हा, पति-संजीव श्रीवास्तव, 4. चन्दन कुमार,	1. पीड़िता अंजली कुमारी का माननीय न्यायालय में बयान कराया गया, 2. पीड़िता का चिकित्सकीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, 3. पीड़िता अंजली	

	पोक्सो सं०- 83/17 न्यायालय- ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378				व जिला-धनबाद ।		पे०-काली प्रसाद भोक्ता, 5. संजय सिंह, पे०-उपेन्द्र सिंह, सभी सा०-सा०-शमसान रोड चीरागोडा, हीरापुर थाना व जिला-धनबाद।	कुमारी का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, 4. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध धारा-376/506 भा०द०वि० एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं-474/17, दिनांक-30.09.17 समर्पित।
43	धनबाद थाना कांड सं०-13/18 दिनांक 08.01.18 धारा-354(क) भा०द०वि० एवं 10/12 पोक्सो एक्ट पोक्सो सं०-06/18 न्यायालय-ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	सुमन कुमार पे० बैजनाथ राम सा०-ललित बिहार कॉलोनी, रामनगर थाना व जिला-धनबाद।	नबालिग लडकी के साथ शारीरिक शोषण करना	जेल में	पुनम कुमारी पति बाबुलाल रजक सा०-धिरेन्द्रपुरम रानीबांध थाना व जिला-धनबाद।	स०अ०नि० मारकण्डेय मिश्रा, धनबाद थाना।	1. वादिनी पुनम कुमारी पति बाबुलाल रजक 2. बाबुलाल रजक पे० रामस्वरूप रजक सा०-धिरेन्द्रपुरम रानीबांध थाना -धनबाद 3. काशीनाथ रजक पे० स्व० दीनदयाल रजक सा०-हर्ष बिहार कॉलोनी थाना-सरायढेला, 4. कविता देवी पति श्रवण कुमार रजक सा०- चौथाई कुल्ही झरिया थाना-झरिया 5. अंजली कुमारी पे० बाबुलाल रजक सा०-धिरेन्द्रपुरम रानीबांध थाना-धनबाद सभी जिला-धनबाद।	1. पीडिता अंजली कुमारी का बयान माननीय न्यायालय में धारा-164 द०प्र०स के तहत दर्ज कराया गया है। 2. पीडिता का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। 3. प्राथमिकी अभियुक्त सुमन कुमार पे० बैजनाथ राम सा०-ललित बिहार कॉलोनी, रामनगर थाना व जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-354(क) भा०द०वि० एवं 10/12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं०-85/18 दिनांक 27.02.18 समर्पित किया गया है।
44	धनबाद थाना कांड सं०-70/18, दिनांक-24.02.18, धारा-379 भा०द०वि०	मोबाईल नम्बर-8935980859 के धारक	टाटा मैजिक गाड़ी का चोरी करने का आरोप लगाया है।	जेल में।	वादी महेन्द्र कुमार सिंह, पे०-दीनानाथ सिंह, सा०-श्रीराम नगर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद	अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० बलिराम रावत, धनबाद थाना।	वादी 1. महेन्द्र कुमार सिंह, 2. सरोज कुमार, 3. सोनु कुमार सिंह, तीनों पे०-दीनानाथ सिंह, सा०-श्रीराम नगर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, 4.रंजन श्रीवास्तव, पे०-मणि प्रसाद, सा०-चंदवारी बाग, श्रीराम नगर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, 5. गुलबानो खतुन, पति-जुमन खान, सा०-गजुआडीह, थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा,	1. चोरी गये टाटा मैजिक नम्बर-JH-10AD-6821 की बरामदगी एवं जप्ती सूची, 2. अप्राथमिकी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास, 3.अप्राथमिकी अभियुक्त जुमन खान का स्वीकारोक्ति बयान, 4. अप्राथमिकी अभियुक्त जुमन खान, पे०-सरफुद्दीन खान, सा०-न्यू इस्लामपुर, पाण्डरपाला, थाना-भूली ओ०पी०, जिला-धनबाद वर्तमान पता सा०-गजुआडीह,

								थाना-नारायणपुर, जिला-जामताड़ा के विरुद्ध धारा-379/411 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-187/18, दिनांक-31. 03.18 समर्पित।	
45	बैंकमोड थाना कांड सं0-292/17 दिनांक 28.10.17 धारा-498(ए) भा0द0वि0 जी0आर0सं0- 4147/17 न्यायालय- श्रुति सोरेन, धनबाद। ए0पी0पी0- मिस अरुणिमा बबिता मिंज 8579841331	जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान पे0 नसीर खान सा0-कमरमखदुमी रोड, नीचे मुहल्ला वासेपुर थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद।	शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना	जेल में	लाडली खों पति जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान सा0-कमरमख दुमी रोड, नीचे मुहल्ला वासेपुर थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद ।	स0अ0नि0 रामाशीष सिंह, बैंकमोड थाना।	1.वादिनी लाडली खों पति जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान सा0-कमरमखदुमी रोड, नीचे मुहल्ला वासेपुर 2 मिराज खा पे0 अमिर खों 3. फ़ैजा खातून पति अमिर हसन खों सा0 -गुलजारबाग बासेपुर दृ 4. हुसना आरा पति नसीर खा सा0-नयामोड सभी थाना बैंकमोड जिला- धनबाद।	प्राथमिकी अभियुक्त जियाउल रहमान उर्फ गोपी खान पे0 नसीर खान सा0-कमरमखदुमी रोड, नीचे मुहल्ला वासेपुर थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा-498(ए) भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-407/17 दिनांक 31. 12.17 समर्पित।	
46	बैंकमोड थाना कांड सं0-254/17 दिनांक 11.10.17 धारा 386/34 भा0द0वि0 जी0आर0सं0- 3825/17 न्यायालय- श्रुति सोरेन, धनबाद। ए0पी0पी0- मिस अरुणिमा बबिता मिंज 8579841331	अज्ञात	रंगदारी मांगना	जेल में	मो0 इमरान पे0 मो0 सुलताल अहमद सा0-टिकियापा डा मोहल्ला थाना बैंकमोड जिला-धनबाद	स0अ0नि0 रामाशीष सिंह, बैंकमोड थाना	1 वादी मो0 इमरान पे0 मो0 सुलताल अहमद 2. सुलतान अहमद पे0 मो0 सलीम खों 3. इमरान हासी पे0 हासी एकबाल 4. मो0 सरताज पे0 मो0 अबदुल सतार 5. मो0 असलम खान पे0 मो0 खलील खान सभी सा0-टिकियापाडा मोहल्ला थाना बैंकमोड जिला-धनबाद	1.मो0 नं0- 94410450729798396746 का कॉल डिटेल् प्राप्त किया गया है 2. मो0 हलीम उर्फ बाबू रिजवी पे0 मो0 यासीन रिजवी सा0 बासेपुर टोला मारुफगंज थाना-बैंकमोड, जिला-धनबाद का स्वीकारोक्ति बयान। 3.मो0 साजिद पे0 मो0 हसनैन सा0 जामिया मस्जिद के पास एवं महबुब आलम पे0 मो0 सलीम खान सा0 आजादनगर दोनो थाना- बैंकमोड जिला-धनबाद का धारा 164 द0प्र0स के तहत माननीय न्यायालय मे बयान दर्ज कराया गया है।4. अप्रा0 अभि0 1. रिजवी पे0 मो0 यासीन रिजवी सा0	

								बासेपुर टोला मारुफगंज थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा 386/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-269/17 दिनांक 08.12.17 एवं अप्रा0अभि0 मो0 सरफराल पे0 मो0 हारु रसीद सा0 मछलीपट्टी थाना-पुटकी जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा 386/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-28/18 दिनांक 04.02.18 समर्पित।	
47	केन्दुआडीह थाना कांड सं0-181/17 दिनांक 04.11.17 धारा 354(ए) भा0द0वि0 एवं 06 पोक्सो एक्ट पोक्सो सं0-122/17 न्यायालय-ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	अमरनाथ चौहान उर्फ बउआ पे0 रामजी चौहान सा0-गोधर 15 नंबर थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद	नबालिक लडकी के साथ छेडछाड करना	जेल में	विनोद कुमार नोनिया पे0 रामलाल नोनिया सा0-गोधर 15 नंबर थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद	स0अ0नि0 शुषमा खलखो, केन्दुआडीह थाना	1. वादी विनोद कुमार नोनिया पे0 रामलाल नोनिया 2. लक्ष्मी देवी पे0 दिनेश चौहान 3. जितेन्द्र चौहान पे0 राम प्रसाद चौहान 4. दिनेश चौहान पे0 कृष्णा चौहान सभी सा0-गोधर 15 नंबर थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद	1. पीडिता का उम्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। 2. पीडिता का माननीय न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। 3. पीडिता का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 4. प्राथमिकी अभियुक्त अमरनाथ चौहान उर्फ बउआ पे0 रामजी चौहान सा0-गोधर 15 नंबर थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद के विरुद्ध धारा 354(ए) भा0द0वि0 एवं 06 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-180/17 दिनांक 30.11.17 समर्पित।	
48	केन्दुआडीह थाना कांड सं0- 12/18 दिनांक 10.01.18 धारा 376(1) भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट पोक्सो सं0-08/18	बबलू कुमार महतो पे0 बहादुर महतो सा0-कुस्तौर 10 नंबर नेपाली धौडा थाना-केन्दुआडीह, जिला-धनबाद	शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करना	जेल में	सकिना कुमारी पे0 जोगिनदर भुइया सा0-कुस्तौर 10 नंबर नेपाली धौडा थाना-केन्दुआडीह,	पु0अ0नि0 जामा खडिया केन्दुआडीह थाना।	1. वादिनी सकिना कुमारी पे0 जोगिनदर भुइया 2. फूलमति देवी पति स्वरूप भुइया 3. योगेन्द्र भुइया पे0 स्व0 स्वरूप भुइया 4. सुदमा देवी पति योगेन्द्र भुइया 5. गीता देवी पति रिकू भुइया सा0-कुस्तौर 10 नंबर नेपाली धौडा	1. पीडिता का उम्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। 2. पीडिता का माननीय न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। 3. पीडिता का चिकित्सीय	

	न्यायालय— ए0डी0जे0—01, धनबाद । ए0पी0पी0— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378				जिला—धनबाद ।		थाना—केन्दुआडीह, जिला—धनबाद	जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । 4. प्राथमिकी अभियुक्त बबलू कुमार महतो पे0 बहादुर महतो सा0—कुरतैर 10 नंबर नेपाली धौडा थाना—केन्दुआडीह, जिला—धनबाद के विरुद्ध धारा 376(1) भा0द0वि0 एवं 04 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0—05/18 दिनांक 31.01.18 समर्पित ।	
49	पुटकी (मुनीडीह ओ0पी0) थाना कांड सं0— 07/11 दिनांक 17.01.11 धारा 25 (1—बी)ए/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0सं0—190/11 न्यायालय—सुरेन्द्र वेदिया, जे0एम0, धनबाद । ए0पी0पी0—विरेन्द्र कुमार 9835386419	नवीन कुमार रवानी पे0 ज्योतिलाल रवानी सा0—धोबिनी घण्डाबर थाना—पुटकी (मुनीडीह) जिला—धनबाद ।	देशी पिस्तौल के साथ पकडा जाना ।	जेल में	पु0अ0नि0 विनोद कुमार, प्रभारी, मुनीडीह ओ0पी0	1. वादी पु0अ0नि0 विनोद कुमार, प्रभारी, मुनीडीह ओ0पी0 2. स0अ0नि0 रामेश्वर सिंह पे0 योगेन्द्र सिंह सा0—अलावलपुर थाना—गौरीचक जिला—पटना वर्तमान मुनीडीह ओ0पी0 3. हव0 तेलंगा डरॉव पे0 स्व0 घसिया उरॉव सा0—हिसरी चउली थाना—रातु जिला—रॉची 4. पुलिस—214 उमेश कुमार रजक पे0 जयराम रजक सा0—हैदरनगर जिला—पलामू 5. पुलिस—1102 छोटन राम पे0 शिवशंकर राम सा0—खोरीडीह थाना—मेराल, जिला—गढवा 6. पुलिस—1078 विजय कुमार पे0 रामदीप राम सा0—पी0बी0 कम्पाउण्ड	1. हाकिम कुमार रवानी पे0 ज्योतिलाल रवानी सा0—धोबिनी घण्डाबर 2. सुभाष चौधरी पे0 पंचानन चौधरी सा0—धोबनी दोनो थाना—पुटकी (मुनीडीह ओ0पी0) जिला—धनबाद ।	1. प्राथमिकी अभियुक्त का अपराधिक इतिहास है । 2. कांड मे जप्त हथियार गोली का जॉच परिचारी प्रवर, बोकारो से कराया गया है । 3. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है । 4. प्राथमिकी अभियुक्त नवीन कुमार रवानी पे0 ज्योतिलाल रवानी सा0—धोबिनी घण्डाबर थाना—पुटकी (मुनीडीह) जिला—धनबाद के विरुद्ध धारा25 (1—बी)ए/26 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0—21/11 दिनांक 15.03.11 समर्पित किया गया है ।	

						थाना-हिन्दपीढी जिला-रॉंची सभी मुनीडीह ओपीओ रिजर्व गार्ड। 7. पुओओनिओ राजेश कुमार पुटकी थाना।			
50	बरवाअड्डा थाओकांसंओ 85/16, दिओ 07.08.16, धारा 272/273/420/12 0(बी) भाओदओविओ जीओआरओसंओ-3186/16 न्यायालय-रवि नारायण, जेओएमओ, धनबाद। एओपीओपीओ-हरेश कुमार राम 7992321193	01. सुनील अग्रवाल, उम्र 40 वर्ष, पिता-स्वओ गोपी अग्रवाल, साओ राजा तालाब रोड, निकट चक्रवर्ती नर्सिंग होम, झरिया, थाओ झरिया, जिओ धनबाद	षडयंत्र पूर्वक जालसाजी करते हुए अपनी फैक्ट्री में मशाला के उत्पादन के क्रम में नकली वस्तुओं का मिलावट कर अवैध रूप से व्यापार करने का आरोप है।	प्राथमिकी अभियुक्त सुनील अग्रवाल बेल पर हैं।	वादी पुओओनिओ दिनेश कुमार मांझी, पेओ स्वओ नारेन्द्र मांझी, पदस्थापित, बरवाअड्डा थाना, जिओ धनबाद, स्थाई पता-साओ बरटोली, थाओ+जिओ खुंटी	साक्षी हवलदार सुपाई टुड्डू 02. आरक्षी 80 प्रेम कुमार सिंह 03. आरक्षी 1094 अविनाश कुमार पाण्डेय 04. चालक हवओ सरयु ठाकुर, सभी बरवाअड्डा थाना रिजर्व गार्ड, थाओ बरवाअड्डा, जिओ धनबाद, अनुसंधानकर्ता-सओओनिओ योगेन्द्र प्रसाद, बरवाअड्डा थाना, जिओ धनबाद (मोओनंओ 9431939610) 05. डॉओ विजेन्द्र कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोविन्दपुर, धनबाद।	01. साक्षी गोविन्द हाजरा, पेओ भिरगु हाजरा 02. जीवन महतो, पेओ बुधन महतो, दोनों साओ उदयपुर 03. नितार्ई मंडल, पेओ स्वओ परितोष मंडल, साओ पाण्डेय बरवा, तीनों थाओ बरवाअड्डा, जिओ धनबाद	01. अभियुक्त के फैक्ट्री से बरामद मशाला के सैम्पल का जॉच संबंधित पदाधिकारी से करवाकर जॉच रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, जिसमें मशाला में मिलावट होना पाया गया है। 02. जप्ती-सूची के अनुसार जप्त प्रदर्श 03. अभिओ सुनील अग्रवाल के विरुद्ध आरोप पत्र संओ 120/16 दिओ 30.09.16 समर्पित। (एमओ आरओ नंओ 26/16)	
51	बरवाअड्डा थाना कांड संओ 99/17, दिओ 26.06.17, धारा 420/467/468/47 1 भाओदओविओ एवं 25(1-बी)ए 26/35 आर्म्स एक्ट जीओआरओसंओ-2358/17 न्यायालय-रवि नारायण, जेओएमओ, धनबाद। एओपीओपीओ-हरेश कुमार राम	01. इन्द्रदीप विश्वकर्मा पिता-शिव लगन विश्वकर्मा, साओ-बड़की बौआ 07 नम्बर, झारखण्ड पब्लिक स्कूल के सामने, थाना-ईस्टवसुरिया ओओपीओ, जिला-धनबाद, 02. ललन कुमार पिता-रामविलास शर्मा, साओ-डॉन बास्को के सामने देवी नगर हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रॉंची, 03. संतोष केरकेट्टा, पेओ बिलकन केरकेट्टा, साओ-तिरंगा चौक लेटंगा टोली, सिंध मोड़ हटिया, थाना-जगरनाथपुर,	फर्जी लाईसेंस के आधार पर अवैध आग्नेयास्त्र रखने, जाली कागजात एवं फर्जी तरिके से पुराने सिक्कों का कारोबार करने हेतु जाते समय रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप लगाया है।	जेल में	वादी सओओनिओ संतोष कुमार सिंह, उम्र-50 वर्ष, पेओ-स्वओ सुदन सिंह, साओ-बड़ी बाजार, चाईबासा, थाना-सदर, जिला-चाईबासा, वर्तमान सहायक अवर निरीक्षक के	01. आरक्षी-1425 अनिल मण्डल, उम्र-33 वर्ष, पिता-सुखदेव मण्डल साओ कोकरण, थाना-देवीपुर, जिला-देवघर 02. आरक्षी-62 संतोष कुमार उम्र-32 वर्ष पिता-आदित्य प्रसाद सिंह साओ-नदीऔना, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा	-	01. जप्ती-सूची के अनुसार अभियुक्तों के पास से अवैध आग्नेयास्त्र एवं अन्य जाली दस्तावेज एवं पुराने जवाने का सिक्का आदि बरामद हुआ है। 02. अनुसंधानोपरान्त अभिओ 01. इन्द्रदीप विश्वकर्मा 02. ललन कुमार 03. संतोष केरकेट्टा 04. प्रमोद कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी की धाराओं में आरोप-पत्र संओ-120/17, दिनांक-23.08.2017 समर्पित किया	

	7992321193	जिला-रॉची, 04. प्रमोद कुमार, पिता-पुनदेव शर्मा, सा0-उसरी चकिया, थाना-मेहंदिया, जिला-अरवल (बिहार) 05. टाटा जेस्ट कार नं0-जे0एच0-01बी0आर0-8295 के मालिक दिपक केरकेट्टा, पिता-बिलकन केरकेट्टा, सा0-तिरंगा चौक, लेटंगा टोली, सिंघ मोड़ हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रॉची			पद पर कार्यरत बरवाअड़डा थाना, जिला-धनबाद	(बिहार) एवं 03. आरक्षी-80 प्रेम कुमार उम्र-40 वर्ष पिता-रामकेश्वर सिंह सा0-भोजुआ, थाना-हरिहरगंज, जिला-पलामू 04. हव0 अमरजीत दास उम्र-37 वर्ष पिता-राजेन्द्र दास सा0-करमपुर, थाना-जगदीशपुर, जिला-भागलपुर (बिहार) एवं 05. आरक्षी-1094 अविनाश कुमार पाण्डेय उम्र-28 वर्ष पिता-सुधीर पाण्डेय सा0-टेठटॉड, थाना-टुण्डी, जिला-धनबाद, सभी वर्तमान में बरवाअड़डा थाना रिजर्व गार्ड, था0 बरवाअड़डा, जि0 धनबाद, अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 बिरेन मिंज, बरवाअड़डा थाना, जि0 धनबाद (मो0नं0 9471121702)		गया है एवं 05. वाहन मालिक दीपक केरकेट्टा के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन सं0-178/17, दिनांक-16. 10.2017 के साक्ष्य की कमी पाया गया। (एम0आर0 नं0 27/17 के अनुसार कांड में बरामद मशाला जिर्न-सिर्न अवस्था में उपलब्ध है)
52	गोविन्दपुर था0कां0सं0 23/16, दि0 15.01. 16, धारा-376 (I) भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट-2012 पोक्सो सं0-04/16 न्यायालय-ए0डी0जे0-01,	प्रा0अभि0 जितेन गोप, उम्र 20 वर्ष, पे0 बाबूलाल गोप, सा0 धौड़ामुर्गा, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद	नाबालिग लड़की के साथ जबरन बलात्कार करना	अभियुक्त बेल पर है।	लक्ष्मी कुमार, उम्र 12 वर्ष, पे0- दिवाकर भण्डारी, सा0 धौड़ामुर्गा, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद	अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 बन्धु उरॉव, तत्कालीन गोविन्दपुर थाना, जि0 धनबाद, वर्तमान धनसार थाना में पदस्थापित, जि0 धनबाद (मो0नं0 9431944887) 02.	साक्षी 01. संजय भंडारी, उम्र 08 वर्ष, पे0 दिवाकर भंडारी 02. सुखदेव भंडारी, पे0 स्व0 धिरेन भंडारी 03. सुलोचना देवी, पति-दिवाकर भंडारी 04. चन्द्रमोहन गोप, पे0 हरि गोप, सभी सा0 धौड़ामुर्गा एवं 05. सुबल भंडारी, पे0 गौर नापित, सा0 धोरिया महुबनी-1, सभी था0	साक्ष्य :- 01. पिडिता का माननीय न्यायालय में धारा-164 दं0प्र0 सं0 के तहत बयान दर्ज करवाया गया है, जिसमें पिडिता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गठित आरोप की पुष्टि की गई है।

	धनबाद। ए0पी0पी0— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378					चिकित्सक मंजु मेरिना बारा, पी0एम0सी0एच0, धनबाद	गोविन्दपुर, जि0 धनबाद	02. पिडिता का मेडिकल जॉच करवाकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 03. अनुसंधान के क्रम में वादिनी एवं उपलब्ध साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की गई है। 04. अनुसंधानोपरान्त इस कांड में अभियुक्त जितेन नापित के विरुद्ध धारा— 376(l) भा0द0वि0 एवं 03/ 04 पोस्को एक्ट—2012 के अंतर्गत आरोप—पत्र संख्या 68/16, दि0 19.03.16 समर्पित	
53	बरवाअड्डा था0 कां0सं0 215/17, दि0 15.12.17, धारा 461/379 भा0द0वि0 जी0आर0सं0— 5123/17 न्यायालय— रवि नारायण, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0— हरेश कुमार राम 7992321193	अप्रा0अभि0 01. लादेन पाण्डेय उर्फ चुण्ठी, उम्र 26 वर्ष, पे0 हरेण पाण्डेय 02. वानेश्वर पाण्डेय, उम्र 25 वर्ष, पे0 स्व0 शंख पाण्डेय 03. प्रताप पाण्डेय, उम्र 28 वर्ष, पे0 स्व0 सुदन पाण्डेय, तीनों सा0 पण्डुकी, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद	दुकान का एलवेस्टर तोड़कर चोरी करना एवं छापामारी के क्रम में रंगे हाथ पकड़े जाना	एक बेल पर एवं दो जेल में	विरेन्द्र चन्द्र पाण्डेय, उम्र 55 वीं, पे0 स्व0 गोविन्द लाल पाण्डेय, सा0 पण्डुकी, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 संत विलास उपाध्याय, बरवाअड्डा थाना, जि0 धनबाद, मो0नं0 9708175878	साक्षी 01. सपन पाण्डेय, पे0 बिरेन चन्द्र पाण्डेय 02. भेला पाण्डेय, पे0 स्व0 हिरालाल पाण्डेय 03. हरी लाल पाण्डेय, पे0 गोविन्द लाल पाण्डेय, सभी सा0 पण्डुकी, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद	साक्ष्य :- 01. अनुसंधान एवं छापामारी के क्रम में दुकान से चोरी गये सामानों एवं रूपया को अभि0 प्रताप पाण्डेय के घर से बरामद किया गया है। 02. जप्ती—सूची के अनुसार जप्त प्रदर्शों के अनुसार 03. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 461/379/411 /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र—07/18, दिनांक—30.01.2018 के विरुद्ध लादेन पाण्डेय एवं पूरक आरोप पत्र सं0—79/18, दिनांक—25. 04.2018 के विरुद्ध शेष बचे 02 अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित। (एम0आर0 नं0 49/17 के अनुसार कांड में बरामद प्रदर्श थाना मालखाना में	

								उपलब्ध है)	
54	<p>गोविन्दपुर था0 कां0सं0 257 / 15, दि0 15.06.15, धारा 20 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट जी0आर0सं0-2717 / 15</p> <p>न्यायालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धनबाद । पी0पी0- टी0एन0 उपाध्याय 9470129294</p>	<p>प्रा0अभि0 मो0 करीम उर्फ पिंटु, पे0 मो0 गुलाम रसूल, सा0 अमलाटांड 02. मो0 वकार खान उर्फ पठान, पे0 मो0 हैदर खान, सा0 कौआबांध 03. मो0 इमरान अंसारी, पे0 मो0 आजाद अंसारी, सा0 अमरपुर, सभी था0 गोविन्दपुर 04. गणेश मंडल, पे0 काली चरण मंडल, सा0 कापासाड़ा एवं 05. अमरेश सिंह, महामाया होटल, था0 बरवाअड्डा, जि0 धनबाद</p>	<p>प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा अवैध रूप से गांजा के व्यापार करने तथा उक्त अभियुक्तों के पास से कुल 6.5 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप लगाया है।</p>	<p>सभी अभियुक्त बेल पर</p>	<p>पु0अ0नि0 देवव्रत पोद्दार, तत्कालीन थाना प्रभारी, गोविन्दपुर, जिला- धनबाद (मो0नं0 9122613589)</p>	<p>साक्षी 01. हवलदार रंजीत कु0 सिंह 02. आरक्षी 202 जोहन तिर्की 03. आरक्षी 1304 भोला प्रसाद 04. आरक्षी 2150 कृष्णा यादव, सभी गोविन्दपुर थाना रिजर्व गार्ड, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद, अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 भोला पाण्डेय एवं स0अ0नि0 त्रिलोकीनाथ सिंह</p>	<p>जप्ती-सूची के गवाह 01. प्रमोद राय, पे0 जानकी राय, सा0 भिलेज रोड, गोविन्दपुर 02. विष्णु प्रसाद गुप्ता, पे0 सत्यनारायण गुप्ता, सा0 उपर बाजार, गोविन्दपुर, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद</p>	<p>साक्ष्य :- 01. जप्ती-सूची के अनुसार अभियुक्तों के पास से बरामद गांजा 02. विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, झा0, रॉची से जाँच रिपोर्ट प्राप्त 03. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-20 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र सं0-427 / 2015, दिनांक-30.07.2015 के विरुद्ध 1. मो0 करीम उर्फ पिंटु, 2. मो0 वकार खान, 3. मो0 इमरान अंसारी एवं पुरक आरोप पत्र सं0-83 / 16, दिनांक-29.03.2016 के विरुद्ध शेष 02 अभियुक्तों के विरुद्ध समर्पित किया गया है।</p>	
55	<p>गोविन्दपुर था0कां0सं0 218 / 17, दि0 02.10.17, धारा 461 / 379 / 413 / 34 भा0द0वि0 एस0टी0सं0-76 / 18</p> <p>न्यायालय- ए0डी0जे0-08, धनबाद । ए0पी0पी0- अनिल कुमार सिंह 9431726795</p>	<p>प्रा0अभि0 01. मो0 सहाम अंसारी, उम्र 19 वर्ष, पे0 स्व0 इसराईल अंसारी 02. मो0 नैमुल अंसारी, उम्र 28 वर्ष, पे0 नुरैन अंसारी, दोनों सा0 जंगलपुर करबलाडीह, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद</p>	<p>मोतीलाल ज्वेलर्स, गोविन्दपुर में चोरी करते समय दोनों अभियुक्तों को रंगे हाथ चोरी के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना</p>	<p>---</p>	<p>स0अ0नि0 जयमसीह लकड़ा, उम्र 35 वर्ष, पदस्थापित, गोविन्दपुर थाना, जि0 धनबाद</p>	<p>साक्षी 01. हव0 अरबिन्द कुमार, उम्र 48 वर्ष, पे0 श्री लखन सिंह, सा0 अम्बारी, था0 शेखपुर (सराय), जि0 शेखपुरा 02. आरक्षी 2156 राजा राम, उम्र 35 वर्ष, पे0 राज कुमार, सा0 गाड़ी लोंग, था0 टण्डवा, जि0 चतरा 03. चालक आरक्षी 2417 शम्भु कुमार गुप्ता, पे0 सतीश कुमार गुप्ता, सा0 द्वारिकापुरी कॉलोनी, चुटिया रोड नं0 01, था0 चुटिया, जि0</p>	<p>जप्ती-सूची के साक्षी 01. वंशी प्रसाद स्वर्णकार, पे0 स्व0 मोती लाल सोनार 02. विकास कु0 वर्मन, पे0 बंशी प्रसाद स्वर्णकार, दोनों सा0 भिलेज रोड, गोविन्दपुर, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद</p>	<p>साक्ष्य :- 01. जप्ती-सूची के अनुसार अभियुक्तों को चोरी के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। 02. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-461 / 379 / 413 / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0-271 / 17, दिनांक-28.11.2017 के विरुद्ध समर्पित किया गया है।</p>	

						रॉची, सभी गोविन्दपुर थाना रिजर्व गार्ड, था0 गोविन्दपुर, जि0 धनबाद			
56	टुण्डी थाना काण्ड सं0-15/18, दिनांक-13.03.18, धारा-376(ए)/34 भा0द0वि0 जी0आर0सं0-223/18 न्यायालय- गोरव खुराना, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0- हरेश कुमार राम 7992321193	प्राथमिकी अभियुक्त 01. विकाश पाण्डेय, उम्र करीब 26 वर्ष, पे0 स्व0 उपेन्द्र पाण्डेय 02. दीपक कुमार पाण्डेय, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता-ललन पाण्डेय, दोनों सा0 पाण्डेयडीह, थाना टुण्डी, जि0 धनबाद	अभियुक्तों द्वारा दिनांक-13.03.18 को दोपहर के समय वादिनी को अपने घर में अकेला पाकर उसक साथ जबरन बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।	दोनों अभियुक्त जेल में	वादिनी मालती देवी, उम्र करीब 18 वर्ष, पति-अभिमन्यु पाण्डेय, सा0 पाण्डेयडीह, थाना-टुण्डी, जिला-धनबाद	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 बबलू उराँव, टुण्डी थाना, जि0 धनबाद	साक्षी 01. अभिमन्यु पाण्डेय, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता-स्व0 धनेश्वर पाण्डेय 02. अनिरुद्ध पाण्डेय, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता-स्व0 धनेश्वर पाण्डेय 03. रामकिशुन प्रसाद पाण्डेय, उम्र करीब 71 वर्ष, पिता-स्व0 महावीर पाण्डेय, तीनों सा0 पाण्डेयडीह, था0 टुण्डी, जि0 धनबाद	साक्ष्य :- 01. पिडिता का माननीय न्यायालय में धारा-164 दं0प्र0 सं0 के तहत बयान दर्ज करवाया गया है, जिसमें पिडिता द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गठित आरोप की पुष्टि की गई है। 02. पिडिता का मेडिकल जाँच करवाकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 03. अनुसंधान के क्रम में वादिनी एवं उपलब्ध साक्षियों द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की पुष्टि की गई है। 04. घटना के समय अभियुक्तों के मोबाईल का टावर लोकेशन घटनास्थल पर पाया गया है। 05. अनुसंधानोपरान्त इस कांड में अभियुक्तों के विरुद्ध धारा- 376(2) (झ) भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित की जा रही है।	
57	निरसा थाना काण्ड सं0- 51/17 दि0 16.02.17 धारा 302/34 भा0द0वि0 जी0आर0सं0-721/17 एस0टी0सं0-347/17	1.तपन मोदी पिता अमीन मोदी 2. आमीन मोदी पिता स्व0 गोपाल मोदी 3.छबि मोदी पति आमीन मोदी सभी सा0 झिरका मोदी टोला, थाना निरसा, जिला धनबाद।	मृतका निता कुमारी के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मृतका को जलाकर हत्या करने के आरोप में अंकित किया गया है।	जेल में-01 जमानत-02	राखाल चन्द्र मोदी पिता स्व0 राम चन्द्र मोदी सा0 बीरखाम, चंदनकियारी, बोकारो झारखण्ड	अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 षिवनाथ बारदा मो0नं0 9431909917, डॉ विनीत पी0 तिग्गा पी0एम0सी0एच0, धनबाद	1.अजीत कुमार मोदी पिता राखाल चन्द्र मोदी 2.रंजीत कुमार मोदी पिता स्व0 उमेष चन्द्र मोदी दोनों सा0 खीरखाम चन्दनकियारी बोकारो 3.प्रियंका मोदी 4.अरविन्द मोदी दोनों पिता तपन मोदी सा0 झिरका मोदी टोला थाना निरसा जिला धनबाद।	1. मृतक का अन्त्यपरीक्षण प्रतिवेदन। 2. आरोप पत्र सं0-178/17 दिनांक-25.07.17 धारा-302/34 भा0द0वि0। अभियुक्त-03	

	न्यायालय- ए0डी0जे0-14, धनबाद। ए0पी0पी0- अनिल कुमार सिंह-02, 9431726795							
58	सुदामडीह थाना कांड सं0-68/2016 दिनांक - 18.10.2016 धारा- 395 भा0 द0 वि0। परिवर्तित धारा-395/412 भा0 द0वि0। GR-424/2016 /ST. 293/2017 ST. 298/2017	अज्ञात 12-14 अपराध कर्मी	दिनांक-18.10.2016 की रात्री 02:30 बजे वादी के घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर, वादी एवं उनके परिजनों को अपने कब्जे में लेकर डकैती करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जेल में	श्री आशीष कुमार चौधरी उम्र 46 वर्ष पिता सतीश कुमार चौधरी सा0-मोहन बाजार, परघाबाद, थाना-सुदामडीह, जिला-धनबाद	(01) पु0अ0नि0 उमेश प्रसाद (अनुसंधानकर्ता) 8935802080 (02) स0अ0नि0 आनन्द मसीह हेरेंन्ज (अनुसंधानकर्ता) 9334560095 (03) गोपाल सिंह पिता जनार्दन सिंह वर्तमान सुदामडीह थाना रिजर्व गार्ड (04) अनिल कुमार बाउरी पिता शम्भू बाउरी वर्तमान पाथरडीह थाना रिजर्व गार्ड	(01) आशीष कुमार चौधरी पिता सतीश कुमार चौधरी (02) मिटु चौधरी पति आशिष कुमार चौधरी (03) सतीश कुमार चौधरी (04) महेश महतो पिता ताराचन्द महतो (05) विनोद दास पिता सीताराम दास सभी सा0-परघाबाद थाना-सुदामडीह (06) ओंकारनाथ ठाकुर पिता हरिशंकर ठाकुर पता परैरा मठिया थाना- मुफसिल, जिला-पूर्वी चम्पारण (07) अजय कुमार आनन्द पिता दुर्गा प्रसाद मंडल सा0- चौहट्टा, थाना- किशनपुर (08) मारकण्डेय पाण्डेय पिता जीतेन्द्र पाण्डेय सा0- डुमरा, थाना- अम्बा कुटुम्बा (09) धर्मन्द्र कुमार पिता सिकन्द्र प्रसाद सा0- उत्तरथु, थाना- विन्द, जिला-नालंदा सभी वर्तमान परघाबाद प्रदीपचन्द नेहा के मकान में किरायेदार	(01) अभियुक्त सतीश वर्मा के बताए अनुसार वादी का जूता बरामद हुआ है (02) अभियुक्त कल्लू के बताए अनुसार वादी के घर से चोरी किया गया चांदी का पायल एवं विछिया बरामद किया गया है। (03) बरामद सामानों का पहचान परेड कराया गया है। (04) अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास अंकित किया गया है। (05) अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान अंकित किया गया है। (06) आरोप पत्र सं0-01/2017 दिनांक-15.01.2017, आरोप पत्र सं0-13/2017 दिनांक-12.04.2017 तथा आरोप पत्र सं0-42/2017 दिनांक-31.07.2017 समर्पित किया गया है।
59	कांड सं0- 214/17 दि0 23.09.17 धारा 414/420/467/468/471/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी) ए/26(1)/35 भारतीय शस्त्र अधिनियम	1. दिपक कु0 यादव पिता जमू यादव 2. सुमित कु0 यादव उर्फ सुमो पे0 गणित यादव दोनों सा0 जुराबगंज थाना कोढ़ा जिला कटिहार (बिहार)	जाली कागजात के आधार पर दस्तावेज बनाकर चोरी का रूपया, मोटर साईकिल एवं अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	— ह ह	परमेश्वर प्रसाद, पिता महादेव प्रसाद, पुलिस निरीक्षक -सह- थाना प्रभारी, निरसा।	1. स0अ0नि0जयचंद तिग्गा निरसा थाना मो0 नं0 9110154644, 2. स0अ0नि0विक्रम उरांव पे0 पचु उरांव निरसा थाना धनबाद, 3. आ0-2006 शोभनाथ राम, 4. आरक्षी-2232	1. अवैध आग्नेयास्त्र का परिचार प्रवर, पु0के0, बोकारो का जांच प्रतिवेदन। 2. उपायुक्त, धनबाद का अभियोजन स्वीकृत्यादेश। 3. आरोप पत्र संख्या-401/17, दिन0-31.12.17 धारा-414/420/467/468/4	

						रंजीत कुमार धनबाद जिला बल, 5. परिचारी प्रवर बोकारों।		71/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-A)/26(2)/35 शस्त्र अधिनियम। अभियुक्त-02	
60	कांड सं0- 219/17 दि0 4.10.17 धारा 363/366(ए)/376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट	भक्तो प्रहलाद दे उर्फ भक्त प्रहलाद दे पे0षितल कुमार दे सा0 डांगपाड़ा थाना निरसा जिला धनबाद।	दिनांक-30.09.17 को वादी मो0 मुमताज अहमद की छोटी वहन नुसरत प्रविण उम्र-16 वर्ष का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।	जेल में	मो0 मुमताज अहमद पिता मो0नेहाल सा0 लखीमाता कोलियरी थाना निरसा जिला धनबाद।	1. पु0अ0नि0सिलवेस्टर केरकेट्टा निरसा थाना मो0नं0 9470339597, 2. डा0 राज कु0 प्रसाद,पी0एम0सी0एच0 धनबाद।	1. मो0 मुमताज अहमद पिता मो0नेहाल 2. विनोद भुईया पिता समर भुईया 3. पीडिता लडकी नुसरत प्रवीन पिता-मो0 नेहाल दोनों सा-लखीमाता कोलियरी थाना निरसा जिला धनबाद।	1. चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन। 2. धारा-164 द0प्र0स0 के तहत न्यायालय में बयान। आरोप पत्र सं0- 338/17 दि0 23.11.17 धारा 363/366(ए)/376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट अभियुक्त-01	
61	कांड सं0- 252/17 दि0 30.10.17 धारा 395/397 भा0द0वि0।	अप्राथमिकी अभियुक्त-मो0 बबन उर्फ तोकिन अंसारी पिता मो0 शरीफ अंसारी सा0 कुमुण्डा हाजरा बस्ती 2. राजु भुईया उर्फ करीवा भुईया पिता स्व0 चपरगिधा उर्फ कामलेष भुईया 3. कृष्णाभुईया पिता हरमल भुईया सभी सा0 कुमुण्डा झोपड़पट्टी थाना केन्दुआडीह जिला धनबाद।	दिनांक-27.10.17की रात्रि 06 अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर मोटर साईकिल, नगद राशि सहित मोबाईल लूट लिया गया।	जेल में	किशन कोड़ा पे0 नारायण कोड़ा सा0 तोपाटौंड थाना निरसा जिला धनबाद।	पु0अ0नि0सिलवेस्टर केरकेट्टा निरसा थाना मो0नं0 9470339597	1. वादी किशन कोड़ा पे0-नरायणा कोड़ा सा0तोपाटाड़, निरसा, धनबाद 2. जितन मोदी पिता संतोष मोउदी 3.दीपक मोदी पिता शंभु मोदी दोनों सा0 तोपाटौंड थाना निरसा जिला धनबाद।	1. कांड में लूटा गया मोटर साईकिल एवं मोबाईल बरामद। 2. बरामद मोटर साईकिल एवं मोबाईल का टी0आई0पी0। 3. आरोप पत्र संख्या-11/18 दि0-28.01.18 धारा-395/397/412 भा0द0वि0 अभियुक्त-अप्राथमिकी-03	
62	कांड सं0- 253/17 दि0 31.10.17 धारा 302 भा0द0वि0	अप्राथमिकी अभियुक्त- विवेका नन्द कुमार उर्फ विवेक कुमार पिता बनारस चौहान सा0 शिव डंगाल थाना निरसा जिला धनबाद।	घटना की रात्रि मृतक राधे वर्णवाल की हत्या मुगमा मोड़ स्थित आटा चक्की दुकान में लोहे के रड से सिर पर वार कर हत्या की गयी। पूर्व में अज्ञात के विरुद्ध कांड अंकित हुआ है।	जेल में	पवन कु0 वर्णवाल पिता स्व0 राधेलाल वर्णवाल सा0 नेहरू रोड चिरकुण्डा थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद।	पु0अ0नि0 अजीत कुमार लकड़ा मो0नं0 9199709126	1. पवन कु0 वर्णवाल पिता स्व0 राधेलाल वर्णवाल सा0 नेहरू रोड चिरकुण्डा, धनबाद। 2. राज कु0वर्णवाल उर्फ पप्पु पिता स्व0 अर्जन वर्णवाल सा0कालीमाता कॉलोनी मुगमा 3. विनोद वर्णवाल पिता स्व0 सरयु वर्णवाल सा0 निरसा भमाल दोनों थाना निरसा जिला धनबाद।	1. घटनास्थल से खून लगा लोहे का रड, 2. घटनास्थल से खून लगा मिट्टी। 3. दो सीम डोकमो का जिसका मोबाईल अभियुक्त द्वारा लिया गया। 4. आरोप पत्र संख्या-05/18 दि0-24.01.18 धारा-302 भा0द0वि0 अभियुक्त-अप्राथमिकी-01	
63	कांड सं0- 290/17 दि025.11.17 धारा 363/366(ए)/376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट	प्रकाश राय पिता राजाराम राय सा0लखीमाता कोलियरी थाना निरसा जिला धनबाद।	दिनांक-17.11.17 को वादी कीर्तन भुईया की नावालिक लडकी पूनम कुमारी उम्र-15 वर्ष का अपहरण कर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है।	जेल में	किर्तन भुईया पिता स्व0 मकरु मांडी सा0 लखीमाता कॉलोनी थाना-निरसा जिला धनबाद।	पु0अ0नि0अजीत कुमार लकड़ा मो0नं0 9199709126	1. किर्तन भुईया पिता स्व0 मकरु मांडी सा0 लखीमाता कॉलोनी थाना-निरसा। 2.विजय बाउरी पिता सुभाष बाउरी 3.रवि पॉल पिता भरत चन्द्र पॉल 3. मो0 नसरुल्लाह पिता इन्तियाज मियां तीनों सा0-लखीमाता कॉलोनी थाना निरसा जिला धनबाद।	1. पीडिता लडकी का बयान धारा-164 द0प्र0स0 के तहत न्यायालय में। 2. पीडिता लडकी का चिकित्सीय जांच। 3. आरोप पत्र संख्या-13/18 दिनांक-31.01.18 धारा 363/366(ए)/376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट। अभियुक्त-01	
64	निरसा (कालुबथान ओ. पी.) काण्ड संख्या 166/17 दि0 14.07.17 धारा 376/511/504/34 भा.द.वि.एवं 8 पोक्सो एक्ट 2012, 3(X) अनु.जाति/अनु. जन जाति निवारण अधिनियम एवं	1.बबलू गोरार्ड पे. मंगल गोरार्ड, 2. बामा गोरार्ड पे.मानिक गोरार्ड, 3.नरेश गोरार्ड पे.भूदेव गोरार्ड सभी ग्राम बड़ाअम्बोना, कालुबथान ओ.पी. जिला धनबाद।	यह काण्ड आवेदिका सोफोदी मराण्डी स्व.नेपाल मराण्डी जोल्हाडीह पो.अम्बोना, थाना निरसा (कालुबथान ओ.पी.) जिला धनबाद का लिखित आवेदन प्राप्त	जेल-03	सकोदी मराण्डी (15वर्ष) पे0-स्व. नेपाल मराण्डी सा0-जोल्हा डीह पो.अम्बोना, थाना निरसा (कालुबथान ओ. पी.) जिला धनबाद।	1. अनुसंधानकर्ता स.अ. नि.दीपक कुमार पासवान, मो. नं. 8299774762, 80511845149, 2. पु.नि.परशुराम प्रसाद, मो.नं. 9304440013,	1.सोकोदी मरांडी पिता स्व.नेपाल मरांडी, 2.सरनी मरांडी पति स्व.नेपाल मरांडी, 3.लखी मुनी मरांडी पिता स्व. नेपाल मरांडी, 4.संतोष मरांडी पे.स्व. नेपाल मरांडी, 5.मोहन मरांडी पे. सोनाथ मरांडी सभी ग्राम जोल्हाडीह थाना-कालुबथान ओ.पी. जिला-धनबाद,	1. पीडिता के साथ घटित घटनाक्रम का सी0डी0 2. पीडिता का बयान धारा-164 द0प्र0स0। 3. आरोप पत्र संख्या- 301/17 दि0-24.10.17 धारा 376/511/504/34 भा.द. वि.एवं 8 पोक्सो एक्ट 2012, 3(x) SC/ST Act एवं	

	66(ए)/66(ई) आई.टी. एक्ट		हुआ जिसके आधार पर उपरोक्त अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध नाबालिक लड़की के साथ झूना पहाड़ी में बलात्कार करने के प्रयास के आरोप में अंकित किया गया है।					66(ए)/66(ई) आई.टी. एक्ट	
65	निरसा (कालुबथान) थाना काण्ड संख्या 28/18 दिनांक 22.01.18 धारा 376 भा.द.वि. एवं 6 पोक्सो एक्ट 2012,	आशीष धीवर उर्फ किशन धीवर ग्राम पिन्ड्राहाट, थाना निरसा (कालुबथान) जिला धनबाद,	यह काण्ड वादी रिकू धीवर 27 वर्ष पति-सपन धीवर ग्राम पीन्ड्राहाट के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त आशीष धीवर उर्फ किशन धीवर के विरुद्ध दिनांक 22.01.18 को बलात्कार करने के आरोप में अंकित किया गया है।	न्यायिक हिरासत में-01	वादी रिकू धीवर पति सपन धीवर पिता द्विजोपदो धीवर सा0-पिन्ड्राहाट 110-कालुबथान, जिला-धनबाद।	1.डाक्टर संध्या तिवारी चिकित्सा पदाधिकारी, पी.एम.सी.एच. धनबाद, 2.पु.अ.नि.सरिता कच्छप, महिला थाना प्रभारी, धनबाद, 3.पु.अ.नि.सच्चिदानन्द साहू कालुबथान ओ.पी. प्रभारी,	1.वर्षा धीवर पे.सपन धीवर, 2.प्रिया धीवर पति अजित धीवर, 3.चिन्तो धीवर पति जितेन धीवर, 4.सौरभ धीवर सभी ग्राम पीन्ड्राहाट थाना निरसा (कालुबथान) जि0-धनबाद।	1. अभियुक्त एवं पीड़िता लड़की का खून लगा कपड़ा। जिसे एफ0एस0एल0 भेजा गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जांच। 3. 2. पीड़िता का बयान धारा-164 द0प्र0स0। 4. आरोप पत्र सं0-54/18 दि0-17.04.18 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 6 पोक्सो एक्ट- अभि0-03	
66	चिरकुण्डा थाना कांड सं0 197/17 दिनांक 02-10-17 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0-3674/17 स्पे0पोक्सो सं0-107/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	धनंजय बाउरी उम्र 48 वर्ष पे0 स्व0 खबोधी बाउरी सा0 लायकपाडा थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद	यह कांड वादी भादो बाउरी पति उत्तम बाउरी सा0 लायकडीह बाउरी टोला थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर इस कांड के प्राथ0 अभि0 धनंजय बाउरी उम्र 48 वर्ष पे0 स्व0 खबोधी बाउरी सा0 लायकपाडा थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद के विरुद्ध इनकी पुत्री शिल्पी कुमारी उम्र 05	जेल में	भादो बाउरी पति उत्तम बाउरी सा0 लायकडीह बाउरी टोला थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद	1 डा0 विकास कुमार पी0एम0सी0एच0 2 स0अ0नि0 महेश प्रसाद सिंह चिरकुण्डा थाना।	1 रंजित बाउरी उम्र 45 वर्ष पे0 लखन बाउरी सा0 लायकडीह 2 भोला बाउरी उम्र 41 वर्ष पे0 शिवजी बाउरी सा0 लायकडीह बाउरी टोला	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बयान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जांच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं0 259/17, दिनांक 01-11-17	

			वर्ष अभियुक्त ने अपने ससुराल लायकडीह के घर पर खेलने के क्रम में गलत काम करने के आरोप में अंकित कराया गया है।					
67	चिरकुण्डा थाना कांड सं० 269/17 दिनांक 05-12-17 धारा 363/366(1) भा०द०वि० जी०आर०सं०-4943/17 स्पे०पोक्सो सं०-14/18 न्यायालय-ए०डी०जे०-01, धनबाद। ए०पी०पी०-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	मनोज बाउरी पे० चांडी बाउरी एवं उनके घर वाले सा० हरियाणा काँलोनी धानकल वस्ती थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद।	यह कांड दिनेश पाण्डेय उम्र 49 वर्ष पे० श्री श्यामसुन्दर पाण्डेय सा० नदी धौंडा थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० मनोज बाउरी पे० चांडी बाउरी एवं उनके घर वाले सा० हरियाणा काँलोनी धानकल वस्ती थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद एवं अन्य के विरुद्ध नवालिक लड़की ममता कुमारी उम्र 15 वर्ष को शादी करने के नियत से अपहरण करने के आरोप में अंकित कराया गया है।	जेल में	दिनेश पाण्डेय पे० श्री श्यामसुन्दर पाण्डेय सा० नदी धौंडा थाना चिरकुण्डा जिला धनबाद।	1 डा० शशिलाल चिकित्सक पी०एम०सी०एच० धनबाद 2 पु०अ०नि० भुजंगनाथ सोरेन चिरकुण्डा थाना।	1 राकेश पाण्डेय उम्र 28 वर्ष पिता दिनेश पाण्डेय 2 लिलावती देवी उम्र 48 वर्ष पति दीनानाथ पाण्डेय 3 मनिष पाण्डेय उम्र 18 वर्ष पे० दिनेश पाण्डेय	1. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं० 322/17, दिनांक 31-12-17
68	चिरकुण्डा (मैथन) ओ०पी० कांड सं०-44/17 दि०-07. 02.17 धारा-458/380 भा०द०वि०	अप्रा० अभियुक्त-राजू अंसारी उर्फ नसीम अंसारी पे०-स्व० एनूलहक अंसारी सा०-लालबाजार, थाना-कुल्टी, जिला-बर्द्धमान (प०बंगाल)	यह कांड वादीनी अनिता प्रतीमा कुजूर पति-बैजनाथ भगत सा०-धोबीघाट, थाना-मैथन,	जेल-01	वादीनी अनिता प्रतीमा कुजूर पति-बैजनाथ भगत सा०-धोबीघाट, थाना-मैथन,	अनुसंधानकर्ता सं०अ०नि० घासीराम मार्ली,	1. वादीनी अनिता प्रतीमा कुजूर 2. सुरेश सोरेंग पे०-देवी लाल सोरेन 3. राजेश चौधरी पे०-रामचन्द्र चौधरी 4. अमोद मिश्रा पे०-विन्देश्वर मिश्रा 5. गौरव मिश्रा पे०-परमानन्द मिश्रा सभी सा०-धोबीघाट, थाना-मैथन,	1. कांड में चोरी गये सामानों की बरामदगी। 2. बरामद सामानों का टी०आई०पी०। 3. आरोप पत्र सं०-179/17 दि०-28.07.17 धारा-457/380/411

			धनबाद के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध धर का ताला तोड़कर सामानों की चोरी किया गया है।		धनबाद		धनबाद	भा0द0वि0। अमि0-01	
69	चिरकुण्डा (मैथन) ओपी0 कांड सं0-43/18 दि0-04. 03.18 धारा-366(ए) भा0द0वि0 एवं 18 पोक्सो ऐक्ट।	प्रा0अभि0 रितीक सेन पे0-गौतम सेन सा0- आजाद नगर मैथन, थाना-मैथन, जिला-धनबाद।	यह कांड वादी गोपाल दास पे0-स्व0 महादेव दास सा0-डाईक एरिया काली पहाड़ी मैथन, थाना-मैथन, धनबाद के द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध नावालिक लड़की लावोनी दास (उम्र-17वर्ष) को शादी करने की नियत से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है।	जेल-01	वादी गोपाल दास पे0-स्व0 महादेव दास सा0-डाईक एरिया काली पहाड़ी मैथन, थाना-मैथन, धनबाद	1. अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 रघुनाथ सुण्डी। 2. डा0 विकल कुमार, पी0एम0सी0एच0, धनबाद।	1. वादी गोपाल दास पे0-स्व0 महादेव दास 2. पीडिता लड़की लावोनी दास 3. विकास दास पे0-चण्डी दास 4. दीपता चटर्जी पे0-शिव शंकरचटर्जी	1. पीडिता का बयान धारा-164 द0प्र0स0 2. चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन। 3. आरोप पत्र संख्या-59/18 दि0-19.04.18 धारा-धारा-363/366(ए) भा0द0वि0 एवं 18 पोक्सो ऐक्ट।	
70	चिरकुण्डा (कुमारधुबी) थाना कांड संख्या-224/17 दिनांक-27. 10.17 धारा-457/380 भा0द0वि0।	अप्रा0अभियुक्त-1. रिसफ सिंह पे0-राकेश सिंह सा0-शिवलीबाड़ी 2. शुभम अग्रवाल पे0-स्व0 श्याम लाल अग्रवाल सा0-बनमेढा मैथन 3. रंजीत वर्मन पे0-जगदीश वर्मन सा0-खुशरी थाना-निरसा, धनबाद।	वादी उद्धव बहादुर सिंह पे0-स्व0 केदार सिंह सा0-पूर्वी शिवलीबाड़ी थाना-चिरकुण्डा(कुमारधुबी), जिला-धनबाद के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कमरे का ताला तोड़कर सामानों की चोरी करने का आरोप लगाये है।	जेल-03	वादी उद्धव बहादुर सिंह पे0-स्व0 केदार सिंह सा0-पूर्वी शिवलीबाड़ी थाना-चिरकुण्डा(कुमारधुबी), जिला-धनबाद	अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 विद्यासागर पासवान	1. वादी उद्धव बहादुर सिंह पे0-स्व0 केदार सिंह 2. प्रेम सिंह पे0-उद्धव कुमार सिंह 3. दीपा कुमारी पे0-उद्धव बहादुर सिंह 4. बेवी सिंह पति-उद्धव बहादुर सिंह सभी सा0-पूर्वी शिवलीबाड़ी थाना-चिरकुण्डा(कुमारधुबी),	1. घटना के क्रम में चोरी किये गये सोने, चांदी का जेवरात बरामद 2. चोरी किये गये सोने/चांदी के जेवर को बेचकर इंडिका कार NO.WB2K-3773 को जप्त किया गया है। (MR.NO.3/17) आरोप पत्र सं0-313/17 दिनांक-30.12.17	
71	महुदा थाना काण्ड सं0-35/17 दि0-05.08.17, धारा-4 पोक्सो ऐक्ट जी0आर0सं0-2915/17 स्पे0पोक्सो सं0-	1. जगन महतो, उम्र करीब 55 वर्ष, पे0- स्व0 फागु महतो, सा0-तेलमोच्चो, थाना-महुदा, जिला-धनबाद	वादी की पुत्री सिवानी कुमारी उम्र करीब 4 वर्ष जो शौच करने के लिए निकली थी। इसी बीच प्रा0 अभि0 जगन	जेल में।	बलदेव सोनार उम्र करीब 45 वर्ष, पिता-हरि सोनार, वर्तमान पता तेलमच्चो बाजार, थाना-महुदा,	1. स0अ0नि0 शंकर सिंह, (अनुसंधानकर्ता) 2. डा0 पिंकी रानी(चिकित्सा पदा0 पी.एम.सी.एच) सरायढेला, धनबाद।	1. देवन्ती सिंह उम्र करीब 28 वर्ष, पति-बालदेव सोनार,(पीडिता की माँ) 2.सिवानी कुमारी, उम्र 4 वर्ष, पिता-बालदेव सोनार(पीडिता) 3. संजय कुमार वर्मा, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता-बालदेव सोनार	1. पीडिता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत बयान दर्ज कराया गया है। 2. पीडिता का चिकित्सीय जांच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं0-42/17, दिनांक- 31.08'.	

	25/18 न्यायालय— ए0डी0जे0—01, धनबाद। ए0पी0पी0— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378		महतो ने बहला फुसलाकर वहाँ से गोद में उठा लिया और उनके गुप्तांग पर उँगली घोप दिया। प्रा0 अभि0 जगन महतो के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 42/17, दि0—31.08.17 समर्पित किया गया है।		जिला—धनबाद, स्थायी पता सा0—महादेवडी ह, पो0—पालगंज, थाना—पीरटांड, जिला—गिरिडी ह		4. हेमन्त कुमार महतो, उम्र करीब 37 वर्ष, पिता—स्व0 पल्डु महतो, सभी सा0—तेलमच्चो बाजार, थाना—महुदा, जिला—धनबाद।	17।	
72	तेतुलमारी थाना काण्ड सं0—56/16 दि0—06.12.16, धारा—366/376/50 6/323 भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0—4857/16 स्पे0पोक्सो सं0—117/16 न्यायालय— ए0डी0जे0—01, धनबाद। ए0पी0पी0— ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	1. विकास कुमार मल्लाह, उम्र करीब 20 वर्ष, पे0—कृष्णा मल्लाह, सा0—चन्दौर पहाड़ी, देवी स्थान के पास थाना—तेतुलमारी, जिला—धनबाद,	वादिनी की पुत्री दि0—16.12.16 को करीब 06:30 बगान तरफ से रोते हुए आकर लिपट गई और बोली कि ट्यूशन पढ़कर घर आकर बर्तन साफ करते समय अभियुक्त विकास कुमार मल्लाह द्वारा जबरन बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया।	जेल में।	संजु देवी, उम्र करीब 40 वर्ष, पति—केदार मल्लाह, सा0—चन्दौर पहाड़ी, देवी स्थान के पास, थाना—तेतुलमारी, जिला—धनबाद	1. स0अ0नि0 विनोद उरॉव, ग्राम—बैटट, थाना—किस्क, जिला—लोहरदगा। मो0 नं0—7488072873	1. विकास कुमार मल्लाह, उम्र करीब 20 वर्ष, पे0—कृष्णा मल्लाह, सा0—चन्दौर पहाड़ी, देवी स्थान के पास, थाना—तेतुलमारी, जिला—धनबाद, 2. कृष्णा मल्लाह, उम्र करीब 55 वर्ष, पे0—रामेश्वर मल्लाह, सा0—करमधौड़ा, थाना—तेतुलमारी, जिला—धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है। 3. पीड़िता का उम्र संबंधित प्रमाण—पत्र 4. आरोप पत्र सं0—10/17, दिनांक—22.02.17 समर्पित किया गया है।	
73	मधुबन थाना काण्ड सं0—53/16 दिनांक—22.10.16, धारा—376 भा0द0वि0 एवं 04 पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0—4290/16 स्पे0पोक्सो सं0—94/16 न्यायालय— ए0डी0जे0—01, धनबाद।	हिरा बाउरी, पे0 अरूण बाउरी, सा0 हनुमान नगर, थाना मधुबन जिला धनबाद।	वादी खुशबु कुमारी, पे0 रोहन भुईर्यो, सा0 हनुमान नगर थाना मधुबन जिला धनबाद दिनांक—22.10.16 को शाम करीब 17:00 बजे प्राथमिकी अभियुक्त हिरा बाउरी वादिनी के	जमानत पर	खुशबु कुमारी, पे0 रोहन भुईर्यो सा0 हनुमान नगर थाना मधुबन जिला धनबाद।	पु0अ0नि0 नरेन्द्र कुमार मो0 नं0 9431706412	1. खुशबु कुमारी पे0 रोहन भुईर्यो 2. कुती देवी पति रोहन भुईर्यो, 3. विशाल कुमार भुईर्यो, पे0 रोहन भुईर्यो 4. शुक्कर भुईर्यो, पे0 स्व0 बैजू भुईर्यो सभी सा0 हनुमान नगर बी0सी0सी0एल0 क्वार्टर थाना मधुबन जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है। 3. प्राथमिकी अभियुक्त हिरा बाउरी के विरुद्ध आरोप पत्र सं0—62/16 दिनांक 19.12.16 समर्पित किया गया है।	

	ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378		घर में घुसकर वादिनी के साथ बलात्कार किये।					
74	मधुबन थाना काण्ड सं0-12/17 दिनांक-14.02.17, धारा-376 भा0द0वि0। एस0टी0सं0- 160/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-07, धनबाद। ए0पी0पी0- टी0एन0उपाध्याय 9470129294	मिथलेश रजवार पे0 चमन रजवार, सा0 महेशपुर 02 नं0, थाना मधुबन जिला धनबाद।	वादिनी नीलम कुमारी के साथ प्राथमिकी अभियुक्त मिथलेश रजवार द्वारा दिनांक 10.01.17 को 11:00 बजे रात में अपने घर बुलाकर जबरन यौन शोषण किया गया।	जमानत पर।	नीलम कुमारी पिता सीताराम रजवार सा0 महेशपुर थाना मधुबन जिला धनबाद।	र0अ0नि0 मोहन बैठा, मो0नं0- 9430168065	1.नीलम कुमारी, पे0 सीताराम रजवार, 2.सीताराम रजवार, पे0 रौशन रजवार, 3. लक्ष्मणीया देवी, पति सीताराम रजवार, 4.अर्जुन रजवार, पिता स्व0 रौशनरजवार, 5. भरत रजवार, पे0 रमेश रजवार सभी सा0 महेशपुर, थाना मधुबन जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच कराया गया है। 3. पीड़िता का उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र 4. प्राथमिकी अभियुक्त मिथलेश रजवार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-17/17 दि0-06.03.17 समर्पित किया गया है।
75	मधुबन थाना काण्ड सं0-45/17, दि0-16.7.17, धारा-376/493 भा0द0वि0 एवं 07/08 पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0- 2237/17 स्पे0पोक्सो सं0- 66/17 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	वंशी पाण्डेय पिता हरि पाण्डेय, सा0 खरखरी बस्ती थाना मधुबन जिला धनबाद।	वादिनी प्रिती कुमारी के साथ प्राथमिकी अभियुक्त वंशी पाण्डेय के द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर करीब 04 वर्षों से यौन शोषण किया गया है।	जमानत पर।	प्रिती कुमारी पे0 सुनील पासवान, सा0 खरखरी बस्ती, थाना मधुबन जिला धनबाद।	र0अ0नि0 अवधेश कुमार मिश्रा। मो0 नं0 7870976215	1.प्रिती कुमारी पे0 सुनील पासवान 2. पुरनी देवी पति सुनील पासवान, 3. बेली देवी, पति स्व0 भोला पासी, 4. अशोक दास, पे0 समीर दास, 5. बिरेन्द्र सिंह, पे0 स्व0. सीताराम सिंह, सभी सा0 सिनीडीह थाना मधुबन जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच कराया गया है। 3. वंशी पाण्डेय के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-59/17, दि0- 23.09.17 समर्पित किया गया है।
76	कतरास थाना काण्ड सं0-202/17, दि0-03.11.17 धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0सं0- 88/18	.1. राहुल गुप्ता, उम्र 21 वर्ष, पे0 विनय गुप्ता, सा0 भगत मुहल्ला, 2. सोनू पाण्डेय, उम्र 19 वर्ष, पे0 सुबोध पाण्डेय, सा0 आनन्द मुहल्ला, दोनों थाना कतरास 3. राजकुमार बटीक उम्र 32 वर्ष, पे0 स्व0 रामचन्द्र बटीक, सा0 पानी टंकी, तेतुलतल्ला, थाना बैंक मोड़, 4. राजेश गुप्ता, उम्र 19	वादी स0अ0नि0 बसंत महतो, दिनांक 03.11.17 को संध्या करीब 05:30 बजे पैदल गश्ती पर थे, जैसे ही वे रानी बजार मैदान के सरकारी अस्पताल के गेट	सभी जेल में बंद।	स0अ0नि0 बसंत महतो, उम्र 40 वर्ष, पे0 स्व0 रामलखन महतो, सा0 मंझगाँव, जिला गढ़वा।	1. स0अ0नि0 बसंत महतो, उम्र 40 वर्ष, पे0 स्व0 रामलखन महतो, सा0 मंझगाँव, जिला गढ़वा, 2. पु0/1185 धर्मैन्द सिंह उम्र 24 वर्ष, 3. पु0/753 उमेश मोड़ी, उम्र 30 वर्ष,		1. जप्त अग्नेयाशस्त्रों की जॉच परिचारी प्रवर द्वारा कराया गया है। 2. अभियोजन स्वीकृतिदेश प्राप्त है। 3.प्रा0 के नामजद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-03/18, दिनांक- 29.01.18 समर्पित किया

	न्यायालय— ए0डी0जे0—03, धनबाद। ए0पी0पी0 जब्बाद हुसैन	वर्ष, पे0 कामदेव गुप्ता, सा0 भगत मुहल्ला, थाना कतरास सभी जिला धनबाद, 5. शुभम पे0+पता अंकित नहीं।	के पास पहुँचे तो देखे कि अधरे में कुछ लोग छुप कर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये देखकर जब ये उनकी और बढ़े तो वहाँ उपस्थित लोगों में एक ने बोला कि भागो पुलिस आ रही है तब सभी भागने लगे। जिसे पुलिसकर्मियों के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया।			4. आ0/274 मनोज कुमार, उम्र 25 वर्ष, सभी वर्तमान में कतरास थाना में पदस्थापित। 5. स0अ0नि0 मनोज कान्त तिवारी, मो0 न0 9801375137		गया है।	
77	कतरास (इस्टबसुरिया ओ0पी0) थाना काण्ड सं0— 148/17, दि0— 24.07.17 धारा—379 भा0द0वि0 जी0आर0सं0— 2738/17 न्यायालय— जे0जे0बोर्ड, धनबाद। ए0पी0पी0— मिस अरुनिमा बबिता मिंज 8579841331	अजीत कुमार सिंह, उर्फ छोटु सिंह, उम्र 18 वर्ष, पे0—उमेश सिंह, सा0—परेधा, थाना—झाझा, जिला—जमुई (बिहार), हा0मो0 ईस्टबसुरिया 06 नं0 सेक्टर 01, थाना—ईस्टबसुरिया ओ0पी0 जिला—धनबाद	वादी विनोद माँझी, दिनांक—24.07.17 को मोटरसाईकिल सं0— JH10 AF 4208 को अज्ञात चोरो के द्वारा चोरी करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जेल में बन्द	वादी विनोद माँझी, उम्र 40 वर्ष, पे0—गुल्लू माँझी, सा0—13 सेक्टर 02, भारत कोकिल कोल लिमिटेड कॉलोनी, थाना इस्टबसुरिया जिला धनबाद।	स0अ0नि0 कमलेश कुमार, मो0 न0— 9534013640	1.विनोद माँझी, उम्र 40 वर्ष पे0—गुल्लू माँझी, सा0—13 सेक्टर 02, भारत कोकिल कोल लिमिटेड कॉलोनी, थाना इस्टबसुरिया जिला धनबाद 2. विरेन्द्र मण्डल, उम्र 30 वर्ष, पे0 स्व0 सहदेव मण्डल सा0 चौधरी बॉध थाना सरिया जिला गिरिडीह हा0 मो0 इस्टबसुरिय सेक्टर 02 क्वार्टर सं0—27, दोनों थाना ईस्टबसुरिया जिला धनबाद 3. राजा हाडी, उम्र 57 वर्ष, पे0 स्व0 दुखी हाडी, सा0 मुरलीडीह बस्ती थाना मधुबन जिला धनबाद।	1. चोरी की गई मोटर साईकिल अभियुक्त के पास से बरामद की गई 2. प्रा0 अभि0 अजीत कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं0—290/17, दिनांक— 30.12.17 समर्पित किया गया है।	
78	बाघमारा थाना काण्ड सं0—79/17, दि0—14.12.17 धारा—354 भा0द0वि0 एवं 08 पोक्सो एक्ट। जी0आर0सं0— 5104/17 स्पे0पोक्सो सं0— 136/17 न्यायालय— ए0डी0जे0—01,	संतोष कुमार साव, उम्र 22 वर्ष पे0 सुरेन्द्र साव, सा0 लक्ष्मण टुण्डा, थाना निमियाघाट जिला गिरिडीह।	वादी कोमल कुमारी दिनांक 14.12.17 को दोपहर 12:00 बजे शौच गई थी, उसी समय प्राथमिकी अभियुक्त संतोष कुमार साव के द्वारा पिछे से पकड़कर मुँह	जेल में बंद।	कोमल कुमारी, उम्र करीब 15 वर्ष, पे0 राजेन्द्र भुईयों सा0 नदखुरकी थाना बाघमारा जिला धनबाद।	पु0अ0नि0 महेश्वर प्रसाद रंजन, मो0नं0 9546292075	1. पिड़िता कोमल कुमारी, उम्र 15 वर्ष, पिता राजेन्द्र भुईयों, सा0 नदखुरकी, 2. रीना देवी, उम्र 35 वर्ष पति राजेन्द्र भुईयों, 3. जीतन भुईयों, उम्र करीब 48 वर्ष पिता स्व0 स्व0 धनेश्वर भुईयों 4. कुन्ती देवी उम्र करीब 55 वर्ष पति सीताराम भुईयों, 5. लक्ष्मी देवी उम्र 50 वर्ष, पति सोनाराम भुईयों, सभी सा0 नदखुरकी थाना बाघमारा जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का उम्र संबंधित प्रमाण—पत्र 3. आरोप पत्र सं0—02/18, दिनांक—25.01.18 समर्पित किया गया है।	

	धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378		दबाकर झाड़ी में लेजाकर पटकने का कोशिश करने लगे। बचाव में शोर मचाने पर तीन चार लड़कियों के द्वारा पकड़ लिया गया।					
79	बाघमारा थाना काण्ड सं0-83/17, दि0-31.12.17 धारा-363 ए भा0द0वि0। जी0आर0सं0- 5343/17 स्पे0पोक्सो सं0- 37/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	राहुल कु0 गुप्ता, उम्र 21 वर्ष पे0 आनंद कुमार साव, सा0 जयरामडीह, थाना बाघमारा जिला धनबाद।	वादी अनिरुद्ध पाण्डेय की पुत्री पिड़िता खुशु कुमारी, दिनांक 30.12.17 को समय 04:00 बजे टियूशन पढ़ने निकली और प्राथमिकी अभियुक्त राहुल कुमार के पास गुजरात चली गई।	जेल में बंद।	अनिरुद्ध पाण्डेय उम्र 50 वर्ष, पे0 स्व0 श्यामसुन्दर पाण्डेय, सा0 जयरामडीह, थाना बाघमारा जिला धनबाद।	स0अ0नि0 रामेश्वर कुमार पासवान, मो0 नं0 9771970383	1. अनिरुद्ध पाण्डे, उम्र 50 वर्ष पे0 स्व0 श्यामसुन्दर पाण्डे, 2.रीता देवी, उम्र 40 वर्ष पति अनिरुद्ध पाण्डे, 3. पूनम देवी, उम्र 26 वर्ष पति संतोष पाण्डे, 4. टिया देवी उम्र 23 वर्ष, पति मुकेश कुमार पाण्डेय, सभी सा0 जयरामडीह, थाना बाघमारा जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच कराया गया है। 3. पीड़िता का उम्र संबंधित प्रमाण-पत्र 4. प्रा0 अभि0 राहुल कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-09/18, दिनांक-16. 03.18 समर्पित किया गया है।
80	बैंकमोड़ थाना कांड सं0-38/18, दिनांक-10.02.18 धारा-457/380 भा0द0वि0।	अज्ञात	घर में घुसकर समानों की चोरी करने का आरोप लगाया गया है।	दो जेल में एवं एक, जमानत पर।	वादी अमरेन्द्र सिंह, पे0-नारायण प्रसाद सिंह, सा0-न्यु मटकुरिया रेलवे कॉलोनी, खालसा हाई स्कूल के पास, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद ।	अनुसंधानकर्ता पुलिस निरीक्षक शमीम अहमद खान, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, बैंकमोड़ थाना, 2. अंचल अधिकारी, धनबाद	1. वादी अमरेन्द्र सिंह, पे0-नारायण प्रसाद सिंह, 2. कबिता सिंह, पति-आलोक कुमार सिंह, दोनों सा0-न्यु मटकुरिया रेलवे कॉलोनी, खालसा हाई स्कूल के पास, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद, 3. संतोष कुमार, पे0-स्व0 महेश्वरी प्रसाद, सा0-कोल बोर्ड कॉलोनी, कतरास रोड़ मटकुरिया, क्वार्टर नम्बर-बी 3/10, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद, 4. हीरा खान, पे0-सुभान खान, 5. गुलाम अंसारी, पे0-स्व0 शमसुद्दीन अंसारी, दोनों सा0-कमरमकदुमी रोड़ नीचे मुहल्ला, वासेपुर, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद,	1. जप्ती सूची के अनुसार, 2. अप्राथमिकी अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान, 3. जप्त/बरामद समानों का पहचान परेड़ कराया गया है, 4. अप्राथमिकी अभियुक्त मो0 अनवर, पे0-मो0 कासिम, सा0-कमरमकदुमी रोड़, वासेपुर, नीचे मुहल्ला न्यु मस्जिद के पास,, 2. शेरू खान, पे0-स्व0 मजरूलहक, सा0-पुरा कोठी, थाना-कलेर, जिला-अरवल (बिहार) वर्तमान पता तेतुलतल्ला रेलवे क्वार्टर एवं 3. सैयद एकवाल आलम उर्फ गुड़डू, पे0-झुनन आलम,

								सा0-नवी नगर वासेपुर, सभी थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-126/18, दिनांक-29.05.18, धारा-457/380/411 भा0द0वि0
81	बैंकमोड़ थाना कांड सं0-288/17, दिनांक-23.10.17, धारा-457/380 भा0द0वि0।	वाजिद कुरैसी, पे0-समीद कुरैसी, सा0-पुराना बाजार दरी मुहल्ला, मुर्गी पट्टी, कमल होटल के पास, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद।	दुकान-सह-आवास में घुसकर चोरी करना।	जमानत पर।	वादी राम भरोस साव, पे0-स्व0 अशर्फी साव, सा0-विरा छपरा, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर (बिहार), वर्तमान पता राजु साव, पुराना बाजार के गोदाम में भाड़ेदार, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद।	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 सुनिल कुमार सिंह, बैंकमोड़ थाना।	वादी 1. राम भरोस साव, पे0-स्व0 अशर्फी साव, सा0-विरा छपरा, थाना-शिवहर, जिला-शिवहर (बिहार), वर्तमान पता राजु साव, पुराना बाजार के गोदाम में भाड़ेदार, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद, 2. राजु साव, पे0-परमेश्वर साव, सा0-मनईटॉड़, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, वर्तमान पता पुराना बाजार, गांजा गली में दुकान, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद, 3. महावीर मालाकार, पे0-हरिहर मालाकार, सा0-गाँधीनगर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, वर्तमान पता पुराना बाजार रतनजी रोड़ में पूजा भंडार नामक दुकान, बैंकमोड़, 4. रवि कुमार साव, पे0-मोती साव, सा0-बरमसिया, चिलरेन्ड पार्क के सामने, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, 5. भरत प्रसाद, पे0-स्व0 यमुना प्रसाद, सा0-रतनजी रोड़, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद।	प्राथमिकी अभियुक्त वाजिद कुरैसी, पे0-समीद कुरैसी, सा0-पुराना बाजार दरी मुहल्ला, मुर्गी पट्टी, कमल होटल के पास, थाना-बैंकमोड़, जिला-धनबाद के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-395/17, दिनांक-14.12.17, धारा-457/380 भा0द0वि0 समर्पित।
82	हरिहरपुर थाना काण्ड सं0- 83/17 दि0-28.12.17 धारा-323/504/376/34 भा0द0वि0 एवं 3(x) अनु0जाति/ जन जाति अधि0। जी0आर0सं0-5302/17	अवधेश कुमार गुप्ता उम्र 29 वर्ष पे0 सुन्दर साव, सा0 पुरानी बजार कलाली मुहल्ला महावीर मंदिर के पास थाना हरिहरपुर जिला धनबाद।	प्राथमिकी अभियुक्त अवधेश कुमार गुप्ता द्वारा वादिनी आशा कुमारी को शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2012 से शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। वादिनी द्वारा	जेल में बंद।	वादिनी आशा कुमारी उम्र 26 वर्ष पे0 स्व0 दयाल राम, सा0 पुराना बजार, थाना गोमो हरिहरपुर जिला धनबाद।	परिष्क्यमान पु0 उपा0 महेश प्रजापति, मो0 नं0- 9430116928	1. अनिता देवी, उम्र 30 वर्ष पति नरेश राम, सा0 पुराना बजार, हरिजन टोला, 2. श्रीमति सुखवन्ती देवी, उम्र 30 वर्ष, पति मोतीलाल राम, 3. सुरेन्द्र कौर, उम्र 53 वर्ष पे0 सरदार इकबाल सिंह, 4. स्वामीनाथ उम्र 07 वर्ष, पे0 स्व0 एस0एन0 राम, दोनों सा0 कलाली रोड़ गोमो, 5. इशरत परवीन उम्र 40 वर्ष, पे0 स्व0 मो0 असगर अली,	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है। 3.. प्रा0 अभि0 अवधेश कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-02/18, दि0-31.01.18 समर्पित किया गया है।

	एस0टी0सं0-105/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0-टी0एन0उपाध्याय 9470129294		शादी करने के लिए बोले जाने पर अभियुक्त अवधेश कुमार द्वारा टालमटोल किया जाने लगा।				सा0 हाजी मुहल्ला गोमो, थाना हरिहरपुर जिला धनबाद 6. सुधीर कुमार उम्र 28 वर्ष पे0 स्व0 श्रवण पासवान, सा0 न्यू कॉलोनी सीक लाईन गोमो, थाना हरिहरपुर, जिला धनबाद।	
83	हरिहरपुर थाना काण्ड सं0-25/18, दि0-05.4.18, धारा-354/504/506 भा0द0वि0 एवं 08/12 पोक्सो एक्ट। जी0आर0सं0-1395/18 स्पे0पोक्सो सं0-38/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0-ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	पवन रविदास उम्र 20 वर्ष, पे0 कोईला रविदास, सा0 चैतारविदास टोला, थाना हरिहरपुर जिला धनबाद।	वादी मोहली रविदास के द्वारा दिनांक-30.03.18 को अभियुक्त पवन रविदास के द्वारा इनकी सोनिया कुमारी बुरी नियत से हाथ पकड़कर झाड़ी में ले जाने का प्रयास करने लगा। उसके चिल्लाने पर उनकी माँ सुन्दरी देवी जो साथ में शौच करने गई हुई थी। जो दौड़कर आई तो अभियुक्त वहाँ से भाग गया।	जेल में बंद।	वादी महावीर रविदास उम्र 40 वर्ष पे0 बुधन रविदास, सा0 चैता रविदास टोला, थाना हरिहरपुर जिला धनबाद।	स0अ0नि0 सुदामा राम, मो0 नं0-9431749430	1. महावीर रविदास उम्र 40 वर्ष पे0 बुधन रविदास, 2. सुन्दरी देवी उम्र 35 वर्ष पति महावीर रविदास, 3. सोनिया देवी, उम्र 17 वर्ष पे0 महावीर रविदास, 4. मुनिया देवी, उम्र 30 वर्ष, पति योगेश रविदास, 5. झुमरी देवी, उम्र 40 वर्ष पति सीताराम रविदास, सभी सा0 चैता रविदास टोला थाना हरिहरपुर जिला धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का उम्र प्रमाण पत्र 3.. प्रा0 अभि0 पवन रविदास के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-20/18, दि0-24.04.18 समर्पित किया गया है।
84	हरिहरपुर थाना काण्ड सं0-23/18 दि0-30.03.18 धारा-323/341/353/506/42 7/34 भादवि जी0आर0सं0-1218/18 न्यायालय- मिस संगीता, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0-मिस सोनी कुमारी	प्रा0अभि0 मोटरसाईकिल नं0-जे0एच0 10 बी.ए.-7783 के चालक दिविश्वर हेम्ब्रम उम्र करीब 40 वर्ष, पिता-विश्टु हेम्ब्रम एवं अप्र0अभि0 लुकीन सोरेन, पे0-स्व0 दिकु सोरेन दोनों सा0-लक्ष्मीपुर, थाना-हरिहरपुर, जिला-धनबाद	प्रा0अभियुक्तों द्वारा वादी धीरज कुमार भारद्वाज, रेलवे फाटक गेट नं0 10ए/ई, के0एम0 303/09-11 के गेट मैन के साथ दि0- 29.03.18 को समय करीब 20:01 बजे वादी के डियूटी के समय जबरन	जेल में।	धीरज कुमार भारद्वाज उम्र करीब 32 वर्ष, पे0-श्रीकान्त प्रसाद आजाद, सा0- रेलवे फाटक गेट नं0 10ए/ई, के0एम0 303/09-11, थाना-हरिहरपुर, जिला-धनबाद	स0अ0नि0 मिनहाज अहमद मो0नं0-7004943554 पे0-कपिल पासवान, सा0-	1. जगेश्वर ठाकुर, उम्र करीब 45 वर्ष, पे0-स्व0 बनवारी ठाकुर, सा0- संधालडीह, थाना-हरिहरपुर, जिला-धनबाद 2. योगेन्द्र पासवान (ट्रेकमैन) उम्र 22 वर्ष, 3. परमानन्द मिश्रा, उम्र 26 वर्ष, पे0-श्याम कु0 मिश्रा, दोनों सा0-पारसनाथ पी0डब्ल्यू0आई0 कार्यालय, जिला-गिरिडीह।	अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-21/18 दिनांक-30.04.18 समर्पित किया गया है।

	9570638187		रेलवे फाटक को खोलने तथा वादी के साथ मारपीट करने का आरोप है।					
85	सुदामडीह थाना कांड सं०-06/2016, दिनांक-22.03.2016 धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट जी०आर०सं०-1204/16 न्यायालय-श्रुति सोरेन धनबाद। ए०पी०पी०-मिस अरुनिमा बबिता मिंज 8579841331	(01) राकेश कुमार मंडल उम्र 33 वर्ष (02) संजय कुमार मंडल उम्र 39 वर्ष दोनों पिता भोला प्रसाद मंडल सा०-रीभर साईड सुदामडीह क्वार्टर नम्बर एम 360/एम 364 थाना-सुदामडीह, जिला-धनबाद	दिनांक-23.03.2016 की रात्री गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्तों के रीभर साईड सुदामडीह क्वार्टर नम्बर एम 360/एम 364 से अवैध आर्म्स एवं गोली तथा मोबाईल फोन एवं सिम बरामद किया गया है।	जेल में	पु०अ० नि० उमेश कुमार तत्कालीन थाना प्रभारी, सुदामडीह थाना।	(01) पु०अ०नि० उमेश कुमार तत्कालीन थाना प्रभारी, सुदामडीह थाना (वादी) (02) हवलदार गंगा राम, तत्कालीन सुदामडीह थाना रिजर्व गार्ड (03) आरक्षी 1101 पतरस टोप्पो, तत्कालीन सुदामडीह थाना रिजर्व गार्ड (04) आरक्षी 2083 हरिश हाईबुरु, तत्कालीन सुदामडीह थाना रिजर्व गार्ड (05) पु०अ०नि० संदीप बाघवार वर्तमान थाना प्रभारी, तिसरा थाना (06) पु०अ०नि० गजेन्द्र पाण्डेय, वर्तमान थाना प्रभारी, बरोरा थाना (07) श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र धनबाद (08) स०अ०नि० गंगा उराँव (अनुसंधानकर्ता),	(01) रामदीप सिंह पिता स्व० राम प्रसाद सिंह सा०-क्वार्टर नम्बर एम/364 (02) भिखारी राणा पिता बहादुर राणा, क्वार्टर नम्बर एम/51 दोनों थाना सुदामडीह, जिला-धनबाद।	(01) देशी पिस्तौल -02 (02) गोली-7.65 का जिन्दा गोली-12 (03) मोबाईल फोन-08 सिम सहित (04) सिम 04, (05) हथियार साफ करने वाला चिन्दी 06. जप्त अग्नेयाशस्त्रों की जाँच परिचारी प्रवर द्वारा कराया गया है। 07. अभियोजन स्वीकृतिदेश प्राप्त है। 08. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-13/16, दिनांक- 30.04.16
86	सुदामडीह थाना कांड सं०- 34/2016,	(01) शुभम यादव उम्र 20 वर्ष पिता नेपाली यादव सा०- भौरा	दिनांक-05.08.2016 को समय	जेल में	पु०अ०नि० निलेश कुमार	(01)पु०अ०नि० निलेश कुमार उम्र 52 वर्ष	(01) विमलेश कुमार पाण्डेय पिता नागेन्द्र पाण्डेय	(01)एक देशी कट्टा, जिसके चेम्बर में .315 बोर

	दिनांक-05.08.2016 धारा- 25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0सं0- 3113/16 एस0टी0सं0- 06/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-11, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	13 नम्बर, थाना- सुदामडीह, जिला-धनबाद	06:50 गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त शुभम यादव के घर पर छापामारी किया गया तो उसके घर से आर्म्स एवं गोली बरामद किया गया है।		उम्र 52 वर्ष पिता श्री गोपाल चन्द्र कुमार (घटना के समय ओ0पी0 प्रभारी भौरा के पद पर), थाना-जोड़ापो खर, जिला-धनबाद	पिता श्री गोपाल चन्द्र कुमार (घटना के समय ओ0पी0 प्रभारी भौरा के पद पर), थाना-जोड़ापोखर, जिला-धनबाद (02) पु0नि0 शमीम अहमद खॉ उम्र 54 वर्ष पु0नि0 निरसा अंचल (03) पु0अ0नि0 दिनेश कुमार, थाना प्रभारी, चिरकुण्डा, (04) आरक्षी 2050 कृष्णा यादव, अंगरक्षक पुलिस निरीक्षक, निरसा अंचल (05) श्री रविन्द्र कुमार, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र धनबाद (06) स0अ0नि0 आनन्द मसीह हेरेन्ज (अनुसंधानकर्ता)	(02) नरेश कुमार पिता रामबली यादव दोनो सा0-भौरा 13 नम्बर, थाना- सुदामडीह, जिला-धनबाद	का एक गोली लोड (02) एक देशी पिस्तौल, जिमसके मैगजीन में 02गोली लोड (03) एक देशी पिस्तौल जिसके मैगजीन में 04 गोली लोड (04) 9 एमएम की जिन्दा गोली 06 (05) .315 बोर का जिन्दा गोली -02 (06) 7.55 बोर का जिन्दा गोली 02 अदद (07) 9 एमएम का खाली मैगजीन -01 08. जप्त अग्नेयाशस्त्रों की जॉच परिचारी प्रवर द्वारा कराया जा चुका है। 09. अभियोजन स्वीकृतिदेश प्राप्त है। 10. आरोप पत्र सं0- 49/16, दिनांक- 22.09. 16
87	झरिया थाना कांड सं0 - 71/2017 दिनांक - 04.04. 2017 धारा - 307 भा0 द0 वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/27 एक्ट। GR - 1308/2017 न्यायालय- अर्पित श्रीवास्तव, जे0एम0, धनबाद। ए0पी0पी0- पावल कोनगारी, 9470381997	(01) राजू सिंह उर्फ राजू रवानी पिता स्व0 लाल सिंह उर्फ लाला रवानी सा0 - गाँधी रोड सरस्वती नगर, थाना - झरिया, जिला - धनबाद	दिनांक-04.04. 2017 को 17:30 बजे वादी श्री सत्यनारायण मोदी के उपर जान मारने की नियत से गोली चलाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	दिनांक-10. 04.2017 को न्यायालय में आत्म समर्पण किए है।	वादी श्री सत्यनारायण मोदी पिता स्व0 राम जीवन मोदी, सा0- गाँधी रोड झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद	(01) स0अ0नि0 लक्ष्मी नारायण महतो (अनुसंधानकर्ता), झरिया थाना, मोबाईल नम्बर 9431952841 (02) श्री श्याम बिहारी सिंह, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र बोकारों, मोबाईल नम्बर 9431707477	(01) श्री सत्यनारायण मोदी पिता स्व0 राम जीवन मोदी, सा0- गाँधी रोड झरिया, थाना-झरिया, जिला-धनबाद (वादी) 9470194052 (02) श्री मनोज कुमार केशरी उम्र 38 वर्ष पिता बासुदेव प्रसाद केशरी सा0- कोईरीबाँध, थाना-झरिया, जिला-धनबाद 9835746005 (03) अमित अग्रवाल उम्र 23 वर्ष पिता अशोक अग्रवाल सा0-नीचे राजबाड़ी, थाना-झरिया, जिला-धनबाद 7277883312	(01) देशी पिस्तौल - 01 (02) फायर किया हुआ गोली का अग्रभाग MR No - 12/2017 सनहा सं0-26/2017 दिनांक-04.04.2017 03. बरामद अग्नेयाशास्त्र एवं गोली की जॉच परिचारी प्रवर से कराया गया है। 04. अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त 05. आरोप पत्र सं0- 126/17, दिनांक- 31.05. 17 समर्पित

88	<p>झरिया थाना कांड सं० - 175/2017 दिनांक-03.08.2017 धारा - 25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट GR - 2893/2017 न्यायालय- अर्पित श्रीवास्तव, जे०एम०, धनबाद। ए०पी०पी०- पावल कोनगारी, 9470381997</p>	<p>प्रा० अभि० (01) मो० सन्नी उम्र 24 वर्ष पिता स्व० मो० हाफीज सा०-नूरी मस्जिद इमामबाड़ा के सामने, थाना+जिला-औरंगाबाद (बिहार) वर्तमान सा०-इन्द्रानगर धसका पट्टी, थाना-झरिया, जिला-धनबाद</p>	<p>दिनांक-03.08.2017 को समय 19:00 बजे गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त सन्नी के बेड के तक्रिया के नीचे रखा हुआ लोडेड देशी पिस्तौल तथा अभियुक्त सन्नी के पहने हुए लूजर हाफ पैन्ट के दाहिने पॉकेट से 01 जिन्दा गोली (कूल दो जिन्दा गोली) रखने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में	<p>स०अ०नि० लक्ष्मी नारायण महतो उम्र 45 वर्ष पिता श्री रामलखन महतो वर्तमान स०अ०नि० के पद पर झरिया थाना, जिला-धनबाद</p>	<p>(01)स०अ०नि० लक्ष्मी नारायण महतो उम्र 45 वर्ष झरिया थाना 9431952841 (02) हवलदार डोनियल उराँव, तत्कालीन झरिया थाना रिजर्व गार्ड 9973703853 (03) आरक्षी 1058 बाबूलाल मरांडी, तत्कालीन झरिया थाना रिजर्व गार्ड 8789614080 (04) आरक्षी 1125 अजय कुमार यादव, तत्कालीन झरिया थाना रिजर्व गार्ड 8210533161 (05) आरक्षी 1351 रविन्द्र पासवान, तत्कालीन झरिया थाना रिजर्व गार्ड 9693366471 (06) श्री आलोक हेम्रम, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र धनबाद 9470991755 (07) स०अ०नि० सत्येन्द्र नाथ चौबे (अनुसंधानकर्ता), झरिया थाना 7763090100</p>	<p>(01) प्रसिद्ध सिन्हा उम्र 38 वर्ष पिता स्व० अर्जुन प्रसाद सिन्हा सा०-चौथाई कुल्ही झरिया, 7050923992 (02) मो० मुस्तकीम आलम पिता स्व० मो० जलील सा०-शमशेर नगर झरिया दोनो थाना-झरिया, जिला-धनबाद।</p>	<p>(01) देशी पिस्तौल - 01 (02) गोली - 02 MR No - 23/2017 सनहा सं०-32/2017 दिनांक-03.08.2017 03. बरामद अग्नेयाशास्त्र एवं गोली की जाँच परिचारी प्रवर से कराया गया है। 04. अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त 05. आरोप पत्र सं०- 234/17, दिनांक- 30.09.17 समर्पित</p>	
89	<p>जोड़ापोखर थाना कांड सं०-433/2015 दिनांक-25.12.2015 धारा-399/402 भा०द०वि०, 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट</p>	<p>प्रा० अभि० - (01) रवि कुमार उम्र 25 वर्ष पिता ओमप्रकाश आजाद सा० - नयाटोला मायापुर मोहल्ला, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना (02) ऐनूल अंसारी उम्र 40 वर्ष पे० स्व० सत्तार मियोँ सा० - रमजानपुर (छबीनगर) (03) शंकर</p>	<p>दिनांक-24/25.12.2015 की रात्री पुलिस गश्त दल द्वारा गश्ती के क्रम में संदिग्ध अवस्था में अभियुक्त राजा यादव एवं अर्जुन</p>	जेल में	<p>वादी सुदामा प्रसाद स० अ० नि० जोड़ापोखर थाना, जिला - धनबाद</p>	<p>(01) वादी सुदामा प्रसाद स० अ० नि० जोड़ापोखर थाना, जिला - धनबाद 9431991407 (02) हव० कुमार शंभू शरण, जोड़ापोखर थाना</p>		<p>(01) भुजाली-01 (02) देशी पिस्तौल -02, (03) जिन्दा गोली-01 (04) तलवार - 01, सनहा सं०-04/2015 दिनांक-25.12.2015 05. बरामद अग्नेयाशास्त्र एवं गोली की जाँच</p>	

	एस0टी0सं0-197/16 न्यायालय- ए0डी0जे0-04, धनबाद। ए0पी0पी0- अनिल कुमार सिंह-01	वर्मा उर्फ शंकर सोनार उम्र 30 वर्ष पिता भरत वर्मा सा0 - भागा निचे कुल्ही, दोनो थाना - जोड़ापोखर जिला - धनबाद (04) बंटी विश्वकर्मा उम्र 25 वर्ष पिता स्व0 भीम विश्वकर्मा (05) अर्जून कुमार हाजरा उम्र 22 वर्ष पिता जयचन्द हाजरा दोनो सा0 - 16 नम्बर भौरा, थाना - भौरा ओ0 पी0, (06) राजा यादव उम्र 22 वर्ष पिता विनोद यादव सा0 - 06 नम्बर भौरा, थाना - भौरा ओ0 पी0, जिला - धनबाद	कुमार हाजरा को पकड़ा गया, जिसमें अर्जून कुमार हाजरा के पास से एक भुजाली पाया गया तथा दोनो अभियुक्तों द्वारा डकैती के योजना एवं रेकी करने की बात बताया गया। अभियुक्तों के निशानदेही से अन्य अभियुक्तों को भागा नीचे कुल्ही स्थित रेलवे क्वार्टर सं0-09 से पकड़ा गया है।			8863964394 (03) आरक्षी 304 अनिल तिग्गा, तत्कालीन जोड़ापोखर थाना रिजर्व गार्ड 9798132631 (04) आरक्षी-39 जलेन्द्र भुईहर, तत्कालीन जोड़ापोखर थाना रिजर्व गार्ड 9123220148 (05) आरक्षी 2104 राजेश रजवार, तत्कालीन जोड़ापोखर थाना रिजर्व गार्ड। (06) गृह रक्षक चालक 1918 शंकर गोप जोड़ापोखर थाना 7677293492 (07) श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र धनबाद, 8409624504 (08) पु0अ0नि0 प्रदीप सवैईया (अनुसंधानकर्ता) 7542927454	परिचारी प्रवर से कराया गया है। 06. अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त 07. सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-20/16, दिनांक- 18.02.16 समर्पित किया गया है।		
90	जोड़ापोखर थाना कांड सं0-436/2015 दिनांक-30.12.2015 धारा-307/34 भा0द0वि0, 25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट GR-6314/2015 एस0टी0सं0- 12/17	(01) आजम खान उम्र 21 वर्ष पिता असलम मोहम्मद खान सा0-बनियाहीर न्यू कॉलोनी झरिया, थाना-झरिया (02) मोनू सिंह सा0-हाड़ी पट्टी लोदना (असत्यापित) (03) सागर अंसारी उम्र 22 वर्ष पिता तरस्लीम अंसारी सा0- डिगवाडीह, मॉझी वस्ती, थाना-जोड़ापोखर (04) आफताब अंसारी उम्र 34 (जो नाम	दिनांक-30.12.2015 के दिन में 07:15 बजे वादी मो0 समशुदीन के घर पर आकर उन्हे घर से बाहर बुलाकर जान मारने की नियत से गोली चलाने के आरोप में दर्ज	जेल में	मो0 समशुदीन उम्र 42 वर्ष पिता स्व0 रफीक सा0-डिगवाडी ह नम्बर 10 पुरानी बस्ती, थाना-जोड़ापोखर, जिला-धनबाद	(01) श्री रविन्द्र सिंह, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र धनबाद 8409624504 (02) डॉ0 प्रतिमा दत्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र चासनाला (03) पु0अ0नि0 प्रदीप सवैईया,	01) मो0 समशुदीनी उम्र 42 वर्ष पिता स्व0 रफीक (वादी) 9771670164 (02) मो0 सहाबुदीन अंसारी पिता मो0 कासीम 7209317166 (03) असमा खातून पति शहाबुदीन 7209317166 (04) सोनू पिता स्व0 मो0 फखरुदीन मोबाईल नम्बर 8102908557	(01) 9 एमएम का पिस्टल - 01 (02) 9 एमएम का जिन्दा गोली - 02 (03) 09 एमएम का खोखा (04) होण्डा साईन सनहा सं0-11/2015 दिनांक-30.12.2015 05. बरामद अग्नेयाशास्त्र एवं गोली की जॉच परिचारी प्रवर से कराया	

	न्यायालय— पी0डी0जे0—, धनबाद । ए0पी0पी0— टी0एन0उपाध्याय 9470129294	बदलकर पार्शद का चुनाव जीता है) पिता युसुफ अंसारी सा0— इस्लामपुर बस्ती डिगवाडीह, 10 नम्बर, थाना—जोड़ापोखर सभी जिला—धनबाद अप्राथमिकी अभियुक्त (05)नबाब खान पिता अब्दुला खान सा0—लोदना मोड़ भागा 4 नम्बर थाना—जोड़ापोखर सभी जिला—धनबाद	कराया गया है ।			(अनुसंधानकर्ता), 7542927454	(05) मो0 अनवर अंसारी पिता असरफ अंसारी मोबाईल नम्बर 8271909749 (06) शकीला खातून पति मो0 समशुदीन 7779998098 (07) गुरमीत सिंह उर्फ गोल्डी पिता स्व0 हरभजन सिंह 7631154995 (चारो जप्ती सूची के साक्षी) (08) मो0 इदरीश पिता युसुफ हाजी (09) प्रमोद कुमार उम्र 45 वर्ष पिता देवनन्दन सभी सा0—डिगवाडीह नम्बर 10 पुरानी बस्ती, थाना—जोड़ापोखर, जिला—धनबाद (10) प्रमोद कुमार उम्र 45 वर्ष पिता देवनन्दन (11) विरजू सिंह पिता कशमीरा सिंह सा0—भाग 5 नम्बर, थाना—झरिया जिला —धनबाद । (12) मो0 शफीक पिता बाबूलाल सा0—फुसबंगला, पो0—भाग, थाना— जोड़ापोखर, जिला—धनबाद मोबाईल नम्बर 9386367890 (13) फैयाज अंसारी पिता स्व0 जमालुदीन सा0—लोदना मोड़ रसूल बाग, थाना—झरिया, जिला—धनबाद मोबाईल नम्बर 9386685440 (दोनो जप्ती सूची के साक्षी) ।	गया है । 06. अभियोजन स्वीकृतादेश प्राप्त 07. अभियुक्त 1. आजम खान एवं 2. सागर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र सं0— 54 / 16, दिनांक— 26.03. 16 एवं 3. नबाब खान के विरुद्ध आरोप पत्र सं0—104 / 16, दिनांक— 31.03.16 (मोनू सिंह असत्यापित)	
91	तिसरा (अलखडीहा ओ0पी0) थाना कांड सं0—27 / 2016 दिनांक—28.05.2016 धारा—354 / 509 / 34 भा0द0वि0, 3(1)(x)अनुसूचित जाति जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम । जी0आर0सं0— 2110 / 16	(01) बादल कुम्भकार उम्र 19 वर्ष पिता स्व0 जयदेव कुम्भकार सा0—सुरुंगा खड़ाम, थाना—तिसरा, ओ0पी0 अलखडीहा जिला—धनबाद एवं 3—4 अज्ञात ।	दिनांक—23.05. 2016 के संध्या 18:30 बजे सुरुंगा शिव मंदिर के पास लगे चड़क पूजा मेला में वादिनी श्रीमति रूमा देवी की लड़की पूनम कुमारी के साथ छेड़खानी करने एवं विरोध करने	जेल में	श्रीमति रूमा देवी उम्र 38 वर्ष पति रमाशंकर रजक सा0— सुरुंगा, थाना—तिसरा, ओ0पी0अलखड ीहा, जिला—धनबाद ।	(01) स0अ0नि0 रूप सिंह मुण्डरी, अलखडीहा ओ0पी0	(01) श्रीमति रूमा देवी पति रमाशंकर रजक (वादिनी) (02) सुश्री पूनम कुमारी उम्र 17 वर्ष पिता रमाशंकर रजक (पिड़िता) (03) श्री प्रेम बाउरी उम्र 24 पिता निरंजन बाउरी तीनों सा0—सुरुंगा (04) श्री मनपूरण कुम्भकार उम्र 30 वर्ष पिता गोपाल कुम्भकार सा0—सुरुंगा खड़ाम (05) श्री अर्जून रजक उम्र 27 वर्ष पिता साधु रजक सा0—सुरुंगा	1. इस काण्ड में चश्मदीद गवाह है । 2. आरोप पत्र सं0—36 / 16, दिनांक— 30.07.16 समर्पित ।	

	एस0टी0सं0- न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- टी0एन0उपाध्याय 9470129294		पर जाति का नाम लेकर गाली गलौज करने तथा धक्का मार कर गिरा देने के आरोप में दर्ज कराया गया है।				कुम्हार टोला (06) श्री मुकेश कुमार उम्र 26 वर्ष पिता दुर्गाचरण महतो सा0-परसबनिया सभी थाना-तिसरा, ओ0पी0 अलखडीहा, जिला-धनबाद।	
92	बलियापुर थाना कांड सं0-18/2016 दिनांक-06.03.2016 धारा-376 भा0द0वि0, GR-937/2016 एस0टी0सं0-175/18 न्यायालय- ए0डी0जे0-07, धनबाद। ए0पी0पी0- टी0एन0उपाध्याय 9470129294	(01) बबलू रजवार उम्र 23 वर्ष पिता गंजू रजवार सा0-रतनपुर सहार जोड़ी, थाना चन्दनकियारी, जिला-धनबाद।	शादी का प्रलोभन देकर वर्ष 2013 से यौनशोषण करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जेल में	सुश्री रेखा कुमारी उम्र 19 वर्ष पिता बिनोद रजवार सा0-दुधिया रजवार टोला, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद।	(01) डॉ0 संध्या, चिकित्सा पदाधिकारी, पीएमसीएच धनबाद। (02) स0अ0नि0 बच्चू प्रसाद सिंह (अनुसंधानकर्ता) (03) स0अ0नि0 निलम संजीव कुजूर (अनुसंधानकर्ता) 9431907032	(01) सुश्री रेखा कुमारी उम्र 19 वर्ष पिता बिनोद रजवार (वादिनी) (02) श्री विनोद रजवार पिता अम्बू रजवार (03) श्री प्राण रजवार पिता लालू रजवार (04) श्री सुभाष रजवार पिता अम्बू रजवार (05) श्रीमति मैनी देवी पति सुभाष रजवार सभी सा0-दुधिया रजवार टोला, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं0-58/16, दिनांक- 03.06.16 समर्पित
93	सुदामडीह थाना कांड सं0-40/2017 दिनांक-16.08.2017 धारा-341/323/324/307/354/376(डी)/120(बी)/34 भा0द0बी0 एवं 4/5(छ)/8/9(छ)/10/12 पोक्सो एक्ट तथा 3(1)(11) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम। जी0आर0सं0-3040/17 स्पे0पोक्सो सं0- न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद।	1.रोशन कुमार पिता-सुरेन्द्र साव 2.मो0 साहेब, पिता-कैसर अंसारी दोनो सा0-रिभर साईड दोनो लाईन के बीच थाना-सुदामडीह 3.मो0 शाहिद अहमद उम्र-35 वर्ष पिता-अजीज अहमद सा0-साउथ कॉलोनी चासनाला थाना-पाथरडीह जिला-धनबाद।	दिनांक-15.08.2017 के झंडोतोलन के बाद अभियुक्तों द्वारा बहला फुसलाकर वादिनी सुश्री बबली कुमारी के साथ सामुहीक बलात्कार करना एवं जान मारने के नीयत से मारपीट कर जख्मी करना।	जेल में	वादिनी सुश्री बबली कुमारी उम्र-14 वर्ष पिता- श्री सोनू रजक सा0-रिभर साईड दोनों लाईन के बीच थाना- सुदामडीह जिला- धनबाद।	1.स0अ0नि0 सच्चिदानन्द पासवान थाना थाना-सुदामडीह थाना। (घटना तिथी के समय) 2.डा0 श्री मनोरंजन नाथ सिन्हां पी0एम0सी0एच0 धनबाद।(जख्म जांच रिपोर्ट) 3.डा0 श्रीमति सीमा साहू पी0एम0सी0एच0 धनबाद। (मेडिकल रिपोर्ट)	1.सुश्री बबली कुमारी उम्र-14 वर्ष पे0-श्री सोनु रजक, (वादिनी) 2.साक्षी उपेन्द्र कुमार मुकुल उम्र-35 वर्ष पिता-स्व0 जगधारी हरीजन 3.साक्षी ललन मिश्रा उम्र-50 वर्ष पिता-स्व0 बास्की नाथ मिश्रा 4.साक्षी रिता देवी उम्र-30 वर्ष पति-सुधीर प्रसाद 5.साक्षी लभली कुमारी उम्र-12 वर्ष पिता-सुधीर प्रसाद 6.साक्षी ममता देवी उम्र-26 वर्ष पति-संजीव प्रसाद 7.साक्षी मिला देवी उम्र-50 वर्ष पति-स्व0 धनराज रजक 8.साक्षी सोनु रजक उम्र-32 वर्ष पिता- स्व0 धनराज रजक सभी सा0-रिभर साईड दोनो लाईन के बीच थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद।	1.घटना स्थल से (01) वीयर का खाली बोतल 2.सिगरेट का खाली डब्बा 01 03.माचिस का खाली डब्बा 01 4.दाहिने पैर का चप्पल पुराना 01 5.अभियुक्त मो0 शाहिद अंसारी द्वारा उपयोग किया गया मोटरसाईकिल हिरोहोण्डा स्पलेण्डर प्लस JH 120 E 4915 जप्त किया गया है। 6. जख्मी का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है। 7. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच रिपोर्ट प्राप्त है। 8. धारा 164 द0प्र0सं0 से पीड़िता का ब्यान लिया

	ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378							गया। 9. आरोप पत्र सं0- 65/17, दिनांक- 30.10. 17	
94	सुदामडीह थाना कांड सं0- 33/2016 दिनांक- 04.08.2016 धारा- 376 भा0द0वि0 एवं 4पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0- 3054/16 स्पे0पोक्सो सं0- 70/16 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	शिव शंकर चौहान उर्फ टोला- उम्र- 20 वर्ष पिता- यमुना चौहान, सा0- नोनियाँ पट्टी, थाना- सुदामडीह, जिला- धनबाद।	अभियुक्त द्वारा शादी का प्रलोभन देकर जबरजस्ती बलात्कार करना ।	दिनांक- 04. 08.2016 को प्राथमिकी अभियुक्त को जेल भेजा गया है।	वादी रामाधार पासवान उम्र- 45 वर्ष पिता स्व0 ववुनी पासवान, सा0- हशनपुर, थाना- बाके बाजार, जिला -गया (बिहार) हा0 मो0- पुराना इंकलाईन क्वार्टर नं0- एम0-6, थाना- सुदामडीह, जिला- धनबाद।	(01) पु0अ0नि0 उमेश प्रसाद थाना सुदामडीह थाना। (02)डा0 उर्मिला सिंह पी0एम0 सी0 एच0 धनबाद चिकित्सा पदा0	(01) वादी- रामाधार पासवान पे0 स्व0 ववुनी पासवान (02) साक्षी- राजकुमारी देवी पति- रामाधार पासवान (03)साक्षी- प्रिती कुमारी पिता रामाधार पासवान (04)साक्षी- प्रियंका कुमारी (पीड़िता)पिता रामाधार पासवान सभी सा0- हशनपुर, पुराना ईकलाइन क्वार्टर नं0- एम0-6, थाना- सुदामडीह, जिला- धनबाद । (05)जलन्धर नोनियाँ, पिता स्व0 बनवारी नोनियाँ, (06)संजय नोनियाँ पिता नन्दलाल नोनियाँ दोनो सा0- नोनियाँ पट्टी, थाना- सुदामचडीह, जिला- धनबाद।	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच रिपोर्ट प्राप्त है। 3. आरोप पत्र सं0- 51/16, दिनांक- 22.09. 16 समर्पित।	
95	बलियापुर थाना कांड सं0- 42/2016 दिनांक- 24.04.2016 धारा- 377/34 भा0द0वि0 एवं 04पोक्सो एक्ट जी0आर0सं0- 1647/16 स्पे0पोक्सो सं0- 32/16 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद। ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	(01)राधेश्याम रजवार उम्र- 45 वर्ष पिता- जीवन रजवार, (02)नारो रजवार, उम्र- 30 वर्ष पिता- स्व0 डेबु रजवार, दोनो-सा0- चालधोवा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद।	नाबालिग लड़का के साथ अप्राकृ तिक यौनाचार करना	दिनांक -20. 10.2016 को प्राथमिकी अभियुक्त राधेश्याम रजवार पिता जिवन रजवार को एवं दिनांक- 24. 11.2016 को नारो रजवार, उम्र- 30 वर्ष पिता- स्व0 डेबु रजवार को जेल भेजा गया है।	वादिनी रीना देवी उम्र- 40 वर्ष पति राधेश्याम रजवार, ग्राम- चालधोवा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद।	(01) पु0अ0नि0 पियूष भेंगरा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद। (घटना तिथि के समय) (02)पु0अ0नि0 जुगू पुर्ती थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद। (घटना तिथि के समय) (03)डा0 आर0 हेम्ब्रम पी0एम0सी0एच0 धनबाद।	(01) वादिनी- रीना देवी उम्र- 40 वर्ष पति- राधेश्याम रजवार, (02) साक्षी-पुतुल देवी, उम्र- 58वर्ष पति चण्डी रजवार (03)साक्षी- पुतुना देवी उम्र- 20 वर्ष पति निमाई रजवार (04)पीड़ित-गौतम रजवार उम्र-12 वर्ष पिता- राधेश्याम रजवार (05)साक्षी-चण्डी रजवार उम्र- 65 वर्ष पिता- स्व0 गोउर रजवार (06)साक्षी-निमई रजवार उम्र- 26 वर्ष पिता- चण्डी रजवार सभी सा0- चालधोवा, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद।	1. पीड़ित का धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत ब्यान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़ित का चिकित्सीय जॉच रिपोर्ट प्राप्त है। 3. आरोप पत्र सं0- 104/16, दिनांक- 30.11. 16 समर्पित।	
96	बलियापुर थाना कांड सं0- 45/2016	कैलाश महतो उम्र- 28 वर्ष पे0- नारायण महतो सा0- पहाड़पुर	नाबालिग लड़की को अकेली पाकर	दिनांक - 07. 05.2016 को	वादिनी अफसाना	(01) स0अ0नि0 नीलकमल लकड़ा,	(01) वादिनी- पुनम कुमारी उम्र- 15 वर्ष पिता- राम दयाल महतो	1. पीड़िता का धारा 164 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत ब्यान	

	दिनांक- 06.05.2016 धारा- 341 / 323 / 325 / 37 6 / 511 / 506 भा0द0वि0 एवं 8 पोक्सो एक्ट 2012 जी0 आर0 नं0- 1828 / 2016 स्पे0पोक्सो सं0- 35 / 16 न्यायालय- ए0डी0जे0-01, धनबाद । ए0पी0पी0- ओम प्रकाश तिवारी 8092387378	उपर टोला, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद ।	जबरजस्ती बलात्का करने का प्रयास करने एवं विरोध करने पर मार-पीट कर गंभिर रूप से जख्मी करने एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना ।	प्राथमिकी अभियुक्त को जेल भेजा गया है ।	खातुन पति इस्फाक साह, सा0- शमशेर नगर नियर आजाद स्कूल झरिया, थाना- झरिया, जिला- धनबाद ।	थाना- बलियापुर , जिला- धनबाद । (घटना तिथि के समय) (02)स0अ0नि0 छोटे लाल सिंह थाना- बलियापुर , जिला- धनबाद । (घटना तिथि के समय) (03)डाक्टर उर्मिला सिंह स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग, पी0एम0सी0एच0 धनबाद ।	(02) साक्षी- कमला देवी उम्र- 40 वर्ष पति राम दयाल महतो (03)साक्षी- नरेश कु0 महतो, उम्र- 18 वर्ष पिता राम दयाल महतो (04)साक्षी- रामेश्वर महतो उम्र- 65 वर्ष पिता- स्व0 नकुल महतों सभी सा0- पहाड़पुर, शिव मंदिर टोला, (05)साक्षी-हरिचरण महतो उम्र- 28 वर्ष पिता- नारायण महतो सा0- पहाड़पुर, निचे टोला, सभी थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद ।	दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जॉच कराया गया है। 3. आरोप पत्र सं0- 69 / 16, दिनांक- 20.07. 16 समर्पित ।	
97	बलियापुर थाना काण्ड संख्या- 20 / 16 दि0 08.03. 16 धारा 341 / 323 / 324 / 307 / 504 / 34 भा0द0वि0 । जी0आर0 सं0-959 / 16 एस0टी0सं0- 228 / 17 न्यायालय- ए0डी0जे0-08, धनबाद । ए0पी0पी0- अनिल कुमार सिंह-01, 8863999249	1.हारु रवानी उम्र-52 वर्ष पे0-स्व0 छोटु रवानी, 2.संजय रवानी उर्फ उमेश रवानी उम्र-32 वर्ष 3.रजेश रवानी उम्र-30 4. रंजित रवानी उम्र-26 वर्ष 5. मिलन कुमार रवानी उम्र-23 वर्ष, चारों पे0-हारु रवानी 6. झुमली देवी उम्र-48 वर्ष पति-हारु रवानी सभी सा0-करमाटांड, थाना-बलियापुर जिला धनबाद ।	वादी को जान से मारने के नियत से कुल्हाड़ी से मार कर जख्मी करने के आरोप में दर्ज है ।	1.हारु रवानी उम्र-52 वर्ष पे0-स्व0 छोटु रवानी, 2. संजय रवानी उर्फ उमेश रवानी उम्र-32 वर्ष 3.रजेश रवानी उम्र-30 4. रंजित रवानी उम्र-26 वर्ष 5. मिलन कुमार रवानी उम्र-23 वर्ष, चारों पे0-हारु रवानी सभी सा0-करमाटां ड, थाना- बलियापुर जिला धनबाद को दिनांक-08. 03.16 को	सोहन रवानी उम्र-65 वर्ष पे0- पे0-स्व0 छोटु रवानी, सा0-करमाटांड , थाना-बलियापु र जिला धनबाद	पु0अ0नि0 पीयूष भंगरा बलियापुर थाना, जिला-धनबाद । (घटना तिथि के समय)	वादी- सोहन रवानी उम्र-65 वर्ष पे0- पे0-स्व0 छोटु रवानी, साक्षी- 1. लालचन्द रवानी उम्र-38 वर्ष पे0-सोहन रवानी, 2. कालाचन्द रवानी उम्र-36 पे0-सोहन रवानी 3. राजाराम रवानी उम्र-18 वर्ष पे0-लालचन्द रवानी 4. ओम प्रकाश रवानी उम्र-18 वर्ष पे0-जगदीश रवानी सभी सा0-करमाटांड, थाना-बलियापुर जिला धनबाद	1. जख्मी का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है। 2. आरोप पत्र सं0- 47 / 16, दिनांक- 19.05. 16 समर्पित ।	

				जेल भेजा गया है।				
98	बलियापुर थाना कांड सं०- 49/2016 दिनांक- 07.06.2016 धारा-366(ए) भा०द०वि० । जी०आर० सं०- 2278/16 एस०टी०सं०- 345/16 न्यायालय- ए०डी०जे०-15, धनबाद । ए०पी०पी०- टी०एन०उपाध्याय 9470129294	पिन्दु चौधरी उम्र- 27 वर्ष पिता- रामानन्द चौधरी, सा०- जोता, थाना- टेटुवा, जिला- गया (बिहार) ।	डरा- धमका कर नवालिंग लड़की काजल कुमारी उम्र 17 वर्ष का अपहरण करना ।	दिनांक- 17.06.2016 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ।	आशुतोष रवानी उम्र 35 वर्ष पिता स्व० शिवू रवानी सा०- कुसमाटांड टोला नीमटांड थाना बलियापुर जिला धनबाद ।	(01) स०अ०नि० हरिदयाल सिंहमो० नं०- 7631019582(घटना की तिथि के समय)थाना - बलियापुर जिला धनबाद । (02) डा० शशि कुमार पी०एम०सी० एच० धनबाद	वादी-आशुतोष रवानी, पे० स्व० शिवू रवानी साक्षी- पुष्पा देवी पति आशुतोष रवानी साक्षी- दोलत कुमार पे० शिवू रवानी साक्षी- संटु कुमार रवानी पे० महादेव रवानी सभी सा०-कुसमाटांड, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद ।	1. पीड़िता का धारा 164 द०प्र०सं० के अर्न्तगत ब्यान दर्ज कराया गया है । 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच कराया गया है । 3. आरोप पत्र सं०- 70/16, दिनांक- 20.07.16 समर्पित ।
99	तिसरा(लोदना) थाना कांड सं०- 81/2016 दिनांक-12.10.2016 धारा- 147/148/ 149/323/ 333/337/ 353/307 भा०द०वि० । जी०आर०सं०- 4144/16 न्यायालय- मिस वीना कुमारी, जे०एम०, धनबाद । ए०पी०पी०- पॉवल कोनगारी, 9470381997	(1)गोरे लाल पासवान उम्र- 42 वर्ष (2)डोमा पासवान उर्फ सत्यनारायण पासवान उम्र- 33 वर्ष (3)जीतु पासवान उम्र- 35 वर्ष तीनों पे० स्व० रामवृक्ष पासवान (4)शेष मनी पासवान उर्फ गुलगुल पासवान उम्र- 26 वर्ष पिता कन्हईया पासवान चारो सा०- लोदना बाजार, (5)कुन्दन पासवान उम्र- 24वर्ष (6)सुरज पासवान उम्र- 22वर्ष पिता छोटे लाल पासवान सा० घमण्डी पट्टी लोदना (7)सिकन्दर पासवान उम्र- 40 वर्ष पिता- केदार पासवान (8)टिकु पासवान उम्र- 28 वर्ष पिता-विरेन्द्र पासवान (9)विक्की पासवान उम्र- 23 वर्ष पिता- ब्रहमदेव पासवान (10)जौनी पासवान उम्र- 25 वर्ष (11) विक्की पासवान उम्र- 30 वर्ष (12)शम्भु पासवान उम्र- 28 वर्ष पिता स्व० किशुन पासवान (13)बिक्की पासवान उम्र- 26 वर्ष पिता अनिल पासवान सभी	नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर जान मारने की नियत से मार-पीट करना एवं सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज है ।	सभी अभियुक्त जमानत पर मुक्त है ।	पु०अ०नि० सुरजू टुडू तत्कालीन (घटना तिथि के समय)ओ०पी०प्रभारी लोदना थाना-तिसरा, जिला- धनबाद	पु०अ०नि० सुरजू टुडू ओ०पी०प्रभारी लोदना थाना तिसरा, जिला- धनबाद । (घटना तिथि के समय) हव०जिवाधन महतो पिता स्व० सामु महतो सा०- मायाराय जरामण्डी, थाना- शिली, जिला- राँची । आ०- 979विजेन्द्र राम उम्र- 26 वर्ष पिता स्व० राजेन्द्र रवीदास सा०भेंडरा, थाना- नावाडीह, जिला- बोकारो आ०- 913 चितरंजन कुमार उम्र- 35 पिता श्री रामपूत रजक सा०- चिरू, थाना- छतरपुर, जिला- पलामू	साक्षी- निर्मल सिंह पिता कामेश्वर सिंह सा० लोदना बाजार थाना-लोदना ओ०पी० साक्षी-राजेश कु० सिंह पिता विजय सिंह सा०- भागा 02 नम्बर थाना- झरिया, साक्षी- बिक्की गोश्वामी पिता स्व० राजू गोश्वामीसा० लोदना बाजार थाना- लोदना ओ०पी० साक्षी- कुणाल कुमार साव उम्र- 20 वर्ष, पिता- गणेश साव सा०- लोदना बाजार थाना- लोदना ओ०पी० साक्षी विभिषण पासवान उम्र- 24 वर्ष पिता- स्व० कपील पासवा सा०- लोदना बाजार, थाना- लोदना ओ०पी० सभी- जिला- धनबाद ।	1. जख्मीयों का जख्म प्रतिवेदन प्राप्त है । 2. पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य की कमी पाते हुए शेष 09 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं०- 83/17, दिनांक- 04.11.17 समर्पित किया गया ।

		सा0- श्रीक कल्याण लोदना (14)शशि पासवान उम्र- 25वर्ष पिता मोती पासवान सभी सा0- खपड़ाधोड़ा, लोदना, थाना- लोदना ओ0पी0 जिला- धनबाद				आ0- 1646 प्रवेश राम उम्र- 28 वर्ष पिता- सुरेश पासवान सा0- महुली, थाना- कांडी, जिला- गढ़वा प्रशिक्षु आ0- 233 परेश महतो उम्र- 26 वर्ष पिता दुबराज महतो सा0- सुमानडीह, थाना- बुण्डु जिला- राँची प्रशिक्षु आ0- 240 संतोष अहीर पिता बुरका अहीर सा0 बुण्डु, थाना- बुण्डु, जिला- राँची प्रशिक्षु आ0- 241 पवन कुमारह सिंह उम्र- 26 वर्ष पिता- श्री नागदेव सिंह सा0- गरनाहा, थानाजिला- गढ़वा प्रशिक्षु आ0- 237 सर्वजीत कु0सिंह उम्र- 28 वर्ष पिता श्री राधा सिंह, सा0- गिरुआ, थाना- प्रातापपुर, जिला- चतरा घटना के समय का सभी का वर्तमान पता - लोदना ओ0पी0 , जिला- धनबाद		
100	झरिया थाना कांड सं0- 135/2017 दिनांक- 18.06.2017 धारा- 414भा0द0वि0	ट्रक नं0- जे0एच0 10 क्यू0 5700 के मालिक सह चालक राजकुमार अग्रवाल, पिता- ओमप्रकाश अग्रवाल,	चोरी का कोयला परिवहन करने हेतू उक्त वाहन पर लोड करने के	अभियुक्त राजकुमार अग्रवाल, पिता-	स0अ0नि0 भुनेश्वर प्रजापति उम्र- 48 वर्ष पिता-	स0अ0नि0 भुनेश्वर प्रजापति उम्र- 48 वर्ष पिता- जितन प्रजापति झरिया	साक्षी- अर्जुण सिंह उम्र- 47 वर्ष पिता स्व0- मथुरा सिंह सा0- बनियाहीर 10 नम्बर, थाना- झरिया, जिला- धनबाद	1. ट्रक सं0- जे0एच0 10 क्यू0 5700 एवं करीब 08 टन कोयला एम0 आर0 नं0- 12/17 सनहा सं0-

	<p>एवं 30(2)बिहार कोल माईन्स एक्ट, 4/21 खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम । जी0आर0 सं0- 2286 / 17 न्यायालय- अर्पित श्रीवास्तव,, धनबाद । ए0पी0पी0- पावल कोनगारी, 94703819997</p>	<p>सा0-बस्ताकोला, सी.एम.पी.एफ., थाना- झरिया, जिला- धनबाद ।</p>	<p>आरोप में दर्ज कराया गया है ।</p>	<p>ओमप्रकाश अग्रवाल, सा0- बस्ताकोला, सी.एम.पी.एफ., थाना- झरिया, जिला- धनबाद । दिनांक 22.07. 2017 को न्यायालय से जमानत पर मुक्त है ।</p>	<p>जितन प्रजापति वर्तमान झरिया थाना</p>	<p>थाना मो0नं0-9031746349 (1)स0अ0नि0 कमलेश कुमार वर्तमान में झरिया थाना, जिला- धनबाद मो0नं0- 7858896380 (2)हवलदार सुभाष धान उम्र- 48 वर्ष मो0नं0- 7541080999 (3)आ0-1865 सुदामा लकड़ा, उम्र- 40 वर्ष मो0नं0- 9471751663 (4)चालक आ0-2411 निवास दुबे उम्र- 47 वर्ष मो0नं0- 8271533097 सभी सा0- पुलिस केन्द्र धनबाद, वर्तमान पता -झरिया थाना- जिला- धनबाद ।</p>		<p>26 / 17 दिनांक 04.04. 2017 को जप्त किया गया है । तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सनहा सं0- 25 / 17 दिनांक- 01.09.2017 को मुक्त किया गया है एवं करीब 08 टन कोयला को शिमला बहाल कोलियरी को जिम्मानामा पर दिया गया है । 2. जप्त कोयला का जॉच कराया गया है। 3. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0- 225 / 17, दिनांक- 31.08.17 समर्पित ।</p>	
--	--	--	-------------------------------------	---	---	---	--	---	--

रेल धनबाद अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित किये गये 11 कांडो की सूची :-

क्र० सं०	कांड सं०/तिथि/ धारा/जी०आर०/एस ०टी० नं०	अभियुक्त का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त जेल में/फरार/जमानत	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ ए०पी०पी० का नाम एवं मोबाइल न०	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनु०कर्ता/ चिकित्सक/विशेषज्ञों का नाम एवं पता मो० सं०	आम गवाहों का नाम एवं पता मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रेल धनबाद (कुमारधुबी) थाना कांड सं-79/17 दि०-14.05.17 धारा-401/328/511 भा०द०वि०, जी०आर०- 140/17	1 धुरगुज मंडल, पे०- सहदेव मंडल, 2. सुशील मंडल पे०- मनभरण मंडल दोनो सा०-करूआ थाना- करमाटांड जिला- जामताड़ा	यह कांड वादी स०अ०नि० दिलीप कुमार सिंह रेल पी०पी० कुमारधुबी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० 1. धुरगुज मंडल, पे०- सहदेव मंडल, 2. सुशील मंडल पे०- मनभरण मंडल दोनो सा०-करूआ थाना- करमाटांड जिला- जामताड़ा के विरुद्ध पाटलीपुत्र एक्सप्रेस में यात्रियों को नषीला पदार्थ खिलाने का प्रयास करने एवं नषीला पदार्थ के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	1.धुरगुज मंडल जमानत पर एवं 2.सुशील मंडल फरार (इनके विरुद्ध कुर्की तामिला हो चुका है।)	मान्० न्या० श्री आलोक कुमार दुबे, ए०डी०जे०- 14,	पी०पी० अनिल कुमार सिंह-2, मो० नं० 9431726 795	वादी स०अ०नि० दिलीप कुमार सिंह रेल पी०पी० कुमारधुबी	1. वादी स०अ०नि० दिलीप कुमार सिंह रेल पी०पी० कुमारधुबी 2. आ०-85 षैलेश कुमार 3. हव० 02097 राहुल कुमार आर०पी०एफ० पोस्ट-बराकर 4. आ०-10279 विनीत बिहारी प्रसाद आर०पी०एफ० पोस्ट-बराकर 5. अनु०कर्ता पु०अ०नि० प्रेम प्रकाश	1. प्रदीप दास पे०- गनौरी दास सा०- बाबूडीह था०+जिला- धनबाद 2.प्रकाश कुमार पे०- महेश शर्मा सा०- कुमारधुबी बजार 3. मनोज पंडित पे०-धर्मदेव पंडित सा०- आदर्शनगर रसारथ पहाड़ी थाना- चिरकुण्डा जिला- धनबाद।	

2	<p>धनबाद काण्ड सं0-112/17 दिनांक - 25.08.17 धारा 379 /</p> <p>G.R NO - 208/17</p>	<p>मो0 मोबिन उर्फ बब्लू, पे0 स्व0 मोईन सा0 न्यु ईस्लामपुर, पाण्डरपाला थाना भूली ओ0पी0 जिला - धनबाद</p>	<p>कांड का सारांश वादी दिनांक 25.08.17 को काण्ड के वादी धनबाद रेलवे स्टेशन के टिकट काउन्टर पर टिकट कटा रहे थे उसी क्रम में किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा पोकैट से मोबाईल चोरी कर लिया । जिसे अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 29.08.17 को मो0 मो0 मोबिन उर्फ बब्लू, को CCTV फुटेज के अवलोकन के आधार पर गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का दिये गये स्विकारोक्ती व्यान के आधार पर चोरी गये मोबाईल को उसके घर से बरामद किया गया ।अनुसंधान उपरांत काण्ड में 379/411 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है ।</p>	बाहर	<p>मान0 न्या0 रेलवे न्यायिक दण्डा0, धनबाद ।</p>	<p>ए0पी0पी0 अरूनिमा मिंज, मो0 नं0 8579841 331</p>	<p>देव प्रकाश राय, पिता - धर्मदेव राय, सा0- क्वाटर नं0 980 सेक्टर - 09 डी0 , थाना हरला सेक्टर09, जिला - बोकारो</p>	<p>1.आ0332/ मंदीप बैठा, रेल थाना धनबाद 2.आ0/342 मुकुन्द मुरारी दास, 3. अनुप राज, पिता - राजकुमार, सा0- क्वाटर नं068/बी रेलवे कोलोनी , बेकार बांध , वर्तमान डी0सी0एम0 टेलिकोम मेंटनेंस, रेल मंडल कार्यालय धनबाद 4.स0अ0नि0 सत्यनारायण तिवारी , गोविन्द पुर थाना में पदस्थापित , जिला - धनबाद । 5.स0अ0नि0 सुधीर कुमार सिंह , रेल थाना धनबाद में पदस्थापित</p>	<p>1.वादी देव प्रकाश राय, पिता - धर्मदेव राय, सा0- क्वाटर नं0 980 सेक्टर -09 डी0 ,थाना हरला सेक्टर 09, जिला - बोकारो, 2. लक्ष्मी चौधरी, पे0 स्व रामचन्द्र चौधरी, सा0- क्वाटर नं0 1104 स्ट्रीट 37, सेक्टर -9/डी0 , थाना- हरला,जिला- बोकारो,3.धनश्या म अग्रवाल, पे0 शिवदयाल अग्रवाल, सा0- ज्ञानमुखर्जी रोड़, थाना+जिला- धनबाद</p>	
---	---	--	---	------	---	---	--	--	---	--

3	<p>धनबाद काण्ड संख्या 158/17, दिनांक - 14/12/17 धारा- 353/393/333 भा0द0वि0 एवं रेल अधिनियम 1989 150(क), 153 G.R NO - 301/17 ST-102/18</p>	<p>1.पल्लू डोम, पिता- कल्लू डोम, सा0- अमन सोसाईटी,गेट नं0-01 , थाना - भूली ओ0पी0 (बैंक मोड़) धनबाद ,2.मो0 गुलजार, पे0 वजीर मियाँ, सा0- बस्तीपुर, थाना- गोविन्दपुर, धनबाद ।3. गुड्डू खान, पिता - मनान खान, सा0- पुराना सीतारामपुर , तालपाड़ा, थाना- नियामतपुर फाड़ी, जिला - वर्धमान</p>	<p>काण्ड का सारांश यह है कि वादी दिनांक 13.12.17 को ट्रेन गंगा सतलज एक्स जब गया पुल खटाल के पास पहुँची तो ट्रेन के आर0पी0एफ0 स्कोर्ट पार्टी द्वारा चोर चोर का हल्ला किया गया हल्ला सुनकर वादी ने देखा की तीन-चार अपराधी ट्रेन का खिड़की का रड पकड़ कर लटके हुए हैं । स्कोर्ट पार्टी एवं वादी द्वारा अपराधियों को पकड़ने के क्रम में इन लोगों पर पथ्थर एवं रड से हमला कर दिया जिससे आ0 ब्रजेश कुमार सिंह को दाहिने कलाई एवं पंजरा में गंभीर चोट आ गया । इसी क्रम में वादी एवं उनके साथियों के द्वारा एक अपराधी को पकड़ लिया गया तथा तीन अन्य भाग गये । पकड़ाये अभियुक्त ने अपना नाम पल्लू डोम बताया एवं साथियों का नाम पुछने पर मो0</p>	<p>गुलजार- बाहर, गुड्डू खान- बाहर , पल्लू डोम- जेल में, कारु चौहान- जेल में</p>	<p>मा0न्या0 ए0डी0जे0- 8 धनबाद</p>	<p>पी0पी0 अनिल सिंह, मो0 नं0 8863992 49</p>	<p>विकास कुमार कौशीक, पे0 श्री राम करण कौशीक, ग्राम- ठिकौली, थाना- चाँदी नगर, जिला - बागपत्र उत्तर प्रदेश , वर्तमान में ए0एस0आई0 आर0पी0एफ पोस्ट धनबाद में पदस्थापित ।</p>	<p>1. विकास कुमार कौशीक, पे0 श्री राम करण कौशीक, ग्राम- ठिकौली, थाना- चाँदी नगर, जिला - बागपत्र उत्तर प्रदेश , वर्तमान में ए0एस0आई0 आर0पी0एफ पोस्ट धनबाद में पदस्थापित,2. ब्रजेश कुमार सिंह,पे0 ब्रजकिशोर सिंह, सा0- जलालपुर, सारन, बिहार, वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट धनबाद में पदस्थापित 3. सोनू कुमार, पिता - अग्नेनन्द चौधरी, सा0-उदवंत नगद, भोजपुर, बिहार , वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट धनबाद 4.आ0/ संजीव कुमार , पिता</p>	<p>शून्य</p>	
---	---	--	--	---	-----------------------------------	---	---	---	--------------	--

		<p>,पं0बंगाल 4.कारु चौहान,पे0- चरितर चौहान,सा0- छाईगदा, बैंकमोड़, धनबाद</p>	<p>गुलजार ,गुड्डू खान , कारु चौहान बताया अनुसंधान के क्रम में कारु चौहान एवं मो0 गुलजार को गिरफ्तार किया गया एवं चौथा अभियुक्त गुड्डू खान के द्वारा माननीय न्यायाल में आत्म समर्पण कर दिया गया । सभी अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-353/ 393 /333 भा0द0वि0 एवं रेल अधिनियम 1989 150(क), 153 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया ।</p>					<p>– बिहारी तिवारी, सा0- औद्योगिक बगसर, बिहार, वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट धनबाद ,5. राजीव कुमार , पिता – रामवृक्ष पासवान, सा0- राहुर,थाना- नालंदा, बिहार, वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट धनबाद 6.स0अ0नि0 जनार्दन यादव, पिता –यधुचौधरी, सा0- नगरा बलिया, उत्तर प्रदेश , वर्तमान में रेल थाना धनबाद में पदस्थापित 7.स0अ0नि0 धनंजय राय, रेल थाना धनबाद में पदस्थापित 8.डॉ डॉक्टर पी0आर0 ठाकुर, मंडल रेल अस्पताल धनबाद ।</p>	
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--

								9. रवीनरायण , सदर कोर्ट धनबाद 10. पु०नि० हरिनरायण सिंह , थाना प्रभारी , रेल थाना धनबाद ।	
4	धनबाद काण्ड संख्या 26/18 दिनांक 01.03.18 धारा 379/411 भा०द०वि० G.R NO – 39/18	1.संजय कुमार रवानी, पे० स्व० जगनार्थ रवानी,सा०- गांधीनगर, बोकारो, 2.धनंजय यादव, पे० केदार यादव, गोविन्द पुर, थाना – गोविन्द पुर , जिला – धनबाद 3. संतोष मुर्मू, उर्फ मांझी, पे०- वकिल	काण्ड का सारांश यह है कि वादी अपनी पत्नी के साथ धनबाद से आसनसोल के लिए यात्रा के क्रम में डोकरा होल्ट के पास तीन व्यक्तियों द्वारा वादी के पत्नी का पर्स छीन कर एक अभियुक्त भाग गया तथा दो अभियुक्त को वादी एवं आर०पी०एफ० के द्वारा पकड़ कर रेल थाना धनबाद लाया गया । जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । अनुसंधान के क्रम में संतोष मुर्मू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । तथा तीनों अभियुक्तों के	सभी जेल में	मान० न्या० रेलवे न्यायिक दण्डा०, धनबाद ।	ए०पी०पी ० अरुनिमा मिंज, मो० नं० 8579841 331	वादी इन्द्रजीत पासवान, पिता – जीबक्ष पासवान, सा०- रेलवे कोलोनी , नीचे खोली, भागा क्वाटर नं एल०76/4, थाना – जोरा पोखर , जिला – धनबाद ।	1.एस०आई० अकबर अली, सा० माझागढ़, गोपाल गंज , बिहार,आर०पी०एफ पोस्ट धनबाद 2.गोपाल यादव रेल ०आर०पी०एफ० पोस्ट बराकर ।	1.रीचा कुमारी, पति-इन्द्रजीत पासवान, सा०- रेलवे कोलोनी , नीचे खोली, भागा क्वाटर नं एल०76/4, थाना – जोरा पोखर , जिला – धनबाद । 2. वादी इन्द्रजीत पासवान, पिता – जीबक्ष पासवान, सा०- रेलवे कोलोनी , नीचे खोली, भागा क्वाटर नं एल०76/4, थाना

		मुर्मू, सा0 बेरमो कुपरनीयाँ, थाना – नजदीक बार सीनेमा, थाना – गांधीनगर, जिला - बोकारो	विरुद्ध आरोप पत्र संपिंत किया गया।						– जोरा पोखर, जिला – धनबाद ।	
5	कोडरमा 36/17 दि0.07.08.17 धारा- 379/411/420 भा0द0वि0। GR No-200/17	1 पिन्दु कुमार पे0. गोपाल मंडल (2) नितीश कुमार पे0. राजेश सिंह दोनो सा0. गुमो बरवाडीह थाना तिलैया जिला-कोडरमा (3) प्रेम दास पे0. काली दास सा0.मदनगुण्डी थाना-चंदवारा जिला-कोडरमा	कांड का सारांश यह है कि वादी दिनांक0.06ण08ण17 को समय करीब 04ण00 बजे। शाम में बुकिंग ऑफिस के सामने अपना हिरो होण्डा प्रो0 मोटर साईकिल न0. जे0 एच0.12 डी0.7691 काला रंग का लगाकर टिकट लेने टिकट काउन्टर पर गये टिकट काउन्टर पर गये टिकट न0. इ0सी0डी0 15522213 एंव ई0सी0बा0 15522215 लेकर बाहर आया तो देखा की मेरा मोटर साईकिल नहीं था किसी अज्ञात चोर के द्वारा	जेल से बाहर	मान0 न्या0 रेलवे न्यायिक दण्डा0, धनबाद।	ए0पी0पी0 अरुनिमा मिंज, मो0 नं0 85798413 31	वादी बाबू लाल यादव उम्र करीब 40 वर्ष पे0. स्व0 बालकी यादव सा0 .ढाव चंदवारा थाना-चांदवारा जिला- कोडरमा	;1 स0अ0नि0 बलभद्र पुर्ती रेलए थाना कोडरमा में कार्यरत (2) रवि नारायण श्रण्ड प्रथम क्षेणी धनबाद।	;1 सिकन्दर कुमार पे0. स्व0 वालेश्वर रवानी सा0. पार्वती क्लीनिक माईकानेट (2) सोनु कुमार पे0. रामचन्द्र साव सा0. चित्रगुप्तनगर ।(3) मुकेश कुमार पे0. महादेव साव सा0. चित्रगुप्त नगर (4) मुकेश शर्मा उम्र 35 वर्ष पे0. नन्दलाल शर्मा सा0. गाँधीस्कूल रोड	

			चोरी कर लिया गया । जिसके आधार पर कांड अंकित किया ।						सभी थाना तिलैया जिला- कोडराम ।	
6	कोडरमा 41/17 दि०२५.०९.१७ धारा- ३७९/४११/४१३ भा०द०वि० । GR NO-226/17 एस०टी०नं० १४३/१८	अभि० प्रभु यादव उम्र ४० वर्ष पे०. रामेश्वर यादव सा०. रागडीह थाना-चलकुशा जिला- हजारीबाग	कांड का सारांश यहां कि वादी स०उ०नि० रे०सु०ब०द्व विनोद कुमार अपने सहयोगी के साथ दिनांक- २५०९०१७ को समय करीब ०२०० बजे । कोडरमा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं०. ४ पर गश्ती कर रहे थे संदेहास्तपद स्थिति में पश्चिम तरफ भागते हुए एक व्यक्ति को पकड़े जिसका नाम प्रभु यादव उम्र ४० वर्ष पे०. रामेश्वर यादव सा०. रागडीह थाना- चलकुशा जिला- हजारीबाग के रुम में स्थापित हुआ इसके पास से चोरी का मोबाईल चोरी का रेलवे सुविधा पास एंव नगद २७००₹रुपया बरामद	जेल से बाहर	मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायधीश, धनबाद	पी०पी० अनिल कुमार सिंह, मो० नं० ८८६३९९२४ ९	वादी स०उ०नि० विनोद कुमार उम्र ४१ वर्ष पिता श्री लालमोहर राम सा०. मोथी रो०. रंजेया थाना पिरो जिला-भोजपुर बिहारएववर्तमान में आर०पी०एफ० पोस्ट कोडरमा में कार्यरत ।	१ स०अ०नि० मो० सरताज खाँ अनुसंधानकर्ता एरेल थाना कोडरमा में कार्यरत ।(२) आ०प्र० अरुण कुमार तिवारी पे०. श्री शंभू नाथ तिवारी सा०.नवाडाही थाना+जिला- धनबाद वर्तमान रे०सु०ब० पोस्ट कोडरमा में पदस्थापित ।(३) स०उ०नि० राम कुमार मिंज पे०. काली चरण मिंज सा०. बहोरन पुर थाना- मुफ्फसिल एजिला- हजारीबागएववर्तमान में अ० आ० शा० रे०सु०ब० धनबाद मे कार्यरत (४)		

			किया गया। वादी अंकित किये हैं कि प्राथमिकी अद्वतन चोर है एवं चोरी के समान को बेहपार के नियत से रखते एवं बेचते है।					आ० मनोज कुमार पे० ब्रजपाल सिंह सा० वाजिदपुर थाना- बडौत जिला-बागवत (उ०प्र० वर्तमान में अ०आ०शा० रे०सु०ब० पोस्ट धनबाद में कार्यरत। (5) विकास कुमार राज पे०स्व० विजय मेहता सा० सोहर बिगहा चंदौली थाना-बारुण जिला- औरंगाबाद बिहार (6) जज न्यायिक दण्डाधिकारी महोलय एमिस्टर एस० बेदिया श्रण्ड प्रथम श्रेणी धनबाद (7) 164 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज कराया गया ए मिस्टर रवि नारायण श्रण्ड प्रथम क्षेणी धनबाद।	
--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

7	<p>डालटनगंज थाना कांड सं-49 / 16 दि0-03.11.16 धारा-392 / 411 भा0द0वि0</p> <p>G.R NO – 1944/16</p>	<p>1. चंदन कुमार पे0- वंशी राम सा0-दो नम्बर टाउन 2. अमित कुमार राउत पे0-मनोज कुमार राउत सा0-कान्दु मुहल्ला एच0पी0 गैस गोदाम एवं 3. पिंटु कुमार पे0- जनार्दन राम सा0- कुम्हार पटी प्रकाश चन्द्र वंशी के मकान में किरायेदार 4. रवि कुमार (मृत) सभी थाना शहर जिला- पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी नितीन प्रभाकर उर्फ संतोष मेहता उम्र 35 वर्ष पे0-जय राम मेहता सा0- पांकी रोड रेडमा थाना-षहर जिला- पलामू के स्वतः लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 1. चंदन कुमार 2. अमित कुमार राउत 3. पिंटु कुमार 4. रवि कुमार (मृत) के विरुद्ध वादी को ट्रेन से उतरकर रात्री में घर जान के क्रम में पॉकेट जिसमें 3050 /- रुपये वोटर कार्ड आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस , ए0टी0एम0 कार्ड एवं मोबाईल लूट कर भागने के क्रम में रंगे हाथ पकड़े जाने आरोम में कांड दर्ज कराया गया।</p>	<p>तीनों अभियुक्त न्यायालय से जमानत पर।</p>	<p>मा0न्या0 रेलवे न्यायिक दण्डाधिकारी, डाल्टेनगंज,</p>	<p>ए0पी0पी0 अनुराग सिंह, मो0 नं0 9264454 176</p>	<p>नितीन प्रभाकर उर्फ संतोष मेहता उम्र 35 वर्ष पे0-जय राम मेहता सा0- पांकी रोड रेडमा थाना-षहर जिला- पलामू।</p>	<p>अनु0कर्ता स0अ0नि0 बिनोद कुमार सिंह 2. हवलदार तुरतन तिउ 3. मो0 रियाजउद्दीन 4. खेला सोरेन 5. आ0-92 मदन प्रसाद 6. आ0-335 त्रिपुरारी कुमार सभी रेल जिला धनबाद।</p>	<p>1. राम कुमार उम्र 19 वर्ष पे0-विजय राम सा0-गांधी मैउदान के पास, 2. राजा अंसारी उम्र करीब 21 वर्ष पे0-भोला अंसारी सा0-रेलवे कालोनी झोपड़पट्टी, 3. शशि कुमार पे0-अजीत राम सा0-दो नम्बर टाउन रेडमा कुम्हार टोली, 4. अमरेश कुमार पे0-कालीचरण राम दो नम्बर टाउन रेडमा कुम्हार टोली सभी थाना शहर, 5. सेम्पुल अंसारी उम्र 20 वर्ष पे0-इसराईल अंसारी सा0- करसाहागोला रोड थाना-रेडला. 6. संजय कुमार उम्र 39 वर्ष पे0-स्व0 राजनाथर महतो सा0-पचकडिया थाना-पाटन वर्त0 रेडमा पांकी रोड</p>
---	---	--	---	---	--	--	--	---	--

									थाना शहर एवं 7. अभिषेक प्रभाकर उम्र 23 वर्ष पे0-नन्द कुमार महतो सा0 पचकेडिया थाना-पाटन वर्त0 सा0-रेडमा पांकी रोड थाना-षहर सभी जिला-पलामू।	
8	जसीडीह थाना कांड सं0 57/17, दि0 07.09.17, धारा 379/411 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0-118/17	मो0 गुलफराज शेख उर्फ बोड़ो पे0-मिर अख्तर अली सा0-हिरणा थाना-नगर जिला-देवघर	यह कांड वादी गोवर्धन सिंह पे0-स्व0 रामपरीखा सिंह सा0-लकड़पहाड़ी थाना-जामा जिला-दुमका के लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक 07.09.17 को जसीडीह रेलवे स्टेशन के टिकट काउण्टर पर टिकट कटाने के क्रम में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त मो0 गुलफराज शेख उर्फ बोड़ो पे0-मिर अख्तर अली सा0-हिरणा थाना-नगर जिला-देवघर द्वारा वादी के पॉकेट में रखा 620 रूपया नगर को पॉकेटमारी कर भागते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है।	न्यायालय से जमानत पर	मा0न्या0 रेलवे न्या0 दण्डा0, मधुपुर,	ए0पी0पी0 मो0 आरिफ, मो0 नं0 7033241 924	वादी गोवर्धन सिंह पे0-स्व0 रामपरीखा सिंह सा0-लकड़पहाड़ी थाना-जामा जिला-दुमका	सरकारी गवाह नं0-1. हव0 पुनेन्द्र उरॉव पे0-स्व0 गोसाई उरॉव सा0-चन्डाली थाना+जिला-गुमला वर्तमान रेल थाना जसीडीह, 2. आरक्षी बबलु कुमार पे0-कैलास मंडल सा0-झालदास टोला थाना-रंगटा जिला-भागलपुर वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट जसीडीह, अनु0कर्ता स0अ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह रेल थाना जसीडीह मो0 नं0-8862028747	ओम प्रकाश जयसवाल पे0-स्व0 बालदेव प्रसाद जयसवाल सा0-लकड़ापहाड़ी थाना-जामा जिला-दुमका	

9.	जसीडीह कांड सं0-62/17, दि0 20.09.17, धारा 379/411 भा0द0वि0 G.R NO – 129/17	अमित कुमार उर्फ अमित रंजन उर्फ बबुआ पे0-अशोक वर्मा उर्फ बैद्यनाथ महतो सा0-हनुमान टिकरी हृदयदियापुल थाना-नगर जिला-देवघर	यह कांड वादी स0अ0नि0 रामु कुमार आर0पी0एफ0 पोस्ट जसीडीह के लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक 20.09.17 को समय करीब 02:08 बजे जसीडीह रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0-02 पर हावड़ा दानापुर एक्स0 आकर रूकी तो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त अमित कुमार उर्फ अमित रंजन उर्फ बबुआ पे0-अशोक वर्मा उर्फ बैद्यनाथ महतो सा0-हनुमान टिकरी हृदयदियापुल थाना-नगर जिला-देवघर द्वारा चलती ट्रेन से किसी यात्री का बैग चोरी करके कुद कर भागते हुए रंग हाथ पकड़े जाने के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है।	न्यायालय से जमानत पर	मा0न्या0 रेलवे न्या0 दण्डा0, मधुपुर,	ए0पी0पी0 मो0 आरिफ, मो0 नं0 7033241 924	स0अ0नि0 रामु कुमार पे0-शिवाजी महतो सा0-विन्दल थाना-गौराया कोठी जिला-सिवान वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट जसीडीह	सरकारी गवाह नं0-1, आ0/10727 दिपक मंडल पे0-स्व0 राजेन्द्र मंडल सा0-विशाल थाना-इसीपुर जिला-भागलपुर वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट जसीडीह, 2. अ0नि0 ए0के0 सिंह पे0-स्व0 एम0पी0 सिंह सा0-हरपुर थाना-इकमा जिला-छपरा वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट अंडाल, 3. आर0/136 शाहनावाज आलम सा0-सिवली बस्ती थाना-शेरघाटी जिला-गया वर्तमान रेल थाना जसीडीह अनु0कर्ता स0अ0नि0 कालिया उरॉव रेल थाना जसीडीह मो0 नं0-9155613010	1. सरिता देवी पति-लालबाबु, 2. लालबाबु पे0-स्व0 सौदागर साव दोनों सा0-फनीन्द्र अपार्टमेन्ट नं0-19 राजा के0एल0 गोस्वामी स्ट्रीट फ्लेट नं0-108 रामपुर हुगली
10	मधुपुर थाना कांड सं0-63/17 दिनांक-17.09.17 धारा- 328/379/307/51	1. मोहन मंडल उम्र-24 वर्ष पे0-स्व0 बी0सी0 मंडल सा0-सियाटॉड थाना-करमाटॉड	इस कांड का वादी स0अ0नि0 सुरेन्द्र चौबे उम्र 50 वर्ष पे0-कपिलदेव चौबे सा0-बभनौल थाना-दावल जिला-रोहतास वर्तमान पदस्थापन रेल थाना मधुपुर के लिखित आवेदन के	1.मोहन मंडल न्यायालय से जमानत पर रिहा 2. राम स्वरूम मंडल फिरार	मा0न्या0 रेलवे न्या0 दण्डा0, मधुपुर,	ए0पी0पी0 0 मो0 आरिफ, मो0 नं0 703324	स0अ0नि0 सुरेन्द्र चौबे उम्र 50 वर्ष पे0- कपिलदेव चौबे सा0-बभनौल थाना-दावल जिला-रोहतास वर्तमान	1. अनु0कर्ता- अ0नि0 शमषेर अली मो0नं0-7870411681 2. स0अ0नि0 सुरेन्द्र चौबे 3. स0अ0नि0 मुष्ताक अहमद 4. अ0नि0	

	<p>1/34 भा0द0वि0, जी0आर0- 122/17 एस0टी0नं0 442/18</p>	<p>जिला- जामताड़ा। 2. राम स्वरूप मंडल पे0- सरयुग मंडल सा0-सियाटॉड थाना-करमाटॉड जिला- जामताड़ा।</p>	<p>आधार पर दिनांक-16.09.17 को प्लेटफॉर्म डियूटी एवं अपराधियों पर निगरानी के दौरान जब ट्रन नं0-13005 अप पंजाब मेल प्लेटफॉर्म नं0-02 पर आकर लगी तो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त 1. मोहन मंडल उम्र-24 वर्ष पे0- स्व0 बी0सी0 मंडल सा0- सियाटॉड थाना-करमाटॉड जिला-जामताड़ा को एक यात्री को नषीला पदार्थ खिला देने तथा किसी अन्य यात्री के पॉकेट से 550/-चोरी कर भागते हुए नषीला पदार्थ के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। 2. राम स्वरूप मंडल पे0- सरयुग मंडल सा0-सियाटॉड थाना-करमाटॉड जिला- जामताड़ा भागने में सफल रहा। अग्रिम अनुसंधान क्रम में सभी बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण पाते हुए प्राथ0अभि0 मोहन मंडल के विरुद्ध धारा-328/379/ 307/511/34 भा0द0वि0, के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या- 13/18 दिनांक- 30.03.18 को समर्पित किया गया है।</p>			1924	<p>पदस्थापन रेल थाना मधुपुर</p>	<p>जे0पी0 यादव आर0पी0एफ0 मधुपुर 5. आ0-9864 राज कुमार आर0पी0एफ0 मधुपुर 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 प्रेम प्रकाष मो0 नं0-9934611980 रेल थाना मधुपुर।</p>	-	
--	---	--	--	--	--	------	-------------------------------------	--	---	--

11	<p>बड़हरवा कांड सं0 26/17, दि0 25.05. 17, धारा 25(1-बी)ए-26 आर्म्स एक्ट, जी0आर0 नं0-49/18</p>	<p>मझो मराण्डी उर्फ कट्टी, उम्र 45 वर्ष, पे0-बेटका मराण्डी, सा0-पाडेरकोल्हा, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज</p>	<p>यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 अर्जुन तिवारी, उम्र 58 वर्ष, पे0-स्व0 रामेश्वर तिवारी, सा0-कोड़ारी खूर्द, थाना-दुरौंधा, जिला-सिवान (बिहार) वर्तमान में रेल थाना प्रभारी, बड़हरवा के लिखित अयान के आधार पर दर्ज किया गया है जिसमें इन्होंने मिले गुप्त सूचना के आधार पर आर0पी0एफ0 पोस्ट बड़हरवा के प्रभारी निरीक्षक जे0के0 सिन्हा एवं रेल थाना बड़हरवा में उपलब्ध बल के सहयोग से छापामारी दल का गठन कर तीनपहाड़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं0-01 पर गुप्तचर की निशानदेही पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त माझो मराण्डी उर्फ कट्टी उम्र-45 वर्ष, पे0- बेटका मराण्डी, सा0- पाडेरकोल्हा, थाना-तालझारी, जिला-साहेबगंज को अवैध देशी लोडेड कट्टा एवं एक . 315 बोर का जिंदा कारतूस के साथ वादी एवं छापामारी दल को देखकर भागने के क्रम में पीछाकर पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	<p>जेल में</p>	<p>मा0न्या0 रेलवे न्या0 दण्डा0, साहेबगंज,</p>	<p>पी0पी0 समित प्रकाश, मो0 नं0 9333416 2475</p>	<p>पु0अ0नि0 अर्जुन तिवारी, उम्र 58 वर्ष, पे0-स्व0 रामेश्वर तिवारी, सा0-कोड़ारी खूर्द, थाना-दुरौंधा, जिला-सिवान (बिहार) वर्तमान में रेल थाना प्रभारी, बड़हरवा</p>	<p>पु0अ0नि0 अर्जुन तिवारी, उम्र 58 वर्ष, पे0-स्व0 रामेश्वर तिवारी, सा0-कोड़ारी खूर्द, थाना-दुरौंधा, जिला-सिवान (बिहार) वर्तमान में रेल थाना प्रभारी, बड़हरवा मो0 नं0-7870719418, 2. रामनन्दन सिंह, उम्र 45 वर्ष, पे0-स्व. अयोध्या सिंह, सा0-घुमड़ा, थाना-मुफरिसल, जिला-नवादा(बिहार) वर्तमान में स0अ0नि0 रेल थाना, बड़हरवा मो0 नं0-8935861475, 3. सत्यनारायण नायक, उम्र 47 वर्ष, पे0-प्रीाकर नायक, सा0-चमकपुर, थाना-सोनुवा, जिला-प0सिंहभूम, वर्तमान स0अ0नि0 रेल थाना बड़हरवा मो0 नं0-8271994783, 4. बृजबिहारी यादव, उम्र 55 वर्ष, पे0-यमुना यादव, सा0-हाजीपुर दियारा, थाना-मुफरिसल, जिला-साहेबगंज, वर्तमान</p>	<p>1. जुगेश महलदार, उम्र करीब 34 वर्ष, पे0-स्व0 प्रसादी महलदार, सा0-तीनपहाड़ बाबुपाड़ा, थाना-राजमहल, जिला-साहेबगंज, 2. छोटु कुमार तांती, उम्र करीब 19 वर्ष, पे0-स्व0 दिनेश प्रसाद तांती, सा0-कुलीपाड़ा, थाना-नगर, जिला-साहेबगंज।</p>
----	---	--	---	----------------	---	---	--	---	--

								<p>में स0अ0नि0 रेल थाना बड़हरवा मो0 नं0-8051017809, 5. एमन कोणगाड़ी उम्र 59 वर्ष, पे0-स्व0 फुलऐंजर कोणगाड़ी, सा0-विश्रामपुर डगरा टोली, थाना-रनिया, जिला-खूँटी वर्तमान में हवलदार, रेल थाना, बड़हरवा, 6. श्री जयप्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गिरिडीह</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

दुमका जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 32 कांडो की विवरणी

क्र०सं०	काण्ड सं०/तिथि/धारा / GR./ST.No.	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में /फरार/ बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनुसंधानकर्ता/चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो०सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गोपीकांदर थाना कांड सं०-24/17, दिनांक-03.11.17, धारा-302 भा०द०वि० एस०टी०नं०-54/18	सीताराम सोरेन पे० स्व० मताल सोरेन सा० पिपरा(संथाल टोला) थाना गोपीकांदर जिला दुमका	घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधा में कार्तिक पुर्णिया के अवसर पर पहले पुजा करने की बात को लेकर तेज धारदार दाब (दबिया) से काटकर हत्या कर देना	दिनांक-04.11.17 से जेल में।	ए०डी०जे०-1 दुमका	श्री दिनेष कु० ओझा	वादिनी बसंती सोरेन पति स्व० मारसिल हाँसदा ग्राम पिपरा(संथाल टोला) थाना गोपीकांदर जिला दुमका	1.डा० प्रमोद सदर अस्पताल दुमका 2.अनु०कर्ता पु०अ०नि० रंजीत मिंज थाना प्रभारी गोपीकांदर जिला दुमका	1.वादिनी बसंती सोरेन पति स्व० मारसिल हाँसदा ग्राम पिपरा(संथाल टोला) थाना गोपीकांदर जिला दुमका 2.प्रधान किस्कू (ग्राम प्रधान) पे० स्व० बेनाजोर प्रधान 3.गोपीन सोरेन पे० स्व० सुरीन सोरेन 4.कमल सोरेन पे० स्व० बाबुलाल सोरेन 5.बाबुराम सोरेन पे० स्व० मताल सोरेन 6.सुनील हेम्ब्रम पे० सतीश चन्द्र हेम्ब्रम सभी ग्राम पिपरा(संथाल टोला) थाना गोपीकांदर जिला दुमका	
2	रामगढ़ थाना कांड सं०-95/17, दिनांक-28.10.17, धारा-392/411 भा०द०वि० जी०आर०नं० 95/17	1.अलाउदीन अंसारी पे० कमालुददीन अंसारी 2.इस्लाम अंसारी पे० हफाजुदीन अंसारी दोनो सा० सरकंडा तियोडीह थाना नगर जिला गोडडा 3.विक्की कु० सिंह पे० प्रमील प्र० सिंह सा० ककवाडा थाना+जिला बाँका बिहार	मारपीट कर स्कॉरपियो वाहन लूट कर ले जाना एवं बरामद होना।	क्र०-01 एवं 02 जेल में तथा 03 जमानत पर	ए०डी०जे०-1 दुमका	श्री दिनेष कु० ओझा	वादिनी प्रिती देवी पति चंदन कु० सिंह सा० शिवनगर थाना पोड़ैयाहाट जिला गोडडा	1.अनु०कर्ता पु०अ०नि० हरेश्वर सिंह थाना रामगढ़ जिला दुमका	1.वादिनी प्रिती देवी पति चंदन कु० सिंह 2.चंदन कु० सिंह पे० उत्तम कु० सिंह दोनो सा० शिवनगर थाना पोड़ैयाहाट जिला गोडडा 3.चालक प्रदीप दास पे० बिटू दास सा० गोपीनगर वार्ड नं-06 थाना नगर जिला दुमका 4.विनोद सिंह पे० दमडी सिंह 5.अजय प्रकाश साह पे० विजय साह 6.सुरेन्द्र महतो पे० रामचन्द्र महतो सभी सा० ग्राम धमदाहा थाना धमदाहा जिला पुर्णिया बिहार।	
3	जरमुण्डी थाना	जयराम मंडल पे०	चोरी का	जेल में	एस०डी०जे	श्री	स०अ०नि० साहेब कुंवर	1.वादी स०अ०नि० साहेब कुंवर पे०	1.गिरधारी दर्बे पे० स्व० चुनु दर्बे	

	कांड सं0-13/18, दिनांक-17.01.18 धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए0/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं. 75/18	महेन्द्र मंडल सा0 बुढी-झिलुआ थाना सरैयाहाट जिला दुमका	मोटरसाईकिल एवं देशी पिस्टल के साथ पकड़ा जाना।		0एम0 दुमका	रविषंकर पाण्डेय	पे0 हरिद्वार कुंवर सा0 नूरचक थाना सिंगोडी जिला पटना बिहार वर्तमान स0अ0नि0 जरमुण्डी थाना जिला दुमका	हरिद्वार कुंवर सा0 नूरचक थाना सिंगोडी जिला पटना बिहार वर्तमान स0अ0नि0 जरमुण्डी थाना जिला दुमका 2.हव0 सुखीलाल हेम्ब्रम 3.आ0-624 श्रीजल मराण्डी 4.आ0-701 जियालाल हेम्ब्रम 5.आ0-555 जफर इकबाल सभी थाना रिजर्व गार्ड जरमुण्डी थाना दुमका 6.म0चौ0 मालिल हेम्ब्रम पति स्व0 थोथा हेम्ब्रम सा0 कोरडीहा थाना जरमुण्डी जिला दुमका 7.अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 रमेन्द्र सिंह 8.स0अ0नि0 संदीप कु0 सिंह दोनो जरमुण्डी थाना जिला दुमका	2.पंकज दर्बे पे0 विनोद दर्बे दोनो सा0 आसबारी थाना जरमुण्डी जिला दुमका	
4	शिकारीपाड़ा थाना कांड सं0-75/17, दिनांक-02.08.17 धारा-376(डी0) भा0द0वि0 एवं जी0आर0 नं0-626/17	1.सुकन बास्की पे0 वकील बास्की 2.सामुएल मराण्डी पे0 मोतीलाल मराण्डी 3.पौलुस टुडू पे0 रामेश्वर टुडू तीनों सा0 जोगाखोफ थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका	सामुहिक बलात्कार करना।	सभी दिनांक- 23.03.18 से जमानत पर।	एस0डी0जे 0एम0 दुमका	श्री रविषंकर पाण्डेय	वादिनी बसंती मराण्डी पति विकास बास्की सा0 जोगाखोफ थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका	1.डा0 श्वेता बाखला सदर अस्पताल दुमका 2.अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 नेस्तोर केरकेटा थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका 3.चौ0-01/3 गणेश मिर्धा पे0 स्व0 तपन मिर्धा सा0 कदमा थाना रानेश्वर जिला दुमका 4.म0चौ0-4/2 नामिता माल पति स्व0 सुकुमार माल सा0 पथरा थाना रानेश्वर जिला दुमका	1.वादिनी बसंती मराण्डी पति विकास बास्की 2.विकास बास्की पे0 गिरीश बास्की दोनो सा0 जोगाखोफ थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका 3.मानवेल मराण्डी पे0 सॉमाय मराण्डी 4.धोबा सोरेन पे0 कोले सोरेन दोनो सा0 सीताशाल थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका 5.नरेश मिर्धा पे0 समसुधन मिर्धा 6.झादेव मराण्डी पे0 स्व0 सुकूल मराण्डी दोनो सा0 जोगाखोफ थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका 7.पाना बास्की पति बाबुधन हेम्ब्रम 8.बाबुधन हेम्ब्रम पे0 स्व0 मुलू हेम्ब्रम दोनो सा0 मुराआम 9.खुलमा बास्की पति वकील किस्कू 10.मनोज किस्कू पे0 वकील किस्कू दोनों सा0 रामबनी सभी थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका 11.मीनी मुर्मू पे0 रसिक मुर्मू सा0 केशरगढ़	

									12.मिराज अंसारी पे0 अलिमुदीन अंसारी सा0 जोगाखोफ 13.पलटन मिर्यो पे0 स्व0 नुर मोहम्मद 14.मो0 आजाद अंसारी पे0 स्व0 आबेदीन मिर्यो 15.सदाम अंसार पे0 असगर अंसारी 16.फादर अंसारी पे0 स्व0 आबेदीन अंसारी 17.जुवेल किस्कू पे0 दाबित किस्कू 18.सुक चन्द्र मिर्धा पे0 स्व0 इश्वर मिर्धा 19.लुथेर किस्कू पे0 स्व0 सुफल किस्कू सभी सा0 जोगाखोफ थाना शिकारपाड़ा जिला दुमका
5	शिकारीपाड़ा थाना कांड सं0-39/15, दिनांक-07.04.15 धारा-25(1-बी)ए 0/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0नं0 471/15	1.लखीन्द्र राय उर्फ डाक्टर उर्फ जमाम पे0 दिनानाथ राय सा0 पलासबनी थाना गोपीकांदर जिला दुमका-पाकुड़ जेल में 2.सुनिल हेम्ब्रम पे0 अर्जुन हेम्ब्रम उर्फ काहों हेम्ब्रम सा0 गोशालपुर थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका	चेकिंग के दौरान हथियार के साथ दोनो अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई	क्र0-01 पाकुड़ जेल में एवं 02 जमानत पर।	एस0डी0जे 0एम0 दुमका	श्री रविषंकर पाण्डेय	पु0अ0नि0 मिनासी किस्कू पे0 स्व0 आर्मर अर्नेस्ट किस्कू सा0+पो0 बसमता थान बेलहर जिला बाँका बिहार	1.पु0अ0नि0 मिनासी किस्कू पे0 स्व0 आर्मर अर्नेस्ट किस्कू सा0+पो0 बसमता थान बेलहर जिला बाँका बिहार 2.हव0 परशुराम महतो पे0 स्व0 हरिहर महतो 3.आ0-308 महेन्द्र यादव 4.आ0-689 उबीनाथ बास्की 5.आ0-673 सोमलाल मुर्मू 6.आ0-672 इश्वर कुमार सभी थाना रिजर्व एन0सी0एफ0 गार्ड शिकारीपाड़ा जिला दुमका 7.परिचारी प्रवर अवध बिहारी सिंह पु0केन्द्र दुमका 8.अनु0कर्ता स0अ0नि0 योगेश्वर उर्राँव थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका	-
6	सरैयाहाट(हँसडीहा) थाना कांड सं0-130/15, दिनांक-15.07.15 धारा-25(1-बी)ए 0/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0नं0	1.चौद कुमार रजक पे0 रघुनाथ रजक सा0 बंदरजोरी थाना नगर जिला दुमका 2.अनुप कुमार मंडल पे0 सुप्रिति मंडल सा0 राखाबनी थाना नगर जिला दुमका	भागलपुर रोड में चेकिंग के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार	दोनो मंडल कारा गोडडा में	ए0सी0जे0 एम0 दुमका	खुबुद्धीन अली	पु0अ0नि0 अजय कुमार थाना प्रभारी सरैयाहाट जिला दुमका	1.पु0अ0नि0 अजय कुमार तत्कालिन थाना प्रभारी सरैयाहाट जिला दुमका वर्तमान अप0अनु0विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र राँची 2.हव0 कैलाश यादव 3.आ0-299 सुरेन्द्र मुर्मू 4.आ0-828 सुशील कुमार सभी	-

	945 / 15							रिजर्व गार्ड थाना हँसडीहा जिला दुमका 5.परिचारी प्रवर अवध बिहारी सिंह पु0केन्द्र दुमका 6.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 कमलनाथ सिंह थाना हँसडीहा जिला दुमका	
7	जरमुण्डी(तालझारी)थाना काण्ड सं0-225 / 15 दिनांक-30.11.15 धारा-395 / 397 / 412 भा0द0वि0 जी0आर0नं0-152 9 / 15	1 मुकेश कु0 सिंह उर्फ गोविंदा पे0 रामविलास सिंह सा0+था0-चन्दवारा जि0-कोडरमा एवं सा0-छावनी था0-ईचाक जि0 हजारीबाग 2 गुड्डू उर्फ राजेश यादव पे0 देवी यादव सा0 आर0-पत्थरलाहा था-सिमुलतला जि0-जमुई 3 रोहन राउत पे0 बासुदेव राउत सा0 गिधनी था0-जसीडीह जि0 देवघर 4 आयुष कुमार पे0 स्व0 संयासी कुमार सा0-मसरफ रामचन्द्रपुर था0-मसरफ जि0-छपरा बिहार हालमुकाम एच0वी0टाउन था0सवरपुर जि0 चौबीस परगना प0बं0 5 संजीत कु0 शर्मा उर्फ छोटू शर्मा पे0 शम्भू शर्मा सा0 रंगा मोड खिजुरिया	अपराधकर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर धान लदा ट्रक को लूट लेना एवं अनुसंधान के क्रम में लूटा गया ट्रक एवं अन्य समान बरामद होना।	सभी जमानत पर	एस0डी0जे 0एम0 दुमका	श्री रविषंकर पाण्डेय	रमेश यादव पे0 चेनारी यादव सा0 अकोला बनकट था0 आमस जि0 गया बिहार	1 अनु0 अ0नि0 अमित लकड़ा था0प्रभारी तालझारी जि0 दुमका 2 हव0 राजेन्द्र कु0 गौतम पे0 स्व0 सीतराम राय सा0-जरूहा था0-कवंश जि0 कैमूर भभूआ बिहार वर्तमान तालझारी था रिजर्व गार्ड दुमका 3 आ0 848 तहाउद्धीन पे0 स्व0 मो0 शहाबुद्धीन सा0 सुजावलपुर था0 मुफसिल बिहार वर्तमान तालझारी था0 रिजर्व गार्ड दुमका 4 हव0 राजेशवर मंडल पे0 स्व चौवालाल मंडल सा0 भरवीडीह था0 देवीपुर जि0 देवघर वर्तमान तालझारी था0 रिजर्व गार्ड दुमका	1 वादी रमेश यादव 2 मिथलेश यादव दोनों पे0 चेनारी यादव सा0 आकोना बंदकंट थाना आसम जि0 गया बिहार 3 नागेन्द्र कु0 सिंह उर्फ मिटू पे0 राघवेन्द्र सिंह सा0 सांतवा कुराईया था0 कुंडा जि0 देवघर

		थाना-मोहनपुर जिला देवघर 6 सुनील कु0 राय पे0 परशुराम राय सा0-ताजपुर थाना-जनताबाजार जि0छपरा बिहार 7 पिकू कु0 पाण्डेय पे0 सुधाकर पाण्डेय सा0 कर्मपुर था0 लछमीपुर जि0 जमुई बिहार								
8	काठीकुण्ड थाना कांड सं0-52 / 15, दिनांक-22.07.15 धारा-25(1-बी0)ए 0 / 26 / 35 आर्म्स एक्ट जी0आर0नं0 978 / 15	1.मुस्तफा अंसारी पे0 वहिद अंसारी 2.सिराजुल अंसारी पे0 हारुण मियाँ दोनों सा0 बिछिया पहाड़ी थाना काठीकुण्ड जिला दुमका	-	दोनो जमानत पर।	ए0सी0जे0ए म0, दुमका।	खुशबुदीन अली	पु0अ0नि0 नयनसुख डाडेल थाना प्रभारी काठीकुण्ड जिला दुमका	1.पु0अ0नि0 नयनसुख डाडेल थाना प्रभारी काठीकुण्ड जिला दुमका वर्तमान पु0नि0 झारखण्ड जगुआर राँची 2.आ0-713 गजेन्द्र कुमार सिंह पे0 रितेश चन्द्र सिंह सा0 राजापाड़ा थाना+जिला पाकुड़ 3.आ0-602 इन्द्रजीत मुर्मू पे0 विभीषण मुर्मू 4.आ0-620 मंजीत किस्कू पे0 गोपाल किस्कू 5.आ0-656 तरनीसेन बाउरी पे0 विभीषण बाउरी 6.आ0-414 बाबुधन टुडू पे0 सीताराम टुडू सभी रिजर्व गार्ड काठीकुण्ड थाना 7.पु0अ0नि0 रामश्रय सिंह काठीकुण्ड थाना जिला दुमका	जप्ती सूची का गवाह:- 1.रंजय कुमार ताँती पे0 उतीविगन ताँती सा0+थाना कटोरिया जिला बाँका बिहार 2.गया पोद्दार पे0 स्व0 महावीर पोद्दार सा0+थाना बरवारी जिला बेगुसराय बिहार	
9	हंसडीहा थाना कांड सं0-34 / 17, दिनांक-06.05.17 धारा-302 / 34 भा0द0वि0 जी0आर0	1.गुंजन कुमार कापरी पे0 स्व0 कमलकांत कापरी 2.टिंकु कापरी पे0 सुरेश कापरी दोनों सा0 कसवाँ थाना हंसडीहा जिला	एकमत होकर जबरन किरासन तेल छिड़कर आग लगाना जिससे इलाज के क्रम में मृत्यु होना	दोनों जेल में।	ए0डी0जे0 -2, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	स0अ0नि0 विनोद सिंह थाना हंसडीहा जिला दुमका	1.स0अ0नि0 विनोद सिंह थाना हंसडीहा जिला दुमका 2.अ0नि0 शत्रुधन शरण सिंह यादव 3.स0अ0नि0 इन्देव यादव दोनो थाना हंसडीहा जिला दुमका 4.श्रीमति आर0के0 पोद्दार	1.जगरनाथ साह पे0 हीरालाल साह 2.रेखा देवी पति रामनारायण साह 3.विशु साह पे0 जगरनाथ साह 4.प्रमीला देवी पति बैजनाथ साह चारो सा0 कस्तुरी थाना पोड़ैयाहाट जिला गोडडा 5.लक्खी देवी पति स्व0 कमलकांत	

	378/17 एस0टी0 14/18	दुमका						कार्यपालक दण्डाधिकारी सदर भागलपुर बिहार 5.डा0 अरविन्द कुमार एम0ओ0 सदर अस्पताल गोडडा	कापरी 6.मुनीलाल साह पे0 स्व0 भज्जू साह दोनो सा0 कसवाँ थाना हँसडीहा जिला दुमका	
10	सरैयाहाट थाना कांड सं0-02/17, दिनांक-02.01.17 धारा-364 भा0द0वि0, परिवर्तित धारा'-376/302 /201 भा0द0वि0 एवं 4 पॉक्सो एक्ट 01/17 जी0आर0.41/17	रोहित राय पे0 स्व0 भनेश्वर राय ग्राम जावीजोर थाना सरैयाहाट जिला दुमका	नबालिग का अपहरण कर बलात्कार कर हत्या कर शव को छुपाना	जेल में।	ए0डी0जे0 -1, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	वादिनी यशोदा देवी पति अंजनी मंडल सा0 रतनपुर थाना बाराहाट जिला बाँका बिहार वर्तमान ग्राम जावीजोर थाना सरैयाहाट जिला दुमका	1.डा0 श्वेता बाखला 2.डा0 ए0के0 सिंह 3.डा0 रंजन सिन्हा तीनों सदर अस्पताल दुमका 4.अ0नि0 महेश प्रसाद सिंह थाना प्रभारी सरैयाहाट जिला दुमका।	1.वादिनी यशोदा देवी पति अंजनी मंडल सा0 रतनपुर थाना बाराहाट जिला बाँका बिहार वर्तमान ग्राम जावीजोर थाना सरैयाहाट जिला दुमका(पिता रूपलाल ताँती के घर में रहते हैं) 2.रूपलाल ताँती पे0 अनुज ताँती 3.हेबलाल राय पे0 सफाली राय 4.जहरी देवी पति करम ताँती 5.विलोशरी देवी पति रूपलाल ताँती 6.योगेन्द्र ताँती पे0 रूपलाल ताँती 7.तुमड़ी ताँती पति स्व0 हुलास ताँती 8.आनंद कुमार पे0 राजेश कुमार सभी ग्राम जावीजोर थाना सरैयाहाट जिला दुमका 9.गौरीशंकर यादव पे0 झारखंडी यादव सा0 जोकेला थाना सरैयाहाट जिला दुमका	
11	हँसडीहा थाना कांड सं0-85/17, दिनांक-27.09.17 धारा-302/34 भा0द0वि0 जी0आर0 840/17 एस0टी0 31/18	1.साहेबराम मुर्मू उर्फ टुरा मुर्मू पे0 गुरुलाल मुर्मू 2.गंगाराम मुर्मू पे0 गुरुलाल मुर्मू दोनो सा0 मधुवन थाना हँसडीहा जिला दुमका	एक राय होकर मार-पीट कर गंभीर रूप से जख्मी करना तथा इलाज के क्रम में मृत्यु होना	दोनो जेल में	ए0डी0जे0 -2, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	जीवन हेम्ब्रम पे0 बरा मुंशी हेम्ब्रम सा0 मधुवन थाना हँसडीहा जिला दुमका	1.डा0 ओम प्रकाश सदर अस्पताल दुमका 2.अनु0कर्ता अ0नि0 शत्रुघन शरण सिंह यादव हँसडीहा थाना जिला दुमका	1.जीवन हेम्ब्रम पे0 बरा मुंशी हेम्ब्रम सा0 मधुवन थाना हँसडीहा जिला दुमका 2.छोटा जीवन हेम्ब्रम पे0 स्व0 लालजी हेम्ब्रम 3.मंगल हेम्ब्रम पे0 स्व0 पे0 स्व0 लालजी हेम्ब्रम 4.मकल किस्कू पति स्व0 लालजी हेम्ब्रम चारो सा0 मधुवन थाना हँसडीहा जिला दुमका 5.संझली हेम्ब्रम पति रसीसर टुडू सा0 डबला बहियार थाना जामा जिला दुमका वर्तमान सरैयाहाट ब्लॉक मो0नं0-8757639955	

12	हँसडीहा थाना कांड सं०-81/17, दिनांक-18.09.17 धारा-302/201 / 34 भा०द०वि० जी०आर० 799/17	1.मंगरू राय पे० स्व० नारायण राय सा० विशुनपुर (खखारी टोला) थाना हँसडीहा जिला दुमका 2.जयशंकर सिराय पे० सुलेमान सिराय सा० डमरजोर थाना रामगढ़ जिला दुमका	एक मत होकर पत्थर से कुचलकर हत्या कर शव को छुपा देना	दोनो जेल में।	एस०डी०जे ०एम०, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	धनेश्वर राय पे० सुमन राय सा० विशुनपुर (खखारी टोला) थाना हँसडीहा जिला दुमका	1.डा० आनंद मोहन सोरेन सदर अस्पताल दुमका 2.अनु०कर्ता अ०नि० शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी हँसडीहा जिला दुमका	1.धनेश्वर राय पे० सुमन राय सा० विशुनपुर (खखारी टोला) थाना हँसडीहा जिला दुमका 2.नक्षत्र राय पे० स्व० बदरी राय 3.संतोष राय पे० नक्षत्र राय दोनो सा० विशुनपुर (खखारी टोला) थाना हँसडीहा जिला दुमका 4.जीतन मुर्मू पे० बेटका मुर्मू सा० भजडीहा थाना हँसडीहा जिला दुमका
13	शिकारीपाड़ा थाना कांड सं०-24/15, दिनांक-14.03.15 धारा-25(1-बी०)ए ०/26 आर्म्स एक्ट जी०आर० 355/17	सिदिक अंसारी उर्फ बड़का पे० कुर्बान मियाँ सा० ढाका थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	दिनांक- 23.12.15 से जमानत पर।	एस०डी०जे ०एम०, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	पु०अ०नि० नेस्तोर केरकेटा थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका	1.पु०अ०नि० नेस्तोर केरकेटा थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका 2.पु०अ०नि० सुमन कु० सुमन 3.स०अ०नि० योगेश्वर उराँव दोना थाना शिकारीपाड़ा दुमका 4.हव० धर्मेन्द्र राय 5.आ०-308 महेन्द्र प्रसाद यादव 6.आ०-689 उकीमाल बास्की 7.आ०-669 दिवाकर दुबे 8.आ०-707 संजय कुमार हाँसदा 9.आ०-624 श्रीजल मराण्डी 10.आ०-672 इश्वर कुमार सभी एन०सी०एफ० गार्ड थाना शिकारीपाड़ा दुमका 11.अनु०कर्ता स०अ०नि० बैजनाथ बेसरा थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका	-
14	जरमुण्डी थाना कांड सं०-59/17, दिनांक-22.08.17 धारा-379/420 भा०द०वि० एवं 66(सी०) आई०टी० एक्ट जी०आर०नं०	1.तिलक कुमार मंडल 2.मिथुन मंडल दोनो पे० बहादुर मंडल 3.राजकुमार मंडल 4.जितेन्द्र कुमार मंडल दोनो पे० रूप नारायण मंडल सभी सा० कंदाटाँड़	-	सभी जमानत पर।	एस०डी०जे ०एम०, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	वादिनी पंचामति देवी पति बंधु भण्डारी सा० कटिम्बा थाना जरमुण्डी जिला दुमका	1.हव० बिरजु केवट पे० स्व० सरयु केवट सा० फुलपहाड़ी थाना लिटपाड़ा जिला पाकुड़ 2.आ०-155 जफर इकबाल पे० स्व० मंजर अफाक सा० बरदाहा सा० विसपी जिला मधुबनी बिहार वर्तमान दोनो जरमुण्डी थाना रिजर्व गार्ड जिला दुमका 3.श्रीराम सामद पुलिस उपा०	1.वादिनी पंचामति देवी पति बंधु भण्डारी सा० कटिम्बा थाना जरमुण्डी जिला दुमका 2.शनिचरी देवी पति जयकांत ठाकुर 3.बैजनाथ ठाकुर पे० जयकांत ठाकुर दोनो सा० गोविन्दपुर थाना सरैयाहाट जिला दुमका 4.राम कुमार राय पे० नुनुलाल राय 5.बन्धु मराण्डी पे० गोपाल मराण्डी

	696 / 17	थाना-मारगोमुण्डा, जिला देवघर						साईबर जिला दुमका 4.अनु0कर्ता0 पु0नि0 विष्णु प्रसाद चौधरी थाना प्रभारी जरमुण्डी जिला दुमका।	दोनो सा0 कटिम्बा थाना जरमुण्डी जिला दुमका	
15	गोपीकांदर थाना कांड सं0-09 / 17, दिनांक-09.03.17 धारा-18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट जी0आर0नं0 185 / 17, एन0डी0पी0एस0-01 / 17	1.कहाँ किस्कू उर्फ मरांग किस्कू पे0 सीताराम किस्कू 2.प्रधान हेम्ब्रम पे0 जी0तु हेम्ब्रम दोनो सा0 जड़ाकी थाना अमड़ापाड़ा जिला पाकुड़	अवैध पोस्ता की खेती व अफीम का उत्पाद करना।	दिनांक- 03.02.18 से दोनों जमानत पर।	ए0डी0जे0 -1, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	पु0अ0नि0 प्रमोद रंजन थाना प्रभारी गोपीकांदर पे0 स्व0 राजेन्द्र राम सा0+थाना पटमदा जिला जमशेदपुर	1.पु0अ0नि0 प्रमोद रंजन थाना प्रभारी गोपीकांदर पे0 स्व0 राजेन्द्र राम सा0+थाना पटमदा जिला जमशेदपुर 2. श्री एमानुएल बास्की अपर पुलिस अधीक्षक(अभियान), दुमका 3.राकेश कुमार घोष पे0 आशुतोष घोष प्रखण्ड कृषी, पदा0 गोपीकांदर दुमका पता-सा0+थाना+जिला बाँका बिहार 4.स0अ0नि0 जॉन मिंज थाना गोपीकांदर 5.प्रणव शुक्ला सहायक कमांडेंट SSB, 18-BN. E-Coy कैम्प-गोपीकांदर थाना जिला दुमका 6.हव0 राम प्रवेश यादव 7.आ0-708 अलब्रेट टुटी 8.आ0-305 प्रवीन्द्र कुमार 9.आ0-740 इश्वर चन्द्र गगराई 10.चा0आ0-913 अजय कुमार किस्कू सभी थाना रिजर्व गार्ड गोपीकांदर जिला दुमका 11.पु0नि0 विवेकानंद काठीकुण्ड प्रभाग जिला दुमका	1.होपन मई मराण्डी पति सुशील सोरेन 2.लीलमुनी मुर्मू पति स्व0 भोगोली मराण्डी दोनो सा0 हेठ-सिलोंग थाना गोपीकांदर जिला दुमका।	15
16	जामा थाना कांड सं0-48 / 13, दिनांक-25.04.13 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट जी0आर0नं0 565 / 13 एस0टी0-10 / 13	जितेन्द्र साह पे0 रामबाबु साह सा0 लखनपुर थाना जामा जिला दुमका	शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करना	दिनांक- 05.10.13 से जमानत पर।	ए0डी0जे0 -1, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	वादिनी पिकी कुमारी पे0 देवदास मोहली सा0 लखनपुर थाना जामा जिला दुमका	1.डा0 श्वेता बाखला 2.डा0 संगीता टोपनो दोनो सदर अस्पताल दुमका 3.अनु0कर्ता अ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना प्रभारी जामा जिला दुमका।	1.वादिनी पिकी कुमारी पे0 देवदास मोहली 2.बुद्धनी देवी पति देवदास मोहली 3.शिवलाल मोहली पे0 देवदास मोहली 4.भिखु मोहली पे0 स्व0 उगन मोहली 5.गोविन्द्र मंडल पे0 स्व0 कालु मंडल 6.देवदास मोहली पे0 मंगल मोहली सभी सा0 लखनपुर थाना जामा जिला दुमका	
17	दुमका मुफसिल थाना काण्ड सं0-97 / 17 दिनांक-07.09.17 धारा-341 / 342 /	1.मो0 सुदाम अंसारी 2. मो0 शाहबाज अंसारी दोनो पे0 अमजद अंसारी 3.इमरान अंसारी पे0 सुमान अंसारी 4.कुर्बान अंसारी पे0 मंसुर अंसारी 5.मो0	सामुहिक बलात्कार	सभी जेल में	ए0डी0जे0 -2, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	वादिनी ममता टुडू पे0 श्री जमीन टुडू सा0 हथियापाथर थाना टोंगरा वर्तमान कड़हरबील शिवपहाड़ के सामने थाना	1.डा0 श्वेता बाखला 2.डा0 संतोष साह 3.डा0 रितेश वर्मा तीनों सदर अस्पताल दुमका 4.पु0नि0 विनय कुमार सिन्हा थाना प्रभारी मुफसिल	1.वादिनी ममता टुडू पे0 श्री जमीन टुडू 2.जमीन टुडू पे0 स्व0 प्रधान टुडू 3.विकास टुडू पे0 जमीन टुडू तीनों सा0 हथियापाथर थाना टोंगरा वर्तमान कड़हरबील शिवपहाड़ के सामने थाना मुफसिल जिला दुमका। 4.अशरफ कमाल पे0 कमलुदीन सा0	

	323 / 376(डी0) / 387 / 201 / 504 भा0द0वि0 जी0आर0नं0 764 / 17 एस0टी0नं0 207 / 17	जियाउल अंसारी पे0 लैयब अली सभी सा0 नावाडीह तेलिया 6.सुरज सोरेन पे0 श्याम सोरने 7.शैलेन्द्र मराण्डी पे0 रसिक मराण्डी 8.जय प्रकाश हेम्ब्रम पे0 सकिल हेम्ब्रम 9. अलविनुस हेम्ब्रम पे0 बुदेश हाँसदा चारो सा0 कोदो खीचा 10.अमित राणा पे0 दुलस राणा सा0 चान्दोपानी 11.सुमन सोरेन पे0 चुण्डा सोरेन सा0 बागडुबी 12.दानियल किस्कू पे0 स्व0 रामेश्वर किस्कू सा0 तारा जोडा 13.जॉन मुर्मू 14.मार्शल मुर्मू दोनो पे0 कालेशकर मुर्मू सा0 गुइयाजोरी 15.हाविल टुडू पे0 जोयनल टुडू सा0 रानीपिण्डा 16. सुभाष हाँसदा पे0 परमेश्वर हाँसदा 17.नीरज हाँसदा पे0 नील हाँसदा दोनो सा0 कोदीखीचा					मुफफसिल जिला दुमका।	5.पु0नि0 मनोज कु0 ठाकुर थाना प्रभारी नगर सभी जिला दुमका।	बनियापाड़ा नीयर भी0टी0आई0 दुधानी थाना नगर 5.विशाल बशिष्ठ पे0 सुनिल कु0 चौबे सा0 डंगालपाड़ा हिंजला रोड थाना मुफफसिल 6.देवरत्न सिंह पे0 देवव्रत सिंह सा0 बाबुपाड़ा शारदा सिनेमा के निकट थाना नगर 7.पार्थ सारथी सरकार पे0 शान्तनु सरकार 8.शान्तनु सरकार पे0 जितेन्द्रनाथ सरकार 9.अरिन्दम सरकार पे0 शान्तनु सरकार तीनों सा0 लखीकुण्डी बाघमारा रोड थाना मुफफसिल	
18	काठीकुण्ड थाना काण्ड सं0-57 / 13 दिनांक-06.07.13 धारा-25(1-बी0)ए 0 / 26 / 35 आर्म्स एक्ट जी0आर नं0-1003 / 13	1.सिरील हेम्ब्रम पे0 कोर्नेलियुस हेम्ब्रम सा0 पच्चु बाड़ा थाना अमडपाड़ा जिला पाकुड़ 2.चुण्डा हेम्ब्रम पे0 सनातन हेम्ब्रम सा0 अहरी चुआँ थाना गोपीकांदर जिला दुमका	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	-	ए0सी0जे0ए म0, दुमका।	खुशबुदीन अली	पु0अ0नि0 अशोक कुमार थाना प्रभारी काठीकुण्ड जिला दुमका	1.पु0अ0नि0 अशोक कुमार थाना प्रभारी काठीकुण्ड जिला दुमका 2.अ0नि0 चोन्हास कुमार मिंज 3.अ0नि0 प्लेयर किस्कू दोनो थाना काठीकुण्ड 4.हव0 बच्चन यादव 5.आ0-713 गजेन्द्र सिंह 6.आ0-670 अनिल कु0 पाण्डेय 7.हव0 अरुण कुमार झा 8.आ0-604 गंगा राम चौड़ें 9.आ0-402 सोमा लाल मुर्मू 10.आ0-701 जीतलाल हेम्ब्रम	1.संत मराण्डी पे0 स्व0 स्टीफन मराण्डी 2.अर्जुन मराण्डी पे0 स्व0 भवकु मराण्डी दोनो सा0 बड़ा मालकोन थाना काठीकुण्ड जिला दुमका	18

								सभी रिजर्व गार्ड थाना काठीकुण्ड जिला दुमका।		
19	शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं०-85/13 दिनांक-29.06.13 धारा-25(1-बी०)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० 964/13	1.नरेश केवट पे० खाखुन केवट सा० दलदली थाना काठीकुण्ड 2.सुरेन्द्र साह पे० धीरन साह सा० नोनीगाँव थाना हँसडीहा 3.पौलुस हेम्ब्रम उर्फ गायना हेम्ब्रम पे० स्व० मुँशी हेम्ब्रम सा० झीलीडाबर थाना शिकारीपाड़ा सभी जिला दुमका।	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना		एस०डी०जे०एम०, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	अ०नि० प्लेयर किस्कू थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा जिला दुमका	1.अ०नि० प्लेयर किस्कू थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा जिला दुमका वर्तमान पु०नि रेल जमशेदपुर। 2.अनु०कर्ता स०अ०नि० बानेश्वर भगत थाना शिकारीपाड़ा 3.हव० जोसेफ किस्कू 4.आ०-707 जगदीश हाँसदा 5.आ०-308 महेन्द्र प्रसाद यादव 6.आ०-689 उबीनाथ किस्कू 7.आ०-510 गणेश मुर्मू 8.आ०-670 अनिल कु० पाण्डेय 9.आ०-455 मनोज कु० हेम्ब्रम सभी एन०सी०एफ० गार्ड थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका।	-	19
20	गोपीकांदर थाना काण्ड सं०-14/18 दिनांक-22.03.18 धारा-25(1-बी०)ए०/26 आर्म्स एक्ट जी०आर० 324/18	शिवलाल उर्फ कैलाश मराण्डी पे० सुतीलाल मराण्डी सा० दुर्गापुर थाना गोपीकांदर जिला दुमका	चोरी कर मोटरसाईकिल एवं अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	जेल में।	ए०सी०जे०एम०, दुमका।	खुशबुदीन अली	स०अ०नि० राजुराम पे० स्व० ननहकु राम सा० मेधवन टोली प्रेमनगर थान+जिला लोहरदगा वर्तमान पदस्थापन थाना गोपीकांदर जिला दुमका।	1.स०अ०नि० राजुराम पे० स्व० ननहकु राम सा० मेधवन टोली प्रेमनगर थान+जिला लोहरदगा वर्तमान पदस्थापन थाना गोपीकांदर जिला दुमका। 2.हव० उपेन्द्र मंडल 3.आ०-407 बुजमोहन सिंह 4.आ०-396 कमल बाड़ा 5.आ०-280 जितेन्द्र कुमार सिंह 6.आ०-606 चुण्डा टुडू 7.आ०-463 राहुल मराण्डी 8.आ०-170 मुकेश कुमार सभी थाना रिजर्व गार्ड जिला दुमका 9.परिचारी प्रवर संतोष कुमार पुलिस केन्द्र दुमका 10.अनु०कर्ता स०अ०नि० अनिल कुमार थाना गोपीकांदर जिला दुमका।	1.मनोज दास पे० भवानी दास 2.पंचानंद दास पे० सुधीर दास दोनो सा० खरौनी बाजार थाना गोपीकांदर जिला दुमका।	
21	रानेश्वर थाना काण्ड सं०-15/17 दिनांक-25.06.17	1.हरिलाल राय पे० बरजो राय 2.कारु राय पे० हरिलाल राय	एक मत होकर लाठी डंडे एवं कुल्हाड़ी से मारपीट कर	सभी जमानत पर	पी०डी०जे०, दुमका,	श्री अवध बिहारी सिंह	सुनिल राय पे० जगरनाथ राय उर्फ पिलु राय सा० बोराडंगाल थाना	1.पु०अ०नि० अरुण कुमार तिवारी थाना रानेश्वर जिला दुमका 2.डा० बी०के० सिन्हा सदर अस्पताल दुमका	1.सुनिल राय पे० जगरनाथ राय उर्फ पिलु राय सा० बोराडंगाल थाना रानेश्वर जिला दुमका। 2.रीना राय पे० स्व० जगरनाथ राय	

	धारा-147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 324 / 307 / 302 भा0द0वि0 एस0टी0 198 / 17	3.गुस्सू राय पे0 हरिलाल राय 4.गोन्दो राय पे0 हरिलाल राय 5.फुटबॉल राय 6.झुला राय दोनो पे0 महादेव राय सभी सा0 फादीलपुर थाना रानेश्वर जिला दुमका।	जख्मी करना जिससे इलाज के क्रम मे मृत्यु होना				रानेश्वर जिला दुमका।		3.दीना देवी पति दशरथ राय 4.ललीता देवी पति जगरनाथ राय सभी सा0 बोराडंगाल थाना रानेश्वर जिला दुमका। 5.मंगलीय किस्कू पति चुरका हेम्ब्रम 6.चुरका हेम्ब्रम पे0 स्व0 सोम हेम्ब्रम 7.किशन हेम्ब्रम पे0 चुरका हेम्ब्रम 8.पुर्ण चन्द्र गोरार्ई पे0 जगदीश चन्द्र गोरार्ई सभी सा0 कुचियाडाली थाना रानेश्वर जिला दुमका।	
22	शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0-09 / 17 दिनांक-23.01. 2017 धारा-4 / 5 वि0पदा0अधि0 एस0टी0 82 / 17	1.सलाम अंसारी पे0 मिराज अंसारी सा0-हासापाथर थाना शिकारीपाड़ा दुमका 2. दिनवन्दु घोष पे0-मलाई घोष सा0-मलूटी थाना-शिकारीपाड़ा जिला-दुमका।		दोनों जमानत पर	ए0डी0जे0 -2, दुमका।	श्री दिनेश कु0 ओझा	पु0नि0 अजय कुमार केशरी थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा दुमका।	1.पु0अ0नि0 धीरेन्द्र राय शिकारीपाड़ा 2.वादी पु0नि0 अजय कुमार केशरी थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा 3.स0अ0नि0 बाबूधन टूडू, थाना-शिकारीपाड़ा 4. हव0 सनातन टुडू शिकारीपाड़ा 5.आ0-290 मनोज कुमार पाण्डेय शिकारीपाड़ा 6.आ0-245 मनोज कुमार सिंह, शिकारीपाड़ा 7.आ0-264 सीताराम विश्वकर्मा पे0 स्व0 चन्द्रशेखर विश्वकर्मा	-	22
23	शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं0-18 / 17 दिनांक-21.02. 2017 धारा-4 / 5 वि0पदा0अधि0 जी0आर0 131 / 17	1.लतीफूल शेख पे0-किवरीया शेख सा0-कमलापहाड़ी 2. मीटू शेख पे0-अब्दुल शेख सा0-लखी नारायपुर दोनो थाना-नलहटी जिला- विरभूम(प0ब0) 3. मिस्टर शेख 4. अपुजल अंसारी दोनो सा0-सलिम अंसारी सा0-कोटहावदार थाना-शिकारीपाड़ा		सभी जमानत पर।	एस0डी0जे 0एम0, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	पु0नि0-सह- थाना प्रभारी अजय कुमार केशरी शिकारीपाड़ा थाना	1 .पु0अ0नि0 धीरेन्द्र राय शिकारीपाड़ा 2. वादी पु0नि0-सह-थाना प्रभारी अजय कुमार केशरी 3. दिलीप मिर्घा पे0- लक्ष्मन मिर्घा सा0+थाना-पौडाई जिला-विरभूम वर्तमान-माँ तारा लाईन होटल ससूर-तुजू मिर्घा सा0-सरसडंगल थाना-शिकारीपाड़ा दुमका 4. चौ0-3 / 9 हराधन मोहली पे0- दिवान मोहली सा0-जामकन्दर थाना-शिकारीपाड़ा जिला-दुमका 5.आ0-1817 दुर्गाचरण महतो पे0-उलई महतो, शिकारीपाड़ा दुमका 6. आ0-464 सिताराम विश्वकर्मा पे0- स्व0 चन्द्रशेखर विश्वकर्मा	-	23

		जिला-दुमका।						शिकारीपाड़ा थाना रिजर्व गार्ड 7. हव0 सनातन किस्कू शिकारीपाड़ा 8. पु0अ0नि0 नेस्तोर केरकेटा शिकारीपाड़ा थाना 9.आ0-245 मनोज कुमार सिंह शिकारीपाड़ा थाना रिजर्व गार्ड 10.चालक गृहरक्षक 10214 पुरनचन्द्र गोरार्ई पे0-स्व0 देवेन्द्रनाथ गोरार्ई सा0-गन्दरकपुर थाना-शिकारीपाड़ा दुमका	
24	गोपाकान्दर थाना काण्ड सं0-26/17 दिनांक-28.11.17 धारा-25(1-बी0)ए / 26 आर्म्स एक्ट जी0आर0 1075/15	अमिन हेम्ब्रम पे0-स्व0 कुबराज हेम्ब्रम सा0-कुण्डापहाड़ी थाना-गोपीकान्दर दुमका।	जमानत पर	ए0सी0जे0एम0, दुमका।	खुशबुदीन अली	स0अ0नि0 योगेश्वर उरॉव, गोपीकान्दर दुमका।	1.स0अ0नि0 सरयूटाना भगत, थाना गोपीकान्दर 2.स0अ0नि0 योगेश्वर उरॉव थाना गोपीकान्दर 3.स0अ0नि0 जोन मिंज थाना-गोपीकान्दर 4.स0अ0नि0 राजू राम, थाना-गोपीकान्दर 5.स0अ0नि0 अनिल कुमार थाना-गोपीकान्दर 6.हव0 उपेन्द्र मण्डल थाना-गोपीकान्दर 7.आ0-170 मुकेश कुमार राय थाना-गोपीकान्दर 8.आ0-688 सुबलचन्द्र मण्डल थाना- गोपीकान्दर, 9. आ0-159 राजेश कुमार थाना-गोपीकान्दर 10.परिचारी प्रवर संतोष कुमार पुलिस केन्द्र दुमका।	1.शिवलाल हेम्ब्रम पे0-स्व0 सोम हेम्ब्रम 2.साक्षी रंजन हाँसदा पे0 स्व0 छुतर हेम्ब्रम दोनो सा0-कुण्डापहाड़ी थाना-गोपीकान्दर जिला दुमका	24
25	शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं-13/17 दिनांक-08.02. 2017 धारा-364/34 भा0द0वि0 परिवर्तित धारा-302/201	1.बुधीनाथ टुडू 2.सोमाय टुडू 3.राम टुडू 4.सनातन टुडू सभी पे0-सूकोल टुडू सा0- ठाकुरानटोला थाना-शिकारीपाड़ा दुमका।	सभी जेल में।	ए0डी0जे0-4, दुमका।	श्री सुरेन्द्र प्र0 सिन्हा	मकु बेसरा पति-रुबेन मराण्डी सा0- आसनवनी थाना- शिकारीपाड़ा दुमका।	1.पु0अ0नि0 नेस्तोर केरकेटा(अनु0कार्ता0) शिकारीपाड़ा 2.डॉ दिलीप कुमार केशरी सदर अस्पताल दुमका।	1.मकु बेशरा पति रुबेन मराण्डी 2.रसिद मराण्डी पे0-रुबेन मराण्डी 3.गोपेश चौडे पे0-स्व0 सोमाय चौडे सभी सा0 आसनवनी 4.बालेश्वर बेसरा पे0-स्व0 रूपाई मराण्डी सा0 झासापाथर 5.सुभान मराण्डी पे0-बबलू मराण्डी सा0 आसनवनी थाना शिकारीपाड़ा	25

	भा0द0वि0 एस0टी0 18 / 17								दुमका 6.ललन हाँसदा पे0-लोबीन हाँसदा सा0 आसनवनी 7.निर्मल टुडू पे0 गोपाल टुडू सा0 ठकुरानटोला 8.सुभाष टुडू पे0 पोटोल टुडू सा0 ठकुरानटोला 9.परमेश्वर मुर्मू पे0-स्व0 पाण्डू मुर्मू सा0 ठकुरानटोला 10.सुदीप मुर्मू पे0 पेरू मुर्मू सा0 ठकुरानटोला 11.कालीदास मुर्मू पे0 स्व0 कालीचरण मुर्मू सा0 ठकुरानटोला सभी थाना शिकारीपाड़ा जिला दुमका।	
26	काठीकुण्ड थाना काण्ड सं0-72 / 16 दिनांक-29.11.16 धारा-386 / 414 / 34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए / 26 / 35 आमर्स अधि0 17 सी0एल0ए0 एक्ट तथा 10 / 13 यु0ए0पी0 एक्ट। जी0आर0 1356 / 16	1.मिथलेश मण्डल उर्फ मोछू उर्फ मोटू पे0-स्व0 एतवारी मण्डल सा0-मरगोडीह थाना-गाण्डेय जिला-गिरीडीह 2.अजय कुमार मण्डल पे0-वासूदेव मण्डल सा0-पँचनटाँड थाना-अहिल्यापुर जिला-गिरीडीह 3.श्रीराम राय पे0-सिद्धेश्वर प्रसाद राय सा0-गोलडीह थाना-चाँदन जिला-बांका बिहार 4. चन्दन कुमार सिंह उर्फ छोटूवा पे0-सुनिल प्रसाद सिंह सा0-कोराने थाना-चन्द्रमण्डी जिला-जमुई बिहार 5.सन्नी कुमार	क्र0-01 जेल में एवं क्र0-02, 03, 04, 05 जमानत पर।	ए0सी0जे0ए म0, दुमका।	खुशबुदीन अली	पु0अ0नि0 सचिन कुमार दास थाना प्रभारी काठीकुण्ड।	1 स0अ0नि0 रामनाथ खेरवार, काठीकुण्ड 2.वादी पु0अ0नि0 सचिन कुमार दास थाना प्रभारी काठीकुण्ड 3. पु0नि0 अजय कुमार केशरी 4.पु0नि0 उपेन्द्र सिंह, अंचल निरीक्षक हँसडीहा 5.पु0अ0नि0 मनोज कुमार राय थाना प्रभारी रामगढ़ 6.पु0अ0नि0 फगुनी पासवान तत्कालीन थाना प्रभारी जामा वर्तमान पता-लातेहार 7.हव0 सतिश कुमार ठाकुर पे0-धनसी प्रसाद सा0-फण्डेपूरा थाना+जिला-लातेहार तत्कालिन थाना-काठीकुण्ड थाना रिजर्व गार्ड पदस्थापित JAP-09 साहेबगंज 8.ठा0-576 दिवान अली जेव खाँ पे0 फजलू रेहमान सा0 नोहेटा थाना चैनपुर जिला कैमुर(भभूआ)बिहार 9.आ0-274 रामजनम राम पे0-स्व0 धनुराम सा0 भदुआ थाना हैदरनगर जिला पलामू	1.शिवनारायण मण्डल पे0-स्व0 मिटू पाल 2.लधू पाल पे0-अमि पाल दोनो सा0 काठीकुण्ड बाजार थाना-काठीकुण्ड जिला-दुमका	26	

		पे०-कामुरजवार सा०-ढाढीदुलमपुर थाना-कुण्डा जिला-देवघर।						10.आ०-401 सुरेन्द्र टोपनो पे०-स्व० सूकरू टोपनो सा०-नावागज डाइटोली थाना-रायडीह जिला-गुमला 11.आ०-575 संतोष कुमार ठाकुर पे० स्व० रूपनारायण ठाकुर सा०-चौदा थाना-ठाकुरगंगटी जिला-गोडडा सभी पदस्थापित JAP-09 साहेबगंज 12. पुलिस अपाधीक्षक (मु०) प्रथम दुमका श्री अशोक कुमार सिंह 13.परिचारी प्रवर श्री अवध बिहारी सिंह ततत्कालिन पुलिस केन्द्र दुमका वर्तमान खुँटी जिला।		
27	सरैयाहाट थाना काण्ड सं०-79/17 दिनांक-07.07.17 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी०)ए/26 / 35 आर्म्स एक्ट एस०टी० 209/17	1.धर्मवीर कु० साह पे०-श्याम साह सा०-तितको थाना सरैयाहाट जिला-दुमका 2.अनिल मण्डल पे०-मदन मण्डल सा०-बलथरिया थाना-बौसी जिला-बांका (बिहार) 3. चंदन कु० उर्फ चंदन यादव पे०-विष्णु यादव सा०-मेशीबरण थाना-कटोरिया जिला-बांका(बिहार) 4. राजकुमार यादव पे०-मुखलाल यादव सा०-मनिया थाना-कटोरिया जिला-बांका(बिहार)		क्र०-01 सम्प्रेषण गृह दुमका एवं 02 जमानत पर तथा 03, 04 जेल में।	ए०डी०जे० -1, दुमका।	श्री दिनेश कु० ओझा	पु०अ०नि० महेश प्र० सिंह थाना प्रभारी सरैयाहाट	1.अनु०कर्ता स०अ०नि० विजय कु० दुबे सरैयाहाट थाना 2.वादी महेश प्र० सिंह थाना प्रभारी सरैयाहाट 3. आ०-808 अशोक कु० यादव कम्प्यूटर ओपरेटर सरैयाहाट थाना 4. गू०र० 8614 अनिरुध प्र० यादव पे०-स्व० बद्र प्र० यादव सा०-टोंगी थाना-सरैयाहाट जिला दुमका 5.गू०.र० 8270 भीम प्र० यादव पे०-दारो यादव सा०-करोडीह थाना-सरैयाहाट जिला दुमका 6. परिचारी प्रवर श्री अवध बिहारी सिंह पुलिस केन्द्र दुमका 7.आ०-385 विनोद प्रजापती सरैयाहाट थाना रिजर्व गार्ड जिला दुमका		27
28	दुमका(मु०) थाना काण्ड सं०-142/17 दिनांक-22.11.17 धारा-25(1-बी०)ए	विकास राज हेम्ब्रम पे०-सोम हेम्ब्रम सा०-श्रीआमडा थाना-दुमका(मु०) जिला-दुमका		जेल में।	सी०जे०एम 0, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	पु०नि० कामेश्वर कु० सिंह थाना प्रभारी दुमका(मु०)	1.अ०क० स०अ०नि० मनोज कु० मिश्रा दुमका(मु०) थाना 2. पु०नि० कामेश्वर कु० सिंह थाना प्रभारी दुमका(मु०) 3.हव० मुकेश कु० सिंह		28

	/26 आर्म्स एक्ट जी0आर 1058 / 17							4. हव0 संजय सिंह 5. आ0-196 दिनेश बाडा 6.आ0-509 दीपक मोहन्ती सभी थाना रिजर्व गार्ड दुमका(मु0) थाना 7.परिचारी प्रवर संतोष कु0 पुलिस केन्द्र दुमका।	
29	हसँडीहा थाना काण्ड सं0-99 / 17 दिनांक-11.11.17 धारा-395 भा0द0वि0 परिवर्तित धारा 395 / 397 / 412 / 120 बी0 भा0द0वि0 जी0आर0 997 / 17	1.सुरज मण्डल पे0-किशोर कु0 मण्डल सा0-मिराचक पो0-बहादुरपुर (सबौर) थाना-जिरोमाईल (औद्योगिक क्षेत्र) जिला-भागलपुर 2.मुकेश कु0 पे0-उमेश मण्डल सा0-उपरोक्त 3.हीरा कु0 मण्डल पे0-उपेन्द्र मण्डल सा0-उपरोक्त 4.डबलू पासवान पे0-स्व0 बोधी पासवान सा0-सरदारपुर थाना-मधुसूदन पुर जिला-भागलपुर 5.चंदन कु0 पे0-अशोक मण्डल सा0-दाउदबाट थाना-हबिबपुर जिला-भागलपुर 6.अजाद यादव पे0-विनोद प्र0 यादव सा0-उपरोक्त 7.दिनेश पासवान पे0-राजेन्द्र पासवान सा0-खीरीवाँध थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर 8.असराफुल हक पे0-स्व0 शेख अहमद उर्फ मोहम्मद सा0-पश्चिमी प्राणपुर (यादलीटोला) थाना-राधानगर जिला-साहेबगंज।		सभी जेल में।	एस0डी0जे 0एम0, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	रिंकू यादव पे0-स्व0 नरेश यादव सा0-चौधरीडीह	1.(अनु0कर्ता) पु0अ0नि0 शैलेन्द्र कु0 पाण्डेय थाना प्रभारी हसँडीहा 2.सुबोध कुमार पाण्डेय, कारापाल, केन्द्रीय कारा दुमका	1.रिंकू यादव पे0-स्व0 नरेश यादव सा0-चौधरीडीह 2.रघुवंश यादव पे0-अशोक यादव सा0-डंडा बाजार थाना-गौराडीह जिला-भागलपुर 3.मो0 मुस्ताख आहमद पे0-मो0 मुमताज सा0+थाना-ईसाकचक जिला-भागलपुर

30	शिकारीपाड़ा थाना काण्ड सं०-53/14 दिनांक-04.06.14 धारा-25 (1-बी०)ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर०नं० 747/14	1.नरेश केवट पे० स्व० खखनु केवट 2.राहुल हाँसदा पे० ग्रन्हु हाँसदा दोनों सा० दलदली थाना काठीकुण्ड जिला दुमका	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना।	क्र०-01 जेल में क्र०-02 जमानत पर।	पु०अ०नि० मेनासी किस्कू थाना शिकारपाड़ा पे० स्व० आर्थर अर्नेस्ट किस्कू सा०+पो० बसमता थाना बेलहर जिला बाँका बिहार।	एस०डी० जे०एम०, दुमका।	श्री रामकिंकर पाण्डेय	1.पु०अ०नि० मेनासी किस्कू थाना शिकारपाड़ा पे० स्व० आर्थर अर्नेस्ट किस्कू सा०+पो० बसमता थाना बेलहर जिला बाँका बिहार। 2.हव० कैलाश यादव पे० सरयु प्रसाद राय सा० गुमा थाना पोडैयाहाट जिला गोडडा 3.आ०-548 अजीत कुमार पे० स्व० राजेन्द्र मंडल सा० गरडी पो० नावाडीह थाना न्यु रामनगर 4.आ०-680 बटेश्वर हेम्ब्रम पे० चन्द्रा हेम्ब्रम सा० पत्थर करनी थाना पथलगामा जिला गोडडा 5.आ०-670 अनिल कु० पाण्डेय पे० कांती प्रसाद पाण्डेय सा० खावाढा पो० घाटीबार थाना सुन्दर पहाड़ी जिला गोडडा 6.आ०-308 महेन्द्र यादव पे० महादेव महतो सा० बैघनाथपुर थाना नारायणपुर जिला जामताड़ा 7.हव० राजेन्द्र पंजियारा पे० स्व० रामबिलास पंजियारा सा० रजौली थाना देवथा जिला मधुबनी बिहार वर्तमान सभी शिकारीपाड़ा थाना रिजर्व गार्ड 8.परिचारी प्रवर अनिल कुमार सिंह पुलिस केन्द्र दुमका 9.अनु०कर्ता स०अ०नि० योगेश उरॉव थाना शिकारीपाड़ा		
31	जरमुण्डी थाना कांड सं०-18/18, दिनांक-29.01.18, धारा-419/420/467/468/471/120बी० भा०द०वि० एवं 66(बे)(के) पञ्च।बजप जी०आर०नं० 119/18	1.धनु कुमार मंडल पे० सर्वेश्वर मंडल 2.राधेश्याम मंडल पे० सुधीर मंडल 3.शशी मंडल पे० अशोक मंडल 4.नितेश मंडल पे० कपिलदेव मंडल सभी सा० चोरखेदा थान जरमुण्डी जिला दुमका	धोखा धड़ी और षडयंत्र कर बैंक मैनेजर बनकर फर्जी सीम से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाता से रूपये उड़ा लेना।	क्र०-02 राधेश्याम मंडल जमानत पर एवं क्र०-01, 03, 04 जेल में।	एस०डी०जे०एम०, दुमका।	श्री राम किंकर पाण्डेय ए०पी०पी० दुमका।	राजेश पासवान उम्र 42 वर्ष पे० महेश्वर पासवान ग्राम सघेड़ा टोला बाना चौसा जिला मधेपुरा वर्तमान स०अ०नि० जरमुण्डी थाना	1.वादी स०अ०नि० राजेश पासवान उम्र 42 वर्ष पे० महेश्वर पासवान ग्राम सघेड़ा टोला बाना चौसा जिला मधेपुरा वर्तमान स०अ०नि० जरमुण्डी थाना 2.स०अ०नि० जीवन तिउ 3.हव० सुखीलाल हेम्ब्रम 4.आ०-701 जियालाल हेम्ब्रम 5.आ०-624 श्रीजल मराण्डी 6.चौ०-4/10 काला चन्द्र मिर्धा सभी जरमुण्डी थाना जिला दुमका 7.अनु०कर्ता पु०नि० विष्णु प्रसाद चौधरी थाना प्रभारी जरमुण्डी 8.श्रीराम सामद पुलिस उपा० साईबर		

								दुमका।		
32	जरमुण्डी थाना कांड सं०-62/17, दिनांक- 28.08.17, धारा-379/420 भा०द०वि० एवं 66(डि)(के) पञ्च।बजप जी०आर०नं० 721/17	1.महेश कुमार ताँती पे० रूद्र नारायण ताँती सा० भटवारा थाना मोहनपुर देवघर 2. सुमेश्वर ताँती पे० पूर्ण ताँती सा० भटवारा थाना मोहनपुर देवघर	ब्राँच मैनेजर बनकर धोखाधडी कर ए०टी०उम० से रूपये निकाल लेना।	दोनों जमानत पर।	एस०डी०जे० एम०, दुमका।	श्री राम किंकर पाण्डेय ए०पी०पी० दुमका।	निमाई मंडल पे० राजु मंडल सा० बाँधडीह थाना जरमुण्डी जिला दुमका।	1.पु०नि० विष्णु प्रसाद चौधरी थाना प्रभारी जरमुण्डी जिला दुमका। 2.श्री राम सामद पुलिस उपाधीक्षक साईबर दुमका 3.सुरत संदीप सरकार शाखा उप-प्रबंधक एस०बी०आई० बैंक देवघर पे० दिनेश चन्द्र सरकार सा० पूर्णदाहा थाना नगर जिला देवघर 4.अ०नि० कुंदनकांत विमल थाना प्रभारी मसलिया दुमका।	1.निमाई मंडल पे० राजु मंडल 2.राजु मंडल पे० स्व० गोदल मंडल 3.संजय मंडल पे० राजु मंडल 4.प्रकाश मंडल पे० राजु मंडल 5.रमेश साह पे० घनश्याम साह 6.अशोक मंडल पे० श्री महेन्द्र मंडल 7.विश्वनाथ मंडल पे० श्री मुनू लाल मंडल 8.मानिक मुडल पे० श्री राजु मंडल 9.उमेश साह पे० श्री घनश्याम साह सभी सा० सा० बाँधडीह थाना जरमुण्डी जिला दुमका।	

गढ़वा जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु रखे गये 30 कांडों की विवरणी।

क्र०सं०	कांड संख्या/ तिथि/ धारा/ जी०आर० नं०/ एस०टी० नं०	अभियुक्तों का नाम पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभि० जेल/ फिरार/ जमानत	कोर्ट का नाम	पी०पी०/ ए०पी०पी० का नाम/	वादी का नाम-पता	सरकारी गवाह/ अनु०कर्ता/ चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम-पता एवं मोबाईल नं०-	आम गवाहों का नाम-पता एवं मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उग्रवादी कांड										
1	रंका थाना कांड संख्या-68/17, दिनांक 12.07.17, धारा-385/387 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट जी०आर० नं०-1202/17	प्रदीप यादव उर्फ प्रदेशी यादव, पे०-रामवृक्ष यादव, सा०-करसो, थाना-चैनपुर, जिला-पलामू। माओवादी उग्रवादी।	अवैध आग्नेयास्त्र, गोली एवं पर्चा के साथ पकड़े जाना।	जेल	ए० श्रीवास्तव जे०एम० गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०-9471345283	वादी पु०अ०नि० जितेन्द्र कुमार, थाना प्रभारी, रंका	अनु०कर्ता 1. पु०अ०नि० बादशाह खान, 2. पु०अ०नि० जितेन्द्र कुमार, 3. स०अ०नि० विरेन्द्र कुमार दूबे, 4. आरक्षी-888 सुरेश राम, 5. आरक्षी-1131 रमेश उर्रव, 6. आरक्षी-577 अमीत केरकेट्टा, 7. परिचारी प्रवर, पलामू	-	
2	रंका थाना कांड संख्या-72/17 दिनांक 28.07.17 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट। जी०आर० नं०-1285/17	1.मुखदेव सिंह उर्फ देवा खरवार सां० बघटवा थाना रंका जिला गढ़वा। टी०पी०सी० उग्रवादी।	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	जेल	ए० श्रीवास्तव जे०एम० गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०-9471345283	वादी-पु०अ०नि० 0 जितेन्द्र कुमार थाना प्रभारी रंका जिला गढ़वा।	1.पु०अ०नि० अरविन्द शर्मा 2. आ०/542 शैलेश कुमार 3. आ०/888 सुरेश राम 4. आ०/777 अमीत केरकेट्टा 5. आ०/1032 नागेन्द्र पासवान एवं 6. परिचारी प्रवर पलामू।	-	
3	रंका थाना कांड संख्या-89/17 दिनांक 05.10.17 धारा-385/387/506 भा०द०वि०। एवं 17-सी० एल०ए०एक्ट। जी०आर० नं०-1710/17	1.सीता राम चौधरी पे० स्व० मुंषी चौधरी 2. अमरेश चौधरी पे० यमुना चौधरी 4.छोटु चौधरी 5. अरुण चौधरी दोनों पे० नारायण चौधरी 5. धर्मेन्द्र चौधरी पे० सुरेन्द्र	रंगदारी स्वारूप रूपये की मांग करना।	जेल	ए० श्रीवास्तव जे०एम० गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०-9471345283	वादी महिला/आरक्षी पुलो कांसी पे० स्व० जगदीष कोरवा सां० सिरोईकला टोला टिकर	1.अनु०कर्ता पु०अ०नि० जितेन्द्र कुमार	1.पीड़िता आरक्षी 287 संध्या रानी सां० गोबरदहा थाना रंका रमकण्डा 2. सुमन कोरवा पे० रामनाथ	

		चौधरी सभी सां० भिखई थाना डंडा जिला गढ़वा। जे०पी०सी० उग्रवादी।					चुईयू थाना रंका जिला गढ़वा।		कोरवा सां० गोबरदहा टोला बरवार थाना रंका जिला गढ़वा 3. पुष्पा देवी पति सुमन कोरवा सां० गोबरदाहा टोला बरवार थाना रंका जिला गढ़वा 4. विष्णनाथ सिंह पे० बंषी सिंह सरं० सिरोंईकला थाना रंका।	
4	भवनाथपुर थाना कांड सं०-81/17, दिनांक 08.08.17, धारा-25(1बी०)/ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट जी०आर० नं०-1379/17	1. छोटु सिंह खरवार उर्फ अजय कु० सिंह उर्फ अजय सिंह खरवार पे० हरदेव सिंह सा० सारो थाना वि०नपुरा जिला गढ़वा। टी०पी०सी०-02 उग्रवादी।	उग्रवादी दस्ता का सक्रिय सदस्य होना एवं अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	जेल	रामलाल गुप्ता जे०एम० गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मां०नं०-9430119 276	1.पु०अ०नि० अनिल कुमार, थाना प्रभारी भवनाथपुर	1..पु०अ०नि० अनिल कुमार, थाना प्रभारी भवनाथपुर 2. स०अ०नि० बिरबल राम 3. स०अ०नि० रेनसन बाखला 4. आ०/279 हरिगोप 5. चा०आ०/78 राजेन्द्र कु० भोक्ता 6. हव० राम बाबु कुमार 7 आ०/644 काजल कुमार		
5	भण्डरिया थाना कांड सं०-22/17 दि०-04. 04.17 धारा-376/ भा०द०वि०। पोक्सो एक्ट धारा-4(2012) पोक्सो नां० 18/17	शिवकुमार कच्छप उर्फ लंगड़ा पे० बदलू कच्छप सां टेंगारी थाना भण्डरिया जिला गढ़वा।	बलात्कार करने के आरोप में।	1.जेल		महेश प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०-8051077750	वादिनी-अनिता तिर्की पति जैतु तिर्की सां० टेंगारी थाना भंडरिया जिला गढ़वा।	अनु०कर्ता०-पु०अ०नि० लक्ष्मीकांत पाण्डेय थान भंडरिया जिला गढ़वा।	1.रूबेद मिंज पे० स्व० धिरज मिंज 2. संजीत सिंह पे० जीवन मिंज 3. रमेश तिर्की पे० विगु तिर्की तीनों सो० टेंगारी थाना भंडरिया जिला गढ़वा।	

6	मेराल थान कांड सं0-63/16, दि0-25. 04.16, धारा-376 भा0द0वि0 एवं पोक्सो एक्ट धारा-06 पोक्सो नां0 13/16	लल्लु राम पे0 स्व0 करीमल राम, सा0 पढुआ, थाना मेरल, जिला गढवा।	बलात्कार करने के आरोप में।	जमानत	डी0जे0-1 गढवा	महेश प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-8051077750	फुनु राम, पे0 स्व0 रामचन्द्र राम, सा0 पढुआ, थाना मेराल, जिला गढवा।	1. अनु0कर्ता0- स0अ0नि0 कैल उर्रव, 2. . डॉ0 रागिनी अग्रवाल, सदर अस्पताल, गढवा, चिकित्सा पदाधिकारी,	1. ममता कुमारी, 2. संध्या कुमारी, 3. करिगंधा देवी, तीनों पे0 फुनु राम, सभी सा0 पढुआ, थाना मेराल, जिला गढवा।
7	डंडई थाना कांड सं0-51/17, दि0-01. 05.17, धारा-376 भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट पोक्सो नां0 23/17	1. अनिल भूर्इया, पे0 छोटु भूर्इयो, सा0 करके, टोला जरहे, थाना डंडई, जिला गढवा।	बलात्कार करने के आरोप में।	जमानत	डी0जे0-1 गढवा	महेश प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-8051077750	सुमित्रा कुमारी, उम्र 13 वर्ष, पे0 सीताराम चौधरी, सा0 करके, टोला जरहे, थाना डंडई, जिला गढवा।	1. डॉ0 रागिनी अग्रवाल, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, गढवा। 2. पु0अ0नि0 जर्नादन राम, डंडई थाना	1. सोनपतिया देवी, पति सीताराम चौधरी, 2. सीताराम चौधरी, पे0 स्व0 बंधु चौधरी, मो0नं0-852176 5176, 3. शिवपतिया देवी, पति सुदामा चौधरी, 4. सीता राम कुँवर, पति स्व0 भज्जु राम, सभी सा0 करके टोला जरहे, थाना डंडई, जिला गढवा।
8	भवनाथपुर थाना कांड सं0-68/16, दिनांक 29.04.16, धारा-376(1)/342 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट 2012 पोक्सो नां0 17/16	1. राजे"वर सिंह खरवार सा0 मकरी थाना भवनाथपुर	बलात्कार करने के आरोप में।	जेल	डी0जे0-1 गढवा	महेश प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-8051077750	रेश्मा खातुन पे0 अमीरुदीन अंसारि सा0 सारो टोला एकडरवा थाना विशुनपुरा जिला गढवा	1. डा0 एच0 किरण तिग्गा, सदर अस्पताल गढवा	2. अमीरुदीन अंसारि पे0 स्व0 रमजान अंसारि, 3. . सहजीदन बीबी पति अमरुदीन अंसारि, 3. ताजोदीन अंसारि पे0 सैफुदीन अंसारि तीनों सा0 सारो थाना वि"ुनपुरा, 4. चन्दा देवी पति जितेन्द्र उर्फ जितेन्द्र भुईयां सा0 मकरी, टोला

									धंगरडीहा थाना भवनाथपुर	
9	भवनाथपुर थाना कांड सं0-106/16, दिनांक 18.07.16, धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो अधि0 पोक्सो नां0 29/16	1. सुर्यदेव कोरबा पे0 स्व0 परिमल कोरबा सा0 कैलान थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	बलात्कार करने के आरोप में।	जेल	डी0जे0-1 गढ़वा	महेश प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-8051077750	किना देवी पति विपत कोरवा सा0 कैलान थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	1. रागनी अग्रवाल, सरकारी चिकित्सक सदर अस्पताल गढ़वा	1. किना देवी पति विपत कोरवा 2. विपत कोरवा पे0 मंदीप कोरवा 3. पीड़िता आरती कुमारी पे0 विपत कोरवा 4. सरिता देवी पति प्रदीप कोरवा 5. बाले"वर भुईयां पे0 बजरंगी भुईयां सभी सा0 कैलान थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	
10	रमकण्डा थाना कांड सं0-25/17 दि0-07. 07.17 धारा-302/201 भा0द0वि0 एवं 3/4 जायन प्रथा प्रति0 अधि0 जी0आर0 नां0 1165/17	1.रामलाल यादव पे0 स्व0 भगवान यादव सां0 चेटे टोला घोटी थाना रमकण्डा जिला गढ़वा।	हत्या कर शव को छिपाने के नियत से कुओं में डाल देना।	जेल	जावेद खान जे0एम0 गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0- 9471345283	वादी-संतोष यादव पे0 जवाहीर यादव सां0 चेटे टोला घोटी थाना रमकण्डा जिलस गढ़वा।	1. पु0अ0नि0 सबिन्द्र कुमार रमकण्डा थाना गढ़वा । 2. डॉ0 राम विनोद कुमार, सदरअस्पताल, गढ़वा।	1.रामप्यारी यादव पे0 बंधन यादव सां0 चेटे टोला घोटी थाना रमकण्डा 2. सूर्यदेव कोरवा पे0 विष्णनाथ कोरवा सां0 गमहरिया थाना रमकण्डा जिलस गढ़वा।	

11	भण्डरिया थाना कांड सं०-77/17 दि०-17. 12.17 धारा-302/201 भा०द०वि०। जी०आर० नां० 2301/17	मोहर कच्छप पे० सुना कच्छप सां० भंडरिया टोला निमटांड थाना भंडरिया जिला गढ़वा।	हत्या कर शव को छुपाने	जेल	एस०डी०जे०एन० गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०- 9471345283	वादी- चौकिदार 1/11 योगेन्द्र पासवान पे० जगदीश पासवान सां०+थाना भंडरिया जिला गढ़वा।	अनु०कर्ता०-रविन्द्र सिंह स०अ०नि० 2. डा० आर०भी० कुमार गढ़वा सदर अस्पताल 3. एफ०एस०एल० प्रभारी	1. बसंती देवी पति मोहर कच्छप सां० भंडरिया टोला निमटांड 2. मोहर कच्छप पे० सुवा कच्छप 3. दगाल कच्छप पे० बंधन कच्छप 4. विशेश्वर मौंझी पे० हरखु मौंझी तीनों कच्छप टोला थाना भंडरिया जिला गढ़वा।
12	गढ़वा थाना कांड सं०-227/17, दि०-06. 07.17 धारा- 20/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट। एन०डी०पी०एस० 10/17	अनिल गोंड पे० स्व० बंसत गोड सां० सोनपुरवा थाना+जिला गढ़वा	मादक पदार्थ हिरोईन पकड़े जाने के आरोप में	जमानत	पी०डी०जे० गढ़वा	अलख निरंजन पी०पी०	पु०नि० अनिल कुमार सिंह थाना प्रभारी गढ़वा	1. बैजनाथ कांती अंचल अधिकारी गढ़वा 2. अ०नि० शिला हेम्रम 3. स०अ०नि० अजय कुमार सिंह 4. स०अ०नि० अभिसमन्यु कुमार सिंह 5. स०अ०नि० रामवृक्ष राम 6. पु०अ०नि० क्रिस्टोफर टोप्पो	1. संतोष सोनी पिता गिरदावल सोनी 2. गोरी शंकर गोड पिता विश्वनाथ प्रसाद दोनों सां० सोनपुरवा थाना+जिला गढ़वा।
13	गढ़वा थाना कांड सं०-27/17, दि०-30. 01.17, धारा-25(1-बी)ए/26/27 आर्म्स एक्ट एवं 20/22 एन०डी०पी०एस०एक्ट। एन०डी०पी०एस० 03/17	1.अनिल कुमार सोनी पे० डोमा सैठ सो० दलेल गंज थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार। 2.अनिल गोड पे० स्व० बंसत गोड 3. सीमा देवी पति अनिल गोड़ा दोनों सां० सोनपुरवा थाना+जिला गढ़वा।	अवैध हथियार एवं मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने के आरोप में।	जमानत	पी०डी०जे० गढ़वा	अलख निरंजन पी०पी०	पु०नि० अनिल कुमार सिंह थाना प्रभारी गढ़वा	1.स०अ०नि० अजय कुमार सिंह 2. स०अ०नि० अभिमन्यु कुमार सिंह 3. म०स०अ०नि० ऐलानी कण्डुलना 4. परिचारी प्रवर समीर कुमार महतों पलामू। 5. पु०अ०नि० जर्नादन राम 6. पु०अ०नि० धनंजय प्रजापति सभी गढ़वा थाना जिला गढ़वा।	1. संतोष सोनी पिता गिरदावल सोनी 2. गोरी शंकर गोड पिता विश्वनाथ प्रसाद दोनों सां० सोनपुरवा थाना+जिला गढ़वा।

14	रंका थाना कांड संख्या-70/17 दिनांक 20.07.17 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-1264/17	1.राकेष कु0 विश्वकर्मा पे0 सागर विश्वकर्मा सां0 फकीराडीह थाना भंडरिया जिला गढ़वा।	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	जेल	ए0 श्रीवास्तव जे0एम0 गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0- 9471345283	वादी-पु0अ0नि 0 जितेन्द्र कुमार थाना प्रभारी रंका जिला गढ़वा।	अनु0कर्ता-अ0नि0 बादशाह खान एवं सरकारी गवाह 2. आ0/542 शैलेश कु0 गुप्ता 3. आ0/888 सुरेश राम 4. हव0 पुटुल कुमार 5. अ0/1131 रमेश उरॉव 6.आ0/577 अमीत केरकेट्टा सभी थाना रंका जिला गढ़वा एवं परिवारी प्रवर पलामू।	-	
15	रंका थाना कांड संख्या-78/17 दिनांक 28.08.17 धारा-25(1-बी)ए/26/ 35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-1460/17	1. सफी आलम पे0 मुबारक अंसारी 2. कमरे आलम पे0 सुजान अंसारी 3. ररजीबुल्ला अंसारी पे0 जन्नत अंसारी 4.नजीबुल्ला अंसारी उर्फ छोटु पे0 जन्नत अंसारी सभी सां0 खपड़ों थाना रंका जिला गढ़वा।	अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	जेल	ए0 श्रीवास्तव जे0एम0 गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0- 9471345283	वादी-अ0नि0 जितेन्द्र कुमार थाना प्रभारी रंका जिला गढ़वा।	1.पु0अ0नि0 अरविन्द शर्मा 2. हव0 पुटुल कुमार 3. आ0/1077 अमीत केरकेट्टा 4. आ0/1102 राज कुमार पासवान 5. आ0/542 शैलेश कुमार 6. आ0/615 बुद्धदेव उरॉव 6. परिवारी प्रवर पलामू।	-	
16	चिनियों थाना कांड सं0-16/17 दि0-09. 04.17 धारा-25(1-बी)ए/26/ आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-639/17	1. योगेन्द्र कोरवा पे0 सुकन कोरवा सां0 पाह्ले टोला गमहरिया थाना चिनियों जिला गढ़वा।	अवैध रूप से कारतुस रखने के अरोप	जेल	एम0 टोपों जे0एम0 गढ़वा	अभय पाण्डेय ए0पी0पी0	वादी-पु0अ0नि 0 विनय कुमार थाना प्रभारी चिनियों	1.अनु0कर्ता-स0अ0नि0 राजाराम सिंह एवं हवलदार चंचल दर्वे 2. आ0/994 राजन कुमार पटेल 3. आ0/575 विजय कच्छपा कुमार 6. आ0/892 बरबल महतसें 7. आ0/160 रामानंद बेलदार एवं परिचारी प्रवर पलामू।	-	
17	चिनियों थाना कांड सं0-17/17 दि0-17. 04.17 धारा-414/ भा0द0वि0। एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-696/17	1.कृष्णा सिंह पे0 लक्षण सिंह सां0 बालेसाड़ थाना डंडई 2. चन्दु सिंह पे0 नागेश्वर सिंह सां0-चपकली थाना चिनियों जिला गढ़वा।	चोरी के मोटरसाईकिल के साथ अग्नेयास्त्र व गोली के साथ पकड़े जाना।	जेल	एम0 टोपों जे0एम0 गढ़वा	अभय पाण्डेय ए0पी0पी0	1. वादी-पु0अ0नि 0 विनय कुमार थाना प्रभारी चिनियों।	अनुकर्ता0-अ0नि0 भगवान सिंह चिनियों थाना 2. आ0/515 विजय कच्छप परिचारी प्रवर पलामू।	1.अजय कुमार पिता हिरामन सिंह चपकली थाना चिनियों जिला गढ़वा।	

18	चिनियों थाना कांड सं0-44 / 17 दि0-26. 12.17 धारा-302 / 34 भा0द0वि0। जी0आर0 नं0-2361 / 17 एस0टी0-138 / 18	अमृत सिंह पिता मनेजर सिंह सां0 केलाझरिया थाना चिनियों जिला गढ़वा।	गोली मारकर हत्या करना	जेल	पी0डी0जे0 गढ़वा	अलख निरंजन पी0पी0	विकाश केसरी पिता गोपाल केशरी सां+थाना चिनियों जिलस गढ़वा।	अनु0कर्ता0-पु0अ0नि0 विनय कुमार चिनियों थाना प्रभारी एफ0एस0एल0 प्रभारी।	1. दीपक कुमार प्रसाद पे0 देपनारायण प्रासाद 2. प्रमोद कुमार यादव पे0 रामअवतार यादव दोनों सां0+थाना चिनियों जिला गढ़वा। 3. फुलमति कुमारी पक0 मैनेजर सिंह 5. मनदीप सिंह पे0 केशवर सिंह तीनों सां0-केलाझरिय 1 थाना चिनियों जिलस गढ़वा।
19	भण्डरिया थाना कांड सं0-17 / 17 दि0-10. 03.17 धारा-25(1-बी)ए0 26 / 35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-455 / 17	1. हबीब अंसारी पिता मुस्ताक अंसार 2. इम्तियाज अंसारी पे0 सोबराती अंसारी दोनों सां0 हुटार थाना रामगढ़ जिला पलामू।	देशी पिस्तौल के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	1. जेल 2. जेल	ए0 श्रीवास्तव जे0एम0 गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-9471345283	1. वादी-पु0नि0 सह थाना प्रभारी जयराम प्रसाद भंडरिया जिला गढ़वा।	1. अनुकर्ता0-पु0अ0नि0 रविन्द्र सिंह एवं 2. अ0नि0 प्रकाश रजक थाना प्रभारी रमकण्डा 3. सी0आर0पी0एफ0 के असिस्टेंट कमान्डेन्ट 172 बटा सुधाकर दूबे। 47. हव0 पवन सिंह जैप-8 5. हव0 अजीत कुमार विश्वकर्मा 6. आ0 / 271 रोहित कुमार सिंह जैप-8 7. आ0 / 261 ओमकारनाथ तिवारी जैप-8 8. आ0 / 273 अजय यादव जैप-8 9. आ0 / 251 पिन्दु कुमार एवं 10. परिचारी प्रवर पलामू।	
20	मेराल थाना कांड सं0-62 / 15, दि0-23. 03.15, धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट जी0आर0 नं0-570 / 15	1. मोख्तार अंसारी, पे0 जुनाब अंसारी, सा0 चामा टोला, सलवनमा, थाना मेराल, जिला गढ़वा।	अवैध देश बन्दुक रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में।	जमानत	भी0 मांझी जे0एम गढ़वा	शिवशंकर प्रसाद ए0पी0पी0	अ0नि0 अनिल कुमार, थाना प्रभारी, मेराल	1. डॉ रामनारायण मेहता, 2. आ0-793 सुनिल रजवार, 3. आ0-598 रमेश राम सभी थाना मेराल रिजर्व गार्ड, 4. परि चारी प्रवर, रविन्द्र प्रसाद, पुलिस केन्द्र, गढ़वा, 5. विनोद	

								कुमर सिंह, स0अ0नि0 मेराल थाना ।		
21	मेराल थाना कांड सं0-18/18, धारा-307/353/414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)/26/27/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0 नं0-426/18	1. सद्दाम अंसरी, पे0 फुल मोहम्मद अंसरी,, सा0 एवं थाना चिनियों, 2. नूर आलम अंसरी, पे0 निजामुद्दीन अंसरी, बधौता, थाना गढ़वा, सभी जिला गढ़वा ।	सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं जान मारने के नियत से गोली फायर करने एवं अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में ।	1. जेल,2. जेल,	सी0जे0एम0 गढ़वा	शिवशंकर प्रसाद ए0पी0पी0	1. पु0अ0नि0 प्रकाश कुमार रजक , पे0 रामचन्द्र रजक, स0 मकल्प, थान कतरास, जिला धनबाद, तत्कालीन थाना प्रभारी, रमकण्डा, जिला गढ़वा । 2.	1. आ0-642 लूईस किस्कु, पे0 स्व0 अलतें किस्कु, सा0 बरगच्छा, हरियाली, थाना परैयाटांड, जिल गोड्डा, 2. दिलीप राम, पे0 स्व0 रामचन्द्र राम, सा0+थाना मेरल, जिला गढ़वा, 3. स0अ0नि0 उदय यादव, मेराल थाना, जिला गढ़वा ।		
22	डंडई थाना कांड सं0-86/17, दि0-20. 07.17, धारा-25(1-बी)/26/3 5 आर्म्स एक्ट । जी0आर0-1262/17 जी0आर0 नं0-1262/17	1. अनिल बियार, पे0 स्व0 लक्ष्मण बियार, सा0 लामी, 2. कामेश्वर बियार, पे0 बिरबल बियार, सा0 फुलवार, दोनों थाना डंडई जिला गढ़वा ।	अवैध हथियार रखने के आरोप में ।	जमानत	एम0 टोपों जे0एम0 गढ़वा	अभय पाण्डेय ए0पी0पी0	पु0अ0नि0 जर्नादन राम, थाना प्रभारी डंडई, जिला गढ़वा ।	1. समीर कुमार, परिचारी प्रवर पलामू ।, 2. अ0नि0 रमेश चन्द्र सिंह, डंडई थाना, 3. चालक हव0 रविभूषण मिश्रा, 4. हव0 मोहन सिंह, 5. श्याम सुन्दर राम, 6. हव0 मनीष कुमार रजक, 7. हव0 गहन सिंह, सभी डंडई थाना रिजर्व गार्ड, जिला गढ़वा ।		
23	रमना थाना कांड सं0-69/16, दिनांक 07.07.16, धारा-25(1बी0)/ए/26 /35 आर्म्स एक्ट जी0आर0 नं0-1345/16	1. लाल बहादुर पासवान पे0 राजमनी पासवान, सा0 भोजपुर थाना नगर उँटारी 2. रौशन कुमार पासवान पे0 मनोहर पासवान दोनों सा0 कटहरकलां थाना धुरकी 3. विष्णु पासवान पे0 राजदेव पासवान सा0 कर्णपुरा थाना रमना सभी जिला गढ़वा ।	अवैध दे०ी पिस्तौल एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	जमानत	एस0डी0जे0एन0 गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए0पी0पी0 मो0 नं0-9471345283	धनंजय कु0 प्रजापति, पु0अ0नि0, थाना प्रभारी रमना जिला गढ़वा	1. पु0अ0नि0 धनंजय कु0 प्रजापति, 2. हव0 बिनोद कुमार पासवान 3. आ0/597 जितेन्द्र कुमार 3. आ0/334 जय प्रकाश सिंह, 4. आ0/1089 उपेन्द्र राम, 5. चौकिदार सुदर्शन पासवान		

24	रमना थाना कांड सं०-01/16, दिनांक 01.01.16, धारा-25(1बी०)/ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-01/16	1. मो० सराफत अंसारी, 2. मो० आबिद अंसारी दोनों पे० जिबराईल अंसारी, 3.मो० जावेद अंसारी पे०इदरी"ा अंसारी तीनों सा० लोआदाग थाना मेराल जिला गढ़वा।	अवैध देशी पिस्तौल एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	जमानत	एस०डी०जे०एन० गढ़वा	नन्दलाल प्रसाद ए०पी०पी० मो० नं०-9471345283	धनंजय कु० प्रजापति, पु०अ०नि०, थाना प्रभारी रमना जिला गढ़वा	1. धनंजय कु० प्रजापति, पु०अ०नि०, थाना प्रभारी रमना जिला गढ़वा, 2. आ०/1119 सुलिन सिंह, 3. आ०/1073 धनंजय शुक्ला, 4. आ०/326 रविन्द्र सिंह, 5. आ/647 काजल कु० सिंह सभी रमना थाना	1. देव कुमार राम पे० मुखलाल राम, 2. . विकाश विश्वकर्मा पे० हीरा विश्वकर्मा दोनो सा० सिलीदाग थाना रमना
25	भवनाथपुर थाना कांड सं०-48/15, दिनांक 26.03.15, धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25(1बी०)/ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-597/15 एस०टी०-19/16	1 वकील अहमद पे० शोराउदीन अंसारी सा० अरसली 2. वी०ष्ट पासवान पे० स्व० लक्ष्मण पासवान सा० सिन्दुरीया 3. सोयब अंसारी उर्फ इब्राहिम अली पे० मुस्ताक अली 4. मनोज भुईयां उर्फ मनी भुईयां उर्फ जयराम भुईयां पे० बधु भुईयां 5. लक्ष्मण पासवान पे० स्व० भुला राम सभी सा० अरसली एवं एक अज्ञात सभी थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	डकैती की योजना बनाते अवैध हथियार एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	बेल	पी०डी०जे० गढ़वा	अलख निरंजन पी०पी०	पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहार"रीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी	1. पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहारशरीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी 3.ह०सत्देव राय 3. 2. पु०अ०नि० बन्धना मुण्डा पे० स्व० पिपु मुण्डा सा० सुआर टोली थाना बेड़ो जिला राँची, 4. आ०/614 हरिनन्दन करमाली, 5. आ०/849 देव सहाय उरॉव 6. आ०/524 का"ीनाथ वर्मा 7. चा०आ०/948 सुमेर नाथ भगत	

26	भवनाथपुर थाना कांड सं०-27/15, दिनांक 01.03.15, धारा-414/34 भा०द०वि० एवं 25(1बी०)/ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-395/15	1. शमशेर अंसारी उर्फ मनीष पे० सिराजुदीन अंसारी सा० डंडिला थाना रेहला जिला पलामु 2. डेविड एक्का पे० स्व० जेम्स एक्का सा० डेकुलिया थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा 3. कविता कुमारी उर्फ तब्बसुम पे० भुनेश्वर राम सा० तोलरा थाना रेहला जिला पलामु 4. राजु मियां पे० करार मियां सा० रेहला बस्ती थाना रेहला जिला पलामु 5. चन्दन राम पे० कृष्णा राम सा० डंडिला थाना रेहला जिला पलामु	अवैध हथियार के साथ चोरी एवं लूट के माल के साथ पकड़ा जाना	जमानत	आर०के० लाल गुप्ता जे०एम० गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मा०नं०-9430119 276	पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहारशरीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी	1. पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहारशरीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी 2. स०अ०नि० अजय कु० सिंह 3. स०अ०नि० जर्नादन सिंह 4. हव० राम चन्द्र राम 5. हव० संजय कुमार महतो 6. म०पु०/39 अंशुमाला गिद,	1. सुनिल कुमार सिंह सा० भवनाथपुर बस्ती
27	भवनाथपुर थाना कांड सं०-50/17, दिनांक 07.05.17, धारा-25(1बी०)/ए/26 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-786/17	1. बिनोद राम पे० सत्यनारायण राम सा० अरसली उतरी टोला खडेया थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	देगी कट्टा गोली के साथ रंगेहाथ पकड़ा जाना	जमानत	आर०के० लाल गुप्ता जे०एम० गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मा०नं०-9430119 276	1.पु०अ०नि० अनिल कुमार, थाना प्रभारी भवनाथपुर	1. स०अ०नि० बिरबल राम 2. स०अ०नि० सुनिल कु० सिंह 3. आ/871 राजेश कु० झा 4. आ०/1349 देव सहाय उरॉव 5. गृह रक्षक/232 राज कु० बैठा 6. आ०/1032 आलोक कुमार 7. चा०आ०/956 गिरधारी राम 8. हव० इन्द्राहाक डोडराई	
28	भवनाथपुर थाना कांड सं०-31/15, दिनांक 04.03.15, धारा-25(1बी०)/ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-438/15	1. अखिलेश पासवान पे० परिखा राम सा० अरसली 2. दौलत वियार पे० लखन वियार 3. सोयब अंसारी पे० मुस्ताक अंसारी दोनो सा० सिन्दुरीया सभी थाना भवनाथपुर जिला गढ़वा	अवैध हथियार गोली के साथ लूट के माल के साथ पकड़ा जाना	जमानत	सी०जे०एम० गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मा०नं०-9430119 276	1. पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहारशरीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी	1. पु०अ०नि० संजीव कुमार तिवारी पे० स्व० ध्रुव नारायण तिवारी सा० गढ़पर थाना बिहारशरीफ टाउन, जिला नालन्दा, बिहारी 2. हव० लखन लाल पासवान 3. आरक्षी पंचम राम 4. स०अ०नि० अजय कुमार सिंह 5. पु०अ०नि० बन्धना मुण्डा 6. चा०आ०/949 नितेश	

								शुक्ला		
29	गढ़वा थाना कांड सं०-155/15, दि०-14. 04.15, धारा-25(1-बी)/26 आर्म्स एक्ट। जी०आर० नं०-772/15	1. रूपेश कुमार विन्द, पे० वृक्ष विन्द, सा० नवादा, थान व जिला गढ़वा।	अवैध हथियार रखने के आरोप में।	जमानत	सी०जे०एम० गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मां०नं०-9430119 276	स०अ०नि० दिलीप कुमार झा, पु०केन्द्र गढ़वा।	1. स०अ०नि० दिलीप कुमार झा, 2. हव संतोष रविदास, 3. आ०/491 जितेन्द्र कुमार, 4. पवन कुमार, 5. आ०/357 नन्द कुमार यादव, 6. चा०आ०-735 श्रवण कुमार पाण्डेय, 7. परिचारी प्रवर, रविन्द्र प्रसाद, 8. नागेन्द्र प्रसाद यादव, सभी पु०केन्द्र, गढ़वा।		
30	गढ़वा थाना कांड सं०-232/15, दि०-05. 06.15 धारा-386/414 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)/26 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-1181/15	विरेन्द्र बैठा, पे० स्व० राममुरत बैठा, सा० झुरा कला, थाना चैनपूर, जिला पलामू, वर्तमान कितासोती थाना व जिला गढ़वा।	अवैध हथियार रखने के आरोप में।	जमानत	भी० मांझी जे०एम गढ़वा	शिवशंकर राम ए०पी०पी० मां०नं०-9430119 276	स०अ०नि० दिनेश प्रसाद सिंह, पु०केन्द्र, गढ़वा	1. स०अ०नि० दिनेश प्रसाद सिंह, 2. हव० कन्हैया यादव, 3. आ०/310 बिजेन्द्र कुमार, 4. आ०/1093 राजेश किस्पोट्टा, 5. आ०/1096 बिमलेश कुमार सिंह, 6. अ०/397 लिलेश्वर सिंह, 7. गृह रक्षक/123 रंजन यादव, 8. पु०अ०नि० निरंजन कुमार, 9. परिचारी प्रवर, रविन्द्र प्रसाद सिंह 10. स०अ०नि० विनोद कुमार, सभी पु०केन्द्र गढ़वा।	1. अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पे० इन्द्रजीत साह, 2. बालमिकी प्रजापति, पे० तुलसी प्रजापति, 3. रजनी भुईया, पे० बिफत भुईया, 4. सत्यानारयण यादव, पे० महावीर यादव, सभी सा० कितासोती, 5. संजय चन्द्रवंशीर, पे० केशवर चन्द्रवंशी, सा० तिलदाग,	

**गिरिडीह जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित कांडों 54 की सूची
विहित-प्रपत्र**

क्र०	काण्ड सं०/तिथि/धारा/ जी०आर०/टी०आर०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभि० जेल / फरार/ बेल	न्यायालय का नाम पता	पी०पी० का नाम एवं मो० नंबर	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह एवं अनु०कर्ता/विशेषज्ञों का नाम/पता एवं मो०नं०	ऐसे सामान्य गवाह जो आसानी से उपलब्ध हो एवं गवाहों की संख्या 10 से अधिक ना हो	साक्ष्य/ प्रदर्ष की स्थिति (मालखा ना सं० सहित)	अभ्युक्ति
	2	3	4.	5.	6	7	8.	9.	10.	11	12
01.	मुफ्फसिल थाना कांड सं० 22/13, दि० 09.01.13 धारा- 399/402 भा०द०वि०, 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि० एस०टी० नं०-163/13,	प्रा०अभि० 1. महेन्द्र हाजरा पे०-मुसो हाजरा, सा०-अहिल्यापुर 2. मोहन पासवान पिता रतन राम, नईटांड थाना गाडेंय, 3. सुरेश पासवान पे० छोटु पासवान सा० बैरिया थाना देवरी 4. दिलचंद पासवान पे० धनेश्वर पासवान सा० बढोगडीह थाना- मुफ्फसिल 5. राजु पासवान पे० सेसो लाल पासवान सा० नईटांड थाना गांडेय सभी जिला गिरिडीह।	डकैती करने के प्रयोजन से अवैध आग्नेयास्त्र के साथ एकत्रित रहने के दौरान गिरफ्तार होना।	जमानत	कोर्ट-डी०जे० -04,	ए०पी०पी०-अजय कुमार साह	पु०अ०नि० अषोक प्रसाद सिंह, मुफ्फसिल थाना	अनु०कर्ता स०अ०नि० बृजकिशोर सिंह	1. पु०अ०नि० अशोक प्रसाद सिंह, मुफ्फसिल थाना 2. स०अ०नि० बृजकिशोर सिंह 3. जग्गु राम सा०-पूरनानगर थाना मुफ्फसिल, जिला- गिरिडीह 4. हव० रामनरेश सिंह मुफ्फसिल थाना रिजर्व गार्ड 5. पु० 1136 कन्हैया प्रसाद, मुफ्फसिल थाना रिजर्व गार्ड 6. पु० 1042 सिद्धेश्वर सिंह मुफ्फसिल थाना रिजर्व गार्ड 7. पु० 1358 मसीह प्रकाश कुजुर मुफ्फसिल थाना रिजर्व गार्ड 8. पु० 896 गौतम कुमार सिंह मुफ्फसिल थाना रिजर्व गार्ड		
02.	निमियोघाट थाना कांड सं० 61/11, दि० 12.10.2011 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि०। जी०आर० नं०-1998/11.,	प्रा०अभि० 1. अरविंद कुमार पे० स्व० केदार प्रसाद यादव सा०-नारायणनगर 2. राकेश कुमार पे० श्री महेश प्रसाद सा० बाराडीह 3. भागीरथ कुमार पे० विनय यादव सा० हसनपुर तीनों थाना गया मुफ्फसिल, जिला- गया (बिहार)	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकडा जाना	जनामत	कोर्ट-रंजय कुमार जे०एम०	ए०पी०पी०-सर्वेश कुमार मो०नं०-7761920 270	पु०अ०नि० सतीश कुमार, था०प्र०, निमियोघाट थाना।	अनु०कर्ता स०अ०नि० संदीप कुजूर, निमियोघाट थाना	1. पु०अ०नि० सतीश कुमार, था०प्र०, निमियोघाट थाना। 2. स०अ०नि० संदीप कुजूर, निमियोघाट थाना 3. पु० 861 प्रदीप सिंह 4. पु० 934 मनोज मिश्रा 5. पु० 605 मुकेश		

									कु0सिंह 6. पु0 565 अरमान खान 7. पु0अ0नि0 राजीव कुमार, थाना प्रभारी, निमियाँघाट थाना 8. गोविंद वर्णवाल पे0- भुनेश्वर प्रसाद वर्णवाल 9. राजु मंडल पे0 स्व0 बंदी मंडल सा0 विशुनपुर थाना बेंगाबाद जिला गिरीडीह।		
3.	तिसरी थाना कांड सं0 57/17 दि0 06.12.17 धारा-120 बी0 भा0द0वि0 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि0। जी0आर0 नं0-3488/17,,	1. रेवा राय पे0 किशुन राय सा0 बटुबरिया थाना तिसरी जिला गिरिडीह	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ षडयंत्र रचते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना।		कोर्ट-बी0सी 0 सामद जे0एम0	ए0पी0पी0-सर्वेश कुमार मो0नं0-7761920 270	पु0अ0नि0 मनोज कुमार थाना प्रभारी, तिसरी।	अनु0कर्ता स0अ0नि0 बेले उरॉव, तिसरी थाना	1. पु0अ0नि0 मनोज थाना प्रभारी, तिसरी थाना 2. अनु0कर्ता स0अ0नि0 बेले उरॉव, तिसरी थाना 3. ह0 सोमनाथ उरॉव 4. पु0 178 रोबिन कुजूर तिसरी थाना रिजर्व गार्ड 5. राहुल तुरी पे0 रामविलास तुरी सा. गादी थाना तिसरी जिला गिरिडीह 6. बालदेव तुरी पे0 स्व0 बुढी तुरी सा0 बटुबरिया थाना तिसरी जिला-गिरिडीह		
4	मुफ्सिल थाना कांड सं0 37/13, दि0 22.01.13 धारा-25(1-बी)ए/26 शस्त्र	1. रिजवान अंसारी पे0 स्व0 सलीम	अवैध आग्नेयास्त्र का	जेल में	कोर्ट-निशिकान्त जे0एम0,	ए0पी0पी0-सर्वेश कुमार	पु0अ0नि0 विमलनंदन सिंहा थाना	अनु0कर्ता स0अ0नि0 सुनील कुमार सिंह,	1. पु0अ0नि0 विमलनंदन सिंहा थाना प्रभारी,		

	अधि०। जी०आर० नं०-211/13,	अंसारी सा० जमुआटॉड थाना पीरटांड जिला गिरिडीह।	प्रयोग करना।			मो०नं०-7761920 270	प्रभारी, मुफ्फसिल।	मुफ्फसिल थाना।	मुफ्फसिल। 2. अनु०कर्ता स०अ०नि० सुनील कुमार 3. हव० रामनरेश सिंह 4. पु० 53 हुलास राम 5. पु० 1077 गंगाधर सिंह 6. पु० 29 उमेश प्रसाद 7. चा०पु० 1144 दीनबंधु प्रसाद सभी मुफ्फसिल थाना 8. अताउर रहमान उर्फ बाबु भाई पे० रजाक मियों सा० 9. बसंत चौधरी पे० रामलाल चौधरी दोनों खरियोडीह खरहरबारी थाना मुफ्फसिल जिला- गिरिडीह	
5	नगर थाना कांड सं० 56/13, दि० 07.03.13 धारा-25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधि०। जी०आर० नं०-597/13,	1. शामिल उर्फ प्रिंस पे० हनीफ अंसारी उर्फ रहीमा कटिगार अंसारी, सा० कमरशाली चैताडीह थाना मुफ्फसिल जिला गिरिडीह।	अवेध आग्नेयास्त्र का प्रयोग करना।	जेल	कोर्ट-सी०जे ०एम०,	ए०पी०पी०-धनंज य कुमार दास, मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह, था०प्र०, नगर जिला- गिरिडीह।	अनु०कर्ता पु०अ०नि० विरेन मिंज, नगर थाना।	1. पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार सिंह, था०प्र०, नगर जिला- गिरिडीह। 2. अनु०कर्ता पु०अ०नि० विरेन मिंज, नगर थाना। 3. पु०अ०नि० खंतर हरिजन 4. पु० 1136 जयकुमार शर्मा 5. पु० 1213 देवकिशोर साव	आरोप पत्र सं० 119/13, दि० 30.04. 13

									6. हव0 विश्वेश्वर बास्की 7. पु0 59 मसिक अंसारी 8. परिचारी प्रवर रफायल मिंज, गिरिडीह।		
6	बगोदर थाना कांड सं0 152/14 दि. 26.05.14 धारा- 394 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधि0। जी0आर0 नं0-	अप्राथ0 अभि0 मितलाल यादव पे0 जीतन यादव, 2 बिरू यादव पे0 फागु यादव 3. नकुल यादव सभी साकिनान पावापुर थाना सरिया जिला गिरिडीह।	डकैती		, कोर्ट-पवन कुमार जे0एम0,	ए0पी0पी0-सर्वेश कुमार मो0नं0-7761920 270	कौशल कुमार राणा पे0 केदार राणा सा0 एवं थाना बगोदर जिला गिरिडीह।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 गरीब दास, बगोदर थाना।	1. कौशल कुमार राणा पे0 केदार राणा सा0 एवं थाना बगोदर जिला गिरिडीह। 2. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 गरीब दास, बगोदर थाना। 3. उदय गुप्ता पे0 महेन्द्र गुप्ता सा0 थाना बगोदर 4. पप्पू कु0 गुप्ता पे0 महेन्द्र गुप्ता सा0 एवं थाना बगोदर 5. मनोज गुप्ता पे नारायणगुप्ता सा0 एवं थाना बगोदर 6. जयप्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, गिरिडीह। 7. अनु0कर्ता सुरेन्द्र कुमार, था0प्र0 बगोदर थाना।	आरोप पत्र सं0 207/15 दि0 31.08. 15	
7	बगोदर थाना कांड सं0 274/14 दि0 03.09.14 धारा- 399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि0। एस0टी0 नं0-50/15,,	1. संजय कुमार पे0 दुधेश्वर चौधरी सा0 लिंबुआ थाना आमस जिला गया 2. उदय भुईया पे0 लक्षमण	डकैती की योजना बनाना		कोर्ट-डी0जे0 -02	ए0पी0पी0-मनोज कुमार मो0नं0-	पु0अ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना प्रभारी, बगोदर।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 बिमलेश्वर पासवान, बगोदर थाना।	1. पु0अ0नि0 सुरेन्द्र कुमार थाना प्रभारी, बगोदर। 2. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 बिमलेश्वर पासवान, बगोदर थाना। 3. स0अ0नि0 दुर्गा		

		<p>भुईया सा0 खुर्दपरसावा थाना गुरुवा गया</p> <p>3. रामबदन चौधरी पे0 दारोगा चौधरी सा0 लिंबुआ थाना आमस जिला गया</p> <p>4. सिधु कुमार पे0 स्व0 कामेश्वर चौधरी सा. लिंबुआ थाना आमस गया</p> <p>5. धर्मेन्द्र कुमार पे0 रामाधार चौधरी सा0 लिंबुआ थाना आमस, जिला- गया</p>						<p>ठाकुर</p> <p>4. स0अ0नि0 राजेन्द्र सिंह</p> <p>5. पु0 1334 सफरुदीन अंसारी</p> <p>6. पु0 628 सुमन कुमार</p> <p>7. पु0 899 संजय कुमार सिंह</p> <p>8. पु0 836 शिवशंकर प्रसाद</p> <p>9. पु0 115 अजय कुमार दास सभी बगोदर थाना।</p> <p>10. छोटन यादव पे0 स्व0 नंदलाल यादव सा0 बदडीहा थाना बगोदर जिला- गिरिडीह</p> <p>11. मंझार अंसारी पे0 अख्तर अंसारी सा0 एवं थाना बगोदर, जिला- गिरिडीह</p> <p>12. श्री जयप्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, गिरिडीह।</p>	
8	<p>निमियोघाट थाना कांड सं0 122/14, दि0 29.11.14 धारा- 399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि0।</p> <p>एस0टी0 नं0-82/15.,</p>	<p>1. गणेश मुर्मू उर्फ बुडका मांझी पे0 स्व0 राजु मांझी सा0 केन्दुआर्टॉड, थाना- टुंडी जिला धनबाद</p> <p>2. बिहारी मुर्मू</p>	<p>डकैती की योजना बनाते हुए अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना</p>	कोर्ट-डी0जे0 -04	ए0पी0पी0-अजय कुमार मो0नं0-	पु0अ0नि0 रुखसार अहमद, था0प्र0, निमियोघाट थाना, जिला गिरिडीह।	<p>अनु0कर्ता स0अ0नि0 ललन प्रसाद यादव, निमियोघाट थाना।</p>	<p>1. पु0अ0नि0 रुखसार अहमद, था0प्र0, निमियोघाट थाना, जिला</p> <p>2. अनु0कर्ता स0अ0नि0 ललन प्रसाद यादव, निमियोघाट थाना।</p> <p>3. हव0 नवीन चौधरी</p> <p>4. पु0 749 कालाचंद</p>	<p>आरोप पत्र सं0 14/15 दि0 25.02. 15</p>

		<p>पे स्व० बुटु मुर्मू सा० फतेपुर, थाना टुंडी जिला धनबाद</p> <p>3. टीकाराम बास्की पे० स्व० जुनु बास्की सा० केन्दुआटॉड थाना टुंडी जिला धनबाद</p> <p>4. रामजी मुर्मू पे० स्व० महतो मुर्मू सा० तेतरिया थाना गोरहर, जिला हजारीबाग ।</p>						<p>साह</p> <p>5. पु० 685 ललन कुमार</p> <p>6. पु० 12 सुबोध कुमार</p> <p>7. पु० 653 दीपक कु० ठाकुर सभी निमियोघाट थाना ।</p> <p>8. भोला साव पे० बुघु साव सा० लक्ष्मणटुण्डा, थाना निमियोघाट जिला गिरिडीह ।</p> <p>9. एनुल अंसारी पे० लाल मोहम्मद सा० इसरी बस्ती थाना निमियोघाट जिला गिरिडीह ।</p> <p>10. श्री जयप्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, गिरिडीह ।</p>	
9.	<p>डुमरी थाना कांड सं० 68/12 दि० 02.09.12 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि० ।</p> <p>जी०आर० नं०-2112/12,,</p>	<p>1. परवेज खान पे० औरंगजेब सा० बाबुबिघा थाना मगधविश्वविद्यालय, जिला गया</p> <p>2. मो० इमरान पे० मो० सफीक सा० एवं थाना डुमरी जिला गिरिडीह</p>	<p>अवैध आग्नेयास्त्र की बरामदगी</p>	<p>कोर्ट-ए०सी० जे०एम०</p>	<p>ए०पी०पी०-धनंजय दास मो०नं०-8540877 813</p>	<p>पु०अ०नि० योगेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी, डुमरी थाना ।</p>	<p>अनु०कर्ता स०अ०नि० धर्मनाथ यादव</p>	<p>1. पु०अ०नि० योगेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी, डु</p> <p>2. अनु०कर्ता स०अ०नि० धर्मनाथ यादव</p> <p>3. पु०अ०नि० रंजीत रौशन</p> <p>4. पु०अ०नि० राणाश्रीकांत सिंह</p> <p>5. पु० 667 प्रदीप कुमार</p> <p>6. पु० 1130 झगन महतो</p> <p>7. पु० 861 प्रदीप कुमार</p>	<p>आरोप पत्र सं० 89/14, दि० 30.09.14</p>

									सिंह		
									8. पु0 913 उमेश राज 9. पु0 521 कमलेश मिश्रा 10. पु0 605 मुकेश सिंह		
10	ताराटांड थाना कांड सं0 03/15 दि. 16.01.15 धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधि0। जी0आर0 नं0-197/15, ए0पी0पी0-धनंजय दास	1. चथरु हाजरा उर्फ संजय हाजरा पे0 नकुल हाजरा सा0 अहिल्यापुर थाना अहिल्यापुर जिला गिरिडीह 2. विक्रम पासवान पे0 लोकेश्वर पासवान सा0 रायचोर थाना चंद्रमंडीह, जिला जमुई 3. महेश पासवान पे0 संतु पासवान 4. रविन्द्र पासवान पे0 स्व0 कांग्रेस पासवान दोनों सा0 जेलवहरी थाना चंद्रमण्डीह, जिला	डकैती की योजना बनाते समय अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकडा जाना।	कोर्ट-सी0जे 0एम0,	मो0नं0-8540877 813	पु0अ0नि0 देवेन्द्र सिंह, था0प्र0, ताराटांड थाना।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 नवला किशोर प्रसाद, ताराटांड थाना	1. पु0अ0नि0 देवेन्द्र सिंह, था0प्र0, ताराटांड थाना। 2. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 नवला किशोर प्रसाद, ताराटांड थाना 3. स0अ0नि0 सहजानंद राय 4. हव0 परमानंद सिंह 5. पु0 833 पलटन सिंह 6. पु0 266 विमल उरॉव 7. पु0 446 सुरेश यादव 8. चालक रणधीर कुमार सिंह, सभी ताराटांड थाना। 9. श्री जयप्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, गिरिडीह।			

		जमुई।									
11.	लोकायनयनपुर थाना कांड सं० 02/13, दि० 14.03.13 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि०। जी०आर० नं०-1298/13,	1. मुद्रिका यादव पे० स्व० कालेश्वर यादव सा० थानसिंहडीह, थाना लोकायनयन पुर जिला- गिरिडीह 2. वारू यादव 3. रामदेव यादव 4. कैलाश यादव सभी पे० कौलेश्वर यादव सा० थानसिंहडीह, थाना लोकायनयनपुर, जिला- गिरिडीह।	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।		कोर्ट-प्रवीण उरॉव, जे०एम०,	ए०पी०पी०-सर्वेश कुमार मो०नं०-7761920 270	पु०अ०नि० इब्राहिम मियों, लोकायनयन पुर थाना।	अनु०कर्ता स०अ०नि० अहमद हुसैन, लोकायनयनपुर थाना।	1. पु०अ०नि० इब्राहिम मियों, लोकायनयनपुर थाना। 2. अनु०कर्ता स०अ०नि० अहमद हुसैन, लोकायनयनपुर थाना। 3. अर्जुन यादव पे० स्व० खुबलाल यादव सा० थानसिंहडीह, थाना लोकायनयनपुर, जिला- गिरिडीह 4. मथुरा यादव पे० स्व० महादेव यादव 5. राजेन्द्र यादव पे० रामेश्वर यादव 6. पंकज कुमार यादव पे० जयप्रकाश यादव थानसिंहडीह, गिरिडीह 7. हव० सोहन महतो 8. स०अ०नि० शकील अहमद 9. पु०अ०नि० चतुर्भुज झा, सभी लोकायनयनपुर थाना।	आरोप पत्र सं० 22/13 दि० 18.11.13	
12	मुफ्फसिल थाना कांड सं० 24/13 दि० 12.01.13 धारा- 399/402 भा०द०वि० 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि०	1. पवन प्रसाद पे० जमना प्रसाद सोनी सा० बोदरा थाना नावाडीह	डकैती योजना बनाते समय अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ		कोर्ट-एस०डी जे०एम०	ए०पी०पी०-रविशंकर चौधरी मो०नं०-9155189 130	पु०अ०नि० शंकरदयाल पांडेय, सदर अंचल गिरिडीह	पु०अ०नि० अशोक प्रसाद सिंह, मुफ्फसिल थाना।	1. पु०अ०नि० शंकरदयाल पांडेय, सदर अंचल गिरिडीह 2. पु०अ०नि० अशोक प्रसाद सिंह,	आरोप पत्र सं० 73/13 दि० 10.03.13 एवं आरोप प.	

	जी0आर0 नं0-113/13,,	<p>जिला बोकारो</p> <p>2. रंजीत कुमार वर्मा पे0 स्व0 किशोरी स्वर्णकार सा0 बगोदरडीह थाना बगोदर</p> <p>3. दशरथ स्वर्णकार पे0 भागीरथ स्वर्णकार</p> <p>4. जगरनाथ सोनार पे0 मथुरा स्वर्णकार दोनों सा0 चौबे थाना-बरकटा जिला-हजारीबाग</p>	पकड़ा जाना						<p>मुफ्फसिल थाना।</p> <p>3. पु0अ0नि0 बृजकिशोर सिंह</p> <p>4. हव0 उमाकांत पासवान</p> <p>5. हव0 रविन्द्र कु.सिंह</p> <p>6. हव0 महेन्द्र प्रसाद</p> <p>7. पु0 677 बिरबल महतो</p> <p>8. पु0 331 मनोज कुमार</p> <p>9. पु0 1229 इमामद्दीन</p> <p>10. पु0 383 अजीत कुमार सभी मुफ्फसिल थाना।</p>	सं. 134 / 13 दि0 20.04. 13
13	<p>बगोदर थाना कांड सं0 347 / 14 दि0 24.10.14 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि0</p> <p>जी0आर0 नं0-3426/24,,</p>	<p>1. सुरेश साव पे0 सहदेव साव सा0 नावाडीह थाना जिला लातेहार</p> <p>2. रंजीत सिंह पे0 सुदर्शन सिंह सा0 कोनवाई थाना पांकी जिला पलामु</p>	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	कोर्ट-सी0जे 0एम0	ए0पी0पी0-धनंजय दास मो0नं0-8540877 813	पु0अ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना प्रभारी, बगोदर थाना	पु0अ0नि0 गोपाल सिंह, बगोदर थाना	<p>1. पु0अ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना प्रभारी, बगोदर थाना</p> <p>2. पु0अ0नि0 गोपाल सिंह, बगोदर थाना</p> <p>3. हव0गोपाल मरांडी</p> <p>4. पु0 899 संजय कु0 सिंह</p> <p>5. पु0 285 त्रिलोचन कुमार</p>		

									राय 6. पु0 1334 सरफुदीन अंसारी सभी थाना बगोदर जिला गिरिडीह।		
14	खुखरा थाना कांड सं0 18/16, दि0 19.12.16, धारा 354बी/506 भा0द0वि0 एवं 8/12/18 पोक्सो एक्ट तथा 3(1) अनु0जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एस0टी0 नं0-164/17,,	नरेन्द्र राम पे0 गणेश राम, सा0 हरलाडीह, थाना खुखरा, जिला गिरिडीह	हरिजन महिला नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर		कोर्ट-डी0जे0 -01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	सोनी कुमारी पे0 श्री अर्जुन रविदास, सा0 हरलाडीह, थाना खुखरा	पु0अ0नि0 अनिल उरॉव	1. वादिनी सोनी कमारी पे0 श्री अर्जुन रविदास 2. गवाह जागेश्वरी देवी पति अर्जुन रविदास 3. अर्जुन रविदास पे0 स्व0 गेन्दो रविदास 4. रोहित रविदास पे0 द्वारिका रविदास 5. गणेश रविदास पे0 भैरव रविदास 6. रामाप्रसाद रविदास पे0 स्व0 एतवारी रविदास 7. शिवशंकर रविदास पे0 स्व0मूली रविदास 8. मोती रविदास पे0 स्व0 उमेदर रविदास, साकिनान् हरलाडीह, थाना खुखरा		आरोप पत्र सं0 01/17, दि0 28.02. 17
15.	देवरी थाना कांड सं0 75/17, दि0 24.04.17, धारा , धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4/6 , दि0 .पोक्सो एक्ट/ एस0टी0नं0-232/17,	रवि कुमार राय पे0 तालो राय, सा0 भोक्ताटॉड़, थाना देवरी, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना	अभि0 जेल में	कोर्ट-डी0जे0 -01,	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	कर्मन राय पे0 स्व0 रेवत राय, सा0 भोक्ताटॉड़, थाना देवरी, जिला गिरिडीह	अनु0कर्ता-सह-गवाह अथनाश केरकेट्टा	1. धनु राय 2. लोकाराय 3. सुषमा देवी 4. नीतु कुमारी, सभ सा0 भोक्ताटॉड़, थाना देवरी		आरोप पत्र सं0 49/17, दि0 26.06. 17
16.	देवरी थाना कांड सं0 85/17, दि0 05.08.17, धारा 366ए भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-261/17,	रूपेश ठाकुर पे0 दयाल ठाकुर, सा0 जमडीहा, थाना देवरी, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करना		कोर्ट-डी0जे0 -01,	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	वहीदा खातुन पति स्व0 रज्जाक अंसारी, सा0 जमडीहा, थाना देवरी, जिला गिरिडीह	पु0अ0नि0 अथनाश केरकेट्टा	1. मिन्हाज अंसारी 2. विदुर ठाकुर 3. लालजी ठाकुर 4. तमसुन खातुन		आरोप पत्र 55/17, दि0 07.07. 17
17.	बेंगाबाद थाना कांड सं0 277/16, दि0 10.12.16, धारा 366ए भा0द0वि0 एवं 12	अशोक राय पे0 शितल राय	नाबालिग लड़की का अपहरण कर		कोर्ट-डी0जे0 -01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068	कालेश्वर राय पे0 स्व0 जदी	अनु0कर्ता 1.स0अ0नि0 गोमेश सोरेन गवाह 2.	1. वादी कालेश्वर राय पे0 स्व0 जद्वी राय 2. डेगनी देवी पे0 कोलेश्वर राय 3. टेकलाल राय		आरोप पत्र सं0-13/1 7, दि0 25.

	पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-11/17,,		दुष्कर्म करना			122	राय	डा0 सर्थना शर्मा	पे नकूल राय 4. लखिया देवी पति टेकालाल राय 5. दिनेश कुमार सिंह पे0 रामनारायण सिंह 6. सीताराम राय पे0 नकूल राय		01.17
18.	बेंगाबाद थाना कांड सं0 136/17, दि0 06.04.17, धारा 376 भा0द0वि0 एवं 8/12 पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-360/17,,	कारू दास पे0 स्व0 बुधन दास	नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना		कोर्ट-डी0जे0-01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	पुतूल कुमारी पे0 स्व0 कोल्हा दास	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 आशीष पासवान 2. गवाह डा0 वैशाली राणा मुर्मू 3. डा0 सी0के0 सिंह	1. वादिनी पुतुल कुमारी पे0 कोल्हा दास गवाह 2. हरिकोशोर रविदास पे0 युगल दास 3. फागुनी देवी पति कोल्हा दास 4. बैसु रविदास पे0 गेन्दो रविदास 5. बालेश्वर रविदास पे0 प्रभू दास, साकिनान् डमरजोर, थाना बेंगाबाद		आरोप पत्र सं0 127/17, दि0 30.06. 17
19..	बेंगाबाद थाना कांड सं0 55/17, दि0 20.02.17, धारा 376 भा0द0वि0 एस0टी0नं0-156/17,	मो0 महमुद उर्फ कैला पे0 मनी मियाँ, स0 खण्डौली, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह	बलात्कार करना		कोर्ट-डी0जे0-04,	ए0पी0पी0-अजय कुमार साह	गुलशन खातुन पति मो0 फारुक अंसारी, सा0 खण्डौली, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह	पु0अ0नि0 शमशेर आलम	1. गुलशन खातुन 2. सबीना खातुन 3. सबीना खातुन 4. मो0 हासीम 5. मो0 हमीद		आरोप पत्र सं0 41/17, दि0 28.03. 17
20	बेंगाबाद थाना कांड सं0 440/17, दि0 22.12.17, धारा 366/376 भा0द0वि0 एस0टी0नं0-112/18,	दीपक दास पे0 रामचन्द्र दास, सा0 पतरोडीह, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह	बलात्कार करना		कोर्ट-प्रीसीप ल जज	पी0पी0-सुरेश चन्द उपाध्याय,	रीना कुमारी पति अशोक पंडित, सा0 पतरोडीह, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह	पु0अ0नि0 चन्द्रिका पासवान	1. रीना कुमारी 2. नेपाली पंडित 3. देवती देवी 4. रमेश पंडित		आरोप पत्र सं0 05/18, दि0 30.01. 18
21	बेंगाबाद थाना कांड सं0 43/17, दि0 13.02.17, धारा 366ए भा0द0वि0 एस0टी0नं0-182/17,,	गौतम यादव पे0 राधे यादव, सा0 कन्दौलीटॉड, थाना मु0, जिला जमुई (बिहार)	नाबालिग लड़की का अपहरण करना		कोर्ट-डी0जे0-01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	तुलसी पंडित पे0 बुधन पंडित, सा0 कदमाटोला, थाना बेंगाबाद,	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 चन्द्रिका पासवान गवाह 2. डा0रेखा झा	1. वादी तुलसी पंडित, पे0 बुधन पंडित 2. उमा शंकर पंडित पे0 स्व0 नरतन पंडित 3. शेखर पंडित पे0 बूधन पंडित 4. मनोज पंडित पे0 छक्कू पंडित 5. कौशल्या देवी पति बूधन पंडित 6. कालू पंडित पे0 स्व0		आरोप 14. पत्र सं0 15.0 61/17, दि0 10.04. 17

							जिला गिरिडीह		बालदेव पंडित 7. नकूल पंडित पे0 कामदेव पंडित 8. रंजीत पंडित पे0 सावन पंडित		
22	बेंगाबाद थाना कांड सं0 139/17, दि0 01.05.17, धारा 302/14 भा0द0वि0 एस0टी0नं0-299/17,	जमाल अंसारी पे0 रहीम मियाँ, सा0 तिवारीपहरी, थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह	हत्या करना		कोर्ट-डी0जे0-03,	ए0पी0पी0-विजय कुमार साह	बाबूजान अंसारी पे0 ठोकरी मियाँ, सा0 ओझाडीह, थाना बेंगाबाद	अनु0कर्ता 1. पु0अ0नि0 शमशेर आलम 2. गवाह डा0 राजेश चन्द्र	1. वादी बाबूजान अंसारी गवाह 2. शमसुद्दीन अंसारी 3. नसीर अंसारी, दोनों पे0 बाबूजान अंसारी 4. इम्तियाज अंसारी पे0 कासीम अंसारी 5. मकबूल अंसारी 6. करीब मियाँ दोनों पे0 स्व0 हाकिम मियाँ 7. गुलाम रसूल पे0 दौलत मियाँ 8. लाल मोहम्मद पे0 स्व0 बंदे आलम, साकिनान् ओझाडीह, तिवारीपहरी, थाना बेंगाबाद		आरोप पत्र सं0 96/17, 31.05.17
23	तिसरी थाना कांड सं0 21/16, दि0 22.07.16, धारा 395/412 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम एस0टी0नं0-126/17,,	अप्रा0अभि0 1. अभिकुन्द यादव पे0 बलराम यादव 2. पवन कु0 यादव पे0 शालीग्राम यादव, दोनों सा0 बाबुपुर, थाना मोहनपुर,, जिला देवघर 3. विरेश यादव पे0 जगदीश यादव, सा0 गादिझौवा 4. मुकेश यादव पे0 इन्द्र यादव, सा0 जोकेला, दोनों थाना सरैयाहाट, जिला दुमका 5. मनोज यादव पे0 मंगल यादव 6. झारखण्डी यादव पे0 तुफानी यादव 7. दिवाकर यादव पे0 अशोक राउत, तीनों सा0 केरवार, थाना जयपुर, जिला बाँका (बिहार)	हथियार का भय दिखाकर रूपये का लूट-पाट करना		कोर्ट-डी0जे0-03	ए0पी0पी0-विजय कुमार साह	चन्दन कु0 गुप्ता पे0 स्व0 उमाशंकर गुप्ता, सा0 झौसगढ़ी (राम मंदिर रोड), थाना नगर, जिला देवघर	1. पु0अ0नि0 मनोज कुमार 2. अ0नि0 बालेश्वर उरॉव, दोनों तिसरी थाना	1. चंदन कुमार गुप्ता 2. राकेश कुमार गुप्ता 3. मुस्तकीम अंसारी 4. महबूब मियाँ एवं 5. सूर्यदेव लाल	बरामद 36,000 /रु0 एवं 01 पिस्टल, 01 मैगजीन, 01 चालक प्रमाण पत्र	आरोप पत्र सं0 क्रमशः 1. 112/16, दि0 31.08.16 2. 07/16, दि0 22.07.16 32/17, दि0 27.06.17
24	तिसरी थाना कांड सं0 18/07, दि0 21.03.07, धारा 25(1-b)a/26/35 शस्त्र	चौद मियाँ			कोर्ट-बी0सी0 सामद	ए0पी0पी0-सर्वेश कुमार मो0नं0-7761920	पु0नि0 भुषण कुमार	पु0अ0नि0 विष्णुदेव चौधरी 1. हस0 मुरली शर्मा 2. आर0 245 उमेश यादव 3.			

	अधिनियम जी0आर0नं0-592 / 07,,					270		आ0 344 उपेन्द्र नाथ सिंह 4. आ0 363 सौवबानो हॉसदा 5. आ0 651 राम प्रवेश कुमार 6. आर0 321 जियाउल हक एवं 7. परिचारी प्रवर राधा हरिजन			
25	ताराटॉड़ थाना कांड सं0 01 / 15, दि0 09.01.15, धारा 414 भा0द0वि0 एवं 25(1- b)a / 26 / 35 शस्त्र अधिनियम जी0आर0 नं0-126 / 15,,	1. विनोद षेधरी पे0 बालदेव चौधरी, सा0 सिमरिया, थाना मु0, जिला गिरिडीह 2. रामलाल चौधरी पे0 स्व0 विदेशिया चौधरी 3.	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-सी0जे 0एम0	ए0पी0पी0-धनंज य दास, मो0नं0-8540877 813	1. स0अ0नि0 नवल किशोर प्रसाद	1. स0अ0नि0 नवल किशोर प्रसाद 2. आ0 1046 सुरेश यादव 3. ह0 उपेन्द्र यादव 4. आ0 333 पलटन सिंह 5. आर0 266 सीमल उरॉव, साकिनान् ताराटॉड़, जिला गिरिडीह			
26	नगर थाना कांड सं0 57 / 16, दि0 08.03.16, धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4 / 8 पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-171 / 16,	मो0 इर्शाद पे0 स्व0 पकौड़ी मियों, सा0 बक्शीडीह, भंडारीडीह	नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना	जेल से बाहर	कोर्ट-डी0जे0 -01,	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	सोनम परवीन पे0 मो0 मंसुर, सा0 बक्सीडीह रोड, भंडारीडीह	स0अ0नि0 इश्माईल मरांडी	1. फरिदा परवीन 2. नूर जहाँ खातुन 3. महुआ खातुन 5. मो0 शमीम 6. मो0 असलम 7. मो0 मंसुर		
27	नगर थाना कांड सं0 261 / 16, दि0 11.09.16, धारा 376डी / 366ए भा0द0वि0 एवं 4 / 8 / 12 पोक्सो एक्ट तथा 3(11) अनु0जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एस0टी0नं0-37 / 16, मो0नं0-9431068122	1. नदीम कुरैशी पे0 मो0 सकीर कुरैशी एवं 2. मो0 मिटू उर्फ हसेन पे0 मो0 कुटकुट, सा0 कुरैशी मोहल्ला, थाना नगर, जिला गिरिडीह	आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना	जेल से बाहर	कोर्ट-डी0जे0 -01,	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	निलमनी मरांडी उर्फ अंजली कुमारी पे ढेना मरांडी, सा0 बड़की रोड करहर बारी, थाना मु0, जिला गिरिडीह	पु0अ0नि अजर कान्त झा	1. निलमुनी मरांडी 2. ढेना मरांडी		
28.	नगर थाना कांड सं0 262 / 16, दि0 1.09.16, धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4 / 8 / 12 पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-326 / 16,	1. पांचु कुमार उर्फ पप्पु कुमार उर्फ अजीत कुमार पे0 ललन दास, सा0 मोहनपुर, थाना नगर, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करना	जेल से बाहर	कोर्ट-डी0जे0 -01,	ए0पी0पी0-सुनील चन्द श्रीवास्तव, मो0नं0-9431068 122	अनिता देवी,पति देनी मंडल, सा0 मोहनपुर, हनि स्कुल, थाना नगर,	सरकारी गवाह 1. डा0 सी0के0 सिंह 2. डा0 सरजना शर्मा एवं 3. डा0 रेखा झा 4. अनु0कर्ता -सह-गवाह पु0अ0नि0 लालमुनी राम	1.अनिता देवी 2. साक्षी कुमारी 3. सोनु दास 4. बेनी मंडल 5. राजेश कुमार 6. 23.छोटु दास		

							जिला गिरिडीह				
29.	नगर थाना कांड सं० 219/17, दि० 17.07.17, धारा 25(1-b)a/26/27 शस्त्र अधिनियम जी०आर० नं०-2099/17,	1. शिवम कु० श्रीवास्तव उर्फ शिवम आजाद पे० स्व० देवेन्द्र कु० श्रीवास्तव उर्फ बबलु आजाद, सा० झिझरी मोहल्ला, थाना नगर, जिला गिरिडीह	शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-सी०जे० एम०	ए०पी०पी०-धनंजय दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० अंजन कुमार, नगर थाना	1. पु०अ०नि० अंजन कुमार, नगर थाना 2. आ०/461 अनिल कुमार 3. गृ० 8543 सलिम अंसारी 4. आ०/894 तारणी महतो 5. पु०अ०नि० फैज रब्बानी	1. प्रकाश वर्णवाल 2. एतवारी यादव 3. मनोज जेम्स मुर्मू 4. पवन कुमार सिंह 5. आषित कुमार सिंह 6. सोनु सरदार		
30	मुफसिल थाना कांड सं० 367/17, दि० 21.10.17, धारा 414 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/35 शस्त्र अधिनियम जी०आर० नं०-3015/17,	1. उमा पासवान 2. गुलजार अंसारी 3. संजय हाजरा 4. हातीना अंसारी 5. जितेन्द्र दास 6. भैरो पासवान	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-एस०डी० जे०एम०,	ए०पी०पी०-रवि शंकर चौधरी मो०नं०-915 5189130	पु०नि० रामनारायण चौधरी	पु०अ०नि० रामविशुन पासवान			
31.	मुफसिल थाना कांड सं० 387/17, दि० 07.11.17, धारा 414 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/35 शस्त्र अधिनियम जी०आर० नं०-3201/17,,	1. अकरम खान पे० रसुर खान, सा० हिरणा, थाना नगर एवं 2. बिनोद कु० दास, सा० कानपुर, पण्डेयडीह, थाना जसीडीह, दोनों जिला देवघर	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-एस०डी० जे०एम०	ए०पी०पी०- रवि शंकर चौधरी मो०नं०-9155189 130	पु०नि० रामनारायण चौधरी	1. स०अ०नि० विजय कुमार यादव 2. पु०नि० रामनारायण चौधरी 3. स०अ०नि० सुनील कुमार सिंह 4. स०अ०नि० जितेन्द्र कु० सिंह 5. आ० 956 उमेश राम 6. आर० 591 अखजु उरॉव 7. आर० 576 सुरेन्द्र मुण्डरी	1. लालु राम एवं 2. दिनेश मंडल		
32.	जमुआ थाना कांड सं० 79/18, दि० 22.03.18, धारा 366ए भा०द०वि० a/26/35 शस्त्र अधिनियम जी०आर० नं०-773/18,	गड्डू राम पे० राजन राम, सा० करमाटॉड़, दिग्धी, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की का अपहरण करना		कोर्ट-एस०के० महाराज	ए०पी०पी०- सर्वेश कुमार मो०नं०-7761920 270	रामदेव पासवान पे० स्व० बट्टी, पासवान, सा० टिकमगहा टोला, थाना मेदनीटॉड़, थाना जमुआ, जिला	अनु०कर्ता 1. स०अ०नि० संजीव पाल 2. पु०अ०नि० श्यामचन्द्र सिंह	1. रामदेव पासवान 2. रामू पासवान 3. विजय पासवान एवं 4. राजेन्द्र पासवान 5. शक्ति पासवान		

						गिरिडीह					
33.	जमुआ थाना कांड सं० 169/11, दि० 23.07.11, धारा 25(1-b)a/26 /35 शस्त्र अधिनियम a/26/35 शस्त्र अधिनियम जी०आर०नं०-1386/11,	महेन्द्र राम पे० बैकुण्ठ राम, सा० परगोडम्ह, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-एस०के ०महाराज	ए०पी०पी०- सर्वेश कुमार मो०नं०-7761920 270	स०अ०नि० अशोक कुमार	स०अ०नि० अवधेश सिंह	1. बहादुर सिंह 2. कृष्णा राय 3. जयकिशोर राय 4. नारायण सिंह, थाना जमुआ		
34	धनवार थाना कांड सं० 91/17, दि० 17.04.17, धारा धारा 25(1-b)a/26 /35 शस्त्र अधिनियम जी०आर०नं०-996/17,,	1. बिरेन्द्र प्रसाद पे० चन्द्रदेव प्रसाद, सा० सलगामा कममा, थाना कटकमसांडी, जिला हजारीबाग एवं 2. विष्णु यादव पे० स्व० बाबूलाल यादव, सा० आरामारो, थाना चन्द्रवारा, जिला कोडरमा	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-शंभु महतो जे०एम०	ए०पी०पी०- धनंजय दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी धनवार	पु०अ०नि० बालू उरॉव (मृत) सरकारी गवाह 1. आ० 268 साहेराम टोप्पो 2. आ० 339 राजेश कुमार, दोनों आई०आर०बी०-5 गुला 3. स०अ०नि० अजय कु० सिंह, धनवार 4. पु०अ०नि० आर०एस०व०पटेल, परसन ओ०पी०			
35	धनवार थाना कांड सं० 282/17, दि० 04.09.17, धारा 392 भा०द०वि० एवं परिवर्तित धारा 395/412 भा०द०वि० एस०टी०नं०-102/18,	अप्रा०अभि० 1. अभिषेक शर्मा पे० बिनोद शर्मा 2. पप्पु शर्मा पे० रूपलाल शर्मा, दोनों सा० धरधरा 3. प्रदीप कु० राय पे० सुरेन्द्र राय, सा० सिरसाय, थाना धनवार 4. पिन्दू सिंह पे० प्रकाश सिंह, सा० दोवरायडीहा, थाना बगोदर 5. अरवाज आलम पे० इलियास दर्जी, थाना धनवार एवं 6. साबीर चौधरी पे० रामेश्वर चौधरी, सा० वमनी, थाना धनवार, सभी जिला गिरिडीह	लूट-पाट करना		कोर्ट-प्रीसीप ल जज	ए०पी०पी०-सुरेश कुमार उपाध्याय	विक्रम कुमार पे० विजय प्रसाद वर्णवाल, सा० सिनेमा रोड, थाना राजधनवार, जिला गिरिडीह	सरकारी गवाह 1. पु०अ०नि० सुरेन्द्र कु० सिंह, थाना प्रभारी धनवार एवं 2. श्री बी०सी० समद, न्यायिक दण्डाधिकारी, गिरिडीह एवं 3. श्री शशिजय शिंकर, अचल अधिकारी,	1. विक्रम कुमार पे० विजय प्र० वर्णवाल 2. शिवाजी वर्णवाल 2. शिवाजी वर्णवाल पे० विक्रम वर्णवाल 3. विजय प्र० वर्णवाल पे० हरिहर मोदी, सा० सिकनेमा रोड, धनवार 4. बुलबुल कुमारी पति आशीष वर्णवाल, सा० टोकोटाँड़		

36.	धनवार थाना कांड सं० 309/17, दि० 18.09.17, धारा 25(1-b)a/26 /35 शस्त्र अधिनियम जी०आर०नं०-2691/17,	1. पिटु सिंह पे० प्रकाश सिंह, सा० देवरायडीह, थाना बगोदर 2. अभिषेक शर्मा पे० बिनोद शर्मा, सा० धनधरा, थाना जमुआ 3. पप्पू शर्मा पे० रूपलाल शर्मा, सा० धरधरा, थाना जमुआ, सभी जिला गिरिडीह	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-शंभु महतो	ए०पी०पी०-धनंजय दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी धनवार	1. पु०अ०नि० सुरेन्द्र कु० सिंह 2. स०अ०नि० सुमित कु० सिंह, धनवार 3. अनु०कर्ता पु०अ०नि० पुरुषोत्तम कुमार 4. आर० 135 रामकुमार सिंह 5. आर० 440 विजय भूषण सिंह 6. विशेषज्ञ जय प्रकाश नाग, परिचारी प्रवर, पु०के०, गिरिडीह		आरोप पत्र सं०-259/17, दि० 30.10.17
37	निमिर्घाट थाना कांड सं० 38/17, दि० 17.05.17, धारा 354/354बी भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट एस०टी०नं०-256/17,	रसीक बिहारी पे० सरयुशरण गोस्वामी, सा० रामनगर, थाना निमिर्घाट, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म करना।		कोर्ट-डी०जे०-01	ए०पी०पी०-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो०नं०-9431068 122	सुरेश गोस्वामी पे० स्व० टेकलाल गोस्वामी, सा० रामनगर टोला, चरकपहाड़ी, थाना निमिर्घाट, जिला गिरिडीह	अनु०कर्ता स०अ०नि० गंदूर उरॉव	1. सुरेश गोस्वामी 2. गणेश गोस्वामी एवं 3. चंदा गोस्वामी	आरोप पत्र सं० 69/17, दि० 31.05.17
38	निमिर्घाट थाना कांड सं० 98/17, दि० 01.12.17, धारा 366ए भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट एस०टी०नं०-99/18,	राजू तुरी पे० द्वारिका तुरी, सा० व थाना निमिर्घाट, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करना।		कोर्ट-डी०जे०-01	ए०पी०पी०-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो०नं०-9431068 122	अर्जुन तुरी पे० प्रसादी तुरी, सा० रोशनाटुंडा, थाना निमिर्घाट, जिला गिरिडीह	स०अ०नि० दिंदर उरॉव	अर्जुन तुरी	आरोप पत्र सं० 148/17, दि० 30.12.17
39	निमिर्घाट थाना कांड सं० 54/16, दि० 13.07.16, धारा 376/506/120बी/312..... भा०द०वि० एस०टी०नं०-94/17, कोर्ट-डी०जे०-01 ए०पी०पी०-सुनील चन्द्र	1. शिवनारायण सिंह पे० भोनु सिंह, सा० बेलमा 2. मनोज कुमार महतो पे० निर्मल महतो, सा० पोडैया, थाना निमिर्घाट, जिला गिरिडीह	बलात्कार करना		कोर्ट-डी०जे०-01	ए०पी०पी०-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो०नं०-9431068 122	गिरधारी महतो पे० धरम महतो, सा० बेलमा, थाना निमिर्घाट	पु०अ०नि० विनोद उरॉव	1. गिरधारी महतो 2. जीतु देवी 3. सुमित्रा कुमारी	आरोप पत्र सं० 85/16, दि० 30.09.16

	श्रीवास्तव मो0नं0-9431068122										
40	निमियोघाट थाना कांड सं0 103/17, दि0 12.12.17, धारा 366ए भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट एस0टी0नं0-110/18, कोर्ट-डी0जे0-01 ए0पी0पी0-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो0नं0-9431068122	देवाशीष उर्फ राहुल पे0 शिव कुमार घटक, सा0 सरिया स्टेशन रोड, थाना सरिया, जिला गिरिडीह	नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करना		कोर्ट-डी0जे0 -01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो0नं0-9431068 122	दिनेश कुमार पे0 विजय राम, सा0 ईसरी बाजार, स्टेशन रोड, थान निमियोघाट, जिला गिरिडीह	1. स0अ0नि0 रविन्द्र नाथ सिंह एवं 2. डा0 सदर अस्पताल, गिरिडीह	1. दिनेश कुमार 2. सरिता कुमारी 3. रमेश कुमार 4. रुमा देवी 5. मिन्दु उर्फ अजय जायसवाल 6. उपेन्द्र पाण्डेय		
41.	लोकायनयनपुर थाना कांड सं0 14/17, दि0 07.10.17, धारा 25(1-b)a/26 /35 शस्त्र अधिनियम एस0टी0नं0- , कोर्ट-डी0जे0-01 ए0पी0पी0-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो0नं0-9431068122	पंकज कुमार पे0 गणेश प्रसाद यादव, सा0 बुधौला टोला, भलुवा, थाना पकरीबरावों, जिला नवादा	अवैध शस्त्र के साथ पकड़ा जाना		कोर्ट-डी0जे0 -01	ए0पी0पी0-सुनील चन्द्र श्रीवास्तव मो0नं0-9431068 122	स0अ0नि0 लोवेश्वर हॉसदा,	1. स0अ0नि0 लोकेश्वर हॉसदा 2. आर0 716 मुखलाल दांगी 3. आर0 901 योगेन्द्र तिवारी 4. पु0नि0 सुभाष दास 5. पुलिस जी0ड*0 अनिल कुमार मोर्य 6. अ0नि0 पंकज कच्छप		एम0आर 0 नं0 04/17	
42	मधुबन थाना कांड सं0 01/15, दि0 26.08.15, धारा 302/34 भा0द0वि0 एस0टी0नं0-41/16,	1. हरि ठाकुर पे0 रूपलाल ठाकुर 2. अकलु महतो पे0 गजाधर महतो 3. बाबुलाल यादव पे0 सव0 बुदहन यादव, साकिनान् चैनपुरा, थाना मधुबन, जिला गिरिडीह	हत्या करना	तीनो अभि0 जमानत पर	कोर्ट-डी0जे0 -04	ए0पी0पी0-अजय कुमार साह	सावित्री देवी पति स्व0 गुलाब चन्द्र महतो, सा0 चैनपुर, थाना मधुबन, जिला गिरिडीह	1. पु0अ0नि0 चन्द्रमोहन उरॉव	1. रेखा देवी 2. चंदन महतो3. रामेश्वर यादव 4. अर्जुन महतो		
43	पीरटॉड थाना कांड सं0 18/13, दि0 20.03.13, धारा 419/420/386/387/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-	सोनू दास उर्फ सुमीत दास पे0 काली दास			कोर्ट-सी0जे 0एम0	ए0पी0पी0-धनंज य दास मो0नं0-8540877	पु0अ0नि0 रूपेन्द्र राणा, थाना प्रभारी,	पु0अ0नि0 हरिकिशुन उरॉव 1. ह0 जयशंकर तिवारी 2. ह0 गिरधारी साव 3. आ0 655 अखिलेश कुमार			

	b)a / 26 / 35 शस्त्र अधिनियम जी0आर0 नं0-725 / 13,,					813	पीरटॉड	पासवान 4. आ0 124 सोमनाथ पूर्ति 5. आ0 170 गंभीर महतो 6. स0अ0नि0 सुरेन्द्र राम एवं 7. परिचारी प्रवर, रफाईल मिंज			
44	गण्डेय थाना कांड सं0 114 / 17, दि0 29.08.17, धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी0 / 34भा0द0वि0 एवं 66(C)(D) आई0टी0एक्ट जी0आर0नं0-2502 / 17,	1.संतोष मंडल पे0 पूरन मंडल 2. खुशी मंडल पे0 रामेश्वर मंडल 3. विश्वनाथ मंडल पे0 मोती मंडल, साकिनान् आसनबनी, थाना गाण्डेय, जिला गिरिडीह	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मोबाईल से साईबर ठगी करना	जमानत पर	कोर्ट-निरजा आश्री	ए0पी0पी0-रवि शंकर चौधरी मो0नं0-9155189 130	पु0अ0नि0 कमलेश प्रसाद, थाना प्रभारी गाण्डेय	1.पु0अ0नि0 कमलेश प्रसाद, थाना प्रभारी गाण्डेय 2. अ0नि0 अशोक सिंह 3. स0अ0नि0युसूफ मल्लिक 4. ह0 सुरेश कु0 तेंदुआ 5. ह0 सुरू सरदार 6. आ0 1035 नरेश रविदास 7. आ0 339 मंगरा उरॉव 8. आ0 823 सुरेश कुमार 9. आ0 959 लव कुमार 10. पु0नि0 शंकर प्र0 झा		जप्त प्रदर्श थाना मालखाना में रखा गया है	
45	अहिल्यापुर थाना कांड सं0 34 / 17, दि0 13.06.17, धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी0 भा0द0वि0 एवं 66(C)(D) आई0टी0एक्ट जी0आर0नं0-1688 / 17,,	1.आरीफ अंसारी 2. परवेज अंसारी, दोनों पे0 अशतुल अंसारी, सा0 बाकीकला, थाना अहिल्यापुर, जिला गिरिडीह	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर फर्जी मोबाईल से साईबर ठगी करना	जमानत पर	कोर्ट-एस0डी 0जे0एम0	ए0पी0पी0-रवि शंकर चौधरी मो0नं0-9155189 130	पु0अ0नि0 शशीरंजन कुमार, थाना प्रभारी, अहिल्यापुर	1.अ0नि0 शशीरंजन कुमार, थाना प्रभारी, अहिल्यापुर 2. स0अ0नि0 सुमीत टोप्लो 3. ह0 सुनील चौधरी 4. ह0 मुगधा हेम्ब्रम 5. आ0 14 रघुनाथ महतो 6. आ0 736 मुकेश कुमार 7. आ0 538 सुबोधकान्त सिंह 8. पु0नि0 शंकर प्र0 झा		जप्त प्रदर्श थाना मालखाना में रखा गया है	
46	तिसरी थाना कांड सं0 12 / 14, दि0 12.03.14, धारा 3 / 4 / 5 वि0पदा0अधि0 एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट जी0आर0नं0-657 / 14	1.अगस्टीन हॉसदा पे0 होपम हॉसदा, सा0 सिमलादाब, थाना सुन्दरपहाड़ी, जिला गोड्डा वर्तमान भेलवामिशन, थाना देवरी, जिला गिरिडीह 2. बरनाली मरांडी पे0 सनातन मरांडी, सा0 राम महेश किशोर, थाना भेलवाघाटी, जिला गिरिडीह 3. अधिक यादव पे0	प्रतिबंधित संगठन भा0क0पा0 माओ0 को विस्फोटक पदार्थ पहुँचाने के क्रम में पकड़ा जाना	मृत 1 एवं जेल 3	कोर्ट-बी0सी 0 सामद	ए0पी0पी0-सर्वेश कुमार मो0नं0-7761920 270	पु0अ0नि0 विनोद उरॉव, थाना प्रभारी तिसरी	1.पु0अ0नि0 विनोद उरॉव, थाना प्रभारी तिसरी 2. ह0 बलभद्र पुर्ती 3. आ0 1230 जोसेफ बिन्हा 4. आ0 1163 गोपाल कच्छप 5. आ0 593 पंकज कु0 6. आ0 168 शशीभुषण राय 7. चो0. ब्रह्मदेव राम 8. अस्टिन्ड कमान्डैन्ट श्री विकास कुमार 9. अस्टिन्ड कमान्डेन्ट नागेश्वर कुमार 10 अस्टिन्ड कमान्डेन्ट			

		सहदेव यादव, सा0 नारबाद, थाना चरकापत्थर, जिला जमुई 5. चिराग दा उर्फ जोधन दा प्रतिबंधित भा0क0पा0 माओवादी									
47	मुफसिल थाना कांड सं- 97/13, दि0 15.03.13, धारा 25 (1-b)/a/26 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट 13 यु0ए0पी0 एक्ट	1. चुड़का उर्फ चुड़का मॉझी पे0 स्व0 रतिया मॉझी, स0 मंझलाडीह, थाना पीरटॉड, जिला गिरिडीह	उग्रवादी के पास से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद होना	जेल			पु0अ0नि0 विमल नन्दन सिन्हा, थाना प्रभारी, मु0	1. पु0अ0नि0 विमल नन्दन सिन्हा, थाना प्रभारी, मु0 2. पु0नि0 रामेश्वर उरॉव, 3. पु0अ0नि0 फ्रान्सिस जेवियर बाड़ा 4. बी0के0श्रीवास्तव, सहायक समादेष्टा, 22 बटालियन 5. सहायक समादेष्टा चन्द्रभूषण तिवारी 6. ह0 रविन्द्र सिंह 7. आ0 1996 सुकर मुर्मू 8. आ0 6777 उमेश पाण्डेय 9. आ0 6454 नारायण सिंह 10. आ0 1044 डीगो पासवान			
48	डुमरी थाना कांड सं0 32/10, दि0 23.05.10, धारा 147/148/149/353/326/307/216/124ए भा0द0वि0 25 (1-b)/a/26/27/35 शस्त्र अधिनियम एवं 17/18 सी0एल0ए0 एक्ट 13 यु0ए0पी0 एक्ट जी0आर0नं0-1132/10,	1 छोटु दास पे0 सुकर दास, सा0 परवाटॉड, थाना तिसरी 2. मुंशी तुरी पे0 सोमर तुरी 3. जानकी तुरी पे0 स्व0 ललीत तुरी 4. जगदीश तुरी पे0 स्व0 बीरो तुरी, तीनों सा0 ढिबरा, थाना डुमरी 5. रनबीर उर्फ नागो दा 6. अरबिंद मॉझी 7. दिनेश मॉझी 8. संतोष किस्कू 9. सुनील महतो 10. दीपक मॉझी 11. संगीता मॉझी 12. सुनीता मॉझी 13. संगीता मॉझी उर्फ छोटी 14. राजेन्द्र मॉझी 15.	पुलिस पदाधिकारी एवं बल पर उग्रवादियों द्वारा जानलेवा फायरिंग करना।		कोर्ट-ए0सी0 जे0एम0,	ए0पी0पी0-धनंजय दास मो0नं0-8540877 813	पु0अ0नि0 राजीव कुमार, थाना प्रभारी डुमरी	1. पु0अ0नि0 राजीव कुमार, थाना प्रभारी डुमरी 2. पु0अ0 नि0 आबिद खान 3. हव0 जयनुद्दीन खान 4. आ0 1081 राजेन्द्र उपाध्याय 5. आ0 407 मोती राम टुडू 6. आ0 367 मधुसूदन महतो			

		मनोज राय 16 पुनम मॉझी 17. बब्लू 18. महेन्द्र 19. आकांछा 20 लक्ष्मण राय 21. मोधी राम 22. कल्लु मरांडी 23 नबी मियाँ एवं अन्य									
49	डुमरी थाना कांड सं० 20/13, दि० 03.03.13, धारा 17 सी०एल०ए० एक्ट 13 यु०ए०पी० एक्ट जी०आर०नं०-533/13,	1.बैजू बेसरा उर्फ जानु बेसरा पे० एम्बारी बेसरा, सा० दर्दमारा, थाना पीरटॉड, जिला गिरिडीह	नक्शाली बैनर एवं पोस्टर बरामद होना साथ ही विधि विरुद्ध कार्य में संलिप्त होना	जेल	कोर्ट-ए०सी० जे०एम०,	ए०पी०पी०-धनंज य दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० योगेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी डुमरी	1.पु०अ०नि० योगेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी डुमरी 2. स०अ०नि० रविन्द्र सिंह 3. स०अ०नि० सुर्यदेव मिश्रा 4. आ० 155 अनिल कु० सिंह 5. आ० 1296 प्रकाश कुमार 6. आ० 1314 दशरथ कु० दास 7. आ० 1276 रामकिशोर महतो 8. आ० 1274 सुरेन्द्र कु० महतो 9. चा०पु० 321 जियाउल हक			
50	देवरी थाना कांड सं० 119/03, दि० 21.10.03, धारा 302/34 भा०द०वि० एवं 17 सी०एल०ए०एक्ट जी०आर०नं०-1955/03,	1.लोकन यादव 2. बाबुलाल यादव 3. अर्जुन यादव 4. जगदीश यादव 5. रामसहाय यादव अप्रा० 6. रमेश मंडल 7. बाहुमनी सिंह 8. तहलीन अंसारी 9. विशुन रजवार 10. गंदरावरी रविदास 11. खुबलाल दा 12. जितन मरांडी 13. नागो सिंह	उग्रवादियों द्वारा हत्या करना	जेल 07, मृत 01, असत्यापि पत 01, फरार 04	कोर्ट-ए०डी० जे०एम०,	ए०पी०पी०-रवि शंकर चौधरी मो०नं०-9155189 130	मेघनी देवी पति स्व० दारोगी रा,य, सा० खटौरी, थाना देवरी		1.मेघनी देवी पति स्व० दारोगी रा,य, सा० खटौरी, थाना देवरी 2. लालमोहन कु० राय 3. चमन राय 4. बहादुर राय 5. इश्वरी राय		
51	बेंगाबाद थाना कांड सं० 262/16, दि० 12.11.16, धारा 3/4 वि०पदा०अधि० एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट जी०आर०नं०-2934/16,	1.रमेश मंडल उर्फ साकिन दा उर्फ उज्जवल पे० हिरामन मंडल, सा० परवतरायडीह, थाना देवरी, जिला गिरिडीह	विस्फोटक पदार्थ के साथ उग्रादी का पकड़ा जाना	जेल	कोर्ट-निरजा आश्री	ए०पी०पी० रवि शंकर चौधरी मो०नं०-9155189 130	पु०अ०नि० मनोज कुमार, तत्कालीन थाना प्रभारी, बेंगाबाद	1.पु०अ०नि० मनोज कुमार, तत्कालीन थाना प्रभारी, बेंगाबाद 2. आ० 717 अनुज कु० सिंह 3. आ० 507 धनंजय सिंह 4. आ० 1226 सुरजीत कु० सिंह 5.			

52	निमियाघाट थाना कांड सं० 33/17, दि० 02.05.17, धारा 17/18 सी०एल०ए० एक्ट जी०आर०नं०-1168/17,	1.सुरेश मरांडी पे० स्व० पतिया मरांडी	भा०क०पा० माओवादी का बैनर एवं पोस्ट के साथ पकड़ा जाना	जेल	कोर्ट-सी०जे० ०एम०	ए०पी०पी०-धनंजय दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० बिनोद उरॉव, थाना प्रभारी, निमियाघाट	1.पु०अ०नि० बिनोद उरॉव, थाना प्रभारी, निमियाघाट 2. स०अ०नि० निकोलस सोरेन 3.			
53	बेंगाबाद थाना कांड सं० 173/15, दि० 11.08.15, धारा 17सी०एल०ए० एक्ट जी०आर०नं०-2573/15,	श्यामलाल टुडू पें० बाबुलाल टुडू सा० गोविंदपुर, थाना चटाई, जिला जमुई	नक्सली साहित्य से प्रचार प्रसार करने के आरोप में	जेल	कोर्ट-निरजा आश्री	ए०पी०पी०-रवि शंकर चौधरी मो०नं०-9155189 130	पु०अ०नि० फ़ैज अहमद, बेंगाबाद थाना	1.पु०अ०नि० फ़ैज अहमद, बेंगाबाद थाना 2.आ० 772 महेन्द्र प्रसाद 3. आ० 903 भरत शर्मा 4. आ० 1201 अनिल कुमार 5.			
54	डुमरी थाना कांडसं० 59/17, दि० 20.07.17, धारा 17 सी०एल०ए० एक्ट जी०आर०नं०-2144/17,	महेन्द्र राय पे० स्व० काली राय, सा० खुदीसार, थाना डुमरी	नक्सली साहित्य से प्रचार प्रसार करने के आरोप में	जेल	कोर्ट-ए०सी० जे०एम०	ए०पी०पी०-धनंजय दास मो०नं०-8540877 813	पु०अ०नि० श्यामचन्द्र सिंह, थाना प्रभारी, डुमरी	1पु०अ०नि० श्यामचन्द्र सिंह, थाना प्रभारी, डुमरी 2. ह० जयपाल टुडू 3. आ० 406 रविन्द्र कुमार			

गोडडा जिलान्त त्वरित विचारण हेतु 19 चयनित कांडो की विवरणी

क्रम सं०	कांड संख्या / तिथि / धारा / जी० आर० / एस०टी० नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार / बैल	न्यायालय का नाम	पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह / अनु०कर्ता / चिकित्सक / विशेषज्ञों का नाम / पता एवं मोबाईल नम्बर	आम गवाहों का नाम पता एवं मो० सं०	अभियुक्त ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बसंतराय थाना कांड सं०-71/17, दि०-17.10.17 धारा 392 भा०द०वि० परिवर्तित धारा 392/411/468/471 भा०द०वि० जी०आर० 1426/17 टी०आर० 1511/16	1.मो० शाहजहाँ पे० मो० युनूस, ग्राम शीतल,2. मो० फारुख पे० मो० वसीर, ग्राम, शीतल मालीचक, दोनों थाना महागामा, जिला गोडडा, 3. मो० एकबाल पे० मो० ईसराफिल, ग्राम उधमाडीह, जिला भागलपुर(बिहार)	तीन अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा बलोरो डी०आई०गाड़ी नं०-जे०एच 0 15 जे० 8284 के लूट करना।	तीनों अप्रा०अभि० जेल में।	श्री रवि कुमार भाष्कर न्यायिक दण्डाधिकारी गोडडा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	वादी विनोद रजक पिता स्व० राजा रजक, सा० सगदाहा, थाना जसीडीह, जिला देवघर	1.पु०अ०नि० बालकेश्वर सिंह, थाना प्रभारी, बसंतराय, जिला गोडडा, 2. पु०अ०नि० जनार्दन सिंह, थाना प्रभारी, सुन्दरपहाड़ी, जिला गोडडा, 3. आ०/166 अशरफ अंसारी, 4. आ०/149 दिलीप कुमार मण्डल, 5. आ०/423 हेप्पी कुमार, 6. आ०/430 राजीव कुमार ठाकुर, 7. आ०/20 सुदील टोप्पो, सभी रिजर्व गार्ड, सुन्दरपहाड़ी, 8. हवलदार बुद्धदेव उरॉव, 9. हवलदार सोबो हॉसदा, 10. आ०/24 विकाश चन्द्र भोगता, 11. आ०/147 दिलीप कुमार मंडल 12. पु०अ०नि० जावेद अहमद, बसंतराय थाना	1.विनोद रजक पिता स्व० राजा रजक, सा० सगदाहा, थाना जसीडीह, जिला देवघर, मो०नं०-9973682538 2. ललन राय पिता अशोक प्रसाद राय, सा० अमरपुर, थाना जसीडीह, जिला देवघर,	
2.	बसंतराय थाना कांड सं०-09/18 दि०-11.01.18 धारा-25(1-ए)/26(2)/35 आर्म्सएक्ट जी०आर०नं०-59/18 टी०आर० नं०-1598/18	1. मो० नजाम पिता याकुब, 2. मो० कलीम उर्फ कल्लू पिता अंसार एवं 3. जफर पिता स्व० सफदर सभी सा० बंशीपुर, थाना बसंतराय, जिला गोडडा	इस कांड के अभियुक्तों को अवैध अग्नेयाशस्त्र में गोली के साथ पकड़ा जाना	तीनों प्रा०अभि० जेल में।	श्री रवि कुमार भाष्कर न्यायिक दण्डाधिकारी गोडडा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	पु०अ०नि० जावेद अहमद, थाना प्रभारी, बसंतराय, जिला गोडडा	1. वादी पु०अ०नि० जावेद अहमद, थाना प्रभारी, बसंतराय थाना 2. आ०/90 जितेन्द्र राय, 3. आ०/147 दिलीप कुमार मण्डल, सभी रिजर्व गार्ड बसंतराय थाना 4. चौ० 435 संजीव पासवान पिता स्व० धनेश्वर पासवान, सा० बाघाकोल, थाना बसंतराय, जिला गोडडा, आर्म्स जाँच कर्ता श्री बबन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक-सह-, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गोडडा, अनु०कर्ता- स०अ०नि० शिवबच्चन ह।		
3.	मुफसिल थाना कांड सं०-159/17 दि०-12.09.17 धारा 25(1-बी)ए/ 26 आर्म्स	1. महेन्द्र मण्डल पिता स्व० हरि मण्डल, सा० तेलो,			सी०जे०एम०	श्री लूकास हेम्ब्रम सहा० लो० अभि०	राजीव नयन, अवर निरीक्षक उत्पाद विभाग,	1.वादी राजीव नयन, अवर निरीक्षक, उत्पाद विभाग, 2. श्री बबन सिंह, परिचारी प्रवर, पुलिस		

	एक्ट जी०आर नं०-1263/17 टी०आर० नं०-2897/18	थाना मुफ्फसिल, जिला गोड्डा				गोड्डा	सदर	केन्द्र, गोड्डा, 3. अभिषेक कुमार, अ०नि० उत्पाद विभाग, महागामा, अंचल, 4. स०अ०नि० ईश्वर दयाल मिश्रा, गोड्डा जिला बल, 5. आ०/428 संजय कुमार, जिला बल गोड्डा, 6. मनु साव पिता स्व० हजारी साव, सा० तेलो, थाना मुफ्फसिल, जिला गोड्डा		
4.	गोड्डा नगर कांड सं०- 240/17, दि०-13.11.17 धारा-342/323/324/ 326/307/302 भा०द०वि० जी०आर० नं०-3039/18 टी०आर० नं०-1573/17	1. निखिलजीत यादव पिता अनिल यादव उर्फ हजारी सा०-चपरासी मोहल्ला, थाना-गोड्डा नगर जिला- गोड्डा	वादी को धरदार हथियार से मारकर जख्मी करना जिससे मृत्यु होना।	प्रा०अभि० जेल में	सी०जे०एम०	श्री लूकास हेम्ब्रम सहा० लो० अभि० गोड्डा	वादी मुकेश कुमार मंडल पिता चुनेश्वर मंडल सा०- चपरासी टोला, थाना- गोड्डा नगर जिला-गोड्डा	1 डॉ० जुनैद आलम, सदर अस्पताल गोड्डा, 2. पु०अ०नि० विश्वनाथ उरॉव, नगर थाना गोड्डा, जिला गोड्डा	1. वादी मुकेश कुमार मंडल पिता चुनेश्वर मंडल 2. अनुज कुमार पिता सुभाष मण्डल, 3. अरुण मण्डल पिता अर्जून मण्डल, 4. मनोज कुमार मण्डल पिता नरेश मण्डल, 5. बाबु खान उर्फ आरिफ पिता मकसूद सभी सा०-चपरासी मुहल्ला 6. सुभम आनंद पिता गोपाल मण्डल, सा० बढौना सभी थाना-गोड्डानगर जिला-गोड्डा	
5.	ललमटिया थाना कांड सं०-76/17, दिनांक- 16. 10.17, धारा 399/402 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर० नं०-1420/17 टी०आर० नं०-1326/18	प्रा०अभि० 1. मो० जफर, पे०-शैख उस्मान, सा०-बोलिया गुमटी, 2. मो० गफार, पे०-मो० अली, सा०-आर०एन० बोलिया, 3. मो० उमर फारूख, उर्फ शेरू, पे०-मो० ईमाम, सा०-नारायणपुर पटनी, 4. शैखनंदन कु० सिंह, पे०-स्व० दिनेश प्र० सिंह, सा०-नवाबगंजसभी थाना-मनिहारी, जिला-कटिहार, बिहार, 5. मो० सोनु,	इस कांड के अभियुक्तों को डकैती एवं लूटपाट की योजना बनाते समय अवैध हथियार (देशी कट्टा) के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	सभी प्रा०अभि० जेल में।	श्री गौतम कुमार न्याय दण्डा प्र० गोड्डा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	पु०अ०नि० मनोहर करमाली, थाना प्रभारी, ललमटिया थाना। स्थायी पता- पे०-श्री लक्ष्मण करमाली, सा०-करकट्टा खुर्द, थाना-कसमार, जिला-बोकरो।	अनुसंधानकर्ता 1.अशोक कुमार, पुलिस निरीक्षक, बोआरीजोर प्रभाग, 2. स०अ०नि० विपिन बिहारी राय, पे०-स्व० शंकर दयाल, सा०-गायघाट थाना-सिमरी, जिला-बक्सर 3. स०अ०नि० संचु उरांव, पे०-स्व० चितो उरांव, सा०-जिलीगंदा, थाना- कुचाई, जिला- सरायकेला, 4. हवलदार शंकार गौड़, पे०-स्व० हरी गौड़, सा०-पुरानी साहेबगंज, थाना/जिला-साहेबगंज, 5. हवलदार किंकर वैध, पे०-स्व० कृतु वैध, सा०- भतोडीहा, थाना-रामगढ़, जिला-दुमका, 6. आ०/221 सत्येन्द्र पासवान, पे०- रमेवर पासवान, सा० -गोबा, थाना-हैदरनगर, जिला- पलामु, 7.आ०-87 रागाद सोरेन, पे०-स्व० पंचु सोरेन, सा०-दुलूमपुर, थाना-बडहरवा, जिला-साहेबगंज, 8. आ०-38 विनोद यादव, रिजर्व गार्ड महागामा, 9. आ०-161 निलमणि कु० पासवान, पे०-श्री इंद्रदेव पासवान, सा०-जे०ए०पी०-05 मोहनपुर	-	-

		पे0-मो0 आबीद, सा0-कदमपुर, थाना-नगर, जिला-कटिहार, बिहार, 6. छब्बु उर्फ छाबो मंडल, पे0-स्व0 जगरूप मंडल, सा0-तेतरिया, थाना-साहुपर्वत्ता, जिला-नवगछिया, बिहार, 7. मो0 असलम, पे0-मो0 सलीम, सा0-नयाटोला, थाना-हनवारा, 8. मो0 सत्तार, पे0-'गैख जलील, सा0-मानगढ़, थाना-मेहरमा, दोनों जिला-गोड्डा।						कैम्प, थाना-मोहनपुर, जिला-देवघर, सभी गोड्डा जिला बल 10. पिन्दू कुमार गुप्ता, पे0-सुखदेव गुप्ता, सा0/थाना-ललमटिया, 11. शंकर साह, पे0-स्व0 नंदलाल साह, सा0/थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा आर्म्स जॉच पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, सह-परिचारी प्रवर श्री बबन सिंह, गोड्डा, अनु0कर्त्ता- पु0नि0 अशोक कुमार सिंह।		
6.	बोआरीजोर थाना कांड सं0-15/17, दिनांक-21.05.17, धारा-376/(2-i) भा0द0वि0 एवं 06 पोक्सो एक्ट जी0आर0 नं0-634/17 टी0आर0 नं0-634ए/17	1 गंगू उर्फ हेमलाल मडैया पे0-मथूर मडैया, सा0-करमा, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा।	कांड की वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त द्वारा अपने घर ले जाकर बलात्कार करना	प्रा0अभि0 जेल में।	मन0 कि'गोर न्याय बोर्ड न्याया0 गोड्डा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	वादिनी तालामेय हांसदा पति-बिटू हेम्ब्रम, सा0-करमा, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा	-	सुन्दर हांसदा पे0- मेयरो हांसदा 2. तलकु किस्कू पे0- स्व0 गराई किस्कू दोनों सा0 - करमा, थाना-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा।	
7.	ललमटिया थाना काण्ड सं0-02/17, दि0-11.01.17, धारा-341/342/506 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट जी0आर0 नं0-54/17 पोक्सो नं0-04/17	प्रा0अभि0 रोहीत कुमार, पे0-सिकन्दर राय, सा0-खैरबनी लीलातरी, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा	वादिनी के पुत्री उम्र 05 वर्ष की बच्ची के साथ बहला फुसलाकर गलत काम करने तथा पत्थर से मारकर कुचलने की धमकी देने के आरोप में	प्रा0अभि0 जेल में	थजला एवं अपर सत्र न्याया0 गोड्डा	श्री डेविड सोरेन सहा0 लोक0अभि0	वादिनी सुनीता देवी, पति-धमेन्द्र राय, सा0-खैरबनी लीलातरी, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा	म0पु0अ0नि0 मोनालिसा केरकेट्टा महिला थाना, गोड्डा, अनु0कर्त्ता- पु0अ0नि0 मनोहर करमाली, थाना-प्रभारी, ललमटिया थाना।	पीडिता चॉदनी कुमारी पिता-धमेन्द्र राय उम्र करीब 05 वर्ष 1 धमेन्द्र राय, पे0-ध्रुव नारायण राय, 2. ध्रुव नारायण राय, पे0- स्व0 धनेश्वर राय, 3. तीलेश्वरी देवी, पति- जयकान्त, राय, 4.नीलकण्ठ राय, सभी सा0-खैरबनी गोबरा, थाना-ललमटिया, जिला-गोड्डा, 5. परमेश्वर राय पे0-जानकी राय	-

8.	मेहरमा थाना कांड सं0-81/16, दिनांक-20.07.16, 302/34 भा0द0वि0 एस0टी0 नं0-16/17 जी0आर0नं0-904/16 धारा-	1 बबलु सोरेन, 2. गोपाल सोरेन दोनों पिता-कुन्दन सोरेन, दोनों सा0-मधेली, थाना-दंधखोरा, जिला-कटिहार, बिहार।	यह काण्ड वादिनी के पति के हत्या के करने के आरोप में अंकित किया गया है।	दोनों प्रा0अभि0 जेल में है	मान0 प्रधान जिला एवं सत्र न्याया. गोडडा	श्री राजकुमार मंडल लोक अभि0 गोडडा	वादिनी मरांगमय मुर्मू पति-स्व0 मिस्त्री हेम्ब्रम, सा0-बाग झखरा, थाना-मेहरमा, जिला-गोडडा	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 रामचन्द्र रजक	1 जीत राम हेम्ब्रम, पे0-मिस्त्री हेम्ब्रम, 2. सीरील टुडू, पे0-स्व0 दोसो टुडू, 3. लक्ष्मी हांसदा, पति-बबलु हेम्ब्रम, तीनों सा0-बाल झखरा, थाना-मेहरमा, जिला-गोडडा।	
9	राजाभीठा कांड सं0-41/17, दिनांक- 28.12.17, धारा-392/भा0द0वि0। जी0आर0 नं0-1802/17	अज्ञात दो अपराधकर्मी।	वादी को हथियार का भय दिखाकर लूट लिया गया।	फिरार- अज्ञात			मोजिबुर्हमान पिता-मो0. समीम अख्तर, सा0- तलझारी, थाना- देवडौंड, जिला-गोडडा।	अनुकर्ता-पु0अ0नि0 सीताराम मुर्मू	शत्रोहन पासवान ब्रांच मनेजर भारत फाईनेंस इनक्लूजन लिमिटेड, सा0-टिजर क्लोनी महागामा, जिला-गोडडा, 2. नीलमणी मुर्मू पति-उपेन्द्र सोरेन, सा0- अमाडीहा, थाना-राजाभीठा जिला-गोडडा 2. अगस्तीना मुर्मू पति-मंगल मराण्डी सा0-अम्बाडहीहा, थाना-राजाभीठा, जिला- गोडडा, 3 उपेन्द्र सोरेन पे0-बुधराय सोरेन सा0-अम्बाडीहा, थाना-राजाभीठा, जिला-गोडडा।	
10	गोडडा नगर थाना कांड सं0-04/18, दिनांक-08.01.18, धारा-25(1-ए)/26(2)/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0 46/16	1 इसान बत्स पिता-चन्द्र किशोर झा, सा0-महेश पुर, थाना-बसंतराय, 2. अमर कुमार यादव, पिता-उजागर यादव, सा0-चिलौना, थाना-गोडडा मुफस्सिल दोनों जिला-गोडडा।	अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	दोनों प्रा0अभि0 जेल में।			पु0नि0 अशोक कुमार गिरि, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, गोडडा।	स0अ0नि0 सलीम खान, तत्कालीन गोडडा नगर थाना, स0अ0नि0 राजनाथ यादव-1, ह0 बालेश्वर उरांव, आ/448 सुनील सोरने आ/241 शंकर झा, आ0/174 श्रीकांत मुर्मू, सभी गोडडा जिला। आर्म्स जॉच कर्ता पुलिस उपाधीक्षक, (मु0) -सह-परिचार प्रवर, गोडडा, अनुकर्ता-पु0अ0नि0 मिथलेस कुमार सिंह	-	-

11	पथरगामा थाना कांड सं०-88/17, दिनांक-16.08.17, धारा-20(बी)/ii एन०डी०पी०एस० एक्ट। जी०आर० नं० 1088/17	1 बजरंगी सिंह पे०-जगदीश सिंह, सा० घाढ़चक, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, 2. अरविन्द्र यादव पे०-महेन्द्र यादव सा०-तुलसीकिता 1 थाना-पथरगामा, दोनों जिला-गोड्डा।	इस कांड के अभियुक्तों को गांजा के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	दोनों प्रा०अभि० जेल में।	मान० प्रधान जिला एवं सत्र न्याया. 1 गोड्डा	श्री मोहर भगत लोक अभि० गोड्डा	पु०अ०नि० संजय जनक मूर्ति थाना प्रभारी पथरगामा थाना पे०-जनक यादव सा० -बाजित पुर, थाना-कोशी, जिला-जनाहाबाद बिहार।	ह० कपिल देव उरांव आ/441 रंजन कुमार, आ/383 रमण कुमार राम, आ०/76 पंकज कुमार पासवान, आ/12 मुनीदेव पाण्डेय, चौ०-3/4 सुरेन्द्र महतो, गृहरक्षक 47 मिथलेस कुमार झा सभी गोड्डा जिला, एवं अनुकर्ता पु०अ०नि० बृज नारायण सिन्हा पथरगामा थाना	-	-
12	पोडैयाहाट थाना कांड सं०-174/17, दिनांक-12.10.17, धारा-376 ए भा०द०वि० एवं 08 पोक्सो एक्ट। जी०आर० नं० 1383/17 टी०आर० 2095/18	1 कुमोद रविदास पे०-स्व० धनंजय रविदास सा०-डाड़े, हरिजन टोला, थाना-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा	नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करना	प्रा०अभि० जेल में	श्री राजेश रंजन कुमार न्याया० दण्डा प्रथम श्रेणी गोड्डा	श्री डेविड सोरेन सहा० लोक०अभि०	वादी ब्रजेश कुमरा राण पे०-पुरुषतम सा०-डाड़े, थाना-पोडैयाहाट जिला-गोड्डा	डॉ० यू० झा, सदर अस्पताल गोड्डा। अनु०कर्ता-स०अ०नि० बहुरन उरांव पोडैयाहाट थाना।	पुरुषतम राण पिता-स्व० कार्तिक राण, 2. मो० किरण पति-स्व०कृष्णा राणा, 3. सुबोध हजारी पे०-जालीम हजारी, 4. निलेश हजारी, पे०-सरयू हजारी सभी सा०-डाड़े, थाना-पोडैयाहाट, जिला-गोड्डा।	
13	महागामा थाना कांड सं०-154/17, दिनांक-06.11.17, धारा-364ए/114/120बी/3 4 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर० नं० 1525/17 टी०आर० नं० 1768/18	1 आलमगीर अंसारी पे०-भोला मिया, सा०-धनकुण्डा, थाना-महागामा, 2. सलीम बैठा पे०-अलीमुद्दीन बैठा सा०-धनकुण्डा, थाना-महागामा, 3. मुख्तार अंसारी, पिता-आसीन अंसारी, सा०-बड़ा भोराय, 4. गुलाम अंसारी, पे०-लाल मुहमोद अंसारी, सा०-हररकखा दोनों थाना-ललमटिया जिला-गोड्डा	इस कांड के अभियुक्तों के द्वारा अपहरण के योजना बनाते समय अग्नेयशास्त्र के साथ पकड़े जाना	तीन जेल में, 01 रिमान्ड हेतु	श्री गौतम कुमार न्याय दण्डा० प्र० गोड्डा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	वादी पु०अ०नि० महादेव यादव पे०-श्री कालु यादव, सा०-श्रीकांत रोड बेला बगान देवघर, थाना-देवघर जिला-देवघर।	स०अ०नि० हरेराम पाण्डेय, स०अ०नि० महावीर उरांव आ/202 लक्ष्मण यादव, आ०/152 दिलीप कुमार सिंह, आ/61 जयधर टुडू, सभी गोड्डा जिला। आर्म्स जांच कर्ता- पुलिस उपाधीक्षक (मु०) सह परिचारी प्रवर गोड्डा। अनुकर्ता-स०अ०नि० अखिलेश्वर प्रसाद सिंह महागामा थाना।	1 अजय कुमार तिवारी पे०-श्री भागीरत तिवारी, सा०-घटयारी, थाना-सुन्दरपहाडी, जिला-गोड्डा, वर्तमान उजानगर, क्वाटर नं०-एन०एच० एस० 240/840 थाना-महागामा जिला-गोड्डा, 2. देवन साह पे०-स्व० यदुनंदन साह, सा०-उर्जानगर,क्वाटर नं०-240/504 थाना-महागामा, जिला-गोड्डा।	
14	गोड्डा महिला थाना कांड	1 रमेश कुमार	नाबालिग	प्रा०अभि० जेल	मान० प्रधान	श्री डेविड	वादिनी स्वाति	डॉ० प्रभा रानी प्रसाद/ डॉ० डी० के	अनिरुद्ध पंडित पे०-स्व० संचू	

	सं0-16/17, दिनांक-27.08.17, धारा-376(2)(i)(N) भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट जी0आर0 नं0 1162/17 पोक्सो नं0-39/17	मंडल उर्फ राजु मंडल पे0-बनारसी मंडल, सा0-कसवा गोड्डा, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा	लड़की को बहला फुसलाकर बलात्कार करने के आरोप में अंकित किया गया है।	में।	जिला एवं सत्र न्याया. 1 गोड्डा	सोरेन सहा0 लोक0अभि0	कुमारी उम्र करीब 15 वर्ष पे0-अनिरुद्ध पंडित सा0-चरका घाट थाना-पथरगामा जिला-गोड्डा	गौतम/ डॉ डी0के चोधरी, तीनों सदर अस्पताल गोड्डा थाना-गोड्डा नगर जिला-गोड्डा, अनुकर्ता-शुरुमणी सोय म0स0अ0नि0 महिला थाना गोड्डा।	पंडित, 2. सेका देवी पति-अनिरुद्ध पंडित दोनों सा0-चरका घाट, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा, 3. वंदना कुमारी पे0- सुभाष दुबे, सा0-जयप्रकाश नगर, थाना-गोड्डा नगर, 4. मंजु देवी पति-विजय पंडित सा0-बहचारी, थाना-कहरन गॉव, जिला-भागलपुर बिहार, 5. अफहर अंसारी, पे0-सलाम अंसारी सा0-असबन्नी, गोड्डा वार्ड नं0-18 मस्जिद गली नीचे टोला थाना-गोड्डा नगर जिला-दोनों जिला-गोड्डा।
15	गोड्डा नगर थाना कांड सं0-84/17, दिनांक-27.04.17, धारा-420/389/120बी भा0द0वि0। जी0आर0 नं0 521/17	1 चंदन कुमार राय, स्पेशल प्रोग्राम पदाधिकारी, (एस0ओ0पी0), नहर चौक, गोड्डा	षड़यंत्र कर धोखाघड़ी करना एवं अपराधिक मामले का भय दिखाकर पैसा ले लेना	प्रा0अभि0 जमानत पर है।			मो0 शाबीर अली पे0-शेख खुसन, सा0-फाजिल खुटहरी, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा	अनु0कर्ता-पु0अ0नि0 मिथलेस कुमार सिंह	1 शेख मोईन पे0-स्व0 शेख लियाकत, सा0- सुखाड़ी, थाना- मेहरमा, जिला- गोड्डा, 2. नईम पे0- शेख मजीद, सा0-मेहरमा, जिला- गोड्डा, 3. मो0 ईस्माईल पे0-स्व0 शहाबुद्दीन, सा0-देवनचक, थाना-मेहरमा, जिला-गोड्डा।
16	महागामा थाना कांड सं0-70/15, दिनांक-30.07.15, धारा-25 (1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0-1295/15 टी0आर0 नं0 493/18	शंकर साह पे0-शोखी साह, सा0-मोहनी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा	अवैध अग्नेशस्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	प्रा0अभि0 जेल में।	श्री गौतम कुमार न्याय दण्डा प्र0 गोड्डा	श्री महेन्द्र दास सहा0 लोक अभि0 गोड्डा	पु0अ0नि0 हरिनारायण सिंह, थाना प्रभारी महागामा जिला-गोड्डा	आर्म्स जॉच पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (मु0),-सह-परिचारी प्रवर, श्री बबन सिंह, पुलिस केन्द्र गोड्डा। अनु0कर्ता-पु0अ0नि0 सुरन्द्र ठाकुर	अर्जुन प्रसाद साह, पे0-स्व0 डोमन साह, 2. सुभाष यादव पे0- नारायण यादव दोनों सा0-मोहानी, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा
17	हनवारा थाना कांड सं0-56/17, दिनांक-24.10.17, धारा-25(1-बी)ए / 26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0 1475/17 टी0आर0 नं0-1521/18	चन्दर राम पिता-स्व0 सीताराम, सा0-खुर्दडुमरिया, थाना-हनवारा, जिला-गोड्डा।	अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में अंकित पर्यवेक्षण	प्रा0अभि0 जेल में।	श्री रवि कुमार भाष्कर न्यायिक दण्डाधिकारी गोड्डा	श्री भोगेन्द्र सोरेन सहायक लोक अभियोजक	पु0अ0नि0 सुशील कुमार झा, पे0-स्व0 नवकान्त झा, सा0-पाली, थाना-घनश्याम पुर, जिला-दरभंगा, बिहार,	स0अ0नि0 राधाकृष्ण सिंह पे0-स्व0 शिवजन्म सिंह सा0-बड़की खडाव, थाना-सहार, जिला- भोजपुर, विहार, 2. हव0 सुफाईल किस्कू पे0-स्व0 सीकार किस्कू, सा0- राजबांध, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा, आ0/183 संजू उरांव, आ0/490 रवि घोष एवं 3. आ0/269 सोम किस्कू सभी थाना हनवारा, गोड्डा जिला बल, आर्म्स जॉच पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, (मु0) -सह-परिचारी प्रवर, श्री बबन सिंह,	अनिल राम पे0- परमेश्वर राम, सा0 -खुर्द डुमरिया, थाना - हनवारा, जिला- गोड्डा, 2. श्रवण कुमार राउत पे0- स्व0 मगन राउत, सा0-पकड़ियाघर, थाना-गोड्डा जिला -गोड्डा, 3. छबिल पासवान पिता-स्व0 सुदीन पासवान सा0 -खुर्द डुमरिया, थाना -हनवारा, जिला- गोड्डा, 4.

								पुलिस केन्द्र, गोड्डा, एवं अनुकर्ता- स0अ0नि0 सागर मंडल	चौकिदार कुशेश्वर पासवान पे0-स्व0 मितन पासवान सा0- नारायणपुर, थाना- हनवारा, जिला- गोड्डा।
18	गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड सं0-116/16, दिनांक-20. 08.16, धारा- 366ए/376 भा0द0वि0 एवं 04 पोक्सो एक्ट। जी0आर नं0 1060/16 पोक्सो नं0 43/16	विकास मंडल पे0-डोमन मंडल, सा0 -कजरादह, चिनाढाब थाना -गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा।	नाबालिग लडकी को अपहरण करने के आरोप में अंकित किया गया है।	प्रा0अभि0 जेल में।	मान0 प्रधान जिला एवं सत्र न्याया. 1 गोड्डा	श्री डेविड सोरेन सहा0 लोक0अभि0	वादिनी/ पीडिता खुशू कुमारी मंडल पे0-नेपाल मंडल, सा0- कजरादह, चिनाढाब थाना -गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा।	डॉ0 डी0के0 चोधरी, पुजा भगत, चन्दन मिश्रा तीनों गाड्डा सदर अस्पताल, अनुकर्ता- स0अ0नि0 अंजनी कुमार, गोड्डा मुफस्सिल थाना।	1विन्दु देवी पति- नेपाल मंडल, सा0 - कजरादह, थाना- गोड्डा मुफस्सिल, 2. जयकान्त ओझा पे0 -नरेश यादव, सा0- चीनाढाब, थाना- गोड्डा मुफस्सिल, 3. सुगल मंडल पे0- स्व0 दुखमंडल, 4.अशोक मंडल पे0- प्रबोध मंडल, 5. सपन मंडल पे0- गोलक मंडल 6. मनोज मंडल पे0-श्री निवास मंडल, सभी सा0-कजरादाह, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला- गोड्डा।
19	गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड सं0-14/16, दिनांक-19.02. 16, धारा-147/148/149/ 341/323/324/307/302 भा0द0वि0। जी0आर नं 229/16 एस0टी0 नं0 35/17	जगरनाथ साह पे0-हरी प्रसाद साह,2. हरी प्रसाद साह पे0-स्व0 गांगु साह, 3. बुधु साह पे0-हरी प्रसाद साह, 4. छविलाल साह पे0-हरी प्रसाद साह, 5. धनेश्वरी देवी पति-हरी प्रसाद साह, 6. बिमला देवी पतिहरी प्रसाद साह, 7. सुलोचना देवी पति-बुधु साह सभी सा0-डहरलंगी, मखनी थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा।	सभी प्रा0अभि0 जेल में।	सभी प्रा0अभि0 द्वारा मारपीट कर जख्मी कर देने के आरोप में कांड अंकित किया गया है।	मान0 प्रधान जिला एवं सत्र न्याया. 1 गोड्डा	श्री राजकुमार मंडल लोक अभि0 गोड्डा	वादी दशरथ साह, पे0-प्रेम साह, सा0-डहरलंगी मखनी, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा	डॉ0 अन्नत कुमार झा, डॉ के एन0 चोधरी, दोनों सदर अस्पताल, गोड्डा अनुकर्ता- पु0अ0नि0 जय प्रकाश यादव	1 प्रेमलता देवी पति-स्व0 बिनोद साह,2. योगेन्द्र साह पे0-दशरथ साह, 3. रामजीवन साह पे0-स्व0 जयनारायण साह सा0-डहरलंगी मखनी, थाना-गोड्डा मुफस्सिल, जिला-गोड्डा 4. ताराचंद कुमार साह, पे0-स्व0 ईश्वर साह सा0-बॉसभीठा, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा

गुमला जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित किये गये 24 कांडों की सूची :-

क्र० सं०	थाना कांड संख्या , तिथि एवं धारा एस०टी०/जी० आर० नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त जेल में/फरार/बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए० पी०पी० का नाम एवं मोबाइल	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह तथा अनु०कर्ता/चिकित्सक/विशेषज्ञों का नाम पता एवं मोबाईल नं०	आम गवाहों का नाम एवं पता एवं मोबाईल नं०	अभियुक्ति
1	2.	3.	4.	5.			6	7	8	9
	गुमला थाना कांड सं०-20/17, दि०-08.01.17, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट st no -41/18 G.Rno-33/17	1, विरिया उरॉव पे० दुसु उरॉव, सा० चाहा, थाना+जिला-गुमला । आरोप पत्र सं०-47/17 दि०-08/03/17 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-212/विधि दिनांक-27/03/17 से प्राप्त	पु०अ०नि० अशोक कुमार, पिता उमेश प्रसाद सिंह, सा०-मझवां, पो०-बेलगोपाल, थाना-रजौली, जिला-नवादा, बिहार । वर्तमान थाना प्रभारी बसिया ।	जमानत पर ।	ए०डी०जे० -6	ए०पी०पी० मो० जावेद हुसैन, मो० नं० 8986786284	पु०अ०नि० अशोक कुमार, पिता उमेश प्रसाद सिंह, सा०-मझवां, पो०-बेलगोपाल, थाना-रजौली, जिला-नवादा, बिहार । वर्तमान थाना प्रभारी बसिया ।	, वादी-पु०अ०नि० अशोक कुमार, पिता उमेश प्रसाद सिंह, सा०-मझवां, पो०-बेलगोपाल, थाना-रजौली, जिला-नवादा, बिहार । 2, पु०-277 निरज पण्डा, वर्तमान गुमला थाना रिजर्व गार्ड, 3, चा०पु०-14, प्रमोद कुमार, वर्तमान गुमला थाना में सरकारी ड्राईवर । 4, पु०-422, दिलमोहन सिंह, गुमला थाना रिजर्व गार्ड, 5, जप्ती सूची के गवाह-हव० रामाशंकर शर्मा पे० स्व० केदार सिंह, सा०-सारासोता, थाना-हन्टरगंज, जिला-चतरा । 6, बी०एन० चौधरी, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र लोहरदग्गा, 7, अनु०कर्ता पु०अ०नि० महताब खान, गुमला थाना ।	-	
2	गुमला थाना कांड सं०-131/17, दि०-05.05.17, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं० 399/17	1, धर्मराज सिंह उर्फ लंकेश्वर पाण्डेय, पे०-बूजकेतु सिंह, सा०-दिगदोन, थाना-सिसई, जिला-गुमला । आरोप पत्र सं०-195/17 दिनांक-04/07/17 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-555/विधि दिनांक-26/08/17 से प्राप्त	1, पु०नि० राकेश कुमार, पु०नि० सह थाना प्रभारी, गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर अवैध आग्नेषास्त्र रखने के आरोप में अंकित कराया गया है ।	-	सी०जे०एम० गुमला	ए०पी०पी० उमेश दीक्षित मो० नं० 8987484795	1, वादी-राकेश कुमार पे० युगल किशोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामागंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्रभारी गुमला ।	1, स०अ०नि० बबलू बेसरा पे० स्व० चुडका बेसरा, सा०-पेटाजाम, थाना-तालझरी, जिला-दुमका, वर्तमान गुमला थाना । 2, स०अ०नि० जितेन्द्र सिंह पे० मंगल प्रसाद सिंह, सा०-जेठावर, थाना-तरारी, जिला-भोजपुर, बिहार, वर्तमान में गुमला थाना में पदस्थापित । 3, पुलिस-67 संतोष कुमार 4, पु०-160 सुनील कुमार 5, पु०-496 लखी राम सोरेन 6, गृह रक्षक-16095 सुनील कुमार, सभी गुमला थाना रिजर्व गार्ड, 7, अनुसंधानकर्ता- रामनाथ टुडू, गुमला थाना ।	1, जप्ती सूची के गवाह- गौतम सिंह पे० स्व० रामदेव सिंह, 2, हरिमोहन सिंह पे० स्व० अभिमन्यु सिंह, दोनों सा०-खोरा, थाना+जिला-गुमला ।	
3	गुमला थाना कांड सं०-197/17,	1, प्रदीप गोप उर्फ टीका, पे० स्व०	वादी-राकेश कुमार पे० युगल किशोर प्रसाद ग्राम	-	सी०जे०एम० कोर्ट,	ए०पी०पी० उमेश दीक्षित	वादी-राकेश कुमार पे० युगल किशोर प्रसाद ग्राम पननिया	1, तीर्थ राज तिवारी, पु०अ०नि०, पे० स्व० रिखेश्वर तिवारी, सा०-सोलरा, थाना-रेहला,		

	दि०-14.07.17, धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर०नं० 656/17	एतवा गोप, 2, पपु मिश्रा उर्फ चेतक मिश्रा, पे० लक्ष्मी नारायण मिश्रा दोनों सा०-भण्डरिया, थाना+जिला-गुमला आरोप पत्र सं०-305/17 दिनांक-23/10/ 17 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-652/विधि दिनांक-20/10/ 17 से प्राप्त	पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्राभारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध अग्नेषास्त्र रखने एवं पड़ने जाने के आरोप में अंकित कराया गया है ।		गुमला ।	मो० नं० 8987484795	थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्राभारी गुमला ।	जिला-पलामू, वर्तमान पु०अ०नि० के पद पर गुमला थाना में पदस्थापित । 2, भगवान प्रसाद गौड, पे० स्व० शिवनाथ प्रसाद, सा०-गछिलापुर, थाना-असाव, जिला-सिवान, वर्तमान में स०अ०नि० के पद पर गुमला थाना में पदस्थापित 3, स०अ०नि० बबलू बेसरा पे० स्व० चुड़का बेसरा, सा०-पेटाजाम, थाना-तालझरी, जिला-दुमका, वर्तमान गुमला थाना । 4, आ०-160 सुनिल महतो पे० निर्मल महतो, सा०-सरला, पो०-संग्रामपुर, थाना-गोला, जिला-रामगढ़, वर्तमान गुमला थाना । 5, आ०-202 कुलदीप राम, गुमला थाना रिजर्व गार्ड, थाना+जिला-गुमला । 6, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, श्री सूर्य कुमार सिंह, पुलिस केन्द्र गुमला । 7, अ०क० राम प्रवेश पासवान, पु०अ०नि० गुमला थाना ।		
4	गुमला थाना कांड सं०-309/17, दि०-17.11.17, धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर०नं० 1076/17	1, मो० रिजवान पे० अजमत मियां उर्फ मुखा, सा०-टोटो देवरस नगर, 2, सुकर उरॉव उर्फ सुकरा उरॉव पे० पुजार उरॉव 3, गुड़कु उरॉव उर्फ सोना उर्फ सोमना उर्फ अजय, पे० रतिया उरॉव दोनों सा०-छोटा लोरो, तीनों थाना-गुमला । 4, संजय उरॉव उर्फ संजू पे० घुरन उरॉव, सा०-टेंगरिया, थाना-पालकोट, एवं 5, सुबोध उरॉव उर्फ सुनिल पिता-सिरिल उरॉव, सा०-बगरकेला, थाना-बसिया, सभी जिला-गुमला ।	वादी-राकेश कुमार पे० युगल किशोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्राभारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर अवैध अग्नेषास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है ।	-	सी०जे०एम० गुमला ।	ए०पी०पी० उमेष दीक्षित मो० नं० 8987484795	1,वादी-राकेश कुमार पे० युगल किशोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु०नि० सह थाना प्राभारी गुमला ।	1, पु०अ०नि० विमल कुमार श्रीवास्तव, पिता रामजी प्रसाद, सा०-नेवाजीगोला इन्द्रानगर कॉलोनी, पो०-गुड़कुलमेहीरॉ, थाना-मुफसिल, जिला-छपरा, सारण, बिहार, 2,स०अ०नि० बबलू बेसरा पे० स्व० चुड़का बेसरा, सा०-पेटाजाम, थाना-तालझरी, जिला-दुमका, वर्तमान गुमला थाना । 3, स०अ०नि० अजय कुमार सिंह, पिता स्व० जगदीश प्रसाद सिंह, सा०-श्रीमतपुर, थाना-कोतवाली, जिला-मुंगेर, वर्तमान गुमला थाना में पदस्थापित । 4, पु०-202 कुलदीप राम पे० स्व० गरीब राम, सा०-हाथीगढ़, थाना-तालझरी, जिला-साहेबगंज, वर्तमान थाना+जिला-गुमला, 5, पु०-392 जितेन्द्र राम, पिता अशोक राम, सा०-एकावना, थाना-सिमरी, जिला-वक्सर, वर्तमान आई०आर०बी०-5, 6, पु०-371 नीतीश कुमार कर्ण, पिता श्यामसुन्दर प्रसाद, सा०-गुरिया, थाना-ईमामगंज, जिला-गया, बिहार, वर्तमान आई०आर० बी०-5, 7, अनु० कर्ता स०अ०नि० भगवान प्रसाद गौड, पे० स्व० शिवनाथ प्रसाद, सा०-गछिलापुर, थाना-असाव, जिला-सिवान,		

		आरोप पत्र सं0-12/18 दिनांक-02/01/ 18 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-91/विधि दिनांक-09/01/ 18 से प्राप्त								
5.	गुमला थाना कांड सं0-122/17 दि0-21.04.17 धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट	1.मुन्ना लोहरा पे0 जगरनाथ लोहरा सा0 असनी। 2.राजेश उरांव पे0 चेरो उरांव। 3.मजबुल बक्स पे0 नबुं बक्स दोनो सा0 फोरी थाना+ जिला गुमला। आरोप पत्र सं0-180/17 दिनांक-20/06/ 17 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-389/विधि दिनांक-29/06/ 17 से प्राप्त	राकेश कुमार पु0नि0 सह थाना प्रभारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर अवैध अग्नेषास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	-	सी0जे0एम0 गुमला।	ए0पी0पी0 उमेष दीक्षित मो0 नं0 8987484795	1.राकेश कुमार पे0 युगल किष्णोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु0नि0 सह थाना प्राभारी गुमला।	1.पु0अ0नि0 अनिल नायक 2.स0अ0नि0 बबलू बेसरा 3.पु0/67 संतोष कुमार 4.पु0/2 मनोज कु0 महतो 5. पु0/58 संदीप टोप्पो 6.पु0/179 कारतुस मिंज सभी था0+जिला गुमला 7.सूर्य कु0 सिंह परिचारी प्रवर पु0के0 गुमला। 8. अनु0कर्ता स0अ0नि0 श्यामाकान्त कुमार गुमला थाना।		
6.	गुमला थाना कांड सं0-69/17 दि0-19.02.17 धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0 नं0 174/17	1.संजय किंडों पे0 बन्धन किण्डो सा0 जोराडांड 2.बिरसाई उरांव पे0 सुकरा उरांव सा0 कोटाम। 3.पिन्दु उरांव उर्फ राजेश उरांव पे0 पलटू उरांव सा0 फोरी	राकेश कुमार पु0नि0 सह थाना प्रभारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर अवैध अग्नेषास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	तीनो अभियुक्त जमानत पर।	सी0जे0एम0 गुमला।	ए0पी0पी0 उमेष दीक्षित मो0 नं0 8987484795	वादी 1.राकेश कुमार पे0 युगल किषोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु0नि0 सह थाना प्राभारी गुमला।	1.स0अ0नि0 बबलू बेसरा पे0 स्व0 चुड़का बेसरा सा0 पेटाजाम था0-तालमाटी जिला दुमका। 2.पु0/202 कुलदीप राय 3.पु0/224 संजीत राम 4.पु0/160 सुनील कुमार सभी गुमला थाना रिजर्व गार्ड जिला गुमला। 5.अजीत लकड़ा पे0 फ्रान्सिस लकड़ा 6.गोईदा किण्डो पे0 पुनई किण्डो दोनो सा0 जोराडांड था+जि-गुमला।	1.अजीत लकड़ा पे0 फ्रान्सिस लकड़ा 2. गोईदा किण्डो पे0 पुनई किण्डो, दोनो सा0 जोराटाड़, थाना+जिला गुमला ।	

		<p>था+जि-गुमला।</p> <p>आरोप पत्र सं0-97/17 दिनांक-16/04/ 17 एवं पुरक आरोप पत्र सं0-199/17 दिनांक- 07/07/17</p> <p>अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-290/विधि दिनांक-04/05/ 17 से प्राप्त</p>						7.अनु0 कर्ता पु0अ0नि0 रंजीत नारायण झा, गुमला थाना।		
7.	<p>गुमला थाना कांड सं0-38/17 दि0-23.01.17 धारा-25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट एवं 47(ए) उत्पाद अधि0</p> <p>जी0आर0 नं0 83/17</p>	<p>1.विनोद मिंज पे0 मंगरा मिंज सा0-तेलगांव था0+जि0-गुमला।</p> <p>आरोप पत्र सं0-63/17 दिनांक-22/03/ 17</p> <p>अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-165/विधि दिनांक-08/03/ 17 से प्राप्त</p>	<p>राकेश कुमार पु0नि0 सह थाना प्रभारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध अग्नेषास्त्र एवं शराब रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में अंकित कराया गया है।</p>	-	सी0जे0एम0 गुमला।	<p>ए0पी0पी0 उमेष दीक्षित मो0 नं0 89874 84795</p>	<p>वादी 1.राकेश कुमार पे0 युगल किषोर प्रसाद ग्राम पननिया थाना इमामगंज जिला-गया(बिहार) वर्तमान पु0नि0 सह थाना प्रभारी गुमला।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 जोगेश्वर तिवारी 2.पु0अ0नि0 नन्द किषोर सिंह 3.स0अ0नि0 बबलू बेसरा 4.स0अ0नि0 कमल किशोर प्रसाद 5.राजा उरांव पे0 मतियस उरांव सा0 पुगु पेट्रोल पम्प 7.परमेश्वर महतो पे0-सुकर महतो सा0 कोईनारा था0+जि0-गुमला 8.अनु0कर्ता पु0अ0नि रामाकान्त ओझा 9.ज्यो प्रभाकर लकड़ा परिचारी पु0 केन्द्र गुमला।</p>	<p>1राजा उरांव पे0 मतियस उराव, सा0 पुगु पेट्रोल पम्प 2. परमेश्वर महतो पे0 सुकर महतो, सा0 कोईनरारा, थानरा+जिला गुमला।</p>	

8.	बसिया थाना काण्ड सं०-12/16 दिनांक 12.03.16 धारा-341/363/376(डी) भा०द०वि० एवं 4 पोक्सो एक्ट, जी०आर०नं० 268/16	प्राथ०अभि० 1. जेवियर तोपनो पे० रूबेन तोपनो उर्फ प्रचार तथा अप्राथ०अभि० 2. एडमोन केरकेट्टा पे० जोसेफ केरकेट्टा दोनों सा० धरनापुर कुसुमटोली 3. इमिल केरकेट्टा पे० लुकस केरकेट्टा सा० धरनापुर गिरिजाटोली एवं 4. मलिन ज्ञान बारला उर्फ ज्ञान उर्फ ज्ञान प्रकाश बारला पे०-मतियस बारला सा०-धरनापुर बड़काटोली चारो थाना कामडारा, जिला- गुमला आरोप पत्र सं०-30/18 दि०-08/05/18	वादिनी बिरसो कुमारी उम्र 17 वर्ष पिता सोहराई उरॉव,ग्राम करंज ओलमोरा,थाना भरनो, जिला-गुमला के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी अभियुक्तगण एवं 3-4 अज्ञात के विरुद्ध वादिनी को जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है । तीनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को पहचान परेड़ पर पीड़िता द्वारा पहचान किया गया है ।	-	ए०डी०जे०-प्रथम	ए०पी०पी० चम्पा कुमारी, मो० नं० 9431597522	वादिनी बिरसो कुमारी उम्र 17 वर्ष पिता सोहराई उरॉव,ग्राम करंज ओलमोरा,थाना भरनो, जिला-गुमला		साक्षी-1. सोहराई उरॉव उम्र करीब 50 वर्ष पे० स्व० लाया उरॉव, 2. सुसन्ती कुमारी उम्र करीब 15 वर्ष पे०-चमरा मुण्डा 3. बिरन देवी उम्र करीब 40 वर्ष पति सोहराई उरॉव सभी सा०- करंज ओलमोरा थाना भरनो, 4. मुक्ता होरो उम्र करीब 24 वर्ष पति प्रदीप होरो सा० द्वारसेनी करमटोली थाना बसिया 5. रमेश उरॉव उम्र करीब 28 वर्ष पे० सुखु उरॉव सा०-नगर लालमाटी थाना सिसई 6. मनोज कुमार गोप उम्र 23 वर्ष पे० अवध गोप 7. रंजीत टोपनो उम्र 22 वर्ष पे० सोमरा टोपनो सभी सा०-द्वारसेनी, थाना-बसिया, जिला-गुमला 8. डा० भी०डी० उरॉव, चिकित्सा पदा० रेफरल अस्पताल, बसिया अनु०कर्ता- 8. पु०अ०नि० विपिन कु० दूबे पे० स्व० शिवपूजन दूबे तत्कालिन बसिया थाना। वर्तमान से०नि० सा० महल्ला-13 ब्लैक डायमंड यूनिट नं०-2,बारामुण्डी नियर खटाल पोलटेकनिक रोड पो०-पोलटेकनिक धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबादतीनों अप्राथमिकी अभियुक्तों को पहचान परेड़ पर पीड़िता द्वारा पहचान किया गया है ।	
9.	बसिया थाना काण्ड सं०-33/16 दिनांक 19.06.06 धारा-25(1-बी)ए /26(प)(पप)/35 आर्म्स एक्ट ।	प्राथ०अभि० 1. संजय उरांव पे० घुरन उरांव 2. बासील इन्दवार पे० कान्हु इन्दवार दोनों सा०-टेंगरिया, खिजूरटोली,	वादी चक्रवर्ती कुमार राम उम्र करीब 50 वर्ष पे० विन्देश्वरी राम, तत्कालिन थाना प्रभारी, बसिया थाना, जिला-गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी	-	ए०डी०जे०-3	ए०पी०पी० ओम कुमार मो०नं० 9576727614	वादी-1. वादी चक्रवर्ती कुमार राम उम्र करीब 50 वर्ष पे० विन्देश्वरी राम, तत्कालिन थाना प्रभारी, बसिया थाना	1. हवलदार दधन हेम्ब्रम उम्र करीब 44 वर्ष पे० स्व० मझलु मांझी, 2. आ०/53 अविनास तियु उम्र करीब 31 वर्ष पे० सिलाय तिउ, 3. आ०/425 गुरमा सोरेन उम्र करीब 35 वर्ष पे० सुना सोरेन 4. आ०/162 संतोष कुमार रवानी उम्र करीब		

	जी0आर0नं0 636 / 16	थाना-पालकोट एवं 3. अनिल महतो पे0 धनेश्वर महतो सा0- लौवाकेरा, थाना-बसिया सभी जिला-गुमला आरोप पत्र सं0-51 / 16 दिनांक-16 / 08 / 16 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-550 / विधि दिनांक-16 / 08 / 16 से प्राप्त	अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध अग्नेषास्त्र रखने एवं रंगेहाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है ।					34 वर्ष पे0 स्व0 मोहन रवानी 5. आ0 / 761 मनोहर महली सभी बसिया थाना रिजर्व गार्ड, गुमला जिला बल । 6. सूर्य कुमार सिंह, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गुमला । अनु0कर्ता- पु0अ0नि0 विपिन कु0 दूबे पे0 स्व0 शिवपूजन दूबे तत्कालिन बसिया में पदस्थापित, जिला-गुमला, वर्तमान से0नि0 सा0 महल्ला-13 ब्लैक डायमंड यूनिट नं0-2, बारामुण्डी नियर खटाल पोलटेकनिक रोड पो0-पोलटेकनिक धनबाद, थाना एवं, जिला-धनबाद	
10.	बसिया थाना काण्ड सं0-63 / 16 दिनांक-19.11.16 धारा-302 भा0द0वि0 । जी0आर0नं0 1128 / 16	प्राथमिकी अभियुक्त 1. जोगी इन्वार पे0 जतरु इन्दवार सा0-सरुडा बडाकाटोली, थाना-बसिया, जिला-गुमला आरोप पत्र सं0-02 / 17 दिनांक-18 / 01 / 17	वादिनी डुबकी देवी उम्र 40 वर्ष पति मंगरु पुजार सा0-बानागुटु अम्बाटोली, थाना-बसिया, जिला गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त वादिनी की बहन को कोडी से काट कर हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया गया है ।	-	ए0डी0जे0 -6	ए0पी0पी0 मो0 जावेद हुसैन, मो0 नं0 8986786284	साक्षी-1. वादिनी डुबकी देवी उम्र 40 वर्ष पति मंगरु पुजार,	अनु0कर्ता- 6. पु0अ0नि0 मुक्ति नारायण सिंह, बसिया थाना,, जिला-गुमला वर्तमान सिसई थाना ।	1. पोलूस पुजार उम्र 48 वर्ष पे0 सुकरु पूजार, 2. करमा खडिया उम्र 37 वर्ष पे0 नानहु खडिया, 3. लून्दरु खडिया पे0 स्व0 डेवीड खडिया, 4. दशरथ पाईक उम्र 30 वर्ष पे0 विशुन पाईक सभी सा0-बानागुटु अम्बाटोली, थाना-बसिया, जिला-गुमला
11.	बसिया थाना काण्ड सं0-06 / 17 दिनांक-29.01.17 धारा-25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट । जी0आर0नं0 97 / 16 एस0टी0नं0 131 / 17	प्राथमिकी अभियुक्त 1. मडवारी लोहरा पे0 मंगल लोहरा, सा0-ओलमोण्डा, थाना-सिसई 2. रूपेश दास पे0 कलिन्दर दास सा0-सरईडीह, थाना-बसिया, दोनो जिला-गुमला आरोप पत्र सं0-09 / 17	वादी पु0अ0नि0 अनिल नायक पे0 स्व0 मदन नायक तत्कालिन थाना प्रभारी बसिया थाना, जिला-गुमला के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध अग्नेषास्त्र रखने एवं रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है ।	-	ए0डी0जे0 -6	ए0पी0पी0 मो0 जावेद हुसैन, मो0 नं0 8986786284	साक्षी-1. वादी पु0अ0नि0 अनिल नायक उम्र 35 पे0 स्व0 मदन नायक सा0-भेन्दरा, थाना-नावाडीह, जिला-बोकारो तत्कालिन थाना प्रभारी बसिया थाना, जिला-गुमला,	1. हवलदार बसंत गुडिया उम्र 50 वर्ष पे0 पोलूस गडिया सा0-जुरदाग, थाना-करा, जिला-खूटी 2. पु0 / 780 बिरसा सुरीन उम्र 25 वर्ष पे0 स्व0 सोना सुरीन सा0-हाउयार गिदा, थाना-रनिया, जिला-खूटी 3. पु0 / 162 संतोष कुमार रवानी उम्र 30 वर्ष पे0 स्व0 मोहन रवानी सा0-कंचनपुर, थाना-महुदा, जिला-धनबाद 4. पु0 / 151 राजेन्द्र सवैया उम्र 30 वर्ष पे0 श्याम लाल सवैया सा0-सिंग पोकरिया, थाना-मुपफसील, जिला-पश्चिमी सिंभूम सभी बसिया थाना रिजर्व गार्ड, जिला-गुमला ।	1. स्वतंत्र साक्षी- निरोज टेटे पे0 इलियस टेटे 2. स्वतंत्र साक्षी-बसंत साहु पे0 घासी साहु दोनो सा0-सरईडीह, थाना-बसिया, जिला-गुमला ।

		दिनांक-23/03/17 अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-215/विधि दिनांक-27/03/17 से प्राप्त						अनुकर्ता- स0अ0नि0 बसंत लोहरा, बसिया थाना, जिला-गुमला।		
12.	भरनो थाना कांड सं0-62/17 दिनांक-04.12.17 धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 नं0 1120/17	प्रा0 अभि0 1. बिरसा उराँव पे0 उराँव सा0-असरो, थाना-बेडो, जिला-राँची 2. आलोक किण्डो पे0 सुरेश किण्डो सा0-कॉलेज रोड सिसई, थाना-सिसई, 3. कलीम अंसारी पे0 सकुर अंसारी सा0-पबैया, थाना-भरनो, दोनो जिला-गुमला आरोप पत्र सं0-03/18 दिनांक-26/01/18 अभियुक्त के विरुद्ध शस्त्र अधि0 के तहत अभियोजन स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक- 22/विधि दिं0-09/01/18 से प्राप्त	वादी पु0अ0नि0 धर्मपाल कुमार उम्र 49 वर्ष पे0 स्व0 बालगोबिन्द प्रसाद, थाना प्रभारी भरनो थाना, जिला-गुमला के लिखित आवेदन पर प्रा0 अभियुक्तों के विरुद्ध चोरी का मोटरसाईकिल एवं अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जेल	जे0एम0-प्रथम श्री यु0एस0 राणा।	ए0पी0पी0 एस0टुडू, मो0 नं0 9955360174	वादी पु0अ0नि0 धर्मपाल कुमार उम्र 49 वर्ष पे0 स्व0 बालगोबिन्द प्रसाद, थाना प्रभारी भरनो थाना, जिला-गुमला	1. पु0अ0नि0 दिनेश कुमार मिश्र उम्र 55 वर्ष, भरनो थाना में पदस्थापित। 2. हव0 कर्मा कच्छप उम्र 49 वर्ष 3. आ0/190 विजय राम 4. आ0/29 परवेज अंसारी, 5. आ0/759 प्रकाश उराँव सभी भरनो थाना रिजर्व गार्ड। अनुकर्ता-6. स0अ0नि0 महेन्द्र राणा, भरनो थाना, जिला-गुमला।		
13.	बिश्नुपुर थाना कांड सं0-26/16,दि0-16.12.16 धारा 302/201/34 भा0द0वि0	अप्राथमिकी अभियुक्त 1. बुधराम असुर पे0 बरता असुर सा0-कुजाम टोली, कोयनारपाट, थाना-गुरदरी,	वादी-सुखराम असुर पे0 सुमन असुर सा0-कुजामडीपा, थाना-विष्णुपुर, जिला-गुमला के फर्द बयान के आधार पर वादी	-	ए0डी0जे0 प्रथम	ए0पी0पी0 चम्पा कुमारी मो0नं0 9431597522	वादी-सुखराम असुर पे0 सुमन असुर सा0-कुजामडीपा, थाना-विष्णुपुर, जिला-गुमला	अनुसंधानकर्ता-पु0अ0नि0 जगनाराण सिंह	गवाह-1.सुखराम असुर पे0 सुमन असुर सा0-कुजामडीपा, थाना-विष्णुपुर, जिला-गुमला 2..नईहरी असुर पति सुमन असुर 3. सुमन असुर पे0 शोमा असुर	

	एस0टी0नं0 132/17	जिला-गुमला एवं 2. राहुल उरॉव पे0 स्व0 त्रिदेव उरॉव सा0-असनी, थाना+ गुमला अरोप पत्र सं0- 09/17 दि0- 28. 02.17 समर्पित किया गया है।	की छोटी बहन को टॉगी से मारकर हतया करने के आरोप में मारकर अंकित किया गया है						दोनो सा0- कुजामडीपा, थाना-गुरदरी, जिला- गुमला। 4. उदय कुमार सिन्हा , वर्तमान प्रखण्ड विकाष पदाधिकारी विषुनपुर, थाना-विषुनपुर, जिला- गुमला। 4. शाति असुर पे0 टिपुन असुर सा0-सखुआपानी, थाना-गुरदरी, जिला- गुमला। 5. अनील असुर पे0 स्व0 लखनदेव असुर सा0- सखुआपानी, थाना- गुरदरी, जिला-गुमला। 6. फुलमीना देवी पति जितेन्द्र असुर सा0 कुजाम रामझारी, थाना-गुरदरी, जिला-गुमला 7. बजरंगबली केरकेटा पे0 भैयाराम केरकेटा सा0 असनी, थाना एवं जिला- गुमला 8. बुधराम उरॉव पे0 बुझा उरॉव सा0 असनी, थाना एवं जिला- गुमला
14.	जारी थाना कांड सं0-03/18 दिं0-15.03.18 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट G.R.-285/18 पोक्सो-20/18	अभियुक्त मदारी मियों पे0 सफरत अंसारी उम्र करीब 25 वर्ष पे0 रोजित अंसारी सा0 गोविन्दपुर, थाना- जारी, जिला-गुमला	यह कांड वादी लाजरस लकड़ा उम्र करीब 40 वर्ष पे0 बलासियुस लकड़ा सा0 गोविन्दपुर, थाना- जारी, जिला-गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अभि0 मदारी मियों के विरुद्ध चार वर्षीय बच्ची असरीता लकड़ा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अंकित किया गया है।	जेल में ।	A.D.J.- 1st	ए0पी0पी0 चंपा कुमारी, मो0 नं0 9431597522	जेल में	डा0 मंजु मिंज, जिला अस्पताल, जशपुर (छतीसगढ़) 2.-अनु0कर्ता पु0अ0नि0 अरिविन्द कुमार, थाना प्रभारी, जारी थाना	वादी लाजरस लकड़ा उम्र करीब 40 वर्ष पे0 बलासियुस लकड़ा सा0 गोविन्दपुर, थाना- जारी, जिला-गुमला 2.जीरामनी लकड़ा पति लाजरस लकड़ा, 3. भूषण लकड़ा पे0 लाजरस लकड़ा, 4. दिलीप बाड़ा पे0 फिरदी मिंज बाड़ा, 5. सनत लकड़ा पे0 स्व0 जोहल लकड़ा 6. जाबीर खान पे0 स्व0 जुम्मन खान सभी सा0 गोविन्दपुर, थाना- जारी, जिला-गुमला

15	डुमरी थाना कांड सं० 29/17 दि०-28.12.17 धारा-376 डी एवं 4/6 पोक्सो एक्ट G.R.-1226/17	1.समीर टोप्पो पे० दानियल टोप्पो 2.बोलतस मिंज पे० जॉन मिंज 3.सतीस केरकेटा पे० सैगुन केरकेटा तीनों सा० मदरिया टोली थाना-डुमरी, जिला- गुमला,	यह कांड वादिनी आरती खलखो पे० अमियल खलखो सा० खेतली, थाना- डुमरी, जिला- गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ० के नामजद तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी नावालिक लड़की के साथ बारी-बारी से बलात्कार करने के आरोप में अंकित किया गया है।	तीनों अभियुक्त जेल में	A.D.J.-1st	ए०पी०पी० चंपा कुमारी, मो० नं० 9431597522	वादिनी आरती खलखो उम्र करीब 13 वर्ष पे० अमियल खलखो सा० खेतली, थाना- डुमरी, जिला- गुमला	डा० प्रियंका उरॉव, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डुमरी मो० नं०-8986884425 2. डा० आनन्द किशोर उरॉव, सदर अस्पताल, गुमला 3. अनु०कर्ता-पु०अ०नि० चक्रवर्ती कु० राम, थाना प्रभारी, डुमरी मो०नं०-9431720411	वादिनी आरती खलखो उम्र करीब 13 वर्ष पे० अमियल खलखो सा० खेतली, थाना- डुमरी, जिला- गुमला 2.प्रेम श्री कुँवर पे० हीरानाथ साय 3. जहिन्द कवर पे० तीजा कवर 4. गौतम कवर पिता भुखन कवर 5. जगतरनानी खलखो पति दानियल खलखोचारां सा० रतासिली, थाना- डुमरी, जिला- गुमला। 6. अनिल खलखो पिता स्व० जुलस खलखो सा० खेतकी, थाना-डुमरी, जिला -गुमला
16.	डुमरी थाना कांड सं०-07/17 दि०-17.03.17 धारा-302/34 भा०द० वि० एवं 3/4 डायन प्रथा प्रतिषेध अधि० S.T.-196/17	1.बलकु मुण्डा पे० जगमोहन मुण्डा, 2. सरहोली मुण्डाईन पति बलकु मुण्डा, 3. राम केशवर मुण्डा उर्फ किशोर मुण्डा पे० बलकु मुण्डा, 4. मंगरीता कुमारी पे० बलकु मुण्डा सभी सा० करनी, थाना- डुमरी, जिला-गुमला	यह कांड वादी प्रभु मुण्डा पे० मंगल मुण्डा सा० करनी थाना-डुमरी, जिला- गुमला के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी के चारों अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के भाई बुधराम मुण्डा एवं भाभी हीरमईत मुण्डाईन को डायन विशाईन का आरोप लगाकर छुरी से गला काट कर हत्या करने के आरोप में अंकित किया गया है।	चारों अभियुक्त जेल में	A.D.J.-1st	ए०पी०पी० चंपा कुमारी, मो० नं० 9431597522	वादी प्रभु मुण्डा पे० मंगल मुण्डा सा० करनी थाना-डुमरी, जिला- गुमला	डा० आर० के० टोप्पो, सदर अस्पताल गुमला 2. अनु०कर्ता-पु०अ०नि० चक्रवर्ती कु० राम, थाना प्रभारी, डुमरी मो०नं०-9431720411	वादी प्रभु मुण्डा पे० मंगल मुण्डा सा० करनी थाना-डुमरी, जिला- गुमला 2..पियर मुण्डा पे० मंगल मुण्डा, 3. सुमन्ती कुमारी पिता स्व० बुधराम मुण्डा,, 4. सुगन्ती कुमारी पिता स्व० बुधराम मुण्डा,, 5. घुरन मुण्डा पिता तेतरा मुण्डा 6. सुखदेव मुण्डा पिता मंगल मुण्डा सभी साकिन करनी, थाना-डुमरी, जिला- गुमला।

17.	गुमला थाना कांड सं०- 326/17 दि०-08.12.17 धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त G.R.- 1142/17	अभि०-1. संदीप साहु पे० अक्षय साहु सा० टैसेरा, 2. लक्ष्मण साहु पिता बहुरा साहु ग्राम-उर्मी डांड टोली, 3. सूरज सिंह उर्फ नेपाली पिता राज कु० सिंह सा० रामनगर, 4. अरुण बड़ाईक पे० गंगेश्वर बड़ाईक सा० जवाहर नगर, सभी थाना एवं जिला- गुमला	यह कांड वादी स०अ०नि० बबलु बेसरा, गुमला थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद चारों अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखने तथा रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	C.J.M.	ए०पी०पी० उमेष दीक्षित मो० नं० 8987484795	वादी स०अ०नि० बबलु बेसरा, गुमला थाना	वादी स०अ०नि० बबलु बेसरा, गुमला थाना 2.परिचारी प्रवर सूर्य कु० सिंह 3. आ०/158 संदीप टोप्यो 4. आ०/179 कारलुस मिंज 5. स०अ०नि० भगवान प्र० गौड़ 6. आ०/417 पवन कुमार 7. आ०/755 सुनील कु० राय 8. आ०/89 रंजीत कु० 9. चालक आ०/745 प्रमोद कुमार 10. अनु०कर्ता स०अ०नि० राधेश्याम कु० पाण्डेय	-		
18.	गुमला थाना कांड सं०-04/18 दि०-02.01.18 धारा-376 डी भ०द० वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट पोक्सो-02/18	प्राथ० अभि०-1. जाकिर अंसारी पिता रसुल अंसारी सा० बसुआ थाना एवं जिला-गुमला	यह कांड वादिनी संध्या उराँव पिता विश्वनाथ उराँव सा० बसुआ थाना एवं जिला- गुमला के आवेदन के आधार पर प्राथ०अभि० जाकिर अंसारी पिता रसुल अंसारी एवं एक अज्ञात के विरुद्ध वादिनी को घर से उठा कर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में अंकित किया गया है।	जेल में	A.D.J.- 1st	ए०पी०पी० चंपा कुमारी, मो० नं० 9431597522	वादिनी संध्या उराँव पिता विश्वनाथ उराँव सा० बसुआ थाना एवं जिला- गुमला	डा०-श्वेता कुमारी, सदर अस्पताल गुमला 2. अनु०कर्ता-पु०अ०नि० राम प्रवेश पासवान, गुमला थाना	वादिनी संध्या उराँव पिता विश्वनाथ उराँव सा० बसुआ थाना एवं जिला- गुमला 2.सुमीता देवी पति विश्वनाथ उराँव 3. विश्वनाथ उराँव पे० स्व० गन्दुर उराँव 4. मारवाड़ी उराँव पिता गन्दुर उराँव 5. सोना देवी पति मारवाड़ी उराँव सभी सा० बसुआ थाना एवं जिला-गुमला		

19.	गुमला थाना कांड सं०-21/18 दि०-16.01.18 धारा-363/376 (2) (1) भा०द० वि० एवं 4 पोक्सो एक्ट पोक्सो-04/18	1.अशोक कुमार उर्फ अशोक कु० गंझु पिता स्व० देव प्र० गंझु सा० करमटोली, पुराना पुलिस लाईन के पीछे, थाना एवं जिला-गुमला	यह कांड वादिनी प्रीति केरकेटा पे० प्रमोद केरकेटा सा० बेड़ी बहार गांगों टोली, थाना- जलडेगा, जिला-सिमडेगा के फर्दबयान के आधार पर प्राथ० अभि० अशोक कुमार उर्फ अशोक कु० गंझु पिता स्व० देव प्र० गंझु के विरुद्ध बहला फुसला कर नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में अंकित किया गया है।	जेल में	A.D.J.- 1 st	ए०पी०पी० चंपा कुमारी, मो० नं० 9431597522	वादिनी प्रीति केरकेटा पे० प्रमोद केरकेटा सा० बेड़ी बहार गांगों टोली, थाना- जलडेगा, जिला-सिमडेगा	1.डा० जमुना, सदर अस्पताल सिमडेगा, 2.ड० सिलवन्त एक्का, सदर अस्पताल सिमडेगा, 3.डा० कार्तिक भगत, सदर अस्पताल सिमडेगा, 4. महिला पु०अ०नि० राजे कुमारी कुजुर पति मनसिंघ प्रिया, थाना प्रभारी अहतू थाना, सिमडेगा 5. अनुकर्ता- पु०अ०नि० रंजीत कु० झा, गुमला थाना	वादिनी प्रीति केरकेटा पे० प्रमोद केरकेटा सा० बेड़ी बहार गांगों टोली, थाना- जलडेगा, जिला-सिमडेगा 2.ग्रेस केरकेटा पति प्रमोद केरकेटा सा० ढोढी बहार, गांगों टोली, थाना- जलडेगा, जिला-सिमडेगा 3. छोटु उराँव पिता स्व० बढही उराँव सा० सरहुल नगर, करम टोली, थाना एवं जिला-गुमला
20.	बसिया थाना कांड सं०-04/17 दि०-22.01.18 धारा-धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट G.R.-72/17	अभि०-महादेव उर्फ मोटु इन्दवार पे० सुशील इन्दवार सा० कुरुम पतरा टोली, थाना-बसिया, जिला-गुमला	यह कांड वादी पु०अ०नि० मुक्ति नारायण सिंह, बसिया थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ० अभि०-महादेव उर्फ मोटु इन्दवार पे० सुशील इन्दवार सा० कुरुम पतरा टोली, थाना-बसिया, जिला-गुमला के विरुद्ध अवैध हथियार रखने एवं रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	जमानत पर	A.C.J. M.	ए०पी०पी० एस०टुडू, मो० नं० 9955360174	वादी- पु०अ०नि० मुक्ति नारायण सिंह, बसिया थाना	1.वादी पु०अ०नि० मुक्ति नारायण सिंह, वर्तमान सिसई थाना 2. हप० बसंत गुड़िया, 3. आ०/162 संतोष कु० रवानी, 4. आ०/151 राजेन्द्र सर्विया 5. अनु०-स०अ०नि० रवीन्द्र कु० मिश्रा, 6. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गुमला	आम गवाह-1. अनुप बारला पे० हरमन बारला, 2. सनोज कोनगाडी पे० अभिराम कोनगाडी दोनों सा० कुरुम पतरा टोली, थाना- बसिया, जिला-गुमला

21.	<p>रायडीह थाना कांड सं०-48 / 15 दि०-04.07.15 धारा-392 भा०द०वि०</p> <p>G.R.-913/15</p>	<p>अभि०-चंदन राम पे० बबलु राम सा० नौडीहा, थाना-घाघरा जिला-गुमला</p> <p>2. गंगा नारायण नायक पे० जगरनाथ नायक सा० करौन्दी, थाना एवं जिला- गुमला</p>	<p>यह कांड वादी कुमुद किशोर पाण्डेय पे० धनेश्वर पाण्डेय सा० गुमिया थाना-घाघरा, जिला-गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध मोटरसाईकिल, मोबाईल, ए०टी०एम०, लाईसेंस, पैनकार्ड तथा पर्श से 1000 रूपया लूट लेने के आरोप में अंकित किया गया है।</p> <p>अनुसंधान के क्रम में अप्राथ० अभि० चंदन राम एवं गंगा नारायण नायक को गिरफ्तार किया गया तथा लूटा गया सामान बरामद किया गया।</p>	-	<p>Smt. Kusum Kumari, J.M.-1st</p>	<p>ए०.पी०पी० उमेष दीक्षित, मो० नं० 8987484795</p>	<p>वादी कुमुद किशोर पाण्डेय पे० धनेश्वर पाण्डेय सा० गुमिया थाना-घाघरा, जिला-गुमला</p>	<p>1.अनु०कर्ता- पु०अ०नि० राजेश कु० सिंह, थाना प्रभारी, रायडीह</p>	<p>वादी कुमुद किशोर पाण्डेय पे० धनेश्वर पाण्डेय सा० गुमिया थाना-घाघरा, जिला-गुमला</p> <p>2.सत्य प्रकाश कुमार पे० स्व० अवधेश कु० पाण्डेय सा० क्वार्टर नं०-डी०टी०- 193 धुर्वा बस स्टैंड, थाना-धुर्वा, जिला-राँची वर्तमान डी०एस०पी० रोड, गुमला,</p> <p>3. प्रदीप सिंह पिता स्व० सुदन सिंह</p> <p>4. रवि महतो पिता इन्द्रदेव महतो ,</p> <p>5. अग्गु सिंह पिता स्व० रघुनाथ सिंह</p> <p>6. पुतरो सिंह पिता स्व० जुगल किशोर सिंह ,</p> <p>7. बिरसा महतो पिता लोहरा महतो पाँचों सा० डुबडुबी थाना-रायडीह, जिला- गुमला</p>	
22.	<p>रायडीह थाना कांड सं०-32 / 17 दिनांक-16.09.17 धारा-25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट</p> <p>अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त</p> <p>G.R.-885/17</p>	<p>प्राथ० अभि०- मोहना महली पे० पल्लु महली सा० कासीरा, थाना एवं जिला- गुमला</p> <p>2. बन्धना प्रधान पे० हरिमोहन प्रधान सा० बुरजूडीह, थाना- रायडीह, जिला- गुमला</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० राजेश कु० सिंह, थाना प्रभारी, रायडीह के स्वयं लिखित आवेदन के आधार पर प्रतिबंधित संगठन पी.एल.एफ.आई. के एरिया कमाण्डर मोहन महली पे० पल्लु महली तथा बंधन प्रधान पे० हरि मोहन प्रधान के विरुद्ध अवैध हथियार, गोली तथा पी०एल०एफ०आई० का पर्चा रखने एवं बरामद होने के आरोप में अंकित किया गया है।</p>	जेल में	<p>Smt. Kusum Kumari, J.M.-1st</p>	<p>ए०.पी०पी० उमेष दीक्षित, मो० नं० 8987484795</p>	<p>वादी पु०अ०नि० राजेश कु० सिंह, थाना प्रभारी, रायडीह</p>	<p>1. वादी पु०अ०नि० राजेश कु० सिंह, थाना प्रभारी, रायडीह</p> <p>2. स०अ०नि० फागु राम उराँव, रायडीह थाना,</p> <p>3. हव० दुम्बी सामदन</p> <p>4. आ० / 318 सुचित कुमार</p> <p>5. आ० / 474 संदीप एक्का,</p> <p>6. आ० / 181 मनोज कुमार</p> <p>7. आ० / 157 लगन महतो सभी गुमला जिला बल</p> <p>8. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गुमला</p> <p>9. अनु०कर्ता- स०अ०नि० रामजी बैठा, रायडीह थाना,</p>	<p>1.प्रेमजीत प्रधान पे० शत्रुघन प्रधान</p> <p>2. मुनेश्वर प्रधान पे० सुखु प्रधान दोनों सा० बुरजूडीह थाना-रायडीह, जिला- गुमला</p>	

23.	पालकोट थाना कांड सं० 45/16 दिनांक-09.04.16 धारा-399/402 भा०द०वि०, 25(1-बी)ए/26 /35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त G.R.-900/16 S.T.-385/16	अभि०-कुँवर गोप उम्र करीब 20 वर्ष पे० अघनु गोप सा० झिकिरमा डोम्बा टोली, 2. नारायण सिंह पे० सावन सिंह सा० ओबिरा सुअरगुफा 3.नरेन्द्र दास पे० महेश्वर दास सा० झिकिरमा 4. दीपक केरकेट्टा पे० अलेकजेन्डर केरकेट्टा 5. अमित केरकेट्टा पे० सुलेमान केरकेट्टा दोनों सा० सारुबेडा पाहन टोली थाना-पालकोट, 6. सिलास गुडिया पे० तेफिल गुडिया सा० पतली, थाना-पालकोट सभी जिला-गुमला	यह कांड वादी पु०अ०नि० नित्यानन्द महतो, थाना प्रभारी, पालकोट के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध लूटपाट करने के नियत से एकति होकर लूटपाट का योजना बनाने एवं अवैध आग्नेयास्त्र ; गोली तथा पी०एल०एफ०आई० के पर्चा के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	A.D.J.- V	ए०पी०पी० मो० जावेद हुसैन, मो०नं० 8986786284	वादी- पु०अ०नि० नित्यानन्द महतो, थाना प्रभारी, पालकोट	1.वादी- पु०अ०नि० नित्यानन्द महतो, थाना प्रभारी, पालकोट वर्तमान जमशेदपुर जिला, 2. पु०अ०नि० नरेश प्र० सिन्हा, थाना प्रभारी कामडारा थाना 3. पु० नि० जे० एस० मुर्मू, वर्तमान चैनपुर अंचल, 4. पु०अ०नि० बिगु राम पालकोट थाना (वर्तमान सेवा निवृत्त) 5. स०अ०नि० पुरुषोत्तम तिवारी पालकोट थाना 6. आ०/168 प्रमोद कुमार पे० राम बिलास सिंह सा० कुलना थाना अकबरपुर, जिला-नवादा 7. आ०/579 साबीर आलम पे० निजामुद्दीन मियाँ सा० लालगढ़, थाना-विश्रामपुर, जिला-पलामू 8. आ०/46 सत्येन्द्र राम पे० रघु राम सा० बनाही, थाना-हैदरनगर, जिला-पलामू 9. आ०/356 कृष्णा गड़ेरी, 10. चा०आ०/788 नयमन तिकी 11. अनु०-स०अ०नि० चिन्तामनी महतो, पालकोट थाना	1.हंसराज यादव पे० प्रदुमन गोप सा० सोलगा, 2. सुबोध सिंह पे० स्व० खुदी सिंह सा० सोलगा, दोनों थाना-पालकोट, जिला-गुमला
24.	घाघरा थाना कांड सं०-15/18 दिनांक-31.01.18 धारा-376 (डी) भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो अधि० पोक्सो-06/18	अभि०- रमेश उराँव पे० एतवा उराँव सा० नवडीहा, थाना- घाघरा, जिला-गुमला 2. संतोष उराँव पे० रामचन्द्र उराँव सा० जोगियारा, थाना- किस्को, जिला-लोहरदगा	वादिनी सीतामुनी कुमारी पे० बंधु उराँव सा० नवडीहा बरटोली, थाना-घाघरा, जिला-गुमला के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी के दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध मोबाईल कुपन खरीदने के क्रम में वादिनी को नवडीहा स्थित टाना भगत आवासीय विद्यालय में ले जाकर बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	A.D.J.- 1 st	ए०पी०पी० चंपा कुमारी, मो०नं० 9431597522	वादिनी सीतामुनी कुमारी पे० बंधु उराँव सा० नवडीहा बरटोली, थाना-घाघरा, जिला- गुमला	1.अनु०कर्ता- पु०अ०नि० सुदामा चौधरी,, थाना प्रभारी, घाघरा 2. स०अ०नि० मानिक मराण्डी, घाघरा थाना, 3. डा० मनीषा कुमारी, चिकित्सा पदा० घाघरा	वादिनी सीतामुनी कुमारी पे० बंधु उराँव सा० नवडीहा बरटोली, थाना-घाघरा, जिला-गुमला 2. अशोक कच्छप पे० नारायण कच्छप 3. शैलेन्द्र मुण्डा पे० सुरेश मुण्डा दोनों वर्तमान टाना भगत आवासीय विद्यालय नवडीहा, घाघरा 4. बंधु उराँव पे० सोमरा उराँव .4. मंगरी उराईन पति बंधु उराँव दोनों सा० नवडीहा बरटोली, थाना- घाघरा, जिला-गुमला

ज्ञापांक 386 / पु0वि0कोर्ट,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, हजारीबाग ।
दिनांक-10.05.2018

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक 173 / गो0, दिनांक 03.05.18

विषय:- माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में 1,000 काण्डों का त्वरित विचारण ।

महाशय

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है हजारीबाग जिलान्तर्गत त्वरित विचारण हेतू मांगी गयी काण्डों कि सूची विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत समीक्षोपरांत विहित प्रपत्र में तैयार कर भवदीय के अवलोकनार्थ भेजी जा रही है ।

अनुलग्नक:-यथोपरि ।

विष्वासभाजन,
ह0 / -
पुलिस अधीक्षक,
हजारीबाग ।

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, उ0छो0क्षेत्र, हजारीबाग के कार्यालय ज्ञापांक 47 / वि0को0षा0 दिनांक 03.05.18 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित् ।

पुलिस अधीक्षक,
हजारीबाग ।

क० सं०	काण्ड सं०/तिथि/धारा/जी०आर०/एस०टी० न०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में/फरार/बेल	न्यायालय का नाम पता	पी०प० का नाम एवं मो० नंबर	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनुसंधानकर्ता/चिकित्सक/विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो०सं०	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	सदर थाना काण्ड सं० -563/17, दि०-28.07.17, धारा-386/387 भा०द०वि०, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। जी०आर०-2153/17,	01. प्रसादी यादव पे०-सत्तू यादव सा०-नवाडीह थाना-ईचाक जि०-हजारीबाग। 02. शंकर यादव उर्फ चौधरी पे०-ठकुरी यादव सा०-बाये थाना-गिद्धौर जि०-चतरा।	रंगदारी एवं लेवी का रूप्या प्राप्त करना।	जेल में।	सुनील कुमार सिंह सी०जी०एम० हजारीबाग		01. पु०नि० जितेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी सदर थाना,हजारीबाग।	01.स०अ०नि० निर्मल सिंह 02. स०अ०नि० गोपाल प्रसाद 03. हव०. जयप्रकाश सिंह 04. आ०-1103 मो० ईनामुल 05. स०अ०नि० बाबुलाल चातर अनु०कर्ता 06. स०अ०नि० नवीन कुमार पाण्डेय अनु०कर्ता		

02.	सदर थाना काण्ड सं० -994 / 14, दि०-07.10.14 धारा-25(1- b)a /26 आर्म्स एक्ट । जी०आर-4055 / 14,	01. मो० सरवर मिया पे०-मो० साबिर सा०-पक्की तालाब के पास थाना लहरी, जि०-नालंदा (बिहार)	चोरी के दोरान हथियार के साथ पकड़ा जाना ।	जमानत पर ।	सुनील कुमार सिंह सी०जी०एम० हजारीबाग		01. स०अ०नि० गणेश केवट सदर थाना,हजा रीबाग ।	01. हव० बालेष्वर प्रसाद 02. आ०-1111 निर्मल कुमार सिंह 03. आ०-1387 संतोष यादव 04. आ०-941 रामदायाल चौधरी 05. परिचारी प्रवर राजेन्द्र सिंह पु०केन्द्र हजारीबाग । 06. स०अ०नि० राजमणि सिंह अनु०कर्ता 07.' स०अ०नि० नदकिषोर सिंह अनु०कर्ता सदर थाना हजारीबाग ।		
03	सदर (कोर्दा) थाना काण्ड सं० -693 / 17, दि०-29.09.17, धारा-25(1- A) /26(3) आर्म्स एक्ट । जी०आर-2808 / 17,	01. विक्की कुमार पे०-स्व० अरविन्द गुप्ता ।	अवैध हथियार के साथ पकड़ा जाना ।	जमानत पर ।	सुनील कुमार सिंह सी०जी०एम० हजारीबाग		01. स०अ०नि० सोनलाल गिरी, सदर(कोर्दा) हजारीबाग ।	01. स०अ०नि० अनिल राम 02. आ०-676. संतोष कुमार महतो 03. प्रभारी परिचारी प्रवर रोहीत दुबें 04. स०अ०नि० मनोज कुमार आर्या अनु०कर्ता	01.कुमूद कुमार साव 02. हिमांशु शेखर जप्ति सूची गवाह ।	
04.	सदर (कोर्दा) थाना काण्ड सं० 824 / 16, दि०- धारा-376 / 366(A) भा०द०वि० एवं ,04 पोक्सो एक्ट । जी०आर-2756 / 16,टी०आर- 41 / 17,	01. रमेश कुमार सिंह पे०-ओपड़ सिंह सा०-दातु थाना -कसमार,जि०-बोकारो वर्तमान पता-सुमित्रा देवी के घर में सा०-कोर्दा देवांगना चौक,थाना -सदर जि०-हजारीबाग ।	नाबालि ग के साथ बलात्का र करना ।	जेल में ।	ए०डी०जे-1	मनो ज कुमा र ए०प ी०पी ०	अंजू देवी पति-नगि नाराम	01. पु०अ०नि० बुधन उरांव सदर(कोर्दा) थाना ।02. डॉ० षिवानी यादव सदर अस्पताल हजारीबाग ।	01.नगिना राम पे०-स्व० पन्नु राम 02. आषा देवी पति बसंत पासवान 03. अजय पासवान पे०-स्व० रामेष्वर पासवान सभी साकिनान-देवांगना चौक कोर्दा थाना-सदर(कोर्दा), जि०-हजारीबाग ।	

05	सदर (मु0)थाना काण्ड सं0 -61 / 16, दि0-29.04.16 धारा-25(1- b)a/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-1210 / 16,	01. कामेष्वर गंडू उर्फ गुटुआ गंडू पे0-नारायण गंडू सा0-रेषाम थाना-मुफसिल,हजारीबाग।	अवैध हथियार के साथ पकड़ा जाना।	जमानत पर	सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनी ल कुमा र सिंह ए0प ी0पी 0	01. पु0अ0नि0 विरजू गंडू प्रभारी थाना-मुफ फसिल,ह जारीबाग।	01. हव0 श्यामनंदन पासवान 02. आ0-1154 नगिना यादव 03.आ0-1310 जयप्रकाश दास 04. आ0-1238 सैत टुडू 05. आ0-1179-आनंद कुमार 06. परिचारी प्रवर पाण्डेय अजय कुमार,पु0केन्द्र हजारीबाग।07. स0अ0नि0 मोतीलाल राम अनु0कर्ता0।	01.	
06	सदर थाना काण्ड सं0 -155 / 17, दि0-21.02.17 धारा-386 भा0द0वि0, एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर-523 / 17,	01. मुन्ना यादव 02. दषरथ यादव दोनो सा0-कुसुम्बा थाना-कटकमदाग	उग्रवादी द्वारा लेवी लेते पकड़ा जाना।	जमानत पर।	सुनील सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनी ल कुमा र सिंह ए0प ी0पी 0	01. पु0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना प्रभारी सदर ,हजारीबा ग।	01. पु0अ0नि0 अवधेश सिंह 02.आ0-1103 मो0 इनामूल 03. आ0-1111 निलेश कुमार 04.' आ0-1356 जोनसन हॉसदा 05. स0अ0नि0 सिद्धनाथ ओझा सभी थाना-सादर,हजारीबाग।	01. रंजीत सिंह 02. विरेन्द्र सिंह। जप्ति सूची के गवाह।	-
07.	हजारीबाग निगरानी काण्ड सं0 30 / 17,दि0-13.04.17 धारा-7 / 13 / 2(B) 1-D भष्टाचार निवारण अधि0,1988। Spl no-20/17	01.आफताब आलम प्रखण्ड विकाष पदा0,लावालौंग जिला-चतरा	रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाना।	जमानत पर।			01. नंदकिषोर यादव सा0-पोट म थाना-ला वालौंग जि0-चतर T।	01.श्री सुरेन्द्र सलकर पु0उपा0 निगरानी ब्यूरो 02. पु0नि0 इन्दु भुषण ओझा 03. . पु0नि0 चंद्रिका प्रसाद 04. पु0नि0 श्री राम प्रसाद 05. आ0-मनोज कुमार 06. आ0-रवि केरकेट्टा सभी निगरानी ब्यूरो हजारीबाग। 07. सरौज कुमार पे0-स्व0 राम प्रसाद राय सा0-हदारी,थाना-ईचाक जि0-हजारीबाग,सम्पति लिपिक जिला सामान्य शाखा हजारीबाग मो0-9430363296	01. संतोष कुमार पे0-नंदकिषोर यादव सा0-पोटम थाना-लावालौंग जि0-चतरा। मो0-9523401217 02. अजय यादव पे0-रूपलाल यादव सा0-आराहातु थाना-लावालौंग जि0-चतरा मो0-9939113445	-
08	हजारीबाग निगरानी काण्ड सं0 14 / 16,दि0-03.02.16 धारा-7 / 13 / 2(B) 1-D भष्टाचार निवारण अधि0,1988, अधि0। Spl no-12/16	01. प्रेम प्रकाश सिंह,कनीय अभियन्ता भुरकुण्डा रामगढ़	रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाना।	जमानत पर।			01.अनिल कुमार राय पे0-महान न्द राय सा0-कोय रा थाना-पत रातु जि0-राम गढ़	01. प्राण रंजन कुमार,पु0उपा0 02. 02. पु0नि0 इन्दु भुषण ओझा 03. पु0नि0 कलिमुद्दीन खॉ 04. स0अ0नि0 विजय पाण्डेय 05. आ0-फिरोज खान सभी निगरानी ब्यूरो हजारीबाग। 06. रहिम अंसारी, लिपिक जिला कल्याण शाखा हजारीबाग। 07. प्रबोध कुमार	01. अनिल कुमार राम पे0-स्व0 महानंद राम सा0-पोचरा ,थाना -पतरातु जि0-हजारीबाग।	-

								सिन्हा लिपिक जिला कल्याण शाखा हजारीबाग ।		
09.	हजारीबाग निगरानी काण्ड सं० 38/17, दि०-21.09.17 धारा-धारा-7/13/2(B) 1-D भ्रष्टाचार निवारण अधि०,1988, अधि०। Spl no-09/18	01. विरेन्द्र कुमार सर्वे कर्मी कार्यालय चतरा	रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाना ।	जमानत पर ।			01. प्रविन कुमार पे०-योगेन्द्रनाथ दांगी सा+थाना -पथलगड्डा जि०-चतरा ।	01 प्राण रंजन कुमार,पु०उपा० 02. पु०नि० इन्दु भुषण ओझा 03. पु०नि० चंद्रिका प्रसाद यादव 04. पु०नि० लक्ष्मण सिंह, 05. ओम प्रकाश मंडल सहायक बंदोबस्त पदा०,हजारीबाग । 06.		
10.	हजारीबाग निगरानी काण्ड सं० 22/11,दि०-17.08.11 धारा-403/406/414/420 भा०द०वि० एवं 13(1-B) भ्रष्टाचार निवारण अधि०,1988 । Spl no-30/11	01. उमा शंकर प्रसाद	रिष्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाना ।	जमानत पर ।			01. राज कुमार सिन्हा, पु०उपा०	01. श्री जयन्त कुमार सिंह पु०उपा० 02. आ०-नरेश प्रसाद यादव 03. आ०-महेश यादव 04 आ०-निर्मल यादव ।	01. विजय कुमार यादव पे०-स्व० श्याम नारायण सा०-रविन्द्र पथ ,थाना-सदर ,जि०-हजारीबाग । 02. मो० साजिद हुसैन पे०-निजामुद्दिन सा०-बड़ा बजार ,थाना-सदर जि०-हजारीबाग । 03 . भरत सिंह पे०-स्व० शिवभुवन सिंह सा०-पंडितजी रौड़ थाना -सदर जिला -हजारीबाग ।	
11.	बरही(पदमा) थाना काण्ड सं० 329/17 दि०-24.11.17 धारा-25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट । जी०आर०-3393/17,	01. आषीष कुमार उर्फ पकौड़ी पे०-अर्जून साव सा०-बेलगढ़ा थाना-सिमरिया जि०-चतरा	टी०पी० सी० उग्रवादी के सदस्य एवं अवैध आग्नेयास्त्र साथ पकड़ा जाना ।	जेल में ।	एम० मलियाज जे०एम०-1	कमल एक्का ए०पी०	01. पु०अ०नि० विरेन्द्र होंसदा,थाना प्रभारी पदमा थाना जि०-हजारीबाग ।	01. हव० भोला प्रसाद यादव 02. चौकीदार 2/10 पप्पु कुमार पासवान थाना-पदमा 03. स०अ०नि० सच्चिदानंद राय अनु०कर्ता०	01. झल्लु प्रसाद मेहता पे०-स्व० नेमचंद महतो सा०-रोमी थाना-पदमा,जि०-हजारीबाग ।	

12.	बरही थाना काण्ड सं० -37/17 दि०-16.02.17 धारा-25(1-b)/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०-481/17,	01. अभियुक्त शमीम राय पे०-वेर मो० राय सा०-रसोइया धमना	अवैध आग्नेया स्त्र साध पकड़ा जाना।	जेल में।	एम० मलियाज जे०एम०-1	कम ल एव का ए०प पी ०	01. पु०नि० अवधेष कुमार सिंह थाना प्रभारी बरही, जि० -हजारीबा ग।	01 स०अ०नि० अनिल कुमार सिंह 02. हव० बिरसा उरांव 03. आ०-119 संजीव कुमार राणा 04. आ०-1383 संतोष कुमार महतो 05. आ०-1078 हरिवंश तिवारी 06. प्रभारी परिचारी प्रवर रोहित दुबे 07. पु०अ०नि० महेश कुमार पाण्डे अनु०कर्ता०	01. अल्ला रखा पे०-नियामत अली 02. मो० निसीम अली पे०-स्व० सुल्तान राम सा०-रसोइया धमना थाना-बरही जि०-हजारीबाग।	
13.	बरही थाना काण्ड सं० -239/15, दि०-17.08.15 धारा-394 भा०द०वि० जी०आर०-3576/15,	01 सुनिल वर्मा पे०-मुरली महतो सा०-गुमो बरवाडीह थाना-तिलैया 02. विनय साव पे०-डिलो साव सा०-डोइयाडीह 03. मुकेश वर्मा पे०-सुरेश वर्मा सा०-गुमो 04. सुनिल कुमार पे०-कंझु राम सा०-गुमो दोनो थाना-तिलैया जि०-कडोरमा।	हथियार का भय दिखा कर मारपीट कर रुप्या लुटना।	जमानत पर।	एम० मलियाज जे०एम०-1	कम ल एव का ए०प पी ०	01. सुधीर कुमार यादव पे०-राजेन्द्र प्रसाद यादव सा०-मुडह री थाना बेंगावाद जि०-गिरी डीह।	01. पु०अ०नि० नंदकिशोर सिंह 02. हव० छवीलाल सिंह 03. आ०-539 महेंष यादव 04. आ०-1245 सुरेश रजवार 05. पु०अ०नि० अनिल कुजूर अनु०कर्ता०।	01. रूपेश कुमार पे०-लक्ष्मीकान्त महतो सा०-नियतपुर थाना-गोविन्दपुर जि०-धनवाद।	
14	बरकट्टा थाना काण्ड सं०-39/17, दि०-11.03.17 धारा-386/387/34 भा०द०वि० जी०आर०-731/17, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।	01. संतोष रविदास पे०-बंसी रविदास सा०-कोनहारा कला थाना बरकट्टा जि०-हजारीबाग। 02. राजेंष गंझू उर्फ बंधन गंझू उर्फ राजेश जी	उग्रवादी गतिविधि में सम्मिलि त होना ।		एम० मिश्रा जे०एम०-1	सुनी ल सिंह	01. लक्ष्मण तिवारी पे०-अंकि त नही है। सा०+थाना - बरकट्टा जि०-हजा रीबाग।	01. स०अ०नि० लक्ष्मण तिवारी 02. हव० कमलदेव पासवान 03. आ०-1217 राजीव कुमार 04 आ०-1212 मनीष कुमार 05. चौ० 3/06 मुन्नीलाल 06. चौ०-3/4 बट्टी सिंह 07. स०अ०नि० बह्मदेव यादव अनु०कर्ता० सभी थाना-बरकट्टा जि०-हजारीबाग।	01.	
15.	बरही थाना काण्ड सं० -131/17, दि०-22.05.17 धारा-5 विस्फोटक पदार्थ अधि०। जी०आर०-1454/17, एस०टी०-08/18।	01. धिरेन्द्र सिंह पे०-स्व० लखन सिंह सा०-घंघरी थाना-बरकट्टा हजारीबाग। 02. राजेश प्रसाद पे०- छोटेलाल महतो 03. छोटेलाल प्रसाद पे०-अंकित नही है, दोनो सा०-कोसमा, थाना बरकट्टा जि०-हजारीबाग।	विस्फोट क पदार्थ ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाना।	जमानत पर।	ए०डी०जे०- 2	भार त राम ए०प पी ०	01. स०अ०नि० निर्मल कुमार सिंह ,बरही थाना हजारीबाग ।	01. स०अ०नि० सम्मुल हक 02. हव० ललन यादव 03. आ०-1095 हरिषंकर तिवारी 04. आ०-1068 गुलाब दांगी 05. आ०-1661 दिनेष गंझू 06. स०अ०नि० अनिल कुमार सिंह-II, अनु०कर्ता०।	01. राजकुमार साव पे०-माधो साव 02. रामचंद्र प्रसाद पे०-यमुना साव, सा०-कोसमा(घ रहरा)थाना-बरकट्ट I, हजारीबाग।	

16.	टाटीझरिया थाना काण्ड सं० -23/17, दि०-27.07.17 धारा-399/402/34 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट। जी०आर-4055/14, जी०आर०-2146/17, एस०टी०-351/17।	01. विनोद बेसरा पे०-स्व० चंदर बेसरा 02. तालो बास्के पे०-रामा बास्के 03. महेन्द्र मुर्मू पे०-जागेश्वर मुर्मू 04. परमेश्वर हॉसदा पे०-रामजी हॉसदा सभी सा०-लेखुआ थाना-गोरहर, 05. पोखनलाल हॉसदा पे०-जिवलाल हॉसदा 06. सुनिल कुमार मण्डल पे०-हुलास महतो सा०-बेडम थाना- टाटीझरिया जिला -हजारीबाग।	हथियार से लेस होकर लूटपाट करना।	01. सुनिल कुमार मण्डल एवं पोखनलाल हॉसदा जेल में अन्य सभी जमानत पर।	ए०डी०जे०- 2	भार त राम ए०प ी०पी ०	01. पु०अ०नि० अषोक कुमार थाना प्रभारी टाटीझरिय ।	01. आ०-473 अरुण तुरी 02. स०अ०नि० शिवशंकर राम, अनु०कर्ता० टाटीझरिया थाना।		
17.	बरकट्टा थाना काण्ड सं० -81/08, दि०-10.07.08 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर-2356/08, एस०टी०-539ए/08।	01. पिन्दु पासवान पे०-फागुनी पासवान सा०-कुसतौर थाना केंदुआडीह, जि०-धनवाद।		जमानत पर।	ए०डी०जे०- 2	भार त राम ए०प ी०पी ०	01. पु०अ०नि० बिनोदानंद सिंह थाना प्रभारी, बर कट्टा	01.स०अ०नि० रामझान सिंह 02. हव० सकलदीप मांझी 03. आ०-1279 सरयू बैठा 04.आ०- 1277 महेश कुमार 05 आ०-1260 मदन राम 06. 1261 ढेकन राम सभी बरकट्टा थाना 07. परिचारी प्रवर तेजवान उरांव पु०केन्द्र हजारीबाग।	01. श्रीकांत पाण्डेय पे०-परमेश्वर पाण्डेय सा०-परवत्ता 02. जागेश्वर यादव पे०-स्व० मथुरा यादव सा०-बरकट्टाडीह सभी थाना-बरकट्टा जि०-हजारीबाग।	
18.	मुफ्फसिल थाना काण्ड सं० -57/16, दि०-22.04.16 धारा-385/387 भा०द०वि०, एवं 25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट, एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट तथा 38 यु०ए०पी० एक्ट। जी०आर-1154/16,	01 महेन्द्र गंडू उर्फ पालटा पे०-तितायी गंडू सा०-हुटरू, थाना-लवालौग जि०-चतरा।	लेवी वसुलने के क्रम में अवैध हथियार रिवाल्वर, पिस्टल गोली के साथ पकड़ा जाना।	जेल में।	ए०डी०जे०- 3	अज य मंड ल ए०प ी०पी ०	01. पु०अ०नि० पंकज कुमार दास थाना प्रभारी सदर (कोर्ता),	01. स०अ०नि० मनोज कुमार मुफ्फसिल थाना 02. आ०-190 शशीराजन जयसवाल 03. आ०-1177 राजेश कुमार मुर्मू 04. आ०-1515, सुरेश मुर्मू 05. आ०-1486 नागेन्द्र कुमार पाण्डेय सभी पुलिस अधीक्षक निवास हजारीबाग। 06. आ०-1322 रामधनी यादव 07. आ०-1236 संजय लकड़ा दोनो कोर्ता ओ०पी० रिजर्व गार्ड। 08. पाण्डेय अजय कुमार परिचारी प्रवर पु०केन्द्र हजारीबाग।		
19	बरही थाना काण्ड सं० -261/12, दि०-13.10.12 धारा- 25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट।	01. राजा कुमार उर्फ अमित कुमार पे०-जयप्रकाश गुप्ता सा०-मिर्जापुर थाना-नगर जि०-नवादा(बिहार)	अवैध हथियार का खरीद बिक्री	जमानत पर।	ए०डी०जे०- 3	अज य मंड ल ए०प	01. पु०अ०नि० राजदेव प्रसाद बरही	01. स०अ०नि० नरेन्द्र कुमार मिश्रा 02. स०अ०नि० नागजनम मुर्मू 03. हव० सोनेलाल बैठा 04. आ०-13 विजय पाण्डेय 05. आ०-512	01. उमेश यादव पे०-भुनेश्वर यादव 02. बोधी यादव पे०-रामचंद्र यादव दोनो साकिनान-	

	जी0आर-4223 / 12, एस0टी0-42 / 18,		करना ।			10पी 0	थाना ।	कन्हैया दास 06. आ0-1188 सुभाष प्रसाद यादव ।	सा0-बहेराडीह थाना-जयनगर, जि0 -कोडरमा ।	
20.	चरही थाना काण्ड सं0 -77 / 15, दि0-23.11.15 धारा- 302 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट । जी0आर-4736 / 15 एस0टी0-27 / 18,	01. दयानंद जी उर्फ विषाल गंडू	गोली मार कर हत्या करना ।	जेल में ।	ए0डी0जे0- 12	अंग्रे ज राम ए0प 10पी 0	01. संतोष हॉसदा पे0-तालो मांझी सा0-चना रो टोला पारवाद, था ना-चरही, जि0-हजा रीबाग ।	01. पु0अ0नि0 राजीव रंजन कुमार 02. विजय केरकेट्टा दोनो चरही थाना 03. डॉ0 अजय रंजन कुमार, चिकित्सा पदा0 सदर अस्पताल ह0बाग ।	01. विनय हॉसदा पे0-तालो मांझी सा0-चनारो टोला पारवाद, थाना-चरही, जि0-हजारीबाग । 02. रामकुमार पापर पे0-लाली जी महतो 03. प्रकाश कुमार पे0-बेराही ठाकुर 04. सम्पा टुडू पे0-संतोष हेम्ब्रम तीनों साकिनान-जोड़ामो ड़, थाना-चरही, जि0-ह जारीबाग ।	
21.	बड़कागाँव थाना काण्ड सं0 -65 / 15, दि0-05.04.15 धारा- 414 / 413 भा0द0वि0, एवं 30(ii)c.m Act & 33IF Act जी0आर-1424 / 15 एस0टी0-266 / 17,	01. गुडन सिंह पे0-उर्फ जितेन्द्र सिंह पे0-राजकुमार सिंह कसा0-अम्बाजीत थाना -बड़कागाँव जि0-हजारीबाग ।	अवैध कोयला का व्यपार करना ।	जमानत पर	ए0डी0जे0- 14	भार त राम ए0प 10पी 0	01. पु0अ0नि0 मुकेश कुमार बड़कागाँव थाना, जि0 -हजारीबा ग ।	01. हव0 सिद्धनाथ सिंह 02. आ0-1739 राकेश कुमार 03. आ0-1687 रामस्वरूप भुईया 04. आ0-1669 परिमल बावरी 05. आ0-1734 राज कुमार प्रजापति 06. चौ0-2 / 14 चन्द्रिका पासवान 07. दिगवार बोधी गंडू 08. स0अ0नि0 ओम प्रकाश सभी बड़कागाँव थाना ।	01.	
22	ईचाक थाना काण्ड सं0 -190 / 15, दि0-08.12.15 धारा- 302 / 201 / 120 (B) 34 भा0द0वि0 जी0आर-4871 / 15 एस0टी0-104 / 16,	01. बबीता देवी पति पप्पु मेहता 02. राजेश प्रसाद मेहता उर्फ राजु भाई पे0-निर्मल प्रसाद मेहता 03. कबुतरी देवी पति खिरोधर महतो 04. खिरोधर महतो पे0-स्व0 गुरुचरण महतो सांभी साकिनान-पोखरीया थाना -ईचक, जि0-हजारीबाग ।	हत्या कर शव को छुपाना	सभी अभियुक्त जेल में ।	ए0डी0जे0- 14	भार त राम ए0प 10पी 0	01. करुणा देवी पति -निर्मल प्रसाद मेहता सा0-पोख रीया थाना -ईचक, जि 0-हजारी बाग ।	01. पु0अ0नि0 अमरेश कुमार 02. पु0अ0नि0 आनंदी सिंह दोनो थाना -ईचाक 03. डॉ0 मणीतोष कुमार एम0ओ0 सदर अस्पताल, हजारीबाग ।	01. विजय कुमार मेहता पे0-टिमा महतो सा0- सा0-पोखरीया थाना -ईचक, जि0-हजारी बाग ।	

23.	बड़कागँव थाना काण्ड सं० -40/17, दि०-04.03.17 धारा- 20(b)(ii) स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ अधि० 1985। जी०आर-634/17	01. विकास कुमार पे०-नंदकिषोर घासी सा०-कोसा थाना टंडवा जि०-चतरा 02. गुलाब यादव पे०-हेमराज यादव सा०-गाडीलौंग थाना टंडवा जि०-चतरा। 03. संजय गोस्वामी पे०- किषुन देव गोस्वामी सा०-कोयेद थाना टंडवा जि०-चतरा	अवैध गांजा के साथ पकड़ा जाना।	जमानात पर ।	पी०डी०जे० हजारीबाग	शशि कान् त ओझ । ए०प ी०पी ०	01. अ०नि० नरेन्द्र कुमार शर्मा बड़कागँव थाना	01. हव० कुदुस कलन्दर 02. आ०-1714 कामेश्वर हेम्ब्रम 03 आ०-1614 हरिषंकर साव 04. अ०नि० अकील अहमद 05. अ०नि० महेन्द्र कुमार सभी बड़कागँव थाना, जि०-हजारीबाग।	-	-	
24.	विष्णुगढ़ थाना काण्ड सं० -68/14, दि०-24.07.14 धारा- 25(1-b)a /26 /35, आर्म्स एक्ट। जी०आर-3043/14 एस०टी०-86/17,	01. हरेन्द्र गंझू उर्फ चंदन उर्फ सुरेश पे०-बुधन गंझु सा०-दवेरिया, जि०-चतरा 02. मुकेश कुमार राणा पे०-जागेश्वर राणा सा०-सरहेता, थाना-इटखोरी जि०-चतरा 03. उमेश पाण्डेय उर्फ उमेश दास पे०-मुरारी दास सा०-चकचुको थाना-विष्णुगढ़, जि०-हजारीबाग।	अवैध आग्नेया स्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना।	जेल में।	ए०डी०जे०- 12	अग्ने ज राम ए०प ी०पी ०	01. अ०नि० किष्णोफर टोप्पो विष्णुगढ़ थाना।	01. हव० मणिकान्त यादव 02. आ०-सुरेश चन्द्र हॉसदा 03. आ०-भगवान मोहली 04. राजेश राम 05. परिचारी प्रवर राजेन्द्र सिंह पु०केन्द्र हजारीबाग। 06. अ०नि० सुदामा राम विष्णुगढ़ थाना।	01 धनेश्वर प्रसाद पे०-श्री टहल साव सा०-माइरस चौक थाना- विष्णुगढ़। 02. अरुप कुमार पे०-बद्री प्रसाद सा०-चंदरा, थाना-विष्णुगढ़ हजारीबाग।		
25.	आंगो थाना काण्ड सं० 10/16 दि० 14.09.16 धारा 25(1-b)a 26/35 आर्म्स एक्ट, 4/5 वि०पदा० अधि०, 17 सी०एल०ए० एक्ट। जी०आर०-2552/16,	मनोज सोरेन पे०- चुन्नु मांझी सा०-हरली टोला ठुकरू थाना आंगो जि०-हजारीबाग।	उग्रवादी घटना का अंजाम देने हेतू केन बम एवं बंदूक छुपाकर रखना।	जेल में।	ए०डी०जे०- 3	अज य मंड ल ए०प ी०पी ०	स०अ०नि० षिषिर कुमार सिंह आंगो थाना।	01. स०अ०नि० रमेश कुमार 02. पाण्डे अजय कुमार परिचारी प्रवर, पु०केन्द्र हजारीबाग।	-	-	
26.	कटकमदाग थाना काण्ड सं० 62/16, दि०- धारा 366A/363/376 भा०द०वि० 04 पोक्सो एक्ट। जी०आर०-1177/16, टी०आर०- 30/17,	01. सोनू पासवान, पे०-सुनिल पासवान 02. सुनिल पासवान पे०- 03. उषा देवी पति सुनिल पासवान सभी सा०-मिठापुर बी एरिया थाना-जक्कनपुर जि०-पटना (बिहार)	लड़की को बहला फुसला कर भागा ले जाना।	जमानत पर	ए०डी०जे०- 1	मनो ज कुमा र ए०प ी०पी ०	वादिनी सीमा भट्टाचार्य पति-सुजी त भट्टाचार्य सा०-कद मा थाना कटकमदा ग जि०-हजा रीबाग।	01. पु०अ०नि० मार्टिन पूर्ति 02. स०अ०नि० विनोद कुमार दोनो थाना-कटकमदाग।	01. विजय सिंहा पे०-स्व० कामता सिंहा 02. सुजीत भट्टाचार्य पे०-स्व० रंजीत भट्टाचार्य 03. निर्मला सिंह पति-हरिन्द्र सिंह 04. डॉ० दीपक पे०-अशोक कुमार सिंह 05. अमीत कुमार पे०-गोवर्धन 06. आकाश कुमार सिंह पे०-चंद्र प्रभात	-	

									सहाय सभी साकिनान –कदमा थाना कटकमदाग जिला–हजारीबाग ।	
27.	बरही(पदमा) थाना काण्ड सं० 195 / 16 दि०– धारा 376 / 354 / 506 / भा०द०वि० 67(A),IT Act,08 पोक्सो एक्ट । जी०आर०–2239 / 16 ,टी०आर० 43 / 17,	01.नसरुदीन खान पे०–स्व० सहवार खान सा०–बरसोत थाना–बरही ,जि०–हजारीबाग ।	धमकी दे कर बलात्कार करना तथा विडियो बनाना एवं नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करना ।	जमानत पर ।	ए०डी०जे०–1	मनोज कुमार ए०पी०	सुनिता देवी पति विजय प्रजापति	01. पु०अ०नि० अवधेष कुमार सिंह बरही थाना ।	01. विजय प्रजापति 02 प्रदीप प्रजापति 03. मनोज प्रजापति 04. प्रियंका कुमारी सभी पेसरान–बासुदेव प्रजापति । 05. बढ़नी देवी पति–बासुदेव प्रजापति 06. रामचंद्र प्रसाद कुषवाहा पे०–स्व० धनी महतो 07. विष्णुधारी महतो पे०–चमारी महतो 08 मुरली प्रसाद पे०–तोखन महतो 09. सरयू साव पे०–स्व० जगन साव सभी साकिनान–बरसोत थाना –बरही,जि०–हजारी बाग ।	–
28..	बरही (पदमा)थाना काण्ड सं० 313 / 15, दि० धारा–376 भा०द०वि० एवं 06 पोक्सो एक्ट । जी०आर०–4437 / 15,	01. नितिष निराला पे०–छत्रधारी प्रसाद मेहता उर्फ छोटेलाल मेहता सा०–सुज्जी थाना–बरही , जि०–हजारीबाग ।	शादी का प्रलोभन दे कर यौन शोषण करना ।	जेल में ।	ए०डी०जे०–1	मनोज कुमार ए०पी०	01. वादिनी रंजू कुमारी पे०–राज कुमार मेहता	01. पु०अ०नि० हरेन्द्र सिंह 02. पु०अ०नि० सलाउदीन खॉ दोनो पदमा थाना ।03. डॉ० आर०एस० बंदना सदर अस्पताल हजारीबाग ।	01. राजकुमार मेहता पे०–स्व० सेवा मेहता 02. शांति देवी पति–राजकुमार मेहता 03. केदार प्रसाद पे०–स्व० तेजू मेहता ।04. बासुदेव मेहता पे०–स्व० बोधी मेहता 05. सरयू मेहता पे०–स्व० अमन मेहता । 06.	

									मनोज महेता पे0-स्व0 रेवा मेहता सभी साकिनान-ग्राम सुजी थाना-बरही(पदमा), जि0-हजारीबाग।	
29.	चलकुषा थाना काण्ड सं0-33/17, दि0-17.08.17 धारा -376(A)/313/506/ भा0द0वि0 एवं 06 पोक्सो एक्ट। जी0आर0-2388/17।	01.विकाष कुमार यादव पे0- प्रकाष यादव 02. प्रकाष याद व पे0-स्व0 बालचंद यादव 03. मालती देवी पति-प्रकाष यादव सभी सा0-बड़ानो थाना -चलकुषा जि0-हजारीबाग।		जेल में।	ए0डी0जे0-1	मनोज कुमार ए0पी0	01. श्याम सुन्दर यादव पे0-स्व0 बालकी महतो	01.पु0अ0नि0 महेन्द्र राम 02. स0अ0नि0 राकेष कुमार सिंह दोनो थाना-चलकुषा 03. डॉ0 षिवानी सदर अस्पताल हजारीबाग। 04.	01.विजय यादव पे0-हेमलाल यादव 02. गणेश यादव पे0-षोभा महतो 03. दामोदर सिंह पे0-स्व0 देना सिंह सभी साकिनान-ग्राम बड़ानो थाना-चलकुषा जि0-हजारीबाग। 04. दषरथ यादव पे0-स्व0 रघु यादव सा0-अलगडीहा थाना-चलकुषा जि0-हजारीबाग।	
30	सदर(कोर्रा) थाना कांड सं0-448/17 दिनांक 28.06.17 धारा-304/406/120(बी)/34 भा0द0वि0। जी0आर0 नं0 1693/17	01. डॉ0 राकेष कुमार पे0-शंकर प्रसाद सा0- कान्ती, थाना-चौपारण, जिला हजारीबाग एवं 02. डॉ0 कंचन कुमारी पे0 गोबिन्द महतो सा0- असीया, थाना-ईचाक, जिला हजारीबाग।	गलत इलाज के कारण महिला की मृत्यु होना।	जमानत पर	सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनील सिंह ए0पी0	वादी इन्दर राम पे0-स्व0 बबुनी राम सा0-अम्बार्टाँड, थाना-ईचाक, जिला हजारीबाग	अनु0कर्ता स0अ0नि0 मनोज कुमार आर्या सदर (कोर्रा), हजारीबाग।	वादी इन्दर राम पे0-स्व0 बबुनी राम 02. पिन्टु राम पे0-इन्दर राम 03. मनोहर कुमार राम पे0-इन्दर राम सभी सा0-अम्बार्टाँड, थाना-ईचाक, जिला हजारीबाग	
31	सदर (बड़ाबाजार) थाना कांड सं0- 80/18 दिनांक 30.01.18 धारा- 302/201	प्राथ0अभि0 01. बिनोद पाठक पे0-सुरेश चन्द्र पाठक सा0-मकान नं0- 14/334	हत्या करना।		सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनील सिंह	वादिनी कृति पे0-	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 गजेन्द्र पाठक वर्तमान पता सदर(बड़ाबाजार), जिला	गवाह 01. कृति पे0- बिनोद पाठक सा0-	

	भा0द0वि0 । जी0आर0 नं0 324 / 18	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-23 जिला जोधपुर, राजस्थान, वर्तमान पता जयप्रभा नगर, थाना-सदर(बड़ाबाजार), जिला हजारीबाग एवं अप्राथ0 अभि0 02. मंजु ठाकुर पति स्व0 विजय कुमार ठाकुर सा0- सूर्या अपार्टमेंट मोराबादी 4/9 रांची वर्तमान पता आर्या नगर, जुडिसियल फ्लैट बी ब्लॉक सी/6 थाना-कोर्ना, जिला हजारीबाग ।				ए0प ी0पी 0	बिनोद पाठक सा0- वर्तमान पता जयप्रभा नगर, थाना-स दर(बड़ाबा जार), जिला हजारीबा ग	हजारीबाग ।	वर्तमान पता जयप्रभा नगर, थाना-सदर(बड़ाबा जार), जिला हजारीबाग 02. ब्रजेश पाण्डेय, पे0-स्व0 षिव विलास पाण्डेय 03. मधु देवी पति ब्रजेश पाण्डेय दोनों सा0+थाना- पसत्तर, जिला भोजपुर, (बिहार) वर्तमान पता जयप्रभा नगर, थाना-सदर(बड़ाबा जार), जिला हजारीबाग	
32	सदर थाना कांड सं0- 364/16 दिनांक 17.04.16 धारा- 147/148/149/302 भा0द0वि0 । जी0आर0 नं0 1121/16 एस0टी0 नं0-111/18	प्राथ0अभि0 01. अप्राथ0अभि0 मो0 इकराम कबाड़ीवाला पे0- मो0 निजाम 02. मो0 अजुबा पे0-मो0 मिनहाज उर्फ साधु मिस्त्री दोनों सा0-कज्जु मोहल्ला, थाना-सदर, जिला हजारीबाग ।	हत्या करना ।		पी0डी0जे0 हजारीबाग	यु0प ी0 सिंह ए0प ी0पी 0	वादी तिलेश्वर यदव पे0-स्व0 मोहर महतो सा0- महुडर थाना-क टकमदाग , जिला हजारीबा ग ।	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 नथुनी प्रसाद यादव वर्तमान प्रभारी वि0अनु0केन्द्र, बड़ाबाजार, हजारीबाग ।	गवाह 01. उषा देवी पति शंकर लाल भव सिन्हासा0- ग्वालटोली चौक, थाना-सदर(बड़ाबा जार), जिला हजारीबाग, 02. मानव भव सिन्हा पे0-अकुर लाल भव सिन्हा, सा0- ग्वालटोली चौक, थाना-सदर(बड़ाबा जार), जिला हजारीबाग, 03. सोनु कुमार यादव पे0- स्व0 राजू गोप	

									सा0-बड़ाबाजार, ग्वालटोली, जिला हजारीबाग, 04. पवन यादव पे0-सा0 मोहन यादव सा0- बड़म बाजार ग्वालटोली थाना-सदर, हजारीबाग, 05. डॉक्टर मनितोष कुमार सदर अस्पताल, हजारीबाग।	
33	सदर थाना कांड सं0-529/17 दिनांक 17.07.17 धारा-392 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0 2054/17 एस0टी0-47/18	अप्राथ0अभि0 01. इमरान खान पे0-एकराम खान 02. गुलाम मुस्तफा उर्फ साहेब पे0- स्व0 मो0 अयुब 03. मो0 इबरार उर्फ मुनना पे0- मो0 जमाल तीनों सा0- बड़ाबाजार, सरदार रोड जैन मंदिर गली, 04. मो0 साहेब आलम उर्फ सागर पे0-मो0 मुख्तर सा0- जेक एण्ड जील स्कूल के पास, थाना-सदर, जिला हजारीबाग 05. बल्लु (गुलाब मुस्तफा उर्फ साहेब के मामा) 06. मिस्टर पे0 स्व0 मो0 अयुब (गुलाम मुस्तफा साहेब का भाई) 07. दुलार 08. कल्ला	पैसे से भरा बैंग लूट कर भागना।		ए0डी0जे0-13	सरो ज लकड़ा ए0पी0	प्रवल जैन पे0- प्रताप जैन सा0-धोबी गली, बड़ाबाजार, थाना-सदर(बड़ाबाजार, हजारीबाग	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 मुकेश कुमार	ग्वाह 01. प्रताप जैन पे0-स्व0 कन्हाईया जैन सा0-धोबी गली, बड़ाबाजार, थाना-सदर(बड़ाबाजार, हजारीबाग 02. देवेन्द्र कुमार जैन पे0- कमल कुमार जैन सा0-बड़ाबाजार सुभाष मार्ग, थाना-सदर(बड़ाबाजार), जिला हजारीबाग	
34	सदर थाना कांड सं0-586/17 दिनांक 06.08.17 धारा- 302 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0 2256/17 एस0टी0-88/18	प्राथ0अभि0 01.राहुल कुमार सिन्हा पे0- जीतु सिन्हा सा0- जयप्रकाश मार्ग थाना-सदर, जिला हजारीबाग।	भुजाली से हमला का हत्या करना।		ए0डी0जे0-12	अंग्रेज राम ए0पी0	वादी प्रकाश राम पे0- सोहर राम सा0- हरिनगर, लेपो रोड,	अनु0कर्ता पु0अ0नि0 मुकेश कुमार	ग्वाह 01. कोलेष्वर यादव उर्फ कुलदीप पे0- स्व0 धनु यादव सा0- जयप्रकाश मार्ग 02. मुकेश कुमार पे0-सोहर राम सा0-	

							थाना—सदर, जिला हजारीबाग।	रविनगर, 03. सोनु कुमार पे— चन्दु राम सा0— रवि नगर, 04. कारू सोनी पे0— केदार सोनी सा0—कुम्हारटोली, 05. नीरज कुमार पे0— स्व0 बिनोद कुमार सिंह सा0— ग्वालटोली चौक सभी थाना—सदर, हजारीबाग।	
35	सदर(बड़ाबाजार) थाना कांड सं0—371/16 दिनांक धारा—4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 जी0आर0 नं0 1117/16	प्राथमिक 01. मो0 हेदर पे0— मो0 इदु, 02. मो0 मुमताज पे0— मो0 मनीर, 03. दानिष पे0— मो0 मिनहाज, 04. मो0 छोटु 05. मो0 कौषर पे0— मो0 सरीफ सा— हबीबी नगर, थाना—सदर(बड़ाबाजार), हजारीबाग।	विस्फोट पदार्थ को घर में छुपाकर रखना।		सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनील सिंह ए0पी0	वादी पु0नि0 जीतेन्द्र सिंह थाना प्रभारी, सदर, जिला हजारीबाग।	अनुकर्ता पु0अ0नि0 जय कुमार शर्मा गवाह 01. पु0अ0नि0 सुदामा कुमार दास 02. हव0 परिखा राम, 03. आ/732 संजय एक्का, 04. आ/1111 निलेश कुमार सिंह 05. आ/1143 नरेश मंडल सदर थाना, हजारीबाग।	
36	केरेडारी थाना कांड सं0—57/17दि0—24.10.17 धारा—384/386 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0एक्ट। जी0आर0 नं0 3098/17	जुगेश्वर महतो पिता—बिगन महतो 2. बब्लु कुमार महतो पिता—जगेश्वर महतो दोनो सा0—बहेरवातरी, सलगा थाना—केरेडारी, जिला—हजारीबाग।	लेवी बसुलने व रंगादरी मॉगने के दौरान अवैध हथियार गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े	जेल में	एन0आर0 लकड़ा जे0एम0—1	मार कुश कुजु र ए0पी0	वादी—पु0 अ0नि0 अवधेश कु0 सिंह, थाना प्रभारी, केरेडारी।	पु0अ0नि0 अवधेश कु0 सिंह, थाना प्रभारी, केरेडारी पु0अ0नि0 अशोक कुमार हवलदार—मिथिलेश सिंह पु0—997 देवकुमार सिंह पु0—608 अशोक दिगवार पु0—134 मधैया लकड़ा पु0—252 रंजीत कुमार पु0—1183 अशोक यादव पु0—1176 रामबिलास प्र0सभी केरेडारी थाना, जिला— हजारीबाग। अ0नि0 आर0 एन0पाठक (ए) कम्पनी, —22	

			जाना ।					बटालियन,सी0 आर0पी0 एफ0	
37	टाटीझरिया थाना कांड सं0-22/17 दिनांक-20.07.17 धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट जी0आर नं0 2095/17	1. बालेष्वर महतो पिता-स्व0 महादेव महतो ग्राम-कोल्हू थाना- टाटीझरिया जिला-हजारीबाग	इस काण्ड के अभियुक्त को अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है।	जमानत पर	एस0डी0जे0 एम0 हजारीबाग	बबी ता कुमारी ए0पी0	वादी-पु0 अ0नि0 अषोक कुमार, थाना प्रभारी, टाटीझरिया	अनु0कर्ता-स0अ0नि0 तिलकधारी गुप्ता, स0अ0नि0 शम्भुनाथ राय, हवलदार सरफुदीन अंसारी, आ0/429-पिन्दु कुमार राम, आ0/473- अरुण तुरी सभी प्रतिनियुक्त/पदस्थापित टाटीझरिया थाना जिला-हजारीबाग, आ0/37- धनंजय कुमार सिंह एवं आ0/125- राजदीप कुमार दोनों प्रतिनियुक्त टाटीझरिया थाना जिला- हजारीबाग	
38	कटकमसांडी थाना कांड संख्या-186/ 16, दिनांक-02.12.16 धारा-302 भा0द0वि0 जी0आर नं0 3315/16	उमेष भईया पे0-स्व0 बाबुलाल राम सा0-तेतरिया गढ़ा थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग	इस काण्ड के अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की निर्मम हत्या की गयी है।	जेल में	ए0डी0जे0 -3 हजारीबाग	अजय मंडल ए0पी0	वादिनी-सोनी देवी पति-किरण भुईयां ग्राम-तेतरियागढ़ा थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग	अनु0कर्ता-पु0अ0नि0 कामेश्वर कुमार, थाना प्रभारी, कटकमसांडी	1. किरण भुईया पे0-स्व0 बाबुलाल राम सा0-तेतरिया गढ़ा थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग, 2. शकुनवा देवी पति-बिरसा राम सा0-तेतरिया गढ़ा थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग, 3. बिरसा राम पे0-स्व0 बाबुलाल राम सा0-तेतरिया गढ़ा थाना-कटकमसांडी

									<p>जिला- हजारीबाग, 4. मीना देवी पति-महेन्द्र राम सा0- तेतरिया गढ़ा थाना- कटकमसांडी जिला- हजारीबाग, 5. कारु राम पे0-स्व देवकी राम सा0- बसंतपुर (कटकमसांडी) थाना- कटकमसांडी जिला- हजारीबाग, 6. रंजीत भुईया पे0-महेन्द्र भुईया सा0-तेतरिया गढ़ा थाना - कटकमसांडी जिला- हजारीबाग</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

39	<p>कटकमसांडी थाना काण्ड सं०-12/17 दि०-19.01.17 धारा-25(1-बी०)ए/26 आर्म्स एक्ट</p> <p>जी०आर नं० 211/17</p>	<p>अशोक कुमार मेहता पिता-दुखहरण महतो ग्राम-गोसी थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग</p>	<p>इस काण्ड के अभियुक्त द्वारा फर्जी सीमकार्ड खरीदकर हजारीबाग जिला के पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, पेलावल अंचल एवं स०अ०नि० रामपरीक्षा राय के पास फोन कर धमकी दिया जा रहा था, जिसका सत्यापन करने</p>	<p>दिनांक 05.15.17 से बेल पर।</p>	<p>एन०आर० लकड़ा जे०एम०-1</p>	<p>मार कुश कुजुर ए०पी०</p>	<p>वादी-पु० अ०नि० कामेश्वर कुमार, थाना प्रभारी, कटकमसांडी जिला-हजारीबाग</p>	<p>अनु०कर्ता-स०अ०नि० उपेन्द्रनाथ मिश्रा, साक्षी :- पुलिस निरीक्षक खुर्षिद आलम, स०अ०नि० समसुद्दीन खान, जैप-02 के हव०-विष्वनाथ साहा, हव०-ज्ञानप्रकाश मिंज, हव०-मुरलीधर भोक्ता, आ०/आषीष झा</p>	<p>1. जप्ती सूची के साक्षी :- विनय प्रसाद मेहता पिता-दुखहरण महतो, 2. संतोष कुमार पिता-विनय प्रसाद दोनों ग्राम-गोसी थाना-कटकमसांडी जिला-हजारीबाग</p>	
----	---	--	---	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	---	---	---	--

			के उपरांत घर पर छापामारी किया गया तो अभियुक्त अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया।							
40	चरही थाना काण्ड संख्या 58/17 दिनांक 22.07.17 धारा 302/34 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0 709/16 जी0आर नं0 2102/17	1.कैलाश राम पे0 चौधरी राम 2.कैलाश रा की नयी पत्नी दानों सा0 श्याम पट्टी थाना चरही जिला हजारीबाग।	गला दबा कर हत्या करना।	जेल में	ए0डी0जे0-12	अंग्रेज राम ए0पी0पी0	महाबीर राम पे0 गोबर्धन राम सा0 नापो खुर्द थाना बडकागांव जिला हजारीबाग।		1. शांति देवी पति गोपाल रविदास सा0 श्यामचट्टी थाना चरही जिला हजारीबाग 2. गोपाल रविदास पे0 कालदेव रविदास सा0 श्यामचट्टी थाना चरही जिला हजारीबाग 3. कालो देवी पति हुसन रविदास	
41	मुफसिल थाना काण्ड सं0 242/17 दि0 18.10.17 धारा 392/412 भा0द0वि0 जी0आर नं0 3061/17	मो0 इमरान पे0 मजहर 2. बूलंद पे0 जैशल अंसारी दोनों सा0 लाखे 3. विकेक कुमार पे0 रवि राणा सा0 नुतन नगर तीनों थाना मुफसिल जिला हजारीबाग	जूता दकान से लूट करना	22.10.17 से न्यायिक हिरासत में	सी0जी0एम0 हजारीबाग	सुनील सिंह ए0पी0पी0	लखन पाण्डेय पे0 दशरथ पाण्डेयड सा0 पाण्डेयडी ह थाना	पु0अ0नि0 सुमन कुमार	1. लियाकत अली पे0 समसुद्दीन सा0 खेकडा थाना खेकडा जिला बागवत(उत्तर प्रदेश) वर्तमान लाखे मजार के पास 2. प्रकाश	

							जसीडीह जिला देवघर		यादव पे0 बालेश्वर यादव सा0 लाखे मजार 3. मो0 नैयर पे0 मो0 सलीम सा0 लाखे 4. मो0 वकील पे0 स्व0 मो0 उमर सा0 लाखे 5. मो0 फिरोज पे0 मो0 रज्जाक सा0 लाखे 6. मो0 असरफ पे0 मो0 सहादत सा0 लाखे 7. मो0 समी पे0 मो0 इजहार सा0 लाखे सभी थाना मुफसिल जिला हजारीबाग।	
42	मुफसिल थाना काण्ड सं0 196/17 दि0 2.09.17 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 6 पोक्सो एक्ट जी0आर नं0 2534/17	संजय कुमार पे0 जगदीश महतो सा0 बैहरी थाना मुफसिल जिला हजारीबाग	बच्ची के साथ बलात्का र करना	जेल में	ए0डी0जे0 -1 हजारीबाग	मनो ज कुमा र ए0प ी0पी 0	रिंकु देवी पति प्रदीप राणा सा0 बैहरी पो0 ओरिया थाना मुफसिल जिला हजारीबा ग	अनु0 पु0अ0नि0 सुमन कुमार चिकित्सक स्नेह लता सदर अस्पताल	1. तुलेश्वर राणा पे0 गणेश राणा सा0 खैरा करमा 2.सुरेन्द्र राणा पे0 गणेश राणा सा0 खैरा करमा दोनों थाना इचाक 3. बबीता देवी पति दामोदर राणा सा0 बैहरी 4. अशोक राणा पे0 करम राणा दोनो सा0 बैहरी दोनों थाना मुफसिल सभी जिला हजारीबाग।	
43	विष्णुगढ़ थाना काण्ड सं0 15/17 दि0 01.02.17 धारा 25(1-बी0)ए0/26/17/35 शस्त्र अधि0	सुभान अंसारी पे0 हबीब अंसारी सा0 नवादा थाना विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग।	अवैध हथियार के साथ पुलिस	बेल में	के0जे0 टोप्पो जे0एम0-1	मार कुश कुजु र	स0अ0नि 0 नागेन्द्र सिंह विष्णुगढ़	1.स0अ0नि0 नागेन्द्र सिंह 2. स0अ0नि0 रामनिवास सिंह 3. आ0 700 रामाकान्त राय 4. आ0		

	जी0आर नं0 300 / 17		द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाना			ए0पी0पी0	1631 महेन्द्र कुमार यादव 5. आ0 1622 दिनेश साव 6. हव0 अशोक राम 7. आ0 सुधीर कुमार सिंह		
44.	ईचाक थाना कांड सं0 46 / 17, दि0 15.03.17, धारा 25 (1-बी) ए / 26 एक्ट । जी0आर0नं0 771 / 17	1. जयनारायण प्रसाद मेहता पे0 स्व0 कमल महतो, सा0 पुफुनददी, थाना ईचाक, जिला हजारीबाग	घर से देशी लोडेड पिस्तौल एवं गोली बरामद होना ।	बेल में		पु0अ0नि0 सुरेश राम, थाना ईचाक	1. स0अ0नि0 गोपाल प्र0, ईचाक थाना 2. आ0 / 186 महेश प्रसाद 3. आ0 / 1173 4. आ0 / 1739 विनोद कुमार शर्मा, सभी हजारीबाग जिला बल वर्तमान प्रतिनियुक्त ईचाक थाना 5. चौ0 4 / 1 बसंत राम, महाल फुफन्दी, थाना ईचाक, 6. अनु0कर्ता शिवनाथ प्र0, ईचाक थाना	1. राजु प्र0 पे0 शिवलाल महतो, सा0 फुफन्दी, थाना ईचाक हजारीबाग 2. राजेश कु0 पे0 सुरेश प्र0 यादव, सा0 फुफन्दी, थाना ईचाक, हजारीबाग	
45.	ईचाक थाना कांड सं0 36 / 16, दि0 01.03.16, धारा 341 / 323 / 325 / 307 / 34 भा0द0वि0 3 (i) (x) 3 (i) (xvi) एस0टी0 / एस0सी0 एक्ट ।	1. अनुज सिंह पे0 जगेश्वर सिंह 2. रंजीत सिंह पे0 जगेश्वर सिंह 3. अरुण सिंह, दोनो पे0 जगेश्वर सिंह 4. भीम सिंह पे0 स्व0 बद्री सिंह, सभी सा0 तिलरा, थाना ईचाक, जिला हजारीबाग	सबरी जुलुस के बीच रास्ता में रोक देने तथा चमार भुईया अछुत जाति कहकर मार कर जख्मी करना ।	जेल में		वादी पवन कु0 पे0 सहदेव राम, सा0 तिलरा, थाना ईचाक, जिला हजारीबाग	1. अनु0कर्ता स0अ0नि0 सुरेन्द्र प्र0 सिंह 2. स0अ0नि0 खिस्तोपाल मुण्डू, दोनो ईचाक थाना, जिला हजारीबाग ।	1. रमेश राम पे0 स्व0 मानकी राम 2. राजेन्द्र राम पे0 मदन राम 3. भीम राम पे0 नरेश राम, तीनों सा0 तिलरा, थाना ईचाक, जिला हजारीबाग ।	
46.	विष्णुगढ़ थाना कांड सं0 186 / 17, दि0 04.11.17, धारा 376 (2) (i) / 376 (2) (j) / 307 भा0द0वि0 एवं 04	लालु उर्फ रामवृक्ष प्रजापति पे0 कुंजलाल प्रजापति, सा0 नरकी, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग ।	नावालि क के साथ बहला-	जेल में		वादी धनश्याम महतो पे0 स्व0 सेवा	1. अनु0कर्ता स0अ0नि0 रामनिवास सिंह, थाना विष्णुगढ़ ।	1. नारायण महतो पे0 देवकी महतो, सा0 नरकी, थाना विष्णुगढ़ जिला	

	पोक्सो अधि० जी०आर०-3181/17		फुसला कर दुष्कर्म करना ।				महतो, सा० नारकी, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग ।	हजारीबाग 2 किरण भारती पे० स्व० बासुदेव नारयण महतो, सा० नरकी 3. जीवाधन महतो पे० स्व० कन्हाई महतो, सा० नरकी कला, दोनो थाना विष्णुगढ़ 4. विजय रवानी पे० स्व० जगदीश रवानी, सा० नरकी, थाना विष्णुगढ़, जिला हजारीबाग ।	
47.	चरही थाना कांड सं० 66/17, दि० 24.08.17, धारा 25 (1-बी)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी० एल०ए० एक्ट । जी०आर०-2471/17	1.राहुल गंझु उर्फ सोरेन जी पे० प्रसाद गंझु, सा०कोची, थाना लावालौग, 2. नितेश गंझु उर्फ संतोष गंझु पे० दशरथ गंझु, सा० टिटहीटाड़, थाना कुनदा, 3. प्रकाश गंझु पे० छुपाली गंझु, सा० पोमी, थाना लावालौग, सभी जिला चतरा ।	पोस्टर लगाने, लेवी लेने हेतु हथियार के साथ दहशत फैलाना ।	जेल में			पु०अ०नि० विजय केरकट्टा, थाना प्रभारी चरही थाना ।	1.हव० अवधेश कु० राय 2. आ०/58 योगेन्द्र राय 3. आ० 1241 नुनुलाल चौडे 4. चालक आ०/ 1328 अनिश कुमार 5. आ०/1090 चन्द्रभुषण प्रसाद 6. आ०/1121 अक्षय कु० सिंह, सभी प्रतिनियुक्त चरही थाना, हजारीबाग 7. अनु०कर्ता स०अ०नि० अनिल कुमार सिंह, जिला हजारीबाग ।	
48.	सदर (कोर्रा) थाना कांड सं० 489/17, दि० 08.07.17, धारा 364/34 भा०द०वि० जी०आर०नं० 1930/17	1.प्रमोद यादव 2. विनोद यादव, दोनो पे० केदार यादव 3. पप्पु यादव पे० त्रिभुवन यादव 4. केदार यादव पे० स्व० कैला यादव, सभी सा० सिंदुर, थाना सदर (कोर्रा) जिला हजारीबाग 5. श्रवण यादव पे० शंभु यादव, सा० साहपुर, कटकमसांडी, जिला हजारीबाग 6. विरेन्द्र यादव पे० चुरामन	अपहरण करना ।	जमानत पर ।			वादी बैद्यनाथ यादव पे० उदय नारायण यादव, सा० मेरावल, सिंदुर, थाना	अनु०कर्ता पु०अ०नि० रामाशंकर मिश्रा, सदर (कोर्रा) हजारीबाग ।	1.विशेश्वर गोप पे० स्व० महादेव गोप उर्फ लोकी गोप 2. मनोज यादव 3. बैद्यनाथ यादव, दोनो पे० उदय नारायण यादव, दोनो सा० सिंदुर, मोरावल, थाना सदर (कोर्रा)

		यादव, सा0 चौरिया, थाना ईटखोरी, थाना चतरा ।				सदर (कोरी) हजारीबाग ।		हजारीबाग ।	
49	सदर थाना कांड सं0 68/17, दि0 19.01.17, धारा 25 (1)ए/25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट । जी0आर0नं0- 195/17	1.मो0 अफताव खान पे0 मो0 शमीम, सा0 गोसनगर, थाना सदर, जिला हजारीबाग 2. अप्राथमिकी अभियुक्त मो0 समीम उर्फ बाबु पे0 नईयुम खॉ, सा0 गोसनगर, (समसुन मियाँ पे0 स्व0 हाजी मो0 कमरुद्दीन के मकान का किरायेदार, थाना सदर, जिला हजारीबाग ।		जमानत पर ।		पु0अ0नि0 मंजित कुमार, सदर थाना हजारीबाग	1.पु0अ0नि0 अवधेश सिंह, सदर थाना 2. आ0/1151 निलेश कुमार सिंह 3. आ0/1145 नरेश मंडल 4. आ0/03 मो0 इजराईल अंसारी 5. आ0/1357 चर्तुगुण राणा 6. आ0/1356 जनसल हॉसदा, 7. आ0/82 सित कुमार नायक 8. अनु0कर्ता स0अ0नि0 उपेन्द्र सिंह, सभी सदर थाना हजारीबाग ।	1.रितिक कुमार पे0 भेला साव, सा0 बाडमम बाजार, थाना सदर 2. बाबु सोनी पे0 स्व0 केदार सोनी, सा0 नालापार, थाना सदर 3. गुलाब हुसैन पे0 जफर खान, सा0 कुरैशी मोहल्ला, मजार सरीफ, थाना सदर, जिला हजारीबाग ।	
50.	सदर (लोहसिंधना) थाना कांड सं0 586/16, दि0 06.07.16, धारा 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट । जी0आर0नं0-1907/16	1.रशीद कुरैसी पे0 मो0 युनुस कुरेशी, सा0 लक्ष्मी सिनेमा हाल के साथ, थाना सदर, जिला हजारीबाग 2. मृत्युजय कुमार पे0 ध्रुव कुमार राम, सा0 बनतरा, थाना खड़गपुर, जिला मुंगेर ।	हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना ।	जमानत पर ।		वादी पु0अ0नि0 रमेश कुमार सिंह, सदर लोहसिंधना, थाना ।	1.हव0 छविलाल ठाकुर 2. चालक आ0/147 सुरेश रजक 3. आ0/1060 सुबोध कुमार 4. म0आ0/834 संगीता कुमारी 5. म0आ0/827 अहिल्या कुमारी 6. गू0र0/11147 अखिलेश कुमार सिंह 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 राम प्रवेश पासवान, सदर लोहसिंधना, थाना हजारीबाग ।	1.विजय प्रसाद पे0 स्व0 गजु महतो 2 समसाद आलम पे0 अब्दुल अजीज, दोनो सा0 नुरा, थाना लोहसिंधना सदर, जिला हजारीबाग ।	
51.	सदर (लोहसिंधना) थाना कांड सं0 524/16, दि0 11.06.16, धारा 376 भा0द0वि0 एवं 4 पोस्को एक्ट । जी0आर0नं0-1653/16	1प्रकाश कुमार पे0 स्व0 गनदौरी राम, सा0 चुरचु, थाना सदर, जिला हजारीबाग	नावालि क लडकी के साथ बलात्कार	जमानत पर ।		वादी श्वेता कुमारी पे0 अमित कुमार यादव,	1.पु0अ0नि0 सुमन कुमार, सदर लोहसिंधना थाना 2. पु0अ0नि0 रमेश कुमार सिंह लोहसिंधना थाना हजारीबाग ।	1.अमित कुमार यादव पे0 छेदी यादव 2. सुनीता देवी पति अमित कु0 यादव, 3. छेदी यादव पे0	

			करना ।				सा0 मंडई कला, थाना सदर, जिला हजरीबाग		स्व0 भतु गोप 4. अमजद अंसारी पे0 सुलेमान अंसारी 5. लीलो यादव पे0 स्व0 डगर गोप, सभी सा0 मंडई कला, थाना सदर, जिला हजारीबाग ।	
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	---	--

जमषेदपुर जिलान्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 104 कांडों की सूची :-

क्र०सं०	कांड सं० / तिथि / धारा / GR/ST No	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार / बेल	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह / अनुसंधानकर्ता / चिकित्सक / विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो०सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	साकची थाना कांड सं०- 136 / 17, दि०-06.08.17, धारा-307 / 324 / 326 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। जी०आर०-2171 / 17 एस.टी. 157 / 18 न्यायालय - ए.डी.जे.-05 ए.पी.पी.- आर०के०षर्मा 9431348073	राहुल राय, पे०-वर्मा राय, पता-हयूम पार्स रोड, छायानगर, अंडा गोदाम के पास, थाना-जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।	जान मारने के नियत से पिस्तौल से मारकर जख्मी करना।	जमानत न्यायालय में कांड की अद्यतन स्थिति- विचारण की तिथि- 22.05.18	लखीकांत महापात्रो, पे०-स्व० रतन महापात्रो, पता-चन्द्र आवास 4 / 2, स्लैग रोड नीति बाग कॉलोनी, भुंइयाडीह, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।	अनुकर्ता०-पु०अ०नि० दिवाकर दूबे।	1. वादी- लखीकांत महापात्रो, पे०-स्व० रतन महापात्रो, पता-चन्द्र आवास 4 / 2, स्लैग रोड नीति बाग कॉलोनी, भुंइयाडीह, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर। 2. संजीत पाठक, पे०-स्व० सच्चिदानंद पाठक, सा०-बिहटा, थाना-तड़ारी, जिला-भोजपुर (बिहार) वर्तमान भुंइयाडीह ग्वाला बस्ती, राजेश्वर सिंह के मकान में किरायेदार, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर। 3. शक्ति प्रमाणिक, पे०-हारू प्रमाणिक, सा०-चाहुहासा, थाना-उरमा, जिला-पुरुलिया वर्तमान पता-लखी एग रोल का दुकान, साकची, जमषेदपुर। 4. सुमन महतो, पे०-लखन महतो, सा०-केसिया, थाना-केंदा, जिला-पुरुलिया, वर्तमान पता-बसंत टॉकिज, साकची स्थित एग रोल दुकान, साकची, जमषेदपुर। 5. राकेष्वरी महापात्रा, पति-लखी कांत महापात्रा, सा०-चन्द्र आवास सी 122, स्लैग रोड, नीतिबाग कॉलोनी, भुंइयाडीह, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।	

2.	<p>साकची थाना कांड सं०-137 / 17, दि०-06.08.17, धारा-25(1-बी)26 आर्म्स एक्ट ।</p> <p>जी०आर०-2172 / 17</p> <p>कोर्ट-सी०जी०एम०, ए०पी०पी०-भोला दास</p>	<p>राहुल राय, पे०-वर्मा राय, पता-ह्यूम पार्स रोड, छायानगर, अंडा गोदाम के पास, थाना-जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर ।</p>	<p>अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना ।</p>	<p>जेल</p>	<p>मदन कुमार शर्मा, पु०नि० सह थाना प्रभारी, साकची</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुकर्ता-पु०अ०नि० दिवाकर दूबे । 2. वादी-मदन कुमार शर्मा, पु०नि० सह थाना प्रभारी, साकची । 3. आ० / 665 रमेश कुमार रवि, 4. चा०गृ०र० / 3811 प्रमोद कुमार, 5. स०अ०नि० रुद्रधर मिश्रा, 6. हव० अजय तिर्की, 7. हव० मणि भगत, 8. आ० / 500 बरसन हेम्ब्रम सभी थाना-साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर । 	<p>---</p>	
3.	<p>साकची थाना कांड सं०-198 / 15, दि०-13.11.15, धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट ।</p> <p>जी०आर०-3734 / 15</p> <p>कोर्ट-सी०जे०एम</p> <p>ए०पी०पी० - भोला दास 94315591165</p>	<p>सोनु कुमार मिश्रा, पे०-वैद्यनाथ मिश्रा, पता-छपरहिया मुहल्ला, जुगसलाई, थाना-जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर ।</p>	<p>अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना ।</p>	<p>सभी जमानत</p>	<p>पु०अ०नि० सिद्धेश्वर सिंह, साकची थाना ।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अनुकर्ता-पु०अ०नि० शिवबिहारी तिवारी, साकची थाना । 2. वादी-पु०अ०नि० सिद्धेश्वर सिंह, 3. आ० / 1798 रंजन कुमार, 4. आ० / 1760 कानगोय मुर्मु दोनों थाना-साकची, 5. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जमषेदपुर सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर । 	<ol style="list-style-type: none"> 1. लाल मोहर ठाकुर, पे०-मुखदेव ठाकुर, सा०-सिमरियाडीह, थाना-राजपुर, जिला-रोहतास (बिहार) वर्तमान पता-मानगो पुल के पास, पुरुलिया रोडस, थाना-मानगो, 2. मुकेश कुमार, पे०-विजय प्रसाद, सा०-भुईयाडीह, रोड नं०-04, थाना-सीतारामडेरा, सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर । 	

4.	<p>साकची थाना कांड सं०-199 / 15, दि०-14.11.15, धारा-307 / 387 / 34 भा०द०वि०</p> <p>जी०आर०-3741 / 15</p> <p>एस.टी. नं०-118 / 16</p> <p>कोर्ट-ए.डी.जे.-4</p> <p>ए०पी०पी०-आर० एन०तिवारी</p>	<p>अप्राथमिकी अभि० कुन्दन सिंह, पे०-नागेन्द्र प्रसाद सा०-साकची विरूपा रोड एल०-02 / 29, थाना-साकची जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p> <p>2. बिटटू उर्फ मनीष कुमार भट्ट पे०-रामाषंकर राय, सा०-ट्रांसपोर्ट कॉलोनी, रोड-24 हो०नं०-305 / 02 / 1 थाना-आर०आई०टी० सरायकेला खरसवॉ</p> <p>3. चन्द्रभूषण राय उर्फ चन्द्र भूषण पे०-रविकांत राय सा०-आदित्यपुर नियर टोल ब्रिज के पास रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे थाना-आदित्यपुर दोनो जिला-सरायकेला खरसवॉ</p> <p>4. पकज कुमार सिंह पे०-संजय सिंह सा०-तेन्दुआ,थाना-करमचक ,जिला-भभुआ कैमुर बिहार।</p>	<p>वादी मनीष कुमार पे०-श्री गौरी शंकर साहु के लिखित आवेदन के आधार पर लाल रंग के अपाची गाडी एवं गाडी सं०-जे०एच०-05ए०एन०-3785 ग्लैमर ब्लू रंग दोनो मोटरसाईकिल से आये चार आज्ञात युवक के विरुद्ध जान मारने एवं रंगदारी मॉगने की नियत से गोली चलाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	जेल से बाहर	<p>वादी मनीष कुमार पे०-श्री गौरी शंकर साहु सा०-जलवन थाना-मकदमपुर जिला-औरंगाबाद वर्तमान-ब्लॉक नं०-03, शास्त्रीनगर थाना-कदमा जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>1.अनु०कर्ता० पु०अ०नि० राजेश रंजन वर्तमान में गोबिन्दपुर थाना प्रभारी मो०नं०-9431706511</p>	<p>1.योगेन्द्र सिंह, 2.राहुल कुमार, 3.चंदन यादव, 4.शुभम पाण्डेय 5.समीर राय 6.मो० नासिर खान 7.मो० अख्तर खॉ</p>	
5.	<p>साकची थाना कांड सं०-201 / 15, दि०-15.11.15, धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट।</p> <p>जी०आर०-376 / 15</p> <p>कोर्ट-सी०जे०एम०</p> <p>ए०पी०पी०-भोला दास</p>	<p>प्राथ०अभियुक्त कुन्दन सिंह पे०-नागेन्द्र सिंह सा०-साकची विरूपा रोड एल०-02 / 29, थाना-साकची जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p> <p>2.बिटटू उर्फ मनीष कुमार भट्ट पे०-रामाषंकर राय, सा०-ट्रांसपोर्ट कॉलोनी, रोड-24 हो०नं०-305 / 02 / 1 थाना-आर०आई०टी० सरायकेला खरसवॉ</p> <p>3. चन्द्रभूषण राय उर्फ चन्द्र भूषण पे०-रविकांत राय सा०-आदित्यपुर नियर टोल ब्रिज के पास रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे थाना-आदित्यपुर दोनो जिला-सरायकेला खरसवॉ</p> <p>4. पकज कुमार सिंह पे०-संजय सिंह सा०-तेन्दुआ,थाना-करमचक, जिला-भभुआ कैमुर बिहार।</p>	<p>वादी पु०नि०अंजनी कुमार तिवारी, तत्कालिन थाना प्रभारी, साकची के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद चार अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध देशी पिस्टल एवं कारतूस के साथ रंगेहाथ पकडे जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	जेल से बाहर	<p>वादी पु०नि०अंजनी कुमार तिवारी, तत्कालिन थाना प्रभारी, साकची जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>1.पु०नि०अंजनी तिवारी ,तत्कालिन थाना प्रभारी साकची</p> <p>2.अनु०कर्ता० पु०अ०नि० राजेश रंजन वर्तमान में गोबिन्दपुर थाना प्रभारी मो०नं०-9431706511</p> <p>3.पु०अ०नि० शिव बिहारी तिवारी</p> <p>4.पचिारी प्रवर राजीव कुमार</p> <p>5.पु०अ०नि० दिवाकर दुबे</p> <p>6.आ० / 1761 संतोष लाल टुडू</p> <p>7.आ० / 789 रमेष राम</p> <p>8.आ० / 1760 कानगोय मूर्मु</p>		

6.	<p>बिरसानगर थाना कांड सं०-66 / 16, दि०-16.05.16, धारा-394 भा०द०वि०।</p> <p>G.R. No.- 1381/16 न्यायालय-प्रज्ञा वाजयपेयी, प्रथम श्रेणी, न्या० दंडा० ए०पी०पी० का नाम-सुधीर टोप्पो, 9939925220</p>	<ol style="list-style-type: none"> दीपक सिंह, पे०-स्व० काले सिंह उर्फ काके सिंह, सर्वजीत सिंह उर्फ सूरज, अवतार सिंह उर्फ तावड़े, पे०-स्व० धारे सिंह तीनों पता-नानकनगर, खालसा बस्ती, टीनप्लेट, थाना-गोलमुरी, नौषादी, पे०-स्व० अब्दुल गफ्फार, पता-हो०नं०-03, मस्जिद रोड, गोलमुरी, थाना-गोलमुरी, सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर। 	<p>मारपीट कर सोने-चांदी के बैग छिनकर फरार हो जाना।</p>	<p>सभी जमानत</p>	<p>मिथुन मान, पे०-स्व० मानीक मान, सा०-आसनसोल, रानीगंज, तारबंगला, जिला-बर्द्धमान (पश्चिम बंगाल)</p>	<ol style="list-style-type: none"> अनुकर्ता०-पु०अ०नि० सुफल स्वांसी, बिरसानगर थाना, डॉ लक्ष्मण हांसदा, एम०जी०एम० अस्पताल, जमषेदपुर। 	<ol style="list-style-type: none"> षिवराय, पे०-स्व० नीलमोहन गोरार्ई, सा०-जोन नं०-3, 'डी' ब्लॉक, थाना-बिरसानगर, श्याम सुंदर संतरा, उम्र करीब 44 वर्ष, पे०-नीलकंड संतरा, सा०-जोन नं०-3, 'बी' ब्लॉक, थाना-बिरसानगर, बादल मोदक, उम्र करीब 35 वर्ष, पे०-स्व० विष्णानाथ मोदक, पता-म०सं०-136, जोन नं०-3 'डी' ब्लॉक, बिरसानगर, थाना-बिरसानगर, सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर। 	
7.	<p>बिरसानगर थाना कांड सं०-21 / 17, दि०-29.03.17, धारा-419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120बी० भा०द०वि०। जी०आर०-882 / 17</p> <p>न्या०-प्रज्ञा वाजपेयी न्या०दण्डा०-प्रथम श्रेणी।</p> <p>ए०पी०पी०-सुधीर टोप्पो मो०-9939925220</p>	<ol style="list-style-type: none"> अखिलेश सिंह, पे०-चन्द्र गुप्त सिंह, गरिमा सिंह, पति-अखिलेश सिंह पता-म०सं०-01, रोड नं०-28, सिदगोड़ा, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर। 	<p>कुट रचना कर षड्चयंत्र कर अमानत में ख्यानत करना</p>	<ol style="list-style-type: none"> जेल जमानत 	<p>वादी -श्री अनिमेष नैथानी, पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<ol style="list-style-type: none"> अनुकर्ता०-श्री रामेश्वर उरांव, पु०नि० सह थाना प्रभारी, परम प्यारे लाल खलखो, पु०नि० अरविन्द कुमार, पु०अ०नि० उपेन्द्र नारायण सिंह, श्री निरज सहाय, अंगलांग ब्युरो, सी०आई०डी० विभाग, झारखण्ड, रॉंची, स०अ०नि० अषोक कुमार, बिरसानगर थाना, स०अ०नि० अजय शंकर सिंह, बिरसानगर, श्री राजेश रंजन, पु०अ०नि० थाना प्रभारी, गोविन्दपुर, पु०अ०नि० सुफल स्वांसी, बिरसानगर थाना, शाखा प्रबंधक, कोटक महिन्द्र बैंक बिष्टपुर, शाखा प्रबंधक, 		

						<p>एच0डी0एफ0सी0 बैंक, बिष्टुपुर, 12. शाखा प्रबंधक बैंक ओरेन्टल बैंक, साकची, 13. शाखा प्रबंधक, एस0बी0आई0, साकची, 14. शाखा प्रबंधक बैंक एक्सीस बैंक, बिष्टुपुर,</p>	
8.	<p>टेल्को थाना कांड सं0-17/17, दि0-27.01.17, धारा-25(1-बी)ए /26 आर्म्स एक्ट।</p> <p>G.R. No.- 212/17</p> <p>एस0टी0-215/17</p> <p>न्या0-ए0डी0जे0-9</p> <p>ए.पी.पी.- अमर कुमार चौधरी</p>	<p>सरबजीत सिंह उर्फ सूरज, पे0-ज्ञान सिंह, सा0-टिनप्लेट (कलासबाड़ी), थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>अवैध देषी कट्टा एवं गोली के साथ पकड़ा जाना।</p>	---	<p>वादी तंजील खान, पे0-नसीम खान, सा0-मसुदिया हाउस, पगमील रोड, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग वर्तमान पु0अ0नि0 के पद पर टेल्को थाना।</p>	<p>1. अनुकर्ता0-पु0अ0नि0 सराफत खॉ, टेल्को थाना, 2. वादी पु0अ0नि0 तंजील खान, टेल्को थाना। 3. हव0 मुंषी प्रसाद, टेल्को, 4. आ0/1368 विनोद सिंह, 5. आ0/1265 कृष्णा कुमार रजक, 6. आ0/251 अरुण कुमार मिश्रा, टेल्को, 7. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गोलमुरी, जमषेदपुर।</p>	<p>1. अमित कुमार, पे0-षिवराज सिंह, सा0-क्वा0नं0-एल-4/9, 2. रिकु सिंह, पे0-राम निवास सिंह, सा0-क्वा0नं0-के0एल0-35/6, क्रॉस रोड नं0-29, दोनों थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>

9.	<p>टेल्को थाना कांड सं०-177 / 16, दि०-24.08.16, धारा-376 भा०द०वि० एवं 4 / 6 / 8 पोक्सो एक्ट। G.R. No.- 2518/16</p> <p>न्या०-ए०डी०जे०-05</p> <p>ए.पी.पी. -आर०के०षर्मा</p>	<p>लक्ष्मी पाल उर्फ लक्ष्मी कांत पाल, पे०-स्व० प्रहलाद चन्द्र पाल, पता-फ्लैट नं०-2 / 1, मौर्या अपार्टमेंट, राधिकानगर, नियर सामुदायिक विकास मैदान, खडंगाझार, थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>नाबालिक लड़की के सााि बहला फुसला कर उसके साथ दुराचार करना।</p>	जेल	<p>वादी सुनिल चेल, पे०-विभूति भूषण चेल, सा०-राधिकानगर, नियर सामुदायिक विकास भवन, खडंगाझार, थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>अनुकर्ता०-रामकृष्णा सिंह, टेल्को थाना, मो०-9470363161</p>	<p>1. वादी सुनिल चेल, पे०-विभूति भूषण चेल, 2. ओलिना चेल, पति-सुनिल चेल, दोनों सा०-राधिकानगर, नियर सामुदायिक विकास भवन, खडंगाझार, 3. रविषंकर पाण्डेय, पे०-योगेन्द्र कुमार पाण्डेय, पता-विष्णुपथ, राधिकानगर, 4. पंकज मिश्रा, पे०-विन्देश्वर प्रसाद मिश्रा, सा०-गणेश पथ, राधिकानगर, 5. दीपक पाल, पे०-स्व० हरिपदो पाल, पता-राधिकानगर, 6. शीतो दास, पे०-धनंजय दास, पता-राधिकानगर, 7. संजय तिवारी, पे०-स्व० चन्द्रषेखर तिवारी, सा०-राधिकानगर, सभी थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	
10.	<p>टेल्को थाना कांड सं०-210 / 17, दि०-14.11.17, धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट। ACT. G.R. No.- 3171/17</p> <p>न्या०-प्रज्ञा वाजपेयी</p> <p>ए.पी.पी.-सुधीर टोप्पो 9939925220</p>	<p>उदय कुमार चौधरी, पे०-रामनवमी चौधरी, सा०-तिसौता, थाना-तिसौता, जिला-वैशाली बिहार वर्तमान हॉल मो० क्वा०नं०-35, न्यु डी०एस० फ्लैट, थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>अवैध देशी हथियार एवं गोली रखना।</p>	जेल	<p>वादी स०अ०नि० षिवषंकर प्रसाद, टेल्को थाना, जमशेदपुर।</p>	<p>1. वादी स०अ०नि० षिवषंकर प्रसाद, टेल्को थाना, जमशेदपुर। मो०-9122814259 2. हव० मुंषी प्रसाद, 3. आ०/451 सिमोन हेरेंज, 4. आ०/1389 विनोद कुमार नायक, 5. आ०/930 प्रसुन्न कुमार सभी थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 6. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र गोलमुरी, जमशेदपुर।</p>	<p>1. भोला ठाकुर, पे०-श्री नागेश्वर ठाकुर, 2. राजीव कुमार, पे०-रामउदय ठाकुर दोनों सा०-मनीफ़ीट, धोबी लाईन, थाना-टेल्को, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	

11.	<p>टेल्को थाना कांड सं०-221/17, दि०-11.12.17, धारा-392/411 भा०द०वि०।</p> <p>जी०आर०-3438/17 = या०-प्रज्ञा वाजपेयी</p> <p>ए०पी०पी० सुधीर टोप्पो 9939925220</p>	<p>1. फ़ैजायुल होदा उर्फ बिक्की, पे०-मनीरूल होदा, पता-गायघाट तीनपुलिया होस्पिटल, मिस्टर टोली, थाना-तीनपुलिया, जिला-पटना, बिहार वर्तमान आजाद बस्ती, रोड नं०-8, नियर ईदगाह मैदान मस्जिद, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,</p> <p>2. नौसिक खॉ, पे०-ताजु खॉ, पता-आजादनगर, रोड नं०-17, नियर हुसैनी, मस्जिद, थाना-आजादनगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर</p>	लूटे गये मोबाईल फोन एवं रुपया के साथ पकड़ा जाना।	जेल दोनों	वादी अषोक कुमार, पिता-रघुनाथ प्रसाद, सा०-दयाल सिटी, 101 डुप्लेक्स, थाना-परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	अनुकर्ता-स०अ०नि० रामकृष्णा सिंह, टेल्को थाना, जमशेदपुर।	<p>1. मो० कुदुस, पे०-युनून, सा०-जवाहरनगर, रोड नं०-11, म०सं०-210,</p> <p>2. आदिल खॉ, पे०-मो० मुस्ताक खॉ, सा०-दाईगुट्ट, रोड नं०-01, ईकबाल फ्लैट, थाना-मानगो,</p> <p>3. इरफान हसन, पे०-स्व० नुरुल हसन, सा०-रोड नं०-6, जाकिर नगर,</p> <p>4. साजिद अहमद, पे०-वसीर अहमद, सा०-रोड नं०-01, म०सं०-8, आजादनगर दोनों थाना-आजादनगर,</p> <p>5. पूजन यादव, पे०-स्व० अदालत यादव, सा०-जोजोबेड़ा ए०टी०एम० के पास, तिवारी के घर में भाड़ेदार,</p> <p>6. बलविन्दर सिंह, पे०-स्व० सिंगारा सिंह, सा०-मोहन बगान, जोजोबेड़ा दोनो थाना-गोविन्दपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	
12.	<p>गोविन्दपुर थाना कांड सं०-88/16, दि०-27.08.16, धारा-25(1-बी०)ए/26 आर्म्स एक्ट।</p> <p>G.R. No.- 2543/16</p> <p>या०-सुश्री सुषीला सोरेन दण्डा ० प्रथम -श्रेणी</p> <p>ए०पी०पी०-भोला दास मो०-9431591165</p>	<p>1. अमित कुमार, पे०-स्व० रामनिवास सिंह, क्वा०नं०-ई०डब्ल्यू०एस०, 13/6, थाना-गोविन्दपुर,</p> <p>2. बब्लु पाण्डेय, सा०-जनता मार्केट नियर, संत जेबियार स्कूल दोनो थाना-गोविन्दपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर,</p>	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	जमानत	वादी स०अ०नि० नरहरि देव, गोविन्दपुर थाना, जमशेदपुर।	<p>1. अनुकर्ता-स०अ०नि० अषोक कुमार पाण्डेय, गोविन्दपुर थाना।</p> <p>2. वादी स०अ०नि० नरहरि देव, गोविन्दपुर थाना।</p> <p>3. आ०/1825 महेन्द्र बानरा,</p> <p>3. आ०/522 अनिल पासवान,</p> <p>4. राजीव कुमार, परिचारी, पुलिस केन्द्र, गोलमुरी, जमशेदपुर।</p>	<p>1. विक्रान्त कुमार सिंह, पे०-जयकांत सिंह, उ पता-जनता स्कूल सुभाषनगर, थाना-गोविन्दपुर, जमशेदपुर।</p>	

13.	<p>गोविन्दपुर थाना कांड सं०-56 / 16, दि०-14.04.16, धारा-25(1-बी०)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>G.R. No.- 1005/16</p> <p>न्या०-सुश्री सुषीला सोरेन दण्डा ० प्रथम -श्रेणी</p> <p>ए०पी०पी०-भोला दास मो०-9431591165</p>	<p>1. राहुल कुमार सिंह, पे०-सुधीर सिंह, पता-म०सं०-49, गदरा, थाना-परसुडीह,</p> <p>2. विकास बेरा, पे०-युधिष्ठिर बेरा, सा०-देवनगर, नियर अस्पताल भगवान साह के मकान में किरायेदार, थाना-गोविन्दपुर, स्थायी ग्राम मोरबिंधी, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	जमानत	वादी सं०अ०नि० दिलिप कुमार, गोविन्दपुर थाना।	<p>1. वादी-सं०अ०नि० दिलिप कुमार,</p> <p>2. चा०पु० / 560 अमरेन्द्र कुमार,</p> <p>3. आ० / 47 महेन्द्र कुमार यादव,</p> <p>4. आ० / 928 मोतीलाल महतो,</p> <p>5. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गोलमुरी, जमषेदपुर।</p>	<p>1. सानद किषोर गुप्ता, पे०-मुनेष्वर प्रसाद गुप्ता, सा०-जोजोबेड़ा मार्केट, हार्डवेयर दुकान,</p> <p>2. मुकेश कामत, पे०-बमभोला कामत, सा०-कृष्णानगर, दोना थाना-गोविन्दपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>
14.	<p>गोविन्दपुर थाना कांड सं०-302 / 14, दि०-27.07.14, धारा-25(1-बी०)ए / 26 आर्म्स एक्ट।</p> <p>G.R. No.- 2452/16 ST-101/16</p> <p>कोर्ट-ए०डी०जे०-1 3, ए०पी०पी०-प्याम कुमार महतो</p>	<p>1. मनीष कुमार पाण्डेय उर्फ रौषन उम्र करीब 24 पे०-जगेन्द्र पाण्डेय, सुभाषनगर, साई मंदिर रोड, (चन्द्रमा सिंह के मकान में किरायेदार) परसुडीह,</p> <p>2. मेगल तिवारी, पे०-मार्केण्डेय तिवारी, सा०-साई मंदिर के पीछे सुभाषनगर, परसुडी दोनो जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	जेल	पु०अ०नि० दयानन्द कुमार, गोविन्दपुर थाना।	<p>1. पु०अ०नि० बीर सिंह मुण्डा,</p> <p>2. शम्भु प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी, सिदगोड़ा,</p> <p>3. मो० निहालुदीन, थाना प्रभारी, गोलमुरी,</p> <p>4. मोहन गुप्ता, थाना प्रभारी, गोविन्दपुर,</p>	<p>1. मनोज कुमार श्रीवास्तव, पे०-स्व० राजकुमार श्रीवास्तव, गदरा, थाना-परसुडीह,</p> <p>2. रविन्द्र झा, पे०-दिनेश झा, सा०-सुभाषनगर, दयाल सिटी, मेन रोड, परसुडीह, जमषेदपुर।</p>
15.	<p>बर्माइन्स थाना कांड सं०-55 / 16, दि०-24.07.16, धारा-25(1-बी०)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>जी०आर०-2211 / 16,</p>	<p>1. बिट्टु उर्फ आदि सत्पथी, पे०-आदित्य सत्पथी, सा०-56, इच्छानुसार ग्वालापट्टी, नियर सहारा गार्डन सिटी, थाना-आर०आई०टी०,</p> <p>2. सूरज सोना, पे०-षंक किरतन सोना, सा०-दिंदली बस्ती खानबाड़ी, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावां।</p>	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	दोनों अभियुक्त जमानत पर मुक्त	वादी प्रमोद कुमार सिन्हा, पु०नि० सह थाना प्रभारी, बर्माइन्स, 9955472273	<p>1. राजीव रंजन लाल, तत्कालिन पु०नि० सह थाना प्रभारी, सीतारामडेरा, वर्तमान राँची जिला मो०-9431023031</p> <p>2. आ० / 877 मनीष कुमार,</p> <p>3. आ० / 998 शाहजहाँ खों,</p>	

	कोर्ट-संजीविका गुई, ए0पी0पी0-राजीव रंजन सिंह					4. आ0/824 जयराम कुमार, 5. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, गोलमुरी, जमषेदपुर मो0-9431091663 6. अनुकर्ता0-अषोक कुमार पाठक, मो0-9534125302	
16.	बर्माइन्स थाना कांड सं0-20/17, दि0-11.05.17, धारा-392 भा0द0वि0 जी0आर0-1333/ 17 न्या0-एस.गुईन, न्या0दण्डा0,प्रथम श्रेणी ए0पी0पी0 -राजीव रंजन सिंह 9631510158	1. समीर दास, पे0-ईष्वर चन्द्र दास, सा0-नामदा बस्ती, सतपाल सिंह के मकान में किरायेदार, थाना-गोलमुरी, 2. मंजीत सिंह, पे0-स्व0 महेन्द्र सिंह, सा0-विजयनगर, थाना-सिदगोड़ा, 3. सोनु धीबर, पे0-बबलु धीबर, सा0-पंचवटीनगर, पांडे बिल्डिंग प्रथम तल्ला, थाना-सोनारी,	पिस्तौल का भय दिखाकर बैग जिसमें रूपया के अलावा कम्पनी के अन्य कागजात को छीनकर भाग जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	सभी अप्राथमिकी अभियुक्त जमानत पर मुक्त।	वादी सुधील हरपाल, पे0-कृष्ण बल्लभ हरपाल, सा0-कुसुम गार्डन, बालीगुमा, मानगो, थाना-एम0जी0एम0, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर मो0-9199736425	1. अनुकर्ता0-जगदेव सिंह सेवानिवृत्त पु0अ0नि0 7903938122 9430773803	1. उत्पेन्दु तुंग, पे0-विजय रंजन तुंग, सा0-एम0पी0 सिटी, फ्लैट नं0-105, नियर आदित्यपुर, ऑटो कलस्टर, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावां, 2. जीतु मुखी, पे0-देवेन मुखी, 3. बसंत कुमार, पे0-स्व0 नरसिंह, दोनों सा0-सिंघाड़ा चौक, बर्मा रोड, 4. सूरज सिंह, पे0-रामाषंकर सिंह, सा0-वार्ड नं0-13, म0सं0-329, बर्मा रोड, 5. उत्तम कुमार उपाध्याय, पे0-राम कुमार उपाध्याय, सा0-बर्मा रोड, सभी थाना बर्माइन्स, 6. संदीप कुमार मैती, पे0-स्व0 दिवाकर मैती, सा0-म0सं0-260, प्रथम तल्ला, भालुबासा, एग्रिको, थाना-सीतारामडेरा, सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।
17.	बर्माइन्स थाना कांड सं0-23/17, दि0-22.05.17, धारा-25(1-बी)ए /26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-1417/ 17 न्या0-एस.गुईन, न्या0दण्डा0,प्रथम श्रेणी	समीर दास, पे0-ईष्वर चन्द्र दास, सा0-नामदा बस्ती, सतपाल सिंह के मकान में किरायेदार, थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना।	जमानत	वादी जगदेव सिंह, सेवानिवृत्त पु0अ0नि0 7903938122 9430773803	1. स0अ0नि0 प्रमोद पासवान, मो0-7992462682 2. स0अ0नि0 दशरथ पासवान, मो0-9534194246 3. राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र गोलमुरी, जमषेदपुर, मो0-9431091663 4. आ0/175 मनीष कुमार,	1. विरेन्द्र प्रमाणिक, पे0-स्व0 रामहरि प्रमाणिक, सा0-कंचननगर, थाना-बर्माइन्स, 2. दिनेश चन्द्र जयसवाल, पे0-स्व0 त्रिलोकी नाथ जायसवाल, पता-प्रेमनगर, थाना-टेल्को, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर (जप्ती सूची की साक्षी)

	<p>ए0पी0पी0 –राजीव रंजन सिंह 9631510158</p>					<p>5. आ0 / 420 सोनु कुमार 6. आ0-438 षिवा पासवान बर्माइन्स थाना रिजर्व गार्ड।</p>	
18.	<p>गोलमुरी थाना कांड सं0-124 / 17, दि0-22.08.17, धारा-25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। G.R. No.- 2326/17 कोर्ट –ए0जोन ए0पी0पी0-राकेश कुमार मो0-9430322899</p>	<p>1. बिक्रम सिंह, पे0-सर्वजीत सिंह, सा0-गाढाबासा, बजरंगनगर पहाड़ी, थाना-गोलमुरी, 2. मोनी महंती, पे0-स्व0 राज मोहंती, सा0-सिंधी रिफ्यूजी कॉलोनी, क्वा0नं0-24, थाना-गोलमुरी, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>चोरी की गाड़ी रखना एवं अवैध देशी पिस्तौल व जिंदा गोली के साथ रंगेहाथ पकड़ा जाना।</p>	<p>दोनों जमानत</p>	<p>वादी पु0अ0नि0 लुकस टोपनो, पे0-स्टीफन टोपनो, गोलमुरी थाना मो0-9934036553</p>	<p>1. वादी पु0अ0नि0 लुकस टोपनो, पे0-स्टीफन टोपनो, गोलमुरी थाना मो0-9934036553 2. स0अ0नि0 राजेश कुमार रंजन मो0-7091100940 3. स0अ0नि0 रतन प्रसाद दास, मो0-7541099949 4. हव0 रामेश्वर बेसरा मो0-9904189397 5. आ0 / 725 सुभानन्द प्रसाद, 6. आ0 / 822 दिलिप कुमार मो0-8102263112 7. गृह चालक विभास पांडेय मो0-7870661315 गोलमुरी थाना। 8. स0अ0नि0 अषोक कुमार मंडल, गोलमुरी थाना।</p>	<p>1. सिकंदर सिंह, पे0-श्रीनानक सिंह, सा0-अर्जुन बगान, साबरमती रोड, थाना-सिदगोड़ा, 2. ऋषिकेश ठाकुर, पे0-सुरेन्द्र ठाकुर, सा0-नीलडीह, ग्वाला बस्ती, गोलमुरी, जमषेदपुर।</p>
19.	<p>गोलमुरी थाना कांड सं0-95 / 17, दि0-27.06.17, धारा-25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। G.R. No.- 1775/17 कोर्ट –ए0जोन ए0पी0पी0-राकेश कुमार</p>	<p>1. बिककी सिंह उर्फ लंगड़, पे0-परमजीत सिंह, सा0-जे0वी0पी0 कम्पनी के पास आनंदनगर, क्वा0नं0-22, थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>अवैध देशी पिस्तौल एवं जिंदा गोली के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।</p>	<p>जमानत पर मुक्त</p>	<p>वादी रामजी महतो, पे0-स्व0 पी0 महतो पु0नि0 सह थाना प्रभारी, गोलमुरी थाना।</p>	<p>1. पु0अ0नि0 लुकस टोपनो, पे0-स्टीफन टोपनो, गोलमुरी थाना मो0-9934036553 2. स0अ0नि0 राजेश कुमार रंजन मो0-7091100940 3. हव0 मुकंद लाल महतो, मो0-7481013907 4. आ0 / 1196 गोपाल प्रसाद</p>	<p>1. रंजीत सिंह, पे0-स्व0 बक्शी सिंह, गोलमुरी रामदेव बगान, क्वा0नं0-जी0 / 09, थाना-गोलमुरी, 2. अमरजीत सिंह उर्फ रवि, पे0-गुरजीत सिंह, सा0-नामदा बस्ती, बजरंग चौक, थाना-गोलमुरी, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>

	मो0- 9430322899				मो0-9534160613 5. गृह चालक विभाष मंडल, मो0-7870661315		
20.	कदमा थाना कांड सं0-49/16, दि0-21.03.16, धारा-414 भा0द0वि0 25(1-b)a/26 /35 शस्त्र अधि0 जी0आर0-804 /16 GR no.- 804/16 माननीय न्यायालय SDJM, JSR ए0पी0पी0- सुधीर टोप्पो	1. गोविन्द डे(उम्र-25 वर्ष), पिता-शंकर डे उर्फ मंगल डे, पता-10 नं0 बस्ती, गुरुद्वारा रोड गोलमुरी, थाना-सिदगोड़ा, 2. अविनाश कुमार(उम्र-करीब-25 वर्ष), पिता-राजकुमार राय, सा0-छायानगर, थाना-सीतारामडेरा, 3. भोला महतो(उम्र करीब 25 वर्ष), पिता-विजय महतो, पता-करणडीह, थाना-परशुडीह सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 4. मिथुन महतो 5. महादेव तंतुबाई, 6. निहार रंजन 7. संजय कुमार सिंह	दि0-21.03.2016 को वादी सशस्त्र बल के साथ संध्या गश्ती करते हुए ई0सी0सी0 फ्लैट गेट के पास पहुँचे तो मोटरसाईकिल के पास खड़े तीन व्यक्ति पुलिस को देख ई0सी0सी0 फ्लैट में भागने लगे, पुलिस बल एवं फ्लैट के लोगों के सहयोग से तीनों को पकड़ा गया तथा नाम पुछने पर 1. गोविन्द डे 2. भोला महतो 3. अविनाश कुमार बताया उक्त तीनों व्यक्तियों कि बारी-बारी से तलाशी लिया गया, गोविन्द डे के कमर के बायें तरफ देशी कट्टा, 3. 15 कि गोली लोडेड एवं भोला महतो के फुलपैट के पॉकेट से दो गोली 3.15 का तथा अविनाश कुमार के फुलपैट के पॉकेट से मोटरसाईकिल स्टार्ट करने वाला मास्टर चाभी चार अद्द बरामद हुआ	शंकर ठाकुर, पु0 नि0 सह थाना प्रभारी कदमा थाना, जमशेदपुर।	पु0अ0नि0 मोहन सिंह 1. हव0 सालुका जमुदा 2. आ0/1182 संजीव कुमार 3. आ0/1156 श्रीकान्त महतों 4. आ0/1319 नरेन्द्र नाथ महतो सभी कदमा थाना रिजर्व गार्ड वर्तमान पता-पुलिस केन्द्र गोलमुरी, जमशेदपुर।	1. ए0 गोविन्द राव, पिता-के0 वेकेंट राव, पता-ई0सी0सी0 फ्लैट, क्वा0नं0 295 सी0, कदमा।	

			जिसको विधिवत् जप्ती सूची बनाकर जप्त किया एवं घटनास्थल से एक मोटरसाईकिल बरामद किया गया।				
21.	कदमा थाना कांड सं0-06/16, दि0-10.01.16, धारा-25(1-b)a /26/35 शस्त्र अधिनियम जी0आर0 115/16 कोर्ट न्या0 दण्डा0 प्रथम-एस0 दिवेदी ए.पी.पी.-सुधीर टोप्पो	1. अमित कुमार दूबे, पिता-श्री नागेन्द्र दूबे, पता-हरहरगुट्ट, थाना-बागबेड़ा, 2. प्रवीर प्रधान, पिता-श्री अशोक प्रधान, पता-रामजनम नगर, थाना-कदमा, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	दि0-10.01.16 को वादी को गुप्त सूचना मिली कि भाटिया पार्क में पिस्तौल चमका रहे है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वादी पुलिस बल के साथ समय -19:45 बजे भाटिया पार्क पहुँचे तो पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे तो पुलिस पार्टी द्वारा पिछा कर दो व्यक्तियों को पकड़ा गया। नाम पुछने पर 1. अमित कुमार, 2. प्रवीर प्रधान बतलाये , दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष पकड़े गये व्यक्ति कि तलाशी लि गई तो अमित दूबे के कमर से एक लोहे का बना देशी कट्टा जिसमें 3.15 का जिंदा गोली लोडेड एवं प्रवीर प्रधान के फुलपैट के पॉकेट से दो जिंदा 3.15 की गोली बरामद किया गया।	दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों 1. अमित कुमार दूबे, 2. प्रवीर प्रधान न्यायालय के आदेशानु सार जमानत पर मुक्त है।	शंकर ठाकुर, पु0 नि0 सह थाना प्रभारी कदमा थाना, जमशेदपुर।	स0अ0नि0 बुदान सोरेन 1. हव0 रामचन्द्र सिंह, कदमा थाना रिजर्व गार्ड 2. आ0/1319 नागेन्द्र नाथ महतो 3. आ0/1792 दिनेश राम रविदास 4. आ0/1537 रामबाड़ा सभी कदमा थाना रिजर्व गार्ड, वर्तमान पता- पुलिस केन्द्र जमशेदपुर।	

			कट्टा एवं गोली के संबंध में पकड़ाये गये दोनों अभियुक्तों के द्वारा कागजातों एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाये। जिसके पश्चात जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया एवं प्राथमिकी के दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।				
22.	कदमा थाना कांड सं0-125/17, दि0-13.07.17, धारा-302/34 भा0द0वि0 जी0आर0 न0-1962/17 एस0टी0 न0-191/18 कोर्ट-ए0डी0जे0 -5 ए.पी.पी. श्री राजेश कुमार शर्मा	1. शंकर माँझी, पिता-प्रफुल माँझी 2. भानु माँझी उर्फ जितेन माँझी, पिता- शंकर माँझी 3. छोटु माँझी उर्फ राजेश माँझी, पिता-शंकर माँझी 4.भास्कर माँझी, 5. गणेश प्रधान उर्फ डोडा, पिता-शम्भु प्रधान, पता-क्वा0नं0-61, फार्म एरिया कदमा, रोड़ नं0-19, उलियान गुरुद्वारा रोड़, सभी थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	वादी नवीन गोराई, अपने माँ एवं एक छोटा भाई कुणाल गोराई, दादा एवं दादी के साथ घर पर बैठकर टी0वी0 देख रहे थे तभी करीब 10:00 बजे आकाश उर्फ अमरदीप सिंह ने आकर बतलाये कि रोबिन गोराई के साथ मारपीट हो रहा है तो वादी अपने माँ एवं छोटे भाई कुणाल गोराई के साथ बाईक से घटनास्थल पर पहुँचे तो देखें कि प्राथ0अभि0 भानु माँझी, छोटु माँझी, भाष्कर माँझी, गणेश प्रधान, शंकर माँझी मारपीट कर रहा था तो वादी ने मदद के लिये चिल्लाये पर कोई नहीं आया।	सभी जेल में है।	नवीन गोराई(उम्र-20 वर्ष), पिता-स्व0 बल्लु गोराई, पता-भाटिया बस्ती, भूनेश्वरी काली मंदिर के पीछे, थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	पु0अ0नि0 जितेन्द्र राम	1. प्रत्यक्षदर्शी नवीन गोराई (उम्र 20 वर्ष), पिता-स्व0 बल्लु गोराई उर्फ सुब्रतो गोराई 2. श्रीमति रेखा गोराई, पति-स्व0 बल्लु गोराई उर्फ सुब्रतो गोराई दोनों पता-भाटिया बस्ती, क्वा0नं0-130, भुनेश्वरी काली मंदिर के पीछे, थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 3. अमरप्रीत सिंह बुल्ला उर्फ आकाश, पिता-स्व0 यशवंत सिंह, पता-बेल्डीह, क्वा0नं0-87, झील लेक फ्लैट कदमा, जमशेदपुर। 4. सुरज कुमार साव, पिता-स्व0 अमीत कुमार साव, पता-भाटिया बस्ती शिवपथ, म0नं0-40, कदमा, जमशेदपुर।

			अचानक भास्कर माँझी ने लकड़ी के फट्टी से मृतक रोबिन गोरार्ई के सिर पर जोर से मारा तो खुन बहने लगा जिसकारण रोबिन गोरार्ई जमीन पर गिर गया एवं दम तोड़ दिया।				
23.	कदमा थाना कांड सं०-123/17, दि०-09.07.17, धारा-377 भा०द०वि० एवं 06 पोक्सो एक्ट जी०आर० न०-1906/17 कोर्ट-ए०डी०जे०-1 ए.पी.पी. आर. एन.तिवारी	1.हेमन्त महतो पे०-श्रीपदो महतो पता-म०न०-बी० रामनगर कदमा थाना-कदमा जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।	वादी की पत्नि अपने तीनों बेटा बेटी के साथ अपने माँ एवं भाई के साथ रामनगर रोड नं०-क्रॉस रोड नं०-बी०, म०न०-03 कदमा जमषेदपुर में रहती थी एवं जब भी वादी अपने बेटा से मिलने के लिए रामनगर कदमा आते थे तो अपने बेटा बेटी से नहीं मिल पाते थे, दिनांक- 18.6.17 को रामनगर कदमा वादी अपने बेटा बेटी से मिलने के लिए आये तो बेटा बेटी वादी को देखकर रोने लगे बत वादी अपने बेटा बेटी को घर ले गये दिनांक-28.06.17 को वादी का लडका भीमनाग अपने गुप्तांग में दर्द होने	अभियुक्त जेल हिरासत में बन्द	वादी कृष्णा नायक, पिता-गुरुचरण नायक पता-549/ए०/बी० खुटाडीह थाना-सोनारी जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।	स०अ०नि० गुप्तेष्वर शर्मा	1.दीपक कर्मकार, पे०-मंगल कर्मकार 2 नेहा नाग पिता-कृष्णा नाग दोनो-पता-म०न०-549/ए०/बी० खुटाडीह सोनारी थाना-कदमा जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।

			के षिकायत किये तो वादी के द्वारा एम0जी0एम0 अस्पताल लाकर भीमनाग को चिकित्सक से चिकित्सक के द्वारा बतलाया गया कि भीमनाग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ है। यह बात सुनकर अपने बेटे भीमनाग से प्रेम से पुछा गया तो भीमनाग बतलाये कि मेरे मामा हेमन्त महतो मेरे साथ गलत काम किये है।				
24.	सोनारी थाना कांड सं0-165 / 16, दि0-22.07.16, धारा-399 / 402 भा0द0वि0 एवं 25(1-b)a / 26 / 35 शस्त्र अधि0 GR no.- 2189/16 St. no.-43/17 माननीय न्यायालय A.D.J-I ए.पी.पी.-श्री रमेश नारायण तिवारी	1. अजय गौड़, पिता-विष्णु प्रसाद गौड़, सा0-निर्मलनगर, 2. विशाल लोहार, पिता-रवि लोहार, सा0-रूपनगर दोमुहानी 3. सुमित सिंह, पिता-सिकन्दर सिंह सा0-म0नं0-1877, न्यु कपाली बस्ती, सोनारी, तीनों थाना सोनारी, 4. विजय सिंह पिता-स्व0 सीताराम सिंह, 5. अरविन्द बोस, पिता- अरुण बोस दोनों सा0- रामजनम नगर, थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	यह काण्ड वादी बुधराम उरॉव पु0नि0 सह थाना प्रभारी सोनारी थाना के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथ0अभि0 1. अजय गौड़ 2. विशाल लोहार, 3. सुमित सिंह, 4. विजय सिंह, 5. अरविन्द बोस के विरुद्ध डकैती की योजना बनाते हुए अवैध देशी कट्टा एवं कारतुस के साथ पकड़े जाने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित कराया गया है। आरोपित अभियुक्त	जमानत पर बाहर है।	पु0नि0 बुधराम उरॉव अंचल निरीक्षक टेल्को अंचल, जमशेदपुर।	अनु0कर्ता स0अ0नि0 राजकुमार महतो परसुडीह थाना, जमशेदपुर, मो0नं0-94313607 97 1. रामदेव प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त पु0अ0नि0 2. आ0 / 1542, कमख्या नारायण सिंह, 3. आ0 / 937 सत्यवान कुमार, 4. आ0 / 445 प्रमोद कुमार, 5. आ0 / 1497 सुकड़ा लकड़ा, 6. आरक्षी 58 पंचानन	

			के विरुद्ध			महतो सभी जमशेदपुर जिला बल 7. श्री राजीव कुमार परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र जमशेदपुर।	
25.	<p>सोनारी थाना कांड सं0-193/16, दि0-25.09.16, धारा-304बी0/ 313/34 भा0द0वि0, GR no.- 2853/16 St. no.-19/17 माननीय न्यायालय A.D.J-X ए.पी.पी.-श्री रामधार राम</p>	<p>1. सुबोल चन्द्र, पे0-आशुतोष चन्द्र, सा0-मकान नं0-222 बी0 ब्लॉक भागवत मोहल्ला, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>यह काण्ड वादी अशोक चौधरी द्वारा अभियुक्त 1. चुनुबाला 2. सुबल चन्द्र(पति) 3. प्रमोद चन्द्र(जेठ) 4. प्रमोद की पत्नी 5. प्रमोद की पुत्री 6. सुशील चन्द्र 7.मकान मालकिन पूर्णिमा बाई के विरुद्ध दहेज के लिए मृत्यु कारित करने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित कराया है।</p>	जमानत पर बाहर है।	अशोक कुमार चौधरी, पे0-तारापदो चौधरी, सा0-लुपुंग, थाना-सिल्ली जिला-राँची।	<p>अनु0कर्ता पु0अ0नि0 सृष्टिधर महतो थाना प्रभारी चाकुलिया, मो0 नं0- 9431145542 एवं पु0अ0नि0 प्रभात कुमार थाना प्रभारी जादुगोड़ा, मो0नं0-90312660 46, डॉ0 विभाकर कुमार एम0जी0एम0 पोस्ट मार्टम हाउस, जमशेदपुर, मो0नं0- 9334538566</p>	<p>1. योगेश साहु, पे0-कमल साहु 2. त्रिवेणी जंघेल, पे0-बलराम जंघेल, 3. सेरेश कुमार, पे0- कपिलदेव, 4. यशोदा देवी, पति-ईश्वर राम, 5. मीना बाई, पति-मदन लाल, 6. रेणु बाई, पति-लोकनाथ बर्मा सभी सा0-भागवत मोहल्ला, 7. छोटु महतो, पे0-बुंधु महतो कुम्हारपाड़ा, 9. बांके लाल, पे0-अमरनाथ गुप्ता 718 बी0 ब्लॉक लोहार लाईन पुराना सी0पी0क्लब सभी थाना-सोनारी, जमशेदपुर।</p>

<p>26.</p>	<p>सोनारी थाना कांड सं०-120 / 17, दि०-23.08.17 धारा-302 भा०द०वि०</p> <p>जी०आर०नं०-2347 / 17 एस०टी० न०-82 / 18 कोर्ट-ए०डी०जे०-13</p> <p>ए.पी.पी.-ष्याम कुमार महतो</p>	<p>1. देवा यादव पिता-महावीर यादव, सा०-निर्मलनगर गली नं०-3, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>यह कांड वादी विष्णु चौहान, पे०-स्व० माधो चौहान, मकान नं०-523, निर्मलनगर दोमुहानी, थाना-सोनारी के द्वारा प्राथ०अभि० देवा यादव, पे०-महावीर यादव, सा०-निर्मलनगर गली नं०-3, थाना-सोनारी, के विरुद्ध धारदार हथियार से गला काट कर हत्या करने के आरोप में कांड प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	<p>जेल में</p>	<p>विष्णु चौहान, पे०-स्व० माधो चौहान मकान नं०-523, निर्मलनगर, दोमुहानी, थाना-सोनारी, जमशेदपुर।</p>	<p>अनु०कर्ता पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार मालाकार, सोनारी थाना, जमशेदपुर, मो०नं०-9431773036, 4. डॉ० यु०एस० प्रसाद सहायक प्रोफेसर एम०जी०एम०पोस्ट मार्टम हाउस, जमशेदपुर।</p>	<p>1. नरेश कुमार, पिता-दिलीप कुमार, सा० मकान नं०-65, निर्मलनगर, 2. पारस ठाकुर, पे०-जगत ठाकुर, सा०-म०नं०-59, गली नं०-3, दोमुहानी, 3.विजय कुमार चौहान, पे०-स्व० माधो चौहान सा० मकान नं०-573, निर्मलनगर, दोमुहानी सभी थाना-सोनारी, जमशेदपुर।</p>	
<p>27.</p>	<p>सोनारी थाना कांड सं०-168 / 17, दि०-22.10.17, धारा-147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 302 / 20 1 भा०द०वि०,</p> <p>जी०आर० नं०-2983 / 17 एस०टी० न०-168 / 18 कोर्ट-ए०डी०जे०-5</p> <p>ए.पी.पी.- श्री राजेश कु० शर्मा</p>	<p>1. सम्राट सरदार 2.लखीन्द्र सरदार 3.समीर सरदार तीनों पिता- स्व० टिल्लु सरदार, 4.राज कर्मकार, पिता-बुका कर्मकार, 5. गोलु कर्मकार, पिता-महादेव कर्मकार, 6.गणेश पिंगुवा, पिता-काली चरण पिंगुवा 7. राजेश उर्फ बान्दुर, पिता-स्व० टिल्लु भट्टा सिद्धु-कान्हु बस्ती, सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>यह काण्ड लखीन्द्र महली, पे०-स्व० शशि महली, सा०-टिल्लु भट्टा, थाना-सोनारी द्वारा प्राथ०अभि० 1.सम्राट सरदार 2.लखीन्द्र सरदार 3.समीर सरदार 4.राज कर्मकार 5.गोलु कर्मकार 6.गणेश पिंगुवा 7.राजेश उर्फ बान्दुर एवं अन्य 10-15 के विरुद्ध नाजायज मजमा बनाकर मारपीट कर हत्या करने तथा साक्ष्य छुपाने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित</p>	<p>जेल में</p>	<p>लखीन्द्र महली, पे०-स्व० शशि महली, सा०-टिल्लु भट्टा, थाना-सोनारी, जमशेदपुर।</p>	<p>अनु०कर्ता पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार मालाकार, सोनारी थाना, जमशेदपुर, मो०नं०-9431773036 डॉ० विभाकर कुमार एम०जी०एम० पोस्टमार्टम हाउस, जमशेदपुर, मो०नं०-9334538566</p>	<p>1. राजा महली पे०-शशि महली सिद्धु कान्हु बस्ती 2.तुलसी महली, पति-स्व० मनसा महली टिल्लु भट्टा, 3. सुखलाल हाँसदा, पे०-नन्दी हाँसदा, बलराम बस्ती सभी थाना-सोनारी 4.रंजीत महतो, पे०-भागाराम महतो, सा०-इन्दराटाडा, थाना-पटमदा</p>	

			कराया गया है।					
28.	सोनारी थाना कांड सं०-07/18, दि०-14.01.18, धारा-302/34 भा०द०वि०, जी०आर०नं०-155/18 कोर्ट-ए०डी०जे०-10 ए.पी.पी.-श्री रामाधार राम	1.सिकन्दर पासवान पिता-छोटु पासवान, 2. निर्मल सिंह, पिता स्व० कमल सिंह दोनों सा०-विलास बस्ती जाहिरा कॉलोनी, थाना- सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	यह काण्ड आरक्षी 276 महताब आलम टिल्लु भट्टा टी०ओ०पी० थाना सोनारी द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध हत्या करने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल में	आरक्षी/276 महताब आलम, टिल्लु भट्टा टी०ओ०पी० थाना सोनारी, जमशेदपुर।	अनु०कर्ता पु०अ०नि० सुरेन्द्र कुमार मालाकार, सोनारी थाना, जमशेदपुर, मो०नं०-9431773036, डॉ० ललन चौधरी एम०जी०एम० पोस्टमार्टम हाउस, जमशेदपुर।	1. सुशीला सरदार, पति-स्व० साधु चरण सरदार, 2.होरों सरदार, पे०-काली चरण सरदार, 3. हेमन्तो सरदार, पे०-स्व० प्रताप सरदार 4. गुरुआ सरदार पति-काली चरण सरदार सभी सा०-बेल्डी ग्राम-सी०एच० एरिया रोड, नं०-11 थाना-बिष्टुपुर, जमशेदपुर।	
29.	सोनारी थाना काण्ड सं०-226/15 दि०-27.11.15 धारा 399/400/40 2 भा०द०वि० एवं 25(1-	1. समीर सरदार पे०-स्व० टिल्लो सरदार सा०-टिल्लु भट्टा 2. विकाश उर्फ हेते पे०-पुरन्दर सिंह सा०-दोमुहानी निर्मलनगर 3. शेरू सरदार पे०-जसपाल सिंह सा०-रूपनगर म०नं०-105	यह काण्ड वादी सुमन आनन पु०नि० सह थाना प्रभारी सोनारी स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथ०अभि० 1. समीर सरदार 2. विकाश उर्फ हेते	समीर सरदार जेल में बाकी सब जमानत पर बाहर है।	वादी सुमन आनन पु०नि० सह थाना प्रभारी सोनारी वर्तमान विशेष शाखा झारखंड राँची	अनु०कर्ता पु०अ०नि० हेमकान्त मिश्रा, सोनारी थाना मो० नं०-9431736324 1.पु०अ०नि० काजल कुमार दुबे ए० टी०एस० राँची 2.आरक्षी धर्मदास सिंह		

	<p>b)a/26/35 Arms Act. भा0द0वि0 GR.no. 3858/15 ST.no. 15/17 माननीय न्यायालय ADJ - IV ए0पी0पी0-आर0ए न0तिवारी</p>	<p>4. सुशील केराई पे0-दुबराज केराई सा0-पंचवटी नगर सिद्ध कान्हु बस्ती 5. बाबु लोधी पे0-तरुण लोधी सा0-म0नं0-441 बी ब्लॉक नर्स क्वाटर सभी थाना सोनारी 6. कुन्दा सोय पे0-सुरेश सोय सा0-बेलडीह बस्ती थाना बिष्टुपुर सभी जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर</p>	<p>3. शेरु सरदार 4. सुशील केराइ 5. बाबु लोधी 6. कुन्दा सोय के विरुद्ध डकैती की योजना बनाते समय हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित कराया गया है।</p>			<p>3. राकेश कुमार पाठक दोनों अंगरक्षक पुलिस उपाधीक्षक मु0-2 जमशेदपुर 4. चालक पुलिस साधुचरण सुण्डी 5. ह0 मोतीलाल यादव रिजर्व गार्ड सोनारी थाना 6. ह0 नुमान खँ साधारण बल 7. आरक्षी कामख्या नारायण सिंह 8. सत्यवान कुमार 9. रामबचन प्रसाद सिंह 10 प्रवीण कुमार सभी रिजर्व गार्ड सोनारी थाना।</p>		
<p>30.</p>	<p>आजाद नगर काण्ड सं0- 147 / 16, दि0- 29.11.16, धारा- 25(1-बी)ए/26/ 35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-3498/ 16 कोर्ट - सत्य भामा कुमारी न्या0दण्डा0 प्रथम ए0पी0पी0-भोला दास</p>	<p>1. इमरान उर्फ राजू मुट्ठी पे0 स्व0 मो0 सुल्तान, सा0- रोड नं0- 17, कली रोड लट्टन के मकान में किरायेदार, थाना- आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 2. मो0 सद्दाम पे0 स्व0 गुलाम हुसैन, सा0- रोड नं0- 15, अलकबीर पॉलटेक्नीक के सामने, थाना- कपाली, जिला- सरायकेला,।</p>	<p>वादी पु0अ0नि0 उपेन्द्र नारायण सिंह, दि0- 29.11.16 को गुप्त सूचना के आलोक में अशियाना कॉम्प्लेक्स से एक व्यक्ति जो पुलिस को देख कर भाग रहा था उसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़े। पकड़े गये व्यक्ति से नाम/पता पूछे जाने पर अपना नाम/पता इमरान उर्फ राजू मुट्ठी पे0 स्व0 मो0 सुल्तान, सा0- रोड नं0- 17, कली रोड लट्टन के मकान में किरायेदार, थाना- आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम बताया। तलाशी के क्रम में इमरान उर्फ राजू मुट्ठी के पास से एक लोहे का निर्मित मैगजिन लगा देशी पिस्टल बरामद</p>	<p>जमानत पर है।</p>	<p>वादी पु0अ0नि0 उपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>1. स0अ0नि0 भरत नारायण राय पे0 दीनानाथ राय, थाना- आजादनगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 2. आ0/1437, सलाई मुर्मू 3. आ0/2644 पशुपति महतो, दोनों पता आजाद नगर थाना रिजर्व गार्ड। अनु0कर्ता0 का नाम- पु0अ0नि0 उदय सिंह, थाना- आजाद नगर, विशेषज्ञ:- राजीव कुमार, सार्जेन्ट मेजर, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। आम जनता गवाह :- 1. रासीद खान, सा0- रोड नं0- 02, के0जी0एम0 कॉलोनी, ओल्ड पुरुलिया रोड,</p>		

			हुआ जिसे खोलने पर उसमें 7.65 एम0एम0 की चार जिन्दा कारतूस लोड पाया गया। जिसकी कोई कागजात प्रस्तुत नहीं करने एवं संतोषजनक जवाब नही देने पर विधिवत जप्त किया गया। एवं इमरान उर्फ राजु मुट्ठी के निशानदेही पर मो0 सदाब पे0 स्व0 गुलाम हुसैन, सा0- रोड नं0- 15, अलकबीर पॉलटेक्निक कॉलेज, थाना- कपाली, जिला- सरायकेला को पकड़ा गया जिसके पास से लोहे का निर्मित मैगजीन लगा पिस्टल बरामद हुआ जिसे खोलने पर उसमें 7.65 एम0एम0 की चार जिन्दा कारतूस लोड पाया गया।			2. ईरफान, सा0- सा0- रोड नं0- 02, के0जी0एम0 कॉलोनी, ओल्ड पुरुलिया रोड, दोनों थाना- आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम,	
31.	<p>आजाद नगर काण्ड सं0- 149/16, दि0- 10.12.16, धारा- 25(1-बी)ए/26/ 35 आर्म्स एक्ट GR no.- 3594/16 ST n0- 145/17</p> <p>ए0डी0जे0-13, ए0पी0पी0- श्याम कुमार महतो</p>	1. मो0 आरिफ खान पे0 परवेज खान, सा0- बाबासंडु, रोड नं0- 02, इस्लाम नगर, थाना- चांडिल, जिला- सरायकेला,	वादी पु0अ0नि0 उपेन्द्र नारायण सिंह, एवं स0अ0नि0 बिट्टु टुड्डु के साथ दिनांक 10.12.16 को गुप्त सूचना के आलोक में गरीब कॉलोनी, आजाद नगर में पुलिस को देखकर भाग रहे व्यक्ति को सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़े। पूछताछ के क्रम में उक्त व्यक्ति ने अपना नाम/पता मो0 आरिफ खान पे0 परवेज खान, सा0- बाबासंडु, रोड नं0- 02, इस्लाम नगर, थाना- चांडिल, जिला- सरायकेला बताया। तलाशी के क्रम में उसके	जमानत पर मुक्त हैं।	वादी पु0अ0नि0 उपेन्द्र नारायण सिंह, तत्कालीन थाना प्रभारी, आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम	1. स0अ0नि0 बिट्टु टुड्डु, पे0 स्व0 सनातन टुड्डु, 2. आ0/200 रंजीत कुमार पे0 गोरे चन्द्र साह, 3. आ0/1487 शंकर तिकी पे0 चामा तिकी, सभी थाना- आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम अनु0कर्ता :- स0अ0नि0 भरत नारायण राय पे0 दीनानाथ राय, थाना- आजादनगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, विशेषज्ञ:- राजीव कुमार, सार्जेन्ट	एक लोहे का निर्मित देषी सिक्सर पिस्तौल बरामद

			पास देशी सिक्सर रिवाल्व बरामद किया गया। पकड़ाये व्यक्ति से उक्त बरामद अग्नेयास्त्र के संबंध में कागजात की मांग किये जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया।			मेजर, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। आम जनता गवाह :- 1. मो0 इमत्याज खान पे0 कलीम खान, सा0- ग्रीन भैली रोड , रोड नं0- 17, काँस रोड नं0- 01, 2. मो0 जुबैर पे0 जुम्मन, रोड नं0- 04, मकान नं0- 111, वारीस कॉलोनी, दोनों थाना- आजाद नगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम	
32.	मानगो(ओलीडीह) कांड सं0 190/17 दिनांक 19.06.17 धारा 25(1-बी0)ए0/26 /35 आर्म्स एक्ट GR no.- 1693/17 मा0न्या0, प्रथम श्रेणी श्रीमति सत्यमामा कुमारी, ए0पी0पी0- भोला दास	संतोष थापा पिता स्व0 गोपाल प्रसाद सा0 बागुनहातु थाना सिदगोडा जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर , स्थायी पता- मधुबनी बिराजगंज, थाना- आदित्यपुर, जिला- सरायकेला खरसांवा	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	जमानत पर मुक्त है।	पु0अ0नि0 मुकेश चौधरी वर्तमान थाना प्रभारी ओलीडीह थाना जिला पूर्वी सिंहभूम	सरकारी गवाह - 1. पु0अ0नि0 मुकेश चौधरी वर्तमान थाना प्रभारी ओलीडीह थाना जिला पूर्वी सिंहभूम 2. पु0नि0 इमदाद अंसारी तत्कालीन थाना प्रभारी एम0जी0एम0 मो0 न0 918969122219 2. अ0नि0 मदन षर्मा थाना प्रभारी साकची जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर , आम जनता गवाह- 1. निर्भय बाला सा0 रोड न0 01 एवं 2. सुभाष गोरार्ई पे0 रिसा गोरार्ई दोनो सा0 संकोसाई थाना ओलोडीह जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। विशेषज्ञ/षस्त्र जाँच पदाधिकारी- राजीव कुमार (परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र गोलमुरी पूर्वी	एक देशी पिस्तौल एवं एक जिन्दा गोली बरामद। (मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।)

						सिंहभूम)मो0न0- 9431091663 अनु0कर्ता :- विफई उराँव, उलीडीह थाना ।	
33.	मानगो (उलीडीह) काण्ड सं0- 681/13, दि0- 04.12.13, धारा- 376 भा0द0वि0 एवं 04/08 पोक्सो एक्ट ST no.- 16/14 मा0न्या0, स्पेशल कोर्ट । ए0पी0पी0- आर0एन0 तिवारी	फगलु उर्फ फुगलु देवगम पे0 स्व0 सिंगराय देवगम, सा0- कुटकुट डुंगरी, रोड नं0- 06, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम ।	नाबालिग लड़की के साथ बालात्कार करना ।	जमानत पर मुक्त	वादी सिताराम मेलगाड़ी पे0 स्व0 नजीर मेलगाड़ी, सा0- केनमुंडी, थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसांवा, वर्तमान पता- कुटकुडुंगरी, थाना- उलीडीह		1. सिताराम मेलगाड़ी पे0 स्व0 नाजीर मेलगाड़ी, 2. सन्नी टोप्पो पे0 ज्योति टोप्पो, 3. लक्ष्मी हेम्ब्रम पे0 टुरम हेम्ब्रम, 4. बाली मेलगाड़ी पे0 पति सिताराम मेलगाड़ी, 5. हरी पिन्गुआ पे0 प्रीतम पिन्गुआ, सभी सा0- कुटकुमडुंगरी, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम । 6. डॉ0 मंजू मेरीना बाड़ा, 7. डॉ0 योगेश, दोनों सा0- एम0जी0एम0 अस्पताल, जमशेदपुर ।
34.	उलीडीह काण्ड सं0- 167/17, दि0- 05. 06.17, धारा-302/120 (बी)/34 भा0द0वि0 ST no.-495/17 ए0डी0जे0- 13 श्री प्रभाकर सिंह ए0पी0पी0- श्याम कुमार महतो	प्रा0अभि0 1. सूरज गोरई पे0 शम्भू गोरई, सा0- शंकोसाई रोड नं0- 01, हरि मंदिर, थाना- उलीडीह, 2. राकेश साहु पे0 जगदीष साहु, सा0- शंकोसाई रोड नं0- 01, 3. विषाल कुमार साव पे0 स्व0 संजीत साव, सा0- गुडरू परमानन्द, तीनों थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 04 कालू जो जोमवारी देवी का पोता एवं, अप्रा0अभि0 4. चिन्दू कुमार पासवान पे0 शिवजी पासवान, 5. सौरभ बनर्जी उर्फ सोने पे0 देव बनर्जी दोनों सा0- शंकोसाई, रोड नं0- 05, जे0पी0 स्कूल के समीप, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम	एकमत होकर षडयंत्र के तहत हत्या करना ।	तीनों अभियुक्त जमानत पर मुक्त हैं ।	वदिनी चंदा देवी पति मोहन रवानी, सा0- शंकोसाई, रोड नं0- 01, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम ।		आम जनता गवाह :- चंदा देवी पति मोहन रवानी, सा0- शंकोसाई, रोड नं0- 01, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम ।, 2. अनिता देवी पति चन्द्रपेख शर्मा, सा0- शंकोसाई रोड नं0- 05, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 3. कमलेश प्रसाद पे0 स्व0 केदार प्रसाद, सा0- शंकोसाई, रोड नं0- 05, 4. जॉन सोनू प्रसाद पे0 रामचन्द्र प्रसाद, सा0- शंकोसाई रोड नं0-05, सभी थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 5. पूनम देवी पति सतीष कुमार राय, सा0- गोलमुरी आम बगान, 6. शांति देवी पति जय प्रकाश प्रसाद, 7. ललन ठाकुर पे0 नागेश्वर ठाकुर, दोनों सा0- शंकोसाई, रोड नं0- 05, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 8. डॉ0 विभाकर कुमार एम0जी0एम0 अस्पताल, एवं अनु0कर्ता मुकेश चौधरी, वर्तमान थाना प्रभारी, उलीडीह ।
35.	उलीडीह काण्ड सं0- 419/16, दि0- 17. 11.16, धारा- 302/34 भा0द0वि0 ST no.-300/17 ए0डी0जे0- 13 श्री प्रभाकर सिंह ए0पी0पी0- प्याम कुमार महतो	अ0प्रा0अभि0 1. षषि कुमार पे0 राधे प्याम, सा0- ई/105, डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक, मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, स्थायी पता- मुहल्ला मथुरिया गोला पहर, पो0- बिहार शरीफ, थाना- लहेरी, जिला- नालंदा (बिहार), 2. मुकेश पर्मा पे0 रामदेव पर्मा सा0- शंकोसाई रोड नं0- 01, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 3. मोहन पर्मा पे0 बंगाली पर्मा सा0- शंकोसाई, राजीव पथ, हनुमंत नगर, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम ।	अप्रा0अभियुक्तों द्वारा तेज एवं धारदार हथियार से गला काट कर हत्या करना ।	अभियुक्त जेल में है ।	षषि कुमार पे0 राधे प्याम, सा0- ई/105, डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक, मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, स्थायी पता- मुहल्ला मथुरिया गोला पहर, पो0- बिहार शरीफ, थाना- लहेरी, जिला- नालंदा (बिहार),		आम जनता गवाह :- 1 राज कुमार पे0 राधेप्याम, सा0- , स्थायी पता- मुहल्ला मथुरिया गोला पहर, पो0- बिहार शरीफ, थाना- लहेरी, जिला- नालंदा (बिहार) 2 जोजस कुजूर पे0 स्व0 हेरवत कुजूर, सा0- अरगोड़ा, तीतरटोली, राँची, वर्तमान पता- वरीय प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, निरीक्षणालय, साउथ लेक, सेक्टर 01 कोलकता (पं0बंगाल) 3. संजय कुमार सिन्हा पे0 स्व0 बिरेन्द्र नारायण प्रयाद, वर्तमान वरीय प्रबंधक इंडियन ओवरसीज बैंक, निरीक्षणालय, साउथ लेक, सेक्टर 01 कोलकता (पं0बंगाल), 4.वीणा कर्ण पति स्व0 दानवीर कर्ण, सा0- ई/103 डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक , मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 5. दीपा पर्मा पति डॉ0 दिनेश पर्मा ई/104, डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक, मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 6. डॉ0 दिनेश प्रसाद पर्मा पे0 स्व0 धनु प्रसाद

							षर्मा, सा0- ई/104, डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक , मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 7. आकाष प्रसाद षर्मा पे0 डॉ0 दिनेष प्रसाद षर्मा, ई/104, डी मधुसुदन चौधरी कम्पलेक्स, डिमना चौक , मानगो, थाना- उलीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, एवं अन्य चार गवाह।
36.	<p>बोडाम थाना कांड सं0 18/17 दिनांक-15.07.17 धारा 302/201 भा0द0वि0 GR no.- 1977/17</p> <p>मा0न्या0, प्रथम श्रेणी श्रीमति ऐंजलिना जॉन</p> <p>ए0पी0पी0- राकेश कुमार</p>	अप्रा0अभि0 नवीन भौमिक उर्फ बॉबी पे0 राजेन्द्र भौमिक सा0 जी0-14 रामदेव बगान थाना गोलमुरी जिला पूर्वी सिंहभूम।	हत्या कर शव को छिपाना	सामान्य हत्या।	चौ0 2/2 गोपाल साहिस पे0 स्व0 अर्जुन साहिस सा0 हलुदबनी थाना बोडाम जिला पूर्वी सिंहभूम	सरकारी गवाह- 1. स0अ0नि0 सोमा उरॉव पदस्थापित-बोडाम थाना मो0न0-9631351070 2. स0अ0नि0संतोष कुमार बोडाम थाना मो0 न0-9334466533 एवं दो आम जनता गवाह	<ol style="list-style-type: none"> 1. विरेन्द्र सिंह उर्फ बबलु सिंह पे0 चन्द्रषेखर सिंह सा0 रोड न0 -5 थाना सिदगोडा पूर्वी सिंहभूम 2. रोविन भौमिक पिता स्व0 राजेन्द्र भौमिक सा0 जी0 14 रामदेव बगान थाना गोलमुरी। 3. अर्जुन लोहार पिता बोना लोहार सा0 भिनीडीह थाना बोडाम जिला पूर्वी सिंहभूम।
37.	<p>बोडाम थाना कांड सं0 39/17 दिनांक- 12.11.17 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 04/12 पोक्सो एक्ट</p> <p>जी0आर0 न0-पोस्को 3137/17</p> <p>कोर्ट-ए0डी0जे0-1</p> <p>ए0पी0पी0-आर0 एन0 तिवारी</p>	प्रा0अभि0 वासुदेव सिंह पे0 स्व0 अनिल सिंह , सा0- पोटकाडीह, थाना- बोडाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम	शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर गर्भवती करना	जेल में है।	सुकर मनी सिंह पे0 साधु सिंह , सा0- पोटकाडीह, थाना- बोडाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम	चिकित्सक :- 1. डॉ0 निरू झा, एम0जी0एम0 हॉस्पिटल, 2. डॉ0 ललन चौधरी, एम0जी0एम0 थाना, 3. डॉ0 अभय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह जेल, पूर्वी सिंहभूम	आम जनता :- <ol style="list-style-type: none"> 1. साधु सिंह पे0 स्व0 मिताई सिंह , 2. लाल गोविन्द सिंह पे0 आनन्द सिंह, 3. हलधर महतो पे0 चरण महतो, सभी सा0- पोटकाडीह, थाना- बोडाम, जिला- पूर्वी सिंहभूम

38.	कमलपुर थाना कांड सं० 08/18 दिनांक- 17.03.18 धारा 302/201/34 भा०द०वि० GR no.- 797/18 मा०न्या०, प्रथम श्रेणी श्रीमति अपर्णा कुमारी ए०पी०पी०- राजीव रंजन सिंह	प्रा०अभि० दुर्योधन हेम्ब्रम पे० अकलु हेम्ब्रम, सा०- लालडुंगरी, कटींग, 2. चण्डी प्रमाणिक पे० कालीपदो प्रमाणिक, सा०- कुमरी, दोनों थाना कमलपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम	महिला की गला दबा कर हत्या करना एवं साक्ष्य छुपाने का प्रयास करना।	जेल में है।	बादल गोप पे० स्व० सुफल गोप, सा०- गोपालपुर, थाना- कमलपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम		आम जनता गवाह :- 1. महिन्द्र गोप पे० बादल गोप, सा०- गोपालपुर 2. सुनील महतो पे० स्व० भोन्दु महतो, सा०- कुमीर, 3. भास्कर महली पे हरि कृष्ण महली, सा०- कांटीडीह, 4. मृत्युंजय महतो पे० स्व० घनश्याम महतो 5. कपुरा महली पति श्याम सुन्दर महली, सा०- कांटीडीह, सभी थाना- कमलपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम।	
39.	पटमदा थाना काण्ड सं०- 08/18, दि०- 24.02.18, धारा- 394 भा०द०वि० GR no.- 539/18 मा०न्या०, प्रथम श्रेणी श्रीमति ऐंजलिना जॉन ए०पी०पी०- राकेश कुमार	अभि० 1. अर्जुन महतो पे० सिता राम महतो, सा०- चाँदनी चौक, पारडीह, थाना- मानगो, 2. आकाश आलदा पे० लाउ आलदा, सा०- परमेश्वर कॉलोनी, पारडीह, थाना -मानगो, 3. भुवन तंतुबाई पे० बुद्धेश्वर तंतुबाई, सा०- चाँदनी चौक, पारडीह, तीनों थाना- मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम	हथियार का भय दिखा कर वादी से मोबाईल, सफारी स्टोर का चाभी, ए०टी०एम० कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, सोने का चेन, जरूरी कागजात लूट लेना।	जेल में है।	जयदीप महतो पे० हरिपदो महतो, सा०- रंगाटांड, थाना- पटमदा, जिला- पूर्वी सिंहभूम,	सरकारी गवाह :7 1. पु०अ०नि० महेन्द्र करमाली, वर्तमान थाना प्रभारी, पटमदा, पूर्वी सिंहभूम,	आम जनता गवाह :- 1.जयदीप महतो, पे० हरिपदो महतो, सा०- रंगाटांड, थाना- पटमदा, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 2. हरिपदो महतो पे० गोर चन्द्र महतो, 3. शांति देवी पति हरिपदो महतो, 4. जलधर महतो पे० शनी राम महतो, 5. विजय महतो पे० गोपाल महतो, 6. साधु पदो महतो पे० कृति महतो, सभी सा०- रंगाटांड, थाना- पटमदा, जिला- पूर्वी सिंहभूम एवं 7. रंजीत तंतुबाई पे० भरत तंतुबाई, सा०- चाँदनी चौक, पारडीह, 8. पिन्दु सोनी पे० ललन सोनी, सा०- चाँदनी चौक, दोनों थाना- मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, 9. मो० सलीम पे० नईमुद्दीन, सा०- हीलभ्यू एरिया, थाना- जुगसलाई, सभी जिला- पूर्वी सिंहभूम,	

40.	<p>एम0जी0एम0 थाना काण्ड सं0- 75/17, दि0- 07.10.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट</p> <p>GR no.- 2813/17 ए0डी0जे0- 09 श्री शेषनाथ सिंह ए0पी0पी0- राकेश पाठक</p>	<p>प्रा0अभि0 चित्रसेन गौड़ पे0 कालीपदो गौड़, 2. सुबोध गौड़ पे0 लक्ष्मण गौड़, दोनों सा0- पोखारी, थाना- एम0जी0एम0, जिला- पूर्वी सिंहभूम।</p>	<p>अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगेहाथ पकड़ा जाना।</p>	<p>जेल में है।</p>	<p>वादी पु0अ0नि0 बंदी राम टोप्पो, वर्तमान में एम0जी0एम0 थाना में पदस्थापित, जिला- पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>सरकारी गवाह :- अ0नि0 बंदी राम टोप्पो पे0 स्व0 दुखु टोप्पो, वर्तमान पदस्थापन एम0जी0एम0 थाना। ह0- गंगा बहादुर खत्री, ह0- दिनेश कुमार सिंह, आरक्षी/1474 होमी लाल मरांडी, चालक गृहरक्षक/3907 गोपाल सिंह सभी एम0जी0एम0 थाना में सशस्त्र बल। परिचारी प्रवर, श्री राजीव कुमार, पुलिस केन्द्र, जमषेदपुर, अनुसंधानकर्ता:- रुद्रधर मिश्रा।</p>	<p>आम जन गवाह विजय कुमार शर्मा पे0 दुर्गा प्रसाद शर्मा, सा0- ओल्ड पुरुलिया रोड, कुंवर बस्ती, थाना- मानगो, सैयद खान पे0 हनीफ खान, सा0- मौजा- पहाड़ी अपार्टमेन्ट, ब्लॉक ए 4, परसुडीह थाना, जिला- पूर्वी सिंहभूम।</p>	
41.	<p>एम0जी0एम0 थाना काण्ड संख्या-08/17, दिनांक-26.01.17, धारा-341/323/ 307/34 भा0द0वि0</p> <p>एस0टी0न0-352/ 17 कोर्ट-ए0डी0जे0-5 राजेश कुमार शर्मा</p>	<p>1. गुन्नु कर्मकार पे0-हराधन कर्मकार, 2. भोला गोरार्ई पे0-प्रभू गोरार्ई दोंनो सा0-ग्राम बालीगुमा सुकना बस्ती, थाना-एम0जी0एम0 जमषेदपुर।</p>	<p>जान मारने के नियत से पटरा से मारकर गम्भीर रूप से जख्मी करना।</p>		<p>वादी सोमवारी सिंह, पति-बलराम सिंह सभी सा0-बालीगुमा सुकना बस्ती, थाना-एम0जी0एम0 जमषेदपुर।</p>	<p>डा0 अजीत कुमार कर्ण पे0-राजेन्द्र लाल दास सा0-खड़का थाना-नानपुर जिला-सितामढ़ी बिहार वर्तमान पता-पोस्ट ऑफीस रोड मानगो जमषेदपुर, जुनियर रजिस्ट्रार टी0एम0एच0, जमषेदपुर</p>	<p>1.मनोज गोरार्ई पे0-प्रभात गोरार्ई 2.कान्हू हॉसदा पे0-छोटेराय हॉसदा 3.रोहीत मोदी पे0-रणजीत मोदी 4.कृष्णा पांडा पे0-युधीष्ठिर पांडा 5.बलराम सिंह पे0-स्व0 करण सिंह</p>	

42.	बागबेड़ा थाना कांड सं०- 8/17 दि०-19.01.17, धारा-25(1-बी०)ए/26/27 शस्त्र अधिनियम। जी० आर० नं०-169/17 कोट-एस०गुई, ए०पी०पी०-राजिव रंजन सिंह	1. धर्मेन्द्र बास्की, उम्र 40 वर्ष, पे० स्व० जॉन बास्की, सा० सी०पी०टोला, बागबेड़ा, थाना बागबेड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	अवैध रूप से हथियार रखना एवं फाईरिंग करना।	अभियुक्त धर्मेन्द्र बास्की बेल पर है।	पु०अ०नि० अवधेश कुमार-2, पे० श्री देवनद्र प्रसाद यादव, ग्रा०+पो० हैरू दियारा, जिला मुंगेर थाना कोसिम बाजार बिहार, वर्तमान में गोलमुरी, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर।	1. पु०अ०नि० सतं कुमार राय, वर्तमान में बागबेड़ा थाना पदस्थापित, मो० 9304161622 2. स०अ०नि० लालजी हेम्ब्रम, वर्तमान में बरसोल थाना मो० 9199160541 3. स०अ०नि० सुदीश कुमार सिंह, वर्तमान में बागबेड़ा थाना, मो०-8677004824, अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० घर्मवीर सिंह, वर्तमान में बागबेड़ा थाना। मो०-7091069591	1.बीजू बानरा, पे० स्व० मंगल बानारा सा० एदल झोपड़ी, 2. सुख गोप, पे० यमुना गोप, सा० सी०पी०टोला, दोनो थाना बागबेड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	
43.	बागबेड़ा थाना काण्ड सं० 51/17 दिनांक-19.03.17, धारा-414 भा०द०वि० एवं 25(1-बी०)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम। जी० आर० नं० 767/17 कोर्ट-संजीविता गुईन ए०पी०पी०-राजीव रंजन सिंह	1. बादशाह खान उर्फ राज खान, पे०-मोईन खान, सा०-गॉधीनगर, बागबेड़ा, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	चोरी का समान एवं अवैध हथियार तथा कारतूस रखना।	बादशाह खान उर्फ राज जेल में है।	वादी पु०नि० सह थाना प्रभारी आमीष हुसैन, पे०-मो० आरीफ, वर्तमान में सी०सी०आर० पुलिस निरीक्षक, जमशेदपुर।	1. स०अ०नि० बुदान सोरेन, वर्तमान में बागबेड़ा थाना, मो०-8294644308, 2. स०अ०नि० विजय कुमार, वर्तमान में साकची थाना, मो०-9431334500 3. स०अ०नि० सुदीश कुमार सिंह, वर्तमान में बागबेड़ा थाना, मो०-8677004824, अनुसंधानकर्ता अवधेश कुमार-2, पु०अ०नि० वर्तमान में गोलमुरी, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर मो०- 821017728		

44.	बागबेड़ा थाना काण्ड सं० 52/17 दिनांक-21.03.17, धारा- 302/120 (बी०) /34 भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम। एस०टी० न०-324/17, कोर्ट-ए०डी०जे०-13, ए०पी०पी०-प्याम कुमार महतो	प्राथमिकी अभियुक्त 1. रंजीत साव, 2. संजीत साव, 3.अजीत साव, तीनों पे०-रामधारी साव, सा०-गाराबासा, 4.पोपो मुण्डा, पे०-अर्जुन मुण्डा, सा०-लाल बिल्डिंग पानी टंकी के पास, 5. राजू सब्जी, सा०-रामनगर, सभी थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	गोली मारकर फाईरिंग कर साजिष के तहत हत्या करना।	1.अजीत साव एवं 2. पोपो मुण्डा जेल में हैं। 3. रंजीत साव, 4. संजीत साव एवं 5. राजू सब्जी बेल पर है।	वादी नवीन पासवान, पे०-विरेन्द्र प्रसाद पासवान, सा०-बेड़ाडीपा नगर, खुषबू थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	1. रोबिनबान सिंह, पे०-रेनगो बान सिंह, सा०-सोमाई झोपड़ी बड़ा तालाब, 2. बंटी पासवान, पे०-विरेन्द्र प्रसाद पासवान, सा०-बेड़ाडीपा खुशबु नगर, 3. लखन लाल उर्फ राजा पे०-स्व० रमेश लाल, सा०-रामनगर, नियर रेलवे हाई स्कूल के पीछे तीनो थाना-बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० गणेश नारायण सिंह, वर्तमान में बागबेड़ा थाना मो०-7549714700	1. लखन लाल उर्फ राजा पे० स्व० रमेश लाल, सा० रामनगर नियर रेलवे स्कूल के पीछे, 2. कार्तिक साहु पे० किशोरी साहु सा० रामनगर 3. राजेन्द्र वर्मा पे० स्व० कारु वर्मा सा० रामनगर शाखा मैदान, सभी थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम।	
45.	बागबेड़ा थाना काण्ड सं० 53/17 दिनांक-23.03.17, धारा- 25(1-बी०)ए /26/35 शस्त्र अधिनियम। एस०टी० न०-343/17 कोर्ट-ए०डी०जे०-9, ए०पी०पी० अमर कुमार चौधरी	1. अजीत साव, पे०-रामधारी साव, सा०-लाल बिल्डिंग, रेलवे क्वा०-480/9, 2. पोपो मुण्डा, पे०-अर्जुन मुण्डा, सा०-लाल बिल्डिंग पानी टंकी के पास बागबेड़ा, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर,	अवैध रूप से हथियार रखना एवं रंगे हाथ पकड़े जाना।	अभियुक्त जेल में है।	वादी पु०नि० सह थाना प्रभारी आमीष हुसैन, पे०-मो० आरीफ, वर्तमान में सी०सी०आर० पुलिस निरीक्षक	1. पु०अ०नि० शिबु कुजूर, वर्तमान में बाडबेड़ा थाना मो०- 9608974166 2. अवधेश कुमार-2, पु०अ०नि० वर्तमान में गोलमुरी, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर मो०-821017728 3. स०अ०नि० सुदीश कुमार सिंह, वर्तमान में बागबेड़ा थाना, मो०-8677004824, 4. स०अ०नि० विपिन झा, वर्तमान में बागबेड़ा थाना, मो०-9431783614, 5. स०अ०नि० विजय कुमार, वर्तमान में साकची थाना, मो० 9431334500 अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि० गणेश नारायण सिंह, वर्तमान में बाडबेड़ा थाना मो०-7549714700	जप्ती सूची के साक्षी 1. अजय गोप, पे० अर्जुन गोप सा० रानीडीह 2. विक्की कुमार पे० विजय यादव, सा० हरहरगुट्टु दोना थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम।	

46.	बागबेड़ा थाना काण्ड सं० 188/17 दिनांक-19.10.2017, धारा 341/323/302/201/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। जी० आर०-2942/17 एस०टी०-163/18, कोर्ट-ए०डी०जे०-9, ए०पी०पी०-अमर कुमार चौधरी	1. धनराज मुखी, उर्फ करूवा पे० मनोज मुखी उर्फ करूवा, 2. बिटु मुखी उर्फ मनीष मुखी, पे०-तुफान मुखी उर्फ मकरहवज मुखी, दोनों सा० हरिजन बस्ती ट्रॉफिक कॉलौनी, थाना बागबेड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	मारपीट करना एवं गोली मारकर हत्या करना और साक्ष्य छुपाने	अभियुक्त जेल में है।	वादी गणेश मुखी, पे०-स्व० गोविन्द मुखी, सा०-सरजमदा पुराना बस्ती, थाना-परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर		1 प्रभा मुखी, पति गणेश मुखी, सा० सरजमदा पुराना बस्ती, थाना परसुडीह, 2 अनिता मुखी, पति विनोद मुखी, सा० बागबेड़ा पोस्तो नगर, थाना बागबेड़ा, 3 सोनु मुखी पे० गणेश मुखी,, 4 संदीप करूवा, पे० पशुराम करूवा, दोनो सा० सरजमदा पुराना बस्ती, थाना परसुडीह	
47.	बागबेड़ा थाना काण्ड सं० 193/17 दिनांक-04.11.17, धारा-302/201 भा०द०वि०। एस०टी०-109/18 कोर्ट-ए०डी०जे०-9, ए०पी०पी० अमर कुमार चौधरी	अप्राथमिकी अभियुक्त मिर्जा रफीकुल हक, पे०-रवीउल हक, सा०-बहिर सर्वमंगला, माथपरा वर्द्धमान पश्चिम बंगाल।	हत्या करना और साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से बड़ा अटैची में शव को सड़क किनारे छोड़ देने	अभियुक्त जेल में है	वादी पु० अ०नि० शिबु कुजूर, पे० स्व० बैजू कुजूर, वर्तमान पुलिस अवर निरीक्षक बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर		1 तापस दांग, पे० दुर्गा दांग, सा० मधुकुदया, जिला पुरुलिया 2 रामराज मुर्मू पे० लखीन्द्र मुर्मू सा० बनोर बारी, थाना राजनगर, जिला सरायकेला खरसाँवा। 3 राकेश नामता, पे० खुदीराम नामता, सा० नरसिंहगढ़, पे० धालभुमगढ़ थाना धालभुमगढ़, 4 मार्शल पुर्ती पे० अम्बलोन पुर्ती, सा० बारीडीह, थाना सिदगोड़ा, 5 पायल दास, पे० उत्पल दास, सा० कदमा शास्त्री नगर। थाना कदमा 6 संजीत घोस पे० गिरधारी घोस सा० जयप्रकाश नगर डिमना रोड थाना उलीडीह। 7. धनन्जय कुमार पे० राम स्वरूप सिंह सा० कर्वा नं 47/1 वस्तु विहार मानगो। 8 राजकुमार सिंह पे० रामचन्द्र सिंह सा० मकान सं० 213 सोनारी थाना सोनारी 9 अरुण कुमार पे० नारायण प्रसाद 10 अनिता रानी पति अरुण कुमार दोनो सा० कर्वा० नं० सी./2 मरिया अपार्टमेंट अषोक पथ भाटिया बस्ती कदमा	
48.	परसुडीह थाना काण्ड सं० 82/16 दिनांक-19.03.18, धारा-25(1-बी०)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर०-782/16 कोर्ट न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी मनोज कुमार शर्मा	सीताराम शर्मा पे०-हृदया राम शर्मा सा०- हलुदबनी पाराटोला थाना परसुडीह जमशेदपुर।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ बरामद होना।	जमानत पर मुक्त	वादी पु०अ०नि० योगेन्द्र शुक्ला थाना-परसुडीह जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	(1)वादी पु०अ०नि० योगेन्द्र शुक्ला परसुडीह थाना (2)साक्षी-स०अ०नि० नयनटुडू परसुडीह थाना। (3)साक्षी-पु०अ०नि० मनोज राय परसुडीह थाना (4)साक्षी-मोणी श्रीवास्तव पे०स्व०शिवधर	M.R.NO-12/16 (1)एक देषी कट्टा लोहे का जिसका बट लकड़ी का लगा है जिसका कुल ल०25 से०मी०जिसमें एक 3.5 बोर का गोली खोखा लोड जिसके पेन्दी पर क०एफ००८एम.एम० अंकित है। देषी कट्टा की बट की ल०-8/2से०मी०बॉडी की०लं०-7से०मी०बैरल की ल०-13 से०मी०	

	ए०पी०पी०- सुधीर टोप्पो					प्रसाद यादव सा०-परसुडीह हलुदबनी रोड छोटा हनुमान मंदिर के निकट थाना परसुडीह। (5)सिकन्दर हुसैन पे०स्व० सियाकत हुसैन पता मकदमपुर रोड नं०-2 थाना-परसुडीह। (6)अनुसंधान कर्ता स्व० जयप्रकाश खलको। परसुडीह थाना।	
49.	परसुडीह थाना काण्ड सं०-63/16 दिनांक-25.02.16 धारा-506/307/34भा०द०वि०एवं 27 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-782/16 माननीय - श्री मनोज कुमार शर्मा न्यायिक दण्डा० प्रथम श्रेणी जमषेदपुर ए०पी०पी० सुधीर टोप्पो	1)सीता राम शर्मा पे०हृदयाराज शर्मा सा०-हलुदबनी पाराटोला थाना परसुडीह (2)गोविन्दा स्वर्णकार पे० गोपाल स्वर्णकार सा०-हलुदबनी थाना परसुडीह जिला जमषेदपुर। (3)चिन्नमया शेन गुप्ता पे० आनन्द शेन गुप्ता पता परमथ नगर थाना	एकमत होकर घमकी देना तथा जान मारने के नियत से गोली मारकर गम्भीर रूप से जखमी करना।	जमानत पर मुक्त	लक्ष्मी बिरुली उम्र 35 वर्ष पता परसुडीह हलुदबनी कोचाकुली थाना परसुडीह जिला जमषेदपुर।	(1) लक्ष्मी बिरुली उम्र 35 वर्ष -पतिस्व०काँग्रेस बिरुली पता परसुडीह हलुदबनी कोचाकुली थाना परसुडीह। (2)आर्यन सोय पे०-बैजुसोय पता हलुदबनी मतकमटोला थाना परसुडीह। (3)तुलसी बिरुली -पतिस्व०काँग्रेस बिरुली पता परसुडीह हलुदबनी कोचाकुली थाना परसुडीह। (4)भरत सिंह पे०-बली सिंह पता- हलुदबनी कोचाकुली थाना परसुडीह। (5)रायमुनी बिरुली पति स्व० काँग्रेस बिरुली पता परसुडीह हलुदबनी कोचाकुली थाना परसुडीह। (6)पूरणचन्द्र दास पे० नारायण चन्द्र दास पता-नामोटोला हलुदबनी थाना परसुडीह। (7)राजेश दास पे० पन्ना लाल दास सा०-हलुदबनी थाना परसुडीह।	
50.	परसुडीह थाना काण्ड सं०-19/17 दिनांक-08.02.17 धारा-25(I-B)A 26/35 सषस्त्र अधि० जी०आर०-558/16 श्री मनोज कुमार	(1)भिम तिवारी उम्र लगभ 30 वर्ष पे०स्व० मंगरू तिवारी सा०-ग्वाला पट्टी परसुडीह (2)बावडा महतो उर्फ राजु महतो उम्र 30 वर्ष पे०स्व० परिष्ठीत महतो सा०-सरजमदा पूराना बस्ती ई०जी०एल०मैदान के पास थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर	अवैध रूप से हथियार रखना एवं रंगे हाथ पकड़े जाना।	अभि० नं०(1)जेल में एवं अभि० नं०-(2) बेल पर है।	शिव शंकर प्रसाद स०अ०नि० परसुडीह थाना वर्तमान पदस्थापना टेल्को थाना पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर। मो०-9122814259	(1)स०अ०नि० शिव शंकर प्रसाद टेल्को थाना मो०-9122814259 (2)पु०अ०नि० प्रमोद कुमार सिंह अनुसंधानकर्ता परसुडीह थाना मो०-8969840145 (3)आ०1596 गिरजा साव टाईगर मोबाईल सी०सी०आर०	पूर्व थाना प्रभारी पु०नि० सह थाना प्रभारी शंकर ठाकुर के पास है जो मालखाना में हैं

	शर्मा न्यायिक दण्डा० प्रथम श्रेणी जमषेदपुर ए०पी०पी० सुधीर टोप्पो					मो०-(4) आ०-606 दुर्गा प्रसाद महतो (5) आ०-510 घनषयाम लोहरा (6)चालक पु०गृहरक्षक-2226 नन्दलाल गीरी (7)षयामषुन्दर दास(8)राहुल कुमार दास (8)परिचारी प्रवर राजीव कुमार पुलिस केन्द्र गोलमूरी जमषेदपुर ।	
51.	परसुडीह थाना काण्ड सं०-180 / 17 दिनांक-04.10.17 धारा-302 / 201 / 34 / 120(बी०) भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट जी०आर०-2770 / 17 एस०टी०नं०-62 / 18 कोर्ट ए०डी०जे०-09 ए०पी०पी० अमर कुमार चौधरी	अभ्युक्त (1) पियून सरदार पे०स्व० षिषुरंजन सरदार सा०-तिलकागढ मुण्डाटोली (2)कुन्जू तियु पे०स्व०-टीपु तियु सा०-छोलागोडा दोनो थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिहभूम (3)सुकरा हेम्ब्रम पे०-बुधु हेम्ब्रम सा०-बारीगोडा नियर विरसा मेमोरियल स्कूल के सामने तिलकागढ थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिहभूम जमषेदपुर	'षडयंत्र के तहत हत्या करना एवं साक्ष्य छुपाना।	तीनो जेल में	पानो हॉसदा पे०स्व० दुर्गा हॉसदा सा०-डन्डबुस थाना रायरंग पुर जिला-मयुरभंज उडीसा वर्तमान-तिलकागढ मुण्डाटोली (पियुन सरदार के घर में भाडेदार थाना परसुडीह जिला- पूर्वी सिहभूम)	(1)पु०नि० सह थाना प्रभारी परसुडीह अनिमेष कुमार गुप्ता मो०-9431706515 (2)पानो हॉसदा पति स्व० दुर्गा हॉसदा पता- डन्डबुस थाना रायरंग पुर जिला-मयुरभंज उडीसा वर्तमान-तिलकागढ मुण्डाटोली (पियुन सरदार के भडेदार । (3)सुनील हॉसदा पे०चेतन प्रसाद हॉसदा डन्डबुस थाना रायरंग पुर जिला-मयुरभंज उडीसा मो०-8018816358 (4)रमेश चन्द्र हॉसदा पे०स्व० सावना हॉसदा पता- डन्डबुस थाना रायरंग पुर जिला-मयुरभंज उडीसा (5)जमुना सोरेन पति संजय सोरेन सा०-नामोटोला थाना परसुडीह	M.R.NO-25 / 17 (1)जला हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा अर्द्ध जला स्थिति में नमुना के तौर पर शील किया गया है। (2)एक खोखा पितल का (3)खुन लगा मिट्टी एवं घास मचान के निचे से। (4)पियोन सरदार के दाहीने कमर से (A)एक लोहा का देषी पिस्तौल जिसके मैगजीन में तीन जिन्दा गोली एवं पितल का लाईट (B)पियोन सरदार के घर के अंदर खटिया से छिपाये हालत में एक सडा-गला पूराना मटमैला चादर जिसपर खुन जैसा दाग लगा हुआ।

					<p>(6)करनी हॉसदा पति-रमराय हॉसदा सा0- रितुडीह बहागढ थाना- माराफाडी जि0- बोकारो</p> <p>(7)सोनी हेम्ब्रम पति बगुन हेम्ब्रम सा0- रितुडीह बहागढ थाना- माराफाडी जि0- बोकारो।</p> <p>(8) परिचारी प्रवर राजीव कुमार पुलिस केन्द्र गोलमूरी जमषेदपुर।</p>	
52.	<p>(3) परसुडीह थाना काण्ड सं0 158 / 17 दिनांक 01.09. 17 धारा 302 / 201 / 1 20बी0 379 / 34 भा0द0वि0</p> <p>जी0आर0-2431 / 17</p> <p>एस0टी0नं0-173 / 18</p> <p>कोर्ट ए0डी0जे0-13</p> <p>ए0पी0पी0 श्याम कुमार महतो</p>	<p>अतुल चौरसिया पिता अनिल कुमार चौरसिया सा0 बारीगोडा हाईस्कूल के पास थाना परसुडीह जिला पूर्वी सिंहभूम।</p>	<p>षडयंत्र के तहत हत्या कर साक्ष्य को छुपाना</p>	<p>जेल में।</p>	<p>1) अरुण दास पे0स्व0 गोविन्दर दास ग्राम+पो0+थाना-सुन्दर नगर जि0-पूर्वी सिंहभूम।</p>	<p>(1) अरुण दास पे0स्व0 गोविन्दर दास ग्राम+पो0+थाना-सुन्दरनगर जि0-पूर्वी सिंहभूम।</p> <p>(2)परिमल राय पे0 भगवान सिंह (3)सुब्रत राय पे0परिमल राय दोनो सा0-बारीगोडा थाना परसुडीह।</p> <p>(4)विजय दुबं उम्र 32 वर्ष</p> <p>(5)कुमुद नाथ उम्र 60 व पे0 अमरनाथ दुबे दोनो सा0 किताडीह ग्वाला बस्ती थाना परसुडीह।</p> <p>(6)अमन कुमार दुबे उम्र 18 वर्ष पे0रंजन दुबे सा0 किताडीह ग्वाला बस्ती था0-परसुडीह।</p> <p>(7)अजय दुबे उम्र 30वर्ष पे0 अमरनाथ दुबे सा0-किताडीह ग्वालापट्टी थाना परसुडीह जि0-पूर्वी सिंहभूम।</p> <p>(8) सोनु कुमार यादव उम्र 18 वर्षपे0 स्व0समल राय यादव सा0बजरंग टेकरी गौधीनगर थाना बागबेडा</p> <p>(9)विष्णुनाथ चक्रवर्ती उम्र 55 वर्ष पे0 दीनेष चक्रवर्ती सा0-किताडीह ग्वालापट्टी थाना परसुडीह</p> <p>(10)नितु पाण्डेय उम्र 35 वर्ष पति संजय पाण्डेय सा0-पदमारोड म0नं0-77थाना सिदगोडा (11) लक्ष्मण कुमार उम्र 32 वर्ष बी0एन0पंडीत सा0-सा0-किताडीह ग्वालापट्टी थाना परसुडीह</p> <p>(13)रविरंजन उम्र 25 वर्ष पे0स्व0सुनिल पुसाद सा0-किताडीह थाना परसुडीह(14) तापेस कु0भगत पे0 रविन्द्रनाथ भगत सा0-छोटागोबिन्दपुर थाना परसुडीह</p> <p>(15)गोतम दत्ता उम्र 35 वर्ष पे0 एन0के0 दत्ता</p> <p>(16)तनमय दास उम्र 21 वर्ष पे0तापस दास दोनो सा0 सुन्दरनगर।</p> <p>(17)फुफा नन्द नायक उम्र 55 वर्ष पे0स्व0 माहवर नाथ सा0गोलमूरी</p> <p>(18)एम0डी0असरफ अली उम्र 35 वर्ष पे0 मंजित अली सा0 किताडीह मस्जिद</p> <p>(19)साधु चौरसिया पे0 अनिल कुमार चौरसिया।</p>

							<p>(20)मनि चौरसिया पति सुसिल चौरसिया। (21)डा० यू०एस० प्रसाद असिस्टेन्ड प्रोफेसर एम०जी०एम० हॉस्पिटल। (22)सोमित्र मित्रा उम्र 20 वर्ष पे० संजीव मित्रा सा० क्रोस रोड नं०-4 के० 25 टाना टेल्को।(23)किषोर यादव पे० जगदीष सिंह यादव सा०-बाबाकुटीर थाना बागबेडा।(24) समरेश कुमार सिंह उम्र 25 वर्ष पे०अवधेश कुमार सिंह सा०-म०नं०-ई०-6 अंगद बलॉक दयाल सिटी थाना परसुडीह (25)प्राणजली सिंह उम्र 23 वर्ष पे० बल प्रसाद सिंह पता-दयाल सिटी थाना परसुडीह (26)रवि झा०उम्र 23 वर्ष पे०इन्द्र कुमार झा०स्थाई पता-ग्राम सिमरिया अमेर हाट थाना बिसर्फी जि०-मधुबनी (बिहार) (27)पु०नि०सह थाना प्रभारी अनिमेष कु० गुप्ता थाना परसुडीह।</p>	
53.	<p>जुगसलाई थाना कांड संख्या- 22/16 दिनांक 18.01.16 धारा- 25(1-बी) ए०/26/आर्म्स एक्ट</p> <p>जी०आर०-173/16</p> <p>कोर्ट -एस.डी. ०जे०एम०</p> <p>ए.पी.पी.-राजीव रंजन सिंह</p>	<p>1.मो० कलीम पिता स्व० अलीम सा०- महतो पाड़ा रोड जुगसलाई ,थाना- जुगसलाई ,जिला- पूर्वी सिंहभूम ,जमशेदपुर।</p>	<p>यह कांड अभियुक्त मो० कलीम को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>मा० न्यायालय द्वारा जमानत पर।</p>	<p>स० अ० नि० अरूण कुमार यादव तत्कालीन जुगसलाई थाना।</p>	<p>अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० मोहन पासवान</p>	<p>1.आ०/1839 सुमेश्वर ओझा 2.आ०/307 मनीष कुमार महतो 3.आ०/2742 वशिष्ठ ना० सिंह ,सभी थाना- जुगसलाई थाना 4.वरुण कुमार सिंह पिता महेश प्रसाद सिंह सा०- हरहरगुटु बागबेडा 5.सदाम अंसारी पिता मो० अख्तर सा०- पुरानी वस्ती रोड जुगसलाई सभी थाना- जुगसलाई जिला- पूर्वी सिंहभूम।</p>	

<p>54.</p>	<p>जुगसलाई थाना कांड संख्या- 26/17 दिनांक 07.03.17 धारा- 25(1-बी) ए0/26/आर्म्स एक्ट</p> <p>जी0आर0-620/17</p> <p>एस0टी0-306/17</p> <p>कोर्ट- ए0डी0जे0-5</p> <p>ए0पी0पी0-राजीव रंजन सिंह</p>	<p>1.मो0 फजल उर्फ विक्की पिता अलाउदीन सा0- पुरानी वस्ती रोड जुगसलाई थाना- जुगसलाई</p>	<p>यह कांड अभियुक्त मो0 फजल उर्फ विक्की को अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है ।</p>	<p>न्यायिक जमानत पर ।</p>	<p>स0 अ0 नि0 विजय कुमार सिंह तत्कालीन जुगसलाई थाना ।</p>	<p>अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 चन्द्रशेखर चौबे ।</p>	<p>1.हवलदार रामकिशुन यादव 2.आ0/1547 पानु लकड़ा 3.आ0 /1396 पंकज झा सभी थाना- जुगसलाई थाना । 4.रौनक अली पिता पिता स्व0 इस्लाम खान सा0- पुरानी वस्ती पंछी मोहल्ला 5. इकवाल अख्तर उर्फ डब्लु पिता मोबीन सा0- पुरानी वस्ती रोड मोहन के मकान में किरायेदार थाना- जुगसलाई जिला- पूर्वी सिंहभूम ।</p>
<p>55.</p>	<p>जुगसलाई थाना कांड संख्या- 76/17 दिनांक 15.07.17 धारा- 302/ भा0 द0वि0</p> <p>जी0आर0-1968/17</p> <p>एस0टी0-434/17</p> <p>कोर्ट-ए0डी0जे0-9</p> <p>ए0पी0पी0-अमर कुमार चौधरी</p>	<p>1.भारत गौड़ पिता भाया गौड़ सा0- पार्वती वस्ती थाना- जुगसलाई ,जिला- पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>यह कांड अभियुक्त के विरुद्ध अस्तुरा से गला रेत कर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है ।</p>	<p>जेल मे है ।</p>	<p>कृष्णा गोप पिता स्व0 सुदर्शन गोप सा0- पार्वती घाट केम्पस ,थाना- जुगसलाई ,जिला- पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>अनुसंधानकर्ता पु0अ0 नि0 जोहेर खान ,जुगसलाई थाना 2. डॉ0 यू0 एस0 प्रसाद एम0 जी0 एम0 कॉलेज अस्पताल ,जमशेदपुर ।</p>	<p>1. विक्रम गोप पिता स्व0 सुदर्शन गोप 2.अजय पात्रो पिता राम पात्रो 3.कृष्णा कालिन्दी पिता अशोक कालिन्दी 4.राजेश कालिन्दी पिता स्व0 कोयली कालिन्दी सभी सा0- पार्वती घाट थाना- जुगसलाई 5.अमरनाथ पाण्डेय पिता रामगोविन्द पाण्डेय सा0- आर0 पी0 पटेल स्कूल छपरहिया मोहल्ला सभी थाना- जुगसलाई ,जिला- पूर्वी सिंहभूम ।</p>

<p>56.</p>	<p>lqUnjuxj Fkkuk dk.M la[;k&12@17 fnuakd&29- 04-2017 /kkjk&302@ 120¼ch½ Hkk0n0fo0A</p> <p>एस0टी0 न0-386 / 17</p> <p>कोर्ट-ए0डी0जे0-9</p> <p>ए0पी0पी0 अमर कु0 चौधरी</p>	<p>vizk0 vfHk;qDr&¼1½ gjizhr flag] lk0 fdrkMhg] Fkkuk ijlqMhg] ¼2½ izdk'k dqekj] is0 dUgS;k izlkn] lk0 xk<+kcklk] Fkkuk&ckxcsM+k] ¼3½ v{k; nqcs] lk0 jkeuxj] Fkkuk ckxcsM+k] ¼4½ vtqZu iaMk] fdrkMhg efLtn ds ikl] Fkkuk ijlqMhg] ¼5½ lqehr gy/kj] xk<+kcklk] ¼6½ IUuh jtd] xk<+kcklk] nksuks Fkkuk&ckxcsM+k IHkh ftyk iwohZ flagHkwe] te'ksniqjA</p>	<p>"kM~;a= dj gR;k djuka</p>	<p>¼1½ gjizhr flag tsy ¼2½izd k'k dqekj tsy ¼3½v{k ; nqcs tekur ij ¼4½ vtqZu i.Mk tsy ¼5½ lqehr gy/kj tsy ¼6½ LkUuh jtd tekur ij</p>	<p>dqekjh lq"ek mEkz&32 o"kZ ifr e`rd dqekj lkSjo] lk0 bZ0 lh0lh0 DokVZj ua0&394@ch VkVv LVhy deZpkjh Fkkuk dnek ftyk&iwohZ flagHkweA</p>	<p>ljdkjh xokg& ugha gSA vuqla/kkudUkk Z&iq0v0fu0 fnyhi dqekj ;kno] Fkkuk izHkkjh lqUnjuxj eks0 ua0& 9431706516 fpfdrld& MkW0 ;w0,l0 izlkn] lgk;d izksQslj ,e0th0,e0 esfMdy dkWyst ,oa vLirky fMeuk] te'ksniqjA</p>	<p>1-lq/khj pUnz >k mEkz&58 o"kZ] is0 Jh 'kf'kdkUr >k lk0 ijksx iqtqjh Vksyk iks0 lkUgk Fkkuk lkgscxat deky ftyk csxqljk; fcgkj gky eqdke Dok0 ua0 394@ch Vkvk LVhy deZpkjh Fkkuk dnek ftyk iwohZ flagHkwe] 2- mn; dkUr >k mEkz 65 o"kZ is0 Lo0 iqjUnj >k lk0 clguh Fkkuk clguh] ftyk lgjlk fcgkj] 3- jRus'k >k mEkz 59 o"kZ is0 Lo0 jktsUnz >k 4- egs'k dqekj >k is0 Lo0 jktsUnz >k nksuks lk0 ukSyk Fkkuk Hkxoukiqj ftyk csxqljk; fcgkjA 5- dqekj xkSjo mEkz 32 o"kZ is0 vfjoUn Bkdqj lk0 'kkgiqj Fkkuk eqQfLly csxqljk; ftyk csxqljk; fcgkj oUkZeku irk xEgfj;k jksM ua0 02 Fkkuk@ftyk ljk;dsyk&[kjlkoka</p>	
<p>57.</p>	<p>बिष्टुपुर थाना कांड सं0-18 / 17 दि0-01.02.17 धारा-461 / 380 / 4 11 भा0द0वि0 एवं</p> <p>जी0आर0 नं0-268 / 17</p> <p>सी0जे0एम0</p> <p>ए0पी0पी0 भोला दास</p>	<p>1. लवप्रीत सिंह उर्फ पेंडू उर्फ लव पे0-स्व0 हरभजन सिंह सा0-पेंडू औरैया, अमृतसर(पंजाब) हा0मो0-म0सं0-282 लाईन नं0-13 टोयलाडुगंरी, थाना-गोलमुरी, 2. देवेन्द्र सिंह उर्फ आई लव, पे0-साहिन सिंह, सा0-विकास कॉलोनी, हो0नं0-04, लाइन नं0-6, एवं 3. मो0 शमीम उर्फ कोना पे0-मो0 जलाल, सा0-बजरंग नगर नाला के पास अमजद के घर में भाडेंदार सभी थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>दिनांक-31.01.17 / 01.02. 17 के रात्री गोदाम का ताला तोडकर एवं उसी जगह पर गाडी का ताला तोडकर एवं जाली काटकर करीब तीस लाख रू0 मूल्य के सामानो की चोरी इनलोगों के द्वारा की गयी तथा सभी समानो को इनकी गिरफतारी पश्चात स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर देवेन्द्र सिंह के घर से बरामद की गयी।</p>	<p>माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉंची द्वारा जमानत।</p>	<p>सुनील कुमार बागोडिया पे0-स्व0 उदय करण बागोडिया सा0-सर्किट हाउस, रोड नं0-5, हा0नं0-25, थाना-बिष्टुपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम।</p>	<p>स0अ0नि0 हरेन्द्र कुमार दुबे बिष्टुपुर थाना। मो0नं0-9934569309 / 8986731776</p>	<p>गवाह-1. राम अवतार अग्रवाल, पे0-स्व0 परमानन्द अग्रवाल, सा0-11 सी0 रोड, एयर बेस कॉलोनी कदमा थाना-कदमा, 2. संजीव कुमार, पे0-कमल किशोर सिंह, सा0-जी0 / 15 शिव गंगा अपार्टमेन्ट कॉर्मेल स्कूल / बाल बिहार के पीछे, सोनारी, थाना-सोनारी, 3. रोहित गोयल, पे0-राम अवतार अग्रवाल, सा0-11 सी0 रोड, एयर बेस कॉलोनी कदमा थाना-कदमा, तीनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	

58.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-103/17 दि०-08.04.17 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधि० एवं जी०आर० नं०-970/17 सी०जे०एम० ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. अजय महानन्द पे०-विपिन महानन्द सा०-तुसरा नवापाडा, थाना-तुसरा, जिला-बालेश्वर (उडिसा) हा०मो०-प्रमोद कुमार शर्मा पे०-राजेश्वर शर्मा के मकान में किरायेदार सा०-आनन्द भवन कॉन्ट्रेक्टर एरिया, रोड नं०-2, थाना-बिष्टपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने के आरोप में।</p>		<p>श्रीनिवास, पु०नि० सह थाना प्रभारी बिष्टपुर पे०-स्व० श्याम बिहारी शर्मा ग्राम+ पो०-रेवाँ, थाना-मसौड़ी, जिला-पटना बिहार। मो०नं०-8340776077</p>	<p>1. आ०/800 मो० मुनिर खॉ, मो०-77004500965 2. आ०/1603 राजेश कुमार मो०नं०-8340498372 3. श्री राजीव कुमार साजेन्ट मेजर जमशेदपुर। मो०नं०-9431091663 4. पु०अ०नि० चितरंजन मिश्रा बिष्टपुर थाना। मो०नं०-8674897601/8709084115</p>		
59.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-116/17 दि०-15.04.17 धारा-302/34 भा०द०वि० एवं जी०आर० नं०-1060/17 एस.टी. नं०-422/17 ए. डी.जे.-13 ए०पी०पी० श्यामनारायण महतो</p>	<p>1. मो० खुशीद उर्फ भाकुड पे० मो० मुस्तफा, सा०-गरीब नवाज कॉलोनी, इदगाह मैदान गोरी शंकर रोड जुगसलाई थाना-जुगसलाई, 2. मो० ईशराईल उर्फ काला छोटु पे०-मो० जमीर सा०-इस्लाम नगर पंक्षी मुहल्ला, जुगसलाई, थाना-जुगसलाई एवं 3. मो० गुडू पे०-मो० अनवर सा०-महतो पाडा रोड मिल्लतनगर, मो० सौरीफ के घर में किरायेदार थाना-जुगसलाई सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>मृतक छोटु उर्फ टिना का प्राथमिकी अभियुक्तों के साथ विगत 5-6 वर्षों से टिस्को कम्पनी में लोहा लक्कड की चोरी के वर्चस्व को लेकर दुश्मनी चली आ रही थी। इसी बात को लेकर योजनाबद्ध तरीके से तीनों मिलकर छोटु उर्फ टिना को हत्या कर दिया।</p>	<p>जेल में</p>	<p>मो० खालीद पे०-स्व० मो० हानिफ सा०-जुगसलाई महतो पाडा रोड, मिल्लतनगर, थाना-जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>पु०अ०नि० हंसे उरॉव बिष्टपुर थाना। मो०नं०-9199150935</p>	<p>1. जयनैव बैगम उर्फ चाँदनी पति-मो० खालिद, सा०-मिल्लतनगर, महतो पाडा रोड, जुगसलाई, थाना-जुगसलाई, 2. मो० सैफली उर्फ राजा बच्चा पे०-मो० गयुद्धीन सा०-महतो पाडा रोड, मिल्लतनगर, जुगसलाई, थाना-जुगसलाई, 3. मो० राजा पे०-मो० समसुद्धीन उर्फ साम सा०-हल्दी पोखर, थाना-कोवाली, वर्तमान पता इस्लाम नगर जुगसलाई कल्लू वाला बाडी, थाना-जुगसलाई, 4. मो० मलिक पे०-स्व० हनीफ सा०-मिल्लतनगर, महतो पाडा रोड, जुगसलाई सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	
60.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-235/17 दि०-05.08.17 धारा-420 भा०द०वि० एवं जी०आर० नं०-2175/17 सी०जे०एम० ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. मुकेश सिंह उर्फ रेयाज खान पे०-स्व० परवेज खान उर्फ सुखदेव सिंह सा०-हयातनगर, शंकोसाई रोड नं०-5, थाना-ओलीडीह, 2. सुरेन्द्र मछुआ पे०-स्व० मोतीलाल मछुआ सा०-मानगो कुँअर बस्ती मछुआ पाडा, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो थाना-मानगो दोनो जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>वादी के टाटा मैजिक को टिस्को कम्पनी के अन्दर 36000/-रु० भाडा पर लगाने के नाम पर धोखा देकर टाटा मैजिक एवं मोटर साईकिल एवं मोबाईल ले लेने के आरोप में दर्ज करायी गयी।</p>	<p>जेल में</p>	<p>सुरज दास पे०-स्व० दुबराज दास, सा०-कुदाहातु, थाना-झींकपानी, जिला-पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा।</p>	<p>सा०अ०नि० रविन्द्र शर्मा बिष्टपुर थाना। मो०नं०-8340114774</p>	<p>1. सागर दास, पे०-स्व० सुदर्शन दास, सा०-कुदाहातु थाना-झींकपानी जिला-पं०सिंहभूम, चाईबासा, 2. कुँवर सिंह हेसा, पे०-राजन हेसा, सा०-राजन साई, थाना-झींकपानी, जिला-पं० सिंहभूम, चाईबासा</p>	

61.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-236/17 दि०-05.08.17 धारा-414/411/413/34 भा०द०वि० एवं जी०आर० नं०-2176/17 सी०जे०एम ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. शेख अकरम पे०-हनीफ सा०+थाना-बहालदासय, जिला-मयुरभंज (उडिसा) वर्तमान शास्त्रीनगर रोड नं०-2, थाना-कदमा, जमशेदपुर, 2. सुभाष चन्द्र बेहरा, पे०-स्व० हेमन्त कुमार बेहरा सा०-वाइदापोसी थाना रायरंगपुर, जिला-मयुरभंज, उडिसा, 3. अब्दुल अंसारी, पे०-नसीम अंसारी, सा०-रोड नं०-2, शास्त्रीनगर, थाना-कदमा, 4. समीर उर्फ अभिषेक पे०-वसीम सा०-बाबुवान शॉप शास्त्रीनगर थाना-कदमा दोनो जिला-पूर्वी सिंहभूम, 5. मो० अल्ली उर्फ राजा, पे०-मो० जिलानी, सा०-दुन्दु थाना-बहालदा, जिला-मयुरभंज, उडिसा, 6. विकाश चन्द्र महतो, पे०-रोम्भु महतो, सा०-पानपोसी, थाना-रायरंगपुर जिला-मयुरभंज, उडिसा, 7. मो० अल्लमस पे०-मो० इस्लाम सा०- गौरीनगर बेल चौक थाना-चाण्डिल, जफर इमाम के घर में किरायेदार जिला-सरायकेला खरसावों, 8. फिरदौस उर्फ सुल्तान पे०-सेराजा, 9. मो० जलालुद्दीन दोनो सा०-फ्लैट नं०-ई/1, पाँचवों तल्ला, रेजुनेट टावर, पुरुलिया रोड थाना-आजादनगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>एकमत होकर चोरी का मोटर साईकिल रखना, बेचना एवं बरामद होना</p>	<p>जेल में</p>	<p>श्रीनिवास, पु०नि० सह थाना प्रभारी बिष्टपुर पे०-स्व० श्याम बिहारी शर्मा ग्राम+ पो०-रेवों, थाना-मसौढी, जिला-पटना बिहार। मो०नं०-8340776077</p>	<p>01. स०अ०नि० शिव प्रकाश राम मो०नं०-9431903614 02. स०अ०नि० सम्मी खान बिष्टपुर थाना मो०नं०- 9430152317 03. पु०नि० इमदाद अंसारी पु०नि० सह थाना प्रभारी एम०जी०एम०, जमशेदपुर मो०नं०-8969122219 04. पु०अ०नि० उपेन्द्र नारायण सिंह थाना प्रभारी बिरसानगर जमशेदपुर, मो०नं०-8210515046 5. स०अ०नि० दिलीप कुमार यादव, मो०नं०-7004954496 6. आ०/800 मुनीर खान, मो०नं०-7004500965 7. आ०-2083 ज्ञानचन्द्र कुमार यादव मो०नं०-9661646994 सभी बिष्टपुर थाना, जमशेदपुर।</p>	<p>1. सुधीर हेम्ब्रम पे०-स्व० सुदन हेम्ब्रम सा०-वाईदापोसी, मो०सं०-2, थाना-रायरंगपुर, जिला-मयुरभंज, उडिसा, 2. अजीत कुमार बेहरा, पे०-श्री कबीर चन्द्र बेहरा, सा०+पो०-वाईदापोसी, थाना-रायरंगपुर, जिला-मयुरभंज, उडिसा 3. मो० गुडू उर्फ गुलाम पे०-गुलाम हुसैन, सा०-दुन्दु थाना-बहालदा, जिला-मयुरभंज, उडिसा, 4. मो० साजीद पे०-मो० आलम सा०-दुन्दु थाना-बहालदा जिला-मयुरभंज उडिसा, 5. सपन कुमार पात्रों, पे०-नवीन चन्द्र पात्रों, ग्राम-जरको, थाना-झारपोखरिया, जिला-मयुरभंज, 6. प्रदीप चन्द्र पात्रों पे०-स्व० सनातन पात्रों ग्राम-जरकी, थाना-झारपोखरिया, जिला-मयुरभंज उडिसा</p>	
-----	--	---	---	----------------	--	--	--	--

62.	<p>बिष्टुपुर थाना कांड सं०-340/17 दि०-25.10.17 धारा-457/380/411 भा०द०वि० एवं जी०आर० नं०-2994/17 सी०जे०एम० ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. कल्लु सरदार उर्फ दीपक सिंह, पे०-श्री प्रेम सिंह, 2. संजय मछुआ उर्फ मोईचेग पे०-श्री जगदीश मछुआ, दोनो सा०-रोड नं०-01, नया बस्ती, थाना-बागबेडा, एवं 3. विश्वकर्मा राम, पे०-भोला राम, सा०-बागबेडा रोड नं०-03 थाना-बागबेडा सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>रात्री समय में घर का ताला तोडकर कीमती सामानों की चोरी करने के आरोप में दर्ज।</p>	<p>जेल में</p>	<p>बीरचन्द्र राय, पे०-स्व० सुरेन्द्र राय, सा०-बिष्टुपुर ओ०सी० रोड, क्वा०नं०-एल 4/58, साउथ पार्क, थाना-बिष्टुपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>1. स०अ०नि० शिव प्रकाश राम, 2. रविन्द्र प्रसाद बिष्टुपुर थाना।</p>	<p>1. विवेक चन्द्र राय, पे०-वीरचन्द्र राय, सा०-बिष्टुपुर ओ०सी० रोड, क्वा०नं०-एल 4/58, साउथ पार्क, थाना-बिष्टुपुर 2. सुनिल यादव, पे०-राजेन्द्र प्रसाद यादव, सा०-रसौल, थाना+जिला-बाका, बिहार वर्तमान ओ०सी० रोड क्वा० नं०-एल 5/8, साउथ पार्क, थाना-बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, 3. चन्दना खिलाडी, पति सोनु खिलाडी सा०-पेट बिन्दी थाना-बलिया बडा, जिला-मिदनापुर पं०बंगाल वर्तमान बादी के क्वाटर में भाडेदार बिष्टुपुर थाना-बिष्टुपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	
63.	<p>बिष्टुपुर थाना कांड सं०-359/17 दि०-07.11.17 धारा-457/380/34 भा०द०वि० एवं जी०आर० नं०-3108/17 सी०जे०एम० ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. सोनू बाग पे० अमित बाग सा०-न्यू बाराद्वारी कुम्हार पाडा अशोक बहादुर के घर में भाडेदार थाना-सीतारामडेरा, 2. अमन सिंह उर्फ अमन बाग पे०- बलदेव सिंह सा०-फलैट नं०-टी०एस०/के 2 टयूब कॉलोनी बारीडीह थाना-सिदगोडा, दोनो जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>रात्री में घर का ताला तोडकर गैस सिलेण्डर एवं सेटा बॉक्स की चोरी करने के आरोप में।</p>	<p>जेल में</p>	<p>योगेन्द्र सिंह पे० स्व० स्वर्ण सिंह सा०-कोसी रोड बंगला नं०-7 थाना-बिष्टुपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>स०अ०नि० हरेन्द्र कुमार दुबे बिष्टुपुर थाना। मो०नं० 9934569309/898673 1776</p>	<p>1. विमला कौर, पति योगेन्द्र सिंह, एवं 2. यसबीर सिंह पिता-योगेन्द्र सिंह दोनो सा०-कोसी रोड बंगला नं०-7 थाना-बिष्टुपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	

64.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-365/17 दि०-14.11.17 धारा-25(1-बी)ए/126/35 आर्म्स एक्ट एवं जी० आर० नं०-3167/17 सी०जे०एम० ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. सोनू बाग पे० अमित बाग सा०-न्यू बाराद्वारी कुम्हार पाडा अशोक बहादुर के घर में भाडेदार थाना-सीतारामडेरा 2. रोहित गोराई पे०-स्व० युधिष्ठिर गोराई सा०-बेल्डीह बस्ती थाना-बिष्टपुर दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगेहाथ पकड़े जाने के आरोप में।</p>	<p>जेल में</p>	<p>श्रीनिवास, पु०नि० सह थाना प्रभारी बिष्टपुर पे०-स्व० श्याम बिहारी शर्मा ग्राम+ पो०-रेवों, थाना-मसौढी, जिला-पटना बिहार। मो०नं०-8340776077</p>	<p>1. स०अ०नि० हरेन्द्र कुमार दुबे, 9934569309/8986731776 2. हवलदार बिन्देशवरी सिंह, 3. आ०/800 मुनीर खान, 7004500965 एवं 4. 603 राजेश कुमार सभी बिष्टपुर थाना, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 5.स०अ०नि० दिनेश कोईरी बिष्टपुर थाना। मो०नं०-7739818080</p>	<p>1. प्रसाद छुरियाँ, पे०-रत्नगर छुरिया, सा०-सर्किट हाउस नं०-29 बिष्टपुर एवं 2. सुधीर सिंह पे०-नवल किशोर सिंह सा०-सर्किट हाउस डी०डब्ल्यू०डी० कॉलोनी बिष्टपुर थाना, जमशेदपुर।</p>	
65.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-125/16 दि०-18.05.16 धारा-147/148/149/302 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं एस०टी० नं०-83/17 कोर्ट ए०डी०जे०-4 ए०पी०पी०-आर०एन० तिवारी</p>	<p>1. टीका मुखी उर्फ जोनी, 2. खुन मुखी उर्फ विकाश मुखी 3. ज्योति मुखी सभी पे०-स्व० सोहन काक मुखी सा०-धतकीडीह हरिजन बस्ती थाना-बिष्टपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, 4. नौसाद पे०-बसीर अहमद सा०-ए ब्लॉक टाल धतकीडीहय, 5. बाबू उर्फ बडकू पे०-ना मालूम सा०-हरिजन बस्ती, 6. बबलु उर्फ भीम पे०-गोपाल मुखी सा०-ईदगाह गली मेडिकल बस्ती, 7. महाबीर अंसारी पे०-स्व० शंकर अंसारी सा०-क्वा० न०-315 हरिजन बस्ती धतकीडीह सभी थाना-बिष्टपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम।</p>	<p>आपसी प्रतिद्विष्टता के कारण गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में दर्ज।</p>	<p>जेल में</p>	<p>मुन्ना घोष पे०-स्व० निरोध घोष सा०-क्वा० नं०-17/4 धतकीडीह बस्ती हरिजन बस्ती थाना-बिष्टपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	<p>1. पु०अ०नि० रामचन्द्र राम, 2. पु०अ०नि० चितरंजन मिश्रा, एवं पु०अ०नि० सुरेन्द्र शर्मा सभी बिष्टपुर थाना, जमशेदपुर।</p>	<p>1. जुली घोष पति-स्व० कल्लु घोष सा०-धतकीडीह हरिजन बस्ती थाना-बिष्टपुर, 2. अनिमेष घोष पिता-पूना घोष, सा०- धातकीडीह थाना-बिष्टपुर, 3. अजल घोष पिता-मुन्ना घोष सा०- धतकीडीह हरिजन बस्ती, थाना- बिष्टपुर, 4. पारस मुखी, पे०- स्व० सैलु मुखी सा०- धतकीडीह, थाना-बिष्टपुर सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।</p>	
66.	<p>बिष्टपुर थाना कांड सं०-264/17 दि०-01.09.17 धारा-342/376 भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट जी०आर०नं०-2425/17 ए०डी०जे०-1 ए०पी०पी०</p>	<p>1. साधु मुण्डारी 2. पूजा मुण्डारी (मृत)पति-सादु मुण्डारी 3. जय प्रकाश खण्डाई पे०-मदन खण्डाई सभी सा०-बेल्डीह बस्ती थाना-बिष्टपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर</p>	<p>नाबालिग लड़की को घर में बंद कर बलात्कार करना।</p>	<p>जेल में</p>	<p>सुकुरमुनी जोजो पति बगराय जोजो सा०-रंगामाटी केसरगाडी के सामने थाना राजनगर जिला-सरायकेला, खरसवों वर्तमान पता-ग्राम बेल्डीह बस्ती, थाना-बिष्टपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।</p>	<p>अनु०कर्ता पु०अ०नि० लक्ष्मी कुमारी मो०नं० 7739250043</p>	<p>1. दामु बानरा पे०-भीम सिंह बानरा सा०-राहुहातु थाना-मुफसिल जिला-चाईबासा 2. सबिता जोजो पे०-बगराय जोजो पता-रंगामाटी केसर गाडी के सामने थाना राजनगर सरायकेला खरसवों</p>	

	आर0एन0तिवारी						
67.	सीतारामडेरा थाना कांड संख्या-86/14 दिनांक-24.05.14 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-1690/14 कोर्ट-के0के0 लोहरा, ए0पी0पी0-सुधीर टोप्पो	1-सर्वजीत सिंह, पिता-दिलीप सिंह, साकिन-मकान नम्बर-37, लाईन नम्बर-04, गोलमूरी हिन्दू बस्ती, थाना-गोलमूरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम 2-रविन्द्र सिंह हन्नी, साकिन-गोलमूरी हिन्दू बस्ती थाना गोलमूरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	यह कांड वादी सुनील कुमार चौधरी, थाना प्रभारी, सीतारामडेरा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद कडिका-03 में वर्णित अभियुक्तों के विरुद्ध लोडेड देशी पिस्तौल एवं जिन्दा कारतूस के साथ रंगे हॉथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी की मूल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-58/14 दिनांक-22.04.14 समर्पित किया गया है	जमानत पर	सूनील कुमार चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी, सीतारामडेरा थाना।	1-स0अ0नि0 नित्यानन्द उपाध्याय, सदर कोर्ट, जमशेदपुर। 2-आ0-809 राम नरेश प्रसाद सिंह, सदर कोर्ट जमशेदपुर। 3-आ0-2061 मुरारी कृष्णा, अंगरक्षक पूर्व लोक अभियोजक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 4-हव0 रामानन्द मुण्डारी, 5-आ0-811-उपेन्द्र कुमार राय 6-आ0-1644 अखिलेश कुमार सिंह 7-हव0 त्रिवेणी सिंह 8-आ0-555 अनमोल कुमार 9-आ0-2175 कमल बाड़ा 10-आ0-2621 विजय कुमार महतो 11-आ0-210 सुशील लकड़ा सभी सीतारामडेरा थाना 12-शंभू प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी सिदगोड़ा 13-श्री राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर 14-पु0नि0 सह थाना प्रभारी राजीव रंजन लाल, 15-पु0अ0नि0 करमपाल भगत	1-अमर केरकेटा, पिता-जीवन केरकेटा, सा0-आदिवासी बस्ती, डिमना, थाना-ओलीडीह 2-देवेन्द्र पाठक, पे0 भगवान पाठक, साकिन-नामदा बस्ती, थाना-गोलमूरी, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

68.	सीतारामडेरा थाना काड संख्या- 74 / 16 दिनांक- 20.05.16 धारा- 25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट जी0आर0-1428 / 16 कोर्ट-के0के0लोहरा ए0पी0पी0-सुधीर टोप्पो	1-दीपक सिंह सरदार, पिता-नकूल सिंह सरदार, साकिन-गांगोडीह, थाना-चाडिल, जिला-सरायकेला- खरसाँवा।	यह कांड वादी स0अ0नि0 मुकेश कुमार, कोर्ट सुरक्षा ड्यूटी, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के लिखित आवेदन के आधार पर कंडिका-03 में वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से गोली छिपाकर रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-121 / 16 दिनांक-17.07.16 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	स0अ0नि0 मुकेश कुमार, कोर्ट सुरक्षा ड्यूटी, थाना- सीताराम- डेरा, जिला- पूर्वी सिंहभूम,	1-ललन कुमार, पु0के0 जमशेदपुर। 2-परिचारी प्रवर, विजय कुमार, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। 3-पु0अ0नि0 करमपाल भगत, सीतारामडेरा थाना।	1-सुजीत कुमार पिता-मनमोहन राम, म0सं0-1270 बी0 ब्लॉक, घोड़ा मैदान, जुगसलाई, थाना-जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 2-राम बदन यादव पे0-सत्यनारायण यादव, साकिन-कुम्हार पाड़ा, सोनारी, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	
69.	सीतारामडेरा थाना काड संख्या- 199 / 16 दिनांक- 30.11.16 धारा- 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट जी0आर0- 3503 / 16, कोर्ट-के0के0लोहरा ए0पी0पी0-सुधीर टोप्पो	1-सोनू सिंह उर्फ विक्की, पे0 दीनानाथ सिंह, साकिन-रुईया पहाड़ रधूबर नगर, थाना-वर्मा मार्ड्स, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 2-विनोद सिंह उर्फ मोगली, पे0 शिवधर सिंह, साकिन-केबूल टाउन, थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 3-हरिश सिंह, पिता-शूर्यवंश सिंह, साकिन-नस्तरपुर, थाना-संदेश, जिला-भोजपुर (बिहार)	यह कांड पु0नि0 सह थाना प्रभारी, सीतारामडेरा, रामेश्वर उराँव के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर कंडिका-03 में वर्णित प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं न्यायालय परिसर में गोली चलाते हुये पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी अभियुक्त विनोद सिंह उर्फ मोगली एवं सोनू सिंह उर्फ विक्की के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या- 28 / 17 दिनांक-14.92.17 समर्पित किया गया है एवं अभियुक्त हरिश सिंह के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या-54 / 18 दिनांक-07.04.18 समर्पित किया गया है।	जेल में	पु0नि0 सह थाना प्रभारी, सीतारामडेरा, रामेश्वर उराँव	1- पु0नि0 सह थाना प्रभारी, सीतारामडेरा, रामेश्वर उराँव 2-पु0अ0नि0 बैजनाथ सिंह, मुन्वर 3-हव0 उपेन्द्र महतो 4-आ0-2017 विनय कुमार दुबे 5-आ0-2191 जय कुमार दा, सभी सीतारामडेरा थाना। 6-हव. बच्चन तिवारी, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। 7-आ0-1311-हेसामुद्दीन खॉं, 8-आ0-1019 अनिल उराँव 9-राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, सभी पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। 10-पु0अ0नि0 मकबूल अहमद खॉं, सीतारामडेरा थाना।	1-पी0 तकेश, पे0 पी0 संतोष, साकिन-भूईयाँडीह, निर्मलनगर, थाना-सीतारामडेरा 2-रौशन ओझा, पे0 सुरेन्द्र नाथ ओझा, सा0-2जी0-08, निर्मल नगर, दोनों थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर।	

70.	सीतारामडेरा थाना काड संख्या- 70/17 दिनांक- 23.04.17 धारा- 394 भा0द0वि0 जी0आर0 न0- 1132/17 कोर्ट-के0के0 लोहरा, ए0पी0पी0-सुधीर टोप्पो	1-इमरान खॉ, पिता-हारुण खॉ, साकिन-नूर कॉलोनी, रोड नम्बर-18, म0नं0-04, थाना-आजादनगर, 2-आसिफ अंसारी, उर्फ भोमा, पिता-अब्दुल रहमान अंसारी, साकिन-इस्लाम नगर, बाबा गूंडी, अरमान चौक, थाना-कपाली, जिला-सरायकेला- खरसाँवा	यह कांड वादी विकास साव, पे0 अनिरुद्ध प्रसाद साव, साकिन-88 सरिना बाजार, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा, हा0मो0-खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो के लिखित आवेदनके आधार पर काला रंग के पल्सर पर सवार दो अज्ञात युवक के विरुद्ध चाकू मारकर जखमी करने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया। अनुसंधान के क्रम में अप्राथमिकी के कंडिका-03 में वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर गिरफ्तारी उपरान्त आरोप पत्र संख्या-139/17 दिनांक-30.06.17 समर्पित किया गया है।	जेल में	विकास साव, पे0 अनिरुद्ध प्रसाद साव, साकिन-08 सरिना बाजार, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा, हा0मो0-खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो	1-डा0 एस0एस0 सिंह, विशेषज्ञ, टी0एम0एच0 जमशेदपुर। 2-पु0अ0नि0 मकबुल अहमद खॉ, सीतारामडेरा थाना।	1- विकास साव, पे0 अनिरुद्ध प्रसाद साव, साकिन-88 सरिना बाजार, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा, हा0मो0-खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 2-विवेक कुमार, पिता-सुनील यादव, सा0-खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 3-रामानुज प्रसाद, पिता-रामटहल यादव, -खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 4-सुश्रित दत्ता, पे0 अजीत दत्ता, साकिन-चिरकूडा, थाना-मैथन, जिला-धनबाद, हा0मो0- खडिया बस्ती, रोड नम्बर-04, शंकोसाई, डिमना रोड, थाना-ओलीडीह, मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 5-उमेश शर्मा, पे0 ललित शर्मा सा0 भूईयाँडीह लकडी टाल, कालिन्दी नगर, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 6-रोशनशर्मा ,पिता-अशोक शर्मा, साकिन-भूईयाँडीह लकडी टाल, कालिन्दी नगर, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर। 7-रफीक आलम पिता-मो0 आजाद अंसारी साकिन-ग्रिन नीली रोड, रोड नम्बर-17, जाकिर नगर, थाना-आजादनगर 8-मो0-अब्दूल अहमद पे0 मो0 अस्टूल अहमद, साकिन-नूर कॉलोनी, ओल्ड पूरूलिया रोड, कास रोड नम्बर-05 बी0, थाना-आजादनगर सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	
-----	---	--	---	---------	--	---	---	--

71.	सिदगोड़ थाना कांड संख्या-24/15 दिनांक-4.2.15 धारा-25(1-ए)ए 25(1-बी)/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0-355/15 कोर्ट-न्या0दण्डा प्रथम एस.आर. तिग्गा ए0पी.पी.-भोला दास	1-पिन्टू नाग, पिता-अर्जून नाग, साकिन-घाघीडीह, नीमडीह बस्ती, थाना-परशूडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	यह कांड वादी शंभू प्रसाद गुप्ता, पिता-स्व0 शंकर प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी, सिदगोड़ा के लिखित बयान के आधार पर कंडिका 03 में वर्णित अभियुक्त के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हॉथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-59/15 दिनांक-30.03.15 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	शंभू प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी, सिदगोड़ा	1- शंभू प्रसाद गुप्ता, थाना प्रभारी, सिदगोड़ा मो0 नं0-9431506051 2-पु0अ0नि0 सुफल स्वांगी, सिदगोड़ा थाना- मो0नं0-8521541178 3-गृ0र0चालक-3777 सूनील कुमार पाण्डेय, सिदगोड़ा थाना 4-हव0 नागेश्वर बेसरा 5-आ0-622 रियासत हुसैन 6-आ0-505 अशोक कुशवाहा, सभी सिदगोड़ा थाना रिजर्व गार्ड 7-राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर-मो0नं0-94 31091663 8-स0अ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, सिदगोड़ा थाना मो0नं0-9798993876	-	
72.	मानगो थाना कांड संख्या-477/15 दिनांक-19.09.15 धारा-25(1-बी)ए/2 6/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-3035/1 5 एस.टी. नं0-301/17 ए.डी.जे.-13 ए0पी0पी0-प्याम कुमार महतो	1-आशिष श्रीवास्तव उर्फ भूरी, पिता-ब्रजमोहन लाल सिन्हा, साकिन-सोनवा, थाना+जिला-बक्सर (बिहार) 2-दीपक कुमार उर्फ अविनाश कुमार सिंह, पिता-अरुण कुमार साकिन-रिपीट मुहल्ला, थाना-एम0जी0एम0 जमशेदपुर।	यह कांड वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी, मानगो थाना फुलननाथ के स्वअंकित बयान के आधार पर कंडिका-03 में वर्णित अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हॉथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के दोनों नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-234/15 दिनांक-31.10.15 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	पु0नि0 सह थाना प्रभारी, मानगो थाना फुलननाथ	1-फुलननाथ, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, मानगो। 2-हव0 मो0 महमुद 3-आ0-75 हेमन्त तंतू 4-आ0-2440 धर्मेन्द्र कुमार 5-गृ0र0 चालक-3745 दीपक कुमार, सभी मानगो थाना। 6-राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर। 7-पु0अ0नि0 शिवशंकर राम, मानगो थाना।	1-संजय वर्मा, पिता-स्व0 रामायण साह, साकिन-रिपीट कॉलोनी, थाना-एम0जी0एम0 2-गौतम गोरार्इ, पिता-सुशील गोरार्इ, साकिन-एन0एच0-33 के बगल, बीग बाजार के निकट, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	

73.	मानगो थाना कांड संख्या-496/15 दिनांक-24.09.15 धारा-25(1-बी)ए/2 6 आर्म्स एक्ट जी0आर0-3151/15 कोर्ट एम.एम.प्रधान-ए0पी0पी0-राकेष कुमार	1-अहमद रजा उर्फ मिन्दू अब्बास, साकिन-बावनगोड़ा चौक, रोड नम्बर-10, आजादनगर, थाना-आजादनगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 प्रेमचन्द प्रसाद, मानगो थाना के लिखित आवेदन के आधार पर कडिका-03 में अंकित प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध देशी पिस्तौल के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी की मूल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-250/15 दिनांक-01.11.15 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	पु0अ0नि0 प्रेमचन्द प्रसाद, मानगो थाना	1-पु0अ0नि0 प्रेमचन्द प्रसाद, मानगो थाना 2-आ0-2440 धर्मन्द्र कुमार पासवान, 3-आ0-65 दिलीप कुमार 4-स0अ0नि0 शत्रुघ्न सिंह, सभी मानगो थाना। 5-राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, जमशेदपुर।	1-गोपाल प्रसाद, पिता-प्रकाश गुप्ता, साकिन-दाईगुट्टू, कावेरी रोड, थाना-मानगो 3-उजाला कुमार, पिता-बीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, साकिन-दाईगुट्टू, कावेरी रोड, 3-राम अवतार जायसवाल, पिता-स्व0 के0पी0 जायसवाल, साकिन-दाईगुट्टू, कावेरी रोड, तीनों थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
74.	मानगो थाना कांड संख्या-575/15 दिनांक-15.11.15 धारा-25(1-बी)ए/2 6/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-3757/15 कोर्ट एम.एम.प्रधान-ए0पी0पी0-राकेष कुमार	1-सुरेश कुमार गोप उर्फ दीपक मुखर्जी उर्फ टिमटिम उर्फ चेला उर्फ सन्नी गोप, पिता-जगदीश गोप, साकिन-केरार गदिया, थाना-चाण्डिल, जिला-सरायकेला, खरसोंवा, हा0मो0 संकोसाई, धर्मबोधा, थाना-ओलीडीह, जमशेदपुर, 2-रवि कुमार उर्फ सुदामा पिता-श्रवण कुमार, सा0-बालीगुमा, थाना-मानगो, मुफासील, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, 3- राज कुमार सिंह उर्फ बाबा, पिता-काशी प्रसाद, सा0-बालीगुमा, थाना-मानगो मुफासिल, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	यह कांड वादी फूलन नाथ, पिता-श्री जितेन्द्र नाथ, पता-पण्डरा अम्बा नगर रातू रोड रॉंची, वर्तमान पता-पुलिस निरीक्षक-सह थाना प्रभारी मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के स्वलिखित बयान के आधार पर कडिका-03 में अंकित प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सुरेश कुमार गोप, रवि कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी की मूल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-01/16 दिनांक-12.01.16 एवं अभियुक्त राज कुमार सिंह के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र संख्या-88/16 दिनांक-31.03.16 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	पु0नि0 सह थाना प्रभारी, फूलननाथ	1-पु0नि0 फूलनाथ, मानगो थाना। 2-पुलिस/2749 नन्दलाल मुर्मू 3-पुलिस 2312 शंकर महतो मानगो थाना रिजर्व गार्ड, चालक गृहरक्षक दीपक कुमार, प्रतिनियुक्त मानगो 4-परिचारी प्रवर, राजीव कुमार, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर। 5-पु0अ0नि0 प्रेमचन्द प्रसाद, मानगो थाना।	1-अभिषेख राव उर्फ सेन राव, पिता- त्रिदेव राव, सा0-रोड नं0-6 दाईगुट्टू धोबी लाईन मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 2-मदन प्रसाद साहु, पिता-बबन प्रसाद साहु रोड नं0-5 दाईगुट्टू, थाना- मानगो, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
75.	मानगो थाना कांड सं0-615/15, दिनांक 07.12.15,	1-सुरेन्द्र साहनी पिता-स्व0 कैलाश साहनी, सा0-बहेरवागाड़ी, थाना-नयाटोला, जिला-सारण	यह कांड वादी फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो, के	जेल में	फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो	1-फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो	1-तनवीर खान, पिता-एन0एच0 खान, सा0-चुना साह कॉलोनी, थाना- ओलीडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

	धारा-399/402 भा0द0वि0 एवं 25(1-b) a/ 26 /35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-3981/ 15 कोर्ट एम.एम. प्रधान-न्या0दण्डा0 प्रथम श्रेणी ए0पी0पी0-राकेष कुमार	(बिहार), 2-मो0 रसीद उर्फ चुटकुनी पिता-मो0 लतीफ, सा0-इस्लामनगर, कपाली, थाना-चाण्डिल, जिला-सरायकेला, 3-लियाकत अंसारी, पिता-स्व0 सफदर अली, सा0-जवाहर नगर रोड नं0-6, अली रोड, थाना-आजादनगर, जमशेदपुर, 4-समसुद्धीन अंसारी उर्फ कारु पिता-शाकीर अंसारी, सा0-सिन्दुरपुर, थाना-नीमडीह, जिला-सरायकेला खरसॉवा 5-हारुन रसीद पिता-स्व0 मो0 हनीफ, सा0-डैमडुबी, कपाली, थाना-चाण्डिल, जिला-सरायकेला खरसॉवा	स्वलिखित बयान के आधार पर नामजद 05 अभियुक्तों के विरुद्ध डकैती की योजना बनाते समय अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-09/16 दिनांक-31.01.16 समर्पित किया गया है।			2-पु0अ0नि0 शिवशंकर राम, मानगो थाना। 3-पु0-64 दिलीप कुमार, प्रतिनियुक्त मानगो थाना रिजर्व गार्ड, 4-पु0-75 हेमन्त तंतु बाई, प्रतिनियुक्त मानगो थाना रिजर्व गार्ड 5-पु0-1695 बजरंगी राम, प्रतिनियुक्त मानगो थाना रिजर्व गार्ड, 6-परिचारी प्रवर राजीव कुमार, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर। 7-पु0अ0नि0 रास बिहारी लाल, मानगो थाना।	2-मो0 परवेज अंसारी, पिता-स्व0 मो0 सलीम, सा0-रोड नं0-12 जवाहर नगर, थाना मानगो जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	
76.	मानगो थाना कांड संख्या-131/16, दिनांक 15.04.16, धारा-25(1- b)a/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0-1011/ 16 एस.टी. नं0-314/16 ए.डी.जे.-01 ए0पी0पी0-उमेष नाथ तिवारी	1-विवेक सिंह, पिता-विजय बहादूर सिंह, सा0-रोड नं0-6 जवाहर नगर, थाना मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	यह कांड वादी फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो, के स्वलिखित बयान के आधार पर कांडिका-01 में अंकित प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-116/16 दिनांक-08.06.16 समर्पित किया गया है।	जमानत पर	फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो,	1-फुलन नाथ, पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारी, मानगो, 2- पु0अ0नि0 शिव शंकर राम, मानगो थाना 3- हवलदार मो0 सामद मानगो थाना रिजर्व गार्ड 4- पु0/667 पुरेन्द्र नाथ मंडल मानगो थाना 5- पु0/75 हेमन्त तन्तुबाई मानगो थाना 6-स0अ0नि0 चन्द्रशेखर चौबे, मानगो थाना।	1-ओम प्रकाश दुबे, पिता-श्री जमुना दुबे, सा0-रोड नं0-4, जवाहर नगर, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 2-मनोज ओझा, पिता-श्री भरथ ओझा, सा0-रोड नं0-6 जवाहर नगर, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	
77.	मानगो थाना कांड संख्या-376/16, दिनांक 02.10.16, धारा-25(1- b)a/26/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-2919/ 16	1-सेन राव पिता-त्रिवेद राव, 2-पवन गोप उर्फ छुटका, पिता- शंकर गोप दोनों पता-रोड नं0-06 दाईगुटू धोबी महल्ला, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	यह काण्ड वादी मोतीलाल प्रसाद, पिता-स्व0 कैलाष दास, साकिन-दरियापुर, थाना-हाथीदह, जिला-पटना (बिहार) वर्तमान पता-मानगो, थाना-जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के लिखित आवेदन के आधार पर कांडिका-03 में अंकित	सेन राम जेल में तथा पवन गोप मानत पर	वादी मोतीलाल प्रसाद, पिता-स्व0 कैलाष दास, साकिन-दरियापुर, थाना-हाथीदह, जिला-पटना (बिहार) वर्तमान पता-मानगो, थाना-जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1- वादी मोतीलाल प्रसाद पिता-स्व0 कैलाष दास, पता-दरियापुर, थाना-हाथीदह, जिला-पटना (बिहार) वर्तमान पता-मानगो, थाना-जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 2- हवलदार मैनुअल	1-दुर्गानन्द झा, वर्ष, पिता- श्री कमलेश कुमार झा, पता-म0नं0-9274 समता नगर जवाहर नगर, रोड नं0-15 2-सुखदेव महतो उम्र-24 वर्ष, पिता-श्री चंडीचरण महतो, पता-कुमरुम बस्ती उपर लाईन दोनों थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	

	एम.एम.प्रधान- ए0पी0पी0-राकेश कुमार		प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध रूप से देशी कड़ा रखने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-369 / 16 दिनांक-30.11.16 समर्पित किया गया है।			किस्कू मानगो थाना रिजर्व बल, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर 3-आ0 / 1215 रौषन गुडिया मानगो थाना रिजर्व बल, 4-पु0अ0नि. शंभूनाथ सिंह, मानगो थाना।	
78.	मानगो थाना कांड संख्या-17 / 17 दिनांक 16.01.17, धारा-25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0-148 / 17 एम.एम.प्रधान- ए0पी0पी0-राकेश कुमार	सन्नी पाठक पिता-गौरी शंकर पाठक, साकिन-टीचर्स कॉलोनी, मकान संख्या-111, डिमना रोड, थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम	यह कांड वादी पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद सिंह, मानगो थाना के लिखित आवेदन के आधार कंडिका-03 में अंकित प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से देशी पिस्टल रखने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है। अनुसंधानोपरान्त इस कांड में प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध प्राथमिकी की मुल धाराओं में आरोप पत्र संख्या-57 / 17 दिनांक-30.03.17 समर्पित किया गया है।	जेल में	सुधीर प्रसाद सिंह, पिता-स्व0 राजपति प्रसाद सिंह, साकिन-भीमसैन, थाना-अमरपुर, जिला-बोंका (बिहार) हा0मो0-पुलिस अवर निरीक्षक, मानगो थाना	1- वादी सुधीर प्रसाद सिंह, उम्र-54 वर्ष, पिता-स्व0 राजपति प्रसाद सिंह, साकिन-भीमसैन, थाना-अमरपुर, जिला-बोंका (बिहार) हा0मो0-पुलिस अवर निरीक्षक, मानगो थाना 2- स0अ0नि0 शत्रूधन सिंह-02, पिता- श्री राम सिंह साकिन-मझरिया, थाना+ जिला-बक्सर, हा0मो0-मानगो थाना, 3- स0अ0नि0 रामाषंकर मिश्र, पिता-राजेश्वरी मिश्र, साकिन- सोलहण्डा, थाना-मखदुमपूर, जिला-जहानाबाद, हा0मो0-मानगो थाना 4-हव0 विक्रम रविदास 5- आरक्षी-1215 रौषन गुडिया दोनों मानगो थाना रिजर्व गार्ड। 6-राजीव कुमार, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्ड्र जमशेदपुर। 7-पु0अ0नि0 शिव शंकर राम, मानगो थाना।	1-साक्षी-कन्हैया ओझा, पिता-स्व0 शिवजी ओझा, साकिन-संजय पथ, न्यू सुभाष कॉलोनी, रोड नम्बर-02 थाना-ओलीडीह, 2-राजेश सरकार पिता-स्व. मनब्रत सरकार साकिन-मकान नम्बर-175 कास रोड नम्बर-03 बैकुण्ठ नगर, थाना-मानगो, दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

79.	<p>घाटपिला थाना कांड सं०-06 / 18 दिनांक-24.01.18 धारा-354(डी) / 506 / 509 भा०द०वि० एवं 67ए आई०टी०एक्ट 2000</p> <p>जी०आर०-34 / 18</p> <p>कोर्ट-ए०सी०जे०एम० - घाटपिला</p> <p>ए०पी०पी०-संजय सिंह मो०नं०- 8987570560</p>	<p>सुदीप प्रमाणिक पे०-अमल प्रमाणिक सा०-परसुडीह हल्दी वानी नमो टोला थाना परसुडीह जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>यह कांड वादिनी निषा जैन उम्र करीब 21 वर्ष पे०-स्व० जुगल किशोर जैन सा०-मेन रोड घाटपिला थाना-घाटपिला जिला-पूर्वी सिंहभूम के लिखित आवेदन के आधार पर कांड के प्राथ०अभि० सुदीप प्रमाणिक पे०-अमल प्रमाणिक सा०- परसुडीह हलुदवानी नमो टोला थाना परसुडीह जिला- पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर। के विरुद्ध फेस बुक पर पुजा रोय के नाम से एकाउन्ट बना कर वादिनी का आपत्ती जनक तस्वीर तथा अफ्लील बाते लिखकर पो० करने जिससे वादिनी को बदनाम करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	जेल में हे।	<p>निषा जैन उम्र करीब 21 वर्ष पे०-स्व० जुगल किशोर जैन सा०-मेन रोड घाटपिला थाना-घाटपिला जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	<p>1.संदीप सुमन परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक सह थाना प्रभारी घाटपिला मो०-नं०- 9709250973</p> <p>2.पु०नि०सह थाना प्रभारी धाटपिला सत्येन्द्र कुमार सिंह मो०नं०-9931155738</p>	<p>01 निषा जैन पे०-स्व० जुगल किशोर जैन 2.रोहित जैन पे०- स्व० जुगल किशोर जैन 3.स्मिता अग्रवाल पे०-मनटु अग्रवाल तिनो सा०- मेन रोड घाटपिला थाना-घाटपिला जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	
80.	<p>घाटपिला थाना कांड सं०-13 / 18 दिनांक-21.02.18 धारा-461 / 379 भा०द०वि० जी०आर०-75 / 18</p> <p>कोर्ट-ए०सी०जे०एम० घाटपिला</p> <p>ए०पी०पी०-संजय सिंह मो०नं०- 8987570560</p>	<p>देबु राय पे०-श्री श्यामल राय सा०-दाहिगोडा थाना-घाटपिला जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	<p>यह कांड वादी धमेन्द्र कुमार उम्र करीब 34 वर्ष पे०-श्री विष्वनाथ प्रसाद सा०-पावर गंज थाना जमहोर जिला-औरंगाबाद (बिहार) हा०मो० डिमना रोड मानगो शंको साई रोड नं०-04 जमषेदपुर थाना-ओलिडीह जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर के द्वारा टंकित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध ए०टी०एम० आई०डी० S1CW4907 से 25,33,300 / (पच्चीस लाख तेतीस हजार तीन सौ)-रुपये ए०टी०एम० मषीन को क्षतिग्रस्त कर चोरी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	जेल में	<p>धमेन्द्र कुमार श्री० पे०-श्री विष्वनाथ प्रसाद सा०-पावर गंज थाना जमहोर जिला-औरंगाबाद (बिहार) हा०मो० डिमना रोड मानगो शंको साई रोड नं०-04 जमषेदपुर थाना-ओलिडीह जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	<p>पु०नि०सह थाना प्रभारी धाटपिला सत्येन्द्र कुमार सिंह मो०नं०-9931155738</p>	<p>1.धमेन्द्र कुमार श्री० पे०- श्री विष्वनाथ प्रसाद सा०-पावर गंज थाना जमहोर जिला-औरंगाबाद (बिहार) हा०मो० डिमना रोड मानगो शंको साई रोड नं०-04 जमषेदपुर थाना-ओलिडीह जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p> <p>2.चितेश्वर मिश्रा पे०-पपुपति मिश्रा सा०-नरसिंहपुर</p> <p>3.जयन्त कुमार मिश्रा पे०-गोप बन्धु मिश्रा सा०-नरसिंहपुर दोनो धालभुमगंढ जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p> <p>4.चन्दन कुमार पे०-श्री मिथलेश सिंह सा०-रतौली थाना-चितरा जिला-सुपौल (बिहार)</p> <p>5.कुंजन पाठक पे०-सुरेश पाठक सा०-गुरारु थाना-गुरारु जिला-गया (बिहार)</p> <p>6.देवाषिष सिंहा आयन चटर्जी पे०-स्व० प्रभात चटर्जी दोनो सा०-दाहिगोडा थाना-घाटपिला जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	

81.	<p>घाटपिला थाना कांड सं०-30 / 18 दिनांक-25.04.18 धारा-302 भा०द०वि० जी०आर०-158 / 18</p> <p>कोर्ट-ए०सी०जे०एम० घाटपिला</p> <p>ए०पी०पी०-संजय सिंह मो०नं०- 8987570560</p>	<p>गोविन्दो मुण्डा पे-ओपिन मुण्डा सा०-हरिनदुकडी थाना-धालभुलगढ जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	<p>यह कांड वादिनी बुधनी मुण्डा उम्र करीब 35 वर्ष पति गोविन्दो मुण्डा सा०-हरिनदुकडी थाना-धालभुलगढ जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर के फर्द बयान के आधार पर कांड के प्राथ०अभि० गोविन्दो मुण्डा पे-ओपिन मुण्डासा०-हरिनदुकडीथाना -धालभुलगढ जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर के विरुद्ध वादिनी के पुत्र राजु मुण्डा उम्र करीब 12 वर्ष को पत्थर से कुलच कर जखमी करने जिससे राजु मुण्डा की मृत्यु ईलाज के क्रम में होने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	जेल में है।	<p>कांड वादिनी बुधनी मुण्डा उम्र करीब 35 वर्ष पति गोविन्दो मुण्डा सा०-हरिनदुकडी थाना-धालभुलगढ जिला-पूर्वी सिंहभूम,जमषेदपुर</p>	<p>पु०नि०सह थाना प्रभारी धाटपिला सत्येन्द्र कुमार सिंह मो०नं०-9931155738</p>	<p>1.गणेश बेहरा पे०-हारु बेहरा 2.समोवरी देवी पति श्री शुरु मुण्डा 3.अम्पा हेम्ब्रम पे०-टीबु राम हेम्ब्रम 4.सागर हेम्ब्रम पे०-टीबु राम हेम्ब्रम सभी सा०-तमुकपाल सभी थाना घाटपिला 5.मंगल मानकी पे०- दुर्गा चरण मानकी 6.अमित मुण्डा पे०-चन्दो मुण्डा दोनो सा०- हरिनदुकडी थाना-धालभूमगढ सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम ।</p>	
82.	<p>बहरागोडा थाना कांड सं०-42 / 16 दिनांक-17.08.16 धारा-376 भा०द०वि०एवं 8 पोक्सो एक्ट</p> <p>जी०आर०-290 / 16 290 / 16 (पोक्सो)</p> <p>कोर्ट-ए०डी०जे०-1 जमषेदपुर</p> <p>ए०पी०पी०-रामेश नरायण तिवारी मो०नं०- 9264454062</p>	<p>झानु टुडु उर्फ जालो पे०-डोमन टुडू सा०- चन्दवा जिला-पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>वादी की नाबालिक लडकी फुलमनी बेसरा उम्र करीब 13 वर्ष के साथ बालात्कार करना तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	जेल में है।	<p>जादु बेसरा पे०-दुर्गा बेसरा सा०-चन्दवा थाना-बहरागोडा जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>पु०अ०नि० पौलुस सोरेन(सेवानिवृत्त) 2.डा०सुमा डे बहरागोडा</p>	<p>1.सबीता बेसरा पति-जादु बेसरा 2.बिराम हॉसदा पे०- खुरखाई हॉसदा 3.ठाकुर दास बेसरा पे०-दुर्गा चरण बेसरा तीनो सा०-चन्दवा थाना बहरागोडा जिला-पूर्वी सिंहभूम 4.मधुसुदन मारडी पे०-प्राणनिधि सा०-जामदोहरी थाना-प्यामसुन्दरपुर सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	

83.	<p>चकुलिय थाना कांड सं०-22/18 दिनांक-29.03.17 धारा-376(2)(1) भा०द०वि० एवं 4/8/12 पोक्सो एक्ट जी०आर०-120/18 120/18 (पोक्सो) कोर्ट-ए०डी०जे०-01 जमषेदपुर ए०पी०पी०-रमेश तिवारी मो०नं०-9264454062</p>	<p>किष्ण लाल दास उम्र करीब 48 वर्ष पे०-स्व० दिवाकर दास सा०-चाकुलिया टोला कमारीगोडा थाना-चाकुलिया जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>यह कांड वादि सुखेन्दु कुमार दास उम्र करीब 65 वर्ष पे०-स्व० किषोरी मोहन दास सा०-चाकुलिया टोला कमारीगोडा थाना-चाकुलिया जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर के लिखित आवेदन के आधार पर कांड के प्राथ०अभि० किष्ण लाल दास उम्र करीब 48 वर्ष पे०-स्व० दिवाकर दास सा०-चाकुलिया टोला कमारीगोडा थाना-चाकुलिया जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर के विरुद्ध वादी की नतनी सिमरन दास उम्र करीब 07 वर्ष पे०-रुद्र प्रताप दास के साथ बालात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।</p>	<p>जेल में है।</p>	<p>सुखेन्दु कुमार दास उम्र करीब 65 वर्ष पे०-स्व० किषोरी मोहन दास सा०-चाकुलिया टोला कमारीगोडा थाना-चाकुलिया जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p>	<p>1.पु०अ०नि० सराफद खान चाकुलिया थाना मो०नं०-7488963889 2.डा०तपस मुखी सा०-नरसिंह होम, ग्राम झारग्राम जिला-पश्चिम बंगाल 3.डा०रीना झा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकुलिया</p>	<p>1.सुलेखा दास पति सुखेन्दु कुमार दास 2.कृष्णा नन्दु दास पे०- सुखेन्दु कुमार दास 3.सीमरन दास पे०-रुद्र प्रताप दास 4.मृत्युंजय दास, पे०-स्व० दीवाकर दास 05,प्रीति कुमार पे०-मृत्युंजय दास 6.प्रदीप दास पे०-मृत्युंजय दास सभी सा०-चाकुलिया टोला कमारी गोडा थाना-चाकुलिया जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p>	
84.	<p>डुमरीया थाना कांड सं०-08/17 दिनांक-06.07.17 धारा-302/307 भा०द०वि० जी०आर० 258/17</p>	<p>सुदर्शन महाकुड पे०-स्व० बृदा महाकुडझ सा०- खतपाल टोला मोहन घुटु थाना डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>यह कांड वादी राजाराम महाकुड पे०-स्व०गुरुचरण महाकुड सा०-सतपाल टोला मोहन घुटु थाना डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि० सुदर्शन महाकुड पे०- स्व० बृदा महाकुडझ सा०- खतपाल टोला मोहन घुटु थाना डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध हत्या करना एवं गम्भीर रूप से जखमी कर देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।</p>	<p>जेल में</p>	<p>वादी राजाराम महाकुड पे०-स्व०गुरुचरण महाकुड सा०-सतपाल टोला मोहन घुटु थाना डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>अनु०कर्ता पु०अ०नि० मो० कुट्टुस थाना डुमरीया थाना मो०नं०-9431706524/707035 4027 2.चिकित्सक चिकित्सा प्रभारी एम०जी०एम० अस्पताल पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर।</p>	<p>1. राजाराम महाकुड पे०-स्व०गुरुचरण महाकुड सा०-सतपाल टोला मोहन घुटु मो०नं०-9931193758 2. मेघराय टुडु पे०-स्व० रामी टुडु सा०- भगानदी मो०नं०-8298732445 3. परसुराम महाकुड पे०-स्व० सागरो महाकुड सा०-खटपाल मो०नं०- 9955173806 4. अनिल पातर पे०-स्व० सिधिनाथ पातर सा०-खडपाल मो० नं०-7484917148 5. सुरज कुमार राउत पे०-स्व० गिरिस राउत सा०-खटपाल मो०नं०-9661815816 6. रूप सिंह पे०-लक्ष्मण महाकुड सा०-खडपाल 7. राजेश खडपाल पे०-स्व० गुरुचरण महाकुड सा०-खटपाल मो०नं०-9931193798 8. सोना राम महतो पे०-स्व० मंगल महतो सा०-खटपाल सभी थाना डुमरिया जिला-पूर्वी सिंहभूम</p>	

85.	<p>डुमरीया थाना कांड सं०-15/17 दिनांक-30.11.17 धारा-413/414 भा०द०वि० परिवरतित धारा-467/468/471 भा०द०वि० जी०आर० 458/17</p>	<p>1.अजीत दास पे०-दिलीप दास सा०- बोलाईडीह रोड नं०-08 गम्हारिया थाना गम्हारिया जिला- सरायकेला खरसवाँ</p>	<p>यह कांड वादी मो० कुहुस पु०अ०नि० सह थाना प्रभारी के अंकित बयान पर प्राथमिकी अभि० अजीत दास पे०-दिलीप दास सा०- बोलाईडीह रोड नं०-08 गम्हारिया थाना गम्हारिया जिला- सरायकेला खरसवाँ के विरुद्ध सुमो एवं मोटरसाईकिल चोरी कर ब्रिकी करने के आरोप में रंगे हाथ पकड़े जाने का आरोप में दर्ज है।</p>	जेल में	<p>पु०अ०नि० मो० कुहुस सह थाना प्रभारी डुमरीया</p>	<p>1.हव० शिवनाथ राम जैप-07 हजारीबाग डुमरिया थाना मो०नं०-7633818465 2.आ०/736 विकास कुमार रविदास जैप-07 हजारीबाग डुमरीया थाना मो०नं०-7004223590 3.आ०/727 सरजु राम जैप-07 हजारीबाग डुमरिया थाना मो०नं०-8340327323 4.आ०/719 अरविन्द आईद जैप-07 हजारीबाग डुमरिया थाना मो० नं०-8789522821 अनु० कर्ता 1.राजीव कुमार पु०उपा० (परि०) सह थाना प्रभारी डुमरीया थाना मो०नं०-8340779776 2.अनिल तिग्गा स०अ०नि० डुमरिया थाना मो० नं०-9102936700</p>	<p>1.देवआनन्द गिरी पे०-स्व० जगदीष गिरी सा०+थाना-डुमरीया मो०-7870555385 2.बंसत भगत पे०-स्व० चन्द्रमोहन भगत सा०-भगाबन्दी थाना डुमरीया जिला-पूर्वी सिंहभूम मो०नं०-9304813828</p>	
86.	<p>मुसाबनी थाना काण्ड सं० 37/17 दिनांक 20.10.2017 धारा 302 भा० द० वि० GR No. 407/17 ST No. 76/18</p>	<p>अभि०-ठाटू सबर पे०- छोटराय सबर सा० - करगदोहा टोला - दहीकोचा थाना मुसाबनी जिला पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>यह काण्ड वादी चमटू सबर, पे० - छोटराय सबर, सा० कागदोह, टोला दाहीकोचा, थाना- मुसाबनी, जिला- पूर्वी सिंहभूम के फर्द ब्यान पर प्राथमिकी के नामजाद अभियुक्त - ठाटू सबर पे-छोटराय सबर सा० कागदोह टोला दाहीकोचा थाना- मुसाबनी जिला- पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध अपनी ही पत्नी चम्पा सबर को कुल्हाडी से मार कर हत्या करने के आरोप में दर्ज हैं</p>	जेल में	<p>वादी :- चमटू सबर उम्र 21 वर्ष पे०- छोटराय सबर सा० कागदोह टोला दाहीकोचा थाना- मुसाबनी जिला- पूर्वी सिंहभूम</p>	<p>अनुसंधानकर्ता:-1. स०अ०नि० हकीम खॉँ मुसाबनी जिला- पूर्वी सिंहभूम मो० : 9708189838 2. चिकित्सक :- डॉ० लालन चौधरी एम०जी०एम० अस्पताल पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर</p>	<p>गवाह:- 1. चमटु सबर पे० छोटराय सबर, 2. जगाई समद उम्र: 45 वर्ष पे० - भदो समद मो: 3. डुमका तिउ उम्र: 22 वर्ष, पे०- लेगडू तिउ, 4. सादु समद , पे०- स्व० मादु समद , 5. कुवर तिउ पे०- गगदा तिउ, 6. टेटा सबर उम्र : करीब 38 वर्ष पे० - स्व० विश्वनाथ सामद ,7. तुराम सामद, उम्र: करीब 21 वर्ष पे० - सासंद सामद, 8. कागरा सामद, उम्र : करीब 25 वर्ष , पे० - पुरुषोत्तम सामद सभी सा० कागदोहा टोला दाहीकोचा थाना मुसाबनी, जिला पूर्वा सिंहभूम।</p>	

87.	जादुगोड़ा थाना कांड सं0-35/16 दिनांक-31.12.16 धारा-302/201 भा0द0वि0 GR No. 337/16	अभि0-गोरे लाल चौधरी उर्फ गोरा पे0- स्व0 गाजो चौधरी सा0- धराहरा जिला- मुंगेर(बिहार) वर्तमान सा0- राखमाईस निकट रेलवे स्टेशन थाना जादुगोड़ा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 2.बेबी दास पति गनपति दास सा0- कमारगोड़ा थाना चाकुलिया जिला पूर्वी सिंहभुम	यह कांड वादी चौकिदार पूर्णचन्द्र भक्त पे0- स्व0 केदार नाथ भक्त सा0- तिलामुड़ा थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम बयान के आधार पर साक्ष छिपाने के नियत से हत्या कर शव को जुगल झाड़ी में फेंक देना	जेल में	वादी चौकिदार पूर्णचन्द्र भक्त पे0- स्व0 केदार नाथ भक्त सा0- तिलामुड़ा थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 रमेश चौधरी मो0 नं0- 8757826967 जादुगोड़ा थाना पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	गवाह-1.नरेश महतो उम्र-35 वर्ष पे0- अनिल महतो 2. मुनलि महतो उम्र-40वर्ष पे0- स्व0 सनातन महतो 3. गंगा सागर महतो उम्र-42 वर्ष पे0- स्व0 जामानी महतो तीनों सा0- रोआम थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर
88.	जादुगोड़ा थाना कांड सं0-49/16 दिनांक-31.12.16 धारा-324/307/3 02/34 भा0द0वि0 GR No. 475/16	अभि0-राम सिंह बानरा पे0- त्रिवन बानरा 2. मांगु बानरा पे0- स्व0 पोरमा बानरा दोनो सा0-फॉरेस्ट ब्लॉक दलमा बेड़ा थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	यह कांड वादीनी राय मुनी बानरा पति स्व0 छोटा मांगु बानरा सा0-फॉरेस्ट ब्लॉक दलमा बेड़ा थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर के बयान के आधार पर लोहे की कटारी से सिर पर मार कर हत्या करना	जेल में	वादीनी राय मुनी बानरा पति स्व0 छोटा मांगु बानरा सा0-फॉरेस्ट ब्लॉक दलमा बेड़ा थाना जादुगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	अनुसंधानकर्ता- पु0अ0नि0 जितेन्द्र राम मो0 नं0- 9199046137 जादुगोड़ा थाना पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	-
89.	पोटका थाना कांड सं0-37/16 दिनांक-17.10.16 धारा-307/302 भा0द0वि0 GR No. 3080/16 ST No. 108/17 ए.डी.जे.-5 ए0पी0पी0-आर0के 0षर्मा	अभि0-सोमाय माडी पे0- टाकुर माडी सा0- चिमाय जुड़ी थाना पोटका जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	यह कांड वादी देलो टुडु द्वारा फर्ब ब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त सोमोय माडी केद विरुद्ध वादी के माता पिता को रात्रि में घर पहुँचा देने के बहाने अपने साथ ले जाकर वादी की मां शान्ति टुडु की हत्या कर एवं पिता गालु राम टुडु को मार पीट कर करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है जमीन हड़पने के उदेश्य से हत्या किया गया है आरोप पत्र समर्पित किया गया है आरोप पत्र सं0-47/16	जेल में	वादी देलो टुडु पे0- गालु राम टुडु सा0- लोवाडीह थाना पोटका जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर	अनुसंधानकर्ता- 1.पु0अ0नि0 जेरको खाडीया पोटका थाना मो0 नं0- 9835571578 2. डॉ0 अखिलेश कुमार चौधरी एम0जी0 सम0 अस्पताल डिमना जमशेदपुर	गवाह-1. देलो टुडु पे0- गालु राम टुडु 2. सागेन हॉसदा पे0- स्व0 दक्षिण हॉसदा 3. मोहन मुर्मु पे0- स्व0 तालु मुर्मु 4. मोड़ा टुडु पे0- स्व0 गोविन्द टुडु 5. उदय मुर्मु पे0- झरिया मुर्मु सभी सा0 लोवाडीह थाना पोटका जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 6. रतनी टुडु पे0-स्व0 गालुराम टुडु

90.	<p>पोटका थाना कांड सं०-41/16 दिनांक-22.11.16 धारा-302 भा०द०वि०</p> <p>GR No. 3441/16 ST No. 268/17</p> <p>ए०डी० जे० 13 जमशेदपुर के न्यायालय</p> <p>ए.पी.पी.- श्याम कुमार महतो</p>	<p>अभि०-मुकेश शर्मा पे०- रामदेव शर्मा सा०- मानगो डिमना रोड नियर मुन सिटी हनुमंत नगर शर्मा गली थाना मानगो जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर</p>	<p>यह कांड वादीनी सितु देवी के फर्द ब्यान पर प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश शर्मा के विरुद्ध बादीनी के पति मृतक मोहन शर्मा की हत्या कनरे के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है दोनो साथ में काम करते थे पैसा बांटने में हुए विवाद के कारण हत्या किया गया इस कांड में आरोप पत्र सं०-05/17 दिनांक-31.01.17 समर्पित किया जा चुका है</p>	जेल में	<p>वादी सुभाष चन्द कर पे० स्व० हेम चन्द कर सा०-बनडीह थाना जा</p>	<p>अनुसंधानकर्ता- 1.पु०अ०नि० जेरकु खडिया पोटका थाना मो० नं०- 9835571578 2. डॉ० विभाकर कुमार एम०जी० सम० अस्पताल डिमना जमशेदपुर</p>	<p>गवाह-1. सितु देवी पति स्व० मोहन कुमार शर्मा 2. नागेश्वर शर्मा पे०- स्व० रामस्वरूप शर्मा 3. श्याम लाल गोरार्ई पे०- काला गोरार्ई 4. वैशाली शर्मा पे०- राम स्वरूप शर्मा 5. नरेश शर्मा पे०- स्व० स्वरूप शर्मा सभी सा० मानगो डिमना रोड नियर मुन सिटी हनुमंत नगर शर्मा गली जिला पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर</p>	
91.	<p>गुडबान्दा थाना कांड सं०-25/17 दिनांक-14.09.17 धारा-302/201/34/ भा०द०वि० एवं 3/4/5 डायन प्रथा प्रतिषेध अधि०</p> <p>GR No. 351/17</p>	<p>अभि०-बागुन बोदरा उर्फ सुनी उर्फ सुनिल बोदरा पे०- विक्रम बोदरा उर्फ राजा सा०- भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 2.विशनाथ बोदरा उर्फ चोकाई बोदरा पे०- मोरा बोदरा सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 5. आकाश पांडेया पे०-स्व० राव कान पांडेया सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम 4. उतकर पांडेया पे०- स्व० सेलाम पांडेया सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम 5. सुनी पूर्ति पे०- पाटझ पुर्ति सा०-कुलमारा टोला बोरा काटा थाना जादुगोड़ा</p>	<p>यह कांड वादी संदाय बोदरा पति-स्व० विसु बोदरा 2. मुजो बोदरा पे०-स्व० विसु बोदरा सा०- भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर पर डायन का आरोप लगाकर दानो का हत्याकर शव को छुपाना</p>	जेल में	<p>वादी फानु बोदरा उम्र-23 वर्ष पे०- स्व० विसु बोदरा सा०- भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर</p>	<p>अनुसंधानकर्ता- पु०अ०नि० कुलदीप कुमार तत्कालीन थाना प्रभारी गुडबान्दा पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर मो० नं०- 8969784083 2.पु०अ०नि० ज्योति लाल रजवार थाना प्रभारी गुडबान्दा पूर्वी सिंहभुम मो० नं०-8271762101 3.स०अ०नि० संतोष कुमार सिंह तकनिकी शाखा प्रभारी पूर्वी सिंहभुम 4.डॉ० विभाकर कुमार एम० जी० एम० कॉलेज डिमना</p>	<p>गवाह-1.बुधनी बारी पति पुरान बारी उम्र-26 वर्ष लगभग सा०- विक्रम पुर टोला सुरदा थाना मुसाबनी 2. गुरुवाली बोदरा पति स्व० माहाय बोदरा उम्र-38 वर्ष सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 3. सोंगा बोदरा (ग्राम प्रधान) पे०- साधव बोदरा उम्र-26 वर्ष सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 4.अमिता बोदरा पति मधुसुदन बोदरा उम्र-30 वर्ष सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 5. विक्रम बोदरा पे०-पाउन बोदरा उम्र-55 वर्ष सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर 6. नानकी पांडेया पति मोहाय पांडेया 7.मोरा बोदरा पे०- स्व० कानु बोदरा उम्र-25 वर्ष सा०-भालकी टोला रामाताड़ी थाना- गुडबान्दा जिला- पूर्वी सिंहभुम जमशेदपुर</p>	
92.	<p>सिदगोड़ा थाना कांड सं०-136/17,दि०-01.09.17 धारा-399/402 भा०द० वि०। जी०आर० नं०-2430/17</p>	<p>1. गयासुदीन अहमद पे०-क्यूम रिजवी, सा०-मकान नं०-13 रोड नं०-07 बारीनगर थाना-टेलको 2. लोकनाथ ठाकुर सा०- बारीगोडा चौक दुर्गा मैदान परसुडीह 3. राहुल राय पे०-कैलाष राय, सा०-बागुनहातु भारत सेवा आश्रम</p>	<p>डकैती की योजना बनाते हुए रंगे हाथो पकडा जाना।</p>	जमानत में	वादी पु०नि० फूलननाथ	<p>1. स०अ०नि० ललीत कुमार पाण्डेय, 2. आ०/2583 संजय महतो 3. आ०/232 अनमोल पुर्ति 4. हव० सुभाष प्रसाद 5. आ०/1277</p>	<p>1. दीपु कुमार ओझा, पे०-हरिषंकर ओझा सा०-हा०नं०-127 फ्लैट नं०-03 बिरसानगर 2. बी० तीनेष्वर राव , पे०-बी० नरायण राव, सा०-एल-04/22 बारीडीह गुरुद्वारा लाईन ट्यूब कॉलोनी, थाना-सिदगोडा जमशेदपुर।</p>	

	<p>न्या0दण्डा0-प्रथम श्रेणी षिखा रानी तिग्गा</p> <p>ए0पी0पी0 भोला दास</p>	<p>थाना सिदगोडा</p> <p>4. रोहन कुमार सिंह, पे0-अरुण कुमार सिंह, सा0-विजया गार्डेन मोहर थाना-बिरसानगर</p> <p>5. अमन कुमार सिंह, पे0- अजीत कुमार, सा0-बारीडीह बस्ती ,निराला पथ थाना सिदगोडा</p> <p>6. रितिक प्रसाद पे0-पुष्पेंद्र प्रसाद सा0-मकान नं0-78 गौतम रोड़</p> <p>7. रूणु यादव, पे0-अंकित नही, थाना-बिरसानगर</p> <p>8.अमित यादव, पे0-अंकित नही, सा0-थाना-बिरसानगर</p> <p>9. शहनवाज खॉ, थाना-टेल्को सभी जिला-जमषेदपुर।</p>				<p>अनिरुद्ध प्रसाद</p> <p>6. अनु0 पु0अ0नि0 रामबदन सिंह,</p>	
93.	<p>सिदगोडा थाना कांड सं0-137 / 17, दि0-01.09.17 धारा-25(1-b)a/2 6/35 आर्म्ष एक्ट जी0आर0 नं0-2457 / 17</p> <p>न्या0 दण्डा0-प्रथम श्रेणी षिखा रानी तिग्गा</p> <p>ए0पी0पी0 भोला दास</p>	<p>1. गयासुदीन अहमद पे0-क्यूम रिजवी, सा0-मकान नं0-13 रोड़ नं0-07 बारीनगर थाना टेल्को जमषेदपुर</p> <p>2. लोकनाथ ठाकुर सा0-बारीगोडा चौक दुर्गा मैदान परसुडीह</p> <p>3. राहुल राय पे0-कैलाष राय, सा0-बागुनहातु भारत सेवा आश्रम थाना सिदगोडा जमषेदपुर।</p> <p>4. रोहन कुमार सिंह, पे0-अरुण कुमार सिंह, सा0-विजया गार्डेन मोहर थाना-बिरसानगर</p> <p>5. अमन कुमार सिंह, पे0- अजीत कुमार, सा0-बारीडीह बस्ती ,निराला पथ थाना सिदगोडा</p> <p>6. रितिक प्रसाद पे0-पुष्पेंद्र प्रसाद सा0-मकान नं0-78 गौतम रोड़</p> <p>7. रूणु यादव, पे0-अंकित नही, थाना- बिरसानगर</p> <p>8. अमित यादव, पे0-अंकित नही, सा0-थाना-बिरसानगर</p> <p>9. शहनवाज खॉ, थाना-टेल्को</p>	अवैध अग्नेयास्त्र रखना	जमानत में	वादी पु0नि0 फूलननाथ	<p>1. स0अ0नि0 ललीत कुमार पाण्डेय,</p> <p>2. आ0 / 2585 सपन महतो</p> <p>3. आ0 / 232 अनमोल पुर्ती</p> <p>4. हव0 सुभाष प्रसाद</p> <p>5. आ0 / 1277 अनिरुद्ध प्रसाद</p> <p>6. अनु0कर्ता स0अ0नि0 मुर्ली साह</p>	

94.	<p>सिदगोडा थाना कांड सं०-120/16, दि०-12.08.16 धारा-386/120बी/34 भा०द०वि० एवं 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं०-2402/16</p> <p>न्या०दण्डा०-प्रथम श्रेणी षिखा रानी तिग्गा</p> <p>ए०पी०पी० भोला दास</p>	<p>1. ललीत कुमार उर्फ सूर्या, पे०-महेन्द्र, सा०-बिरसानगर जोन नं०-06, ज्ञान दीप स्कूल के सामने बिकटोरिया साईमन के मकान में किरायेदार थाना बिरसानगर जमषेदपुर</p> <p>2. ज्योति प्रकाश पिता-अषोक कुमार भूईयोंडीह गवाला बस्ती, पटना लाईन थाना सिदगोडा।</p> <p>3. महिन्द्र कुमार थाना गोलमुरी</p> <p>4. राजु यादव थाना बागबेडा</p> <p>5. बिनोद सिंह, पे०-केदार नाथ सिंह सा०-प्रधान टोला बागबेडा, थाना-बागबेडा जमषेदपुर।</p> <p>6. सत्येन्द्र सिंह, पे०-जगरनाथ सिंह उर्फ दयानाथ सिंह गाडाबासा बागबेडा</p> <p>7. अमलेश सिंह</p>	<p>षड्यंत्र के तहत रंगदारी वसूल करना एवं अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकडा जाना।</p>	जमानत में	वादी पु०नि० राजदेव सिंह	<p>1. स०अ०नि० सुरेन्द्र सिंह</p> <p>2. आ०/1221 गुलशन गुडिया</p> <p>3. ह० अषोक प्रसाद</p> <p>4. आ०/2226 बिरसा तिकी</p> <p>5. आ०/820 धर्मेन्द्र कुमार</p> <p>6. परिचारी प्रवर राजीव कुमार</p> <p>7. पु०अ०नि० ध्रुव कुमार राय-अनु०कर्ता०</p>	<p>1. अजीत सिंह पे०-स्व० नन्द किशोर सिंह लहिवा पथ बारीडीह</p> <p>2. प्रेम प्रकाश, पे०-सत्यनारायण सिंह सा०-लोहिया पथ बारीडीह दोनों थाना-सिदगोडा, जिला-जमषेदपुर</p>	
95.	<p>मानगो थाना काण्ड संख्या-199/17, दिनांक-30.06.17, धारा-307/120बी/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट एस०टी० न०-45/18</p> <p>ए०डी०जे०-13</p> <p>ए०पी०पी० श्याम कुमार महतो</p>	<p>1. विकाश तिवारी पिता-जितेन्द्र तिवारी पता-रोड नं०-11, दाईगुट्ट</p> <p>2. वेद प्रकाश पिता-गुप्तेष्वर सिंह</p> <p>3. तेजप्रताप सिंह पे०- वेद प्रकाश सिंह</p> <p>4. चन्दन सिंह दोनों पिता-वेद प्रताप सिंह तीनों पता-रोड नं०-5 दाईगुट्ट</p> <p>5. मोहन सिंह</p> <p>6. बलदेव सिंह दोनों पिता-ओम प्रकाश सिंह पता-दाईगुट्ट</p> <p>7. सेन राव पिता-त्रिदेव राव पता-धोबी लाईन रोड नं०-06 सभी थाना-मानगो</p> <p>8. कार्तिक प्रमाणिक पिता-स्व० सत्यनारायण प्रमाणिक पता-संजय नगर मांडी टोला थाना-आदित्यपुर जिला-सरायकेला-खरसावाँ</p> <p>9. मोहन लोहार पिता-गुरुचरण लोहरा पता-खूटाडीह थाना-सोनारी</p> <p>10. आकाश सिंह उर्फ आकाश कुमार उर्फ आकाश वर्मा पिता-अनिल सिंह पता-दाईगुट्ट थाना-मानगो दोनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>जान मारने एवं दहषत फैलाने के नियत से दरवाजे पर गोली चलाना।</p>	जेल	<p>वादी रानी पाठक पति-स्व० मुनिष पाठक उर्फ छोटु पंडित पता-दाईगुट्ट रोड नं०-01 क्रॉस रोड नं०-05, नियर टी०के० टावर</p>	<p>1. अनुकर्ता पु०अ०नि० रामचन्द्र राम</p> <p>2. अनुकर्ता पु०अ०नि० सुधीर प्र० सिंह</p>	<p>1. आशा देवी पति-पंकज पाठक</p> <p>2. पंकज पाठक पे०-स्व० शंकराचार्य पाठक</p> <p>3. मनीष पाठक दोनों पिता-स्व० शंकराचार्य पाठक</p> <p>4. पुनम देवी पति-मनीष पाठक सभी पता-दाईगुट्ट थाना-मानगो</p> <p>प्रभा देवी पति-हरेन्द्र पाण्डेय सा०-एल०/33 न्यू गंधक रोड थाना-साकची जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	

96.	<p>मानगो थाना काण्ड संख्या-220/17, दिनांक-12.07.17, धारा-25(1-बी)ए0/26/35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>जी0आर0-1942/17</p> <p>कोर्ट- न्या0दण्डा0-प्रथम श्रेणी एम0एम0प्रधान</p> <p>ए0पी0पी0 राकेष कुमार</p>	<p>1. सेन राव पिता-त्रिदेव राव पता-धोबी लाईन रोड नं0-06 थाना-मानगो जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर</p> <p>2. कार्तिक प्रमाणिक पिता-स्व0 सत्यनारायण प्रमाणिक पता-संजय नगर मांडी टोला थाना-आदित्यपुर जिला-सरायकेला-खरसावा</p> <p>3. मोहन लोहार पिता-गुरुचरण लोहरा पता-खूटाडीह थाना-सोनारी</p> <p>4. आकाष सिंह उर्फ आकाष कुमार उर्फ आकाष वर्मा पिता-अनिल सिंह पता-दाईगुटू थाना-मानगो</p> <p>5. विकास तिवारी उर्फ विवेक तिवारी पिता-जितेन्द्र तिवारी पता-रोड नं0-11, दाईगुटू थाना-मानगो तीनों जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>अवैध गोली एवं पिस्टल के साथ पकडा जाना।</p>		<p>वादी पु0नि0 अरूण कुमार महथा</p>	<p>1. पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद सिंह</p> <p>2. पु0अ0नि0 रामचन्द्र राम</p> <p>3. स0अ0नि0 जवाहरलाल सिंह</p> <p>4. राजीव कुमार परिचारी प्रवर</p> <p>5. अनु0कर्ता प्रभुनाथ शर्मा स0अ0नि0</p>	<p>1. उमेश ठाकुर पिता-दिनेश ठाकुर पता-दाईगुटू रोड नं0-03,</p> <p>2. अशोक राय पिता-दिनेश राय पता-दाईगुटू रोड नं0-12, दोनों थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	
97	<p>गोलमुरी थाना कांड सं0-209/14, दि0-17.09.14, धारा-366ए भा0दस0वि0 परिवर्तित धारा-366ए/376ए फ0 भा0द0वि0 एवं 4/6 पोक्सो एक्ट।</p> <p>G.R. No.-3019/14 ST No-12/15</p> <p>न्यायालय-ए0डी0 जी0-1, सदर कोर्ट, जमषेदपुर।</p> <p>ए0पी0 पी0 का नाम-आर0एन0 तिवारी</p>	<p>1. अनवर अली उर्फ अमन, पे0-स्व0 असगर अली, सा0-आमबगान, म0सं0-28, थाना-साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>नाबालिग लड़की से शादी करने के नियत से बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना।</p>	<p>जमानत न्यायालय में कांड का स्थिति विचारण हेतु।</p>	<p>वादी अषोक कुमार सिंह, पिता-स्व0 मुंषी सिंह, पता-केबल बस्ती लाईन नं0-3, हो0नं0-49बी, थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>1. अनुसंधानकर्ता-पु0अ0नि0 अर्जुन राम, गोलमुरी थाना।</p>	<p>1. वादी अषोक कुमार सिंह, पिता-स्व0 मुंषी सिंह,</p> <p>2. रेखा देवी, पति-अषोक कुमार सिंह,</p> <p>3. संजय कुमार सिंह, पे0-स्व0 शिवषंकर सिंह, तीनों पता-केबल बस्ती लाईन नं0-3, हो0नं0-49बी, थाना-गोलमुरी,</p> <p>4. अषोक यादव, पे0-नाम नयन यादव, सा0-एल0-4/49बी, केबुल बस्ती, गोलमुरी,</p> <p>5. बहादूर भुमाली, पे0-स्व0 विष्णुनाथ भुमाली, सा0-एल0-4/49बी, केबुल बस्ती, गोलमुरी,</p> <p>6. विकास कुमार राय, पे0-अषोक कुमार राय, सा0-न्यु केबुल टाउन, तमारीन रोड नं0-35, गोलमुरी,</p> <p>7. रेखा कुमारी, पे0-कामेश्वर प्रसाद साहु, सा0-बजरंग नगर, रोड नं0- एल0-9, सभी थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	

98	<p>गोलमुरी थाना काण्ड संख्या-313/13, दिनांक-12.12.13, धारा-25(1-बी.)ए./26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0-356/16</p> <p>ए0डी0जे0-13</p> <p>ए0पी0पी0 श्याम कुमार महतो</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. कुणाल शर्मा ष पे0-स्व0 नन्दकिषोर शर्मा, सा0-मकान न0-60/61 टी0एम0जी0 एरिया, थाना-बर्मामाईन्स जमषेदपुर। 2. अषोक राय, पे0 रामदेव राय, सा0-भटौली, थाना-नोखा, जिला-रोहतास, बिहार, वर्तमान पता-एल04/143, बर्मा रोड, बर्मामाईन्स थाना-बर्मामाईन्स जमषेदपुर। 3. जयप्रकाश सिंह, उर्फ जे0पी0 पे0-रामइकबाल सिंह, सा0-जेम्को आजाद वस्ती थाना-टेल्को, जमषेदपुर। 4. टिट्टू सरदार पे0-त्रीलोक सिंह, उर्फ बबू आजाद बस्ती जेम्को, आजाद बस्ती थाना-टेल्को जमषेदपुर। 5. प्रकाश मिश्रा, पे0-लक्ष्मी नारायण मिश्रा, सा0-मिश्रा बगान जमषेदपुर। 6. रोहीत कुमार झा, पे0-रामाषंकर झा, सा0-जेम्को, थाना-टेल्को जमषेदपुर। 7. रवि सिंह, उर्फ दलबीर सिंह, पे0-रघुबीर सिंह, सा0-जेम्को आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड टेल्को जमषेदपुर। 8. सुमित चौधरी, उर्फ मोनू पे0-अनील कुमार चौधरी, सा0-मनीफिट इलीला बस्ती, टेल्को जमषेदपुर। 9. भीम कामद पे0-स्व0 ललन कामद, सा0-राजा सिंह, उर्फ गुरुदयाल सिंह, पे0-बन्टी सिंह, उर्फ जसपाल सिंह, सा0-टेल्को, जमषेदपुर। 	<p>अवैध अग्नेयास्त्र रखना।</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. पु0नि0 मो0 नेहालुद्धीन, 2. पु0नि0 इन्द्रभूषण ओझा 3. पु0अ0नि0 दिपक कुमार 4. पु0अ0नि0 नन्दकिषोर प्रसाद 5. पु0अ0नि0 तंजील खाँ 6. पु0अ0नि0 सुधांषू कुमार 7. पु0अ0नि0 सरस्वती मिंज 8. पु0अ0नि0 ज्योति लाल रजवार 9. पु0अ0नि0 सतन कुमार महतो 10 आ0/871 याकूब खाँ 11 आ0/1483* गोला सिंह 12 आ0/944 दिपायण सिन्हा 13 आ0 चालक जीतेन्द सिंह 14 पु0अ0नि0 नन्दकिषोर प्रसाद अनु0कर्ता 15 पु0नि0 कमलेष्वर पाण्डेय 16 परिचारी प्रवर जयप्रकाश नाग 	<ol style="list-style-type: none"> 1. रंजीत कुमार सिंह पे0-रघुनन्दन सिंह, सा0-मकान न0 एल0-4/66 स्टेसन रोड, बर्मामाईन्स थाना-बर्मामाईन्स जमषेदपुर। अनुतोष बख्सी उर्फ पिन्दू पे0-आषुतोष बख्सी, सा0-न्यू डी0एस0 फ्लैट क्वा0नं0-192 केबल टाउन थाना-गोविन्दपुर जमषेदपुर। 	
----	---	--	--------------------------------	--	---	--	--

99	<p>गोलमुरी थाना काण्ड संख्या-156 / 16, दिनांक-29.08.16, धारा-386 / 387 / 1 20 बी० भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए० / 26 / 35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>एस०टी०-482 / 17</p> <p>कोर्ट-ए०डी०जे०-5 ए०पी०पी०-आर०के००९ आर्मा</p>	<ol style="list-style-type: none"> बलबीर सिंह पिता-अमरीक सिंह उम्र-35 वर्ष पता-नेपाली टाउन क्षेत्र थाना-गोलमुरी अखिलेश सिंह पिता-चन्द्रगुप्त सिंह पता-क्वा०नं०-क्रास रोड नं०-28 सिदगोड़ा ब्रजमोहन खॉ पिता-सुरेश खॉ पता-परारी थाना बनगाँव, जिला-सहरसा वर्तमान पता-क्वा०नं०-08, रोड नं०-08, सिदगोड़ा, थाना-सिदगोड़ा जसबीर सिंह पिता-जसपाल सिंह उम्र-36 वर्ष, पता-बिरसानगर, जोन नं०-07, सलोनी कॉलोनी, गोलमुरी, थाना-गोलमुरी संतोष कुमार सिंह उम्र-31 वर्ष, पिता-केशव कुमार सिंह पता-सोनु राव एपार्टमेंट, साई कन्स्ट्रक्सन हो०नं०-15 नियर भालुबासा चौक थाना-सीतारामडेशा प्रभात कुमार शर्मा पिता-स्व० राम नरेश शर्मा पता-ए०जी०आई० शिवजी सिंह कम्पलेक्स डिमना रोड थाना-ओलीडीह सभी जिला-पूर्वी सिंहभूम, 		वादी पु०नि० श्रीनिवास	<ol style="list-style-type: none"> अनु०कर्ता अर्जुन राम पु०अ०नि० हव० सकलदीप पासवान पिता-बनारसी पासवान पता-नयाटोला, लाईन बाजार थाना-खजांची, जिला-पुर्णिया, बिहार आ० / 688 निरंजन कुमार पिता-दिनेश शर्मा पता-मलियापुर, थाना-सकुराबाद, जिला-जहानाबाद, बिहार <p>आ० / 2262 संपत कुमार तिवारी पिता-रघुनाथ तिवारी पता-चकवथ, महुगांव थाना-बिहियाँ, जिला-भोजपुर बिहार।</p>		
100	<p>टेलको थाना काण्ड संख्या-71 / 14, दिनांक-12.02.14, धारा-25(1-बी)ए. / 26 आर्म्स एक्ट। एस०टी० न०-167 / 17 कोर्ट-ए०डी०जे०-13</p> <p>ए०पी०पी० श्याम कुमार महतो</p>	<p>प्रकाश मिश्रा उर्फ हिमांशु कुमार, पे०-लक्ष्मीनारायण मिश्रा सा०-आंकोपुर थाना-महादेव ओ०पी० जिला-सिवान बिहार, वर्तमान पता-जेम्को मिश्रा बगान थाना-टेलको जमषेदपुर</p>	अवैध अग्नेयास्त्र रखना।	वादी पु०अ०नि० कमलेश्वर पाण्डेय	<ol style="list-style-type: none"> पु०अ०नि० दीपक कुमार पु०नि० मो० नेहालुद्दीन हव० शुकुल टोप्पो आ० / 1888 सुगदा हेम्ब्रम आ० / 2367 रमेश टोप्पो अनु०-बालमत प्रसाद स०अ०नि० 	<ol style="list-style-type: none"> इन्द्र सिंह पे०-गुरनाम सिंह, सा०-सेन्टर रोड जेम्को आजादबस्ती, जमषेदपुर। पलबेन्दरजीत सिंह, पे०-स्व० सुबोध सिंह सा०-जेम्को आजादबस्ती गुरुद्वारा रोड थाना-टेलको जमषेदपुर। 	

101	<p>साकची थाना काण्ड संख्या-44/16 दिनांक-05.04.16, धारा-307/387/1 20बी/ भा0द0वि0एवं 27 आर्म्स एक्ट। एस0टी0 न0-411/16</p> <p>ए0डी0जे0-13</p> <p>ए0पी0पी0 श्याम कुमार महतो</p>	<p>1. छोटा बच्चा उर्फ सहनवाज खान, पे0-एकरामुल खान, सा0-रोड नं0-09 जाकीर नगर, पूर्व, अजादनगर,</p> <p>2. मो0 वारिष उर्फ सरफराज, पे0-मो0 रहीम, सा0-ओल्ड पुरुलिया रोड नं0 05 मकान नं0-24, बहरा मैदान, आजादनगर,</p> <p>3. मो0 गुलरेज, उर्फ गुल्ले, पे0-मो0-सम्मद, सा0-आजाद बस्ती रोड नं0 08 मकान न0 14, आजादनगर,</p> <p>4. मो0 असरफ, उर्फ रिन्कू, पे0-स्व0 मुजीब, सा0-आजाद बस्ती रोड नं0 11 मकान न0 33, आजादनगर चारो थाना-आजादनगर,</p> <p>5. जाकीर आलम, उर्फ टिक्कू, पे0-जहीर आलम, सा0-ओल्ड बाराद्वारी, कोयला टाल के पीछे, थाना-साकची, खट्टा सोनू उर्फ खट्टा मिश्रा, पे0-महबुद आलम, सा0-जाकीर नगर, आजादबस्ती रोड नं0 06 थाना-आजादनगर,</p>	<p>षडयत्र के तहत जान मारने के नियत से गोली फायर करना।</p>		<p>1. वादी मो0 असलम, पे0-अब्दुल कयूम, सा0-मोहम्मद लाईन, साकची, जमषेदपुर।</p>	<p>अनुकर्ता-पु0अ0नि0 षिवबिहारी तिवारी</p>	<p>2. मो0 अनवर, पे0-मो0 असलम (चुड़ियाला), सा0-मोहम्मद लाईन, साकची, जमषेदपुर।</p> <p>3. मो0 इरफान, पे0-मो0 लेयाकत अली, सा0-मोहम्मद लाईन, साकची, जमषेदपुर।</p> <p>4. अहमद राजा, पे0-स्व0 सहायत हुसैन, सा0-आजादनगर, कुल्ली रोड, थाना-आजादनगर, जिला-जमषेदपुर।</p> <p>5. नादीर अंसारी, पे0-मोहन अंसारी, सा0-पुरुलीया रोड, गौ कामुली, थाना- कपाली, जिला-सरायकेला। मो0 जावेद, पे0-मो0 असलम, सा0- मोहम्मद लाईन, साकची, जमषेदपुर।</p>	
102	<p>एम0जी0एम0 थाना काण्ड संख्या-82/16, दिनांक-09.10.16, धारा-302/201 भा0द0वि0।</p> <p>एस0टी0न0-25/17</p> <p>ए0डी0जे0-13</p> <p>ए0पी0पी0 श्याम कुमार महतो</p>	<p>1. संजय केवट उर्फ गोरा केवट अनील केवट उर्फ मताल केवट दोनो पे0-सुसंग केवट उर्फ लोधा केवट सा0-बाराडीह, नारांगा थाना-एम0जी0एम0,जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमषेदपुर।</p>	<p>हत्या कर साक्ष्य को छुपाना।</p>			<p>1. डा0 ललन चौधरी मेडिकल कॉलेज एम0जी0एम0 जमषेदपुर</p> <p>2.अनु0-ललन कुमार मिश्रा एम0जी0एम0 थाना।</p>	<p>1. बुल्लू केवट पे0-स्व0 जोटू केवट</p> <p>2. चम्पा देवी, पति-बुल्लू केवट</p> <p>3. सुरज केवट पे0-बुल्लू केवट</p> <p>4. खुषबू केवट पति-स्व0 मनोज केवट</p> <p>5. रत्न केवट पे0-स्व0 लालमोहन केवट</p> <p>6. रामू पात्रो पे0-स्व0 शंकर पात्रो सभी सा0-नरंग</p> <p>7. टिरा केवट पे0-स्व0 जिवन केवट</p> <p>8. सुषील सिंह, पे0-स्व0 धसीराम सिंह, दोंनो सा0-बाराडीह नरंग थाना-एम0जी0एम0 जिला-जमषेदपुर।</p> <p>9. लखन केवट पे0-स्व0हराधन केवट सा0-चन्द्ररेखा, थाना-गालुडीह जिला-जमषेदपुर।</p> <p>10.राजन केवट पे0-सोरेन केवट सा0-डिगरी थाना-जादुगोड़ा</p>	

103	<p>एम0जी0एम0 थाना काण्ड संख्या-496 / 15, दिनांक-07.10.15, धारा-147 / 148 / 1 49 / 341 / 323 / 33 7 / 338 / 307 / 504 / 302 / 506 भा0द0वि0 एस0टी0- 04 / 17</p> <p>ए0डी0जे0-09</p> <p>ए0पी0पी0 अमर कुमार चौधरी</p>	<p>1. राजेश शर्मा 2. मिन्दु यादव 3. लखरू तैतुवाई 4. राजेश गोराई पे0-रौषन गोराई सा0-सुकना बस्ती 5. सुनील रजक तारक मुखर्जी</p>	<p>नजायज मजमा लगाकर जान मारने के नियत से ईटा पत्थर से मारकर जरखी करना।</p>		<p>1. वादी गोपाल गोराई पे0-स्व0 कालीपदो गोराई सा0-बालीगुमा सुकना बस्ती थाना-एम0जी0एम0 जमषेदपुर।</p>	<p>1.ललन चौधरी एम0जी0एम0 अस्पताल जमषेदपुर। 2.अनु0-पु0अ0नि0 जयप्रकाश खलखो।</p>	<p>2. प्रभुनाथ चौहान, पे0-मंगल चौहान सा0-तथैव 3. धमेन्द्र सिंह, पे0-अंगद सिंह, सा0-वास्तु विहार, डुप्लेक्स 144 4. अफताब अहमद सिद्धिकी पे0-स्व0 रसीद अहमद, सिद्धिकी सा0-मानगो थाना-मानगो 5. दिलीप सिंह, पे0-सुर्यभान सिंह, सा0- बालीगुमा थाना-एम0जी0एम0 6. अनिल सिंह पे0-बच्चन सिंह, सा0-तथैव 7. उमेश यादव पे0-नन्हकु यादव सा0- सुकना बस्ती थाना-एम0जी0एम0 8. अमित प्रसाद, पे0-प्यामसुन्दर प्रसाद, सा0-बालीगुमा थाना-एम0जी0एम0 9. होरो लोहार, पे0-स्व0 निवास लोहार,सा0-सुकना बस्ती थाना-एम0जी0एम0 10. राम करूआ, पे0-स्व0 प्रताप करूआ, सा0-बहलदा थाना-बहलदा जिला-मयूरगंज उडिसा वर्तमान पता-खासमहल रेलवे अस्पताल के पिछे। अघन महतो पे0-स्व0 मूना महतो सा0-कुदरसाई थाना सा0-तथैव</p>	
104	<p>बिष्टुपुर थाना काण्ड संख्या-228 / 15, दिनांक-01.08.15, धारा-302 / 120बी / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट</p> <p>एस0टी0- 367 / 16</p> <p>ए0डी0जे0-04</p> <p>ए0पी0पी0 आर0एन0तिवारी</p>	<p>1.अभि01.विक्की तपाडिया पे0-बल्लभ दास तपाडिया, 2.संदीप तपाडिया,पे0-सुनील तपाडिया, 3.मुन्ना तपाडिया तीनो तपाडिया कन्सट्रक्शन कम्पनी का मालिक अप्राथ0अभि 04.मुनमुन सिंह 5.पंकज कुमार शर्मा 6.अविनाश 7.नितेश तिवारी 8.उपेन्द्र सिंह 9.बिट्टु 10.मनोज सिंह 11.मणी उर्फ बबुआ 12.रोहित 13.अभिषेक 14.रविषेखर 15.उपेन्द्र सिंह 16.अषोक 17.रंजीत चौधरी 18.पप्पु शर्मा 19.दुन्ना सिंह उर्फ झुन्ना सिंह</p>	<p>एक मत होकर षडयंत्र कर गोली मारकर हत्या कर देना।</p>		<p>वादी रंजु देवी, पति-स्व0 राम सकल प्रसाद ,सा0- बागबेडा कलौनी रोड नं0-04 थाना- बागबेडा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p>	<p>1.जितेन्द्र कुमार पु0नि0 अनु0कर्ता 2.पु0अ0नि0 उपेन्द्र नारायण सिंह 3.स0अ0नि0 सुरेन्द्र कुमार मालाकार 4.आ0 / 800 मो0 मुनीर खॉ 5.आ0 / 1269 दिलीप कुमार यादव 6.आ0 / 1869 हिरा यादव 7.प्राभारी टेक्नीकल सेल पुलिस कार्यालय जमषेदपुर। 8.परिचारी प्रवर राजीव कुमार 9.निदेशक विधि विज्ञान प्रयोग शाला</p>	<p>1.बरखा कुमारी 2.अदित्य कुमार दोनो पिता-स्व0 राम शकल प्रसाद सा0- बागबेडा कलौनी रोड नं0-04 थाना- बागबेडा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर 3.संजय कुमार पे0-स्व0 मुसाफिर प्रसाद, सा0- बागबेडा कलौनी रोड नं0-04 थाना- बागबेडा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर 4.निवेदिता शाही पति-अभिषेक कुमार शाही 5.अभिषेक कुमार शाही पे0-जय नरायण साही दोनों सा0- सा0-प्लैट नं0-सी / 12 बंसत रेजिडेन्सी बागबेडा 6.चन्द्र शेखर वर्मा पे0-हिरा लाल वर्मा पता- --नया बाजार जुगसलाई नियर षितला मंदिर 7.रविन्द्र कुमार पे0- स्व0 मुसाफिर प्रसाद सा0-बागबेडा कॉलोनी रोड नं0-05 क्यू0टी0-12 / 117 थाना बागबेडा 8.अजय कुमार पे0-श्री शिवाजी सिंह सा0-एम0रोड जयंती अपार्टमेंट थाना बिष्टुपुर 9.विजय पाण्डेय, पे0-रामअवतार पाण्डेय सा0- बागबेडा कॉलोनी रोड नं0-05 बागबेडा 10 राघवेन्द्र कुमार पे0-श्री अर्जुन शर्मा सा0-ग्रीन फिल्ड न्यू सुभाष क्लोनी थाना-मानगो 11.अंगद कुमार राय पे0-श्री भगवान राय, सा0-क्या0 नं0-440 बागबेडा स्थाई पता- नाडी थाना-साहार जिला-भोजपुर 12.सुरेन्द्र कुमार पे0-स्व0 चन्द्रदेव दास सा0- रोड नं0-05 क्वा0 नं0-14 / 01 / 02 बागबेडा 13.विष्वजीत कुमार पे0-योगेश चन्द्र सिंह सा0- भाटिया बस्ती अषोक पथ हो0नं0-03 थाना कदमा 14.कृष्ण प्रसाद पे0-श्री मुषी प्रसाद सा0-सुभाष पथ</p>	

						<p>बारीडिह थाना-सिदगोडा 15.उमेष यादव पे0-स्व0 किषुन यादव सा0- बागबेडा कॉलोनी रोड नं0-04 क्वा0-120/02/04 थाना बागबेडा 16.अविनास कुमार शर्मा पे0- राजबल्लव शर्मा सा0-क्वा0 नं0-95/02/02 रोड नं0-07 आदित्यपुर जिला-सरायकेला खरसर्वा। 17.विरेन्द्र कुमार पे0-स्व0 चन्द्रदेव दास सा0- रोड नं0-05 क्वा0 नं0-14/01/02 बागबेडा 18.रासमुनी देवी पति-स्व0 मुसाफिर प्रसाद सा0-बागबेडा कलॉनी रोड नं0-04 थाना- बागबेडा, जिला-पूर्वी सिंहभूम जमषेदपुर</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

ज्ञापांक-347 / डी0सी0बी0,

रेल पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, जमशेदपुर।
दिनांक-10.05.2018

सेवा में,

पुलिस उप-महानिरीक्षक,रेल,
झारखण्ड, राँची।

प्रसंग:- भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक-144/अप0शा0, दि0-02.05.18 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक-173/गो0, दि0-03.05.18

विषय:- त्वरित विचारण के अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त 500 महत्वपूर्ण काण्डों के चयन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रसांगिक विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि रेल जिला जमशेदपुर में टीम गठीत कर कुल 09 महत्वपूर्ण काण्डों को त्वरित विचारण हेतु चयन कर दिये गये बिन्दुवार विवरणी विहित प्रपत्र के अनुरूप तैयार करते हुए कृपया संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

ह0/-

रेल पुलिस अधीक्षक,
जमशेदपुर।

- प्रतिलिपि:-
- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेल,झारखण्ड, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ।
 - 2- अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को कृपया उनके ज्ञापांक-173/गो0, दि0-03.05.18 के आलोक में बिन्दुवार विवरणी विहित प्रपत्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
 - 3- पुलिस महानिरीक्षक, रेल, झारखण्ड, राँची को कृपया सादर सूचनार्थ।

ह0/-

रेल पुलिस अधीक्षक,
जमशेदपुर।

रेल जमशेदपुर जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण में लिये गये से 09 काण्डों की सूची :-

क्रम सं०	काण्ड संख्या/ तिथि/धारा/ जी०आर०/एस०टी० नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में/ फरार/बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम मोबाइल न०	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/ अनुसंधानकर्ता/ चिकित्सक/विशेषज्ञों का नाम, पता एवं मोबाइल सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1	रेल थाना टाटानगर काण्ड सं०-10/18 दि०-28.01.18, धारा-414/34 भा०द०वि०। जी०आर०-16/18 रेल	1-प्रकाश दास उर्फ तिग्गी, उम्र-27 वर्ष, पे०-स्व० सूरज दास, सा०-बागबेड़ा, गाँधीनगर, फटा पाइप, थाना-बागबेड़ा, जिला-पू०सिंहभूम। 2-मो० फिरोज, उम्र-22 वर्ष, पे०-श्री लाल मुनी, सा०-कीताडीह, गड़ीवान पट्टी, थाना-परसुडीह, जिला-पू०सिंहभूम। 3-मो० कैश, उम्र-36 वर्ष, पे०-स्व० मोदिन, सा०-कीताडीह, गड़ीवान पट्टी, थाना-परसुडीह, जिला-पू०सिंहभूम।	वादी रामबाबू सिंह, दि०-28.01.18 को सहायक उप निरीक्षक ओपप्रकाश गड़वाल, उप निरीक्षक रंजीत कुमार, आरक्षक संजय कुमार और टेका राम समय 02:00 बजे प्लेटफॉर्म गस्त पर थे। इसी दौरान प्लेटफॉर्म सं०-4/5 चक्रधरपुर छोर के पास एक व्यक्ति को संदिग्ध हालत में देखे, जो प्रकाश दास उर्फ तिग्गी जैसा लग रहा था जिसे खदेड़कर पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान अपना नाम प्रकाश दास उर्फ तिग्गी, जिसकी तलाशी लेने पर एक नोकिया मोबाइल (चोरी का) मिला। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 26.01.18 को प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग यात्रियों से मोबाइल और पैसे चोरी किये थे जिसे अपने साथी अफरोज और मो० कैश से बेच दिये थे। आगे वादी अपने साथियों के साथ अभियुक्त को लेकर स्टेशन परिसर में गुप्त निगरानी कर रहे थे। इसी दौरान लगभग 4:00 बजे स्टेशन के इन गेट के पास मो० फिरोज और मो० कैश को पकड़े और उनके पास से दि०-26.01.18 को अलग-अलग चोरी किये गए मोबाइल फोन बरागद किये।	तीनो जेल में हैं	न्या० दण्डा०, चक्रधरपुर, कैम्प, जमशेदपुर,	(वर्तमान में कोई पी०पी० प्रतिनियुक्त नहीं हुई है।)	रामबाबू सिंह, उम्र-30 वर्ष, पे०-स्व० चन्द्रमा सिंह, सा०-गौस गंज, पी०+थाना-आरानगर, जिला-भोजपुर, बिहार, वर्तमान रे०सु०ब० पोस्ट टाटानगर	1-उप निरीक्षक भीम प्रकाश गढ़वाल 2-उप निरीक्षक रंजीत कुमार 3-आरक्षक संजय कुमार 4-आरक्षक टेका राम सभी रे०सु०ब०, पोस्ट टाटानगर 5-अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० शिवनन्दन सिंह, रेल थाना टाटानगर	-	

2	रेल थाना टाटानगर काण्ड सं0-27/18, दि0-21.04.18, धारा-414 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0-39/18 रेलवे	सरवर आलम उम्र करीब 30 वर्ष, पे0-जाकिर आलम, ग्राम+पो0-कलेर, थाना- कलेर फतेहाबाद जिला-अरवल, बिहार	काण्ड का सारांश यह है कि 21.04.18 को वादी देवकुमार प्रसाद आर0पी0एफ0 पोस्ट टाटानगर रात्रि डियूटी में तैनात थे। किसी यात्री द्वारा उन्हें सूचना दी गयी कि कोई व्यक्ति किसी का मोबाईल चोरी करके भाग रहा है। इसी सूचना पर वादी उन्हें दौड़कर अपने सहयोगी के साथ पार्किंग के आउटगेट के पास पकड़े। उक्त व्यक्ति का तलाशी लेने पर पॉच मोबाईल, नगद 720 रूपया एवं एक टिकट तथा एक आधार कार्ड सरवर आलम के नाम से बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम सरवर आलम, उम्र करीब 30 वर्ष, पे0-जाकिर आलम सा0-पो0 कलेर, थाना-कलेर फतेहाबाद, जिला-अरवल, बिहार बताया। उसने एक मोबाईल अपना एवं चार मोबाईल एवं नगद 720 रू0 को चोरी का होना बताया।	जेल में	न्या0 दण्डा0 चक्रधरपुर, कैम्प, जमशेदपुर,	(वर्तमान में कोई पी0पी0 की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है)	देवकुमार प्रसाद, आर0पी0एफ0 पोस्ट टाटानगर	<p>1-देवकुमार प्रसाद, पे0-दयाल प्रसाद, ग्राम+पो0-वीरपुर, जिला-भोजपुर आरा, वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट टाटानगर</p> <p>2-लोकेश कुमार मीणा, उम्र करीब 35 वर्ष, पे0-श्री रामलाल मीणा, ग्राम+पो0-राजाजी, थाना-राजगढ़, जिला-अलवर (राजस्थान) वर्तमान आरक्षी आर0पी0एफ0 पोस्ट टाटानगर, मो0नं0-7091319592</p> <p>3- प्रदीप कु0 शाह उम्र करीब 30 वर्ष पे0-सीताबी शाह, सा0+पो0-बनीयाडीह, थाना-ठाकुर गंगटी, जिला-गोड्डा, वर्तमान आर0पी0एफ0 पोस्ट टाटानगर, मो0नं0-9931714995</p>	<p>1-चंदन कुमार, पे0-राज कुमार झा, सा0+पो0-महेशी, थाना-विभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर, वर्तमान में शौचालय कर्मचारी रलवे स्टेशन टाटानगर</p> <p>2-सुंदर मोहन हेम्रम, पे0-बिन्दु हेम्रम, सा0-मदनमोहनपुर, थाना-जासीपुर, जिला-मयुरभंज, उड़िसा, मो0नं0-7873991422</p> <p>3-पल्लू मुर्मू, पे0-दुर्गा मुर्मू, ग्राम-बरंगीमारा, पो0-चुआपानी, थाना-बादामपहाड़, जिला-मयुरभंज उड़िसा, मो0नं0-8658761753</p>	
3	रेल थाना टाटानगर काण्ड सं0-28/18, दि0-28.04.18 धारा-379/411/414 भा0द0वि0। जी0आर0 नं0-40/18, रेलवे (शेख इम्तियाज, उम्र करीब 43 वर्ष, पे0-स्व0 शेख इस्लाम, सा0-पुरुलिया रानीबॉध, वार्ड नं0-09, पो0+थाना-पुरुलिया, जिला-पुरुलिया	काण्ड का सारांश यह है कि दि0-28.04.18, को वादी आर0पी0एफ0 के चार जवानों के साथ रात्रि डियूटी में तैनात थे। रात्रि करीब 02:30 बजे पुलिस बल को आते देखकर एक व्यक्ति बुकिंग काउण्टर से भागने लगा। शक होने पर उसी पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया। उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शेख इम्तियाज, उम्र करीब 43 वर्ष, पे0-स्व0 शेख इस्लाम, सा0-पुरुलिया रानीबॉध, वार्ड नं0-09, पो0+थाना-पुरुलिया,	जमानत पर	न्या0 दण्डा0 चक्रधरपुर, कैम्प, जमशेदपुर,	वर्तमान में कोई पी0पी0 की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है)	बलबीर प्रसाद सहायक उप निरीक्षक रे0सु0ब0, रेल थाना टाटानगर	<p>1- बलबीर प्रसाद , स0अ0नि0 आर0पी0एफ0, पोस्ट टाटानगर</p> <p>2-लोकेश कु0 मीणा ,आरक्षी आर0पी0एफ0 ,टाटानगर</p> <p>3-धर्मेन्द्र सिंह, आरक्षी, आर0पी0एफ0, टाटानगर</p> <p>4-टेकराम, आरक्षी आर0पी0एफ0, टाटानगर</p> <p>5-अनुसंधानकर्ता -राजकमार रविदास स0अ0नि0 रेल थाना टाटानगर।</p>	-	

			जिला-पुरुलिया बताया। उसके बदन की तलाशी लेने पर दो मोबाईल, नगद 235 रू0, आधार कार्ड एवं जेनेरल टिकट बरामद हुआ। बरामद मोबाईल एवं रूपये चोरी कर प्राप्त करने की बात स्वीकार किया।						
4	रेल थाना हटिया काण्ड सं0-10/17, दि0-16.12.17, धारा-376 (2)/511 भा0द0वि0 एवं 8 POCSO ACT पोस्को सेसेन ट्रायल सं0 128/17	राजाबाबू उम्र-20 वर्ष, पे0-सुनिल राम, ग्राम+पो0-नेटार थाना दनियावा, जिला-पटना (बिहार) वर्तमान पता-पटेल नगर हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-राँची	पीडिता वादिनी के फर्दबयान के आधार पर कण्डिका 3 में अंकित अभियुक्त के विरुद्ध घर से बहला-फुसला कर रेलवे कोचिंग यार्ड में ट्रेन के खाली बोगी में लाकर बलात्कार के प्रयास करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जमानत पर मुक्त है।	कोर्ट-फर्स्ट ए0जे0सी0 सह स्पेशल कोर्ट, पोस्को राँची,	ए0पी0पी0 के0 राय, मो0 नं0 9430353649	वादिनी सुश्री अन्वु धान उम्र-07 वर्ष, पे0-श्री सारु धान, सा0-मलटी, थाना-ईटकी, जिला-राँची, वर्तमान पता-श्रीमती शीला तिग्गा(मौसी) पति-स्व0 सिंकू तिग्गा मोहल्ला आदिवासी मोहल्ला, सण्डे मार्केट को पास नीचे हटिया, थाना-जगरनाथपुर, जिला-राँची।	1-विकास कुमार, उम्र करीब 35 वर्ष, पे0-श्री0 परमानन्द सिंह, सा0-गरुड़ा, थाना-सझौली, जिला-रोहतास (बिहार), उप-निरीक्षक रेल सुरक्षा बल(हटिया) मो0 नं0-9771481060 2- योगेन्द्र कुमार, पे0-स्व0 बुधन साव, ग्राम+पोस्ट-ओड़िया मुफसिल जिला-हजारीबाग वर्तमान आरक्षक-806149 आर0पी0एफ0 पोस्ट हटिया 3-समेश्वर महतो पिता-माया महतो, ग्राम-बड़ा मूरी, थाना-सिल्ली, जिला-राँची, वर्तमान पता-हेल्पर सी0 एण्ड डब्ल्यू हटिया मो0नं0-7462842083 4-बलराम महतो उम्र करीब 25 वर्ष पिता-मिहिर महतो, सा0-जुनूट कुल्टी, थाना-हीरापुर, जिला-वर्द्धमान, वर्तमान पता-कोच सफाई सुपरवाइजर, मो0नं0-8101779660 5-दीपाली अमृत उम्र करीब 42 वर्ष, पति-अजीत खलखो, लोको पायलट गुडस पता-मोहल्ला-प्रेमनगर, थाना-कांके, जिला-राँची मो0नं0-97711484899 6-म0स0अ0नि0 रजनी पुष्पा	1-शीला तिग्गा उम्र करीब 35 वर्ष, पति-स्व0 सिंकू तिग्गा, आदिवासी मोहल्ला, सण्डे मार्केट के पास थाना-जगरनाथ पुर, जिला-राँची मो0नं0-8674876 679 2- बसंती कच्छप उम्र करीब 30 वर्ष पिता- बंधना उराँव, सा0-गढ़ाटोली बेड़ो थाना-बेड़ो, जिला-राँची, वर्तमान पति-स्व0 सिंकू तिग्गा, आदिवासी मोहल्ला, सण्डे मार्केट के पास थाना-जगरनाथ पुर, जिला-राँची मो0नं0-9534272213 3-रोहित कच्छप, उम्र करीब 15 वर्ष, पे0-श्री मंगलेश कच्छप, सा0- आदिवासी मोहल्ला, सण्डे मार्केट के पास

								रुण्डा, मो0न0-9608888843 7-डॉ0 अनीता सिंह, 8-डॉ0 उमा सिंह तथा 9-डॉ0 रानी सिंह सभी चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल राँची 10-पु0नि0 रामनारायण ठाकुर मो0न0-9279532625	थाना-जगरन्नाथ पुर, जिला-राँची मो0न0- 9608261329	
5	रेल थाना चक्रधरपुर काण्ड सं0-07/17, दि0-30.10.17, धारा-414 भा0द0वि0 जी0आर0नं0-87/17	अजय कुण्डलाना, पे0-विनोद कुण्डलाना, सा0-गोपबंधु पत्नी, थाना-प्लांट साईट, राउरकेला, जिला-सुन्दरगढ़, जिला-उड़ीसा	यह कांड रेलवे स्टेपन चक्रधरपुर प्लेटफार्म सं0-01 के पश्चिमी छोर से वादी सुरेश कुमार, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त अजय कंडुलना, उम्र-करीब 24 वर्ष, पिता-विनोद कंडुलना, ग्राम-गोपाबंधुपल्ली, थाना-प्लांट साईट, राउरकेला, जिला-सुन्दरगढ़ के विरुद्ध चोरी के मोबाईल के साथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	जेल में।	रेल न्या0 दण्डा0, चक्रधरपुर	(वर्तमान में पी0पी0 की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है।)	सुरेश कुमार, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर	1- सुरेश कुमार, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल चक्रधरपुर 2- अजय कु0 प्रधान 3-आरक्षक मो0हलूम 4-आरक्षक सुरेन्द्र साहु उपरोक्त सभी रेल सुरक्षा बल, चक्रधरपुर 5-अनुसंधानकर्ता- अ0नि0 श्यामनन्दन झा	शि वनाथ माण्डी, पे0-चम्पई माण्डी, सा0- माछकन्दा, थाना- चाकुलिया, जिला-पू0 सिंहभूम। वर्तमान पता सेक्टर डी मवाटर नं0-319, थाना-वनमुण्डा, जिला-सुन्दरगढ़, उड़ीसा	-
6	रेल थाना चक्रधरपुर काण्ड सं0-07/18 दि0-21.02.18, धारा-379/411 भा0द0वि0। जी0आर0-20/18, रेलवे	अभियुक्त मो0 शाहिब उर्फ आकाश, पे0-मो0 शाबिर, सा0-कसाई मोहल्ला, आसरा मस्जिद के पास थाना सदर, जिला-पं0 सिंहभूम	काण्ड का सारांश यह है कि वादी अपने साथी के साथ विजयवाड़ा जाने के लिए जनरल टिकट लेने हेतु बुकिंग काउंटर में लाईन में लगे हुए थे, कि प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा वादी के पैंट के जेब से रेडमी नोट 4 मोबाईल सिम नं0-7764093168 निकालकर भागने लगे। वादी द्वारा हल्ला करने पर इनके साथी एवं अन्य यात्री द्वारा चोर को पकड़ लिया गया, जिसके पास से वादी का मोबाईल बरामद कर रेल थाना चक्रधरपुर को सुपूर्द किया गया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।	जमानत पर।	न्या0 दण्डा0 चक्रधरपुर	(वर्तमान में पी0पी0 की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है।)	बाबुल देवगम ,उम्र-24 वर्ष ,पिता-परगना देवगम, सा0-सारजोमडीह बरदडीह, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला खरसाँवा, (झारखण्ड)	1-जे0एन0 बावड़ी, सहायक उप निरीक्षक, आर0पी0एफ0 पोस्ट चक्रधरपुर। 2- आरक्षक सुरेन्द्र साहु, आर0पी0एफ0, पोस्ट चक्रधरपुर। 3- आरक्षक राजेश कुमार,पोस्ट चक्रधरपुर। 4- आरक्षक समीर कुमार, आर0पी0एफ0 पोस्ट चक्रधरपुर।	1-उपेन्द्र पाड़िया, पे0-स्व0 डेपिर पाड़िया, सा0-सारजमडी, बरददी, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला खरसाँवा	
7	रेल थाना राँची काण्ड सं0-43/17, दि0-12.10.17,	अप्राथ0 अभि0 कार्तिक उराँव, पे0-भकू उराँव, सा0-लालपुर,	काण्ड का सारांश यह है कि वादी आरक्षक रहीम शेख आर0पी0एफ0 पोस्ट राँची,	जेल में	मान0 न्या0 ए0जे0सी0-18, श्री दिवाकर	ए0पी0पी0-एस 0के0 मंडल, मो0 नं0	आरक्षक रहीम शेख आर0पी0एफ0 पोस्ट राँची	1-आरक्षक रहीम शेख आर0पी0एफ0 पोस्ट राँची 2- हवलदार विनय कुमार पासी,	1- जेनिफर बाड़ा, पे0-जोलियन	

	धारा-302 / 201 भा0द0वि0। जी0आर0 नं0-85 / 17 एस0टी0 नं0-48 / 18	थाना-लापुंग, जिला-राँची	दि0-12.10.17 को सुबह 08:00 बजे से 16:00 बजे तक राँची रेलवे स्टेशन लोहरदागा रेलवे स्टेशन गेट के पास डियूटी कर रहे थे। दोपहर 13:00 बजे अफवाहन सूचना मिली कि नवनिर्मित शौचालय के पास झाड़ी में एक शव पड़ा हुआ है। इस संबंध में उक्त आरक्षक के लिखित बयान के आधार पर अज्ञात अभि0 के विरुद्ध काण्ड दर्ज किया गया। काण्ड के अनुसंधान के क्रम में मृतका के शव को सिलवन्ती बारला उर्फ पूजा कुमारी के रूप में पहचान की गई तथा अपराधकर्मी कार्तिक उराँव, पे0-भकू उराँव, सा0-लालपुर, थाना-लापुंग, जिला-राँची को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।		पाण्डेय,	9264454045		रेल थाना राँची 3-स0अ0नि0 नरेश पासवान,रेल थाना राँची,, मो0न0-9199536566 4- स0अ0नि0 सतीश कुमार रेल थाना राँची,, मो0न0-9122650553 5-डॉ0 लिसू चौड़े, रिम्स राँची, 6-अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 शीतल उराँव, रेल थाना राँची मो0न0-8789799593 7-पु0नि0 अनिल कु0 सिंह , रेल थाना प्रभारी राँची 8-पु0नि0 अजीत कुमार कुजूर, रेल अंचल राँची मो0न0-9661389402 7004792239	बाड़ा सा0-पड़वाई, थाना-जलडेगा, जिला-सिमडेगा, 2-मिखाईल मुण्डा, पे0-स्व0 सेवरन मुण्डा, सा0-नरसिंह पुर, थाना-कामडारा, जिला-गुमला 3-शिशालिया मुण्डा, पति-मिखाईल मुण्डा, 4-सुशिला बारला, पे0-मिखाईल मुण्डा, तीनो सा0-नरसिंहपुर, थाना-कामडारा, जिला-गुमला	
8	रेल थाना राँची काण्ड सं0-48 / 17, दि0-03.12.17, धारा-379 / 411 भा0द0वि0। जी0आर0 नं0-97 / 17 टी0आर0नं0-66 / 18	मो0 मोकिम अंसारी, पिता-जाहिर अंसारी, सा0-नया सराय, थाना-नगरी, जिला-राँची	काण्ड का सारांश यह है कि दिनांक-03.12.17 को रेलवे स्टेशन राँची के प्लेटफॉर्म पर वादी स0अ0नि0 सतीश कुमार, रेल थाना राँची, डियूटी कर रहे थे। इसी क्रम में प्राथ0 अभि0 मो0 मोकिम अंसारी पुलिस को देखकर भागने लगे जिसे पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया तथा तलाशी लेने पर उनके पॉकेट से माइक्रोमैक्स कम्पनी का मोबाईल बरामद हुआ जिसका कागजात का माँग किया गया तो अभियुक्त द्वारा कोई संतोषजनक जबाब एवं कागजात नहीं दिखाया गया। बरामद मोबाईल को कॉल रिसिव करने पर वह व्यक्ति बरामद किये गये मोबाईल के मालिक वो अपना नाम भरत कुमार, पिता-अमरेन्द्र पण्डित,	जमानत पर है।	रेल कोर्ट, राँची	, ए0पी0पी0 पुष्पा सिन्हा, मो0 नं0 9264454048	वादी स0अ0नि0 सतीश कुमार, रेल थाना राँची	1- वादी स0अ0नि0 सतीश कुमार, रेल थाना राँची 2-आरक्षी / 23 रामकुमार सिंह, रेल थाना राँची 3- आरक्षी / 394 रणविजय कुमार, रेल थाना राँची 4-अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 शिवलेन पूर्ति, रेल थाना राँची	1- भरत कुमार, पिता-अमरेन्द्र पण्डित, सा0-झुलनवा, थाना-रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय (बिहार) 2-बबलू तौती, पिता-शोभा तौती, कुली बैच नं0-70, सा0-हरनी, थाना-खैरना, जिला-जमूई, बिहार,। वर्तमान कुली नं0-70, रेल थाना राँची। 3-हीरा राय,	

			सा0-झुलनवा, थाना-रामगढ़ चौक, जिला-लखीसराय (बिहार) बताया।						पिता-बाबूराम राय, सा0-अमरपुर,, थाना-भेलदीह, जिला-छपरा, बिहार।
9	रेल थाना चाण्डिल (सिन्नी) काण्ड सं0-08 / 17, दि0-06.11.17, धारा-457 / 380 भा0द0वि0। जी0आर0 न0-89 / 17	1-खुशदिल आलम उर्फ बल्लू, पे0-मो0 आजाद अली, 2-टिबरू सरदार, पे0-स्व0 रायबू सरदार, दोनो साकिन नयाडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा 3-अली हुसैन, पे0-स्व0 मो0 सुलेमान, सा0-नयाडीह, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा	काण्ड का सारांश यह हैकि वादी सुखलाल सोरेन, वर्तमान में इंजिनियरिंग रेल कारखाना, सिन्नी में जुनियर इंजिनियर के पद पर कार्यरत, दिनांक-03.11.17 को अपने क्वार्टर नं0-ई0 / 297 / 3 में ताला बंद करके गाँव चले गये थे। दिनांक- 05.11.17 को गाँव से वापस आने पर वादी देखे कि इनके क्वार्टर का दरवाजा, जिसे वादी सिक्कड़ एवं क्लीप के सहारे ताला बंद किये थे। क्लीप उखाड़ कर दरवाजा खोलकर तथा अंदर के कमरे के दरवाजे का ताला तोड़कर क्वार्टर से सामानों की चोरी किसी अज्ञात चोर द्वारा कर ली गई है। कमरे में रखे लोहे की आलमारी, जिसे वादी लॉक नहीं किये थे। उक्त आलमारी से गले का हार, कान की बाली, एक जोड़ी पायल, दो लेडिज हैण्ड बैग तथा कमरे में रखा डेल कंपनी का लैपटॉप, मॉडम के साथ आई0एम0ई0आई0 नं0-911210201565143सिम नं0-9431353523, सैगसंग एल0ई0डी0 टी0वी0-24 इंच, एक साउण्ड स्पीकर तथा किचेन रूम से काँसा का दो कटोरी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई।	1-खुशदिल आलम उर्फ बल्लू, 2-टिबरू सरदार, बेल पर और एक जेल में।	रेल न्या0दण्डा0 चक्रधरपुर,	(वर्तमान में पी0पी0 प्रतिनियुक्त नहीं है।)	वादी सुखलाल सोरेन, पे0-कोन्दा सोरेन, सा0-रेलवे कॉलोनी सिन्नी, क्वार्टर नं0-ई0 / 297 / 3 (मुंगपाड़ा) थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा	अनुसंधानकर्ता स0अ0नि0 थेंओदोर खाखा, रेल ओ0पी0 सीनी, मो0नं0-8877033142।	1. वादी सुखलाल सोरेन, पिता-पोन्दासोरेन, सा0-रेलवे कॉलोनी सीनी, क्वार्टर नं0-ई0 / 297 / 3 (मुंगपाड़ा), थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला, खरसाँवा 2. रामविलास गोप, पिता-श्रीरंगलाल गोप, ग्राम-मोहितपुर, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा 3. मनोज कुमार महतो, पिता-कैलाश महतो, ग्राम-मुण्डाटांड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा 4. विष्णुमांझी, पिता-स्व0 धानुमांझी, ग्राम-मुण्डाटांड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला खरसाँवा 5. पंकज कुमार, पिता-अनिल

									<p>कुमार, ग्राम-पुनपुन, थाना-पुनपुन, जिला-पटना (बिहार) वर्तमान में रेलवे क्वार्टर नं०-ई०/१०९/२ , रेलवे कॉलोनी सीनी, मुनगापाड़ा, थाना-सरयाकेला, जिला-सरायकेला खरसावाँ</p> <p>6. मो० समीम, पिता-नूर मोहम्मद, सा०-नयाडीह, थाना-सरयाकेला, जिला-सरायकेला खरसावाँ</p> <p>7. शेख मुख्तार, पिता-शेख करीम, सा०-नयाडीह, थाना-सरयाकेला, जिला-सरायकेला खरसावाँ</p> <p>8. मो० सज्जाद अली, पिता-आजाद अली, सा०-नयाडीह, थाना-सरयाकेला, जिला-सरायकेला खरसावाँ ।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

जामताड़ा जिलान्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 23 कांडों की विवरणी:-

क्र० सं०	कांड सं०/तिथि/ धारा/ GR N0/ ST N0	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार/ बेल	वादी का नाम एवं पता	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ ए०पी०पी० का नाम	सरकारी गवाह/ अनुसंधानकर्ता/ चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम, पता एवं मो० नं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो० नं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जामताड़ा थाना कांड सं०- 106/17 दि० – 10.07.17 धारा -406/420/ 467/468/471/ 506 भा०द०वि० जी०आर० नं०- 727/17	1.असीम मोहन्ती सा० – तारा दिवाल, थाना+जिला केन्द्रापिड़ा (राज्य उड़ीसा) वर्तमान सा०- E COM EXPRESS कम्पनी ब्राच जामताड़ा, थाना+जिला – जामताड़ा	यह कांड वादी अजय यादव के आवेदन के आधार पर अभियुक्त असीम मोहन्ती सा० – तारा दिवाल, थाना+जिला केन्द्रापिड़ा (राज्य- उड़ीसा) वर्तमान सा०- E COM EXPRESS कम्पनी ब्राच कांड प्रतिवेदित कराया था। इस कांड के अनु० एवं पर्यवेक्षण के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाते हुए इनके विरुद्ध आरोप पत्र सं०- 37/18, दि०- 28.02.18 दर्ज किया गया है।	जेल में	वादी का नाम अजय यादव पे०- जगत नारायण यादव, सा० – खैरा, थाना – विन्दापाथर, जिला – जामताड़ा। वर्तमान सा०- E COM EXPRESS कम्पनी ब्राच जामताड़ा थाना+जिला – जामताड़ा	C.J.M जामताड़ा	श्री दिनेश कुमार	1.अनु० थाना प्रभारी सह पु०नि० रविन्द्र कुमार सिंह, जामताड़ा। (मो०नं०- 9470591038) 2.श्रीमति प्रतिभा कुजूर प्रभारी पदाधिकारी (मो०नं०- 9992643893)	1.पंकज पाण्डेय पित०- स्व० विजय शंकर पाण्डेय सा०- लौवर चुटिया द्वारकापुरी रोड नं०- 07 थाना चुटिया जिला- राँची, वर्तमान सा०- E COM कार्यालय बी०ओ०सी० परिसर ओल्ड एच०पी० रोड काँटाटोली, राँची (मो०नं०- 7903038581) 2.अभीनित कुमार सिंह पे० उमाशंकर सिंह सा० – न्यू टाउन जामताड़ा। (मो०नं०- 8210317599) 3. विष्णु कुमार राय पे० भक्ति राय, सा० – राजपल्ली, जामताड़ा 4.अनु० थाना प्रभारी सह पु०नि० रविन्द्र कुमार सिंह, जामताड़ा थाना	

2	<p>जामताड़ा थाना कांड सं०- 19/18 दि० - 03.02.18 धारा - 363/120(B) भा०द०वि०</p> <p>जी०आर० नं०- 98/18</p>	<p>1.रीना देवी पति- छोटा राम सा०- तिसरी गली कालीतल्ला थाना - मिहिजाम जिला - जामताड़ा</p>	<p>अपराधिक षडयंत्र के तहत नवजात बच्ची का अपहरण करने के संबंध में</p>	<p>एक जेल एक फिरार</p>	<p>1.वादिनी - हलीमा बीवी पति- बाबुजान अंसारी, सा०- नारोडीह, थाना- नारायणपुर, जिला० - जामताड़ा</p>	<p>C.J.M जामताड़ा</p>	<p>श्री दिनेश कुमार</p>	<p>1.पु०अ०नि० नवी हसन खाँ अनुसंधानकर्ता</p>	<p>1.सहिना बीवी पति- अनवर अंसारी, सा० शहरपुर, थाना+जिला- जामताड़ा, 2.बाबुजान अंसारी पित्त रूस्तम अंसारी, सा० नारोडीह, थाना - नारायणपुर, जिला- जामताड़ा, 3. तैफुन बीवी पित्त सलीम अंसारी, 4.सलीम अंसारी पित्त शहादत खाँ, दोनों सा० शहरपुरा, थाना - नारायणपुर जिला- जामताड़ा था०+जि०- जामताड़ा, 5.सजीद खाँ पे०- खुर्शीद खाँ, टैम्पु चालक, सा०जीतु डंगाल, 6.अरविंद कुमार पाण्डेय उर्फ टिकु पे० कामेश्वर पाण्डेय, सा० शिवधाम, था०+जि०- जामताड़ा,</p>	<p>अगली तिथि 09.08.18</p>
3	<p>जामताड़ा थाना कांड सं०-196/16 दि० - 16.12.16 धारा - 414/419/420/467/468/471/120(बी) भा०द०वि०</p> <p>जी०आर० नं०- 756/16</p>	<p>1.मजहर अंसारी पे०- छोटा जमाल मियाँ सा०- अगलचुवाँ 2.साहिद अंसारी पे०- सनाउल अंसारी सा० - लोहरबंधा दोनों थाना + जिला - जामताड़ा</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>वादी उमेश सिंह, पे०- स्व० शिवपूजन सिंह, सा० - बदलपुर, थाना - डोरीगंज, जिला - छपरा (बिहार)</p>	<p>C.J.M जामताड़ा</p>	<p>श्री दिनेश कुमार</p>	<p>1. रईस अंसारी, पे०- सनाउल अंसारी, सा०- लोहरबंधा, 2. फुरकान अंसारी, पे० रमजान अंसारी, 3. सपन मोहती, पे०- अनन्द कुमार मोहती, सा०- बारोडीह पाल, थाना - पटामुंडई, जिला- केन्दापाड़ा (उड़ीसा), 4. अमूल्य दास, पे०- बादल दास, सा० - बसंत भारती रेस्टोरेन्ट सहायक प्रबंधक जामताड़ा, 5. तापस दुवे पित्त- बसंत दुवे, सा० भारती रेस्टोरेन्ट के मैनेजर, थाना+जिला - जामताड़ा 6.पु०/638 नागेन्द्र कुमार, जामताड़ा थाना रिजर्व</p>	<p>-</p>	<p>अगली तिथि 03.05.18 चार्ज पर</p>

								गार्ड, 7. पु0/517 श्याम किशोर शर्मा, 8. पु0/562 विद्यासागर कुमार, 9.पु0 / राजीव कुमार, तकनिकी शाखा जामताड़ा, 10. पु0नि0 रबिन्द्र कुमार सिंह जामताड़ा थाना		
4	नाला थाना कांड सं0- 96/17 दि0 - 22.10.17 धारा - 364/302/201 भा0द0वि0 जी0आर0 नं0- 1141/17 एस0टी0 नं0- 32/18	1. गोपाल मांझी पे0 केशव मांजी सा0- परिहार पुर 2. शेख शोभान पे0 स्व0 बजरूदिन सा0- कास्ता 3.शेख जब्बार सा0- कास्ता तीनों थाना- नाला जिला- जामताड़ा	जान मारने की नियत से अपहरण कर हत्या कर देना ।	गोपाल मांजी एवं शेख शुभान जेल में नं003 फरार	1.अमृत मंडल पे0- उपेन्द्रनाथ मंडल, सा0 - काली पहाड़ी थाना - नाला, जिला - जामताड़ा	C.J.M जामताड़ा	पी0पी0 श्री सुभाष मुर्मू	1.अनु0 गयानन्द यादव, नाला थाना, 2.पु0अ0नि0 मंगल प्र0 कुजूर, 3.डॉ0 शिखा दत्ता मेडिकल ऑफिसर आसनसोल, 4.स0अ0नि0 मो0 असदउल्ला, 5.पु0अ0नि0 इन्द्रजीत मंडल, 6.चौकीदार 108 चंदी दास राय सभी सा0 - जमुरिया थाना+जिला- वर्दमान, 7.चौकीदार 2/23 दिसीमय लोहार, 8.चौकीदार 02/22 शांतिपद लोहार दोनों थाना+ नाला ।	1. अमृत मंडल पे0उपेन्द्रनाथ मंडल, 2.बिमल मंडल, 3.गौतम कुमार मंडल, 4.देवाशिष मंडल पे0 बिमान मंडल, 5.ज्योतसना मंडल पति स्व0 पियुष कुमार मंडल, 6.विशाखा मंडल पति विमान मंडल, 7.लक्ष्मण बाउरी पे0 अन्ना हरी बाउरी, 8.दिपक मंडल पे0मधुसुधन मंडल, सभी सा0- काली पहाड़ी, 9.बाउल घोष पे0 हितलाल घोष, सा0- जामवेदीया, 10.परिमल मंडल पे0 अमृत मंडल, सा0 काली पहाड़ी, थाना - नाला, 11.उत्पल मंडल पे0निर्मल मंडल, सा0 भेलुआ, थाना कुण्डहित, सभी जिला- जामताड़ा ।	अगली तिथि 11.04.18 डी0जे0 कमिटमेंट 10.05.18 24.05.18 गवाही पर
5	नाला थाना कांड सं0- 01/17 दि0 - 04.01.17 धारा - 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 GR N0 -	1.लालचन्द्र मंडल पे0- तुलसी मंडल, सा0 - पारटोल, थाना - करमाटाँड ,जिला - जामताड़ा 2. किशन खाटी पिता - लक्ष्मण खाटी सा0 - किर्तनिया पाड़ा वर्तमान सा0-	मोबाईल के माध्यम से धोकाधड़ी एवं जालसाजी कर खाता सं0 एवं ए0टी0एम0 कोड प्राप्त कर पैसे की निकासी कर गबन किया जाना ।	बेल पर	हेमलाल सोरेन पिता - स्व0 बांका सोरेन सा0 - चालेपाड़ा, थाना - नाला, जिला - जामताड़ा ।	C.J.M जामताड़ा	श्री दिनेश कुमार	1.अनु0- पु0नि0 धनंजय सिंह वर्तमान पदस्थापन प्रभाग निरीक्षक, जामताड़ा प्रभाग । 2.स0अ0नि0 सुधिर कुमार मेहता पदस्थापित नाला थाना, जिला- जामताड़ा	1.हेमलाल सोरेन पे0स्व0 बांका सोरेन 2. बिनोद सोरेन, 3.होपना मुर्मू, 4.जय नारायण सोरेन तीनों पिता- हेमलाल सोरेन, 5.स्मिता टुडू पति- बिनोद सोरेन, 6.मोतीलाल सोरेन पिता- स्व0 बांका सोरेन, सभी सा0 - चालेपाड़ा, थाना- नाला, जिला - जामताड़ा, 7.	09.05.18

	1156/17	राजपाड़ा, बिवेकानन्द पल्ली, थाना – रानीगंज, जिला – वर्द्धमान (प0बं0)							दिनेश पासवान पिता – स्व0 सोमनाथ पासवान, सा0 - सुल्तानपुर, थाना- सोनपुर	
6	कुण्डहित थाना कांड सं0- 01/17 दि0 – 19.01.17 धारा – 18/19/21/22/25 एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 एन0डी0पी0एस0 नं0- 01/17	1. सिदाय मंडल 2.नेपाल मंडल दोनों पे0- स्व0 मोतीलाल मंडल, सा0 – अमलादही, थाना – कुण्डहित, जिला – जामताड़ा	अफीम की खेती करना	बेल पर	1.पु0अ0नि0 मंगल प्र0 कुजूर पे0स्व0 बंधना कुजूर सा0चन्द्रजारकी, थाना – चक्रधरपुर, जिला – पं0 सिंहभूम, वर्तमान में थाना प्रभारी नाला ।	A.D.J- I जामता ड़ा	बसीर अहमद खाँ	1.स0अ0नि0 प्यारे मोहन चौधरी थाना प्रभारी बागडेहरी, 2.स0अ0नि0 चरण बोयपाई, 3.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा, 4.चौ0 – 02/17 नवीन दास, 5.नारायण मंडल पे0- स्व0 नंदलाल मंडल, 6.पु0अ0नि0 राजेश कुमार सिन्हा, अनुसंधानकर्ता ।	नारायण मंडल पे0- स्व0 नंदलाल मंडल, सा0- अमलादही, थाना – कुण्डहित, जिला – जामताड़ा	अगली तिथि 07.04.18 चार्ज पर 25.05.18 गवाही पर
7	बागडेहरी थाना कांड सं0- 10/17 दि0 – 15.03.17 धारा – 18/19/21/22/25 एन0डी0पी0एस0 एक्ट 1985 N.D.P.S CASE 03/17	1.मन्टी चौडे पिता – खेदना चौडे सा0 – नवीनपाड़ा थाना – बागडेहरी जिला - जामताड़ा	अवैध तरीके से पोस्ता की खेती करना एवं अफीम निकालना ।	बेल पर	1. वादी पु0नि0 धनंजय सिंह जामताड़ा प्रभाग ।	A.D.J- I जामता ड़ा	बसीर अहमद खाँ	1.पु0अ0नि0 प्यारे मोहन चौधरी अनुसंधानकर्ता, 2. पु0नि0 धनंजय सिंह वर्तमान प्रभार, निरीक्षक जामताड़ा अंचल, 3.स0अ0नि0 भुवनेश्वर प्रसाद वर्तमान नारायणपुर थाना, 4.स0अ0नि0 लव कुमार बागडेहरी थाना 5. चौ0 04/20 रामचन्द्र बाउरी सा0- सिकनदरपुर, थाना- बागडेहरी 6. चौ0 04/10 स्वाधीन बाउरी पे0 तरुई बाउरी, सा0- सुदाक्षीपुर, थाना- बागडेहरी ,	1. रौशन आरा पति – रियाज अली सा0 – चुहादाहा, थाना- बागडेहरी 3.दीपा गोर्राई पिता – संजय गोर्राई सा0 – नवीनपाड़ा थाना – बागडेहरी , जिला – जामताड़ा ।	अगली तिथि 24.04.18 29.05.18 गवाही पर

								जिला - जामताड़ा		
8	करमाटाँड़ थाना कांड सं0- 99/17 दि0 - 20.04.17 धारा - 414/419/420/ 467/468/671/ 120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT Act GR N0 - 39/17	1.राहुल कुमार मंडल पे0- 7गुरुदेव मंडल, सा0 - फोफनाद थाना - करमाटाँड़ जिला - जामताड़ा	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों का ए0टी0एम0 एवं सी0भी0भी0 नंबर प्राप्त कर अपने मो0 से पैसा ठगी करने के आरोप में कांड दर्ज हैं।		वादी - प्रभात कुमार (स0अ0नि0) करमाटाँड़ थाना पे0- सरेश सिंह सा0 - गनपारा थाना - रानीतलाब कवपा (विक्रम) जिला - पटना	A.C.J. M जामताड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.आ0/523 ललन कुमार, 2. बिजय तुरी पे0- मालजी तुरी, सा0- डुमरिया, थाना- करमाटाँड़, 3.यमुना मिर्धा पे0 - रतन मिर्धा सा0- तिलायीबनी, थाना - करमाटाँड़, 4.चा0आ0 मधुसुदन वत्स, 5.आ0/586 बाबुचंद मुर्मू करमाटाँड़ थाना रिजर्वार्ड	क्रमांक 07 का ही गवाह हैं।	गवाही पर
9	जामताड़ा थाना कांड सं013/18 दि0 - 16.12.16 धारा - 302/201/ 120(बी) भा0द0वि0 पत्यावतीत धारा - 302/201/120(बी) /376/डी0 भा0द0वि0 एवं पोक्सो एक्ट। पोक्सो नं0- 19/17	1.विनोद हेम्रम पे0- निर्मल हेम्रम 2.जीयसर उर्फ जियालाल हाँसदा पे0- सोमाय उर्फ सोमलाल हाँसदा, सा0- मोजरा, थाना+जिला- जामताड़ा	हत्या कर लाश को छुपाने के आरोप में	दोनों जेल में।	मालती सोरेन पति- स्व0 जयदेव किस्कु, सा0 जभायडीह, थाना+जिला - जामताड़ा।	A.D.J- I जामताड़ा	बसीर अहमद खाँ	1.डॉ0 अभिशेख कुमार 2.डॉ0 निलेश कुमार 3.डॉ0 सुबोध कुमार दोनों एम0ओ0 सदर अस्पताल जामताड़ा। 4.अनु0 पु0अ0नि0 मंजुर आलम जामताड़ा थाना मो0नं0- 9939340828	1.वदिनी मालोती सोरेन पे0 देव किस्कु, 2.महामति टुडू, दोनों सा0 - जभाईडीह, 3.पातुमुणी हेम्रम, 4.हरितस्यसोरेन पे0 भेदमलिन सोरेन एवं अन्य	
10	नारायणपुर थाना कांड सं072/17 दि0 - 05.05.17 धारा - 376 भा0द0वि0,	अचिन्त मंडल उम्र - 21 पिता - अनील मंडल सा0- नयाडीह थाना - नारायणपुर	यह कांड बलात्कार करने के आरोप में अचिन्त मंडल के विरुद्ध दर्ज की गयी हैं।	गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में हैं।	हेमंती देवी पति - जयनारायण राय सा0- नयाडीह थाना - नारायणपुर जिला - जामताड़ा	जुभनाई ल कोर्ट कोCS-	धनंजय देव पाण्डेय	1.वादिनी हेमंती देवी पति - जयनारायण राय सा0- नयाडीह थाना - नारायणपुर जिला- जामताड़ा, 2.सरकारी गवाह -	1.हरिहर राय पे0- रामगोपाल राय, 2.अमन्ति देवी पति- हरिहर राय, 3.निरंजन राय पिता- हरिहर राय, 4.जयनारायण राय पिता -	1

	जी0आर0 नं0- 419/17 ई-57/18	जिला - जामताड़ा						डॉ0 पुनम टोप्पो सदर होस्पिटल जामताड़ा, 3.अनु0 स0अ0नि0 जगदीश प्रसाद सिंह नारायणपुर थाना ।	हरिहर राय, 5.श्यामसुन्दर राय पिता - श्री प्रभुदयाल राय, 6.अनिल पाण्डेय, 7.हराधन मंडल पिता- स्व0 ज्योति मंडल, 8.गणेश मंडल पे0स्व0 झगरू मंडल, 9.धीरेन मंडल पे0व0 - नारायण मंडल, सभी सा0- नयाडीह, थाना - नारायणपुर, जिला - जामताड़ा	
11	करमाटाँड थाना कांड सं0245/17 दि0 - 27.09.17 धारा - 414/419/ 420/467/468/ 471/ 120(बी0) भा0द0वि0, एवं 66(B)(C)(D) IT Act GR N0 - 1057/17	1.अलि हुसैन पे0- स्माईल मियाँ, सा0- भिठरा, 2.ज्योती कुमार दास पे0 महावीर दास, सा0- सिताकाटा दास पाड़ा, 3.मंटु मंडल पे0 रघु मंडल, सा0 - मुरलीडीह तीनों थाना - करमाटाँड ।	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	1.स0अ0नि0 अनुप कुजूर पे0- सीप्रीयन कुजूर करमाटाँड थाना ।	A.C.J. M जामता ड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.पु0अ0नि0 कृष्णदत्त झा थाना प्रभारी, करमाटाँड 2.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा करमाटाँड थाना 3.पु0नि0 सुरेश प्रसाद नाला प्रभाग ।	1.भूदेव चन्द्र मोदी पे0स्व0 भीम चन्द्र मोदी, सा0- शिमला, थाना - करमाटाँड, 2.रवि कुमार पे0- रंजन प्रसाद श्रीवास्तव, सा0 - अरगोड़ा झउसींग कॉलोनी आ0सं0 97, थाना - अरगोड़ा, जिला - राँची । 3.बद्री मंडल पे0- जहलु मंडल, सा0- कासीटाँड, थाना- करमाटाँड	
12	बिन्दापाथर थाना कांड सं0- 122/17 दि0 - 23.12.17 धारा - 395/397/ 414 भा0द0वि0 25 आर्म्स एक्ट GR N0 - 799/17	1.आजाद अंसारी उर्फ लालदु पे0- ताउस मियाँ, सा0- बनगड़ी थाना - फतेहपुर, 2.फारूक अंसारी पे0 - स्व0 रज्जाक मियाँ सा0 - नवाडीह थाना - करमाटाँड जिला - जामताड़ा 3.मेहबुब अंसारी पे0 - जाकिर अंसारी	वादी को गोली मारकर जखमी कर पैसा लुट लेना ।	चारो नामजद अभियुक्त जेल में हैं ।	रविकांत महेरिया पे0- श्यामलाल महेरिया सा0 - स्टेशन रोड थाना+जिला - जामताड़ा		श्री दिनेश कुमार	1.पु0अ0नि0 शंकर प्रसाद मांझी, नारायणपुर थाना, 2.पु0अ0नि0 नितिश कुमार थाना प्रभारी बिन्दापाथर थाना ।	1.अजय महेरिया पे0- स्व0 श्यामलाल महेरिया, सा0- स्टेशन रोड थाना+जिला- जामताड़ा 2.संजय पाल पे0मधुसुदन पाल, 3.जीवन पाल पे0- बादल चन्द्र पाल दोनों सा0 - डुमरिया, थाना - बिन्दापाथर, जिला - जामताड़ा ।	

		सा0+थाना- फतेहपुर 4.अजल मंडल पे0- फुलेश्वर मंडल सा0 – असना थाना – पालाजोरी जिला – देवघर एवं अन्य								
13	करमाटाँड थाना कांड सं0- 262/17 दि0 – 27.10.17 धारा – 414/419/ 420/467/468/ 471/120(बी0) भा0द0वि0 एवं 6(B)(C)(D) IT Act GR N0 – 1154/17	1.अर्जुन दास पितल- रोहणी दास 2.प्रदीप दास पे0- संतु दास 3.रोहित दास पे0- कालू दास 4.राजेश दास पे0- बासुदेव दास 5.राकेश दास पे0- बासुदेव दास 6.कमलेश दास पे0- टहलू दास, सभी सा0 - सुखलटाँड, थाना – करमाटाँड, जिला – जामताड़ा	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	1.स0अ0नि0 शंभुनाथ द्विवेदी पे0- विंध्याचंल द्विवेदी, करमाटाँड थाना ।	A.C.J. M जामता ड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.पु0अ0नि0 कृष्णदत्त झा, थाना प्रभारी करमाटाँड । 2.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा , करमाटाँड थाना 3.म0ह0 सुदर मुखी पु0के0 जामताड़ा , 4.अनु0कर्तपु0नि0 बाल्मिकी सिंह, पु0नि0 सह थाना प्रभारी जामताड़ा	1.जप्ती सूची- बदरी मंडल 2.अतीन मिर्धा पे0- स्व0 सनातन मिर्धा सा0- बाबुडीह , थाना – करमाटाँड । 3. चुगे दास पे0 कातिर दास सा0 – दामदाहा, थाना – चितरी 4.दिनेश दास पे0- राज कुमार दास सा0 – कमाडीह, थाना – करमाटाँड, जिला- जामताड़ा	
14	करमाटाँड थाना कांड सं0- 268/17 दि0 – 08.11.17 धारा – 414/419/ 420/467/468/ 471/120(बी0) भा0द0वि0 एवं 6(B)(C)(D) IT Act	1.फुलेश्वर मंडल उर्फ द्विपला पे0- नंद लाल मंडल उर्फ तुनू लाल मंडल 2.बुलू मंडल पे0 चान्दो मंडल दोनों सा0 - सामुपोखर थाना – करमाटाँड जिला – जामताड़ा 3.रोहित कुमार पे0	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	स0अ0नि0 शत्रुघ्न सोय पे0- स्व0 मंगल सिंह सोय सा0 – लोपटा थाना - कुचाई जिला – सरायकेला	A.C.J. M जामता ड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.सुमीत कुमार पु0उपा0 साईबर अपराध, जामताड़ा 2.अनु0कर्त- पु0नि0 सुबोध कुमार यादव साईबर थाना 3.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा करमाटाँड थाना 4.आ0/500 दर्शन हेम्रम 5.आ0/169 संजय सिंह 6.आ0/693 विमल मुर्मू 7.आ0/255 यपना मुर्मू सभी – क्यु0आर0टी0 बल	1.मकसुद अंसारी पे0 शेखाउद्दीन मियाँ सा0- बागबेर 2.अपीन मिर्धा पे0- स्व0 सनातन मिर्धा, सा0- बाबुडीह, दोनों थाना – करमाटाँड, जिला- जामताड़ा ।	

	GR NO – 1200/17	– बिजय प्रसाद सा0 – माधोमील पटना, वर्तमान पटना सिटी, थाना – मालसलामी जिला – पटना वर्तमान सुभाष मंडल का घर सा0 - सामुपोखर थाना – करमाटाँड़ जिला – जामताड़ा						जामताड़ा ।		
15	नारायणपुर थाना कांड सं0– 241/17 दि0 – 18.11.17 धारा – 414/419/ 420/467/468/ 471/120(बी0) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT Act GR NO – 1243/17	1.मुकेश मंडल पे0– गुजरू मंडल 2.नंदकिशोर मंडल पे0– हिरामन मंडल सा0 – लटैया थाना – नारायणपुर जिला – जामताड़ा	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	1.स0अ0नि0 श्रीकांत यादव पे0– स्व0 अर्जून यादव सा0 – पैन, थाना – सुलतानगंज जिला – भागलपुर वर्तमान– नारायणपुर थाना	A.C.J. M जामता ड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.सुमीत कुमार पु0उपा0 साईबर अपराध, जामताड़ा 2.अनु0कर्ता- पु0नि0 गंदरू उराँव साईबर थाना 3.पु0अ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद पे0 स्व0 फागुलाल सा0+पो0 हिलसा, थाना – हिलसा जिला – नालंदा 4.पु0अ0नि0 रोहित कुमार, करमाटाँड़ थाना 5.आरक्षी – सुशील कुमार झा, तकनिकी शाखा जामताड़ा	1.वकील हाँसदा पे0– दुर्गा हाँसदा सा0 मदनाडीह, थाना – नारायणपुर, जिला – जामताड़ा, 2.जयनारायण मंडल पे0- स्व0 रूपलाल मंडल, सा0– झिलुआ थाना – नारायणपुर, जिला – जामताड़ा	
16	नारायणपुर थाना कांड सं0– 237/17 दि0 – 13.11.17 धारा – 414/419/420/ 467/468/671/ 120(B) भा0द0वि0 एवं	1.मणिलाल मंडल पे0– शिवनाथ मंडल सा0 – कासीटाँड़ थाना – नारायणपुर जिला – जामताड़ा 2.पिन्की कुमारी मंडल पिता- शिवनाथ मंडल, सा0 – कासीटाँड़	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	1. पु0अ0नि0 सुरेन्द्र प्रसाद पे0– स्व0 फगुलाल नारायणपुर थाना	S.D.J. M जामता ड़ा	श्री दिनेश कुमार	1.पु0अ0नि0 सुरेन्द्र नारायणपुर थाना प्रभारी 2. श्री सुमीत कुमार पुलिस उपाधीक्षक साईबर अपराध जामताड़ा 3. पु0अ0नि0 के0डी0 झा थाना प्रभारी करमाटाँड़ 4.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा करमाटाँड़ थाना 5.स0अ0नि0 श्रीकान्त यादव	1.जयनारायण मंडल पे0- स्व0 रूपलाल मंडल सा0– झिलुवा, 2.चित्रनाथ मंडलपे0स्व0 मुनीलाल मंडल, सा0- पबिया दोनों थाना नारायणपुर, जिला– जामताड़ा ।	

	66(B)(C)(D) IT Act GR N0 – 1221/17	थाना – नारायणपुर जिला – जामताड़ा						नारायणपुर थाना 6. पु0नि0 सुबोध कु0 यादव साईबर थाना	
17	करमाटाँड़ थाना कांड सं0- 275/17 दि0 – 15.11.17 धारा – 414/419/420/ 467/468/671/ 120(B) भा0द0वि0 एवं 66(B)(C)(D) IT Act GR N0 – 1227/17	1.बिक्री मंडल पे0 सुभाष मंडल सा0 - सुन्दरजोरी थाना – करमाटाँड़ जिला – जामताड़ा 2.शंकर मंडल पे0 छट्टुलाल मंडल सा0 – कोरबन्धा थाना – ताराटाँड़ जिला – गिरिडीह 3.रंजीत शर्मा पे0- विशेश्वर मिस्त्री सा0 – तेतुलबन्धा थाना – करमाटाँड़ जिला – जामताड़ा	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर साईबर अपराध करना ।	सभी अभियुक्त जेल में हैं	पु0अ0नि0 कृष्णदत्त झा पे0- देवदत्त झा । थाना प्रभारी करमाटाँड़	A.C.J. M जामता ड़ा	धनंजय देव पाण्डेय	1.स0अ0नि0 सत्येन्द्र शर्मा 2.स0अ0नि0 राजेश्वर यादव दोनों थाना करमाटाँड़ 3.स0अ0नि0 पंकज कुमार पु0नि0 कार्यालय जामताड़ा प्रभाग 4.पु0नि0 धनंजय कुमार जामताड़ा प्रभाग ।	1.विजय तुरी पे0- स्व0 मालजी तुरी , सा0- डुमरीया, थाना- करमाटाँड़ जिला – जामताड़ा, 2.जटलु तुरी पे0- मारू तुरी, सा0- कासीटाँड़, थाना – करमाटाँड़, जिला- जामताड़ा
18	साईबर थाना काण्ड सं0- 05 / 18, दि0 -16.03.18, धारा-414 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 (बी)भा0द0वि0 एवं 66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. एक्ट । जी0आर0 नं0-214 / 18	1. श्रवण मंडल पे0-सरयुग मंडल सा0 – सिंयाटाँड़ 2. राजाराम मंडल, पे0-खुदीराम मंडल सा0 – फोफनाद, दोनो थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा ।	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में ।	दोनो अभियुक्त जेल में ।	पु0अ0नि0 अमृत सिंह पे0-चखन सिंह, सा0 – नावानगर, थाना-विदुपुर, जिला-वैशाली, वर्तमान पु0अ0नि0 साईबर कार्म थाना ।			1. अनुसंधानकर्ता पु0नि0 धनंजय सिंह 2. पु0नि0 बालमिकि सिंह 3. पु0अ0नि0 अमृत कु0 सिंह 4. पु0अ0नि0 रोहित कु0 महतो, 5. पु0अ0नि0 दिलीप सिंह 6. स0अ0नि0 राकेश कुमार 7.म0हव0 फुलकुमारी हॉसदा 8. म0 आ0/184 सुन्दरमुखी हॉसदा 9. आ0/489 अभिषेक कुमार पे0-संजय कुमार पाण्डेय, सा0-कनतरी, थाना- देव,	

								जिला-औरंगाबाद वर्तमान जामताड़ा जिला बल 10. आ0/02 सुजित कुमार दत्त पे0-हराधन दत्त सा0 -पिण्डाहाट थाना-निरसा, जिला-धनबाद वर्तमान जामताड़ा जिला।		
19	जामताड़ा थाना काण्ड सं0-178/17, दि0-28.11.17, धारा-414/419 /420/467/46 8/471/120(बी) भा0द0वि0 एवं 66 (बी)(सी)(डी) आई. टी. एक्ट। जी0आर0 नं0-1272/17	1.मनोज दे, पे0-सीताराम दे 2. प्रहलाद दा, पे0-मदन दा, दोनो सा0-सोनबाद थाना+जिला-जाम ताड़ा।	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में।	दोनो जेल में।	वादी स0अ0नि0 राजु महली पे0-विश्वनाथ महली स0अ0नि0 जामताड़ा थाना जिला-जामताड़ा			1. अनु0-पु0नि0 सह थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार सिंह 2. हव0 अवधेश शर्मा 3. आ0/530 ललन कुमार सिंह 4. आ0/499 बाबुश्वर हॉसदा 5.आ0/540 अमीन मुर्मू	जामताड़ा थाना काण्ड सं0-178/17, दि0-28.11.17, धारा-414/419/420/467 /468/471/120(बी) भा0द0वि0 एवं 66 (बी)(सी)(डी) आई.टी. एक्ट। जी0आर0 नं0-1272/17	
20	करमटॉड़ थाना काण्ड सं0-272/17, दि0-11.11.17, धारा-414/419/ 420/467/468/ 471/120(बी)भा0द 0वि0 एवं 66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. एक्ट। जी0आर0 नं0-1210/17	1. मुन्ना अंसारी, पे0-कमरुदिन अंसारी, सा0-नवाडीह नयाटोला 2. अब्दुल रहीम पे0-अब्दुल मनान सा0-नवाडीह, 3. फिरोज अंसारी, पे0-अलतमस अंसारी, सा0-नवाडीह नयाटोला थाना-करमटॉड़, जिला-जामताड़ा।	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में।	जेल में।	वादी पु0अ0नि0 कृष्णदत्त झा पे0-श्री देव दत्त झा, ग्राम-बड़गाव थाना-बसंडी, जिला-शहरसा बिहार। वर्तमान थाना प्रभारी, करमटॉड़ थाना, जिला-जामताड़ा।			1.अनु0-पु0नि0,बाल्मिकी सिंह, जामताड़ा जिला 2. स0अ0नि0 सत्येद्र शर्मा 3. स0अ0नि0 राजेश्वर यादव, 4. म0आ0/667 पंकी कुमारी,.		
21	जामताड़ा थाना काण्ड सं0-176/17, दि0-22.11.17, धारा-414/419/ 420/467/468/ 471/120 (बी)भा0द0वि0 एवं	1.अक्षय मंडल 2. छोटन मंडल दोनो पिता-राजन मंडल 3. मदन रवानी पिता-वीजन रवानी 4. राजु रवानी पिता-रामू रवानी 5. दीपक मंडल पे0-मधुसुधन मंडल सभी सा0-धोबना,	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में।	जेल में।	पु0अ0नि0 शंकर प्रसाद मांझी जामताड़ा थाना, जिला -जामताड़ा			अनु0-हरेन्द्र कुमार राय पु0नि0 पुलिस केन्द्र जामताड़ा। 2. शंकर प्रसाद मांझी पे0-भूषण प्रसाद मांझी 3. श्री सूमित कुमार पुलिस उपाधीक्षक साईबर सेल 5. पुलिस निरीक्षक सुरे? प्रसाद 6. पु0अ0नि0 अरबिन्द सिंह 7. स0अ0नि0 राजु महली	जामताड़ा थाना काण्ड सं0-176/17, दि0-22.11.17, धारा-414/419/420/467/4 68/471/120 (बी)भा0द0वि0 एवं 66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. एक्ट। जी0आर0नं0-1756/17	

	66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. एक्ट। जी0आर0नं0-1756 / 17	थाना+जिला-जामताड़ा।					8. हव0 सुनिराम बेसरा 9. आ0/80 अनील दास 10. आ0/230 दासमत सोरेन 11. आ0/515 सियाराम साह 12. चौ0 08/12 मोहरील दूडू		
22	करमाटाँड़ थाना काण्ड सं0-265 / 17, दि0-03.11.17, धारा-414 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 (बी)भा0द0वि0 एवं 66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. जी0आर0नं0-1168 / 17	1.सत्यनारायण मंडल पे0-हरि मंडल 2. राजेश यादव पे0-पूरन यादव 3. महेन्द्र कुमार मंडल पे0-गणेश मंडल 4. रंजित कुमार मंडल पे0-रवि मंडल थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में।	जेल में	स0अ0नि0 राजेश्वर यादव, करमाटाँड़ थाना जिला-जामताड़ा।		अनु0-सूमित कुमार पुलिस उपाधीक्षक साईबर थाना। 2. स0अ0नि0 राजेश्वर यादव करमाटाड़ थाना, 3.स0अ0नि0 सतेन्द्र शर्मा 4. स0अ0नि0 प्रभात कुमार 5. म0आ0 नीलमुनी मराण्डी	1. बब्लु रवानी पे0-स्व0 संतलाल रवानी 2. संतोष मंडल पे0-स्व0 कार्तिक मंडल थाना-करमाटाड़, जिला-जामताड़ा।	
23	करमाटाड़ थाना काण्ड सं0-300 / 17, दि0-14.12.17, धारा-414 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी)भा0द0वि0 एवं 66 (बी) (सी)(डी) आई.टी. जी0आर0नं0-1320 / 17	1. बदरी मंडल पे0-स्व0 जिवलाल मंडल 2. सुभाष मंडल पे0-रामेश्वर उर्फ बुलु मंडल 3. साजु मंडल पे0-एकलाल मंडल 4. प्रदीप मंडल पे0-सूरज मंडल 5. तालीब अंसारी पे0-ईसाक 6. विकास मंडल पे0-महेन्द्र मंडल 7. हिमांशु मंडल सभी थाना-करमाटाँड़, जिला-जामताड़ा।	फर्जी बैंक अधिकारी बनकर मोबाईल के माध्यम से ठगी एवं जालसाजी कर साईबर अपराध करने के आरोप में।	जेल में।	पु0अ0नि0 रोहीत कुमार महतों		अनु0-पु0नि0 सुनिल कुमार चौधरी, 2. पु0 अ0नि0 रोहित कुमार महतों करमाटाड़ थाना, 3. स0अ0नि0 शत्रुघन सोय 4. म0हव0 सुन्दरमुखी हॉसदा	1. बबलु रवानी, पे0-स्व0 संतलाल रवानी 2. मकसुद अंसारी पे0-शेखउदिन मिया	

खुँटी जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 30 कांडों की सूची

क्र० सं०	कांड सं०, दि० एवं धारा तथा जी०आर० नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त जेल में/ फरार/ जमानत	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ ए० पी०पी० का नाम एवं मो०नं०	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/ अनुसंधानकर्ता/ चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो० नं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1.	2.	3.	4.	5.			6.	7.	8.	
1	खुँटी थाना कांड सं०- 102/16 दि०-31.08.16 धारा-25(1-बी०)ए /26(II) /35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। GR-297/16	1. बीनु मुण्डा, पे०-स्व० धुचु मुण्डा, सा०-चालम, थाना+जिला -खुँटी। 2. डेबा मुण्डा उर्फ डीबर, पे०- स्व० धुचु मुण्डा, सा०-चालम, थाना+जिला-खुँटी। 3. जादो मुण्डा उर्फ जादु मुण्डा, पे०-लाल मुण्डा, सा०-बारुडीह, थाना+जिला-खुँटी।	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली तथा पर्चा बैनर के साथ पकड़े जाना	जेल-01 बीनु मुण्डा जमानत-02 डेबा मुण्डा जादो मुण्डा	सी०जे०एम० कोर्ट, खुँटी	ए०पी०पी० प्रदीप कुमार मंडल, मो०नं० 9264454139	पु०अ०नि० कृष्णकांत पाण्डा, थाना प्रभारी, खुँटी।	1. वादी पु०अ०नि० कृष्णकांत पाण्डा, थाना प्रभारी, खुँटी 9113159822 2. हव० सत्यनारायण बैठा, खुँटी थाना 3. आ०/945 अलवन सुरीन, खुँटी थाना 4. आ०/1215 मनीष कुमार यादव, बोकारो जिलाबल 5. आ०/75 सलाय पूर्ति, गिरिडीह जिलाबल 6. आ०/903 अनुराग चिक बड़ाईक, खुँटी थाना 7. परिचारी प्रवर, खुँटी आलोक हेम्रम 8. अनु०कर्ता स०अ०नि० बसंत राम, कर्मा थाना 6200827879		
2	मुरहू थाना कांड सं० - 50/17 दि०-20.07.17 धारा-17 (II) एन०डी०पी०एस० एक्ट। NDPS-11/17	1. जिवलाल गंझू पे०-डीला गंझू, सा०-मेरोमगढ़ा, थाना- पत्थलगढ़ा, जिला-चतरा। 2. सुखराम भेंगराज, पे०-लक्ष्मण भेंगराज, सा०-पिरी, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा।	अवैध अफीम के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना	जेल-02 जिवलाल गंझू सुखराम भेंगराज	पी०डी०जे० खुँटी	ए०पी०पी० सुधील कुमार जायसवाल, मो०नं० 9264454020	पु०अ०नि० अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी, मुरहू	1. वादी पु०अ०नि० अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी, मुरहू 9431706197 2. पु०अ०नि० बमबम कुमार, मुरहू थाना 9709377824 3. स०अ०नि० सुनील कुमार, मुरहू थाना 9431530362 4. सुषमा लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुरहू 5. आ०/859 अरविन्द साह, जैप-08 6. आ०/310 सत्यजीत दूबे जैप-08 7. आ०/781 इन्दु कुमार, जैप-08 8. आ०/758 वृजबिहारी सिंह, जैप-08 9. हव० मो० सोईनुल हक, जैप-08 10. आ०/159 मनोज कुमार, जैप-08 11. अनु०कर्ता पु०अ०नि० राजेश्वर चौधरी		
3	मुरहू थाना कांड सं० - 45/17 दि०-06.07.17 धारा-394/302/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट।	1. रूपेश कुमार महतो, पे०-स्व० गणेश महतो, सा०-कोड़कैल, थाना-मुरहू, जिला-खुँटी। 2. श्रवण दास,	चार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा शशि पाण्डेय को गोली मारकर हत्या करना एवं पचास	जेल-02 रूपेश कुमार महतो श्रवण दास	एस०डी०जे० ए०एम०, खुँटी	ए०पी०पी० निषि कच्छप, मो०नं० 9264454140	विभा पाण्डेय, पति-स्व० शशि कुमार पाण्डेय, ग्राम+थाना- मुरहू, जिला- खुँटी।	1. वादिनी विभा पाण्डेय, पति-स्व० शशि कुमार पाण्डेय, ग्राम+थाना-मुरहू, जिला -खुँटी। 2. सूर्यकांत पाण्डेय, पे०-स्व० राधाकांत पाण्डेय, सा०-कोड़कैल, थाना-मुरहू, जिला-खुँटी 3. साक्षी महेश साहु, पे०-कृष्णा साहु, सा०+थाना-मुरहू, जिला-खुँटी 4. साक्षी दिलीप कुमार साहु, पे०-मधु साहु,		

	GR-281/17	पे0-जीवनन्दन दास, सा0-निचितपुर, थाना- रनियां, जिला-खूँटी।	हजार रूपया लूट लेना					सा0+थाना-मुरहू, जिला-खूँटी 5. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 दिनेश कुमार प्रजापति 7250318949 6. अनु0कर्ता अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी, मुरहू 9430706197		
4	रनियां थाना कांड सं0 - 22 / 16 दि0-13.04.16 धारा-147 / 148 / 149 / 353 / 307 / 414 भा0द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट। GR-332/16	1. गणपत भुईया उर्फ पतरी उर्फ घोड़ा, पे0-फुल सिंह, सा0- मनाहातु, थाना- रनियां, जिला- खूँटी। 2. धनेश्वर नाग उर्फ बुतरू, पे0- स्व0 बुधु नाग, सा0- जयपुर, थाना-रनियां, जिला-खूँटी। 3. सुरेश महतो, पे0-स्व0 रघुवीर महतो, सा0-जयपुर, थाना- रनियां, जिला-खूँटी। 4. किशन कंडुलना उर्फ बंगाली, पिता-स्व0 दयाल कंडुलना, ग्राम कार्तिक चाय बगान, थाना- समुकतोला, जिला-अलीपुर द्वार (प0बंगाल) वर्तमान पता ग्राम-तुरी गढ़ा, थाना- रनियां, जिला-खूँटी। 5. दुखिया तोपनो उर्फ दीपक, पे0-मोंगला तोपनो, ग्राम-रामजोल खूँटागढ़ा, थाना-बानो जिला-सिमडेगा	नाजायज मजमा बनाकर हरवे हथियार से लैश होकर पुलिस बल पर जानलेवा हमला करना एवं अवैध हथियार एवं गोली के साथ पकड़े जाना	जेल-03 गणपत भुईया किशन कंडुलना दुखिया तोपनो जमानत-02 धनेश्वर नाग उर्फ बुतरू सुरेश महतो	पी0डी0जे0 खूँटी	ए0पी0पी0 सुधील कुमार जायसवाल, मो0नं0 9264454020	पु0अ0नि0 दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, रनियां	1. वादी पु0अ0नि0 दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, रनियां 7250318949 2. हव0 चक्कर साहु, रनियां थाना 3. आ0 / 357 नेलिन प्रकाश होरो, रिजर्व गार्ड रनियां 4. आ0 / 518 संजीव कुमार सिंह, रनियां थाना 8298094354 5. आर0 एस0 सिंह, उप-निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची। 6. बी0के0 ठाकुर, असिस्टेंट डायरेक्टर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची। 7. एस0 सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राँची। 8. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 विनोद राम 9973538152		
5	रनियां थाना कांड सं0- 24 / 16 दि0-11.10.16 धारा-25(1-बी0) ए / (1-ए) / 26 / 3 5 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। GR-352/16	1. किशन कंडुलना उर्फ बंगाली, पिता-स्व0 दयाल कंडुलना, ग्राम कार्तिक चाय बगान, थाना- समुकतोला, जिला-अलीपुर द्वार (प0बंगाल) वर्तमान पता ग्राम-तुरी गढ़ा, थाना-रनियां, जिला-खूँटी। 2. दुखिया तोपनो उर्फ दीपक, पे0-मोंगला	उग्रवादी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से अवैध देशी पिस्तौल कट्टा, बंदूक गोली के साथ जमा होना	जेल-04 किशन कंडुलना दुखिया तोपनो रोबिन तोपनो कमल लोहरा जमानत-01 सागेन तोपनो	पी0डी0जे0 खूँटी	ए0पी0पी0 सुधील कुमार जायसवाल, मो0नं0 9264454020	पु0अ0नि0 दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, रनियां	1. वादी पु0अ0नि0 दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, रनियां 7250318949 2. हव0 चक्कर साहु, रनियां थाना 3. आ0 / 357 नेलिन प्रकाश होरो, रिजर्व गार्ड रनियां 4. आलोक हेम्ब्रम, परिचारी प्रवर, खूँटी 5. पु0अ0नि0 विनोद राम, रनियां थाना 9973538152 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 लाल बहादुर सिंह, रनियां थाना 9006748876		

		तोपनो, ग्रम- रामजोल खूँटागढ़ा, थाना-बानो, जिला-सिमडेगा। 3. सागेन टोपनो, पे0-सालम टोपनो, सा0-मरचा स्कूल टोली, थाना-रनियां, जिला-खूँटी। 4.रोबिन टोपनो उर्फ बौना उर्फ मोटा, पे0-सुरा टोपनो, सा0- मरचा, थाना-रनियां, जिला- खूँटी। 5. कमल लोहरा, पे0-बंधन लोहरा, सा0-बनाबीरा नवाटोली, थाना-रनियां, जिला-खूँटी।								
6	तोरपा थाना कांड सं0- 37 / 13 दि0-21.06.13 धारा-25(1-बी0) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0नं0 229 / 13	1. समसोन भेंगरा, पे0- बेनेदिक भेंगरा, सा0-कोकेया, थाना- तोरपा, जिला-खूँटी।	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना	जमानत-01 समसोन भेंगरा	जे0एम0- प्रथम	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	पु0अ0नि0 बिरसा गाड़ी, तोरपा थाना	1. वादी पु0अ0नि0 बिरसा गाड़ी, तोरपा थाना 2. स0अ0नि0 अलित सागर केरकेट्टा, तोरपा थाना 7541842363 3. हव0 देवेन्द्र प्रसाद, तोरपा थाना 4. आ0 / 835 मनोज कुमार, तोरपा थाना 5. आ0 / 39 प्रकाश राव 6. परिचारी प्रवर, राँची राजीव कुमार 7. अनु0 कर्ता पु0अ0नि0 रामजी राय, तोरपा थाना 8. अनु0 कर्ता स0अ0नि0 मजिस्टर साह, तोरपा थाना 9570805566		
7	तोरपा थाना कांड सं0 -43 / 17 दि0-28.06.17 धारा-414 / 34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए / 26(1) आर्म्स एक्ट जी0आर0नं0 258 / 17	1. बुधराम मुण्डू, पे0-आमिर मुण्डू, सा0-जिउरी, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी। 2. रंजीत सिंह, पे0-रामेश्वर सिंह, सा0-गुमडू, थाना-कर्का, जिला- खूँटी। 3. लालू लोहार, पे0-धुत लोहार, सा0-बेलाहाथी रोड पानी टंकी, थाना+जिला-खूँटी।	चोरी का मोटरसाईकिल एवं अवैध आग्नेयास्त्र तथा जिन्दा गोली के साथ पकड़ा जाना	जेल-01 रंजीत सिंह जमानत-02 बुधराम मुण्डू लालू लोहार	जे0एम0- प्रथम	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	पु0अ0नि0 अमित कुमार तिवारी, थाना प्रभारी, तोरपा	1. वादी पु0अ0नि0 अमित कुमार तिवारी, थाना प्रभारी, तोरपा 9431706198 7250641034 2. हव0 रमेश शर्मा, तोरपा थाना 3. हव0 विनोद भगत, तोरपा थाना 4. आ0 / 476 आसियन जोजो, तोरपा थाना 5. आ0 / 439 धनन्जय कुमार, तोरपा थाना 6. अनु0कर्ता स0अ0नि0 मेघ राउत 9471129738 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 सुभाष चन्द्र महतो 9534186377		
8	कर्का थाना कांड	1. एतवा बारला उर्फ तुरिया बारला, पे0-स्व0	प्रतिबंधित	जेल-01	जे0एम0-	ए0पी0पी0	पु0अ0नि0 उदय कुमार	1. वादी पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना		

	सं0- 10 / 17 दि0-30.01.17 धारा-414 / 34 भा0द0 वि0 एवं 25(1-बी0)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट । GR-37/17	धौंचा बारला, सा0- बक्सपुर, साकेटोली, थाना - कर्मा, जिला-खूँटी । 2. ओमेन्द्र कुमार सिंह, पिता-रामवृक्ष सिंह, सा0- स्टेशन रोड, मोगमा, थाना -निरसा, जिला- धनबाद । 3. अनिल यादव, पे0-स्व0 दुखी यादव, सा0-सुरली, थाना-चंदवा, जिला- लातेहार । 4. लखन गोप, सा0- बक्सपुर, किनुटोली, थाना -कर्मा, जिला- खूँटी ।	उग्रवादी संगठन पी0एल0एफ0आ ई0 का सदस्य होकर अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखना तथा चोरी का बोलेरो बरामद होना	लखन गोप जमानत-03 एतवा बारला ओमेन्द्र कु0 सिंह अनिल यादव	प्रथम	निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	गुप्ता, थाना प्रभारी, कर्मा	प्रभारी, कर्मा 9431706200 2. स0अ0नि0 मनोज कुमार सिंह, कर्मा थाना 3. स0अ0नि0 जवाहर चौधरी, कर्मा थाना 4. आ0 / 453 प्रदीप सांगा, कर्मा थाना 5. आ0 / 195 सुमन कुमार सिन्हा, कर्मा थाना 6. आ0 / 457 लखीन्द्र बारला, कर्मा थाना 6. परिचारी प्रवर, खूँटी आलोक हेम्ब्रम 7. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 बिरेन्द्र कुमार सिंह, कर्मा थाना 8002532269 8. अनु0कर्ता स0अ0नि0 बसंत राम, कर्मा थाना 7870291016		
9	कर्मा थाना कांड सं0- 26 / 17 दि0-26.04.17 धारा-414 / 467 / 468 / 34 भा0द0 वि0 एवं 25(1-बी0) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट । GR-153/17	1. उदित गोप, पे0-स्व0 रन्थु गोप, सा0-बक्सपुर साकेटोली, थाना-कर्मा, जिला-खूँटी । 2. सागेन आईन्द, पे0-दयाधाम आईन्द, सा0-गारी गिरजाटोली, थाना-कर्मा, जिला-खूँटी ।	अवैध आग्नेयास्त्र, फर्जी मोबाईल सिम एवं चोरी के मोटरसाईकिल के साथ पकड़ा जाना	जमानत-02 उदित गोप सागेन आईन्द	जे0एम0- प्रथम	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, कर्मा	1. वादी पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, कर्मा 9431706200 2. स0अ0नि0 सत्येन्द्र कुमार सिंह कर्मा थाना 3. हव0 प्रकाश नागे, कर्मा थाना 4. आ0 / 355 अमर कुमार यादव 5. हव0 मंगरा उरांव, कर्मा थाना 6. आलोक हेम्ब्रम, परिचारी प्रवर, खूँटी 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 अलित सागर केरकेट्टा 7541842363	-	
10	तोरपा थाना कांड सं0 - 45 / 17 दि0-06.07.17 धारा-4 / 6 पोक्सो एक्ट । POCSO-11/17	1. इन्द्रेस भेंगरा, पे0-रोबर्ट भेंगरा, सा0-सोन्दारी, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी ।	नाबालिग लड़की को चॉकलेट के बहाने ले जाकर गलत काम करना	जेल-01 इन्द्रेस भेंगरा	ए0डी0जे0 प्रथम, खूँटी	ए0पी0पी0 प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 9264454139	वादिनी निर्मला भेंगरा, पति सिलास भेंगरा, सा0-सोन्दारी, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी ।	1. डॉ0 रेशमी आर0 सांगा, सदर अस्पताल, खूँटी । 2. अनु0कर्ता स0अ0नि0 सुभाष चन्द्र महतो 9534186377	1. वादिनी निर्मला भेंगरा, पति सिलास भेंगरा, 2. आलफा कुजूर, पति-विपिन कुजूर, 3. अन्द्रियस केरकेट्टा, पे0-स्व0 जयप्रकाश केरकेट्टा, 4. सनी रितेश भेंगरा, पे0-स्व0 प्रेमलाल भेंगरा, 5. बैजनाथ चौरिया, पे0- नन्दकिशोर मुण्डा, सभी सा0- सोन्दारी, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी ।	
11	मुरहू थाना कांड सं0 - 64 / 17 दि0-18.09.17 धारा-25(1-ए)	लाल मुण्डा उर्फ लाल मोहन मुण्डा उर्फ रवि मुण्डा, पे0- बिचाय मुण्डा, सा0-कुन्दी	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े	जेल-01 लाल मुण्डा उर्फ लाल मोहन मुण्डा	एस0डी0जे 0एम0, खूँटी	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	वादी पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी मुरहू ।	1. पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी मुरहू 9431706197 2. पु0अ0नि0 बमबम कुमार, मुरहू थाना 7903631362	-	

	बी0/(1-ए)/26(2)) आर्म्स एक्ट। GR-380/17	बरटोली, थाना-मुरहू, जिला- खूँटी।	जाना	उर्फ रवि मुण्डा,				3. हव0 सुरेन्द्र कुमार मेहता, मुरहू थाना 4. आ0/460 मिलयानुस बाखला, मुरहू थाना 5. तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर, राँची 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि राजेश्वर चौधरी मुरहू थाना 9507181142		
12	मुरहू थाना कांड सं0 - 56/17 दि0-21.08.17 धारा-25 (1-बी0) ए/26 आर्म्स एक्ट। GR-345/17	1. राजेश टोपनो उर्फ मलिंगा, पे0-जोसेफ टोपनो, सा0-दारला जामटोली, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी।	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली बरामद होना	जेल-01 राजेश टोपनो उर्फ मलिंगा	एस0डी0जे 0एम0, खूँटी	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी मुरहू।	1. पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी मुरहू 9431706197 2. पु0अ0नि0 बमबम कुमार, मुरहू थाना 7903631362 3. तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर, राँची 4. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 राजन कुमार, मुरहू थाना 9801332239	1. बजरंग महतो, पे0- दशरथ महतो, 2. नीरज महतो, पे0-स्व0 खेदुआ महतो दोनों सा0-गनालोया, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी।	
13	खूँटी थाना कांड सं0 -135/17 दि0-10.08.17 धारा-25 (1-बी0)ए/26(1) आर्म्स एक्ट। GR-330/17	1. साण्डे मुण्डा, पे0-स्व0 गुरु मुण्डा, सा0- मारंगडीह, थाना-अड़की, जिला-खूँटी।	अवैध देशी कट्टा एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जेल-01 साण्डे मुण्डा	सी0जे0एम0	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली।	1. पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली 9801715001 2.आ0/1382 अनुप कुमार रवि, खूँटी थाना रिजर्व गार्ड 3. हव0 कामदेव झा, खूँटी थाना 4. आ0/1807 बहुरा मुण्डा 5. तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर, राँची 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 भगवान प्रसाद झा 9431565595	-	
14	मुरहू थाना कांड सं0-36/16 दि0-22.05.16 धारा-8/18/49 एन0 डी0पी0एस0 एक्ट। NDPS-03/16	1. रायसिंह टुटी, पे0-ढोचा टुटी, सा0-जामड़ी, मरांडी, थाना+जिला-खूँटी हा0मो0 गायत्री नगर, थाना+जिला- खूँटी।	अवैध अफीम के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जमानत-01 रायसिंह टुटी	एस0डी0जे 0एम0, खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0अ0नि0 बमबम कुमार, थाना प्रभारी मुरहू	1. पु0अ0नि0 बमबम कुमार, थाना प्रभारी मुरहू 7903631362 2. हव0 कामदेव झा, मुरहू थाना 3. आ0/644 सुरेन्द्र मुण्डा, मुरहू थाना 4. आ0/576 धर्मेन्द्र भगत, मुरहू थाना 5. आ0/439 धनन्जय कुमार मुरहू थाना 6. डॉ0 किरण कुमारी, एस0एफ0एस0 एल0 झा0, राँची 7. अनु0कर्ता विकास आनन्द लागुरी, पुलिस उपा0 (मु0), खूँटी 9572145778	-	
15	खूँटी थाना कांड सं0 - 108/17 दि0-01.07.17 धारा-25 (1-बी0) ए/26 (1) आर्म्स एक्ट। GR-261/17	1. छोटु अंसारी उर्फ फैजी हुसैन, पे0-मोजाहिद अंसारी, सा0-जनन्त नगर, थाना+जिला -खूँटी।	अवैध देशी कट्टा (पिस्टल) एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जमानत-01 छोटु अंसारी उर्फ फैजी हुसैन	सी0जे0एम0 खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली।	1. पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली 9801715001 2.पु0अ0नि0 राजन कुमार खूँटी थाना 9801332239 3. आ0/724 पंकज कुमार, खूँटी थाना 4. आ0/553 मिथिलेष राम, खूँटी थाना 5. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 अल्बर्ट टोपनो खूँटी थाना 7033782421	-	

16	अड़की थाना कांड सं०- 28/11 दि०- 25.08.11 धारा-20/21/22/23 एन०डी०पी०एस० एक्ट। एन०डी०पी०एस० नं० 03/14	1. लोहर सिंह मुण्डा, पे०-स्व० बालेश्वर सिंह मुण्डा, सा०-बारीगढ़ा, थाना-अड़की, जिला-खूँटी। 2. चन्द्रा पूर्ति, पे०-स्व० जोटो पूर्ति, सा०-कुदा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी।	अवैध मादक द्रव्य (अफीम) रखना	जमानत-02 लोहर सिंह मुण्डा चन्द्रा पूर्ति	पी०डी०जे०, खूँटी	ए०पी०पी० सुधील कुमार जायसवाल मो०नं० 9264454020	1. पु०अ०नि परमेश्वर दयाल मेहरा, थाना प्रभारी, अड़की	1. पु०अ०नि परमेश्वर दयाल मेहरा, थाना प्रभारी, अड़की 8877147883 2. आ०/654 रंजीत डुंगडुंग, अड़की थाना 3. आ०/618 कुणाल विलुंग, अड़की थाना 4. आ०/602 नरेन्द्र कुमार सिंह, अड़की थाना 5. आ०/542 जुलियन कुजूर, अड़की थाना 6. आ०/575 संजय तिग्गा, अड़की थाना 7. आ०/197 रिम्युस केरकेट्टा, अड़की थाना 8. डॉ० ए०के० बापुली, एस०एफ०एस० एल०, निदेशक, झा०, राँची। 9. अनु०कर्ता पु०नि० प्रमोद कुमार मिश्रा	1. पुस्तम कुम्हार, पे०- नरसिंह कुम्हार, 2. बुन्दी राम मुण्डा, पे०-स्व० कोन्ता मुण्डा दोनों सा०-सेरेंगहातु, थाना-अड़की, जिला-खूँटी।
17	रनियां थाना कांड सं० - 04/17 दि०-29.03.17 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी०)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। GR-114/17	1. सिप्रियन तोपनो, पे०-ईसाक तोपनो 2. शांतियल तोपनो, पे०-सोमा तोपनो दोनों सा०-अम्मा बनई टोली, थाना-तोरपा, जिला-खूँटी।	लूट की योजना बनाते हुए अवैध गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जमानत-02 सिप्रियन तोपनो शांतियल तोपनो	पी०डी०जे०, खूँटी	ए०पी०पी० सुधील कुमार जायसवाल मो०नं० 9264454020	पु०अ०नि० विनोद राम, थाना प्रभारी, रनियां	1. पु०अ०नि० विनोद राम, थाना प्रभारी, रनियां 9431706199 2. आ०/03 सुदर्शन गुडिया, रनियां थाना 3. आ०/ सुभीत कुजूर, रनियां थाना 4. हव० सुरेश टोप्पो, रनियां थाना 5. आ०/14 जितेन्द्र उरांव, रनियां थाना 6. आलोक हेम्ब्रम, परिचारी प्रवर, खूँटी 7. अनु० कर्ता स०अ०नि० नवीन कुमार, रनियां थाना 7033544539	-
18	मुरहू थाना कांड सं०- 91/16 दि०-23.12.16 धारा-25(1-ए) आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। GR-475/16	1. करण हस्सा पूर्ति उर्फ चिट्ठी, पे०-स्व० सितुंग हस्सा पूर्ति, सा०-रोवावली, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी।	अवैध गोली के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना।	जेल-01 करण हस्सा पूर्ति उर्फ चिट्ठी	एस०डी०जे० ०एम०, खूँटी	ए०पी०पी० निषि कच्छप, मो०नं० 9264454140	पु०अ०नि० दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, मुरहू	1. पु०अ०नि० दिनेश कुमार प्रजापति, थाना प्रभारी, मुरहू 7250318949 2. स०अ०नि० कमलेश चौधरी मुरहू थाना 9430103735 3. आ०/576 धर्मेन्द्र भगत, मुरहू थाना 4. हव० कामदेव झा, मुरहू थाना 5. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 6. अनु०कर्ता पु०अ०नि० राजेश्वर चौधरी, मुरहू थाना 9507181142	-
19	तोरपा थाना कांड सं० - 58/16 दि०-07.11.16 धारा-25 (1-बी०) ए/25 (1-ए)/26(2)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। GR-402/16	1. प्रसन्न गुडिया, पे०-मानसिद्ध गुडिया 2. रूबेन गुडिया, पे०-पतरस गुडिया 3. मनोज गुडिया, पे०-पतरस गुडिया तीनों सा०-लोहाजिमी 4. सुसृजित बोदरा, पे०- सेवेस्टियन बोदरा, सा०- लतौली लाढोबाड़ी, सभी थाना-तोरपा,	अवैध हथियार एवं गोली तथा पीटु एवं मोबाईल के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना	जेल-01 प्रसन्न गुडिया जमानत-03 रूबेन गुडिया मनोज गुडिया सुसृजित बोदरा	ए०डी०जे० प्रथम	प्रदीप कुमार मंडल, मो०नं० 9264454139	पु०अ०नि० चन्द्रशेखर आजाद, ओ०पी० प्रभारी तपकारा	1. पु०अ०नि० चन्द्रशेखर आजाद, ओ०पी० प्रभारी तपकारा 9934674035 2. आ०/227 प्रेम प्रकाश उरांव, ओ०पी० तपकारा 3. आ०/307 मत्तु टुडू, ओ०पी० तपकारा 4. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 5. अनु०कर्ता वृजा राम, ओ०पी० तपकारा 6. अनु०कर्ता स०अ०नि० रविन्द्र कुमार यादव, ओ०पी० तपकारा 8969780681	-

		जिला-खूँटी								
20	अड़की थाना कांड सं०- 06/16 दि०- 27.02.16 धारा-307 /34 भा०द०वि. एवं 25(1-बी०)ए/26 / 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट। GR-73/16 ST-131/16	1. महादेव पाहन, पे०-स्व० भगत पाहन, सा०-कारगे, थाना+जिला-खूँटी 2. रवि नायक, पे०-करमा नायक, सा०-तुजनचलदा, थाना-नामकुम, जिला-राँची 3. अशोक नायक, पे०-लघुनी नायक, सा०-सृजन चलदा, थाना-नामकुम, जिला-राँची।	जान मारने के नियत से फायरिंग करना तथा अवैध हथियार रखना	जमानत-03 महादेव पाहन रवि नायक अशोक नायक	पी०डी०जे०, खूँटी	ए०पी०पी० सुधील कुमार जायसवाल मो०नं० 9264454020	विवेक कुमार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 157 सहायक समादेष्टा, पे०-श्याम चन्द्र सिंह, ग्राम-अरेराज, जिला-पूर्वी चम्पारण	1. विवेक कुमार, सहायक समादेष्टा, सी०आर०पी०एफ० 157 बटा० 2. श्री पी०के० सिंह, समादेष्टा (ईरला नं०-4239) सी०आर०पी०एफ० 157 बटा० 3. आ०/352 उग्रसेन प्रसाद, अड़की थाना 4. अलोक हेम्ब्रम, परिचारी प्रवर, खूँटी 5. अनु०कर्ता पु०अ०नि० रमेश मुर्मू, अड़की थाना 7250641034	-	
21	कर्का थाना कांड सं०- 74/16 दि०-16.10.16 धारा-376 (डी)/354(बी)/34 भा०द०वि० एवं 4/8/9 पोक्सो एक्ट। GR-359/16	1. राजा घोष, पे०-स्व० सपन घोष, मुहल्ला कृष्णपुरी रोड नं०-01, थाना-चुटिया, जिला-राँची। 2. राजेश कुमार सिंह, पे० -स्व० हड़क सिंह, सा०- माहिलौंग, थाना- टाटीसिल्वे, जिला-राँची।	नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं सामूहिक बलात्कार करना	जेल-02 राजा घोष राजेश कु० सिंह	ए०डी०जे० प्रथम	प्रदीप कुमार मंडल, मो०नं० 9264454139	वादिनी रीता देवी, पे०-चैतन लोहरा, सा०- साउबेड़ा, बानो, जिला-सिमडेगा	1. म० आ०/430 गीता देवी, कर्का थाना 7779999396 2. डॉ० मोनिका बजराय, सदर अस्पताल, खूँटी 3. अनु०कर्ता स०अ०नि० अलित सागर केरकेट्टा 7541842363	1. रीता देवी, पे०-चैतन लोहरा, सा० -साउबेड़ा, बानो, जिला-सिमडेगा 2. सविता सोरेन, पे०-तनु सोरेन, सा०-पाराडर, जिला-सिमडेगा	
22	खूँटी थाना कांड सं० - 109/16 दि०-16.09.16 धारा-414/34 भा०द० वि० एवं 25(1-ए) (1-बी०)ए/26(2)/35 आर्म्स एक्ट। GR-321/16	1. सुरेन्द्र सुरीन उर्फ सुरेन्द्र मुण्डा उर्फ चरकू, पे०-विजय सुरीन, सा०-पोकला, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी। 2. सादो पाहन, पे०-स्व० सोमा पाहन, सा०-चारिद, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी। 3. कुंवर खेरवार उर्फ रोहित, पे०-स्व० जगतु खेरवार, सा०-मनहातु, वनटोली, थाना-रनियां, जिला-खूँटी। 4. लाल मुण्डा, पे०-	अवैध रूप रूप से पिस्तौल एवं कारतूस तथा चोरी का मोटरसाईकिल बरामद होना	जेल-01 लाल मुण्डा जमानत-03 सुरेन्द्र सुरीन सादो पाहन कुंवर खेरवार उर्फ रोहित	सी०जे०एम० खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो०नं० 9264454139	पु०अ०नि० के०के० पाण्डा, थाना प्रभारी, खूँटी	1. पु०अ०नि० के०के० पाण्डा, थाना प्रभारी, खूँटी 9113159822 2. आ०/60 मनोज बारला, गिरिडीह जिलाबल 3. आ०/1215 मनीष कुमार यादव, बोकारो जिलाबल 4. आ०/250 नागेन्द्र शर्मा, अनु०पु० पदा०, खूँटी गार्ड 5. आ०/88 रतन कुमार बाड़ा, अनु०पु० पदा०, खूँटी गार्ड 6. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 7. अनु०कर्ता स०अ०नि० उपेन्द्र सिंह 9931459239	-	

		बिचाय मुण्डा, सा0-कुन्दी बरटोली, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी।								
23	खूँटी थाना कांड सं0- 39/14 दि0-15.03.14 धारा-8/20 एन0डी0पी0 एस0 एक्ट। एन0डी0पी0एस0 नं0 13/14	1. सचित वर्मा उर्फ बाबु, पे0-श्री सनातन राम वर्मा, सा0-जोजोटोली बाजार टाँड़ 2. बिमल दास, पे0-स्व0 महेन्द्र दास, सा0-जोजोटोली बाजार टाँड़ दोनों थाना+जिला-खूँटी।	अवैध रूप से गांजा का कारोबार करना		पी0डी0जे0, खूँटी	ए0पी0पी0 सुधील कुमार जायसवाल मो0नं0 9264454020	कानु राम नाग, अंचलाधिकारी, खूँटी	1. कानु राम नाग, अंचलाधिकारी, खूँटी 2. प्रदीप शर्मा अवर निरीक्षक, उत्पाद विभाग, खूँटी, थाना+जिला-खूँटी 3. देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, पे0-स्व0 शिवदानी शर्मा, सा0-नरहट, जिला-नवादा वर्तमान सिपाही उत्पाद विभाग, खूँटी 4. डॉ0 किरण कुमार, एस0एफ0एस0 एल0, झा0, राँची 5. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे 9431706197	-	
24	खूँटी थाना कांड सं0 - 25/16 दि0-19.02.16 धारा-414/34 भा0द0 वि0 25 (1-बी0)ए/26/ 35 आर्म्स एक्ट। GR-70/16	1. पौलुस टुटी, पे0-आनन्द टुटी, सा0-तारुब, थाना+ जिला-खूँटी। 2. दसाय हस्सा, पे0-पान्दु हस्सा, सा0-सालेहातु, थाना- मुरहू, जिला-खूँटी 3. गौड़ा मुण्डा, पे0- लुकिन मुण्डा,सा0-तारुब, थाना+ जिला-खूँटी 4. कोलाय मुण्डा, पे0- मंगरा मुण्डा, सा0-तारुब, थाना+ जिला-खूँटी	लूट की मोटरसाईकिल के साथ एवं अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना	जमानत-04 पौलुस टुटी दसाय हस्सा गौड़ा मुण्डा कोलाय मुण्डा	सी0जे0एम0 खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी, खूँटी	1. पु0अ0नि0 अरुण कुमार दूबे, थाना प्रभारी, खूँटी 9431706197 2. पु0अ0नि0 कृष्ण कांत पाण्डा, खूँटी थाना 9113159822 3. साधो चरण तापे, खूँटी थाना 4. आ0/1404 मनोज कुमार साहु, खूँटी थाना 5. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 6. अनु0कर्ता स0अ0नि0 इग्नियासुस टोप्पो 7295885100	-	
25	खूँटी थाना कांड सं0 -141/17 दि0-21.08.17 धारा-17 (II) एन0डी0 पी0एस0 एक्ट। NDPS-12/17	1. शर्मा गंझू, पे0-स्व0 चैतन गंझू, सा0-ईरूद, थाना+जिला -खूँटी 2. पतरस पाहन, पे0-स्व0 सुफन पाहन, सा0-ईरूद, थाना +जिला -खूँटी	अवैध अफीम एवं डोडा का छिलका के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जेल-02 शर्मा गंझू पतरस पाहन	पी0डी0जे0, खूँटी	ए0पी0पी0 सुधील कुमार जायसवाल मो0नं0 9264454020	स0अ0नि0 जुमरात अंसारी, खूँटी थाना	6. स0अ0नि0 जुमरात अंसारी, खूँटी थाना 8298038061 2. श्री विजय कुमार अंचलाधिकारी, खूँटी 3. आ0/553 मिथिलेश राम, खूँटी थाना 4. आ0/95 मिथिलेश यादव, खूँटी थाना 5. डॉ0 किरण कुमार, एस0एफ0एस0 एल0, झा0, राँची 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 अल्बर्ट टोपनो खूँटी थाना 7033782421	-	
26	खूँटी थाना कांड सं0- 164/17 दि0-04.10.17 धारा-25(1-बी0)ए	बसंत राम, पे0-रंजीत महतो, सा0-बिरहू छोटका टोली, थाना+जिला-खूँटी।	देपी पिस्टल एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना	जमानत-01 बसंत राम	सी0जे0एम0 खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली	1. पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, खूँटी अहमद अली 9801715001 2. अ0नि0(स) बनमाली हेम्ब्रम, एस0आई0आर0 बी0, खूँटी	-	

	/ 26 (1) आर्म्स एक्ट । GR-393/17							3. हव0 सुखदेव चामा उरांव, खूँटी थाना 4. आ0/1184 शिवपुजारी शरण, खूँटी थाना 5. अवध बिहारी सिंह, परिचारी प्रवर, खूँटी 6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 अनवर आलम खूँटी थाना 8877066839		
27	कर्मा थाना कांड सं0- 23/17 दि0-14.07.17 धारा-25(1-बी0)ए/26(1)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट । GR-135/17	1. अनिल हेरेंज, पे0- जागा हेरेंज, सा0-सिरका भोसाटोली, थाना-कर्मा, जिला-खूँटी 2. बानु कच्छप उर्फ विकास कच्छप, पे0-लाल कच्छप, सा0-सिरका, भौसा टोली, थाना-कर्मा, जिला-खूँटी ।	प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी0एल0एफ0अई0 का सदस्य होना एवं अवैध आग्नेयास्त्र तथा गोली के साथ पकड़ा जाना	जमानत-02 अनिल हेरेंज बानु कच्छप उर्फ विकास कच्छप	जे0एम0 खूँटी प्रथम श्रेणी	ए0पी0पी0 निषि कच्छप, मो0नं0 9264454140	पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, कर्मा	1. पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, कर्मा 9431706200 2. आ0/626 सुरेश खेरवार, सैट-02 सशस्त्र बल कर्मा थाना 3. आ0/156 राजकेश्वर कुजूर, सैट-02 सशस्त्र बल कर्मा थाना 4. आ0/600 जॉन बॉस्का कुजूर, सैट-02 सशस्त्र बल कर्मा थाना 5. पु0अ0नि बासुदेव साह, खूँटी थाना 6. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 7. अनु0कर्ता जगदीश चन्द्र मुर्मू, कर्मा थाना 9934393589		
28	अड़की थाना कांड सं0-15/16, दि0- 01.06.16, धारा-25 (1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट । GR-177/16	हारुण हेम्ब्रम उर्फ वरुण हेम्ब्रम, पे0-स्व0 सीनु हेम्ब्रम, सा0- चोन्दोरडीह, बोंगाबुरु टोली, थाना- अड़की, जिला-खूँटी	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली रखना ।	जमानत-01 हारुण हेम्ब्रम	सी0जे0एम0 खूँटी	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0अ0नि0 सत्यवीर, थाना प्रभारी बन्दगांव, जिला-चाईबासा	1. पु0अ0नि0 सत्यवीर, थाना प्रभारी बन्दगांव, जिला-चाईबासा 2. हव0 मो0 रउफ अंसारी, बन्दगाँव थाना, चाईबासा जिला बल 3. आ0/1574 राम होरो, बन्दगाँव थाना चाईबासा जिला बल 4. आ0/1581 कृष्ण सोरेन, बन्दगाँव थाना, चाईबासा जिला बल 5. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 6. अनु0कर्ता स0अ0नि0 फिलिप कुजूर 7542008684	-	
29	मुरहू थाना कांड सं0 - 17/16 दि0-12.03.16 धारा-399/402/414 भा0द0वि0 एवं 25(1-एए) 25 (1-बी0)/26/35 आर्म्स एक्ट । GR-89/16 ST-149/16	1. हाबिल मुण्डू पे0-जोहन मुण्डू, सा0-बम्हनी, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी 2. गोटी उर्फ रौशन मुण्डा, पे0-मनी मुण्डा, सा0-कुदासूद, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी 3. डोमाय महतो, पे0-कांचु महतो, सा0-गुटीगड़ा, थाना-मुरहू, जिला-खूँटी 4. वोकील उर्फ लिपि	डकैती का योजना बनाते हुए अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाना	जेल-01 हाबिल मुण्डू जमानत-03 गोटी उर्फ रौशन मुण्डा डोमाय महतो वोकील उर्फ लिपि ओड़ेया	ए0डी0जे0 प्रथम	प्रदीप कुमार मंडल, मो0नं0 मो0नं0 9264454139	पु0अ0नि0 अहमद अली, थाना प्रभारी, मुरहू	1. पु0अ0नि0 अहमद अली, थाना प्रभारी, मुरहू 9801715001 2. पु0अ0नि0 बमबम कुमार, तोरपा थाना 9155666966 3. हव0 कामदेव झा, मुरहू थाना 4. आ0/220 सतीश कुमार, मुरहू थाना 5. आ0/138 हेमलाल मुर्मू, मुरहू थाना 6. आलोक हेम्ब्रम परिचारी प्रवर, खूँटी 7. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 स्टीफन एक्का	-	

		ओड़ेया, पे0-गोन्डे ओड़ेया, सा0- डाउगड़ा							
30	करा थाना कांड सं0- 19/17 दि0-19.03.17 धारा-20 एन0डी0 पी0 एस0 एक्ट। NDPS-07/17	1. करमा महतो, पे0-स्व0 भिखारी महतो, सा0-लोवागड़ा, थाना- करा, जिला-खूँटी। 2. सोनु महतो, पे0-करमा महतो, सा0-लोवागड़ा, थाना- करा, जिला-खूँटी।	अवैध रूप से नशीले पदार्थ गांजा का खेती करना	जमानत-02 करमा महतो सोनु महतो	पी0डी0जे0, खूँटी	ए0पी0पी0 सुधील कुमार जायसवाल मो0नं0 9264454020	पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, करा	1. पु0अ0नि0 उदय कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी, करा 9431706200 2. नाजीर अख्तर, अनु0पु0 पदा0, तोरपा 3. पु0अ0नि0 बिरेन्द्र कुमार सिंह, लोधमा पिकेट 8002532269 4.डॉ0 किरण कुमारी, एस0एफ0एस0 एल0, झा0, राँची 5. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 बैजनाथ कुमार, करा थाना 8051754462	1. संजय महतो, पे0-स्व0 महावीर महतो, सा0- लोवागड़ा, थाना-करा, जिला-खूँटी 2. कृष्णा महतो, पे0-भरत महतो, सा0- लोवागड़ा, थाना-करा, जिला-खूँटी 3. रामसेवक महतो, पे0-स्व0 रामधन महतो, सा0- लोवागड़ा, थाना-करा, जिला-खूँटी 4. शंकर महतो, पे0-गंदूरा महतो, सा0- लोवागड़ा, थाना-करा, जिला-खूँटी

पत्रांक- 119 / डी0सी0बी0
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, खूँटी।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक
खूँटी।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखंड, राँची।

खूँटी, दिनांक-13.05.18

प्रसंग :-

भवदीय कार्यालय का ज्ञापांक-173/गो0, दि0-03.05.18

विषय:-

माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड, उच्च न्यायालय, राँची के निदेश के आलोक में
1,000 कांडों का त्वरित विचारण।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि भवदीय द्वारा मांगी गयी खूँटी जिलान्तर्गत त्वरित विचारण के अनुश्रवण हेतु कुल 30 महत्वपूर्ण कांडो से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में तैयार कर भेजी जा रही है, साथ ही सूची में अंकित सभी कांडों की समीक्षा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वयं की गयी है तथा विधि परामर्शी से विचार-विमर्श किया गया। संलग्न सभी कांडों में अभियुक्तों के विरुद्ध ठोस एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है तथा त्वरित विचारण कराने हेतु सर्वथ योग्य है।

कृपया सूचनार्थ।

अनुलग्नक - यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/-

पुलिस अधीक्षक,
खूँटी।

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झा0, राँची को कृपया सूचनार्थ।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, द0छो0 क्षेत्र, राँची को कृपया सूचनार्थ।

ह0/-

पुलिस अधीक्षक,
खूँटी।

कोडरमा जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 34 कांडो की विवरणी

क्रम सं०	काण्ड सं० / दि० / धारा / GR/ST No.	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार / बेल	न्या० का नाम	प १०पी०/ए० पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह / अनुसंधानकर्ता / विशेषज्ञों का नाम / पता मो० नम्बर	ऐसे सामान्य गवाह जो आसानी से उपलब्ध हो एवं गवाहों की सं० 10 से अधिक न हो	साक्ष्य प्रदर्श की स्थिति (मालखाना संख्या सहित)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	तिलैया थाना काण्ड सं०-136/15, दि०-28/05/15, धारा-414 भा०द०वि० एवं 25(1-B)A/26/35 शस्त्र अधि० जी०आर०-613/15	1.शिवु शर्मा पे०-मुंशी शर्मा सा०-मोरवे, थाना-फतेहपुर, जिला-गया (बिहार) एवं 2. शक्ति सिंह पे०-भागीरथ सिंह सा०-डुमरियाटाँड, थाना+जिला-कोडरमा 3. गुड्डू शर्मा पे०-प्रसादी शर्मा सा०-दिलवा, थाना-फतेहपुर, जिला-गया । 4. प्रदीप सिंह	चोरी का सामान एवं अवैध आग्नेयास्त्र पकड़े जाने ।	जेल-02 अनु० जारी-02	एस०डी०जी० एम कोडरमा	ए० बारला ए०पी०पी०	राजवल्लभ पासवान पु० नि० सह थाना प्रभारी तिलैया थाना, कोडरमा	पु०अ०नि० रामकृत प्रसाद, सा०अ०नि० राजवल्लभ यादव तिलैया थाना, आ०/494 सुरेन्द्र महतो, तिलैया थाना ।	1.शंकर यादव पे०-लेखो यादव सा०-गझंडी, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा	लोहे का बना एक देशी पिस्तौल, दो जिन्दा गोली, लोहे का बना एक देशी कर्बाईन, एक अण्डाकार तस्तरी, चाँदी जैसा ब्रसलेट एवं अन्य सामान	आरोप पत्र सं० 113/17, दि० 24/04/17 ।
2	तिलैया थाना काण्ड सं०-03/16, दि०-06/01/16, धारा-376(2) (1) भा०द०वि० एवं प्रोकशर ऑफ चिल्ड्रेन सेक्सुअल ऑफेन्स अधि० परिवर्तित धारा-354 भा०द०वि० जी०आर०-12/16	विजय राम पे०-शंकर राम सा०-गुमों, पाण्डेय मुहल्ला, वार्ड नं०-21, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ।	नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में ।	जमानत पर	एस०डी०जी० एम कोडरमा	ए० बारला ए०पी०पी०	सोनी कुमारी पे०-कामेश्वर पासवान सा०-गुमों, पाण्डेय मुहल्ला, वार्ड नं०-21, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ।	स०अ०नि० रामस्वरूप यादव	1.फुलवा देवी पति-कामेश्वर पासवान सा०-गुमों पाण्डेय, तिलैया 2. लीलावती देवी पति-भिकारी पंडित 3. रिंकी कुमारी पे०-भरत रजक 4. रेणु देवी पति-नन्दु पासवान साकिनान-गुमों पाण्डेय, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ।	-	आरोप पत्र सं० -293/16, दि० 30/09/16 ।
3	तिलैया थाना काण्ड सं०-37/16, दि०-17/12/16, धारा-376 (2) (1) भा०द०वि०	1.अजय कुमार पे०-शिवशंकर राम सा०-तिलैया बस्ती, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा	बलात्कार के आरोप में ।	जेल में	एस०डी०जी० एम कोडरमा	ए० बारला ए०पी०पी०	सुनीता कुमारी पे०-किशुन राम सा०-तिलैया बस्ती, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा	स०अ०नि० रामस्वरूप यादव	1.बबीता देवी पति-किशुन राम 2. किशुन राम पे०-स्व० राम सदानराम 3. अर्जू राम पे०-मोहन राम 4. विनोद		आरोप पत्र सं० 74/16, दि०-28/03/16, धारा-376 (2) (1) भा०द०वि० एवं

	जी0आर0-144/16							यादव पे0-युगल यादव साकिनान-तिलैया बस्ती, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा		8/12 पोक्सो एक्ट ।	
4	तिलैया थाना काण्ड सं0-101/16, दि0-06/05/16, धारा-376(2)जी0 भा0द0वि0 । एस0टी0-62/16	1.बस का चालक रामबालक सिंह उर्फ लम्बु 2. बस का खलासी जयनन्दन दास	बलात्कार के आरोप में ।	जेल में	ए0डी0जे0-2	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	शबनम खातून पति-मो0 गुलाम अंसारी सा0-मुसा स्टेशन बाजार, थाना-जमालपुर, जिला-वर्दमान,	अनु0कर्ता का नाम-स0अ0नि0 किशोर कुमार घोष	1.नरेश कुमार सिंह पे0-स्व0 प्राण सिंह सा0-दिवौर, थाना-रजौली, जिला-नवादा 2. संजय तुरी पे0-भखर तुरी सा0-असनाबाद 3. अनिश कुमार पे0-जगदीश शर्मा सा0-इन्दरवा, 4. राजा यादव पे0-स्व0 चलितु यादव सा0-इन्दरवा, सभी थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ।	श्री ट्रेवल्स नं0-BR-46A-4001	आरोप पत्र सं0 223/16, दि 30/07/16, धारा-376(2)जी0 भा0द0वि0 ।
5	तिलैया थाना काण्ड सं0-338/17, दि0-01/12/17, धारा-376/323 भा0द0वि0 एवं 4/8, पोक्सो एक्ट । परिवर्तित धारा भा0द0 वि0 । पोक्सो-02/	प्रिंसपल एस0 जेवियर उर्फ फ्रांसिस जेवियर पे0-स्व0 ए0 सेल्वाराज सा0-हाउस 83/5, बोस पुकर रोड, झील गार्डेन्स कोलकाता वेस्ट बंगाल । वर्तमान में तिलैया पब्लिक स्कूल के प्रिंसपल	आप्राकृतिक यौनाचार के आरोप में ।	जेल में	ए0डी0जे0-1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	विजय कुमार यादव पे0-बनवारी यादव सा0-जरगा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा	अनु0-पु0अ0नि0 लाल बहादुर प्रसाद	1.सुभम कुमार यादव पे0-बनवारी यादव सा0-जरगा 2. रेखा देवी पति-विजय कुमार यादव सा0-जरगा 3. विनोद कुमार यादव पे0-अम्बिका यादव सा0-जरगा, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा	-	आरोप पत्र सं0 339/17, दि0-30/12/17, धारा-377/323 भा0द0वि0 एवं 4/8/12 पोक्सो एक्ट ।
6	कोडरमा थाना काण्ड सं0-148/17, दि0-17/08/17, धारा-392 भा0द0वि0 । जी0आर0-832/17	1.पवन कुमार पे0-केदार प्रसाद यादव सा0-चौथा, 2. सौरभ कुमार पे0-स्व0 शिवनंदन प्रसाद सा0-बहादुर पुर, दोनों थाना-रजौली, जिला-नवादा (बिहार)	लूट के आरोप में	जेल में	श्री राजीव कुमार सिंह जे0एम0-1	ए0 बारला ए0पी0पी0	अखिलेश्वरकान्त तिवारी पे0-प्रभात मनी तिवारी सा0-नियर साई बिहार अपार्टमेंट अशोक नगर, थाना-डोरन्डा, जिला-राँची ।	अनु0-पु0अ0नि0 मो0 साकिब तनवीर खाँ	1.अनीता देवी पति-अवधेश कुमार सिंह 2. आशीष कुमार पे0-अवधेश कुमार सिंह साकिनान-चाणक्य क्लॉनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, थाना+जिला-हाजिपुर, बिहार	उजला रंग का एक स्वीफ्ट डिजायर भी0 डी0 आई0 कार	आरोप पत्र सं0 185/17, दि0-11/11/17, धारा-392/41 भा0द0वि0 ।
7	कोडरमा थाना काण्ड	1.उमेश कुमार पे0-बीरबल मेहता सा0-	डकैती के	जेल में	ए0डी0जे0-2	श्री दिनेश	उमेश कुमार	अनु0-	-	ट्रक सं0-JH05AX-	आरोप पत्र सं0

	सं0-195/17, दि0-05/11/17, धारा-395/412 भा0द0वि0 एस0टी0-39/18	बेहराडीह 2. पवन मेहता पे0-घनश्याम सा0-नावाडीह, 3. रंजीत गोस्वामी उर्फ चरका पे0-बिनोद गोस्वामी 4. रोहित मेहता उर्फ बल्ला पे0-हुलास मेहता साकिनान-शिवसागर 5. चरका मेहता सा0-कालीमंडा बिगही पिण्डा, सभी थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा	आरोप में ।			चन्द्र पी0पी0	सिंह पे0- भागीरथ सिंह सा0-बडवार, थाना-राजपुर, जिला-चतरा ।	पु0अ0नि0 अमीर आलम खाँ, राजीव रंजन (चालक) पे0- स्व0 दीनदयाल प्रसाद सिंह सा0-अकोना, थाना-पुनपुन, जिला-पटना । स0अ0नि0 पटवारी हाँसदा पे0-स्व0 गुरु हाँसदा सा0- चन्दना, थाना- राजाभीठा, जिला-गोड्डा । हव0 रामलखन चौहान (पी0सी0आर0) पे0-स्व0 दुबरी चौहान सा0-पंछेका, थाना- नारदीगंज, जिला-नवादा (बिहार) आ0/640 निलेश कुमार पे0-मधुसुदन सिंह सा0- आदित्यपुर, जिला- सराईकेला, खरसाँवा	5718, बारह चक्का ट्रक	06/18, दि0-30/01/ धारा-395/41 भा0द0वि0 ।	
8	ढाब थाना काण्ड सं0-02/17, दि0- 26/04/17, धारा-392 भा0 द0 वि0	1.संजय पासवान पे0-बद्री पासवान 2. अजय पासवान पे0-सीताराम पासवान साकिनान-जगनाथडीह, 3. मदन ठाकुर पे0-स्व0 सरयु ठाकुर सा0-पोबी, तीनों थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह	ढाब जंगल से मोटर साईकिल लूट कर भाग जाने	जेल में ।	एस0डी0जी0 एम कोडरमा	ए0 बारला ए0पी0पी0	बसंत कुमार पे0-विजय चन्द्र दास सतगाँवा ब्लॉक में मनरेगा में कनीय	1.बसंत कुमार मो0 नं0- 7091 782254 2. सहदेव	राजेन्द्र यादव मो0 नं0-8809764950 एवं दिलीप यादव पे0-प्रकाश यादव मो0 नं0-	समसंग कम्पनी का पीला रंग का मोबाईल सेट	C. S. NO. - 04/17, दि0- 05/10/17 , धारा- 392/411 भा0द0वि0 ।

	जी0आर0-410/17		के आरोप में दर्ज है ।				अभियंता के पद पर कार्यरत है ।	राम पे0-अर्जून राम 3.S.I. रामानन्द प्रसाद थाना प्रभारी ढाब मो0 नं0-8757117579	9665332938		
9	ढाब थाना काण्ड सं0-03/17, दि0-08/05/17, धारा-392 भा0 द0 वि0 । जी0आर0-462/17	1.संजय पासवान पे0-बद्री पासवान 2. अजय पासवान पे0-सीताराम पासवान साकिनान-जगनाथडीह, 3. मदन ठाकुर पे0-स्व0 सरयु ठाकुर सा0-पोबी, तीनों थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह	ढाब जंगल से मोटर साईकिल लूट कर भाग जाने के आरोप में दर्ज है ।	जेल में ।	एस0डी0जी0 एम कोडरमा	ए0 बारला ए0पी0पी0	राजेन्द्र यादव पे0-गाजो यादव सा0-झुमरी, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा ।	S.I. रामानन्द प्रसाद थाना प्रभारी ढाब मो0 नं0-8757117579 एवं स0अ0नि0 सिप्रियानुस तिर्की मो0 नं0-9162072962	1.राजेन्द्र यादव उर्फ राजु यादव पे0-स्व0 तुलसी यादव सा0-मछुआपहाड़ी, थाना-ढाब, जिला-कोडरमा 2. शंकर यादव पे0-ऐमी यादव सा0-दुरोडीह, थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा	मदन ठाकुर पे0-स्व0 सरयु ठाकुर सा0-पोबी, थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह के पास से बरामद सीम नं0-7766819697	C. S. NO. - 05/17, दि0-05/10/17, धारा-392/411 भा0द0वि0 ।
10	नवलशाही थाना काण्ड सं0-43/16, दि0-03/08/16, धारा-376 भा0द0वि0 एवं 6 पोक्सो एक्ट । जी0आर0-792/16	मो0 गुलाब रसुल पे0-कुरबान अली सा0-पुरनानगर, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा	नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में ।	जेल में ।	जे0जे0 बोर्ड	नीतु सिंह ए0पी0पी0	मो0 मंसुर आलम पे0-यासिन मियाँ सा0-पुरनानगर, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा	अनु0-पु0अ0नि0 शिवबालक यादव,	1.मो0 मिस्टर सबदर अली पे0-सबदर हाजी सा0-पूर्णनगर 2. मो0 मिन्हाज पे0-स्व0 सरफुद्दीन मियाँ 3. आबिदा खातून पति-मो0 मंसुर आलम 4. नसीम मियाँ पे0-स्व0 सहदली मियाँ साकिनान-पूर्णनगर, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा	-	आरोप पत्र सं0-62/16, दि0-30/09/16, धारा-4/8 पोक्सो एक्ट ।
11	नवलशाही थाना काण्ड सं0-36/17, दि0-25/05/17, धारा-302/201/34 भा0द0वि0 । एस0टी0-124/17	1.लक्ष्मण मेहता पे0-बबुनी मेहता 2. शिवु मेहता पे0-लालो मेहता 3. राजेश साव पे0-भुनेश्वर साव साकिनान-बिगहा, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा	जान मारकर साक्ष्य छुपाने के नियत से खदान में फेक देने के आरोप में ।	जेल में ।	पी0डी0जे0	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	इन्द्रनारायण मेहता पे0-स्व0 समोदी मेहता सा0-फुलवरिया, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा ।	अनु0-पु0अ0नि0 शिवबालक यादव	1.सदानन्द मेहता पे0-उदित नारायण मेहता 2. रंजीत मेहता पे0-उदित नारायण मेहता 3. सुरूचि देवी पति-स्व0 शिवनंदन मेहता 4. भीम मेहता	-	आरोप पत्र सं0-25/17, दि0-31/07/17, धारा-302/201/34 भा0द0वि0 ।

										पे0-उदित नारायण मेहता 5. डोमन मेहता पे0-स्व0 होरिल मेहता साकिनान-फुलवरिया, 6. संतोष राणा पे0-स्व0 धनु राणा सा0-पुरनाडीह चौक, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	कोडरमा थाना काण्ड सं0-56/15, दि0-09/04/15, धारा- 25(1)(ए0)/26(बी0) शस्त्र अधिनियम। S. T. NO.-102/16	नरेश ठाकुर पे0-स्व0 सुखदेव ठाकुर सा0-भीमडीह, थाना-नवलशाही, जिला-कोडरमा	अवैध देशी पिस्तौल एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में।	जेल में।	ए0डी0जे0-1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	शिवनाथ प्रसाद पे0-बाबुलाल प्रसाद पु0 नि0 सह थाना प्रभारी कोडरमा, जिला-कोडरमा	अनु0-पु0अ0नि0 राजीव प्रकाश, स0अ0नि0 लाल बिहारी प्रसाद पे0-स्व0 रामप्रसाद महतो कोडरमा थाना, सा0 पु0 203, सुबोध कुमार सिंह, स0अ0नि0 श्रीनाथ सिंह, आ0-566 पप्पु पासवान, हव0 रामनरेश माँझी, कोडरमा थाना। नवलशाही थाना	-	1. लोहे का बना एक देशी पिस्तौल 2. एक जिन्दा गोली	आरोप पत्र सं0-115/15, दि0-05/06/15।
13	कोडरमा थाना काण्ड सं0-62/17, दि0-27/03/17, धारा- 25(1)(ए0)/26/35 शस्त्र अधिनियम। G. R. NO-295/17	जगमोहन बिरहोर पे0-स्व0 हरि बिरहोर 2. विनोद बिरहोर पे0-नन्कु बिरहोर साकिनान-फुलवरिया, थाना+जिला-कोडरमा।	अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना।	जेल में।	सी0जी0एम0	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	पु0अ0नि0 मो0 साकिब तनवीर खाँ थाना कोडरमा, जिला-कोडरमा	अनु0-स0अ0नि0 तुरण टोप्पणों, पु0अ0नि0 कन्हारी सिंह, पु0अ0नि0 आमिर आलम खाँ सभी थाना-कोडरमा, जिला-कोडरमा	1. ब्रह्मदेव बिरहोर पे0-स्व0 धनु बिरहोर 2. रामवृक्ष बिरहोर पे0-स्व0 मेघन बिरहोर साकिनान-बिरहोर टोला फुलवरिया, थाना+जिला-कोडरमा।	एक भरूठवा बंदुक	आरोप पत्र सं0-92/17, दि0-30/05/17।
14	कोडरमा थाना काण्ड सं0-222/17, दि0-17/12/17, धारा- 341/342/376/324 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट-4/18	राजेश कुमार साव पे0-सुरेश साव सा0-मोरियाँवा, थाना+जिला-कोडरमा।	नाबालिक के साथ मारपीट कर बलात्कार करने के आरोप में।	जेल में।	ए0डी0जे0-1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	मोसमात ममता देवी पति-स्व0 मनोज चौहान सा0-सुजानपुर, लख्खीबागी, थाना+जिला-कोडरमा।	अनु0-स0अ0नि0 तुरण टोप्पणो	1. कृष्णा यादव पे0-रघुनन्दन यादव 2. अवध सिंह पे0-हीरामन सिंह 3. दामोदर यादव पे0-स्व0 बासुदेव यादव साकिनान-सुजानपुर,	-	आरोप पत्र सं0-19/18, दि0-12/02/18।

									लख्खीबागी, थाना+जिला-कोडरमा ।		
15	तिलैया थाना काण्ड सं0-142/17, दि0-12/05/17, धारा- 304(बी)/34 भा0द0वि0 । S. T. NO-106/17	1.सोनल कुमार पे0-स्व0 राजेन्द्र दास 2. अरविन्द कुमार पे0-राजेन्द्र राम सा0-तिलैया बस्ती, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा	दहेज हत्या करने के आरोप में	जेल में	पी0डी0जे0	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	संजय कुमार राम पे0-स्व0 भाकुर राम सा0-डोरण्डा, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह	अनु0-पु0अ0नि0 श्याम नारायण सिंह	1.उषा देवी पति- संजय कुमार राम 2. सुधीर कुमार पे0-स्व0 भाकुर राम 3. महेन्द्र दास पे0-हरखु राम साकिनान-डोरण्डा, थाना-धनवार, जिला-गिरिडीह ।	-	आरोप पत्र सं0- 191/17, दि0-04/08/17 ।
16	नवलशाही थाना काण्ड सं0-35/16, दि0-25/06/16, धारा- 302/34 भा0द0वि0 । S. T. NO-76/16	1.गौरीशंकर साव पे0-ज्ञानी उर्फ ज्ञानीशंकर साव 2. पुनियाँ देवी पति-ज्ञानी उर्फ ज्ञानी संकर साव 3. ज्ञानी उर्फ ज्ञानीशंकर साव पे0-स्व0 चमन साव साकिनान- नवलशाही बाजार, थाना- नवलशाही, जिला-कोडरमा	हत्या के आरोप में ।	जेल में	पी0डी0जे0	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	रविशंकर कुमार पे0-कृष्णा साव सा0-मिर्जागंज थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह	अनु0-पु0अ0नि0 शिवबालक यादव	1.कृष्णा साव पे0- स्व0 बिरजु साव सा0-मिर्जागंज, थाना-जमुआ, जिला-गिरिडीह 2. महेश साव पे0-स्व0 कुंजो साव सा0+थाना- नवलशाही, जिला- कोडरमा	1.लोहे का चाकू खुन लगा हुआ 2. अभियुक्त के पहने हुए फुलपैण्ट में खुन लगा हुआ ।	आरोप पत्र सं0- 56/16, दि0-01/09/16 ।
17	डोमचाँच थाना काण्ड सं0-14/16, दि0-17/02/16, धारा- 366(ए) भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट । G. R. NO-148/16 POSCO-13/16	1.शंकर कुमार मेहता पे0- गुलाबचंद मेहता उर्फ सुग्गी मेहता सा0-बेहराडीह, थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा	नाबालिक लडकी को शादी के नियत से भगाकर ले जाने के आरोप में ।	जेल में ।	ए0डी0जे0 -1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	लक्ष्मण मेहता पे0-बोधराम मेहता सा0- बेहराडीह, थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा	अनु0-स0अ0नि0 अखिलेश्वर सिंह	1.सुनीता देवी पति-लक्ष्मण मेहता 2. संजय मेहता पे0-शम्भु मेहता 3. बोधराम मेहता पे0- स्व0 झरी मेहता साकिनान-बेहराडीह, थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा	-	आरोप पत्र सं0- 30/16, दि0- 28/03/16 ।
18	जयनगर थाना कांड संख्या-193/14, दिनांक-15.10.14, धारा-302/34 भा0द0वि0 ।	अप्र0अभि 0 1. सरयुधर यादव पिता-गाजो यादव, साकिन- अलगडीहा,	अ ज्ञात चार अपराधकर्मिय ों के विरुद्ध योजना	जेल	पी0डी0जे0	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	अरबिंद कुमार पिता देवनारायण चन्द्र यादव, सा0-अलगडीहा, थाना-जयनगर जिला कोडरमा	1.राजा कुमार मिश्रा (प्रशिक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक), 2. पु0अ0नि0 कृष्णानन्द झा, 3. पु0अ0नि0 हरिनन्दन सिंह,	साक्षी:-1. बिनोद कुमार दास पिता कारु दास, सा0-अलगडीहा, थाना-जयनगर,	1. अन्तयपरीक्षण I प्रतिवेदन, 2. अभियोजन	आरोप पत्र संख्या-05/15,दि0-17. 01.15

	ST No-56 / 15	थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा एवं 2. मनोज यादव पिता-गंगाधर प्रसाद यादव, साकिन-बिन्ध, थाना- बगोदर, जिला-गिरीडीह, 3. ओम प्रकाश यादव पिता पाचु यादव, साकिन-अलगडीहा , थाना-जयनगर, जिला कोडरमा	बनाकर हत्या का अंजाम देने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।				मो0नं0-9431366362, 4. परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र आलोक हेम्ब्रम, 9470991755, 5. चिकित्सा पदाधिकारी, डॉ0 एस0पी0गुप्ता,	जिला कोडरमा, 2. छोटु कुमार पिता तुलेश्वर यादव सा0-नावाडीह, थाना-फतेहपुर, जिला गया, वर्तमान सा0-अलगडीहा, 3. लक्ष्मण यादव पिता स्व0 गणेश महतो, सा0-अलगडीहा, 4. बिनोद यादव पिता रूपन महतो सा0-खरपोका, 5. उमेश कुमार पिता देवनारायण चन्द्र यादव, 6. देवनारायण चन्द यादव पिता स्व0 सुकर महतो, सा0-अलगडीहा, 7. कविता देवी पति सुनील कुमार(मृतक), 8. पार्वती देवी पति स्व0 निरपत दास, सा0-अलगडीहा, थाना-जयनगर, जिला कोडरमा	स्वीकृती, 3. जप्ती सूची, 4. परिचारी प्रवर जाँच प्रतिवेदन, 5. तकनीकी अनुसंधान		
19	चन्दवारा थाना कांड सं0-86 / 16 दिनांक-29.10.16 धारा-302 / 201 / 34 भा0 द0 वि0 GR No- 1131/16 No-66/17	प्राथ0 अभि0- अज्ञात अपराधकर्मीयों अप्रा0अभि0-शोभा साव उम्र करीब-30 वर्ष पिता-स्व0 रामेश्वर साव सा0- सरदारोडीह, थाना-चन्दवारा, जिला-कोडरमा	ते ज धारदार हथियार एवं तेजाब छिड़क कर हत्या कर शव को छुपाने की नियत से झाडी में फेंक देने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	ल	ए0डी0जे0 -2	श्री दिनेश चन्द्र पी0पी0	वादी प्रसादी साव पिता-दुली साव ग्राम-पथलगड्डा, थाना-चन्दवारा, जिला-कोडरमा मौ0नं0-9973810736	अ0क0-पु0अ0नि0 बिनोद कुमार मो0नं0-8294976375 चिकित्सा पदा0, 1. डॉ0 संदीप कुमार सिंह, 2. डॉ0 ए0के0 सिन्हा	साक्षी-प्रसा दी साव पिता दुली साव, मो0नं0-9973810736, साक्षी-कौलेश्वर साव पिता रामेश्वर साव मो0नं0-8789411280, दोनों सा0-चौराही, साक्षी-उषा देवी पति सीताराम साव, मो0नं0-7992313065, साक्षी-सीताराम साव पिता स्व0 रामेश्वर	1. जप्ती सूची 2. अन्त्यपरीक्षण 3. अभियोजन स्वीकृति	आरोप पत्र सं0-01 / 17, दि0-22. 01.17

									साव, मो0नं0-9801347120, दोनों सा0-सरदारोडीह, साक्षी-सरयु राणा पिता छोटु राणा, मो0नं0-8002264052, सा0-पत्थलगड, सभी थाना-चन्दवारा, साक्षी-विवेन्द्र साव उम्र 30 वर्ष पिता नारायण साव सा0-चांदेडीह, पोस्ट बेकोबार, थाना कोडरमा, साक्षी-शांती देवी पति सोभा साव सा0-सरदारोडीह, थाना-चन्दवारा, सभी जिला कोडरमा		
20	जयनगर थाना कांड सं0-140/16 दिनांक-28.08.16 धारा-376(एफ)/377 भा0 द0 वि0 एवं 3/4/8 पोक्सो एक्ट GR/ST No-902/16 POSCO-01/16	प्राथम अभि0-1. बजरंगी दास पे0-राजकुमार दास, सा0-डहुवाटोला, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा	ना बालिक को बच्ची को बहला फुसलाकर बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौवनाचार करना एवं बलात्कार करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	ल	ए0डी0जे0 -1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	वादी होरिल पंडित पिता झरी पंडित ग्राम-डहुवाटोला, थाना-जयनगर,जिला-कोडरमा	अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 हरिनन्दन सिंह, मो0नं0-9431366362, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ0	साक्षी- दुलारी कुमारी पिता संजय पंडित, साक्षी- पार्वती देवी पति बिनोद पंडित साक्षी-संतोष पासवान पिता श्री राम प्रसाद पासवान, साक्षी-सुजाता कुमारी पिता बिनोद पंडित, साक्षी-कामेश्वर पंडित पिता प्रयाग पंडित, साक्षी-महेश चौधरी पिता घनश्याम चौधरी, सभी सा0- डहुवाटोला, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा	1. चिकित्सीय जॉच	आरोप पत्र सं0-151/16, दि0-30. 09.16
21	चन्दवारा थाना कांड संख्या-55/17,	1. दशरथ मांझी उर्फ भुटका,	अ पराधर्मियों के पास से	जेल	मिस. पुजा कुमार जे0एम0-	नीतु सिंह ए0पी0पी0	पु0अ0नि0 लाल बहादुर प्रसाद, पिता स्व0 दशरथ प्रसाद, साकिन व थाना-सिमरी दुधी	1.स0अ0नि0 शाहनवाज खॉं, मोबईल नं0-9934367501, 2.	साक्षी:-1.राहुल भुईयां पिता केदार भुईया, मो0नं0-8757163923	1. जप्ती सूची 2.	आरोप पत्र संख्या-73/17,दि0-09. 11.17

	दिनांक-19.09.17, धारा-25(1-ए)/26 /35 शस्त्र अधि० GR No-961/17	पिता-सुखदेव मांझी, सा०-पतवास एवं 2.विमलेश राजवंशी, पिता वृक्ष राजवंशी, सा०-कल्याणपुर, दोनों थाना- फतेहपुर, जिला-गया (बिहार)	हथियार एवं गोली बरामद होने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।		1		चट्टी, जिला-बक्सर (बिहार) मो०नं०-9939408302	पचिारी प्रवर पुलिस केन्द्र आलोक हेमब्रम, 9470991755, 3. पु०अ०नि० लाल बहादुर प्रसाद, पिता स्व० दशरथ प्रसाद, मोबाईल नं०-99039408302 4. स०अ०नि० निरंजन चौबे, मो०नं०-8294375963, 5. हव० कैलाश प्रसाद मेहता, 6.आ०-धर्मेंद्र कुमार देव, मो०नं०-9122013293, 7. आ०-354 बिनोद कुमार, मो०नं०-9661312323, 8. आ०-474 नन्दलाल महतो, मो०नं०-8789632087	2. राजेश भुंईया पिता कार्तिक भुंईया मो०नं०-7033385675 दोनों सा०-उरवां भुंईया टोली, थाना-चन्दवारा, जिला कोडरमा	आपराधिक इतिहास, 3. अभियोजन स्वीकृति 4. परिचारी प्रवर का प्रमाण पत्र, प्रदर्श कोर्ट मालखाना में।	
22	जयनगर थाना कांड संख्या-196/17, दिनांक-03.09.17, धारा-376/34 भा०द०वि०। GRNo-909/17 ST-14/18	प्राथ० अभि० 1. मुस्लीम खॉ, पिता सूली खॉ, साकिन-तरवन, थाना-जयनगर, जिला कोडरमा	जा न मारने का भय दिखाकर बलात्कार करना जिससे गर्भवती हो जाने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	जेल	ए०डी०जे० -2	श्री दिनेश चन्द्र पी०पी०	वादिनी आशा देवी पति शंकर राम सा०-सांथ, थाना-जयनगर,जिला कोडरमा	स०अ०नि० शिवचरण हेमब्रम मो०नं०-9006540547 चिकित्सा पदाधिकारी,	साक्षी:-1.रामदेव रविदास पिता स्व० एतवारी रविदास, मो०नं०- 9934804842, 2. जगनाथ राम पिता स्व० विशुन राम, मो०नं०-9934804842, 3. कौशल्या देवी पति जगनाथ राम, मो०नं०-9934804842, 4. चेतलाल रविदास, पिता टुकन रविदास, मो०नं०-8294276419, सभी सा०-सांथ, थाना-जयनगर, जिला कोडरमा	1. चिकित्सीय जांच, 2. अभियोजन स्वीकृति	आरोप पत्र सं०-172/17, दि०-07. 12.17
23	चन्दवारा थाना कांड सं०-39/17 दिनांक-06.08.17 धारा-376 भा०द०वि० एवं 4/8/12 पोक्सो एक्ट	प्राथ०अभि० 1. चरण सिंह पिता स्व० जागे सिंह, सा०-राघवाटॉड, थाना-चन्दवारा, जिला-कोडरमा	नब गलिंग लडकी से जबरन बलात्कार करने के आरोप में पंजीकृत	जेल	ए०डी०जे० -2	श्री दिनेश चन्द्र पी०पी०	वादिनी फुलमतीया देवी पति भादे सिंह, सा०- राघवाटॉड, थानाचन्दवारा, जिला-कोडरमा मो०नं०-7779864255	अ०क०-पु०अ०नि० देवकुमार सिंह मो०नं०-9708230631, चिकित्सा पदाधिकारी 1. डॉ० सरधा	साक्षी:-1. भादे सिंह पे० स्व० बोहनसिंह, मो०नं०-7779864255, 2. संजय सिंह पिता भादे सिंह, 3. बसन्ती देवी पति संजय सिंह,	1. चिकित्सीय जांच रिपोर्ट, 2. अभियोजन स्वीकृती,	आरोप पत्र संख्या-69/17,दि०-30. 09.17

	GRNo-817/17 ST-133/17		किया गया है।					4. सकुन्ताला देवी पति स्व0 रूपलाल सिंह, मो0नं0-9771544165, 5. महोदव सिंह पिता स्व0 बंधन सिंह मो0नं0-7542965580, सभी सा0-रघवाटांड, थाना-चन्दवारा, जिला कोडरमा, 6. लिलावती कुमारी पिता भादे सिंह, सा0-राघवाटांड, थाना-चन्दवारा, जिला-कोडरमा		
24	जयनगर थाना कांड सं0-213/17 दिनांक-11.09.17 धारा-306/376/20 1 भा0 द0 वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट GRNo-955/17 POSCO-33/17	प्राथ0अभि0-1. मुमताज अंसारी पिता अंकित नहीं, सा0-परसाबाद, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा	ना बालिक लडकी के साथ दुष्कर्म करने तथा आत्म हत्या करने पर मजबुर करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	ल	ए0डी0जे0-1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	वादिनी जहीदा खातुन पति मुमताज अंसारी सा0-परसाबाद, थाना जयनगर, जिला-कोडरमा	अ0क0-पु0अ0नि0 हरिनन्दन सिंह, मो0नं0-9431366362 चिकित्सा पदाधिकारी प्रवीण कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अमीत कुमार	अ न्त्यपरीक्षण रिपोर्ट	आरोप पत्र सं0-180/17, दि0-19.12.17

25	मरकच्चो थाना काण्ड सं०-34 / 17 दिनांक-10.06.17 धारा -394 / 411 / भा०द० वि० जी०आर०-590 / 17	1. सरफुद्दीन अंसारी पिता-इशाक मिया 2. तसुब्बर अंसारी पिता-सदीक मिया दोनो सा०-बदुलिया 3. कुन्दन सिंह सा०-गोहाल तीनो थाना जयनगर जिला-कोडरमा, 4. तैफिक अंसारी सा०- धोडथम्बा थाना गिरिडीह			मा०न्या० राजीव कुमार सिंह	ए० बारला ए०पी०पी०	समुल्ला आलम पिता- तैयाब आलम सा०- कोनराडीह थाना- मरकच्चो जिला- कोडरमा	पु०अ०नि० जाफर सिद्धिकी			
26	डोमचाच थाना काण्ड सं०72 / 17 दिनांक-07.10.17 धारा-25(1-ए) / 26 शस्त्र अधि० 17 सी०एल०ए० एक्ट जी०आर०-1034 / 17	सरजु अगेरिया उफ कपील जी पिता- नन्कु अगेरिया सा०- चोपे थाना- सिमरिया जिला- चतरा			एस०डी०जी ०एम	ए० बारला ए०पी०पी०	रामायण राम पिता- स्व० सुखदेव राम पु०अ०नि० डोमचाच थाना जिला-कोडरमा	1.पु०अ०नि० रामचन्द्र प्रसाद 2.परिवारी प्रवर			
27	कोडरमा थाना काण्ड सं०-06 / 15 दिनांक-13.01.15 धारा 395 भा०द०वि० एस०टी० नं०-103 / 15, एस०टी० नं०-52 / 16	अप्र०अभि० 1. रीतेश साव पिता- जगदीश साव सा०- मदनपुर धोरहत मोड़, थाना- मदनपुर, जिला- औरंगाबाद वर्तमान मुहल्ला ताराटांड सत्येन्द्र के मकान में किरायेदार तिलैया थाना- तिलैया 2. जितेन्द्र यादव पिता-उदय यादव 3. पप्पु यादव पिता- मुंशी यादव सा०- कोसमाडीह,			पी०डी०जे०	दिनेश चन्द्रा पी०पी०	अर्जुन साव पिता- भिखो साव सा०- कोलगरमा थाना व जिला-कोडरमा	पु०अ०नि० अरुण कुमार			

		थाना- जयनगर 4. गोगा राम उर्फ सरदार, पिता-सुरेश राम सा0- बाराकुरा मेघातरी दिबौर कालीमंडा थाना-कोडरमा जिला-कोडरमा, 5. रंजीत साई आयरण मील तिलैया के मजदुर एवं अन्य अज्ञात								
28	कोडरमा थाना का0सं0-125/14 दिनांक-16.07.14 धारा-395 भा0द0वि0 एस0टी0-20/16	अप्र0 अभि0 रामजी मेहता उर्फ राम मेहता उर्फ विक्रम पिता- स्व0 बहादुर नारायण मेहता सा0- फुलवरिया, थाना- नवलसाही जिला- कोडरमा एवं 12-15 अज्ञात अपराधकर्मी			ए0डी0जे0 -1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	नवीन कुमार सिंह पिता- शत्रुघन प्रसाद सिंह सा0- रतनपुर डिडी थाना- सरैया, जिला- मुज्जफरपुर वर्तमान पता टेलर नं0- एत0आर0-55 पी0-4790 का चालक	पु0अ0नि0 यमुना प्रसाद		
29	कोडरमा थाना काण्ड सं0-14/14 दिनांक 20.01.14 धारा 25(1-ए)/26/35 शस्त्र अधि0 जी0आर0-84/14	विक्की कुमार उर्फ राजु पिता- शिबु सिंह सा0- तेतरियाडीह थाना- डोमचांच, जिला- कोडरमा			सी0जी0एम 0	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	वादी लाल विहारी प्रसाद स0अ0नि0 कोडरमा थाना व जिला- कोडरमा	स0अ0नि0 सोहराई उरांव		
30	समगावा थाना काण्ड सं0-39/17 दिनांक-14.07.17 धारा 376/120बी भा0द0वि0 एवं 4/6/8 /16 पोक्सो एक्ट एवं 03 (i)(vii) अनु0 जनजाति अधि0 पोक्सो0-3/18	विपीन कुमार पिता-नरेश पंडित सा0- टेहरो सतगावा जिला-कोडरमा 2. रौशन कुमार उर्फ कारु पिता- राम प्रसाद यादव सा0- कमालपुरए थाना- गोविन्दपुर			ए0डी0जे0 -1	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	वादी बबीता कुमी पिता/मौसा अर्जुन रजक सा0-हलकुसा थाना- सतगावा- जिला-कोडरमा	पु0अ0नि0 मदन प्रसाद खरवार		

		जिला- नवादा (बिहार)									
31	तिलैया थाना काण्ड सं०-195/17 दिनांक-14.07.17 धारा-392 भा०द०वि० जी०आर०-710/17	अप्र० अभि० 1. महेन्द्र यादव पिता- स्व० रामधनी यादव ग्रा०- डोईयाडीह थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा 2. गुड्डु खान ग्रा० माईका नेट, थाना- तिलैया जिला-कोडरमा 3. अनोज पठान बोधगया एवं अन्य अज्ञात अप्राध कर्मी			सी०जी०एम ०	श्री विनोद प्रसाद ए०पी०पी०	वादी ओमप्रकाश सोनी पिता-मन्नालाल सोनी सा०- महाराण प्रताप चौक झुमरी तिलैया	पु०अ०नि० अब्दुल रब्वानी			
32	तिलैया थाना काण्ड सं०-281/17 दिनांक-12.09.17 धारा-25(1-ए)/26 /35 शस्त्र अधि० एस०टी०-11/18, एस०टी०-16/18	सरयू भूर्इया पिता- पारस नाथ भूर्इया सा०- बेंदी थाना- चंदवारा, जिला-कोडरमा 2. बासुदेव सिंह पिता- गाजी सिंह सा०- झराही, थाना रजौली, जिला-नवादा (बिहार) 3. विजय भूर्इया पिता- काली मांझी सं०- दिलवा एवं अन्य अज्ञात			ए०डी०जे० -1	श्री विनोद प्रसाद ए०पी०पी०	स०अ०नि० राम स्वरूप यादव, तिलैया थाना जिला- कोडरमा	1.पु०अ०नि० एल०बी० प्रसाद 2. प्रचारी प्रवर			
33	कोडरमा थाना काण्ड सं०-54/16 दिनांक-04.04.16 धारा 25(1-ए)/26/35 शस्त्र अधि० जी०आर०-333/16	1.सोनु कुमार यादव पिता- प्रवीण यादव 2. आदित्य कुमार पंडित पिता- कारु पंडित दोनो सा०- असनाबाद थाना- तिलैया 3. अनिल			सी०जी०एम ०	श्री विनोद प्रसाद ए०पी०पी०	वादी अजय कुमार सिंह पु०नि० सह थाना प्रभारी कोडरमा पिता- स्व नन्द किशोर सिंह	1. स०अ०नि० तुरन टोपनो 2. प्रचारी प्रवर कोडरमा			

		यादव पिता-श्याम यादव सा0-शहिद चौक डोमचांच 4. टिंकु राम उर्फ डींकु राम पिता- स्व0 जगदीश राम सा0- डोमचांच बजार दोनो डोमचांच सभी जिला-कोडरमा									
34	तिलैया थाना काण्ड सं0-300/17 दिनांक-10.10.17 धारा-379 भा0द0वि0 जी0आर0-1048/17	अप्र0 अभि0 सुमन कुमार मेहता पिता- डीहचन्द्र मेहता सा0- बिगहा, थाना- नवलशाही 2. उमेश कुमार मेहता पिता- बिरबल मेहता 3.रोहित स्वकार पिता- बोधराम स्वकार दोनो - सा0- बेहराडीह 4. पवन कुमार मेहता पिता- गोपाल मेहता 5. संतोष मेहता उर्फ गुडीया पिता- चन्द्र मेहता दोनो सा0- नवाडीह चारो थाना- डोमचांच 6. अनंत कुमार मेहता उर्फ अन्नु पिता- नीलकंठ मेहता सा0- बिगहा थाना- नवलशाही सभी जिला- कोडरमा			सी0जी0एम 0	श्री विनोद प्रसाद ए0पी0पी0	महेश शर्मा पिता- बिरबल ठाकुर सा0- भण्डरवा, थाना व जिला-कोडरमा	पु0अ0नि0 एल0बी प्रसाद			

पत्रांक-1550/टास्क फोर्स,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लातेहार।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
लातेहार।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखंड, राँची।

लातेहार, दिनांक-10/05/2018

प्रसंग:-

भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक-173/गो0 दिनांक-03.05.18

विषय:-

लातेहार जिला से निर्देशानुसार त्वरित विचारण हेतु चयनित 30 (तीस) कांडों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

.....00.....

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि लातेहार जिला से त्वरित विचारण हेतु 30 (तीस) कांडों की सूची निर्देशानुसार विहित प्रपत्र में इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

वि श वा स भा ज न,

ह0/-

पुलिस अधीक्षक,
लातेहार।

प्रतिलिपि:- 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, पलामू क्षेत्र, डालटनगंज को कृपया सादर सूचनार्थ।

ह0/-

पुलिस अधीक्षक,
लातेहार।

लातेहार जिला से त्वरित विचारण हेतु 30 चयनित कांडों का साक्ष्य के विन्दु पर कांड वार समीक्षात्मक विवरणी विहित प्रपत्र में।

क्र० सं०	थाना कांड सं० एवं धारा एवं जी०आर०/एस० टी० नंबर	अभियुक्तों नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल/फरार/बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए० पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह/अनु०कर्ता/चिकित्सक/विशेषज्ञों का नाम पता एवं मोबाईल नंबर	आम गवाहों का नाम/पता एवं मोबाइल नंबर	अभियुक्ति
1.	2	3	4	5			6	7	8	9
1.	लातेहार थाना कांड सं०-61/16, दिनांक-25.04.2016, धारा-25(1-बी०)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०-278/16	प्रा०अभि० 1. योगेन्द्र सिंह उर्फ गुजा सिंह उर्फ भगत, पे०-भरत सिंह, सा०-पैरा, थाना-बरवाडीह, 2. मनजीत सिंह उर्फ रंजीत सिंह, पे०-सूर्यदेव सिंह, सा०-ललगडी, 3. शुभम उराँव, पे०-मनेश्वर उराँव, सा०-पतरातु सरयु थाना-गारु एवं 4. हरिहर सिंह, पे०-तेतर सिंह, सा०-हेहेगढा, थाना-छिपादोहर, चारों जिला-लातेहार	यह कांड बिना अनुज्ञप्ति के अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-02	सी०जी०एम० लातेहार		वादी पु०नि० रमेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, लातेहार	1. पु०नि० रमेश कुमार सिंह, 2. पु०अ०नि० विजय शंकर उपाध्याय, 3. स०अ०नि० रामशरणागत सिंह, 4. पु०-834 आनन्द रजवार, 5. पु०-152 अजीज अंसारी, 6. पु०-245 संतोष कुमार, 7. पु०-1247 कमलेश पासवान, 8. अनु०कर्ता पु०अ०नि० सुरेश मुण्डा, 9. श्री चंद्रशेखर सिंह, परिचारी प्रवर, पु०के०, लातेहार।	1. मुनेर यादव पे० गुजन यादव, 2. नरेश यादव पे० नन्हकु यादव, दोनों सा० डुरुआ, थाना+जिला लातेहार।	
2.	चंदवा थाना कांड सं० 157/13 दिनांक 11.10.13 धारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०-676/13	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	प्रा०अभि०-1. अविनाश कुमार रवि पे० स्व० सोहर राम, सा० पिण्डारकोम, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार हाल मो० चकला, थाना चंदवा 2. राजेश पासवान पे० हीरा मांझी, सा० चकला 3. सोनु उर्फ शाहिद आलम पे० अब्दुल क्यूम, सा०	जेल-01 शाहिद आलम	ए०सी०जी०एम० लातेहार		अ०नि० रविकांत प्रसाद पे० श्री अलखदेव प्रसाद, वर्तमान थाना प्रभारी, चंदवा, जिला लतोहार	1. स०अ०नि० पारसनाथ सिंह, 2. पु०-118 गणेश बैठा, 3. पु०-75 सचिदानन्द सिंह, 4. पु०-1069 दिलीप उराँव, 5. पु०-1078 धमेन्द्र कु० सिंह, 6. श्री तुषारकान्त झा, परिचारी प्रवर, पु०के०, पलामू 7. अनु०कर्ता पु०अ०नि०	1. चंचला देवी, पति स्व० शंभू राम, सा० चकला, थाना चंदवा, जिला लातेहार 2. विकास भगत (मुखिया), चकला पंचायत पे० स्व० सुरा भगत, 3. दुर्गा ठाकुर पे० राजेन्द्र ठाकुर, दोनों सा० चकला, थाना चंदवा, जिला	

			तिलैयाटांड 4. शाहिद आलम पे0 मो0 सफीक, सा0 डेमटोली चंदवा, तीनो सा0 चंदवा, जिला लातेहार					रामानन्द प्रसाद सिंह,	लातेहार।	
3.	छिपादोहर थाना कांड सं0 27/16 दिनांक 13.10.16 धारा-25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0-705/16	प्रा0अभि0 धर्मन्द्र सिंह, पिता शिववरण सिंह, ग्राम गुवा, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जमा0	स0डी0जे0ए मए0 लातेहार		वादी पु0अ0नि0 विनय कुमार पिता श्री चन्द्रशेखर राणा, थाना प्रभारी छिपादोहर थाना, जिला लातेहार	1. पु0अ0नि0 विनय कुमार, छिपादोहर थाना, 2. आ0-1192 रामाधर यादव, 3. आ0-34 राजेश कुमार, 4. आ0-अशोक कुमार, 5. आ0-301 रंजीत कुमार, 6. स0अ0नि0 चंदन मांझी, 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 महादेव उरांव, सभी छिपादोहर थाना। 8. श्री चन्द्रशेखर प्र0 सिंह, परिचारी प्रवर, पु0के0, लातेहार।	1. राजू प्रसाद पे0 स्व0 भगवान प्रसाद, 2. अनिल प्रसाद पे0 विश्वनाथ साव, दोनों सा0+थाना छिपादोहर, जिला लातेहार।	
4.	लातेहार थाना कांड सं0-77/17, दिनांक-05.05.17, धारा-25(1-बी)ए0/26(2)/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-295/17	प्रा0अभि0-1. दिलीप कुमार सिंह, पे0-सुभाष सिंह, 2. अलियार सिंह, पे0-कलटु सिंह, दोनों ग्राम-घुटुआ, थाना-जिला-लातेहार	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल-01 अलियार सिंह,	सी0जी0एम 0 लातेहार		पु0अ0नि0 आलोक कुमार दुबे, लातेहार थाना	1. पु0अ0नि0 आलोक कु0 दुबे, लातेहार थाना, 2. अनु0कर्ता- स0अ0नि0 रामदेव मंडल, लातेहार, 3.आ0-1094 धनंजय पासवान, 4. आ0-1204 धर्मन्द्र कुमार, 5. आ0-1100 निलमणी पाण्डेय, 6. चौ0-01/08 ओम प्रकाश पासवान, सभी लातेहार थाना, 7. श्री चन्द्रशेखर प्र0 सिंह, परिचारी प्रवर, पु0के0, लातेहार।	1. विरेन्द्र उरांव पे0 स्व0 तेतरा उरांव, 2. मनोज मेहता पे0 स्व0 महेन्द्र मेहता, दोनों सा0 हुण्डरू, थाना+जिला लातेहार	
5.	चंदवा थाना कांड सं0-30/18 दिनांक-09.02.18 धारा-25(1-बी)	प्रा0अभि0-1. शम्स तबरेज पे0 स्व0 याशीन अंसारी, सा0 कउआखाप, थाना कुडु जिला लोहरदगा 2. मो0	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-03	ए0सी0जी0 एम0 लातेहार		स0अ0नि0 दिनेश प्रसाद सिंह पिता स्व0 राजेश्वर प्रसाद सिंह	1. वादी स0अ0नि0 विनय प्र0 सिंह, पे0 स्व0 राजेश्वर प्रसाद, सा0 नेनपुर, थाना सिमरी, बख्तियारपुर, जिला सहरसा,	-	

	ए/25(1-ए0ए0)/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0-105/18	ओवैद दुल्ला पे0 मो0 तईयब, ग्राम मुरपा थाना बालुमाथ जिला लातेहार एवं 3. मो0 शमसाद आलम, पे0 मो0 जुबेर आलम, ग्राम टुको, थाना बेड़ो, जिला राँची				ग्राम नैनपुर थाना सिमरी बख्तियारपुर जिला सहरसा बिहार, वर्तमान चंदवा थाना	2. अनु0कर्ता-स0अ0नि0 सुरेश कुमार सिंह, चंदवा थाना, 3. स0अ0नि0 नरेन्द्र शर्मा, चंदवा थाना, 4. हव0 राजेन्द्र प्रजापति, चंदवा थाना, 5. आ0-1041 चन्द्रदीप यादव 6. आ0-1057 अरविन्द कुजूर, 7. आ0-1060 राजन कुजूर, 8. आ0-436 अनिल सिंह, 8. आ0-426 रंधीर कुमार सिंह, चंदवा रिजर्व गार्ड, 9. आ0-501 साबिल खा, चंदवा रिजर्व गार्ड, 9. श्री चन्द्रशेखर प्र0 सिंह, परिचारी प्रवर, पु0के0, लातेहार।		
6.	बरवाडीह थाना कांड सं0 54/17, दिनांक-08.08.17, धारा-307/324/384 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट परिवर्तिधारा 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0-532/17	प्रा0अभि0 1.रवि सिंह उर्फ रवि कुमार सिंह, पे0 स्व0 सुनील सिंह, 2. राजन मिश्रा उर्फ राजन कुमार मिश्रा दोनो सा0 पुरानी बस्ती बरवाडीह, थाना बरवाडीह, जिला लातेहार	यह कांड रंगदारी से जुआ का पैसा लेने एवं जान मारने की नियत से गोली चलाकर जख्मी करना के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-01 राजन मिश्रा	एस0डी0जे0 एम0 लातेहार	वादी गोलू कुमार पे0 सत्येन्द्र प्रसाद, सा0 जालिम, थाना+जिला लातेहार वर्तमान पता सा0 बरवाडीह बाजार, थाना बरवाडीह, जिला लातेहार	-	1. रविरंजन पे0 गणेश प्रसाद, सा0 बरवाडीह बाजार, 2. विकास विश्वकर्मा पे0 आनन्द विश्वकर्मा, सा0 मेन रोड बरवाडीह, 3. मोती पासवान पे0 स्व0 रामलखन पासवान, सा0 पुरानी बस्ती बरवाडीह, 4. घनश्याम कु0 गुप्ता पे0 विजय प्र0 गुप्ता, सा0 बरवाडीह, 5. पिकू उर्फ विश्वदीपक कुमार, पे0 सुरेश मिश्रा, सा0 मेन रोड, बरवाडीह, 6. राजमणी प्रसाद पे0 शंभू प्रसाद, सा0	

									पुरानी बस्ती, बरवाडीह, 7. दीपलेश कुमार सिंह पे0 भगवान सिंह, सा0 बरवाडीह पुरानी बस्ती, सभी थाना बरवाडीह, जिला लातेहार।	
7.	बरवाडीह थाना कांड सं0 55/17, दिनांक-08.08. 17, धारा-25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0- 533/17	प्रा0अभि0 1. संजू सिंह उर्फ संजीव सिंह, पे0 बासुदेव सिंह, 2. विकेश सिंह उर्फ विकास सिंह, पे0 जीवन सिंह दोनो सा0 कचनपुर खड़ियाटोला, थाना बरवाडीह, जिला लातेहार	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जमा0	एस0डी0जे0 एम0 लातेहार		पु0अ0नि0 रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी बरवाडीह, जिला लातेहार	1. वादी पु0अ0नि0 रतन कुमार सिंह, 2. स0अ0नि0 मो0 अनवर, 3. हव0 प्रभु सहाय टोप्पो, 4. आ0-368 विनोद सिंह, 5. आ0-275 लक्ष्मण कान्त सुधांशु, 6. आ0-879 संतोष विश्वकर्मा, सभी बरवाडीह थाना। 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 सुबोध कुमार सिंह, बरवाडीह थाना।	1. राजेन्द्र सिंह पे0 नन्हकु सिंह 2. सुभाष राय पे0 गांधी राय, दोनों सा0 छेदा, थाना बरवाडीह, 3. जीवन सिंह पे0 रामअवतार सिंह, 4. पाण्डेय सिंह पे0 विद्या सिंह, दोनों सा0 कंचनपुर, थाना बरवाडीह।	
8.	छिपादोहर थाना कांड सं0 17/17 दिनांक 19.06. 17धारा-25(1-ब ी.)ए/26 आर्म्स एक्ट 1959 जी0आर0- 406/17	प्राथमिकी अभियुक्त अंसारी उर्फ मनीष साव उर्फ दीपक साव पे0 शेरजुदीन अंसारी, सा0 डंडीला कला, थाना रेहला, जिला पलामू।	प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा अपने घर में अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में यह कांड अंकित किया गया है।	जेल-01	एस0डी0जे0 एम0 लातेहार।		पु0अ0नि0 विनय कुमार थाना प्रभारी छिपादोहर थाना, जिला लातेहार।	1. पु0अ0नि0 विनय कुमार थाना प्रभारी छिपादोहर। 2. अनु0कर्ता0रामाशंकर उपाध्याय, छिपादोहर थाना। 3. स0अ0नि0 सदानंद कुमार छिपादोहर थाना 4. आ0-1122 प्रकाश चन्द्र पाठक 5. आ0-301 रंजित प्रसाद 6. आ0-1103 संतोषधर दूबे 7. आ0-1150 मनिष कुमार राय 8. आ0-1158 उपेन्द्र ठाकुर सभी रिजर्व गार्ड छिपादोहर थाना, 9. चालक आ0-461 विरन राम, छिपादोहर थाना 10. श्री चन्द्रशेखर प्र0	-	

								सिंह, परिचारी प्रवर, पु0के0, लातेहार।		
9.	मनिका थाना काण्ड सं0-04/18 दिनांक-09.01. 18 धारा-25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0- 34/18	प्रा0अभि0- राहुल कुमार सिंह पे0 सत्येन्द्र कु0 सिंह सा0+थाना मनिका जिला लातेहार 2. रंजन कुमार सिंह उर्फ कारु पे0 कृष्णनंदन प्र0 सिंह सा0 उरॉवटोली (मटलौंग) थाना मनिका जिला लातेहार 3. मो0 नजीमुद्दीन पे0 मो0 अब्बास मियाँ सा0 नामुदाग, थाना मनिका, जिला लातेहार	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली सहित पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-01 रंजन कुमार सिंह	ए0सी0जी0 एम0 लातेहार		पु0अ0नि0 उपेन्द्र कुमार मंडल, मनिका थाना, जिला लातेहार	1. पु0अ0नि0 उपेन्द्र कुमार मंडल, 2. पु0अ0नि0 अभय शंकर, 3. स0अ0नि0 महेन्द्र नाथ शर्मा 4. स0अ0नि0 महादेव उरांव, 5. अनु0कर्ता संतोष कुमार मिश्रा, प्र0पु0उपा0, सभी मनिका थाना। 6. श्री चन्द्रशेखर प्र0 सिंह, परिचारी प्रवर, पु0के0, लातेहार।	1. विनोद सिंह पे0 बालूमाथ सिंह, 2. राजकिशोर सिंह पे0 कान्हाई सिंह, 3. सुनिल कुमार सिंह पे0 बैजनाथ सिंह, 4. धनेश्वर सिंह पे0 गोपी सिंह, सभी सा0 माईल, थाना मनिका, जिला लातेहार।	
10.	हेरहंज थाना कांड सं0 50/15 दिनांक 14.10.2015 धारा- 25 (1-बी0) ए/26/35 आर्म्स एक्ट, 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, एवं धारा-17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0- 874/15	प्रा0अभि0 1. लालदीप गंडू, उर्फ लाला गंडू, उर्फ नंदलाल गंडू, पे0 रामलखन गंडू, सा0 बरखेता, थाना-हेरहंज, 2. मृत-शिवलाल यादव, सा0 इनातु, 3. मोहन गंडू, पे0 बांकू गंडू, 4. शंकर गंडू, 5. नेपाली गंडू, तीनों सा0 बरखेता, 6. शिकोतन गंडू, 7. विमलेश गंडू, 8. कुलेश्वर भुईयों, 9. सकेन्द्र गंडू, चारों सा0 डोडांग, सभी थाना हेरहंज जिला लातेहार	यह कांड प्रतिबंधित भा0क0पा0 माओवादी का सदस्य होना एवं अवैध आग्नेयास्त्र एवं बम बनाने वाले सामान के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जमा0	सी0जी0एम 0 लातेहार		वादी पु0अ0नि0 योगेन्द्र पासवान, थाना प्रभारी, हेरहंज जिला लातेहार।	1. पु0अ0नि0 योगेन्द्र पासवान थाना प्रभारी हेरहंज। 2. पु0अ0नि0 सुरेन्द्र कालुण्डिया, हेरहंज थाना। 3. पु0नि0 संजीव मिश्रा बालूमाथ अंचल 4. आ0 715 सत्येन्द्र प्रसाद हेरहंज थाना 5. आ0 1106 हकीम अंसारी हेरहंज थाना 6. श्री चन्द्रशेखर सिंह, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र लातेहार। 7. अनु0कर्ता स0अ0नि0 कृष्णा कुमार सिंह हेरहंज थाना।	1. यमूना गंडू, पे0 स्व0 राम किशुन गंडू, सा0 बरखेता थाना हेरहंज जिला लाते0 2. महेश राम पिता स्व0 जाथी राम, सा0 कटांग, थाना हेरहंज जिला लाते0	
11.	चंदवा थाना कांड	1.सूरज कुमार पे0 कमल लोहरा सा0	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र एवं	जेल	ए0सी0जी0 एम0		वादी पु0नि0	1. वादी पु0नि0 कमलेश्वर पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक	-	

	सं0-153/17 दिनांक-21.12.2017 धारा-25 (1-बी) ए.25(1-एए) /26 /35 आर्म्स एक्ट, 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0-900/17	हिसरी, थाना-चंदवा, जिला-लातेहार, 2. मनोज यादव पे0 स्व0 रोहन यादव, सा0 गेरेंजा, थाना-बालुमाथ जिला-लातेहार।	मोबाईल के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।		लातेहार		कमलेश्वर पाण्डेय, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी चंदवा थाना, जिला लातेहार	सह थाना प्रभारी चंदवा 2.पु0अ0नि0 संतोष कुमार सुमन 3.पु0अ0नि0 प्रभाकर मुण्डा, 4. स0अ0नि0 नरेन्द्र शर्मा 5. स0अ0नि0 सुरेश कुमार सिंह, सभी चंदवा थाना 6.चन्द्रशेखर सिंह परिचारी प्रवद पुलिस केन्द्र लातेहार। 7. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 धनंजय प्रसाद चंदवा थाना।		
12.	चंदवा थाना कांड सं0-54/16, दिनांक-18.04.16, धारा-399/402 भा0द0वि0, 25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0-104/16	1. हसमुद्दीन अंसारी उर्फ मुस्ताक अंसारी, पे0- नाफर अंसारी, सा0- फुटकलटोली, रातू 2. साबिर अंसारी, पे0- सहवान अंसारी, सा0- लुण्डरी, चान्हों 3. आन्नद गोप, पे0- स्व0 संतोष गोप, सा0- पिस्का, नगडी, कोलांबी मोड़ नगडी तीनों जिला- राँची 4. राँकी पाण्डेय, पे0- कमलेश पाण्डेय, जसपुर रोड करौंदी, गुमला एवं एक अज्ञात	यह कांड रोड डकैती की योजना बनाते समय अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-04	ए0डी0जे0-द्वितीय, लातेहार		रतन कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चंदवा, जिला-लातेहार	1. पु0अ0नि0 रतन कुमार सिंह, 2. स0अ0नि0 विनय कुमार, 3. स0अ0नि0 अशोक कुमार राय, 4. पु0अ0नि0 शमीम खॉ, चंदवा थाना, 5. आ0-185 राजु कु0 दास, 6. आ0-1230 बाबु लाल बैठा, 7. आ0-1020 संतोष दास, 8. आ0-1106 हकीम अंसारी, 9. आ0-1286 हीरा लाल उरांव, सभी चंदवा रिजर्व गार्ड, 10. श्री चन्द्रशेखर सिंह, परिचारी प्रवन्, लातेहार।	1. बालेश्वर प्रजापति पे0 किशुन प्रजापति, 2. सबलु अंसारी पे0 समसु मियां, सा0 तिलैया, दोनों सा0 लुकुईया, थाना चंदवा, जिला लातेहार,	
13.	हेरहंज थाना कांड सं0-38/17, दिनांक-05.12.17, धारा-25(1-ए0) /26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0	01. मुकेश यादव, पे0-पदेश्वर यादव, सा0-करनदाग, थाना-हेरहंज, जिला-लातेहार 02. राज कुमार यादव, पे0-बैजनाथ	यह कांड उग्रवादी संगठन बनाकर अवैध हथियार रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल-02	सी0जी0एम 0 लातेहार		वादी नौसाद आलम परिक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक -सह- थाना	1. वादी-नौशाद आलम, परिक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक- सह थाना प्रभारी, हेरहंज, 2. पु0अ0नि0 सनोज कुमार चौधरी, 3. स0अ0नि0 बृजन राम, 4. स0अ0नि0 बादल	-	

	एक्ट। जी0आर0— 856 / 17	यादव, सा0—मनसिंघा मुरपा, थाना—बालूमाथ, जिला—लातेहार					प्रभारी, हेरहंज, जिला लातेहार	हेम्ब्रम, सभी चंदवा थाना, 5. हव0—विरेन्द्र मांझी, 6. आ0—1122 प्रकाश चंद्र पाठक, 7. आ0—301 रंजीत प्रसाद, सभी रिजर्व गार्ड हेरहंज। 8. अनु0कर्ता— स0अ0नि0 मो0 नसीमुद्दीन खॉ, हेरहंज थाना।		
14.	बरवाडीह थाना कांड सं0 40 / 16 दिनांक 05.07. 2016 धारा—25(1—बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0— 771 / 16	1. बीरु भूर्इयों पे0 रामजतन भूर्इयों सा0 खुरा, 2. मनोज भूर्इयों पे0 बैजनाथ भूर्इयों सा0 खड़िया दोनो थाना बरवाडीह जिला लातेहार	प्राथमिकी अभियुक्तों के घर से अवैध आग्नेयास्त्र बरामद होने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल	एस0डी0जे0 एम0, लातेहार		स0अ0नि0 लक्ष्मण प्रसाद बैठा, बरवाडीह थाना जिला लातेहार	1. वादी स0अ0नि0 लक्ष्मण बैठा बरवाडीह थाना 2. अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 अनिल कु0 पाण्डेय 3. आ0 839 नरुला टुडू 4. आ0—713 धनेश्वर सिंह 5. आ0—538 विजय किशोर भगत 6. आ0 बालेश्वर गंझू 7. गृह रक्षक चालक अशाोक कुमार तिवारी 8. परिचारी प्रवर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह	1. हुलास सिंह पे0 राम खेलावन सिंह, 2. अवधेश कु0 मेहरा पे0 बौध राम दोनो सा0 लंका, थाना बरवाडीह, जिला लातेहार 3. उपेन्द्र कु0 पासवान पे0 राम सागर राम, 4. सुमेश्वर राम पे0 गनौरी राम, 5. विद्यानंद तिवारी पे0 नन्दकिशोर तिवारी तीनो सा0 खूर्पा थाना बरवाडीह जिला लातेहार।	
15.	चंदवा थाना कांड 178 / 13, दिनांक 24.11. 13 धारा 25(1—बी)ए / 26 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0— 773 / 13	उमेश यादव उर्फ रौशन यादव पिता मुनेश यादव, सा0 सिकनी, थाना लावालौंग, जिला चतरा	प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल—01	ए0सी0जी0ए म0, लातेहार		पु0अ0नि0 राजेश मंडल, थाना प्रभारी पांकी, जिला पलामू	1. वादी पु0अ0नि0 रामेश मंडल थाना प्रभारी पांकी। 2. अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 नागेन्द्र ओझा चंदवा थाना। 3. स0अ0नि0 रामबालक सोरेन, पांकी थाना 4. स0अ0नि0 विजय कुमार सिंह पांकी थाना 5. स0अ0नि0 विनोद मुर्मू पांकी थाना सभी पलामू जिला। 6. स0अ0नि0 गोपाल	1. केतन गुप्ता पिता योगेन्द्र गुप्ता, थाना टोली, थाना चंदवा 2. दीपक कुमार सिंह पिता लक्ष्मण प्रसाद सा0 आन, थाना चंदवा 3. सत्येन्द्र कुमार पे0 कमलदेव सा0 मेन रोड चंदवा	

								यादव चंदवा थाना जिला लातेहार। 7. परिचारी प्रवर तुषारकान्त झार पलामू।		
16.	बालूमाथ थाना कांड सं0 33/16 दिनांक 03.03.2016 धारा-384/386 भा0द0वि0 25(1-बी)ए0/26/35 आर्म्स एक्ट, 17 सी0 एल0 ए0 एक्ट, एवं 72(ए) आई0 टी0 एक्ट। एस0टी0-100/17	1. बबलू यादव उर्फ बबलू जी, उर्फ प्रभात जी उर्फ अनिल जी, पे0-भवानी यादव, सा0-पुण्डुरलावा, 2. मिथलेश राणा, पे0-स्व0 लूटन राणा, सा0-सेरेगढ़ा, 3. महेन्द्र उरॉव, पे0-मंगरू उरॉव, 4. फूलदेव लोहार, पे0-स्व0 चैता लोहार, 5. किशन लोहार, पे0-चरका लोहार तीनों सा0-जाला, सभी थाना बालूमाथ, जिला लातेहार	प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा झारखंड संघर्ष जनमुक्ति के नाम से मोबाइल द्वारा टिकेदार को लेवी के लिये धमकी देने एवं अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	अभियुक्त फूलदेव लोहरा जेल में।	ए0डी0जे0-प्रथम लातेहार		पु0अ0नि0 अजय कुमार, थाना प्रभारी, बालूमाथ, जिला लातेहार	1. पु0अ0नि0 अजय कुमार थाना प्रभारी बालूमाथ। 2. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 राकेश मुण्डा बालूमाथ थाना। 3. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 विनय कुमार 4. आ0-356 अजय कुमार 5. स0अ0नि0 मिथलेश सिंह 6. स0अ0नि0 हंसदेव पाहन 7. आ0-916 मिथिलेश कु0 पाण्डेय। 8. आ0-362 पंकज कु0 मिश्रा 9. आ0-1150 सुमित कुमार 10. आ0-1103 संतोषध दूबे। 11. चन्द्रशेख प्रसाद सिंह परिचारी प्रवर लातेहार	-	
17.	चंदवा थाना कांड सं0 34/14 दिनांक 28.03.2014 धारा 25(1-ए)/26 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0-198/14	प्यारी वरण सिंह पिता बंधन सिंह, सा0 चेटर, थाना चंदवा, जिला लातेहार।	प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा अपने घर में अवैध आग्नेयास्त्र रखना एवं पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल	ए0सी0जी0ए0 मा लातेहार।		पु0अ0नि0 मिथिलेश कुमार सिंह, चंदवा थाना जिला लातेहार।	1. वादी मिथिलेश कु0 सिंह चंदवा थाना। 2. अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 नागेन्द्र ओझा चंदवा। 3. प्रशिक्षू पु0अ0नि0 सुभाष कुमार 4. चा0पु0-734 कृष्ण कु0 मेहता 5. आ0-634 आशोक कु0 सिंह 6. आ0-322 मुकेश कुमार 7. आ0-1321 गौतम पासवान 8. आ0-501 आनंद रजवार 9. आ0.....विजय कुमार	1. रामनारायण सिंह पे0 दिवान सिंह, 2. आलिया गंजू पे0 स्व0 नारायण गंजू 3. बबलू बैठा पे0 गोविन्द बैठा 4. युगेश्वर साह पे0 स्व0 गणेश साह 5. सुरेश बैठा पे0 गोविन्द बैठा 6. शंकर सिंह पे0 स्व0 जितू सिंह सभी सा0 चेटर, थाना चंदवा जिला लातेहार।	

								10 श्री चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह परिचारी प्रवर 11. पु0अ0नि0 वेकेटेश प्रसाद थाना प्रभारी लातेहार।		
18.	चंदवा थाना कांड सं0-118/15 दि0-06.07.15 धारा-25(1-बी) ए26/35 आर्म्स एक्ट।	प्रा0अभि0 1. निरज कुमार दुबे उर्फ सोनू दूबे 2. भास्कर कुमार चौहान 3. मो0 आजाद उर्फ चंदन पासवान	यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र के सागि रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल			पु0अ0नि0 रतन कुमार सिंह, चंदवा थाना, जिला लातेहार।	1. पु0अ0नि0 रतन कुमार सिंह, चंदवा थाना 2. पु0अ0नि0 अजय कुमार, बालूमाथ थाना, 3. पु0नि0 रमेश कुमार सिंह, लातेहार थाना। 4. स0अ0नि0 विनय कुमार सिंह, चंदवा थाना, 5. आ0-06 साकेश कुमार सिंह, 6. आ0-495 उपेन्द्र कु0 सिंह, 7. आ0-1130 रामकिशुन यादव, 8. आ0-127 सजीव राम, 9. परिचारी प्रवर चंद्रशेखर सिंह, 10. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 नागेन्द्र प्र0 सिन्हा	1. मो0 नसीम आलम पे0 हसीम अंसारी, 2. आलमगीर खान पे0 महमूद खान, दोनों सा0 तिलैयाटांड, थाना चंदवा, 3. मुन्ना उरांव पे0 जुगेश्वर उरांव, सा0 जबरा, हरैयाखूर्द, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 4. प्रदीप कुमार सिंह पे0 कामता सिंह, सा0 मेहरा, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू, 5. सुमेश कुमार केसरी, पे0 शत्रुघन केसरी, सा0 मुरारपुर, हाजरा, थाना+जिला अरबल (बिहार)	
19.	बालूमाथ थाना कांड सं0 134/15 दिनांक 13.10.15 धारा-25(1-बी0)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।	1. रंजीत कु0 विश्वकर्मा, सा0 सेहटा, थाना लावालौंग, जिला-चतरा, 2. अजय यादव, पिता-यमुना यादव, सा0 तितलंगी लोहरसी, थाना पिपराटॉड, एवं 3. गालिब अंसारी,	प्राथमिकी अभियुक्त अवैध देशी हथियार एवं गोली तथा काले रंग के टी0भी0एस0 अपाची मोटर साईकल रजिस्ट्रेशन नं0- JH-03D-1919 के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल			पु0अ0नि0 राकेश कुमार मुण्डा, बालूमाथ थाना, जिला लातेहार।	1. पु0अ0नि0 राकेश कुमार मुण्डा, बालूमाथ थाना। 2. स0अ0नि0 धनश्याम पासवान बालूमाथ थाना। 3. आ0-1150 सुमीत कुमार 4. आ0-50 राजेन्द्र रजक 5. आ0-1219 शंभु सिंह 6. आ0-1071 थोमस कच्छप	-	

		पिता—मेराजुदीन अंसारी, सा0 तितलंगी, लोहरसी, थाना—पिपराटॉड, दोनो जिला पलामू						7. श्री चन्द्रशेख सिंह परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र लातेहार।		
20.	बालूमाथ थाना कांड सं0 174/17 दि0 07.12.17 धारा 302 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट	अप्रा0अभि0 1. मुंशी साव पे0 नेमधारी, सा0 गाडी, बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार 2. बिगन साव पे0 स्व0 तपेश्वर साव, सा0 डाढ़ा, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार 3. बिक्की राम उर्फ विक्की कुमार रवि, सा0 कसमार, थाना हेरहंज, जिला लातेहार 4. केशव साव उर्फ केसो पे0 सीलमुनी साव, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार 5. गोविन्द राम पे0 रंजीत राम, सा0 लाटु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार।	यह कांड अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा गोली मारकर हत्या करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल—03			वादी अवध प्रसाद पे0 श्री बंशी साव, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार।	—	1. अवध प्रसाद पे0 श्री बंशी साव, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 2. बजरंग प्रसाद पे0 स्व0 रामजी प्रसाद, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 3. अशोक प्रसाद, पे0 श्री लालदेव प्रसाद साहु, सा0 मनातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 4. शशि कुमार पे0 श्री जगदीश प्रसाद साहु, सा0 मनातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 5. पुष्पा देवी पति मृतक मुरारी प्रसाद साहु, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 6. संजय पवन प्रसाद पे0 स्व0 अनुरुद्ध साव, सा0 बारियातु, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार,	
21.	महुआडांड थाना कांड सं0—27/17,	1. इशदोर बड़ाईक, पिता भुखन बड़ाईक, 2.	यह कांड हत्या करने के आरोप में	जेल	एस0डी0जे0 एम0 लातेहार		वादी सुनमैत देवी, पति	1. डॉ0 जे0 अहमद मेडिकल ऑफिसर सदर अस्पताल लातेहार	1. वादी सुनमैत देवी, पति स्व0 बालेश्वर मुण्डा, ग्राम चम्पा	

	दिनांक-08.08.17, धारा-302/109 भा0द0वि0। जी0आर0- 535/17	लेबदु बैगा, पिता दुःखु बैगा, दोनो सा0 चम्पा (नावाटोली), थाना महुआडॉड, जिला लातेहार	प्रतिवेदित हुआ है।				स्व0 बालेश्वर मुण्डा, ग्राम चम्पा (नावाटोली), थाना महुआडॉड, जिला लातेहार	2. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 सुजित कुमार महुआडॉड थाना। 3. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 राकेश मुण्डा।	(नावाटोली), थाना महुआडॉड, जिला लातेहार 2. हेमानी कुमारी, पिता स्व0 बालकेश्व मुण्डा, सा0 चम्पा, नावाटोली, थाना महुआडॉड। 3. संजीव लकडा पे0 स्व0 वाल्टर लकडा, सा0 चम्पा, थाना महुआडॉड 4. जीवन लाल गयार, पिता बुटलु गयार, सा0 चम्पा, थाना बरवाडीह, जिला लातेहार 5. दुबराज पैकरा, पिता स्व0 लिखन पैकरा, सा0 चम्पा, नवाटोली, थाना महुआडॉड, जिला लातेहार। 6. ललीता उरॉव, पति भुनेश्वर उरॉव, सा0 चम्पा, नवाटोली, थाना महुआडॉड जिला लातेहार 7. जागेश्वर मुण्डा, पे0 मूटका मुण्डा, 8. हुलाश मुण्डा, पे0 स्व0 भुखू मुण्डा,	
22	बालूमाथ थाना कांड सं0-42/16 दि0-18.03.16 धारा 302/201/34 भा0द0वि0।	प्रा0अभि0 1. मिथिलेश प्रसाद साहू पे0 रघु साव, सा0 झाबर, 2. मनोज कुमार साहु पे0 स्व0 मुंशी साहु, सा0 झाबर 3. अवधेश साव पे0 लखन साव,	यह कांड प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त विनोद प्रजापति एवं अज्ञात 3-4 के विरुद्ध एकमत होकर गर्दन में रस्सी बाँधकर शव छिपाने के नियत से जंगल के पेड़ में लटका देने	जेल			वादी-मो0 निजामुद्दीन पे0 रहमत अल्ला मियां, सा0 कामता, थाना टंडवा, जिला चतरा,	-	1. वादी-मो0 निजामुद्दीन पे0 रहमत अल्ला मियां, सा0 कामता, थाना टंडवा, जिला चतरा, 2. आजाद खान पे0 जालीम खान, सा0 आराहारा, थाना हेरहंज, जिला	

		सा० इचाक, 4. मनोज साहु पे० स्व० निरसिंह साहु, सा० झाबर, 5. प्रमोद साहु पे० भुनेश्वर साहु, सा० झाबर, 6. अरूण साव पे० भुनेश्वर साव, सा० टमटमटोला, 7. सहदेव सोनी पे० हरिभन सोनी, 8. विशाल तिवारी पे० गजबदन तिवारी, सा० झाबर, सभी थाना बालूमाथ, जिला लातेहार।	के आरोप में प्रतिवेदित है।						लातेहार, 3. सैरा बीबी पति स्व० मजलूम अंसारी, सा० नवादा, वर्तमान सा० डुमरटांड, थाना हेरहंज, जिला लातेहार 4. विशुनदेव उरांव पे० स्व० रति उरांव, सा० बनियो थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 5. शंकर उरांव पे० कुलेश्वर उरांव, सा० दिरीदाग डाईन टोला, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार, 6. मो० मनोबर अंसारी, पे० इब्राहिम मिया, सा० नवादा, थाना हेरहंज, जिला लातेहार, 7. मो० अफजल अंसारी पे० इब्राहिम मिया, सा० नवादा, थाना हेरहंज, जिला लातेहार,	
23.	मनिका थाना कांड सं० 34 / 17, दिनांक-26.05.17, धारा-363 / 376 (g) / 34 भा०द०वि०। जी०आर०-349 / 17	अप्रा०अभि०-1. नन्दकिशोर सिंह, पे० बिहारी सिंह, 2. रामसहाय सिंह पे० मुशी सिंह, 3. बंगाली कुमार सिंह पे० माना सिंह तीनों सा० एजामाड़, थाना मनिका, जिला लातेहार	यह कांड अप्रा०अभि० द्वारा अपहरण कर जंगल में ले जाकर सामुहिक रूप से बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल-03	ए०सी०जी०ए म० लातेहार	पातो कुमारी पे० विपत भूर्इया, सा० हेहेगढ़ा, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार	1. अनु०कर्ता पु०अ०नि० हरनारायण साह 2. डॉ० धर्मशीला चौधरी, सदर अस्पताल लातेहार	1. वादिनी पातो कुमारी पे० विपत भूर्इया, सा० हेहेगढ़ा, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार 2. विपत भूर्इया पे० स्व० महादेव भूर्इयां 3. आरती देवी पति विपत भूर्इयां, दोनो पता-हेहेगढ़ा, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार, 4. निरज कुमार सिंह पे० बिहारी सिंह,		

									5. सुनिल कुमार सिंह पे0 हलकान सिंह, दोनों सा0 एकामाड़, थाना मनिका, जिला लातेहार,	
24.	छिपादोहर थाना कांड सं0 08/17, दिनांक-01.04.17, धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट 2012 पोक्सो-05/17	प्रा0अभि0-1. चन्द्रदेव सिंह, पे0 विशुनदेव सिंह, सा0 हरातु, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार	यह कांड नाबालिग लड़की (वादिनी) के साथ बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल-01	ए0डी0जे0-प्रथम लातेहार	मानती कुमारी उम्र करीब 13 वर्ष, पे0 सोहन भूईयां सा0 हरातु थाना छिपादोहर, जिला लातेहार	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 विनय कुमार, छिपादोहर थाना। 2. डॉ0 दीपशीखा, 3. डॉ0 नीलमणी 4. डॉ0 दयानन्द सरस्वती	1. मानती कुमारी पे0 सोहन भूईयां 2. कुनिता देवी पति सहेन्द्र भूईयां 3. सुरेन्द्र भूईयां पिता सोहन भूईयां 4. विफनी देवी पति सोहन भूईयां, 5. नन्दु साव, पे0 स्व0 फौदारी सिंह, 6. सोहन भुईयां पे0 स्व0 पूरण भूईयां, 7. युगल किशोर प्रसाद पे0 स्व0 नागेश्वर प्रसाद, सभी सा0 हरातु, थाना छिपादोहर, जिला लातेहार।		
25.	चंदवा थाना कांड सं0 02/18 दिनांक 02.01.18 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4/8 पोक्सो एक्ट। पोक्सो-01/18	प्रा0अभि0-माहिर अंसारी, पिता हासिम अंसारी, सा0 चकला, थाना चंदवा, जिला लातेहार	यह कांड वादी की पुत्री शम्मा प्रवीण उम्र 07 वर्ष के साथ झाड़ी में ले जाकर बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जमा0	ए0डी0जे0-प्रथम, लातेहार	मण्टु मियाँ, पिता स्व0 जमाल मियाँ, सा0, चकला, थाना चंदवा, जिला लातेहार	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 प्रभाकर मुण्डा,	1. वादी मण्टु मियाँ पिता स्व0 जमाल मियाँ, 2. मिस्टर मिया पे0 शेखावत मियां 3. रूबी बीबी पति मण्टु मियां, 4. रबीना खातून पे0 स्व0 जमान मियां 5. जितेन्द्र पासवान पे0 बालगोविन्द पासवान, सभी सा0 चकला, थाना चंदवा, जिला लातेहार।		
26	महुआडांड थाना कांड सं-01/18 दि0 02.01.18 धारा	प्रा0अभि0 1. समीर लकड़ा पे0 सुशील लकड़ा सा0 चटकपुर, थाना	यह कांड बलात्कार कर हत्या कर लाश को छिपाने की नियत से कुँआ में	जेल-01	एस0डी0जे0 एम0 लातेहार	संजीव कुजूर पे0 स्व0 फुलेमान	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 सुरेश मुण्डा, 2. डॉ0 लक्ष्मण प्रसाद, 3. डॉ0 धर्मशीला चौधरी,	1. संजीव कुजूर पे0 स्व0 फुलेमान कुजूर, 2. रानी कुजूर पति	1	

	376(C)/302/201/34 भा0द0वि0। जी0आर0-08/18	महुआडांड, जिला लातेहार।	फेक देना।				कुजूर, सा0 चटकपुर, थाना महुआडांड, जिला लातेहार।	4. डॉ0 नीलमणी कुमार, तीनों सदर अस्पताल लातेहार।	स्व0 डोविड कुजूर, 3. अंकुश महली पे0 राजेन्द्र महली, 4. अनूप कुजूर पे0 स्व0 रिडोल कुजूर, सभी सा0 चटकपुर, थाना महुआडांड, जिला लातेहार,	
27.	बालूमाथ थाना कांड सं0-129/15, दिनांक-08.10.15, धारा-395/412/120बी भा0द0वि0 एस0टी0नं0. 23/16	1. बबलू कु0 यादव, पिता-पन्नू यादव, सा0-शेरेगढ़ा 2. राज कुमार यादव, पिता-श्री बैधनाथ यादव 3. सुरेन्द्र कुमार यादव, पिता-मनु यादव 4. सकीन्द्र यादव, पिता-चेत लाल यादव 5. अजय यादव, पिता-सन्त कु0 यादव 6. रितेश यादव, पिता-चरकु यादव 7. रामकृत यादव, पिता-विशुन यादव सभी साकिनान-मानसिंघा, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार एवं 8. निरज कु0 सिंह, पिता-स्व0 देवेन्द्र कु0 सिंह, सा0-सिलीदागबाना रमन, जिला-गढ़वा 9. अभय कु0 सिंह, पिता-श्याम सुन्दर सिंह, सा0-रपुरा, थाना- भवनाथपुर, जिला- गढ़वा एवं	यह कांड योजना बना कर हाईवा ट्रक को लूट कर ले जाने के कम पकड़े जाने तथा लूटे गये ट्रक को बरामद करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल-01 सकीन्द्र यादव,	ए0डी0जे0-द्वितीय, लातेहार		पु0अ0नि0 अजय कुमार, थाना प्रभारी, बालूमाथ, जिला लातेहार	1. वादी पु0अ0नि0 अजय कुमार थाना प्रभारी बालूमाथ। 2. आ0 981 हलधर उरॉव रिजर्व गार्ड बालूमाथ थाना। 3. आ0 1071 थॉमस कच्छप, रिजर्व गार्ड बालूमाथ थाना। 4. आ0 1150 सुमीत कुमार रिजर्व गार्ड बालूमाथ थाना। 5. आ0 50 राजेन्द्र रजक रिजर्व गार्ड बालूमाथ थाना। 6. अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 राकेश मुण्डा, थाना बालूमाथ।	1. सुनिल प्रजापति पे0 तुलसी प्रजापति, सा0 आसेहार, थाना पॉकी, जिला पलामू। 2. द्वारिका प्रजापति पे0 श्यामलाल प्रजापति, खलासी, सा0 गडगोमा, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार। 3. रामेश्वर प्रजापति, पे0 श्यामलाल प्रजापति, सा0 गडगोमा, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार।	

		10. बादल गोप उर्फ अभय जी सा0— केरी, थाना— बालूमाथ, जिला—लातेहार।								
28	मनिका थाना कांड 13/16 दिनांक 26.02.16 धारा—384 भा0द0वि0 3/4 वि0पदा0अधि0 एवं धारा—17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0—119/16	1. संतोष सिंह, पे0—स्व0 नन्हक सिंह, विशुनबांध टोला, खिराखांड, 2. गोविन्द सिंह, पिता— सहदेव सिंह, सा0 — मटलौंग टोला, तेतरियाखांड दोनो थाना मनिका जिला लातेहार।	यह कांड माओवादी उग्रवादी के समर्थक के रूप में काम करने, आई0ई0डी0 (प्रेसर कुकर बम) एवं खाने पीने का सामग्री के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल	ए0सी0जी0 एम0 लातेहार	वादी गुलाम रब्बानी खों, थाना प्रभारी मनिका, जिला लातेहार	1. वादी पु0अ0नि0 गुलाब रब्बानी खों थाना प्रभारी मनिका। 2. आ0—234 राजीव कुमार, 3. आ0—723 मोहन सिंह 4. आ0—1444मो0 नसीम सभी झारखंड जगुआर। 5. आ01117 सोना पासवान 6. आ01008 राजेन्द्र प्रसाद 7. आ0 238 अनिल कुमार सभी रिजर्व गार्ड मनिका थाना। 8. पु0अ0नि0 गुलशन भेंगरा, 9. स0अ0नि0 शनि उरॉव दोनो झारखंड जगुआर। 10 अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 सुभाष कुमार पासवान मनिका थाना।	—		
29	चंदवा थाना कांड सं0—25/17 दिनांक—04.03.17 धारा—17/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट। एन0डी0पी0एस0 — 09/17	1. मनोज उरॉव पे0 राजू उरॉव, 2. सुरेश उरॉव पे0 स्व0 चन्दु उर्फ चन्दरू उरॉव, 3. सलखु उरॉव पे0 स्व0 रूपन उरॉव, तीनों सा0 मारंगलुईया, थाना बालूमाथ, जिला लातेहार	यह कांड अवैध पोस्ता की खेती करने के आरोप में प्रतिवेदित किया गया है।	जेल—03	पी0एस0जे0 , लातेहार	पुलिस निरीक्षक कमलेश्वर पाण्डेय, थाना प्रभारी चंदवा	1. वादी—कमलेश्वर पाण्डेय पे0 श्री कामता पाण्डेय, पु0नि0—सह—थाना प्रभारी, चंदवा, 2. पु0अ0नि0 प्रभाकर मुण्डा, 3. स0अ0नि0 नरेन्द्र शर्मा, 4. स0अ0नि0 सुरेश कुमार, 5. आ0—16 अभय कुमार, सभी चंदवा थाना, 6. पु0अ0नि0 संतोष कुमार सुमन, चंदवा थाना।	—		
30.	लातेहार थाना कांड सं0—36/17 दिनांक—04.03.	1. जितेन्द्र सिंह पे0 गंगा सिंह सा0—मंगरा, 2. धर्मेन्द्र प्रसाद पे0	यह कांड वादी स0अ0नि0 रामशरणागत सिंह, लातेहार थाना के			स0अ0नि0 रामशरणागत सिंह, थाना+जिला	1.श्री रामशरणागत सिंह, पे0 स्व0 राम सेवक सिंह, स0अ0नि0 लातेहार। 2. पचरतन यादव, पे0	1 विरेन्द्र टाना भगत, पे0 जमादार टाना भगत, सा0 करमाटी,		

	<p>17 धारा-379 / 411 / 413 / 34 भा0द0वि0, 4 / 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधि0-1957</p>	<p>शंकर साव ग्राम-मुरूप, 3. सुरेन्द्र उरॉव, पे0 कलेश्वर उरॉव, सा0 विछियाटोगरी, 4. सुदेश प्रसाद उर्फ राधे प्रसाद, पे0 सीताराम साव, सा0 कटहल टोला, 5. मुमताज अंसारी, पे0 मदीन मियाँ, ग्राम चिलविलियाटॉड, 6. विनोद सिंह, पे0 शिव सिंह, सा0 नवाडीह, 7. मोतिकुर रहमान उर्फ डाक्टर पे0 स्व0 आकुब मियाँ, 8. रिजाउल आलम, पे0 स्व0 आकुल मियाँ, 9. अतिकुर रहमान, पे0 स्व0 आयुब मियाँ, 10. राज नसीम मियाँ, चारो सा0 डिही, 11. सुमेज उरॉव, पे0 बासुदेव उरॉव, सा0 करमाडीह, 12. मोजीकुर रहमान एवं अप्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र साव, पे0 स्व0 बिहारी साव, सा0 कटहल टोला, थाना जिला लातेहार।</p>	<p>लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त एवं अज्ञात के विरुद्ध अवैध कोयला उत्खनन करने एवं वयापार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>				<p>लातेहार।</p>	<p>स्व0 छपीत राम स0अ0नि0 पैथर बल थाना+जिला लातेहार। 3.आ0 363 दमोदर कुमार राय, पैथर थाना+जिला लातेहार। 4.आ0 1204 धर्मन्द कुमार पे0 सुदेश्वर नन्दराम, पैथर थाना+जिला लातेहार। 5.आ0 201 राकेश कुमार धीरज, पे0 राम नरेश सिंह, पैथर थाना+जिला लातेहार। 6.ह0 संतोष कुमार सिंह, पैथर थाना+जिला लातेहार। 7.स0अ0नि0 राम बदन सिंह थाना लातेहार। 8.अनु0कर्ता0 करुण सिंह, थाना+जिला लातेहार।</p>	<p>थाना+जिला लातेहार। 2.मंगल देव उरॉव, पे0 श्री बीरा उरॉव, सा0 विधिमा टुंगरी, थाना+जिला लातेहार। 3.प्यारी उरॉव, पिता स्व0 विलड़ा उरॉव, सा0 लुटी थाना+जिला लातेहार।</p>	
--	--	---	---	--	--	--	-----------------	--	--	--

पत्रांक.....597...../अप0शा0,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लोहरदगा।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
लोहरदगा।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

लोहरदगा, दिनांक— 09 .05.2018

प्रसंग:— भवदीय का कार्यालय ज्ञापांक—173/गो0, दिनांक—03.05.2018

विषय:— माननीय मुख्य न्यायाधीष, झारखण्ड उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में 20 काण्डों का त्वरित विचारण के संबंध में।

.....

महाषय,

उपर्युक्त प्रसगाधीन विषय संबंध में सूचित करना है कि प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराये जाने हेतु चयनित 20(बीस) काण्डों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची में अंकित काण्डों को त्वरित विचारण की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:—यथोपरि।

वि ष वा स भा ज न,

पुलिस अधीक्षक,
लोहरदगा।

प्रतिलिपि:— 1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, द0छो0 क्षेत्र, राँची को कृपया सूचनाार्थ।

पुलिस अधीक्षक,
लोहरदगा।

लोहरदगा जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 18 कांडों की सूची

क्र० सं०	कांड संख्या / तिथि / धारा / GR/ST No	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार / बेल	न्या० का नाम	पी०पी०/ए०पी० का नाम एवं मो० नं०	वादी का नाम पता	सरकारी गवाह / अनु०कर्ता / चिकित्सक / विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो० सं०	आम गवाहों का नाम पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	कैरो थाना कांड सं०-44 / 17, दिनांक-31.12.17, धारा-376 / 511 भा०द०वि० एवं 8 पोक्सो एक्ट GR No- 01/18 Posco 04/18	प्रा०अभि० राजकुमार उराँव पिता स्व० सोमरा उराँव, सा० खारुमाटु, थाना भण्डरा, जिला लोहरदगा।	यह कांड वादिनी पुनम देवी (उम्र 27 वर्ष) पति धनेष नायक, सा० नरौली, थाना कैरो, जिला लोहरदगा के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा०अभि० राजकुमार उराँव पिता स्व० सोमरा उराँव, सा० खारुमाटु, थाना भण्डरा, जिला लोहरदगा के विरुद्ध वादिनी की नावालिग लड़की आकांक्षा कुमारी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के प्रयास के आरोप में दर्ज किया गया है।	प्रा०अभि० राजकुमार उराँव पिता स्व० सोमरा उराँव, सा० खारुमाटु, थाना भण्डरा, जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर दिनांक- 02.01.2018 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	ए०डी०जे०- प्रथम	ए०पी०पी० श्री सतीष कुमार सिन्हा, मो०नं० 8294579532	वादिनी पुनम देवी (उम्र 27 वर्ष) पति धनेष नायक, सा० नरौली, थाना कैरो, जिला लोहरदगा।	1.अनु०कर्ता स०अ०नि० शिवनन्दन दास, कैरो थाना, जिला लोहरदगा।	1.वादिनी पुनम देवी पति धनेष नायक, मो० नं०- 7091570463 2.धनेष नायक पिता भूखला नायक मो० नं०- 7091570463 3.बलराम साहु पिता श्री राम सुन्दर साहु मो० नं०- 9693497396, 4.अकांक्षा कुमारी पिता श्री धनेष नायक, 5.सुनील उराँव पिता श्री मंगरा उराँव, मो० नं०- 8084733852 6.बलराम साहु पिता श्री राम सुन्दर साहु, सभी सा० नरौली थाना कैरो जिला लोहरदगा।	
2	लोहरदगा थाना कांड सं०- 209 / 2017, दिनांक-02.11.2017, धारा- 304(बी) भा०द०वि० ST. No- 10/18	प्रा०अभि० विनोद साहु पिता झलकू साहु सा० निगनी कुम्बाटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी पलटन साहु पिता स्व० चन्दर साहु सा० षिलाफारी हुण्डाटोली, थाना एवं जिला गुमला के फर्दबयान के आधार पर प्रा०अभि० विनोद साहु पिता झलकू साहु सा० निगनी कुम्बाटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा के विरुद्ध दहेज के लिए हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	प्रा०अभि० विनोद साहु पिता झलकू साहु सा० निगनी कुम्बाटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर दिनांक-02.11.17 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	ए०डी०जे०- प्रथम	ए०पी०पी० श्री सतीष कुमार सिन्हा, मो०नं० 8294579532	वादी पलटन साहु पिता स्व० चन्दर साहु सा० षिलाफारी हुण्डाटोली, थाना एवं जिला गुमला।	1.अनु०कर्ता पु०अ०नि० उमापंकर सिंह, लोहरदगा थाना।	1.वादी पलटन साहु पिता स्व० चन्दर साहु, मो० नं०- 2.दुर्गा साहु पिता पलटु साहु, दोनों सा० षिलाफारी हुण्डाटोली, थाना एवं जिला गुमला, 3.दिनेष साहु पिता जगेश्वर साहु सा० निगनी उपर टोली, थाना एवं जिला लोहरदगा, 4.सचिन साहु पिता रामबृक्ष साहु, सा० निगनी कुम्बाटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।	
3	कुडू थाना कांड सं०-33 / 18, दिनांक-26.02.	प्रा०अभि० राम प्रसाद उराँव पिता स्व० चुलो उराँव सा०	यह कांड वादिनी बसन्ती उराँव उम्र 30 वर्ष पति श्री राम प्रसाद उराँव सा०	प्रा०अभि० राम प्रसाद उराँव पिता स्व० चुलो उराँव	ए०सी०जे०एम०	ए०पी०पी० श्री सिद्धार्थ कुमार सिंह, मो० नं०	वादिनी बसन्ती उराँव उम्र 30 वर्ष पति श्री राम प्रसाद	1.अनु०कर्ता पु०अ०नि० सुधीर प्रसार साहु, थाना प्रभारी कुडू थाना।	1.वादिनी बसन्ती उराँव पति श्री राम प्रसाद उराँव, मो० नं०- 2.बनवारी उराँव पिता स्व०	

	18,धारा-302 भा0द0वि0। जी0आर0नं0 146 / 18	बड़मारा घाटी टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा।	बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा के फदब्यान के आधार पर प्राथ0 अभि0 राम प्रसाद उरांव पिता स्व0 चुलो उरांव ग्राम बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा के विरुद्ध हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	ग्राम बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर दिनांक-27.02.18 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।		93043862	उरांव सा0 बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा।		चुलो उरांव ग्राम बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा, मो0 नं0-3.सुनील उरांव पिता बनवारी उरांव, 4.मोती उरांव पति हरि उरांव, 5.बिरसी उरांव पति विगु उरांव, 6.अनुप उरांव पे0 राम प्रसाद उरांव, 7.सुरेश भगत पे0 चरवा भगत, सभी सा0 बड़मारा घाटी टोली थाना कुडू जिला लोहरदगा, 8.ज्योतीष पे0 स्व0 राम उरांव, 9.ब्रजेश कुमार शाही पे0 सुरसेन शाही, मो0 नं0- 7631146852 दोनों ग्राम बड़मारा थाना कुडू जिला लोहरदगा।	
4	कैरो थाना कांड सं0-29 / 17,दिनांक-30.08.17, धारा-461 / 379 भा0द0वि0। एस0टी0नं0 27 / 15	अप्राथ0 अभि0 1. कलाम अंसारी पे0 महमुदीन अंसारी, 2. हसीब अंसारी पे0 गुलाम रसुल अंसारी, 3.नौसाद अंसारी पे0 शरीफ अंसारी, 4. इरसाद अंसारी पे0 सहमुदीन अंसारी, 5. तबरेज अंसारी पे0 हबीब अंसारी सभी सा0 गजनी थाना कैरो जिला लोहरदगा।	यह कांड वादिनी सुष्मा शांति लता डांग उम्र 44 वर्ष पति तिनित्युस मिंज सा0 कैरो पतराटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध स्कूल का ताला तोड़कर स्कूल में रखे 1. मोनिट-04 पीस, 2.थीन क्लार्ईट-04 पीस, 3.की बोर्ड-04 पीस, 4. माउस-04 पीस, 5.हार्ड डिस्क 1 TB-01 पीस, 6.स्पीकर-02 पीस एवं 7. माउस पैड 04 पीस की चोरी करने के आरोप में अंकित किया गया है।	अप्राथ0 अभि0 1. कलाम अंसारी पे0 महमुदीन अंसारी, 2. हसीब अंसारी पे0 गुलाम रसुल अंसारी, 3.नौसाद अंसारी पे0 शरीफ अंसारी, 4.इरसाद अंसारी पे0 सहमुदीन अंसारी, 5. तबरेज अंसारी पे0 हबीब अंसारी सभी सा0 गजनी थाना कैरो जिला लोहरदगा को दिनांक-04.09.2017 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	पी0डी0एस0जे0	पी0पी0 श्री मिथलेश कुमार तिवारी, मो0नं0 9430190704	वादिनी सुष्मा शांति लता डांग उम्र 44 वर्ष पति तिनित्युस मिंज सा0 कैरो पतराटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।	1. अनु0कर्ता स0अ0नि0 श्रीमन नारायण मिश्रा, कैरो थाना जिला लोहरदगा,	1.वादिनी सुष्मा शांति लता डांग पति तिनित्युस मिंज सा0 कैरो पतराटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा, मो0 नं0-9430143848, 2.पंकज कुमार पे0 मुकुन्द मिस्त्री ग्राम जीमा, मो0 9955643548, 3.अभय उरांव पे0 चिलगु उरांव ग्राम देवालाल दोनों थाना कुडू जिला लोहरदगा, मो0 नं0-9771072140 4.सूर्यमोहन साहु पे0 महेश साहु ग्राम कैरो थाना कैरो जिला लोहरदगा, 5.सरद चन्द्र विद्याथी पे0 गोविन्द साहु ग्राम कैरो थाना कैरो जिला लोहरदगा,	
5	लोहरदगा थाना कांड सं0-192 / 2015, दिनांक-19.10.15, धारा- 364 / 365 भा0 द0वि0, परिवर्तित धारा-364 / 302	प्राथमिकी अभियुक्त नफीष खान पिता स्व0 सगीर खान, साकिन+थाना व जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी सलमान अंसारी पिता करीम अंसारी उर्फ गिला अंसारी, सा0 अम्बा, थाना व जिला गुमला, वर्तमान ग्राम ओपा इस्लाम नगर, थाना चान्हो, जिला रॉंची के लिखित प्रतिवेदन के	प्राथ0 अभि0 नफीस खान को दिनांक-26.10.15 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	ए0डी0जे0-प्रथम	ए0पी0पी0 श्री मनोज कुमार झा, मो0नं0 9431671706	वादी सलमान अंसारी पिता करीम अंसारी उर्फ गिला अंसारी, सा0 अम्बा, थाना व जिला गुमला, वर्तमान ग्राम ओपा इस्लाम नगर, थाना चान्हो, जिला	1.अनु0कर्ता अ0नि0 एस0एम0 अताउर रहमान, तत्कालीन लोहरदगा थाना,मो0 नं0-9431627959, 2.डॉ0 कौशल कु0 सिंह सदर अस्पताल लोहरदगा, 3.डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव	1.सलमान अंसारी पे0 करीम उर्फ बिगला अंसारी, सा0-उपर इस्लामनगर थाना चान्हो जिला रॉंची, 2.तमजीद अंसारी पे0 स्व0 फन अंसारी सा0 करकरी थाना सिसई जिला गुमला, 3.मो0 शरीफ पे0 रहमद रजाक	

	<p>/201/34 भा0द0वि0</p> <p>ST No- 17/16</p>		<p>आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त नफीष खान पिता स्व0 सगीर खान, साकिन+थाना व जिला लोहरदगा के विरुद्ध अपहरण करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>				<p>राँची।</p>	<p>सदर अस्पताल, लोहरदगा, 4.आरक्षी/180 नवनीत कुमार मिश्रा, तत्कालीन लोहरदगा थाना।</p>	<p>सा0 पावजगंज लोहरदगा, 4.अर्जुन ठाकुर पे0 छेदी ठाकुर सा0 अपर बाजार, थाना+जिला लोहरदगा, 5.अरमान अंसारी पे0 करीम अंसारी सा0 उपर इस्लामपुर थाना चान्हो जिला राँची, 6.सिदिक अंसारी पे0 महमुद अंसारी सा0 खुटी तोरपा थाना चान्हो जिला राँची, 7.फिरोज अंसारी पे0 स्व0 महमुब मिया सा0 सोस थाना चान्हो जिला राँची, 8.हबीब अंसारी पे0 हजरत अंसारी सा0 सोस थाना चान्हो जिला राँची, 9.मुर्षीद आलम पे0 तोफिक आलम, 10.हकीक अंसारी पे0 सलमान अंसारी दोनों ग्राम चिरी थाना कुडू जिला लोहरदगा, 11.मषीरा खातुन पति करीम उर्फ बिगला अंसारी सा0 उपर इस्लामनगर थाना चान्हो जिला राँची, 12.साबिर अंसारी पे0 अजमल अंसारी सा0 लुण्डी थाना चान्हो जिला राँची, 13.अमीन अंसारी पे0 स्व0 मुसलीम अंसारी सा0 लुण्डी थाना चान्हो जिला राँची, 14.साकिर अंसारी पे0 अजमुल अंसारी सा0 सा0 लुण्डी थाना चान्हो जिला राँची, 15.जीयारत अंसारी पे0 स्व0 अमीर अंसारी सा0 सिलगाय थाना चान्हो जिला राँची, 16.गुरुवा करुआ पे0 राम लाल कुरुवा, 17.बैजनाथ करुवा पे0 प्यारे लाल करुवा दोनों सा0 बालमिकी नगर थाना+जिला लातेहार।</p>	
--	--	--	---	--	--	--	---------------	--	--	--

6	<p>लोहरदगा थाना कांड संख्या-43/16, दिनांक-01.04.16, धारा-302/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट</p> <p>ST No-116/16</p>	<p>अप्राथ0 अभि0 1. दशरथ यादव पे0 मंगरा यादव सा0 झाल जमीरा, 2.अमित उरांव पे0 लिटियो उरांव सा0 पारही डाडी टोली 3.सिद्धिक अंसारी पिता बालक अंसारी सा0 तोड़ार सभी थाना सेन्हा जिला लोहरदगा।</p>	<p>यह कांड वादिनी मीना देवी उम्र 23 वर्ष पति स्व0 कृष्णा गोप, वर्तमान पता बी0आई0डी0 मोहल्ला लोहरदगा के फर्दब्यान के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध इनके पति को गोली मार कर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अप्राथ0 अभि0 1. दशरथ यादव पे0 मंगरा यादव सा0 झाल जमीरा, 2. अमित उरांव पे0 लिटियो उरांव सा0 पारही डाडी टोली, 3.सिद्धिक अंसारी पिता बालक अंसारी सा0 तोड़ार सभी थाना सेन्हा जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर दिनांक-18.05.16 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।</p>	<p>पी0डी0एस0जे 0</p>	<p>पी0पी0 श्री मिथलेश कुमार तिवारी, मो0नं0 9430190704</p>	<p>वादिनी मीना देवी उम्र 23 वर्ष पति स्व0 कृष्णा गोप, वर्तमान पता बी0आई0डी0 मोहल्ला लोहरदगा।</p>	<p>1. डॉ0 सुदामा राम, सदर अस्पताल, लोहरदगा, 2. एस0 सिंह. वाह्य डायरेक्टर एफ0एस0एल0 रॉची, 3. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 बिरेन्द्र कुमार दीक्षित, तत्कालीन लोहरदगा थाना।</p>	<p>1.मीना देवी पति स्व0 कृष्णा गोप सा0 बी0आई0डी0 मुहल्ला लोहरदगा थाना+जिला लोहरदगा, 2.गोवधन महतो पिता स्व0छन्दन महतो ग्राम मुरपा, 3.देव मोहन महतो पे0 स्व0छनी महतो ग्राम अकौदी दोनों थाना सेन्हा जिला लोहरदगा, 4.धर्मफुल भगत पे0 स्व0विरसु भगत सा0 बी0आई0डी0 मुहल्ला लोहरदगा, 5.सुमन देवी पति विनोद उरांव सा0 बी0आई0डी0 मुहल्ला लोहरदगा दोनों थाना+जिला लोहरदगा, 6. दिलीप महतो पे0 स्व0छन्दा महतो ग्राम मुरपा, 7.नागेन्द्र यादव पे0 गोवधन यादव ग्राम मुरपा, 8.रामधनी महतो पे0 जितु महतो ग्राम मुरपा, 9. धनज्जय भगत पे0 धर्मफुल भगत ग्राम गगेया, 10.सुनिता देवी पति धर्मफुल भगत सा0 गगेया, 11.सुरेश उरांव पे0 बुधराम उरांव ग्राम सिटिय, 12. उमेश यादव पे0 देवमोहन यादव ग्राम अनौदी सभी थाना सेन्हा जिला लोहरदगा, 13. अमित कुमार पे0 रामकृष्ण यादव सा0 छोटा अम्बेरा थाना भण्डरा जिला लोहरदगा, 14. सनिया भगत पे0 स्व0विसवा भगत ग्राम मुरपा थाना एवं जिला लोहरदगा।</p>	
7	<p>कुडू थाना कांड सं0-85/16, दिनांक-18.06.16, धारा-25 (1-बी)ए/26/35 सस्त्र अधिनियम</p> <p>ST No-128/16, GR</p>	<p>प्राथ0 अभि0 1. सददाम हुसैन पे0 स्व0शेर मोहम्मद उर्फ शेरु सा0 पण्डरा थाना कुडू जिला लोहरदगा, 2.शंकर मंडल पिता स्व0 बैरम मंडल सा0 हसनपुर थाना मुफसिल जिला मुंगेर(बिहार)।</p>	<p>यह कांड वादी पु0अ0नि0 शैलेश प्रसाद तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कुडू थाना जिला लोहरदगा के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथ0 अभि0 1. सददाम हुसैन पे0 स्व0शेर मोहम्मद उर्फ शेरु सा0 पण्डरा थाना कुडू जिला लोहरदगा, 2. शंकर मंडल पिता स्व0 बैरम मंडल सा0 हसनपुर थाना मुफसिल जिला</p>	<p>प्राथ0 अभि0 1. सददाम हुसैन पे0 स्व0शेर मोहम्मद उर्फ शेरु सा0 पण्डरा थाना कुडू जिला लोहरदगा, 2. शंकर मंडल पिता स्व0 बैरम मंडल सा0 हसनपुर थाना मुफसिल जिला</p>	<p>पी0डी0एस0जे 0</p>	<p>पी0पी0 श्री मिथलेश कुमार तिवारी, मो0नं0 9430190704</p>	<p>वादी पु0अ0नि0 शैलेश प्रसाद तत्कालीन पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी कुडू थाना जिला लोहरदगा।</p>	<p>1.पु0अ0नि0 शैलेश प्रसाद, तत्कालीन थाना प्रभारी, कुडू वर्तमान पुलिस निरीक्षक-सह थाना प्रभारी लोहरदगा थाना, 2.आरक्षी-788 सुधांशु कुमार, 3.आरक्षी-644 ब्रहमानंद कुमार, 4.आरक्षी-78 सत्येन्द्र</p>	<p>1.जीतु उरांव पिता स्व0 गोपी उरांव, 2.समीर मिंज पे0 प्रभुदेव मिंज दोनों सा0 उधरा बरवाटोली राजरोम कुडू के निकट थाना चन्दवा जिला लातेहार।</p>	

	No-359/16		लोहरदगा, 2.शंकर मंडल पिता स्व0 बैरम मंडल सा0 हसनपुर थाना मुफसिल जिला मुंगेर (बिहार) के विरुद्ध अवैध पिस्तौल एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	मुंगेर(बिहार) को दिनांक-18.06.16 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।				नारायण, 5.आरक्षी-257अनिल कुमार दुवे, 6.आरक्षी-321कार्तिक कपरदार 7.आरक्षी-647 परमेश्वर भोक्ता 8.आरक्षी-45 मनोज कुमार राम 9.आरक्षी-390 नीरज कुमार झा सभी कुडू थाना, 10.अनुकर्ता पु0अ0नि0 शिव कुमार ठाकुर, तत्कालीन कुडू थाना सभी जिला लोहरदगा।		
8	कुडू थाना कांड सं0-102/16, दिनांक-20.07.16 धारा-25(1-बी)ए /26 आर्म्स एक्ट ST No-169/16 GR No-440/16	अनिरुद्ध यादव पिता मुरारी यादव सा0 चन्दलासो थाना कुडू जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद साहु, थाना प्रभारी, कुडू जिला लोहरदगा के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथ0अभि0 अनिरुद्ध यादव पिता मुरारी यादव सा0 चन्दलासो थाना कुडू जिला लोहरदगा के विरुद्ध अवैध अग्नेयास्त्र की गोली रखने व रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	अनिरुद्ध यादव पिता मुरारी यादव सा0 चन्दलासो थाना कुडू जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	ए0डी0जे0-प्रथम	ए0पी0पी0 श्री मनोज कुमार झा, मो0नं0 94316710706	वादी पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद साहु, थाना प्रभारी, कुडू जिला लोहरदगा।	1.पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद साहु, थाना प्रभारी, कुडू थाना, 2. आरक्षी-644ब्रह्मानन्द कुमार, 3.आरक्षी-755 मनोवर आलम, 4.आरक्षी-794सद्दाम अंसारी, 5.आरक्षी-257 अनिल कुमार दुवे सभी कुडू थाना रिजर्व गार्ड, जिला लोहरदगा, 6.विजय नारायण चौधरी, परचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, लोहरदगा, 7.अनुकर्ता पु0अ0नि0 शमिम अहमद, तत्कालीन कुडू थाना।	-	
9	भण्डरा थाना कांड सं0-70/17, दिनांक-20.08.17, धारा-392/412 भा0 द0वि0 GR No-544/17	अप्राथ0अभि0 1.सजाद अंसारी पिता क्यामउ द्दीन अंसारी सा0 छोटा अम्बोवा, 2. समरूला अंसारी पिता स्व0कादिर अंसारी, 3. फ़ैजुल अंसारी पिता रिजवान अंसारी एवं 4.मोजमील अंसारी पिता लतीफ अंसारी सभी सा0छोटा	यह कांड वादी जन्धारी उरांव पिता सुकरा उरांव ग्राम जमगाई थाना भण्डरा जिला लोहरदगा के फर्दब्यान के आधार पर तीन अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा वादी का मोटर साईकिल, पैसा, मोबाईल को लूट लेने के आरोप में दर्ज किया गया है।	अप्राथ0अभि0 1.सजाद अंसारी, 2. समरूला अंसारी, 3.फ़ैजुल अंसारी एवं 4.मोजमील अंसारी को गिरफ्तार कर दिनांक-30.08.17 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	ए0सी0जे0एम0	ए0पी0पी0 श्री सिद्धार्थ कुमार सिंह, मो0 नं0 93043862	वादी जन्धारी उरांव पिता सुकरा उरांव ग्राम जमगाई थाना भण्डरा जिला लोहरदगा।	1.अनुकर्ता पु0अ0नि0 मांगू उरांव, तत्कालीन भण्डरा थाना जिला लोहरदगा।	1.वादी जन्धारी उरांव पिता सुकरा उरांव ग्राम जमगाई थाना भण्डरा जिला लोहरदगा, 2.मनमोहन उरांव पे0 आर्यात उरांव, 3.सोमा उरांव पे0 धप्पा उरांव, 4.सोमनाथ उरांव पे0 स्व0 चिलगु उरांव, 5.राजेश उरांव पे0 स्व0 मदरा उरांव, 6.अगनु उरांव पे0 स्व0 मदरा	

		अम्बोवा थाना एवं जिला गुमला।							उरांव, 7.सोमरन उरांव पे0 बागे उरांव सभी ग्राम जमगाई थाना भण्डरा जिला लोहरदगा।
10	लोहरदगा थाना कांड सं0-130/17, दिनांक-05.05.17, धारा-25 (1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। GR No-436/17	प्राथ0अभि0 सारीख खान पिता रेलु खान सा0 नूरनगर थाना व जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी सं0अ0नि0 नन्दकुमार सिंह, लोहरदगा थाना, थाना एवं जिला लोहरदगा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 सारीख खान पिता रेलु खान सा0 नूरनगर थाना व जिला लोहरदगा के विरुद्ध अवैध देषी पिस्तौल के साथ रंगे हाकडे जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	प्राथ0अभि0 सारीख खान पिता रेलु खान सा0 नूरनगर थाना व जिला लोहरदगा को गिरफ्तार कर दिनांक-05.07.17 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	सी0जी0एम0	ए0पी0पी0 श्री सिद्धार्थ कु0 सिंह मो0 9304386215	वादी सं0अ0नि0 नन्दकुमार सिंह, लोहरदगा थाना, थाना एवं जिला लोहरदगा।	1.वादी सं0अ0नि0 नन्दकुमार सिंह, लोहरदगा थाना, थाना एवं जिला लोहरदगा मो0 नं0-787023460, 2.हवलदार संदीप कुमार, मो0 नं0- 8294829999 3.स0अ0नि0 दिनेष उरांव, मो0 नं0-9905161617 4.आरक्षी / 261 अविनाष मिर्ज, मो0 नं0-7903546635 5.आरक्षी / 521 पवन कुमार सिंह, मो0 नं0-9122606933 6.आरक्षी / 483 मोक्ता महतो, मो0 नं0-9955570492 7.आरक्षी / 437 अजय उरांव, मो0 नं0-7677467637 8.आरक्षी / 542 अमित मुण्डा सभी लोहरदगा थाना, मो0 नं0-7545024041 9.चन्द्रषेखर सिंह प्रचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, लातेहार। 10.अनु0कर्ता सं0अ0नि0 सामेल उरांव लोहरदगा थाना मो0 नं0-8809961448	1.सेराज खान पे0 स्व0 मोहरम अंसारी सा0 थाना टोली, थाना+जिला लोहरदगा, मो0नं0-933407513 2.मो0 अब्दुल रब पे0 मो0 जलु सा0 नूर नगर थाना एवं जिला लोहरदगा,
11	कुडू थाना कांड संख्या-166/17, दिनांक-25.12.17, धारा-326/307 / 120(बी)/34 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए/26/27 /35 शस्त्र अधिनियम।	प्राथ0अभि0 1.अलोक अग्रवाल उर्फ चिकु 2.अष्वनी अग्रवाल उर्फ निकु दोनों पिता सुबल प्रसाद अग्रवाल सा0 चॉपी थाना कुडू जिला लोहरदगा, अप्राथ0 अभि0 3.अबारिक अंसारी उर्फ	यह कांड वादिनी तेतरी देवी पति चन्द्ररु साहु सा0- सलगी साहु टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा के फर्दब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1.अलोक अग्रवाल 2.निकु अग्रवाल 3.उज्जवल अग्रवाल तीनों	प्राथ0अभि0 1.अलोक अग्रवाल उर्फ चिकु 2.अष्वनी अग्रवाल उर्फ निकु दोनों पिता सुबल प्रसाद अग्रवाल एवं अप्राथ0अभि0 3.अबारिक अंसारी उर्फ छोटु पिता	पी0डी0एस0जे 0	पे0पी0 श्री मिथिलेश कुमार तिवारी मो0 9430190704	वादिनी तेतरी देवी पति चन्द्ररु साहु सा0- सलगी साहु टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा।	1. Dr. LISHU HARURE JUNIOR RESIDENT ACODUEC DEH OF FORENSIC MADICAL & JORICOLONY RIMS RANCHI	1.वादिनी तेतरी देवी पति चन्द्ररु साहु सा0-सलगी साहु टोला थाना कुडू जिला लोहरदगा, 2.चन्दु साहु पे0 स्व0 बालक साहु, 3.मिना कुमारी पे0 चन्दु साहु, 4.रितु कुमारी पे0 चन्दु साहु तीनों सा0 सलगी

	एस0टी0 नो 51 / 18	छोटु पिता निजाम अंसारी सा0 अम्बाटोली, 4.गुमाल गौस अंसारी पे0 नसीम अंसारी सा0 हुटाप, 5.सकिल अंसारी पे0 सुलेमान अंसारी सा0 नारी तीनों थाना किस्को जिला लोहरदगा।	पिता सुबल प्रसाद अग्रवाल सा0 चॉपी 4. बैजनाथ पिता स्व0 गुदर साहु, 5.प्रमोद साहु, 6. अमोद साहु दोनों पिता बैजनाथ साहु तीनों सा0 सलगी सभी थाना कुडू जिला लोहरदगा तथा 7. उजला रंगा का प्लेटिना मोटरसाईकिल पर सवार मुकेश कुमार सा0 ओयना एवं 02 अन्य के विरुद्ध इनके लड़का अक्षय कुमार साहु उर्फ प्रताप साहु को जान मारने के नियत से गोली मारने के आरोप में दर्ज किया गया है।	निजाम अंसारी, 4.गुमाल गौस अंसारी पे0 नसीम अंसारी, 5.सकिल अंसारी पे0 सुलेमान अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।				2.श्री विजय नाराण चौधरी, प्रचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, लेहरदगा, 3.श्री नूर मुस्तफा अंसारी, परि0 पुलिस उपा0, लोहरदगा, 4.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 सुधीर प्रसाद साहु, कुडू थाना।	थाना कुडू जिला लोहरदगा, 5.रवि मुण्डा पे0 स्व0 राम बृक्ष मुण्डा, 6.किषोर उरांव पे0 मंगरू उरांव दोनों सा0 सलैया अम्लाटोली, थाना एवं जिला लोहरदगा।	
12	लोहरदगा थाना कांड सं0-179 / 17, दिनांक-17.09.17, धारा-115 / 11 6 / 120 (बी) / 364(ए) / 51 1 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0 150 / 17	प्राथ0अभि0 1.शाहवाज खान पे0 हामिद खान, सा0 अमला टोली, 2.मो0 गुफरान पे0 मो0 एहषान खान, सा0 बुचनगली अमलाटोली, दोनों थाना लोहरदगा, 3. जीवन मसीह अइन्द पे0 बेजाईम अइन्द सा0 धौरा असना पानी, थाना कुडू, 4. जयनाथ खेरवार पे0 बुधवा खेरवार, सा0 टुइनुपाट कोरार जोवी टोली, थाना सेरेंगदाग सभी जिला लोहरदगा।	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 शिवकुमार ठाकुर लोहरदगा के द्वारा प्राथ0अभि0 1.शाहवाज खान पे0 हामिद खान, सा0 अमला टोली, 2.मो0 गुफरान पे0 मो0 एहषान खान, सा0 बुचनगली अमलाटोली, दोनों थाना लोहरदगा, 3.जीवन मसीह अइन्द पे0 बेजाईम अइन्द सा0 धौरा असना पानी, थाना कुडू, 4.जयनाथ खेरवार पे0 बुधवा खेरवार, सा0 टुइनुपाट कोरार जोवी टोली, थाना सेरेंगदाग सभी जिला लोहरदगा के विरुद्ध अपहरण के लिये योजना बनाना तथा हथियार गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	प्राथ0अभि0 1. शहवाज खान, 2. मो0 गुफरान, 3. जीवन मसीह आईन्द उर्फ जीवन आइन्द 4.जयनाथ खेरवार को दिनांक-16.09.2017 को गिरफ्तार कर दिनांक-17.09.2017 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।	पे0डी0एस0जे0	पे0पी0 श्री मिथिलेश कुमार तिवारी 9430190704	वादी पु0अ0नि0 शिवकुमार ठाकुर, तत्कालीन लोहरदगा जिला लोहरदगा।	1.पु0अ0नि0 शिवकुमार ठाकुर, तत्कालीन लोहरदगा, थाना एवं जिला लोहरदगा मो0 नं0-829 2307011 2.नुर मुस्तफा अंसारी, पुलिस उपाधीक्षक, परीक्ष्यमान, लोहरदगा मो0 नं0- 8210983129 3.शैलेश प्रसाद पु0नि0-सह थाना प्रभारी, लोहरदगा थाना मो0 नं0-9162599999 4.आरक्षी-89 बलभद्र कुमार, लोहरदगा थाना मो0 नं0-9122189079, 5.आरक्षी-118 सुधांषु शेखर, लोहरदगा थाना मो0 नं0-9934659310 6.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 सिद्धेश्वर महथा, लोहरदगा थाना मो0 नं0-787023644	-	
13	भण्डरा थाना कांड सं0-93 / 2017, दिनांक-05.11.17, धारा-394 / 411	प्राथ0अभि0 1.रामप्रवेश कुमार साह उर्फ राम प्रवेश कुमार सिंह पिता धुर्वा सिंह एवं 2.	यह कांड वादी जोसेफ तिर्की पिता इलियस तिर्की सा0 कसपुर, थाना भण्डरा, जिला लोहरदगा	प्राथ0अभि0 शमपुल अंसारी दि0-13.11.2017 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर	जे0जे0 बोर्ड	ए0पी0पी0 श्री कपिल सामद मो0 9199819949	वादी जोसेफ तिर्की पिता इलियस तिर्की सा0 कसपुर, थाना भण्डरा, जिला	3.हवलदार बिजेन्द्र राउत, भण्डरा थाना, 4.आरक्षी-343 मनोहर साह, भण्डरा थाना,	-	

	भा0 द0 वि0 एवं 25 (1-बी)ए/ 26/27/35 शस्त्र अधिनियम। GR No- 709/17	शमषुल अंसारी पिता सबुज अंसारी दोनों सा0 चेरिमा नगजुआ, थाना कैरो, जिला लोहरदगा।	के फर्दब्यान के आधार पर प्राथ0अभि0 1.रामप्रवेश कुमार साह उर्फ राम प्रवेश कुमार सिंह पिता धुर्वा सिंह, 2.शमषुल अंसारी पिता सबुज अंसारी दोनों सा0 चेरिमा, नगजुआ, थाना कैरो, जिला लोहरदगा के विरुद्ध अवैध पिस्टल रखने,पिस्टल का भय दिखाकर मोबाईल एवं रूपये लूट लेने के आरोप में अंकित किया गया है।	न्यायिक हिरासत में हैं एवं प्राथ0 अभि0 2.रामप्रवेश कुमार साह उर्फ राम प्रवेश कुमार सिंह को दिनांक- 05.11.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।			लोहरदगा।	5.सुनिल उरांव पे0 राजकुमार उरांव, सा0 कसपूर थाना भण्डरा जिला लोहरदगा, 6.सिवचरण उरांव पे0 लखन उरांव सा0 कसपूर थाना भण्डरा जिला लोहरदगा, 7.विजय नारायण चौधरी, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, लोहरदगा, 8.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 मांगु उरांव, तत्कालिन भण्डरा थाना।		
14	लेहरदगा थाना कांड सं0 165/16 दि0 09.10.16 धारा 25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0एक्ट 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। GR No- 591/16 एस0टी0 न0 178/16	अगनु भगत पे0-जतरू भगत सा0 कुजरा बरवा टोली थाना लोहरदगा कजिला -लोहरदगा	यह कांड वादी जय प्रकाश नारायण चौधरी पु. 0अ0नि0 सह थाना प्रभारी लोहरदगा के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 अगनु भगत के विरुद्ध टी0पी0सी0 उग्रवादी का समर्थन होने तथा गोली रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1. अगनु भगत जमानत पर दिनांक 07.01.17	पी0डी0एस0जे0	पी0पी0 श्री मिथिलेश कुमार तिवारी 9430190704	वदी-जय प्रकाश नारायण चौधरी ारी पु.0अ0नि0 सह थाना प्रभारी लोहरदगा	1.जय प्रकाश नारायण चौधरी ारी पु.0अ0नि0 सह थाना प्रभारी लोहरदगा 2.स0अ0नि0 सुनिल कु0 सिन्हा 3.परि0प्र0 विजय नारायण चौधरी दिनांक 15.09.17 4.हव0 रामचन्द्र प्रसाद लोहरदगा थाना 5.आ0 749 संजय गोप 6. आ0696 रमीज राजा अंसारी 7.आ0 650 प्रदीप कु0 नायक सभी लोहरदगा थाना रिजर्व गार्ड 8.षिवनाथ भगत पे0 -कुजरा बरवा टोली थाना लोहरदगा 4.पु0अ0नि0 विरेन्द्र कुमार दिक्षित लोहरदगा थाना		
15	कैरो थाना कांड सं0-05/18, दिनांक-29.01.18, धारा- 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। GR No- 76/18	प्राथ0अभि0 1.फारूख अंसारी उम्र 34 वर्ष पिता स्व0 अब्दुल सतार अंसारी, 2. नौषाद अंसारी उम्र करीब 35 वर्ष पिता रुस्तम अंसारी दोनों सा0 करकरी टंगरा टोली, थाना नरकोपी	यह कांड वादी पु0अ0नि0 जगलाल मुण्डा, थाना प्रभारी, भण्डरा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 1. फारूख अंसारी पिता स्व0 अब्दुल सतार अंसारी, 2. नौषाद अंसारी पिता रुस्तम अंसारी दोनों सा0	प्राथ0अभि0 1. फारूख अंसारी, 2. नौषाद अंसारी को गिरफ्तार कर दिनांक- 30.01.2018 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया ह	एस0डी0जे0ए म0	ए0पी0पी0 श्री कपिल सामद मो0 9199819949	वादी पु0अ0 नि0 जगलाल मुण्डा, थाना प्रभारी, भण्डरा, जिला लोहरदगा।	1.स0अ0नि0 राज कुमार बैठा भण्डरा थाना, 2.स0अ0नि0 श्रीकान्त दास, 3.हवलदार जितेन्द्र उरांव, 4.आरक्षी-518 दिलवर केरकेटा 5.आरक्षी-671 रविन्द्र कुमार चौधरी, 6.आरक्षी-300 अरूप कुमार	-	

		जिला राँची।	करकरी टंगरा टोली, थाना नरकोपी जिला राँची के विरुद्ध अवैध देशी आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।				घोसाल सभी भण्डरा थाना, 7.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 रतिया उरांव, कैरो थाना।			
16	कैरो थाना कांड सं0-43 / 17, दिनांक-26.12.17 धारा-25(1-बी) ए/26 / 35 आर्म्स एक्ट। GR No-847/17	प्राथ0अभि0 1.सरवर अंसारी पिता शरीफ अंसारी सा0 मोरो थाना ईटकी जिला राँची, 2.रजाक अंसारी पे0 अहमद अंसारी सा0 जिमा थाना कुडू जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 रामाषीष पासवान, थाना प्रभारी कैरो के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथ0अभि0 1. सरवर अंसारी पिता शरीफ अंसारी सा0 मोरो थाना ईटकी जिला राँची, 2.रजाक अंसारी पे0 अहमद अंसारी सा0 जिमा थाना कुडू जिला लोहरदगा के विरुद्ध अवैध देशी अग्नेयास्त्र रखने एवं बेचने के लिए ले जाते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।		एस0डी0जे0एम0	ए0पी0पी0 श्री कपिल सामद मो0 9199819949	वादी पु0अ0नि0 रामाषीष पासवान, थाना प्रभारी कैरो, जिला लोहरदगा।	1.पु0अ0नि0 रामाषीष पासवान, थाना प्रभारी कैरो, जिला लोहरदगा, 2.स0अ0नि0 संजय कुमार, कुडू थाना, 3.परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक श्री नुर मुस्तफा अंसारी, तत्कालीन कुडू थाना, 4.आरक्षी-755मनौवर आलम, 5.स0अ0नि0 संजय कुमार, सभी कुडू थाना। 6.हवलदार जनारदन सिंह, 7.आरक्षी-347 घाव प्रकाश मिश्रा, 8.आरक्षी-328 प्रदीप कुमार साव, तीनों कैरो थाना, 9.परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र लोहरदगा 10.चौकिदार अलहुदा, कैरो थाना, 11. अनु0कर्तास0अ0नि0 श्रीमन नारायन मिश्रा, कैरो थाना जिला लोहरदगा।	-	
17	लोहरदगा थाना कांड सं0-37 / 2012, दिनांक-07.04.2012, धारा-409 / 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 GR No-140/12	प्राथ0अभि0 राजेश्वर सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विषय प्रमण्डल, लोहरदगा	यह कांड वादी श्री भुवनेश्वर चौबे पिता प्रयाग चौबे, थाना नगर उँटारी जिला गढ़वा वर्तमान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विषय प्रमण्डल, लोहरदगा के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 राजेश्वर सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विषय प्रमण्डल, लोहरदगा के विरुद्ध छलपूर्वक	प्राथ0अभि0 राजेश्वर सिंह पिता सपूर्णानन्द सिंह को लोहरदगा थाना कांड सं0-22 / 14 से इस कांड में दिनांक-25.08.2015 को रिमाण्ड किया गया है।	सीजे0एम0	ए0पी0पी0 श्री सिद्धार्थ कु0 सिंह मो0 9304386215	वादी श्री भुवनेश्वर चौबे पिता प्रयाग चौबे, थाना नगर उँटारी जिला गढ़वा वर्तमान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विषय प्रमण्डल, लोहरदगा।	1.वादी श्री भुवनेश्वर चौबे पिता प्रयाग चौबे, थाना नगर उँटारी जिला गढ़वा वर्तमान कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विषय प्रमण्डल, लोहरदगा, 2.षिवमूति राम पे0 राधा कृष्ण राम सा0 चकिया थाना वैरिया जिला बलिया यु0पी0, वर्तमान लेखा सहायक लोहरदगा, 3.अमरेन्द्र कुमार सिंह पिता महेन्द्र प्रसाद सिंह, खैरा	-	

			धोखाधड़ी कर सरकारी राषि का गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।				टोला सोनाही थाना वारुण जिला ओरंगाबाद वर्तमान में सहायक अभियंता लोहरदगा थाना+जिला लोहरदगा, 4.नरेन्द्र कुमार पिता नागेश्वर प्रसाद सिंह सा0 नई मुहल्ला थाना+जिला नाबादा (बिहार) वर्तमान सहायक अभियंता लोहरदगा, 5.स0अ0नि0 शिवनन्दन दास, तत्कालीन लोहरदगा थाना, 6.स0अ0नि0 शमीम अहमद, तत्कालीन लोहरदगा थाना, 7.अ0नि0 एस0पी0 यादव, तत्कालीन लोहरदगा थाना, 7.अनु0कर्ता पु0अ0नि0 कौषलेन्द्र कुमार कुण्डल, तत्कालीन लोहरदगा थाना सभी जिला लोहरदगा।		
18	कुडू थाना कांड सं0-71 / 17, दिनांक-28.05.17, धारा-392 भा0द0वि0 GR No-342/17	अप्राथ0 अभि0 1. एनामुल अंसारी पिता रफिक अंसारी, 2.जुबेर अंसारी पिता स्व0 रबुल अंसारी दोनों सा0 ब्लॉक मैदान हामीद नगर, 3.परवेज अंसारी पिता मुमताज अंसारी सा0 चिरी बरवाटोली सभी थाना कुडू जिला लोहरदगा।	यह कांड वादी साबीर खान पिता स्व0 याकुब खान सा0 लाधुप सेन्हा थाना चंदवा जिला लातेहार के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात तीन अपराधकर्मी के विरुद्ध ट्रक नं0- CG07CA-8537 एवं नगद रुपया तथा मोबाईल लूट पाट कर ले जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	अप्राथ0 अभि0 1. एनामुल अंसारी पिता रफिक अंसारी, 2.जुबेर अंसारी पिता स्व0 रबुल अंसारी दोनों सा0 ब्लॉक मैदान हामीद नगर, 3.परवेज अंसारी पिता मुमताज अंसारी सा0 चिरी बरवाटोली सभी थाना कुडू जिला लोहरदगा को दिनांक-16.06.17 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।	ए0सीजे0एम0	ए0पी0पी0 श्री सिद्धार्थ कु0 सिंह मो0 9304386215	वादी साबीर खान पिता स्व0 याकुब खान सा0 लाधुप सेन्हा थाना चंदवा जिला लातेहार।	1. अनु0कर्ता स0अ0नि0 नफीस आलम, कुडू थाना जिला लोहरदगा, मो0 नं0-9386599299 1.वादी साबीर खान पिता स्व0 याकुब खान सा0 लाधुप सेन्हा थाना चंदवा जिला लातेहार, मो0 नं0- 9931347215 2.गाजिद अंसारी पे0 अब्दुल अंसारी सा0 बहन मुहल्ला थाना कुडू जिला लोहरदगा, 3.कमलेश यादव पिता देवक यादव ग्राम कुन्दो थाना कुडू जिला लोहरदगा, 4.इजहारूल खान पे0 स्व0 मनान खान ग्राम लाधुप सेन्हा थाना चन्दवा जिला लातेहार।	

पत्रांक-695 / को0कार्या0,
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, पाकुड़।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
पाकुड़।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
झारखण्ड, राँची।

दिनांक-10 / 05 / 2018.

प्रसंग :- भवदीय का कार्यालय का ज्ञापांक-173 / गो0, दिनांक-03.05.2018.

विषय :- माननीय मुख्य न्यायाधीष, झारखण्ड उच्च न्यायालय, के निदेश के आलोक में 1,000 काण्डों का त्वरित विचारण के संबंध में।

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि निदेशानुसार महत्वपूर्ण आरोप पत्रित अपराधिक काण्डों की सूची त्वरित विचारण के अनुश्रवण हेतु विहित-प्रपत्र में संलग्न कर भेजी जा रही है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अनु0-यथोपरि।

ह0 / -

पुलिस अधीक्षक,
पाकुड़।

- प्रतिलिपि:-1. महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस उप-महानिरीक्षक, संथाल परगना क्षेत्र, दुमका को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / -

पुलिस अधीक्षक,
पाकुड़।

पाकुड़ जिलान्तर्गत त्वरित विचारण हेतु चयनित 20 कांडो की विवरणी।

क्रम सं०	थाना काण्ड संख्या/तिथि/धारा GR/ ST सं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड की संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में/फरार/बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह अनुसंधानकर्ता, विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो० नम्बर	ऐसे सामान्य गवाह जो आसानी से उपलब्ध हो एवं गवाहों की संख्या 10 से अधिक न हो	साक्ष्य प्रदर्श की स्थिति (मालखाना सं० सहित)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	महेशपुर थाना काण्ड सं०-78/16 दिनांक'24.06.16 धारा-302 भा०द०वि० ST. 14/17 ।	चरण मुर्मू पे० सिदम मुर्मू पकड़पाड़ा, थाना-महेशपुर, जिला-पाकुड़।	(जान मारने की नियत से टॉगी से मारकर चुण्डा किस्कू को गंभीर रूप से जख्मी करने एवं ईलाज के क्रम में मृत्यु होना) मृतक नीरू किस्कू।	जेल में	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	रामेशल किस्कू पे० नीरू किस्कू सा० पकड़ीपाड़ा, थाना-महेशपुर जिला-पाकुड़।	1., स०अ०नि० विरेन्द्र सिंह, 2. पु०अ०नि० शैलेन्द्र कु० सिंह, 3. पु०अ०नि० महाबीर उरॉव, 4. स०अ०नि० लाल मोहन खड़िया, 5. डॉ० शंकर लाल मुर्मू सदर अस्पताल पाकुड़ 6. डॉ० आर० गंगोपाध्याय ब्रह्मपुर अस्पताल (प०बंगाल)	1. सिद्धो मुर्मू पे० स्व देवी लाल मुर्मू, 2. धबी मुर्मू पति- रामेशल किस्कू, 3. नीलमुनी मुर्मू पति नीरू किस्कू, 4. मकलू किस्कू पे० स्व० नीरू किस्कू, 5. मेरीसेन्ट मराण्डी पति जोसेफ हेम्ब्रम, 6. मरसिला हेम्ब्रम पे० भंगराय हेम्ब्रम सभी सा० पाकड़ीपाड़ा, थाना- महेशपुर, जिला-पाकुड़	जख्मी रामेशल किस्कू का जख्म प्रतिवेदन, 2. नीरू किस्कू का पी० एम० रिपोर्ट	
2.	पाकुड़ नगर थाना काण्ड सं०-88/17 दिनांक-03.07.2017 धारा 467/468/471 भा०द०वि० एवं 25 (1-बी०) ए 26 आर्म्स एक्ट जी०आर-414/17	1. सफिकुल आलम पिता-पियार मोहम्मद सा०-निजामपुर, पो०-कदमतल्ला, थाना-सूती, जिला-मुशिदाबाद(प० बंगाल)	अवैध लाईसेंसों एक नाली बन्दुक एवं गोली रखने तथा एवं फर्जी तरीके से बैंक में डियूटी करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल में	सी०जी०एम०	राजेश कुमार लाल ए०पी०पी०	1.श्री इन्दुशेखर झा पिता- स्व० चतुर्भुज झा सा०-सकरी जिला-मधुबनी (बिहार) वर्तमान पु०नि०सह- थाना प्रभारी पाकुड़ नगर	1पु०नि०.श्री इन्दुशेखर झा 2. स०अ०नि० नवल किशोर प्रसाद, 3. योगेश प्रसाद यादव, 4. प्रचारी प्रवर अनिल सिन्हा 5. पु०अ०नि० बाबु बंशी साव, 6. पु०अ०नि० विमल कु० सिंह, 7. स०अ०नि० मदन जी	1.आलोक चटर्जी सा०-आसनसोल, थाना-आसनसोल, जिला-बर्द्धमान, 2. इन्द्रनील बसु पिता- रंजन कु० बसु, सा०-थानापाड़ा थाना+जिला- पाकुड़	1.जप्ती सूची 2. अभियोजन स्वीकृति आदेश 3. जप्ती प्रदर्श का जाँच	
3.	हिरणपुर थाना काण्ड सं०-100/16, दिनांक-08.12.16, धारा-323/376 भा०द०वि० ST. 22/18	सुशील हेम्ब्रम पे० स्व० मंगल हेम्ब्रम सा०-डुमरघटी, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़।	(मारपीट करते हुए शादी का झांसा देकर बालात्कार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।)	जेल में।	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़।	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	सुनीता सोरेन पे० पलटन सोरेन सा०-डुमरघटी, थाना-हिरणपुर, जिला-पाकुड़।	1. पु०अ०नि० सुरेन्द्र कु० सिंह, 2. स०अ०नि० सनातन माझी, 3. डॉ० एन० बारला	1.सुरजमुनी मराण्डी पति-पलटन सोरेन सा०-बांकोला, थाना-रंगगा, जिला-साहेबगंज, 2. पलटन सोरेन पे० स्व० चुण्डा सोरेन सा०-बाँसकोला, 3. जामु मराण्डी पे० लोकेस मराण्डी, सा०-जामपुर, थाना-हिरणपुर, 4. भीम	मेडिकल रिपोर्ट	

									मराण्डी, पे0 स्व0 मुंशी मराण्डी सा0-जामपुर, 5. छुपनी टुडू पति-जामु मराण्डी सा0-जामपुर,		
4	पाकुड़ मालपहाड़ी आ0पी0 काण्ड सं0-12/17, दिनांक-24.01.17 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट ST. 64/17 G.R.-52/17	1.ठाकुर टुडू उर्फ प्रभु टुडू पे0 राम टूडू सा0-खराडांगा, थाना-हिरणपुर, 2. मानिक मुर्मू उर्फ मंजीत मुर्मू साव-शिवतल्ला, थाना-पाकुड़ मु0।	(अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।)	जेल में	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़।	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी0पी0 मो0-9471133771	पु0अ0नि0 सुकुमार टुडू, प्रभारी मालपहाड़ी ओ0पी0।	1.पु0अ0नि0 बिमल कु0 सिंह, 2. पु0नि0 अजीत कुमार कुजूर, 3. स0अ0नि0 लालमोहन खड़िया, 4. पु0अ0नि0 लव कुमार, 5. आ0-354 शहबाज खॉ, 6. स0अ0नि0 एम0 कुमार मेहता एवं अन्य 10	-	जप्ती सूची जाँच रिपोर्ट अभियोजन स्वीकृत्यादेश अपराधिक इतिहार।	
5.	अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0-34/17, दिनांक-17.08.17, धारा-307/भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट ST. 132/17	1.शौकत अंसारी पे0 स्व0 गुलाम रसूल सा0-झिगरी, बरवाडीह, थाना-गिरिडीह, 2. मो0 रुस्तम पे0 स्व0 मो0 अलीजान सा0 एकला पिट्टी, थाना-मु0, गिरिडीह।	(जानलेवा हमला करने एवं अवैध आर्म्स एवं कारतूस के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।)	जेल में	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़।	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी0पी0 मो0-9471133771	पु0अ0नि0 सिद्धनाथ दुबे प्रभारी, मालपहाड़ी	1.. हव0 अमरेश कु0 सिंह, 2. आ0-457 दीपक कुमार, 3. पु0नि0 बिरेन्द्र कु0 पाण्डेय, 4. अ0नि0 बाबु बंशी, 5. अ0नि0 धनपति लोहरा	1.बैधनाथ भगत पे0 स्व0 धामा भगत 2. विष्णु भगत पे0 बैधनाथ भगत दोनों सा0+था0-अमड़ापाड़ा,	जप्ती सूची जाँच रिपोर्ट अभियोजन	
6.	अमड़ापाड़ा थाना काण्ड सं0-07/17, दिनांक-18.02.17, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट GR. 179/17	1.सनातन मड़ैया उर्फ बिगी लोहर पे0 स्व0 विशेश्वर मड़ैया सा0 जुमरघटी थाना-महेशपुर।	(अवैध रूप से देशी कट्टा के साथ रंगे हाथों पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।)	बाहर है।	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	श्री राजेश कुमार लाल ए0पी0पी0 मो0-9264454152	पु0नि0 सहदेव टोप्यों-सह-थाना प्रभारी, अमड़ापाड़ा	1.स0अ0नि0 कृष्ण कुमार सिंह, 2.हव0 रसीद अंसारी, 3. हव0 बाबू राय टुडू, 4. आ0-10 संतोष कुमार, 5. आ0-50 मुंशी हेम्ब्रम, 6. स0अ0नि0 नवल किशोर प्रसाद अनु0कर्ता	-	जप्ती सूची जाँच रिपोर्ट अभियोजन	
7.	हिरणपुर थाना काण्ड सं0-08/17, दिनांक-25.01.17, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट ST. 113/17	ठाकुर टुडू पे0 राम टुडू सा0-खजुरडांगा, थाना-हिरणपुर	(बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से आग्नेयास्त्र को छिपाकर रखने के	जेल में	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़।	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी0पी0 मो0-9471133771	पु0अ0नि0 रंजीत कुमार सिंह थाना प्रभारी हिरणपुर	1.लव0 रामचन्द्र महतो, 2. आ0-220 दिलीप महतो, 3. आ0-162 बिनोद कु0 यादव, 4. स0अ0नि0 लाल मोहन खड़िया, 5. अ0नि0 लव कुमार, 6. पु0नि0 अजीत कुमार कुजूर, 7. स0अ0नि0 शिवजी सदरदार अ0का0	-	जप्त आग्नेयास्त्र का जाँच प्रतिवेदन, 2. अभियोजन स्वीकृत्यादेश, 3. अपराधिक इतिहास पारा-72	

			आरोप में दर्ज किया गया है।)							
8.	महेशपुर थाना काण्ड सं०-25/17 दिनांक-03.03.17 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट ST. 73/17	1.सुखचौद शेख, पे० मितोताहीद शेख सा०-दक्षिणी कोशिला, थाना- मुरारोई (प०बंगाल) 2. ताजमूल शेख पे० आबुल शेख, सा०-दराजपुर, थाना-महेशपुर, 3. सेफटू शेख पे० पथलू शेख, सा०- बाबुपाड़ा थाना- नलहट्टी (प०बंगाल) 4. विमल शेख पे० नियामूल शेख सा०-लोहापुर नलहट्टी	(अवैध देशी पिस्तौल के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।)	बाहर है।	अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाकुड़।	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	पु०अ०नि० बिमल कु० सिंह था०प्रभारी महेशपुर	1.स०अ०नि० आनन्द भूषण सिंह,2.स०अ०नि० ठाकुर दास मारडी, 3. स०अ०नि० उपेन्द्र प्र० यादव, 4. हव० रामलखन लोहरा, 5. आ०-374 विधासागर राय, 6. आ०-121 गुलाब यादव, 7. आ०-84 मनोज कुमार, 8. आ०-353 मनोज कुमार घोष, 9. आ०-343 बैधनाथ दास, 10. परिचारी अनिल सिन्हा, 11. पु०अ०नि० महाबीर उराँव, 12. रामजी बुलुल यादव, पे० रामप्रीत यादव, 13. सिद्धीनाथ यादव पे० स्व० शिव प्रसाद यादव दोनों सा०-ग्वालपाड़ा थाना-महेशपुर।	-	1.जॉच रिपोर्ट, 2. अभियोजन स्वीकृत्यादेश 3. अपराधिक इतिहास,4. जप्ती सूची।
9.	पाकुड़िया थाना काण्ड सं०-10/17 दिनांक-11.04.17 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट ST. 140/17 ST. 103/17	1.चरका मियाँ पे० युनूस मियाँ सा०-राजपोखर, 2. लालबाबू अंसारी पे० अली हुसैन मियाँ सा०-श्याम सुन्दरपुर, 3. दुलाल अंसारी पे० अली हुसैन मियाँ सा०-सुन्दरपुर, 4. अबुबकर आलम पे० मंसूर मियाँ सा०-सरसाबांध, थाना-पाकुड़िया	(अवैध देशी पिस्तौल के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।)	बाहर है।	अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	पु०अ०नि० खद्दी कुजूर (वादी) थाना प्रभारी पाकुड़िया,	1. स०अ०नि० चन्द्रहंस कुमार, 2. हव० अरविन्द चौहान, 3.आ०-334 लाल बहादुर सिंह, 4.आ०-494 अरुण कुमार साहू, 5. 483 विकास कुमार सिं	-	1.जॉच रिपोर्ट, 2. अभियोजन स्वीकृत्यादेश 3. अपराधिक इतिहास, 4. जप्ती सूची।
10.	लिट्टीपाड़ा थाना काण्ड सं०-19/17, दिनांक-15.04.17, धारा-376 भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट-2012 ST-85/17 A.D.J.	बजुन किस्कू पे० स्व० कदना किस्कू सा०-कलदाम, थाना-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़।	(नाबालिग बच्ची के साथ बालात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित	जेल में।		श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	संजली हॉसदा पिता-जेठा हॉसदा, सा०-कलदाम, थाना-लिट्टीपाड़ा जिला-पाकुड़।	1.अनिता सिन्हा सदर अस्पताल सोनाजोड़ी पाकुड़, 2. स०अ०नि० शिव शंकर भगत लिट्टीपाड़ा थाना, पाकुड़।	1.वादिनी संजली हॉसदा, पे० जैठा हॉसदा सा०-कलदाम, 2. फुलमनी हेम्ब्रम पति स्व०- जैठा हॉसदा सा०- कलदाम, 3. शिव किस्कू पे० स्व० मिनी चन्द किस्कू	मेडिकल रिपोर्ट, धारा-164 द०प्र०सं० का बयान

			हुआ है।)								
11.	मालपहाड़ी ओपी० थाना काण्ड सं०-374/15, दिनांक-31.09.15 धारा-4/5 विस्फोटक पदा० अधि० ST-25/16 A.D.J.	1.कालू शेख उर्फ सलीम शेख, 2. हलीम शेख दोनों पे० साहेब शेख सा० सीतपहाड़ी, थाना-मालपहाड़ी।	(विस्फोटक के साथ पकड़ा जाना)	बाहर है।		श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	पु०अ०नि० विमल कुमार सिंह	1.हव० रघुनाथ मांझी, 2. आ०-470 निर्मल यादव, 3. आ०-359 मुकेश कुमार, 4. चौ. शंकर प्र० राय 5. चौ० धनजय राजवंशी, 6. विशु राजवंशी, 7. स०अ०नि० देवानन्द कुमार, 8. पु०अ०नि० सुकुमार टुडू।	-	जप्ती सूची F.S.L. Report	
12.	पाकुड़ (मु०) थाना काण्ड सं०-51/17, दिनांक-15.05.17 धारा-376 भा०द०वि० एवं 3/4 पोक्सो एक्ट-2012 Pocs0 16/18 A.D.J.	रेजु शेख पे० आबु शेख, सा०-नवादा, थाना-पाकुड़ मु०, जिला-पाकुड़।	(बहला-फु सलाकर नबालिग लड़की से बालात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।)	बाहर है।		श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	हनीफा खातुन पिता-अदरूल शेख, सा०-नवादा (बड़ो पोखर) थाना-पाकुड़ मु०, जिला-पाकुड़।	1. डॉ० डी० बारला, 2. डॉ० एस० आर० शरण, 3. डॉ० आर०के० सिंह, 4. डॉ० नवीना डाडेल।	1.मनवारा बीबी पति अमरूल शेख, 2. अनारूल शेख पे० स्व० मारफत शेख, 3. फिरोज शेख पे० अनारूलन शेख, 4. सबीना बीबी पति फिरोज शेख,	पिड़िता का 164 बयान एवं मडिकल रिपोर्ट	
13.	लिट्टीपाड़ा थाना काण्ड सं०-02/18, दिनांक-09.01.2018, धारा-302/201/376 डी/120बी भा०व०दि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट-2012 Pocs0 04/18 A.D.J.	1.प्रेमलाल हॉसदा पे० स्व० मुंशी हॉसदा, 2. समियल हॉसदा, 3. कट्टी हॉसदा, 4. शिबू हॉसदा तीनों पे० अग्नेयासुस हॉसदा सभी सा०-फूपहाड़ी, थाना-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़।	(समुहिक बालात्कार)	चार नम्बर अभियुक्त जेल में बाकी सभी बाहर।		श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	रामदेव ठाकुर पे० गिरेन ठाकुर, थाना-लिट्टीपाड़ा जिला-पाकुड़।	1. डॉ० ललित कु० भगत , 2. डॉ० अमिता सिन्हा, 3. डॉ० अमित कुमार, 4. डॉ० एस०के० झा, 5. डॉ० पु०अ०नि० विमल कु० सिंह।	1.गोला ठाकुर पे० गिरेन ठाकुर, 2. अभिषेक ठाकुर पे० रामदेव० ठाकुर, 3. गिरेन ठाकुर पे० स्व० गोपी ठाकुर, 4. अनन्त ठाकुर पे० स्व० रावण ठाकुर, 5. सुरेन्द्र ठाकुर पे० तलेश्वर ठाकुर, 6. दिनेश ठाकुर पे० दुखु ठाकुर,	1.जंघिया एवं पैजामा का जप्ती सूची, 2. स्वीकारोक्ति बयान, 3. पी०एम० रिपोर्ट, 4. injury report अभियुक्त का, 5. D.N.A. एवं मृतिका का Vaginal swab का F.S.L. जाँच हेतु।	
14.	लिट्टीपाड़ा थाना काण्ड सं०-18/17, दिनांक-14.4.2017 धारा-376 भा०व०दि० एवं 3/4 पोक्सो एक्ट-2012 ST-92/17 A.D.J.	1.विककी हेम्ब्रम, पे० सखीचन्द्र हेम्ब्रम सा०-जोरडीहा, थाना-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़	(नाबालिग बच्ची के साथ बालात्कार करना)	बाहर है।		श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	दुलार हॉसदा, पे० सोमाय हॉसदा, सा०-जोरडीहा, थाना-लिट्टीपाड़ा जिला-पाकुड़।	1. डॉ० अनिता सिन्हा सदर अस्पताल पाकुड़, 2. पु०अ०नि० महावीर उरॉव।	1.सोमाय हॉसदा पे० स्व० किस्टो हॉसदा, 2. मकु सोरेन पति सोमाय हॉसदा, 3. मानिकचन्द्र हॉसदा पे० स्व० लखीचन्द्र हॉसदा, 4. ठाकुर हॉसदा पे० स्व० मुसर्क हॉसदा, 5. जितन हॉसदा पे० स्व० लखी राम	1. पिड़िता का 164 बयान एवं मडिकल रिपोर्ट F.S.L. Report	

									हॉसदा, सभी सा0 जोरडीहा, थाना-लिट्टीपाड़ा, जिला-पाकुड़,		
15.	पाकुड़ियां थाना काण्ड सं0 59/15 दि0-20.07.15 धारा-304बी0 भा0द0वी0 3/4 दहेज निषेध अधि0 जी0आर0-533/15	1रंजीत रविदास पिता- गोपाल रविदास 2. गोपाल रविदासए पिता- स्व0 उपेन्द्र रविदास 3.पार्वती देवी पति- गोपाल रविदास, 4. सुशिल रविदास पिता- गोपाल रविदास सभी सा0- विशनपुर थाना- पाकुड़िया जिला-पाकुड़	दहेज की मांग को ले कर मार पीट कर हत्या करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	जेल में	जे0एम0-1	राजेश कु0 लाल ए0पी0पी0	डोमन दास पिता- स्व0 हरिचरण दास सा0- जीरूल थाना- बोरिया जिला- साहेबगंज	1. पु0अ0नि0 राजेश्वर पासवान 2. पु0अ0नि0 खदी कुमार 3. पु0अ0नि0 नन्द कुमार सिंह(अनु0 कर्ता0) 4. डॉ0 चन्देश्वर प्रसाद सिंह सदर अस्पताल पाकुड़	राजेश रविदास, पिता- भीम रविदास सा0+था0-लिट्टीपाड़ा जिला- पाकुड़ 2. नागेन्द्र दास पिता- हरिचरण दास सा0-द जीरूल थाना- बोरियों जिला- साहेबगंज 3. बाबुधन किस्कु पिता- सत्फान किस्कु 4. सीरकु मडईया पिता- बदरिनाथ मडईया दोनो प्रधान टोला सा0-विशुनपुर थाना- पाकुड़िया	1 एफएस0एल0 दिपोर्ट	
16.	पाकुड़ मालपहाड़ी ओ0पी0 थाना काण्ड सं0-91/16, दिनांक-13.04.2016 धारा-4/5 वि0पदा0 अधि0 ST-66/17 ST-92/16	1.किल शेख, पे0 निजामुद्दीन शेख, 2. कासफूल शेख, पे0 अमीर अली शेख, 3. सफीक शेख पे0 मैकीर शेख, 4. राजिबूल शेख पे0 मफीज शेख, 5. गुजू शेख पे0 बहाव शेख सभी सा0 श्रीरामपुर, थाना-मुरारोई, जि0-बीरभूम(प0 बंगाल) 6. तोता शेख पे0 मोती शेख, था0 मुरारोई, जिला-बीरभूम।	(अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा जाना	बाहर है।	A.D.J.	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी0पी0 मो0-9471133771	पु0अ0नि0 विमल कुमार सिंह।	1.स0अ0नि0 अखिलेश प्रसाद, 2.आ0-357 शशि रंजन, 3. आ0-342 टुम्पी तिऊ, 4. आ0-450 बाबुधन हॉसदा, 5. आ0-72 मिना तिग्गा, 6. चौकिदार सुजीत माल पहाड़िया।	1. विशु राजवंशी, 2. देनानन्द कुमार, 3. सत्येन्द्र. कुमार राय।	1 जप्ती सूची F.S.L. रिपोर्ट DC senction	
17.	पाकुड़ मालपहाड़ी ओ0पी0 थाना काण्ड सं0-53/16, दिनांक-18.02.2016 धारा-4/5 वि0पदा0 अधि0 ST-81/16 ST-92/16	1.जोसमुद्दीन शेख पे0 स्व0 सईफुद्दीन शेख सा0 गोपालपुर, 2. असादुल शेख पे0 स्व0 रुदुल शेख सा0 अम्बुआ दोनों थाना-मुरारोई जिला-बीरभूम।	(अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा जाना	बाहर है।	A.D.J.	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी0पी0 मो0-9471133771	पु0अ0नि0 विमल कुमार सिंह।	1स0अ0नि0 अखिलेश प्रसाद, 2.हव0 रघुनाथ मांझी, 3. हव0 अशोक कुमार उरॉव, 4. आ0-342 टुम्पी तिऊ, 5. चौ0 सुजीत माल पहाड़िया, 6. चौ0 सुक्कू	-	1 जप्ती सूची F.S.L. रिपोर्ट DC senction	

								माल			
18.	पाकुड़ मालपहाड़ी ओपी थाना काण्ड सं०-377/15, दिनांक-29.09.2015. धारा-4/5 वि०पदा० अधि० ST-10/16	1.मनीरूल शेख पे० मुख्तार शेख, 2. साफूल शेख पे० बेनू शेख, 3. एनाउल शेख पे० मुरशेर शेख तीनों सा०-सीतपहाड़ी।	(अवैध विस्फोटक के साथ पकड़ा जाना)	बाहर है।	A.D.J.	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	पु०अ०नि० विमल कुमार सिंह।	1.हव० रघुनाथ मांझी, 2. आ०-470 निर्मल यादव, 3. 45 राधेश्याम रजक, 4. आ० 109 रास बिहारी यादव, 5. चौ० मोहन राजवंशी, 6. सुजीत माल पहाड़िया, 7. स०अ०नि० देवानन्द कुमार।	—	1 जप्ती सूची F.S.L. रिपोर्ट DC senction	
19.	पाकुड़ मालपहाड़ी ओपी थाना काण्ड सं०-238/15, दिनांक-19.06.2015. धारा-4/5 वि०पदा० अधि० ST-163/16	1.मेहरूल शेख पे० हमसेड शेख, सा०-सिंघड़ा बोनापाड़ा, 3. बाबूल शेख पे० तोहर शेख सा०-ऑटोगली, दोनों थाना मालपहाड़ी, 3. हुरीन शेख पे० राजग्राम, थाना-मुरारोई जिला-बीरभूम।	(बिना अनुमति के विस्फोटक पदार्थ रखना)	बाहर है।	A.D.J.	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	पु०अ०नि० महेश प्रसाद।	1.आ० 68 संजय मराण्डी, 2. आ०-109 रास बिहारी यादव, 3. 237 विश्व रंजन कुमार, 4. 390 संतोष कुमार मण्डल, 5. स०अ०नि० अखिलेश प्रसाद।	—	1 जप्ती सूची F.S.L. रिपोर्ट DC senction	
20.	पाकुड़ मालपहाड़ी ओपी थाना काण्ड सं०-181/15, दिनांक-06.05.2015. धारा-4/5 वि०पदा० अधि० ST-90/17	1.वसीम शेख पे० मैनुल शेख, सा०-विक्रमपुर, थाना-मु०, 2. हलीम शेख पे० स्व०० जुलू शेख सा०-गौरीपुर, थाना-मालपहाड़ी, 3. जोसीम शेख पे० सरफूल शेख सा०-पत्थरघट्टा, थाना-मालपहाड़ी, जिला-पाकुड़।	(अवैध विस्फोटक पदार्थ का परिवहन करना)	बाहर है।	A.D.J.	श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह पी०पी० मो०-9471133771	स०अ०नि० देवानन्द कुमार।	1. हव० रघुनाथ मांझी, 2. आ०-421 गोपीकान्त रजक, 3. आ०-109 रास बिहारी यादव, 4. स०अ०नि० अखिलेश प्रसाद।	1.मोहन राजवंशी पे० दुखन राजवंशी, 2. संजय कुमार पे० स्व० पंचम ठाकुर दोनों सा०-पैनमपाड़ा थाना-मालपहाड़ी जिला- पाकुड़।	1 जप्ती सूची F.S.L. रिपोर्ट DC senction	

पलामू जिला के त्वरित विचारण कराने हेतु योग्य 50 कांडो की विवरणी विहित प्रपत्र में निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी अनु०कर्ता, विशेषज्ञ चिकित्सक का नाम, पता एवं मो०सं०	गवाह, चिकित्सक का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	मनातू थाना कांड सं० 13/17, दिनांक 16.03.17, धारा 376 (2) (जी) एवं 3/4 पोक्सो एक्ट। पोक्सो 08/17	1. उपेन्द्र यादव पिता घरी यादव। 2. पूनम यादव पिता कुलेश्वर यादव दोनों सा० डुमरवार थाना कुंदा जिला चतरा।	यह कांड वादिनी गुडिया कुमारी उम्र लगभग 15 वर्ष पिता कृष्णा मिस्त्री सा० चक थाना मनातू जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० 1. उपेन्द्र यादव पिता घरी यादव एवं 2. पूनम यादव उर्फ पुन यादव पिता कुलेश्वर यादव दोनों सा० डुमरवार थाना कुंदा जिला चतरा के विरुद्ध वादिनी के साथ जबरन सामुहिक बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1.उपेन्द्र यादव-जामानत पर। 2. पुनम यादव उर्फ पुन यादव पलामू जेल में।	ए०डी०जे०-01, पलामू।		1. कांड वादिनी गुडिया कुमारी पिता कृष्णा मिस्त्री सा० चक थाना मनातू जिला पलामू।	1. अनु०कर्ता योगेन्द्र पासवान मनातू थाना जिला पलामू।	1 रंजन मिस्त्री पिता कृष्णा मिस्त्र। 2 शिवराज कुमार शर्मा पिता कृष्णा मिस्त्री। 3. कृष्णा मिस्त्री पिता स्व० प्रमेश्वर मिस्त्री। 4 कुन्ती देवी पति कृष्णा मिस्त्री। 5 सरिता देवी पति रंजन मिस्त्री। 6 सीमा देवी पति शिवराज मिस्त्री सभी सा० चक थाना मनातू जिला पलामू।		
2	मनातू थाना कांड सं० 31/17 दिनांक 21.06.17 धारा 376 (I) (V) भा०द०वि० एवं 3/4 पोक्सो एक्ट। पोक्सो-25/17	1. साबिर अंसारी पिता सहाबु अंसारी सा० कुसरी थाना मनातू जिला पलामू।	यह कांड वादिनी पिंकी कुमार पिता महेन्द्र प्रसाद सा० रबदा थाना मनातू जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. साबीर अंसारी पिता सहाबु अंसारी सा० कुसरी थाना मनातू जिला पलामू के विरुद्ध नाबालिग वादिनी को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1.साबीर अंसारी पलामू जेल में।	ए०डी०जे०-01, पालमू।		1. वादिनी पिंकी कुमारी पिता महेन्द्र प्रसाद सा० रबदा थाना मनातू जिला पलामू।	1 अनु०कर्ता सा० अ० नि० अशोक कुमार सिंह मनातू थाना जिला पलामू। 2 डॉ० भी० के० सिन्हा। 3 डॉ० एस० जयमाला। 4 डॉ० ए० यादव सभी चिकित्सक सदर अस्पताल डालटनगंज पलामू।	1. सुषमा देवी पति महेन्द्र प्र० अग्रवाल। 2. महेन्द्र प्र० अग्रवाल पिता स्व० गोपाल प्र० अग्रवाल। 3 जगदीश सिंह पिता स्व० परमेश्वर सिंह उर्फ देवता सिंह। 4. बाबुलाल मॉझी पिता स्व० रामाधनी मॉझी। 5 राजेन्द्र राम पिता स्व० तुनु राम। 6. ललीत कुमार पिता जगदीश मॉझी सभी सा० रबदा थाना मनातू जिला पलामू।		

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	पॉकी थाना कांड सं० 14/17 दिनांक 01.02.17 धारा 376 (I)(w) भा० द० वि० एवं 4 लैंगिक अपराधों से बालाको का सरक्षण अधिनियम 2012 (4 पोक्सो एक्ट)। पोक्सो-01/17	1. रमेश भुईया पिता स्व० बरत भुईया सा० बाँकी खुर्द थाना पॉकी जिला पलामू।	यह कांड वादनी पिंकी कुमारी पिता सीताराम भुईया सा० बाँकी खुर्द थाना पांकी जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. रमेश भुईया पिता स्व० बरत भुईया सा० बाँकी खुर्द थाना पॉकी जिला पलामू के बिरुद्ध नाबालिंग लडकी के साथ बालात्कार करने के आरोप में दर्ज है।	1. रमेश भुईया जले में।	ए०डी०जे०-01, पालमू।		1 वादनी पिंकी कुमारी पिता सीताराम भुईया सा० बाँकी खुर्द थाना पांकी जिला पलामू।	1. अनु०कर्ता पु०अ०नि० महेन्द्र हेम्ब्रम पॉकी थाना जिला पलामू।	1. चान्दो देवी पति सीताराम भुईया। 2 दीपाली देवी पति विलास साव। 3 सीताराम भुईया पिता स्व० तुलसी भुईया। सभी सा० बाँकी खुर्द थाना पॉकी जिला पलामू।	

एस०सी०/एस०टी० एक्ट।

4	पाटन थाना कांड सं० 60/17, दिनांक 01.07.17, धारा 376 डी० भा० द० वि० एवं 3/4 एस०सी०/एस०टी० एक्ट। एस०सी०/एस०टी० 133/17	1 रजाव मिया पिता खुर्शीद मिया सा० केल्हार टोला चिरैयाटांड थाना पाटन जिला पलामू।	यह कांड वादिनी किरण कुमारी पिता रामचन्द्र राम सा० जोडा कला थाना पाटन जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा० अभि० रजाव मिया पिता खुर्शीद मिया सा० केल्हार टोला चिरैयाटांड थाना पाटन जिला पलामू एवं दो अज्ञात के विरुद्ध वादिनी को घर से बाहर निकाल कर जबरन बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1 रजाव मिया जेल में।	ए०डी०जे०-01, पालमू।		1. वादिनी किरण कुमारी पिता रामचन्द्र राम सा० जोडा कला थाना पाटन जिला पलामू।	1. अनु० कर्ता पु०अ०नि० राकेश कुमार रवि पाटन थाना जिला पलामू। 2 डॉ एन० के० सिंह। सदर अस्पताल डालटनगंज पालमू।	1. रामचन्द्र राम पिता स्व० शिव राम। 2. राजकलिया देवी पति रामचन्द्र राम। 3. लखन भुईया पिता स्व० हरि भुईया। 4. उर्मिला देवी पति अखेलश भुईया। सभी सा० जोडा कला थाना पाटन जिला पलामू।	
---	---	---	---	----------------------	---------------------	--	---	---	--	--

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9

5	हरिहरगंज थाना कांड सं0 15/18 दिनांक 02.02.18 धारा 376 भा0द0वि0 एवं 3(1) (R)(W) एस0सी0/एस 0टी0 एक्ट। एस0सी0/एस 0टी0 24/18	1. गोपाल साव पिता स्व0 हरि साव सा0 डबर बिधा, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद (बिहार)।	यह कांड वादिनी सुनैना देवी दिनांक 28.01.18 को लकडी चुनने कुलीया जंगल जोगीय मन्दिर के दक्षिण तरफ गई थी, इसी क्रम में अभि0 गोपाल साव ने वादनी को अकले पाकर जबरन बलात्कार किया एव विरोध करने पर जाति सूचक शब्द से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दिया।	1 गोपाल साव जेल में।	ए0डी0जे0-01, पलामू।		1. वादनी सुनैना देवी पति जिमेदार पासवान सा0 डबर बिधाह, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद (बिहार)।	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 हरि नारायण सिंह हरिहरगंज थाना पलामू। 2. डॉ0 निलम होरो। 3 स्नेह लता त्रिपाठी दोनो सदर स्पताल पलामू।	1. चन्दन कुमार पिता संभु पासवान सा0 सिकरीया थाना कुटुम्बा। 2. नरेश पासवान पिता स्व0 राजदेव पासवान 3. जिमेदार पासवान पिता स्व0 लखन पासवान। 4. रामबलि यादव पिता विरण यादव 5. कृष्णा यादव पिता स्व0 जगदेव यादव। 6 दुखन साव पिता स्व0 हरि साव। 7 सुनिल यादव पिता नारायण यादव सभी सा0 डबर बिधाह थाना कुटुम्बा जिला औरंगाबाद (बिहार)	
6	पाटन थाना कांड सं0 29/16 दिनांक 26.03.16 धारा 364/34 भा0द0वि0 समायोजित धारा 319/376 (डी) /302/149 / 201 भा0द0वि0 एवं 3/4 एस0सी0/एस 0टी0 एक्ट। एस0सी0/एस 0टी0 15/16	1. इकबाल अंसारी पिता मो0 सरफुदीन अंसारी। 2 राकेश कुमार सिंह पिता शिवदत्त सिंह सा0 पूरनाडीह। 3. विजय कुमार यादव पिता सीता यादव सा0 पचकेरिया थाना नावाजयपुर। 4 रामजीत मेहता उर्फ रंजीत पिता विन्देश्वरी मेहता सा0 बंजारी। 5 सोनू कुमार मेहता पिता लालदीन मेहता सा0 बंजारी। 6. पारस यादव पिता सीता यादव सा0 बंजारी। 7. ओम प्रकाश सिंह पिता राधेश्याम सिंह सा0 किसैनीई गौडमारा। 8 अखिलेश पाल पिता इन्द्रदेव पाल सा0 बजारी। 9. चन्दन यादव पिता	यह कांड वादिनी शान्ती देवी पति नन्दकिशोर भुईया के फर्दबयान के आधार पर 03-04 अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादिनी की बहन की नाबालिक बेटी का अपहरण करने के आरोप में दर्ज है।	1. इकबाल अंसारी जेल में। 2 राकेश कुमार सिंह जमानत पर। 3 विजय कुमार यादव जेल में। 4 रामजीत मेहता उर्फ रंजीत जेल में। 5 सोनू कुमार मेहता जेल में। 6 पारस यादव जेल में। 7 ओम प्रकाश सिंह जमानत पर। 8 अखिलेश पाल जमानत पर। 9 चन्दन यादव जेल में। 10 सुरेन्द्र यादव जेल में।	ए0डी0जे0-01, पालमू।		1. वादिनी शान्ती देवी पति नन्दकिशोर भुईया सा0 सुखना थाना नावाजयपुर जिला पलामू।	1. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी नावाजयपुर जिला पलामू। 2 डॉ0 एस0एस0 होरो। 3. डॉ0 कृष्ण कुमार। 4 डॉ0 वि0के0 सिंह। 5 डॉ0 जे0एफ0 कालिन्दी सभी सदर अस्पताल डालटनगंज पलामू।	1. रजमनिया कुँवर पति स्व0 तबकल भुईया सा0 पंचकेरिया। 2. समुन्द्रीय देवी पति इस्पाल भुईया। 3. इस्पाल भुईया उर्फ प्रदीप भुईया पिता गंजु भुईया दोनो सा0 पंचकेरिया थाना नावाजयपुर। 4 योगेन्द्र महतो पिता बाला महतो सा0 बंजारी। 5 त्रिशुल भुईया पिता गंजु भुईया सा0 पंचकेरिया। 6 बिन्देशरी महतो पिता सीमन महतो सा0 किसैनी थाना पाटन सभी जिला पलामू।	

		शिवनाथ यादव सा0 बंजारी 10 सुरेन्द्र यादव पिता रामचन्द्र यादव सा0 पंचकरिया सभी थाना पाटन जिला पलामू।							
एन0डी0पी0एस0 एक्ट।									
7	शहर थाना कांड सं0 79/16, दिनांक 04.04.16 धारा 20/22 एन0डी0 पी0एस0 एक्ट। एन0 डी0 पी0 एस0 केस नं0 06/16	1.गुरु चरण साव पिता स्व0 राम ध्यान साव सा0 गवरलेटवा थाना पाण्डू जिला पलामू	यह कांड वादी स0अ0नि0 राणा जंग बहादुर सिंह, टी0ओ0पी0 प्रभारी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध तस्करी हेतू गांजा ले जाते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मे दर्ज कराया है।	अभि0 जमानत पर।	ए0डी0जे0-09 पलामू	वादी स0अ0नि0 राणा जंग बहादुर सिंह, टी0ओ0पी0 प्रभारी	1.स0अ0नि0 राणा जंग बहादुर सिंह,(9905180450) 2.आ0/1200 चंदन कुमार 3.आ0/1701 मुकेश कुमार सिंह 4.आ0/546 संदेश पाल 5. चा0गृह रक्षक/10601 निरंजन प्रसाद सिंह अनु0कर्ता0- पु0अ0नि0 जितेन्द्र नारायण सिंह	1.श्याम साव पिता उदय साव सा0 कान्दु मुहल्ला थाना शहर जिला पलामू 2. निरंजन कुमार पिता ललन राम सा0 बेलवाटीकर गुरुद्वारा के पास थाना शहर जिला पलामू	
8	हुसैनाबाद थाना कांड सं0 08/17, दिनांक 11.01.17, धारा 15/16 एन0डी0पी0एस0 0 एक्ट। एन0 डी0 पी0 एस0 केस नं0 01/17	1. राजेश कुमार गुप्ता पिता विधा साव सा0 झंडा चौक थाना हरिहरगंज जिला पलामू।	यह कांड वादी स0अ0नि0 जीतेन्द्र कुमार पिता स्व0 आदित्य सिंह हुसैनाबाद थाना के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. राजेश कुमार गुप्ता पिता विधा साव सा0 झंडा चौक थाना हरिहरगंज जिला पलामू के विरुद्ध अवैध गांजा के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	अभि0 1 राजेश कुमार गुप्ता- जमानत पर।	पी0डी0जे0 पलामू	1. वादी स0अ0नि0 जीतेन्द्र कुमार हुसैनाबाद थाना जिला पलामू।	1. हव0 जोनेश सोय। 2. आ0 1982 दिनेश राम दोनो रिजर्व बल हुसैनाबाद थाना। 3. श्री मनोज कुमार महतो अनु0 पु0 पदा0 हुसैनाबाद जिला पलामू। 4. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 समीर सिंह हुसैनाबाद थाना जिला पलामू। 5. डॉ0 के0 कुमारी Asstt Director 6. ए0 के0 बापुली Director दोनों राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखण्ड, राँची।		

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	जपती सूची के गवाह:- 1. हव० जोनेश सोय। 2. आ० 1982 दिनेश राम दोनो रिजर्व बल हुसैनाबाद थाना।	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5			6	7	8	9

लूट डकैती

9	रेहला थाना कांड सं० 44/16, दिनांक 20.08.16, धारा 394/411 भा०द०वि०। जी०आर०नं०-1 446/16	1. कुश सिंह पिता स्व० विरेन्द्र सिंह सा० आर्दश नगर। 2. चंदन चौबे पिता स्व० शैलेन्द्र चौबे। 3. मोनु चौबे पिता महेन्द्र चौबे सा० रेहला स्टेट बैंक के पास 4. भोलु सिंह पिता दिनेश सिंह सा० कान्ती थाना पाण्डु सभी जिला पलामू।	यह कांड वादी हरपाल सिंह पिता अमृत सिंह सा० मटेही थाना सिजौली जिला बहराईच (उ०प्र०) के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी अभि० 1. कुश सिंह पिता स्व० विरेन्द्र सिंह सा० आर्दश नगर। 2. चंदन चौबे पिता स्व० शैलेन्द्र चौबे। 3. मोनु चौबे पिता महेन्द्र चौबे सा० रेहला स्टेट बैंक के पास 4. भोलु सिंह पिता दिनेश सिंह सा० कान्ती थाना पाण्डु सभी जिला पलामू के विरुद्ध वादी को चाकू से मारकर घायल करते हुए नगद रूपया आदि लुटपाट करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	चारो अभियुक्त जमानत पर।	सी०जे०एम०, पलामू।		1. वादी हरपाल सिंह पिता अमृत सिंह सा० मटेही थाना सिजौली जिला बहराईच (उ०प्र०)।	1. अनु०कर्ता पु०अ०नि० अरविन्द कुमार सिंह रेहला थाना पलामू।	1. कुलदीप चन्द्रवंशी पिता राम नरेश राम सा० नेनुआ थाना रेहला जिला पलामू। 2. जिम्मेदार सिंह पिता स्व० शंकर सिंह सा० नारायणपुर खाप थाना वारुण जिला औरंगाबाद बिहार। 3. अजय कुमार सिंह पिता स्व० राजेन्द्र सिंह सा० देवजरा थाना मदनपुर जिला औरंगाबाद बिहार। 4. नवीर अहमद पिता अब्दुल सम्मत। 5. सचिन कुमार पासवान पिता दिलीप कुमार पासवान। 5 फरीद खान पिता फिरोज खान। 6 अरुण सिंह पिता सजदेव सिंह। 7 सरफराज अहमद पिता अब्दुल सम्मत सभी सा० कमता थाना रेहला जिला पलामू। जपती सूची के गवाह 1. अनिल गोस्वामी पिता शिवशंकर गोस्वामी। 2. परवेश राम पिता राज कुमार राम दोनों सा० केतात खुर्द कला थाना रेहला जिला पलामू।	
क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10	सदर (सतबरवा) थाना कांड सं0 132/17, दिनांक 23.09. 17 धारा 395 /412/ 414 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0नं0-1 52/18	1 गुलाब सिंह पिता तेतर सिंह। 2 विककी कुमार चन्द्रवंशी पिता सुरेन्द्र चन्द्रवंशी दोनों सा0 सिक्की कला थाना पाटन। 3. निरंतन सिंह पिता फलेश्वर सिंह। 4 पुरन चन्द्र सिंह पिता ललन सिंह। 5. अंजत कुमार सिंह पिता राजेश्वर सिंह तीनों सा0 सिक्का थाना पडवा। 6 संकलेश कुमार सिंह पिता प्रमोद कुमार सिंह सा0 मेराल थाना पाटन सभी जिला पलामू।	यह कांड वादी सुनील पाण्डेय पिता स्व0 महेश्वर पाण्डेय सा0 भोगु थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात 06 अपराध कर्मियों के विरुद्ध पेट्रोल पम्प से दो मोटर साईकिल में हथियार दिखाकर जबरदस्ती फुल टंकी पेट्रोल लेने, नगद पैसा मोबाईल, लूट पाट कर भाग जाने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	1 गुलाब सिंह- जेल में। 2 विककी कुमार चन्द्रवंशी - जमानत पर। 3 निरंतन सिंह- जेल में। 4 पुरन चन्द्र सिंह- जेल में। 5 अंजत कुमार सिंह- जमानत पर। 6 संकलेश कुमार सिंह- जेल में।	पी0डी0जे0, पलामू।		1. वादी सुनील पाण्डेय पिता स्व0 महेश्वर पाण्डेय सा0 भोगु थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू।	जपती सूची के गवाह 1. आ0 940 टुनटुन यादव 2. आ0 783 अरुण कुमार बाउरी सभी रिजर्व गार्ड सतबरवा ओ0पी0 पलामू। 3 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू।	1. दिवाकर दूबे पिता चन्द्रशेखर दूबे सा0 पकडी जिला पलामू। 2. कलाम अंसारी पिता करीमुद्दीन अंसारी सा0 पोलपोल थाना सतबरवा ओ0पी0 पलामू। 3.अमीत कुमार पाठक पिता गिरीधारी पाठक सा0 कजरी खुर्द लालगढ बिहार थाना विश्रामपुर जिला पलामू। 4 विकेश तिवारी पिता स्व0 सोनभद्र तिवारी सा0 रेडमा देवी मंडप के पास थाना शहर जिला पलामू।	
क्र0सं0	कांड सं0, तिथि, धारा, जी0आर0, एस0टी0नं0	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी0पी0/ए0पी0पी0 का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु0कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो0सं0	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो0 सं0	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	हुसैनाबाद थाना कांड सं0 152/16 दिनांक 26.08. 16 धारा 392 भा0द0वि0। जी0आर0नं0 1492/16	1. बबलु कुमार बैठा उर्फ चन्दन कुमार बैठा पे0 दुर्गा बैठा सा0 डिहरी विश्रामपुर थाना हुसैनाबाद जिला पलामू। 2. सोनू सिंह पिता अक्षय सिंह सा0 विसनपुर थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	यह कांड वादी श्याम लाल पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर दो अज्ञात लडका के विरुद्ध लपड-थपड मार पीट कर 5000 रू0 एवं मोबाईल लुटने के आरोप में दर्ज है।	दोनों अभियुक्त जमानत पर।	एस0डी0जे0एम0 पलामू		1. वादी श्याम लाल पासवान पिता दुखन पासवान सा0 मोकर थाना अरडेर जिला रोहतास (बिहार)। वतर्मान जपला स्टेटशन रोड में विश्वनाथ के मकान में भाडेदार थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	1. अनु0कर्ता स0अ0नि0 उदय सिंह थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	1. नरेष राम पिता स्व0 सोमर राम। 2. शंभु राम पिता जगेश्वर राम दोनों सा0 दुलहर थाना हुसैनाबाद जिला पलामू। जपती सूची के गवाह 1. कृष्णा राम पिता मुसाफिर राम सा0 मोकर थाना अगडेर जिला रोहतास वतर्मान पता स्टेटशन रोड में विश्वनाथ साव के मकान में भाडेदार थाना हुसैनाबाद जिला पलामू। 2. विमलेश कुमार सिंह पिता स्व0 दिनेश्वर सिंह सा0 सरहु थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	
डकैती की योजना बनाना										
क्र0सं0	कांड सं0, तिथि, धारा, जी0आर0, एस0टी0नं0	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी0पी0/ए0पी0पी0 का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु0कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो0 सं0	अभियुक्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12	<p>पांकी थाना कांड सं0 05/18 दिनांक 11.01.18 धारा 399/402/414 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>जी0आर0नं0 83/18</p>	<p>1. अब्दुल गफफार पिता मो0 इजरार्ई अंसारी सा0 उरुगुटु थाना ठाकुर गाँव जिला राँची।</p> <p>2. मो0 फारुख अंसारी पिता हाजी अजीज अंसारी सा0 करकट्टा थाना पिठोरिया जिला राँची।</p> <p>3. अर्जुन उरॉव पिता रमनु उरॉव सा0 बरियातु अम्बाडीह थाना बालुमाथ जिला लातेहार।</p> <p>4 मो0 सजाद अंसारी पिता रहीम अंसारी सा0 बारीडीह थाना कुडु जिला लोहरदगा।</p> <p>5 मो0 क्युम अंसारी पिता स्व0 मोहिदीन अंसारी सा0 साहपुर टोला पनेरीबान थाना चैनपुर जिला पलामू।</p> <p>6 पिन्दु कुमार सा0 लोहरसी थाना पिपराटॉड जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी श्री चन्द्रशेखर आजाद पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षु) वर्तमान पांकी थाना प्रभारी जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. अब्दुल गफफार पिता मो0 इजरार्ई अंसारी सा0 उरुगुटु थाना ठाकुर गाँव जिला राँची।</p> <p>2. मो0 फारुख अंसारी पिता हाजी अजीज अंसारी सा0 करकट्टा थाना पिठोरिया जिला राँची।</p> <p>3. अर्जुन उरॉव पिता रमनु उरॉव सा0 बरियातु अम्बाडीह थाना बालुमाथ जिला लातेहार।</p> <p>4 मो0 सजाद अंसारी पिता रहीम अंसारी सा0 बारीडीह थाना कुडु जिला लोहरदगा।</p> <p>5 मो0 क्युम अंसारी पिता स्व0 मोहिदीन अंसारी सा0 साहपुर टोला पनेरीबान थाना चैनपुर जिला पलामू।</p> <p>6 पिन्दु कुमार पिता पता नही के विरुद्ध हथियार एवं गोली के साथ लूट-पाट की योजना बनाते तथा चोरी के संपत्ति के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	सभी अभियुक्त जेल में।	सी0जे0एम0, पलामू।	1.वादी श्री चन्द्रशेखर आजाद पुलिस उपाधीक्षक (प्रशिक्षु) वर्तमान पांकी थाना प्रभारी जिला पलामू।	<p>1 पु0अ0नि0 नरेश मंडल।</p> <p>2 पु0अ0नि0 कमदेव सिंह।</p> <p>3. स0अ0नि0 महेश राम।</p> <p>4. आ0 419 राजु कुमार सिंह।</p> <p>5 आ0 1586 बिकाश कुमार चौबे।</p> <p>6. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 नागेन्द्र प्रसाद सिन्हा।</p> <p>7. स0अ0नि0 आकुब अंसारी सभी पांकी थाना जिला पलामू।</p> <p>8 परिचारी प्रवर समीर कुमार सिंह पुलिस केन्द्र पलामू।</p> <p>जप्ती सूची के गवाह</p> <p>1 आ0 419 राजु कुमार सिंह।</p> <p>2 आ0 1586 बिकाश कुमार चौबे।</p>		

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	पॉकी थाना कांड सं० 12/18 दिनांक 28.01.18 धारा 399/402/414/भा०दि० व० एवं 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं० 210/18	1 दशरथ उरॉव उर्फ कौशल उरॉव पिता श्री बहादुर उरॉव सा० राधाडीह सुरजबन। 2 नन्द किशोर महतो उर्फ लम्बु पिता स्व० व्यास महतो सा० डंडारकला। 3 सन्देव उरॉव पिता बालदेव उरॉव सा० पंचफेरी तीनों थाना पॉकी जिला पलामू।	यह कांड वादी पु०अ०नि० ललित कुमार थाना प्रभारी पॉकी जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा०अभि०1 दशरथ उरॉव उर्फ कौशल उरॉव पिता श्री बहादुर उरॉव सा० राधाडीह सुरजबन 2 नन्द किशोर महतो उर्फ लम्बु पिता स्व० व्यास महतो सा० डंडारकला। 3 सन्देव उरॉव पिता बालदेव उरॉव सा० पंचफेरी तीनों थाना पॉकी जिला पलामू 4 हरेन्द्र यादव उर्फ सुन्दर यादव सा० ताल बरी 5 परसा यादव पिता अंकित नही सा० माडन एवं अन्य 02 अज्ञात सभी थाना पॉकी जिला पलामू के विरुद्ध हथियार के बल पर लूट पाट की योजना एवं सम्पत्ति बरामद होने के आरोप में दर्ज किया गया है।	सभी अभियुक्त जेल में।	सी०जे०एम० पलामू।		1. वादी पु०अ०नि० ललित कुमार थाना प्रभारी पॉकी जिला पलामू।	1. पु०नि० जय प्रकाश सिंह पॉकी अंचल पलामू। 2 आ० 1586 विकास कु० चौबे। 3 आ० 403 ललन कुमार यादव। 4 हव० निसार खॉ। 5 हव० बिरेन्द्र लकडा। 6 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 7 अनु०कर्ता स०अ०नि० चदेश्वर रविदास पॉकी थाना पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1 आ० 1586 विकास कु० चौबे। 2 आ० 403 ललन कुमार यादव।		
क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

14	<p>रामगढ थाना कांड सं० 10/16 दिनांक 29.03.16 धारा 364ए/34 भा०द०वि० समायोजित धारा 302/201/1 49 भा०द०वि०। अभि०-कमलेश भुईया का एस०टी०नं०-3 38/16 साक्ष्य पर 09.05.18 अभि०- पिन्दु भुईया का एस०टी०नं०-1 81/18</p>	<p>1. कमलेश भुईया पिता भोला भुईया सा० पटसर। रामकंडा जिला गढवा। 2. सत्येन्द्र साव उर्फ सत्येन्द्र साव पिता शंकर साव सा० नावाडीह थाना रामगढ जिला पलामू। 3. मोहन भुईया पिता बिगन भुईया सा० पटसर थाना रामकंडा जिला गढवा। 4. रामषरण भुईया पिता रामजनम भुईया सा० बेरमा थाना रामगढ। 5. देवनाथ भुईया पिता भावर भुईया सा० पटसर थाना रामकंडा जिला गढवा। 6. धमेन्द्र भुईया पिता सुखराज भुईया 7. अमर भुईया पिता सुखराज भुईया। 8. बिनोद भुईया पिता टेनी भुईया। 9. पिन्दु भुईया पिता बुधन भुईया चारो सा० उदयपुर चौवमाथ थाना रामगढ जिला पलामू।</p>	<p>दिनांक 27/28.03.16 वादी के पिता भोला कोडवा अपने साला नथु कोडवा के साथ गाँव से थोड़ी दूर पर अवस्थित अपने भंडर परा फसल की रखवाली करने गये थे और भोला कोडवा अन्दर वाले कमरा तथा नथु कोडवा बरामदा मे सोया था करीब 12.00 बजे रात्री में 07-08 अज्ञात अपराधकर्मी (कॉलम तीन अंकित अभि०) भोला कोडव एवं नथु कोडवा का फिरोति के लिए अपहरण कर लिया बाद में नथु कोडवा को छोड दिया। फिरोति के रकम नही मिलने पर भोला कोडव की हत्या कर नदी में बालु के निच लाष को छिपा दिया।</p>	<p>अभि० 1 बिनोद भुईया- जेल में। शेष अभि०- जमानत पर।</p>	<p>ए०डी०जे०-09, पलामू।</p>	<p>1. रामप्रवेश कोडवा पिता स्व० भोला कोडवा सा० गोरे थाना रामगढ जिला पलामू।</p>	<p>1. अनु०कर्ता पु०अ०नि० देवेन्द्र कुमार सिंह थाना रामगढ। 2. पु०अ०नि० संतोष कुमार थाना प्रभारी रामगढ दोनो जिला पलामू। 3. एस०के० पाण्डये सदर अस्पताल डालटनज पलामू।</p>	<p>1. सरीता देवी पति राम प्रवेश कोडवा। 2. दुर्गावति देवी पति विरेन्द्र कोडवा सा० गोरे थाना रामगढ जिला पलामू। 3. नथु कोडवा पिता स्व० लालजी कोडवा सा० रक्सी थाना रामकंडा जिला गढवा। 4. अब्दुल कलाम अंसारी पिता स्व० गफुर अंसारी सा० गोरे थाना रामगढ जिला पलामू। 5. विष्णु यादव पिता स्व० तुलसी यादव सा० गोरो थाना रामगढ जिला पलामू।</p>
----	---	---	--	---	----------------------------	--	---	---

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

15	पाण्डू थाना कांड सं० 22/13, दिनांक 01.06.13, धारा 406/420/409/120 बी भा०द०वि०। जी०आर०-995 / 13	1. श्रीमति रीना देवी पति सुनिल पाल (मखिया) सा० कुटमु थाना पाण्डू जिला पलामू। 2. देवरती सिंह (पंचायत सेवक कुटमु पंचायत) पे० स्व० विगु सिंह सा० कसीयाडीह थाना सतबरवा जिला पलामू। 3 जय कुमार राम पिता प्रेम राम प्रखंड विकाश पदाधिकारी पाण्डू जिला पलामू। स्थायी पता कटकमदाग थाना कटकमसांगी जिला हजारीबाग।	यह कांड वादी भिखारी रजवार पिता स्व० अकलु रजवार ग्राम कुटमु थाना पाण्डू जिला पलामू के कोर्ट परिवार पत्र के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध इन्दरा आवास के लाभको के चयन में अनियमितता बरतते हुए जालसाजी पूर्वक आवंटन किये जाने के आरोप में दर्ज है।	1. तीनो अभि०-जमानत पर।	श्री रोहित कुमार जे०एम० प्रथम श्रेणी, पलामू		1. वादी भिखारी रजवार पिता स्व० अकलु रजवार ग्राम कुटमु थाना पाण्डू जिला पलामू।	1. अनु०कर्ता स०अ०नि० विनोद कुमार थाना पाण्डू जिला पलामू।	1. नीलम देवी पति विकाश कुमार यादव। 2 संजय राम पिता स्व० कैलाश राम। 3 मधुबाला देवी पति प्रमोद भाई पटेल। 4 पिन्दु कुमार पासवान पिता ज्ञानी पासवान। 5 प्रमोद भाई पटेल पिता राम निवास पटेल। 6 राम चन्द्र साव पिता स्व० गरीवा साव। 7 बिनोद विश्वकर्मा पिता गौरी शंकर। 8 विफन राम पिता फदैनी राम सभी सा० कुटमु थाना पण्डू। 9 रवि रंजन शर्मा पिता रघुनाथ शर्मा। 10 मोहन चौधरी पिता मोती चौधरी। 11 जगमोहन चौधरी पिता राम लखन चौधरी। 12 दिनेश चौधरी पिता अमर चौधरी सभी सा० लेदुका थाना पाण्डू सभी जिला पलामू। जपती सूची का गवाह
----	---	---	---	------------------------	---	--	---	--	--

बलात्कार

16	लेस्लीगंज थाना कांड सं० 81/17, दिनांक-26.06.17 धारा 363/370/376/34 भा०द०वि०। एस०टी०नं०-6 7/18	1. मीना देवी पति निर्मल मिस्त्री सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज। 2. सुजीत कुमार मेहता उर्फ प्रफुल पिता अगस्त महतो। 3. जय प्रकाश शर्मा पिता पिताम्बर मिस्त्री दोनों सा०+थाना पडवा सभी जिला पलामू।	यह कांड वादी खीरोची भुईया पिता स्व० मुलु भुईया सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज जिला पलामू के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मीना देवी पति निर्मल मिस्त्री सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज। 2. सुजीत कुमार मेहता उर्फ प्रफुल पिता अगस्त महतो। 3. जय प्रकाश शर्मा पिता पिताम्बर मिस्त्री दोनों सा०+थाना पडवा सभी	1. तीनो अभि०-जमानत पर।	पी०डी०जे०, पलामू।		1. वादी खीरोची भुईया पिता स्व० मुलु भुईया सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज पलामू।	1. डॉ० वी०के० सिंह। 2. डॉ० एस० त्रिपाठी। 3. डॉ० अर्चना तिवारी सभी चिकित्सा पदा० सदर अस्पताल मेदिनीनगर पलामू। 4. अनु०कर्ता स०अ०नि० रीतलाल प्रसाद यादव लेस्लीगंज थाना पलामू।	1. राधा देवी पति खीरोची भुईया। 2. सुनिता देवी पिता खीरोची भुईया। 3. राधिका भुईया पिता खीरोची भुईया। 4. आरतेस भुईया पिता प्रयाग भुईया सभी सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज थाना पलामू। प्रस्तुती सह जपती सूची के गवाह 1. राधिका भुईया पिता खीरोची भुईया। 2. आरतेस भुईया पिता प्रयाग भुईया सभी सा० पहाडी कला थाना लेस्लीगंज थाना पलामू।
----	--	--	---	------------------------	-------------------	--	---	---	--

			जिला पलामू के विरुद्ध शादी सुदा लडकी को बहला फुसलाकर दूसरी शादी करने के नियत से लेकर जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।							
क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरण	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	सदर (सतबरवा) थाना कांड सं० 104/17, दिनांक 17.07.17, धारा 376 भा०द०वि०। एस०टी०नं०-356/17	1. राम पुकार चौधरी पिता राजमुनी चौधरी सा० कुंडेलवा थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू।	यह कांड वादी अम्बिका प्रजापति पिता स्व० रामवृक्ष प्रजापति सा० कुंडेलवा थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त रामपुकार चौधरी पिता राजमुनी चौधरी सा० कुंडेलवा थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू के विरुद्ध वादी की गंगी लडकी से जबरजस्ती बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1. अभि० राम पुकार चौधरी-जेल में।	पी०डी०जे०, पलामू।		1. वादी अम्बिका प्रजापति पिता स्व० रामवृक्ष प्रजापति सा० कुंडेलवा थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू।	1. डॉ० वी० के० सिंह चिकित्सक पदाधिकारी सदर अस्पताल पलामू। 2. अनु०कर्ता पु०अ०नि० नवीन प्रसाद सदर (सतबरवा) थाना पलामू।	1. दुर्गा देवी पति अम्बिका प्रजापति। 2. अविनाष कुमार प्रजापति पिता मनोज प्रजापति। 3. दिलीप कुमार चौधरी पिता स्व० रामेश्वर चौधरी। 4. माखो कुंवर पति स्व० भंगी प्रजापति। 5. सूर्यनाथ प्रजापति पिता स्व० रामवृक्ष प्रजापति सभी सा० कुंडेलवा थाना सदर (सतबरवा) जिला पलामू।	
18	पडवा थाना कांड सं० 15/18, दिनांक 23.02.18 धारा 376 भा०द०वि०। जी०आर०नं०-400/18	1 सुबोध भुईया उर्फ सिबोध पिता जोखन उर्फ नन्द किषोर भुईया सा० खाखर टोला पडवा मोड थाना पडवा जिला पलामू।	यह कांड वादिनी सुगिया देवी पति रविन्द्र भुईया सा० खाखर टोला पाडवा मोड थाना पडवा जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा० अभि० 1 सुबोध भुईया पिता जोखन उर्फ नन्द किषोर भुईया सा० खाखर टोला पडवा मोड थाना पडवा जिला पलामू के विरुद्ध वादिनी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया	अभि० 1 सुबोध भुईया उर्फ सिबोध भुईया -जेल में।	श्री राजेन्द्र प्रसाद न्या० दण्डा प्रथम श्रेणी पलामू।		1. वादिनी सुगिया देवी पति रविन्द्र भुईया सा० खाखर टोला पाडवा मोड थाना पडवा जिला पलामू।	1. अनु०कर्ता स०अ०नि० सच्चिदानन्द शर्मा पडवा थाना जिला पलामू। 2. डॉ० विजय कुमार सिंह 3. डॉ० उषा किरण सिंह। दोनो सदर अस्पताल डालटनगंज पलामू।	1. परसु विष्वकर्मा पिता स्व० कृत विष्वकर्मा। 2. सोनू कुमार पिता सुनील भुईया। 3. सिबोध भुईया पिता जोखन भुईया। 4. रविन्द्र भुईया पिता राज किषोर भुईया। 5. जय मूर्ति देवी पति राज किषोर भुईया सभी सा० सा० खाखर टोला थाना पडवा जिला पलामू। जपती सूची के गवाह 1. सुनील महतो पिता स्व० वुहन भुईया। 2. संजय भुईया पिता स्व० वुहन भुईया दोनो सा० पडवा खाखर टोला थाना पडवा जिला पलामू।	

			गया है।							
हत्या										
19	हैदरनगर थाना कांड संख्या-19/18 दिनांक 08.02.18 धारा-376/302/201/34 भा0द0वि0 जी0आर0-314/18	1.रामप्रवेश राम (वादी), 2. रंजीत राम उर्फ बबलू पिता स्व0 सरयू राम दोनो सा0 हैदरनगर गंज पर थाना हैदरनगर जिला पलामू	यह कांड वादी रामप्रवेश राम पिता श्री विश्वनाथ राम सा0 सा0 हैदरनगर गंज पर थाना हैदरनगर जिला पलामू के फर्दबयान के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादी की लडकी की हत्या कर शव को छिपाने के नियत दूसरे जगह पर फेंक देने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	1.रामप्रवेश राम (वादी), 2. रंजीत राम उर्फ बबलू जेल में।	श्री राजेन्द्र प्रसाद जे0एम0 प्रथम श्रेणी, पलामू		1.रामप्रवेश राम पिता विश्वनाथ राम, सा0 हैदरनगर गंज पर थाना हैदरनगर जिला पलामू	1.	1.कुंती देवी (मृतिका की मां) पति रामप्रवेश 2.आरती कुमारी पिता रामप्रवेश राम 3.भुनेश राम पिता विश्वनाथ राम, 4. पंकज कुमार, 5. दीपक कुमार दोनो पिता रामप्रवेश राम सा0 हैदरनगर गंज पर थाना हैदरनगर जिला पलामू 6.अखिलेश कुमार पिता सुदामा चौधरी 7. सुनिल चौधरी पिता छट्टु चौधरी दोनो सा0 भजनिया थाना मोहम्मदगंज जिला पलामू 8.महबुब आलम उर्फ सज्जु पिता अब्दुल समद खां सा0 भाईविगहा थाना हैदरनगर जिला पलामू	
उग्रवादी										
20	लेस्लीगंज थाना कांड संख्या-98/15 दिनांक 23.09.15 धारा-25(1-बी) ए/26 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0एक्ट जी0आर0-1972/15	1.संजय कुमार महतो उर्फ संजू पिता बच्चू महतो, सा0 हरसंगरा थाना लेस्लीगंज जिला पलामू	यह कांड वादी पु0अ0नि0 निरजंन उरांव थाना प्रभारी लेस्लीगंज जिला पलामू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 संजय कुमार महतो उर्फ संजू पिता बच्चू महतो, सा0 हरसंगरा थाना लेस्लीगंज जिला पलामू के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं प्रतिबंधित बैनर के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	अभियुक्त जमानत पर।		पु0अ0नि0 निरजंन उरांव थाना प्रभारी लेस्लीगंज जिला पलामू	1. पु0अ0नि0 निरजंन उरांव थाना प्रभारी लेस्लीगंज जिला पलामू 2.पु0अ0नि0 पोलिकर कुजूर 3.पु0/438 श्रवण बैठा 4.पु0/324 अजय कुमार 5.पु0/404 संजय कुमार रजक 6.पु0/335 संजय खाखा 7.पु0/410 बिरेन्द्र केरकेटा 8. हव0 चुन्नी लाल महतो अनु0कर्ता- स0अ0नि0 जुलियस हरदुगन कौनगाडी			

21	सदर(सतबरवा ओ0पी0) थाना कांड संख्या-07/14 दिनांक 08.01.14 धारा-25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0एक्ट जी0आर0-36/14	1.रंग बहादुर सिंह उर्फ राकेश जी उर्फ बहादुर पिता शीतल सिंह सा0 दुलसुलमा थाना सदर सतबरवा जिला पलामू 2.नन्ददेव प्रसाद उर्फ गुडडू साव पिता केशवर साव सा0 तेतरडीह थाना रमकंडा जिला गढवा 3. इन्द्रदेव सिंह पिता सीता राम सिंह सा0 दुलसुलमा थाना सदर सतबरवा जिला पलामू 4.संजय सिंह पिता किशुन देव सिंह दुलसुलमा थाना सदर सतबरवा जिला पलामू	यह कांड वादी पु0अ0नि0 महेश्वर प्रसाद रंजन थाना प्रभारी सतबरवा ओ0पी0 जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध हथियार एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाना तथा प्रतिबंधित उग्रवादी क्रियाकलाप में शामिल होने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	1.रंग बहादुर सिंह उर्फ राकेश जी उर्फ बहादुर जेल में एवं शेष अभियुक्त जमानत पर।	श्री दीपक कुमार जे0एम0 प्रथम श्रेणी, पलामू		पु0अ0नि0 महेश्वर प्रसाद रंजन थाना प्रभारी सतबरवा ओ0पी0 जिला पलामू	1.पु0अ0नि0 कुदराई चौडे 2.हव0 मिथलेश राय 3.हव0 प्रेमचन्द्र यादव 4.पु0/675 सुधीर कु0सिंह 5.पु0/659 बुटन उरांव 6.पु0/635 रामजी रवि 7.पु0/684 श्याम बिहारी राम 8.पु0/611 राजेन्द्र राम 9.पु0/645 गोपल चिक बराईक 10.पु0/642 मो0 मुनसाद अली 11.चा0पु0/1384 दीनानाथ राम 12. अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 जोनेल कण्डुलना।	
22	छतरपुर थाना कांड संख्या-184/15 दिनांक 08.12.15 धारा-17 सी0एल0ए0एक्ट जी0आर0-2386/15	राजीव पासवान उर्फ राजू पासवान पिता उदेश्वर पासवान सा0 देवगन थाना छतरपुर जिला पलामू	यह कांड वादी पु0अ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी छतरपुर जिला पलामू के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त राजीव पासवान उर्फ राजू पासवान पिता उदेश्वर पासवान सा0 देवगन थाना छतरपुर जिला पलामू के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सदस्य होने एवं संगठन का हस्तलिपि बैनर/पोस्ट के साथ गिरफ्तार होने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	अभियुक्त जमानत पर।	श्री राजेन्द्र प्रसाद जे0एम0 प्रथम श्रेणी, पलामू		पु0अ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी छतरपुर जिला पलामू	1. पु0अ0नि0 मुकेश कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी छतरपुर जिला पलामू 2.हव0 संतोष कुमार यादव 3.पु0/871 नागेन्द्र कुमार 4.पु0/1973 मुनीलाल पासवान 5.पु0/2023 चतुर्भूज कुमार सभी थाना रिजर्व गार्ड छतरपुर 6.पु0/315 राजमोहन राम 7. पु0/1227 एतवा उरांव 8.अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 प्रमोद कुमार छतरपुर थाना	
23	मोहम्मदगंज थाना कांड सं0 02/17 दिनांक 21.01.17 धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स	1. छोटन यादव पिता चैतु यादव सा0 डालाकला थाना पाण्डू जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 बिरेन्द्र पासवान पिता विश्वनाथ राम थाना प्रभारी मोहम्मदगंज पलामू के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी	अभि0 1. छोटन यादव - जेल में।	एस0डी0जे0एम0 पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 बिरेन्द्र पासवान पिता विश्वनाथ राम थाना प्रभारी मोहम्मदगंज पलामू।	1 हव0 एडर्वड भेगंरा। 2 आ0 1904 धनेश्वर उरांव। 3 आ0 1824 कमलेश बैठा। 4 आ0 1893	

	एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0नं0 165/17		अभियुक्त 1. छोटन यादव पिता चैतु यादव सा0 डालाकला थाना पाण्डू जिला पलामू के विरुद्ध अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली तथा माओवादी पर्चा के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।					राजेश्वर उरॉव। 5 अनु0कर्ता स0अ0नि0 दाचु बिलुंग मोहम्मदगंज थाना पलामू। 6 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। जपती सूची के गवाह 1 हव0 एडर्वड भेगंरा। 2 आ0 1904 धनेश्वर उरॉव।	
24	नावाजयपुर थाना कांड सं0 04/18, दिनांक 10.02.18 धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0नं0 325/18	1.कपिल नाथ सिंह पिता लक्ष्मण सिंह सा0 टंडवा टोला सिंह टुटा थाना मनातू। 2 राजेन्द्र सिंह पिता रामसुंदर सा0 बुढी थाना नावाजयपुर दोनो जिला पलामू।	यह कांड वादी स0अ0नि0 शशि डेविड मिंज पिता ग्रेबिएल मिंज सा0 बिरसानगर जोन 3 ए ब्लॉक थाना बिरसानगर जिला पू0 संहभूम वर्तमान नावाजयपुर थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा0 अभि0 1. कपिलनाथ सिंह पिता स्व0 लक्ष्मण सिंह सा0 सिंह टुटा टंडवा थाना मनातू 2 राजेन्द्र सिंह पिता राम सुंदर सिंह सा0 बुढी नावाजयपुर थाना नावाजयपुर दोनो जिला पलामू के विरुद्ध अवैध देशी अग्नेयास्त्र रखने एवं नक्सली गति विधि में शामिल रहने के आरोप में दर्ज किया गया है।	दोनों अभि0 जेल में।	श्री दीपक कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी पलामू।		1. वादी स0अ0नि0 शशि डेविड मिंज थाना नावाजयपुर जिला पलामू।	1. स0अ0नि0 गिरीश चन्द्र पिता अमर सिंह सा0 वभिईया थाना मीरापुर जिला फरुखावाद (उ0प्र0) ए0/पी0 सी0आर0 पी0 एफ0 134 बटालियन चक थाना मनातू जिला पलामू। 2. स0अ0नि0 नागेद्र कु0 पाण्डेय पिता त्रिभुन पाण्डेय सा0 मसूरिया कला थाना+जिला गढवा ए/पी सी0आर0पी0एफ0 134 बटालियन चक थाना मनातू जिला पलामू। 3.कारू दास पिता केसरी दास सा0 उदयपुर थाना गोरी चक जिला पटना ए/पी झा0 स0 पु0 जैप-05 देवघर, सैट-95 नावाजयपुर जिला पलामू। 4 आ0 337 रविन्द्र ठाकुर पिता बैजनाथ ठाकुर सा0 कुसमा थाना लालमटिया जिला गौडा ए/पी झा0स0पु0 05 देवघर सैट-95 नावाजयपुर थाना जिला पलामू। 5. आ0 879 अमर कुमार पिता जलधर प्रसाद सा0 कुटाहा थाना लोधीपुर जिला भागलपुर ए/पी झा0स0पु0-05 देवघर, सैट-95 नावाजयपुर थाना जिला पलामू। 6. आ0 811 राम नारायण जासवाल पिता सीता राम जासवाल सा0 लकडा पहाडी थाना जामा जिला दुमका ए/पी झा0स0पु0 05 देवघर सैट-95 नावाजयपुर जिला पलामू। 7. 150 बिरबल रजक पिता	

								<p>मदन रजक सा0 बटाहील थाना बडहरवा जिला सहेबगंज ए/पी झा0स0पु0 05 देवघर सैट-95 नावाजयपुर जिला पलामू।</p> <p>8. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 भिखरी राम नावाजयपुर थाना पलामू।</p> <p>9 परिचारी प्रवर सीमर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। जप्ती सूची के गवाह</p> <p>1. स0अ0नि0 गिरीश चन्द्र सी0आर0पी0एफ0 134 बटालियन।</p> <p>2. स0अ0नि0 नागेद्र कु0 पाण्डेय सी0आर0पी0एफ0 134 बटालियन।</p>			
25	<p>रामगढ थाना कांड सं0 33/17 दिनांक 31.10.17 धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0नं0 2350/17 उपस्थिति पर 07.05.18</p>	<p>1. भवानी भुईया उर्फ भागिरथी भुईया पिता स्व0 जवाहीर भुईया सा0 हुटार उडहरी टोला थाना रामगढ जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी स0अ0नि0 ललन कुवॅर रामगढ थाना जिला पलामू के स्वलिखित बयान के आधार पर प्रा0 अभि0 1. भवानी भुईया उर्फ भागिरथी भुईया पिता स्व0 जवाहीर भुईया सा0 हुटार उडहरी टोला थाना रामगढ जिला पलामू के विरुद्ध देशी कट्टा एवं गोली के साथ पकडे जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अभि0 1. भवानी भुईया उर्फ भागिरथी भुईया -जमानत पर।</p>	<p>श्री दीपक कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी पलामू।</p>		<p>1. वादी स0अ0नि0 ललन कुवॅर रामगढ थाना जिला पलामू।</p>	<p>1. स0अ0नि0 सुरेश कुमार राय।</p> <p>2. आ0 288 टेनिक प्रसाद सिंह।</p> <p>3. आ0 338 शिव गुप्ता।</p> <p>4. आ0 1868 बबलु राम।</p> <p>5. आ0 188 विवेक कुमार।</p> <p>6. आ0 286 दुधनाथ यादव।</p> <p>7 आ0 272 प्रदीप साह सभी थाना रामगढ रिजर्व गार्ड पलामू।</p> <p>8. अनु0 कर्ता स0अ0नि0 अनिल कुमार सिंह रामगढ थाना पलामू।</p> <p>9. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू।</p> <p>जप्ती सूची के गवाह</p> <p>1 आ0 286 दुधनाथ यादव।</p> <p>2 आ0 272 प्रदीप साह</p>			
26	<p>सदर थाना कांड संख्या- 150/17 दिनांक 31.10.17 धारा- 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0 -</p>	<p>1.मो0 इसरार, 2. इकबाल अंसारी दोनो पिता स्व0 फिदा हुसैन सा0 पोखराहा खुर्द थाना सदर जिला पलामू</p>	<p>यह कांड वादी पु0अ0नि0 ममता कुमारी सदर थाना जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध गोली एवं हथियार रखने तथा रंगे हाथ पकडे जाने के</p>	<p>दोनो अभियुक्त जमानत पर</p>	<p>सी0जी0एम पलामू</p>		<p>वादी पु0अ0नि0 ममता कुमारी, थाना प्रभारी सदर, जिला पलामू</p>	<p>1.स.अ.नि. अयोध्या सिंह</p> <p>2.हव0 चन्द्रमणी यादव</p> <p>3.आ0/696 युजिन बारला</p>	<p>1.सुनिता देवी पति ज्ञानी पंडित सा0 पोखराहा थाना सदर जिला पलामू</p> <p>2. फारुण अंसारी पिता फकरुद्दीन अंसारी सा0 पोखराहा थाना सदर जिला पलामू</p>		

	2424 / 17 एफ0एफ0 हेतू।दिनांक 14.05.18		आरोप में दर्ज कराया गया है।							
27	शहर थाना कांड संख्या— 252 / 16 दिनांक 04.10.16धारा—399 / 402 भा0द0वि0 एवं 25(1—बी) ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0नंबर— 94 / 17 चार्ज पर दिनांक 10.05.18	1.राकेश कुमार पासवान पिता सुरेश पासवान 2.डब्लू कुमार पासवान पिता पवन पासवान दोनो सा0 महुआ थाना पाटन जिला पलामू 3. दीपक कुमार पाण्डेय पिता बिनोद कुमार पाण्डेय सा0 पाण्डेपुरा थाना पाटन जिला पलामू	यह कांड वादी स0अ0नि0 शेख इसरार अहमद खां, शहर थाना जिला पलामू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध डकैती की योजना बनाते समय अवैध देशी आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने आरोप में दर्ज कराया गया है।	तीनो अभियुक्त जमानत पर	ए0डी0जे0—03 पलामू	वादी स0अ0नि0 शेख इसरार अहमद खां, शहर थाना जिला पलामू	1. स0अ0नि0 शेख इसरार अहमद खां, शहर थाना जिला पलामू 2.पु0 / 145 चन्द्र प्रकाश शुक्ला 3.पु0 / 249 पंडित कैतुक कुमार 3.पु0 / 1762 आरिफ आलम 4.पु0 / 1267 राकेश कुमार सिंह अनु0कर्ता—पु0अ0नि0 रामसुन्दर महतो	1.सुनिल कुमार गुप्ता पिता जीतू गुप्ता सा0 कुण्ड मुहल्ला थाना शहर जिला पलामू 2.धनंजय तिवारी पिता उदयनाथ तिवारी सा0 रेडमा थाना शहर जिला पलामू		

28	तरहसी थाना कांड सं०-28/17, दिनांक-22.05.17, धारा 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। एस०टी०नं०-3 27/17 उपस्थिति पर। 07.05.18	1. अनुज सिंह पिता केषव सिंह उर्फ केषव महतो। 2. बिन्दू देवी पति अनुज सिंह दोनों सा० टरिया थाना तरहसी जिला पलामू।	यह कांड वादी पु०अ०नि० केदार नाथ राम थाना प्रभारी तरहसी थाना पलामू के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. अनुज सिंह पिता केषव सिंह उर्फ केषव महतो एवं 2. बिन्दू देवी पति अनुज सिंह दोनों सा० टरिया थाना तरहसी जिला पलामू के विरुद्ध अपने घर में अग्नेयास्त्र बनाना, रायफल, पिस्तौल एवं गोली घर में छुपाकर रखने के आरोप में पंजीकृत किया गया है।	अभि० 1. अनुज सिंह -जेल में।	ए०डी०जे०-04, पलामू।		1. वादी पु०अ०नि० केदार नाथ राम थाना प्रभारी तरहसी थाना, पलामू।	1. अरुण कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, अभियान पलामू। 2. आ० 969 उदय राम। 3. आ० नन्देव राम। 4. आ० मुन्ना कुमार सिंह। 5. आ० 46 राजीव पासवान 6. आ० 1020 अषोक कुमार पासवान। 7. म०आ० सावित्री कुमारी रजक। सभी तरहसी थाना रिजर्व गार्ड पलामू। 8. अनु०कर्ता पु०अ०नि० गिरीष पासवान तरहसी थाना पलामू। 9. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू।	1. साहेब दयाल सिंह पिता डोमन महतो। 2. अनिल सिंह पिता युगेश्वर महतो। 3. कौषर अंसारी पिता अनवर अहमद। 4. नागेश्वर सिंह पिता स्व० तपेष्वर महतो। 5. देवनारायण राम पिता स्व० रामचरण राम। 6. कुलदीप पासवान पिता स्व० बौध मांझी। 7. विकाश कुमार पिता स्व० विजय राम सभी सा० टरिया थाना तरहसी जिला पलामू। जप्ती सूची का गवाह 1. देवनारायण राम पिता स्व० रामचरण राम। 2. कुलदीप पासवान पिता स्व० बौध मांझी। 3. विकाश कुमार पिता स्व० विजय राम सभी सा० टरिया थाना तरहसी जिला पलामू।	
क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

29	लेस्लीगंज थाना कांड सं0 162/17, दिनांक 10.12.17 धारा 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 2746/17 चार्ज पर। 18.05.18	1. किसलय कुमार सिंह पिता नरेश सिंह सा0 गवही थाना मनातू। 2. रंग बहादुर सिंह पिता षितल सिंह सा0 दुलसुलमा थाना सतबरवा ओ0पी0। 3. मनोज सिंह पिता शंकर सिंह सा0 राजहरा थाना लेस्लीगंज सभी जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 राणा जंग बहादुर सिंह थाना प्रभारी लेस्लीगंज जिला पलामू के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. किसलय कुमार सिंह पिता नरेश सिंह सा0 गवही थाना मनातू 2. रंग बहादुर सिंह पिता षितल सिंह सा0 दुलसुलमा थाना सतबरवा ओ0पी0 3. मनोज सिंह पिता शंकर सिंह सा0 राजहरा थाना लेस्लीगंज सभी जिला पलामू के विरुद्ध अवैध अधियार गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	तीनो अभि0 जेल में।	श्री दीपक कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 राणा जंग बहादुर सिंह थाना प्रभारी लेस्लीगंज जिला पलामू।	1. स0अ0नि0 महावीर साहु। 2. आ0 184 मुरारी साव। 3. आ0 497 सत्येन्द्र कुमार। 4. हव0 किषोरी प्र0 मेहता। 5. आ0 2039 मंदीप कुमार मेहता। 6. आ0 711 कुलदीप कुमार राम। 7. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 8. अनु0कर्ता स0अ0नि0 रीतलाल प्रसाद यादव लेस्लीगंज थाना पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1. हव0 किषोरी प्र0 मेहता। 2. आ0 2039 मंदीप कुमार मेहता।		
30	नौडीहा बाजार थाना कांड सं0 47/17, दिनांक 24.08.17, धारा 414 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 1873/17	1. कृष्णा कुमार उर्फ सूरज उर्फ कृष्णा मोची पिता रामचन्द्र राम सा0 डिबका थाना डुमरिया जिला गया (बिहार)।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 दयानंद साह थाना प्रभारी नौडीहा बाजार थाना, जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त 1. कृष्णा कुमार उर्फ सूरज उर्फ कृष्णा मोची पिता रामचन्द्र राम सा0 डिबका थाना डुमरिया जिला गया (बिहार) के विरुद्ध चोरी के गाडी तथा अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	अभि0 1. कृष्णा कुमार उर्फ सूरज उर्फ कृष्णा मोची-जेल में।	श्री दीपक कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 दयानंद साह थाना प्रभारी नौडीहा बाजार थाना, जिला पलामू।	1. हव0 रामनाथ प्रसाद। 2 आ0 957 रमेश नट। 3 आ0 14 संदीप कुमार सिंह। 4. आ0 400 दिलीप कु0 पासवान सभी सषस्त्र बल नौडीहा बाजार थाना। 5 आ0 1353 गणपति लकडा। 6 आ0 964 दषहुक अंसारी दोनों अनु0 पु0 पदा0 छतरपुर के अंगरक्षक। 7 अनु0कर्ता स0अ0नि0 सत्येन्द्र नाथ सिंह नौडीहा	1. सत्रुधन साव पिता स्व0 महावीर साव। 2. रामजी राम पिता स्व0 पलीता बैठा दोनों सा0 बारा थाना नौडीहा बाजार जिला पलामू। 3. चन्द्रदेव पासवान चौकीदार। 4 बिरेन्द्र पासवान पिता चन्द्रदेव पासवान। 5. विनोद प्रसाद पिता कृष्ण कुमार साव। 6. रामजी प्रसाद गुप्ता पिता स्व0 सूर्यमल साव। 7. जगन्नाथ प्र0 गुप्ता पिता स्व0 रामचन्द्र साव सभी सा0 बारा थाना नौडीहा बाजार जिला पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1. सत्रुधन साव पिता स्व0 महावीर साव।	

								बाजार थाना जिला पलामू। 8 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू।	2. रामजी राम पिता स्व0 पलीता बैठा दोनों सा0 बारा थाना नौडीहा बाजार जिला पलामू।	
31	पाण्डू थाना कांड सं0 51/15, दिनांक 26.10.15 धारा 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0-21 77/15 एफ0एफ0 में 20.07.18	1. छोटन यादव एवं 2. राधेष्‍याम यादव दोनों पिता चैतू यादव सा0 डालाकला थाना पाण्डू जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 केदार नाथ राम थाना प्रभारी पाण्डू जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. छोटन यादव एवं 2. राधेष्‍याम यादव दोनों पिता चैतू यादव सा0 डालाकला थाना पाण्डू जिला पलामू के विरुद्ध अवेध आग्नेयास्‍त्र रखने के आरोप में दर्ज किया गया है।	अभि0 1. छोटन यादव- जेल में। 2. राधेष्‍याम यादव- जमानत पर।	श्री रोहित कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी, पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 केदार नाथ राम थाना प्रभारी पाण्डू जिला पलामू।	1. आ0 1828 राजेश कुमार। 2. आ0 1823 विकास कुमार। 3. आ0 497 सत्येन्द्र कुमार। 4 आ0 723 उदय राम। 5 आ0 1829 प्रमोद कुमार। 6 आ0 46 राजीव पासवान। 7 अनु0कर्ता स0अ0नि0 मुन्ना लाल जामुदा पाण्डू थाना जिला पलामू। 8 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1 आ0 1829 प्रमोद कुमार। 2 आ0 46 राजीव पासवान।	1. रघुनाथ यादव पिता परन यादव। 2. नगेन्द्र मेहता पिता पुरन मेहता। 3. व्यारी पासवान पिता चनर पासवान। 4. सुषील सिंह पिता स्व0 मुखदेव सिंह सभी सा0 डालाकला थाना पाण्डू जिला पलामू।	

32	<p>शहर थाना कांड सं0 141/17, दिनांक 09.06.17, धारा 25 (1-ए) ए/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 1205/17 एफ0एफ0 पर 03.08.18</p>	<p>1. कुदंन कुमार पिता लटटु राम सा0 डोम टोली साहित्य समाज चौक के निकट थाना शहर जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी जय प्रकाश सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. कुदंन कुमार पिता लटटु राम सा0 डोम टोली साहित्य समाज चौक के निकट थाना शहर जिला पलामू के विरुद्ध विछावन के नीचे छिपाकर रखे हुए लोडेज देषी पिस्तौल एवं गोली पकडे जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अभि0 1. कुदंन कुमार— जमानत पर।</p>	<p>सी0जे0एम0 पलामू।</p>		<p>1. वादी जय प्रकाश सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू।</p>	<p>1. आ0 1762 मो0 आषिफ आलम। 2. आ0 1925 राकेष कुमार सिंह। 3. आ0 1916 अनुप कुमार सिंह। 4. आ0 1842 अजीत रवि। 5. आ0 1734 वैजनाथ यादव। 6. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 7. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 प्रमोद कुमार शहर थाना पलामू। जप्ती सूची का गवाह 1. आ0 1762 मो0 आषिफ आलम। 2. आ0 1925 राकेष कुमार सिंह।</p>	<p>1. मनोज कहार पिता बैजनाथ राम सा0 डोम टोली थाना शहर जिला पलामू।</p>	
33	<p>रेहला थाना कांड सं0 38/17 दिनांक 01.07.17 धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 1429/17 एफ0एफ0 पर 31.03.18</p>	<p>1 चन्दन कुमार रवि पिता कृष्णा राम सा0 डंडिला कला थाना रेहला जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी पु0अ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना प्रभारी रेहला जिला पलामू के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1 चन्दन कुमार रवि पिता कृष्णा राम सा0 डंडिला कला थाना रेहला जिला पलामू के विरुद्ध अवैध पिस्तौल एवं गोली के साथ पकडे जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अभि0 1 चन्दन कुमार रवि— जमानत पर।</p>	<p>श्री रोहित कुमार न्या0 दण्डा0 प्रथम श्रेणी पलामू।</p>		<p>1. वादी पु0अ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह थाना प्रभारी रेहला जिला पलामू।</p>	<p>1 आ0 244 सुरेन्द्र राम। 2 आ0 2000 संजीत कुमार। 3 हव0 जितेन्द्र कुमार राय सभी रेहला थाना रिजर्व गार्ड पलामू। 4 परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 5 अनु0कर्ता स0अ0नि0 प्रमोद नारायण कुँवर रेहला थाना पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1 आ0 244 सुरेन्द्र राम। 2 आ0 2000 संजीत कुमार।</p>		

34	<p>हुसैनाबाद थाना कांड सं0 89/17 दिनांक 25.05.17 धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0-1065/17 पुलिस पेपर पर 09.05.18</p>	<p>1. मो0 मोकर्रम अंसारी पिता जलालूददीन अंसारी सा0 बेंनीकला थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी स0अ0नि0 भादव सोरन थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा0अभि0 1. मो0 मोकर्रम अंसारी पिता जलालूददीन अंसारी सा0 बेंनीकला थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अभि0 1. मो0 मोकर्रम अंसारी- जेल में।</p>	<p>एस0डी0जे0एम0 पलामू।</p>		<p>1. वादी स0अ0नि0 भादव सोरन थाना हुसैनाबाद जिला पलामू</p>	<p>1. आ0 2003 सत्येन्द्र पाल। 2 आ0 1881 योगेन्द्र बैठा। 3. आ0 1982 दिनेश राम। 4 आ0 2002 श्याम बिहारी यादव। 5. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 6 अनु0कर्ता स0अ0नि0 उदय प्रसाद हुसैनाबाद पलामू। जप्ती सूची के गवाह 1. आ0 2003 सत्येन्द्र पाल। 2 आ0 1881 योगेन्द्र बैठा।</p>		
35	<p>सदर (शहर) थाना कांड सं0- 180/14 दिनांक 10.05.14 धारा 25(1-बी)ए/2 6 आर्म्स एक्ट। जी.आर.नं.-791/14 साक्ष्य पर 26.07.18</p>	<p>1. निरज कुमार दूबे उर्फ सोनु पे. प्रदीप दूबे सा. शाहपुर नियर मजार थाना चैनपुर जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी पु0अ0नि0 मनोज कुमार ठाकुर थाना प्रभारी शहर जिला पलामू के स्वलिखित बयान के आधार पर प्रा0 अभि0 1. निरज कुमार दूबे उर्फ सोनु पे. प्रदीप दूबे सा. शाहपुर नियर मजार थाना चैनपुर जिला पलामू के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>अभि0 1. निरज कुमार दूबे उर्फ सोनु - जमानत पर।</p>	<p>श्री दीपक कुमार जे.एम.प्रथम श्रेणी पलामू।</p>		<p>1. वादी पु0अ0नि0 मनोज कुमार ठाकुर थाना प्रभारी शहर जिला पलामू।</p>	<p>1. स.अ.नि. तारकेष्वर सिंह 2. स.अ.नि. अरविन्द कुमार 3. आ. 1397 आषिफ खॉ 4. आ. 222 षंभु पासवान 5. आ. 1200 चन्द कु. सिंह 6. आ. 1701 मुकेश कुमार 7. आ. 181 जयदेव महतो 8. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 9. स.अ.नि. अशोक कुमार (अनु.कर्ता) शहर थाना पलामू।</p>	<p>जप्ती सूची के गवाह 1. चितरंजन प्रसाद पे. स्व. रामनारायण प्रसाद सा. कुण्ड मोहल्ला, थाना शहर, पलामू। 2. श्रीकान्त शुक्ला पे. बैजनाथ शुक्ला, सा. बारालोटा, थाना शहर पलामू।</p>	

36	<p>शहर थाना कांड सं०-111/16, दिनांक- 10.05.17, धारा 25 (1-बी) ए/ 26/ 35 आर्म्स एक्ट। एस०टी०-368/16 साक्ष्य पर। 03.04.18</p>	<p>1. शुभम कुमार पिता बिहारी प्रसाद, सा०+थाना पॉकी, जिला पलामू। 2. विष्णुकान्त पाण्डेय उर्फ सोनू पाण्डेय पिता सुनिल पाण्डेय, सा० तीलदाग, थाना+जिला गढवा।</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० सजय कुमार मालवीय थाना प्रभारी शहर के स्वलिखित बयान के आधार पर दर्ज है, जिसमें नाम जद अभियुक्त शुभम कुमार एवं विष्णुकान्त पाण्डेय के विरुद्ध अवैध देशी पिस्तौल एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>दोनों अभि० जमानत पर।</p>	<p>ए०डी०जे०-०९, पलामू।</p>		<p>1. वादी पु०अ०नि० सजय कुमार मालवीय थाना प्रभारी शहर, पलामू, वर्तमान दुमका जिला।</p>	<p>1. वादी पु०अ०नि० संजय कुमार थाना प्रभारी शहर, पलामू। 2. पु०अ०नि० प्रमोद कुमार पु०अ०नि० चन्द्रषेखर कुमार 4. आ० 1200 चन्दन कुमार सिंह 5. आ० 190 तिलेष्वर प्रसाद महतो 6. आ० 170 मुकेश कुमार सिंह 7. आ० 546 संदेश पाल 8. आ० 1961 सत्येन्द्र प्र० यादव 9. आ० 1641 मिथलेश प्रसाद पाण्डेय। 10 आ० 1762 मो० आरीफ आलम। 11. आ० 259 पंडीत कौतुक कुमार सभी शहर थाना पलामू (टाईगर मोबाईल)। 12. अनु०कर्ता पु०अ०नि० कौषलेन्द्र कुमार सिंह, शहर थाना, पलामू। 13. परिचारी प्रवर, समीर कुमार पुलिस केन्द्र, पलामू।</p>	<p>जप्ती सूची के गवाह:- 1. अनु साहु पिता सजय प्रसाद ग्राम+थाना मनिका, जिला लातेहार वर्तमान रेडमा स्थित रामाकांत मिश्रा के किरायेदार। 2. नंदन कुमार चन्द्रवंशी पिता नेपाल राम चन्द्रवंशी सा० बारालोटा बिजली ऑफिस के पिछे थाना शहर, पलामू।</p>	
37	<p>सदर (शहर) थाना कांड सं०-530/14 दिनांक- 18.10.14, धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट।</p>	<p>1. हरि तिवारी पिता विजय तिवारी सा० बारालोटा, थाना शहर, जिला पलामू।</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० व्यास राम, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हरि तिवारी पिता विजय तिवारी ग्राम बारालोटा थाना</p>	<p>अभि० 1. हरि तिवारी- जमानत पर।</p>	<p>मा०न्या० श्री दीपक कुमार न्या० दण्डा०, प्रथम श्रेणी, पलामू।</p>		<p>1. वादी पु०अ०नि० व्यास राम, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू।</p>	<p>1. वादी पु०अ०नि० व्यास राम, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू। 2. आ० 232 शम्भु पासवान। 3. आ० 1420 शमीउल्लाह खॉं। 4.अनु०कर्ता पु०अ०नि० राम सुन्दर</p>	<p>जप्ती सूची के गवाह:- 1. संतोष कुमार दुबे पिता शिव शंकर दुबे सा० बैरिया टी०वी० टावर के पास थाना शहर, पलामू। 2. मनोज कुमार पिता श्री देववंम सिंह सा० बैरिया पुराना एस०भी०डी० स्कूल के बगल में थाना शहर, पलामू।</p>	

	जी0आर0नं0 2067 / 14 पुलिस पेपर पर। 23.05.18		शहर, जिला पलामू के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।					महतो शहर थाना, पलामू। 5. परिचारी प्रवर समीर कुमार, पुलिस केन्द्र, पलामू।	
38	हुसैनाबाद थाना कांड सं0 64 / 16 दिनांक 31.03. 16 धारा 25 (1-बी) ए/26 / 35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0- 200 / 17 चार्ज हेतु 04.04.18	1. कुष्णा यादव उर्फ झरी यादव पिता लल्लु यादव ग्राम-अमही। 2. लल्लु कुमार यादव पिता बट्टी यादव सा0 चोरपहरा दोनों थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू के स्वलिखित बयान के अधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. कुष्णा यादव उर्फ झरी यादव पिता लल्लु यादव ग्राम-अमही 2. लल्लु कुमार यादव पिता बट्टी यादव सा0 चोरपहरा दोनों थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	दोनो अभि0 जमानत पर।	ए0डी0जे0-9 पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू। 2. स0अ0नि0 उमाकान्त तिवारी। 3. आ0 1784 श्रवण राम 4. आ0 1562 रहवर खॉ सभी हुसैनाबाद थाना जिला पलामू। 5. आ0 1842 अजीत कुमार रवि (थाना प्रभारी सह प्रषिक्षु आई0पी0एस0 अमन कुमार के अंगरक्षक थाना हुसैनाबाद जिला पलामू) 6. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 7. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 मिथलेष्वर ओझा हुसैनाबाद थाना जिला पलामू। जप्ती सुची के गवाह:- 1. आ0 1842 अजीत कुमार रवि (थाना प्रभारी सह प्रषिक्षु आई0पी0एस0 अमन कुमार के अंगरक्षक थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	जप्ती सुची के गवाह:- 1. छोटु चन्द्रवंशी पिता रामचन्द्र चन्द्रवंशी सा0 बेदौलिया थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।

39	<p>शहर थाना कांड सं० 249/16 दिनांक 29.09.16 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं० 1729/16 साक्ष्य पर। 22.03.18</p>	<p>1. राजकमल दूबे उर्फ अमित कुमार दूबे पिता स्व० संतोष दुबे सा० चैन्या, थाना नावाबाजार। 2. फोटु दुबे उर्फ अभिषेक दुबे पिता राजदेव दुबे सा० पूर्वडीहा, थाना चैनपुर दोनों जिला पलामू</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० प्रमोद कुमार शहर थाना, पलामू के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा० अभि० 1. राजकमल दूबे उर्फ अमित कुमार दूबे पिता स्व० संतोष दुबे सा० चैन्या थाना नावाबाजार एवं 2. फोटु दुबे उर्फ अभिषेक दुबे पिता राजदेव दुबे सा० पूर्वडीहा थाना चैनपुर दोनों जिला पलामू के विरुद्ध अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली रखने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>अभि० 1. राजकमल दूबे उर्फ अमित कुमार दूबे – जेल में। 2 फोटु दुबे उर्फ अभिषेक दुबे – जमानत पर।</p>	<p>मा० न्या०, श्री रोहीत कुमार न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी, पलामू।</p>		<p>1. वादी पु०अ०नि० प्रमोद कुमार ,शहर थाना, पलामू।</p>	<p>1. वादी पु०अ०नि० प्रमोद कुमार शहर थाना, पलामू। 2. स०अ०नि० इसरार अहमद प्रभारी टी०ओ०पी०-01 शहर थाना पलामू। 3. स०अ०नि० उपेन्द्र राय प्रभारी टी०ओ०पी०-02 शहर थाना पलामू। 4. आ० 1822 अनिल पासवान टाईगर मोबाईल शहर थाना पलामू। 5. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 6. अनु०कर्ता स०अ०नि० गौतम कुमार चौबे शहर थाना पलामू।</p>	<p><u>जप्ती सूची के गवाह:-</u> 1. उमाकान्त राम पिता राम नरेश राम 2. रामकेश राम पिता भेन्गो राम दोनों सा० कन्दाखाड़ थाना शहर जिला पलामू।</p>	
40	<p>हुसैनाबाद थाना कांड सं० 77/16 दिनांक-18.04.16 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं० 636/16, उपस्थिति पर। 04.05.18</p>	<p>1. सत्येन्द्र पासवार उर्फ सत्या पासवान पिता सुरेश पासवान ग्राम मदरसा रोड उचरी मुहल्ला थाना शहर जिला गढवा। 2. अनिल पासवान उर्फ भिखु पासवान पिता शम्भु पासवान सा० सुखबाना थाना शहर जिला गढवा।</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० ब्यास राम थाना प्रभारी, हुसैनाबाद थाना, पलामू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा० अभि० 1. सत्येन्द्र पासवार उर्फ सत्या पासवान पिता सुरेश पासवान ग्राम मदरसा रोड उचरी मुहल्ला थाना शहर जिला गढवा 2. अनिल पासवान उर्फ भिखु पासवान पिता शम्भु पासवान सा० सुखबाना थाना शहर जिला गढवा के विरुद्ध अवैध</p>	<p>अभि० 1. सत्येन्द्र पासवार उर्फ सत्या पासवान- जमानत पर। 2. अनिल पासवान उर्फ भिखु पासवान- गढवा जेल मे।</p>	<p>मा० न्या०, एस० डी० जे० एम०, पलामू।</p>		<p>1. वादी पु०अ०नि० ब्यास राम थाना प्रभारी हुसैनाबाद थाना पलामू।</p>	<p>1. वादी पु०अ०नि० ब्यास राम थाना प्रभारी हुसैनाबाद थाना पलामू। 2. आ० 1932 गुड्डु चौधरी। 3. पु०अ०नि० मिथलेश्वर ओझा दोनो हुसैनाबाद थाना पलामू। 4. आ० 1925 राकेश कुमार रवि 5. आ० 1784 श्रवण राम दोनों श्री अमन कुमार प्रषिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी</p>		

			अधियार एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।					हुसैनाबाद पलामू के अंगरक्षक। 6. आ0 1699 रंजन टुटी अंगरक्षक अनु0 पुलिस पदा0 हुसैनाबाद पलामू। 7. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 8. अनु0कर्ता पु0अ0नि0 समीर सिंह हुसैनाबाद थाना पलामू। जप्ती सूची के गवाह:- 1. आ0 1925 राकेश कुमार रवि 2. आ0 1784 श्रवण राम दोनों श्री अमन कुमार प्रषिक्षु सहायक पुलिस अधीक्षक सह थाना प्रभारी हुसैनाबाद पलामू के अंगरक्षक।	
41	हुसैनाबाद थाना कांड सं0-89/16 दिनांक- 05.05.16 धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0-290/17 उपस्थिति पर। 22.03.18	1. राजा कुमार पासवान पिता नन्दू पासवान सा0 सलेमपुर। 2. सोनू कुमार पाल पिता हरिवंश पाल सा0 सलेमपुर एवं 3. टुनू मेहता उर्फ शषिकान्त मेहता पिता स्व0 जगरनाथ मेहता सा0 सजवन सभी थाना हुसैनाबाद जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम थाना प्रभारी हुसैनाबाद पलामू के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्रा0 अभि0 1. राजा कुमार पासवान पिता नन्दू पासवान सा0 सलेमपुर। 2. सोनू कुमार पाल, पिता हरिवंश पाल सा0 सलेमपुर एवं 3. टुनू मेहता उर्फ शषिकान्त मेहता, पिता स्व0 जगरनाथ मेहता सा0 सजवन सभी थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू	तीनो अभि0 जमानत पर।	ए0डी0जे0-03 पलामू।		1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम थाना प्रभारी हुसैनाबाद, पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम थाना प्रभारी हुसैनाबाद पलामू। 2. पु0अ0नि0 समीर सिंह। 3. आ0 2003 सत्येन्द्र पाल। 4. आ0 1549 राजु रंजन प्रसाद। 5. आ0 1925 राकेश कुमार सिंह 6. आ0 1562 रहबर खॉ सभी हुसैनाबाद थाना जिला पलामू।	

			के विरुद्ध अवैध हथियार एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।				7. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 8. अनुकर्ता स0अ0नि0 भादव सोरेन हुसैनाबाद थाना जिला पलामू। जप्ती सूची के गवाह:- 1. आ0 1925 राकेश कुमार सिंह। 2. आ0 1562 मो0 रहबर खॉ दोनों अंगरक्षक श्री अमन कुमार प्रषिक्षु पुलिस अधीक्षक पलामू।		
42	चैनपुर थाना कांड सं0-206/17 दिनांक- 28.12.17 धारा 25 (1-ए) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 2899/17	1. जय प्रकाश साहू 2. उदय शंकर साहू दोनों पिता गौरी शंकर साहू सा0 बभण्डी, थाना चैनपुर, जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम थाना प्रभारी चैनपुर जिला पलामू के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा0अभि0 1. जय प्रकाश साहू 2. उदय शंकर साहू दोनों पिता गौरी शंकर साहू सा0 बभण्डी थाना चैनपुर जिला पलामू के विरुद्ध अवैध रूप से हथियार रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।	दोनों अभि0 जेल में।	एस0डी0जे0एम0 पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम, थाना प्रभारी चैनपुर, जिला पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम थाना प्रभारी चैनपुर जिला पलामू। 2. पु0अ0नि0 दुलड चौडे थाना प्रभारी महिला थाना जिला पलामू। 3. पु0अ0नि0 अनिरुद्ध प्रसाद 4. स0अ0नि0 चित्रगुप्त सिंह 5. स0अ0नि0 मनोज शर्मा सभी चैनपुर थाना पलामू। 6. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र पलामू। 7. अनुकर्ता स0अ0नि0 राजीव कुमार सिंह चैनपुर थाना जिला पलामू। जप्ती सूची के		

								गवाह:- 1. हव0 नवल किषोर ठाकुर 2. आ0 435 राज कुमार यादव दोनों चैनपुर थाना जिला पलामू।	
43	सदर (शहर) थाना कांड सं0-364/09 दिनांक- 18.09.09, धारा 25 (1-बी) ए /26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0नं0 1469/09 उपस्थिति पर। 31.03.18	1. विकाष दुबे उर्फ रजनीष रंजन दुबे पिता मृत्युनजय दुबे सा0 चौका थाना मंझीगांवा (कांडी ओ0पी0) जिला गढवा।	यह कांड वादी जे0जो0एन0 मुण्डा थाना प्रभारी शहर के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त विकाष दुबे उर्फ रजनीष रंजन दुबे पिता मृत्युनजय दुबे सा0 चौका थाना मंझीगांवा (कांडी ओ0पी0) जिला गढवा के विरुद्ध नाजायज हथियार छिपाकर रखने के आरोप में दर्ज है।	अभि01. विकाष दुबे उर्फ रजनीष रंजन दुबे-जमषेदपुर जेल में।	मा0न्या0 श्री दीपक कुमार न्या0 दण्डा0, प्रथम श्रेणी, पलामू।	1. वादी जे0जो0एन0 मुण्डा थाना प्रभारी शहर, पलामू।	1. वादी जे0जो0एन0 मुण्डा थाना प्रभारी शहर, पलामू। 2. आ0 481 राजाराम सिंह। 3. आ0 1127 नरेश राम 4. आ0 1287 औरंगजेब खलिफा। 5. आ0 1291 राकेश सिंह। 6. आ0 943 रतनेष कुमार अकेला। 7. परिचारी प्रवर अनील कुमार सिंह, पुलिस केन्द्र, पलामू। 8 पु0अ0नि0 एस0एन0 साहु अनु0कर्ता शहर थाना, पलामू।	जप्ती सूची के गवाह:- 1. ष्योगेन्द्र तिवारी पिता राजेश तिवारी। 2. सोनू कुमार सिंह पिता राजु कुमार सिंह दोनों सा0 जी0एल0ए0 कॉलेज रोड हनुमान नगर, थाना शहर, जिला पलामू।	
44	हुसैनाबाद थाना कांड सं0-143/16 दिनांक- 05.08.16 धारा 25 (1-ब) ए/26 आर्म्स एक्ट। एस0टी0नं0 374/16 चार्ज हेतु। 03.04.18	1. विवेकानन्द मेहता पिता अवधेष कुमार मेहता सा0 भिटटी, थाना मोहनिया, जिला भभुआ (बिहार)।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 मिथलेष्वर ओझा थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा0 अभि0 1. विवेकानन्द मेहता पिता अवधेष कुमार मेहता सा0 भिटटी थाना मोहनिया जिला भभुआ (बिहार) के विरुद्ध अवैध पिस्तौल एवं	अभि0 1. विवेकानन्द मेहता-जमानत पर।	ए0डी0जे0-2 पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 मिथलेष्वर ओझा थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू।	1. वादी पु0अ0नि0 मिथलेष्वर ओझा थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू। 2. आ0 1881 योगेन्द्र बैठा 3. आ0 1589 गौरव कुमार 4. 1907 प्रेम आलोक कुजूर 5. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस	जप्ती सूची के गवाह:- 1. अषोक कुमार पिता जयन्ती यादव ग्राम- सकौनी, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू।	

			गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।				केन्द्र पलामू। 6. अनुकर्ता पु0अ0नि0 समीर सिंह, हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू। <u>जप्ती सूची के गवाह:-</u> 1. आ0 1964 पवन कुमार गुप्ता हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू।			
45	हुसैनाबाद थाना कांड सं0- 73/16 दिनांक 12.04.16 धारा 25 (1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। जी.आर.- 597/16 साक्ष्य पर 26.03.18	1. दिलीप शर्मा उर्फ मुखिया उर्फ धोनी उर्फ मुन्ना उर्फ अमीत सिंह पे0 शिव भजन शर्मा साकिन उपरीकला, थाना हुसैनाबाद, जिला पलामू।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 ब्यास राम, थाना प्रभारी हुसैनाबाद के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त-1. दिलीप शर्मा उर्फ मुखिया उर्फ धौनी उर्फ मुन्ना उर्फ अमित सिंह पिता शिवभजन शर्मा ग्राम- उपरी कला, थाना हुसैनाबाद जिला पलामू के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।	1 दिलीप शर्मा उर्फ मुखिया उर्फ धोनी उर्फ मुन्ना उर्फ अमीत सिंह पे0 शिव भजन शर्मा- जेल में।	मा0 न्या0, ए.सी.जे. एम. पलामू।		1. वादी पु.अ.नि. ब्यास राम हुसैनाबाद थाना जिला पलामू।	1. पु.अ.नि. ब्यास राम (वादी) 2. स0अ0नि0 भदाव सोरेन 3. हव0 मंजूर आलम 4. आ0/1699 रंजन टुटी 5. श्री अमन कुमार (भा.पु.से.) 6. अनु0 कर्ता पु.अ. नि. समीर कुमार। 7. अनु0 कर्ता श्री अमन कुमार (भा.पु.से.) सभी हुसैनाबाद थाना, जिला पलामू। 8. परिचारी प्रवर, समीर कुमार, पुलिस केन्द्र, पलामू। <u>जप्ती सूची के गवाह:-</u> 1. हव0 मंजूर आलम 2. आ0/1699 रंजन टुटी		

46	<p>पांकी थाना कांड सं०-50/16 दिनांक 10.06.16 धारा 384/385/307/35 3/34 भा.द.वि. एवं 25 (1-ए) 26/27 /35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी.एल.ए. एक्ट। एस.टी.नं. 364/16</p> <p>चार्ज पर 27.03.18</p>	<p>1. लोकेन्द्र यादव उर्फ नवीन जी पे. निर्मल यादव 2. लालू यादव उर्फ रोषन जी पिता कविलास यादव दोनों सा. केकरगढ़ थाना पांकी जिला पलामू। 3. सुरज कुमार सिंह पिता राम पुकार सिंह सा० पथराकला, थाना पांकी, जिला पलामू।</p>		तीनों अभि० जमानत पर।	ए.डी.जे.-02 पलामू।		1. पु.अ.नि. ललित कुमार (वादी) पांकी थाना प्रभारी, पलामू।	<p>1. वादी पु.अ.नि. ललित कुमार पांकी थाना प्रभारी, पलामू। 2. स.अ.नि. चन्द्रेष्वर रविदास 3. स.अ.नि. मुस्तफा हुसैन 4. स.अ.नि. प्रेमचन्द महतो 5. आ. सुरेन्द्र कुमार यादव 6. आ. सतन कुमार 7. पु.अ.नि. महेन्द्र हेम्ब्रम 8. पु.अ.नि. नागेन्द्र कुमार सिंन्हा (अनु.) पांकी थाना प्रभारी, पलामू। 9. परिचारी प्रवर समीर कुमार, पुलिस केन्द्र, पलामू।</p> <p>जप्ती सूची के गवाह:- 1. आ० 390 सुरेन्द्र कु० यादव 2. आ० 387 संतन कुमार मेहता।</p>		
47	<p>तरहसी थाना कांड सं० 01/16 दिनांक 01.01.16 धारा 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। एस.टी.- 160/16</p> <p>साक्ष्य पर।</p>	<p>1. सुधीर कुमार कुषवाहा पिता धर्मदेव महतो सा० नौडीहा, थाना लेस्लीगंज। 2. अनुज कुमार मेहता पिता राजेन्द्र मेहता पोखराहा खुर्द, थाना सदर। 3. शैलेन्द्र कुमार मेहता पिता सुमीत मेहता सा० नौडीहा,</p>	<p>यह कांड वादी पु०अ०नि० केदार नाथ राम थाना प्रभारी तरहसी के लिखित बयान दर्ज है। दिनांक-01.01.16 विधि व्यवस्था गस्ती के दौरान कॉलम दो में अंकित अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	अभि० 1. सुधीर कुमार कुषवाहा पिता धर्मदेव महतो -जेल में। 2. अनुज कुमार मेहता पिता राजेन्द्र मेहता- जमानत में।	ए.डी.जे.-02, पलामू।		1. वादी पु.अ.नि. केदार नाथ राम, थाना प्रभारी तरहसी, जिला पलामू।	<p>1. वादी पु.अ.नि. केदार नाथ राम, थाना प्रभारी तरहसी, जिला पलामू। 2. हव. तारकेष्वर माँझी 3. आ./617 संजय चौधरी 4. आ./895 सुखराम गोप 5. आ./417 चान्दु</p>	<p>जप्ती सूची के गवाह:- 1. दिलीप कुमार मेहता पिता महेन्द्र मेहता सा. सेलारी टोला कुरकुटवा थाना तरहसी जिला पलामू। 2. मुनी शर्मा पिता विलास मिरश्री सा. सेलारी टोला कुरकुटवा थाना तरहसी जिला पलामू।</p>	

	06.03.18	थाना लेस्लीगंज, सभी जिला पलामू।						टुडू 6. आ./874 शिव कुमार 7. चा.आ./325 रंधीर कुमार 8. स.अ.नि. कार्तिक उरॉव अनु0कर्ता सभी थाना तरहसी, जिला पलामू।	
48	सदर थाना कांड सं.- 164/16 दिनांक 22.12.16 धारा 25 (1-बी.) ए/26/35 आर्म्स एक्ट। चार्ज हेतु। जी.आर.सं. 2198/16 25.05.18 अभि0 प्रिसं उपाध्याय पे. राजमणी उपाध्याय/ निषांत मिश्रा पे. सिधनाथ मिश्रा दोनो अभि0 का। उपस्थिति पर। 08.08.18	1. रोषन तिवारी पे. शंकर तिवारी सा. बडकागांव थाना सदर जिला पलामू। 2. अजीत सिंह पे. ग्रिजा सिंह सा. कांकेकला थाना पाटन जिला पलामू। 3. टनटन उपाध्याय उर्फ सुमित उपाध्याय पे. सतीष उपाध्याय सा. बारालोटा थाना शहर जिला पालमू। 4. प्रिसं उपाध्याय पे. राजमणी उपाध्याय सा. जनकपुरी थाना शहर जिला पलामू। 5. विकाष तिवारी पे. बिनोद तिवारी सा. बारालोटा थाना शहर। 6. निषांत मिश्रा पे. सिधनाथ मिश्रा सा. रॉची रोड रेडमा। 7. निकु विश्वकर्मा पे. राजेन्द्र विष्वकर्मा सा. कुजंडा पट्टी बेलवाटिकर। 8. प्रदिप तिवारी पे. लोटन तिवारी सा. छेछानी टोला रेडमा सभी थाना शहर।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 राणा जंगबहादुर सिंह थाना प्रभारी सदर के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त रौषन तिवारी पिता शंकर तिवारी सा0 बडकागाँव थाना सदर जिला पलामू के विरुद्ध अवैध पिस्तौल एवं गोली रखने तथा रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।	अभि0 1. टनटन उपाध्याय उर्फ सुमित उपाध्याय पे. सतीष उपाध्याय- जेल में। 2. प्रदिप तिवारी पे. लोटन तिवारी- जेल में। शेष अभियुक्त- जमानत पर।	सी0जे0एम0 पलामू। जे0जे0 बोर्ड पलामू।		1 वादी पु0अ0नि0 राणा जंगबहादुर सिंह थाना प्रभारी सदर, पलामू।	1 वादी पु0अ0नि0 राणा जंगबहादुर सिंह थाना प्रभारी सदर, पलामू। 2. आ./1925 राकेश कु. सिंह 3. आ./1200 चन्दन कु. सिंह 4. स.अ.नि. मन्तुष्ट महतो 5. परिचारी प्रवर समीर कुमार पुलिस केन्द्र, पलामू। 6. पु.अ.नि. महेन्द्र प्रसाद (अनु.कर्ता) सदर थाना, पलामू। जप्ती सूची के गवाह:- 1. आ0 1925 राकेश कुमार सिंह। 2. आ0 1200 चन्दन कु. सिंह	

क्र०सं०	कांड सं०, तिथि, धारा, जी०आर०, एस०टी०नं०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में, फरार, बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी०/ए०पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह, अनु०कर्ता, चिकित्सक, विशेषज्ञ का नाम, पता एवं मो०सं०	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो० सं०	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	शहर थाना कांड सं०-322/16 दिनांक- 22.12.16, धारा 25 (1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं	1. रौषन तिवारी पिता शंकर तिवारी सा० बडकागाँव थाना सदर। 2. सूरज सिंह पिता लखराज सिंह सा० जनकपुरी बारालोटा थाना शहर। 3. निक्कु विष्वकर्मा	यह काण्ड वादी पु०अ०नि० संजय कुमार मालवीय, थाना प्रभारी शहर, जिला-पलामू के स्वलिखित बयान दर्ज है, नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अवैध हथियार एवं गोली के	अभि० 1. टन टन उपाध्याय उर्फ सुमित उपाध्याय पिता धमेन्द्र उपाध्याय - जेल में। 2 प्रदीप तिवारी पिता लोटन तिवारी- जेल में।	श्री राजेन्द्र प्रसाद न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी पलामू। किषोर न्यायिक बोर्ड, पलामू।		1. वादी संजय कुमार मालवीय, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू।	1. वादी संजय कुमार मालवीय, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू। 2. पु०अ०नि० गणेश चौधरी 3. स०अ०नि० अभय कुमार त्रिपाठी। 4. स०अ०नि० मन्तुष महतो टी०ओ०पी०-01		

<p>120 बी भा0द0वि0।</p> <p>जी0आर0नं0 2199/16 पुलिस पर। 17.05.18 अभि0 . प्रिंस उपाध्याय पिता राजमनी उपाध्याय/ निषांत मिश्रा पिता विद्धनाथ मिश्रा दोनो अभि0 का उपस्थिति पर। 22.05.18</p>	<p>पिता राजेन्द्र विष्वकर्मा सा0 कुंजरा पट्टी बेलवाटीकर थाना शहर। 4. अविनाष शर्मा उर्फ विककी शर्मा उर्फ आषुतोष शर्मा पिता अजय शर्मा सा0 बारालोटा दक्षिणी थाना शहर। 5. अभिषेक सिंह उर्फ गोलू सिंह पिता भरदुल सिंह सा0 जनकपुरी बारालोटा थाना शहर। 6. निषांत मिश्रा पिता विद्धनाथ मिश्रा सा0 रॉंची रोड रेडमा थाना शहर। 7. टन टन उपाध्याय उर्फ सुमित उपाध्याय पिता धमेन्द्र उपाध्याय सा0 बारालोटा थाना पाटन। 8. विकाष तिवारी पिता विनोद तिवारी सा0 बारालोटा थान शहर। 9. प्रिंस उपाध्याय पिता राजमनी उपाध्याय सा0 जनकपुरी बारालोटा थाना शहर। सभी जिला पलामू। 10. शब्बीर आलम पिता स्व0 नुर मोहम्मद सा0 पचमंडी थाना मेराल जिला गढवा। 11. प्रदीप तिवारी पिता लोटन तिवारी सा0 छेछानी टोला थाना शहर, पलामू। 12. सुजित सिन्हा</p>	<p>साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>3. सुजित सिन्हा पिता स्व0 चंचल सिन्हा- जमषेदपुर जेल में। शेष अभियुक्त जमानत पर।</p>					<p>प्रभारी शहर थाना, पलामू। 5. स0अ0नि0 उपेन्द्र राय टी0ओ0पी0-02 प्रभारी शहर थाना, पलामू। 6. आ0 1961 सतेन्द्र यादव। 7. आ0 546 सदेश पाल। सभी शहर थाना, पलामू। 8. पु0अ0नि0 राणा जगंबहादुर सिंह, थाना प्रभारी सदर, पलामू। 9. परिचारी प्रवर, समीर कुमार पुलिस केन्द्र, पलामू। 10 अनु0कर्ता पु0अ0नि0 श्यामनन्द सिंह शहर थाना, पलामू।</p> <p>जप्ती सूची के गवाह:- 1. आ0 1961 सत्येन्द्र यादव। 2. आ0 546 संदेश पाल।</p>		
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		पिता स्व० चंचल सिन्हा सा० चरकी भट्टा थाना शहर जिला पलामू।							
50	सदर (शहर) थाना कांड सं० 317/13, दिनांक- 06.07.13, धारा 25 (1-बी) ए /26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं० 1265/13 पुलिस पेपर। 09.05.18	1. अभिषेक कुमार दूबे उर्फ फोटु दूबे पिता राजदेव दूबे। 2. आनन्द कुमार दूबे पिता विनायक दूबे दोनों सा० पूर्वडीहा, थाना चैनपुर, जिला पलामू।	यह कांड वादी पु०अ०नि० मनोज कुमार ठाकुर, थाना प्रभारी शहर, जिला पलामू के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. अभिषेक कुमार दूबे उर्फ फोटु दूबे पिता राजदेव दूबे 2. आनन्द कुमार दूबे पिता विनायक दूबे दोनों सा० पूर्वडीहा, थाना चैनपुर, जिला पलामू के विरुद्ध अवैध अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।	दोनों अभियुक्त जमानत पर।	श्री राजेन्द्र प्रसाद न्या० दण्डा० प्रथम श्रेणी पलामू।		1. वादी पु०अ०नि० मनोज कुमार ठाकुर, शहर थाना प्रभारी, जिला पलामू।	1. वादी पु०अ०नि० मनोज कुमार ठाकुर, शहर थाना प्रभारी, जिला पलामू। 2. स०अ०नि० तारकेश्वर सिंह। 3. आ० 77 जटा शंकर। 4. आ० 685 सत्येन्द्र दूबे। 5. आ० 866 संजय कुमार रजवार। 6. आ० 1143 हरिहर राम। 7. चा० आ० 1278 मोहित कुमार। 8. परिचारी प्रवर तुषार कान्त झा, पुलिस केन्द्र, पलामू। 9. अनु०कर्ता पु०अ०नि० मो० शमीम शहर थाना, पलामू।	जप्ती सूची के गवाह:- 1. अषोक कुमार पाण्डेय पिता स्व० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, सा० चेयरमैन रोड शिक्षक कॉलोनी, हमीदगंज। 2. प्रेम प्रकाश पाठक पिता स्व० केदार पाठक, सा० हमीदगंज, चेयरमैन रोड सूर्य मंदिर के पास दोनों थाना शहर, जिला पलामू।

रामगढ़ जिला के त्वरित विचारण (Speedy trial) चयनित 41 काण्डों की सूची :-

क्र०सं०	काण्ड सं०/तिथि /धारा/अनु०कर्ता का नाम	अभियुक्तों का नाम, पता एवं मो नं०	न्यायालय का नाम पता जी०आर०/ एस०टी नंबर	पी०पी० का नाम एवं मो० नंबर	अभियुक्त में जेल/फरार /जमानत	वादी का नाम,पता, मो० नं० एवं वर्तमान पदस्थापन	सरकारी गवाह/ अनु०कर्ता०/ चिकित्सक/ विशेषज्ञों का नाम,पता, मो नं० एवं वर्तमान पदस्थापन	आम गवाहों का नाम, पता एवं मो०नं०	जप्त प्रदर्श मालखाना का चार्ज दिया है कि नहीं	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	गोला थाना काण्ड सं०-22/17, दि०-17.03.17, धारा-395 भा०द०वि०। अनु०कर्ता० पु०अ०नि० अर्जुन कुमार मिश्रा	1. मो० इसराफिल अंसारी पे०-मो० माजिद अंसारी, 2. मो० हकीम अंसारी, पे०-सुलेमान अंसारी, दोनों सा०-चिरी सरना टोली, 3. सिकन्दर उरॉव पे०-लक्षमण उरॉव, सा०-चिरी बरवा टोला, सभी थाना-कुड्डू, जिला-लोहरदगा, 4. तौफिक अंसारी, पे०-अख्तर हुसैन, सा०-खेतको, थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो, 5. इस्तफाक अंसारी उर्फ अप्पु अंसारी, सा०-कोनकी, थाना-पिटौरिया, जिला-राँची, 6. अलाउद्दीन अंसारी पे०-अब्दुल रज्जाक, सा०-पीपरा हजारीबाग, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग एवं 7. बबलु अंसारी, सा०-कोनकी, थाना-पिटौरिया, जिला-राँची	P.D.J ST No-105/17	श्री आर बी० राय	1. मो० इसराफिल अंसारी, 2. मो० हकीम अंसारी, 3. सिकन्दर उरॉव 4. तौफिक अंसारी, 5. इस्तफाक अंसारी उर्फ अप्पु अंसारी, 6. अलाउद्दीन अंसारी एवं 7. बबलु अंसारी,	विनोद महतो पे०-श्री भूषण महतो सा०-धवैया,थाना-महुआटॉड, जिला-बोकारो	-	1. विनोद महतो पे०-श्री भूषण महतो सा०-धवैया, थाना- महुआटॉड,जिला-बोकारो, 2. रामचन्द्र महतो पे०-झरी महतो, 3. संदेश कुमार महतो पे०-रामचन्द्र महतो, दोनों सा०-कोयहरा, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़, 4. रमेश महतो पे०-स्व० गुजा महतो, 5. फनीन्द्र महतो पे०-सव० जलेश्वर महतो दोनों सा०-पूरबडीह, थाना-गोला, जिला-रामगढ़	-	
2	रामगढ़ थाना काण्ड सं०-42/17, दि०-27.02.17,	1. आशमा खातुन उर्फ गुडिया पति-मुर्तजा अंसारी, सा०-मुण्डा टोली, मरार,	A.D.J-1	श्री एस०के० शुक्ला	1. आशमा खातुन उर्फ गुडिया 2. अली हुसैन अंसारी 3. रूगन महतो	आशा देवी पति स्व० जलेश्वर, सा०- मुण्डा	1. डॉ संगीता बडाई चिकित्सक अस्पताल रामगढ़ एवं 2.	1. आशा देवी पति स्व० जलेश्वर मुण्डा, 2. राजेश मुण्डा, पे०-स्व०	-	

	धारा-367/370/371/372/120बी, भा0द0वि0, 5 इमोरल ट्रेफिकिंग प्रिभेसन एक्ट, 23/26 जे0जे0एक्ट एवं 14/26 लेबर बीन्डेड एक्ट। अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 शकुन्तला नाग	थाना+ जिला-रामगढ़, 2. अली हुसैन अंसारी पे0-स्व0 मुस्तकीम सा0-लपंगा, थाना-पतरातु (भदानीनगर), जिला-रामगढ़, 3. रूगन महतो पे0-भगतु महतो सा0-पतरातु, थाना-गोला, जिला-रामगढ़ एवं 4. बिन्दर सिंह उर्फ बीरा सिंह, पे0-स्व0 भीम सिंह उर्फ गुलाब सिंह, सा0-नरवलगड, नियर सूजूमा रेवले स्टेशन, थाना-कलायत, जिला-कैथल हरियाणा	ST No-71/17		एवं 4. बिन्दर सिंह उर्फ बीरा सिंह,	टोली मरार, थाना+ जिला, रामगढ़	पु0अ0नि0 शकुन्तला नाग	हरखु मुण्डा, 3. दिनेश रजवार पे0-संतोष रजवार, 4. चंदन सिंह पे0-राजेश्वर सिंह, 5. महेश राम पे0-स्व0 चमन राम, 6. आरती मंडल पति-स्व0 देवेन्द्र प्रसाद, 7. रोहित सागर पे0-उमेश सागर सभी सा0-मुण्डा टोली मरार, थाना+ जिला- रामगढ़,		
3	माण्डु थाना कांड सं0-195/17, दि0-09.08.17 धारा-366ए/420/120बी0, भा0द0वि0 एवं 6 पोकसो एक्ट। अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 दिनेश तिवारी	1. सूरज बारला पे0-भरत बारला, सा0-जोडाकरम एवं 2. राजेश मुण्डा पे0-कारु मुण्डा, सा0-हेसागढा 3 नं0, दोनों थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।	A.D.J-1 ST No-139/17	श्री एस0के0 शुक्ला	1. सूरज बारला एवं 2. राजेश मुण्डा	सबिता देवी पति-स्व0 दिलावर बैठा, सा0- जोडाकरम थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़।	स0अ0नि0 दिनेश तिवारी	1. सबिता देवी पति-स्व0 दिलावर बैठा, 2. महावीर महली, पे0-स्व0 तेजन महली दोनों सा0- जोडाकरम थाना- माण्डू, जिला- रामगढ़, 3. तपेश्वर महतो पे0-भैरव महतो सा0- पिपरागढा, थाना- माण्डू (वे0बो0)	-	
4	गोला थाना काण्ड सं0-63/14, दि0-08.05.14, धारा-376डी/354/388/34 भा0द0वि0 एवं 04 पोकसो एक्ट। अनु0कर्ता0 स0अ0नि0	1. राजकुमार गंझू उर्फ राजकुमार भोक्ता, पे0-दुःखी भोक्ता, 2. दिनेश गंझू उर्फ दिनेश भोक्ता पे0-पतिया गंझू, 3. मंगरा भोक्ता, पे0-निमना गंझू तीनों सा0-रंगामाटी, 4. लेकवा भोक्ता सा0-चाटुगढ एवं 5. युगल गवार पे0-अगला गवार, सा0-कोडरमा, सभी थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो,	A.D.J-1 ST No-1683/17	श्री एस0के0 शुक्ला	1. राजकुमार गंझू उर्फ राजकुमार भोक्ता, 2. दिनेश गंझू उर्फ दिनेश भोक्ता 3. मंगरा भोक्ता,, 4. लेकवा भोक्ता एवं 5. युगल गवार (पाचों अभि0 फरार)	पार्वती देवी पे0-स्व0 बुधन गंझू सा0-रंगामाटी, थाना- पेटरवार, जिला- बोकारो,	-	-	-	

	देवसुन्दर झा									
5	माण्डु (वे०बो०) थाना कांड संख्या-94 / 16 दि०-17.03.16 धारा-366ए, भा०द०वि० एवं Pocs0 Act अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० शम्भू दास	पिन्टु भुईर्यो उर्फ चिकु भुईर्यो पे०-लखन भुईर्यो, सा०- बाजारटॉड, मुण्डा टोली घाटो, थाना-माण्डु (वे०बो०), जिला-रामगढ़	A.D.J-1 ST No-45/16	श्री एस०के० शुक्ला	पिन्टु भुईर्यो उर्फ चिकु भुईर्यो	अमिलो करमाली पे०-स्व० जगदीश करमाली बाजारटॉड, मुण्डा टोली घाटो, थाना-माण्डु (वे०बो०), जिला- रामगढ़	1. डॉ श्रीमति निशांत अहमद एवं 2. श्री उदय श्रीवातस्वत दोनों सदर अस्पताल रामगढ़ ।	1. अमिलो करमाली, 2. मंजू देवी पति-अमिलो करमाली, 3. रोहित कुमार पे०-अमिलो करमाली, 4. मुकेश प्रजापति पे०-महादेव प्रजापति, 5. उषा देवी पति-मनीष करमाली, 6. राजू साव पे०-स्व० नाथून साव सभी सा०- बाजारटॉड, मुण्डा टोली घाटो, थाना- माण्डु (वे०बो०), जिला- रामगढ़	-	
6	रामगढ़ थाना काण्ड सं०-19 / 2000, दि० 14.07.2000, धारा 147 / 148 / 323 / 324 / 504 / 504 / 342 भा०द०वि० एवं 3 / 4 एस०टी० एक्ट । एस०टी०नं० 428 / 11	1.निवारण सिंह पे० मधु नन्दन सिंह 2. शिवकुमार सिंह पे० मधुनंदन सिंह 3. सनत सिंह पे० मधुनंदन सिंह 4. पुरंजय सिंह पे० निवारण सिंह 5. दिलीप सिंह पे० देवेन्द्र सिंह 6. गौतम सिंह पे० भागवत सिंह सभी सा० इचातु, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ ।	A.D.J-1 ST No-428/11	श्री एस०के० शुक्ला	-	लखन वेदिया पिता स्व० चैता बेदिया, सा० इचातु, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ ।	1.श्री के०डी० यादव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़ 2. मदन मोहन लाल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 3. संजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 4. श्री धनज्जय सिंह अनुमंडल पुलिस पदा०	1.लखन बेदिया (वादी) 2.शांति देवी पति श्याम लाल बेदिया 3. चामो बेदिया पे० भोलो बेदिया 4. मुटुक बेदिया पे० धनतु उर्फ चंदु बेदिया 5. रामशरण बेदिया पे० पालक बेदिया 6. मंसु बेदिया पे० बारीनाथ बेदिया 7. ललकु बेदिया पे० जितु बेदिया, सभी सा० इचातु, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ ।		

7	रामगढ़ थाना काण्ड सं०-137/12, दि०-21. 05.12, धारा-25(1-बी)ए /26 शस्त्र अधि०। अनु०कर्ता० स०अ०नि० उदय कुमार भगत	धनन्जय शर्मा, पे०-रामजन्म शर्मा, सा०-गोईन, थाना-मेहन्दिया, जिला-अरवल (बिहार)	C.J.M GR No-1660/12	श्री राम कुमार	धनन्जय शर्मा,	पु०अ०नि० बाल्मीकि सिंह, तत्कालीन रामगढ़ थाना	1. पु०अ०नि० बाल्मीकि सिंह, तत्कालीन रामगढ़ थाना, 2. पु० 204 उपेन्द्र सिंह, 3. पु०-130 प्रबोध सिंह, 4. पु०-136 विक्रम गिरि, 5. पु०-183 महेन्द्र नाथ शर्मा, चारो रामगढ़ नगर टी०ओ०पी० थाना+जिला-रामगढ़।	1. अब्दुल रउफ पे०-अब्दुल कादीर सा०-दुसाध मुहल्ला रामगढ़, 2. अशोक कुमार गोयनका उर्फ मुन्ना पे०-टिक्कम चंद गोयनका सा०- सौदागर मुहल्ला, 3. बादल चकवती पे०- शम्भू चकवती सा- दुसाध मुहल्ला, 4. पप्पु मंडल पे०- भागीरथ मंडल सा०- पतरातु बस्ती, सभी थाना+ जिला- रामगढ़, 5. विरसा उरॉव पे०-बाबुलाल उरॉव, सा०-कदुआ बेडा एवं 6. सोनू सिंह पे०- बिन्द्र सिंह, सा०-मॉ भवानी ट्रॉसपोर्ट मरार, थाना+ जिला- रामगढ़।	-	
8	रामगढ़ थाना कांड सं०-269/17 दि०- 15. 08.17 धारा-25(1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट। अनु०कर्ता० पु०अ०नि० अशोक कुमार	1. राजेश राम पे० सोनार राम, सा०-पारसोतिया, 2. दिलेश्वर सिंह पे० जगदीश सिंह, सा०-जी०एम० ऑफिस सिरका एवं 3. पकौड़ी साव उर्फ दिपक साव, पारे बस्ती, सभी थाना+जिला-रामगढ़	C.J.M GR No-871/17	श्री राम कुमार	1. राजेश राम 2. दिलेश्वर सिंह	पु०अ०नि० संतोष कुमार सिंह, तत्कालीनरामगढ़ थाना	1. पु०अ०नि० संतोष कुमार सिंह, रामगढ़ थाना, 2. पु०अ०नि० संतोष कुमार गुप्ता, 3. पु०अ०नि० अशोक कुमार, 4. मुकेश कुमार परिचारी प्रवर पु०के० रामगढ़ 5. स०अ०नि० घनश्याम गोप रामगढ़ थाना, 6. पु०-463 ओम शरण, 7. 476 सुजीत कुमार दास,	1. अरविन्द महतो पे०-जालो महतो, सा०- बाजारटॉड, 2. नंदकिशोर महतो पे०-स्व० रामसागर महतो सा०- गोरियारी बाग दोनों थाना+ जिला- रागढ़	-	
9	रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-300/16 दि०-09.	1. सागर सोनकर उर्फ राजा पे०-सुशील सोनकर,	C.J.M	श्री राम कुमार	1. सागर सोनकर उर्फ राजा, 2. विष्णु प्रसाद उर्फ	सच्चिदा प्रसाद सिंह, पु०नि०-	1. पु०नि०- सह-थाना प्रभारी, रामगढ़	1. गोपू सिंह पे०-स्व०भीम सिंह,	-	

	09.16 धारा-414/120बी., भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। अनु0कर्त्ता-पु0अ0नि0 अर्जुन उर्खव,	सा0-गोलपार तिरंगा चौक, 2. विष्णु प्रसाद उर्फ पिन्दु पे0-श्यामदेव महतो, सा0-कोईरीटोला, 3. नियत अली उर्फ भोलू पे0-अमानत अली उर्फ मोटू, सा0-गोलपार (ईमामबारा के पास), 4. नसीम अंसारी पे0-खुशींद अंसारी, सा0-गोलपार, सभी थाना+जिला-रामगढ़, 5. अफसर, 6. आरीफ, 7. अमन साव (मुख्य सरगना) के विरुद्ध सत्य पाया है। शेष अभियुक्त 8. रामगढ़ कारा में प्रतिनियुक्त जैप का सिपाही धर्मेन्द्र कुमार	GR No-1025/16		पिन्दु, 3. नियत अली उर्फ भोलू 4. नसीम अंसारी 5. अफसर, 6. आरीफ, 7. अमन साव (मुख्य 8. जैप का सिपाही धर्मेन्द्र कुमार	सह-थाना प्रभारी, रामगढ़	सच्चिदा प्र0 सिंह, 2. स0अ0नि0 उमाशंकर सिंह, 3. स0अ0नि0 महेन्द्र मिश्रा, 4. स0अ0नि0 योगेश रजक, 5. अनु0कर्त्ता0 पु0अ0नि0 संतोष कुमार गुप्ता, रामगढ़ थाना	सा0-गोलपार, एवं 2. दीपक कुमार पे0-गहनू महतो सा0-बाजारटॉड, दोनों थाना+ जिला-रामगढ़		
10	रामगढ़ थाना काण्ड सं0-316/09, दि0-09. 10.09, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। अनु0कर्त्ता0 पु0अ0नि0 मदन पासवान	1. ईश्वर राम उर्फ ईश्वर डोम पे0-कृष्णा राम सा0-मुण्डा टोली सिरका एवं 2. लल्लु कहार पे0-स्व0 दलसिंगर, सा0-सिरका दोनों थाना+जिला-रामगढ़	C.J.M GR No-3084/109	श्री राम कुमार	1. ईश्वर राम उर्फ ईश्वर डोम एवं 2. लल्लु कहार	विजय कुमार पु0नि0 सह थाना प्रभारी रामगढ़।	1. विजय कुमार पु0नि0 सह थाना प्रभारी रामगढ़, 2. श्री राजीव कुमार परिचारी प्रवर पु0के0 रामगढ़ 3. पु0-186 संजय कुमार सिंह, 4. पु0-174 धनंजय शर्मा, 5. 148 सुरेन्द्र शर्मा, 6. पु0-321 संजय दास सभी सशस्त्र बल रामगढ़ थाना,	1. ब्रजमोहन प्रजापति पे0- सुरेन्द्र प्रजापति सा0-बिंझार, थाना- गिद्दी जिला- हजारीबाग एवं 2. महेश प्रसाद पे0- सुरेश मेहता सा0-अरगड़डा जिला- रामगढ़।	-	
11	माण्डु (कुज्जू) थाना कांड सं0-15/16 दि0-13.01.16 धारा-25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।	1. लोकनाथ गंझु पे0-स्व0 लोला गंझु, सा0-दुरुकसमार, थाना-माण्डु (वे0बे0), जिला-रामगढ़ एवं 2. संजय कुमार भोगता उर्फ संजय गंझु उर्फ अनुज कुमार पे0-स्व0 दिलचन्द्र गंझु, सा0-बिरहु, थाना-सिमरिया, जिला-चतरा	Sri Abhimanyu kumar GR No-	श्री राम कुमार	1. लोकनाथ गंझु एवं 2. संजय कुमार भोगता उर्फ संजय गंझु उर्फ अनुज कुमार	पु0अ0नि0 बालकृष्ण भगत ओ0पी0 प्रभारी कुज्जू	1. पु0अ0नि0 बालकृष्ण भगत ओ0पी0 प्रभारी कुज्जू, 2. पु0अ0नि0 संतोष कुमार गुप्ता, 3. पु0अ0नि0 चन्द्रमा सिंह, 4. पाण्डेय	1. आलम अंसारी पे0-अब्दुल अंसारी सा0-हुवाग बलसगरा, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़ एवं 2. मो0 तहसीन पे0-रहीम अंसारी सा0-बडका	-	

	अनु०कर्ता० पु०अ०नि० चन्द्रमा सिंह	(उग्रवादी संगठन जे०पी०सी० के सदस्य)	50/16				अजय कुमार परिचारी प्रवर हजारीबाग, 5. स०अ०नि० महेश कुमार, 6. हव० दुर्गा पूर्ति, 7. पु०-86 दाउद अंसारी, 8. चन्द्राय सोरेन, 9. पु०-584 गुलाम खान कुज्जू ओ०पी०	चुम्बा, थाना-गिद्दी, जिला-हजारीबाग		
12	पतरातु (भुरकुण्डा) थाना कांड सं०-136/09 दि०-26.06.09 धारा-25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम अनु०कर्ता० स०अ०नि० महेन्द्र प्रसाद सिंह	पंचम कुमार रवि पे०-स्व० गुलाबी राम, सा०-बडकाचुम्बा, थाना-गिद्दी, जिला-हजारीबाग	Sri P Shankar JM Ramgarh GR No- 1920/09	श्री राम कुमार	पंचम कुमार रवि	पु०अ०नि० विनय प्रसाद मंडल ओ०पी० प्रभारी भुरकुण्डा	1. पु०अ०नि० विनय प्रसाद मंडल, 2. स०अ०नि० महेन्द्र प्र० सिंह 3. पु०-196 धिरेन्द्र कुमार सिंह, 4. पु०-204 उपेन्द्र कुमार सिंह, 5. पु०-193 मणिकांत मेंहरा भुरकुण्डा ओ०पी० रिजर्व गार्ड	1.भुनेश्वर गंडू पे०-स्व० रूपलाल गंडू एवं 2. राजेश महली पे०-बालकिशुन महली दोनों सा०-पुराना थाना कॉलोनी रिभर साईड भुरकुण्डा थाना-पतरातु (भु०), जिला-रामगढ़।	-	

13	पतरातु (भुरकुण्डा) थाना कांड सं०-107/10 दि०-23.04.10 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० दिनेश प्रसाद रजक	इसराफिल खान पे०-अब्दुल सकुर, सा०-काँके सीमरटोली, थाना-काँके, जिला-राँची	Sri P Shankar JM Ramgarh GR No-1887/10	श्री राम कुमार	इसराफिल खान	पु०अ०नि० रणधीर कुमार, ओ०पी० प्रभारी भुरकुण्डा	-	-	-	
14	पतरातु थाना कांड सं०-251/15 दि०-26.10.15 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० लेखनाथ सिंह	1. समीर कुमार उर्फ छोटू कुमार पे०-तेजु साव, सा०-पतरातु बाजार, थाना-पतरातु, जिला-रामगढ़ एवं 2. गौतम मंडल पे०-स्व० दिनेश मंडल, सा०+थाना-बासंती, जिला-24 परगना, पश्चिम बंगाल	Sri P Shankar JM Ramgarh GR No-4670/15	श्री राम कुमार	1. समीर कुमार उर्फ छोटू कुमार एवं 2. गौतम मंडल	पु०अ०नि० विष्णुदेव चौधरी थाना प्रभारी पतरातु	1. पु०अ०नि० विष्णुदेव चौधरी, 2. पाण्डे अजय कुमार परिचारी प्रवर हजारीबाग, 3. स०अ०नि० लेखनाथ सिंह, 4. पु०-578 ललन कुमार सिंह, 5. पु०-432 अजय कुमार, 6. पु०-460 बट्टी प्रसाद यादव एवं 7. पु०-575 सुबोध कुमार रिजर्व गार्ड पतरातु	1. तुलसी सिंह पे०-स्व० सुखदेव सिंह, 2. रोशन कुमार पे०- तुलसी सिंह दोनों सा०- पतरातु बाजार टॉड, थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़	-	
15	पतरातु थाना कांड संख्या-118/16 दि०-25.04.16 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।	गयासुद्दीन अंसारी उर्फ राजन पटेल उर्फ मुन्ना पे०-सराफत करीम, सा०-अर्जुनडीह, थाना-छत्तरपुर, जिला-पलामू	Sri P Shankar JM Ramgarh GR No-489/16	श्री राम कुमार	गयासुद्दीन अंसारी उर्फ राजन पटेल उर्फ मुन्ना	पु०अ०नि० राजेश मण्डल, थाना प्रभारी, पतरातु	1. पु०अ०नि० राजेश मण्डल, 2. अनु०कर्त्ता०स०अ०नि० लेखनाथ सिंह, 3. पु०-197 भगवान सिंह, 4. पु०-90 प्रकाश साव, 5. पु०-104 सुधीर कुमार सिंह रिजर्व गार्ड पतरातु	1. दीपक करमाली, पे०-राम चरण करमाली सा०-रोचाप एवं 2. पंचम मुंडा पे०-हुलास मुण्डा सा०- टेरपा, दोनों थाना- पतरातु, जिला- रामगढ़	-	

16	पतरातु (भुरकुण्डा) थाना कांड सं०-240/11 दि०-12.12.11 धारा-414/34 भा०द०वि० एवं 25(i)ए, 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० परशुराम सिंह	1. बिट्टू विश्वकर्मा उर्फ विकास कुमार विश्वकर्मा उर्फ राज सिंह पे०-नकुल विश्वकर्मा, सा०-कटिया, 2. तबरेज अंसारी पे०-इलियास अंसारी सा०-रोचाप दोनों थाना-पतरातु एवं 3. आशीष कुमार लोहार पे०-स्व० किशुन लोहार सा०-होसिर, थाना-कोंके जिला-रॉंची वर्तमान शिवनगर, कॉलोनी रिभर साईड, थाना-पतरातु (भु०), जिला-रामगढ़।	Sri P Shankar JM Ramgarh GR No-3393/11	श्री राम कुमार	1. बिट्टू विश्वकर्मा उर्फ विकास कुमार विश्वकर्मा उर्फ राज सिंह, 2. तबरेज अंसारी एवं 3. आशीष कुमार लोहार	पु०अ०नि० रणधीर कुमार ओ०पी, प्रभारी भुरकुण्डा	1. पु०अ०नि० रणधीर कुमार 2. स०अ०नि० परशुराम सिंह 3. हव० रामबली पाण्डेय, 4. पु०-362 राजेश कुमार, 5. पु०-367 सितेश कुमार, 6. पु०-137 सुधीर कुमार रिजर्व गार्ड भुरकुण्डा	-	-	
17	माण्डू (कुज्जू) थाना कांड सं०-314/12 दि०-29.11.12 धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० अमीर आलम खान	1. रवि सिंह उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि सरदार, पे०-महेन्द्र सिंह सा०-कुज्जू नया बाजार टॉड, थाना-माण्डू (कुज्जू), जिला-रामगढ़ एवं 2. सूरज सिंह पे०-अनिल सिंह सा०-खास सिजुआ, थाना-तेतुलमारी, जिला-धनबाद	Rajesh Srivastaw JM Ramgarh GR No-4671/12	श्रीमति मंजू कच्छप	1. रवि सिंह उर्फ राहुल सिंह उर्फ रवि सरदार एवं 2. सूरज सिंह	पु०अ०नि० रामेश्वर राम ओ०पी० प्रभारी कुज्जू	1. पु०अ०नि० रामेश्वर राम ओ०पी० प्रभारी कुज्जू, 2. पु०अ०नि० हरिपद हॉसदा, 3. स०अ०नि० अमीर आलम खान अनु०कर्त्ता	1. कुका पाण्डे, पे०-कृष्णा पाण्डे एवं 2. उमेश राम पे०-बासुरी राम दोनों सा०-कुज्जू, थाना-माण्डू (कु०), जिला-रामगढ़	-	
18	माण्डू (वे०बो०) थाना कांड सं०-12/11 दि०-21.01.11 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट।	यशवंत कुमार राणा पे०-राजेन्द्र राणा, सा०-भुसनडीह, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, हा०मो० रीवर साईड, थाना-माण्डू (वे०बो०), जिला-रामगढ़	Rajesh Srivastaw JM Ramgarh GR No-179/11	श्रीमति मंजू कच्छप	यशवंत कुमार राणा	अ०नि० हरि प्रसाद साह ओ०पी० प्रभारी वे०बो० अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० मदन प्रसाद सिंह	-	-	-	

19	<p>माण्डू थाना कांड सं०-348 / 15</p> <p>दि०-28.08.15 धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट ।</p> <p>अनु०कर्त्ता० पु०अ०नि० रामेश्वर भगत</p>	<p>छोटू साव पे०-किशोर साव, सा०-छोटकी लारी, थाना-रजरप्पा, जिला-रामगढ़ ।</p>	<p>Rakesh Raushan JM Ramgarh</p> <p>GR No-3721/15</p>	<p>श्रीमति मंजू कच्छप</p>	<p>छोटू साव</p>	<p>स०अ०नि० घनश्याम गोप माण्डू थाना</p>	<p>1. स०अ०नि० घनश्याम गोप, 2. ह० गोविंद किस्कु, 3. पु०-249 नंद किशोर महतो, 4. पु०-315 गणेश मंडल, 5. पु०-149 रामेश्वर साव, 6. स०अ०नि० सलीम अंसारी (मृत), 7. परिचारी प्रवर पाण्डेय अजय हजारीबाग</p> <p>8. अनु०कर्त्ता० रामेश्वर भगत</p>	<p>1. सुमित कुमार पे०-विजय यादव एवं 2. नंद किशोर कुमार पे०-श्री रीमा मुसहर दोनों सा०-माण्डू डीह, थाना-माण्डू जिला-रामगढ़ ।</p>	-	
20	<p>बासल थाना काण्ड सं०-30 / 15 दि० 23 / 11 / 2015, धारा-115 / 120बी भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट ।</p> <p>अनु०कर्त्ता० स०अ०नि० उमाशंकर</p>	<p>1. टिकु कुमार पिता अर्जुन सिंह, 2. सुनिल साव पिता बोधी साव, 3. प्रेमसागर पिता राजेन्द्र महतो तीनों सा०-टेरपा, 4. विकास करमाली पिता सुरेश करमाली, 5. रवि कुमार पिता अर्जुन राम दोनों सा०- सी०सी०एल० कालोनी के पिछे झोपडी पट्टी, थाना-पतरातू, जिला- रामगढ़, 6. निरंजन प्रसाद पिता हरिदयाल साव, 7. अमन साव पे०-निरंजन साव दोनो सा०-हेसला, थाना- पतरातू जिला-रामगढ़ 8. सूरज सिंह</p>			<p>1. टिकु कुमार पिता अर्जुन सिंह, 2. सुनिल साव पिता बोधी साव, 3. प्रेमसागर पिता राजेन्द्र महतो तीनों सा०-टेरपा, 4. विकास करमाली पिता सुरेश करमाली, 5. रवि कुमार पिता अर्जुन राम दोनों सा०- सी०सी०एल० कालोनी के पिछे झोपडी पट्टी, थाना-पतरातू, जिला- रामगढ़, 6. निरंजन प्रसाद पिता हरिदयाल साव, 7. अमन</p>	<p>पु०अ०नि० संतोष कुमार सिंह (भुरकुण्डा ओ०पी०)</p>	<p>1. पु०अ०नि० संतोष कु० सिंह पतरातू थाना 2. पु०-460 बंदी प्रसाद यादव, 3. पु०-387 दशरथ बैठा, 4. पु०-391 प्रमोद कु० सिंह तीनो थाना पतरातू गार्ड 5. परिचारी प्रवर हजारीबाग, 6. स०अ०नि० रामरतन पासवान रामगढ़, 7. स०अ०नि० उमाशंकर सिंह</p>	<p>1. भोला रजक पे०-नान्हो रजक, सा०-कुम्हारटोली, हजारीबाग, 2. रवि कुमार पे०-रिजमा कुमार, सा०-कटिया, थाना-पतरातू, 3.</p>		

	सिंह)	पे0-अनिल सिंह, सा0-खास सिजुआ, थाना-तेतुलमारी, जिला-धनबाद, 9. जुगल थापा			साव पे0-निरंजन साव दोनो सा0- हेसला, थाना- पतरातू जिला- रामगढ़					
21	पतरातू(भुरकुण्डा) थाना कांड सं0- 125/15, दि0- 04.06.15, धारा- 302 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट। अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 विमल प्रकाश तिकी)	पवन कुमार पिता बिन्देष्चरी राय, सा0-काजी टोला डोरीगंज जमालपूर, सारण(बिहार)			पवन कुमार पिता बिन्देष्चरी राय, सा0-काजी टोला डोरीगंज जमालपूर, सारण (बिहार)	किशन कुमार सिंह पिता विजय कुमार सिंह, सा0+ थाना- बडकागॉवजिला- हजारीबाग	1. डॉ एन0के0सिंह सी0सी0एल0 अस्पताल भु0, 2. डॉ ज्योति गुडिया रिम्स रॉची, 3. स0अ0नि0 विनय कु0 सिंह भुरकुण्डा ओ0पी0 4. पु0नि0 अतीन कुमार भुरकुण्डा	किशन कुमार सिंह बडकागॉव, हजारीबाग, 2. समीर कु0 सिंह पे0-अखिलेश सिंह, सा0-भुरकुण्डा, रामगढ़ 3. सेराज अहमद बरियातु रॉची, 4. बृजदेव सिंह पे0-चन्द्रदीप सिंह, भु0, रामगढ़, 5. राधा देवी पति बृजदेव सिंह भु0, रामगढ़, 6. जूली कुमारी उर्फ जूली सिंह, पे0-बृजदेव सिंह भु0, रामगढ़, 7. निर्मला देवी पति-रितेश मिश्रा, भु0, रामगढ़, 8. शिव कुमार पंकज उर्फ पप्पु, सैन्ट्रल सौन्दा, भु0 रामगढ़ 9. रंजीत प्रसाद सैन्ट्रल सौन्दा, भु0 रामगढ़		
22	पतरातू थाना काण्ड सं0- 225/16 दि0 16/08/2016, धारा- 363/366 भा0द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट। अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 सुखराम	राजा पाल पिता निर्मल पाल, सा0- पंचमंदिर रोड नं0- 34, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़			राजा पाल पिता निर्मल पाल, सा0- पंचमंदिर रोड नं0- 34, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़	दशरथ वर्मा पिता अंकित नहीं, सा0-जनता नगर ब्लॉक 7 टाईप-1, थाना- पतरातू, जिला- रामगढ़	1. डॉ संगीता बड़ाईक सदर अस्पताल रामगढ़ 2. स0अ0नि0 सुखराम पतरातु थाना	1. दशरथ वर्मा पे0-स्व0 रामानन्द वर्मा थाना-पतरातु, रामगढ़ 2. आशा वर्मा पति-दशरथ वर्मा 3. संतोष वर्मा पे0-दशरथ वर्मा, सभी थाना-पतरातु, रामगढ़ 4. पवन कु0 श्रीवास्तव पे0-दशरथ वर्मा		

								थाना-पतरातु, रामगढ़		
23	माण्डु थाना कांड सं० -208/14 दिनांक 04.06. 14 धारा -25(1-बी)ए /26 आर्म्स एक्ट।	संजय रक्षित पे० स्व०ऋ अमरनाथ रक्षित, सा० ओकनी न्यू एरिया रोड, थाना सदर जिला हजारीबाग	ए०सी०जे०एम ० रामगढ़ जी०आर० न० 2176/14	राम कुमार	संजय रक्षित	पु०नि० उमेश प्र० सिंह थाना प्रभारी प्र० माण्डू	पु०अ०नि० उमेश प्रसाद सिंह थाना प्रभारी माण्डू 2. पु०अ०नि० रविकांत प्रसाद ओ०पी० प्रभारी कुज्जू 3. स०अ०नि० घनश्याम गोप , माण्डू थाना 4. हव० नागेन्द्र सिंह 5. पु०-452 देवनाथ राणा 6. पु०-303 पंचानंद कर्मकार माण्डू थाना रिजर्व गार्ड।	मो० रसीद पे० हारून रसीद सा० - आजाद नगर थाना - कटकमसाण्डी , पेलवाल जिला - हजारीबाग, 2. अनिल तिवारी , सा० धारपुर , थाना ईटखोरी जिला - चतरा।		आरोप पत्र

24	माण्डू (वे०बो०) थाना कांड सं० 165/16 दिनांक 21.05.16 धारा 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट अनु०कत्ता० पु०अ०नि० राधेश्याम	1.बिरसा गंझु पे० स्व० जेतु गंझु सा० तापीन बस्ती 2.इष्वर गंझु पे० सैयनाथ गंझु सा० परेज 3.प्रीतम गंझु पे० बंधन गंझु 4.दिनेष गंझु पे० कोमल गंझु दोनों सा० परेज (गंझु टोला) 5. मो० असरफ पिता मो० अनवर सा०-परेज			1.बिरसा गंझु पे० स्व० जेटु गंझु सा० तापीन बस्ती 2. इष्वर गंझु पे० सैयनाथ गंझु सा० परेज 3.प्रीतम गंझु पे० बंधन गंझु 4.दिनेष गंझु पे० कोमल गंझु दोनों सा० परेज (गंझु टोला) 5. मो०	पु०अ०नि० मनोज कुमार ओ०पी० प्रभारी वे०बो० (गिरिडीह जिला बल)	1. पु०अ०नि० मनोज कुमार पे०-स्व० रामकिशुन सिंह तत्कालीन प्रभारी वे०बो० ओ०पी० 2. स०अ०नि० राम विनोद सिंह पे०-रामआधार सिंह वे०बो० ओ०पी०, 3. हवलदार रामअवतार पाल पे०-कैलाश पाल, 4. पु०-596 अर्जुन	1. योगेन्द्र गंझु पे०-दुखन गंझु, 2. मुकेश कुमार पे०-बिजू महतो दोनो सा०-नावाडीह थाना-माण्डु (वे०बो०), जिला-रामगढ़		
----	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--

		<p>रहमत नगर 6. नरेष भुईयां उर्फ नरेष कुमार भुईया पै0 स्व0 कारु भुइयां सा0 अगरवा बस्ती सभी थाना माण्डु वे0बो0 जिला रामगढ 7. सुनिल मंडल पिता श्री अरुण मंडल सा-पालमों थाना मुफ्फसिल जिला गिरीडीह वर्तमान ए टाइप प्रेम नगर कॉलोनी थाना चरही जिला हजारीबाग' 8.मुकेश गंझु 9.बब्लु गंझु 10.नुतन गंझु तीनों पे0 तापेधर गंझु सा0 कजरी थाना चरही जिला हजारीबाग' 11.संजय गंझु पै0 मांडे गंझु सा0 परेज 12.सचीन गंझु पै0 सुरेन्द्र गंझु</p>			<p>असरफ पिता मो0 अनवर सा0-परेज रहमत नगर 6. नरेष भुईयां उर्फ नरेष कुमार भुईया पै0 स्व0 कारु भुइयां सा0 अगरवा बस्ती सभी थाना माण्डु वे0बो0 जिला रामगढ 7. सुनिल मंडल पिता श्री अरुण मंडल सा-पालमों थाना मुफ्फसिल जिला गिरीडीह वर्तमान ए टाइप प्रेम नगर कॉलोनी थाना चरही जिला हजारीबाग' 8. नरेष गंझु पै0 परमेधर गंझु सा0 तापीन थाना चरही जिला</p>	<p>कुमार पै0-लालजी साव, 5. पु0-25 परमानन्द कुमार रजक पै0-राजेन्द्र रजक, 6. पु0अ0नि0 लिलेश्वर महतो पै0-स्व0 चौधरी महतो माण्डु थाना, 7. पु0-451 विपिन कुमार यादव पै0-राधे यादव, सा0-बुण्डु , थाना-पदमा, जिला-हजारीब ाग, 8. पु0-457 उपेन्द्र प्रसाद पै0-रामकृष्ण प्रसाद, सा0-काटी, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा , 9. दीपक कुमार अनु0प0पदा0 रामगढ 10. पु0अ0नि0 राधेश्याम राम तत्कालीन थाना प्रभारी वे0बो0ओ0पी0,</p>				
--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--

		सा0 बंजी थाना माण्डू वे0बो0 जिला रामगढ 13. नरेश गंझु पे0 परमेश्वर गंझु सा0 तापीन थाना चरही जिला हजारीबाग 14 सचिन गंझु पिता ना मालूम सा0 बंजी थाना माण्डू वे0बो0 जिला रामगढ 15 हलधर गंझु पिता कमल गंझु सा0 तापिन थाना चरही जिला हजारीबाग एवं सुदेश गंझु पिता ना मालूम सा0 खेलाडी			हजारीबाग 9. हलधर गंझु पिता कमल गंझु सा0 तापिन थाना चरही जिला हजारीबाग 10. बबलू गंझु		11. पाण्डेय अजय कुमार परिवारी प्रवर हजारीबाग ।					
25	पतरातू (बरकाकाना) थाना कांड संख्या-274 / 2017 दिनांक-23.10.2017 धारा- 385 / 387 / 34 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी) / ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट ।	1. धनंजय मुण्डा पिता-जगरनाथ 1 मुण्डा 2. नरेश बेदिया पिता-जीवलाल बेदिया दोनो सा0-कडरू थाना-पतरातू(बरकाकाना) जिला-रामगढ 3. आकाश जी			1. धनंजय मुण्डा पिता-जगर नाथ मुण्डा 2. नरेश बेदिया पिता-जीवल ाल बेदिया दोनो सा0-कडरू थाना- पतरातू	स0अ0नि0 थॉमस बारला बरका काना ओ0पी0 (वेस्ट बोकारो)	1. हव0 दुर्गा पूर्ति, 2. पु0-192 बसन्त कुमार महतो, 3. पु0-587 मुकेश कुमार मेहता, 4. पु0-525 नागेश्वर विश्वकर्मा 5. पु0-502 उत्तम सोरेन, सभी	-				

	अनु०कर्त्ता पु०अ०नि० मुन्ना कुमार सिंह	उर्फ अभिषेक 4. खुखीयत 5. अनिल उर्फ सरकार जी तीनो का पता नहीं मालूम 6. दीपक बेदिया तिपा- 'जगरना र्थ' बेदिया सा०-कडरू थाना- 'बरकाकानी ओ०पी० जिला-रामगढ़ एवं 5/06 अज्ञात			(बरकाकाना) जिला- रामगढ़		थाना बरकाकाना ओ०पी० रिजर्व गार्ड 6. स०अ०नि० थोमस बारला, 7. पु०अ०नि० मुन्ना कु० सिंह दोनो थाना बरकाकाना ओ०पी०।					
26	माण्डू (वे०बो०) थाना कांड सं०-33/17 दिनांक 13.02.17 धारा-302/34 भा०द०वि०। अनु०कर्त्ता पु०अ०नि० राधेश्याम राम	1. पिन्टु रजवार, पिता-दुली रजवार सा० ईचाकडी, थाना-माण्डू वे०बो, जिला-रामगढ़ एवं 2. उनित रजवार पे०-देवराय रजवार दोनो सा०-ईचाकडी हथाना-माण्डू (वे०बो०), जिला-रामगढ़।			1. पिन्टु रजवार, पिता-दुली रजवार सा० ईचाकडी, थाना-माण्डू वे०बो, जिला-रामगढ़ एवं 2. उनित रजवार पे०-देवराय रजवार दोनो सा०-ईचाकडी हथाना-माण्डू (वे०बो०), जिला-रामगढ़।	डोमन नोनीर्यो, पे०-स्व० सोहराय नोनीर्यो, सा-केदला चाक, थाना-माण्डू वे०बो०, जिला, रामगढ़	1. डॉ प्रेम दास सदर अस्पताल हजारीबाग, 2. पु०अ०नि० राधेश्याम राम तत्कालीन थाना प्रभारी वे०बो०ओ०पी०	1. डोमन नोनिया पे०-स्व० सोहराय नोनिया, सा०-केदला वे०बो०, 2. कुलदीप मुण्डा पे०-स्व० रेड्डु मुण्डा, सा०-केदला, 3. विजय लाल पे०-तपेश्वर लाल सा०-केदला-9 नं०, 4. हेमन्ती देवी पति-विजयलाल, सा०-केदला, 5. बिरेन्द्र नोनिया पे०-रामलाल नोनिया, सा०-केदला चौक, 6. धनेश्वर दास उर्फ पप्पु पे०-झुरू दास सा०-केदला-9				

								नं०, 7. अनन्त कुमार पे०-सुरेन्द्र राय, सा०-केदला, सभी थाना-माण्डु (वे०बो०), जिला-रामगढ़ 8. जुगेश नोनिया पे०-रामदयाल नोनिया, 9. सुरेन्द्र नोनिया पे०-ललन नोनिय दोनो सा०-केदला, रामगढ़				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

27	<p>माण्डु थाना काण्ड सं०-438 / 15</p> <p>दि०-11.10.15 धारा-364 / 302 / 201 / 34 भा०द०वि०।</p> <p>अनु०कर्त्ता पु०अ०नि० विद्यावति ओहदार</p>	<p>1. सुमित कुमार साव पे०-जयहिन्द साव, सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़, 2. राजू करमाली पे०-बालेश्वर करमाली, सा०-सिकोपी, थाना-गोमियाँ, जिला-बोकारो एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 3. फलकुमारी देवी पति-स्व० राजू साव, 4. नन्दलाल साव पे०-गौतम साव, दोनों सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़, 5. हलधर गंझू 6. राम कुमार गंझू 7. नरेश गंझू सभी सा०-तापिन, थाना-चरही, जिला-हजारीबाग</p>			<p>1. सुमित कुमार साव पे०-जयहिन्द साव, सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़, 2. राजू करमाली पे०-बालेश्वर करमाली, सा०-सिकोपी, थाना-गोमियाँ, जिला-बोकारो एवं अप्राथमिकी अभियुक्त 3. फलकुमारी देवी पति-स्व० राजू साव, 4. नन्दलाल साव पे०-गौतम साव, दोनों सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़,</p>	<p>वादी बिलिति या देवी, पति-स्व० जनक साव, सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़।</p>	<p>1. डॉ कपीलदेव प्रसाद सदर अस्पताल हजारीबाग 2. पु०अ०नि० लिलेश्वर महतो माण्डु थाना.</p>	<p>1. बिलितिया देवी, पति-स्व० जनक साव, 2. विनय साव पे०-गंगा साव दोनो सा०-माण्डुडीह, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़। 3. दिपशिखा कुमारी, पे०-दीपनारायण साव, 4. मनीष नारायण पे०-दीपनारायण 5. आशीष नारायण पे०-दीपनारायण तीनों सा०-हरली, थाना-दारु, जिला-हजारीबाग 6. अर्जुन साव पे०-काशी साव, सा०-माण्डु थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़ 7. अर्जुन साव पे०-त्रिवेणी साव 8. त्रिवेणी साव पे०-धर्मनाथ साव, 9. गोपी साव पे०-त्रिवेणी साव, 10. सुरेश</p>				
----	---	---	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

								साव पे0-जलेश्वर साव, 11. धर्मेन्द्र साव पे0-जयनाथ साव, 12. विनय कुमार पे0-गंगा साव 13. योगेन्द्र साव पे0-धनेश्वर साव, सातो सा0-माण्डु थाना-माण्डु, जिला-रामगढ				
28	माण्डु काण्ड सं0-491 / 15 दि0-19. 11.15 धारा-8 / 20 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट । अनु0कर्ता0 पु0अ0नि0 मो0 सलीमुद्दीन	1. अरुण राम पे0-मोती राम, सा0-सेक्टर-8 स्टील सीटी, थाना-हरला एवं 2. गोविन्द कुमार तुरी पे0-सहदेव तुरी, सा0-चेताटांड सेक्टर-9, थाना-हरला, दोनों जिला-बोकारो			1. अरुण राम पे0-मोती राम, सा0-सेक्टर-8 स्टील सीटी, थाना-हरला एवं 2. गोविन्द कुमार तुरी पे0-सहदेव तुरी, सा0-चेताटांड सेक्टर-9, थाना-हरला, दोनों जिला-बोकारो	पु0अ0नि0 लिलेश्वर महतो तत्कालीन थाना प्रभारी माण्डु	1. पु0अ0नि0 लिलेश्वर महतो तत्कालीन थाना प्रभारी माण्डु 2. हवलदार गोविन्द किस्कु, 3. पुलिस 249 नन्द किशोर, 4. पुलिस 409 अक्षय यादव, 5. पुलिस 113 उमेश राम, 6. पु0अ0नि0 मो0 सलीमुद्दीन सभी माण्डु थाना	-				
29	माण्डु थाना कांड संख्या-191 / 16 दिनांक-17.06.16 धारा-414 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट ।	1. शास्वत कुमार पे0-दिगम्बर प्रसाद, सा0-बनारी, थाना-विष्णुपुर, जिला-गुमला, 2. संदीप सिंह पे0-कृष्णा सिंह, सा0-केसकानी,			1. शास्वत कुमार पे0-दिगम्बर प्रसाद, सा0-बनारी, थाना-विष्णुपुर, जिला-गुमला, 2. संदीप सिंह	लिलेश्वर महतो पुं0अ0नि0 माण्डू थाना ।, जिला-	1. पु0अ0नि0 लिलेश्वर महतो थाना प्रभारी माण्डू। 2. चालक हवलदार नाक स्पष्ट नहीं है । 3. ह0 डोबरो बाना , पे0-बांगल बानरा ,	1. राजेन्द्र राय पे0- स्व किशुण रविदास सा0 बलसगरा थाना माण्डू जिला रामगढ । 2. दिनेश कुमार पे0 हीरा प्रसाद साव				

	<p>अनु०कर्त्ता० पु०अ०नि० मो० सलीमुद्दीन</p>	<p>थाना-माण्डर, जिला-रॉची, 3. रितेश सिंह पे०-कुलदीप सिंह, सा०-उरुमरु, थाना-कुरु, जिला-लोहरदगा एवं 4. नितेश कुमार पे०-उमेश साहू, सा०-गोसाई टोला, थाना-चुटिया, जिला-रॉची तथा धारा-414 / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त 5. विकाश कुमार पे०-उपेन्द्र दास, सा०-सराहु, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा वर्तमान रातु रोड न्यू मधुकम नियर साई बिहार कॉलोनी, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रॉची एवं 6. उज्वल कुमार पे०-कृष्णा प्रसाद साहु, सा०-देवी मण्डप रोड मधुकम रोड नं०-5एच०, थाना-सुखदेव नगर, जिला-रॉची</p>		<p>पे०-कृष्णा सिंह, सा०-केसकानी, थाना-माण्डर, जिला-रॉची, 3. रितेश सिंह पे०-कुलदीप सिंह, सा०-उरुमरु, थाना-कुरु, जिला-लोहरद गा एवं 4. नितेश कुमार पे०-उमेश साहू, सा०-गोसाई टोला, थाना-चुटिया, जिला-रॉची तथा धारा-414 / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त 5. विकाश कुमार पे०-उपेन्द्र दास, सा०-सराहु, थाना-टण्डवा, जिला-चतरा वर्तमान रातु रोड न्यू मधुकम नियर साई बिहार कॉलोनी, थाना-सुखदेवन गर,</p>	<p>रामगढ़ ।</p>	<p>सा०-बडाचिल थाना-मुफासिल, प० सिंहभूम 4. आरक्षी०-336 मोकिम अंसारी पे०-स्व० मो० सयाकत अली सा०-डाड थाना-कटकमसांडी हजारीबाग । 5. पु० -457 उपेन्द्र प्रसाद पे० रामकृष्णा प्रसाद सा०+थाना जयनगर जिला कोडरमा 6. पु० विपिन कुमार यादव पे०-राधा यादव बुण्डू थाना बरही पदमा हजारीबाग 6. पु०अ०नि० मो० सलीमउद्दीन माण्डू थाना, जिला रामगढ़ ।</p>	<p>सा० माण्डू जिला रामगढ़ ।</p>				
--	---	---	--	--	---------------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--

					जिला-रॉची एवं 6. उज्वल कुमार पे0-कृष्णा प्रसाद							
30	माण्डु थाना कांड सं0-299 / 16, दिनांक-22.09.16 धारा-341 / 323 / 506 / 354 भा0द0वि0 एवं 8 / 18 पोकसो एक्ट। अनु0कर्ता0 स0अ0नि0 अखिलेश कुमार	1. बजरंगी भुईया, पे0 भोजा भुईयां, सा0 कशिया टोला, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।			1. बजरंगी भुईया, पे0 भोजा भुईयां, सा0 कशिया टोला, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।	लाली कुमारी , पे0 छोटन रविदा स, सा0 कशिया टोला, माण्डू, जिला- रामगढ़ ।	स0अ0नि0 अखिलेश कुमार, माण्डू थाना	1. लाली कुमारी, पे0-छोटन रविदास, कशिया टोला 2. छोटिलालभुईयां, पे0-लड्डु भुईयां 3. पूर्व मुखिया अनिता देवी, पति-छोटिलाल भुईया, 4. छोटन रविदास, पे0' स्व0 जगनाथ रविदास, 5. कौशलिय देवी पति- छोटन रविदास सभी, सा0- कशिया टोला थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।				

31	<p>माण्डु थाना कांड सं०-303/17, दिनांक-14.12.17, धारा-4/8 पोकसो एक्ट।</p> <p>अनु०कर्ता० स०अ०नि० उदय चौधरी</p>	<p>1. सोहराब रजा, उम्र करीब 13 वर्ष, पे०-मकबूल अंसारी, उम्र-12 वर्ष पे०-शमीम अंसारी, दोनो सा०-माण्डु चट्टी, आजाद मुहल्ला, थाना-माण्डु, जिला-रामगढ़</p>	-	-	<p>1. सोहराब रजा, उम्र करीब 13 वर्ष, पे०-मकबूल अंसारी, 2. दिलवर अंसारी, उम्र-12 वर्ष, पे०-शमीम अंसारी, दोनो सा०-माण्डु चट्टी, आजाद मुहल्ला, थाना-माडु, जिला-रामगढ़</p>	<p>गुंलशन खतून, पति-न ईम इराकी, सा०-माण्डू चट्टी, अजाद मुहल्ला, थाना-माण्डू, जिला-रामगढ़।</p>	-	-	-	-	-
32	<p>पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड सं०-37/13 दिनांक-19.02.13 धारा-302/201/34 भा०द०वि०।</p> <p>अनु०कर्ता० पु०अ०नि० सुधीर कुमार चौधरी</p>	<p>1. सुनिल उरॉव, पे०-जगबंधन उरॉव, सा०-घाघरा, थाना-बासल जिला-रमगढ़।</p>			<p>1. सुनिल उरॉव, पे०-जगबंधन उरॉव, सा०-घाघरा, थाना-बासल जिला-रमगढ़।</p>	<p>पन्नालाल उरॉव, पे०-घनपाल उरॉव सा०-चनडा थाना पतरातु (भदानीनगर) जिला-रामगढ़।</p>	<p>1. स०अ०नि० रामबिनोद सिंह भदानीनगर ओ०पी० 2. पु०अ०नि० बिरेन्द्र सिंह थाना प्रभारी भदानीनगर, जिला-रामगढ़। 3. डॉ० आर के गुप्ता। चिकित्सा प्रभारी हजारीबांग।</p>	<p>1. पन्नालाल उरॉव पे० स्व०-घनश्याम उरॉव सा०-2. प्रेम उरॉव पे०-पन्नालाल उरॉव 3. गिता उरॉव पे०-पन्नालाल उरॉव 4. प्रदीप उरॉव पे०-बंधन उरॉव, सभैसा०-चैनगडा, थाना पतरातु (भदानीनगर), जिला-रामगढ़। 5. हीरा लाल बेदिया, पे०-रिञ्जु बेदिया 6. संतोष कुमार बेदिया</p>			

								दोना सा0-कुरसे, थाना पतरातु (भदानीनगर),जिा र-रामगढ ।				
33	पतरातु (भदानीनगर) थाना कांड सं0-173 / 14 दिनांक-08.08.14 धारा- 341 / 342 / 452 / 302 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 डी0पी0 एक्ट । अनु0कर्त्ता0 पु0अ0नि0 बिरेन्द्र सिंह	1. राजेश बेदिया पे0-स्व0 लटिया बेदिया, सा0-सुथरपुर, हेन्हेमोडा , थाना-पतरातु, जिला रामगढ ।			राजेश बेदिया पे0-स्व0 लटिया बेदिया, सा0-सुथरपुर, होन्हेमोडा ,थाना-पतरातु, जिला	शिवचाण । बेदिया पे0-स्व 0 लटिया बेदिया सा0 होन्हेमो डा, थाना पतरातु (भदानी नगर) जिला- रामगढ ।	1. डॉ0 पी0के0 सिन्हा चिकित्सा पदा0 सदर अस्पताल हजारीबाग 2. पु0अ0नि0 सुधीर कुमार चौधरी ओ0पी0प्रभारी भदानीनगर जिल-रामगढ ।	1. शिवचरण बेदिया पे0-स्व0 बलराम बेदिया 2.भागीरथ बेदिया 3. धनी कुमारी दानों पे0-शिवचरण बेदिया । 4. रोहित कुमार पे0-हजारीबेदिय । सा0-सुथरपुर नावाटोली 5. जगदीश बेदिया पे0-गल्लु बेदिया 6. बिनोद कुमार पे0-स्व0 आशाराम बेदिया दोनो सा0-सुथरपुर होन्हेमोडा 7. राजेश कुमार पिता जानकी करमाली बीचा टोला 8. विसराम बेदिया पे0-पुरन बेदिया सा0-सुथरपुर होन्हेमोडा सभी थाना पतरातु (भदानीनगर), जिला-रामगढ । 9. चरेन्द्र बेदिया				

								पे०-शिवचाण बेदिया सा० लेम थान बासल जिला रामगढ ।				
34	गोला थाना कांड सं० 97/17 दि० 20.10.17 धारा 376(डी)/307 भा०द०वि० जी०आर० 1167/17 एस०टी० 26/18	1 रूपलाल बेदिया पे० किशुन बेदिया सा० माचाटांड 2 गुरुदयाल महतो उर्फ राजेश महतो पे० स्व० सोना राम महतो सा० साडम दोनो था० गोला जि० रामगढ 3 मधुराम बेदिया पे० जगदीश बेदिया सा० माचाटांड था० गोला जि० रामगढ	ए०डी०जे०-1	श्री एस०के० शुक्ला	1 रूपलाल बेदिया 2 गुरुदयाल महतो उर्फ राजेश महतो 3 मधुराम बेदिया (तीनो अभियुक्त गिरफ्तार)	वादी सुमन कुमारी पे० प्रेम उरांव सा० मधुकाश ॥ पो० चतरा था० ओरमां झी जि० रॉची	अनु० पु०अ०नि० अर्जुन कु० मिश्रा थाना प्रभारी गोला थाना य	1 सुमन कुमारी पे० प्रेम उरांव 2 प्रेम उरांव पे० स्व० गेत्तुआ उरांव 3 रीता देवी पति प्रेम उरांव 4 बबलू उरांव पे० प्रेम उरांव चारो सा० मधुकम 5 रंजीत टोप्पो पे० स्व० चमन टोप्पो सा० हिन्दपीडी 6 बाबूलाल महली पे० एतवा महली सा० सदमा 7 हरि लाल मुंडापे० स्व सहदेव मुडा 8 रमेश चंद्र उरांव पे० स्व भगत उरांव दोनों सा० बुंडू सभी था० ओरमांझी जि० रॉची 9 दौलत अंसारी एवं सेराज अंसारी दोनों पे इस्माईल अंसारी सा० जयती बेडा था० गोला जि० रामगढ				

35	गोला थाना कांड सं० 41/16 दि० 08.06.16 धारा 399/402 भा०द०वि एवं 25 (1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं० 676/16	1 मनीष कुमार उर्फ भरत कुमार पे० गोपाल महतो 2 उमेश कुमार पे० कुलदीप महतो दोनो सा० डमातू 3 पंकज कुमार पे० सीताराम ठाकुर सा० हरि मंदिर नवाटोली 4 रमेश महली पे० धरमा महली सा० सरायपुरा चारों था० गोला जि० रामगढ़ एवं 5 लक्ष्मण पाण्डेय सा० हजारीबाग जि० हजारी बाग	श्री राकेश रौशन जे०एम रामगढ़	श्री मति मंजू कच्छप	1 मनीष कुमार उर्फ भरत कुमार 2 उमेश कुमार 3 पंकज कुमार (तीनों अभियुक्त गिरफतार) 4 रमेश महली (रिमांड) 5 लक्ष्मण पाण्डेय(सत्यापि त)	वादी पु०अ० न० राधेश्या म राम तत्काल ीन थाना प्रभारी गोला	1 पु०अ०नि० राधेश्याम राम 2 पु०अ०नि० जवाहरलाल गुप्ता 3 पु०अ०नि० मो० सलुमूद्धीन 4 पाण्डेय अजय कुमार परचारी प्रवर पु०के० रामगढ़ 5 स०अ०नि० सुकरा उरांव 6 हव० दिनेश सिंह 7 पु० 120 कुंदन कुमार 8 पु० 42 रोहन कुमार सभी गोला थाना रिजर्व 8 चौकी 2/8 धुनवा तुरी 9 गृ पू० 076 अजय कुमार दास	1 चुनुवा करमाली पे० स्व० सुखदेव करमाली सा० बडकी कोईया 2 बंटी कुमार पे० अशोक राम 3 मुन्ना नायक पे० दिलू नायक दोनों सा० गोला तीनों था० गोला जि० रामगढ़				
36	पतरातु थाना कांड सं० 29/17 दि० 07.02.17 धारा 25 (1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं० 122/17	1 संजय कुमार पे० लाल देव महतो सा० कटिया थाना पतरातु जि० रामगढ़ 2 पटेल कुमार महतो पे० स्व० झंनकू महतो था० बिलारी पे० बहरा थाना पिपरवार जि० चतरा	श्री प्रेम शंकर जे०एम० रामगढ़	श्री राम कुमार	1 संजय कुमार 2 पटेल कु० महतो(गिरफतार)	पु०अ० न० शिवशं कर जमादा र प्रभारी पतरातु थाना	1 पु०अ०नि० शिवशंकर जमादार 2 स०अ०नि० सुखराम 3 प्रचारी मुकेश कुमार पु०के. रामगढ़ 4 मणिमोहन सिंह 5 चा.० गृह पु० 4887 रोहित पासवान 6 पु० 7 अजय नापित एवं 8 पु० 212 प्रमोद कुमार सभी रिजर्व गार्ड पतरातु					
37	मांडू थाना कांड सं० 62/18 दि० 21.03.18 धारा 25 (1-बी)ए	भोला कुमार सिंह पे० शम्भू सिंह सा० महतो टोला मरार	ए०सी०जे०एम ०	श्री राम कुमार	भोला कुमार सिंह (गिरफतार)	स०अ० न० शिवनंद न	1 स०अ०नि० शिवनंदन यादव थाना मांडू 2स०अ०नि० उदय					

	/26/35 आर्म्स एक्ट	था0+जि0 रामगढ़				यादव मांडू थाना	चौधरी 3 स0अ0नि0 सुरेन्द्र यादव 4 गृह पु0 0153 संतोष कुमार 5 गृह पु0 0109 प्रदीप कुमार 6 गृ0पु0 0164 विरू प्रजापति 7 चा0 पु0 412 फिरोज खान रिजर्व गार्ड मांडू					
38	मांडू(कुजू)थाना कांड सं0 101/18 दि0 23.04.18 धारा 376 भा0द0वि0 3/4 /6 पोक्सो एक्ट जी0आर0 नं0 485/18	मनिरूल अंसारी उर्फ हांसा पे0 जमिल शेख सा0 पानी खाली था0 बसंती जि0 हावड़ा,बंगाल वर्त पता बोंगावार मुस्लिम टोला दुर्गा मंदिर के समीप था0 मांडू (कुजू)जि0 रामगढ़	ए0सी0जे0एम 0	श्री राम कुमार	मनिरूल अंसारी उर्फ हांस(गिरफतार)	पु0अ0ि न0संज य कुमार ओ0पी0 प्रभारी कुजू	1पु0अ0नि0संजय कुमार ओ0पी0 प्रभारी कुजू 2 चिकि0 श्री मति कामता तिकी सदर अस्पताल रामगढ़	1 जावेद अंसारी पे0 फखरुद्दीन अंसारी 2नजमा खातुन पति जावेद अंसारी 3 सलमा परवीन पे0 जावेद अंसारी 4 नाजमा खातुन पति हुसैन अंसारी 5 पीडिता छोटी परवीन उर्फ अफरीन सभी सा0 बोंगाटांड मुस्लिम टोला था0 मांडू (कुजू) जि0 रामगढ़				
39	रामगढ़ थाना कांड सं0 161/15 दि0 15.05.15 धारा 25 (1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट	गुबूज भुईया उर्फ रोहित भुईया पे0 विशेश्वर भुईया सा0 बाजारटांड था+जि0 रामगढ़ 2 बिरसा	ए0सी0जे0एम 0	श्री राम कुमार	1 गुबूज भुईया उर्फ रोहित भुईया 2 बिरसा करमाली (दोनों अभियुक्त	स0अ0ि न0 अखिले श कुमार	1स0अ0नि0 अखिलेश कुमार रामगढ़ थाना 2 श्यामबाबू साह 3 गृह पु0 087	शाहिद खान पे0 मिनहाज रौशन खान सा0 हेसला था0+जि0				

	जी०आर० नं० 2074 / 15	करमाली पे० मनोहर करमाली सा० चुटूपाळू था० ओरमांझी जि० रॉची			गिरफतार)	रामगढ़ थाना	किशोरी प्रसाद मेहता 4 गृ०पु० 10951 रामकिशुन यादव 5 गृ०पु० 8480 बालेश्वर प्रसाद मेहता सभी थाना रिजर्व गार्ड	रामगढ़ 2 गुलाम रब्बानी पे० मुस्लिम अंसारी सा० फुलसराई था० गिददी जि० हजारीबाग				
40	पतरातू थाना कांड सं० 181 / 17 दि० 12.07.17 धारा 25 (1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट	गणेश सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिंह पे० शम्भू शरण सिंह सा० स्टीम कॉलोनी पतरातू क्वा० न० 757 / ए० बी० था० पतरातू जि० रामगढ़	श्री प्रेम शंकर रामगढ़ जे०एम०	श्री राम कुमार	गणेश सिंह उर्फ अजय प्रकाश सिंह (गिरफतार)	पु०अ० नि० शिवशं कर जमादा र तत्काल ीन प्रभारी पतरातू थाना	1 पु०अ०नि० शिवशंकर जमादार तत्कालीन प्रभारी पतरातू थाना 2 पु०अ०नि० तिलेश्वर महतो थाना प्रभारी मांडू 3 स०अ०नि० भूतनाथ सिंह मुण्डा 4 हव० जमालुद्धीन अंसारी 5 पु०३६३ विनय कु० मिश्रा 6 पु० 163 महादेव चौधरी सभी पतरातू थाना					
41	मांडू(कुजू)थाना कांड सं० 203 / 17 दि० 20.08.17 धारा 25 (1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट जी०आर० नं० 891 / 17	अर्जुन नायक पे० स्व० गुदवा नायक सा० आरला टोला था० मांडू (कुजू)जि० रामगढ़	ए०सी०जे०एम रामगढ़	श्री राम कुमार	अर्जुन नायक (गिरफतार)	पु०अ० नि० रमेश्वर भगत प्रभारी कुजू	1पु०अ०नि० रमेश्वर भगत प्रभारी कुजू ओ०पी० 2 स०अ०नि० विनोद कुमार 3 परचारी मुकेश कुमार पु०के० रामगढ़ 4 हव० श्यामलाल मांझी एवं 5 पु० 27 कुल्लू राम हेम्ब्रम	1 रोहित नायक पे० अन्तु नायक 2 सुजीत नायक पे० बालेश्वर नायक दोनो सा० ओरला पंचरंगी टौला था० मांडू (कुजू) जि० रामगढ़				

राँची जिला में त्वरित विचारण हेतु चयनित 100 काण्डों की सूची :-

क्र० सं०	कांड सं० तिथि धारा जी०आर०/एस०टी० नम्बर	अभियुक्तों का नाम पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में/फरार/जमानत	न्या० का नाम	ए०पी०पी०/पी०पी० का नाम एवं मो० नं०	वादी का नाम पता	सरकारी गवाह/अनुसंधानकर्ता/विषेषज्ञों का नाम/पता/मो०नं०	ऐसे सामान्य गवाह जो आसानी से उपलब्ध हो एवं गवाहों की संख्या 10 से अधिक न हो	साक्ष्य/प्रदर्श की स्थिति (मालखाना सं० सहित)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	धुर्वा (तुपुदाना) 125/16 दि० 06. 05.16 धारा 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट एवं 3/4/5 विष्फोटक पदार्थ अधि० जी०आर०नं०-2608/16 चार्ज	विजय सिंह उर्फ गेन्दा सिंह पे० स्व० कालीचरण सा० दसमाईल गन्दु थाना तुपुदाना ओ०पी० राँची	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोला बारूद रखने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है।	जेल	जे०एम० एफ०सी०-29		पु०अ०नि० सुजित राय सुजित राय ओ०पी० प्रभारी तुपुदाना	1. अ०नि० सुजित राय 2.स०अ०नि० सुकर टोप्पो 3.आ० 3657 सेम टोपनो 4. आ० 3687 सनिका तिग्गा 5. चालक हव० वृजननन्द मिश्रा 6. अ०नि० वी०वी० सिंह 7. श्री तुषारकांत झा परिचारी प्रवर राँची	1 श्याम यादव पे० नरेश यादव सा० बेरमाद था ना धुर्वा तुपुदाना राँची 2. लाल नरेश नाथ शाहदेव पे० स्व सुधीर लाल नाथ साहदेव सा० तुपुदाना चौक राँची	1. एक देशी पिस्तौल 2. चार 9 एम०एम० की गोली 3. दो सुतली बम 4. परिचारी प्रवर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 5. उपायुक्त राँची से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है 6 आरोप पत्र सं० 221/16 दि० 04.07.16	
2	धुर्वा (तुपुदाना) थाना काण्ड सं. 56/18 दिनांक 15. 03.18 धारा 393 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए 26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं०-1588/18	1.ओम प्रकाश लोहरा पिता शनिचरवा लोहरा सा. मठखिजरी थाना लोहरदागा, जिला लोहरदागा। 2.पिटबुल उर्फ हसीबुल पिता अंकित नहीं सा. षिलादोन, थाना धुर्वा(तुपुदाना), जिला राँची	वादी स.अ.नि. राम सिहासन सिंह वर्तमान पी.सी.आर-17, थाना धुर्वा, जिला राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध पिस्टल का भय दिखाकर लूट करने का प्रयास करना तथा पिस्टल के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है। इस काण्ड का साराष यह कि एक पल्सर मोटरसाईकिल पर सवार दो लड़के पिस्टल का भय दिखाते हुए	1.जेल 2.फरार	जे०एम० एफ०सी०-17 राँची।		स.अ.नि. राम सिहासन सिंह वर्तमान पी.सी. आर-17, थाना धुर्वा, जिला राँची	1. तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची अनुसंधानकर्ता:- 2.मो. जुलफिकार खान तुपुदाना ओ.पी.। 3. चालक आ. 3459 दीपक महतो पिता बाबुलाल महतो सा. तासे षिलादोन, थाना जिला खूँटी 4. आ./425 कृपा सिंह 5 आ./222 मगलेष्वर उरॉव दोना सा. आर्म्स गार्ड तुपुदाना ओ.पी.।	1.जप्ती सुची के साक्षी रजयन्ती देवी पति राजू कुमार 2. जप्ती सुची के साक्षी राजू कुमार पे. कर्मचन्द प्रसाद 3.मनीष कुमार पिता राजू कुमार सभी सा. बगीचा टोली सतरंजी, थाना धुर्वा(तुपुदाना), जिला राँची।	1. बरामद अग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है 2. प्रा. अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 30. 04.18 को समर्पित किया गया है तथा अ०क० द्वारा बताया गया कि 2 दिनो मे स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर आरोप पत्र समर्पित कर दिया जायेगा।	

			स्कूटी छीनने का प्रयास किया गया तथा सूचना पर ओम प्रकाश लोहरा पिता शनिचरवा लोहरा सा. मठखिजरी थाना लोहरदागा, जिला लोहरदागा को पकड़ा गया तथा इनसे पुछ-ताछ के क्रम में अपने भागे हुए साथी का नाम पिटबुल उर्फ हसीबुल पिता अंकित नहीं सा. षिलादोन, थाना धुर्वा(तुपुदाना), जिला राँची बताये। ओम प्रकाश लोहरा के बाये कमर में एक लोडेड देशी पिस्टल बरामद किया गया है।							
3	जगरनाथपुर थाना-167/12, दि0-30.05.12 धारा-25(1-b)a 26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0 2988/12	1. अमजद गद्दी उर्फ अमजद ग्वाला, पे0-कलीम गद्दी उर्फ कल्लन गद्दी, सा0-ग्वाला टोली, इब्राहिम चौक, 2. राजु गद्दी, उर्फ ग्वाला उर्फ अफसर गद्दी, ग्वालाटोली, सेन्द्रल स्टेट, 3. मो0 तालीन पे0-मो0 मसुद हसन खॉ, सा0-नदी ग्राउण्ड, तीनों थाना-हिन्दपीढी, जिला-राँची।	अवैध आग्नेयास्त्र एवं कारतूस के साथ पकड़े जाने आरोप में दर्ज किया गया है।3	जेल	जे0एम0 एफ0सी0-11 राँची		अ0नि0 मदन मोहन सिंह, थाना प्रभारी हिन्दपीढी, जिला-राँची।	1 अ0नि0 मदन मोहन सिंह 2 स0अ0नि0 जितेन्द्र कु0 सिंह 3 राजीव कुमार, परिचारी प्रवर प्रथम राँची 4 अ0नि0 प्रमोद कुमार हिन्दपीढी 5 स0अ0नि0 रामेश्वर सिंह हिन्दपीढी 6 स0अ0नि0 जैनुल अवेदीन 7 आ0 939 विपिन पियुंग हिन्दपीढी थाना		1 एक देशी कट्टा 2. .315 का एक मिस फायर गोली 3. .315 का एक खोखा 4. परिचारी प्रवर का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 5. उपायुक्त राँची से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 6. आरोप पत्र सं0-219/12 दि0 20.07.12 समर्पित किया गया है।
4	जगरनाथपुर थाना काण्ड संख्या 362/17 दिनांक 15.10.17 धारा 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम जी0आर0न0-	सुमित नायक, पे0 स्व0 मनोज नायक, सा0 नायक मुहल्ला, हुण्डरू बस्ती, हेथु, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची	काण्ड का संक्षिप्त सारांश है कि दिनांक 14.10.17 को सुखदेवनगर थाना अन्तर्गत मिलन चौक शिव दुर्गा मंदिर लेन में सोनु ठाकुर नामक व्यक्ति की हत्या हो गयी थी। प्राप्त	जेल में	जे0एम0एफ0 सी0- 04 राँची।		नरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, जगरनाथपुर, थाना राँची	1. तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची 2. स.अ.नि. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, जगरनाथपुर थाना, 3. पु.अ.नि. तारिक अनवर, क्यू.आर.टी. 4. पु.नि. रतिभान सिंह, अरगोड़ा,		1. बरामद आग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है 3. आरोप-पत्र सं.

	362/17		सूचनानुसार अपराधियों के धरपकड़ हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था। दिनांक 15.10.17 को उक्त टीम से अपराधियों का मुठभेड़ हुआ जिसमें पकड़ाये अभियुक्तों द्वारा अपने भागे हुए साथी सुमित नायक का नाम बताया गयादिनांक 15.10.17 को घेराबन्दी कर सुमित नायक पे० स्व० मनोज नायक, सा० नायक मुहल्ला, हुण्डरू बस्ती, हेथु, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची को अवैध हथियार एवं गोली के साथ गिरफ्तार कर दिनांक 16.10.17 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।				5. पु.उपा. कोतवाली भोला प्रसाद सिंह, 6 हव. 574 चरित्र टोप्यो, 7. आ. 31 शाह फैसल, 8. आ. 3663 सुरेन्द्र नायक 9. आ. 3540 फागु हेम्ब्रम, 10 आ. 3780 सीताराम उराँव 11 आ. 3753 दिगम्बर राम 12.आ. 892 बजरंग साहु, 13 नरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, जगरनाथपुर, थाना राँची		217/17, दिनांक 08.12.17 समर्पित किया गया है।	
5	जगरनाथपुर थाना काण्ड संख्या 411/17 दिनांक 18.11.17 धारा 25(1-बी)ए/26/3 5 शस्त्र अधिनियम। जी०आर०न०-6327/17	1. विजय बक्सी उर्फ रोहित बक्सी, पे० शिखर बक्सी, सा० चालंगी, 2. संजय गोप उर्फ संजय टाईगर, पे० स्व० पारसनाथ गोप, सा० सारंगलोया थाना 3. राजेश बड़ाईक, पे० जीत पाहन बड़ाईक सा० कोईनारा, सभी थाना लापुंग जिला राँची	दिनांक 18.11.17 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधकर्मी बिरसा चौक में किसी की हत्या करने के योजना बना रहे है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं निरोधात्मक कारवाई हेतु पु.नि. सह थाना प्रभारी, सशस्त्र बल एवं क्यू.आर.टी. के साथ लीची बागान पहुँचे पुलिस पार्टी को देखते हुए तीन अपराधकर्मी भागने लगे, जिसमें 02 अपराधकर्मी अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गये तथा 01 अपराधी पकड़ा गय जो अपना नाम विजय बक्सी उर्फ रोहित बक्सी, पे० शिखर बक्सी, सा०	जेल में जेल में फिरार		नरेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, जगरनाथपुर, थाना राँची	1. तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची 2. अ.नि. लखन राम जगरनाथपुर थाना,	1. आ. 3550 प्रवीण तिवारी, 2. आ. 3625 कृष्णा उराँव, 3. आ. 1198 कृष्णा तितु 4. आ. 2451 अनिल उराँव, सभी पु.के. राँची 5. गृ.र. 14100 लालदेव वर्मा, जगरनाथपुर थाना	बरामद अग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त विजय बक्सी उर्फ रोहित बक्सी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। तद्दोपरान्त प्रा.अभि० विजय बक्सी उर्फ रोहित बक्सी, पे० शिखर बक्सी, सा० चालंगी, के विरुद्ध आरोप-पत्र सं. 04/18, दिनांक 16.01.18 समर्पित किया गया है। प्राथ०अभि० संजय टाईगर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव समर्पित है। शीघ्र ही स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर आरोप पत्र समर्पित किया जायेगा।	

			चालंगी थाना लापुंग जिला राँची बताया। तथा अपने भागे साथी का नाम संजय गोप उर्फ संजय टाईगर तथा राजेश बड़ाईक बताया। तलाशी के क्रम में अवैध हथियार एवं गोली बरामद किया गया है।						
6	जगरनाथपुर थाना काण्ड संख्या 43/18 दिनांक 26.01.18 धारा 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधिनियम GR/672/2018	दानिश खान पे० हुसैनी खान, सा० उपर हटिया, मुस्लिम मुहल्ला, हटिया, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची।	दिनांक 26.01.18 को काण्ड के वादी अपने सशस्त्र बल के साथ गस्ती हेतु हटिया क्षेत्र में थे तथा उनके साथ पी.सी.आर. 16 भी साथ था जैसे ही वादी एवं पी.सी.आर. 16 के पदा. सिंह मोड़ के पास पहुँचे तो एक व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा जिसे वादी एवं स. अ.नि. विजय उरॉव के सहयोग से खदेड़कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम दानिश खान पे० हुसैनी खान, सा० उपर हटिया, मुस्लिम मुहल्ला, हटिया, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची बताया। तलाशी के क्रम में उसके पास से अवैध हथियार एवं गोली जप्त किया गया है।	जेल में	J.M.F.C - IV		अनुप कुमार कर्मकार, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, जगरनाथपुर, थाना राँची	1. तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची 2. स.अ.नि. चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, जगरनाथपुर थाना, 3. वादी अनुप कुमार कर्मकार, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, जगरनाथपुर, थाना राँची 4. गृह रक्षक 3287 रविरंजन कुमार चालक जगरनाथपुर थाना 5. स.अ.नि. विजय उरॉव, पी.सी.आर. 16,	बरामद अग्नेयास्त्र का जॉच परिचारी प्रवर से कराकर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है तथा प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है तद्दोपरान्त प्रा. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र सं. 27/18, दिनांक 25.03.18 समर्पित किया गया है।

7	<p>अरगोड़ा थाना काण्ड सं. 65/18, दिनांक 24.02.18 धारा 25(1-बी.)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।</p> <p>GR/1252/18</p>	<ol style="list-style-type: none"> बलीराम साहु पे. नामालूम सा. अरगोड़ा वरुण कुमार सा. एम.एफ.ए-82, अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी राजा साहु सा. मलगो, थाना लापुंग सभी जिला राँची तथा अप्राथमिकी अभियुक्त उमेष राय 	<p>यह कांड वादी भीम प्रसाद सिंह, पु.अ.नि. सा. अरगोड़ा थाना कैम्पस, थाना अरगोड़ा, जिला राँची के लिखित आवेदन के आधार पर इस काण्ड के तीन नामजद प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध हथियार के साथ पकड़े जाने का आरोप लगाते हुए यह काण्ड दर्ज कराया गया है।</p> <p>इस काण्ड का सांराष अरगोड़ा थाना काण्ड सं. 38/18, के अनुसंधान के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि इस काण्ड को अंजाम देने में बलीराम साहु का भतीजा राजा साहु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस सूचना का जाँच एवं सत्यापन हेतु दिनांक 23.02.18 को समय लगभग 09.30 बजे रात्रि लापुंग के लिए छापामारी दल के साथ प्रस्थान कर मालगो पहुँच कर राजा साहु के घर पहुँच कर राजा साहु के घर को घेराबन्दी कर छापामारी किया राजा साहु को घर पर उपस्थित पाया गया तथा राजा साहु से उपरोक्त घटना के संबंध में वादी द्वारा पूछ-ताछ किया गया तो उन्होंने अषोक नगर गेट नम्बर-04, के पास कापीनाथ साहु के गोली मारने वाली घटना में अपना अपराध स्वीकार</p>	<ol style="list-style-type: none"> जमानत जेल जेल फिरार 	<p>S.D.J.M</p>		<p>पु0अ0नि0 भीम प्रसाद सिंह, अरगोड़ा थाना।</p>	<ol style="list-style-type: none"> अनु0कर्ता पु.अ.नि. महेश कुमार सिंह, अरगोड़ा थाना। श्री तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची पु. 3746 रंजीत केरकेट्टा वर्तमान में अरगोड़ा थाना में गार्ड पु. 3780 सिताराम उरॉव वर्तमान में अरगोड़ा थाना में गार्ड पु. 3753 दीगम्बर राम वर्तमान में अरगोड़ा थाना में गार्ड 		<ol style="list-style-type: none"> एक देशी पिस्टल एवं एक 09 एम0एम0 का गोली जप्त किया गया है। बरामद अग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। फिरार अभियुक्त उमेष पर अनुसंधान जारी रखते हुए आरोप-पत्र सं. 87/18, दिनांक 24.04.18 समर्पित किया गया है। अ0क0 द्वारा बताया गया कि अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर आज ही माननीय न्यायालय में जमा किया जा रहा है। 	
---	--	--	---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

		<p>किये तथा राजा साहु के बताये अनुसार वादी वरुण कुमार के डेरा अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी के क्वाटर नम्बर एम.एफ.ए-82, पर पहुँचकर तथा छापामारी दल के सहयोग से वरुण कुमार के डेरा को घेरा बंदी कर विधिवत छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में वरुण कुमार को डेरा में उपस्थित पाया गया इनके निषान देही पर जिसे ताकिया के नीचे से पिस्टल दो मैगजिन एक से पाँच गोली लोड तथा एक मैगजिन को उपरोक्त गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बना कर वादी द्वारा जप्त किया गया।</p> <p>अरगोड़ा काण्ड सं. 38/18 में अनुसंधान के दौरान बलिराम साहु के भतिजा राजा साहु को गिरफ्तार कर उसका स्वीकारोक्ति वयान लिया गया तथा स्वीकारोक्ति वयान के आधार पर वरुण कुमार की घर की छामामारी ली गई तो वरुण कुमार के घर से हथियार तथा गोली की बरामद हुआ तथा वरुण कुमार का स्वीकारोक्ति वयान लिया गया तो इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति वयान में बलिराम साहु, राजा साहु तथा उमेष राय के साथ मिलकर घटना</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			को अंजाम देने की बात तथा उमेष राय ने चार गोली काषीनाथ महतो पर चलाई जिसमें तीन गोली काषीनाथ महतो को लगने की बात को स्वीकार किया गया है।							
8	txUUkkFkiqj¼ iqUnkx½ Fkkuk dk.M la- 151@18] fnukad 28-03- 18 /kkjk 25¼1&ch- ½,@26 vkEIZ ,DVA GR/1864/18	मैदुल लष्कर, पे. इलियास लष्कर सा. मध्य नारायण धोवा चट फाड़ी गुटिमारी शरीफ थाना जीवन तल्ला, जिला दक्षिणी 24 परगना(प.बंगाल)	इस काण्ड के वादी कमल नारायण सिंह थाना प्रभारी नगड़ी जिला राँची के स्वयं लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा.अभि. के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने का आरोप में दर्ज किया गया है। इस काण्ड का संराष यह है कि नगड़ी थाना क्षेत्र में पिस्का स्टेसन के पास चाय दुकान पर हुई हत्या के आरोप में प्रा.अभि. मैदुल लष्कर, पे. इलियास लष्कर सा. मध्य नारायण धोवा चट फाड़ी गुटिमारी शरीफ थाना जीवन तल्ला, जिला दक्षिणी 24 परगना(प.बंगाल) को गिरफ्तार किया गया तथा जिसके निषानदेही पर पुन्दाग ओ.पी. क्षेत्र के दलाही नगर से देषी कट्टा एवं 03 जिन्दा गोली बरामद किया गया।	जेल में	J.M.F.C - IV	अ.नि. कमल नारायण सिंह पिता धुर्व नारायण सिंह सा. मनौवा थाना आरा टाउन जिला भोजपुर। वर्तमान में थाना प्रभारी नगड़ी जिला राँची	1.अ.नि. शत्रुधन प्रसाद सिंह 2.स.अ.नि. उपेन्द्र कुमार नगड़ी थाना, 3.हव.67 पिव कुमार साह 4.आ. 1747 रतिया खड़िया 5.आ. 1714 शुकरा उराँव 6.आ.1751 रामअवतार टोप्पों 7. आ. 538 मसी नाग 8.आ. 1147 सुंदर लाल	1- 'ks[kfutkeq}hu m QZ ,tkt is- Lo- lqyrku valkjh lk- iqUnkx ftyk jkWaph 2-pkWan efYyd is- lelq efYyd lk- bZykgh uxj Fkkuk iqUnkx] ftyk jkWaph	1. बरामद अग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया जा चुका है। 3. अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 16/18 दि0 07.05.18 समर्पित किया गया है।	
9	धुर्वा(तुपुदाना)-157 /17, दिनांक 02.	राजु उपाध्याय, पिता गुधन उपाध्याय, सा0 हरदाग, कदम टोली,	अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार करना एवं जाति सूचक शब्दों से	जेल में	AJC 1 Ranchi	राधा देवी, पति करमा नायक, सा0 हरदाग,	1 अनु0कर्ता स0अ0नि0 बालदेव सिंह, तुपूदाना	1. करमा नायक, पिता खुदमा नायक	1. पीड़ित का चिकित्सकीय जाँच प्राप्त	

	07.17, धारा 376 (i)(l)(m) भा0द0वि0 एवं 8/12 पोस्को एक्ट एवं 3(iii)(xii)4 अनु0जाति/अनु0 जन जाति अधि0 POCSO Case/81/17	थाना धुर्वा तुपूदाना, जिला राँची	अपमानित करने के आरोप में दर्ज किया गया है।			कदमतोली, थाना धुर्वा तुपूदाना, जिला राँची	ओ0पी0 2. डॉ0 तनुश्री, डॉ0 सीमा गुप्ता, डॉ0 रसमी प्रसाद।	2 द्रोपदी देवी, पति अमर कुमार नायक, 3 सुगती देवी, पति छोटु नायक, सभी सा0— हरदाग, कदमतोली, थाना धुर्वा तुपूदाना, जिला राँची 4. पीड़िता पूनम कुमारी	किया गया है। 2. पीड़ित का धारा-164 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान कराया गया है। 3 प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-168/17 दि0-30.08.17 समर्पित किया गया है।	
10	डोरण्डा थाना काण्ड सं. 305/16, दिनांक 21.12.16 धारा 302/120बी. /34 भा.द.वि. एवं 27 आर्स एक्ट। SessTrial/269 /2017	1.राहुल कुमार पे. स्व. अरविन्द सिंह 2.रोहित कुमार पे. स्व. अरविन्द सिंह सा. बीर कुँवर सिंह कॉलोनी हिन्नु दोनों थाना डोरण्डा, जिला राँची।	वादी मयंक कुमार पिता स्व. के.के. सिन्हा सा. जलालपुर टेकारी, जिला गया(बिहार) वर्तमान न्यू साकेत नगर हिन्नु, थाना डोरण्डा, जिला राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार इस काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध गोली मार कर हत्या करन करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है। संक्षिप्त सारांश यह है कि वादी दि0- 20.12.16 को समय करीब रात्रि 09.30 बजे वादी के भईया गाड़ी लेकर घर के बाहर आए तो उनकी पत्नी चाबी लेकर घर के बाहर का गेट खोली तो वो अपने गाड़ी को पोर्टिको में लगा कर उत्तर ही रहे थे कि इसी बीच वादी के पड़ोस के हनी उर्फ राहुल कुमार और रिकू उर्फ रोहित कुमार दोनों अपने-अपने हाथ में पिस्तौल लिए आया और वादी के भईया	जेल में।	Addl. District and Sess. Judge VI Charge	मयंक कुमार पे. स्व. के.के. सिन्हा सा. न्यू साकेत नगर हिन्नु, थाना डोरण्डा, जिला राँची।	1-अ0क0 पु.अ.नि. सतीष कुमार गोरार्ई मो.नं. 9576209109, 2.-अ0क0 पु.अ.नि. राधवेन्द्र सिंह मो.नं. 9934431738 दोनों डोरण्डा थाना। 3- डॉ0 आषा ज्योति चंपई।	1.साक्षी राकेश कुमार पे. शिवराम शर्मा सा. डॉक्टर कॉलोनी बरियातु फ्लैट न0-202, हिल अपार्टमेन्ट, थाना बरियातु, जिला राँची 2. साक्षी राजीव विद्यार्थी पे. स्व. रामानन्द शर्मा सा. बीर कुँवर सिंह कॉलोनी हिन्नु, थाना डोरण्डा, जिला राँची। 3. साक्षी ओम प्रकाश राम पे. स्व. केषव प्रसाद राम सा. स्वागत अपार्टमेन्ट शुक्ला कॉलोनी हिन्नु फ्लैट नम्बर-सी/जीएफ, थाना डोरण्डा, जिला राँची 4. साक्षी कमल झा पे. श्री पे. श्री भुवनेश्वर झा सा. न्यू साकेत नगर हिन्नु, थाना डोरण्डा जिला राँची	1-दोनो अभियुक्त घटना मे प्रयुक्त हथियार के साथ पुलिस के समक्ष उपस्थित हुए। 2- दोनो अभियुक्तों के पहने हुए कपड़े पर खून का छींटा पाया गया जिसे विधिवत जप्त कर जांच हेतु राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला झारखण्ड राँची को भेजा गया है। 3 दोनो अभि0 के विरुद्ध आरोप-पत्र सं. 38/17, दिनांक 31.03.17 समर्पित किया गया है।	

			<p>मानस कुमार सिन्हा पर रोहित ने एक गोली चलाई जो वादी के भाई के दाहिने आँख के नीचे लगी। उसके बाद भी उसके द्वारा गोली चलाया गया तो मानस कुमार सिन्हा के दाहिने कनपटी पर तथा दूसरा पेट पर लगा। जिससे वादी के भईया लहुलूहान होकर वही पर गिर पड़े। इसी क्रम में वादी के भाभी किरण सिन्हा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। तब राहुल ने एक गोली अपने पिस्तौल से किरण सिन्हा के बाएँ हाथ की कलाई के पास सटा कर मारा तो वादी की भाभी जख्मी होकर अपना जान बचाने के लिए घर से बाहर निकल कर भागने लगी। इसी क्रम में दोनों अपराधकर्मी सड़क पर आकर वादी की भाभी के शरीर के अन्य भाग पर भी गोली मार दिया।</p>							
11	<p>डोरण्डा थाना काण्ड सं. 306/16, दिनांक 21.12.16 धारा 25(1-बी.)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम।</p> <p>एस0टी0न0-198/17</p>	<p>1.राहुल कुमार 2.रोहित कुमार दोनों पे. स्व. अरविन्द सिंह सा. बीर कुँवर सिंह कॉलोनी हिन्नु, थाना डोरण्डा, जिला राँची।</p>	<p>वादी उदय प्रताप सिंह पु0अ0नि0 सह-थाना प्रभारी, डोरण्डा, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. राहुल कुमार 2. रोहित कुमार दोनों पिता-स्व अरविन्द सिंह, सा0-वीर कुँवर सिंह कॉलोनी हिन्नु, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची के विरुद्ध</p>	जेल में।	ए0जे0सी 4 राँची	श्री उदय प्रदाप सिंह पु.नि. सह-थाना प्रभारी डोरण्डा, राँची।	<p>1. तुषार कान्त झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, पु.के. राँची</p> <p>2. अनुसंधानकर्ता:- अ.नि. सतीष कुमार गोराई।</p> <p>3.साक्षी पु.अ.नि. राधवेन्द्र सिंह</p> <p>4.स.अ.नि. अखिलेश सिंह</p> <p>5. प्रस्तुती -सह-जप्ती सूची के गवाह आरक्षी 3356 नारायण राय</p> <p>6.प्रस्तुती -सह-जप्ती सूची</p>	<p>1. प्रदर्श निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोग शाला झारखण्ड राँची को जाँच हेतु भेजा गया है, जिसका सनहा सं. 18/17, दि0 20.03.17 है।</p> <p>2. बरामद अग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।</p> <p>3. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन</p>	गवाही- 25. 05.18	

		<p>हत्या कर अवैध षस्त्र के साथ आत्म समर्पण करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है।</p> <p>सारांश यह है कि दिनांक-20.12.16 को सूचना मिली कि न्यू साकेत नगर में मानस कुमार सिन्हा तथा घर के सामने सड़क पर किरण सिन्हा को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। दोनों शव को पंचनामा तैयार कर अन्तय परीक्षा के लिये थाना प्रभारी द्वारा उसे रिम्स रॉची भेजा गया। तत्पश्चात मृतक मानस कुमार सिन्हा के छोटा भाई मयंक कुमार ने हत्या का आरोप राहुल कुमार और रोहित कुमार के विरुद्ध दिया गया। जिसके आधार पर डोरण्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी। उसी वक्त करीब 04:30 बजे सुबह में डोरण्डा थाना पर दो व्यक्ति आया जिनके कपड़ा पर और एक के चेहरा पर खून लगा हुआ था। दोनों थाना में आकर बोला कि मानस कु0 सिन्हा और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दिये है और दोनों ने अपना नाम पता 1. राहुल कुमार 2. रोहित कुमार बताए तथा हथियार के साथ आत्म समर्पण किया गया। राहुल कुमार एक</p>				<p>के गवाह आरक्षी 1313 बब्लू कुमार</p> <p>7. अ.नि. सतीष कुमार गोराई।</p>	<p>स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 4. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र सं. 11/17, दिनांक 11.02.17 समर्पित किया गया है।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			लोहे का देषी रिवाल्वर छः राउण्ड का और रोहित कुमार एक लोहे का देषी कट्टा को प्रस्तुत किया, जिसका प्रस्तुति सह जप्ती-सूची बनाकर जप्त किया गया तथा गिरफ्तारी ज्ञापांक तैयार कर गिरफ्तार किया गया।							
12	अरगोड़ा थाना काण्ड सं. 329/17, दिनांक 05.11.17 धारा 25(1-बी.)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0-6002/17	1.नौषाद उर्फ इमरान माया पे. स्व. अमीहुल्ला सा. मोजाहिदनगर, लिटिलगार्डन स्कूल के पास थाना हिन्दपीढी, जिला राँची 2.मो. फ़ैसल उर्फ मौसम पे. मो. कल्लु खान सा. पुन्दाग, खस्सी टोला गुरफान अहमद के मकान में किरायेदार, थाना पुन्दाग, जिला राँची।	वादी स0अ0नि0 मनोज कुमार, पिता नागेन्द्र सिंह, वर्तमान पता यातायात जिला रांची के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1.नौशाद उर्फ रमराम उर्फ मामा, पिता स्व0 अमीरहुल्ला सा0-मोजाहिदनगर, लिटिल गार्डन स्कूल के पास थाना हिन्दपीढी, जिला रांची 2. मो0 फ़ैसल उर्फ मौसम, पिता मो0 कल्लु खॉन, सा0-पुन्दाग खस्सी टोला गुरफान, अहमद के मकान में किरायेदार थाना(पुन्दाग) जिला रांची के विरुद्ध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया। संक्षिप्त सारांश यह कि दिनांक-05.11.17 को वादी को सूचना मिला कि अरगोड़ा मैदान के पास पल्सर मोटरसाईकिल एवं एक डीजल टेम्पु पर एक लडका बैठा हुआ है, साथ में हथियार रखा हुआ है। इस सूचना पर वादी टेम्पु के पास जाकर पदाधिकारी एवं	1. जमानत 2. जेल में	एस0डी0जे0 एम0 राँची	स0अ0नि0 मनोज कुमार, पिता नागेन्द्र सिंह, वर्तमान पता यातायात जिला रांची	1. वादी स0अ0नि0 मनोज कुमार 2. स0अ0नि0 उपेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व0 विष्णनाथ सिंह सा0 इकवाल तलाब जिला पटना बिहार वर्तमान पी0सी0आर0-05 राँची 3. आरक्षी 2182 मुकेश कुमार सिंह पिता स्व0 साधुषरण सिंह सा0 मंदरामो थाना सरिया जिला गिरिडिह वर्तमान यातायात पोस्ट अरगोड़ा राँची 4. आ0 2412 आषुतोष कुमार, यातायात पोस्ट अरगोड़ा 5. अनुसंधानकर्ता अ0नि0 मोहिनी पन्ना अरगोड़ा थाना 6. श्री तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र राँची।	1. एक देषी कट्टा 2. फ़ैन्सी रेक्स का छोटा सीसी पैक 3. एम0आई0 कम्पनी का मोबाईल सिलवर कलर का 4. समसैंग कम्पनी का मोबाईल काला रंग का 5. 3953 रूपया नगद 6. जेवर रखने का छोटा डब्बा 7. एक काला पलसर मोटरसाईकिल 220 सी0सी0 नं0-जे0एच0-01 ए0सी0-5649 8. एक डीजल टेम्पु नं0 जे0एच0 01 बी0के0 5546 हरा एवं पीला रंग का 9. युको, युनियन एवं ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा एस0ओ0आई0 बैंक का ए0टी0एम0 कार्ड 10 उपायुक्त राँची का ज्ञापांक 3359(ii)/विधि दिनांक 30.12.17 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त। 11. परिचारी प्रवर का ज्ञापांक 9093/र0का0 दि0 06.12.17 के माध्यम से जप्त आग्नेयास्त्र एवं गोली का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त 12 आरोप पत्र सं0	गवाही- 18. 05.18	

			जवान के सहयोग से उक्त व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ाये गये व्यक्ति का नाम नौषाद पिता स्व० अमीहुल्ला जिसके पास से पिस्टल एवं दो मोबाईल मिला। दूसरा व्यक्ति अपना नाम मो० फैसल उर्फ मौसम पिता मो० कल्लु खॉन है। विधिवत जप्ती सूची तैयार कर दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।						406/17 दि० 31.12.17	
13	जगरनाथपुर थाना काण्ड संख्या 422/16 दिनांक 12.12.16 धारा 376 भा.द.वि. 4/5/6 पोक्सो एक्ट पोक्सो- 45/16 दि०- 25.05.18	रोहित कच्छप, पे० स्व० फुरली कच्छप, सा० सोलंकी रोड, नं० 06, थाना जगरनाथपुर राँची	वादिनी निषा कुजूर पति दीपक कुजूर सा. सोलंकी, रोड नम्बर-03, थाना जगन्नाथपुर, जिला राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर इस काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए दर्ज कराया गया है। संक्षिप्त सांराष दिनांक 11.12.16 को संध्या 05.00 बजे मानसी कुजूर एवं आहान सिरका अपने दुकान के आस-पास नजर नहीं आया तो वादी परेषान होने लगी तथा उनदोनों को खोज बीन करने लगी तो उसी समय अचानक 06.00 बजे आहान सिरका जिसका उम्र 03 वर्ष वह दुकान के पास भागते हुए आया और वादी से बताया कि मानसी कुजूर(दीदी) रो रही है। दीदी का पैंटी खोलकर फेक दिया है	जेल में	ए०जे०सी०- प्रथम राँची।	निशा कुजूर, पति दीपक कुजूर, सा० सोलंकी रोड नं० 03, थाना जगरनाथपुर, राँची	1. अनुसंधानकर्ता:- 2. अनु०कर्ता अ.नि. महेश कुमार सिंह। 3. चिकित्सक तनु श्री चिकित्सक सीमा गुप्ता चिकित्सक रभि प्रसाद सभी सदर अस्पताल राँची।	1.पुनम लकड़ा उम्र 27 वर्ष पति मनिष सिरका 2.मनिष सिरका उर्फ 27 वर्ष पे. मास्कल सिरका 3.दीपक कुजूर उर्फ 35 वर्ष पे. जगरा कुजूर 4.पीड़िता मानसी कुजूर पे. दीपक कुजूर 5.आहन सिरका पे. मनीष सिरका सभी सा. सोलंकी रोड नम्बर-03, थाना जगन्नाथपुर, जिला राँची। 6. वादिनी निषा कुजूर पति दीपक कुजूर, सा० सोलंकी रोड नं० 03, थाना जगरनाथपुर, राँची	1. चिकित्सक का जाँच प्रतिवेदन। 2. आरोप-पत्र सं. 03/17, दिनांक 31.01.17 समर्पित किया गया है। 3. पीड़ित मानसी कुजूर का धारा-164 द० प्र०स० के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया है।	चार्ज पर।

			<p>और उसके साथ गंदा-गंदा कर रहा है। वादी आहान सिरका से उस लड़का के बारे में पुछी तो आहान सिरका बताया कि विस्कीट खरीदने वाला मामू रोहित कच्छप था। उसके बाद वादी के सबपरिवार उसे खोज बिन करने लगे। उसी क्रम में वादी से रास्ते में ही काजल नाम की एक लड़की मिली जो वादी की बेटी को पकड़ कर रखी थी। काजल द्वारा वादी से बताया गया कि बच्ची काफी डरी सहमी थी। काजल ने उसका नाम एवं पता पुछा तो केवल अपना स्कूल का नाम ही बता पाई। उसके बाद वह लड़की मानसी कुजूर को स्कूल ले ही जा रही थी कि रास्ते में उसकी माँ से भेट हो गयी। वादी अपनी बच्ची से पुछ-ताछ करने लगी तो वादी को मानसी कुजूर अपने हाथ के इसारे से गुप्तांग के पास दर्द होने की बात बतायी।</p>								
14	<p>हिन्दपीढी थाना कांड सं-24/17, दिनांक 13.03.17 धारा -302 /34 भा0द0वि0</p> <p>GR-1293 ST-335/17</p>	<p>1.मो0 वसीम पे0 मो0सलीम सा-लाह फ़ैक्ट्री रोड थाना - हिन्दपीढी जिला-राँची</p>	<p>मृतक शहनवाज अंसारी प्रा0 अभि0 से तीन हजार रुपये उधार लिए थे उसी पैसे की बात को लेकर दोनो पक्षो मे विवाद हुआ जिसमे प्र0 अभि0 द्वारा वादी के शाला को चाकु से मार कर हत्या कर दिया।</p>	जेल में।	AJC 7 Ranchi		<p>मो0 नेसार पे0 स्व0 अब्दुल जब्बार सा0-कर्बला चौक थाना-लोअर बाजार जिला-राँची</p>	<p>अनु0कर्ता पु0 अ0 नि0 लाल बिहारी रजक मो0 -9470144815 7-डा0 मनोज कुमार कोड़ा, चिकित्सा पदाधिकारी रिम्स, राँची।</p>	<p>1-मो0 नेसार, पिता स्व0 अब्दुल जब्बार, कर्बला चौक थाना लोअर बाजार जिला-राँची 2- मुन्ना अंसारी, पिता यूनूस अंसारी, सा0-कुर्बान चौक, थाना-हिन्दपीढी</p>	<p>1-इस कांड में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी उपलब्ध है। 2-मृतक का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 61/17 दि0 09.05.17 समर्पित</p>	Evidence

								जिला-रॉंची 3- प्रत्यक्षदर्शी साक्षी साजदा खातुन, पति मुन्ना अंसारी सा0-कुर्बान चौक, थाना-हिन्दपीढी जिला-रॉंची 4-जहाँगीर, पे0-मो0 उमर सा0 - कुर्बान चौक, थाना- हिन्दपीढी जिला- रॉंची 5-मो0 तवरेज, पिता मो0 जमाल, सा0-नाला रोड मुन्ना गली, थाना-हिन्दपीढी 6-मो0 रफीक , पिता अबुल हसन, सा0-कुर्बान चौक थाना-हिन्दपीढी, जिला-रॉंची	किया गया है।	
15	कोतवाली थाना कांड सं-224 / 17 दिनांक 19.8.17 धारा-302 भा0द0वि0 GR No. 4370/ 2017 ST-615/15	अप्राथमिकी अभियुक्त अनवर कुरैशी पे0-जिया कुरैशी सा0-नूर नगर पुरानी रॉंची थाना- कोतवाली जिला-रॉंची	काण्ड का सारांश यह है कि मृतक के शहवाज अली द्वारा अप्रा0 अभि0 अनवर कुरैशी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ किया था जिससे प्रतिशोध में आकर अनवर कुरैशी द्वारा कुलाहड़ी से मारकर शहवाज अली की हत्या कर दिया गया।	जेल में	AjC 7 ranchi	मो0 सलीम उर्फ कपील पे0 स्व0 मो0 कुल्लू सा0-निजामनगर हिन्दपीढी थाना -हिन्दपीढी जिला-रॉंची	अनु0 कर्ता0 पु0अ.नि0 बासुदेव मुण्डा मो0-7050162545 2. डॉ0 लिसु चारी चिकित्सा पदाधिकारी रिम्स, रॉंची।	1- वादी मो0 सलीम उर्फ कपील पे0 स्व0 मो0 कुल्लू सा0-निजामनगर हिन्दपीढी थाना-हिन्दपीढी जिला-रॉंची 2-मो0 ताहिद पे0 स्व0 सबोराती सा0-निजाम नगर थाना-हिन्दपीढी जिला-रॉंची। 3-मो0 सरताज पे0 समीम सा0-निजाम नगर थाना-हिन्दपीढी जिला-रॉंची। 4-मो0 आबुल कलाम पे0 मो0 प्याद सा0-निजाम नगर थाना-हिन्दपीढी	1-प्रत्यक्षदर्शी गवाह- मो0 चिन्तु उर्फ बौना का धारा- 164 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत मान्नीय न्यायालय में दर्ज ब्यान। 2-सी0सी0टी0वी0 कैमरा का फुटेज। 3-मृतक का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त। 4- अभियुक्त के निशानदेही पर धटना में प्रयुक्त भुजाली बरामद कर जप्त किया गया है। 5-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 269 / 17 दि0 15.11.17 समर्पित किया गया है।	Evidence

									जिला-राँची। 5-मो0 नौसाद पे0 साकिर सा0-निजाम नगर थाना-हिन्दपीढी जिला-राँची।		
16	कोतवाली थाना कांड सं-246/17 दिनांक- 8.9.17 धारा- 307 भा0 द0 वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट GR No- 4870/18 St 112/18 16-05-18	1-बिट्टु सिंह उर्फ बिट्टु नेपाली उर्फ विनय सिंह उर्फ नेपाली उर्फ बिट्टु पे0- स्व0 उपेन्द्र सिंह सा0- किशोरगंज रोड नं0-4, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची।	इस कांड के अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व वादी के दूकान पर इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए आया था। एलेक्ट्रॉनिक सामानों की किमत को लेकर वादी तथा अभियुक्त के बीच बाताबाती हुई थी। इसके बाद अभियुक्त धमकी देकर चला गया था। घटना के दिन वादी के दूकान में उपस्थित स्टाप को लक्ष्म करते हुए गोली चलायी गयी थी। गोली लगने से दूकान में लगा शीशा छेद हो गया था और शीशा का टुकड़ा दूकान के अंदर बिखर गया था। घटना कारित करने के बाद बिट्टु सिंह उर्फ नेपाली अपने साथी प्रकाश चौधरी के साथ मोटर साईकिल पर सवार होकर भाग गया था।	जेल में	AjC 13		विकास मित्तल पिता- जय प्रकाश मित्तल सा0- सेल सिटी न्यू पुन्दाग, थाना- पुन्दाग ओ0पी0 जिला- राँची।	1-अ0नि0 विश्राम उरांव (अनु0कर्ता) मो0नं0- 9431762132 2-तुषार कांत झा, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, राँची।	1-चंदन कुमार राम पे0- नंदकिशोर राम सा0-पीपराटोली नियर हनुमान मंदिर, थाना- अरगोड़ा, जिला- राँची। 2-गुड्डू वर्मा पिता- बेनी वर्मा सा0 राजाहाता किशोरगंज, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची। 3-आशीष वर्मा पिता- शंभु प्रसाद सा0-किशोरगंज नियर कुशवाहा स्ट्रीट, थाना- कोतवाली, जिला- राँची।	1- अनुसंधानकर्ता के द्वारा घटनास्थल से 9 एम.एम. का एक जिन्दा गोली एवं 9 एम0एम0 गोली का दो खोखा को बरामद किया गया है। 2. बरामद जिन्दा गोली का जाँच परिचारी प्रवर से करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3.-अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 312/17 दि0 26.12.17 समर्पित किया गया है।	Evidence
17	सुखदेवनगर थाना कांड सं- 298/17 दिनांक 14.6.17 धारा -414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए/26/3 5 शस्त्र अधि0 ।	1-ओम प्रकाश वर्मा उर्फ ओम वर्मा, पिता स्व0 संतोष वर्मा, सा0-चकला, थाना-ओरमांडी, जिला-राँची 2-भोलु वर्मा, पे0-प्रहलाद सोनी, सा0-न्यू मधुकम, थाना-सुखदेवनगर,	इस काण्ड में वादी नवल किशोर सिंह द्वारा दि0-14.06.17 को समय करीब 18:30 बजे न्यू मधुकम मुर्गा मैदान के पास कुछ लड़कों के अपराध करने के नियत से इक्का होने की गुप्त सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु	1 जेल 2. जेल 3 जमानत 4. जमानत 5. जमानत	जे0एम0एफ0 सी- 24		नवल किशोर सिंह पु0 नि0 सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर जिला -राँची।	1. वादी नवल किशोर सिंह, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, सुखदेवनगर 2. पु0अ0नि0 दिनानाथ राम, सुखदेवनगर थाना राँची 3. ह0 रामेश्वर सिंह, सुखदेवनगर राँची 4. हव0 सुरेन्द्र पासवान 5. अनुसंधानकर्ता अ0नि0 शंकर प्रसाद 6. श्री तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र	1. जपती सूचि साक्षी-सुनिल कुमार पिता स्व0 शिवु प्रसाद सी0ओ0 संतोष कुमार मधुवन तलाब के पास थाना सुखदेवनगर 2. जपती सूचि के साक्षी प्रदीप कुमार पिता स्व0 खेरा साँव सा0 गोरईया थाना कांके जिला राँची	1. बजाज पलसर मोटरसाईकिल ब्लू रंग सं0-जे0एच0 -01बी0 8583 2. दो देषी पिस्तौल 3. एक .315 की गोली 4. उपायुक्त राँची का ज्ञापांक 1988(ii)/विधि दिनांक 11.08.17 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त। 5. जप्त आग्नेयास्त्र एवं	अगली तिथि दि0- 22. 25.18

	<p>जी0आर0न0 3045 / 17</p>	<p>जिला-रॉची 3-जलेन्द्र महतो उर्फ मुनी, पो0-स्व0 रमेश महतो, सा0-गैतलसुद थाना अनगड़ा 4-सोनु कुमार, पे0-विनोद साव, सा0-न्यू मधुकम रोड नं-5 थाना-सुखदेवनगर 5-राज कुमार उर्फ बड़कू, पे0 बाल गोविन्द साव, सा0-गोपाल मंदीर रोड थाना-सुखदेवनगर जिला-रॉची।</p>	<p>वादी सशस्त्र बल के साथ न्यु मधुकम मुर्गा मैदान पहुँचे, तो देखे कि पुर्लिस पार्टी को देखकर काला रंग का अपाची मोटर साईकिल पर दो लड़के तथा ब्लू रंग के बजाज पल्सर मोटर साईकिल पर तीन लड़के सवार होकर भागने का प्रयास करने लगे। जिनमें से ओम प्रकाश वर्मा उर्फ ओम वर्मा, पिता स्व0 संतोष वर्मा, सा0-चकला, थाना -ओरमांझी, जिला-रॉची 2-भोलु वर्मा, पे0-प्रहलाद सोनी, सा0-न्यू मधुकम, थाना-सुखदेवनगर, जिला-रॉची 3-जलेन्द्र महतो उर्फ मुनी, पो0-स्व0 रमेश महतो, सा0 -गैतलसुद थाना अनगड़ा 4-सोनु कुमार, पे0 -विनोद साव, सा0 -न्यू मधुकम रोड नं-5 थाना- सुखदेवनगर 5-राज कुमार उर्फ बड़कू, पे0 बाल गोविन्द साव, सा0 -गोपाल मंदीर रोड थाना-सुखदेवनगर जिल- रॉची के साथ चोरी के मोटर साईकिल एवं अवैध हथियार के साथ पकड़ा</p>					<p>रॉची।</p>		<p>गोली का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त 6. आरोप पत्र सं0 190 / 17 दि0 11.08.17 समर्पित</p>	
--	-------------------------------	--	---	--	--	--	--	--------------	--	--	--

			गया तथा उनके पास से अवैध हथियार बरामद किया								
18	कोतवाली थाना कांड सं०-346/17 दि०-28.12.17 धारा-394 भा०द०वि०। GR No- 704/17 ST No-	1-अरमान हुसैन पू०- मो० रियासत सा०- हिन्दपीढ़ी मोजाहिद नगर, थाना- हिन्दपीढ़ी, जिला- राँची 2-बब्लू उर्फ फिरदोश पे०- मो० समीम सा०- कुर्बान चौक नाला रोड मुन्ना गली, थाना- हिन्दपीढ़ी, जिला- राँची।	इस कांड में अभियुक्तों द्वारा प्लसर मोटर साईकिल पर सवार होकर वादी के स्कूटी का पीछा करते हुए वादी की स्कूटी पर पीछे बैठी वादी की बहन का पर्स लूटकर भाग गये थे। इस घटना में वादी की बहन बुरी तरह जखमी हो गयी थी। लूटी गयी पर्स में पैसा, मोबाईल अन्य कागजात थे।	जेल में			संदीप कुमार उर्फ बद्दीनारायण लाल, सा०- गंगा नगर, होलडिंग नं०-28, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची।	1-पु०अ०नि० ललन प्रसाद(अनु०कर्ता) मो०नं०-993450 2014) 2-चिकित्सा पदाधिकारी कुमार विजय राज आर्किड अस्पताल, राँची।	1-जप्ती सुची का गवाह संतोष कुमार पिता- बद्दीनारायण लाल सा०- गंगा नगर थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची, 2-जप्ती सुची का गवाह अंकित आनंद पे०-अशोक कुमार सा०- जयवंती भवन लाह कोठी रातु रोड, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची। 3-सारिका सिन्हा पे०- बद्दीनारायण लाल सा०-गंगा नगर, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची।	1-इस कांड में प्रयुक्त मो० साईकिल नं०- JH09X-7873 को जप्त किया गया है। 2-अभियुक्त का अपराधिक इतिहास। 3-जखम जाँच प्रतिवेदन। 4-पहचान परेड पर अभियुक्तों को पहचान किया जाना। 5- काण्ड मे संलिप्त अपराधकर्मी का अपराधिक इतिहास पाया गया है। 6- जखमी का जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 7- अभियुक्तो का पहचान परेड कराया गया है। 8- जिला परिवहन कार्यालय से बरामद प्लसर मोटरसाईकिल के स्वामित्व का पता किया गया है। 9-दोनो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-77/18 दि०-28.02.18 समर्पित किया गया है।	
19	हिन्दपीढ़ी थाना कांड सं०- 12/17 दि०- 11.2.17 धारा- 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स	1-मो० मोहसिन उर्फ लंगडा मोहसिन 2- शाहरुख खान दोनों पिता- स्व० मनीर खान	हिन्दपीढ़ी थाना कांड सं० -11/17 दिनांक -9.2.17 धारा -302/201/34 भा० द० वि० एवं 27 आम्स एक्ट के	1. जेल 2. जमानत 3. जेल	Addl. District and Sess. Judge		पु०नि० सह थाना प्रभारी दीपक कुमार हिन्दपीढ़ी थाना।	1. वादी दीपक कुमार, पु०नि० सह थाना प्रभारी हिन्दपीढ़ी, राँची 2. अ०नि० लाल बिहारी रजक हिन्दपीढ़ी थाना 3. अनुसंधानकर्ता पु०अ०नि०	1. जप्ती सूची के साक्षी मो० सज्जाद पिता मो० मुबारक हुसैन सा० मक्का मस्जिद थाना हिन्दपीढ़ी राँची	1. चार देशी कट्टा 2. एक पिस्तौल 3. एक मैगजीन 4. .315 का तीन मिसफायर गोली 5 एक जिन्दा गोली	19-05-18 Appearance

	<p>एक्ट GR No- SessTrial/238 /2018</p>	<p>3-मो0 इमरान, 4-बाबु दोनों पिता- मो0 कलाम, 5-अराफात पिता-मो0 सलीम उर्फ बावर्ची सभी सा07 मोती मस्जिद नेजामनगर हिन्दपीढ़ी, 6-रोमी पे0- मो0 आरिफ सा0- नेजामनगर मोती मस्जिद 7-मो0 आसिफ पे0- मो हमीद, सा07मोजाहिद नगर 8-मो0 जाहिद पे0- मो0 शाहिद सा0- मोती मस्जिद 9-मो0 साजिद पिता- मो0 कोचो बैड वाला सा0- लेक रोड सभी थाना- हिन्दपीढ़ जिला- राँची।</p>	<p>अनुसंधान एवं छापामारी के क्रम में वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी दीपक कुमार को गुप्त सूचना मिली की कांड सं0- 11/17 के प्राथ0 अभि0 मोहसिन लंगडा को अपने घर के आसपास घुमते हुए देखा गया है। इस सूचना के आधार पर वादी छापामारी टीम के सदस्यों के सहयोग से मो0 मोहिसिन लंगडा को गिरफ्तार किया गया तथा उनका बदन का तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में उनके बाये कमर में खोसाकर छपाकर रखा एक देशी कट्टा बराम किया गया। पकड़े गये अभियुक्त के निशानदेही के आधार पर अन्य अभियुक्तों के पास से चार देशी पिस्तौल, कट्टा एवं जिंदा गोली बरामद किया गया, जिससे स्वतंत्र गवाहों के समक्ष जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया।</p>	<p>4 जेल 5 जेल 6 जेल 7 जमानत 8 जेल 9 जेल</p>	<p>XI</p>			<p>चिन्तामन रजक, हिन्दपीढ़ी 4. आरक्षी 1731 मानसिंह खड़िया, हिन्दपीढ़ी 5. आरक्षी 2099 मुकेश उराँव, हिन्दपीढ़ी थाना</p>	<p>2. जप्ती सूची के गवाह मो0 अनवर हुसैन पिता मो0 मुबारक हुसैन सा मक्का मस्जिद थाना हिन्दपीढ़ी राँची</p>	<p>6. उपायुक्त राँची का ज्ञापांक 163(ii)/विधि दिनांक 29.01.18 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त। 7. विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जाँच प्रतिवेदन 8. आरोप पत्र सं0 12/18 दि0 10.02.18 समर्पित</p>	<p>from Custody</p>
<p>20</p>	<p>सुखदेवनगर थाना कांड सं0- 117/18 दि0- 08.3.18 धारा- 25(1-बी)ए/26/3 5 आम्स एक्ट।</p>	<p>1-अनुराग विश्वकर्मा उर्फ सोनू विश्वकर्मा पे0- अजय विश्वकर्मा सा0- माउण्ट मोटर गली बड़ी मुहल्ला अल्कापुरी रातु रोड, थाना- सुखदेवनगर,</p>	<p>दिनांक- 08.3.18 को वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह को अल्कापुरी सरकारी कुओं के पास कुछ लड़कों द्वारा अपराध करने की</p>	<p>जेल में</p>	<p>Registra r cum J.M</p>		<p>वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह।</p>	<p>1- वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह। 2-पु0अ0नि0 कौशल किशोर श्रीवास्तव(अनु0कर्ता) 3-तुषारकांत झा परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, राँची। 4-पु0अ0नि0 शंकर प्रसाद</p>	<p>जप्ती सूची का गवाह :- 1-जयकिशोर प्रसाद सिंह पे0-बासुदेव सिंह 2-अलोक कुमार सिंह पे0- विजय कुमार</p>	<p>1-एक देशी पिस्तौल एवं एक गोली बरामद किया गया है। 2- जप्त अग्नायेस्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3- उपायुक्त राँची का</p>	

	GR/1468/2018	जिला- राँची।	योजना बनाने हेतु जमा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के सत्यापन हेतु वादी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचे, तो पुलिस पार्टी को देखकर दो लड़का भागने लगे। भागते हुए एक लड़का अनुराग विश्वकर्मा को पकड़ लिया गया। पकड़ाये अनुराग बिश्वाकर्मा के पास से तलाशी के क्रम में एक लोडेड पिस्टल डबल बैरल वाला बरामद किया गया। जिसके संबंध में पकड़ाये अनुराग विश्वकर्मा द्वारा कोई संतोष जनक जवाब पुलिस को नहीं दिया गया।					सिंह। 5-स0अ0नि0 मुन्ना सिंह 6-आ0- 3670 अमृत तिग्गा। 7-आ0-2351 असुतोष कुमार। 8-आ0- 2683 धनेश्वर उरांव।	सिंह पता- अल्कापुरी रातु रोड, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची।	ज्ञा0-733(2)/ विधि दि0-05.05.18 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 4. आरोप पत्र सं0-156/18 दि0 06.05.18 समर्पित किया गया है।	
21	सुखदेवनगर थाना कांड सं0- 431/17 दि0-4.9.17 धारा- 324 /326/304/272 /290/34 भा0द0वि0 ST. 117/2018	1-इन्द्रभान थापा पे0-स्व0 उदयभान थापा सा0- जैप-01 हॉस्पिटल लाईन थाना- डोरंडा, 2- गौतम थापा पे0-स्व0 दिलबहादुर थापा, सा0-जैप-01 क्वार्टर नं0-09, ब्लॉक नं0-09, 3-उमेश गुरुंग उर्फ बोना पे0-स्व0 धन प्रसाद गुरुम, सा0- मस्जिद लेन जैप-01 सभी थाना- डोरण्डा राँची एवं 4-प्रहलाद सिंधानिया तथा उनका बेटा	दिनांक-02.9.2017 को करमा पर्व के अवसर पर वादी अपने दोस्त अमित तिवारी, संदीप चौधरी विकास राम एवं बीटु उर्फ अरविन्द यादव के साथ अभि0 इन्द्रभान थापा के किराया दूकान से 750 एम0एल0 का आफर्सिस ज्वाइंस एक हजार रूपया का खरीदे थे। इसके बाद सभी वादी के किराये के डांस क्लब में जाकर 11.00 बजे रात्रि से 2.00 बजे रात्रि तक दारु पीये और डांस किये। दारु पीने के बाद सभी का	1 जेल 2 जेल 3 जेल 4 जेल 5 फरार	AJC 13 Ranchi		संतोष सिंह पिता- विजय सिंह सा0- कैलाश मंदिर इरगु टोली, थाना सुखदेवनगर।	1-पु0अ0नि0 धर्मदेव चौधरी। 2-पु0अ0नि0 शंकर प्रसाद। 3-डॉ0 अलोक तिवारी, 4-डॉ0 कुमार सुभेन्दु। 5-डॉ0 रवि मुरारी 6-डॉ0 अनित कुमार। 7-डॉ0 संजय कुमार सभी रिम्स, राँची।	1-राहुल कुमार पे0-मुन्ना राम सा0- इरगु टोली रा समिति के नजदीक, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची। 2-मुन्ना राम पिता- हरि राम सा0- इरगु टोली, राजसमिति के नजदीक था0- सुखदेवनगर, जिला- राँची। 3-सुमित कुमार तिवारी पे0- स्व0 मृत्युजय तिवारी सा0- इरगु टोली कुष्णा साव के मकान में किरायेदार, थाना-	1-अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2-एफ0 एस0 एल0 का जाँच रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। 3-आरोप पत्र सं0-357/17 दिनांक 30.12.17 विरुद्ध 1. गौतम थापा 2. उमेश गुरुंग 3. प्रहलाद सिंधानिया 4. इन्द्रभान थापा के विरुद्ध समर्पित	09.05.18 साक्ष्य पर।

		5-तरुण दोनों सा0-तितरी टोला, जोरार थाना- नामकुम, राँची ।	सर भारी-भारी लगने लगा। इसके बाद सभी अपने-अपने घर चले गये। इन्द्रभान थापा के पास से लाया गया दारू पीने से वादी के दोस्त अमित तिवारी एवं संदीप चौधरी की मृत्यु हो गयी। वादी का तबियत भी खराब हो गया।					सुखदेवनगर, जिला- राँची । 4-दिलीप उर्फ फुटुस पे0- दुबराज राम, सा0- इरगु टोली, राज समिति के नजदीक, थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची । 5-रंथु कुमार पिता- खेदवा महतो सा0- डोरण्डा बाजार, थाना- डोरण्डा, जिला- राँची । 6-दिनेश गुरुम पे0- स्व0 दिपक गुरुम सा0- हॉस्पिटल लाईन जैप-01, थाना- डोरण्डा, जिला- राँची ।			
22	गोन्दा थाना काण्ड सं0 128/16, दिनांक 23.11.16 धारा 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट । GR 6641/16	1. मनीष कुमार ओझा, पे0 श्री विष्वनाथ ओझा, सा0 सरोवर इन्क्लेव, कांके रोड, थाना गोन्दा, जिला राँची, 2. रोहित कुमार सिन्हा, पे0 समीर कुमार सिन्हा, 3. पवन कुमार सिंह, पे0 विजय सिंह दोनों सा0 हैदर अली रोड, कोकर थाना-सदर, जिला-राँची ।	अवैध हथियार रखना ।	अभियुक्त क0 सं0 01 जेल में है, अभियुक्त क0 सं0 02 एवं 03 बेल में जेल से बाहर है ।	JMFC 17 Ranchi		भोला प्रसाद सिंह उम्र 40 वर्ष, पु0नि0 सह सदर थाना प्रभारी, राची । पता-ग्राम मनौली, थाना+पो0 भगवानगंज, जिला पटना (विहार) । मो0 सं0 9431706160 2. अनुसंधानकर्ता-रष्मी देवी पु0अ0नि0 गोन्दा थाना, राँची । मो0 सं0 8864088090 3. अग्नेयास्त्र जाँचकर्ता-परिचारी प्रवर, प्रथम, पुलिस केन्द्र, राँची । मो0 सं0 9431141229 4. रणविजय सिंह, उम्र 56 वर्ष, पे0 श्री सत्य विलास सिंह, पता-निरंजनपुर, थाना-पुरुष सराय, जिला-बक्सर (विहार) वर्तमान स0अ0नि0 गोन्दा थाना, राँची । मो0 सं0 9430194453	1. भोला प्रसाद सिंह उम्र 40 वर्ष, पु0नि0 सह सदर थाना प्रभारी, राची । पता-ग्राम मनौली, थाना+पो0 भगवानगंज, जिला पटना (विहार) । मो0 सं0 9431706160 2. अनुसंधानकर्ता-रष्मी देवी पु0अ0नि0 गोन्दा थाना, राँची । मो0 सं0 8864088090 3. अग्नेयास्त्र जाँचकर्ता-परिचारी प्रवर, प्रथम, पुलिस केन्द्र, राँची । मो0 सं0 9431141229 4. रणविजय सिंह, उम्र 56 वर्ष, पे0 श्री सत्य विलास सिंह, पता-निरंजनपुर, थाना-पुरुष सराय, जिला-बक्सर (विहार) वर्तमान स0अ0नि0 गोन्दा थाना, राँची । मो0 सं0 9430194453	1. जप्ती सूची साक्षी-रामाकांत शुक्ला उम्र 50 वर्ष, पे0 श्री राजमनी शुक्ला, सा0 सरोवर इन्क्लेव, कांके रोड, थाना गोन्दा, जिला राँची । 2. जप्ती सूची साक्षी-विरसा कु0 महली उम्र 28 वर्ष, पे0 श्री देवनंदन महली, सा0 सरोवर इन्क्लेव, कांके रोड, थाना-गोन्दा, जिला राँची ।	1. एक लोहे का निर्मित 7.65 एम0एम0 बोर का देशी पिस्तौल जिसके बट की लं0 5 अंगुल, बैट एवं बॉडी की लं0 लगभग 9 अंगुल, पिस्टल के एक तरफ M.A. IN U.S.A एवं B खुदा हुआ तथा दूसरी तरफ U.S.A एवं No 100, 2. पिस्टल के मैगजीन में लोड 7.65 एम0एम0 बोर का एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मालखाना प्रदर्ष सं0 37, गोन्दा थाना दैनिकी सं0 10/16, दिनांक 23.11.16 2. बरामद आग्नेयास्त्र का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. उपायुक्त राँची से अभियोजन स्वीकृत्यादेश	evindenc e 23-05-18

								5. विनोद कुमार सिंह, उम्र 55 वर्ष, पे0 स्व0 रघुनन्दन सिंह, सा0 क्वा0 नं0 90 सी0 न्यु नायक टोली, थाना लालपुर, जिला राँची। मो0 सं0 अंकित नही। 6. महेश राम उम्र 35 वर्ष, आरक्षी सं0 3732, पता-सदर थाना राँची, 7. श्रद्धा राम, उम्र 48 वर्ष, आरक्षी सं0 1483, सदर थाना, जिला राँची।		प्राप्त किया गया है। 4. आरोप पत्र सं0 02/17 दि. 20.01.17 समर्पित किया गया है।	
23	गोन्दा थाना काण्ड सं0 103/17, दिनांक 26.12.17, धारा 302/201/120(बी0) भा0द0वि0। GR/7032/2017	1. बिरसा उरांव, पे0 गोलया उरांव, सा0 जनक नगर हेसल पण्डरा ओ0पी0, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची। 2. किरण लोहरा उर्फ किरण उरांव, पिता राजन लोहरा पति बिरसा उरांव, सा0 हेसल नायक चौक, देवी मण्डप, पण्डरा ओ0पी0 थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।	एक मत होकर हत्या करना एवं साक्ष्य छुपाना।	जेल में।	J.M.F.C - XVII	स0अ0नि0 दीनबन्धु दूबे उम्र 42 वर्ष, पे0 जगरनाथ दूबे, सा0 चनया, थाना नावा बाजार, जिला पलामू, वर्तमान गोन्दा थाना, जिला राँची	1. वादी स0अ0नि0 दीनबन्धु दूबे, गोन्दा थाना, जिला राँची मो0 सं0 9431928492 2. अनुकर्ता ददअ0नि0 सत्येन्द्र प्रसाद सिंह, पे0 स्व0 राजदेव सिंह, सा0 गोखुला, थाना-भगवानगंज, जिला पटना(विहार) वर्तमान गोन्दा थाना राँची में अ0नि0 के पद पर कार्यरत। मो0 सं0 9608157732 3. डॉ ज्योति आषा चम्पई (एम0डी0) डिपार्टमेंट ऑफ एफ0एम0टी0 रिम्स, राँची।	1. सुधांषु कुमार पे0 सच्चिदानंद शर्मा, सा0 धावन नगर, थाना गोन्दा, जिला राँची। मो0 सं0 9113383436 2. नरोत्तम महतो, पे0 श्रीकान्त महतो, सा0 अमरुद बगान(लाह काठी), थाना सुखदेव नगर, जिला राँची। मो0 सं0 7273065236 3. अरुण वाला सिंह, पति प्रमोद नारायण सिंह, सा0 स्टाफ बैंक कॉलोनी क्वा0 नं0 25, पिस्का मोड़, हेसल, थाना सुखदेव नगर (पण्डरा ओ0पी0), जिला राँची। मो0 सं0 9835902346 4. प्रमोद नारायण सिंह, पे0 स्व0 कैलाष विहारी सिंह, सा0 स्टाफ बैंक कॉलोनी क्वा0 नं0 25, पिस्का मोड़, हेसल, थाना सुखदेव नगर (पण्डरा ओ0पी0), जिला राँची। मो0 सं0 9835902346 5. अभिषेक कुमार	मृतक का का पहना हुआ कड़ा बरामद किया गया है। मालखाना प्रदर्ष सं0 60, गोन्दा थाना दैनिकी संख्या 14/17, दिनांक 26.12.2017	Police Paper 24-05-2018	

								<p>सिंह पे0 प्रमोद नारायण सिंह, सा0 स्टाफ बैंक कॉलोनी क्वा0 नं0 25, पिस्का मोड़, हेसल, थाना सुखदेव नगर (पण्डरा ओ0पी0), जिला राँची। मो0 सं0 7781006260</p> <p>6. रविन्द्र कुमार, पे0 एस0एन0 सरस्वती सा0 शांति ज्वेलर्स शास्त्री चौक, रोड नं0 5, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची। मो0 सं0 अंकित नहीं।</p> <p>7. मुकेश कुमार सिन्हा, पे0 जे0 सिन्हा, सा0 विरसा चौक विरसा नगर, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची। मो0 सं0 9334656376</p>		
24	<p>बरियातु थाना कांड सं0-530/15, दि0 21.12.15, धारा-376(डी0)भा0 द0वि0 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट</p> <p>एस0टी0न0-236/16</p>	<p>1.पंकज साहु, उर्फ एतवा साहु, पिता काली उर्फ निहोरा साह, डोरमा, थाना तोरपा, जिला खूँटी वर्तमान लटमा नेपाली कॉलोनी, थाना-जगरनाथपुर, जिला राँची।</p> <p>2.अबु तालिब हसन पिता मो0 मसूद हसन, सा0 चर्च रोड, रंगसाद मस्जिद के पास, थाना लोअर बाजार, जिला राँची।</p> <p>3. मनिष निरिनल धान पिता स्व0 जय धान, सा0 जोरार, थाना नामकुम, जिला राँची</p> <p>4. विजय राम, उर्फ शनी, पिता सूरज राम, सा0 ब्राम्बे हाउस चिरोन्दी, थाना बरियातु,</p>	<p>दि0-20.12.17 को समय करीब 12:30 बजे दिन में वादिनी अपनी मौसी के साथ निकली थी उसी समय भरम टोली पहाड़ पर ले जाकर बारी बारी से सामुहिक बलात्कार किया गया।</p>	<p>अभि0 नं0-01 जेल में।</p> <p>अभि0 नं0-02 जेल में।</p> <p>अभि0 नं0-03 जेल में।</p> <p>अभि0 नं0-04 बाहर।</p> <p>अभि0 नं0-05 जेल में।</p>	सी0जे0एम0 राँची।	<p>प्रिया कुमारी, पिता राहुल रंजन, सा0 धोबी घाट, लोअर वर्द्धमान कम्पाउण्ड, थाना लालपुर, जिला राँची।</p>	<p>1. पु0नि0-सह-थाना प्रभारी, बरियातु टी0एन सिंह,</p> <p>2. पु0अ0नि0 सत्येन्द्र प्र0 सिंह, बरियातु थाना प्रसाद, महिला थाना प्रभारी, राँची</p> <p>3. म0पु0अ0नि0 दीपिका राँची</p> <p>3. डॉ0 तनुश्री, रिम्स राँची</p> <p>4. डॉ सीमा गुप्ता, रिम्स राँची।</p> <p>5. डॉ0 रौषन सिंह, रिम्स राँची।</p>	<p>1.प्रिया कुमारी पिता राहुल रंजन</p> <p>2. पूजा कुमारी पिता स्व0 हेमराम कुमार</p> <p>3. करण कुमार उर्फ रोहित पिता अर्जुन राम</p> <p>4. सूरज कुमार उर्फ बबलू पिता गणेश ठाकुर</p> <p>5. प्रेम लकड़ा पिता स्व0 फकी लकड़ा</p> <p>6. कुकसाय कुजुर पिता स्व0 फ्रांसिस कुजूर</p> <p>7. मो0 मोनू पिता हुसैन खान</p> <p>8. मो0 मिस्टर पिता मो0 मुन्ना</p> <p>9.विकी नायक पिता शिवदयाल नायक</p> <p>10. राजू मुण्डा पिता</p>	<p>1.गिरफ्तार अभियुक्तों का टी0आई0पी0 कराया गया है जिसमें पीड़िता द्वारा अभियुक्तों को पहचाना गया है।</p> <p>2.पीड़िता का अन्तः वस्त्र प्राप्त कर जाँच कराया गया है।</p> <p>3. पीड़िता का चिकित्सकीय जाँच प्राप्त किया गया है।</p> <p>4. आरोप पत्र सं0 49/16 दि0 21.03.16 एवं आरोप पत्र सं0 158/16 दि0 23.06.16</p>	गवाही 19.05.18

		जिला राँची 5. छोटका इम्तियाज, पिता अब्बास अंसारी, सा0 सुन्दरू, थाना कुडू, जिला लोहरदगा, वर्तमान मिल्लत कॉलोनी, नीयर विसप स्कूल, थाना लोअर, बाजार, जिला राँची						सोमरा मुण्डा		
25	बरियातु थाना कांड सं0-380/17 दि0 27.12.17 धारा-25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 7034/17	1.मो0 मेराज खालिद लतीफी उर्फ मेराज खान, पिता तुफैल खान, सा0 बरियातु बस्ती, थाना बरियातु, जिला राँची।	अवैध पिस्तौल एवं गोली के साथ रंगेहाथ पकड़े जाना।	दि0 10. 04.18 को जमानत पर मुक्त।	जे0एम0एफ0 सी0- 21 राँची।	अखिलेश यादव पिता स्व0 जगजीवन यादव, सा0 सीतानगढ़, थाना अलीपुर, जिला गया वर्तमान पता पी0सी0आर0 27 में प्रतिनियुक्त	1.अ0नि0 पंचम सिंह उराँव, बरियातु थाना, राँची। 2. अखिलेश यादव पिता स्व0 जगजीवन यादव, सा0 सीतानगढ़, थाना अलीपुर, जिला गया वर्तमान पता पी0सी0आर0 27 में प्रतिनियुक्त 3.चालक आरक्षी 771 बिरेन्द्र ठाकुर पिता विष्णनाथ ठाकुर, 4. अलेवरा रोबिन लकड़ा पिता लोयस लकड़ा, दोनों पी0सी0आर0 27 में प्रतिनियुक्त	1.जप्ती सूचि के गवाह-चालक आरक्षी 771 बिरेन्द्र ठाकुर पिता विष्णनाथ ठाकुर, 2. जप्ती सूचि के गवाह-हव0 अलेवरा रोबिन लकड़ा पिता लोयस लकड़ा, दोनों पी0सी0आर0 27 में प्रतिनियुक्त	1. एक देशी पिस्तौल 2. दो जिन्दा गोली 3. जप्त आग्नेयास्त्र एवं गोली का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 4. उपायुक्त राँची का ज्ञापांक 376(ii)/विधि दिनांक 05.03.18 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त। 5. आरोप पत्र सं0-35/18 दि0 23.02. 18	गवाही- 16.05.18
26	सदर थाना काण्ड सं0 60/17, दिनांक 16.02.17 धारा-376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट पोक्सो 20/17	1.अषोक कुमार महतो पिता हरखु महतो पता ग्राम कुल्ही, मेन टोला, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ वर्तमान पता वक्सापोल फ़ैक्ट्री, टंगरा टोली बुटी, थाना सदर, जिला राँची	यह कांड वादी रमेश कुमार पासवान, पिता भागीरथ पासवान, पता बुटी मोड़ एकता नगर, थाना सदर, जिला राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर विरूद्ध अषोक कुमार महतो पिता हरखु महतो पता ग्राम कुल्ही, मेन टोला, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़ वर्तमान पता वक्सापोल फ़ैक्ट्री, टंगरा टोली बुटी, थाना सदर, जिला राँची के वादी का नाबालिग एवं मूकबधिर बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	ए0जे0सी0- प्रथम राँची	वादी रमेश कुमार पासवान, पिता भागीरथ पासवान, पता बुटी मोड़ एकता नगर, थाना सदर, जिला राँची	1.महिला आरक्षी ममता इंदू 2. डॉ0 जे0 ई0 तिग्गा, चिकित्सा पदाधिकारी सदर, अस्पताल, राँची 3. शम्भू प्रसाद सिंह प्रभारी प्रधान अध्यापक, राजकीय मूकबधिर, विद्यालय हरमू, राँची। 4. अनु0कर्ता स0अ0नि0 कमलेश कु0 राय	1.वादी रमेश कुमार पासवान, पिता भागीरथ पासवान, 2. रिंकी देवी, पति रमेश कुमार पासवान, 3.सोहन प्रसाद पिता बुधदेव प्रसाद, 4. रंजना देवी पति दशरथ रजक, 5. सीता पाठक, पति धर्मेन्द्र पाठक, सभी पता बुटी मोड़, एकता नगर, सदर थाना, जिला राँची	1. पीड़िता नीतू कुमारी का चिकित्सकीय जाँच प्राप्त किया गया है। 2. पीड़िता मूक बधिर है। इसलिये विशेषज्ञ के मदद से पीड़िता का धारा-164 द0प्र0स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया है। 3. प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 65/17 दि0 16.02.17 समर्पित किया गया है।	गवाही- 25.05.18

27	सदर थाना काण्ड सं० 598/17, दिनांक 11.11.17 धारा- 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०न० 6178/17	मो० खालिद उर्फ बंगाली उर्फ चाँद उर्फ चुजा पिता शाहिद कादिर उर्फ कनबुचा, सा० गढाटोली, नासीर के मकान में किरायेदार, थाना सदर, जिला राँची 2. छोटू उर्फ छोटन उर्फ गुरफान पिता मुस्ताक खान सा० खेत मोहल्ला पुंदाग, थाना पुंदाग ओ०पी० जिला राँची। 3. रिजवान उर्फ रिज्जु पिता मो० कलाम, सा० मौलाना आजाद कॉलोनी, दूसरा पूल के पास, थाना नामकुम, जिला राँची	यह कांड वादी दयानन्द कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर के स्वअंकित बयान के आधार पर स्तंभ 03 में अंकित अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र रखने और रंगेहाथ पकड़े जाने के आरोप में अंकित किया गया है अनुसंधान पश्चात् आरोप पत्र सं० 01/18 दि० 09.18 समर्पित किया गया है।	सभी जेल में	जे०एम०एफ० सी- 26 राँची।		दयानन्द कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर, 9431706160	1. दयानन्द कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर, मो० 9431706160 2. बिनोद कुमार सिंह स०अ०नि० सदर थाना, मो० 9431326314 3. कृष्णा कुमार अ०नि० सदर थाना, मो० 9939310937 4. चालक पुलिस/3415 आदित्य तिकी, सदर थाना, मो० 9431374704 5. तुषार कांत झा, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, राँची मो० 9431141229 5. अ०नि० राधा कृष्ण सिंह, सदर थाना, मो० 8521781384	1. दयानन्द कुमार पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सदर, मो० 9431706160 2. बिनोद कुमार सिंह स०अ०नि० सदर थाना, मो० 9431326314 3. कृष्णा कुमार अ०नि० सदर थाना, मो० 9939310937 4. चालक पुलिस/3415 आदित्य तिकी, सदर थाना, मो० 9431374704 5. तुषार कांत झा, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, राँची मो० 9431141229 5. अ०नि० राधा कृष्ण सिंह, सदर थाना, मो० 8521781384	एम०आर० नं० 37/17 इस प्रदर्श में से 01 पिस्तौल सदर थाना कांड सं० 562/17 धारा-302/34 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट में जाँच हेतु एफ०एस० एल० भेजी जा रही है। 2. आरोप पत्र सं० 01/18 दि० 09.01.18 3. बरामद आग्नेयास्त्र पिस्टल एवं गोली का जाँच परीचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 4. अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है 5. अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास पाया गया है।	गवाही 18.05.18
28	सदर थाना काण्ड सं० 38/18, दिनांक 22.01.18 धारा-341/342/376/509 भा०द०वि० एस०टी०न०- 252/18	1. सोनु उर्फ आजाद मंसुरी पिता हाफिज मंसुरी, पता इलाहीबक्स कॉलोनी, थाना सदर, जिला राँची	यह कांड वादिनी सहनाज प्रवीन पिता नसीम मंसुरी, पता इलाहीबक्स कॉलोनी थाना सदर, जिला राँची के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त सोनु उर्फ आजाद मंसुरी पिता हाफिज मंसुरी, पता इलाहीबक्स कॉलोनी, थाना सदर, जिला राँची के घर कर कमरे में बंद कर जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	ए०जे०सी०- 3 राँची।		सहनाज प्रवीन पिता नसीम मंसुरी, पता इलाहीबक्स कॉलोनी थाना सदर, जिला राँची	1. अ०नि० राधा कृष्ण सिंह, सदर थाना, मो० 8521781384 2. डॉ० रेष्मी प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर, अस्पताल राँची	1. पीड़िता वादिनी सहनाज प्रवीन पिता नसीम मंसुरी, 2. रौषन आरा पिता नसीम मंसुरी 3. इरषाद मंसुरी पिता मो० नसीम मंसुरी 4. इम्ते आरा मंसुरी पिता सकुर अंसारी, इलाहीबक्स कॉलोनी थाना सदर, जिला राँची	1. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-33/18 दि० 28.02.18 समर्पित किया गया है।	
29	सदर (खेलगाँव ओ०पी०) थाना काण्ड सं०	दानिष खान उर्फ डी० पिता हुसैनी खान, सा० अपर हटिया, थाना	कांड का सारांश यह है कि पंचदेव पाण्डेय सा० गया कॉलेज मगध	जेल में	जे०एम०एफ० सी०- 24 राँची।		जगरनाथपुर, जिला राँची 1. वादी का नाम	1. भोला प्रसाद, पु०नि० सह थाना प्रभारी, सदर, राँची 2. दीपक कुमार पुलिस	1. बरामद आग्नेयास्त्र का जाँच परीचारी प्रवर राँची से		

	319/16, दिनांक 01.08.16 धारा-414/34 भा0द0वि0 एवं 25(1-b)a/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0- 4412/16		युनिवर्सिटी के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के छः नामजद अभियुक्त के विरुद्ध एक राय होकर जालसाजी करना एवं गाली गलौज करते हुए मारपीट कर अभद्र व्यवहार करना तथा रंगदारी मांगने के आरोप पर दर्ज किया गया है।				भोला प्रसाद, पु0नि0 सह थाना प्रभारी, सदर, राँची।	निरीक्षक सह थाना प्रभारी, हिन्दपीड़ी, राँची 3.जय शंकर प्रसाद स0अ0नि0 खेलगाँव ओ0पी0, राँची 4.आरक्षी/2202 नित्यानंद गोस्वामी, 5. श्री अवधेष कुमार, थाना प्रभारी खेलगाँव थाना, राँची 6.आरक्षी/974 पवन कुमार	कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 3. आरोप पत्र सं0 25/16 दि0 28.09.16 समर्पित	
30	सदर (मेसरा ओ0पी0) थाना काण्ड सं0 49/16, दिनांक 06.02.16 धारा-366(ए)/376 भा0द0वि0 एवं 4 पोक्सो एक्ट एस0टीन0 240/16	1.गणेश मिश्रा पे0 चन्द्र शेखर मिश्रा, सा0 नेवरी, सदर (मेसरा ओ0पी0) थाना, राँची	नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार करना	जेल में	ए0जे0सी0- 7 राँची।		पवन राम पिता भीमा राम, सा0 सा0 नेवरी विकास, बाजार टांड, सदर (मेसरा ओ0पी0) थाना, राँची	1.पु0अ0नि0 नईमुहनी खाँ, मेसरा ओ0पी0, राँची 2.डॉ0 रष्मी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, राँची	1. पीड़िता हिना उर्फ छोटी 1.लाला राम पे0 किषोरी राम, सा0 नेवरी विकास, 2. ललित राम पिता दोबार केशवर राम, सा0 किषोरगंज, थाना सुखदेवनगर, जिला राँची 3.आनन्द राम पिता महेष्वर राम सा0 ओरमांझी बाजार, 4. साधु कुमार पे0 किषोरी लाल राम	1. पीड़िता का धारा-164 द्र0प0स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सकीय जाँच प्राप्त किया गया है। 3. आरोप पत्र सं0 87/16 दि0 11.03.16 समर्पित
31	सदर (मेसरा ओ0पी0) थाना काण्ड सं0 332/15, दिनांक 04.07.15 धारा-302/201/34 भा0द0वि0 एस0टीन0- 595/15	1.महेन्द्र महतो पे0 तुलसी महतो, सा0 होम्बई, थाना मेसरा ओ0पी0 जिला राँची	कांड का सारांश यह है कि वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा0 के नामजद अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या कर शव को छिपाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	ए0जे0सी0- 13 राँची।		वादी कालीचरण महतो पिता ललका महतो, सा0 पंचोली, थाना मेसरा ओ0पी0, जिला राँची	1. अ0क0 पु0अ0नि0 आनन्द किषोर प्रसाद, मेसरा ओ0पी0, राँची 2-रामस्वरु यादव, 3. राजेश्वर प्रसाद 4- मनोज कुमार सिंह, 02-04 तक एफ0एस0एल0 मोबाईल भेन टीम के सदस्य 5-डॉ0 संजय कुमार, रिम्स, राँची। 6-डॉ0 ज्योतिष गुड़िया, रिम्स, राँची।	1.लीलावती कुमारी (पे0 ललका महतो) पति अरुण महतो, सा0 हेसल, थाना अनगड़ा, जिला राँची 2. कासो देवी पति ललका महतो, सा0 पंचोली, थाना मेसरा ओ0पी0, 3.षिवम कुमार पे0 महेन्द्र महतो सा0 होम्बई 4. शाको देवी पति स्व0 तिखा महतो, सा0 मानकीढीपा, थाना टाटीसिल्वे, जिला राँची 5.आषा कुमारी के ललका महतो सा0 पंचोली, थाना मेसरा ओ0पी0, 6. रिता	1- मृतिका का अन्तय परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2- मृतिका के घर के पुजा वाली कमरे से खून लगा कई प्रदर्ष बरामद कर अलग-अलग जप्ती सुची बनाया गया है तथा जप्त प्रदर्ष का जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3- अभियुक्त महेन्द्र महतो का विधि विज्ञान प्रयोगशाला, गुजरात से पॉलीग्राफी जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 4- अभियुक्त द्वारा

									कुमारी पति बंधन महतो, सा0 टाटी, थाना टाटीसिल्वे, 7. मनसा महतो पिता स्व0 तीखा महतो, सा0 मानकीडीपा, थाना टाटीसिल्वे, जिला 8. विजय महतो पे0 साहेब राम महतो सा0 नया टोली, थाना मेसरा ओ0पी0, राँची	अनुसंधानकर्ता के समक्ष लिये गये ऐंलीबाई का खण्डण स्टेपन प्रबंधक से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 5-आरोप पत्र सं0 479/15 दि0 29.09.15 समर्पित	
32	सदर (मेसरा ओ0पी0) थाना काण्ड सं0 117/13, दिनांक 09.05.13 धारा-376 भा0द0वि0	रमेश उराँव पे0 गोसाई उराँव, सा0 मेसरा, स्थायी पता चामगुरु रूगड़ी टोली, थाना सेन्हा, जिला लोहरदगा	कांड का सारांश यह है कि वादिनी सोनी उराँव सा0 चामगुरु रूगड़ी टोली, थाना सेन्हा, जिला लोहरदगा वर्तमान (मुरली बाबु फ़ैक्ट्री में) मेसरा ओ0पी0, राँची के फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त रमेश उराँव बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में			सोनी उराँव पे0 रमेश उराँव, सा0 चामगुरु रूगड़ी टोली, थाना सेन्हा, जिला लोहरदगा	स0अ0नि0 सुनिल कुमार सिन्हा, मेसरा ओ0पी0, राँची 2.स0अ0नि0 जनार्दन प्रसाद सिंह, मेसरा ओ0पी0, राँची 3.डॉ0 उमा सिन्हा 4.डॉ0 विभा रानी 5. दीपावली (नर्स) सभी सदर अस्पताल, राँची।	1.बंसती उराँव पति रमेश उराँव, सा0 चामगुरु रूगड़ी टोली, थाना सेन्हा, जिला लोहरदगा वर्तमान (मुरली बाबु फ़ैक्ट्री में) मेसरा ओ0पी0, राँची 2.गोसाई उराँव पे0 स्व0 बिगा उराँव, सा0 चामगुरु रूगड़ी टोली, थाना सेन्हा, जिला लोहरदगा 3. इब्राहीम अंसारी पे0 सोहर अंसारी सा0 केदल थाना मेसरा ओ0पी0, राँची	1. पीड़िता का उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। 2. चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. पीड़िता एवं उनकी माँ का 164 द0प्र0स0 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। 4. आरोप पत्र 137/13 दि0 30.06.13 समर्पित	
33	चुटिया थाना काण्ड संख्या-107/12, दिनांक:-13.05.12, धारा-376/34 भा. द.वि.। एस0टी0न0-653/12	1. संजु लिण्डा उर्फ संजय लिण्डा, पिता स्व0 मंगल लिण्डा, पता न्यू गार्डन लाल सिरम टोली, थाना-चुटिया, जिला-राँची 2. कुन्दन मिश्रा, पिता सिद्धनाथ मिश्रा पता-झोपड़ पट्टी साउथ रेलवे कॉलोनी, थाना-चुटिया, जिला-राँची	बलात्कार करना	अभियुक्त सं0-01, संजु लिण्डा जेल में है। अभि0 सं0-2 कुन्दन मिश्रा न्यायालय द्वारा जमानत पर है।	ए0जे0सी0-प्रथम राँची।		ललिता उराँव (टोप्पो) पति मंगरा उराँव, पता न्यू गार्डन लाल सिरम टोली, थाना-चुटिया, जिला-राँची	1. अनुसंधानकर्ता विजय कुमार दास 2. डॉ0 रश्मि प्रसाद 2. डॉ0 अनिता 3. डॉ0 विभा तीनो सदर अस्पताल राँची	1. श्री सोमरा उराँव, पिता स्व0 मुण्डला उराँव, पता न्यू गार्डन सिरम टोली 2. श्रीमती चाँदा टाप्पो, पति श्रीहेमस टोप्पो, 3. दुर्गी टोप्पो, पिता श्री हमंग टोप्पो 4. श्री मनोज टोप्पो, पिता स्व0 मादो टोप्पो सभी पता न्यू गार्डन सिरम टोली थाना चुटिया, जिला-राँची	1. प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का 164 द0प्र0सं0 के तहत बयान कराया गया है। 2. पीड़िता का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. आरोप पत्र सं0 105/12 दि0 10.06.12 समर्पित किया गया है।	15.05.18
34	चुटिया काण्ड	1. अनिल साव उर्फ	हत्या करना	अभियुक्त			आशा देवी	1. पु0अ0नि0 गुप्तेष्वर राम	1. सुमित्रा देवी, पति	1. मृतक का अन्त्य	

	संख्या-121/15, दिनांक:-23.06.15, धारा-302/34 भा. द.वि.।	रोहित पिता सीमा राम साव, पता पक्का कुआँ छठ तलाब था-चुटिया, जिला-राँची 2. सूरज स्वाँषी उर्फ अलकतरा, पिता रामदास स्वाँषी, पता- सरनाटोली थाना-नामकुम, जिला-राँची		त संख्या- 1 अनिल साव उर्फ रोहित न्यायाल य द्वारा जमानत पर है, जबकि अभियुक् त 2. सूरज स्वाँसी अभी जेल में है।		(24वर्ष) पति छोडू उरॉव, पता पावर हाउस बुधिया बगान, थाना-चुटिया, जिला-राँची	2. पु0अ0नि0 दिनेष कुमार महली	स्व0 नन्दकिषोर साहु, पता पावर हाउस बुधिया बगान, थाना-चुटिया, जिला-राँची 2. रूपाली कुमारी उम्र-24वर्ष, पिता षिवा नायक, पता नायक टोली, थाना-चुटिया, जिला-राँची 3. शंकर नायक 24 वर्ष, पिता स्व0छेदी नायक, पता हटिया तालाब थाना-चुटिया, जिला-राँची 4. दीपक नायक, उम्र 13 वर्ष, थपता गब्बर राम, पता-हटिया तालाब, थाना-चुटिया, जिला-राँची 5. स्वाती कुमारी उम्र 18वर्ष, पिता बजरंग मुण्डा, पता सामलौंग घाट रोड, रेलवे क्रासिंग थाना-नामकोम, जिला-राँची 6. शनि राम, पिता छोदफ राम, पतासर्जनाचौक मैदान कांटा टोली थाना लोअरबाजार, जिला-राँची 7. अ0नि0 गुप्तेष्वर राम (अनुसंधानकर्ता) 9430350636	परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. आरोप पत्र सं0 178/15 दि0 20.09.15 एवं आरोप पत्र सं0 102/16 दि0 31.07.16 समर्पित	
35	चुटिया थाना कांड सं0-55/16, दि0-30.03.16 धारा-25(1-b)a 26/35 आर्म्स एक्ट।	1. राकेष कु0 सिंह, उर्फ डिम्पू सिंह, पे0-स्व0 शेषनाथ सिंह, सा0-कृष्णापुरी रोड नं0-10 बी0, 2. अनिल कु0 राम, पे0-षंकर राम,	अवैध आग्नेयाषस्त्र के साथ रंगेहाथ पकड़े जाना।	अभियुक् त-राकेष I कु0 सिंह, जेल में और अभियुक्		ब्रज किषोर भारती, पु0नि0-सह- थाना प्रभारी, चुटिया, राँची।	1. दीपक कुमार, पु0नि0-सह-थाना प्रभारी, हिन्दपीढी, जिला-राँची 2. स0अ0नि0 योगेन्द्रनाथ मिश्रा, चुटिया थाना, राँची, 3. आ0/837 चंदन कु0 सिंह,		1. दो देषी पिस्तौल 2. चार 9 एम0एम0 का जिन्दा गोली 3. परिचारी प्रवर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 4. उपायुक्त राँची से	

		सा0-द्वारिकापुरी दोनों, थाना-चुटिया, राँची।		त-अनिल कु0 राम, न्यायालय के द्वारा बेल पर है।				4. आ0/850 शषीभूषण कुमार, 5. चा0आ0/868 राजेश कुमार, तीनों चुटिया थाना-राँची, 6. अ0नि0 गुप्तेष्वर रामा अनुसंधानकर्ता, चुटिया थाना। 7. वादी ब्रजकिषोर भारती पु0नि0 सह थाना प्रभारी चुटिया		अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 5. आरोप पत्र सं0 71/16 दि0 22.05.16 समर्पित किया गया है।	
36	चुटिया थाना काण्ड संख्या-215/17, दिनांक-5.10.17, धारा-414/34 भा. द.वि.	1. सद्धाम हुसैन उर्फ हनी सिं उम्र 20वर्ष, करीब, पे0 मोहम्मद मंसूर 2. सद्धाम उर्फ कोरेन्ट उम्र 21वर्ष करीब, पे0 मोहम्मद रियाज, दोनो पता निजाम नगर छोटा तालाब, थाना-हिन्दपिठी, जिला-राँची	चोरी के समान के साथ पकड़े जाना	उक्त काण्ड में दोनो अभियुक्त जेल में है।			अनिल कुमार कर्ण, पिता स्व रघुनन्दन प्रसाद, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, चुटिया थाना, जिला-राँची	1. आ0/600 मनीष कुमार देव, सा0-नगडीहा, थाना-जमुआ, जिला-गिरीडिह 2 आ0/850 शषि भूषण कुमार, 3. आ0/837 चंदन कुमार दोनो पता अंगरक्षक थाना प्रभारी, चुटिया, 4. स.अ.नि. उमेश प्रसाद यादव (अनुसंधानकर्ता)	1-प्रा0 के नामजद दोनो अभियुक्त का पहचान परेड कराया गया है, जिसमे दोनो अभियुक्त के पहचाना गया है। 2 अभियुक्त के पास से जप्त समानो का टी0आई0पी0 कराया गया है, जिसमे गवाहो द्वारा बरामद सामानो का पहचान कराया गया है। 3- अभियुक्त के पास से लुटे गये सोने का समान बरामद किया गया है। 4- दोनो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-185/17 दि0-29.10.17 समर्पित किया गया है।		
37	लोअरबाजार थाना काण्ड संख्या-16/18, दिनांक-8.01.18 धारा-25(1-बी)ए/26/35 शस्त्र अधिनियम	1.मनवर उर्फ राजा, पे0 अषफाक, सा0-कांटाटोली पुरुलिया रोड 2. मनु कुरैषी 3. मोइनुद्दीन कुरैषी, दोनो पिता गुड्डू कुरैषी, सा0 कांटाटोली, थाना-लोअरबाजार, जिला-राँची 4. टपू पे0 नामालूम	दिनांक 8.01.18 को समय 13:30 बजे वादी को सूचना मिली की कांटा टोली कुरैषी मोहल्ला में दो पक्षो के बीच मारपीट हा रही है। उक्त सूचना पर वादी के द्वारा टाईगर-36, पी.सी.आर. -06 में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी तथा वरीय पदाधिकारियों को सूचना देते हुए घटनास्थल के पास	1 जेल 2 जेल 3 जेल 4 जमनात			स.अ.नि. ऐनुल हक खाँ	1. वादी स.अ.नि. ऐनुल हक खाँ, 2. आरक्षी 1816 आलोक कुमार, 3. अनु0कर्ता स0अ0नि0 अषोक कुमार सिन्हा, लोअरबाजार थाना 3. श्री. टी.के. झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर, राँची	1. तबरेज कुरैषी 2. जप्ती सूची का गवाह गुलाम सब्बीर उर्फ बब्लू 3. जप्ती सूची का गवाह बारिक कुरैषी	1. एक देशी कट्टा एवं 0315 का मिस फायर गोली जप्त किया गया है। 2. जप्त पिस्तौल एवं गोली का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. उपायुक्त, राँची का ज्ञापांक325(2)/विधि दिनांक-23.02.18 के माध्यम से स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है।	

			<p>पहुँचे। वादी के कुरैषी मोहल्ला पहुँचने पर देखे कि कुरैषी मोहल्ला में दो पक्ष आपस में गाली गलौज कर रहा है। इसी क्रम में एक व्यक्ति वहाँ से भागने का प्रयास करने पर टाईगर मोबाईल के आरक्षी के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम मनवर उर्फ राजा पिता अषफाक, सा0कांटाटोली, थाना-लोअरबाजार, जिला-रॉंची बताये तथा वहाँ उपस्थित दो व्यक्तियों के समक्ष पकड़ाये व्यक्ति का जमा तलाषी लेने पर मनवर उर्फ राजा के पास से एक देषी कट्टा भरा हुआ बरामद किया गया</p>					4.आरोप पत्र सं0-63/18दि0-05.03.18 समर्पित किया गया है।	
38	<p>लेअरबाजार थाना काण्ड संख्या-120/17, दिनांक 23.04.17, धारा-377 भा.द.वि. एवं 4 पोक्सो एक्ट</p>	<p>मे0 सरताज पिता मो0 असलम, सा0 मिल्लत कॉलोनी गली सं0-02 टिम्बर के बगल, थाना-लोअरबाजार, जिला-रॉंची</p>	<p>वादी एवं उनके भाई राकेष राजू वास्की के मकान में किराये में पत्थलकुदवा में रहकर पढ़ाई करते हैं। दिनांक 21.03.17 को वादी का भाई काफी डरा हुआ घर आये वादी केद्वारा पूछने पर बताया गया कि प्रा0अभियुक्त के द्वारा अप्राकृतिक यौचाचार किया गया। प्राप्त सूचना के आलोक में वादी के द्वारा प्रा0 अभियुक्त को पकड़ा गया तथा थाना पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर</p>	<p>न्यायिक अभिरक्षा मे</p>		<p>टमर कुजूर, पिता जेवियर कुजूर, सा0-जोरी थाना विषुनपुर, जिला-गुमला, हा0मो0 राकेष राजु बास्के मिल्लत कॉलोनी, पत्थलकुदवा, लोअरबाजार, जिला-रॉंची के मकान में किरायेदार</p>	<p>पु.अ.नि. अनिल कुमार गुप्ता, 2. चिकित्सा पदाधिकारी</p>	<p>1. अनमोल कुजूर 2. राकेष राजू वास्की 3. निकोलस टोप्पो</p>	<p>1. पीड़िता का 164 द0प्र0सं0 का बयान कराया गया है। 2. पीड़िका का चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 3. आरोप पत्र सं0 135/17 दि0 19.06.17 समर्पित किया गया है।</p>

			काण्ड अंकित कराया गया।							
39	लेअरबाजार थाना काण्ड संख्या-215/17, दिनांक 3.07.17, धारा-376 भा.द.वि. एवं 4/6/8 पोक्सो एक्ट	रितेश एक्का, पिता नेलसन एक्का,, सा0-पत्थलकुदवा, झारखण्ड स्कूल के नजदीक थाना-लोअरबाजार, जिला-राँची	दिनांक:-14.06.17 को दिन में समय करीब 12:00 बजे वादिनी के पिजा की तबीयत खराब होने के कारण वादिनी की माँ इनके पिताजी को लेकर अस्पताल ईलाज हेतु गई थी तथा वादिनी घर के आँगन में अकेली बैठी थी। इसके पश्चात् प्रा० अभियुक्त जो वादिनी का चचेरा भाई है घर के आँगन में आया और वादिनी से सब्जी माँगने पर वादिनी के द्वारा सब्जी नहीं बने होने की बात कहने पर रितेश एक्का वहाँ से चला गया। इसके पश्चात् वादिनी अपने घर की रसोई में खाना बनाने चली गयी तभी रितेश एक्का के द्वारा पुनःवादिनी से सब्जी की माँग करने पर वादिनी अपने हाथ में सब्जी लेकर रितेश एक्का के कमरे में गयी जहाँ रितेश एक्का कमरे का दरवाजा बन्द कर वादिनी के शरीर के सभी वस्त्र को उतारकर उसके साथ बलात्कार किया।	न्यायिक अभिरक्षा में			खुषी अंजु उम्र 13वर्ष, पिता सतीष एक्का, सा0-पत्थलकुदवा स्कूल के पास थाना-लोअरबाजार, जिला-राँची	1- अ०क० पु.अ.नि. मोहन कुमार, लोअर बाजार थाना। 2- डॉ० स्वाती, सदर अस्पताल, राँची 3- डॉ० सीमा गुप्ता, सदर अस्पताल राँची। 4- डॉ० तनुश्री, सदर अस्पताल, राँची।	1-वादिनी (पीड़िता) खुषी अंजु एक्का 2- साक्षी ममता एक्का 3- संतोष एक्का 4- मंगल एक्का	1- पिड़िता का जन्म प्रमाण प्राप्त कर काण्ड दैनिकी में अंकित किया गया है, जिसके अनुसार पीड़िता नबालिक है। 2- चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2- अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-183/17 दि०-23.08.17 समर्पित किया गया है।
40	लेअरबाजार थाना काण्ड संख्या-373/17, दिनांक 1.11.17, धारा-307/353 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए/26/27 शस्त्र अधीनियम	तौसिफ राजा कुरैषी, पे० फिरोज कुरैषी, सा०-कुरैषी मुहल्ला, कांटा टोली, थाना-लोअरबाजार जिला-राँची	दिनांक 1.11.17 को 20:10 बजे कॉलम तीन में अंकित अभियुक्त एनामुल के किराना दुकान में गोली चलाकर भाग रहा था, जिसकी सूना पर पुलिस के द्वारा अविलंब	जमानत पर			पु.नि. सुमन कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी, लोअरबाजार, राँची।	1. वादी पु.नि. सुमन कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी, लोअरबाजार, राँची 2-अ.नि. अनिल कुमार गुप्ता 3- अ०क० अ.नि. मोहन कुमार, 4- आ०/1816 आलोक	1. जप्ती सूची का साक्षी, ऐजाज अहमद, पे० गुलाम अहमद, सा०-कुरैषी मुहल्ला, कांटा टोली, 2. जप्ती सूची का साक्षी, जहीन अख्तर, पे० मो० एनामुल	1-एक पिस्टल, एक मिस फायर गोली एवं एक मैगजीन को जप्त किया गया है। 2- जप्त आग्नेयास्त्र का जांच परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र से कराकर जांच प्रतिवेदन प्राप्त

			कारवाई करते हुए अभियुक्त को पीछा कर पकड़ा गया। पकड़ने के दौरान अभियुक्त के द्वारा टाईगर मोबाईल के आ0/1816 आलोक कुमार के उपर फायर कर दिया, परन्तु गोली मिस फायर हो गया अभियुक्त को अवैध देशी पिस्तौल लोडेड बरामद किया गया				कुमार, 5. आ0/1418 अषीम केरकेट्टा, 6-चा.आ0 3525 जयराम यादव 7. श्री टी.के. झा. पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर राँची	पुरुलिया रोड, कांटा टोली, दोनो थाना लोअरबाजार, राँची कुल साक्षी संख्या 08	किया गया है। 3- अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास पाया गया है। 4-अभियुक्तों के विरुद्ध उपायुक्त राँची का ज्ञा0-2638(2)/विधि0 दि0-08.12.17 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 5-दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-338/17 दि0-28.12.17 समर्पित किया गया है।	
41	लेअरबाजार थाना काण्ड संख्या-250/17, दिनांक 1.11.17, धारा-307/353 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए/26/2 7 शस्त्र अधिनियम	1. मो. ईकबाल उर्फ घघा पे0 स्व0 मो0 मुस्तफा, सा0-कर्बला टैंक रोड, डोम टोली 2. मो0 फरदीन अली उर्फ जिम्मी, पे0 स्व0 सेराज, सा0 चर्च रोड विक्रांत चौक, 3. मो. सैफुल्लाह उर्फ सैफ पे.स्व. मुस्तकीन, सा0 नाजीर अली लन, 4. पंकल कुमार जायसवाल, पे0स्व0 जगदीस प्रसाद जयसवाल, साव-चर्च रोड इंदिरा मार्केट, सभी थाना-लोअरबाजार, 5. मो. मोज्जमिल आलम, पे0 मो0 आसलम, सा0 मोहिद नगर, वार्ड नं0-25 थाना हिन्दपीढ़ी, सभी जिला-राँची।	दिनांक 28.07.17 को रात्री करीब 20.30 बजे गुप्त सूचना मिली कि विक्रांत चौक के समीप कुछ अपराधकर्मी अपराध की योजना बना रहे है उक्त आसय का सन्हा कर पु.अ.नि. अनिल कुमार गुप्ता स. अ.नि. ऐनुल हक खॉ, हव/322 राजवल्लभ राय, आ./1418 असीम केरकेट्टा, आ./2824 प्रमोद कुमार मनमोजी के साथ उक्त स्थान पर पहुँचा तथा कॉल्म तीन में अभियुक्तों की तलाषी लेने पर दो अवैध पिस्टल एक 7.65 एम.एम. का एक 9 एम.एम. का एक जिन्दा गोली, 7.65 एम.एम. का चार एवं 9 एम.एम. का जिन्दा गोली कुल 5 कुल 9 जिन्दा गोली तथा एक डमी पिस्टल सात मोबाईल बरामद किया गया सभी अभियुक्तों को अवैध	1 जमानत 2 जमानत 3 जेल 4 जमानत 5 जमानत			पु.नि. सुमन कुमार सिन्हा, थाना प्रभारी, लोअरबाजार, राँची। 1. वादी पु.नि. सुमन कु0 सिन्हा, थाना प्रभारी, लोअरबाजार, राँची। 2. स.अ.न. ऐनुल हक खॉ 3. हव/ राजवल्लभ राय, 4. चा.आ. जयराम यादव, 5. अनु0कर्ता0 अ.नि.अनिल कुमार गुप्ता 6. श्री टी.के. झा, पुलिस उपाधीक्षक सह परिचारी प्रवर राँची	1. जप्ती सुची के साक्षी प्रभात प्रसाद, पे0 स्व राजेश्वर प्रसाद, चर्च रोड मेरिना टेलर के सामने 2. मो. नसीम पे स्व. मुस्तफा, सा0-चर्च रोड, पुराना लोअरबाजार, थाना के समीप दोनो थाना लोअरबाजार, जिला-राँची	1. दो पिस्टल एवं जिन्दा गोली बरामद किया गया है। 2. जप्त आग्नेयास्त्र का जाँच परिचारी प्रवर से कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। 2. उपायुक्त, राँची का ज्ञापांक-2205(2)/विधि दिनांक-25.09.17 के माध्यम से स्वीकृत्यादेश प्राप्त किया गया है। 3-आरोप पत्र सं0 210/17 दिनांक 28.09.17 समर्पित	

			हथियार एवं गोली रखने के संबंध में गिरफ्तार किया							
42	लालपुर थाना काण्ड सं०-261/17 दि०-28.08.17 धारा-394/302/3 4 भा०द०वि० ।	चंदन कच्छप उर्फ डॉक्टर उर्फ रोहित मुण्डा, पे०-सूरज कच्छप, सा०-नगड़ा टोली, थाना-लालपुर, जिला-राँची ।	यह काण्ड वादी सनिचरवा उराँव, पे०-स्व० बंधन उराँव, सा०-करमटोली अखाडा के पास, थाना-लालपुर, जिला-राँची के फर्दब्यान के आधार पर प्रा० अभि०- 1 चंदन कच्छप उर्फ डॉक्टर उर्फ रोहित 9मुण्डा, पे०-सूरज कच्छप, सा०-नगड़ा टोली, थाना-लालपुर, जिला-राँची के विरुद्ध लूट एवं हत्या के आरोप में दर्ज किया गया है । काण्ड का सारंश यह है कि वादी व्यवहार आँख अस्पताल में माली का काम करते हैं एवं ये चार बहन एवं दो भाई हैं जिसमें सबसे बड़े वादी ही हैं एवं इनसे छोटी इनकी चार बहने हैं एवं उन सभी की शादी हो चुकी है । और वे सभी अपने अपने सुसराल में रहती हैं ।	न्यायिक हिरासत में			सनिचरवा उराँव, पे०-स्व० बंधन उराँव, सा०-करमटोली अखाडा के पास, थाना-लालपुर, जिला-राँची ।	पु०अ०नि० बी०बी० कुजुर	1 प्रवीण उराँव, पे०-स्व० लीला उराँव, सा०-करमटोली अखाडा के पास, थाना-लालपुर, जिला-राँची, 2. रवि मिंज, पे०-झरी मिंज, सा०-करमटोली अखाडा के पास, थाना-लालपुर, जिला-राँची, 3. सुमन टोप्पो, पति-सनि टोप्पो, सा०-करमटोली प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-लालपुर, जि०-राँची, 4. निक्की तिर्की, 5. निकासी तिर्की, 6. निशान्त तिर्की तीनों पे०-स्व० -लाला तिर्की, सा०-करमटोली प्रोफेसर कॉलोनी, थाना-लालपुर, जि०-राँची, 7. डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट फोरेंसिक साईंस मेडिसीन रिम्स	1- एफ०एस०एल० टीम द्वारा घटनास्थल से रक्त का नमूना एवं अन्य सामानों को जप्त किया गया है । 2- अनुसंधानक द्वारा घटनास्थल से खून लगा पत्थर को बरामद कर जप्त किया गया है । 3- प्रा० अभि० के पास से उनके पहने हुए हाफ पेंट जिसमें खुन लगा है को जप्त किया गया है । तथा उक्त सभी समानों का जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कराया गया है । 4- मृतिका का अन्तय परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । 5- प्रा० अभि० के पास से काण्ड में लुटा गया जेवरात इत्यादि को अभियुक्त के पास से बरामद कर उसका विधिवत पहचान परेड कराया गया है, जिसमें पहचान किया गया है । 6- आरोप पत्र सं० 218/17 दि० 24.11.17 समर्पित

			<p>तथा इन बहनों से छोटा एक भाई है। वादी द्वारा बताया गया कि मृतिका अंजली तिर्की उर्फ झुनी तिर्की अपने बहनों में तीसरे नं0 पर है। और वह अपने बच्चों के साथ लोअर करमटोली स्थित अजय उराँव के मकान में किराये में रहती थी। इनकी मृतिका बहन के पति का देहान्त आठ वर्ष पूर्व बिमारी के कारण हुआ था, एवं वर्तमान में इनकी मृतिका बहन अपने दो बच्चों के साथ रहती थी तथा रेजा का काम कर बच्चों का पालन पोषण करती थी। इनके द्वारा बताया गया कि दिनांक- 28.08.17 को लगभग 1.00 बजे ये अपने घर में खाना खाने के लिये आये थे और खाना खाकर आराम कर रहे थे। इसी क्रम में करीब 3.00 बजे इनकी भगिनी रोते हुए</p>						<p>राँची, 8. डॉक्टर रोहन कुमार, जूनियर रेसीडेन्ट एकेडमी डिपार्टमेन्ट ऑफ फोरेंसिक मेडिसीन एण्ड टेक्नोलॉजी रिम्स राँची, 9. डॉक्टर ए0आर0 मुस्ताक, मेडिकल ऑफिसर सदर अस्पताल राँची, 10 ज्वाला कुमार नंद, साईंटिफिक असिस्टेन्ट एस0एफ0एस0एल0 होटवार राँची, 11 डॉक्टर अजय राणा, एस0एफ0एस0एल0 होटवार राँची, 12. श्री धनंजय राम, अंचल अधिकारी शहर राँची, 13 डॉक्टर जहाँगीर ईमाम, एस0एफ0एस0एल0 होटवार राँची।</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

			<p>आयी और बोली उनकी माँ के सिर पर कोई मारकर गोदी निकाल दिया है। जिसपर ये अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को बताये और उन सभी के साथ करमटोली स्थित अपने बहन के घर गये। जहाँ पहुँच कर इन्होंने देखा कि इनकी बहन कमरे में जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है। एवं उनके सिर पर गहरा जखम था तथा उसके बगल में खून लगा हुआ एक पत्थर पड़ा हुआ था। साथ ही उनके कमरे में रखा अलमीरा का दरवाजा खुला हुआ था एवं सारा सामान घर में बिखड़ा हुआ था। पूछ-ताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इनकी मृतिका बहन पूर्व में किसी डॉक्टर नाम के लड़के के घर में आने जाने की बात बताई थी। तथा यह भी बतायी थी कि वह इनकी बहन के</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>घर से कांसे का वर्तन चुराया था जिस कारण इनकी बहन का उक्त डॉक्टर नाम के लड़के साथ झगड़ा भी हुआ था। इनके द्वारा अपने ब्यान में बताया गया कि इन्हे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर नाम के लड़के द्वारा इनकी बहन का पत्थर से सिर कुचल कर हत्या कर दिया गया है एवं इनकी बहन की घर की सामान को लूट लिया गया है।</p> <p>अभि० चंदन कच्छप के द्वारा अपने दिये गये स्वीकारोक्ति ब्यान में उक्त घटना हत्या एवं लूट के संबंध में अपनी संलिप्त स्वीकार किये। और लूट गये सामानों का टी०आई०पी० में पहचान की पुष्टि हुई।</p>							
43	सुखदेवनगर (पंडरा) 132/16 दि० 07. 03.16 धारा 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट	कामेश्वर उरॉव पे० रामदेव उरॉव सा० बरगॉव थाना टंडवा जिला चतरा	अवैध आग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना	जेल		वादी पु०अ०नि० शंभु प्रसाद कुषवाहा, प्रभारी पंडरा ओ०पी० रॉची	1. वादी पु०अ०नि० शंभु प्रसाद कुषवाहा, प्रभारी पंडरा ओ०पी० 2. आ० 1035 लालबिहारी पाण्डेय पिता छटु पाण्डेय सा० बनाही थाना शाहपुर जिला भोजपुर बिहार,		1. एक देशी पिस्तौल 2. दो 9एम०एम० का गोली 3 परिचारी प्रवर का जॉच प्रतिवेदन 4. . उपायुक्त रॉची का ज्ञापांक 1207(ii)/विधि	

	जी0आर0-1409 / 16 एस0टी0-354 / 16						चालक पंडरा ओ0पी0 3. आ0 1930 जयप्रकाश राय पिता स्व0 सुरेन्द्र राय सा0 बालबोध थाना चरपोखरी जिला भोजपुर बिहार सषस्त्र बल पंडरा ओ0पी0 4. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 सेवेस्टीयन बारला 5. श्री तुषारकांत झा, परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र राँची		दिनांक 05.05.16 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त । 5. आरोप पत्र सं0 226 / 16 दि0 05.05.16	
44	डोरण्डा 192 / 13 दि0 30.04.13 धारा 302 / 201 भा0द0वि0 जी0आर0 2199 / 13 एस0टी0 नं0 587 / 13	अनिता देवी पिता रामेश्वर कुमार पति बबलु महली सा0 मेकॉन कॉलोनी सर्वेन्ट आवास सं0 डी0-02 थाना डोरण्डा राँची	वादी की पत्नी प्राथ0अभि0 अनिता देवी द्वारा अपने पुत्र पियूस (9 वर्ष) को टांगी से मारकर हत्या करना	जेल		बबलु महली पे0 स्व0 बन्धना महली सा0 मेकॉन कॉलोनी का सर्वेन्ट आवास सं0 डी0-02 थाना डोरण्डा राँची	1. डॉ0 ज्योति आषा चम्पी, रिम्स राँची 2. अनुसंधानकर्ता पु0अ0नि0 भोला राम	1. बबलु महली पे0 स्व0 बन्धना महली 2. मोहन महली पे0 कण्डुनी मोहली 3. मुन्नी देवी पति मोहन मोहली 4. राधा कुमारी पे0 मोहन मोहली 5. सोमरा महली पिता कण्डुनी मुहली सभी सा0 सा0 खिजुर टोली थाना पालकोट जिला गुमला वर्तमान डी0-02 मेकॉन कॉलोनी डोरण्डा राँची	1. घटना मे प्रयुक्त लोहे का टांगी 2. मृतक का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन 3. आरोप पत्र सं0 235 / 13 दि0 31.05.13	
45	गोन्दा 38 / 15 दि0 17.12.15 धारा 302 / 120बी / 34 भा0द0वि0 जी0आर0-7314 / 15, एस0टी0-235 / 16	रेयाज उर्फ भोला पावरिया, पे0-केशवर पावरिया, सा0-पंडरा, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा ।	अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा घर में घुस कर वादिनी के पति-संजय कुमार को तेजधार हथियार से मारकर जख्मी करना, जिससे इलाज के क्रम में मृत्यु होना ।	जेल में ।		कलावती देवी, पति-स्व0 संजय कुमार, सा0-हातमा, थाना-गोन्दा, जिला-राँची ।	1. तत्कालिन अनु0कर्ता रमेश कुमार, पु0नि0-सह-थाना प्रभारी गोन्दा, 2. डॉ0 ज्योतिष गुडिया, रिम्स राँची, 3. श्री धीरेन्द्र प्रसाद, राजकीय अंगुलांक, परीक्षक, अप0अनु0वि0, झारखण्ड, राँची 4. सुधाकर कुमार, राजकीय अंगुलांक, परीक्षक, अप0अनु0वि0, झारखण्ड, राँची 5. अ0नि0 शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, अप0अनु0वि0, झारखण्ड, राँची	1. वादिनी कलावती देवी, पति-स्व0 संजय कुमार,सा0-हातमा, थाना-गोन्दा, जिला-राँची । 2. साक्षी-नंदु प्रसाद पे0-स्व0 हिरालाल राम, सा0-रिकली टोला, थाना-गोन्दा, जिला-राँची, 3. राजेन्द्र नायक पे0-स्व0-मथुरा नायक, सा0-हातमा टंगरा टोली, थाना-गोन्दा, जिला-राँची । 4. साक्षी-राजेन्द्र कुमार, पे0-स्व0	1. खुन लगा चापड़ 2. एक खुन लगा चाकु, 3. आरोप पत्र सं0-50 / 16, दि0-14. 04.16	

									सोहराय महतो, सा0-दीवाडीह, जेवियर कॉलोनी, थाना-डोरण्डा, जिला-राँची 5. साक्षी-कार्तिक महतो, पे0-रविन्द्र महतो, सा0+थाना-तुपुदाना, जिला-राँची। 6. साक्षी-प्रिया कुमारी, पे0-अजय कुमार, सा0-हातमा, थाना-गोन्दा, जिला-राँची।		
46	धुर्वा (तुपुदाना) थाना कांड सं0-246/15, दि0-17.09.15 धारा-302/201/3 4 भा0द0वि0,	ऐतवा दास, पे0-बंधन दास, सा0-देवगाई, थाना-धुर्वा (तुपुदाना), जिला-राँची।	प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा वादी की माँ-नीलम देवी एवं उनके बच्चे की हत्या करना।	जेल में।			पूजा कुमारी, पे0-फागु मांझी, सा0 उकड़ीमंडी, जबराटोली, थाना-तोरपा, जिला-खुंटी।	1.डॉ कुमार सुभेन्दु, रिम्स राँची, 2. स0अ0नि0 अरविन्द कुमार, तुपुदाना ओ0पी0,	1. वादी-पूजा कुमारी, पे0-फागु मांझी, सा0 उकड़ीमंडी, जबरा टोली, थाना तोरपा, जिला-खुंटी। , 2. साक्षी-सोहराय दास, पे0-स्व0 दुर्गा दास, सा0-देवगाई, गोसाईंटोली, 3. दषमी मुण्डा पति-जीतु मुण्डा, 4. मगदली होरो, पति-आनंद मसी होरो, सा0-देवगाई गोसाईंटोली, थाना-धुर्वा (तुपुदाना) 5. फेकल सिंह मुण्डा, पे0-खुषी सिंह, मुण्डा, सा0-देवगाई, 6. डोम्बा तिग्गा, पे0-रुस्तम तिग्गा, सा0-देवगाई, 7. निमिला कच्छप, पति-कोने कच्छप, सा0-देवगाई, 8. तारामनी देवी,	1. आरोप पत्र सं. -246/15, दि0-10.12. 15 2. मृतिका का अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।	
47	ओरमांझी थाना कांड सं0 64/17, दिनांक 31.05.17 धारा, 25	(1) जगु करमाली, पे0 स्व0 तेजु करमाली, सा0 बनखेता, थाना+जिला रामगढ	अवैध आग्नेयास्त्र गोली एवं वर्दी छिपाकर रखना।	1. जेल 2. जेल 3. जेल 4. जेल	कोर्ट-सी0ज ी0एम0।		पु0नि0 सुमन कुमार सुमन, पे0 नागेष्वर मंडल, सा0	01. पु0अ0नि0 पंचानंद मुर्मू अनुकर्ता 02. श्री तुसारकांत झा परिचारी प्रवर पु0के0, राँची			

	(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट। जी0आर0 नं0- 2703/17,	(1) गोपाल ठाकुर उर्फ सुनील सिंह, पे0 लालगोविन्द ठाकुर, सा0 चोरगोविन्द, (2) राजेश कुमार साहु उर्फ ठिकरी, पे0 स्व0 छोटेलाल साव, सा0 ललपनिया बस्ती, (3) अजय भगत, पे0 प्रेमनाथ भगत, सा0 ललपनिया, (4) रतन बेदिया, पे0 छट्टु बेदिया, (5) सोहराय बेदिया, पे0 सोमरा बेदिया, दोनो सा0 खपिया, (6) संजय बेदिया, पे0 सोहराय बेदिया, सा0 कोड़ी, तीनो थाना बरकाकाना, जिला रामगढ		5. जेल 6. जमानत 7. जेल			रतनपुर, थाना पोडैयाहाट, जिला गोड्डा।	विषेपज्ञ 03. अ0नि0 होन्द्र कुमार चौधरी थाना नरकोपी, 04. स0अ0नि0 मदन मिश्रा ओरमांझी थाना 05. अर्जून ठाकुर ओरमांझी, 06. आ0/1004 मुनेष ठाकुर 07. आ0/ लालू लोहरा			
48	अनगड़ा थाना कांड सं0 84/17, दिनांक 13.11.17, धारा 399/402 भा0द0वि0 एवं 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट। एस0टी0न0- 94/18	(1) प्रेम कुमार महतो, पे0 धनेष्वर महतो, सा0 चिलदाग, (2) परवेज अंसारी उर्फ बिरल, पे0 शमीम अंसारी, सा0 चिलदाग, (3) मुस्तफा खान, पे0 मुस्तकिम खान, सा0 महेशपुर, (4) गौतम कुमार उर्फ गौतम कुमार चौधरी, पे0 दुगेश्वर चौधरी, सा0 सालहन, सभी थाना अनगड़ा, जिला रांची, (5) उपेन्द्र महतो, पे0 भुमेश्वर महतो, सा0 चेहर, थाना+जिला रामगढ के विरुद्ध समर्पित।	हरवे हथियार से लैस होकर डकैती की योजना बनाना।	1. जमानत 2. जमानत 3. जेल 4. जमानत 5. जमानत	ए0जे0सी0- 18 राँची।		पु0अ0नि0 रामबाबू मंडल, थाना प्रभारी अनगड़ा, जिला-राँची।	1 पु0अ0नि0 रामबाबु मंडल, थाना प्रभारी अनगड़ा जिला रांची। 2. पु0अ0नि0 मुकेश कुमार सिंह, 3. स0अ0नि0 अरुण कुमार, 4 आ0/ 1886 विनोद टुडू, पे0- श्री चन्दन टुडू, 5 आ0/2108 कान्हु मराण्डी, 6. आ0/1748 मनिष कुमार सोरेन, 7. स0अ0नि0 प्रदीप कुमार सह सभी थाना अनगड़ा, जिला-राँची।			
49	अनगड़ा थाना कांड सं0- 01/18, दिनांक- 02.01.18, धारा- 341/323/376डी	1. मदन मुण्डा, पे0-रंथु मुंडा, 2. लखी राम मुंडा, पे0- पूर्णमांझी मुंडा, 3. दामोदर मुंडा, पे0-	सामुहिक बलात्कार करना।	1. जेल 2. जेल 3. जेल		सुमी देवी जौजे-रतिया मुण्डा, सा0-अमरुद बागान,	1. स0अ0नि0 प्रदीप कुमार साह, 2. डॉ0 वैदिता एम0ओ0 सदर अस्पताल	1. रतिया मुंडा, पिता- लालमोहन मुंडा, सा0- अमरुद बागान जराटोली, 2. पुईतु मुण्डा, पे0-			

	0 भा0द0वि0	पलटन मुंडा, सभी सा0- ग्राम जीदू थाना-अनगड़ा, जिला-राँची।					जराटोली, थाना- अनगड़ा, जिला-राँची।		चामू मुण्डा, 3. संजय मुण्डा, पे0 स्व0 झरिया मुंडा, सा0-जीदू बरवाटोली थाना अनगड़ा, जिला राँची।		
50	सिल्ली (मुरी) थाना कांड सं0- 105 / 17, दिनांक- 06.01.17, धारा- 341 / 307 / 302 भा0द0वि0 एस0टी0न0- 241 / 18	राज किषोर महतो, पे0-रामपदो महतो, ग्राम-ब्रहमणडीह, थाना-सिल्ली (मुरी), जिला-राँची।	हत्या करने के आरोप में।	जेल में	जे0सी0, राँची।		विलासी देवी, पति-अजय कुमार महतो, ग्रा0-सिल्ली नीचे टोला, थाना-सिल्ली, जिला-राँची	1. पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार पाण्डेय, 2. डॉ0 बी0एन0 चौधरी, सामुदायिक स्वा0 केन्द्र सिल्ली, राँची।	1. मनोज महतो, पे0- गामा महतो, सा0-लोवापीढ़ी, 2. अजीत कु0 महतो, पे0- महेन्द्रनाथ महतो, सा0-नीचे टोला, सिल्ली, 3. मधुसदन महतो, पिता- स्व0 हरिचरण महतो, सा0-लोवादाग, 4. संदीप कुमार महतो, पिता- अजय कुमार महतो, सा0-नीचे टोला सिल्ली, 5. राजीव कुमार महतो, पिता-स्व0 ज्योति प्रसाद सा0- नीचे टोला सिल्ली, 6. सुरेश मुंडा, पे0- हरिहर सिंह मुंडा, सा0-सिल्ली, 7. मिथुन रजक, पे0- हारू रजक, सा0- सिल्ली रजक टोला, 8. सुरज उपाध्याय, पिता- मनोरंजन उपाध्याय, सा0- सिल्ली महतो टोला सभी थाना-सिल्ली, जिला-राँची।		
51	काँके थाना काण्ड सं0-06 / 18, दिनांक-13. 01. 18 धारा-376भा0द0वि0 एवं धारा-4 पोक्सो एक्ट।परिवर्तित धारा-376 भा0द0वि0 एवं	बिनोद नायक पे0 स्व0 बिगन लोहरा सा0-सुकुरहुट्ट उत्तरी, थाना-काँके, जिला-राँची।	यह कांड वादी प्रमीला देवी (उम्र- 40वर्ष) पति-स्व0 इन्दुवा लोहरा, ग्राम- सुकुरहुट्ट, थाना- काँके, जिला-राँची के	अभियुक्त जेल में			प्रमीला देवी पति स्व0 इन्दुवा लोहरा, सा0-सुकुरहुट्ट थाना-काँके, जिला-राँची।	पु0अ0नि0 लालजी यादव।	.1अर्पणा बाड़ा पति जॉनसन - -सा0,मसीह सुन्दरनगर-थाना, । राँची-जिला,काँके .2मानसी देवी		

	<p>घारा-6/10 पोक्सो एक्ट</p>		<p>लिखित आवेदन के आधार पर बिनोद नायक (उम्र-45 वर्ष) पिता-स्व० विगना लोहरा,सा०-सुकुरहुट्ट,थाना-काँके,जिला-राँची के विरुद्ध वादी की लड़की खुशबू कुमारी (उम्र-10वर्ष) के साथ गलत काम करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। पीड़िता खुशबू कुमारी का दिनांक-16.01.2018 को माननीय न्यायालय में द० प्र० सं० का बयान कराया गया है। खुशबू कुमारी का मेडिकल कराया गया तथा बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानकर्ता द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त बिनोद नायक पिता-विगना लोहरा को दिनांक-15.01.2018 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अनुसंधानोंपरान्त आरोप पत्र सं०-</p>						<p>पति नारायण रूप - -सा०,लोहरा सुकुरहुट्ट-थाना, राँची-जिला,काँके .3रोहिणी देवी पति लाल हीरा- -सा०,,लोहरा सुकुरहुट्ट-थाना, । रांची-जिला,काँके .4कमला देवी पति अजय- -सा०,लोहरा सुकुरहुट्ट-थाना, । रांची-जिला,काँके .5फगुनी देवी पति,लोहरा काली- -सा० सुकुरहुट्ट-थाना, । रांची-जिला,काँके</p>		
--	------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			40/18,दिनांक- 25.02.2018 समर्पित की गयी है।								
52	काँके थाना काण्ड सं०-26/18, दिनांक-05.02.18 धारा-25(1-b)(a)/26/35 आर्म्स एक्ट। जी०आर०न०-854/18		यह कांड वादी पु 0 लालजी नि० अ० काँके यादव के राँची,थाना एवं आवेदन लिखित के सूची जप्ती दिवाकर पर आधार -पिता सिंहबिन्देश्वर सिंह-सा०,आश्रम ब्यौज हॉस्टल पी 0 कम्पाउण्ड पी० -थाना,हिन्दपीढी -जिला,हिन्दपीढी विरुद्ध के राँची गोली हथियार अवैध जाने पकड़े साथ के में आरोप के। हुआ प्रतिवेदित में क्रम के अनुसंधान -दिनांक 06.02.2018 को प्रा को अभि० 0 में हिरासत न्यायिक ह गया भेजा है। अनुसंधानो परान्त आरोप पत्र सं-0 ,18/53दिनांक- 14.03.2018 समर्पित की गयी है।	जेल	सी०जे०एम०, राँची।		पुनि० अ० 0 लालजी यादव पिता - राम श्री अयोध्या -सा०,यादव पुरानी साहेबगंज थाना,+जिला। साहेबगंज-	पुनि० अ० 0 अर्जुन कुमार पासवान	.1हव-591/0 अरविन्द सिंह बल सशस्त्र, रिर्जव थाना काँके गार्ड .2आ 3062/0 ,मराण्डी सुमाई काँके बल सशस्त्र। गार्ड रिर्जव थाना .3आ 3500/0 सुरेश सशस्त्र,मराण्डी थाना काँके बल गार्ड रिर्जव .4आ 1386/0 काँके उराँव दिनेश गार्ड रिर्जव थाना .5बिरेन्दर कुमार सिंह पिता स्व०-एस०,सिंह परमान्द एस आई० के गार्ड सिक्युरिटी सुरक्षा पदाधिकारी सी पी० 0आई०। कैम्पस		
53	पिठौरिया थाना काण्ड सं० 14/17 दिनांक 26.01.17 धारा	पंकज साहु पे० गणेश साहु, सा० पिठौरिया, थाना पिठौरिया, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के फर्दब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध गोली मारकर	जेल	सी०जे०एम०, राँची।	शिवव्रत साहु पे० चमरू साहु, सा० सा० पिठौरिया, थाना	1. अ०नि० चुनुवा उराँव 2. पुलिस उपाधीक्षक, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, राँची।	1 अजय महतो पे० रामचन्द्र महतो, 2. उत्तम कुमार महतो पे० महावीर महतो, 3.	1 जप्ती सूची 2 सी०सी०टी०वी० फुटेज 3 चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन।		

	324 / 326 / 307 / 120बी0 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट, एस0टी0 नं0 339 / 17		जख्मी करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।			पिटौरिया, जिला राँची।	3. डॉ0 शशिकांत साडंगी, रिम्स, राँची। 4. डॉ0 अमृत शिला शरण, रिम्स, राँची।	मधु साहु पे0 स्व0 चमरु साहु, 4. बसंती देवी पति शिवव्रत साहु, 5. बुतन उरांव पे0 बिगल उरांव, सभी सा0 मेन रोड पिटौरिया, थाना पिटौरिया, जिला राँची।		
54	टाटीसिल्वे कांड सं -022 /16/ दि-001.04.16 धारा -393 भा एवं 0द0वि0 -1)25b)a/ 26 35/शस्त्र अधि0 जी0आर0न0— 1910 / 16	चिंन्टू बडाईक उर्फ संदीप बडाईक उर्फ छारा पे उदित 0 बडाईक नारायण आरा सा0 बड़काटोली थाना - टाटीसिलवे जिला - राँची	इस काण्ड का सराँश यह है कि वादी उत्तम दत्ता पे स्व0 0 दत्ता नाथ पारस रोड़ संतानगर सा0 थाना 15 नं0 पूर्वी जिला मानगो (जमशेदपुर)सिंहभूम के बयान फर्द के पर आधार नामजद प्राथमिकी चिंन्टू अभि0 संदीप उर्फ बडाईक छारा उर्फ बडाईक नारायण उदित पे0 आरा सा0 बडाईक बड़काटोली थाना - टाटीसिलवे जिला - राँची एवं अन्य के विरुद्ध प्रतिवेदित हुआ है। अभियुक्तों द्वारा हथियार का भय दिखाकर लुट का प्रयास किया गया जिस क्रम में प्राथमिकी अभि 0 को बडाईक चिंन्टू गया किया गिरफ्तार	जेल में	सी0जे0एम0 राँची।	वादी – उत्तम दत्ता पे स्व0 0 नाथ पारस सा0 दत्ता रोड़ संतानगर थाना 15 नं0 मानगो पूर्वी,जिला सिंहभूम (जमशेदपुर)	अनु .1 -0कर्ता पु 0अ0नि0बालेश्वर प्रसाद,टाटीसिलवे थाना राँची। मो -नं0 0 8292459699।	स्वतंत्र गवाह - मोहन यादव,पिता- रामानंद यादव , -सा0शेरघाटी बालासोर थाना रोशनगंज जिला गया .2 (बिहार) सुना यादव पे 0 सा0 यादव राजदेव थाना रंगनीया गया जिला आमस .3 (बिहार) अवधेश यादव पे 0 सा0 यादव महेन्द्र थाना बिरमाली जिला चन्द्रदीप (बिहार) जमुई पे0 यादव पप्पु.4 श्यामदयाल,सा0, महताबगंज थाना , जिला ,अकबरपुर। (बिहार) नवादा	.1बरामद आर्म्स .2आर्म्स जाँच प्रतिवेदन। कारगर – .3उपायुक्त महोदय द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृत प्रतिवेदन। .4अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं 0 - दिनांक को 16/33 16/05/28समर्पित किया गया है।	

			बरामद हथियार एवं अनसंधान । हुआ आरोप उपरारान्त को 16/33 सं0 पत्र 16/05/28- दिनांक समर्पित किया गया है ।							
55	टाटीसिल्वे थाना काण्ड सं0- 86/16 दि0- 30. 11.16, धारा- 25(1-बी)ए/26 शस्त्र अधि0 ।	प्रेम प्रकाश बारला उर्फ शम्मी उम्र 28 - वर्ष पिता स्व0 - -ग्राम, बारला पीटर , मुरहू -थाना , जोबे , खूँटी -जिला /हा0मो -0 बिरसा चौक -थाना , -जिला , जगरनाथपुर । राँची	इस काण्ड वादी को दिनांक 30.11.16- को बजे 11.00 गुप्त में पूर्वाह्न कि मिली सूचना के गिरोह बादशाह अपराधकर्मी कुख्यात एवं नगड़ी थाना के हत्या एवं आर्म्स एक्ट के अपराधी टाटीसिलवे थाना क्षेत्र अन्तर्गत सरला बिरला स्कूल के पास एकत्रित होकर कोई घटना को अन्जाम देने वाले हैं । इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में प्रा 0 प्रकाश प्रेम अभि0 से पास के बारला देशी लोडेड एक दाहिने एवं पिस्तौल पॉकेट से एक जिन्दा गोली बरामद हुआ है । अनुसंधान उपरांत आरोप पत्र सं -0 -दि0 17/03 -धारा 15.01.17	जेल में		वादी आर0 - सिंह पी0 -सह पु0नि0 प्र0 था0 टाटीसिलवे । राँची , थाना	अनु .1 -0 कर्ता सुशी स0अ0नि0ल कु 0 पदस्थापन वर्तमान सिंह , थाना मैक्लुस्कीगंज -नं0 मो0 । राँची । 8404971996 गवाह .2 -राजेन्द्र कु 0 पु0नि0 तत्कालीन दूबे नामकुम प्र0 था0 - सह कु0 अजय .3 , थाना तत्कालीन सिंह थाना पु0अ0नि0 , थाना नगड़ी प्रभारी .4 राँचीबालेश्वर प्रसाद पु टाटीसिलवे 0अ0नि0 .5 राँची , थाना हव-0 पासवान विष्णुदेव 234 .6 पु सीताराम 1671-0 .7 उराँवपु 939 -0 बिल विपिन ुंग .8 पु अनिल 1703 -0 .9 सुरीन आर्म्स जाँच - परिचारी झा के0 टी0 । राँची केन्द्र पु0 प्रवर	स्वतंत्र गवाह - यादव कु0 अनिल सिंह जगत -पिता -सा0 , यादव सरला बिरला स्कूल सेन्टोरियम , , टाटीसिलवे -थाना .2 राँची -जिला अरविन्द मिश्रा पिता प्रदुमन - -सा0 मिश्रा आरा गेट, पो - 0 महिलौंग- थाना , , टाटीसिलवे । राँची -जिला	.1 बरामद आर्म्स .2 आर्म्स जाँच प्रतिवेदन । कारगर - .3 उपायुक्त महोदय द्वारा दी गई अभियोजन स्वीकृत प्रतिवेदन । .4 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र सं -0 -दि0 17/03 समर्पित 15.01.17 । गया किया .5 M.R- 10/17	

			-1)25b)a/ 26 शख्र अधि अन्तर्गत के 0 समर्पित किया गया है।							
56	सिल्ली थाना काण्ड सं०- 89/14 दि०- 13.10.14, धारा- 147/148/149/303/353/120बी भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए०/26/27/35 आर्म्स एक्ट, 4/5 वि०पदा० अधि० 17 सी०एल०ए० एक्ट एवं 10/13 यु०ए०पी० एक्ट।	मुखलाल महतो उर्फ भगत जी उर्फ मोछु, पे०- चैता महतो, सा०- कैलुबेरा टोला जमुनी जारा थाना- महुटाड़ जिला- बोकारो।		जेल				1 स०अ०नि० भैया राम उरांव 2 आ०/3328 सुभाष दुबे, 3 आ०/2881 जय मंगल कृजुर 4. आ० अमोल कोनगाडी, 5 पुलिस उपाधीक्षक अनील शंकर, 6 पुलिस उपाधीक्षक अमित कच्छप 7 पुलिस उपाधीक्षक सतीष चन्द्र झा		
57	रातु थाना कांड सं०-94/17 दि०-16.05.17 धारा-399/402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट, ए०स०टी० नं०-413/17	1. बेलाल खां पिता जमाल खां सा० टोटो थाना+जिला गुमला 2. सजल कुमार महतो पित शिवलाल महतो सा० हरातु महिलौंग दोनो थाना रातु जिला रांची 3. मिथलेश महतो पिता बरतु महतो सा० सरायटोली महिलौंग दोनो थाना रातु जिला रांची 4. रंजीत तिकी उर्फ मोटा पिता साधु तिकी सा० टोंगरीटोला थाना रातु वर्तमान पीपरटोली थाना अरगोडा 5. पप्पु मुंडा पिता लोधा मुंडा सा० टोंगरीटोला थाना रातु जिला रांची 6. चुन्दा उरांव पिता बलिया खलखो सा० चापुटोली थाना पुन्दागओपी० जिला रांची	लुटपाट की योजना बनाते हुए हथियार के साथ पकडा जाना	1 जेल 2 जेल 3 जेल 4 जमानत 5 जेल 6 जेल	AJC-XII	अमोद नारायण सिंह पिता श्री विक्रमादित्य सिंह सा०+थाना दरिहट जिला रोहतास (बिहार) वर्तमा पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु में पदस्थापित	1. अ०क०-पु०अ०नि० मुक्ति नारायण सिंह 2. पु० नि० सह थाना प्रभारी रातु थाना अमोद नारायण सिंह पु०नि० सह थाना प्रभारी टाटीसिल्वे 4. पु०अ०नि० दया शंकर राय रातु थाना 5. पु०अ०नि० मुस्तफा खान रातु थाना 6. श्री तुषार कांत झा परिचारी प्रवर नवीन पुलिस केन्द्र रांची 7. हव०-भरत बहादुर भटराज रातु थाना 8. आरक्षी-3706, चंद्र किशोर उरांव 9. आ०-2633, श्री हरि किस्कु 10. आ०-2637, मंगल चन्द्र टुडु सभी रातु थाना	1. नरेश मुंडा पिता बुधदेव मुंडा सा० टोंगरीटोला 2. गुडु उरांव पिता भुनेश्वर उरांव दोनो सा० टुंगरीटोला थाना रातु जिला रांची	जप्ती-1. अभि० बेलाल खां के पास से एक जिंदा गोली 2. अभि० सजल कुमार महतो के पास से एक देशी पिस्तौल एवं दो जिंदा गोली 3. अभि० मिथलेश महतो के पास से एक देशी पिस्तौल एवं दो जिंदा गोली बरामद किया गया है। 4. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है 5. आर्म्स जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। एम०आर० नं०-20/17	

58	<p>रातु थाना कांड संख्या 221/17 दि० 07.12.17 धारा 307/352/323/414/34 भा०द०वि० एवं 25(i)26(ii)/27/35 आर्म्स एक्ट</p> <p>जी०आर०न०-6998/17</p>	<p>1. विक्रम डोम उम्र 22 वर्ष पिता स्व० जानकी डोम सा० बचरा डोमटोली अम्बेदकर नगर थाना पिपरवार जिला चतरा 2. अरुण राम उर्फ अरुण डोम उम्र 32 वर्ष पिता स्व० मुन्ना राम सा० अम्बेदकर नगर बचरा थाना पिपरवार जिला चतरा</p>	<p>लुटपाट की योजना बनाते हुए हथियार के साथ पकडा जाना</p>	<p>जेल में</p>	<p>जे०एम०एफ० सी०- 27 राँची।</p>	<p>अ०नि० प्रकाश यादव उम्र 35 वर्ष पिता स्व० चेतनारायण यादव सा० डाटो खुर्द थाना करकम साडी जिला हजारीबाग वर्तमान थाना प्रभारी मैक्लुसकीगंज थाना</p>	<p>1. अ०क०-पु०नि० सह थाना प्रभारी अमोद नारायण सिंह 2. पु०अ०नि० प्रकाश यादव पिता स्व० चेतनारायण यादव थाना प्रभारी मैक्लुसकीगंज थाना 3. श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक खलारी राँची 4. पु०अ०नि० मिनहाज आलम पिता स्व० गोईसुदीन अंसारी थाना प्रभारी ठाकुरगांव 5. पु०अ०नि० योगेन्द्र कुमार रातु थाना 6. आरक्षी-3550 प्रवीण तिवारी क्यू आर टी बल वरीय पुलिस अधीक्षक राँची 7. श्री तुषार कांत झा परिचारी प्रवर प्रथम नवीन पुलिस केन्द्र राँची</p>	<p>1. परमेश्वर गोप पिता लगनु गोप सा० सिमलिया थाना रातु जिला राँची 2. पुनित खलखो पिता इगनीस खलखो सा० देवकमल अस्पताल ईटकी रोड थाना पंडरा जिला राँची 3. राजेन्द्र कुमार पिता मोहन सिंह सा० देवकमल अस्पताल ईटकी रोड थाना पंडरा जिला राँची 4. मेजर नारायण सिंह राठौर सा० नन्दन कानन अपार्टमेंट पलोर नं० 103 कांके रोड थाना गोन्दा जिला राँची 5. मो० अजहरुदीन उर्फ अजहर पिता मो० असलम सा० भिठा बस्ती थाना गोन्दा जिला राँची 6. बुधराम उरांव पिता सोमा उरांव सा० भोण्डा सरना टोली थाना रातु जिला राँची 2.</p>	<p>जप्ती-1. विक्रम डोम के पास से एक 9 एम०एम० पिस्तौल तीन पीस जिंदा गोली दो पीस खोखा बरामद कर जप्त किया गया है। 2. आर्म्स जांच प्रतिवेदन प्राप्त है 3. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। एम०आर० नं०-47/17</p>
59	<p>रातु थाना कांड संख्या-153/17 दिनांक 03.08.17 धारा 399/402 भा०द०वि० एवं 25(1-बी)ए०/26/35 आर्म्स एक्ट</p> <p>जी०आर०न०-4057/17</p>	<p>1. सुकुरुदीन शेख उर्फ कालु शेख पिता आजम शेख पता मरगीटोली के पीछे थाना राजमहल जिला साहेबगंज 2. अजरुदीन शंख उर्फ अज्जू पिता गुलामुदीन शख सा० फुलवरीया पांचु टोला थाना राजमहल जिला साहेबगंज 3. नसीम शेख पित जाकिर शेख सा० हासीम टोला थाना राजमहल जिला</p>	<p>अपराध की योजना बनाते समय अवैध पिस्तौल गोली गैस सिलेण्डर एवं गैस कटर के साथ पकडा जाना</p>	<p>1 जमानत 2 जेल 3 से 7 जमानत 8 जेल 9 जमानत 10 जेल 11 जमानत</p>	<p>सी०जे०एम०, राँची।</p>	<p>अमोद नारायण सिंह पिता श्री विक्रमादित्य सिंह सा०+थाना दरिहट जिला रोहतास (बिहार) वर्तमा पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु में पदस्थापित</p>	<p>1. पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु थाना अमोद नारायण सिंह 2. पु०अ०नि० मुस्तफा खां रातु थाना 3. पु०अ०नि० राम नारायण सिंह थाना प्रभारी मांडर थाना 4. स०अ०नि० इसरारुल हक पी०सी०आर० 29 रातु थाना 5. तुषार कांत झा परिचारी प्रवर प्रथम पुलिस केन्द्र राँची 6. पु०अ०नि० दया शंकर राय रातु थाना राँची</p>	<p>1. सुनील तिग्गा पिता स्व० सोमरा उरांव सा० बडकाटोली थाना रातु जिला राँची 2. संतोश शर्मा तितप उमेश शर्मा सा० रातु चटी बडकाटोली थाना रातु जिला राँची</p>	<p>जप्ती-1. अभि० सुकुरुदीन शेख उर्फ कालु शेख के पास से लोहे का एक देशी पिस्तौल तथा .303 का दो जिला गोली 2. अभि० अजरुदीन शेख उर्फ अज्जू के पास से एक देशी पिस्तौल तथा 8एम०एम० का दो गोली बरामद कर जप्त किया गया है। 3. विडियोकॉन का डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स डी०२एच० काला</p>

		<p>साहेबगंज 4. जब्बार शेख उर्फ गब्बर शेख पिता नूर मोहम्मद सा0 लखीपुर थाना राजमहल</p> <p>5. कबीर शेख उर्फ राहुल पित सजाद शेख सा0 फुलवरीया बाबु टोला थाना राजमहल जिला साहेबगंज 6. इना उर्फ इनामुल शेख पिता लबदी शेख सा0 हासनटोला थाना राजमहल जिला साहेबगंज 7. गौतम रविदास पिता धनेश्वर रविदास सा0 हरिजन पाडा बरहरवा थाना बरहरवा 8. संजय कुमार रवानी पिता राम रामानी सा0 बरहरवा नया बाजार थाना बरहरवा 9. समीम उर्फ सुकुरुदीन शेख पिता तसरुदीन शेख सा0 फुलवरीया मस्तान गढ थाना राजमहल जिला साहेबगंज 10. सुकुमार मंडल पिता महाबीर मंडल सा0 कसवा थाना राजमहल जिला साहेबगंज 11. समसुल शेख पिता अबुल मियां सा0 फुलवरीया पांचु टोला थाना राजमहल जिला साहेबगंज</p>							<p>रंग का एक 4. चार ऑक्सीजन सिलेण्डर जिसमें दो बडा एवं दो छोटा रेगुलेटर लगा हुआ 5. गैस कटर पलेम देने वाला आर्च कम्पनी का 6. लाल एव नीला रंग का पाईप करीब 10 मीटर लंबा 7. तपाडिया कंपनी का स्कू ड्राईवर 928 नम्बर का पांच पीस 8. लोहा का सावल छोटा बडा चार पीस 9. लोहा का फाइल प्लास्टिक का मुठ लगा हुआ एक 10. लोहा का पंचु दो पीस 11. गैस रेगुलेटर का चाभी एक पीस 12. लोहा का संडसी एक 13. औधड चार पीस लकडी का मुठ लगा हुआ (दिवाल में ड्रील करने वाला) 14. पिलास एक 15. सलाई रिंच एक 16. लोहा का चापड (दाब) 17. आरी ब्लेड स्टैंड के साथ 18. लोहा का हथौडा एक 19. एक छोटा कपडा का झोला जिस पर राज श्री ज्वेलर्स पी0के0टावर बुटी मोड रांची लिखा हुआ है , जिसमें छोटा बडा रींच तीन पीस, गैस पलेम का नोजल पांच पीस तथा टेस्टर एक एवं लोहा का क्लीप नट बोल्ट रखा हुआ है 20. आर्म्स एवं गोली का जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। 21. अभिजयोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। एम0आर0 नं0-31/17</p>	
60	नगड़ी थाना काण्ड सं0- 115/17,	.1नीरज कुमार पे 0 दास रवि राजकुमार	कि वादिनी को दिनांक 17/11/03-	1.नीर ज	जे0सी0 राँची।		ललिता एक्का पति बलवंत	.1डा शुभंदु कुमार 0 राँची रिम्स	.1अमित तिर्की पे 0 निकोदिम स्व0	1.डा का शव द्वारा 0 रिपोर्ट परीक्षण अन्तह

<p>दि0- 03.11.17, धारा- 302/34 भा.द.वि. जी0आर0न0- 5965/17</p>	<p>चक खिदर सा0 थाना सोहसराय जिला नालन्दा (बिहार) .2गोविन्द कुमार पिता लक्ष्मण साव सा वैष्णो माता 0 पुन्दाग नगर देवी जगरनाथपुर थाना राँची जिला .3सत्री कुमार महतो पिता संगत महतो सा सराय नया 0 नगड़ी थाना मुडमा राँची जिला</p>	<p>को समय करीब बजे 07.30ग्रामिणों द्वारा सुचना दी गयी की रिंग रोड के पश्चिम तरफ सपारोम बड़ा तलाब के पश्चिमी किनारे कच्ची सड़क झाड़ी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव जला कर फेक दिया गया है । इस सुचना पर वे अपने ग्रामिणों के साथ घटनास्थल पर जा कर देखी तो पाये कि एक ज्ञात व्यक्ति का शव अधजला अवस्था में पड़ा हुआ है शव के पास माचीस भी पड़ा हुआ है । शव को देखने से पहचान नहीं हुआ तो इसकी सुचना थाना को दी । कांड अनुसंधान के क्रम में अज्ञात व्यक्ति का शव का पहचान अभिषेक सिंह उर्फ टिंकू साशक्ति शिव 0 थाना कोकर नगर के राँची जिला सदर पह में रुपचान की गयी । इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त .1नीरज</p>	<p>कुमार पिता राजकु मार रविदा स सा 0 कोकर ढेलाटो ली थाना सदर जेल) (में .2 गोवि न्द कुमार पिता स्व 0 लक्ष्मण राम सा0 वैष्णव देवी नगर पुन्दाग थाना जगर नाथपुर जेल) (में .3 सत्री कुमार महतो पिता</p>			<p>एक्का सा 0 सपारोम नगड़ी थाना राँची जिला</p>	<p>.2पु0अ 0नि0 पूर्व) सिंह शिवपुकार मो0 (अनुसंधानकर्ता 9931737391-नं0 .3पु अजय 0अ0नि0 पूर्व) सिंह कुमार मो0 (अनुसंधानकर्ता 9973761844-नं0</p>	<p>सा0 तिर्की थाना सपारोम राँची जिला नगड़ी । .2हारूल रशीद पिता स्व शेख 0 ग्राम माहिर थाना सपारोम नगड़ी जिला राँची । .3सुनील कुमार गोप पिता माधव - ग्राम गोप थाना लालगुटवा राँची जिला नगड़ी । .4फिरोज आलम पिता सफीक अंसारी ग्राम नया सराय नीचे) थाना (मुडमा राँची जिला नगड़ी । .5अशोक कुमार सिंह पिता स्व 0 सा0 सिंह त्रिभुवन नगर शिवशक्ति सदर -थाना कोकर राँची जिला</p>	<p>कुमार अभिषेक मृतक) अशोक पिता टिंकू उर्फ शिव सा0 सिंह कुमार कोकर नगर शक्ति जिला सदर थाना में 74 कंडिका) (राँची (.2नीरज कुमार पिता राजकुमार रविदास सा-0खीदर चक थाना सोहसराय- नालंदा-जिला ,(बिहार)वर्तमान साढे कोकर 0मा टोली थाना सदर जिला - स्वीकारोक्ति का राँची में 41 कंडिका) बयान (.3अप्राथमिकी अभियुक्त गोविन्द कुमार के बताये अनुसार हत्या में प्रयुक्त वॉल्कस वैगन)Volks Wagen) पोलो कार नं-0 JH01CA-1559 59-कंडिका)में (</p>	
--	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

			<p>कुमार पिता संगत राजकुमार रविदास महतो सा डेला कोकर 0 सा 0 सदर थाना टोली नया .2 राँची जिला सराय गोविन्द कुमार पिता मुड़मा लक्ष्मण राम सा 0 थाना वैष्णोदेवी माता नगड़ी थाना पुन्दाग नगर जेल) पुर जगरन्नाथ (में (ओपी0 पुन्दाग) जिला राँची .3सत्री महतो पिता संगत महतो सा नया 0 थाना मुड़मा सराय राँची जिला नगड़ी कर गिरफ्तार को 17/11/30 दिनांक हिरासत न्यायिक को । है चूका जा भेजा में अभियुक्तो उपरोक्त स्वीकारोक्ति के पर आधार के बयान ओपी प्रयुक्त में कांड -नं0 कार पोलो JH01CA-1559 तथा मृतक का अभियुक्तो द्वारा गायब किया हुआ लाल रंग का एभेनजर मोटरसाईकिल नं-0 JH01AD-3765 को बरामद किया जा चूका है । घटना में सामिल एक अन्य</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			अपराधकर्मी कि गिरफ्तारी हेतु छापाकारी जारी है। कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।								
61	नगडी थाना कांड सं -093/17 , तिथि 06/09/17 धारा-364(A) भा0द0वि0 S.T No-74/18	.1धर्मेन्द्र कुमार पिता रामाश्रय शर्मा ग्राम महमतपुर थाना घोसी जिला जहानाबाद .2छोट्टु यादव पिता स्व 0 सा0 प्रसाद अम्बिका सोनार गढटोला जिला मोकाम थाना .3 पटनाखली उर्फ मुकेश कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र सिंह साख 0ाईच थाना बख्तियारपुर जिला पटना वर्तमान रेलवे कॉलोनी क्वाटर नम्बर थाना 93 राँची जिला चुटिया .4अलिया खान पति सरफराज अंसारी सा 0 दीपाटोली .एन.जी.के.एच सा0 स्कूल पब्लिक ओ0पी0 पुदाग .5 राँची जिला राणविजय सिंह पिता सतराजीत सिंह उर्फ सतराजी सिंह सा परशौनी 0	वादी का लडका सुभम सिंह एवं मौसेरा भाई का पुत्र गौरव सिंह तथा दूर का रिश्तेदार अभिषेक सिंह उर्फ सैकि के साथ दिनांक 17/09/05-को करीब डेढ बजे मेन रोड जाने को कह कर घर से निकले और बेडो चले गए दोपहर करीब अभिषेक में 2.25 कर फोन ने सिंह भाई बडे अपने बताया को आशिष में बेडो लोग हम कि आ वापस घर और रात्री परन्तु है। रहे तक बजे 01.30 के पुत्र अपने बात नम्बर मोबाईल तो चाहे करना पाया बंद मोबाईल स्त अपने वादी तबर से खोज शुरु बीन-इसकी तथा किया थाना स्थानी सूचना । दिये में चुटिया	1 जेल 2 जमानत 3 से 13 जेल 14 जमानत 15 से 19 जेल	A.J.C-VII		मदन सिंह पिता रामगणेश सिंह सा 0 कॉलोनी साई थाना चुटिया जिला चुटिया । राँची	.1रतिभान सिंह पु०नि० सह थाना प्रभारी अरगोड़ा.02 आरक्षी शिलवानु 3782 श्री पिता अन्दवार ग्राम इन्दवार जोयाकीम बसिया थाना तुपई .03 गुमला जिला आरक्षी हाकिम 3546 रसका पिता हेम्ब्रम धोवाडेंगा-ग्राम हेम्ब्रम जिला हिरनपुर थाना वर्तमान पाकुड़QRT पुलिस बल राँची	.1आशिष सिंह पिता स्व 0 सा0 सिंह शिवनाथ थाना गड़गाँव ईटकी वर्तमान पाँवर हाउस रोड , थाना चुटिया जिला चुटिया .2 राँचीशिवु सिंह उर्फ शिवनारायण सिंह पिता स्व 0 सा0 सिंह छेदी थाना बलालौंग राँची जिला नगड़ी .3राजा सिंह पिता कुमार शिव-सा0 सिंह बालालौंग थाना नगड़ी जिला राँची .4दुर्गा सिंह पिता स्व सिंह बलदेव 0 सा0साई कॉलोनी चुटिया थाना चुटिया जिला राँची .5रिंकु सिंह पे बहादुर तेज 0 साई सा0 सिंह चुटिया कॉलोनी चुटिया थाना .6 राँची जिला	.1राँची पुलिस एवं चाईबासा पुलिस के सहयोग से छोटा हाथी टेम्पू (भेन अप पिक) -नं0JH05BQ-7040 .2सुजीत कुमार उपाध्याय उर्फ बिटू पाण्डेय का तलाशी लिया तलाशी के क्रम में उनके पास से पाये गये समानो को जप्त सूची बनाकर जप्त किया गया जो निम्नवत है: सोने .1-माला मटर रुद्राक्ष का .2 चैनRolex का गोल्डेन रंग का घड़ी .3सोने का चैन जिसमे शंकर जी का लॉकेट .4सफेद रंग का फास्ट्रेक का घड़ी जिसका बेल्ट काला रंग का .5अभिषेक सिंह का आधार काड जिसका नं-0 है 480256089573 गये किये जप्त उपरोक्त अपहृत समान सभी एवं गौरव ,शिवम .6 । है का अभिषेक	नगडी थाना कांड सं -0 93/17 , तिथि 06/09/17 धारा-364(A) भा 0द0वि0 S.T No-74/18 A.J.C-VII

	<p>इ थानाटखोरी जिला चतरा .6गोविन्द उर्फ रजनिश चौधरी पिता अरविन्द कुमार सिंह सा 0धैया मंदिर बली बजरंग थाना गली वाली धनबाद जिला सदर .7ब्रजेश कुमार उर्फ छोटु उर्फ मुन्ना पिता जगदीश प्रसाद सिंह सा थाना चिरौंदी 0 राँची जिला बरियातु .8बिट्टू पाण्डेय उर्फ सुजीत उपाध्याय पिता स्व 0 उपाध्याय कृष्णा थाना जिरादेई सा 0 जिला जिरादेई .9 सिवानअशोक सुण्डी पिता स्व 0 सा 0 सुण्डी सिंगराय थाना भुता जिला मुफ्फसील .10 चाईबासा विरेन्द्र कोडा पिता पाण्डे कोडा सा 0 थाना आडाहासा जिला गोईलकेरा .11 चाईबासा तुलसी दास कोडा पिता स्व दुरई 0 कोडा सा 0 थाना आडाहासा जिला गोईलकेरा</p>	<p>-दिनांक दिन अगले 17/09/06को बजे 08.00 शिबु के बालालौंग सिंह राजा और सिंह सूचित इन्हें द्वारा यात्रि कि गया किया के बालालौंग सेड अल्टो का आप पास -नं0 गाडी JH01BN-0501 खडी है। गाडी का दरवाजा खुला हुआ है और चाभी नहीं है। तब ये अपने अन्य सम्बंधियों के साथ ग्राम बालालौंग गये। इन्हें ऐसा विश्वास होता है कि फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण अपराधियों द्वारा कर लिया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया है।</p>						<p>गोपी कृष्ण अग्रवाल पिता सुरजमल अग्रवाल सा कॉलोनी साई 0 थाना चुटिया जिला चुटिया .7 राँचीसंजय सिंह पेमु नेश्वर 0 टिपुदाना सा 0 सिंह रिंग रोड थाना टिपुदाना जिला राँची .8गोपाल सिंह पे स्व 0 0 सा 0 सिंह लक्ष्मण बाजार अपर थाना टोली प्यादा जिला कोतवाली .9 राँची रतिभान सिंह पु०नि० सह थाना प्रभारी अरगोडा .10 आरक्षी 3782 अन्दवार शिलवानु श्री पिता इन्दवार जोयाकीम थाना तुपई ग्राम जिला बसिया गुमला .11 आरक्षी 3546 हेम्ब्रम हाकिम हेम्ब्रम रसका पिता धोवाडेंगा-ग्राम हिरनपुर थाना पाकुड़ जिला वर्तमानQRT पुलिस बल राँची 12उतम साहू</p>	<p>PARAS कम्पनी का दो ईजेक्शन सिरिंज .7FORTWIN का ईजेक्शन ,LIAVFO दस .8Trika 05 24 दस टेबलेट पीस .9ALPRAWIN दस एक पता जिसमें दस टेबलेट है। कंडिका) (मैं 08 .3अपहरणकर्ता बिट्टू पाण्डेय उर्फ सुजीत कुमार उपाध्याय का का स्वीकारोक्ति बयान 10-कंडिका)में(.4पहचान परेड में अपहृत शिवम सिंह , अभिषेक ,सिंह गौरव सुजीत द्वारा सिंह बिट्टू उर्फ उपाध्याय रणविजय ,पाण्डेय सिंह पिता सतराजीत सिंह उर्फ सतराजीत सिंह सा परसौनी 0 जिला ईटखोरी थाना 265-कंडिका) चतरा में उर्फ गोविन्द (पिता चौधरी रजनीष सिंह कुमार अरविन्द बली बजरंग धैया सा 0 सदर थाना गली वाली धनबाद जिला ब्रजेश (266-कंडिका) उर्फ छोटु उर्फ कुमार जगदीश पिता मुन्ना</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>.12 चाईबासा मनोहर लागुरी पिता सोना लागुरी सा 0 थाना मटकामातु जिला मुफ्फसील पं0 चाईबासा</p> <p>.13 सिंहभूमसुखदेव कोडा पिता पौंडे कोडा सा 0 थाना आडाहासा जिला गोयलकेरा पं0 चाईबासा</p> <p>.14 सिंहभूमधीरज गौतम उर्फ गौतम शर्मा पिता अनील शर्मा सा बंधुगंज 0 जिला घोसी थाना</p> <p>.15 जहानाबाद राकेश .16चंदन सोनार .17अभिषेक .18पवन शर्मा .19 रवि चड्डा</p>						<p>पिता स्व बिहारी 0 पावर सा0 साहू कॉलनी हाउस थाना चुटिया जिला चुटिया 13 राँचीराजेन्द्र सिंह पिता स्व 0 सिंह कलेश्वरसा 0 रोड हाउस पावर थाना चुटिया जिला चुटिया 14 राँचीसुबोध कुमार सिंह पिता गोपाल सिंह सा 0 पक्का चुटिया मध्य थाना चुटिया ,कुआँ जिला चुटिया 15 राँचीमुन्ना राय पिता सुनिल राय सा सुजाता 0 कम्पाउंड पटेल चुटिया थाना .16 राँची जिला सुशील तिर्की पे 0 मुण्डा सुखैरसा0 महुआ टोली होटवासी थाना नगड़ी जिला राँची .17राज महोन स्वांसी पे स्व0 0 सा0 स्वांसी गहनु टोली महुआ थाना होटवासी राँची जिला नगड़ी ।</p>	<p>स सिंह प्र0ा 0 थाना चिरौंदी राँची जिला बरियातु अशोक (267) कंडिका स्व0 पिता सुण्डी सा0 सुण्डी सिंहाराय मुफ्सील थाना भुता चाईबासा जिला में (268- कंडिका) है गया किया पहचान ।</p> <p>.5ओरमांझी टोल ब्रीज पुनदाग से जप्त सिल्वर रंग का सेलेरियो कार JH02AJ-3845 (में 113 कंडिका)</p> <p>.6अपहत तीनों पिडितो का द 0प्र0स0 का 164 तहत के क्रमशः बयान .1शिवम कुमार सिंह (162-कंडिका) सिंह गौरव.2 (163-कंडिका) .3अभिषेक सिंह (164-कंडिका) .7अंचल अधिकारी नगड़ी द्वारा अपहत .1शिवम सिंह .3 सिंह गौरव .2 , अभिषेक सिंह द्वारा नगड़ी थाना में कि गई पहचान परेड क्रमशः कंडिका) (179ए180ए181ए182 ।</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

62	नगड़ी थाना कांड सं ,102/16-0 दि 31-07-16 धारा 25 (1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट ।	.1प्रकाश कुमार गोप पिता बिनोद कुमार यादव ग्राम चैनपुर थाना गरखा जिला छपरा (सारण) पता वर्तमान बिहार साईड डैम धर्वा -नं0 क्वाटरडी 0टी0 धर्वा 900जिला राँची । .2रंजीत रंजन पिता रजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम उदन्त पुरी गढ़पर थाना बिहार सरिफ जिला नलन्दा मनीष .3 (बिहार) लखन पिता गोप बालालौंग ग्राम गोप जिला नगड़ी थाना राँची	वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा लोअर बाजार थाना कांड सं ,16/219-0 दि 16/07/31-0 धारंा364-ए 120/बी में भा0द0वि0 0 शकुशल की अपहृता एवं बरामदगी की अभियुक्तों एक हेतु गिरफ्तारी का दल छापामारी था गया किया गठन क्रम के छापामारी । 16/07/31-दि0 में के बालालौंग को सट्टे से ईटभट्टा पास पास के झाड़ी जंगल एक वहाँ कि देखा तो गाड़ी वरना होण्डाई ल थी। लगीेकिन होण्डाई वरना गाड़ी में बैठे अभियुक्त पुलिस बल के देखते ही गाड़ी से निकल कर तेजी से दौड़ते हुए एक ओर भागने लगे तब पुलिस बल द्वारा दौड़ कर भाग रहे तीन अभियुक्तो को पकड़ा गया ।उनमें से एक अभियुक्त भागने में सफल रहा । पकड़े	.1प्रकाश कुमार गोप पिता बिनोद कुमार यादव ग्राम चैनपुर थाना गरखा जिला छपरा सारण) (बिहार वर्तमा पता न धर्वा डैम साईड क्वाटर -नं0 डी 0टी0 900 धर्वा जिला । राँची .2 रंजीत रंजन पिता रजेन्द्र			पु 0अ0नि0 कुमार अनिल लोअर ,गुप्ता ,थाना बाजार । राँची	.1भोला प्र पिता सिंह 0 प्रसाद राजेश्वर स्व0 पता इन्द्रनगर पोस्टल पार्क थाना जनकपुर जिला पटना (बिहार) सह पु0नि0 में वर्तमान राँची सदर प्र0 था0 .2रमोद कुमार सिंह पिता स्व 0लालजी दानापुर पता प्रसाद वर्तमान (बिहार) पटना प्र0 था0 सह पु0नि0 में .3 राँची लालपुरआ-0 खाँ अकरम मो0 341 .4 राँची केन्द्र पुलिस आ गोप हिन्दु 1948-0 राँची केन्द्र पुलिस .5परिचारी प्रवर श्री तुषार कांत झा पुलिस केन्द्र राँची .6 अनुसंधानकर्ता स मथियस 0अ0नि0 । थाना नगड़ी मुर्मू	.1मनीष गोप पिता लखन गोप ग्राम बालालौंग थाना नगड़ी जिला राँची के कमर में बाँयी तरफ खोसा हुआ एक देशी कट्टा एवं 315. की दो गोली बरामद किया गया । जप्ती सूची बना कर जप्त किया गया । .2परिचारी प्रवर का जाँच रिपोर्ट	
----	--	--	---	--	--	--	---	--	---	--

			<p>गये अभियुक्तों का नाम क्रमशः .1 प्रकाश कुमार गोप पे कुमार बिनोद 0 चैनपुर सा0 यादव जिला गरखा थाना (सारण) छपरा पता वर्तमान बिहार साईड डैम धुर्वा -नं0 क्वाटरD.T-900 धुर्वा जिला राँची .2 रंजीत रंजन पिता राजेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम उदन्त पुरी गडपर थाना बिहार सरीफ जिला नालन्दा .3 (बिहार) मनीष गोप पिता लखन गोप ग्राम बालालौंग थाना नगड़ी जिला राँची तथा भाग गये व्यक्ति का नाम पता पुछताछ करने पर क्रमशः शेखर उराँव पितानामालूम ग्राम+ नामालूम थाना लोहरदगा जिला का गाड़ी । बताये करने पर इताल जाँच दो उसमें पर हाथ का व्यक्तियों मुँह तथा हुआ बंधा कपडा परबंधा हुआ पाया दोनों का नाम</p>	<p>प्रसाद सिंह ग्राम उदन्त पुरी गडपर थाना बिहार सरिफ जिला नलन्दा बिहार) .3 (मनीष गोप पिता लखन गोप ग्राम बाला लौंग थाना नगड़ी जिला राँची) वर्तमा में न में जेल (है</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>पता पुछने पर अपना अपना नाम क्रमशः .1रमोद तिवारी पिता बलराम तिवारी ग्राम मठिया श्री राम थाना तरिया सुजन जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश .2 श्रीकान्त प्रकाश पिता जतन प्रसाद ग्राम बड़ई पट्टी थाना यादवनगर जिला गोपालगंज (बिहार) द् इनके बतायेवारा बताया गया कि अभियुक्तो द्वारा फिरोती की मांग कर रहे थे । अभियुक्तो की जाँच करने पर मनीष गोप पिता लखन गोप ग्राम बालालौंग थाना नगड़ी जिला रांची के कमर में बाँयी तरफ खोंसा हुआ एक देशी कट्टा एवं 315. की दो गोली बरामद किया गया । उपरोक्त पकड़ाये तीनों अभियुक्तो के विरुद्ध आरोप सं-0 ,16/134दि-0 समर्पित 16/10/12 । है चूँका जा किया</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

63	बेड़ो थाना कांड सं०-10/16 दि०-08.02.16 धारा-414 भा०द०वि० 25(1-बी)ए/26/आर्म्स एक्ट एस०टी०न०-338/16	1.धोधिया उरांव उर्फ बौना पे० सुकरा उरांव,सा० रोगाडीह पतराटोली, थाना बेड़ो,2. मिथुन राम उर्फ मिथलेश राम पे० स्व० रघुनाथ सिंह, सा० दौलेचा, थाना लापुंग, 3. सुन्दर दास पे० मंगल दास, सा० तिलकसूती, थाना ईटकी, सभी जिला राँची	यह कांड वादी पु०अ०नि० राजेश कुमार, थाना प्रभारी बेड़ो के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० के विरुद्ध अवैध हथियार एवं चोरी के मोटरसाईकिल के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	मिथुन राम जेल में है ।	ए०जे०सी०-16 राँची ।		वादी पु०अ०नि० राजेश कुमार थाना प्रभारी, बेड़ो	1. पु०अ०नि० राजेश कुमार, थाना प्रभारी, बेड़ो 2. ह०-सत्यानारायण चौधरी 3. आ०-1351 सुखआ उरांव 4. आ०-1832 रवि भगत 5. आ०-3702 जोसेफ टोपनो,सभी रिजर्व गार्ड बेड़ो थाना 6. पु०नि० तेतरू उरांव, बेड़ो अंचल 7. परिचारी प्रवर तुषार कांत झा-प्रदर्ष जॉचकर्ता 8. अ०नि० रविन्द्र कु० पांडे अनुसंधानकर्ता	1. काषी लोहरा, पे० स्व० छटु लोहरा, .2 सामु उरांव पे० माधी उरांव, 3. गोविन्द उरांव पे० तसुआ उरांव तीनों सा० बधियाटोली, 4. जीतु भगत पे० स्व० सोमरा भगत सा० पतराटोली, सभी थाना बेड़ो,जिला राँची ।	एम.आर 01/16	
64	बेड़ो थाना कांड सं०-31/17 दि०-10.05.17 धारा-376(डी)/366 भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट	1. कपिल मुण्डा 2. लंगरू मुण्डा 3. इष्वर मुण्डा	नाबालिक लडकी का उपहरण कर बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित है ।		ए०जे०सी०-प्रथम, राँची ।			1. अंजील धान 2. रंजीत मुण्डा 3. जगन्ती मुण्डा 4. अब्दुल मुतालीब 5. डॉ रभि प्रसाद 6. डॉ श्वेता लाल 7. डॉ तनुश्री 8. पु०अ०नि० समरेन्द्र प्रसाद सिंह			
65	लापुंग थाना कांड सं०- 28/17 दि०-24.09.17 धारा-399/402 भा.द.वि. 25 (1-बी)ए /26/35 आर्म्स एक्ट एस०टी०न०-19/18	1. भोला मुंडा, पे० मंगरा मुंडा, सा० मुरुप, थाना लापुंग, जिला राँची, 2. सोनु पंडित उर्फ प्रमोद पाण्डेय, पे० भोजा पंडित उर्फ करमानंद पाण्डेय, 3. राजु साहु, पे० महाबीर साहु, 4. मुकेश साहु, पे० फेकु साहु, सभी सा० डाडी, 5. दुर्गा साहु, पे० रामप्रसाद साहु, सा० कारुम, सभी थाना लापुंग जिला राँची ,6. रंथु साह, सा० रेगड़े, थाना कर्रा, जिला खुँटी	यह कांड वादी पु०अ०नि० राम अवतार पे० स्व० राम खिलोधर , थाना प्रभारी लापुंग, जिला -राँची के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध की योजना बनाते हुए आग्नेयास्त्र के साथ अवैध हथियार एवं जिन्दा गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	1.भोला मुंडा जेल में है ।	ए०जे०सी०-13 राँची ।		वादी पु०अ०नि० राम अवतार पे० स्व० राम खिलोधर , थाना प्रभारी लापुंग, जिला -राँची	1. पु०अ०नि० राम अवतार, थाना प्रभारी, लापुंग-9431706178 2. स०अ०नि० सुकर टोप्पो-808433267 3. ह०-संजय राम 4. ह०-381 रामसागर -9461999398 5. ह०-238 राजेश लकड़ा-9939195746,सभी रिजर्व गार्ड लापुंग थाना 6. परिचारी प्रवर तुषार कांत झा-प्रदर्ष जॉचकर्ता 7. स०अ०नि० धिवकुमार सिंह अनुसंधानकर्ता	-	एम.आर. 10/17	
66	ईटकी थाना कांड सं०- 06/16 दि०-04.02.16 धारा-376 भा०द०वि० एवं 4/6 पोक्सो एक्ट	1.विकास कुमार पे०मंगर उरांव सा० बटकुरी, थाना भरनो, जिला गुमला	यह कांड वादी एतवा उरांव, पे० जगरनाथ उरांव , सा० सुगदा जेरगाटोली, थाना ईटकी, जिला रांची के लिखित आवेदन के आधार पर प्रा०अभि० के द्वारा वादी	विकास कुमार जेल में है ।			एतवा उरांव, पे० जगरनाथ उरांव , सा० सुगदा जेरगाटोली, थाना ईटकी, जिला रांची	1. डॉ० श्वेता लाल 2. डॉ० उमा सिन्हा 3. डॉ० रभि सिंह 4. अ०नि० फिल्मोन लकड़ा, अनुसंधानकर्ता	1. एतवा उरांव पे० जगरनाथ उरांव, 2. बुद्धी उरांव, 3. सुषमा कुमारी(पीड़िता)दोनों पे० एतवा उरांव , 4. दुबराज उरांव पे० बोज उरांव ,सभी थाना	-	

			की पुत्री के साथ बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।					ईटकी, जिला राँची ।		
67	ईटकी थाना कांड सं०-91/17 दिनांक-12.11.17, धारा-25 (1-बी०)/26/35 आर्म्स एक्ट एस०टी०न०-195/18	अमानुल्लाह अंसारी उम्र-25 वर्ष, पे० सुभान अंसारी, सा० भैसमुन्दो(भैया गाँव) मुहेल अंसारी उम्र-20 वर्ष, पे० गुलफान अंसारी, सा० बरवाटोली, थाना भण्डरा साहीद अंसारी उम्र करीब 20 वर्ष, पे० नईम अंसारी, सा० भैसमुन्दो मंसूर अंसारी उम्र-25 पे० अयुब अंसारी, सा० भण्डरा सकील अंसारी उम्र-24 व पे० मुस्तकीम अंसारी, सा० कुडू कसाई मुहल्ला, थाना कुडू, (स्थायी पता भैसमुन्दो), थाना भण्डरा, सभी जिला-लोहरदगा	यह कांड वादी पु०अ०नि० फिलमोन लकड़ा, पे० स्व० जोहन लकड़ा, सा० दुरजन, थाना रंका, जिला गढ़वा वर्तमान में थाना प्रभारी ईटकी, जिला-राँची के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध की योजना बनाते हुए आग्नेयास्त्र के साथ अवैध हथियार एवं जिन्दा गोली के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	1. मंसूर अंसारी को छोड़कर सभी अभि० जेल में है ।	ए०जे०सी०-18 राँची ।	वादी पु०अ०नि० फिलमोन लकड़ा, पे० स्व० जोहन लकड़ा, सा० दुरजन, थाना रंका, जिला गढ़वा वर्तमान में थाना प्रभारी ईटकी, जिला-राँची	1. पु०अ०नि० फिलमोन लकड़ा, थाना प्रभारी, ईटकी 2. हव०-274 कोसमस टोप्पो 3.आ०-1790 बुधराम उराँव 4. हव०-515 अरुण कुमार महतो 5. आ०-1845 सुनील कुमार 6. आ०-1848 डेविड सुरीन सभी रिजर्व गार्ड ईटकी थाना 7. परिचारी प्रवर तुषार कांत झा-प्रदर्ष जाँचकर्ता 8. स०अ०नि० सउद आलम खॉ- अनुसंधानकर्ता	-	एम.आर. 19/17	
68	खलारी थाना काण्ड सं० 116/16 दिनांक 18.10.16 धारा 25(1-बी०)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट । जी०आर०न०-6002/16	1. रवीन्द्र गंझू उर्फ मल्लिगा पे० स्व० सहबू गंझू, सा० कृतधौड़ा, खलारी टॉड, 2. मतिउर रहमान पे० रमजान अंसारी, सा० मुण्डा धोड़ा, खलारी बाजार टांड, दोनो थाना मैक्लुस्किगंज, जिला राँची ।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दो प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध हथियार एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है ।	रवीन्द्र गंझू-जेल 2. मतिउर रहमान-गिरफ्तार 1 पर रोक	सी०जे०एम० राँची ।	पु०नि० सह थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद, खलारी थाना राँची ।	1. पु०नि० सह थाना प्रभारी राजदेव प्रसाद, खलारी थाना राँची । 2. पु०अ०नि० प्रकाश यादव, थाना प्रभारी, मैक्लुस्किगंज, जिला राँची । 3. आरक्षी 3349 प्रभांशु कुमार, राँची जिला बल 4. आरक्षी 1369 सतेन्द्र राम मैक्लुस्किगंज थाना रिजर्व गार्ड 5. परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र राँची ।	-	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	
69	खलारी थाना काण्ड सं० 66/17 दिनांक 29.08.17 धारा 387/34 भा०द०वि० एवं 25(1-बी०)ए०/26(i)	विक्की गंझु पे० अनिल गंझु, सा० जामडीह, थाना पिपरवार, जिला चतरा, 2. सबजोनल कमाण्डर पत्थर जी, 3. सावन गंझु, 4. राजेश	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 04 प्रा०अभि० के विरुद्ध दहशत फेलाकर लेवी वसूलने के क्रम में आर्म्स के	1. विक्की गंझु-जेल एवं शेष प्रा०अभि	सी०जे०एम०, राँची ।	पु०नि० सह थाना प्रभारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ।	1. पु०नि० सह थाना प्रभारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव । 2. अ०नि० जगन्नाथ पाण्डेय । 3. स०अ०नि० सिरिल हांसदा खलारी थाना ।	1 विनय सिंह पे० स्व० राजकिशोर सिंह, सा० के०डी० रोड खलारी, 2. संदीप कुमार गुप्ता पे० स्व० महावीर प्रसाद गुप्ता,	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	

	i)35 आर्म्स एकट तथा 17 सी0एल0ए0 एकट । जी0आर0न0-4584 / 17	गंडु।	साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	0 फिरार				4. परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र राँची।	सा0 रेलवे स्टेशन खलारी बरटोला, दोना थाना खलारी, जिला राँची।		
70	चान्हो थाना काण्ड सं0 68 / 17 दिनांक 19.07.17 धारा 120बी0 / 414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0) / 26 / 3 5 आर्म्स एकट । एस0टी0न0-58 / 18	1. मो0 मोजपफर पे0 मो0 कलीम, 2. मो0 इम्तियाज अंसारी पे0 अलीमुद्दीन अंसारी दोनो सा0 चटवल, थाना चान्हो, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दो प्रा0अभि0 के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल-2	ए0जे0सी0-18 राँची।		पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों	1. पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों 2. स0अ0नि0 कृष्ण कुमार पासवान 3. पु0अ0नि0 लालजी यादव, चान्हों थाना। 4. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, राँची।	1. राजकुमार नायक पे0 दामोदर नायक, सा0 हर्रा, थाना चान्हों, 2. सोनु उरांव पे0 सुखदेव उरांव, सा0 चोरेया, बगीचाटोली, दोनो थाना चान्हों, जिला राँची।	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	
71	चान्हों थाना काण्ड सं0 83 / 17 दिनांक 03.09.17 धारा 399 / 402 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए / 26 / 35 आर्म्स एकट तथा 17 सी0एल0ए0 एकट । एस0टी0न0-575 / 17	1. देवेन्द्र यादव पे0 स्व0 जगेश्वर यादव, 2. बिनोद यादव पे0 रामकिशुन यादव, 3. बजरंग यादव पे0 रामशंकर यादव तीनों सा0 साडम (पातकोई), थान बुढमू, 4. कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी, 5. नरेन्द्र प्रसाद यादव दोनों पे0 स्व0 रामजी यादव सा0 करमटोली, थाना चान्हों वर्तमान चुडी रोड महाबीर नगर, थाना खलारी सभी जिला राँची, 6. अस्तिक कुमार लकड़ा उर्फ भूखला, सा0 जजगुण्डा, थाना कुडू, जिला लोहरदगा, 7. कामेश्वर यादव पे0 जगेश्वर यादव, 8. ईश्वर मुण्डा पे0 कोलदा पाहन, दोनों सा0 साडम, थाना बुढमू, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर 08 प्राथमिकी नामजद P.L.F.I उग्रवादियों के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ लेश होकर डकैती की तैयारी करते हुए पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	1. देवेन्द्र यादव 2. बिनोद यादव 3. बजरंग यादव, 4. कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान जी, 5. नरेन्द्र प्रसाद यादव-जेल-5, शेष अभियुक्त-फिरार।	ए0जे0सी0-18 राँची।		पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों।	2. पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों थाना, 3. थाना प्रभारी, बुढमू, 4. थाना प्रभारी ठाकुरगांव, 5. थाना प्रभारी मैक्लुस्कीगंज, 6. पु0नि0 मांडर अंचल, 7. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, राँची।	1. संजय कुमार गुप्ता पे0 स्व0 रामस्वरूप गुप्ता, सा0 पूरनाडीह, 2. किषुन मुण्डा पे0 बन्धु मुण्डा, सा0 लेप्सर दोनों थाना चान्हों, जिला राँची।	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	
72	चान्हो थाना काण्ड सं0 39 / 18 दिनांक 08.04.18 धारा 186 / 188 / 353 /	1. रोपना उराँव पे0 स्व0 मनिया उराँव, सा0 सिंदवारटोली, थाना चान्हों, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी अभियुक्त के	जेल।	जे0एम0एफ0सी0-24 राँची।		पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों	1. पु0अ0नि0 रूपेश कुमार सिंह, थाना प्रभारी, चान्हों, 2. पु0अ0नि0 सत्येन्द्र सिंह, चान्हों थाना, 3,	1. मो0 खालिद पे0 स्व0 इसाक अंसारी, 2. नसीम अंसारी पे0 स्व0 करीम अंसारी,	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	

	307 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी0)ए/ 27 आर्म्स एक्ट तथा 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। जी0आर0न0-2039/18		विरुद्ध अवैध हथियार, एवं बम पकड़े जाने तथा पुलिस पार्टी पर जान मारने के नियत से हमला करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।				आरक्षी/524 अलबर्ट नगडूवार, 4. आरक्षी/3155 अरुण तिग्गा, 5. आरक्षी/3645 बहादुर मुण्डा, चा0आरक्षी/3539 अशोक कुमार सिंह सभी थाना रिजर्व गार्ड, 6. पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह, थाना प्रभारी, मांडर, 7. श्री प्रवीण कुमार सिंह, अचलाधिकारी चान्हों।	दोनों सा0 मदरसा, थाना चान्हों, जिला राँची।		
73	मैक्लुस्कीगंज थाना काण्ड सं0 05/18 दिनांक 15.03.18 धारा 25(1-बी0)ए/ 26 आर्म्स एक्ट तथा 17 सी0एल0ए0 एक्ट।	1. गोल्डन यादव उर्फ गौतम यादव पे0 बिन्देष्वर यादव, सा0 बाजारटांड टोला बहेराटांड, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर एक प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध अवैध हथियार, एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल।		पु0अ0नि0 राजीव रंजन लाल, खलारी थाना।	1. पु0अ0नि0 राजीव रंजन लाल, खलारी थाना, 2. अ0नि0 चिन्तामण रंजक, मैक्लुस्कीगंज थाना, 3. स0अ0नि0 योगन्द्र सिंह, 4. अंगरक्षक आरक्षी/1172 बिनय इन्दवार, 5. आरक्षी/3686 बिनोद यादव, 6. आरक्षी/1081 खिस्त आनंद गुडिया, 7. आरक्षी/1874 बिन्देष्वार यादव, आरक्षी/1562 बिजय आंदन रजक, 8. चा0आरक्षी/3436 अरविन्द कुमार तिवारी, 9 प्र0पदा0 खलारी श्री गौतम कुमार साहु	1. सुनिल राम पे0 स्व0 गणेश भुईया, 2. राजु महली पे0 सयरो महली, दोनों सा0 बाजारटांड कृतधौड़ा, थाना मैक्लुस्कीगंज, जिला राँची।	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	
74	बुढमू थाना काण्ड सं0 19/18 दिनांक 17.04.18 धारा 25(1-B)A/25(1-B)a/26 आर्म्स एक्ट जी0आर0न0-2247/18	1. सुकेश खलखो पे0 स्व0 निर्मल खलखो, सा0 फटरियापानी, थाना बडकागांव, जिला हजारीबाग, 2. जलेन्द्र गंझू पे0 पोगल गंझू, सा0 उलातु, थाना बुढमू, जिला राँची।	यह काण्ड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दो प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध हथियार, एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जेल-02	सी0जे0एम0 राँची।	पु0अ0नि0 राकेश रंजन सिंह, थाना प्रभारी, बुढमू।	1. पु0अ0नि0 राकेश रंजन सिंह, थाना प्रभारी, बुढमू। 2. स0अ0नि0 विरेन्द्र मण्डल, बुढमू, थाना, 3. ह0-677 प्रफुल सुरीन, 4. आरक्षी 1482 कृष्णा राम प्रजापति, 5. आरक्षी 1060 रोन्ल्ड खलखो, तीनो बुढमू थाना रिजर्व गार्ड, 6. अ0नि0 रामनारायण सिंह माण्डर थाना प्रभारी,	1. रामदेव महतो पे0 लवातु महतो, 2. भजरू महतो पे0 सितु महतो, दोनो सा0 सारले, थाना बुढमू, जिला राँची।	1. जप्ती सूची 2. हथियार गोली का जांच प्रतिवेदन	
75	माण्डर काण्ड सं0 125/16 दि0-15.12.16 धारा-25(1-	साजिद अंसारी उर्फ मिटन सा0 उमेडन्डा थाना बुढमू जिला राँची		जेल में आरोप पत्रित आरोप	जे0एम0एफ0 सी0, 30 राँची।	पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह मांडर थाना प्रभारी	(1)वादी पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह (2) स0अ0नि0 अजय कुमार झा (3)	(1) महादेव उरांव पे0 स्व0 भाखे उरांव (2) राजु खलखो पे0 स्व0	(1) लोहे का पिस्तोल कुल ल0-13 अगुल (2).315 की जिन्दा गोली गोली एख पेंदा	

	बी)ए /26 शस्त्र अधि0 जी0आर0न0— 7074 / 16			पत्र सं0 07/17 दि0 08.02 .17			चा0पु03479 सुनिल कुमार पासवान (4) हव0-147 रामनारायण राम (5)आ0-55 महादेव माण्डल (6) आ0 1013 प्रकाश भेगरा (7) आ0 रामशंकर मुर्मू (8)स0अ0नि0 महेन्द्र प्र0 यादव	सधनु खलखो दोनो सा0 चुन्द थाना मांडर जिला राँची	पर 8mmkf लिखा (3) एक लोडेड देशी पिस्तोल लम्बाई कुल 13 अंगुल (4) .315 की जिन्दा गोली पेदी पर 8mmkf लिखा (5) एक लाल रंग का CBZ मोटर साईकिल रजि0 न0 JH01AQ- 1322 चे- न0-HBZ KC 12 FE BQK 02174 ई0न0 KC12 EOB 1K 69388	
76	माण्डर काण्ड सं0127/16 दि0 17.012.16 धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 एस0टी0न0 — 243 / 17	(1)इम्तियाज अंसारी पे0 स्व0 मनीरुद्दीन अंसारी सा0 मुडमा थाना मांडर जिला राँची (2)महताब अंसारी पे0 रसीद अंसारी सा0 बालसोकरा थाना चान्हो जिला राँची	जेल में आरोप पत्रित आरोप पत्र सं0 08/17 दि0 14.02 .17	ए0जे0सी0— 8 राँची।		पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह मांडर थाना प्रभारी	(1)वादी पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह मांडर थाना प्रभारी(2) पु0अ0नि0 कमेश्वर प्रसाद सिंह(सेवनिवृत) (3)स0अ0नि0 अजय कुमार झा (4) हव0 रामनारायण राम (5) आ0 दुनु सिंह (6)आ0महादेव मंडल (7) आ0 लक्खी राम हांसदा (8) चा0 0 सुनिल कुमार पासवान (9) पु0अ0नि0 सिगराय सुण्डी		(1)एक हरा रंग का चदरा का बक्सा में रखा काला रंग का बैग में एख पीस बुस्टर (2) ननईलोट्रोनिक्स डेटोनेटर एक (3) मोबाईल बैट्री एंव चार लोहे का छर्रा (4) छोटा कैची एक (5) इलेक्ट्रोनिक्स कीट एक (6) 7 इंच ल0 लोहे का टुकडा दो (7) इलेक्ट्रीक तार करीब 70 मीटर (8) छुरी एक करीब 14 इंच ल0 (9) एक प्लास्टिक डब्ब में केनबम युरिया एंव गणपाउडार, बम निरोधक द्वारा विनष्ट कराने के बाद बचा अवशेष	
77	माण्डर काण्ड सं0-	(1)यशवंत सिंह पे0	जेल में	सी0जे0एम0,		पु0अ0नि0	(1)वादी पु0अ0नि0		(1)7.65 बोर का एक	

	12/18दि0 25.01.18 धारा- 25(1-बी)ए /26/35शस्त्र अधि0 जी0आर0न0- 638/18	जयकुमार सिंह थाना धुर्वा (2) मो0 आफताब अंसारी पे0 मो0 फिरोज (3) मो0 कुदुस अंसारी पे0 युसुफ अंसारी दोनो सा0 नचियातु थाना नगड़ी (4) मो0 फिरदौस उर्फ बब्लु पे0 मो0 सलीम सा0+थाना हिन्दपीडी (5) मो0 शाहिद अंसारी पे0 युसुफ अंसारी सा0 मनीटोला थाना डोरण्डा सभी जिला राँची (6) प्रेमधार सिंह पे-0 रामनारायण सिंह सा0 दीदारगंज पटना (बिहार)		आरोप पत्रित आरोप पत्र सं0 36/18 दि0 24.03 .18 (प्रेमध र सिंह पे0 रामना रायण सिंह सा0 दीदार गंज पटना (बिहार) जमान त पर जेल से बाहर है)	राँची।		रामनारायण सिंह मांडर थाना प्रभारी	रामनारायण सिंह (2)प्र0वि0 पदा0 श्री विष्णुउदेव कच्छप (3)पु0अ0नि0 राजीव रंजन कांके थाना (4)अ0नि0 अजय कुमार सिंह नगड़ी थाना (5) पु0अ0नि0 मो0 फारुख पुंदाग ओ0पी0 (6) पु0अ0नि0 चुनुवा उरांव पिठोरिया थाना (7)पु0अ0नि0 तरिक अनवर प्रभारी तकनीकी शाखा (8)आ0 शाह फैसल (9) चा0पु0-3479 सुनिल कुमार पासवान (10) हव0 कृष्णा प्रसाद वैधा (11) आ0 संदीप यादव (12) आ0 विरेन्द्र कण्डुलना	लोडेड देशी पिस्तोल जिसका मैगजीन में दो जिन्दा गोली (2) एक लोडेड देशी कट्टा जिसमें एक 3.15 बोर का जिन्दा गोली (3) एक लोडेड देशी कट्टा जिसमें 3.15 बोर का एक जिन्दा गोली (4) सैमसंग कम्पनी का j7 स्मार्ट फोन एंव oppo एंव vivo कम्पनी का dummi set (5) एक लोडेड देशी कट्टा जिसमें 3.15 बोर का एक जिन्दा गोली एंव दो मोबाईल (6) एक जिन्दा गोली एंव दो मोबाईल (7)) एक जिन्दा गोली एंव तीन मोबाईल		
78	माण्डर काण्ड सं0 34/18 दि0 18.03.18 धारा 25(1-बी)ए/26 35 शस्त्र अधि 0 जी0आर0न0- 1637/18	(1) अफरोज अंसारी उर्फ राहुल पे0 अकबर अंसारी सा0 रानीखटंगा थाना ईटकी जिला राँची	जेल में	सी0जे0एम0, राँची			(1) वादी स0अ0नि0 रामदयाल महतो (2) आ0-3142 रिषाकान्त विन्हा (3) आ02975 सुनिल कुमार पासवान (5) स0अ0नि0 विजय कुमार	(1)मो0 एहसान अंसारी पे0 मोबारक अंसारी (2) इमरोज आलम पे0 मो0 इस्माईल दोनो सा0 बाजारटांड थाना मांडर जिला राँची	(1)एक लोडेड देशी पिस्तोल जिसकी मैगजीन में दो जिन्दा 7.62 की गोली तथा चार मोबाईल		
79	बुंडू थाना कांड संख्या- 06/16, दि0 07.02.2016,	यह कांड वादी पु0अ0नि0 बिनोद ठाकुर पिता श्री रामलगन	1. राममोहन मुंडा पे0 स्व0 चमरा मुंडा, सा0 लोगदा, थाना तमाड़,	अ0नि0 बिनोद कुमार	जे0एम0एफ0 सी0- 06 राँची।		1. हव0 खुदिया कच्छप, बुंडू थाना रिजर्व	एम0आर0 नं0 01/16 प्रदर्ष थाना मालखान में।	इस कांड में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत	1.अभियुक्त राम मोहन मुण्डा, 2. शिव कुमार स्वांसी, 3. दाउद तिर्की	

	धारा-25(1-बी)ए/ 26/35 आर्म्स एक्ट जी0आर0 नं0 - 786/16	प्रसाद, थाना प्रभारी बुण्डू, जिला-राँची के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. राममोहन मुण्डा पे0 स्व0 चमरा मुण्डा, सा0 लोगदा, थाना- तमाड 2. दाउद तिर्की पे0 जाहेन तिर्की सा0 बासुकोचा थाना तमाड, 3. षिव कुमार स्वांसी पे0 सुन्दर स्वांसी सा0 नावाडीह, थाना बुण्डू एवं 4. दिलीप स्वांसी पिता अतुल स्वांसी सा0 सिरिडीह, पो0 सताकी थाना राहे ओ0पी0 सभी जिला राँची के विरुद्ध लूटपाट की योजना बनाते समय हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	जिला राँची। 2. दाउद तिर्की पे0 जोहन तिर्की सा0 बासुकोचा, थाना तमाड, जिला राँची। 3. षिव कु0 स्वांसी उर्फ गोल्डी पे0 सुंदर स्वांसी, सा0 नावाडीह, थाना बुण्डू 4. दिलीप स्वांसी पे0 अतुल स्वांसी, सा0 श्रीडीह, राहे ओ0पी0	पे0 रामलग न प्रसाद तत्काली न थाना प्रभारी, बुण्डू, वर्तमान थाना प्रभारी, बड़हरवा, जिला साहेबगं ज, मो0 703346 6400		गार्ड, मो0 9572637032 2. अ0नि0 जितेंद्र रमण, थाना प्रभारी, तमाड, मो0 9931228647 3. स0अ0नि0 सुरेंद्र प्रताप सिंह, मो0 9431188759, वर्तमान पता- सुखदेवनगर थाना, राँची। 4. परिचारी प्रवर तुषार कांत झा, पु0के0 राँची, मो0 9431141229 5. स0अ0नि0 जयषंकर प्रसाद सिंह, (अनुसंधानक) वर्तमान पता- विषे शाखा, राँची, मो0 9693644091		पर रिहा किया गया है। यह कांड गवाही पर है। इस वाद की पिछली तिथि 20.09. 17 को निर्धारित की गयी थी, अगली तिथि को निर्धारित है।	के पास से क्रमशः सिक्सर, देशी पिस्तौल एवं देशी पिस्तौल बरामद किया गया है एवं परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कारगर बताया गया है।	
80	तमाड थाना कांड सं0- 33/17, दि0 25.04.2017 धारा- 399/402 भा0द0वि0, 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट, 4/5 वि0पदा0 अधिनियम एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट जी0आर0 नं0 - 2010/17	यह कांड वादी जितेन्द्र कुमार रमण, थाना प्रभारी, तमाड, जिला राँची के लिखित बयान के आधार पर (1) षिवषंकर महतो पे0 बसंत महतो (2) श्याम चन्द्र महतो पे0 काषीनाथ महतो (3) उमेष महतो पे0 महेन्द्रनाथ महतो (4) सौरभ महतो पे0 उदयनाथ महतो (5) कमलाकान्त महतो पे0 रामनाथ महतो, पाँचो सा0 चिपिबांधडीह एवं (6) दुखहरण महतो उर्फ दुखु महतो पे0	1. षिवषंकर महतो पे0 बसंत महतो, 2. श्यामचंद्र महतो, पे0 काषीनाथ महतो 3. उमेष महतो पे0 महेंद्र नाथ महतो 4. सौरभ महतो पे0 उदयनाथ महतो 5. कमलाकांत महतो पे0 रामनाथ महतो, सभी सा0 चिपिबांधडीह, थाना-तमाड, 6. दुखहरण महतो उर्फ दुखु महतो, पे0 लोबिन महतो उर्फ कार्तिक महतो सा0 जेठाडीह, थाना- तमाड	अ0नि0 जितेंद्र कु0 रमण, थाना प्रभारी तमाड थाना मो0 993122 8647	जे0एम0एफ0 सी0- 06 राँची।	1. स0अ0नि0 षिवमुनी सिंह (अनुसंधानकर्ता) मो0 9006839152 2. परिचारी प्रवर तुषारकांत झा, पु0के0, राँची, मो0 9431141229 3. आ0 / 1177 जितेंद्र कुमार मो09122569684 4. आ0 / 690 देवपाल उरांव, मो07764846974 5. आ0 / 371 सुरेष उरांव,	सन्हा सं-06 दि0 25.04.2017	इस कांड के 06 अभियुक्तों में से अभियुक्त कमलाकांत महतो को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.17 को जमानत स्वीकृत किया गया है।	अभियुक्त 1. षिवषंकर महतो के पास से देशी कारबाईन+1गोली, श्याम चन्द्र महतो के पास से देशी पिस्तौल+1 गोली, 3. उमेष महतो के पास से देशी पिस्तौल +1 गोली, 4. सौरभ महतो के पास से देशी पिस्तौल+1 गोली बरामद किया गया है एवं परिचारी प्रवर पु0के0, राँची द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में जप्त हथियारों को कारगर बताया गया है।	

		लोबिन महतो उर्फ कार्तिक महतो सा0 जेठाडीह सभी थाना तमाड़ जिला राँची के विरुद्ध हरवे हथियार से लैष होकर अपहरण, हत्या व डकैती की योजना बनाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।					मो08540989022				
81	तमाड़ थाना कांड सं0- 35/17, दि0 25.04.2017 धारा- 414 भा0द0वि0, 25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट, एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट जी0 आर0 नं0 - 2260 / 17	यह कांड वादी पु0अ0नि0 जितेन्द्र कुमार रमण, थाना प्रभारी, तमाड़ के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. शैयनाथ सिंह मुण्डा पे0 स्व0 योगेश्वर सिंह मुण्डा, सा0-गांगो एवं 2. भीम मुण्डा पे0 लालो मुण्डा, सा0 रूगड़ी (नवाडीह) दोनो थाना-तमाड़ जिला-रांची के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	1. शेषनाथ सिंह मुंडा पे0 स्व0 योगेश्वर सिंह मुंडा, सा0 गांगो 2. भीम मुंडा पे0 लालो मुंडा सा0 रूगड़ी (नावाडीह), दोनो थाना- तमाड़ जिला रांची	अ0नि0 जितेंद्र कु0 रमण, थाना प्रभारी तमाड़ थाना मो0 993122 8647	जे0एम0एफ0 सी0- 06 राँची।		1. स0अ0नि0 सुरेंद्र उपाध्याय अनुसंधानकर्त्ता) मो0 9471569109 2. परिचारी प्रवर तुषारकांत झा, पु0के0, रांची, मो0 9431141229 3. आ0 / 1177 जितेंद्र कुमार मो09122569684 4. आ0 / 371 सुरेश उरांव, मो08540989022 5. आ0 / 1206 सुरेंद्र पासवान, मो0 9523232030 6. आ0 / 714 कृष्ण मोहन, मो09709261415	सन्हा सं-22 दि0 07.05.2017	इस कांड में सभी अभियुक्त जेल में है तथा किसी की गवाही नहीं हुई है। इस कांड की अगली तिथि दिनांक को निर्धारित की गयी है।	अभियुक्त 1.शेषनाथ मुण्डा के पास से देषी पिस्तौल एवं भीम मुण्डा के पास से भी देषी पिस्तौल बरामद किया गया है एवं परिचारी प्रवर पु0के0, राँची द्वारा जाँच प्रतिवेदन में जप्त हथियारों को कारगर बताया गया है।	
82	तमाड़ थाना कांड स0 -70/17 दि0 11.09.17 धारा 414 भा0द0वि0 एवं 25(1-बी)ए आर्म्स एक्ट।	यह कांड वादी विमल कुमार पे0 मोहन षर्मा सा0 पाटक टोली जहानाबाद वर्तमान पता थाना प्रभारी तमाड़ के स0लिखित प्रतिवेदन के आधार र प्राथमिकी अभियुक्त संजय मछुवा पे0-स्व0 योगेश्वर मछुवा सा0-गांगटोला	1. संजय मछुवा पे0-योगेश्वर मछुवा सा0-गांगटोला कोयजानीगुडा थाना-तमाड़ जिला-राँची।	जेल में			वदी विमल कुमार पे0-मोहन षर्मा सा0-पाटक टोली जहानाबाद जिला जहानाबाद वर्तमान थाना प्रभारी तमाड़	1.पु0अ0नि0 विमल कुमार,तमाड़ थाना 2.स0अ0नि0 विष्वनाथ प्रसाद सिंह , तमाड़ थाना 3.स0अ0नि0 मनोहर बारला तमाड़ थाना 4.स0अ0नि0 शिवमुनी सिंह तमाड़ थाना 5.तुषारकांत झा पु0के0राँची 6.हव0 विष्णुमहली तमाड़,			

		कोयजानीगुढा थाना-तमाड जिला-रॉची के विरुद्ध अवैध हथियार रखने तथा चारी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।					थाना रिजर्वगार्ड।			
83	अनगड़ा थाना कांड सं०- 103/16, दि०- 30.10.16, धारा- 420 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी०आर०न०- 6254/16	1. अजय सिंह, पे०- गंगाधर सिंह, सा०- सोसो, थाना- सिकिदिरी, जिला- रॉची। 2. शम्भू बड़ाईक, पे०- गणेश बड़ाईक, सा०- बीसा नया टोली, थाना- अनगड़ा जिला- रॉची।	यह काण्ड वादी पु०अ०नि० राम बाबू मंडल थाना प्रभारी अनगड़ा के स्वयं लिखित ब्यान पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध पिस्तौल एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया है।		जे०एम०एफ० सी०- 4 रॉची,		पु०अ०नि० रामबाबू मंडल थाना प्रभारी अनगड़ा।	1. पु०अ०नि० रामबाबू मंडल थाना प्रभारी अनगड़ा। 2. पु०/212 अमरेश बैठा 3. हव०/562 बिरसा उँराव 4. पु० 896 दीपक कुमार 5. पुलिस अधीक्षक तुषार कान्त झा, सी०सी०आर०। 6. स०अ०नि० प्रदीप कुमार साह(अ०क०) अनगड़ा थाना		ग्वाही 08.06.18
84	रातु थाना काण्ड सं०- 132/17, दि०-28.06.17, धारा- 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी०आर०न०- 3284/17	1. सुनिल उरॉव, पे०- विगुवा उरॉव, 2. बबलू उरॉव, पे०- सुकरा उरॉव 3. रंथु उरॉव, पे०- बिगल उरॉव, सा०- हुरहुरी, थाना- रातु जिला- रॉची।	यह काण्ड वादी अमोद नारायण सिंह पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आर्म्स एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज	जमानत	जे०एम०एफ० सी०- 27 रॉची		1. पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु अमोद नारायण सिंह (वादी)	1. पु०नि० सह थाना प्रभारी रातु अमोद नारायण सिंह (वादी) 2. स०अ०नि० संजय कुमार, 3. पु०/2633 श्रीहरि किष्कु 4. पु०/2637 मंगल चरण टुडु 5. गृह रक्षक 16201 कृष्ण नन्द राय 6. गृह रक्षक 16192 राम वृक्ष महतो 7. गृह रक्षक 15070 लहज नाथ महतो तीनों अंचल गार्ड रातु जिला- रॉची 8. फागु उरॉव, पे०- रामकरण उरॉव, सा०- सिमलिया थाना- रातु जिला- रॉची। 9. अर्जुन लोहार, पे०- सुरेश लोहार, सा०- फुटकल टोली, थाना- रातु जिला- रॉची। 10. पुलिस उपाधीक्षक तुषार कान्त झा। 11. स०अ०नि० सुनिल		

							कुमार(अ0क0) रातु थाना		
85	कोतवाली थाना काण्ड सं0- 865/15, दि0- 17.11.15, धारा- 25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। एस0टी0न0- 533/16	मो0 इमरोज उर्फ सोनु, पे0- अब्दुल गफार, सा0- नदी ग्राउड, इस्लामी मरकज, थाना- हिन्दपीढी, जिला- राँची।	यह काण्ड वादी . पु0अ0नि0 विश्राम उरॉव, कोतवाली थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त मो0 इमरोज उर्फ सोनु, पे0- अब्दुल गफार, सा0- नदी ग्राउड, इस्लामी मरकज, थाना- हिन्दपीढी, जिला- राँची के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।		सी0जे0ए0 राँची		1. वादी पु0अ0नि0 विश्राम उरॉव, कोतवाली थाना	1. पु0अ0नि0 विश्राम उरॉव, कोतवाली थाना (वादी) 2. पु0/2081 सुबोध मरान्डी 3. पु0/2567 कुषल लुगुन, 4. पु0/2140 संदीप कुमार 5. मो0 मुस्ताक, पे0- मो0 नसिम, सा0- निजाम नगर खेत मुहल्ला, 6. परवेज आलम, पे0- तफाजुल, सा0- निजाम नगर खेत मुहल्ला, हिन्दपीढी, जिला- राँची 7. पु0अ0नि0 रवि किषोर प्रसाद(अ0क0)	1. कुख्यात अपराधकर्मी सोनु इमरोज जो पलामू जेल में बंद, के विरुद्ध आर्म्स एक्ट का काण्ड है। 2. अभियुक्त को 7.65 बोर के अवैध दो जिन्दा कारतुस के साथ पकड़ा गया था। 3. जप्ति सूची पर अभियुक्त का हस्ताक्षर है। 4. बरामद कारतुस को परिचारी प्रभारी से जाँच कराई गई है। 5. जाँच में कारगर पाया गया है। 6. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।
86	सुखदेवनगर पंडरा थाना काण्ड सं0-126/16 दि0-01.03.16 धारा- 364ए भा0द0वि0। जी0आर0न0- 1246/16।	1. राजु महतो पे0 षिव महतो 2. कामेश्वर उरॉव पे0 रामदेव उरॉव सा0-बडगॉव थाना-टंडवा, 3. गोबिन्द राम पे0 निरंजन राम सा0-पिपरा थाना-चौपारण जिला-हजारीबाब 3. अभय कुमार उर्फ कृष्ण मोहन झा उर्फ धनंजय उर्फ कालीनन्द किषोर झा सा0-परियाब थाना-कुढनी जिला-मुज्जफरपुर 5.सूरज कुमार साहु पे0 शयाम बिहारी प्रसाद साहु सा0-बालुमाथ, थाना-बालुमाथ, जिला-लातेहार, 6. बुलाकी साव उर्फ पवन गुप्ता पे0 भानू गुप्ता सा0-जितकुडी थाना-बिरनी,जिला-गिर	यह काण्ड वादिनी श्री मति मंजू मंडल पति श्री राजू मंडल सा0-नगर केषवार थाना-सरिया, जिला-गिरीडीह, वर्तमान आर0 के0 भगत के मकान के किरायेदार फैंडस कॉलोनीह चौक थाना-सुखदेवनगर जिला-राँची के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। जिसमे दि0-29.02.16 को संध्या करीब 06:30 बजे वादिनी के दुकान पर आकर वादिनी के पति को अपना परिचय जुगवार में इन्सपेक्टर बातते हुए जुगवार कैप मे मार्बल की आवश्यकता इनके पति को अपने साथ बोलेरो गाडी पर लाये। हत्या करने की नियत से अपहरण करने का	जेल	जे0एम0एफ0 सी0- 10 राँची।		वादिनी श्रीमति मंजू मंडल पति श्री राजू मंडल वादिनी श्री मति मंजू मंडल पति श्री राजू मंडल सा0-नगर केषवार थाना-सरिया, जिला-गिरीडीह, वर्तमान आर0 के0 भगत के मकान के किरायेदार फैंडस कॉलोनीह चौक थाना-सुखदेवनगर जिला-राँची	अनु0कर्ता-राजकुमार सिंह	1.दिलीप अग्रवाल पिता मदन लाल अग्रवाल वादिनी श्री मति मंजू मंडल पति श्री राजू मंडल सा0-नगर केषवार थाना-सरिया, जिला-गिरीडीह, वर्तमान आर0 के0 भगत के मकान के किरायेदार फैंडस कॉलोनीह चौक थाना-सुखदेवनगर जिला-राँची 2. अयोध्या प्रसाद पे0 स्व0 तिलक महतो सा0-डिडको थाना-बगोदर,जिला-गिरीडीह 3.विकास मंडल पे0 मुखलाल मंडल 4.संजय मंडल दोनो पे0 बाबुलाल मंडल सा0- केषवारी थाना-सरिया,

		पीडीह	अरोप लगाया गया है। अनुसंधान के कम में आये तथ्यों के आधार पर कंण्डिका 03 में वर्णित अपराधकर्मी की संलिप्ता पाई गई है।						जिला-गिरीडीह		
87.	कोतवाली थाना काण्ड सं०- 272/17, दि०- 05.10.17, धारा- 414 भा.द.वि० एवं 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी०आर०न०- 5386/17	1. अनुज कुमार उर्फ सोनु, पे०- सरजू प्रसाद, सा०- भवानीपुर, थाना- डोरण्डा 2. विनय खत्री, पे०- विनोद खत्री, सा०- सिद्धार्थनगर थाना- डोरण्डा 3. विषाल कुमार उर्फ छोटू, पे०- मदन कुमार, सा०- भवानीपुर, थाना- डोरण्डा सभी जिला- राँची।	यह काण्ड वादी श्याम नन्दन मण्डल पु०नि० सह थाना प्रभारी कोतवाली के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्रा० अभियुक्त अनुज कुमार उर्फ सोनु, पे०- सरजू प्रसाद, सा०- भवानीपुर, थाना- डोरण्डा 2. विनय खत्री, पे०- विनोद खत्री, सा०- सिद्धार्थनगर थाना- डोरण्डा 3. विषाल कुमार उर्फ छोटू, पे०- मदन कुमार अवैध हथियार गोली एवं छीने हुए चैन के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया है।	जमानत	सी०जे०ए० राँची		पु०नि० सह थाना प्रभारी कोतवाली श्याम नन्दन मण्डल(वादी)	1. पु०नि० सह थाना प्रभारी कोतवाली श्याम नन्दन मण्डल(वादी) 2. पु०/2575 नविन कुमार तिवारी 3. स०अ०नि० रवि शंकर मिश्रा, कोतवाली थाना 4. पु०/1687 अयुब अंसारी 5. पु०अ०नि० राम प्रवेश सिंह ट्राफिक पुलिस 6. पु०अ०नि० सरबक्स सिंह सिन्धु, (अ०क०)			
88.	चुटिया थाना काण्ड संख्या-36/18, दिनांक:-16.02.18, धारा-376 भा.द.वि एवं 4 पोक्सो एक्ट। पोक्सो 16/18	1. बहरा बुढ़ा, पे०- स्व० सुकर स्वासी, सा०- पावर हाउस करनाथ तलाब, पिढी नियर शिव मंदिर, थाना- चुटिया, जिला- राँची।	दिनांक-10.10.17 को वादिनी रूकमणी मुण्डा की बड़ी बेटी प्रीति कुमारी को घर में अकेला पा कर अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया गया।	जेल	ए०जे०सी०- प्रथम, राँची।		वादी रूकमणी मुण्डा, पति संतोष मुण्डा, सा०- पावर हाउस करनाथ टोली थाना- चुटिया, जिला- राँची।	1. वादी रूकमणी मुण्डा 2. संतोष मुण्डा, पे०- स्व० सरयु मुण्डा सा०- पावर हाउस करनाथ टोली थाना- चुटिया, जिला- राँची। 3. सोनी मुण्डा, पति- त्रिभुवन माझी, सा०- कोकर तिरिल बस्ती थाना- सदर। 4. राजेन्द्र मुण्डा, पे०- स्व० दशरथ मुण्डा, 5. सोमरा मुण्डा, पे०- अगनु मुण्डा, दोनो पावर हाउस करनाथ टोली थाना- चुटिया, जिला- राँची।		पीडिता द्वारा धारा- 164 द०प्र०स० के तहत ब्यान में प्राथमिकी का समर्थन किया है। 2. चिकित्सक के द्वारा चिकित्सीय जाँच में Sexual cannot be ruled out दिया गया है। 3. आरोप पत्र समर्पित है। 4. काण्ड में दस गवाह है जिसमें पाँच सरकारी गवाह है, एक वादी एक पीडिता तथा तीन स्वतंत्र साक्षी है। 5. अभियुक्त जेल में है।	

89.	लोअरबाजार थाना काण्ड संख्या-85/18, दिनांक 06.03.18, धारा-302/120 भा.द.वि. एवं 27 शस्त्र अधीनियम। जी0आर0न0-1417/18	1. हषमुद्धीन उर्फ गुड्डु, पे0- अली कुरैसी, मोहउदिद कुरैसी, 2. हषमुद्धीन उर्फ गुड्डु, दोनो सा0- कॉटाटोली, चर्च रोड थाना- लोअरबाजार जिला- राँची एवं अन्य अज्ञात	यह काण्ड वादी नौषीन खॉ, पे0- स्व0 सलाम खॉ, के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी दो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के पिता को गोली मार कर हत्या करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल	J.M.F.C - XI		नौषीन खॉ, पे0- स्व0 सलाम खॉ सा0- कॉटाटोली कुरैसी मुहल्ला थाना- लोअरबाजार।	1. नौषीन खॉ, पे0- स्व0 सलाम खॉ 2. सुलताना खॉन, पे0- रफीक खॉ, 3. मो0 शकील, पे0- हाजी सईद खॉन, 4. रूमी खानम, पति- सलाम खॉ सभी सा0- सा0- कॉटाटोली कुरैसी मुहल्ला थाना- लोअरबाजार।	1. हत्या में प्रयुक्त देषी कट्टा बरामद किया गया है। 2. वादी तथा अन्य गवाह मजबूत है। 3. सभी अभियुक्त जेल में है। 4. हत्या में प्रयुक्त पिस्तौल की जाँच परिचारी प्रवर से कराई गई है। 5. जाँच में कारगर पाया		
90	सदर थाना काण्ड सं0- 553/17, दि0- 17.10.17, धारा- 25(1-ए)26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0-5477/17	1. अतुल मोदक, पे0-षान्ति मोदक, सा0- डंगरा टोली, 2. अनुप कुमार, पे0- राजेश सिंह, सा0- शापी बिहार कॉलोनी, रामदिरी दलान के बगल में अनिल जी बैंक कर्मी के मकान में किरायेदार थाना- सदर 3. ओनिष कुमार, पे0- अखिलेश शुक्ला, सा0- दामोदर गेस्ट हाउस, बिरसा कृषि विष्वविद्यालय काँके थाना- काँके जिला- राँची स्थाई पता सा0- शुक्लापुर थाना- आरा मुफसिल (बिहार)	यह काण्ड वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी सदर दयनन्द कुमार के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों 1. अतुल मोदक, पे0-षान्ति मोदक, सा0- डंगरा टोली, 2. अनुप कुमार, पे0- राजेश सिंह, सा0- शापी बिहार कॉलोनी, रामदिरी दलान के बगल में अनिल जी बैंक कर्मी के मकान में किरायेदार थाना- सदर 3. ओनिष कुमार, पे0- अखिलेश शुक्ला, सा0- दामोदर गेस्ट हाउस, बिरसा कृषि विष्वविद्यालय काँके थाना- काँके जिला- राँची स्थाई पता सा0- शुक्लापुर थाना- आरा मुफसिल (बिहार) के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जमानत	जे0एम0एफ0 सी0- 27 राँची।		वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी सदर दयनन्द कुमार	1. स0अ0नि0 हरेन्द्र कुमार सिंह 2. स0अ0नि0 दनियल सनिल मुर्मू 3. पु0/3415 आदित्य कुजुर 4. हव0 344 एलुमुदिन खान 5. पु0/1208 सनानन बिरूआ 6. राज कुमार, पे0- लालचन्द प्रसाद, सा0- डुमरिया, थाना- मुक्ति, जिला- रोहतास (बिहार) वर्तमान गार्ड माँ इनकलेव चेसायर होम रोड, थाना- सदर जिला- राँची। 7. सुधीर महतो, पे0- नील मोहन महतो, सा0- बोबबुरु नावाडीह, थाना- सोनाहातु जिला- राँची। वर्तमान गार्ड प्रतिमा इनकलेव चेसायर होम रोड, थाना- सदर जिला- राँची। 8. पुलिस अधीक्षक टी0के0झा0। 9. स0अ0नि0 कमलेष्वर कुमार राय(अ0क0) सदर थाना।	1. बरामद हथियार की जाँच परिचारी प्रवर से कराई गई है जाँच में कारगर पाया गया है। 2. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है। 3. अनुसंधान पूर्ण है। 4. आरोप पत्र समर्पित है। 5. अभियुक्त जमानत पर मुक्त है। 6. मुख्य अभियुक्त स्थानीय थाना की निगरानी में है।		
91	सुखदेवनगर थाना कांड सं0-179/17 दिनांक-10.4.17, धारा-392	1-राम कुमार उर्फ बडकू पे0- बालगोविन्द साव, सा0- चुन्ना भट्टा गोपाल मंदिर रोड	यह कांड वादिनी मृणालिणी खलको इण्डिय ओभर सीज बैंक किशोरगंज शाखा	कम सं0-01 को छोड़कर	रेजिस्टार कम जे0एम0 राँची।		मृणालिणी खलखो पति- संजय मौर्या सा0-अस्पताल	अनु0कर्ता पु0 अ0 नि0 शंकर प्रसाद, सुखदेवनगर थाना।	1-मनी मोहित कुजूर पे0- मरयानस कुजूर सा0- गोसाई टोली अपर चुटिया, थाना-	1-लूटा गया रुपया बरामद। 2-अपराध की घटना में लाया गया मोटर	

	भा0द0वि0 परिवर्तीत धारा- 395 / 412 भा0द0वि0 जी0आर0न0-1727 / 17	नं0-3, थाना- सुखदेवनगर, 2-जलैन्द्र महतो पिता- स्व0 रमेश महतो सा0- शंकरजरा गेतलसुद चौक, थाना- अनगढ़ा, 3-राजू गुप्ता पे0- राजेन्द्र गुप्ता सा0- टाटी बस्ती, थाना- टाटी सिल्वे, 4- ओम प्रकाश वर्मा पे0- स्व0 संतोष वर्मा सा0- चकला, थाना- ओरमाझी, 5- सोनु कुमार पे0- मनोज साव सा0- न्यू मधुकम रोड नं0-5, थाना- सुखदेवनगर सभी जिला- रॉची, 6- भोलू वर्मा पे0- प्रहलाद प्रसाद सोनी, पता-न्यू मधुकम मुर्गा मैदान के पास, थाना- सुखदेवनगर, जिला- रॉची।	प्रबंधक के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात तीन अपराधकर्मिये के विरुद्ध आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर दिनांक- 10. 4.17 को 14.00 बजे रूपया लूट लेने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षणोपरांत यह कांड धारा-395 / 412 भा0द0वि0 के अनतर्गत काडिका तीन में वर्णित अप्रा0 अभि0 के विरुद्ध सत्य व आरोप पत्र का प्रयाप्त साक्ष्य पाया गया है। अप्राथ0 अभि0 1-जलैन्द्र महतो, 2-राजू गुप्ता 3- ओम प्रकाश वर्मा 5- सोनु कुमार 6-भोलू वर्मा न्यायिक हिरासत में है।	सभी जेल में।			रोड मांडर मिशन थाना-माण्डर, जिला-रॉची। वर्तमा शाखा प्रबंधक ओभर सीज बैंक किशोरगंज शाखा, थाना- सुखदेवनगर, जिला- रॉची।		चुटिया, जिला- रॉची। 2-शैलेन्द्र कुमार पे0- श्रवण कुमार सा0- लक्ष्मीनगर, थाना- पण्डरा, जिला- रॉची। 3-प्रिया कुजूर पति-सोनापाल एस बाड़ा सा0- अल्बर्ट कम्पाउण्ड पत्थल कुदवा, थाना- लोअर बाजार, जिला- रॉची हा0 मो0 कैशियर ओभर सीज बैंक किशोरगंज शाखा। 4-संदीप कुमार पे0- अनिरुद्ध राम सा0- डी0टी0-1015 डेमसाईड धुर्वा, थाना- धुर्वा, जिला- रॉची।	साईकिल बरामद कर मालखाना में रखा गया है। 3- टी0आई0 पी0 के दौरान साक्षियों द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्तों का पहचान घटना कारित करने में किया गया।
92	बरियातु थाना काण्ड सं0- 238 / 16, दि0- धारा- 395 भा.द.वि.। एस0टी0न0-645 / 16	1. जोरंगो सेनापति, सा0- सैरकुण्डी, 2. शत्रुधन कुमार, पे0- यदुनन्दन साव, सा0- सोनादंगल, थाना- चिरकुण्डा। 3. सुरज सिंह, पे0- इन्द्रदेव सिंह, सा0- सोनादंगल, नियर रेलव लाईन दुखहरनी मंदिर, थाना- चिरकुण्डा 4. मन्दु दा उर्फ बिटु दा पे0- रोहन दा, सा0- चिरकुण्डा निचे बाजार, थाना-	वादी से लुट पाट करना	क्रमांक 2 जमानत शेष जेल।	ए0जे0सी0-06 रॉची	सुग्रीव कुमार, पे0- रामानन्द सिंह, सा0- निर्माला कान्चेट एडलहातु, रोड न0- 1 षिव पुरम, थाना- बरियातु, रॉची।	1.दिलिप कुमार महतो, पे0- गोकुल महतो, सा0- हडियाडी, थाना-बाखड़ा जिला- धनबाद, वर्तमान आर्षीवाद माक्रोफाईनांस प्राईवेट लिमिटेड में ब्रॉच मैनेजर बरियातु। 2. शेखर प्रसाद साव, पे0- भरत साव, सा0- कल्यानपुर, थाना- बरवद्दा। वर्तमान आर्षीवाद माक्रोफाईनांस प्राईवेट लिमिटेड में स्टाफ बरियातु। 3. पिन्दु ठाकुर, पे0- स्व0 सरयु ठाकुर, 4. मनोज	अभियुक्तों के पास से लुटे गये रूपये का बरामदगी की गई है।		

		चिरकुण्डा 5. दिपक कर पे0- रवि कर, सा0- कापासारा, नियर षिव मंदिर थाना- चिरकुण्डा 6. उज्जवल चटर्जी पे0- अषोक चटर्जी, सा0- देवली नियर हरि मंदिर, थाना- हरिबोध, जिला- पाकुड। 7. पप्पु मंडल पे0- मुन्ना मंडल, सा0- चिरकुण्डा मीम पाड़ा थाना- चिरकुण्डा, सभी जिला- धनबाद।						करमाली, दोनो सा0 किषुनपुर बुटीमोर, थाना- सदर। 4. पु0अ0नि0 एस0न0 प्रसाद, अ0क0			
93	डोरण्डा थाना काण्ड सं0- 04. /17, दि0- 03.01. 17, धारा- 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 62/17,	1. मो0 आरिफ साह, पे0- मो0 अख्तर, 2. अप्राथमिकी अभियुक्त मोईन, पिता- नईम, दोनो सा0- बेलदार मोहल्ला, थाना- डोरण्डा, जिला- राँची।	अवैध पिस्तौल एवं कारतुस के साथ पकडा जाना।	जमानत	एस0डी0जे0 ए, राँची		पु0अ0नि0 शंकर पाण्डेय, वादी डोरण्डा थाना।	1. पु0अ0नि0 शंकर पाण्डेय, वादी डोरण्डा थाना। 2. आ0/394 प्रमोद कुमार सिंह मो0- 9431908546 3. आ0/3356 नारायण राय, मो0- 8271426073 4. आ0/1313 बबलू कुमार, मो0- 9471106037 5. पु0अ0नि0 राघवेन्द्र सिंह, अ0क0, मो0- 9934431738 6. सुधानु गोप, पे0- रेवति मोहन गोप, सा0- स्वीट शॉप का मालिक, झण्डा चौक, थाना- डोरण्डा। 7. प्रभाष महतो, पे0- कोकिल महतो, सा0- स्वीट शॉप का सेल्स मैन, झण्डा चौक, थाना- डोरण्डा।			
94.	डोरण्डा थाना काण्ड सं0- 127/17, दि0- 26.06.17, धारा- 324/307/302 भा.द.वि। GR/3267/2017	1. विकास कच्छप, उर्फ टकला, सा0- मनी टोला, पुराना अखाड़ा, थाना- डोरण्डा।	छुरा मारकर जख्मी करना तत्पश्चात इलाज के क्रम में मृत्यु होना।	जमानत	सेसन में परिवर्तित		रोशन केरकेट्टा, पे0- छट्टु केरकेट्टा, सा0- मनी टोला, पुराना अखाड़ा, थाना- डोरण्डा।	1. सागर कुमार राम, पे0- भोला राम, सा0- मनी टोला, थाना- डोरण्डा। 2. मुन्दरी लकड़ा, पति- सोमरा लकड़ा, सा0- सतरंगी बाजार, थाना- तुपुदाना। 3. सुनिता कच्छप, पति- यष्वन्त कच्छप, 4. अमित गोप, पे0- सुरेश			

							गोप, 5. सन्नी कुमार राम, पे0- भोला राम, तीनो सा0- मनी टोला, पुराना अखाड़ा, थाना- डोरण्डा। 6. रवि बड़ाईक, पे0- गोवरधन बड़ाईक, सा0- मनी टोला काली मंदिर, थाना- डोरण्डा।			
95	डोरण्डा थाना काण्ड सं0- 284 / 17, दि0- 07.12.17, धारा- 25(1-बी)ए / 26 / 3 5 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 6665 / 17,	1. मो0 आरिफ, पे0- मो0 रषिद, सा0- युनुस चौक, नाई मोहल्ला इम्माबाड़ा के सामने, थाना- डोरण्डा। 2. अप्राथमिकी अभि0 जिषान, पे0- शकिल, सा0- नाई मोहल्ला इम्माबाड़ा के सामने, थाना- डोरण्डा।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़ा जाना	जमानत	एस0डी0जे0 एम0,	स0अ0नि0 साजीद खॉ, डोरण्डा थाना।	1. स0अ0नि0 सूर्यवंती उरॉव, मो0- 8292101474 2. आ0 / 714 कृष्ण मोहन, 3. आ0 / 1105 मंगल देव उरॉव 4. पुलिस उपाधीक्षक तुषार कान्त झा। 5. हाजी हारून कुरैसी, पे0- स्व0 हाजी मो0 फारुख कुरैसी, सा0- पत्थर रोड मनी टोला, थाना- डोरण्डा। 6. मो0 कमरुद्दीन अंसारी, पे0- स्व0 मो0 हबीब अंसारी, सा0- मनी टोला, पत्थर रोड, अजन्ता ग्रील गेट दुकान, थाना- डोरण्डा। 7. मजहर कुरैसी, पे0- पे0- हाजी मो0 हसन कुरैसी, सा0- पत्थर रोड, मनी टोला, थाना- डोरण्डा। 8. विजय घोष, पे0- नकुल घोष, सा0- किलबर्न कॉलोनी, हिनु, थाना- डोरण्डा। 9. स0अ0नि0 अखिलेश सिंह, अ0क0, मो0- 9934108157			
96	लोअरबाजार थाना काण्ड सं0- 303 / 13, दि0- 21.12.13, धारा- 387 / 452 / 290 भा.द.वि. एवं	1. आसिफ अहम्मद उर्फ राजा, पे0- स्व0 नकीब अहम्मद, सा0- पत्थलकुदवा, 2. मो0 मुर्षिद आलम, पे0- मो0 शकील	मेला में जबरन प्रवेश कर दहषत फैलाने हेतु फायर करना एवं अवैध अग्नेयास्त्र के साथ पकड़ा जाना		जे0एम0एफ0 सी0- 27 रॉची,	वादी अनुप कुजुर, पे0- ज्ञान प्रकाश कुजुर, सा0- बढही टोली, पुरुलिया रोड,	1. अभिजित टोप्पो, पे0- तेज कुमार टोप्पो, सा0- महल्ला कौटा टोली, युनियन बैंक के पास, थाना- लोअरबाजार। 2. अनुराग तिर्की पे0-	. जप्ती सूची में अभियुक्त एवं गवाहों का हस्ताक्षर 2. बरामद अग्नेयास्त्र का परिचारी प्रवर से जाँच कराई गई है।		

	25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 7004/13,	सा0- आजाद बस्ती, फुलबागान, पत्थलकुदवा दोनो थाना- लोअरबाजार, जिला- राँची।				थाना- लालपुर जिला- राँची।	मार्टिन तिकी, सा0- बेला टोली, कोकर, थाना- सदर। 3.पु0अ0नि0 किषन मण्डल, लोअर बाजार थाना। 4. निषांत कुजुर, पे0- स्व0 जाकिम कुजुर, सा0- बढई टोली, थाना- लालपुर, 5. अनुराग अभिषेक तिरू, पे0- स्व0 एनिसन तिरू, सा0- भरमटोली, बरियातु।		3. जाँच में अग्नेयास्त्र को कारगर एवं घातक बताया गया है। 4. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।	
97	गोन्दा थाना काण्ड सं0- 139/16 दि0- 21.12.16, धारा- 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 7220/16	1. कुन्दन कुमार उर्फ आर्य, पे0- राजेश उर्फ साधु, सा0- टिकली टोली, थाना- गोन्दा, जिला- राँची। 2. संतोष लोहरा, पे0- श्याम लाल लोहरा, सा0- हातमा, डहुटोली, थाना- गोन्दा, जिला- राँची।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकडा जाना		जे0एम0एफ0 सी0- 17 राँची।	वादी स0अ0नि0 रणविजय प्रताप सिंह	1. पु0अ0नि0 सतेन्द्र प्रसाद सिंह 2. चा0पु0/3480 अनुज कुमार पासवान, 3. पु0/300 मो0 पप्पू 4. पु0/325 विफई उराँव 5. विष्णु कुमार, पे0- हरि राम, सा0- लक्ष्मी निवास, काँके रोड, थाना- गोन्दा। 6. शुभम राय, पे0- सोनु राय, सा0- लक्ष्मी निवास, काँके रोड, थाना- गोन्दा। 7. पु0अ0नि0 रब्बि देवी अ0क0		1. जप्ती सूची में अभियुक्त एवं गवाहों का हस्ताक्षर 2. बरामद अग्नेयास्त्र का परिचारी प्रवर से जाँच कराई गई है। 3. जाँच में अग्नेयास्त्र को कारगर एवं घातक बताया गया है। 4. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।	
98	सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0- 536/16, दि0- 18.09.16, धारा- 25(1-बी)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। एस0टी0न0- 287/17,	1. सकलदीप बड़ाईक, पे0- स्व0 बाबू लाल बड़ाईक, सा0- इंदपुरी रोड न0- 2 थाना- सुखदेवनगर।	अवैध अग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकडा जाना		ए0जे0सी0- 18,	वादी श्री नवल किषोर सिंह, पु0नि0 सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर।	1. आ0/3275/ रंजीत सिंह, 2. आ0/2080 धर्मेन्द्र मांझी 3. पु0अ0नि0 अषोक कुमार सिन्हा। 4. आ0/206 सतेन्द्र सिंह 5. हव0 514 रामेश्वर सिंह 6. आ0/3670 अमृत तिग्गा। 7. चा0पु0/3435 अमिल राम 8. ललितेश्वर कुमार, पे0- स्व0 रामविजय सिंह, सा0- फतेहपुर, थाना-पालीगंज, जिला- पटना, ह0मो0- सेल्स मैन वाईन शॉप न0- 02 रातु रोड, थाना- सुखदेवनगर। 9. भुषण यादव, पे0- द्वारिका यादव, सा0-		1. जप्ती सूची में अभियुक्त एवं गवाहों का हस्ताक्षर 2. बरामद अग्नेयास्त्र का परिचारी प्रवर से जाँच कराई गई है। 3. जाँच में अग्नेयास्त्र को कारगर एवं घातक बताया गया है। 4. अभियोजन स्वीकृत्यादेश प्राप्त है।	

							रानीसती मंदिर लेन जय प्रकाश नगर, थाना- सुखदेवनगर। 10. स0अ0नि0 अरविन्द शर्मा, अ0क0			
99.	सुखदेवनगर थाना काण्ड सं0- 178/18, दि0-10. 04.18, धारा- 25(1-बी)ए/20/30/26/35 आर्म्स एक्ट। जी0आर0न0- 2095/18,	1. अनुज ठाकुर, पे0- केदार ठाकुर, सा0- विद्यानगर, महाबीर लेन, रोड न0- 02 2. नीलेश कुमार वर्मा उर्फ टीटु, पे0- चन्द्रभुषण स्वर्णकार, सा0- शिवदुर्गा मंदिर लेन, दोनो थाना- सुखदेवनगर, जिला- राँची।	अवैध अग्नेयास्त्र रखना एवं व्यापार करना।		श्री अभिषेक कुमार, रेजिस्टार, राँची,	वादी श्री नवल किशोर सिंह, पु0नि0 सह थाना प्रभारी सुखदेवनगर।	1. पु0अ0नि0 शंकर प्रसाद 2. हव0 रामेश्वर सिंह, 3. पु0/ 2080 धर्मेन्द्र मांझी 4. पु0/ 2357 आशुतोष कुमार 5. आ0/ 3670 अमृत तिग्गा। 6. पु0/ 1980 अरुण कुमार यादव 7. पु0/ 2623 धनेश्वर उरॉव 8. पु0/ 2367 फिरोज अफताब 9. पु0/ 1822 प्रमोद कुमार 10. चा0पु0/ 3435 अनिल राम 11. पु0अ0नि0 दिनानाथ राम।	1. जपती सूची में अभियुक्त एवं गवाहों का हस्ताक्षर 2. बरामद अग्नेयास्त्र का परिचारी प्रवर से जाँच कराई गई है। 3. जाँच में अग्नेयास्त्र को कारगर एवं घातक बताया गया है। 4. अभियोजन स्वीकृत्यादेश हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है। 5 अभियोजन स्वीकृत्यादेश अप्राप्त है।		
100.	माण्डर थाना कांड सं0 91/15, दि0 08.08.15, धारा 147/148/149/452/341/324/325/302/120'बी' भा0द0वि0 एवं 3/4/5 डायन विसाईन अधि0 एस0टी0-347/16	1.मोजेस खलखो 2. जेवियर खलखो 3. वर्णवाष खलखो 4. जोसफिन खलखो 5. पूनिता खलखो 6. कृष्णा खलखो 7. विजय खलखो 8. बलदेव खलखो 9. अरुण बारा खलखो 10. किरण खलखो 11. गंगील खलखो 12. जबनी खलखो 13. राजेश खलखो 14. पार्तिक खलखो 15. रोमित खलखो 16. कुसुम खलखो 17. अलबिनुस खलखो 18. केलेमेन्ट खलखो , राजु खलखो 19. गंदरू खलखो 20. राजा कुजुर 21.बबलु कुजुर 22.	डायन विसाइन कहकर मारपीट कर हत्या कर देने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।		ए0जे0सी0- 7	वदी सुकुमार खलखो पे0 स्व0 एतवा खलखो, सा0 मरई टोली, थाना माण्डर, जिला राँची।	पु0अ0नि0 रामनारायण सिंह	1.मतियस खलखो पे0 जोसेफ खलखो, सा0 मरई टोली, थाना माण्डर, जिला राँची 2. अनिल खलखो पे0 मतियस खलखो, सा0 मरई टोली, थाना माण्डर, जिला राँची।		

		<p>सन्नो खलको 23. सनु उर्राव 24. सचिन खलको 25. मनोज खलखो 26. सिसिलिया खलको 27. जीवन खलको 28. कषोर खलखो 29. जलनु खलखो 30. सुरेष खलको 31. जान खलको 32. चुन्नी खलको 33. बलगु उर्फ बल्लु उर्राव 34. बुधु खलखो 35. सुभाष खलखो 36. बनोद कुजुर 37. पंचु उर्राव 38. वष्वनाथ उर्राव 39. जलतवाहन उर्राव 40. मागु उर्राव 41. बलरसा उर्राव 42. ललटवा उर्राव 43. जगरनाथ उर्राव 44. सान्जो खलखो 45. मनोज खलखो 46. वष्वनाथ खनलखे 47. संदीप एकका एवं अन्य सभी सा0 कंजिया मरयटोली, थाना माण्डर, जिला राँची ।</p>								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

साहेबगंज जिला के त्वरित विचारण कराने योग्य 20 कांडों की विवरणी विहित प्रपत्र में निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	कांड संख्या / तिथि / पारा / ळल्लेख छव	न्यायालय का नाम	पी०पी० / ए०पी०पी०	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में / फरार / बेल	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह / अनुसंधानकर्ता / चिकित्सक / विशेषज्ञ का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर	आम गवाहों का नाम, पता एवं मोबाईल संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुफसिल थाना कांड सं०- 118 / 17 दि०-14.10.17 धारा- 302 / 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट। जी०आर०नं०- 623 / 17 ए०टी०नं०-	मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०के० गुप्ता	1. दिनेश चौधरी पे० शिव चौधरी सा० लालबथानी मुशहरी टोला 2. दीनानाथ मंडल पे० स्व० लोचन मंडल सा० किशन प्रसाद दोनो थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	षडयंत्र कर आग्नेयास्त्र से गोली मारकर हत्या करने के आरोप में दर्ज है।	जेल	भरत चौधरी पे० स्व० गुदर चौधरी सा० लाल बथानी मुशहरी टोला थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	1. पु०अ०नि० बसंत तिकी मो०नं०-8521623565, 2. पु०अ०नि० गीता प्रसाद सिंह मो०नं०-9661308258, दोनों मुफसिल थाना जिला साहेबगंज 3. डॉ० ए०के० सिंह, एम०ओ० सदर अस्पताल, साहेबगंज।	1. बासकी चौधरी पे० स्व० ईश्वर चौधरी, 2. भोला चौधरी पे० रामअवतार चौधरी, 3. कारू चौधरी पे० जलधरी चौधरी, 4. राजकुमार चौधरी पे० जहाजी चौधरी, 5. सीताराम मंडल पे० स्व० मीतन मंडल, 6. श्यामसुन्दर चौधरी पे० रामचन्द्र यादव सभी सा० लालबथानी मुसहरी टोला थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	
2	मुफसिल थाना कांड सं०- 126 / 17 दि०-03.11.17 धारा-25(1-बी)ए / 26 आर्म्स एक्ट जी०आर०नं०- 650 / 17	मा०न्या० मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०मरांडी	1. दिनेश चौधरी पे० शिव चौधरी सा० लालबथानी मुशहरी टोला 2. दीनानाथ मंडल पे० स्व० लोचन मंडल सा० किशन प्रसाद दोनो थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार होना	जेल	पु०अ०नि० विनोद तिकी थाना प्रभारी मुफसिल जिला साहेबगंज। मो०नं०- 9631531566,	1. पु०अ०नि० बसंत तिकी मो०नं०-8521623565, 2. पु०अ०नि० गीता प्रसाद सिंह मो०नं०-966130 8258, 3. स०अ०नि० सीताराम पासवान मो०नं०- 8757088490, 4. हवलदार सामु जामदा 5. आ० / 277 सामेल सोरेन 6. आ० / 313 मानवेल सोरेन 7. आ० / 199 मानसिद हापद गाड़ा सभी मुफसिल थाना जिला साहेबगंज 8. श्री अनिल कुमार सिन्हा परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र पाकुड़ मो०नं०-9835594800,	1. कारू चौधरी पे० बेलदारी चौधरी 2. राजकुमार चौधरी पे० बासकी चौधरी दोनों सा० लालबथानी मुशहरी टोला थाना मुफसिल जिला साहेबगंज	

3	मिर्जाचौकी थाना कांड सं०- 05/17 दि०-10. 01.17 धारा-302/376 भा०द०वि० एवं 3/4 पोस्को एक्ट, एस०टी०नं०- 99/17	मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०के० गुप्ता	1. सुनिल पहाड़िया पे० नकुल पहाड़िया सा० मजरोहो पहाड़ थाना पीरपैती जिला भागलपुर (बिहार)।	नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर हत्या कर साक्ष्य नष्ट करने की नियत से शव छिपाने के आरोप में दर्ज है।	जेल	चन्द्रदेव पहाड़िया उम्र करीब 42 वर्ष पे० बुधवा पहाड़िया सा० गढ़ी पहाड़ थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज	1. पु०अ०नि० अनुज कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) मो०नं०- 9608152593, 2. डॉ० एच० हॉसदा, सदर अस्पताल साहेबगंज।	1. चन्द्रदेव पहाड़िया उम्र करीब 42 वर्ष पे० बुधवा पहाड़िया 2. मरियम पहाड़िन पतित सन्नी पहाड़िया, 3. बिजू पहाड़िया पे० सोमरा पहाड़िया 4. सूरज पहाड़िया पे० सोमरा पहाड़िया, 5. फुदकी देवी पति बुधवा पहाड़िया सभी सा० गढ़ी पहाड़ थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज।
4	मुफसिल थाना कांड सं०- 131/17 दि०-16.11.17 धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट जी०आर०नं०- 621/17	मा०न्या० मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०मरांडी	1. विजय सिंह पे० गणेश सिंह सा० महादेवगंज गोढ़ी टोला थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार होना	जमानत पर मुक्त है।	पु०अ०नि० विनोद तिकी थाना प्रभारी मुफसिल जिला साहेबगंज। मो०नं०- 9631531566,	1. पु०अ०नि० विनोद तिकी मो०नं०- 9631531566, 2. पु०अ०नि० गीता प्रसाद सिंह मो०नं०-9661308258, 3. पु०अ०नि० बसंत तिकी मो०नं०- 8521623565, 4. स०अ०नि० सीताराम पासवान मो०नं०- 8757088490, 9430179839, 5. स०अ०नि० रामाशंकर यादव मो०नं०- 9661951020 6. स०अ०नि० बिरेन्द्र सिंह मो०नं०- 9122344543 7. हवलदार सामु जामदा 8. आ०/80 अर्जुन महारतों 9. आ०/18 अमित राम 10. आ०/199 मानसिंह हापदगाड़ा, 11. श्री अनिल कुमार सिन्हा परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र पाकुड़ मो०नं०-9835594800,	

5	मुफसिल थाना कांड सं०- 139/17 दि०-06.12.17 धारा-376(६) भा०द०वि० पोस्को-09/18 जी०आर०नं०- 728/17	मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०के० गुप्ता	धर्मेन्द्र कुमार पे० बेली रिखयाशन सा० सामदासिज थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करना।	जेल	जबनी देवी पति इन्दर रिखयाशन सा० सामदासिज थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।	1. पु०अ०नि० बसंत तिकी मो०नं०- 8521623565 2. डॉ० पुनम, सदर अस्पताल साहेबगंज।	1. जबनी देवी पति इन्दर रिखयाशन 2. राज कुमारी देवी पति शिवमनी रिखयाशन 3. शिवमनी रिखयाशन पे० बुधु रिखयाशन 4. इन्दर रिखयाशन 5. राजेश रिखयाशन पे० घिसु रिखयाशन सभी सा० सामदासिज थाना मुफसिल जिला साहेबगंज।
6	मिर्जाचौकी थाना कांड सं०- 87/17 द०-01. 10.17 धारा- 376(जी)/120(बी)/34 भा०द० वि० एवं 3/4 पोस्को एक्ट। जी०आर०नं०- 595/17 एस०टी०नं०- 324/17,	मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०के० गुप्ता	1. समीम अंसारी पे० समीउद्दीन अंसारी 2. मोकीम अंसारी पे० जब्बार अंसारी 3. अयुब अंसारी पे० लाल मोहम्मद 4. गुलजार अंसारी पे० स्व० जलील अंसारी 5. सिदीक अंसारी पे० स्व० कलीमुद्दीन अंसारी 6. इश्तेयाक अंसारी पे० मनान अंसारी सभी सा० बड़ा गडरा थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज।	अपराधिक षडयंत्र के तहत नाबालिग बच्ची के साथ सामुहिक बलात्कार करने के आरोप में दर्ज है।	क्रमांक-0 1 से 05 मंडल कारा साहेबगंज तथा क्रमांक-0 6 बाल सुधार गृह दुमका में।	बैजनी टुडू उर्फ मरांग टुडू पे० कैरो टुडू सा० बड़ा गडरा थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज।	1. पु०अ०नि० रामानुज कुमार वर्मा थाना प्रभारी मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज मो०नं०- 7091488069, 2. डॉ० किरन माला सदर अस्पताल साहेबगंज 3. डॉ० विकास कुमार, 4. डॉ० भी० राजन, दोनों पी०एम०सी०एच० धनबाद।	1. बैजनी टुडू उर्फ मरांग टुडू पे० कैरो टुडू 2. मन्दु हांसदा पे० जगु हांसदा, 3. सुशील हेम्ब्रम पे० गंगा हेम्ब्रम 4. बबलु किस्कू पे० गणेश किस्कू 5. सोम टुडू पे० कराभ टुडू, 6. हेमलाल किस्कू पे० नटवा किस्कू, सभी सा० गडरा 7. सुनिल हेम्ब्रम पे० बबलु हेम्ब्रम, 8. सुरेन्द्र मुर्मू पे० ताला मुर्मू दोनों सा० कनाडीह सभी थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज।

7	<p>मिर्जाचौकी थाना कांड सं०- 95/17 द०-11. 11.17 धारा- 399/402 भा० द०वि० एवं 25(1-बी)ए/26/35आर्-स एक्ट।</p> <p>जी०आर० नं०- 681/17</p>	<p>मा०न्या० अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज।</p>	<p>ए०पी०पी० श्री एस०मरांडी</p>	<p>1. टनटन मिश्रा उर्फ बाबा पे० परमानन्द मिश्रा 2. सुभाष पाण्डेय पे० रामाकान्त पाण्डेय दोनों सा० करनपुर थाना लक्ष्मीपुर जिला जमुई (बिहार) 3. अनुप कुमार पाण्डेय पे० कुबेरनाथ पाण्डेय सा० चकलहाण्डी चौपारण थाना चौपारण जिला हजारीबाग 4. कुन्दन कुमार पे० बासुदेव मंडल सा० बैजलपुर थाना खड़गपु हवेली जिला मुंगेर (बिहार) 5. चन्दन राम पे० जनार्दन राम सा० नयाटोला थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज।</p>	<p>डकैती करने की योजना बनाते हुए अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज है।</p>	<p>क्रमांक-01 वर्द्धवान जेल एवं क्रमांक 02 से 04 मंडल कारा साहेबगंज में</p>	<p>पु०अ०नि० रामानुज कुमार वर्मा थाना प्रभारी मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज मो०नं०-7091488069</p>	<p>1. पु०अ०नि० मो० शमशेर अली मो०नं०- 7320066071 2. स०अ०नि० रामता नारायण उपाध्याय मो०नं०-8271368593 3. स०अ०नि० सेवानन्द पिगुआ 4. हव० श्यामल बाउरी पे० सुधीर बाउरी सा० रनचापर थाना कुण्डैहित जिला जामताड़ा 5. आ०/106 हरिशचन्द्र मंडल 6. आ०/306 राजेश बेसरा 7. आ०/298 मथियस किस्कु 8. आ०/483 अंगद कुमार 9. आ०/397 मार्टिन तिग्गा 10. आ०/69 ब्रजेश कुमार सभी थाना मिर्जाचौकी जिला साहेबगंज 11. श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी परिचारी प्रवर कोटी के पुलिस उपाधीक्षक जैप-09 साहेबगंज मो०नं०- 8002211478,</p>	<p>—</p>	<p>अभियुक्त 1. चन्दन राम के विरुद्ध पूरक अनुसंधान जारी है।</p>
8	<p>बरहेट थाना कांड सं०-60/17 दि०-22.10.17 धारा-376(2)(जी) भा०द०वि० एवं 4 पोस्को एक्ट</p> <p>पोस्को-08/18 जी०आर०- 636/17</p>	<p>मा०न्या० जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, साहेबगंज।</p>	<p>ए०पी०पी० श्री एस०के० गुप्ता</p>	<p>1. राकेश महतो, पे० राजु महतो, 2. मोहित अंसारी, पे० रहमान अंसारी 3. उमर अंसारी, पे०-इनुस अंसारी सभी साकिन कुर्मी टोला, थाना बरहेट, जिला साहेबगंज</p>	<p>यह कांड अभियुक्तों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ सामुहिक बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया</p>	<p>जेल</p>	<p>वादीनी सुशीला टुडू, पे० शिवनाथ टुडू, सा० धनजोरी, वर्तमान बरहेट संथाली थाना बरहेट, जिला साहेबगंज</p>	<p>1. पु०अ०नि० विधा विनोद सिंह (सेवानिवृत्त), मो०नं०-8434536855 2. डॉ० एन०वि० पुष्पम, सदर अस्पताल साहेबगंज</p>	<p>1. बिटु सोरेन, पे० जोन सोरेन, साकिम कमरडीह, 2. रानी हांसदा, पति शिवलाथ टुडू, सा० सोनाजोरी, 3. कल्पना देवी, पति दिलीप साह, सा० बरहेट संथाली, थाना बरहेट, जिला-साहेबगंज।</p>	

9	बरहेट थाना कांड सं० - 05/18, दि०-07.0118 धारा-376/302/201 /34 भा०द०वि० जी०आर०- 261/18	मा०न्या० न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्री एस०मरांडी	शिवलाल टुडू पे० एतवारी टुडू सा० कुण्डली, मिशन थाना, बरहेट, जिला-साहेबगंज एवं अन्य अज्ञात व्यक्ति	यह कांड अभियुक्त द्वारा वादी की लड़की के साथ बलात्कार हत्या करने एवं शव को फेक देने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल	वादी मुसूच किस्कू पे० स्व० रसका किस्कू सा० रधुनाथपुर, थाना-बरहेट, जिला-साहेबगंज	1. स०अ०नि० किसुन देव यादव, बरहेट थाना जिला साहेबगंज। मो०नं०-9939350341 2. डॉ० ए०के० सिंह, सदर अस्पताल साहेबगंज	1. सागर मुर्मू पे० स्व० गुडरा मुर्मू सा० कुसूम पोखर, थाना-रांगा, 2. गोपीना किस्कू पे० मुसूच किस्कू, 3. सकल मराण्डी, पे० दुर्गा मराण्डी, दोनों सा० रधुनाथपुर कारगो टोला, थाना बरहेट, जिला साहेबगंज	
10	बोरियोथाना कांड सं०-318/15 धारा-467/468/ 471/420/120बी भा०द०वि० (परिवर्तित धारा- 406/420/409/120बी /34 भा०द०वि०) जी०आर०-761/15	मा०न्या० अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्र सुमित प्रकाश	1. नाजरती सोरेन पति स्व० डेवीड हॉसदा, 2. देवनारायण साह पे० स्व० भोला साह दोनो सा० बोरियो संथाली 3. लखीराम किस्कू पे० स्व० काय साह सा० गौरीपुर सभी थाना बोरियो जिला साहेबगंज। 4. राजु रजक	बोरियो प्रखण्ड लैम्पस से राशि का गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	क्रमांक-0 1, 03 एवं 04 न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त है।	श्री ओम प्रकाश मेहरा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी मुख्यालय साहेबगंज सह प्रभारी लैम्पस प्रखण्ड बोरियो जिला साहेबगंज।	1. श्री ओम प्रकाश मेहरा 2. पु०अ०नि० लाल बहादुर प्रसाद थाना प्रभारी बोरियो, 9939408302 3. पु०अ०नि० गीता प्रसाद सिंह, मो०नं०-9661308258 4. पु०अ०नि० उमेश तिवारी मो०नं०- 9155939253, 5. स०अ०नि० महेन्द्र चौबे मो०नं०- 9934579887, सभी बोरियो थाना जिला साहेबगंज।	1. मंडल मरांडी पे० स्व० भूषण मरांडी सा० तेलो, 2. पप्पु यादव पे० धनंजय यादव सा० बोरियो दोनों थाना बोरियो जिला साहेबगंज।	अभियुक्त 1. देवनारायण साह पे० स्व० भोला साह के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाया गया है।
11	बोरियो थाना कांड सं०- 28/18 दि०-30.01.18 दि०-302 भा०द०वि० एवं 3/4 डायन अधि जी०आर०-70/18	मा०न्या० अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज।	ए०पी०पी० श्र सुमित प्रकाश	नईकी किस्कू पे० भैया किस्कू सा० अप्रोल चेगड़े ओला थाना बोरियो जिला साहेबगंज।	यह कांड अभियुक्त द्वारा डायन कह कर हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल	मुकु टुडू पे० भैया किस्कू सा० अप्रोल चेगड़े ओला थाना बोरियो जिला साहेबगंज।	1. स०अ०नि० गजेन्द्र सिंह, बोरियो थाना जिला साहेबगंज, 2. डॉ० ए०के० सिंह, सदर अस्पताल साहेबगंज।	1. दल्लु सोरेन पे० स्व० मांझी सोरेन, 2. संझली किस्कू पति दुल्लु सोरेन दोनों सा० पथरा मांडी टोला, 3. छोटो टुडू पे० छोटा संग्राम सा० अप्रोल रोल टोला थाना बोरियो जिला साहेबगंज।	

12	नगर थाना कांड -दिनांक 16/61 25ण06ण16धारा 22/20 छणक्णचैण बज छणक्णचैण. 03ध16	मा0न्या0 जिला सत्र न्यायाधीश साहेबगंज ।	ए0पी0पी0 श्री एस0के0 गुप्ता	मेजर सिंह पे स्व0 0 सा0 सिंह सीताराम साहेबगंज पुरानी जिला नगर थाना । साहेबगंज	अवैध रूप से गांजा रखने एवं बिक्री करने के आरोप में दर्ज किया गया है ।	जमानत पर	राधिका रमण मिंज पु थाना -0नि0सह जिला नगर प्रभारी । साहेबगंज	.1राधिका रमण मिंज पु 0नि0 नगर प्रभारी थाना सह मो0नं0-9934342858, .2पु विद्याविनोद 0अ0नि0 थाना नगर सिंह मो0नं0-8434536855 .3आमहतो कृतभूषण 133/0 .4आमहतो सुनिल 404/0 .5आमुर्मू नरेश 340/0 .6आ बेसरा विनोद 290/0 गार्ड रिजर्व थाना नगर । साहेबगंज .7पु सिंह गीताप्रसाद 0अ0नि0 साहेबगंज थाना नगर मो0नं0-9661308258 .8 पु चतुर्वेदी ब्रजेश्वर 0अ0नि0 मो0नं0- 9931346457 .9सकार्तिक 0अ0नि0 उरांव नगर थाना मो0नं0-9546270962	.1विश्वदीपक पे धन्नजय 0 तिवारी -2चुचु तिवारी पे रामदेव 0 पुरानी सा0 दोनो तिवारी नगर थाना साहेबगंज । साहेबगंज जिला
13	नगर थाना कांड दिनांक 16/85 1)25 धारा 10ण09ण16. इद्ध 1/26ध27 आर्म्स एक्ट जी0आर0-417 / 16	मा0न्या0 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी साहेबगंज ।	ए0पी0पी0 श्री प्रदीप कु0 मिश्रा	शशी शर्मा पे स्व0 0 सा0 शर्मा रामचन्द्र नवभारत हबीबपुर पास के हॉल सिनेमा जिला नगर थाना । साहेबगंज	अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार होना	जमानत पर	स कुमार प्रवीन 0अ0नि0 थाना नगर झा । साहेबगंज	.1स उरांव कार्तिक 0अ0नि0 थाना नगरमो0नं0-9546270962 .2हव सिंह हरेराम 0 .3आ टुडू विनोद 300/0 .4आ मराण्डी सुजीत 299/0 गार्ड रिजर्व थाना नगर । साहेबगंज .5पु चतुर्वेदी ब्रजेश्वर 0अ0नि0 मो0नं0- 9931346457 .5श्री रफाईल मिंज परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र साहेबगंज ।	.1अमित कुमार पे राजेन्द्र 0 सिनेमा नवभारत सा0 साह पास के हॉल .2शशी कुमार तांती पे 0 सा0 प्रसाद किशोर कमल कुल्लीपाडा कृष्णानगर जिला नगर थाना दोनो । साहेबगंज

14	<p>बड़हरवा थाना कांड सं०- 117 / 16 दि०-03.11.16 धारा-25(1-बी)ए / 26 / 35 आर्म्स एक्ट</p> <p>जी०आर०-576 / 16</p> <p>एस०टी०नं०-65 / 17</p>	<p>मा०न्या० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, राजमहल।</p>	<p>ए०पी०पी० श्री गोरख नाथ सिंह</p>	<p>1. राजु मंडल पे० दशरथ मंडल सा० टेक बथान, 2. सुकुमार मंडल पे० स्व० महाबीर मंडल सा० कसवा, 3. तेजाउदीन शेख उर्फ बड़कू पे० तनजीर शेख सा० फुलवड़िया, 4. आजु शेख सा० हिनसिंग टोला चारों थाना राजमहल, 5. मो० शबीर सा० उधवा थाना राधानगर सभी जिला साहेबगंज।</p>	<p>यह कांड अवैध आग्नेयास्त्र के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>जमानत</p>	<p>पु०अ०नि० उमेश राम थाना प्रभारी बड़हरवा जिला साहेबगंज।</p>	<p>1. पु०अ०नि० रामलखन पाण्डेय, 2. स०अ०नि० बिरेन्द्र सिंह, 3. हवलदार फरेबी कुमार, 4. आ० / 191 बिरसिंह महतो, 5. आ० / 335 रमेश बेसरा, 6. आ० / 26 दान्दुराय मुण्डा सभी बड़हरवा थाना जिला साहेबगंज, 7. श्री रफाईल मिंज परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र साहेबगंज।</p>	<p>1. मो० इकबाल हुसैन पे० स्व० सदरुदीन सा० बड़हरवा नया बाजार, 2. राणो अख्तर पे० अनिस शेख सा० बड़हरवा दोनों थाना बड़हरवा जिला साहेबगंज।</p>
15	<p>बड़हरवा थाना कांड सं०-14 / 18 दि०-26. 01.18 धारा-376 भा०द० वि० एवं 04 पोस्को एक्ट</p> <p>जी०आर०-60 / 18</p> <p>पोस्को नं 12 / 18</p>	<p>मा०न्या० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, राजमहल।</p>	<p>ए०पी०पी० श्री गोरख नाथ सिंह</p>	<p>1. तपेश साहा पे० धनेश्वर साहा सा० दुर्गापुर थाना बड़हरवा जिला साहेबगंज।</p>	<p>यह कांड अभियुक्त द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।</p>	<p>जेल में</p>	<p>भारती साहा पति अनिल साहा सा० दुर्गापुर थाना बड़हरवा जिला साहेबगंज।</p>	<p>1. पु०अ०नि० रामलखन पाण्डेय बड़हरवा थाना जिला साहेबगंज, मो०नं०-8579850616 2. डॉ० पुनम कुमारी सदर अस्पताल साहेबगंज।</p>	<p>1. अनिमा कुमारी पे० अनिल साहा 2. पतासो साहा पति हरि साहा, 3. नील साहा पे० हरि साहा, 4. छोटु साहा पे० डोमन साहा, 5. हरिशचन्द्र साहा पे० राजकुमार साहा, 6.गणेश साहा पे० निलकंठ साहा, 7. मनोज कुमार पे० देवनारायण साहा, 8. चन्दन साहा पे० उमेश साहा सभी सा० दुर्गापुर थाना बड़हरवा जिला साहेबगंज।</p>

16	कोटालपोखर थाना कांड सं०-01/16 दि०-18. 02.16 धारा-376 भा०द० वि० एवं 04 पोस्को एक्ट जी०आर०-01/16	मा०न्या० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, राजमहल।	ए०पी०पी० श्री गोरख नाथ सिंह	1. आसिफ शेख पे० हाजी मोईनुल हक सा० डोमपाड़ा थाना कोटाल पोखर जिला साहेबगंज।	यह कांड अभियुक्त द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	सरजीना खातुन पे० अमीनुर रहमार सा० डोमपाड़ा थाना कोटालपोखर जिला साहेबगंज।	1. पु०अ०नि० संजीवकान्त मिश्रा थाना प्रभारी कोटालपोखर जिला साहेबगंज, मो०नं०-9934404008 2. डॉ० सुनीता कुमारी टुडू सदर अस्पताल बड़हरवा, साहेबगंज।	1. अमीनुर रहमान पे० फैजुल रहमान, 2. हसन आरो खातुन पति अमीनुर रहमान, 3. जहरूल अस्लाम पे० स्व० मंसुर आलम, 4. अब्दुल कुदुस पे० स्व० लोकमान शेख, 5. नसीम अख्तर पे० मोतिउर रहमान, 6. मो० तजमुल हक पे० अब्दुल रहमान सभी सा० डोमपाड़ा थाना कोटालपोखर जिला साहेबगंज।
17	राजमहल थाना काण्ड सं०- 129/16, दि०-03.09.16, धारा-25(1-बी)ए/26 आर्म्स एक्ट। एस०टी०-169/17	मा०न्या० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, राजमहल।	ए०पी०पी० श्री गोरख नाथ सिंह	1.पंकज लाला पे० रामानंद लाला सा० तीनपहाड़ थाना तीनपहाड़ जिला साहेबगंज	अवैध रूप से अग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ पकड़ा जाना	जमानत पर	पु०अ०नि० मनोज कुमार	1.पु०अ०नि० उपेन्द्र सिंह, मो०नं०-9661485787 2.पु०अ०नि० श्लोक प्र० सिंह (सेवानिवृत्त) मो०नं०-9934299939 3.हव० श्याम बाउरी 4.पु०/648 महेन्द्र यादव 5. श्री रफाईल मिंज परिचारी प्रवर पुलिस केन्द्र साहेबगंज।	1.गोतम दास पे० अरुण दास एव 2.लालु रविदास पे० स्व० दुःखु रविदास दोनों सा० तीनपहाड़ थाना तीनपहाड़ जिला साहेबगंज
18	राजमहल थाना काण्ड सं०-100/17, दि०-18. 03.17, धारा-376 भा०द०वि० एवं 04 पोस्को एक्ट जी०आर०-230/17	मा०न्या०अनुमंडल न्यायिक दण्डा० राजमहल।	ए०पी०पी० श्री राजीव कु० उपाध्याय	1.सुन्दर मंडल पे० दिलचन्द मंडलसा० हरचंदपुर थाना राजमहल जिला साहेबगंज	नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	सुनीता कुमारी पिता आशु मंडल सा० रेलवे कॉलोनी राजमहल जिला साहेबगंज	1. स०अ०नि० सुरेन्द्र उराँव राजमहल थाना जिला साहेबगंज मो०नं०-7870036026 2. डॉ० प्रिति नयन अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल, साहेबगंज।	1.आशु मंडल पे० स्व० लोबिन मंडल 2.पारो देवी पति आशु मंडल दोनों सा० रेलवे कॉलोनी, 3.सतन मंडल पे० रतन मंडल सा० लखीपुर, 4.प्रतिमा देवी पति होसना मंडल, 5.मिना देवी पति सीबोल मंडल, 6.अनुप मंडल पे० भूदेव मंडल, 7.फेकु मंडल पे० स्व० बोनीलाल मंडल, 8.बंगाली मंडल पे० स्व० राधु मंडल सभी सा० हरचन्द्रपुर

19	राजमहल थान कांड सं०-294 / 17 दि०-06.11.17 धारा-392 भा०द०वि०। (परिवर्तित धारा-392 / 411 भा०द०वि०) जी०आर०-827 / 17	मा०न्या०अनुमंडल न्यायिक दण्डा० राजमहल।	ए०पी०पी० श्री राजीव कु० उपाध्याय	1.रामेश्वर रविदास उर्फ उमेश रविदास पे० षिवलाल रविदास सा० संकरभंगा 2.महावीर रविदास पे० स्व० मंगलू रविदास 3.मनोज रविदास पे० अरुण रविदास 4.गुड्डु दास पे० स्व० षाम दास तीनों सा० हांथीगढ सभी थाना राजमहल जिला साहेबगंज	वादी के घर में घुसकर पिस्तौल छुरा का भय दिखा कर नगद रूपया, जेवर एवं सामानों का लूटपाट करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	मदन रविदास पे० बसंत रविदास सा० हाथीगढ थाना राजमहल जिला साहेबगंज	1.पु०अ०नि० ष्लोक सिंह (सेवानिवृत्त) मो०नं०-9934299939 2.पु०अ०नि० परषुराम पासवान मो०नं०-7004589997 थाना प्रभारी तीनपहाड़ थाना जिला साहेबगंज।	1.अनिस रविदास पे० मदन रविदास 2.सुरेन्द्र रविदास पे० बसंत रविदास 3.बसंत रविदास पे० स्व० चुनु रविदास 4.राजकुमार रविदास पे० लुखा रविदास सभी सा० हाथीगढ 5.सुनिल साह पे० स्व० लोगीन साह 6.महेन्द्र साव पे० चरण साव दोनो सा० सकरभंगा सभी थाना तीनपहाड़ जिला साहेबगंज	
20	राधानगर थाना कांड सं०- 71 / 17 दि०-30.07.17 धारा-376 भा० द०वि० एवं 04 पोस्को एक्ट जी०आर०-557 / 17 पोस्को नं०-07 / 18	मा०न्या० जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, राजमहल।	ए०पी०पी० श्री गोरख नाथ सिंह	1. लखीराम मंडल पे० रूपेन मंडल सा० भुदवेटोला उधवा थाना राधानगर जिला साहेबगंज।	यह कांड अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किये जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	जेल में	प्रतुल मंडल पे० स्व० हरिचरण मंडल सा० भुदवेटोला उधवा थाना राधानगर जिला साहेबगंज।	1. स०अ०नि० रमेश कुमार राधानगर थाना जिला साहेबगंज मो०नं०-8298180003, 8271983999 2. डॉ० प्रिती नयन अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल जिला साहेबगंज।	1. पीडिता कविता कुमार पे० प्रतुल मंडल, 2. भददो देवी पति प्रतुल मंडल दोनों सा० उधवा भुदेव टोला, 3. जुगनी देवी पति मधु चौधरी, 4. भगवती चौधरी उर्फ भगवती देवी पति स्व० नरेश चौधरी, 5. पॉंचु चौधरी पे० उपीन चौधरी तीनों सा० उधवा चौधरी टोला सभी थाना राधानगर जिला साहेबगंज।	

सरायकेला-खरसाँवा जिला अन्तर्गत त्वरित विचारण हेतु 20 कांडों की सूची :-

क्र०सं०	कांड सं० / तिथि / धारा / GR/ ST No	अभियुक्तों का नाम एवं पता	कांड की संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल / फरार / बेल	न्यायालय का नाम	पी०पी० का नाम	वादी का नाम एवं पता	सरकारी गवाह अनु०कर्ता, / चिकित्सक / विशेषज्ञों का नाम पता एवं मो०नं०	आम गवाहों की नाम, पता एवं मो०नं०
1	तिरुलडीह थाना कांड सं० 19/16, दिनांक -02.09.16, धारा 272/273 भा०द०वि० एवं 47(ए) उत्पाद अधि० GR-914/16	(1) तापस लाहा, पे०- स्व० लखीन्द्र लाहा, सा०-ईचाडीह थाना- तिरुलडीह जिला- सरायकेला-खरसाँवा। (2) संदीप कुमार पे०- कपील देव बैठा, सा०+थाना- खतबरवा, जिला- पलामु	यह कांड वादी पु०अ०नि० वीरेन्द्र पासवान, थाना प्रभारी तिरुलडीह, के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. तापस लाहा और 2. संदीप कुमार के द्वारा अवैध रूप से अंग्रेजी शराब एवं देशी शराब रखकर बेचने के आरोप में प्रतिवेदित है।	जमानत पर बाहर है।	ACJM	श्री आशीष कु० तिवारी	पु०अ०नि० वीरेन्द्र पासवान, थाना प्रभारी तिरुलडीह,	(1) पु०अ०नि० वीरेन्द्र पासवान (2) हव० अजित कुमार सिंह (3) आ०/485 जीवन प्रकाश उराँव (4) आ०/639 सुकरा राम (5) आ०/210 गोविन्द तिग्गा (6) चा०आ०/183 गेरेया चातर	
2	चाण्डिल (कपाली ओ०पी०) कांड सं०- 215/17, दि०-14.12.17, धरा- 25(1-b)a 26 आर्म्स एक्ट। GR-1246/17	विजय तिकी, पे०- धनमसी तिकी, सा०- वारिस कॉलोनी रोड़ नं०- 04, थाना- आजादनगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम	यह कांड वादी पु०अ०नि० लालबिहारी प्रसाद प्रभारी कपाली ओ०पी० के स्वलिखित के आधार , दिनांक 14.12.17 को घटनास्थल फुटबॉल मैदान गौसनगर कपाली से विजय तिकी के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में यह काण्ड प्रतिवेदित है।	जेल में है।	SDJM	श्री प्रवीण कुमार	पु०अ०नि० लालबिहारी प्रसाद प्रभारी, कपाली ओ०पी०	(1) वादी पु०अ०नि० लालबिहारी प्रसाद प्रभारी कपाली ओ०पी० (2) हव० अशवनी बारिक (3) हव० कालियुस सुरिन रिजर्व गार्ड कपाली ओ०पी० दोनो (4) परिचारी प्रवर जमशेदपुर राजीव कुमार सिंह (प्रदर्श जाँच) (5) स०अ०नि० शिव शंकर प्रसाद अनु०कर्ता	
3	राजनगर थाना कांड सं०- 59/17, दिनांक- 17.10.17, धारा 341/323/504/5	विनय सिंहदेव, पे०- वैधनाथ सिंहदेव, ग्राम- बिटा, थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसाँवा।	यह कांड वादी साधु पड़ेया, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त विनय सिंहदेव के विरुद्ध मारपीट एवं आदिवासी सूचक गाली ग्लोज	जेल में है।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	साधु पड़ेया पे०- स्व०, गोनों पाड़ेया, ग्राम- सरजोमडीह,	(1) स०अ०नि० शिवकुमार पासवान अनु० कर्ता राजनगर थाना	(1) साधु पड़ेया पे०- स्व०, गोनों पाड़ेया, (2) हरिचरण कालुन्डिया,

	06 एवं 3/4 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट। GR-1023/17		करने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित हुआ है।				थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खर सावाँ।		पे0- रामसुरत कालुन्डिया, (3) रामसुरत कालुन्डिया, पे0- स्व0 सरदार तियु (5) कैरा लागुरी , पे0- बिरसा लागुरी सभी ग्राम- सरजोमडीह, थाना- राजनगर,जिला - सरायकेला।
4	आदित्यपुर थाना कांड सं0 -117/17,दिनांक- 02.05.17, धारा:- 20(b)(ii)(c)22(c)N .D.P.S act. 06/17	(1) टिकु कुमार सिंह, पे0-ओकार सिंह, साद्ध- बाबा आश्रम रोड नं0- 10, थाना- आर0आई0टी0 (2) बादल कुमार साहु, पे0- रंचित साहु सा0- रोड नं0- 05, थाना- आर0आई0टी0 (3) राजा सिंह, पे0- सुखदेव सिंह, सा0-रोड नं0- 10, थाना- आर0आई0टी0 (4)दशरथ प्रधान, सा0- तेतला, थाना- राजनगर (5) कबिराज मल्लीक,	यह कांड वादी पु0नि0 विजय कुमार सिंह, वर्तमान में पु0नि0 सह थाना प्रभारी आदित्यपुर के स्वलिखित आवेदन के आधार पर दिनांक -02.5.17 को घटनास्थल - टॉल ब्रीज मोड़ आदित्यपुर से प्राथमिकी अभियुक्तो (1) टिकु कुमार (2) बादल कुमार साहु (3) राजा सिंह, (4)दशरथ प्रधान, 5) कबिराज मल्लीक के द्वारा अवैध रूप से गांजा का तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप मे प्रतिवेदन।	अभियुक्त (1)टिकु कुमार जमानत पर बाहर है।और अभियुक्त (2) बादल कुमार साहु, (3) राजा सिंह, (4)दशरथ प्रधान (5) कबिराज मल्लीक, जेल में है।	PDJ	श्री विभूति पंजियारा	पु0नि0 विजय कुमार सिंह, वर्तमान में पु0नि0 सह थाना प्रभारी आदित्यपुर	(1)वादी पु0नि0 विजय कुमार सिंह, वर्तमान में पु0नि0 सह थाना प्रभारी आदित्यपुर (2) अजीत कुमार अनु0पु0पदा0 सरायकेला (3)पु0नि0 सह जय प्रकाश राणा सह थाना प्रभारी गम्हरिया (4) पु0अ0नि0 रामा कान्त दिक्षित आदित्यपुर थाना (5)पु0अ0नि0 वीरेन्द्र पासवान आर0आई0टी थाना प्रभारी (6) स0अ0नि0 लखन उराँव आदित्यपुर थाना (7) स0अ0नि0 अशोक शर्मा आदित्यपुर थाना (8) आ0/958 शिवचरण किस्कु रिजर्व गार्ड	

		पे0- उच्छव मल्लीक, सा0- जमालपुर, सतवहिनी, थाना- आदित्यपुर,सभी जिला सरायकेला-खरसावाँ।						आदित्यपुर थान (9)आ0/138 संजय महतो अंगरक्षक आदित्यपुर थाना प्रभारी (10) पु0अ0नि0 अनिल कु0 ओझा (11)पु0अ0नि0 योगेश्वर तिवारी अनु0कर्ता	
5	कुचाई थाना काण्ड सं0- 03/17, दिनांक- 03.02.17, धारा 376/313/4 पोक्सो एक्ट GR-133/17	सुभाष सोय, पे0- बुधन सोय, सा0- कुण्डीमार्चा टोला जेगोडीह, थाना- कुचाई, जिला- सरायकेला-खरसावाँ	यह काण्ड वादिनी जेमा सोय के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0अभि0 सुभाष सोय के विरुद्ध बलात्कार करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल मे है।	ACJM	श्री आशीष कु0 तिवारी	वादिनी जेमा सोय, पे0- टुचन सोय, सा0- कुण्डिमार्चा टोला, जेगोडीह, थाना- कुचाई, जिला- सरायकेला-खर सावाँ।	(1) पु0अ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह सह थाना प्रभारी कुचाई।(2) डा0 सी0 भारती राव एम0ओ0 सदर अस्पताल सरायकेला	(1) जेमा सोय, पे0- टुचन सोय, (2) हिससी कुई सोय, पति- टुचन सोय (3) वणुज सोय,पे0- कुजी सोय, सभी सा0- कुण्डिमार्चा, टोला- जेगोडिह, थाना- कुचाई, जिला -सरायकेला-ख रसावाँ
6	चाण्डिल थाना काण्ड सं0- 26/17, दिनांक- 23.02.17, धारा 392 भ0द0वि0 GR-205/17	1.हरेन्द्र सिंह , पे0- सतोष सिंह, सा0- रामगाढ़, थाना- चाण्डिल, (2)दिवाकर कुमार , पे0- असय कुमार सा0- आदरडीह, थाना- नीमडीह, (3) जयन्तो डे,पे0- महादेव डे सा0- रामगाढ़,	यह काण्ड वादि संजु महतो , के फर्दब्यान के आधार पर अपराधकर्मियों के विरुद्ध पिस्तौल का भय दिखाकर पीकअप भैन गाड़ी नं0-JH- 02AJ-8715 एक मोबाईल,एस एस.बी0आई0 का ए0टी0एम0 कार्ड तथा 4400/-रु नगद लूट ले लेने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।	(1) हरेन्द्र सिंह जेल से बाहर हैं, और बाकी अभियुक्त जेल से फरार है।	SDJM	श्री प्रवीण कुमार	संजु महतो , पे0- अक्षय महतो, ग्राम- डेमोडीह, थाना-तमाड, जिला- राँची	(1) श्री प्रदीप भगत, प्र0वि0 पदा0, चाण्डिल (2) पु0अ0नि0 आदिकान्त महतो सह थाना प्रभारी, चाण्डिल । अनु0कर्ता	(1) वादि संजु महतो पे0- अक्षय महतो, ग्राम- डेमोडीह, थाना-तमाड (2) सुनील कुमार आदितया, पे0- हेमू आदित्या, सा0- रोड

		थाना- चाण्डिल (4) खालिद मियाँ							नं0-15,जवाहर नगर मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम (3) मिथलेश यादव, पे0- रामधानी यादव, सा0- छोटकाकाना, था0- पतरातू, जिला- रामगढ़ (4) अजय कुमार, पे0- गिरधारी साह,सा0- गिरधारी होटल, थाना- चाण्डिल, जिला- सरायकेला-खर सावों।(5) सिकन्दर यादव, पे0- नन्दो गोप, सा0- छोटकाकाना, था0- पतरातू, जिला- रामगढ़
7	आदित्यपुर थाना कांड सं0- 15/18, दिनांक 16.01.18, धारा 376(2)(i) भा0द0वि0, 6 पोकसो एक्ट एवं 3(i)(w) एस0सी0/एस0टी0	अर्जुन सिंह, पे0- भरत सिंह, सा+थाना-नावागर, जिला- बक्सर (बिहार), वर्तमान पता- भाटिया बस्ती नियर गाँधी आई0टी0आई0 टोल	यह काण्ड वादी घनश्याम हेम्ब्रम के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन सिंहके विरुद्ध नाबालिक आदिवासी लड़की से बलात्कार करने के आरोप में यह प्रतिवेदित हुआ है।	जेल में है।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	घनश्याम हेम्ब्रम,पे0 मोने हेम्ब्रम ,ग्राम- उँची वीता, थाना- टोकलो, जिला- प0 सिंहभूम, (झारखण्ड)	(1)डा0 सी0 भारती राव एम0ओ0 सदर अस्पताल सरायकेला (2)पु0अ0नि0 योगेश्वर तिवारी, आदित्यपुर थाना,अनुकर्ता	(1)घनश्याम हेम्ब्रम,पे0 मोने हेम्ब्रम ,ग्राम- उँची वीता, थाना- टोकलो, जिला- प0 सिंहभूम, (झारखण्ड)

	<p>एक्ट। GR-72/18</p>	<p>ब्रीज के पास भारती पंडित का किरायेदार</p>					<p>वर्तमान सा0 आदित्य गार्डेन रोड़ नं0-07 (डॉ0 बी0एन0झा के किरायेदार)</p>		<p>वर्तमान सा0 आदित्य गार्डेन रोड़ नं0-07 (डॉ0 बी0एन0झा के किरायेदार) (2)रीना हेम्ब्रम, पति- सुरेश हेम्ब्रम, ग्राम(3) सुरेश हेम्ब्रम, पे0- मोने हेम्ब्रम दोनो ग्राम- उँची वीता, थाना- टोकलो, जिला- प0 सिंहभूम, (4)डॉ बी0एन0झा0 चिकित्सक वर्तमान सा0 आदित्य गार्डेन रोड़ नं0-07 (5) जितेन्द्र कुमार सिंह, पे0- गोबर्दन सिंह, सा0- भाटिया बस्ती (6)चन्द्र शेखर कुमार, पे0- योगेन्द्र सिंह, सा0- भाटिया बस्ती तीनो थाना- आदित्यपुर, जिला-</p>
--	---------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

									सरायकेला-खर सावाँ ।
8	आदित्यपुर थाना काण्ड सं०- 353/2017, दिनांक- 9.12.17, धारा- 25(1-b)ए/26/3 5 आर्म्स एक्ट। GR-1218/17	1.कादिम खान, पे०- स्व० अली अहमद, 2. मो० हासिम, पे०- मो० जाहिर दोनों सा० एच० रोड मुस्लिम बसती, थाना- आदित्यपुर, जिल- सरायकेला-खरसावाँ।	यह काण्ड वादी पु०नी० सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह के स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध आग्नेयास्त्र रखने एवं पकड़े जाने के आरोप में यह काण्ड प्रतिवेदित हुआ।	जेल में है।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	वादी पु०नी० सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह।	(1).पु०अ०नि० विरेन्द्र पासवान, वर्तमान अभियोजन शाखा प्रभारी (2). स०अ०नि० लखन उराँव आदित्यपुर थाना (3).आ०/138 संजय महतो, आदित्यपुर थाना प्रभारी सह पु०नि० अंगरक्षक,आदित्यपुर (4). वादी पु०नी० सह आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह (5)अनु०कर्त्ता स०अ०नि० कृष्णा प्रसाद मो०नं०- 9060259707 आदित्यपुर थाना।	
9	कांझा थाना कांड सं० 53/17, दिनांक 10.12. 17,धारा 457/380/411 भा०द०वि० GR-1225/17	(1)मो० सुल्तान, पे०- स्व० अब्दुल करीम (2) रोहित कुमार नन्दी उर्फ साहेब दोनो सा०- काण्डा बाजार, थाना काण्डा, जिला- सरायकेला-खरसावाँ।	यह काण्ड वादी सुदीप मंडल के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के द्वारा बंद घर ताला तोड़कर प्रवेश करके चोरी करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	दोना अभियुक्त जमानत पर बाहर हैं।	SDJM	श्री प्रवीण कुमार	वादी सुदीप मंडल,पे०- सतीश चन्द्र मंडल पता- काण्डा कॅलोनी, जिला- सरायकेला-खर सावाँ।	(1) स०अ०नि० रणधीर कु० सिंह, काण्डा थाना, अनु०कर्त्ता	(1) वादी सुदीप मंडल, पे०- सतीश चन्द्र मंडल (2) राजेन्द्र महतो, पे०- गहीराम महतो ,सा०- क्वार्टर J0/07, काण्डा एस०के०जी० कॉलनी।(3) किशोर महापात्र, पे०-स्व० भागीरथ महापा, सा०-काण्डा

									बस्ती (4) मनोज महतो, पे0- रामजीवन महतो, सा0- काण्डा बस्ती, सभी थाना काण्डा, जिला- सरायकेला-खर सावाँ ।
10	चौका थाना कांड सं0 60/17, दिं0-08.12. 17,धारा- 392 भा0द0वि0 GR-1216/17	1.ईश्वर प्रधान, पे0- स्व0 लखन प्रधान 2. माईकर विजय, पे0- माईकल तारणी, दोनो ग्राम- पुर्ती कोर्ट, थाना- कुरै, जिला- जाजपुर, उडिसा	यह कांड वादी प्रदीप कुमार राणा क फर्दब्यान के आधार पर दो अज्ञात युवक के द्वारा बलु रंग का बिना नम्बर पल्सर 220 सी0सी0 मोटर साईकिल से वादी के हाथ से ज्वैलरी का झोला छीन कर भाग जाना	जेल मे है ।	SDJM	श्री प्रवीण कुमार	प्रदीप कुमार राणा, पे0- शशांक शेखर राणा, ग्राम+थाना- चौका, जिला- सरायकेला-खर सावा	(1) स0अ0नि0 कृष्णदेव प्रसाद, वर्तमान पदस्थापन, नीमडीह थाना, जिला- सरायकेला-खरसावाँ (2) हवलदार ठाकुर दास हासदाँ, (3) आ0/1011 बिरसा बिरुबव दोनो वर्तमान पदस्थापन, नीमडीह थाना रिजर्व गार्ड, जिला- सरायकेला-खरसावाँ (4) श्रीमती पुनम कुजुर (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चाण्डिल) (5). पु0अ0नि0 अदिकान्त महतो सह थाना प्रभारी चाण्डिल, जिला-सरायकेला- खरसावा	(1) प्रदीप कुमार राणा, पे0- शशांक शेखर राणा, ग्राम+थाना- चौका, (2) दिलीप कु0 राणा, पे0- शशांक शेखर राणा, सा0+थाना- चौका, (3) शशांक शेखर महतो ,पे0-श्री उमापदो महतो, सा0- मुसरीबेड़ा, थाना- चौका तीनो तीनो जिला- सरायकेला-खर सावा
11	आदित्यपुर थाना कांड सं0- 33/17, दिनांक-07.02.17,	(1) गणेश नायक, पे0- मखन नायक, सा0- बालाईडीह,	यह काण्ड वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी , जय प्रकाश राणा, आदित्यपुर थाना के लिखित	जेल मे है ।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	पु0नि0 सह थाना प्रभारी , जय प्रकाश	(1) पु0नि0 सह थाना प्रभारी , जय प्रकाश राणा, आदित्यपुर (2)	

	<p>धारा:- 25(1-b)a / 26 / 3 5 भा0द0वि GR-162/17</p>	<p>आदित्यपुर (2) मंयक बारी, पे0- कृष्णा बारी, सा0- बोलाईडीह नीयर गर्ल्स स्कूल, आदित्यपुर (3) पिकू महतो, पे0- मिटू महतो, सा0- बालाईडीह, शीतला मंदीर रोड नं0-6, सभी थाना आदित्यपुर, जिला- सरायकेला- खरसावाँ।</p>	<p>फर्दब्यान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. गणेश नायक, 2. मंयक बारी, 3.पिकू महतो सभी के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ हैं</p>				<p>राणा, आदित्यपुर थाना। वर्तमान मे गम्हरिया थाना प्रभारी।</p>	<p>स0अ0नि0 महेन्द्र उराँव वर्तमान मे आदित्यपुर थाना पदस्थापित (3) स0अ0नि0 अशोक कुमार शर्मा वर्तमान मे आदित्यपुर थाना पदस्थापित (4) चालक आ0 / 1143हरिश चन्द्र तिरिया चालक के रूप में प्रतिनियुक्त, थाना-आदित्यपुर,(5) परिचारी प्रवर, राजीव कुमार सिंह, केन्द्र जमशेदपुर (पुर्वी सिंहभूम) (6) अनु0 कर्त्त स0अ0नि0 लखन उराँव वर्तमान मे आदित्यपुर थाना पदस्थापित सभी जिला सरायकेला-खरसावाँ</p>	
12	<p>राजनगर थाना काण्ड सं0- 48 / 17, दिनांक- 18.08.17 , धारा- 25(1-b) a / 26 / 35 आर्म्स एक्ट। ST-105/17</p>	<p>(1) रामदास प्रमाणिक , पे0-गौरचन्द्र प्रमाणिक, सा0- चौके (2)नारायण महतो उर्फ गुजरू महतो, पे0- स्व0 युधिष्ठिर महतो, सा0- लखीपुर (3) मिथुन नायक, पे0- राजाराम नायक, सा0- चालियामा, तीनों थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसावाँ।</p>	<p>यह काण्ड के वादी विजय प्रकाश ,थाना प्रभारी, राजनगर, के स्वलिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. रामदास प्रमाणिक 2.नारायण महतो उर्फ गुजरू महतो, 3. मिथुन नायक के विरुद्ध अवैध आग्नेयाशस्त्र रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।</p>	<p>सभी अभियुक्त जेल से बाहर है।</p>	CJM	<p>श्री हर्षवर्द्धन कुमार</p>	<p>पु0अ0नि0 विजय प्रकाश ,थाना प्रभारी, राजनगर, वर्तमान पुलिस केन्द्र, दुगनी</p>	<p>(1) स0अ0नि0 रामभरोसा शर्मा राजनगर थाना (2)हवलदार रामरक्षा सिंह (3) आ0 / 126 संतोष कुमार महतो (4) आ0 / बिरेन्द्र मुण्डारी तीनों राजनगर थाना रिजर्व गार्ड। (5) परिचारी प्रवर, राजीव कुमार सिंह, पुलिस केन्द्र जमशेदपुर (पुर्वी सिंहभूम) (6) पु0अ0नि0 विजय प्रकाश (7)</p>	

								स0अ0नि0 मिन्दु कुमार सिंह राजनगर थाना अनु0 कर्त	
13	आदित्यपुर थाना काण्ड सं0- 350 / 17, दिनांक- 1.12.17, धारा- 392 भा0द0वि0 GR-1220/17	1.अप्राथमिकी अभियुक्त ईश्वर प्रधान, पे0- स्व0 लखन प्रधान, सा0- पूर्वीकोट, थाना- केराई, जिला- गंजम, उड़ीसा 2.माईकल विजय, पे0- माइकल तारीणी सीयी पता ग्राम+थानां- कुदला, जिला- गंजाम, उड़ीसा	यह काण्ड वादी कृष्णा प्रसाद, पे0 स्व0 लखन शर्मा, सा0 हरिओम नगर, रोड न0-2, मकान संख्या एम0आई0जी0 546, थाना -आदित्यपुर, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर दो (02) अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध जेवर एवं पैसे की लूट करने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल में है।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	वादी कृष्णा प्रसाद, पे0 स्व0 लखन शर्मा, सा0 हरिओम नगर, रोड न0-2, मकान संख्या एम0आई0जी0 546, थाना -आदित्यपुर, जिला सरायकेला-खर सावाँ।	(1).पु0अ0नि0 विरेन्द्र पासवान, वर्तमान अभियोजन शाखा प्रभारी (2). स0अ0नि0 लखन उराँव आदित्यपुर थाना (3).आ0 / 138 संजय महतो, आदित्यपुर थाना प्रभारी सह पु0नि0 अंगरक्षक,आदित्यपुर (4). वादी पु0नी0 सह आदित्यपुर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह (5)अनु0कर्त स0अ0नि0 कृष्णा प्रसाद मो0नं0- 9060259707 आदित्यपुर थाना।	
14	राजनगर थाना कांड सं0- 75 / 17, दिनांक- 25.12.17, धारा- 376(A) (2) भा0द0वि0 एवं पोकसो एक्ट 6 जी0आर0-128 / 17	1.बहादुर ज्योतिष, पे0- इन्द्रजीत ज्योतिषी, सा0- कमलपुर,थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला- खरसावाँ।	यह काण्ड वादी नन्द किशोर ज्योतिषी, पे0- स्व0 तनु ज्योतिषी, सा0 कमलपुर, थाना- राजनगर,जिला- सरायकेला-खरसावाँ के लिखित प्रतिवेदनके आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध वादी के नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में काण्ड प्रतिवेदित हुआ है।	जेल में है।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	वादी नन्द किशोर ज्योतिषी, पे0- स्व0 तनु ज्योतिषी, सा0 कमलपुर, थाना- राजनगर,जिला - सरायकेला-खर सावा	(1). अनु0कर्त शिव कुमार पासवान राजनगर थाना।	(1).अनिता देवी, पति- नन्द किशोर ज्योतिषी, (2). अशीत कुमार ज्योतिषी, पे0- सूर्यनाथ ज्योतिषी (3). उपेन्द्र मिश्रा, पे0- पतित पावन मिश्रा (4). वादी नन्द किशोर ज्योतिषी सभी सा0- कमलपुर,

									थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खर सावाँ
15	कुचाई थाना कांड सं०- 5/18, दिनांक- 20.01.18, धारा-376 भा०द०वि० एवं 3/4 पोक्सो एक्ट जी०आर०- 84/18	1.विषण सरदार, पे० श्री कालीचरण सरदार, ग्राम-उरुवाँ, थाना- कुचाई, जिला- सरायकेला-खरसावाँ।	यह काण्ड वादिनी सोनाकुई बानरा, के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ जवबरन गलत संबंध बनाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	जेल में है।	ACJM	श्री आशीष तिवारी	1.वादिनी सोनाकुई बानरा,पे०-नन्दु बानरा, सा०- अरुवाँ टोला ।	(1) डाँ० सी०बी० राय (2) डाँ०ए०पी० सिंह चौधरी (11)डाँ० नकुल कुमार चौधरी (3) डाँ० उमेश रजक (4) डाँ० सुसमीता तमारिया (5) डाँ० विष्णु देव शाह। सभी सदर अस्पताल सरायकेला-खरसावाँ। (6) अनु० कर्त्त० स०अ०नि० उपेन्द्र पाठक स०अ०नि० कुचाई थाना	(1.) वादिनी सोनाकुई बानरा,पे०-नन्दु बानरा, सा०- उरुवाँ टोला (2).नन्दु बानरा, पे०- जयराम बानरा, (3). मोहन बुड़ीउली, पे०- मिचराय बुड़ीउली, सा०- सेलागडीह(उरु वाँ) (4).नामसी कुई,पति- नन्दु बानरा,सा०-उरु वाँ,(5).गोमेया बिरुली, पे०- स्व प्रधान बिरुली, ग्राम-सेलागडीह पंचायत-उरुवाँ, (6).मंगूराम बोदरा, पे०- स्व० नारदे बोदरा, सा०- सेलागडीह(उरु वाँ) (7).मादुई बोदरा, पति-

									मांगुराम बोदरा, सा0- उरुवाँ (8).सोनामुनी सरदार, पति- हिरालाल सरदार, सा0- उरुवाँ सभी थाना- कुचाई, जिला- सरायकेला-खर सावाँ ।
16	सरायकेला थाना काण्ड संख्या 79 / 17, दिनांक-29.05. 17,धारा- 25(1-b)a / 26 / 3 5 आमर्स एक्ट GR-539/17	(1) गुरु प्रसाद महतो , पे0- हराधन महतो (2) गुरुवा महतो, पे0- बनबिहारी महतो (3) काली महतो, पे0- बन्धन महतो तीनों सा0- टियुनियाँ, थाना- सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावाँ ।	यह काण्ड वादी पु0अ0नि0 रण विजय रारायण सिंह, थाना प्रभारी सरायकेला के के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त (1) गुरु प्रसाद महतो (2) गुरुवा महतो (3) काली महतो के विरुद्ध अवैध आग्न्यस्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है ।	सभी अभियुक्त जमानत पर बाहर है ।	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	पु0अ0नि0 रण विजय सिंह, थाना प्रभारी सरायकेला	(1) रण विजय सिंह, थाना प्रभारी सरायकेला (वादी) (2) स0अ0नि0 रणजीत प्रसाद सरायकेला थाना (3) हवलदार महेश्वर उराँव (4)आ0 / 121 अरुण कुमार सिंह (5)आ0 / 1097 कृष्ण भगवान मेलगाड़ी तीनों सरायकेला थाना रिजर्व गार्ड (6) परिचारी प्रवर(पूर्वी सिंहभूम) राजीव कुमार सिंह (7) (सेवानिवृत्त) पु0अ0नि0 महेश उपाध्याय (8) पु0अ0नि0 दिलकेशवर शर्मा ,अनु0कर्त्त सरायकेला थाना ।	
17	राजनगर थाना काण्ड सं0-25 / 17, दिनांक- 30.04.17, धारा	(1) राजू प्रधान , पे0- प्रमोद प्रधान,सा0- बन्दुआ (1) राजू प्रधान ,	यह कांड वादी पु0अ0नि0 तुलेश्वर कुशवाहा, थाना प्रभारी राजनगर, के स्वलिखित आवेदन के आधर पर प्राथमिकी	(1) राजू प्रधान ,जमानत पर बाहर है । (1) राजू प्रधान	CJM	श्री हर्षवर्द्धन कुमार	पु0अ0नि0 तुलेश्वर कुशवाहा, थाना प्रभारी	(1)पु0अ0नि0 तुलेश्वर कुशवाहा (वादी) (2) स0अ0नि0 राजेश कुमार वर्मा, वर्तमान आदित्यपुर	

	25(1-b)a/26/3 5 आमर्स एक्ट GR-449/17	उर्फ रसराज लोहार सा0- टिमुनिया, दोना थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसावाँ।	अभियुक्त (1) राजू प्रधान , (2)सागर लोहार उर्फ रसराज लोहार दोनो के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	,जेल में है।			राजनगर, वर्तमान मे चौका थाना प्रभारी	थाना मे पदस्थापित (3) हवलदार रामरक्षा सिंह (4) आ0/535 गुप्तेशवर यादव (5) आ0/585 मनेश पंडित सभी राजनगर थाना रिजर्व गार्ड (6) स0अ0नि0 शैलेश तिवारी, राजनगर थाना, अनु0कर्त्ता।	
18	गम्हरिया थाना कांड सं0- 60/17, दि0- 07.09. 17,धारा- 20(b)II(C) NDPS Act	(1) प्रेम कुमार प्रधान ,पे0- राजू प्रधान, ग्राम-तेतला, थाना- राजनगर, वर्तमान पता- बंतानगर, थाना- आर0आई0टी0 (2) मुकेश कुमार, पे0- योगेन्द्र प्रसाद, सा0- बंतानगर, पी0एच0डी रोड, थाना- आर0आई0टी0 (3) दिनेश महतो, पे0- निताई महतो, सा0- बनकाटी, पो0- गोविंदपुर, थाना- राजनगर (4) मनीष कुमार गिरी, पे0- अयोध्याय गिरी, सा0- बंतानगर, बंतानगर, पी0एच0डी रोड, थाना- आर0आई0टी0, (5) दशरथ प्रधान, पे0-	यह कांड वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी गम्हरिया जय प्रकाश राणा के स्वलिखित आवेदन के आधार पर दिनांक- 07.09.17 को घटनास्थल छोटा गम्हरिया उच्च विद्यालय के पास कांड्रा आदित्यपुर जाने वाले मुख्य सड़क पे प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा अवैध गांजा का कारोबार करने के आरोप में यह काण्ड प्रतिवेदित हुआ है।				वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी गम्हरिया जय प्रकाश राणा।	(1) वादी पु0नि0 सह थाना प्रभारी गम्हरिया जय प्रकाश राणा (2) आ0/शिव शंकर दास वर्तमान अंगरक्षक गम्हरिया थाना प्रभारी (3) आ0/1099 बुधन सिंह तुबिद (4) आ0/1071 गुरुचरण कोडा (5) आ0/1209, उगन सिंह, सभी गम्हरिया थाना रिजर्व गार्ड (5) गम्हरिया अंचल पदाधिकारी श्री कामनी किशोर लकड़ा (6) स0अ0नि0 अजय कुमार राय (अनु0कर्त्ता)	

		अंकित नहीं, सा0- तेतला, थाना- राजनगर (6) राजेश कुमार, योगेन्द्र प्रसाद, सा0- बतानगर, पी0एच0डी कॉलोनी , थाना- आर0आई0टी0 सभी जिला सरायकेला-खरसावाँ							
19	खरसावाँ (आमदा ओ0पी0) थाना कांड सं0- 52/2015, दिनांक- 08.09.15, 25(1-b)a/26 आर्म्स एक्ट GR 960/15 कोर्ट का नाम-	(1) सुनिल कुमार साहु, पे0- प्रदीप कुमार साहु, ग्राम- खमारडीह, थाना- खरसावाँ (आमदा ओ0पी0)	यह कांड वादी पु0अ0नि नरसिंह मुण्डा सह थाना प्रभारी आमदा ओ0पी0 के स्वलिखित ब्यान के आधार पर अभियुक्त सुनिल कुमार साहु, पे0- प्रदीप कुमार साहु, ग्राम- खमारडीह, थाना- खरसावाँ (आमदा ओ0पी0) के विरुद्ध अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में प्रतिवेदित हुआ है।	अभियुक्त जमानत पर है।	ऐ0सी0जे0एम0, सरायकेला।	पी0पी0 / ऐ0पी0पी का नाम- श्री आशीष तीवारी	वादी पु0अ0नि नरसिंह मुण्डा सह थाना प्रभारी आमदा ओ0पी0	(1) वादी पु0अ0नि नरसिंह मुण्डा सह थाना प्रभारी आमदा ओ0पी0 (2) पु0अ0नि अजय प्रसाद सह थाना प्रभारी खरसावाँ (3) स0अ0नि ब्रजेन्द्र सिंह कुचाई थाना (4) हव0 पिथौ मुमु (5) हव0 नवदीप भूमीज (6) आ0/1074 राजेश बानरा (7) हव0 सुरेन्द्र सोरेन (8) परिचारी प्रवर सरयु लाल ठाकुर पुलिस केन्द्र, सरायकेला (9) अनु0कर्ता स0अ0नि0 विष्णुदत्त पाण्डे।	
20	सरायकेला थाना कांड सं0- 123/17, दिनांक- 10.10.17, धारा- 475/380 भा0द0वि0 GR 1003/17	(1) राजीव नायक, पे0- रविन्द्र नायक, सा0- चेलाबेड़ा, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प0सिंहभूम (चाईबासा) (2) विशाल नायक, पे0-	यह कांड वादी सुभंकर जाना, पे0- सुभाष जाना, के लिखित आवेदन के आधार पर दिनांक- 11.10.17 को अपने किराय के मकान उकरी रोड, के पास से अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध चोरी करने के आरोप में काण्ड	एक अभियुक्त उच्च न्यायालय से जमानत पर है और दोनो अभियुक्त जेल में है।	सी0जे0एम0, सरायकेला।	पी0पी0 / ऐ0पी0पी का नाम- श्री हर्षवर्धन कुमार	सुभंकर जाना, पे0- सुभाष जाना, सा0- तालगाछाड़ी , थाना- रामनगर, जिला- पूर्वी	(1) यह कांड वादी सुभंकर जाना, पे0- सुभाष जाना, (2) सैयद अजमत अली, पै0- सैयद	

	<p>कोर्ट का नाम—</p>	<p>मिलन नायक, सा0— बड़ा गम्हरिया, सा0— नामोपाड़ा (3) गोपाल प्रमाणिक, पे0— सुमन प्रमाणिक, दोना सा0— नामोपाड़ा, थाना— आदित्यपुर, जिला— सरायकेला—खरसावाँ ।</p>	<p>प्रतिवेदित है ।</p>				<p>मेदनीपुर (पं0 बंगाल) वर्तमान आदित्यपुर सेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड में इंजिनियर तथा उकरीरोड में प्रधान मुण्डा के मकान में किरायेदार थाना— सरायकेला, जिला— सरायकेला—खर सावाँ ।</p>		<p>रकीब अली, सा0— वशुलिया, थाना— सुताहाटा, जिला— पूर्वी मेदनीपुर (पं0बंगाल) (3) अबीर प्रतिहार, पे0— गंगाराम प्रतिहार, सा0— जगन्नाथपुर, थाना— जयपुर , जिला— बाँकुड़ा (पं बंगाल) वर्तमान आदित्य (4) शंकरा ज्ये कुम्बार , पे0— चनबासा कुम्बार, सा0— दुलकोटी, थाना— गढ़क, जिला— गढ़क(कर्नाटक) वर्तमान आदित्यपुर सेस्ट मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड में इंजिनियर तथा उकरीरोड में प्रधान मुण्डा के मकान में किरायेदार (5) राकेश कुमार</p>
--	----------------------	---	------------------------	--	--	--	---	--	---

										<p>सिंह, पे०- अमरनाथ सिंह, सा०- छपरी, थाना- हवेली खड़गपुर, जिला- मुंगेर (बिहार) वर्तमान स्टोर इंचार्ज (6) सुबोध कुमार यादव पे०- विषुण कुमार यादव सा०- धाबधाम, थाना- चन्दवारा, जिला- कोडरमा वर्तमान ऐ०डब्लू०एम०पी० सी०एल में जे०सि०बि० ओपरेटर (7) मनोज नायक, पे०- जगताराम नायक, सा०- तिरिलडीह कोलाबिरा, थाना- सरायकेला। (8) तापस कुमार सारंगी, पे०- श्री प्रकाश कुमार सारंगी का 164द०प्र०सं०</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										का बयान (9) नकुल नायक, उर्फ शक्ति पे0- निरंजन नायक, धारा 164 द0प्र0सं0 का बयान (10) रवि कालिन्दी, पे0- स्व0 वकील कालिन्दी धारा 164द0प्र0सं0 का बयान (1) अनु0कर्त्त0 स0अ0नि0 बिपिन बिहारी सिंह सिनी ओ0पी0 प्रभारी।
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

पत्रांक ..430../अभि0को0
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय,सिमडेगा

दिनांक- 09/ 05 /2018

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
सिमडेगा।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसंधान,विभाग
झारखण्ड, राँची।

प्रसंग :- आपका कार्यालय ज्ञापांक- 173/गो0, दि0-03.05.18.

विषय :- माननीय मुख्य न्यायाधीष, झारखण्ड उच्च न्यायालय के निदेशक के आलोक में 1,000 काण्डों का त्वरित विचारण के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषय के सदर्थ में कहना है कि सिमडेगा जिला अन्तर्गत से त्वरित विचारण हेतु 22 (बाईस) काण्डों की सूची वांछित प्रपत्रानुसार हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

कृपया सादर सूचनार्थ।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विष्वासभाजन

ह0/-

पुलिस अधीक्षक,
सिमडेगा।

सिमडेगा जिला अन्तर्गत चयनित किये गये 20 कांडो की सूची :-

क्र०सं०	काण्ड सं० / तिथि / धारा/GR/ST NO.	अभियुक्तों का नाम एवं पता	काण्ड का संक्षिप्त विवरणी	अभियुक्त जेल में/फरार / जमानत	न्या० का नाम	ए०पी०पी०/ पी०पी० का नाम एवं मो० नं०	वादी का नाम पता	सरकारी गवाह / अनुसंधानकर्ता / चि कित्सक / विशेषज्ञों का नाम एवं मोबाईल नं०-	आम गवाहों का नाम,पता एवं मो०न०.	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	ST/SC थाना काण्ड सं०-01 / 17 दि०-07.01.17 धारा-323 / 324 / 420 / 506 / 34 भा०द०वि० 3 / 4(x) ST/SC Act 1989 GR-10/17 ST/SC-03/17	1. गिरीष कुमार मिश्रा पे०-राज किशोर मिश्रा सा०-कोनबीर नवाटोली थाना-बसिया जिला-गुमला	मोबाईल टावर लगाने के नाम पर पैसे की ठगी करने तथा टावर नहीं लगने पर पैसा की मांग करने पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलोज करने के आरोप में।	जेल में,	ए०डी०जे०, सिमडेगा	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 926445416 3	वादी-जोन केरकेट्टा पे०-स्व० भीनसेंट केरकेट्टा सा०-टापूडेगा पण्डरीपानी थाना -टी० टांगर, जिला सिमडेगा।	1.पु०अ०नि० धुनीराम हेम्ब्रम(अनु०कर्ता)	1. जोन केरकेट्टा पे०-स्व० भीनसेंट केरकेट्टा 2. बेरोनिका कुल्लू पति-जोन केरकेट्टा सा०-टापूडेगा पण्डरीपानी थाना-टी० टांगर, जिला सिमडेगा। 3. अषोक मिस्त्री पे०-शिवमंगल रावत सा०-ठाकुरटोली थाना+जिला सिमडेगा। 4. कुलदीप साहू पे०-स्व० कृष्णा प्रसाद सा०-पाण्डरीपानी चौक थाना टी०टांगर जिला-सिमडेगा। 5. अनिल मिस्त्री पे०-जोसेफ डुंगडुंग सा०-कसडेगा पतराटोली थाना टी०टांगर जिला सिमडेगा।	साक्ष्य पर ।
02	AHTU थाना काण्ड सं०-23 / 17 दि०-27.11.17 धारा-363 / 370(5) भा०द०वि० एवं 75 / 81 J.J Act ST-49/18	1.अलाउद्दीन अंसारी पे०-सफदर अंसारी 2. सुरज सुरीन पे०-शनिचर सुरीन दोनों सा०-बानों बडाईकटोली थाना -बानो जिला-सिमडेगा	वादिनी एवं उसकी सहेली को दिल्ली बेचने हेतु ले जाते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में।	जेल में,	ए०डी०जे०, सिमडेगा	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 926445416 3	वादिनी- जुलिया सिन्दुरिया पे०-इलियस सिन्दुरिया सा०-कनरवों बागरुकटा थाना बानो जिला सिमडेगा।	1.स०अ०नि० मोजीबुल हक (अनु०कर्ता) 2. पु०अ०नि० राजे कुमारी कुजूर थाना प्रभारी AHTU 3. हव० मथुरा साही 4. म०आ० / 141 चमेली कुजूर 5. आ० / रवि कुमार तीनों थाना AHTU सिमडेगा।	1. जुलिया सिन्दुरिया पे०-इलियस सिन्दुरिया सा०-कनरवों बागरुकटा थाना बानो जिला सिमडेगा। 2. अगस्ती लुगुन पे०- समसंग लुगुन सा०-कनरवों गिरजाटोली थाना बानो जिला सिमडेगा। 3. इलियस सिन्दुरिया पे० स्व० सोमरा सिन्दुरिया सा०-कनरवों बांधटोली थाना बानों जिला सिमडेगा। 4. समसंग लुगुन पे०-खिस्तोधान लुगुन कनरवों गिरजाटोली थाना बानो जिला सिमडेगा।	साक्ष्य पर ।

03	<p>AHTU थाना काण्ड सं०-01/18 दि०-06.01.18 धारा-363/370(5) भा०द०वि० एवं 75/81 J.J Act.</p> <p>GR-16/18 Spl pocso 04/18</p>	<p>1. सूरज साहनी पे० महावीर साहनी सा० हरसवार मुसहरी- टोली थाना हरलाखी जिला- मधुबनी (बिहार) वर्तमान पता RZE-17 निहाल बिहार नंगलोई दिल्ली।</p>	<p>वादिनी की बहन को दिल्ली ले जाकर बेच देने के आरोप में।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०, सिमडेगा	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 926445416 3	वादिनी-रभि देवी पे०- अघनु लोहरा सा०-डुमरमुंडा सेवई थाना+जिला-सिम डेगा।	1.पु०अ०नि० राजे कुमारी कुजूर(अनु०कर्ता)	<p>1. रभि कुमारी पे०- अघनु लोहरा 2. अघनु लोहरा पे०-तुपा लोहरा 3. संतोष लोहरा पे०- अघनु लोहरा तीनों सा०-डुमरमुंडा सेवई थाना+जिला-सिमडेगा।</p>	साक्ष्य पर ।
04	<p>टी०टांगर थाना काण्ड सं०-26/17 दि०-06.05.17 धारा-392 भा०द०वि०</p> <p>GR-213/17</p>	<p>1. शेख फिरोज पे०- शेख फारुख सा० अघरमा खोखा टोली थाना- कोलेबिरा जिला- सिमडेगा 2. सज्जाद अंसारी पे०- मो० रफीक अंसारी सा० खैरनटोली चट्टानटोली थाना+जिला- सिमडेगा</p>	<p>अपराधियों के विरुद्ध पिस्टल का भय दिखाकर मोबाईल, रुपया एवं स्कूटी को लूटपाट करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	सी०जे०एम० सिमडेगा	ए०पी०पी० अमीत कुमार मो०नं० 89874148 66	वादी - समीर कुल्लू पे०- राजेश कुल्लू सा०- मेरोमडेगा गिरजाटोली थाना-टी०टांगर जिला सिमडेगा	<p>1. पु०अ०नि० बृज कुमार (अनु०कर्ता) 2. आ०/74 जगदीश मुंडा 3. आ०/130 अशोक कुमार यादव तीनों टी०टांगर थाना 4. निर्भय कुमार सिन्हा नोडल पदाधिकारी भारती एयरटेल 5. श्री अरुण कुमार दूबे अनु०न्या०दण्डा० सिमडेगा</p>	<p>1. समीर कुल्लू पे०- राजेश कुल्लू 2. उषा किरण कुल्लू पे०-अलेक्जेंडर कुल्लू 3. राजेश कुल्लू पे०- लोरेन्तुस कुल्लू 4. कुलदीप केरकेट्टा पे०- निकोदिन केरकेट्टा 5. विनीत डुंगडुंग पे०- रॉबर्ट डुंगडुंग सभी सा०- मेरोमडेगा गिरजाटोली थाना-टी०टांगर जिला सिमडेगा</p>	साक्ष्य पर ।

05	<p>कुरडेग थाना काण्ड सं०-07/17 दि०-15.01.17 धारा-386/212/ 216/34 भा०द०वि० 25(1-बी)ए/26(2)35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।</p> <p>GR-29/17 ST-68/18</p>	<p>अभि०— 1. अषोक बरवा पे०—सुरजन महतो सा०—बरटोली थाना—कुरडेग,जिला सिमडेगा। 2. मो० नसीम,पे०— मो० मोसिम सा०—बुकरू चामाटोली, थाना— कांके जिला—रॉंची।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध लेवी का पैसा तथा अवैध गोली एवं पी०एल० एफ०आई० का पर्चा के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०सि मडेगा	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63	<p>वादी— पु०अ०नि० सुशील कुमार थाना प्रभारी कुरडेग।</p>	<p>1. पु०अ०नि०—महेन्द्र दास 2. हवलदार—राजीव कुमार 3. आ०/409 जयराम कोंगाड़ी 4. आ०/51 लोलस बाड़ा 5. आ०/634 ऑस्कर केस्पोट्टा 6. आ०/310 प्रेम प्रकाश 7. परिचारी—सोना राम सोरेन सभी जिला सिमडेगा। 8. स०अ०नि० संजय कुमार सिंह(अनु०कत्ता)</p>	---	साक्ष्य पर ।
----	--	--	---	----------	---------------------	--	--	--	-----	-----------------

06	<p>महाबुआंग थाना काण्ड सं०-04 / 17 दि०-13.08.17 धारा-212 / 216 भा०द०वि० 25(1-ए) / 26(2) 35 आर्म्स एक्ट एवं 17 (1)(2) सी०एल०ए० एक्ट ।</p> <p>GR-351/17 ST-27/18</p>	<p>अभि०- 1. विनय सिंह उर्फ विनय पाईक उर्फ विनय भुईया पे०-स्व० फलेन्द्र सिंह सा०-बेडाईरगी बड़काटोली</p> <p>2. सोषन कन्दुलना पे०-रंजन कन्दुलना सा०-बेडाईरगी गिरजाटोली दोनों थाना महाबुआंग जिला-सिमडेगा ।</p> <p>3. अमृत आईन्द सा०-किंदरीकेला थाना-बसिया,जिला गुमला ।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के सदस्य होने तथा प्रतिबंधित हथियार रखने एवं लेवी का पैसा वसूलने के आरोप में दर्ज कराया गया है ।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०सि मडेगा	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63	<p>वादी- पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी,बानो ।</p>	<p>1. पु०अ०नि० महेन्द्र दास, बानो थाना 2. पु०नि० बाल कृष्ण भगत (झारखण्ड जगुआर,रॉची) 3. पु०नि० सुबोध लकड़ा (झारखण्ड जगुआर,रॉची) 4. आ० / 222 मो० अरशद खान 5. आ० / 868 कार्तिक महतो 6. परिवहन परिचार सोना राम सोरेन 7. पु०अ०नि० निर्माल कुमार(अनु०कर्ता०) 8. स०अ०नि० गोमिया मुण्डा 9. पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी बानों ।</p>	---	साक्ष्य पर ।
----	--	---	---	----------	---------------------	--	--	--	-----	-----------------

07.	<p>बानो थाना काण्ड सं0-23/17 दि0-14.04.17 धारा-212/216 भा0द0वि0 25(1-ए ए)/26(2)आर्म्स एक्ट एवं 17(1)(2) सी0एल0ए0 एक्ट।</p> <p>GR-173/17 ST-16/18</p>	<p>अभि0- 1. दिनेष सिंह पे0-गिल्लू सिंह सा0-सिकोरदा गंझूटोली थाना बानो जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध पी0एल0एफ0 आई0 उग्रवादी का पर्चा एवं प्रतिबंधित जिन्दा गोली रखने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए0डी0जे0	<p>ए0पी0पी0 सुभाष प्रसाद, मो0नं0 92644541 63</p>	<p>वादी- पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी बानो जिला सिमडेगा</p>	<p>1. पु0नि0 आलोक सिंह पु0नि0 बानो अंचल 2. पु0अ0नि0 सुभाष सिंह (झारखण्ड जगुआर,रॉची) 3. पु0अ0नि0 रमेश उरॉव (झारखण्ड जगुआर,रॉची -17) 4. आ0/574 अनिरुद्ध साहू 5. आ0/856 रवि कच्छप 6. आ0/901 जलेश्वार 7. स0अ0नि0 रामजी राय (अनुसंधनकर्ता) सभी बानो थाना रिजर्व गार्ड 8. परिचारी सोना राम सोरेन पु0केन्द्र सिमडेगा।</p>	---	साक्ष्य पर।
-----	--	---	---	----------	----------	--	---	---	-----	----------------

08.	<p>बानो थाना काण्ड सं०-41/17 दि०-09.06.17 धारा-212/216 भा०द०वि० 25(1-ए ए)/26(2) आर्म्स एक्ट एवं 17 (1)(2)सी०एल०ए० एक्ट।</p> <p>GR-253/17 ST-157/17</p>	<p>अभि०- 1. सुरेन्द्र नाग पे०-गुदूल नाग सा० सोय कुम्हार टोली थाना बानो जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध रूप से जिन्दा कारतुस एवं प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का पर्चा के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	<p>ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63</p>	<p>वादी- पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी बानो जिला सिमडेगा</p>	<p>1. आ०/574 अनिरुद्ध साहू 2. आ०/444 रामनन्द सिंह 3. आ०/966 चन्द्र प्रकाश 4. आ०/901 जलेश्वर भगत 5. स०अ०नि० रामजी राय 6. स०अ०नि० रधुनाथ सिंह 7. पु०अ०नि० रामश्रय सिंह (अनु० कर्ता) सभी थाना बानो जिला सिमडेगा। 8. परिचारी सोना राम सोरेन पु०केन्द्र सिमडेगा।</p>	---	साक्ष्य पर।
09.	<p>बानो थाना काण्ड सं०-44/17 दि०-14.06.17 धारा-25(1-ए ए)/26(2)35 आर्म्स एक्ट</p> <p>GR-263/17 ST-164/17</p>	<p>अभि०- 1. पारस सिंह पे०- बलदेव सिंह सा०-सोड़ा 2. गुलषन सिंह पे०- गुजरू सिंह सा०- पबुड़ा गंझुटोली 3. चन्द्रदेव बड़ाईक पे०-स्व० बोहरा बड़ाईक सा० तेतराटोली तीनों थाना बानो जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध रूप से अग्नेयास्त्र के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	<p>ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63</p>	<p>वादी- पु०अ०नि० रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी बानो जिला सिमडेगा</p>	<p>1. स०अ०नि० रामजी राय 2. आ०/574 अनिरुद्ध साहु 3. आ०/444 रामानन्द सिंह 4. आ०/901 जलेश्वर भगत 5. स०अ०नि० निरंजन प्रकाश (अनु०कर्ता) 6. परिचारी सोना राम सोरेन पु०केन्द्र सिमडेगा</p>	---	साक्ष्य पर।

10.	<p>बानो थाना काण्ड सं- 46/17 दि0-18.07.17 धारा-25(1-ए)/26(2) आर्म्स एक्ट एवं 17 सी0एल0ए0 एक्ट।</p> <p>GR-307/17 ST-08/18</p>	<p>अभि0- 1. संतोष ठाकुर पे0-प्रमोद ठाकुर सा0 हरिजनटोली थाना बानो जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध उग्रवादी संगठन को गोली पहुँचाने जाते समय रंगे हाथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए0डी0जे0	<p>ए0पी0पी0 सुभाष प्रसाद, मो0नं0 92644541 63</p>	<p>वादी- पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार थाना प्रभारी बानो जिला सिमडेगा</p>	<p>1. पु0अ0नि0 रविन्द्र कुमार 2. पु0अ0नि0 प्रयाग दास (झारखण्ड जगुआर रॉची 07) 3. आ0/574 अनिरुद्ध साहु 4. आ0/856 रवि कच्छप 5. आ0/966 चन्द्र प्रकाश उराँव 6. आ0/901 जलेश्वर भगत 7. स0अ0नि0 रंजित कुमार सिंह (अनु0कर्ता0) सभी थाना बानो जिला सिमडेगा। 8. परिचारी सोना राम सोरेन पु0केन्द्र सिमडेगा</p>	---	साक्ष्य पर।
-----	--	--	--	----------	----------	--	---	--	-----	----------------

11.	<p>जलडेगा थाना काण्ड सं०-69/17 दि०-30.11.17 धारा- 25(1-बी)ए/26(2)/35 आर्म्स एक्ट</p> <p>GR- 530-17 ST-</p>	<p>अभि०- 1. लालमोहन कच्छप पे०-स्व कमल कच्छप सा०-टिनगिना चिरोटांड थाना जलडेगा जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध हथियार एवं गोली के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०न० 92644541 63	वादी- पु०अ०नि० सामुएल लिण्डा थाना प्रभारी,जलडेगा	<p>1. पु०अ०नि० सामुएल लिण्डा 2. हवलदार-अर्जन टोप्पो 3. हवलदार-सिमोन पतरस धान 4. पु०अ०नि० बालेश्वर पाण्डेय 5. हवलदार- नेपाल चन्द्र महतो 6. हवलदार- षिव चरण महातो 7. चा०आ०-708/ठि वर्षकर सिंह 8. आ०/401 योगेश्वर महतो 9. स०अ०नि० विद्यानन्द महतो (अनु०कर्ता०) सभी थाना जलडेगा जिला सिमडेगा 10. परिचारी सोना राम सोरेन पु०केन्द्र सिमडेगा</p>	---	साक्ष्य पर।
-----	--	--	--	----------	----------	---	--	--	-----	----------------

12.	<p>सिमडेगा थाना काण्ड सं०-128/17 दि०-28.11.17 धारा- 25(1-बी)ए/26(2) आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।</p> <p>GR-524/17</p>	<p>अभि०- 1. अरुण पाढ़ी पे०-भेलेश्वर पाढ़ी सा०-बीरू ब्राम्हण टोला थाना-सिमडेगा,जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध माबाईल अवैध गोली एवं पी०एल०एफ०आई० के पर्चा के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63	वादी- पु०नि० राजेन्द्र प्रसाद महतो थाना प्रभारी सिमडेगा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. पु०नि०-राजेन्द्र प्रसाद महतो 2. पु०अ०नि० अरुण कुमार सिंह(अनु०) 3. हवलदार लक्षमण उर्राँव 4. आ०/649 मंगल दास भगत 5. आ०/623 मिथिला लकड़ा 6. आ०/724 दीपक कुजूर 7. आ०/852 मो० रफीउद्दीन 8. श्री निर्मल गोप अपर पुलिस अधीक्षक(अभियान) सभी जिला सिमडेगा। 	---	साक्ष्य पर।
13.	<p>जलडेगा थाना काण्ड सं०-63/17 दि०-10.11.17 धारा- 25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट</p> <p>GR-496/17</p>	<p>अभि०- 1.तुलसी कुमार सिंह पे०- बाल किशुन सिंह 2. जगबन्धु नायक पे०-श्री कर्मा नायक 3.सुरजीत सिंह पे०-स्व० लोधा सिंह तीनों सा०- जामटोली 4. सुगड़ भुईया पे०- सुसतुस मुईया सा० जामटोली पतराटोली सभी थाना-जलडेगा जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध हथियार के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	सी०जे०एम० सिमडेगा	ए०पी०पी० अमीत कुमार मो०नं० 89874148 66	वादी -पु०अ०नि० सामुएल लिण्डा	<ol style="list-style-type: none"> 1. वादी -पु०अ०नि० सामुएल लिण्डा 2. स०अ०नि० राजदेव प्रसाद 3. स०अ०नि० नरेन्द्र कुमार सिंह(अनु०कर्ता) 4. परिचारी सोना राम सोरेन 5. हवलदार- नेपाल चन्द्र महतो 6. हवलदार- सिमोन पतरस धान 7. आ०/402 योगेश्वर महतो 8. हवलदार-जय मसीह सांगा 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मतीयस आईन्द, पे०-स्व० इलियासधार आईन्द, 2. पतरस आईन्द, पे०-जोसेफ आईन्द दानों सा०-जामटोली थाना जलडेगा जिला सिमडेगा। 	साक्ष्य पर।

14.	<p>रेगारिह थाना काण्ड सं०-02/18 दि०-31.01.18 धारा-302 भा०द०वि०,</p> <p>GR-58/18 ST-/</p>	<p>अभि०- 1. समीर लकड़ा पे०- जार्ज लकड़ा सा०-जगड़ा थाना-टी०टांगर जिला-सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी की बहन अनुपा कुजूर की हत्या करने आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	सी०जे०एम० सिमडेगा	ए०पी०पी० अमीत कुमार मो०नं० 89874148 66	वादिनी-अन्ना असरीता तिकी पति-स्व०अनिल तिकी सा०-पाईकपाड़ा वैजूटोली, थाना-रेंगारिह जिला-सिमडेगा।	<p>1. पु०अ०नि० रविन्द्र प्रसाद सिंह(अनु०कर्ता) 2. डा० मनोज प्रताप डुंगडुंग सदर अस्पताल सिमडेगा।</p>	<p>1. अन्ना असरीता तिकी पति-स्व० अनिल तिकी। 2. एमानुएल कुजूर पे०-कारलूस 3. रजनी कुजूर पति-एमानुएल कुजूर 4. करमेला तिकी पति-सुनिल तिकी 5. कोरनेलियुस तिकी पे०-स्व मारकुस तिकी सभी सा०-पिथरा मायघाट थाना-टी०टांगर</p>	साक्ष्य पर।
15.	<p>कुरडेग थाना काण्ड सं०-21/17 दि०- 16.04.17 धारा-387 / 34भा०द०वि०,2 5(1-बी०)ए/26(2)/35आ र्स एक्ट 17(1)(2)सी०एल०एक्ट एवं 16 / 18 / 20 / 38 / 39 / यू०ए०पी०एक्ट।</p> <p>GR-179/17 ST-43/18</p>	<p>अभि०- 1. विपिन कुमार लकड़ा पे०- हेवर्ड लकड़ा सा०-सलेयाटोली थाना कुरडेग जिला-सिमडेगा। 2. मुकेश गवाला पे०-देवनाथ गवाला सा०-मतारामेटा थाना-टी०टांगर 3. आनंद सोरेंग पे०-फ्रांसिस सोरेंग सा०-खिजरी नवाटोली थाना+जिला सिमडेगा</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध रंगदारी वसूलने प्रतिबंधित पी०एल०एफ०आई० उग्रवादी संगठन का पर्चा साटने, अवैध अग्नेयास्त्र गोली प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पी०एल०एफ०आई० पोस्टन एवं अन्य सामानों के साथ पकड़े जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63	वादी- पु०अ०नि० सुशील कुमार थाना प्रभारी कुरडेग।	<p>1. पु०अ०नि० सुशील कुमार 2. पु०उपा० प्रदीप उर्राव (अनु०कर्ता०) 3. हवलदार-सदानंद सिंह 4. स०अ०नि० संजय कुमार सिंह 5. प्रशिक्षु ह०-अवधेश राम 6. आ० / 342 नवल किशोर उर्राव 7. आ० / 291 अजय कुमार 8. आ० / 815 कुणाल कान्त यादव 9. परिचारी सोना राम सोरेन पुलिस केन्द्र</p>	—	साक्ष्य पर।

16.	<p>जलडेगा थाना काण्ड सं०-32/17 दि०-20.07.17 धारा-302/201 / 34 भा०द०वि०,</p> <p>GR-316/17 ST-172/17</p>	<p>अभि०- 1. महेश लोहरा पे०- ननकु लोहरा 2. दीपक बड़ाईक पे०- षिवचरण बड़ाईक 3. भीम साय पे०-शानिका साय 4. कष्टू गोप पे०- रतिया गोप 5. छोटनु साय पे०-नामालूम 6. पोको मांझी पे०- नामालूम सभी सा०-टिनगिना ईदटोली थाना-जलडेगा जिला सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध हत्या कर साक्ष्य छुपाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	सी०जे०एम० सिमडेगा	ए०पी०पी० अमीत कुमार मो०नं० 89874148 66	वादिनी- अजिता टोप्पो पति-कुलजन टोप्पो सा०-टिकरा मामा-भगिना, थाना-जलडेगा जिला-सिमडेगा ।	<p>1. डा० श्याम सुन्दर पासवान एम०ओ० 2. डा० पी०एस० लिन्डा 3. डा० सिलबानुस एक्का सभी सदर अस्पताल सिमडेगा। 4. पु०अ०नि० बालेश्वर पाण्डेय(अनु० कर्त्ता०)</p>	<p>1. रोलर चालक मुमताज अंसारी पे०-युसुफ अंसारी सा०-टिकरा मामा-भगिना रोड थाना-जलडेगा थाना-सिमडेगा। 2. ट्रेक्टर चालक अनुज मुण्डा पे०-सुखनाथ मुण्डा सा०-कुलवुर थाना बुडमू जिला-राँची। 3. मोतियूर रहमान पे०- यासिन अंसारी सा०-कोनमेरला थाना-जलडेगा जिला- सिमडेगा। 4. रामचन्द्र लोहरा पे०-मादो लोहरा ईदटोली थाना-जलडेगा जिला सिमडेगा। 5. जयवन्त टोप्पो पे०-अवनेर टोप्पो 6. जोहारिन टोप्पो पति-अवनेर टोप्पो दानों सा०-टिकरा मामा-भगिना रोड थाना-जलडेगा</p>	साक्ष्य पर।
-----	--	---	---	----------	----------------------	---	--	---	--	----------------

17.	<p>टी0टांगर थाना काण्ड सं0-43/17 दि0-07.09.17 धारा-304 भा0द0वि0,</p> <p>GR-394/17 ST-54/18</p>	<p>अभि0- 1. रोयन सुरीन पे0- स्व0 पियुस सुरीन सा0-सिरिगबेड़ा पहाड़टोली थाना टी0टांगर जिला-सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्त के विरुद्ध वादी की पत्नी सोमारी सुरीन को लाठी से मारने के कारण मृत्यु होने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	ए0डी0जे0	<p>ए0पी0पी0 सुभाष प्रसाद, मो0नं0 92644541 63</p>	<p>वादी-मिखैल सुरीन पे0-वर्नावास सुरीन सा0-सिरिगबेड़ा पहाड़टोली थाना टी0टांगर जिला-सिमडेगा।</p>	<p>1. डा0 सुजीत कुमार मुर्मू सदर अस्पताल सिमडेगा। 2. पु0अ0नि0 रामा तिग्गा(अनु0 कर्त्ता)</p>	<p>1. मिखैल सुरीन पे0-वर्नावास सुरीन 2. संजय सुरीन पे0-स्व0 इगनेश सुरीन 3. अशोक सुरीन पे0-बानुस सुरीन 4. निरल कन्दुलना पे0-बोवारा कन्दुलना। 5. सुलेमान सुरीन पे0-स्व0 लुकस सुरीन 6. सावन बागे पे0-स्व0 पतसर बागे सा0-सिरिगबेड़ा पहाड़टोली थाना टी0टांगर जिला-सिमडेगा।</p>	साक्ष्य पर।
18.	<p>AHTU थाना काण्ड सं0-18/16 दि0-03.012.16 धारा-366(ए)/370/506 भा0द0वि0 एवं पोक्सो एक्ट।</p> <p>GR-524/16 Spl Pocs0 -07/17</p>	<p>अभि0- 1. पंकज कुमार जयसवाल 2. पवन कुमार जयसवाल 3. लल्लू कुमार जयसवाल तीनों पे0- शंकर जयसवाल सा0-अम्बापखना, थाना रनिया जिला खुंटी।</p>	<p>अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी की पुत्री पुनम कुमारी को बहला फुसला कर दिल्ली ले जाकर बेच देने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जमानत पर	ए0डी0जे0	<p>ए0पी0पी0 सुभाष प्रसाद, मो0नं0 92644541 63</p>	<p>वादिनी-श्रीमति छेदन देवी पति-राजेन्द्र साव सा0-ओड़गा थाना-जलडेगा जिला सिमडेगा।</p>	<p>1. स0अ0नि0 मोजीबुल हक (अनु0कर्त्ता) 2. पु0अ0नि0 राजे कुमारी कुजूर (अनु0कर्त्ता) 3. डा0 सुषमा प्रभा टोप्पो 4. डा0 मनोज प्रताप डुंगडुंग 5. डा0 कार्तिक भगत तीनों सदर अस्पताल सिमडेगा।</p>	<p>1. वादिनी-छेदन देवी पति-राजेन्द्र साव 2. बंसत साहू पे0-राजेन्द्र साव 3. पुनम कुमारी पे0-राजेन्द्र साव तीनों सा0-ओड़गा थाना-जलडेगा जिला सिमडेगा। 4. चुन चुन साव पे0-स्व0 धुररा साव सा0-सालेगुटुम थाना कामडारा जिला गुमला। 5. मालावती देवी पति-प्रदीप साव सा0-अम्बापखना थाना-तोरपा जिल खुंटी। 6. लालावती देवी पति-भुषन साव सा0-हुड़गा थाना बानों जिला सिमडेगा।</p>	साक्ष्य पर।

19.	<p>कुरडेगा थाना काण्ड सं०-37/17 दि०-04.09.17 धारा-376(2)(1)/ 506 भा०द०वि० एवं 4 पोक्सो एक्ट ।</p> <p>GR-387/17 Spl Pocs -15/17</p>	<p>अभि०- 1. अजय यादव पे०-कष्टु यादव, सा०-लिटिमारा, थाना-कुरडेग जिला-सिमडेगा ।</p>	<p>अभियुक्ता के विरुद्ध वादिनी के साथ बलात्कार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है ।</p>	जेल में,	ए०डी०जे०	<p>ए०पी०पी० सुभाष प्रसाद, मो०नं० 92644541 63</p>	<p>वादिनी- जयमनी कुमारी पिता-फलिन्द्र महतो, सा०-खरवाटोली , थाना -कुरडेग, जिला- सिमडेगा ।</p>	<p>1. पु०अ०नि० रणविजय शर्मा (अनु०कर्त्ता) 2. डा० अलोमपिया केरकेट्टा,सदर अस्पताल सिमडेगा ।</p>	<p>1. वादिनी- जगमनी कुमारी 2. फुलमति देवी,पति-फलिन्द्र महतो 3. फलिन्द्र महतो पे०-स्व० चैतु महतो सा०-खरवाटोली,थाना -कुरडेग, जिला- सिमडेगा । 4. ध्रपति देवी पति-अशोक यादव सा०-लिटिमारा ,थाना -कुरडेग, जिला- सिमडेगा । 5. तिलिस्फोर टोप्पो, पे०-सुलेमान टोप्पो 6. एंजुलुस टोप्पो ,स्व० ज्वाकिम टोप्पो 7. सरिता कुजूर ,पति-सुधीर टोप्पो सा०-खरवाटोली,थाना -कुरडेग, जिला- सिमडेगा । 8. बसंत यादव, पे०-केशवर यादव 9. कटटु यादव,पे०-झुमरू यादव सा०-लिटिमारा ,थाना -कुरडेग, जिला- सिमडेगा ।</p>	साक्ष्य पर ।
-----	---	---	---	----------	----------	--	--	---	---	-----------------

20.	<p>सिमडेगा थाना काण्ड सं०-45/18 दि०-01.04.18 धारा-376(डी) भा०द०वि० एवं 4/8 पोक्सो एक्ट।</p> <p>GR-183/18</p>	<p>अभि०- 1. मनोज मांझी पे०-नारायण मांझी, सा०-तामड़ा, थाना-मुफसिल जिला-सिमडेगा। 2. अमृत कुमार प्रसाद पे०-प्रेम कुमार प्रसाद सा०-बराबरपानी थाना+जिला- सिमडेगा।</p>	<p>अभियुक्ता के विरुद्ध वादिनी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोप में दर्ज कराया गया है।</p>	जेल में,	सी०जे० एम० सिमडेगा	ए०पी०पी० अमीत कुमार मो०नं० 89874148 66	वादिनी- पुजा कुमारी पे०-रंजीत सिंह सा०-कामतारा थाना- मुफसिल जिला सिमडेगा।	<p>1. पु०अ०नि० रविशंकर (अनु०कर्त्ता) सिमडेगा थाना। 2. डा० निरूपमा भगत,सदर अस्पताल सिमडेगा।</p>	<p>1. वादिनी- पुजा कुमारी पे०-रंजीत सिंह 2. विकाश सिंह पे०-रंजीत सिंह दोनों सा०-कामतारा थाना- मुफसिल जिला सिमडेगा। 3. गुलसन डांग पे०-मानवेल कुजूर थाना+जिला -सिमडेगा। 4. रंजीत लुगून पे०-उलयन लुगून सा०-बायाटांड थाना+जिला-सिमडेगा।</p>	
-----	---	--	---	----------	-----------------------	---	---	--	---	--